

भमज भगवान् महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में

प्रश्नव्याकरण सूत्र

(आश्रय और संवर का गंभीर विवेचन)

[मूल, संस्कृतच्छाया, पदार्थ, मूलार्थ, विस्तृत व्याख्या]

व्याख्याकार :

संस्कृत-प्राकृतविशारद पं० श्री हेमचन्द्र जी महाराज

सम्पादक :

प्रवचनभूषण पं० श्री अमर मुनि जी महाराज

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

पुस्तक :

प्रश्नव्याकरण सूत्र



प्रकाशन :

वीर निर्वाण दिवस (२४६६)

विक्रम सं० २०३० दीपावली

नवंबर : १९७३



टीकाकार :

पं० श्री हेमचन्द्र जी महाराज



सपादक :

प्रबचनभूषण श्री अमर मुनिजी



प्रकाशक :

सन्मति ज्ञान पीठ, लोहामडी, आगरा-२



मुद्रक :

रामनारायण मेड़तवाल,

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस

राजा की मडी, आगरा-२



मूल्य :

बीस रुपये मात्र



प्रकाशकीय

स्वेताम्बर-स्थानकवासी जैन परम्परा में महामहिम स्व. आचार्यदेव श्री आत्माराम जी महाराज, आमम साहित्य के ख्यातिप्राप्त महान् अम्यासी थे। आपने अनेक आगमों पर विवेचनाप्रधान विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं। आगमों पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में टीकाएँ लिखने में ही उन्होंने अपने बौद्धिक जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था। उनकी आगमसेवाएँ जैन इतिहास में चिरस्मणीय रहेंगी।

आचार्य श्री के महान् शिष्य प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज भी जैन जगत् के एक विशिष्ट प्रतिभाशाली मनीषी हैं। संस्कृत, तथा आगमशास्त्र के आप भी गभीर विद्वान् हैं। आपके द्वारा भी समाज की साहित्यिक सेवा कुछ कम नहीं हुई है। प्रश्नव्याकरण सूत्र का प्रस्तुत आदर्श संस्करण भी आप की ही विलक्षण बौद्धिक शक्ति का चमत्कार है। इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्नव्याकरण का यह श्रेष्ठ रूप, हमारी जानकारी में, पहली बार ही जनता के समक्ष आ रहा है।

श्रद्धेय प० श्री पद्मचन्द्रजी (भण्डारी जी महाराज) के सत्प्रयत्न, उत्साह एवं प्रेरणा से उनके महनीय गुरुदेव की यह कृति प्रकाश में आ सकी है। वस्तुतः उक्त प्रकाशन के द्वारा एक सुयोग्य शिष्य ने अपने श्रद्धेय महान् गुरु का अमुक अंश में गुरुश्रद्धा अदा किया है। भण्डारी महाराज ने यत्र तत्र जैन धर्म के गौरव का उल्लेखनीय प्रचार एवं प्रसार किया है। यह साहित्यसेवा भी उनकी उसी स्वर्णिम कर्मश्रृंखला की एक दिव्य प्रभास्वर कड़ी है। आपश्री के सुयोग्य शिष्य मधुर प्रवक्ता प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी तो हमारी समाज के एक महान् गौरवरत्न हैं। उन्होंने सम्पादन आदि का महान् दायित्व बड़ी शान के साथ निभाया है। अपने दादा गुरुजी के प्रति उनकी यह सेवा वस्तुतः महनीय एवं अभिनन्दनीय है।

सन्मति ज्ञानपीठ के ऊपर श्रद्धेय मुनिद्वय की कृपा प्रारम्भ से ही रहती आई है। इस बार भी यह सेवा हमें समर्पित कर ज्ञानपीठ को उपकृत किया है। भविष्य में भी अन्य कोई सेवा आपसे प्राप्त कर हमें प्रसन्नता होगी।

तीर्थंकर श्रमण भगवाद् महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी के आयोजन चल रहे हैं। अनेक साहित्यिक प्रकाशन हुए हैं, और हो रहे हैं। यह विराट प्रकाशन भी उसी शृंखला की एक अमूल्य भेट है। गतवर्ष साध्वीरत्न दर्शनाचार्य श्री चंदना जी द्वारा संपादित उत्तराध्ययन सूत्र का ज्ञानपीठ से प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रबुद्ध विचारकों एवं पाठकों ने हार्दिक स्वागत किया है। आशा है, यह प्रकाशन भी तदनुसार ही विद्वज्जगत में समाहित होगा।

प्रकाशन बहुत शीघ्रता में हुआ है। विद्युत्संकट से मुद्रण आदि की व्यवस्था में भी काफी अवरोध हुआ है। अतः अपेक्षित सौन्दर्य हम नहीं साध पाये। फिर भी जो है, वह सुन्दर है। एतदर्थ हम श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी श्री रामनारायण मेड़तवाल के आभारी हैं।

—सोनाराम जैन
भत्री: सन्मति ज्ञानपीठ

सम्पादकीय

जैन वाङ्मय मे आगमसाहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसमें भी अंग-साहित्य का महत्त्व तो और भी अधिक है। अंग का अर्थ ही है वह मूल केन्द्र, जिसमें से उपाग आदि अन्य आगम साहित्य विकसित एवं पल्लवित हुआ है।

प्रश्न व्याकरणसूत्र अंगसूत्रों में दसवां महत्त्वपूर्ण अंग शास्त्र है। इसमें हिंसा आदि पाच आश्रवो तथा अहिंसा आदि पाँच संवरों का इतना स्फुट एवं विभद वर्णन है, जिसमे साधक जीवन के मूलभूत प्रश्नों की सरलतम एवं सुन्दरतम व्याख्या प्रस्तुत की गई है। प्रमुख विद्वानो से लेकर साधारण जिज्ञासु तक भी प्रश्नव्याकरण के अध्ययन से अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्यबोध प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे परमश्रद्धेय परमगुरु (बाबागुरु) पं० श्री हेमचन्द्रजी महाराज एक महान् मनीषी विद्वान् सन्त है। अपने परमागध्य गुरुदेव, जैन धर्म दिवाकर, जैनागम रत्नाकर श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्यदेव स्व. श्री आत्मारामजी म. के सानिध्य में आपने आगम-साहित्य का गभीर अध्ययन किया है, साथ ही गुरुदेव के साहित्यनिर्माण कार्य मे भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपका संस्कृत प्राकृत साहित्य का पाण्डित्य अद्भुत है। आपने बहुत समय पहले प्रश्न व्याकरण सूत्र पर स्व. आचार्य देव की शैली में ही 'सुबोधिनी' नामक एक बहुत सुन्दर एवं विस्तृत व्याख्या लिखी थी। मेरे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव (श्री पद्मचन्द्र जी भण्डारी) की इच्छा थी कि वह महत्त्वपूर्ण कृति आधुनिक पद्धति से पुन. परिष्कृत होकर जिज्ञासु जनता के समक्ष आए ताकि सर्व-साधारण जिज्ञासुजन उससे यथोचित लाभ उठा सकें।

गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने यत्किचित् सेवा करने का उपक्रम किया है। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ कर पाया हूँ, इसी में मेरे मन को सन्तोष है। प्रस्तुत उपक्रम में मेरा अपना क्या है? जो कुछ है, वह सब श्रद्धेय पूज्य प्रगुरु जी का ही है। श्री कृष्ण ने गिरिराज शोवर्धन उठाया, साची ग्वाल बालों ने भी अपनी-अपनी साठियाँ, अँगुलियाँ छुआ दीं। बस, ऐसा ही और इतना ही मेरा भी कुछ है, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ।

श्रद्धेय राष्ट्रसन्त, उपाध्याय, कविरत्न श्री अमरमुनि जी महाराज की सेवा में मेरे गुरुदेव ने प्रकाशन आदि के सबन्ध में अपनी मंगल भावना प्रगट की, तो अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। गुरुदेव के साथ उपाध्याय श्री जी का सहज स्नेह है, वह सर्वविदित है। प्रारम्भ से ही गुरुदेव का उपाध्याय श्री जी के प्रति सुमधुर, सहज श्रद्धाभाव रहा है। इस स्थिति में गुरुदेव को इन्कार कैसे मिल सकता था। अस्तु सन्मति ज्ञानपीठसे प्रकाशन शुरू हुआ। इस महनीयकृति को सर्वाङ्ग-सुन्दर एवं सर्वजनोपयोगी रूप देने में उपाध्याय श्री जी का जो महत्त्वपूर्ण योगदान है, वह हम सभी को सदा स्मरणीय रहेगा। उपाध्याय श्री जी अस्वस्थ रहे हैं, अतः पं० मुनि श्री नेमिचन्द्र जी का जो बहुमूल्य आदर्श सहयोग मिला है, वह भी सादर समुल्लेखनीय है। श्रद्धेय मुनिद्वय का यदि समय पर सहयोग प्राप्त न होता, तो जो कुछ विशिष्टता पाठक देख रहे हैं, वह नहीं प्राप्त हो सकती थी। मैं एतदर्थ मुनिद्वय के प्रति शिरसा मनसा प्रणत हूँ, साथ ही कृतज्ञ भी। आशा रखता हूँ, भविष्य में भी मेरी संभावित प्रवृत्तियों में आप श्री का यथावसर उचित सहयोग एवं सहकार मुझ मिलता रहेगा।

मैं सन्मति ज्ञानपीठ के संचालकों और व्यवस्थापकों को धन्यवाद दिए बिना कैसे रह सकता हूँ, जिन्होंने इस विशाल शास्त्र को इतना शीघ्र, साथ ही इतने उत्तम एवं मनोहर रूप में प्रकाशित कर जिज्ञामु पाठको तक पहुँचाने का युगानुरूप प्रयत्न किया है। साथ ही अन्य महयोगियों की सेवाएँ भी मेरे स्मृतिकक्ष में चिरस्मरणीय रहेंगी।

प्रस्तुत सस्करण का मूल्यांकन तो प्रबुद्ध पाठक ही करेंगे। उन्हें यह सब अधिकांश में पसन्द ही आएगा। संभव है, कुछ नापन्द जैसा भी हो, तो वह सब मेरा है, मुझे सहर्ष लौटा दे। मैं क्या हूँ, क्या जानता हूँ। मैं तो इस पथ का एक बालयात्री हूँ। आज का ही नहीं, युगानुयुग का एक मत्स्य है 'सर्वः सर्वं न जानाति'— मैं इसे सादर स्वीकार करता हूँ।

—अमर मुनि

प्रस्तावना

उपाध्याय अमर मुनि

प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तन दो धाराओं में प्रवाहित हुआ है—'श्रुति' और 'श्रुत'। श्रुति, वेदों की वह पुरातन सज्ञा है, जो ब्राह्मण सस्कृति से सम्बन्धित प्राचीन वैदिक विचारधारा और उत्तरकालीन शैव, वैष्णव आदि धर्म परम्पराओं का मूल-धारा है। और श्रुत, श्रमण सस्कृति की प्रमुख धारा के रूप में मान्य जैन विचार-परम्परा का मूल स्रोत है। श्रुति और श्रुत में शब्द-एव अर्थतः इतना अधिक साम्य है कि जिस पर से मामान्यतः सहृदय पाठक को भारतीय चिन्तन पद्धति का, मूल में कहीं कोई एक ही उद्गम, प्रतिभासित होने लगता है।

श्रुति और श्रुत दोनों का ही 'श्रवण' से सम्बन्ध है। जो सुनने में आता है, वह श्रुत है,^१ और वही भाववाचक मात्र श्रवण श्रुति है। अभिधा के परिप्रेक्ष्य में सीधा और स्पष्ट अर्थ है इनका - 'शब्द'।^२ किन्तु श्रुत और श्रुति का इतना ही अर्थ अभीष्ट नहीं है। लक्षणा के प्रकाश में इनका अर्थ है, वह 'शब्द', जो यथार्थ हो, प्रमाण हो और हो जनमगलकारी। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाणों के अनन्तर जो आगमरूप शब्द प्रमाण आता है,^३ वही यह श्रुत और श्रुति है। श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के मान्य आचार्यों ने यथार्थ ज्ञाता, वीतराग आप्त पुरुषों के विश्वजनीन, मगलमय, यथार्थ तत्त्व वचनों को ही 'शब्दप्रमाण' की कोटि में

१—श्रुत शब्दः कर्मसाधनश्च १।१६।२ श्रुयते स्मेति श्रुतम् ।

— तत्त्वार्थ राजवातिक

२ श्रुयते आत्मना तदिति श्रुतं शब्दः ।

— विशेषावश्यक भाष्य-मलधारीया वृत्ति

३ (क) प्रमाणे च उच्यते पञ्चसते, तं जहा—पञ्चसते, अनुमाणे, शोचने, आगमे ।

— भगवती शतक ५ उद्देश ४

(ख) प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि ।

— न्यायदर्शन १।१।३

माना है।^४ अतः अपनी-अपनी परम्परागत मान्यता एवं धारणा के अनुसार शब्द-प्रमाणस्वरूप श्रुत और श्रुति दोनों ही प्रकार के मौलिक साहित्य में आप्त पुरुषों के विशिष्ट वचनों का संकलन ही अभीष्ट है, साधारण रथ्यापुरुषों के वचनों का नहीं, जो हर किसी गली कूचे के रागड़े वाभिभूत लोगों के कहे हुए हों। अपनी अपनी परम्परा के सभी महापुरुषों को आप्त कहा जाता है। पर, यह बात दूसरी है कि सत्य की कसौटी पर रखते समय किस के वचन खरे उतरते हैं, और किसके नहीं।

जैनदर्शन शब्द प्रमाण के रूप में श्रुत का अर्थ 'आप्तपुरुषों के वचन' तक ही सीमित नहीं रखता है। वह श्रुत से श्रुतज्ञान तक पहुँचा है। शब्दरूप श्रुत को वह केवल उपचार से प्रमाण मानता है, निश्चय में नहीं। शब्द जड़ है, अतः वह कैसे प्रमाणकोटि में आ सकता है। यदि जड़ पदार्थ प्रमाण हो सकते हैं तो फिर घट पटादिसभी जड़ पदार्थ प्रमाण कोटि में आ जाएँगे। आचार्य वादिदेव ने अपने प्रमाण-नयतत्त्वालोक (४। १-२) में इसी दृष्टि से कहा है कि आप्तवचनो से आविभूत होने वाला अर्थसंवेदन ही वस्तुतः आगम अर्थात् शास्त्र है। आप्तवचनो को जो शब्द-प्रमाणरूप आगम कहा जाता है, वह मात्र उपचारकथन है। 'आप्तवचनादाभिभूत-अर्थसंवेदनमागमः।' 'उपचारादाप्तवचन च।'

इसी संदर्भ में तत्त्वार्थ भाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीसिद्धसेन गणीने अपनी टीका (१-२०) में कहा है कि इन्द्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ग्रन्थानुसारी विज्ञान श्रुत है। श्रुत इन्द्रियमनोनिमित्त ग्रन्थानुसारि विज्ञानं यत्.....।

४—(क) आप्तोपज्ञमनुल्लेख्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्थं, शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥

--न्यायावतारसूत्र ६

(ख) श्रुतसम्बो जहृत्स्वार्थवृत्ती रुद्धिबसात् कुशलशब्दवत् ।

—तत्त्वार्थ राजवार्तिक १।२०।१

(ग) आप्तोपदेशः शब्दः ।

—न्यायदर्शन १।१।७

(घ) आप्तः कसु साक्षात्कृतधर्मा यथावृष्टेत्थार्थस्य चित्वापविषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।

—न्यायदर्शन-वात्स्यायन भाष्य १।१।७

(ङ) आप्तो रागाद्विद्युतः, तस्य वचनमिति ।

—तत्त्वार्थ भाष्य-सिद्धसेनीया वृत्ति १—२०

(च) अधिधेयं वस्तु यथाऽवस्थितं यी जानीते यथाज्ञानं चाभिघटत स आप्तः ।

—प्रमाण नयतत्त्वालोक ४-४

जैन श्रुत साहित्य

जैन परम्परा का श्रुत साहित्य प्राचीनकाल में अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य-इस प्रकार दो रूपों में विस्तृत हुआ है।^५ अंग प्रविष्ट श्रुत वह है, जो अर्थात् परमधि तीर्थंकर देवो द्वारा कहा गया है और तदनन्तर तीर्थंकरों के साक्षात् शिष्य श्रुत केवली गणधरो द्वारा सूत्र रूप में रचा गया है।^६

अंगबाह्य श्रुत वह है, जो गणधरों के बाद विशुद्धायम विमिष्टबुद्धिप्राप्ति-सम्पन्न आचार्यों के द्वारा काल एव सहनन आदि दोषों के कारण अल्पबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए रचा गया है।^७

अंग प्रविष्ट श्रुत, जिसे गणनायक आचार्यों का सर्वस्व होने के कारण 'गणि-पिटक'^८ भी कहा जाता है, बारह प्रकार का है :^९

- (१) आचार (आचार)
- (२) सूयगड (सूत्रकृत)
- (३) ठाण (स्थान)

५— तं समासओ बुबिह पण्णत्तं, तं जहा-अंगपविट्ठं अंगबाहिरं च ।

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञानप्रकरण

६— (क) यद् भगवद्भिः सर्वज्ञैः सर्वदर्शिनः परमधिभिरर्हद्भिस्तस्वामाध्यत्परम-
शुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थंकरनामकर्मणोऽनुजायायुक्तं जग-
वच्छिद्यैरतिशयवद्भिर्भक्तमातिशयवाग्बुद्धिसंपन्नैर्गणधरैर्बुद्धं तदङ्गं प्रविष्टम् ।

—तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य १।२०

७— गणधरानन्तर्यामिभिस्त्वल्पन्तविशुद्धायमैः परमप्रकृष्टबाह्मसितसत्किभिराचार्यैः
कालसंहननायुर्बोधादल्पशक्तोनां शिष्याभामनुग्रहाय यत्प्रोक्तं तदङ्गं बाह्यम् ।

— तत्त्वार्थ स्वोपज्ञ भाष्य १-२०

८— (क) बुबालसंगं गणिपिट्ठं ।

— अनुयोग द्वार, प्रमाण प्रकरण

(ख) गणी आचार्यंस्तस्य पिट्ठं—सर्वस्वं गणिपिट्ठकम् ।

—मलधारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि, अनुयोगद्वारटीका

९— अंगपविट्ठं बुबालसविह पण्णत्तं, तं जहा—आचारो १, सूयगडो २, ठाणं ३, समासओ ४, विवाहपण्णत्ती ५, नायाधम्मकहाओ ६, उवासपवसाओ ७, अंतप-
डवसाओ ८, अणुत्तरोववाइयवसाओ ९, पण्हावागरवाइं १०, विवाणसुयं ११,
विट्ठिवाओ १२

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

- (४) समवाय (समवाय)
 (५) विद्या (वा) हृपन्नति (व्याख्या प्रज्ञप्ति) व्याख्या प्रज्ञप्ति के लिए अपर-
 नाम 'भगवती' भी प्रचलित है ।
 (६) नाया धम्मकहा (ज्ञाता (त) धर्मकथा)
 (७) उवासगदसा (उपासक दशा)
 (८) अतगडदशा (अन्तकृद् (त) दशा)
 (९) अनुत्तरोववाइयदसा (अनुत्तरोपपातिकदशा)
 (१०) पण्हावागरणाइ (प्रश्नव्याकरणानि)
 (११) विवागसुय (विपाक सूत्र)
 (१२) दिट्ठिवाय (दृष्टिवाद या दृष्टिपात)

दृष्टिवाद के लिए तत्त्वार्यभाष्य में 'दृष्टिपात' शब्द का प्रयोग किया गया है ।^{१*} प्राकृत 'दिट्ठिवाओ' के दृष्टिवाद तथा दृष्टिपात—दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं । दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका रूप पाच प्रकारों में से पूर्व-
 गत प्रकार में उत्पाद आदि चौदह पूर्व सम्मिलित हैं । दृष्टिवाद अग (पूर्वगत) भगवान्
 महावीर से १००० वर्ष बाद विच्छिन्न हो गया ।^{१*}

प्रथमतः आवश्यक तथा आवश्यक व्यक्तिरिक्त के रूप में अगवाह्य श्रुत विभक्त
 है^२ और आवश्यक व्यक्तिरिक्त औपपातिक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना आदि तथा निष्ठीय
 व्यवहार, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि तथा अन्य अनेक प्रकीर्णक सूत्रों के रूप
 में वर्णित है ।^{१३}

अग प्रविष्ट और अगवाह्य रूप मभी आगमों के प्राचीन रूपों में काल वैषम्य के
 कारण काफी परिवर्तन हुआ है । कुछ घटा भी है, कुछ बढ़ा भी है । स्थानाग, सम-
 वायाग और नन्दी सूत्र आदि में आगमों के अध्ययन एवं विषय आदि का जो निरू-

१० दृष्टिपात ।

—तत्त्वार्यं स्वोयज्ञ भाष्य १।२०

११—(क) एणं वाससहस्सं पुब्बगए अनुत्तिज्जस्सइ ।

—भगवती २०।८

(ख) वोलीचम्मि सहस्से, वरिसाणं वीरयोक्खमणनाओ ।

उत्तरवायगवसभे, पुब्बगयस्स भवे ज्जेवो ॥८०१॥

—तित्थोगाली

१२ अगवाहिरं दुविह पण्णत्तं, तं जहा—आवस्सयं च आवस्सयवइरित्तं च ।

—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

१३—नन्दी सूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

पण है, उसके अनुरूप कितने ही आगमों की प्राचीन स्वरूपस्थिति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

काफी लम्बे समय तक श्रुतसाहित्य भिक्षुसंघ ने कंठस्थ ही रखा, लिखा नहीं। क्योंकि भिक्षुओं को लिखने का निषेध था। अतः चिरकाल तक कंठस्थ रहे श्रुतवचनों में हेर फेर हो जाना स्वाभाविक है।^{१५} भगवान महावीर के ६८० अथवा ६६३ वर्ष बाद बलभी (सौराष्ट्र) में श्री देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में, निरन्तर विच्छिन्न एवं परिवर्तित होता हुआ श्रुत पुस्तकारूढ़ हुआ,^{१५} और तब कही जाकर श्रुतसाहित्य में कुछ अपवादों को छोड़ कर बड़े हेर फेर होने का क्रम अवरोद्ध हो सका, जिनके फलस्वरूप आगमसाहित्य को वर्तमान में उपलब्ध स्थिररूपता मिली।

प्राचीन सुप्त प्रश्न व्याकरण

प्रश्न व्याकरण सूत्र का स्थान अगप्रविष्ट श्रुत में है। यह दशवा अंश है। समवायाम सूत्र और नन्दी सूत्र तथा अनुयोगद्वार सूत्र में प्रश्न व्याकरण के लिए

१४ (क) पोत्थएसु धेप्पंतएसु असंजमो भवइ ।

—दशवैकालिक चूर्णि पृ० २१

(ख) जत्तिय मेत्ता वारा बधत्ति, मुंजत्ति य जत्तिया वारा ।

जत्ति अक्खराणि लिहत्ति व, तत्ति सत्तुगा जं च आवग्घे ।

—निश्रीय भाष्य ४००४

(ग) इह च प्राय सूत्रावशेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टीकासंवादी एकोऽप्यावशं समुपलब्धः, अत एकमावशंमङ्गीकृत्यास्मान्निबिबर्चनं क्रियत इति, एतदवगम्य सूत्रविसंवादावशं नाच्छित्तव्यामोहो न विधेय इति ।

—शीलाकाचार्य, सूत्रकृतांग वृत्ति, मुद्रितपत्र ३३६-१

(घ) वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामसृष्टित् ।

सूत्राणामतिगाम्भीर्याद् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥

— आचार्य अभयदेव, स्थानागवृत्ति, प्रारम्भ

१५ - (क) समणस्स भगवओ महावीरस्स जाय सव्वकुलपहोणस्स नववात्तसयाइं ण्हिक्कताइ बसमस्स य वात्तसयस्स अयं असोइमे संबच्छरे काले गच्छइ । वायणंतरे पुण अय तेणउए संबच्छरे काले गच्छइ ।

—कल्पसूत्र, महावीर चरित्राधिकार

(ख) बलहपुरम्मि नयरे, देवर्द्धिपमुहेण समणसंघेण ।

पुत्थइ आगमु लिहिओ, नवसय असोआओ वीराओ ॥

अर्थात् ईस्वी ४५३, मत्ताम्तर से ई० ४६६

—एक प्राचीन भाषा

‘पष्हावागरणाद्’ के रूप में बहुवचन का प्रयोग है, जिसका संस्कृत रूप ‘प्रश्न-व्याकरणानि’ होता है। वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण सूत्र के उपसंहार में एक वचन का ही प्रयोग है—‘पष्हावागरणे ।’ तत्त्वार्थस्वोपज्ञभाष्य में भी ‘प्रश्न-व्याकरणम्’ इस प्रकार एकवचनान्त का ही प्रयोग है। दिगम्बर परम्परा के ध्वला तथा राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में भी एकवचनान्त ‘पष्हावागरणं’ ‘प्रश्न व्याकरणम्’ प्रयोग ही प्रचलित है। ‘स्यान्’ अंग सूत्र के दशम स्थान में प्रश्न व्याकरण का नाम ‘पष्हावागरणवत्सा’ बतलाया है, जिसका संस्कृत रूप टीकाकार आचार्य अभय देव ने ‘प्रश्नव्याकरणवत्सा’ किया है। परन्तु यह नाम अन्यत्र अधिक प्रचलित नहीं हो पाया।

दिगम्बर परम्परा के ध्वला आदि में ‘पष्हावागरणं’ नाम है, जब कि श्वेताम्बर परम्परा के समवायांग आदि में ‘पष्हावागरणाद्’ है। ‘पष्ह’ के लिए ‘पष्हा’ के रूप में दीर्घ आकारान्त प्रयोग क्यों किया गया, कुछ स्पष्ट नहीं होता। संस्कृत टीकाओं तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में संस्कृत रूप ‘प्रश्नव्याकरण’ ही मिलता है। हाँ समवायांग वृत्ति में आचार्य अभय देव ने ‘नाथा धम्मकहा’ का संस्कृत रूप ‘ज्ञातधर्मकथा’ न बनाकर ‘ज्ञाताधर्मकथा’ बनाया है और ‘ज्ञाता’ की आकारान्तता के लिए तर्क दिया है कि सज्ञा शब्द होने से दीर्घत्व है—‘ज्ञाता धर्म-कथा दीर्घत्व सज्ञात्वाद् ।’ परन्तु अपने उक्त तर्क के आधार पर ‘पष्हावागरणाद्’ का ‘प्रश्ना व्याकरणानि’ न लिखकर ‘प्रश्नव्याकरणानि’ रूप ही लिखा है। ऐसा क्यों है, यह विचारणीय है। प्राकृत पर अपभ्रंश की छाया ही परिलक्षित होती है।

प्रश्न व्याकरण का अर्थ है—प्रश्नों का व्याकरण अर्थात् निर्वचन, उत्तर एवं निर्णय ।^{१६} यहाँ नामान्तर्गत ‘प्रश्न’ शब्द सामान्य प्रश्न के अर्थ में नहीं है। प्राचीन लुप्त प्रश्न व्याकरण की जो दर्पण प्रश्न, अंगुष्ठ प्रश्न, बाहु प्रश्न आदि (दर्पण, जल, वस्त्र, अंगूठे का नख, तलवार आदि में मन्त्र बल से देवी शक्ति का अवतरण कर भविष्य का ज्ञान करना आदि) से सम्बन्धित विषयचर्चा नन्दी सूत्र आदि में उपलब्ध है, उसके अनुसार ‘प्रश्न’ शब्द मंत्रविद्या एवं निमित्त शास्त्र आदि के विषयविशेष से सम्बन्ध रखता है। अस्तु, प्राचीन परम्परा के अनुसार विचित्र विद्यातिशय अर्थात् चम-

१६—(क) पष्हो स्ति पुच्छा, पडिबयण वागरणं प्रत्युत्तरमित्यर्थः ।

—नन्दी वृष्णि

(ख) प्रश्नः प्रतीतस्तन्निर्वचनं व्याकरणं, बहुत्वाद् बहुवचनम् ।

—आचार्य हरिभद्र, नन्दीवृष्णि

त्कारी प्रश्नों का व्याकरण जिस सूत्र में वर्णित है, वह प्रश्नव्याकरण है।^{१०} वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अतः यहाँ प्रश्न व्याकरण का यदि सामान्यतः विचार चर्चा रूप 'जिज्ञासा'^{१६} अर्थ किया जाए तो ठीक है। अहिंसा-हिंसा एवं सत्य-असत्य आदि धर्माधर्मरूप विषयों की चर्चा जिस सूत्र में है, वह प्रश्न व्याकरण है। इस दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध 'प्रश्न व्याकरण' का नाम भी सार्थक हो सकता है।

प्राचीन प्रश्न व्याकरण एक महान् विराटकाय अथ सूत्र था। उसके पदों की गणना लाखों की संख्या में थी। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार प्रश्न व्याकरण के ६२ लाख १६ हजार पद होते हैं।^{११} दिगम्बर परम्परा पदों की संख्या ६३ लाख १६

१७ (क) पश्चाद्वागरेषु च "अंगुटपत्तिषाह", बाहुपत्तिषाह, अर्वाण्यपत्तिषाह, अन्ये च विद्विता विज्ञाहसया, नामसुबन्धोहि सद्धि विद्या संवावा आद्यविद्यति ।

—नन्दीसूत्र, श्रुतज्ञान प्रकरण

(ख) अर्वाण्यंगुट-बाहु-अस्ति-अभि-सोम-आहृण्यवास्तिष्यथ, विविह्वह्यहापत्तिष-विज्ञा-अणपत्तिष्यविज्ञा-शेष्यपयोगपहाण्युच्यन्वास्तिष्यथं सन्भूयसुच्यन्प-भावनरगण्यहविष्ण्यपकाराथं...।

—समवायांश सूत्र, सूत्र १४५

(ग) या पुनर्विद्या मंत्रा वा विधिना अप्यन्नामाः पृष्ठा एव शुभाशुभं कथयन्ति ...।

—नन्दी सूत्र, मलयगिरिवृत्ति

(घ) ज्ञाना सुवज्जा अज्जे य भवज्जास्तिथो ते विज्जाभंतागरिस्सिता ज्ञायता साधुत्वा सह संबंत्ति-अस्यं करंत्ति ।

—नन्दी सूत्रि

(ङ) अन्ये विद्यास्तिथयः स्तम्भ-स्तोत्र-वशीकरण-विद्वेषी-करणेषुष्वाटगदयः ।

—समवायांगवृत्ति

(च) प्ररनविद्या यकाभिः सौमकाविषु शेषसायतारः फिष्यते ।

—स्थानांग, अमयदेवीयावृत्ति १० स्थान

१८—प्रश्नः प्रसीतः सव्यविषय निर्बन्धनं व्याकरणम् ।

—नन्दी सूत्र, मलयगिरिवृत्ति

१९—(क) कवचं दोषउत्तिमवसा सोमस य सहस्ता ।

—नन्दी सूत्रि

(ख) द्विनवतिलंजानि शोका य सहजानि ।

—समवायांगवृत्ति

हजार मानती है ।^{१०} वर्तमान में प्रचलित प्रश्न व्याकरण की श्लोक संख्या १२५६ के लगभग है । एक श्लोक ३२ अक्षर का माना जाता है ।

समवायाग और नन्दी सूत्र में प्रश्न व्याकरण के ४५ अध्ययन बतलाए हैं ।^{११} अनेक सख्यक श्लोको एव नियुक्तियों आदि का भी उल्लेख है ।^{१२} इसके विपरीत स्थानाग सूत्र में प्रश्न व्याकरण सूत्र के केवल दश अध्ययनों का ही उल्लेख है— उपमा, सख्या, ऋषिभाषित, आचार्य भाषित, महावीरभाषित, क्षोमक प्रश्न, कोमल प्रश्न, अद्भाग प्रश्न, अगुष्ठ प्रश्न और बाहु प्रश्न ।^{१३}

वर्तमान में उपलब्ध प्रश्नव्याकरण में उक्त दश अध्ययनों में का एक भी अध्ययन नहीं है । नन्दी आदि सूत्रों में भी जहाँ प्रश्नव्याकरण ही चर्चा है, वहाँ अगुष्ठ प्रश्न तथा बाहु प्रश्न आदि का तो उल्लेख है, किन्तु स्थानाग में निर्दिष्ट उपमा, सख्या, ऋषिभाषित आदि का कोई उल्लेख नहीं है ।^{१४} हाँ, समवायाग में प्रत्येकबुद्धभाषित, आचार्य भाषित और महावीरभाषित का एक संक्षिप्त मा उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वह भी विषय के रूप में है, किन्ती स्वतन्त्र अध्ययन

२० — पञ्चवायरणं षाम अग तेजउदिलक्ल-सोलससहस्रसपदेहि ।

—धवला, भाग १, पृ० १०८

२१—(क) पणयालीसं अञ्जयणा, पणयालीस उद्देसणकाला, पणयालीस समुद्दे-
सणकाला ।

—नन्दी सूत्र

(ख) पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्देसणकाला ।

—समवायाग सूत्र, १४५

(ग) यत्तपोहाध्ययनाना दशत्वाद् दशोद्देशनकाला भवन्ति तथाऽपि वाचनान्त-
रापेक्षया पञ्चत्वारिंशदिति सभाव्यते ।

—समवायागवृत्ति

२२— संक्षेज्जा सिलोगा, संक्षेज्जाओ निज्जुत्तोओ...

—नन्दी सूत्र

२३— पञ्चावागरणवसण दस अञ्जयणा पण्यता, त अह-उवमा, सखा, इतिभासियाइं,
महावीरभासियाइ, क्षोमपसिणाइं, कोमलपसिणाइ, अंगुठपसिणाइ,
बाहुपसिणाइं ।

—समवायाग, सूत्र १४५

२४—प्रश्नव्याकरणदशा इहोवत्तक्या न, दृश्यमाना तु पञ्चाश्व पञ्चसंहरात्मिका ।

—स्थानाग—अभयदेवीया वृत्ति, १० स्थान

के रूप में नहीं।^{२५} लगता है, प्रश्न व्याकरण सूत्र के विषय तथा अध्ययन आदि के सम्बन्ध में बहुत प्राचीनकाल से ही कोई एक निश्चित धारणा नहीं रही है। कहीं स्थानाग आदि सूत्रों के सकलन काल में वाचना भेद से प्रश्न व्याकरण के विभिन्न रूप तो प्रचलित नहीं थे ? लगता तो ऐसा ही है।

दिग्म्बर परम्परा के ध्वला आदि ग्रन्थों में प्रश्न व्याकरण का विषय बताते हुए कहा है कि प्रश्न व्याकरण में आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदनी, इन चार कथाओं का वर्णन है। आक्षेपणी में छह द्रव्य और नौ तत्वों का वर्णन है। विक्षेपणी में परमत की एकान्त दृष्टियों का पहले प्रतिपादन कर अनन्तर स्वमत अर्थात् जिनधर्म को स्थापना की जाती है। सवेदनी कथा पुष्यफल की कथा है, जिसमें तोर्यकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव एव विद्याधरो की ऋद्धि का वर्णन है। निर्वेदनी में पापफल की कथा है, अतः उस में नरक, तिर्यच, कुमानुष योनियों का एव जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना, दरिद्रता आदि का वर्णन है।

और यह प्रश्नव्याकरण अग प्रश्नों के अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और मर्यादा का भी निरूपण करता है।^{२६}

२५—ससमयपरसमयपुष्पवयपसं यदुद्धिविहृत्स्वभासा वासियाणै, अहस्यगुण-
उवसमभाणप्यगारआयरियभासियाणं, बित्थरेण वीरमहेतीहि विविहृत्स्वर-
भासियाणं ।

—समवायोंग सूत्र, १४५

२६—अप्लेवणी विक्लेवणी सवेयणी निब्बेयणी वेदि चउत्थिहाओ कहाओ वण्णेदि ।
तत्थ अप्लेवणी णाम छह्व-णव पयत्थाणं सरुवं विगत-समयात्तर-विराकरणं
सुद्धिं करोती पक्खेदि ।

विक्लेवणी णाम परसमएण ससमय वूसंती पच्छा विगत-सुद्धिं करोती
ससमयं थावती छह्व-णवपयत्थे पक्खेदि ।

सवेयणी णाम पुष्णफलसंकहा । काणि पुष्णफलाणि ? तित्थयर-णवहर-
रिसि-वक्कवट्ठि-बलदेव-वासुदेव-सुर-विक्रजहरिद्धीओ ।

निब्बेयणी णाम पावफलसकहा । काणि पावफलाणि ? विरय-तिरिय-
कुमानुसजोणीसु आइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-वासिद्वादीणि । सत्तारसरीर-
भोगेसु वेरगुप्पाइणी निब्बेयणी णाम ।

पक्खाओ हव-नट्ठ-मुट्ठि-चिता-लाहालाह-सुह-बुक्ख-जीविय-मरण-अय-
पराजय-णाम-वव्वायु-सणं थ पक्खेदि ।

—ध्वला, भाग १ पृ० १०७-८

दिवम्बर परम्परा मे भी प्रश्न व्याकरण का जो नष्ट, मुष्टि आदि चमत्कारी विषय प्रतिपादित किया है, वह श्वेताम्बर परम्परा के समवायांग तथा नन्दी सूत्र आदि से मिलता है। दिवम्बर परम्परा अंग साहित्य का विच्छेद मानती है, अतः वर्तमान मे उसके यहाँ आचाराय आदि अंग तथा औपपातिक आदि अंग बाह्य आगमों मे से कोई भी आगम नहीं है। अतः प्रश्न व्याकरण भी नहीं है, जिस पर कुछ विचार-वर्चा की जा सके। श्वेताम्बर परम्परा मे एक प्रश्नव्याकरण वर्तमान मे भी उपलब्ध है, पर उस मे उल्लिखित विषयो जैसा कोई विषय नहीं है।

एक प्रश्न ?

श्वेताम्बर और दिवम्बर दोनो ही परम्पराओ मे प्राचीन प्रश्न व्याकरण सूत्र का जो विषय बताया है, उसके सम्बन्ध में एक प्रश्न उभरता है। ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र आदि से सम्बन्धित शास्त्रों को जैन परम्परा पापश्रुत मानती है।^{१९} और पापश्रुत के प्रयोग जैन भिक्षु के लिए निषिद्ध हैं।^{२०} फिर वीतराग, अध्यात्म पुरुष तीर्थकर ऐसे निषिद्ध विषयों का एक शास्त्र के रूप मे इतना विस्तृत प्रतिपादन क्यों करते है ? क्या उन की ही अपनी परिभाषा मे ये सब पापश्रुत मे नहीं आते हैं ? इस प्रकार के सासारिक विषयो के प्रतिपादक चमत्कारी शास्त्रो से अध्यात्म साधना के साधक को क्या लाभ हो सकता है ? साधक के लिए तो वही शास्त्र शास्त्र है, जिसे श्रवण कर अन्तरात्मा मे तप, क्षमा, अहिंसा आदि विशुद्ध भावो का जागरण हो।^{२१} यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह ज्योतिष आदि अन्य लौकिक विषयो का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, भले ही कुछ और हो, धर्मशास्त्र तो बिल्कुल नहीं हो

२७—(क) नवविहे पावसुपसंये पण्यत्ते, त जहा—
उप्पाए, नेमित्तए, संते, आइक्खए, त्तिगिच्छीए ।
कलावरण-अन्नाणं, मिच्छापावयणं सि य ॥

—स्थानांग ६ स्थान

(ख) पापोपादानहेतुः श्रुतं शास्त्रं पापश्रुतम् ।

—स्थानांग वृत्ति, ६ स्थान

(घ) समवायांग २६ वां समवाय

२८—(क) सूत्रकृतानि सूत्र, द्वितीयश्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्यायन

(ख) उत्तराध्ययन सूत्र, १६।७-८

२९—अ सोच्छा पडिक्खंति,

तवं अंतिमहिंसयं ।

—उत्तराध्ययन ३।८

सकता। बहुत कुछ विचार चिन्तन करने पर भी यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। हालांकि टीकाकारों ने सध रक्षा आदि कारणविशेष के नाम पर पापश्रुत से सम्बन्धित उक्त सब विषयों का खुलकर समर्पण किया है।^{३०}

वर्तमान प्रश्न व्याकरण

प्राचीन प्रश्नव्याकरण कब लुप्त हुआ, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। आगमों को पुस्तकारूढ करने वाले आचार्य देवद्वि गणी ने इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचना नहीं दी है। समवायाग आदि में जिस प्रश्न व्याकरण का उल्लेख है, वह उनके समक्ष विद्यमान था, या प्राचीन श्रुति परम्परा से जैसा चलता चला आ रहा था वैसा ही ज्यों का त्यों श्रुतिविषय समवायाग आदि में लिख दिया गया, कुछ स्पष्ट नहीं होता। हा, इतना स्पष्ट है, वर्तमान प्रश्न व्याकरण के विषय की तत्कालीन आगमों में कोई चर्चा नहीं है।

आचार्य जिनदाम महन्तर ने शक सवत् ५०० की समाप्ति पर नन्दी सूत्र पर चूर्ण की रचना की है।^{३१} उसमें सर्वप्रथम वर्तमान प्रश्नव्याकरण के विषय से सम्बन्धित पाच सवर आदि का उल्लेख है।^{३२} इस उल्लेख के बाद फिर वही परम्परागत एः सौ आः अगुः प्रश्न और बाहु प्रश्न आदि का वर्णन किया है। लगता है, जिनदाम गणी के समक्ष प्राचीन प्रश्न व्याकरण नहीं था। उसके विषय की चर्चा उन्होंने केवल परम्परापालन को दृष्टि से कर दी है। वास्तविक प्रश्न व्याकरण उनके समक्ष प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण ही था, जिसके सवर आदि विषय का उन्होंने सर्व प्रथम उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि शक सवत् ५०० से पूर्व ही कभी प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र का निर्माण एव प्रचार-प्रसार हो चुका था और उसे अग साहित्य में मान्यता मिल चुकी थी।

प्रश्न व्याकरण का विषय परिवर्तन क्यों ?

प्राचीन प्रश्न व्याकरण के ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र, विद्यातिलय आदि विषयों का परिवर्तन कर आश्रव तथा सवर रूप नवीन विषयों का क्यों सकलन किया गया,

३०—सर्वमपि पापश्रुत संयतेन पुष्टासबनेन आसेध्यमानमपापश्रुतमेवेति ।

—स्थानां वृत्ति ६ वां स्थान

३१—सकराजातो पञ्चसु वर्षशतेषु मन्त्रध्वयनचूर्णो समाप्ता ।

—नन्दी चूर्ण, उपसंहार

३२—पञ्चाबावरणे अगे पञ्चसवरारिका व्याख्येया, परम्पराविशेषे य अगुदुः-बाहुपसि-
जादियाण पसिभाणं अदुत्तरं सत ...

—नन्दी चूर्ण

इस का समाधान करते हुए वृत्तिकार आचार्य अभय देव कहते हैं कि वर्तमान समय का कोई अनधिकारी व्यक्ति सूत्रप्रतिपादित चमत्कारी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, इस दृष्टि से उत्तर काल में गीतार्थ आचार्यों ने इस प्रकार की सब विद्याएँ प्रश्न व्याकरण सूत्र में से निकाल दी और उनके स्थान में केवल आश्रव तथा सवर का समावेश कर दिया गया।^{३३} प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण के दूसरे टीकाकार आचार्य ज्ञान-विमल भी ऐसा ही उल्लेख करते हैं।^{३४} परन्तु यह समाधान वस्तुतः कुछ अर्थ रखता है क्या ? प्रश्न है कि वीतराग तीर्थंकर देवों ने पहले तो ऐमे विषय का निरूपण ही क्यों किया, जिसको बाद में हेयत्वेन निकालना पड़ा। दूसरे किसी प्राचीन ग्रन्थ के मूल विषय को निकालकर उसके स्थान में नवीन विषय डाल देने का उत्तरवर्ती आचार्यों को क्या अधिकार था ? इससे तो प्राचीन शास्त्रा की प्रामाणिकता ही सन्देहकोटि में आजाती है। यदि पहले के कुछ आचार्यों को यह अधिकार प्राप्त था, तो क्या वर्तमान में भी किसी को ऐसा कोई अन्य परिवर्तन करने का अधिकार हो सकता है ?

रक्षयिता कौन ?

अग सहित्य का निम्न अर्थरूप में तीर्थंकर अहंन्त करने हैं। गणधर उमी अर्थ-रूप भाव को सूत्ररूप में शब्दबद्ध करने हैं।^{३५} इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तीर्थंकर

३३—प्रश्नानां—विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरा दशा—
दशाध्ययनप्रतिबद्धाः प्रश्नपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणवशाः। अयं च व्युत्पत्त्यर्थो-
ऽस्य पूर्वकालेऽभूत् । इदानीं त्वाश्रवपञ्चक-सवरपञ्चकव्याकृतेरेवेहोपलभ्यते,
अतिशयानां पूर्वार्थैरेवदुगोनानामपुष्टालम्बनप्रतिषेविपुरुषापेक्षयोस्तारित्तम्बाविति ।

—प्रश्नव्याकरणवृत्ति, प्रारम्भ

३४—प्रश्नाः अङ्गुष्ठादि प्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्न-
व्याकरणम् एतादृश अग पूर्वकालेऽभूत् । इदानीं तु आश्रव-सवरपञ्चक-
व्याकृतिरेव लभ्यते । पूर्वार्थैरेवदुगोनापुरुषाणां तत्त्वाविधहीनहीनतर-
पाण्डित्यबल-बुद्धिद्वयोपेक्षया पुष्टालम्बनमुद्दिश्य प्रश्नादिविद्यास्थाने पञ्चा-
श्रव-सवररूपं समुत्तारितम् ।

—प्रश्नव्याकरण टीका, प्रारम्भ

३५—(क) अथ भासइ अरहा, मुत्त गुंभंति गणहरा निउणं ।

सासणस्स हियट्ठाए तओ मुत्त पवत्तइ ॥

--आवश्यक नियुक्ति, गा० १६२

(ख) भावमुवस्स अत्यपवाण च ति-चयरो कत्ता ।^{३६} इ-वसुवस्स गोदमो
कत्ता ।

—धवला, भाग १ पृ० ६५

केवल विश्वजनीन स्वपरहितकर भावों का प्रवचन करते हैं, शास्त्र या ग्रन्थ रूप में कोई रचना नहीं करते। तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट भावों को ग्रहण कर गणधर उन्हें आचाराग आदि शास्त्रों का रूप देते हैं। अतः गणधर ही वस्तुतः अगशास्त्रों के रचयिता हैं। अगोत्तर साहित्य, जिसे अगवाह्य कहा जाता है, उसकी रचना यथावसर एवं यथा प्रसंग उत्तरकालीन श्रुतधर आचार्य करते हैं।

प्राचीन प्रश्न व्याकरण का सम्बन्ध भले ही गणधरों से जोड़ा जा सकता है। परन्तु वर्तमान प्रश्न व्याकरण सूत्र, जो स्पष्टतः ही पश्चात्कालीन रचना है, उमका रचनाकार के रूप में गणधरों से कैसे सम्बन्ध हो सकता है? फिर भी शास्त्र के प्रारम्भ में ही आर्य जम्बू को सम्बोधित किया गया है, अतः टीकाकारों ने प्रश्न व्याकरण का उनके माक्षात् गुरु गणधर मुधर्मा में सम्बन्ध जोड़ दिया है।^{३६} आचार्य अभय देव ने अपनी टीका में, पुस्तकांतर से प्रश्न व्याकरण का जो उपोद्घात दिया है, उसमें उपोद्घानकार ने प्रवक्ता के रूप में मुधर्मा गणधर का ही उल्लेख किया है। परन्तु सूत्र की शैली, जटिल प्राकृत भाषा तथा मुधर्मा स्वामी के बाद का काल—ये सब स्पष्टतः निषेध करते हैं कि प्रस्तुत रचना मुधर्मा स्वामी की नहीं है, अपितु पश्चाद्भावी किसी अन्य स्यविर की है। मुधर्मा और जम्बू के सवादरूप में पुरातन शैली का अनुकरणमात्र किया है रचनाकार आज्ञाननामा स्यविर ने। अब रहा प्रश्न विषय का। आश्रव और मकर ही त्रेय एवं उपादेय के रूप में जैनसाधना के केन्द्र बिन्दु हैं, जो भावतः तीर्थंकर द्वारा प्रतिपाद्य होने के नाने परंपरा में आ ही रहे हैं, इसमें दो मत नहीं हैं।

श्रुतस्कन्ध एक या दो ?

प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण के दश अध्ययन हैं। दश अध्ययनों का वर्गीकरण दो प्रकार में किया गया है। एक प्रकार तो वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ प्रश्नव्याकरण सूत्र का एक ही श्रुतस्कन्ध माना गया है, और उसके दश अध्ययन बताए हैं। प्रस्तुत सूत्र के उपमहावचन में स्पष्ट कहा है—पण्हावागरणे षं एगो सुयस्संधो बस अज्झयणा। नन्दी और समवायाग सूत्र में भी प्रश्न व्याकरण का एक ही श्रुतस्कन्ध मान्य है।

३६-- पञ्चमगणनायकः श्री मुधर्मास्वामी सूत्रतो जम्बूस्वामिन प्रति प्रथयनं चिकीर्षुं सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनप्रतिपादनपरां 'जम्बू' इत्यामत्रणपदपूर्वां 'इणमो' इत्यादिगाथामाह—।

—प्रश्नव्याकरण, अभयदेवीया वृत्ति

परन्तु आचार्य अभय देव ने अपनी वृत्ति में पुस्तकान्तर से जो उपोद्घात उद्धृत किये, है उसमें प्रश्नव्याकरण के दो श्रुतस्कन्ध बताए हैं—आश्रवद्वार और सवर द्वार । तथा प्रत्येक श्रुतस्कन्ध के पाँच-पाँच अध्ययन सूचित किए हैं—“दो सुवर्णसंधा पञ्चसन्धा—आसवद्वारा य संवरद्वारा य । पञ्चसन्धसं सुवर्णसंधसस्...पञ्च अज्ञयथा ।” “श्रोतस्कन्धसं सुवर्णसंधसस् पञ्च अज्ञयथा ” । उपोद्घात का उक्त कथन आचार्य अभय देव के समय में मान्य नहीं था, अत वे लिखते हैं कि दो श्रुतस्कन्ध की नहीं, एक श्रुतस्कन्ध की मान्यता ही सही है—“याचेय द्विभ्रुतस्कन्धतोवता ऽस्य सा न क्वा, एकश्रुतस्कन्धताया एव क्वात्वात् ।” मेरे विचार में दो श्रुतस्कन्ध की मान्यता ही तर्कसंगत है । जब आश्रव और संवर दो भिन्न विषय हैं तो तदनुसार दो श्रुतस्कन्ध ही होने चाहिएँ, एक नहीं । पता नहीं, एक श्रुतस्कन्ध की मान्यता किस आधार पर प्रचलित हो गई ।

रचना शैली और प्रतिपाद्य

प्रस्तुत वर्तमान प्रश्न व्याकरण की रचना पद्धति काफी सुवर्णित है, कतिपय अन्य आगमों की तरह विकीर्ण नहीं है । आश्रव प्रकरण में हिंसादि प्रत्येक आश्रव के तीस-तीस नाम बताए हैं । इनके कटु परिणामो का भी विस्तार से वर्णन है । अहिंसा आदि प्रत्येक संवर का निरूपण भी काफी विस्तार और उपयोगिता से वर्णित है । उक्त आश्रव एवं सवर के वर्णन पर से अध्येता के अन्तर्भ्रम में निर्वेदन और संवेदन की, निवृत्ति और प्रवृत्ति की, तथा असयम और सयम को यथोचित अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया ठीक तरह से जागृत हो जाती है ।

आश्रव सवर के निरूपण के साथ तत्कालीन दार्शनिक मत, दण्डनीति, अनेक आर्य अनार्य देश, गृहजीवन, कला, उद्योग, पशु, पक्षी, भोग, विलास, शिल्पी कर्मकर, भवनो के विभिन्न रूप, वाहन, समुद्रयात्रा, म्लेच्छ जातियाँ, स्त्री-पुरुष के लक्षण, ऐतिहासिक व्यक्ति, साधु चर्या, युद्ध आदि विविध विषयों का वर्णन भी काफी महत्त्वपूर्ण है । एक प्रकार से तत्कालीन प्राचीन लोकसंस्कृति का एक स्पष्ट चित्र मनश्चक्षुओं के समक्ष उपस्थित हो जाता है । आज के शोधार्थी छात्र प्रश्न व्याकरण में से प्राचीन भारतीय इतिहास से सम्बन्धित विपुल सामग्री प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्न व्याकरण की भाषा अर्धमागधी प्राकृत है । पर, वह समासबहुल होने से अतीव जटिल होगई है । प्राकृत का साधारण अम्यासी तो ठीक तरह से समझ भी नहीं सकता । संस्कृत या हिन्दी की टीकाओं के बिना प्रश्न व्याकरण के भावों को समझ लेना सरल नहीं है । कुछ स्थानों पर तो ऐसा लगता है कि जिज्ञासु पाठक को सरलता से सीधा अर्थबोध न कराकर स्पष्ट ही पाण्डित्यबोध कराया जा रहा है, जिसकी वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है ।

और तो और, समर्थ वृत्तिकार आचार्य अभयदेव ने भी अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि "इस शास्त्र की प्रायः कूट पुस्तकें (हस्त-लेख) बिलसी हैं। हम अज्ञ हैं और यह शास्त्र बहुत गभीर है, अतः विचारपूर्वक ही सूत्रार्थ की योजना करना चाहिए।"³⁰ और वृत्ति की समाप्ति पर पुनः आचार्य ने लिखा है कि शास्त्रीय आम्नाय (परम्परा) से रहित हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए इस शास्त्र का बोध करना कठिन है। अतः हमने यहाँ जो और जैसे अर्थ किए हैं, वे ही ठीक हैं— ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए।"³¹ आचार्य अभय देव के उक्त उल्लेखों पर से प्रतिध्वनित होता है कि आगमों का शब्दशरीर व्यवस्थित नहीं था। अर्थबोध की परम्परा भी अस्तव्यस्त हो चुकी थी। उपलब्ध प्रतियाँ भी विश्वसनीय नहीं थी, तभी तो वे कहते हैं 'प्रायोज्य कूटानि च पुस्तकानि ।'

आशय और संख्य

वर्तमान जैन आगम साहित्य में प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र का अपना एक विशिष्ट एव महत्त्वपूर्ण स्थान है। नाम ही कितना अर्थगभीर है— 'प्रश्नव्याकरण अर्थात् प्रश्नों का व्याकरण, समाधान, उत्तर। जिस प्रकार तन के रोगों का प्रश्न मानव के समक्ष अनादि काल में एक जटिल प्रश्न रहा है, उसी प्रकार सद्यक के समक्ष मन के रोगों का प्रश्न भी है। तन के रोगों से भी अधिक भयकर है मन के रोग। तन के रोग तो अधिक से अधिक एक जन्म तक ही पीड़ा देते हैं, अगले जन्मों तक तो ज्वरारिरूप देह रोग आत्मा के पीछे नहीं दौड़ते हैं, शरीर के साथ यही-के-यही रह जाते हैं। परन्तु मन के रोग तो जन्म-जन्मान्तरो तक पीछे दौड़ते रहते हैं। अतीत में अनादि अनन्त काल से आत्मा को पीड़ित करते रहे हैं, और यदि समय पर नहीं संभला गया, उचित प्रतिकार नहीं किया गया, तो भविष्य में भी अनन्ता-

३७ - अज्ञा यद्य शास्त्रमिदं गभीरं,
प्रायोज्य कूटानि च पुस्तकानि ।
सूत्रं व्यवस्थाप्यमस्तौ विमृश्य,
व्याख्यानकल्पादित एव नैव ॥

३८ परेषां कुलंभ्या भवति हि विवक्षा स्फुटमिदं,
विरोधाद् बुद्ध्यानामतुल्यबलमज्ञानमहताम् ।
निराग्नायाचीभिः पुनरतितरां मातृसज्जनैः,
ततः शास्त्रार्थं ये चक्षन्मनस्य दुर्लभमिह ॥ ३ ॥
ततः सिद्धान्ततत्त्वज्ञैः, स्वयमुद्घातं सुकामतः ।
न पुनरल्पवाक्यात्, एव प्राह्यो नियोयतः ॥ ४ ॥

मन्त काल तक मन के रोग इसी प्रकार उत्पीडित करते रहेंगे । एक क्षण के लिए भी आत्मा को शान्तिलाभ नहीं होने देंगे ।

प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र में मन के रोगों की सही चिकित्सा का विधान है । प्रथम आश्रव खण्ड में रोगों का वर्णन है । रोग हैं, अन्तर्मन के विकार हिंसा, असत्य, स्तेय-चौर्य, ब्रह्मचर्य-कामविकार, और परिग्रह अर्थात् मूच्छा, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मृद्वि ।

प्रथम खण्ड में रोगों का स्वरूप और उन के द्वारा होने वाले दुःखों एवं पीडाओं का उल्लेख है । द्वितीय संवर खण्ड में अहिंसा, सत्य, अस्तेय-अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के स्वरूप का एवं उनके सुखद प्रतिफलों का वर्णन है । आगम की भाषा में हिंसादि पाँच प्रकारों को आश्रव कहा जाता है । आश्रव, अर्थात् नवीन कर्मप्रवाह का आत्मा के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का द्वार^{३९} । और अहिंसा, सत्य आदि पाँच को संवर कहा जाता है । संवर, अर्थात् आत्म क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले कर्मप्रवाह का निरोध ।^{४०} आश्रव ममार का हेतु है और संवर मोक्ष का, अतः आश्रव तथा संवर के वर्णन में ही समग्र जिन प्रवचन का सारांश, निष्यन्द अर्थात् निचोड़ आ जाता है ।^{४१} जिस साधक ने आश्रव और संवर के स्वरूप को गमन किया, उसने एक प्रकार से साधना का समग्र तत्त्व ही अधिगमन कर लिया ।

३६—पुष्यपापागमद्वारलक्षण आश्रव ।१६। पुष्यपापलक्षणस्य कर्मण आगमन-
द्वारमाश्रव इत्युच्यते । आश्रव इवाश्रव । क उपमार्थं ? यथा महोदधेः सलिल-
मापयामुखैरहरहरापूर्यते तथा मिष्यादशंनाविद्वारानुप्रविष्टं कर्मभिरनिश-
मात्मा समापूर्यते इति मिष्यादशंनाविद्वारमाश्रव ।

—तत्त्वार्थराजवार्तिक १।४।१६

४०—आश्रवनिरोधलक्षण संवर ।१८। पूर्वोक्तानामाश्रवद्वारानां शुभपरिणाम-
वशाद्विरोध. संवर । संवर इव संवर । क उपमार्थं ? यथा सुगुप्तसुसंभृत-
द्वारकपाटं पुरं सुरक्षितं दुरासदमरातिभिर्भवंति, तथा सुगुप्तिसमित्तिधर्मानु-
प्रेक्षा-परीषद्भव-चारित्रात्मन सुसंभृतेन्द्रियकषाययोगस्य अभिनवकर्मनिगमद्वार-
संवरभात् संवरः

—तत्त्वार्थराजवार्तिक १।४।१८

४१—(क) अन्वयसंवरविचिञ्छयं पञ्चयणस्त निस्संभं ।

—प्रश्नव्याकरण, पीठिका, १

(क) आ-नवो भवहेतुः स्वात्, संवरो मोक्षकारणम् ।

इतीममाहंती बुष्टिरन्वयवस्थाः प्रपञ्चनम् ॥

—आचार्य हेमचन्द्र, वीतरागस्तोत्र १६।६

आश्रय और संवर की चर्चा अन्य आगमों में भी है। किन्तु जितना क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण सूत्र में है, उतना अन्यत्र नहीं है। यही कारण है कि प्रश्न व्याकरण पर अनेक टीकाएँ, निबन्ध आदि लिखे गए हैं। वर्तमान में छोटे-बड़े अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। सब की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, मैं किसी को छोटा या बड़ा, हीन या महान् नहीं बताना चाहता। परन्तु प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में अवश्य कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

प्रस्तुत संस्करण

प्रस्तुत संस्करण प्रश्न व्याकरण का एक विराटकाय संस्करण है। सर्वप्रथम शुद्ध मूल पाठ है, तदनन्तर संस्कृतच्छाया, पदान्वयार्थ और मूलार्थ है, जिनसे मूल का शब्दज्ञ अर्थबोध हो जाता है। मा.शरण पाठक भी पदान्वयार्थ और मूलार्थ पर से मूल पाठ को अच्छी तरह लगा सकता है, मूल का अभिप्राय ग्रहण कर सकता है। अन्त में विस्तृत व्याख्या है। गण्डू भाषा हिन्दी में इतनी विशिष्ट एवं विशाल व्याख्या प्रश्न व्याकरण सूत्र पर अभी तक अन्य कोई नहीं लिखी गई। अनेक हेतु, तर्क, उद्धरण तथा दृष्टान्त आदि से प्रश्न व्याकरण की मूल भावना को स्पष्ट करने का, यह एक अभूतपूर्व महान् प्रयत्न है। व्याख्या में यत्र तत्र लेखक की मौलिक प्रतिभा के परिदर्शन होते हैं। प्रस्तुत संस्करण की अपनी एक पृथक् विशिष्टता है, तो वह इस की महती व्याख्या ही है, जिसमें व्याख्याकार का गहन एवं विस्तृत अध्ययन, दार्शनिक चिन्तन एवं मर्मोद्घाटक प्रगाढ़ पाण्डित्य प्रतिबिम्बित हुआ है।

प्रस्तुत संस्करण के व्याख्याकार और सम्पादक


प्रस्तुत संस्करण के मूल सहायक एवं व्याख्याकार, मेरे अभिन्न स्नेही सुहृद् प० श्री हेमचन्द्र जी महाराज हैं। संस्कृत, प्राकृत भाषाओं का उनका अध्ययन गंभीर एवं व्यापक है। व्याकरण की मर्मज्ञता तो उनकी सब ओर सुप्रसिद्ध रही है। जैन धर्म-दिवाकर, महामार्हम स्व० आचार्य देव श्री आत्माराम जी महाराज के श्रीचरणों में जब से दीक्षा ली, तभी से अध्ययन में सलग्न हुए, और निरन्तर अपने अध्ययन को सूक्ष्म, गंभीर एवं व्यापक बनाते गए। स्व० आचार्य देव स्वयं भी एक महान् आगमाभ्यासी एवं चिन्तक थे। अपने युग में वे आगमों के एक सर्वमान्य, लब्ध-प्रतिष्ठ अध्येता एवं प्रवक्ता माने जाते थे। आगमसागर का उन्होंने तलस्पर्शी अवगाहन किया था। अनुयोग द्वार, आचारारण, स्थानाय, उत्तराध्ययन आदि अनेक गंभीर एवं गूढ़ कहे जाने वाले आगमों पर उन्होंने हिन्दी टीकाएँ लिखी हैं, जो विद्वज्जगत् में समादरणीय हुई हैं। आचार्य जी की विवेचनशैली स्पष्ट, अर्थबोधक एवं हृदयप्राहिणी है। इसी हेतु के सुप्रकाश में उन्हें जैन संघ ने 'जैनागमरत्नाकर' के महनीय पद से समलकृत किया था। गुरुदेव की चिन्त्योति प्रिय किष्प पर

धी-अवतरित हुई। आचार्य देव के साहित्यनिर्माण में भी पण्डित जी का बहुमूल्य योगदान है। उक्त की-बौद्धिक सेवा आचार्य देव के साहित्य के साथ चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण का सम्पादन एवं विवेचन भी विद्वान् मुनि श्री जी ने अपने गुरुदेव आचार्यश्री जी के चरणचिन्हों पर ही रूपायित किया है। वही मूल, संस्कृत श्लोका, पदार्थ, भूतार्थ और व्याख्या। वही सरल सुबोध भाषा और वही भ्रमभङ्गारा। लगता है, जैसे गुरु की प्रतिभाज्योति शिष्य में सक्रान्त हो गई है। योग्य शिष्य में गुरु की आत्मा प्रतिबिम्बित होती ही है।

मेरे शिष्यवत् भ्रष्टासिक्त स्नेही पं० मुनि श्री पद्मचन्द्र जी, जो भण्डारीजी के उपनाम से श्रवतः सुविश्रुत हैं उनकी काफी समय से इच्छा थी कि अपने गुरुदेव की यह रचना जनता के समक्ष आए। यह लेखन बहुत समय पहले कभी लिखा गया था। अपने सौम्य स्वभाव के कारण उन्होंने (पं० हेम चन्द्रजी ने) इसके प्रकाशन की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। फलतः यह महनीय रचना यो ही रखी रही। पण्डित श्री के प्रिय शिष्य श्री भण्डारी जी के अन्तर्मन में भावना जगी कि यह विराट् शास्त्र आधुनिक शैली से पुनः संपादित होकर प्रकाश में आए। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि भण्डारी जी की उक्त मंगल भावना ने आज सुचारुरूप से मूर्तरूप लिया है। और यह सब हुआ है उन्हीं के प्रिय शिष्य प्रवचनभूषण पं० श्री अमर मुनिजी के द्वारा। श्री अमर मुनिजी व्याख्याकार पं० श्री हेमचन्द्र जी के प्रशिष्य (पौत्र शिष्य) हैं। श्री अमर मुनिजी एक महान् कर्मठ, योग्य, विचारक एवं जिन-शासनरसिक तरुण मुनि हैं। सेवा की तो जीवित प्रतिमूर्ति ही है वे। सन् १९६४ के जयपुर बर्षावास में अस्वस्थता के समय उन्होंने जो मेरी उदात्त सेवा-परिचर्या की है, वह मेरे स्मृतिकोष की सुरक्षित निधि है। वस्तुतः अमर मुनिजी में अपने पूर्व गुरुजनों की सत्कारधारा प्रवाहित है, जो उन्हें यमस्वी बनाती रही है, बनाती रहेगी।

प्रश्न व्याकरण सूत्र का प्रस्तुत संस्करण, जिसमें अनेक महनीय मुनिवरों एवं भक्त श्रावकों की भावना, श्रम एवं सहयोग की मंगलश्री जुड़ी हुई है, एक अतीव सुन्दर संस्करण है। अतः प्रबुद्ध विद्वान् तथा साधारण जिज्ञामु, दोनों ही इससे यथोचित लाभ उठा सकते हैं। मैं आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूँ—'आयम साहित्य साधना के प्रशस्त क्षेत्र में यह सुखचिर संस्करण चिरवमस्वी रहेगा।'



पं० श्री हेमचन्द्र जी महाराज

पण्डितरत्न श्री हेमचन्द्र जी महाराज

की

संक्षिप्त जीवन-झांकी

परमश्रेष्ठ आचार्य सम्राट् पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की शिष्यमाला के उज्ज्वलतम साधुरत्न पण्डित श्री हेमचन्द्र जी महाराज अपनी मीन अध्यात्म-साधना की भास्वर किरणों से सदा आलोकित रहे हैं और रहेंगे। इनका निस्पृह रागद्वेष-विमुक्त सहज साधना-सम्पन्न साधु-जीवन साधुसमाज में दिव्य आवर्ण है।

लुधियाना से लगभग बीस मील दूर दक्षिणपूर्व में मलेरकोटला और लुधियाना की मध्यभूमि पर 'रामगढ़ सरदारा' एक समृद्ध कसबा है, जिसमें लगभग बीस जैन परिवार रहते हैं। इसी ग्राम के निवासी लाला रोनकराम जी के घर में उस दिन रोनक लग गई थी, जिस दिन हेम-भास्वर एक पुत्र ने जन्म लिया था। माता रत्नीदेवी ने पाँच पुत्रियों और दो पुत्रों से पूर्व प्रथम सन्तान के रूप में इस पुत्र-रत्न को पाकर अपनी सन्तानकामना पूर्ण की। विक्रम सम्बत् १९५८ का पीप मास तो बाह्य जन्म को शीतल बना रहा था, परन्तु माता-पिता के अन्तर को दिव्य शीतलता प्रदान की इस पुत्र-रत्न ने। धर्म-विवेकसम्पन्न-हृदय दादा चूहड़मल ने इस पीप का नाम रखा 'हंसराज'। हो सकता है, उनकी अन्तरात्मा ने जान लिया हो कि यह बालक भविष्य में नीरक्षीरविवेकी 'हंस' तुल्य जीवन की साधना करेगा।

हंसराज ने जीवन के छह वर्षों बसन्त माता-पिता एवं बहन भाइयों के प्यार की सुखद छाया में व्यतीत किए और अब सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए वह स्कूल में प्रविष्ट हुआ। आठवीं कक्षा तक निरन्तर अध्ययन की परम्परा चलती रही, सर्वत्र प्रथम अंशों का आशय लेकर।

सम्बत् १९७५ में अमण-संघ के प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के ओजस्वी शिष्य आध्यात्मिक क्रान्ति के स्रष्टा श्री अजानचन्द जी महाराज 'रामगढ़ सरदारा' पधारे। उनके प्रवचनानामृत का पान करने वाले श्रोताओं में 'हंसराज' प्रथम

पंडित में हुआ करते थे। हुंसराज उन श्रोताओं में से थे, जिनका मन बसता के बचनों के साथ साक्षात्स्थ स्थापित कर लिया करता है। पूर्वजन्मोपाजित पुण्य जाना, राम भावा, वैराग्य तरंगित हुआ और १८ दिन तक प्रवचन-पीयूष का पान कर अठारहवां वर्ष आरम्भ होते ही आप लुधियाना आए और यहाँ आकर सन्तशिरोमणि श्रद्धेय श्री जयराम दास जी महाराज के दर्शन करते ही उनका वैराग्य-रग और भी पक्का हो गया, विरक्त मन साधु-दीक्षा के लिये आकुल हो उठा। परन्तु दीक्षा के लिये माता-पिता की आज्ञा अनिवार्य थी, पर शोली में पड़े रत्न को कौन छोड़ना चाहता है। माता-पिता की असहमति और दादा की सहमति का संघर्ष कुछ दिन चला, अन्त में दादा जी की सहमति का आश्रय लेकर आप लुधियाना लौट आए और श्रद्धेय श्री जयराम दास जी महाराज से अध्यात्म-पथ पर चलने के लिए आश्रय देने की प्रार्थना की।

श्री जयराम दास जी महाराज दूरदर्शी एवं भविष्य के प्रति सजग रहने वाले साधना-सम्पन्न सन्त थे। उन्होंने लुधियानानिवासी स्वर्गीय भगूमल जी, स्वर्गीय लाहौरीराम जी और श्रावक श्रेष्ठ लाला नौराताराम जी की उपस्थिति में लुधियाना और फिलौर के बीच बिहार-मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे इनकी अध्यात्म-साधना की कामना को पूर्ण कर इन्हे कृतकृत्य किया और साधुवेष में इन्हें साथ लेकर राहो की ओर बिहार कर दिया। राहों पहुँच कर इन्हे आत्मोत्थान के लिए श्री आत्माराम जी महाराज के अध्यात्म-आलोक के पावन नेत्राय में रखकर वे चल दिये अपने अशीष्ट पथ पर। साधु-जीवन में प्रवेश करते ही 'हुंसराज' हेमचन्द्र बने और साधना की अग्नि में तप कर निखरते हुए चन्द्र से चमकने लगे।

स्वाध्याय-साधना आरम्भ हुई, संस्कृत का पाण्डित्य चमकने लगा, प्राकृत पर पूर्ण अधिकार हुआ और आचार्य श्री की महती अनुकम्पा से शास्त्र-सिन्धु के गम्भीर तल तक पहुँच कर ज्ञान-रत्नों की उपलब्धि होने लगी। आचार्य श्री के चरणानुगामी बन कर चलते हुए 'छायेबान्धगच्छत्' की उक्ति चरितार्थ करने लगे।

दिल्ली में उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज जैसे प्रतिभाधनी सहपाठी के साथ पंडित श्री बेचरदासजी जैसे जैनागमों के प्रकाण्ड पण्डित से किए गए स्वाध्याय में जैन समाज को दो महान् विद्वान् सन्त प्रदान किये। आप श्री जी की विद्वत्ता को परखते हुए ही सम्बत् १९९३ होशियारपुर में चतुर्विध सष के सम्मुख आचार्य श्री काशीराम जी महाराज ने आपको 'संस्कृत प्राकृत विशारद' पद से विभूषित किया।

आचार्यश्री के लुधियाना में निवास के अनन्तर आप भी उनकी सेवा में ही रहने लगे, स्वाध्याय करने के साथ-साथ स्वाध्याय-साधना करवाते हुए। श्रद्धेय

मध्वारी श्री परमचन्द्र श्री महाराज जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर आपकी विद्यासतत पुष्पित एवं विकसित होने लगी। पंजाब प्रान्त में अधिकतर श्रमण और श्रमणी वर्ग की प्राकृत-ज्ञान की समृद्धि पं० श्री हेमचन्द्र जी महाराज की ही तो देन है। आपके पौत्र शिष्य प्रबचनब्रूचण श्री अमर मुनि जी महाराज पर भी आपकी विद्यासाधना का परम्परित प्रभाव विद्यमान है।

प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण सूत्र जैन-सिद्धान्तों का, पांच आक्षरों और पांच संघटों का विश्लेषण करने वाला मानो मूल सूत्र है। इसकी व्याख्या आपके प्रसार पाण्डित्यपादप का ही सुन्दर अमृतोपम फल है। जिसका आध्यात्मिक आस्वादन समाज को नई आध्यात्मिक शक्ति और नई आत्मचेतना देगा, यह मेरा अक्षय विश्वास है।

आजकल आपका स्वविर जीवन लुघियाना में ही व्यतीत हो रहा है, जैन समाज की श्रद्धा-प्रतिष्ठा पर आसीन होकर। आपका तपोमय जीवन नष्ट जीवन के रहा है, अध्यात्म-जीवन के पथिकों को।

—तिलकचर साहस्री

सम्पादक—आत्मरश्मि, लुघियाना (पंजाब)

प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रकाशन में सहयोगी उदार दानदाता

- ५०००) श्री सहजादा राम जी एडवोकेट
M/s रामनारायण शिवजी राम आढ़ती, गिदड़वाहामण्डी एण्ड मुञ्जफरनगर
- २१००) श्री अनन्तराम मलेरीराम जी आढती, सफीबौमण्डी
- ११००) श्री दीवानचन्द विनोदकुमार जैन, गिदड़वाहामण्डी
- ११००) लाला कबूलचन्द्र जुगमन्दर लाल जैन, पदमपुर मण्डी
- ११००) श्री घनपतराम जी जैन, श्री गगानगर
- ११००) श्री बनारसीदास कृष्णचन्द्र जैन, मलोट मण्डी
- ११००) ला० दौलतराम छोगमल जैन, अबोहर मण्डी
- ११००) श्री चमनलाल धर्मचन्द जैन, सगरिया मण्डी
- ११००) श्री नरेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, भुक्तसर
- ५००) लाला रौनकराम पारसमल जैन, रामामण्डी
- ५००) श्री रामजीदास जैन, भिन्ड (मध्य प्रदेश)

अनुक्रमणिका

क्रम	पृष्ठ
१—उपोद्घात	३
सूत्रपरिचय	३
प्रस्तुत शास्त्र की रचना कब और कैसे ?	५
आश्व की व्याख्या	७
संवर की व्याख्या	७
शास्त्र की महत्ता	८
आश्व के पांच प्रकार	१०
आश्व के प्रकारान्तर से ४२ भेद	१६
प्रथम खंड : आश्व (अधर्म) द्वारा	
२—प्रथम अध्यायन : हिंसा-आश्व	१६
प्रतिपाद्य विषय का वर्गीकरण	१६
प्राणवध का अर्थ	२०
हिंसा का स्वरूप और उसकी व्याख्या	२१
पूर्वापरसम्बन्ध	२६
हिंसा के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	२७
हिंसा क्यों, कितनी और कैसे ?	४२
हिंसक जीवों का स्वभाव	५७
हिंसा किये जाने वाले जीव	५७

जीवों के भेद और नाम बताने का प्रयोजन	६१
जीव का लक्षण और उनमें चेतना का प्रमाण	६१
चेतना के विकास का तारतम्य	६३
प्राणिविद्य करने के प्रयोजनों या कारणों पर विचार	६४
हिंसा के पीछे प्रेरणा	६७
हिंसकों द्वारा हिंसा किस स्थिति में की जाती है ?	६७
हिंसा के कर्ता और उसके दुष्परिणाम	६७
हिंसकों की तीन मुख्य कोटियाँ	७७
हिंसा का भयकर दुष्परिणाम	८२
नरकभूमियाँ कहाँ और कौन-कौन-सी हैं ?	८३
नरक के अस्तित्व की सिद्धि	८४
नरक की इतनी भयकर दण्डव्यातना वास्तविकता है, गप्प नहीं	८५
नरकगति में हिंसा के कुफल	८५
कटुफल का कारण और उमे भुगवाने वाला	८६
कर्म और उनके बन्ध के प्रकार	८७
नारकों की लम्बी स्थिति की तालिका	८९
नरकपालों द्वारा नारकों को दी जाने वाली यातनाएँ	८९
नारकों द्वारा परस्पर दिये जाने वाले दुःख	१०१
विक्रिया द्वारा शस्त्रादि निर्माण क्यों और कैसे ?	१०२
नरक भूमियों में क्षं त्रकृत दुःख	१०३
तीनों प्रकार के दुःखों की नारकों पर प्रतिक्रिया	१०४
तिर्यचगति और अनुष्यगति में हिंसा के कुफल	१०५
फल भोगते समय पश्चात्ताप	११७
तिर्यचयोनि का स्वरूप	११८
तिर्यचयोनि में प्राप्त होने वाले दुःख	११९
विविध दुःखों से पीडित तिर्यचो द्वारा नये दुःखदायक कर्मों का	
उपार्जन	१२०
कर्मों के अतिसचय के कारण	१२०
तिर्यचयोनियों की कुलकोटियाँ	१२१
विकलेन्द्रिय और एकेन्द्रिय तिर्यचयोनियों के दुःख	१२३
एकेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेद और स्पष्टीकरण	१२३
एकेन्द्रिय पर्याय में प्राप्त होने वाले दुःख	१२५

मनुष्य पर्याय पाकर भी सुख नहीं	१२६
कर्मफल भोगे बिना छूटकारा नहीं	१२८
प्राणवध के दुष्परिणामों की भयकरता	१२८
३—द्वितीय अध्यायन • मृषावाद-आश्रय	१३१
मृषावाद का स्वल्प और उसकी व्याख्या	१३१
मृषावाद के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	१३८
असत्यवादी कौन और किस प्रयोजन से ?	१५७
व्यवहार में असत्य बोलने वाले और उनकी व्याख्या	१७६
नास्तिकवादी असत्यवादी दार्शनिक	१८३
जगत्शून्यवादियों का मत	१८४
आत्मा को न मानने वाले नास्तिकों का मत	१८४
पुनर्जन्म, पुण्य पाप, सुकुल-दुष्कृत इत्यादि न मानने वाले नास्तिक	१८४
पञ्च महाभौतिक शरीरवादी नास्तिक	१८५
नास्तिकवादियों के मत की असत्यता	१८५
पञ्चस्कन्धवादी बौद्धों की मान्यता	१८७
मनोवादियों की मान्यता	१८७
बौद्धमत की असत्यता	१८७
वायुजीववादियों की मान्यता	१८८
तज्जीव तच्छरीरवादियों की मान्यता	१८८
इस मत की असत्यता	१८९
दानादि निगद्यवादियों की मान्यता	१८९
एकान्त यहच्छा स्वभाव, दैव, नियति, काल आदि मानने वालों का मत	१९०
हिन्दयविषयसुखवादी चार्वाकों की मान्यता	१९२
इन सब मान्यताओं की असत्यता	१९३
स्वभाववादियों की असत्यता	१९५
नियतिवादियों की असत्यता	१९५
काल मृत्युनिषेधवादियों की असत्यता	१९५
जगत् की रचना के सम्बन्ध में विविध दार्शनिकों की मान्यताएँ	१९६
पौराणिक मतों की असत्यता	१९७
ईश्वरकर्तृत्ववाद का मत	१९९
ईश्वरकर्तृत्ववाद की असत्यता	२००
बिष्णुमयसृष्टिवाद का मत	२०३

विष्णुमयसृष्टिवाद की असत्यता	२०४
आत्माहृतवाद की असत्यता	२०५
एककण्ठवाद की असत्यता	२०६
सौख्यदर्शन का आत्मा का अकर्तृत्ववाद	२०७
सौख्यदर्शन के मत की असत्यता	२०९
पंचकारणसमवाय में सत्यासत्यता	२१२
पारत्राधिक धर्म की ओट में असत्यवादिता	२१६
विविध कारणों से झूठ बोलने वाले	२१७
हिंसात्मक पेशे वाले असत्यवादी	२१७
असत्यवादियों की मनोवृत्ति	२१८
असत्य के कटुफल	२१८
असत्य के फलभोग को न जानने वाले	२२४
नरक और तिर्यचयोनियों में असत्य के कुफल का भोग	२२५
मनुष्यगति में असत्य भाषण का दण्ड	२२६
क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में असत्य का फल	२२७
असत्यभाषण के फलभोग का स्वरूप	२२९
फल भोगे बिना छुटकारा नहीं	२२९
असत्यभाषण का संक्षेप में स्वरूप	२३०
५—शुतीय अध्ययन . अबसादान-आश्रय	२३१
अवसादान का स्वरूप	२३१
अदत्तादान का लक्षण और उसकी व्याख्या	२३३
अवसादान के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	२३७
चोरी करने वाले कौन ?	२४४
साहसिक चोरों और व्यावसायिक चोरों का स्वरूप	२६६
चोरी करते समय होने वाली परस्थितियाँ	२७१
चोरों के दुष्परिणाम	२७२
चोरों को मिलने वाली भयकर यातनाओं का वर्णन	२८७
चोरों के लिए विविध कठोर बन्धनों का वर्णन	२८८
चोरी की आदत के कारणों पर विचार	२९०
चोरों के साथ कैदखाने का कठोर व्यवहार	२९२
मृत्युदण्ड के विविध रूप	२९३
चौर और चौर्यकर्म के उत्पत्ति के प्रकार	२९४
चोरी के कटुफल . अन्धगतिदोषों में	२९५

चोरों की मृत्यु के बाद जनता में होने वाली प्रतिक्रिया	३१२
अस्तेयरत पापियों की अनचाही मौत	३१३
नरकगति में चोरी का भयंकर बंध	३१४
तिर्यचयोनि में भी अगणित दुःख	३१५
मनुष्यजन्म प्राप्त होने पर भी दुर्बला और भयंकर यासना	३१५
धर्मसंस्कार अनेकों जन्मों तक नहीं मिलते	३१६
दुष्कर्म चोरो का जल्दी पीछा नहीं छोड़ते	३१८
५—अतुर्बं अभ्ययन : अन्नह्यचर्य-आशय	३२१
अन्नह्यचर्य का स्वरूप और व्याख्या	३२१
अन्नह्यचर्य का लक्षण	३२३
अन्नह्यचर्य वृत्ति के हेतु	३२४
सर्वत्र अन्नह्यचर्य की धूम	३२४
अन्नह्यचर्य से कायिक, मानसिक और आत्मिक हानियाँ	३२६
अन्नह्यचर्य के पर्यायवाची नाम और उनकी व्याख्या	३२९
अन्नह्यसेवनकर्ता कौन और कैसे ?	३३९
जानबूझ कर भी अन्नह्यचर्य के कीचड़ में क्यों ?	३४९
देवों में अधिक विषमलालसा क्यों ?	३५०
देव का लक्षण	३५१
चारों प्रकार के देवों का निवासक्षेत्र	३५२
मनुष्यगति में अन्नह्यचर्य का प्रभाव	३५२
तिर्यचगति के जीवों में भी अन्नह्यचर्य	३५३
मनुष्यगति के कुछ प्रसिद्ध अन्नह्यचर्यसेवी व्यक्ति	३५५
जितने समृद्ध उतने ही काम भोगों से अतृप्त	३५८
संसार के अन्ध पुण्यशालियों की कामप्रवृत्ति	३५९
बलदेव-वासुदेव के असाधारण गुण और विशेष विह्व	३७१
मांडलिकनृपों और उत्तरकुचबेबकुच के मनुष्यों की विभूति	३७६
इनके विस्तृत वर्णन करने का रहस्य	३८९
भोगभूमि के मनुष्यों का स्वरूप तथा उत्तम शरीर और प्राकृतिक जीवन	३९०
भोग भूमि के मनुष्यों का संक्षिप्त परिचय	३९२
भोगभूमि की महिलाएँ	३९५
महिलाओं का वर्णन क्यों ?	४०५

अज्ञानाचरण और उसका पुष्कल	४०६
दीप्ति संज्ञा से हानि और उसका अर्थ	४१४
कान्धासना से पीडित व्यक्तियों की मोहप्रगल्भता	४१६
परस्त्रीवासिता का दुष्परिणाम	४१६
संधी के विमित्त से हुए संश्रायों के उदाहरण	४२१
अज्ञानसेवन के दूरगामी भयंकर फल	४३६
आर्यों गतियों में मिलने वाले कटुफल	४४२
६—अज्ञान अप्ययन : परिग्रह आशय	४४५
परिग्रह का स्वरूप	४४५
संसार के हिंसाजनक कार्यों का कारण परिग्रह	४४८
परिग्रह का लक्षण	४४६
परिग्रह के भेद	४५१
परिग्रहवृद्धि से संतोष और शान्ति नहीं	४५२
परिग्रह को वृक्ष की उपमा	४५३
परिग्रह के सार्थक नाम और उनकी व्याख्या	४५६
परिग्रहधारी प्राणी कौन-कौन हैं ?	४६८
परिग्रह पर ममत्त्व का मूल कारण	४७६
लोभ ही परिग्रहरूप पाप का बाप है	४८०
परिग्रह सेवनकर्ताओं की सूची	४८०
देवों के पास अधिक परिग्रह क्यों ?	४८१
देवों का निवास और सक्षिप्त स्वरूप	४८३
देवों के परिग्रह के रूप	४८५
अभीष्ट परिग्रहों से भी देवों को उचित तृप्ति और संतोष नहीं ?	४८५
परिग्रह का स्वभाव	४८६
परिग्रह के लिए विविध उपाय और उनसे होने वाले अनर्थ	४८६
परिग्रहलिप्सुओं का स्वभाव	४९०
परिग्रह के साथ दुर्गुणों का अवश्यम्भावी सम्बन्ध	४९२
परिग्रह : एक बेजोड पापबन्धन	४९२
परिग्रह का फलविनाश	४९३
परिग्रह के कारण दोनों लोकों में जीवनविनाश	४९६
परिग्रह का फल : दीर्घकाल तक संसार परिभ्रमण	४९७
आश्रयहार का उपसंहार	४९८

द्वितीयखंड : संवरद्वार

७—संवरद्वार-विषयसूच	५०३
संवरद्वारों का वर्णन क्यों और किसलिए ?	५०६
संवर का अर्थ	५०७
संवर का माहात्म्य और उसकी उपयोगिता	५०८
इन्हें संवरद्वार क्यों कहा गया ?	५१३
संवर के भेद	५१४
सर्वप्रथम अहिंसासंवर ही क्यों ?	५१४
८—छठा अध्याय : अहिंसासंवर	५१७
अहिंसा के सार्थक नाम एवं उनकी व्याख्या	५१७
अहिंसा का लक्षण और उसके दो रूप	५२१
अहिंसा के मुख्य भेद	५२१
भगवती अहिंसा की विविध उपमाएँ	५३२
अहिंसा के अन्तर्गत विभिन्न गुण और उनकी व्याख्या	५३३
अहिंसा के आराधक कौन-कौन ?	५३६
अहिंसाचरण से होने वाली उपलब्धियाँ	५४५
अहिंसा के पूर्ण उपासकों की भिन्नाभिधि	५४६
अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षाचार्या की विधि का निर्देश क्यों ?	५६४
नवकोटिगुह्य निर्दोष भिक्षा	६६७
भिक्षा के समय लगने वाले १० एषणा के दोष	५६७
उद्यमदोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	५६६
उत्पादना दोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	५७२
प्रासुक आहार का लक्षण	५७६
साधु की निःस्पृह भिक्षावृत्ति भिक्षुक की दीनवृत्ति नहीं है	५७६
भिक्षा में शुद्धता का उपदेश किसने और क्या दिा ?	५७७
अहिंसापालन की पाँच भावनाएँ	५७७
पाँच भावनाओं की उपयोगिता	५८०
पाँच भावनाओं का स्वरूप	५८३
ईर्यासमिति भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल	५८५
मनःसमिति भावना का	५८६
वचनसमिति भावना का	५८७
एषणासमिति भावना का	५८७

आधान निक्षेप समिति भावना का " " "	६०२
पाँच भावनाओं की महिमा	६०३
६—सातवाँ अध्यायन : सत्यसंवर	६०५
सत्य की महिमा और उसका स्वरूप	६०५
सत्य का अर्थ	६१६
तीनों योगों की एकरूपता में ही सत्य है	६१८
सत्य की इतनी महिमा क्यों ?	६२०
सत्य क्या है ?	६२०
बिभिन्न कोटि के सत्य के उपासक	६२२
सत्य भाषा के दस भेद	६२८
असत्य भाषा के दस भेद	६३०
सत्यामूषा भाषा के दस भेद	६३०
असत्यामूषा भाषा के बारह भेद	६३१
बारह भाषाएँ	६३२
सोसह वचन	६३२
किस प्रकार का सत्य बोला जाय ?	६३३
नाम आदि पदों का स्पष्टीकरण	६३३
सत्यवचन भी समयमातक हो तो असत्य है	६३५
सत्यवचन की पाँच भावनाएँ	६३५
अलीकवचन आदि पाँच शत्रुओं से बचना आवश्यक	६४८
सत्यसिद्धान्त का प्रयोजन, महत्त्व और विश्लेषण	६४९
पाँच भावनाएँ और उनका उद्देश्य	६५१
अनुचिन्त्यसमिति-भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	६५२
क्रोधनिग्रहरूप क्षमाभावना का " " "	६५५
लोभविजयरूप निर्लोभता भावना का " " "	६५६
अयमुक्तिरूप धैर्ययुक्त निर्भयता भावना का " " "	६५८
हास्ययुक्ति वचन संयमरूप भावना का " " "	६६०
पाँचभावनाओं से आत्मा को सुसंस्कृत करने का निर्देश	६६२
१०—आठवाँ अध्यायन : अचौर्यसंवर	६६३
अचौर्यसंवर का स्वरूप	६६३
अचौर्य के बिभिन्न पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ	६७२
अप्रीति रखने वाले से आहारादि ग्रहण का निषेध क्यों ?	६७४

अचीर्यवत का माहात्म्य	६७३
कुछ शंकाएँ और उनका समाधान	६७६
नि.स्वार्थ सेवा से अनायास अचीर्य वत की आराधना	६७७
अचीर्य सबर का अनाराधक कौन व आराधक कौन ?	६७८
अचीर्यसबर की पाँच भावनाएँ	६७९
अचीर्यवत की पाच भावनाओं की उपयोगिता	६८१
विविक्तवासवसति समिति भावना का चिन्तन प्रयोग और फल	६८४
अनुज्ञात संस्तारक भावना का	" " "
शय्यासंस्तारकादिपरिकर्मवर्जना भावना का	" " "
साधारणपिंडपात्रलाभसमिति भावना का	" " "
साधार्मिक विनयकरण भावना का	" " "
पाचो भावनाओ द्वारा प्राप्त होने वाला सुफल	६९८
११—नौवाँ अध्यायन : ब्रह्मचर्यसबर	६९९
ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप	६९९
ब्रह्मचर्य की महिमा	७१४
ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालनकर्ता	७१८
ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय	७२१
ब्रह्मचर्य का महत्त्व	७२३
विविध उपमाओं से ब्रह्मचर्य की गरिमा	७२४
ब्रह्मचर्य की महनीयता	७२६
ब्रह्मचर्य का लक्षण	७२९
ब्रह्मचर्य विघातक बातों से सतर्कता	७३०
ब्रह्मचर्यपोषक बातों का निर्देश	७३१
ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ	७३१
पाच भावनाओं की उपयोगिता	७४३
स्त्री-असंसक्त स्थानसमिति भावना का चिन्तन, प्रयोग, और फल	७४५
स्त्रीकथा विरति समिति भावना का	" " "
स्त्रीरूपनिरीक्षणत्याग समिति भावना का	" " " "
पूर्वरत-पूर्वकीर्तित विरति समिति भावना का	" " "

प्रणीताहारविरतिसमिति भावना का " " "	७५०
कुछ शंका, कुछ समाधान	७५१
उपसंहार	७५२
१२—बसबा अभ्यसन : पांच अपरिग्रहसंवर	७५५
अन्तरंगपरिग्रह से विरति	७५५
अन्तरंग परिग्रहत्याग का वर्णन ही सर्वप्रथम क्यों ?	७५६
एक से लेकर तैतीस बोलों पर विवेचन	७६१
तैतीस बोलों की आराधना करने वाले श्रमण की आध्यात्मिक उपलब्धि	७७८
तैतीस बोलों के निरूपण के पीछे उद्देश्य	७७६
अपरिग्रह संवर का माहात्म्य और स्वरूप	७७६
धोष्ठ संवरवृक्ष	७६२
अपरिग्रही के लिए क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य ?	७६४
अपरिग्रही साधक के लिए सग्रह करके रखना परिग्रहवृत्ति है उद्दिष्ट, स्थापित आदि दोषों से युक्त आहार भी साधु के लिए वर्जनीय	७६६
अपरिग्रही साधु के लिए कब और कैसा आहार ग्राह्य है ?	८००
कुछ शंका-समाधान	८०१
साधु के लिए ग्राह्य घर्मोपकरण	८०२
अपरिग्रही भ्रमण की पहिचान	८०४
अपरिग्रही के लक्षण और उनकी व्याख्या	८१२
अपरिग्रह सिद्धान्त पर प्रवचन किसने और क्यों किया ?	८२०
अपरिग्रहव्रत की पांच भावनाएँ	८२०
पांच भावनाओं की उपयोगिता	८४७
विषयों का ग्रहण कब परिग्रह है, कब अपरिग्रह ?	८४७
ओम् नमो संवररूप शब्दनिःस्पृहभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५०
वीतरामतापोषक शब्दश्रवण में अभिरुचि परिग्रह नहीं	८५२
चक्षुरिन्द्रिय संवररूप निःस्पृह भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५३

छायेन्द्रिय संबन्ध रूप भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५५
रसेन्द्रियसंबन्ध भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५७
स्पर्शेन्द्रियसंबन्ध भावना का चिन्तन, प्रयोग और फल	८५८
पंचम संबन्धद्वार का महत्त्व	८६१
पांचो सबदों का माहात्म्य और फल	८६१
१३—अपसंहार	८६३
बसों अभ्ययनों का संक्षिप्त परिचय	८६३
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट	८६४
व्याख्यानरीति	८६४
१४ - परिशिष्ट	
१—सुभाषित	८६३
२—विशेषशब्दसूची	८७१



श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र

उपोद्घात

सूत्रपरिचय

विश्व के समस्त प्राणी सुख के अभिलाषी हैं, कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता। परन्तु समस्त प्राणियों की विशेषतः मानव की प्रवृत्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य प्रायः इन्द्रियों और मन के विषयों तथा पदार्थों में सुख मानकर प्रवृत्ति करता है। नतीजा यह होता है, कि इन्द्रियविषयों, मनोविषयों तथा पदार्थों से होने वाले क्षणिक सुख के नष्ट होते ही पुनः दुःख की परम्परा चल पड़ती है, सुख और शान्ति दूरातिदूर होती जाती है। अतः यह प्रश्न होना स्वाभाविक है, कि सुख के साधनों और शान्ति के मार्ग को अपनाने पर भी दुःख और अशान्ति क्यों मिलती है? यदि अपनाए हुए ये साधन और उपाय दुःख और अशान्ति के जनक हैं, तो वास्तविक और स्थायी सुख-शान्ति के साधन और उपाय कौन-कौन से हैं? और दुःखों के उत्पन्न करने, बढ़ाने और दुःखजनित अशुभ फल के मुख्य कारण कौन-कौन-से हैं? जीवन के ये और इन सरीखे अन्य अनेक ज्वलन्त प्रश्नों की व्याख्या को ही प्रश्नव्याकरण सूत्र की पृष्ठभूमि समझना चाहिये।

क्योंकि प्रश्नव्याकरण सूत्र में वर्णित पांच आश्रवद्वार और पांच संवरद्वार जीवन के इन्हीं मूल प्रश्नों के उत्तर हैं। पांच आश्रव जीवन में दुःखों को बढ़ाने वाले हैं। पांच आश्रवों के फलस्वरूप जीव नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का बंध करता है, और उनके कारण बार-बार विविध शुभाशुभ गतियों और योनियों में परिभ्रमण करके दुःख उठाता है। दूसरी ओर पांच संवर जीवन में स्थायी सुख को बढ़ाने वाले हैं। संवर की विधिवत् साधना-आराधना करके मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त कर लेता है।

इसलिए जीवन के सुखदुःख से सम्बन्धित इन ज्वलन्त प्रश्नों के समाधान के रूप में जो व्याख्या की गई है, उसमें ही वर्तमान में 'प्रश्नव्याकरणसूत्र' नाम की सार्थकता समझनी चाहिये।

एद्यपि नन्दी सूत्र में प्रश्नव्याकरणसूत्र की जो संक्षिप्त विषय-सूची दी गई है, उसमें अंगुष्ठादि-प्रश्नविद्याओं के प्रतिपादन का उल्लेख है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्रश्नव्याकरण की प्राचीन व्युत्पत्ति इसी प्रकार की गई है—

‘प्रश्नाः—अङ्गुष्ठादिप्रश्नविद्यास्ता ध्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्नव्याकरणम् ।’

‘जिसमें अंगुष्ठादि प्रश्नविद्याओं का प्रतिपादन किया गया है, उसे प्रश्न-व्याकरण कहते हैं।’

वर्तमान काल में पांच आश्रव और पांच संवर का वर्णन ही दश अध्ययनो में मिलता है। इस सूत्र का दूसरा नाम ‘प्रश्नव्याकरण दशा’ भी मिलता है। उसका तात्पर्य यह है, कि यह सूत्र दश अध्ययनो में विभक्त है, इसमें पांच आश्रव द्वार हैं और पांच संवर द्वार हैं। इस कारण इस सूत्र के नाम के साथ ‘दशा’ शब्द जोड़ा गया है। पूर्वाचार्यों ने वर्तमान युग के मानवों की शक्ति, बुद्धि और वीर्य की हीनता और न्यूनता की अपेक्षा से प्रश्नादि विद्याओं के बदले इसमें जीवन के वास्तविक प्रश्नों की सीमांसा के रूप में आश्रवों और संवरों का विवेचन अवतरित कर दिया है।

प्रश्नव्याकरणसूत्र दसवा अंग सूत्र है। अंगसूत्रों का प्ररूपण या अर्थकथन सीधे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा किया गया है, बाद में गणधरो ने इन्हें शब्दों में सकलित-प्रथित किया है। इसलिए इस सूत्र का बड़ा महत्त्व है। जो शास्त्र जीवों को अज्ञान और मोहवश अनेक दुःखों की परम्परा में उलझते देखकर उनके प्रति परम दया और हितबुद्धि से प्रेरित होकर स्वयं तीर्थंकर प्रभु के मुखारविन्द से प्राप्त है, उसकी महत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। फिर भी प्रत्येक शास्त्र के प्रारम्भ में चार प्रकार का अनुबन्ध बताना आवश्यक होता है, ताकि पाठक और श्रोता को उस शास्त्र की उपादेयता मालूम हो जाय।

किसी भी शास्त्र के प्ररूपण की प्रवृत्ति के विषय में सर्वतोमुखी ज्ञान होना जरूरी है और इसे ही अनुबन्ध कहा जाता है। वह अनुबन्ध चार प्रकार का होता है—विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन।

इस शास्त्र में कौन-कौन-से विषयों का वर्णन है? यह पहले कहा जा चुका है। इस सूत्र के अधिकारी श्रमण और श्रद्धालु श्रोता हैं। जो मनुष्य रात-दिन आरम्भ-समारम्भ में और परिग्रह बढ़ाने में ही रचापचा रहता है, वह इस सूत्र के पठन और श्रवण का अधिकारी नहीं हो सकता। सम्बन्ध—इस सूत्र के साथ उपायोपेयभाव या प्रेर्य प्रेरक-भाव है। यह शास्त्र प्रेरक है—अनिष्ट (हेय) से दूर रहने और इष्ट (उपादेय) में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देने वाला है, और जिस व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है, वह प्रेर्य है। इसी प्रकार यह शास्त्र दुःखनिवृत्ति का तथा

सुख में प्रवृत्ति का उपाय बतलाता है, और जिसे उपाय बतलाया जाता है, वह उपाय व्यक्ति है। इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन जीवों को अपनी अज्ञानवशा से क्षणिक वैश्विक एवं पदार्थजन्य सुखों से होने वाले दुःखों की परम्परा को अवगत करा कर स्थायी और अविनाशी मोक्ष सुख की ओर प्रवृत्त कराना है। इसी प्रयोजन को आगे मूलसूत्र में स्पष्ट किया गया है। मतलब यह है, कि संसारी जीव हेय (आत्मों) को हेय समझकर उपादेय (संबरों) में प्रवृत्त हों, यही इस शास्त्र की रचना का मुख्य प्रयोजन है।

प्रस्तुत शास्त्र की रचना कब और कैसे ?

प्रस्तुत शास्त्र की प्ररूपणा और रचना कब और कैसे हुई, इस सम्बन्ध में मातासूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित सन्दर्भ के आधार पर निम्नोक्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

प्राचीन काल में अगदेश (वर्तमान में बिहार प्रान्त के एक प्रदेश) की राजधानी चम्पा नाम की नगरी थी। वहाँ महाप्रतापी सम्राट कोणिक राज्य करता था।

एक बार भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य स्वविर गणधर आर्य सुधर्मास्वामी अपने जम्बू आदि पांच सौ शिष्यों के साथ अनेक गाँवों और नगरों में विचरण करते हुए तथा तप और संयम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उस नगरी के बाहर पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे, आकर बिराजे।

मुनिपुंगव श्री सुधर्मास्वामी का पदार्पण सुनकर सम्राट कोणिक और चम्पानगरी की प्रजा अतीव आनन्दित हुई। वह उनके दर्शन और प्रवचन-श्रवण के लिए बरसाती नदी की भाँति उमड़ पड़ी। और प्रवचन सुनकर वापिस लौट गई।

उसके पश्चात् आर्य सुधर्मास्वामी के प्रधान शिष्य आर्य जम्बू स्वामी ने विनयपूर्वक गुरुदेव से प्रश्न किया—“भते ! मैंने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित नीर्वे अंग अनुत्तरोपगतिक सूत्र का वर्णन तो आपके श्रीमुख से श्रवण कर लिया, अब कृपा करके यह फरमाइये, कि उन श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ने दशवे अंग प्रश्नव्याकरणसूत्र में किन-किन विषयों का प्रतिपादन किया है।”

इसके उत्तर में आर्य सुधर्मास्वामी ने कहा—“आशुष्मन् जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने दशवें अंग प्रश्नव्याकरण सूत्र को आश्रयद्वार और संबर द्वार—इन दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त करके दश अध्ययनों में प्ररूपित किया है। पहले के पांच अध्ययनों में पांच आश्रयों का और पिछले पांच अध्ययनों में पांच संबरों का क्रमशः वर्णन किया है।

पुनः आर्य जम्बूस्वामी ने पूछा—“स्वामिन् ! प्रथम श्रुतस्कन्ध में श्रमण भगवान् महावीर ने किन-किन विषयों का किस प्रकार प्ररूपण किया है ?” इसके उत्तर में आर्य सुधर्मास्वामी ने कहा—तो, सुनो !

मूलपाठ

जम्बू !^१ इणमो अण्हय-संवरविणिच्छयं पवयणस्स निस्संदं ।
वोच्छामि णिच्छयत्थं सुहासियत्थं महेसीहि ॥१॥

संस्कृत-छाया

जम्बू ! इदमास्नबसंवरविनिश्चयं प्रवचनस्य नित्यन्वम् ।

वक्ष्यामि निश्चयार्थं सुभाषितार्थं महर्षिभिः ॥१॥

पदार्थान्वय—(जम्बू) हे जम्बू ! (महेसीहि) महर्षि तीर्थकरो ने, (सुहासियत्थ)

जिसका अर्थ भलीभांति बताया है, (अण्हयसवरविणिच्छय) जिसमें आश्रव और संवर का विशेष रूप से निश्चय किया गया है, ऐसे (पवयणस्स निस्सव) प्रवचन के नित्यन्व-निष्ठा अर्थात् साररसरूप (इणमो) इस शास्त्र को, (णिच्छयत्थ) निश्चय करने के लिए अथवा मोक्ष के प्रयोजन के लिए, (वोच्छामि) कहूंगा ।

मूलार्थ हे जम्बू ! इस प्रदनव्याकरण सूत्र को, जिसमें आश्रव और संवर का विशेष विवेचन है, जिसका अर्थरूप से प्ररूपण श्रमण भगवान् महावीर ने किया है, और महर्षि गणधरो ने जिसका सूत्र रूप से संकलन किया है, जो द्वादशांग आगम का सारभूत रस है, मैं निश्चय के लिए या मोक्षप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कहूंगा

व्याख्या

किसी भी शास्त्र या ग्रन्थ की उपादेयता में पांच निमित्त होते हैं—

- (१) पूर्वापर सम्बन्ध, (२) उसका प्रतिपाद्य विषय, (३) उसको सुमभ प्राप्ति
- (४) आप्त द्वारा उसकी रचना एवं (५) इष्ट प्रयोजन ।

जिस शास्त्र में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता, वह उन्मत्त के अमम्बद्ध वचन की तरह आदरणीय नहीं होता । जिस शास्त्र में वाम्निविक वस्तु का वर्णन न होकर 'आकाश के फूलों का सेहरा बाध कर बघ्या पुत्र विवाह करने जा रहा है' इत्यादि वाक्यों की तरह ऊटपटांग बातें लिखी गईं हो या जिसमें जीवन की वास्तविक समस्या को हल करने वाली बातें न हों, वह शास्त्र भी उपादेय नहीं होता । इसी तरह जिस शास्त्र में प्रतिपादित विषय सर्वसुलभ या बोधगम्य न होकर 'तक्षकसर्प के भस्तक में रही हुई भणि का आभूषण बना कर पहनने से सब प्रकार के उवर नष्ट हो जाते हैं' के समान दुर्गम और दुरूह उपाय बताए गए हों, उसे भी सज्जन नहीं अपनाते । इसी प्रकार जो शास्त्र या ग्रन्थ निःस्वार्थ हितोपदेष्टा आप्त पुरुषों के द्वारा रचित नहीं होता, वह भी कोई रास्ते चलता मनचला किन्हीं बालकों से यह कहे, कि

१ किसी प्रति में इससे पूर्व 'मंगलाचरण के रूप में 'नमो अरिहंताण' भी मिलता है ।

'बच्चो ! वीढ़ो ! वीढ़ो ! उस ताड़ के नीचे लहसुनों का डेर पड़ा है' इत्यादि वाक्यों की तरह विश्वसनीय नहीं होता । और न ही 'पुत्रोत्पत्ति के लिए माता के साथ विवाह करो' ; या 'सुखवृद्धि के लिए दूसरों को लूटो-ससोटो और मारो' ; इत्यादि बच्चों की तरह अनिष्ट प्रयोजन वाले प्रवचन सत्पुरुषों द्वारा ब्राह्म होते हैं ।

परन्तु इस शास्त्र में शास्त्र की उपादेयता के बारे में बताए गए पूर्वोक्त पाँचों निमित्त पाये जाते हैं, जो इस मूलगाथा से स्पष्ट हैं । मूलगाथा में उक्त 'अण्ड्यसंवरविणिच्छय' पद से पूर्वापर सम्बन्ध तथा इसमें प्रतिपाद्य विषय का संकेत किया गया है । इस शास्त्र में उपर्युक्त पद के अनुसार आश्रवों और संवरों का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिसे पढ़-सुन कर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से हृदयंगम कर सकता है । और सुलभता से आश्रवों से विमुक्ति और संवरधर्म की प्राप्ति कर सकता है । इसी प्रकार 'महेसिंहि सुहासियत्थं' पद से यह शास्त्र वीतरागी सर्व जीवहितैषी आप्त पुरुषों द्वारा प्रतिपादित सिद्ध होता है और 'विच्छयत्थं' पद से मोक्षप्राप्ति रूप इष्ट प्रयोजन भी सूचित किया गया है । इस प्रकार इस शास्त्र की उपादेयता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता ।

आश्रव—'आ—समन्तात् श्वन्ति—प्रविसन्ति कर्माणि येन स आश्रवः'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिन कारणों से आत्मा में कर्म चारों ओर से प्रविष्ट होते हैं, उसे आश्रव कहते हैं । इसे एक दृष्टान्त द्वारा समझना ठीक होगा—

समुद्र के अगाध जल पर कोई नाव तैर रही है, सहसा उसमें छिद्र हो जाय तो चारों ओर से उसमें जल आने लगता है । इसी प्रकार यह संसार समुद्र के समान अथाह है, इसमें कामाणि वर्गणा के रूप में कर्मरूपी पानी लबालब भर रहा हुआ है, आत्मा रूपी नौका इसमें तैरना चाहती है, परन्तु उसमें हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिग्रह ये पाँच आश्रवरूपी पाँच बड़े-बड़े छेद हो गये हैं, उन छेदों से कर्मरूपी जल चारों ओर से सतत धुसता रहता है, वह आत्मारूपी नौका को डूबा रहा है । मतलब यह है, कि आश्रवरूपी छेदों के द्वारा कर्मजल आत्मारूपी नौका में भर जाने से उसका डूब जाना निश्चित है ।

संवर—'सन्निधन्ते निवर्षन्ते कर्मकारणानि येन जायेन स संवरः'—इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'आत्मा के जिस परिणाम से आत्मा में आते (प्रविष्ट होते) कर्म रुक जाय, अथवा कर्मों का आश्रव (आयमन) जिससे बंद हो जाय, उसे संवर कहते हैं ।

उदाहरण के तौर पर—जब आत्मा अपने समिति, पुष्टि, श्रत, अनुप्रेक्षा आदि शुभ परिणामों से उन आश्रवरूपी छेदों को बंद कर देता है, रोक देता है, तो कर्मरूपी जल आत्मारूपी नौका में नहीं भर सकता और वह आत्मनौका सहीसलामत

संसारसमुद्र की पार करके अपने गन्तव्यस्थल—मोक्ष में पहुँच सकती है। फिर वह भूथली नहीं।

ब्रह्मसंवरविधिच्छन्दः—आश्रवों और संवरों के भेदों और उनके अनुभव-भुक्त फलों द्वारा उनके स्वरूपों का विशेष स्पष्टरूप से इस शास्त्र में निर्णय किया गया है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए हेतु और उपादेय का निर्णय कर सके।

प्रसंगवश यहाँ आश्रव और संवर के मुख्य भेद तथा द्रव्य और भाव रूप से उनके प्रकार भी बतलाते हैं—

आश्रव के मुख्य भेद पाँच हैं—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह। इन पाँचों आश्रवों के दो प्रकार हैं—द्रव्याश्रव और भावाश्रव। कर्मपुद्गलों का जाना द्रव्याश्रव कहलाता है और आत्मा के जिन परिणामों से कर्मपुद्गल आते हैं, उन रागद्वेषादिरूप परिणामों—भावों को भावाश्रव कहते हैं। इसी प्रकार संवर के भी मुख्य भेद पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पाँचों संवरों के भी दो प्रकार हैं—द्रव्यसंवर और भावसंवर। आते हुए कर्मों का रुक जाना द्रव्यसंवर कहलाता है और आत्मा के जिन शुद्ध परिणामों से आते हुए कर्म रुक जाते हैं, उन समिति-गुप्ति आदि परिणामों को भावसंवर कहते हैं।

प्रवचनस्य निस्संबन्धः—इस पद से इस शास्त्र की महत्ता बताई गई है, कि यह शास्त्र केवल वचन ही नहीं, प्रवचन है। प्रवचन किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर दिया जाता है, वह निश्चित सिद्धान्तों के अनुरूप होता है। साथ ही यह शास्त्र प्रवचन ही नहीं, प्रवचन का नित्यन्द यानी निचोड़ है। श्रमण भगवान् महावीर द्वारा कथित द्वादशांगरूप आगमों को प्रवचन कहते हैं। यह शास्त्र उस का सारभूत तत्त्व है। खजूर आदि फलों में जैसे उनकी गुठली, छिलके आदि निःसार होते हैं और उनका रस ही सारभूत होता है; वही शरीर में बल, बुद्धि और वीर्य की वृद्धि करता है, वैसे ही यह सूत्र द्वादशांगी ज्ञान का सार है। चूँकि ज्ञान का सार आचरण है। उत्तम आचरण करने से और ज्ञान द्वारा आश्रवों से निवृत्त और संवर में प्रवृत्त होने से आत्मा में बल, वीर्य और आनन्द की वृद्धि होती है, जिससे आगे चल कर भोक्तृत्व उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

‘सामाह्वयमाह्वयं सुयनाथं जाय विदुसाराग्रजो।

तस्य वि सारो चरन्, सारो चरन्स्य विद्वान् ॥’

सामायिक से लेकर विन्दुसारपर्यन्त द्वादशांगीरूप श्रुतज्ञान है। उसका सार चारित्र्य है, और चारित्र्य का भी सार निर्वाण है।

सुहासित्वं महेशिंहि—इस पद से शास्त्र को आप्तपुरुषों द्वारा भाषित बतला कर इसकी विश्वसनीयता व्यक्त की है। जगत् के समस्त जीवों के हितैषी वीतराग

बहुचियों द्वारा इस शास्त्र का अर्थरूप में प्रतिपादन किया गया है, उसी की कुछ रूप में रचना अतिशयशानी गणघर करते हैं। कहा भी है—“अर्थं चासद् अरुह, सुतं संवति गणधुरा निउत्तं,” अर्थात्—अर्हन्तदेव उस समय की लोकप्रचलित भाषा (अर्थमागधी) में अर्थरूप से विषय का प्रतिपादन करते हैं, उसी की कुशलतापूर्वक द्वादशांगी आगम के रूप में प्रबुद्ध गणघर शब्दबद्ध करते हैं। पूर्वोक्त पद के द्वारा गणघर आर्य सुधर्मास्वामी ने वीतराग द्वारा प्रकृषित बता कर प्रस्तुत शास्त्र की विश्वसनीयता और अपनी नम्रता प्रगट कर दी है।

बोष्ठाभि—इस पद के द्वारा आर्य सुधर्मास्वामी ने भगवद्भाषित प्रवचन को शास्त्ररूप में संकलित करने की प्रतिज्ञा की है।

निष्छयार्थं—इस पद से दो अर्थ सूचित होते हैं—एक तो यह कि इस शास्त्र को पढ़-सुनकर हेय-उपादेय का निश्चय करने के लिए—‘आश्रवों को छोड़ने और संवरों को अपनाने का निश्चय करने के लिए’, दूसरा यह कि ‘निर्वन्तः कर्मणां चयो निश्चयो मोक्षस्तवर्चं तत्प्राप्तये’ यानी जिसमें से कर्मों का संचय निकल गया है, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिये। इस पद से शास्त्ररचना का प्रयोजन भी स्पष्ट हो जाता है।

जीवन के लिए दुःखदायक, दुःखद फल प्राप्त कराने वाले और दुःखों की परम्परा बढ़ाने वाले तथा दुःखों के कारण कर्मों के बन्ध को लेकर नाना योनियों और गतियों में बार-बार भ्रमण कराने वाले कौन हैं? इसका संक्षिप्त उत्तर है—आश्रव। अब विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस सूत्र में सर्वप्रथम आश्रवों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

पंचविहो पण्यत्तो जिणोहि इह अण्हओ अणादीओ ।

हिंसा १ मोस २ मदत्तं ३ अबंभं ४ परिग्गहं ५ चेव ॥२॥

संस्कृत-छाया

पंचविधः प्रण्यत्तो जिनैरिहात्मबोऽनाधिकः ।

हिंसा मृषाऽवस्तमग्रहं परिग्रहश्च ॥२॥

पदार्थान्वय—(इह) इस आयतन में अथवा इस संसार में, (अण्हओ) आणव (हिंसा) प्राणिवध, (मोस) मृषावाच-असत्य, (अवत्तं) चोरी, (अबंभं) अज्ञानार्थ, मैत्रुण (परिग्गहं) परिग्रह, इस प्रकार (जिणोहि) जिनेन्द्र देवों ने, (पंचविहो) पंच प्रकार का (चेव) ही, (पण्यत्तो) कहा है, और वह (अणादीओ) अनादि है।

मूलार्थ—इस सूत्र में अथवा इस संसार में जिनेन्द्र देवों ने आश्रव

पांच प्रकार का और अनादि कहा है—हिंसा, असत्य, चोरी, अवहृत्कार्य-
मंथुन और परिग्रह (सूच्छापूर्वक ग्रहण)।

व्याख्या

इस भाषा में पांच प्रकार के आश्रव को अनादि कहा है, उस पर से विशेष बात यह सूचित होती है कि अभव्य जीव की अपेक्षा से आश्रव अनादि-
अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि-सान्त है।

जो जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का आराधन करके
भोक्ष पाने की योग्यता रखता है, वह भव्य कहलाता है और इसके विपरीत जिसमें
भोक्ष पाने की योग्यता न हो, वह अभव्य कहलाता है।

यद्यपि समस्त संसारी जीवों के कर्मों का आश्रव प्रवाहरूप से अनादि होता
है, तथापि भव्यजीव सम्यग्दर्शन आदि की आराधना करके उस अनादि कर्मप्रवाह
का उच्छेद कर डालता है। लेकिन अभव्य जीव को सम्यग्दर्शन आदि प्राप्त नहीं
होते, इसलिए उसका कर्मप्रवाह अनादि और अनन्त—अपार होता है।

हिंसा प्रमादवशा (राग-द्वेष से) स्वपर के प्राणो का घात करना, उन्हें
पीड़ा देना हिंसा है। केवल प्राणिवध कर देने मात्र से ही हिंसा नहीं होती, अपितु
मन, वचन और काया से किसी को पीड़ा देने, सताने, प्रहार करने, मर्मस्पर्शी वचन
बोलने, अनिष्ट चिन्तन आदि से भी हिंसा हो जाती है। कभी-कभी तो प्राणी का
वध होते हुए भी भावहिंसा नहीं मानी जाती। उदाहरण के तौर पर एक डाक्टर
किसी रोगी का ऑपरेशन कर रहा है। उसकी इच्छा रोगी को स्वस्थ करने
की है, परन्तु कदाचित् ऑपरेशन के समय रोगी की मृत्यु हो जाय तो वह डाक्टर
हिंसक नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी इच्छा रोगी को मारने की नहीं, बचाने
की थी। डॉक्टर के परिणाम शुभ होने से उसे पापकर्म का बध नहीं होता। इसीलिए
जैनागम में हिंसा का लक्षण बताया है—‘प्रमाद और कषाय के वश स्वपर के प्राणों
को पीड़ा पहुँचाना।’

हिंसा के मुख्य दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा।

द्रव्यप्राणों (शरीर इन्द्रिय आदि) का घात करना द्रव्यहिंसा है और आत्मा में
राग, द्वेष, क्रोध आदि पैदा करके आत्मा की शान्ति व क्षमा आदिरूप शुद्ध परिणामों
का घात करना भावहिंसा है। ये दोनों हिंसाएँ स्व और पर के भेद से दो प्रकार
की होती हैं। अपने द्रव्यप्राणों की हिंसा करना स्व-द्रव्यहिंसा है और अपने शान्ति,
क्षमा आदि गुणों का घात करना स्व-भावहिंसा है। इसी प्रकार दूसरे के द्रव्य प्राणों
को हानि पहुँचाना पर-द्रव्यहिंसा है और दूसरे के भावप्राणों (शान्ति, क्षमा आदि
गुणों) का घात करना पर-भावहिंसा है।

द्विव्य के भेद से हिंसा के ४ प्रकार हो सकते हैं—(१) संकल्पजा, (२) आरम्भजा, (३) उद्योगिनी और (४) विरोधिनी ।

जानबूझकर किसी खास इरादे से कषाय-वश प्राणियों का प्राणवध करना संकल्पजा हिंसा है ।

भुलहा, चक्की, भवननिर्माण आदि के आरम्भ से जो हिंसा होती है, उसे आरम्भजा हिंसा कहते हैं ।

उद्योग-धधे, खेती, व्यापार आदि करने में सावधानी रखते हुए भी कभी न कभी त्रस जीवों की हिंसा हो जाती है । इसे ही उद्योगिनी हिंसा कहते हैं ।

यदि कोई दुरात्मा अनीतिमार्ग का अनुसरण कर किसी के जान, माल, एवं अन्य साधनों पर, तथा शील आदि धर्म पर, या अपने आश्रित जीवों पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो रहा है, कहने-सुनने पर भी अपनी दुर्नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उस समय वह गृहस्थ अपने जान, माल, शील आदि धर्म या आश्रित जनो आदि की रक्षा के लिए सशस्त्र प्रत्याक्रमण करता है, सामना करता है. यहा तक कि युद्ध करने के लिए डट जाता है, उसमे जो हिंसा होती है, उसे विरोधिनी हिंसा कहते हैं ।

इन चारों प्रकार की हिंसा का साधु-मुनिराज सर्वथा त्रिकरण^१-त्रियोग^२ से त्याग करते हैं । लेकिन गृहस्थ श्रावक इन सबका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । वह केवल निःपराध त्रस जीवों की कषायवश होने वाली संकल्पजा हिंसा का त्याग कर सकता है । क्योंकि अपनी गृहस्थो चलाने के लिए उससे कई बार आरम्भजा, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा हो जाती है । यद्यपि स्यावर (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय इन पांच एकेन्द्रिय) जीवो की हिंसा से वह यथासम्भव बचता है, फिर भी वह इनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता । लेकिन त्रस (चल फिर सकने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय) जीवों की संकल्पजा हिंसा का त्याग करना उसके लिए अनिवार्य है ।

मूषा—असत्य वचन बोलना, असत्य आचरण करना और असत्य व दम्भ-कपट युक्त व्यवहार करना मूषा है । असत्य बोलना महापाप है । असत्य बोलने वाले का ससार में कोई विश्वास नहीं करता । असत्यवादी के साथ कोई लेन-देन का या जिम्मेवारी सौंपने आदि का व्यवहार नहीं करता । मोक्ष रूप कल्पवृक्ष को काटने के लिए असत्य कुल्हाड़े के समान है । इसीलिए मुनिवर इसका सर्वथा त्याग करते हैं । और गृहस्थ श्रावक इसका आंशिक त्याग करते हैं । वे ऐसा असत्य नहीं

१. त्रिकरण = करना, कराना और अनुभोदन ।

२. त्रियोग = मन, वचन, काया ।

कोषले, जिससे सरकार द्वारा कानूनन दण्डित हो, लोकव्यवहार में निन्दित हो, देश, जाति और धनता में परस्पर फूट और वैमनस्य पैदा हो जाए।

मनुष्य की कुलीनता या महानता की परीक्षा उसके बचनों पर से हो जाती है। जिसका बचन सत्यगुण से युक्त होता है, वह मानव सत्ता में देवतुल्य माना जाता है। उसका निर्मल धवल पक्ष संसार में फैल जाता है तथा उसके बचन से प्राणी अपने कल्याण की कामना करते हैं और वे उसके बचनामृत को उसी तरह सुनने की सलायित रहते हैं, जिस तरह मेषगर्जना को सुनने के लिए मोर उत्सुक रहता है।

जिन बचनों के बोलने से प्राणियों को पीड़ा पहुँचती है, वे भी असत्य के अन्तर्गत हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में बताया है—'असबन्धिधानमनुत्तम्' अर्थात् कषायवश प्राणियों को पीड़ा देने वाले असद्—अप्रशस्त वचन बोलना भी असत्य है। इसलिए कल्याणकारी पुरुष को सदा सत्य, हित, मित और प्रिय बोलना चाहिये। ऐसे सत्यभाषी नरश्रेष्ठ ही संसार में वन्दनीय, पूजनीय और स्वपर-कल्याणकर्ता होता है।

अदत्तादान—किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बगैर या दिये बिना ग्रहण कर लेना अदत्तादान है। इसे लोक-व्यवहार में चोरी कहते हैं। चोरी केवल दूसरे के अर्थ या पदार्थों की ही नहीं होती, अपितु नाम, अधिकार, उपयोग या भावों की भी होती है।

चोरी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, क्योंकि उसे हर समय प्राण जाने की शंका चोरी करने से पहले और बाद में बनी रहती है। भय ही पापकर्म के बंध का कारण है। संसार में जितने भी पापकार्य हैं, सब में अन्दर ही अन्दर भय छिपा हुआ होता है। प्रारम्भ में जब मनुष्य पापकर्म करता है, तब आत्मा में एक प्रकार के अभ्यक्त भय का संचार होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की गिरी हुई, पड़ी हुई, बिना दी हुई या अनुमति न दी हुई वस्तु—जिसके हम स्वामी न हों, कदापि ग्रहण नहीं करनी चाहिये।

आज विश्व में जो अज्ञान्ति मची हुई है, वह इसी (अदत्तादान) दोष का दुष्परिणाम है। निर्बल मनुष्य की वस्तु (सम्पत्ति या साधन) सबल छीनना-मपटना और जबरन अपने अधिकार में कर लेना चाहता है, यही विश्व में विषमता, द्वन्द्व और कलह का कारण है, यही मुकद्दमेबाजी का कारण है। पहले और अब जितने भी कलह हुए हैं या हो रहे हैं, वे सब इसी पाप के कुफल हैं। यदि संसार वीतराग-बचनामृत के अनुसार चलने लगे और इस आश्रव का त्याग करे तो विश्व में सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो जाय, सभी सुख-वैन की बसी बजाते हुए स्वपर कल्याण में रत हो जाय। मगर यह सब अनुचित लोभ, अनीति, बेईमानी और छोड़े-बाजी का त्याग करने पर ही हो सकता है।

ब्रह्मचर्य—मन, बचन और काया से कामवासना का सेवन करना, बीसर्षण करना या मैथुन करना ब्रह्मचर्य है। यह भी अर्चन का नृत्य, महादेवों की बीसन में वृद्धि करने वाला, आत्मा के पतन का जनक एवं अयोध्या (मोक्षपथ) में बड़ा विघ्न है। पाँचों इन्द्रियों से स्वर्शनेन्द्रिय महा-बलवान है। बिन महापुरुषों से इसे अपने बल में कर लिया, वे जगद्वन्द्व हुए हैं। जगत् का उद्धार भी उन्हीं पुरुष ब्रह्मचारियों द्वारा हुआ है।

यही कारण है, कि साधु मुनियों को इस ब्रह्मचर्य का मन, बचन और काया से कृत, कारित, अनुमोदित रूप से सर्वथा त्याग करना अनिवार्य होता है। लेकिन गृहस्थ इसका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। उसे इसकी मर्यादा करनी पड़ती है। यानी वह स्वदारसंतोष परदारविरमण के रूप में इस (ब्रह्मचर्य) व्रत का पालन करता है। विधिवत् जिसके साथ पाणिग्रहण किया है, उसके सिवाय समस्त स्त्रियों के साथ वह मैथुन सेवन का त्याग करता है। अपनी धर्मपत्नी के साथ भी अमर्यादित रूप से वासना सेवन नहीं करता। इस प्रकार आंगिकरूप से इस आश्रम को छोड़कर मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम भी परम्परा से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

परिग्रह—किसी पदार्थ का मूर्च्छा-ममतापूर्वक ग्रहण करना या उस पर ममत्व रखना परिग्रह है।

परिग्रह के मुख्य दो भेद हैं अन्तरंग और बाह्य। आत्मा की कुछ परिणति के सिवाय जितने भी विकार भाव, (मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय, मोह आदि) हैं, वे सब अन्तरंग परिग्रह हैं। इस शरीर और शरीर से सम्बद्ध जितने भी बाह्य पदार्थ हैं—फिर वे चाहे जड़ हों या चेतन (स्त्री, पुत्र, दास-दासी, धन, धान्य, भूकान, सोना, चांदी, लोहा आदि धातु, नकद रूपये आदि) वे सब बाह्य परिग्रह हैं।

आत्मा को संसार में जन्म-मरण के चक्कर बिलाने वाला वस्तुतः परिग्रह ही है। संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से होने वाले दुःखों से संतप्त होकर साधुमुनिवर पाप-योषक व पाप-परम्पराबद्धक इस परिग्रह आश्रम का सर्वथा त्याग करते हैं।

यद्यपि साधु मुनिराज भी अपने संयम-निर्वाह, लज्जा-निवारण आदि के

- १ जपि वस्त्रं व पाय वा कंबल पायपुच्छयं ।
तपि संजमलज्जद्वा धारति परिहरति य ॥
न सो परिग्राहो वृत्तो, नावपुत्तेन तादृशा ।
मुच्छा परिग्राहो वृत्तो, इह वृत्तं नहेतिशा ॥

लिए कुछ धर्मोपकरण रखते हैं, किन्तु वे परिग्रह में शुमार नहीं हैं। क्योंकि परिग्रह तो भवता, मूर्च्छा होने पर होता है, साधुजन उन पर ममत्व नहीं रखते। अतः निर्द्वन्द्व, निर्घांक, निराकुल और निश्चित रहते हैं। वे असीम सुखशान्ति का अनुभव करते हैं। उन्हें इष्ट वस्तु के वियोग और अनिष्ट वस्तु के संयोग में बेचैनी नहीं होती। उन्हें किसी बात का भय और खतरा नहीं होता। वे किसी धनिक और सत्साधारी की मुलात्मी या चापसूसी नहीं करते। वे स्व-पर कल्याण साधना में रत रहते हैं। ऐसे विद्वान्गुरु और निष्परिग्रही साधु ही परिग्रह के दलदल में फँसे हुए अज्ञान और व्याकुल प्राणियों को ममता से समता की ओर लाकर स्थायी सुखशान्ति से सामान्वित कर सकते हैं। वे गृहस्थ भावकों को परिग्रह का परिमाण (मर्यादा-सीमा) करने की प्रेरणा देते हैं।

वास्तव में देखा जाय, तो धनादि वस्तुओं में लुब्ध सासारिक लोग धनादि साधन जुटाने, बढ़ाने, रक्षा करने तथा भविष्य में उन वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा में एव जिनके पास अधिक परिग्रह है, उनसे ईर्ष्या करने, कलह करने आदि में अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं, बेईमानी और अनीति करते हैं, चोरी, डकैती, लूट, झूठ, फरेब आदि करते हैं। धन, सत्ता आदि वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वे नीति-अनीति, कर्तव्य-अकर्तव्य, धर्म-अधर्म की परवाह न करते हुए अनेक प्रकार के हथकण्डे रखते हैं, रात-दिन इसी धुन में लगे रहते हैं। फिर चाहे उन्हें इस प्रकार धनादि साधन जुटाने में अर्हनिश चिन्ता, दुःख, रोग, कलह, वैमनस्य, भय और अप्रतिष्ठा का सामना ही क्यों न करना पड़े। वे यह नहीं सोचते, कि धन, सत्ता या अन्य जितने भी सुखसाधन प्राप्त हुए हैं, वे सब पूर्वोपाजित पुण्य के फल हैं। पुण्य क्षीण होते ही वे सब बादलों की छाया के समान अदृश्य हो जायेंगे। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि जो कल करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक था, वही आज दर-दर का भिखारी बना हुआ है; जो आज राष्ट्र के शासनसूत्रों को संभाले हुए है, कल पद के समाप्त होते ही उसे कुर्सी से उतार दिया जाता है, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। आज जो स्वस्थ, सुन्दर और सुदोल शरीर पर इतराता है, कल वही शरीर के रोगग्रस्त, चिनीना और दयनीय बन जाने पर बासू बहाता है।

जैन सिद्धान्त की दृष्टि से सोचा जाय तो धन, सुख के साधन, स्वस्थ शरीर आदि सब पूर्वकृत पुण्य से प्राप्त होते हैं। परन्तु जब पुण्य समाप्त हो जाता है या होने लगता है, और दानधर्मादि करके तथा पुण्य भी उपाजित नहीं होता है, तो इन सब इष्ट वस्तुओं का या तो वियोग हो जाता है या ये ही वस्तुएँ अनिष्ट रूप में बदल जाती हैं। धन खत्म होने लगता है या धन के कारण मुकद्दमेबाजी, चिन्ता, ज्ञान को खतरा, चोरी-डकैती आदि के भय लग जाते हैं। फिर मनुष्य उसे लोहे की बन्धी-

बड़ी विचोरियों में बढ़े-बढ़े खंभाती ताले लगा कर रखेगा तो बी रह नहीं सकेगा । स्वस्थ और सुखी शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है । साधनों के लिए आपस में कबहू होने लगेंगे या प्राप्त इष्ट साधन भी अनिष्ट के रूप में बदल जायेंगे, उनका दुष्प्रयोग होने लगेगा ।

अतः इन सबको रोकने में यदि कोई समर्थ है, तो वह है धर्म । धर्म सेवन कभी चल से पुण्यकृपी वृक्ष को सींचते रहेंगे तो ये इष्ट साधन टिके भी रहेंगे और इनका दुष्प्रयोग न होने से वे अनिष्ट के रूप में भी नहीं बदलेंगे । और अन्त में, इन्हीं धन, शरीर आदि इष्ट साधनों द्वारा मोक्षप्राप्ति के लिए पुण्यार्थ करके मोक्षफल भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

इतना समझते हुए भी जो कामभोगों में आसक्त हो कर बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह को अनाप-सनाप तोर से बढ़ाता रहेगा, परिग्रह की लालसा में डूबा रहेगा, वह अपने हाथ में आए हुए मानव जीवनरूप चिन्तामणिरत्न को खो बैठेगा और सदा पछताएगा, बार-बार चतुर्गति वाले संसार वन में भटकता रहेगा और अन्वयरण के दुःख उठायेगा । साथ ही वह परिग्रहलालसा के कारण इष्टविधोग और अनिष्टसयोग के रूप में अनेक दुःखों को जन्म-जन्मान्तर में भोगता रहेगा ।

यदि साधु की तरह कोई व्यक्ति पूर्णतया परिग्रहवृत्ति का त्याग न कर सके, तो कम से कम परिग्रह की सीमा (मर्यादा) करके अनुचित लोभ—लालसा का त्याग करे, अन्याय-अनीति से धन या साधन उपाजित करने का त्याग तो अवश्यमेव करे और शुभकर्मवशात् प्राप्त धन या साधनों में ही सतुष्ट रहे, अधिक धन या साधनों के स्वामियों को देखकर मन में उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सघर्ष, या प्रतिस्पर्धा की भावना जरा भी न लाए । संतोष रखकर कम से कम साधनों से मस्ती के साथ जीवननिर्वाह करने का अभ्यास हो जाने से मनुष्य को स्वतः ही अपरिग्रह का आनन्द मिलेगा, चिन्ताओं, लालसाओं और दुविधाओं से दूर रहकर वह निश्चितता से आत्मचिन्तन कर सकेगा, धर्मध्यान में लीन हो सकेगा और स्वस्थतापूर्वक धर्माचरण करके मोक्षसुख का साक्षात्कार कर सकेगा । इसलिये अच्छी बात तो यह होगी, कि यदि किसी के पास पूर्वकृत पुण्य के फलस्वरूप धन या साधन के रूप में परिग्रह है भी तो उसे वह साधनहीनों, असहायों, धीनदुःखियों, अनाथों, विधवाओं, अपाहिणों को उदारता से दान दे, सहायता करे, धर्मपरायण त्यागी महापुरुषों की प्रेरणा से चल रही सुसंस्थाओं को कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर दे, निर्धन बालकों की शिक्षा-वीक्षा और संस्कारवृद्धि के कार्यों में उसे लगाए ।

अन्यथा, मूर्खतापूर्वक संचित धन या साधन के रूप में परिग्रह अनेक प्रकार के पापों को जन्म देगा, जीवन को हिंसा, झूठ, दम्भ, व्यभिचार, दुर्बलन आदि अनेक दुर्गुणों का अड्डा बना देगा, और एक दिन आसक्ति करके संचित किया

हुआ यह मासवान परिग्रह अवश्य ही छोड़ा देकर चला जायगा, फिर पछताने के सिवाय अनुष्य कुछ भी नहीं कर सकेगा। अतः इस का दानादि धर्म के पालन के रूप में समुपयोग कर लेना चाहिए।

वाचा में उक्त 'च' और 'एव' शब्द—इस वाचा में जो 'च' शब्द है, वह समु-
पचय के लिए है। इसी कारण 'अन्नह्य और परिग्रह' इन दोनों का समुपचय-संयोजन
करने के लिए 'च' शब्द का प्रयोग किया गया है। और 'एव' शब्द अवधारणावर्क
है, निश्चय अर्थ में है। यानी 'एव' शब्द से यह सूचित किया गया है, कि हिंसा आदि
भेदों से ही आश्रव ५ प्रकार का है, लेकिन प्रकारान्तर से इसके अनेक भेद हो
सकते हैं। इसलिए प्रसववस अब हम आश्रव के उन ४२ भेदों को बताते हैं।

आश्रव के ४२ भेद—प्रकारान्तर से आश्रव के ४२ भेद भी होते हैं, एक
वाचा में उसका विदग्धानं कराया जाता है—

'इ विष-कसाय-अज्वय-किरिया पच-चउर-पच-पचवीसा ॥

ओया तिग्नेच भवे वायासा आसचो होइ ॥'

अर्थात्—'५ इन्द्रियाँ, ४ कषाय, ५ अन्नत, २५ क्रियाएँ और ३ योग, इस
प्रकार आश्रव के ४२ भेद होते हैं।'।

पाँच इन्द्रियाँ—पाँच इन्द्रियाँ आश्रव तभी कहलाती हैं, जब वे विषयों के
सैदान में बेलगाम झुल्ली छोड़ दी जाय। पाँच इन्द्रियाँ इस प्रकार हैं स्पर्शन, रसन,
घ्राण, चक्षु और श्रोत्र।

चार कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कषाय कर्मों के
आगमन के कारण होने से आश्रव कहे गए हैं।

पाँच अन्नत—हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्यचर्य (मैथुन) और परिग्रह। इन
पाँचों का विवेचन तो प्रस्तुत सूत्र में विस्तार से किया है।

पचवीस क्रियाएँ—१ कायिकी, २ आधिकारणिकी, ३ प्राणविकी, ४ पारिता-
पनिकी, ५ प्राणतिपातिकी, ६ आरभिकी, ७ पारिग्रहिकी, ८ मायाप्रत्ययिकी,
९ मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी, १० अप्रत्याख्यानिकी, ११ दार्शनिकी, १२ स्पर्शनिकी,
१३ प्रातीत्यिकी, १४ सामन्तोपनिपातिकी १५ नैषास्त्रिकी, १६ स्वाहस्त्रिकी,
१७ आनयनिकी, १८ वैदारणिकी, १९ अनाभोगिकी, २० अनवकाशाप्रत्ययिकी २१
प्रायोगिकी, २२ सामुदायिकी, २३ प्रेय (राग) प्रत्ययिकी, २४ द्वेषप्रत्ययिकी, २५-
पैर्वापयिकी। ये पचवीस क्रियाएँ कर्मों के आगमन की कारण होने से आश्रव कही
गई हैं। ●

१ इन क्रियाओं का विशेष विवरण स्थानांगसूत्र स्थान ५ उ० २ तथा स्थान
२ उ १ में देखें।

प्रथम आश्रवद्वार : अधर्म द्वार

प्रथम अध्ययन : हिंसा-आश्रव

आश्रवों का समुच्चयरूप से निरूपण पढ़ने के बाद सहसा संका होती है कि प्रथम आश्रव किस प्रकार का है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसके क्या-क्या कुफल है ? अतः इसके उत्तर में यहाँ से प्रथम आश्रव द्वार प्रारम्भ करते हैं—

प्रतिपाद्य विषय का वर्गीकरण

मूलपाठ

जारिसओ, जंनामा जह य कओ जारिसं फलं देति' ।

जे वि य करेति पावा पाणवहं तं निसामेह ॥३॥

संस्कृत-छाया

याहृशको यज्ञामा यथा च कृतो याहृशं फलं ददाति ।

येऽपि च कुर्वन्ति पावाः, प्राणवधं तं निशामयत ॥३॥

पदार्थान्वय—(जारिसओ) जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, (जंनामा) जो जो उसके नाम हैं, (जह य कओ) जैसे किया जाता है, (जारिसं) ज्ञेया, (फलं) दुःख रूप फल, (देति) देता है, (जे वि य) और जो जी, (पावा) पापीजीव (करेति) उसका सेवन करते हैं, (तं) उस, (पाणवहं) प्राणवध के बारे में (निसामेह)-मेरा कवन सुनो ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मस्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं— हे जम्बू ! प्राणवध (हिंसा) का क्या स्वरूप है ? उसके कौन-कौन से नाम हैं ? वह जिस तरह से किया जाता है तथा वह जो फल देता है, और जो-जो पापी जीव उसे करते हैं, उन सबको सुनो ।

व्याख्या

इस गाथा में प्रथम आश्रवद्वार में वर्णनीय प्राणवध (हिंसा) आश्रव के सम्बन्ध

में क्या-क्या बातें, किस-किस रूप में बताई जाएंगी, इसका निरूपण किया गया है। इस भाषा में वर्णनीय विषय के वर्णन का ढंग बताया गया है, ताकि पाठक को प्रस्तुत विषय आसानी से झटपट हृद्यंगम हो सके। तत्कार्यसूच में किसी भी विषय का स्पष्टरूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूच बताया गया है—'निर्बन्ध-स्वामित्व-साधनाधिकार-स्थिति-विधानतः' अर्थात्—किसी वस्तु के स्पष्ट ज्ञान के लिए उसका नाम व स्वरूप क्या है? उसका स्वामी या कर्ता कौन है? उसके लिए साधन कौन-कौन-से हैं? उसका अधिकारण क्या है? उसकी स्थिति कितनी है? इसी प्रकार यहाँ भी विषय का स्पष्टरूप से परिज्ञान कराने के लिए विषयसूची के रूप में वर्णनीय विषय का संक्षेप में स्पष्ट बोध कराया गया है।

किसी भी विषय का स्पष्ट बोध कराने के लिए निम्नोक्त पांच बातों का वर्णन तो अत्यावश्यक है—(१) प्रतिपाद्य विषय का स्वरूप, (२) उसके नाम, (३) साधन (जिस साधन से वह वस्तु निष्पन्न होती हो, वह साधन या कारण कहलाता है) (४) कर्ता और (५) उसका फल।

प्रस्तुत भाषा में प्रतिपाद्य विषय है—प्राणवध (हिंसा), अतः इसमें प्राणवध का स्वरूप, इसके विविध नामों, इसके साधनों, इसके कर्ताओं, एवं इसके फलों का वर्णन इस भाषा में सूचित किया गया है। 'जारिसओ' शब्द से प्राणवध का स्वरूप क्या है? 'ज्नात्मा' शब्द से उसके क्या-क्या नाम हैं? 'जह य कओ' इस पद से उसके साधन कौन-कौन-से हैं? 'जारिसं फलं वेति' इस पर से उसके फल क्या-क्या हैं? 'जे वि य करेति पाषा' इस पद से उसके कर्ता या स्वामी कौन-कौन हैं? इस प्रकार कहकर शास्त्रकार ने इस तरीके से वर्णनीय विषय का बोध करा दिया।

इस तरीके से वर्णनीय विषय के बोध कराने का स्पष्ट प्रयोजन यह है कि जब आत्मा हिंसा के स्वरूप, उसके परिवार, उसके कारणों, उसके कर्ताओं और उसके कटुफलों को जानकर नरक तिर्यञ्चगति के भयकर दुखों से बचने के लिए इन सबको छोड़ने का प्रयत्न करेगा, तब निर्द्वन्द्व, निर्भीक और निराकुल होकर सुख-शान्ति और आत्मानन्द का अनुभव करेगा तथा अन्त में मोक्ष पद प्राप्त करेगा।

'पाणवहं त निस्त्रामेह'—इस भाषा में पाणवह' के बदले 'जीववह' क्यों नहीं कहा गया, जिससे स्पष्टतया ज्ञान हो जाता? इसका समाधान यह है कि जीव अमूर्त और नित्य है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा या गला नहीं सकता, हवा सुखा या उबा नहीं सकती, इसलिए जीव का वध असंभव जानकर 'पाणवह' कहा है। क्योंकि प्राणों के अनित्य और नाशवान होने से उनका वध होना संभव है।

प्राणवध शब्द से केवल श्वासोच्छ्वास का घात अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, अपितु निम्नोक्त दस ही प्राणों में से किसी भी प्राण के घात का अर्थ लेना चाहिए। दस प्रकार के प्राण ये हैं—

यैवेन्द्रियाणि विविधं कर्त्तव्यं च,

उच्छ्रित्वास्त - निःस्वास्तनपाश्वरानुः ।

प्राणा इतीते जपयन्निवर्त्तान्,

तेषां विद्योजीकरणं तु हिंसा ॥

अर्थात्—'तीर्थंकरों ने प्राण १० प्रकार के कहे हैं—बोर्गेन्द्रिय, बलप्राण, चक्षुरिन्द्रिय बलप्राण, श्राणेन्द्रिय बलप्राण, रसनेन्द्रिय-बलप्राण, स्पर्शनेन्द्रियबलप्राण, मनोबलप्राण, बचनबलप्राण, कायबलप्राण, स्वासोच्छ्वास-बलप्राण और आयुष्य बलप्राण । इन दसों में से किसी का भी वियोग करना हिंसा है ।'

एक बात और स्पष्ट कर दू—प्राणवच शब्द से सिर्फ प्राणों का वियोग या नाश करना अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, अपितु वस प्राणों में से किसी भी प्राण को चोट पहुँचाना, हानि पहुँचाना, पीडा देना, दुबाना, जलाना, दबाना, विकास में रुकावट डालना, आपस में टकराना, कैकना, पीटना, स्वास्त रोक देना, जान से मार डालना, बेहोश कर देना, दुःखित कर देना, हैरान-परेशान करना, भगवान्, यकाना आदि सब प्राणघातक क्रियाएँ प्राणवच के अन्तर्गत आ जाती हैं ।

जे वि करैति पाषा—इस वाक्य से अनात्मवाद का खंडन करके आत्मा की सिद्धि की गई है । क्योंकि जो पापी आत्मा होगी, वही प्राणवचरूप आश्रय में प्रवृत्त होगा । धर्म-निष्ठ आत्मा या पुण्यशाली आत्मा इस आश्रय में प्रवृत्त होने से पहले विचार करेगी । क्योंकि चार्वाक दर्शन यह मानता है, कि शरीर या प्राण आदि जो कुछ भी यहाँ दिखाई देते हैं, वही आत्मा है, इसके सिवाय कोई आत्मा नहीं है । तथा इस शरीर और प्राण के राख हो जाने पर फिर जाना-जाना नहीं होता, वह शरीर या प्राण पचभूतो में ही मिल जाता है । परन्तु आत्मा नामक अलग तत्त्व न होना तो कोई भी व्यक्ति किसी की हिंसा बेसुतके करता और उसे उस पाप के फलस्वरूप नरकादि गतियों में जाने का कोई सतरा नहीं रहता । परन्तु आत्मा शरीरादि से अलग है और वह नित्य है, इसलिए विविध योगियों ने तथा अपने शुभा-शुभ कर्म के फलस्वरूप शुभाशुभ गतियों में जाती है ।

कर्मं हेति—इस वाक्य से बौद्धदर्शन के क्षणिकवाद का खंडन करके जैन दर्शन के कर्मवाद की पुष्टि की गई है । क्योंकि आत्मा क्षण-क्षय में उपलने वाली हो तो पहले क्षण जिसने हिंसा की, वह आत्मा दूसरे क्षण नहीं रहेगी । दूसरे क्षण दूसरी आत्मा बन जाएगी । इसलिए अगर कोई कार्य उस आत्मा ने किया है, तो उसके क्षण-विच्छेदी होने से कृतकर्म के फल का नाश हो जायगा, और जो नहीं किया है, वह उसके गले पड़ जाएगा । इसलिए क्षणिकवाद मानने पर कर्म और उसके फल की व्यवस्था नहीं होवी ।

हिंसा का स्वकर्म

पूर्वोक्त वाया में वर्णनीय विषयों के वर्णन का कर्त्तव्य करके उनका क्रम बताया

पया था । अब क्रमशः प्रत्येक का वर्णन करते हैं । सर्वप्रथम प्राणवध के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

प्राणवहो नाम एस निच्चं जिणेहि भणिओ—पावो चंडो रुदो
खुदो साहसिओ अणारिओ णिग्घणो णिस्संसो महब्भओ पइभओ
अइभओ वीहणओ तासणओ अणज्जो उव्वेयणओ य णिरवयक्खो
णिद्धम्मो णिप्पिवासो णिक्कलुणो णिरयवासगमणनिधणो मोहमह-
ब्भयपयट्टओ मरणविमणस्सो । पढमं अधम्मदारं ॥ सू. १॥

संस्कृतछाया

प्राणवधो नाम एष नित्यं जिनैर्भणितः—पापश्चण्डो रुद्रः क्षुद्रः
साहसिकोऽनायो निर्धुंणो नृशंसो महाभयः प्रतिभयोऽतिभयो भापनकस्त्रासन-
कोऽन्यय्या उद्वेजनकरश्च निरपेक्षो (निरवकाक्षो) निर्धर्मो निर्पिपासो निष्करुणो
निरयवासगमननिधनो मोहमहाभयप्रवर्तकः (प्रकर्षकः प्रवर्द्धक) मरण-
वैमनस्यः । प्रथममधर्मद्वारम् ॥ सू. १॥

पदार्थान्वय—(एस) यह (प्राणवहो नाम) प्राणवध नाम (निच्चं) नित्य
(जिणेहि) जिनेत्रों द्वारा (भणिओ) कहा गया है । वह इस प्रकार है—(पावो) पापरूप,
(चंडो) चण्ड—अतिकोपजनक, (रुदो) रुद्र, (खुदो) क्षुद्र, (साहसिओ) साहस से होने
वाला अथवा सहसा यानी बिना विचारे होने वाला, (अणारिओ) अनार्य—स्तेच्छ आदि
का कार्य (णिग्घणो) घृणारहित, (णिस्संसो) नृशंस-निर्धयतापूर्ण, (महब्भओ) महा-
भयजनक, (पइभओ) प्रत्येक प्राणी को भयप्रदायक, (अइभओ) अतिभयप्रद, (वीहण-
ओ) भय दिखाने वाला, (तासणओ) त्रास—पीड़ा देने वाला, (अणज्जो) अन्याय-
कारी, (उव्वेयणओ य) और उद्वेग—क्षोभ पैदा करने वाला, (णिरवयक्खो) किसी
दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाला, (णिद्धम्मो) धर्मरहित (णिप्पिवासो) ऐसा कुकृत्य,
जिसमें पिपासा शान्त ही न हो, अथवा प्रेम-पिपासा से रहित, (णिक्कलुणो) कृपणारहित,
(निरयवासगमणनिधणो) जिसका अन्तिम परिणाम नरकवास करना ही है, (मोहमह-
ब्भयपयट्टओ) मोहकपी महाभय में प्रवृत्त करने वाला अथवा मोह तथा महाभय को
बढ़ाने वाला और (मरणविमणस्सो) मरण के समय आत्मा को विमना-छिन्न करने वाला
अथवा मरण से आत्मा में हीनता पैदा करने वाला, या मरने वाले जीव के मरण
के साथ वैमनस्य पैदा करने वाला यह (पढमं) पहला (अधम्मदारं) अधर्मद्वार—
आशयद्वार है ।

दूसरा—जिनेन्द्रदेव ने प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप इस प्रकार से

बताया है—यह प्राणवध, १ पापरूप है, २ अत्यन्त क्रोध पैदा करने के कारण चण्ड है, ३ नीचातिनीच लोगों का कृत्य होने से क्षुद्र है, ४ रौद्रध्यान से होने के कारण रूद्र है, ५ अत्यन्त साहस का कार्य होने से अथवा सहसा किये जाने के कारण साहसिक है, ६ म्लेच्छ आदि लोगों का कार्य होने से अनार्य है, ७ इसके करने में पाप से घृणा न होने के कारण निर्घृण है, ८ अमानुषिक कर्म होने के कारण नृशंस है, ९ अत्यन्त भयजनक होने से महाभय है, १० प्रत्येक प्राणी के लिए भयदायक होने से अथवा दूसरों को भय दिखाने वाले के मन में भी प्रतिभय पैदा करने वाला होने से प्रतिभय है, ११ अतिभय जनक होने से अतिभय है, १२ दूसरों के मन में डर बिठाने वाला होने से भयानक-भयोत्पादक भी है, १३ दूसरों को पीड़ित करने, हैरान करने या सताने वाला कृत्य होने से त्रासनक भी है, १४ अन्यायकारी कृत्य होने से अन्याय्य है, १५ उद्वेग—चंचलता पैदा करने वाला होने से उद्वेजनक है, १६ इस क्रिया के करते समय परलोक या दूसरे प्राणियों की या समाज, राष्ट्र आदि की कोई अपेक्षा (परवाह) नहीं की जाती, यह बेखटके की जाती है, इसलिए निरपेक्ष है, १७ इसमें धर्म का नामोनिशान नहीं है, इसलिए निर्धर्म-धर्मरहित है; १८ इस कृत्य के करने में दयारूप पिपासा नहीं होती; इस कृत्य के करने वाले के स्वार्थ की व्यास किसी भी तरह नहीं बुझती, इसलिए निष्पिपास भी है, १९ इस कृत्य के करने में हृदय से करुणा निकल जाती है, इसलिए निष्करुण-करुणारहित है, २० इस कुकृत्य का अन्तिम नतीजा (फल) नरक गमन होने से इसे निरयवासगमननिघन कहा है, २१ मोह-कृत्यसूक्ष्मता और महाभय में प्रवृत्त करने वाला होने से अथवा यह कृत्य कर्त्ता में भ्रूढ़ता व महाभय बढ़ाने वाला होने से मोहमहाभयप्रवर्त्तक या मोहमहाभयप्रवर्द्धक भी है, २२ यह कृत्य वध्य प्राणी के मन में मृत्यु के समय वैमनस्य (वैर) पैदा करने वाला होने से अथवा वधकर्त्ता की आत्मा को मृत्यु के समय विमना-स्निग्ध बना देने वाला होने से या मृत्यु के समय परस्पर वैमनस्य पैदा करने वाला होने से 'मरणवैमनस्य' है।

व्याख्या

इस प्रथम सूत्र में जिनेन्द्रदेव ने विभिन्न पहलुओं और दृष्टिकोणों से प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप बताया है। अब क्रमशः प्रत्येक का विशदरूप से विवेचन करते हैं—

पाप—प्राणवध को 'पाप' इसलिए कहा गया है कि इससे पापकर्म की प्रकृतियों का बन्ध होता है, तथा असत्य, चोरी आदि अनेक पापों का जनक भी है।

चण्ड—इसे चण्ड इसलिए कहा गया है कि यह उग्र क्रोध, उत्कट अभिमान, अस्वस्थ भावा और बेहव लोभ के कारण होता है ।

खद—भयंकर रीढ़ ध्यान हो, तभी यह दुष्कर्म होता है अथवा यह दुष्कर्म रीढ़ (भयंकर) बना देने वाला है, इसलिए 'खद' कहा गया है ।

क्षुद्र—जो रातदिन छल, धोखा द्रोह, मारपीट, कत्ल आदि में लगे रहते हैं, उनकी यह कुकृत्य होने से, अथवा नीचातिनीच कृत्य होने से इसे क्षुद्रकर्म कहा है ।

साहसिक—यह कार्य करने वाला कुछ भी सोचता-विचारता नहीं, और सहसा-एकदम किसी पर दूट पड़ता है या गर्दन पर छुरी चला देता है, अथवा यह कुकृत्य अत्यन्त दुःसाहस का है, इसलिए इसे साहसिक कहा है ।

अनाय—इस कुकर्म के करने में निन्द्य-पाप कार्यों में लगे हुए म्लेच्छ लोग ही प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इसे अनाय कर्म कहा है ।

निर्वृष—इस कृत्य के करने में पाप अर्थात् अधर्म से किसी बात की नफरत नहीं होती, इसलिए इसे निर्वृष कर्म कहा है ।

नृशंस—यह क्रूर कर्म अमानुषिक—मानवता को तिलाञ्जलि देकर किया जाता है, इसलिए इसे नृशंस कर्म भी कहा है ।

महाभय—प्राणिवध से प्राणियों में बड़ा भारी भय व्यक्त हो जाता है, इसलिए इसे 'महाभय' कहा है ।

प्रतिभय—यह ऐसा भयकर कृत्य है कि प्रत्येक प्राणी के दिल में भय पैदा कर देता है । मारने वाले के मन में भी भय बना रहता है, कि कहीं यह अथवा इसके सम्बन्धी जान गये तो मुझ से बदला लिये बिना न रहेगे ; इस दृष्टि से इस कर्म को 'प्रतिभय' कहा है ।

अतिभय—मौत का भय सब भयों से बढ़कर होता है । प्राणिवध मृत्यु के भय का कारण होने से इसे 'अतिभय' भी कहा गया है ।

भयानक—जहाँ प्राणिवध होता है, वहाँ वह सभी प्राणियों को भयभीत कर देता है, अतः इसे 'भयानक' कहा है ।

त्रासनक—प्राणिवध जब किया जाता है तो उसमें वध्य प्राणी को सनाया, मारा-पीटा या हैरान-परेषान किया जाता है, उसे भूखा-न्यासा रखकर पीड़ा भी दी जाती है, इसलिए त्रासजनक होने से इसे 'त्रासनक' भी कहा गया है ।

अन्याय—दूसरे के प्राण लेना या दूसरे के प्राणों को पीडा पहुँचाना अन्याय है । किसी का शोषण करना, उसे थोडा-सा देकर या बिल्कुल न देकर बदले में अत्यधिक काम लेना, जबर्दस्ती किसी का धन या पदार्थ हड़प जाना, छीन लेना, जीवों को सताना, उनकी सुखशान्ति में खलल पहुँचाना, उन्हें किसी भी तरह से दुःखी करना आदि सब अन्याय हैं । इसे यों भी कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी, कि अन्याय की

चित्तनी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वे सब की सब हिंसामयी हैं। अन्याय और प्राणवध दोनों का चोली-दागन-सा अविनाभाव सम्बन्ध है। किसी को भी किसी प्राणी के प्राण लेने या सताने का अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकारब्राह्म कर्म होने के कारण अथवा मानवता, दया, 'जीओ और जीने दो' की भावना आदि न्यायमार्ग के विरुद्ध होने के कारण इसे अन्याय्य-अन्याययुक्त कहा है।

उद्वेजनक—जिस समय प्राणी का वध किया जाता है, उस समय उसके चित्त में क्षोभ पैदा होता है, उसका रोम-रोम काँप उठता है, सारा शरीर सामना करने के लिए चंचल हो उठता है, इसलिए इसे उद्वेजनक-उद्वेगजनक कहा है।

निरपेक्ष—प्राणिवध करने में वधकर्ता को परलोक या दूसरे के प्राण की अपेक्षा—परवाह नहीं रहती, वह समाज और राष्ट्र की भी तथा नीति-नियमों की भी अवहेलना कर देता है; इसलिए इसे निरपेक्ष ठीक ही कहा है।

निर्धर्म—इस क्रिया में श्रुत और चारित्ररूप धर्म अथवा समाज को धारण पोषण करने वाली धर्ममर्यादा का सर्वथा अभाव है। दुर्गति में गिरने से बचाने की क्षमता धर्म में होती है, वह इसमें नहीं है, इसलिए इसे निर्धर्म-धर्मविहीन कहा है।

निष्पिपास—प्रेमरूप पिपासा से चित्त शून्य होने पर ही प्राणिवध किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राणिवध करने से कर्ता की स्वार्थ-पिपासा किसी तरह भी शान्त नहीं होती, इस कारण इसे 'निष्पिपास' कहा है।

निष्करण—इस कृत्य में करुणा का नामोनिशान भी नहीं होना, इसलिए इसे निष्करण कहा है।

निरयवासगमननिघन—प्राणवध का अन्तिम परिणाम नरक का अतिथि बन कर वहाँ चिरकाल तक अवर्णनीय दुःखों का अनुभव करना है, इसलिए कार्य-कारण भाव को लेकर प्राणवध को 'निरयवासगमननिघन' कहा है।

मोहमहाभय प्रवर्तक (प्रवर्द्धक)—इस दुष्कर्म के करने से मोह-मोहनीयकर्म के महाभय में जीव प्रवृत्त होता है या मूढ़ता और महाभय को यह दुष्कर्म बढ़ावा देता है। मतलब यह है, कि इस दुष्कर्म को करने वाले तामसिक जीव के जीवन में अनेक जन्मों तक मूढ़ता छाई रहती है। उसे मोह-मूढ़तावन्न सम्मार्ग नहीं मिलता, दीर्घकाल तक मोहकर्मवश जन्म-मरण करके अनेक गतियों में चक्कर काटना पड़ता है। यह दुष्कर्म जन्ममरणरूप महाभय को बढ़ाता है और बारबार मोह-मूढ़ता में वह प्रवृत्त भी होता रहता है, इसी कारण इसे मोहमहाभयप्रवर्तक (प्रवर्द्धक) कहा है।

मरणवैमनस्य—मृत्यु के समय प्राणिवध अनुप्य को दीन बना देता है। वह मारने वाले से मिड़गिड़ाकर उसके पैरों में पड़ कर प्राणों की भीख मांगता है। इसलिए मृत्यु के समय विमना (दीन) बना देने वाला होने से अथवा मृत्यु के सभ्य

बध्न प्राणी के मन में बधकर्ता के प्रति वैमनस्य (वीरभाव) पैदा करने वाला होने से मथका मृत्यु और परस्पर वैमनस्य का कारण होने से प्राणबध को 'मरणवैमनस्य' कहा है।

पूर्वापर सम्बन्ध—इस सूत्रपाठ से पहले की भाषा में प्राणबध का निरूपण करने के लिए स्वरूप आदि ५ द्वारों का क्रम बताया गया है। उनमें से प्रथम द्वार के रूप में इस सूत्र में प्राणबध के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्राणबध के स्वरूप को बताने के लिए यहाँ प्रायः कार्य-कारण भाव को लेकर २२ पद दिये गये हैं। इनका पूर्वापर सम्बन्ध इस प्रकार है—प्राणबध (हिंसा) पापरूप है, इसलिए क्रोधदि कथायो में उग्रता पैदा होती है, इसके कारण रौद्रता और क्षुद्रता पैदा होती है, और सहसा किसी प्राणी पर वह टूट पड़ता है। ऐसा निन्द्य कर्म अनार्य ही करता है। अनार्य वे हैं, जो हिंसा से ही अपनी जीविका चलाते हैं, जीवों को मार कर उनका मांस आदि बेचते हैं, और ऐसे घृणित पदार्थों का स्वयं सेवन भी करते हैं। आर्य वे हैं, जो हिंसा आदि निन्दनीय और त्याज्य प्रवृत्तियों से दूर ही रहते हैं, अपने सामने हिंसा होने नहीं देते, हिंसा होते देखकर जिनकी आत्मा काप उठती है और जो दया से द्रवित हो उठते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ और आंग भी सुखी होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अनार्यता होती है, वहाँ पाप और परलोक का कोई खटक नहीं होता, और इन्सानियत को ठुकरा कर दिनरात बेखटक अमानुषिक हत्या आदि कुकृत्य किए जाते हैं। यही कारण है, कि प्राणबध प्राणियों में महाभय पैदा कर देता है, यही नहीं; मारने वाले में भी मरने वाले या उसके सम्बन्धियों द्वारा बदला लेने और खुद को मार देने का प्रतिभय भी पैदा करता है। साथ ही मौत का अत्यन्त दारुण भय भी इससे पैदा होता है। मौत के भय का कारण यह है, कि जीवों को मारने से पहले बुरी तरह से सताया, मारा-पीटा या बेचैन किया जाता है, जो अत्यन्त त्रासजनक है, या उन पर अन्याय किया जाता है, जो मारने-पीटने से भी बढकर दुःख है।

प्राणियों पर अन्याय करते समय व्यक्ति यह नहीं सोचता, कि मैं आज मबल होकर दुर्बलो, जरूरत मंदों, लाचारी या मद बुद्धिजनों पर उनकी विवशता का लाभ उठाकर अन्याय कर रहा हूँ, कल दूसरी शक्ति मुझ पर भी हावी होकर यदि इमी सिक्के में भ्रगतान करेगी यानी मुझसे बदला लेगी, मुझ पर अन्याय व जुल्म करेगी, उस समय मेरी क्या दशा होगी? परन्तु अन्यायी व्यक्ति उस समय इस बात से आँखें मूढ़ लेता है, उसके कान इन खरी बातों को सुनने से इन्कार कर देते हैं। वह यह नहीं सोचता कि मेरे ये हिंसाकृत्य प्राणियों के चित्त में उद्वेग पैदा कर देते हैं, मृत्यु के दृश्य से या मृत्यु का नाम सुनने मात्र से उनका हृदय सिहर उठता है। परन्तु अन्यायपरायण व्यक्ति को दूसरों के प्राणों की या भविष्य में दुर्गति में जाने की

कोई चिन्ता नहीं होती। उसे कोई परवाह नहीं रहती कि समाज और राष्ट्र में इसकी क्या प्रतिक्षिया होगी? इसलिए वह धर्मकार्य से कोसों दूर हो जाता है। रात-दिन पाप कार्य में पड़े रहने से उसका हृदय प्राणियों के प्रति प्रेमपिपासा से झुन्ध हो जाता है, अपने स्वार्थ की प्यास भी वह बुझा नहीं पाता। इस प्रकार निर्दय और निष्करण होकर वह हिंसापरायण जीव अन्त में नरक का ही मेहमान बनता है। क्योंकि इस दुष्कर्म के करते रहने से उसकी बुद्धि पर मूढ़ता का पर्दा पड़ जाता है। वह सोच ही नहीं पाता, कि इस दुष्कर्म का फल कितना दारुण और असीम वेदना के रूप में मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए मोहकर्म की वृद्धि होने से वह बार-बार मूढ़ता-वश इस दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है और विविध दुर्गतियों में अपने जन्ममरण के महाभय में वृद्धि करता रहता है। किन्तु जब मौत की घड़ी आती है, उस समय वह अपने किये हुए बुरे कर्मों को याद कर-करके रोता है, दीन-हीन बन जाता है, मिड़-मिड़ाकर प्रभु से प्राणों की याचना करता है, उस समय उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है, उसकी आँसों के आगे अंधेरा छा जाता है, वह बेमन से ही मृत्यु को स्वीकार करता है। परन्तु मूढ़तावश यह अपने द्वारा किन्हीं प्राणियों को मारते समय यह नहीं सोचता कि इन प्राणियों की मृत्यु से इनके सम्बन्धियों में कितना वैमनस्य पैदा होगा और वे मुझसे बदले में पाई-पाई वसूल करेंगे, या ये प्राणी मरते समय अपने मन में मेरे प्रति वैमनस्य (वैरभाव) मजोकर दूसरी योनि में जाकर बदला लेंगे।

इस प्रकार प्राणवध परस्पर अनेक पापक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, और वे क्रियाएँ भी उत्तरोत्तर एक के बाद एक होती चली जाती हैं। इस प्रकार प्राणवध (हिंसा) का स्वरूप समझाने के साथ उसकी भयंकरता, उसका दूरगामी दुष्परिणाम और उसकी परम्परा से वान्तविक सुख की हानि भी बता दी है। अतः इसका स्वरूप समझकर इसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

‘नाम’ और ‘ब’ शब्द—इस सूत्र में ‘नाम’ शब्द जो आया है, वह केवल वाक्य की सुन्दरता बढ़ाने के लिए है और ‘प’ शब्द समुच्चय बोधक है।

हिंसा के पर्यायवाची नाम

पूर्व सूत्र में हिंसा के स्वरूप का वर्णन किया गया था, अब दूसरे नाम द्वार के रूप में उसके समानार्थक नामों का उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य नामाणि इमाणि गोष्णाणि ह्येति तीसं, तं जहा—
१ पाणवहं, २ उम्मूलणा सरीराओ, ३ अवीसंभो, ४ हिंसविहिंसा,
तहा ५ अकिच्चं च, ६ घायणा, ७ मारणा य, ८ वहणा,

६ उद्बन्धा, १० तिवायणा य, ११ आरंभसमारंभो, १२ आउय-
कम्मस्सुबद्दो भेयणिट्टवणगालणा य संबट्टगसंखेवो, १३ मच्चू,
१४ असंजमो, १५ कडगमह्णं, १६ वोरमह्णं, १७ परभवसंकाम-
कारओ, १८ दुग्गतिप्पवाओ, १९ पावकोवो य, २० पावलोभो,
२१ छविच्छेओ, २२ जीवियंतकरणो, २३ भयंकरो, २४ अणकरो,
२५ वज्जो,^१ २६ परितावण -अण्हओ, २७ विणासो, २८
निज्जवणा,^२ २९ लुंपणा, ३० गुणाणं विराहण त्ति वि य तस्स
एवमादीणि णामधेज्जाणि होंति तीसं पाणवहस्स कलुसस्स कडुय-
फलदेसगाइं ॥ सू० २॥

संस्कृत-छाया

तस्य च नामानि इमानि गौणानि भवन्ति त्रिंशत्, तद्यथा—१ प्राण-
वधः, २ उन्मूलना शरीराद्, ३ अविध्मः, ४ हिंसाविहिंसा (हिस्यविहिंसा,
हिंसाविहिंसा) तथा ५ अकृत्यं च, ६ घातना, ७ मारणा च, ८ वधना,
९ उपद्रवणा (अपद्रवणा), १० त्रिपातना च, ११ आरम्भ-समारम्भः,
१२ आयुःकर्षणः उपद्रवो भेवनिष्ठापनगालनाश्च संवत्संक्षेपः, १३ मृत्युः,
१४ असयमः, १५ कटगमर्दनं, १६ व्युपरमणं, १७ परभवसंक्रमकारकः,
१८ दुर्गतिप्रपातः, १९ पापकोपश्च, २० पापलोभ, २१ छविच्छेवः,
२२ जीवितान्तकरणः, २३ भयकरः, २४ ऋणकरश्च, २५ वज्रः (वर्जः),
२६ परितापनास्मवः, २७ विनाशः, २८ निर्यापना, २९ लोपना, ३० गुणानां
विराधनैत्यपि च तस्यैवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिंशत् प्राणवधस्य
कलुषस्य कटुकफलवेशकानि ॥सू० २॥

पदार्थान्वय—(तस्स च) और उस प्राणवध के, (गौणानि) गुणनिष्पन्न,
(इमानि) ये, (तीसं) तीस, (नामानि) नाम, (होंति) होते हैं। (तंजहा) वे इस
प्रकार हैं—(पाणवहं) प्राणों का वध, (शरीराओ उन्मूलणा) शरीर से उन्मूलन कर
देना—उखाड़ डालना, (अवोसंभो) अविश्वास, (हिसविहिंसा) हिंस्य जीवो या हिंस
प्राणियों की विशेष रूप से हिंसा करना, (तहा अकिच्चं च) इसी प्रकार हिंस्य (वध्य)
जीवों के प्रति अकृत्य-बुरा कार्य, (घायणा) घात करना, (मारणा च) और मारना,

१ 'सावज्जो' पाठ भी कही-कहीं मिलता है।

२ कहीं-कहीं 'निज्जवणो' पाठ भी है।

(बहुधा) वध करना, (बहुवधा) उपद्रव करना, (सिद्धावधा य) मग्न, बचन और काया इन तीनों द्वारा प्राणों का अतिपात-पृथक् करना, (आरम्भ-समारम्भ) आरम्भ से जीवों का विघात करना, (आयुःकर्मस्त्वुबहवो ज्येतिह्यवनासया व संवहृतसंक्षेपो) आयुष्य कर्म का विच्छेद करना, आयु का भेदन करना, आयुष्य की समाप्ति करना या गला देना तथा संवर्तक (प्राणवायु-व्यासोच्छ्वास) का संक्षेप-ह्रास कर देना—दम घोट देना, (मृत्सु) मृत्यु, (असंजयो) असंयम, (कडगमहृणं) सेना से जीवों का मर्दन करना, कुबल डालना, (शोरमर्षं) प्राणों से जीव का पृथक् करना, (परभवसंकामकारजो) जीव को परभव (दूसरे जन्म) में संक्रमण-गमन कराने वाला, (दुर्गतिष्पदाओ) दुर्गति में गिराने वाला, (पावकोवो य) अत्यन्त पापकर्म का जनक कोप, (पावसोभो) पाप कर्म का जनक उत्कट लोभ, (उविच्छेओ) शरीर के अंगोपाणों का छेदन करने वाला, (जीवियंतकरजो) जीवन का अन्त करने वाला, (भयंकरो) भयंकर, (जयंकरो य) पापकर्म रूप श्रृण का कर्ता, (वज्जो) वज्र के समान कठोर अथवा वर्जनीय (निष्पिड), अथवा 'सावज्जो' पाठान्तर के अनुसार सावज्ज पापमुक्त, (परितावज्ज अज्जो) परिताप (पीड़ा) देने वाला आश्रव, (विनासो) विनाश, (निज्जवध्ना) प्राणों के वियोग का हेतु अथवा जीवन-यापन से रहित करने वाला, अथवा 'निष्कवधो' पाठान्तर के अनुसार शुभध्यान से रहित करने वाला, (धु'पया) प्राणों का लोप (ज्ञात्या) करने वाला, (गुणाणं विराहणसि विध) और गुणों की विराधना-नाश भी है। (एववादीणि) इत्यादि रूप से, (तस्स) उस, (कसुसस्स) कसुवता पंदा करने वाले, (पावबहस्स) प्राणवध के, (तीसं नामवेज्जाणि) तीस नाम, (होति) होते हैं; (कडुपल्लवेसगाहं) जो कटुफल देने वाले हैं।

मूलार्थ—प्राणवध (हिंसा) नामक आश्रव के तीस गुणनिष्पन्न (सार्थक) नाम हैं, वे इस प्रकार हैं—१ प्राणवध, २ शरीर से प्राणों का उन्मूलन, ३ अविश्वास, ४ हिंस्य जीवों की विहिंसा, ५ अकृत्य-कुकर्म, ६ घात, ७ मारण, ८ वध, ९ उपद्रव १० त्रिपातन—मन-वचन-काया द्वारा प्राणों का अतिपात—वियोग, ११ आरम्भ-समारम्भ १२ आयुःकर्मविच्छेद, आयुष्यभेदन-समाप्ति-नाशन तथा संवर्तकसंक्षेप—प्राणवायु का ह्रास करना—दम घोटना, १३ मृत्यु, १४ असंयम, १५ सेना से जीवों का मर्दन, १६ प्राणों से जीव का पृथक्करण, १७ परभव-गमनकारक, १८ दुर्गति में गिराने वाला, १९ उत्कट पापजनक कोप, २० उत्कट पापजनक लोभ २१ अंगोपांगविच्छेद, २२ जीवन का अन्त करने वाला, २३ भयंकर, २४ पापरूप श्रृण का कर्ता, २५ वज्र के समान कठोर अथवा वर्जनीय या सावज्जकर्म, २६ परितारूप आश्रव, २७ विनाश २८ प्राणवियोग का कारण या जीवनयापन से रहित करने वाला, अथवा शुभध्यान से रहित करने वाला २९ प्राणों का लोप करने वाला या प्राणों का क्षुटेरा, और

३० क्षमा, दया, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय गुणों का विराधक—नाशक इत्यादि। इस प्रकार जीवन में कलुषता पैदा करने वाले प्राणवध नामक आश्रय के ये तीस नाम हैं, जो कड़वे फल देने वाले हैं।

व्याख्या

इस सूत्र में प्राणवध (हिंसा) के अपने नाम को सार्धक करने वाले और हिंसा के वास्तविक अवगुणों को बताने वाले ३० नाम बताये गये हैं। गौण शब्द से एक वर्ष यह भी द्योतित होता है कि ये सब नाम तो गौण हैं, मुख्य नाम तो प्राणवध या हिंसा है।

कलुष—प्राणवध वास्तव में जीवन को काला कर देता है, हृदय में सदा ही यह कलुषित भाव पैदा करता रहता है, इसके कारण चित्त में कभी शुद्ध या शुभ भाव पैदा नहीं होते। यह आतंघ्यान और रौद्रध्यान के ही भवरजाल में रात-दिन फसाता रहता है, इससे शुद्धभावना का मन में पैदा होना दुष्कर है। इसलिए प्राणवध को कलुष कहा गया है।

कटुकफलवैशक—प्राणवध (हिंसा) के ये तीसों ही नाम पापकर्म के बन्धन के कारण हैं, और पापकर्म का फल सदा कड़वा ही होता है, इसका फल कभी मीठा नहीं होता। वह भोगते समय सदैव बड़ा ही अशुचिकर, ग्लानिकारक और दुःखदायक लगता है। इसलिए इन तीसों को ही शास्त्रकार ने कड़वे फल देने वाले या कटुकफल की ओर ले जाने वाले—दुर्गति में ले जाने वाले कहे हैं। केवल परलोक में ही नहीं, इस लोक में भी प्राणवध से अनेक शारीरिक रोग, मानसिक शोक, सताप तथा इष्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग का दुःख मिलता है। इसके अतिरिक्त समाज या मृत प्राणी के परिवार में भी प्राणवध की प्रतिक्रिया तीव्ररूप में होती है, कई बार तो मारने वाले को भी ऐसा मारा-पीटा जाता है कि उसे छटी का दूध याद आ जाता है, कई दफा तो हत्यारे को लोग जान से भी मार डालते हैं। सरकार को पता लग जाने पर उसे जेल में तरह-तरह की यातनाएँ देने के अलावा आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाती है। समाज ऐसे हत्यारे को कभी अच्छी निगाहों से नहीं देखता, उसे सदा निन्दनीय समझा जाता है, समाज में उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। इस प्रकार वह सदा अपमानित जीवन व्यतीत करता है। ये सब प्राणवध के या इसी प्रकार के क्रूरकृत्य के कड़वे फल नहीं, तो और क्या है? यही कारण है, कि प्राणवध या इसके समान प्रवृत्ति के द्योतक जितने भी नाम हैं, वे सब हिंसक को कड़वे फल चखाते हैं।

१—प्राणवध—अज्ञान और मोह में अन्धे होकर किसी भी प्राणी के प्राणों का घात करना प्राणवध है। पाच इन्द्रियाँ, मनोबल, बचनबल, कायबल, आयु श्वासोच्छ्वास, इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण को चोट पहुँचाना, सताना, पीडा देना, काटना, पीटना या बिलकुल नष्ट कर देना प्राणवध है। फिर वह प्राणवध किसी भी प्रयोजन

से क्यों न किया गया हो, हिंसा ही है। कई लोग अपने लिए पुत्र, धन, साधन आदि की प्राप्ति की कामनाबन्ध निरापराध मूक प्राणियों के प्राण हरण कर लेते हैं। वे बों कहा करते हैं, कि हमने जिस प्राणी को काली, चण्डी, दुर्गा आदि देवी के धारे चढ़ा दिया, उसे देवी माता स्वर्ग में पहुँचा देगी। जो जगज्जननी माता है, वह मनुष्य के समान बकरे आदि पशुओं की भी माता है। क्या माता अपने ही पुत्रों का भक्षण करेगी ? या अपने सामने उसका बध होते हुए देखेगी ? और फिर दूसरे प्राणियों को मार कर या दुःखी करके पुत्रादि सुख की कामना कैसे फलीभूत हो सकती है ? पर अज्ञान, मोह और स्वार्थ के बग देवी-देवों के नाम पर यह प्राणिबध संसार में भयकररूप से चल रहा है।

२-शरीर से उन्मूलन—जैसे वृक्ष को जड़ से उखाड़ा जाता है, वैसे ही शरीर से जीव को उखाड़ डालना उन्मूलन है। वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालने पर वह कभी फलताफूलता नहीं, उसके सब अंग सूखकर क्षय हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर से जीव को उखाड़ने-निकालने पर उसके अंगोपांग भी अपने आप क्षय हो जाते हैं, इन्द्रियाँ, मन, बचन और शरीर आदि सब निश्चेष्ट और निर्जीव होकर पड़ जाते हैं। वे फिर कदापि फलते-फूलते नहीं।

कई लोग कहा करते हैं, कि आत्मा तो अजर-अमर, अविनाशी और शाश्वत है, उसे शरीर से अलग करने में कौन-सा नुकसान प्राणी को हुआ ? इसके उत्तर में ज्ञानी पुरुषों का कहना है, कि प्रत्येक प्राणी को शरीर और शरीर के आश्रित इन्द्रिय, मन, बचन, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य आदि पर ममत्त्व है, उसके शरीर के साथ वह आत्मा बधी हुई होने से उसके छूटने का तथा उससे छूटने से होने वाली भयंकर हानि (धर्मपालन, परोपकार, पुण्यादि कार्य आदि कुछ भी न होने की हानि) का अत्यन्त दुःख होता है। यह दुःख उस प्राणी को वैसे ही होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कमाये हुए धन को कोई जबरन छीन-झपट या चुरा कर ले जाय तब होता है।

इसीलिए शरीर से जीव का उन्मूलन दूसरों के लिए अत्यन्त हानिकारक होने से वर्जनीय है और वह पाप है।

३-अविश्रम्भ-अविश्वास—हिंसा करने वाला जीवों के लिए अविश्वासनीय होता है। उसका कोई भी विश्वास नहीं, कि वह कब किसी को मार बैठे, आ दबोचे या अनिष्ट कर डाले। जैसे चूहे बिल्ली का कदापि विश्वास नहीं करते, कि इसके पास जाने पर यह हमें प्यार से पुचकारेगी या मारेगी नहीं, वैसे ही संसार में हिंसक प्राणी के प्रति मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी विश्वास नहीं करता। हिंसक की आकृति से ही प्राणी पहिचान लेते हैं और उसके पास जाने से हिचकते हैं। इसलिए हिंसक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली हिंसा प्राणियों में अविश्वास, संका, भय और संकोच पैदा करने वाली होने से इसे अविश्रम्भ या अविश्वास कहा गया है। वास्तव में अहिंसक

सबका विश्वासपात्र होता है, उसकी मरण में आकर बैठने में किसी को आसंका या भीति नहीं होती; जबकि हिंसक से सभी प्राणी भयभीत, शंकाकुल और अविश्वासी रहते हैं। इसलिए अहिंसा विश्वास का और हिंसा अविश्वास का कारण है।

४—हिंस्यविहिंसा-हिंसाविहिंसा—जिनकी हिंसा की जाती है, वे हिंस्य जीव कहलाते हैं, उनकी विशेष हिंसा करना यानी उन्हें बार-बार सताना, पीड़ा देना 'हिंस्यविहिंसा' है। इसी का एक रूप बनता है—'हिंस्रविहिंसा'। जिसका अर्थ होता है—जो हिंस्र जीव हैं, हिंसक जीव हैं, उनकी विशेष प्रकार से हिंसा करना। इसी का तीसरा रूप होता है—'हिंसाविहिंसा' ; जिसका अर्थ होता है—हिंसा पर हिंसा करना ; पुनः-पुनः हिंसा करना।

पहले रूप पर विचार किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है, कि संसार में कोई भी प्राणी हिंस्य नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा बध करने योग्य नहीं है। किसी को क्या अधिकार है, कि किसी का प्राण-हरण करे या किसी के शरीर का नाश करे ? सभी प्राणी अपने आप में स्वतंत्र हैं। वे अपने ही आयुष्यबल से जीते हैं और अपने आयुष्यबल के नष्ट हो जाने पर मर जाते हैं। वे अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार योनि, शरीर, प्राण आदि प्राप्त करते हैं, और उन्हें प्राणप्रण से बचाने और सुख देने की कोशिश करते हैं। किसी को उनके इस कार्य में खलल पहुँचाने का हक नहीं। इसलिए किसी दूसरे प्राणी को हिंस्य मानकर उसकी विशेष प्रकार से हिंसा करना प्राणिवध ही है। कई लोग यों कहा करते हैं, कि ये बकरे या मछलियाँ आदि जन्तु तो मनुष्य के खाने के लिए ही हैं, ये मँड़क तो बरसात के बाद यों ही खत्म हो जायेंगे, इन्हें मारकर खाने में कौन-सा पाप है ? अगर बकरों आदि को नहीं खाया जायेगा, तो ये बढ़ते ही जायेंगे, इन्हें पालना-पोसना और रखना भी दूभर हो जाएगा। परन्तु उन महाशयों से कोई पूछे कि सिंह यदि यह कहे कि ये मनुष्य तो हमारे खाने के लिए ही हैं, तो क्या इसे पसंद करेंगे ? तब तो कहेंगे, कि वह क्या समझता है ? समझदारी के ठेकेदार मांसभक्षी मानव जब दूसरे प्राणी को जिला नहीं सकते, तब उन्हें क्या अधिकार है उन्हें मारने का ? किन्तु ऐसे हठाग्रही कब मानते हैं। वे तो उन पशुओं या जलचरों को अपना भक्ष्य मानकर उन्हें तेल की कड़ाही में तल कर या आग में भूनकर विशेष प्रकार से हिंसा करते हैं। कई जगह भंभी लोग मूलरों को पालते हैं और उन्हें ज्यों के त्यों जीवित ही आग की लपटों में झोंक देते हैं। उनकी कृपण चित्कार से उनका दिल जरा भी द्रवित नहीं होता। कहने पर वे उत्तर देते हैं, ये तो इसी प्रकार से भूनकर खाने के लिए हैं। इसी को कहते हैं—हिंस्य की विशेष प्रकार से—धुरी तरह से हिंसा करना। इस निर्दयता की कोई हथ है ! इसके दूसरे रूप का अर्थ हिंस्र अर्थात् हिंसक प्राणियों की विशेष प्रकार से हिंसा करना होता है। कई लोग यों कहते हैं, कि हथ बकरे, मछली, सूअर, भृग आदि निर्दोष

प्राणियों को नहीं मारते, हम तो उन्हें मारते हैं, जो मनुष्यों और पशुओं के लिए हानिकारक हैं, या जो उन्हें मार डालते हैं। ऐसे हिंसक जीवों—सिंह, सर्प, व्याघ्र, आदि को मारने में कौन-सा पाप है ? हम तो उन सिंहादि क्रूर प्राणियों को मारकर मनुष्य की रक्षा या सेवा करते हैं। उनसे पूछा जाए, कि यदि हिंसक कहलाने वाले जीव मार डालने योग्य हैं, तब तो आप भी मार डालने योग्य हैं, क्योंकि आप भी उन सिंहादि जीवों कि हिंसा करने के कारण हिंसक ठहरते हैं। वे यह नहीं सोचते, कि इन सिंह आदि हिंसक कहलाने वाले जीवों ने पूर्व जन्म में कृत हिंसा आदि पापकर्मों के कारण ही ऐसी निन्दनीय योनि पाई है, कि वे हिंसा-अहिंसा का विचार नहीं करते। परन्तु हम तो विचारवान हैं, हिंसा-अहिंसा को समझने वाले हैं, हम उत्तम मानवयोनि पाकर भी ऐसे निन्दनीय कर्म इस योनि में करेंगे, तो हमें भी भविष्य में सिंहादि की योनि ही मिलेगी। परन्तु वे ऐसा विचार कतई नहीं करते, बल्कि सिंह आदि अन्य जन्तुओं को विशेष तरीके से घेर कर मारते हैं, इस कारण प्राणिवध का एक नाम हिंसविहिंसा भी है।

इसके तीसरे रूप का अर्थ—हिंसा पर हिंसा करना होता है। यानी किसी ने किसी पर प्रहार किया तो उस पर उसकी हत्या कर देना हिंसाविहिंसा है। कई लोग कहते हैं—'जो हमारी हिंसा करता है, उसका जबाब हिंसा से देना तो नीति है।' परन्तु वास्तव में यह धर्मलक्षी नीति नहीं है। यह तो घातक नीति है। 'शठे शार्द्व्यं समाचरेन्' हम घातक नीति से कभी सुख और शान्ति नहीं बढ़ती। इससे तो हिंसा-प्रतिहिंसा की ही परम्परा बढ़ती है। हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिहिंसा उसमें भी भयकर होती है। इसलिए हिंसा के बदले में जिन्होंने प्रेम किया, वे ही जगद्वन्द्व बने हैं, उनसे ही सुखशान्ति की समस्या हल हुई है। परन्तु जिन्होंने हिंसा के बदले में प्रतिहिंसा की उन्होंने जगत् में वैर को बढ़ाया। इसीलिए हिंसा-विहिंसा पापरूप है।

इसका अर्थ हिंसा की विहिंसा किया जाय तो प्रश्न होता है, कि हिंसा तो अपने आप में मूर्तरूप (रूपी) न होने से उसकी क्या हिंसा हो सकती है ? इसके उत्तर में जानीपुरुष कहते हैं, कि यहाँ आशय यही है, कि हिंसा से होने वाली आत्महिंसा भी विहिंसा है। इस प्रकार 'हिंसाविहिंसा' शब्द संगत अर्थ का सूचक है।

५-अकृत्य—संसार में जितने भी कुकृत्य हैं, उन सबमें प्रधान कुकृत्य हिंसा है—प्राणिवध है, इसलिए इसे 'अकृत्य' कहा गया है। इसी प्रकार जितने भी कुकृत्य हैं, उन सब में हिंसा छिपी हुई है।

६-घातना—किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाना, टक्कर लगाना, उठते-बैठते, चलते-फिरते, किसी चीज को उठाते-रखते असावधानी से किसी जीव को कुचल देना, उसके प्राणों को हानि पहुँचाना, घात करना है। यह भी हिंसा की बहिन है।

७-मारणा—मारपीट करना, लात-धूसे मारना, कौड़ो से, लाठी से, चाबुक से किसी पशु या मनुष्य पर प्रहार करना 'मारणा' है। अथवा किसी भी तरह अपनी असावधानी से जीवों का घात करना भी मारणा है।

८-वधना—किसी प्राणी के प्राणों को पीडा पहुँचाना वध है अथवा अपनी जिह्वालोलुपतावश या क्षणिक सुख के लिए बेचारे निरपराध प्राणियों का हनन करना, धर्म के नाम से या देवीदेवों की भक्ति के नाम पर पशुओं का बलिदान करना, अपने मौजमौक, वस्त्र या चमड़े की चीजों के लिए मूक पशुओं की हिंसा करना भी वध है। अपनी उदरपूर्ति के लिए निदोष अन्न-फल आदि पदार्थों को छोड़कर अपवित्र मांस, मत्स्य आदि का सेवन करने के लिए निदोष पशुओं का वध करना या वध को प्रोत्साहन देना भी वध है।

९-उपद्रवणा—वन में आग लगाकर या शौक के लिए अथवा कुतूहलवश भैसे, मुर्गे, साड आदि को परस्पर लडाना उपद्रव है। ऐसे उपद्रव प्राणियों के लिए पीडा के कारण होते हैं, इसलिए ये प्राणिवध के समान ही है। अथवा कही आग लगाना, दगा-फिसाद करना या पत्थरबाजी करना या आपस में लाठी शस्त्र आदि से लडना इत्यादि सब उपद्रव हैं, ये भी हिंसा के भाई हैं।

१०-त्रिपातना या निपातना—किसी जीव के मन, वचन और काया का अतिपात—वियोग करना अथवा आयु, शरीर और प्राणों में वियुक्त—पृथक् कर देना त्रिपातना है। अथवा मन, वचन, काया के द्वारा प्राणों को जीव से पृथक् कर देना निपातना है। मन, वचन, काया, इन्द्रिय आदि सब प्राण के ही प्रकार हैं, इसलिए निपातना प्राणवध की ही सहोदरी बहन है।

११-आरम्भ-समारम्भ—मकान बनाना, खेती करना, कारखाना चलाना, उद्योग-धधा करना, व्यापार करना या रसोई बनाना आदि छोटे-बड़े अनेक कार्यों में स्थावर जीवों की हिंसा होती ही है, कई बार तस जीवों की भी हिंसा होती है। इसे शास्त्रीय परिभाषा में आरम्भ कहते हैं, ऐसे किसी भी आरम्भ से होने वाला समारम्भ—जीवविघात आरम्भ-समारम्भ कहलाता है। आरम्भ-समारम्भ भी प्राणिवध का कारण होने से उसका पर्यायवाची बताया गया है।

कोई कह सकता है, कि आरम्भ-समारम्भ के बिना तो गृहस्थ जीवन में एक दिन भी चलना कठिन है, फिर गृहस्थ तो हिंसा से बिलकुल छूट नहीं सकता? हाँ, यह ठीक है, कि आरम्भ के बिना गृहस्थ की गाडी नहीं चल सकती। लेकिन उसके लिए शास्त्रकारों ने उसकी सीमा बताई है। गृहस्थ से आरम्भजा हिंसा संबंधा छूट नहीं सकती। परन्तु अल्प-आरम्भ से गृहस्थ अपना जीवन यापन करता है। वह महारम्भ (अनाप-सनाप आरम्भ या ऐसे आरम्भ के कार्यों का ठेका या व्यवसाय) नहीं कर सकता। तत्त्वार्थसूत्र में बताया है—'बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः' महारम्भ

और महापरिग्रह नरकाम्यु के बंध का कारण है। इसलिए महाव्रती साधु तो आरम्भ से सर्वथा मुक्त होता है, जबकि गृहस्थ-श्रावक अल्पारम्भी होता है। परन्तु लक्ष्य और मनोरथ तो श्रावक का भी एक दिन उस आरम्भ से भी सर्वथा मुक्त होने का होता है। आखिर आरम्भ हिंसा का कारण तो है ही।

१२—आयुधकर्म का उपद्रव-भेदन-निष्ठापन-गालन और सर्वतक संक्षेप—आयुष्य कर्म को विष, शस्त्र आदि से उपद्रवित कर देना, (सकट में डाल देना) भिन्न कर देना (टुकड़े-टुकड़े करके अलग कर देना), समाप्त कर देना, गला देना तथा प्वासोच्छ्वास (प्राणवायु) का ह्लास कर देना—दम घोट देना भी प्राणवध है। इसलिए इन सबको प्राणवध के पारिवारिक बताए हैं, यह उचित ही है।

कई लोग यहाँ शका उठाते हैं, कि आयुष्य कर्म तो जितना बंधा हुआ है, उसे उतने समय तक भोगना ही पडेगा, यानी उतने काल तक वह उस शरीर में रहेगा ही, फिर आयुष्य के तोडने, समाप्त करने या क्षीण करने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है? जानीपुरुष इसका समाधान यो करते हैं, कि आयुष्य कर्म एक बार बंध जाने पर भी सोपकर्मों आयुष्य निमित्तविशेष से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, निरुपकर्मों नहीं टूटता। निरुपकर्मों आयु नारकी, देव, चरमशरीरी या तीर्थंकर जैसे महापुरुषों की होती है। इसलिए जो आयुष्य बंधा हुआ है, उसे अकाल में ही किसी प्रकार के उपद्रव से सकट में डाल कर नष्ट कर देना, अकाल में ही आयुष्य को क्षीण कर देना, या तलवार आदि शस्त्र से न मार कर निर्वातस्थान में बद करके दम घोट कर मार डालना, बिजली के करंट आदि से खत्म कर देना, आयु कर्म का उपद्रव, भेदन-गालन-निष्ठापन-सर्वतक-संक्षेप आदि है, और ये सब प्राणवध के ही अगोपांग हैं, इसलिए प्राणवध के समानार्थक बतलाए गए हैं। सर्वतक-संक्षेपक का एक अर्थ सर्वबल, सामर्थ्य, शक्ति आदि का ह्लास कर देना—क्षीण कर देना भी किया गया है। किसी की ताकत को खत्म करने के लिए भूखे-प्यासे रखना, जहर देना, रोगी बना देना, कौडो बर्गरह से मारपीट करना आदि उपाय बहुत से निर्दयी व्यक्ति अजमाते हैं। अतः ये सब हिंसा के ही प्रकार हैं।

तीस सख्या की पूर्ति के लिए शास्त्रकार ने इन सब समानार्थक शब्दों को एकत्र करके सबका यह एक नाम रख दिया है।

१३—मृत्यु—किसी को जान से मार डालना, जीवन से रहित कर देना या परलोक पहुँचा देना मृत्यु है। मृत्यु जैसे तो एक न एक बिन प्रत्येक प्राणी की होती ही है, परन्तु उस स्वाभाविक मृत्यु के अतिरिक्त किन्हीं हिंसाजनक साधनों से किसी प्राणी की मृत्यु में निमित्त बनने अथवा उसे मरणशरण कर देने, काल के मुँह में पहुँचा देने वाली मौत हिंसा का परिणाम होने से प्राणिवध की पर्यायवाची बनती है। इसलिए मृत्यु को भी प्राणिवध के समकक्ष बताया है। मौत के नाम से भी प्राणी

कापते हैं, तो उस मृत्यु को साक्षात् ला देना या मार डालने का भय दिखाना कितना बयंकर और दुःखजनक होता है।

१४—असंयम—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इन्द्रिय, श्रोत्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय इन सभी प्रकार के स्थावर और त्रस जीवों के साथ यतना, सावधानी या विवेकपूर्वक व्यवहार न करने से या स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवों के शरीर (मिट्टी, पानी, हवा अग्नि और वनस्पति) का अनावश्यक, निरर्थक एवं अनाप-सनाप, बेमर्यादा और बेखटके उपयोग करने से प्राणिवध रूप असंयम होता है। यानी इन पर समय न रखना प्राणिवध का कारण होने से असंयम को भी प्राणिवध का पर्यायवाची कहा गया है। अथवा दूसरी तरह से असंयम का यों भी अर्थ हो सकता है, कि शरीर, मन, वचन, प्राण, इन्द्रिय आदि को व्रत, नियम, तप, जप, त्याग, प्रत्याख्यान, सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय, धर्माचरण या धर्मक्रिया आदि में न लगाए रखने से ये सब खुले (अनियंत्रित) होकर बेखटके हिंसाजन्य प्रवृत्ति करते हैं, वही असंयम है। इस प्रकार असंयम हिंसा का जनक होने से इसे भी प्राणिवध का भाई मान लिया गया।

एक व्यक्ति किसी समय हिंसा नहीं कर रहा है, बगुले की तरह निश्चेष्ट है, अपनी इन्द्रियों और मन को निश्चेष्ट बनाकर बैठा है, अथवा शोकमग्न या रुग्ण आदि होने के कारण घर में बैठा है, किन्तु उसने संकल्पी हिंसा करने का त्याग नहीं किया है, हिंसा से विरत नहीं हुआ है, तो उसे हिंसा का पाप लगता रहेगा। इस दृष्टि से असंयम का अर्थ हिंसा से अविरति भी होता है।

१५—कटकमर्दन—सेना लेकर आक्रमण करके जीवों का मर्दन करना, कुचल डालना या रौद डालना अथवा मसल डालना कटकमर्दन है। अथवा युद्ध में शोक कर या लड़ाकर उनका चकनाचूर करा देना भी कटकमर्दन कहलाता है। कई बार राष्ट्रों के राष्ट्रायक अपने विजेता बनने के नशे में अथवा अपनी राज्यवृद्धि की निम्ना के कारण या सत्ता को टिकाए रखने के लिए अनावश्यक और अकारण ही दूसरे देश पर चढ़ाई कर देते हैं और अपनी उस स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्दोष मना को अपरिमित संख्या में शोक देते हैं। निर्दोष सेना मारी जाती है या वह उन राष्ट्रायकों का आदेश पाकर निर्दोष प्रजा को भी कुचलने, लूटने, आग लगाने पर उतारू हो जाती है, वहाँ की बहन-बेटियों के साथ जबरन बलात्कार करके उन्हें मीन के मुँह में धकेल देती है, यह महार्हासा कटकमर्दन ही है। वैसे भी देखा जाय तो युद्ध में असंख्य प्राणियों का वध होना है। इसीलिए पंचमहाव्रती माधु इससे मर्बथा दूर रहते हैं। व्रतधारी श्रावक यदि शासक हो और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, विवश होकर उसे शत्रुशासक के साथ युद्ध करना ही पड़े तो वह वहाँ तक हो सके उसे टालने का यत्न करता है, निरुपाय हो जाने पर ही

वह मुक्त करता है। फिर भी उसमें पर्यायित हिंसा तो होती ही है। इसलिए कटक-मर्दन को प्राणिवध का पर्यायवाची कहा गया है।

१६-व्युपरमण—प्राणों से उपरत करना—रहित करना व्युपरमण है। यह भी प्राणवध का ही भाई है।

१७-परभव संक्रामकारक—परभव—दूसरे जन्म में पहुँचाने वाला पर-भवसंक्रमणकारक कहलाता है। प्राणों का नाश करने या होने पर ही जीव इस भव को छोड़कर परभव में गमन करता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपना जमाजमाया घर छोड़ा कर दूसरे नये घर में जाने को विवश कर देने पर उसे अत्यन्त दुःख होता है, क्योंकि उसे नये घर में जाने के लिए पहले तो नया घर बनाना या बूँडना पड़ेगा, उसके बाद सारा सामान उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी प्राणी को इहभव रूपी घर को छोड़कर परभवरूपी नवगृह में जाने से मोह-ममत्ववश अत्यन्त दुःख होता है, और यह परभव पहुँचाना भी प्राणी के प्राणों को बुरी तरह से नष्ट करने या मारने पर ही होता है। इसलिए अत्यन्त दुःखकारक होने से परभवसंक्रामकारक को भी प्राणवध के समान कहा गया है।

१८-दुर्गतिप्रपात—दुर्गति—नरक तिर्यञ्चरूप दुष्टगति के बूँडे में गिराने वाला होने से प्राणवध को दुर्गतिप्रपात कहा गया है। कई धर्मग्रन्थ लोग यह कहते हैं, कि यज्ञ में पशुओं का होमना—वध करना हिंसा नहीं है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' इस धर्मग्रन्थ को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यह हिंसा हिंसा ही नहीं, तो हमें दुर्गति क्यों मिलेगी ? परन्तु हिंसा, चाहे वह वैदिकी हो या अवैदिकी, वह तो परप्राणिवध-रूप होती है, इसलिए दुर्गति का कारण अवश्य होगी। जिसमें धर्म के नाम पर भील-भाले लोगों को अमुक स्वार्थ का प्रलोभन देकर निर्दोष-निरपराध पशुओं का वध तो साधारण हिंसा से भी बढकर है। अतः हिंसा दुर्गतिपात का कारण होने से दुर्गति-प्रपात को इसका पर्यायवाची बताया गया।

१९-पापकोप—पाप को प्रकुपित करने या उत्तेजित करने वाला पापकोप है। हिंसा भी पाप को उत्तेजित करने—बढ़ावा देने वाली होती है, इसलिए इसका नाम पापकोप ठीक ही रखा है। अथवा प्राणिवध के पापरूप होने से और कोपकारी होने से दोनों को मिलाकर इसका नाम पापकोप रखा गया है।

२०-पापलोभ या पापल—जो प्राणी को पाप में सुब्ध कर देता है, पाप में रचापचा देता है, वह पापलोभ है। प्राणिवध आत्मा को पाप में सुब्ध करा देने वाला अथवा लोभी बना देने वाला होने से इसका पापलोभ नाम यथार्थ दिया गया है। अथवा पाप यानी अपुण्य को प्राणी के साथ चिपकाने वाला होने से भी इसे पापलोभ ठीक ही कहा गया है। वास्तव में प्राणिवध बधकर्ता को पापकर्म से संश्लिष्ट कर

वेता है। अथवा पापंरूप उत्कट लोभ का कारण होने से भी प्राणिवध का एक नाम 'पापलोभ' भी हो सकता है। कहा भी है—'लोभ पाप का बाप बलाना'। घन के उत्कृष्ट शोभी घन के लोभ में पावल होकर दूसरों का गला काटते, दूसरों को मार डालते या शोषण करते देर नहीं लगाते। राज्यलोभी राजा लोग अकारण ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं, इसी प्रकार पदप्रतिष्ठालोभी मानव भी मन्त्री आदि पद को प्राप्त करने या अधिकार पाने की धुन में दूसरों को खत्म कराने, तोड़फोड़ या बंधे कराकर हजारों के प्राण खतरे में डालने से नहीं चूकते। यही कारण है, कि जितने भी हिंसा के कार्य दिखाई देते हैं, उनके पीछे लोभ—उत्कृष्ट लोभ की ही प्रेरणा होती है। इसलिए पापरूप उत्कट लोभ को प्राणिवध का सगा भाई कहे, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अथवा इसका पाठान्तर 'पापल' भी मिलता है, जिसका अर्थ है—पापो को लाने वाला। यह भी ठीक नाम है, इसका।

२१—छविच्छेद—छवि यानी शरीर का छेदन करना—काटना छविच्छेद है। शरीर को काट डालना भी प्राणवधरूप होने से प्राणवध का पर्यायवाची है। अथवा इसका अर्थ छवि यानी अंगोपागो का छेदन करना भी है। प्राणियों के अंगोपागो को अपने मौजशोक के लिए काट डालना भी उनके लिए बहुत पीडादायी होता है। कई बार राजा लोग अपने सत्ता के मद में आकर गुलामों के अंगभग करवा डालते, उनकी आँखें निकलवा दी जाती, उनके नाक-कान काट लिये जाते या उनके हाथ पैर कटवा डालते, उनकी चमड़ी उधेड ली जाती। इस प्रकार उन्हें मृत्यु से भी बढ़कर असह्य यातनाएँ दी जाती थी। कई क्रूर राजा सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मनुष्यों को नदी या तालाब में डूबा कर उनकी तड़फते देख आनन्द मनाते थे, या हाथियों आदि को पहाड से नीचे खाई में गिरवा देते जिससे उनके अंगभग हो जाते, वे असह्य पीडा से रिब-रिब कर मर जाते, और उनकी करुण चित्कार सुनकर वे नराधम आनन्द मनाते। प्रत्येक प्राणी को अपना-अपना शरीर या अंगोपाग प्रिय होता है, उनकी रक्षा के लिए वह जीजान से प्रयत्न करता है, उसके पोषण की चिन्ता में रातदिन एक कर देता है। परन्तु जब कोई नरपिशाच जब उनकी सुखकामना के आधार शरीर या अंगोपाग को उससे छीनने या नष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो उसे अपार वेदना होती है। वह उस समय तड़फता है, छटपटाता है और बचने का भरसक प्रयास करता है, किन्तु अत्याचारी नरपिशाच उसकी करुण पुकार न सुनकर अपनी कुवासना को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इसलिए छविच्छेद को प्राणवध का पर्यायवाची कहा गया है।

२२—जीवितान्तकरण—जीवन का अन्त कर देना भी प्राणवध का एक अंग है। प्राणधारण करने का अन्त कर देना भी जीवितान्तकरण है। वास्तव में जीवन सबको अत्यन्त प्यारा होता है, कोई अपने जीवन को सहसा छोड़ना नहीं चाहता,

किन्तु जब उसको अपने जीवन से कोई विमुक्त करता है, तो उसे अत्यन्त दुःख होता है, यही हिंसा का जनक है ।

२३—भयंकर—भयंकर का अर्थ है—भय पैदा करने वाला । वध के नाम से ही प्राणी डर के मारे कांप उठता है । जिसका वध किया जाता है, उसे तो भय लगता ही है, साथ ही वध करने वाले के मन में भी यह भय बैठ जाता है, कि कहीं यह सामना करके मुझे मार न बैठे । कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर दे । अथवा इसके रिश्तेदार कहीं मुझे जान से न मार डालें । साथ ही उसके मन में यह भी भय पैदा हो जाता है, कि मुझे इस हत्या के फलस्वरूप नरक में जाना पड़ेगा, या परलोक में यह प्राणी मुझसे किसी न किसी रूप में बदला जरूर लेगा । उस समय मैं क्या करूँगा ? इस तरह प्राणिवध चारों ओर भय ही भय पैदा करने वाला होने के कारण इसका भयंकर नाम ठीक ही है ।

२४—ऋणकर—प्राणिवधपापरूप ऋण को चुकाते समय—फल भोगते समय बड़ा ही दुःखी होना पड़ता है । प्राणिवध के फलस्वरूप व्यक्ति पापरूपी ऋण का बोझ होता रहता है । पापरूपी ऋण के फलस्वरूप व्यक्ति इस लोक में भी दरिद्र, दुःखी, शारीरिक-मानसिक व्यथाओं से पीड़ित, रोग, शोक आदि से संतप्त रहता है । ये सब कष्ट तो उस ऋण के व्याज के तौर पर हैं । परलोक में भी इस कठोर ऋण के कारण नरक आदि में छंदन-भेदन आदि असह्य यातनाएँ और तिर्यकगति में भी भूल, व्यास, शर्दी, गर्मी आदि के नाना दुःख भोगने पड़ते हैं, जो उस ऋण के कुफल हैं । इसलिए प्राणिवध को ऋणकर ठीक ही कहा है ।

२५—वज्र या वर्ज्य अथवा सावद्य—प्राणिवध वज्र के समान बड़ा कठोर है । जिसका प्राणिवध किया जाता है, उसे वह वज्र के समान अति कठोर लगता है । प्राणिवध उसे सुहाता नहीं । प्राणी का कोमल हृदय इसे सह नहीं सकता, वह कांप उठता है । इसलिए इसे 'वज्र' कहा है । इसका एक सस्कृत रूप वर्ज्य भी होता है, जिसका अर्थ है वर्जनीय । यानी प्राणिवध हमेशा से महापुरुषों—तीर्थंकरों द्वारा वर्जनीय होता है, निषिद्ध होता है, इसलिए इसे 'वर्ज्य' कहा । साथ ही इसका पाठांतर 'सावज्ज' भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है—पाप से युक्त कर्म । हिंसा पापयुक्त कर्म होने से इसे सावद्य कहा, यह ठीक ही है ।

२६—परितापाश्रय—परितापकारी मृदावाद आदि अन्य आश्रय इस आश्रय से होते हैं, इसलिए प्राणिवध को परितापाश्रय कहा । अथवा यह आश्रय दूसरे मृदावाद आदि आश्रवों की अपेक्षा अधिक परिताप (संताप) देने वाला होने से इसे परितापाश्रय कहा । वास्तव में मृदावाद आदि आश्रवों के सेवन से दूसरों को इतनी पीड़ा नहीं होती, सीधी चोट नहीं पहुँचती, जितनी प्राणिवध नामक इस आश्रय से दूसरों को

पीका होती है, जब पर सीधी चोट लगती है, इसलिए इसे 'परितापायव्य' यथार्थ ही कहा है ।

२७—**विनाश**—प्राणियों का इसमें द्रव्य और भाव दोनों ही तरह से नाश होता है, इसलिए इसे विनाश कहा है । द्रव्य से विनाश तो प्राणों या शरीरादि का होता है, भाव से मरते समय मरने वाले जीव में प्रायः आर्त्तध्यान एव मारने वाले के प्रति रौद्रध्यान पैदा होता है, साथ ही मारने वाले के मन में भी क्रूर भाव पैदा होते हैं, इसलिए द्रव्य और भाव से स्वपर विनाश का कारण होने से प्राणिवध को 'विनाश' भी कहा है ।

२८—**निर्यापना अथवा नियातना**—जीवन-यापन से रहित कर देना निर्यापना है । जब प्राणो को निकाल दिया जाता है, तो प्राणी अपनी जिदगी से हाथ धो बैठता है, वह फिर अधिक देर तक अपना जीवन नहीं बिता सकता । अथवा जीवनयापन का अर्थ सुख से चल रही जीविका से रहित कर देना, किसी की जीविका को उखाड़ देना भी हो सकता है । किसी की जीविका का उच्छेद (वृत्तिच्छेद) कर देना भी उसके प्राण लेने के समान भयंकर दुःखदायी होता है । इसलिए इन दोनों दृष्टियों से निर्यापना हिंसा की कारण होने से हिंसा की ही बहिन है । अथवा इसका एकरूप नियातना होता है—जिसका अर्थ होता है, जिसमें नितरा—निरतर यातना ही यातना हो । हिंसा के कारण हिंसक प्राणी को सतत यातना का ही अनुभव होता है । इसलिए नियातना भी हिंसा की कारण होने से इसकी समानार्थक है । इसी प्रकार कही-कही इसका संस्कृत रूपान्तर 'निर्यतना' भी होता है, जिसका अर्थ है—कर्म में किसी प्रकार की भी यतना-सावधानी-अप्रमत्तता नहीं रहती, सर्वथा निकल जाती है । हिंसा में किसी प्रकार की यतना तो रहती ही नहीं, पर मन, शरीर, वाणी, इन्द्रिय आदि किसी भी अंग पर समय-समय निर्यत्रण भी हिंसा करते समय नहीं रहता । इसलिए हिंसा का एक नाम 'निर्यतना' भी है । इसका एक पाठान्तर भिन्नता है—'निज्जवणो' जिमका अर्थ है—निर्ध्यापन करना—यानी धर्मध्यान, शुक्लध्यान रूप शुभ ध्यानों को छुड़ाने वाला । प्राणिवध करने वाले का ध्यान हमेशा आर्त्त और रौद्र रहता है, धर्मध्यान तो उसके पास भी नहीं फटकता । यह भी प्राणिवध के कारण होता है, इसलिए 'निर्ध्यापन' भी इसके समकक्ष है ।

२९—**लोपना**—जिसमें प्राणों का लोप (खात्मा) कर दिया जाता हो, वह लोपना है । अथवा प्राणो की लुम्पना-लूट करने वाली होने से यह लोपना है । प्राणिवध में भी प्राणो का लोप किया जाता है, इसलिए लोपना भी प्राणिवध की सगी बहिन है ।

३०—**विराघना**—आत्मा के ज्ञानादि गुणो की इसमें विराघना होती है—वृत्ति होती है, इसलिए विराघना भी आत्म-भाव की हिंसा का ही काम करती है ।

द्रव्यहिंसा से भावहिंसा कई गुना बढ़कर होती है। दूसरो की हिंसा करने, सताने, जलाने या मारने की दुर्भावना वाला प्राणी जब उन पर शस्त्र, आग या पत्थर आदि फैकता है, तो उस समय उन प्राणियों का हानि-लाभ या रक्षा-विनाश अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अधीन होने से उसके फेके हुए शस्त्रादि से हानि हो भी या न भी हो, किन्तु उसकी उक्त कषायमयी परिणति या दुर्भावना के कारण उसकी अपनी भावहिंसा या आत्महिंसा तो हो ही गई। मूल में तो भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध की कारण है, द्रव्यहिंसा तो प्राणघात आदि की क्रियामात्र है। जहाँ भावहिंसा नहीं होती, वहाँ केवल द्रव्य हिंसा से पापकर्म का बन्ध नहीं होता। जो मुनि महात्मा उपयोगपूर्वक चलते हैं, उनके पैर के नीचे अकस्मान् कोई जीव आकर दब जाय या कुचल जाय, तो भी उनको मारने या सताने की भावना न होने से वहाँ भावहिंसा नहीं होती, केवल द्रव्यहिंसा होती है, जो पापकर्म के बन्ध की कारण नहीं है। प्रमाण के लिए देखिये यह पाठ—

“उच्छालिवन्मि पादे इरियासमिदस्स विग्गमवहुण्णे ।

आवदेज्ज कुलिगो वा, मरेज्ज वा तज्जोगवात्सज्ज ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुणो वि देसित्थो सम्प ।

मुच्छा परिग्गहोत्ति अज्जाप्यभाज्जो षण्णित्थो ॥”

अर्थात्—‘ईयासमितिपूर्वक चलने वाले साधु के आहारादि के निमित्त यमन करते समय पैर उठाने पर यदि कोई त्रसजन्तु अकस्मात् पैर के नीचे आकर दब जाय या उसके योग में मर जाय, तो भी उसके निमित्त से उम साधु को जरा (सूक्ष्म) भी बन्ध होना आगम में नहीं बताया है। क्योंकि उसके परिणाम उस जीव को मारने या सताने के नहीं थे, ईयासमितियुक्त चलने के थे। वास्तव में मूर्च्छारूप आत्मपरिणाम ही परिग्रह है, बन्ध है।’

इस प्रकार सर्वत्र हिंसा के परिणामों से ही हिंसाजन्य पापकर्म का बन्ध होता है।

तदुलमत्स्य जीवों की वधरूप क्रिया (द्रव्यहिंसा) बिलकुल नहीं करता, संकित उसके परिणाम जीवों को निगलने व मारने के होने से वह मर कर अपने उन हिंसा रूप परिणामों (भावहिंसा) के कारण सातवें नरक का मेहमान बनता है। इसलिए भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध की कारण है। भावहिंसा आत्मा के ज्ञानादि

१—इसके लिए और भी प्रमाण देखिये—“अणमारस्स ण भंते भावियप्पणी पुरो दुहज्जो जुगमायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स अहे कुक्कुडपोए वा वट्टापौए वा कुलिगच्छाए वा परिग्गवज्जेज्जा, तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ संपराइया किरिया कज्जइ ? ‘गोयमा ! अणमारस्स णं भावियप्पणी जाव तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ ।’ ‘से केणट्ठे णं भंते ! एवं वुच्चइ ? जहा सत्तमए संबुद्धेसए जाव अट्ठो निविसत्तो ।’

—अणवतीसुअ, शतक १८ उ० ८, सूच १.

गुणों की विराचना करने वाली होने से इसे हिंसा की सहोदर बहन मानी गई है।

‘इति’ ‘आदि’ और ‘अपि’ शब्द—इस सूत्रपाठ में ‘इति’ शब्द समाप्ति अर्थ का बोधक है, ‘आदि’ शब्द प्रकार वाचक है और अपि शब्द समुच्चयार्थक है।

तीस नाम—इस प्रकार प्राणवध के पर्यायवाची ३० नाम सूत्रकार ने बताये हैं। प्राणवध के नाम तो और भी हो सकते हैं, पर यहाँ ‘गुणनिष्पन्न’ नाम की अपेक्षा में तीस संख्या में ही इन्हे सीमित कर दिया है।

हिंसा क्यों, किनकी और कैसे ?

द्वितीय द्वार में हिंसा के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करके अब तीसरे द्वार में शास्त्रकार प्राणवध किस भाव या प्रयोजन से, किनका और किन-किन माधनों से किया जाता है, इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तं च पुण करेति केवि पावा असंजया अविरया अणिहुय-
परिणाम - दुप्पओगा पाणावहं भयंकरं बहुविह बहुप्पमारं
परदुक्खुप्पायणप्पसत्ता इमेहि तसथावरेहि जीवेहि पडिणिविट्ठा,
किं ते ?

पाठीण- तिमि-तिमिगल - अणेगल्लस-विविहजातिमंडुक्क-
दुविहकच्छभ-णक्कचक्क-मगरदुविह-मुसंढ-विविहगाह-दिलिवेढय-
मंडुय-सीमागार-पुलक-संसुमार बहुप्पगारा जलयर-विहाणा कए
य एवमादी ।

कुरंग - रुह - सरह-चमर-संबर-उरब्भ-ससय - पसय-गोण-
रोहिय-हय-गय-खर-करभ-खग्गी-वानर-गवय - विग-सियाल-कोल-
मज्जार-कोलसुणग-सिरियंगदलगावत्त - कोंकतिय - गांकाश्र-मिय-
महिस-वियग्घ-छगल-दीविय-साण-तरच्छ-अच्छ-भल्ल-सद्दूल-सीह-
चित्तल-चउप्पयविहाणा कए य एवमादी ।

अयगर - गोणस - वराह - मउलि - काओदर-दब्भपुप्फ-
आसालिय-महोरणोरगविहाणा कए य एवमादी ।

छारल - सरंब-सेह-सल्लग-गोघा-उंदर-णउल-सरड-जाहग-
मंगुस-खाडहिल-चउप्पाइया-घिरोलिया-सिरीसिवगणे य एवमादी ।

कादंबक - बक-बलाका - सारस - आढा - सेतीय - कुलल-
वंजुल - पारिप्पव - कीर - सउण - दीविय - (पीपीलिय)
हंस-धत्तरिट्ट-पवभास-कुलीकोस-कोंच-दगतुं ड-ढे णियालग-सूयीमुह-
कविल-पिंगल (पिंगलक्खग) - काग-कारंडग-चक्कवाग-उक्कोस-
गरुल-पिंगुल-सुय-बरहिण-मयणसाल-नंदीमुह - नंदमाणय - कोरंग-
भिगारग-कोणालग-जीवजीवक-तित्तिर-वट्टग-लावग- कपिजलक-
कवोतक-पारेवयग-चडग-ढिक्क-कुक्कुडय - मसर (वेसर) - मयूरग-
चउरग-हयपोंडरिय-करक - चीरल्ल (वीरल्ल) - सेण - वायस
(वायसय)-विहग-(विहंग) (सेण-सिण)-भिणासि-चास-वग्गुलि-
चम्मट्टिल-विततपक्खी - समुग्गपक्खी-खहयर - विहाणा कए य
एवमादी ।

जल-थल - खगचारिणो उ (य) पंचेंदिए पसुगणो बिय-
तिय-चउरिंदिए विविहे जीवे पियजीविए मरणदुक्खपडिकूले
वराए हणंति बहुसंकिलिट्टकम्मा ।

इमेहि विविहेहि कारणेहि, कि ते ? चम्म-वसा-मंस-मेय-
सोणिय-जग - फिप्फिस - मत्थुलुंग - हिययंतपित्त - फोफसं-दंतट्टा,
अट्ठिर्मिज-नह-नयण-कण्णण्हारुणि-नक्क-धमणि-सिग-दाढि-पिच्छ-
विस-विसाण-वालहेउं हिंसंति य ।

भमरमधुकरिगणो रसेसु गिद्धा, तहेव तेइंदिए सरीरोवक-
रणट्ठयाए किवणे, बेइंदिए बहवे वत्थोहरपरिमंडणट्ठा ।

अण्णेहि य एवमाइएहि बहूहि कारणसतेहि अबुहा इह
हिंसंति तसे पाणे इमे य एगिंदिए बहवे वराए तस्से य अण्णे
तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारंभंति ।

अक्षारो, असरणे, अणाहे, अबंधवे, कम्भनिगल-
बद्धे, अकुसलपरिणाममंदबुद्धिजणदुव्विजाणए, पुढविमए,
पुढविस्सिए, जलमए, जलगए, अणलाणिलतणवणस्सइ-
गणमिस्सिए य तम्मयतज्जिए चेव तदाहारे, तप्परिणयवण्ण-
गंधरसफासवोदिरूवे अचक्खुसे चक्खुसे य तसकाइए असंखे,
थावरकाए य सुहुम-बायर-पत्तेय-सरीरनामसाधारणे अणते हणंति
अविजाणओ य परिजाणओ य जीवे इमेहि विविहेहि कारणेहि-
किं ते ?

करिसण-पोक्खरिणी-वावि- वप्पिणि-कूव-सर-तलाग-चित्ति-
वेदिया-खातिया (खाइयं) - आराम - विहार-थूम-पागार-दार-
गोउर-अट्टालग-चरिया-सेउ-संकम - पासाय- विकप्प-भवण-घर-
सरण - लयण- आवण - चेइय-देवकुल-चित्तसभा-पवा-आयतणा-
वसह-भूमिघर-मंडवाण य कए भायणभंडोवगरणस्स विविहस्स
अट्टाए पुढवि हिंसति मंदबुद्धिया ।

जलं च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्थघोवण-सोयमादिएहि ।

पयण-पयावण-जलावण-विदंसणेहि अगणि ।

सुप्प-वियण-तालयंट-परिथुनक-ट्टणमुह (पेहुणमुह)-करयल-
सग्ग (साग) पत्त-वत्थ एवमादिएहि अणिलं ।

अगार - परिया (वाडिया) र—भक्ख-भोयण-सयणासण-
फलक - मुसल - उखल -तत - विततातोज्ज-वहण-वाहण -मंडव-
विविह भवण-तोरण - विडंग-देवकुल - जालयद्धचंद - निज्जूहग-
चंदसालिय-वेतिय-णिस्सेणि-दोणि-चंगेरी - खील-मंडक (मेढग)-
सभा-पवा-वसह-गंध-मल्लाणुलेवणांवर-जुय - नंगल (मे) मइय-
कुलिय-संदण - सीया-रह-सगड-जाण-जोग-अट्टालग-चरिअ-दार-
गोपुर - फलिह (हा)-जंतसूलिय (या)-लउड - मुसंडि (मुसुंडि)-
सयग्धी-बहुपहरणा-वरणुवक्खराण कए, अण्णेहिं य एवमाइए-

हिं बहुहि कारणसर्ह हिंसंति ते तरुणे भणिता अभणिता
(भणिए य) एवमादी ।

सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवहरांति दढमूढा दारुणमती कोहा
माणा माया लोभा हासा रती अरती सोय वेदत्य जीयधम्मत्य-
कामहेउ सवसा अवसा अट्ठाए अणट्ठाए य तसपाणे थावरे य
हिंसंति ।

मंदबुद्धी सवसा हरांति, अवसा हरांति, सवसा अवसा
दुहओ हरांति । अट्ठा हरांति, अणट्ठा हरांति, अट्ठा अणट्ठा
दुहओ हरांति । हस्सा हरांति, बेरा हरांति, रती (य)
हरांति, हस्सा बेरारती हरांति । कुद्धा हरांति, लुद्धा
हरांति, मुद्धा हरांति, कुद्धा लुद्धा मुद्धा हरांति । अत्था हरांति,
धम्मा हरांति, कामा हरांति, अत्था धम्मा कामा हरांति ॥सू० ३॥

संस्कृत-छाया

तं च पुनः कुर्वन्ति केचित् पापाः असंयता अबिरता अनिमृत्परिणाम-
बुद्धप्रयोगाः प्राणबधं भयंकरं बहुविधं बहुप्रकारं परदुःखोत्पादनप्रसक्ता एतेषु
प्रसस्यावरेषु जीवेषु प्रतिनिविष्टाः, कित्तत् ?

पाठीन - तिमि-तिमिगलाऽनेकज्ञाप-विबिधजातिभंडूक-द्विविधकच्छप-
नक्कवक्क-मकरद्विविध - मूढसंढ-प्राह - विलिबेष्टक - मंडुक-सीमाकार-गुलक-
सुं सुमार-बहुप्रकारान् जलचरविधानकृतारश्चैवमादीन् ।

कुरंग-रुह-सरभ - चमर-संबरो-रध - शाशक-प्रशय-गोच-रोहित-हय-
गज-खर-करभ-सङ्गि-वानर-गवध-वृक-भृगाल- कोल-भाचार - कोलकुनक-
धीकम्बलक-आवर्त्त-कोंकतिक-गोकर्ण-भृग-महिष-व्याघ्र-छगल-दीपिक-श्वान-
तरुण-कल-मत्स-शाङ्ग-ल-सिंह-खिल्लण (चित्रल)-वतुण्यवविधानकृतारश्चैव-
मादीन् ।

अजगर-गोचस-बराह - मुकुलि-काकोवर-धर्मपुण्य-आसासिक-महोरव-
उरगविधानकृतारश्चैवमादीन् ।

क्षारल-भारम्ब-सेह-सत्सक-गोच - उम्बर-नकुल - शरट-बाहुक-संयुस-
काडहिल - चातुण्यविका (वातोत्पत्तिका) गृहपोषिकाः (गृहकीकिलिकाः)
सरित्पुण्यार्श्चैवमादीन् ।

कावम्बक - बक - बलाका - सारस - आढा - सेतीक - कुसल-बंजुल-
 पारिप्लव - कौर (कीव) - शकुन - दीपिका - (पिपीलिका) - हंस-धृतराष्ट्र-
 यवभास (कभास) - कुटोकेश - क्रौञ्च - बकतुण्ड - डेलि (जि) कालग-
 सुषीमुख - कपिल-पिंगल - (पिंगलाक्षक) - काक-कारण्ड (करण्ड) - बक्रवाक-
 उल्कोश-गरुड-पिगुल-शुक-बहि-मदनसाला (शाला) - मंवीमुख-नन्दमानक-
 कौरक-मृगारक-कोणालक-जोबजोबक-तिसिर-वर्त्सक - लावक- कपिजलक-
 कपोतक-पारावतक-चटक-डिक-कुकुंठक-मसर (वेसर) - मयूरक-चकौरक-
 हृदयोण्डरीक (शालक) - करक-चिरल्ल (वीरल्ल) - श्येन-वायस-विहग- (विहंग)-
 भेनासित्-चास- (चाष) - वल्लुलि-चर्मस्थिल-विततपक्षि-समुवगपक्षि-खचर-
 विधानकृतांश्चैवमादीन् ।

अलस्पल्लखारिणस्तु (श्च) पञ्चेन्द्रियान् पशुगणान् द्विकत्रि-
 कचतुरिन्द्रियान् विविधान् जीवान् प्रियजीवितान् मरणदुःखप्रतिकूलान्
 वराकान् धनन्ति बहुसंक्लिष्टकर्मणिः ।

एभिर्विद्यैः कारणैः, किं तत् ? चर्म-वसा-मांस-मेदः-शोणित-यकृत-
 फिफिस-मस्तुलिग-हृदयान्त्रपित्तफोफस-वंतार्थम्, अस्थि-मज्जा-नख-नयन-
 कर्ण-स्नायु-नासिका- घमनी-शृंग - बण्डा - पिच्छ-विष-विषाण - बालहेतोः,
 हिंसन्ति च ।

भ्रमरमधुकरोगणान् रसेषु मृदाः, तथैव त्रीन्द्रियान् शरीरोपकरणार्थं
 कृपणान्, द्वीन्द्रियान् बहून् वस्त्रोपगृहपरिमण्डनार्थम् ।

अन्यैश्चैवमादिभिः बहुभिः कारणसत्तेरबुधा इह हिंसन्ति प्रसान्
 प्राणान्, इमांश्चैकेन्द्रियान् बहून् वराकान् प्रसाश्चान्यांस्तदाश्रितांश्चैव
 तनुशरीरान्, समारंभन्ते ।

अप्राणान्, अशरणान्, अनाथान्, अबान्धवान्, कर्मनिगडबद्धान्,
 अकुशलपरिणामबन्धुद्विजन-दुर्विज्ञेयान्, पृथिवीमयान्, पृथिवीसंभितान्, जल-
 मयान् जलगतान्, अनलानिल - तृणवनस्पतिगणनिश्चितांश्च तन्मयतज्जी-
 वांश्चैव तदाधारान् (तदाहारान्) तत्परिप्लवर्णगन्धरसस्पर्शशरीररूपान्
 अजाभुषाश्चाभुषांश्च प्रसकायान् असंख्यान् स्थावर-नायांश्च सूक्ष्मबावर-
 प्रत्येकशरीरनामसाधारणाश्चानभ्तान् धनन्ति अविजानतश्च परिजानतश्च
 जीवान् एभिर्विद्यैः कारणैः, किं तत् ?

कर्षण-पुष्करिणी-वापी - वप्र-कूप-सरस्तङ्गा-चित्ति-वेदिका-क्षातिका-
 आराम-विहार-स्तूप-प्राकार-द्वार-गोपुर-अट्टालक-चरिका-सेतु-संक्रम-प्रासाद-
 विकल्प-भवन-गृह-शरण-लयन-आपण-चैत्य-वेवकुल-चित्रसभा-प्रपा-आयतन-

आवसथ-भूमिगृह-मंडपानां च कृते, भाजन-भाण्डोपकरणस्य विविधस्यार्थाय पृथिवीं हिंसन्ति मंत्रबुद्धिकाः ।

जलं च मञ्जनक-पान-भोजन-वस्त्रधावन-शौचादिभिः ।

पचन-पाचन-ज्वालन-विदशंनंरन्निं ।

सूर्य-व्यजन-तासवृन्त- (मयूरांग) पृथुनक-हुणमुच- करतल-सर्गपत्र-वस्त्रादिभिरनिलं ।

आगार - परिचार (प्रतिचार)-भक्ष्य - भोजन - शयनासन - कलक-मुशलोदूखल-ततविततातोद्य - वहन - वाहन-मण्डप - विविध भवन- तोरण-चिदंग - देवकुल - जालकादंभन्द्र - नियूह (निव्यूह) - चन्द्र - शालिका-वेविका - निःशेषि - द्रोणी - चङ्गूरी - कील-मुण्डका (मेढक) - सभा-प्रपा-वसथ-गन्धमाल्यानुलेपाभ्दर-युग-सांगल - मे (म) तिक - कुलिक - स्यम्बज-शिबिका - रथ-शकट - यान - पुण्याट्टालक-चरिका-द्वार-गोपुर-परिघा-यंत्र-शूलिका-सकुट-भुशुण्डि-शतघ्नी बहुप्रहरणाऽव रथोपस्कराणां कृते, अन्यैश्चैव-मादिभिर्मंडुभिः कारणशर्तैर्हिंसन्ति तांस्तदगजान् ।

भणितानभणिताश्चैवमादीन् सस्वान् सस्वपरिवर्जितानुपघ्नन्ति वृद्ध-मृदा वारुणमतयः क्रोधान्मानान्मायाया लोभात् हास्यरत्परतिशोकात् वेदार्थो (वेदार्थ) जीव (जीत) धर्मार्थकामहेतोः स्ववशा अवशा अर्थायानर्थाय च त्रसप्रापान् स्थावरोश्च हिंसन्ति ।

मन्त्रबुद्धयः सवशा घ्नन्ति, अवशा घ्नन्ति, स्ववशा अवशा द्विधा घ्नन्ति, अर्थाय घ्नन्ति, अनर्थाय घ्नन्ति, अर्थायानर्थाय द्विधा घ्नन्ति, हास्याद् घ्नन्ति, वैराद् घ्नन्ति, रतेर्घ्नन्ति, हास्यवैररतिभ्यो घ्नन्ति, क्रुद्धा घ्नन्ति, लुब्धा घ्नन्ति, मुग्धा घ्नन्ति, क्रुद्धा मुग्धा लुब्धा घ्नन्ति, अर्थाद् घ्नन्ति, धर्माद् घ्नन्ति, कामाद् घ्नन्ति, अर्थाद् धर्मात्कामाद् घ्नन्ति ॥सू०॥३॥

पदार्थान्वय—(पुत्र च केचि) और फिर कई (पाषा) पापी (असंजया) असंयमो (अविरया) पापकिया से अविरत, (अणिहृय परिणामबुध्ययोपी) अनुपशान्त परिणामों में मन-बचन-काया को दुष्प्रयुक्त करने वाले, (परदुस्सोपायव्यपसता) परदुःसोपादन में तत्पर, (इमेहि) इन (तसथाचरेहि) त्रस और स्वावर, (बोवेहि) जीवों में, (पठिनिविट्टा) डूबभाव रखने वाले, (तं) पूर्वसूत्र में जिसके विभिन्न नाम बता चुके हैं, उस, (धयंकरं) धयंकर, (बहुविहं) अनेक भेदप्रवेद वाले, (बहुप्यगारं) अनेक प्रकार के (पाषवहे) प्राणिवध को (करेति) करते हैं । (किं ते ?) वे प्राणिवध किन-किनका किस सिद्द करते हैं ? (पाठीय-तिमितित्तिगल-अभेग शस-विधिहजातिमंत्रुषक - बुधितकच्छम - वषकवचक-मयारदुविह-मुसंड-विधिहगाह-दितिवेदय-भंयुय-सीमागार - पुलक - दुंभुमार बहुप्यमारा जलवर-

बिहाषाकए य एवमादी) पाठीन नामका मत्स्य, तिभि-बड़ामत्स्य, तिभिगल नामक महामत्स्य, चिबिध प्रकार की छोटी मछलियाँ, अनेक जाति के मेंढक, दो प्रकार के कछुए, नक्रबक नाम के जलजंतु, दो प्रकार के मगर, मूकसड नामक मत्स्य, घ्राह (घड़ियाल), पूँछ से लपेट लेने वाले बिलिबेष्टक नामक घ्राह, मंबुक, सीमाकार, और पुलक ये पाँचों घ्राह-विशेष के भेद, सुं सुमार नामक जलचर जन्तु इत्यादि ये और ऐसे बहुत से प्रकार के जलचर जीवों का प्राणबध करते हैं, जिनके अनेक भेद बताए हैं । तथा (कुरंग-रुच-सरभ-बमर-संबर-उरुम-ससय-यसय-गोष-रोहित-हृद्य-गय-खर-करभ-खमी-बानर-गवय-विण-सियास - कोल - मग्जार - कोलसुणग-सिरियगबलगावत्-कोंकतिय-मिय-अहिस-वियग्ध-छगल-वीविय-साण - तरच्छ-अच्छ - भल्ल - सद्, ल-सीह-बिल्लल-बजुप्यविहाणा कए य एवमादी) कुरंग-हिरण, रुच जाति का मृग, अष्टापव नाम के लोकप्रसिद्ध जंगली पशु, बमरी गाय, सांभर, भेड़, खरपोश, प्रशय नामक दो खुरों वाले जंगली जानवर, बेल, रोहित नामक चौपाया जानवर, घोड़ा, हाथी, गधा, ऊँट, गेंडा, बंबर, रोज नामक जंगली गाय-गवय, भेड़िया, गीबड़, चूहे की सी आकृति वाला कोल नामक जन्तु, बिलाव, बड़ा सूअर, श्रीकंबल तथा आबर्त्त नामक एक-खुरवाले पशु, रात में कों कों करने वाला कोकतिक नामक जानवर, दो खुरवाला गोकर्ण नाम का पशुविशेष, मृग, भैंसा, बाघ, बकरा, चीता, कुत्ता, बिज्जू-अरख, रौंछ, भालू, शार्ङ्गल, (बम्बरशेर), सिंह, बिल्लल नामक वन्य जन्तु-विशेष, ये और ऐसे सब जन्तुप्यव जीवों के अनेक प्रकार होते हैं, जिनके प्रकार पहले बता चुके हैं । ये सब चौपाये जानवरों के भेद हैं । इस प्रकार चौपाये जानवरों की पूर्वाक्त क्रूर लोग हिंसा करते हैं (य) तथा (अयगरगोणसवराह-मउलि काओबर-रुम-युफ-आसालिय-महोरगोरगविहाणकए य एवमादी) अजगर, बिना फन वाले सर्प, इष्टि-विष सर्प, परड़ (काकोबर) नामक साँप, दर्वीकर सर्प या दर्भपुण्य नामक सर्प, आसालिक नामक बड़े सर्प, महोरग (बहुत बड़े सर्प), ये सब पेट के बल गति करने वाले उरःपरिसर्प हैं, जिनके अनेक प्रकार बतलाए गए हैं । इन पेट और भुजा के बल पर रेंग कर या सरक कर चलने वाले सर्प जाति के विशिष्ट जन्तुओं का प्राणबध वे क्रूर लोग करते हैं । तथा (छारल-सरंब-सेह-सल्लग-गोधा-उंबर-अउल-सरब-आहग-मंगुस-आडहिल-आउप्याइया छिरोलिया-सिरिसिबगणे एवमादी) भुजाओं से चलने वाले खारल, सरन्ब, सेहला—जिसके शरीर पर चारों ओर कांटे होते हैं, जो गोल और काला होता है, शल्यक (सीसोलिया), गोह, चूहा, नेवला, गिरगिट, कोंकड़ा, कांटों से आवृत शरीर वाला जाहूक, छछुंबर, गिलहरी, बातोत्पत्तिक या चार पैरों से चलने वाले चातुष्पदिक भुजपरिसर्प जन्तु जो भुजा से सरक कर चलते हैं, छिपकली इत्यादि ये और इन जैसे अनेक भुजपरिसर्प जीवों का प्राणबध वे क्रूरकर्मा करते हैं । तथा (कांबक-बक-बलाका-सारस-आडा-सेतीय-कुलल-बंकुल-पारिप्यव-कीर

(ब)-सडव-बीबिय (पीपीलिय) हंस-भस्तरिद्रुग (पब) भास-कुलीकोस-कु'ब-वगतु'ड-डेसि
 (बि) धासग-सुपीपुह-कपिल-पिंगल (बसग)-कारंडक-बककाग-उबकोस-गसल-पिपुल-
 सुय-बरहिण-मयभसास-नंभीमुह- नंदभाणग - कोरंक - निगारग - कोभासग-जीबजीबक-
 तिसिर-बट्टग-लावक-कपिजल - कबोतक-पारेवयग - बडग (बिडिग)-डिक-कुक्कुड-वेसर-
 मयूरग-बडरग-हृदयपोंडरीय-करक-बी (बी) रत्स-सेज-वायस-बिह (हं) ग-भिणासि-बास-
 बगुलि-बम्मद्विल-विततपक्खि-समुग्गपक्खि-सहयारविहाजाकए एवमादी) हंस, बगुला,
 बलाका - बगुली, सारस, आबी व सेतीका नामक जलपक्षी, लाल पंरों वाले
 कुलल नामक हंस, लंजन, चंचल जाति के पारिप्लव, सुग्गे या कौवपक्षी, टिटहरी
 नामक शकुन, देवी नाम की भादापक्षी, सफेद पंख वाले हंस, काली चोंच वाले
 धृतराष्ट्र नाम के हंस, काले मुंह वाले पबभास या भास नामक पक्षी, कुटीकोस,
 कौंच, जलमुर्गी, डेलिकालग नामक जलचरपक्षी या डेणीकालक, बंया नामक
 पक्षी, सुगरी, कपिल, पिंगल या पिंगलाक्ष - पहाड़ी कौआ, कारंडक नामक
 जलचरपक्षी, चकवा, कुरर, गयड़, लाल तोता, लालमुंह वाला तोता, पिच्छ वाले
 मोर, मैना, नंभीमुक्ष, भूमिवर्ती दो अंगुलभर के शरीर वाला-नंदमानक, कोरंक,
 भृंगारक, चौकोर आकृति वाले कोणालक, जीबजीबक, चकोर, तीतर, बतक, बटेर-
 लावा,कमेड़ी, कपिजल, कबूतर, विशेष प्रकार के कपोत, चिड़िया,पानी पर चलने वाले
 डिक, गिड, मुर्गा, बेसरया, पिच्छरहित मोर, चतुर चकोर, हृदयपुच्छरीक, करक-
 ड्रह में पंदा होने वाला, चीरिलिक या बीरल्ल नामक पक्षिविशेष, बाज, कौआ,
 विहंग नामक पक्षीविशेष, घेनासित, चास, बल्लुली, चमगीवड़, विततपक्षी और
 समुद्र पक्षी—जो मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहते हैं ; इस प्रकार जिन आकाशचारी या
 उड़ने वाले पक्षियों के यहाँ नाम बताए गए हैं, वे और इन जैसे और भी पक्षियों
 का वे क्रूरकर्मा लोग प्राणवध करते हैं ।

इस प्रकार (जलचलसहचारिणो) जल, स्थल और आकाश में चलने वाले,
 (पंचेन्द्रिय) पंचेन्द्रिय, (पसुगणं) पशुगणों का, (बिद्यतिमचउरिबिए) द्वीन्द्रिय,
 त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय, (बिबिहे) नाना प्रकार के, (पियजीबिए) अपनी जिवयी
 को अत्यन्त प्यारी समझने वाले, (मरणदुक्खपडिकूलं) मृत्यु के दुःख से बिलकुल
 खिलाफ, (बराए) बेचारे, (जीवे) जीवों का ये (बहुसंकिलिद्रुकम्मा) अत्यन्त बुद्धकर्म
 वाले प्राणी (इमेहि विविहेहि कारणेहि) इन विविध प्रयोजनों से, (हवन्ति) बध
 करते हैं । (किते ?) ये प्रयोजन कौन-कौन से हैं ?) बम्म-बसा-मंस-नेय-सोणिय-
 जगकिप्फिस-मत्पुसु'ग-हिययंत-पित्तफोप्फस-वंतट्टा) चमड़े, खर्बू, मांस, मेढा, रत्स,
 बिगार, फेफड़े, विभाव-भेजे, हृदय, आँतों, पित्त-फोफस-यानी शरीर का एक भाग-कुक्कुल

और दाँतों के लिये, तथा (अङ्घ्रिमज्ज-नह-नयण-कण्ठ-भ्राह्मि-नवक-धमणि-सिंग-दाडि-पिच्छ-विस-बिसाण-बालहेउ) हड्डी, मज्जा, नख, आँख, कान, स्नायु - नसों - रसों, नाक, धमनियों-नाडियों, सींग, दाढ़, पिच्छ, विष, हाथीदाँत और केशों के लिए मारते हैं। (य) और, (रत्तेसु गिद्धा) रसों में आसक्त लोचुप प्राणी (भ्रमरमधुकरोगणे) भौरों और मधुमक्खियों की (हिंसति) हिंसा करते हैं। (तहेव) इसी प्रकार, (बत्थोहरपरिमंडधट्टा) घर में सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधन (भूंगार) करने, भोजन बनाने, भोजन करने, पानी रखने आदि के गृहों-उपगृहों का खासतौर से रंगरीगन करने या सुशोभित करने के लिए, (सरीरोवगरणट्टाए) शरीर और अन्य साधनों को सस्कारित करने या शुद्ध करने या माँजने धोने के लिए, (क्विण्णे) दयनीय (बहवे) बहुत से (तेइविए) तीन इन्द्रियों वाले जीवों, (बेइविए) दो इन्द्रियों वाले प्राणियों को मारते हैं। (य) और, (एवमाविएहिं) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहिं) अन्य, (बहहिं) बहुत से, (कारणसतेहिं) संकड़ों कारणों से, (अबुहा) अज्ञानी जीव (इह) इस लोक में, (तसे पाणे) त्रस प्राणियों की, (हिंसति) हिंसा करते हैं। (य) और (बहवे) बहुत से (वराए) बेधारे दीन, (इसे) इन सामने बिलाई देने वाले, (एगिदिए) एकेन्द्रिय (पाणे) जीवों का, (य) और (तदस्सिए) उन एकेन्द्रिय जीवों के आश्रित (चेव) ही, (अण्णे) दूसरे, (तणुसरीरे) बहुत छोटे शरीर वाले, (तसे) त्रसजीवों का, (समारंभंति) नाश कर डालते हैं। इसी तरह (अत्ताणे) सुरक्षारहित, (अत्तरणे) शरणहीन, (अणाहे) अनाथ, (अब्बाधवे) बन्धुजनरहित, (धम्मनिगलबद्धे) कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए, (अकुसल परिणाम मंबुद्धि जण-दुक्खिजाणए) मिथ्यात्व के उदय से अशुभ परिणाम वालों तथा मंदबुद्धिलोगों द्वारा मुक्तिकल से जाने जा सकने योग्य जीवों वाले (पुढवीमए) पृथ्वीमयशरीर वाले ; (पुढवीसंसिए) पृथ्वी के आश्रित रहने वाले अलसिया आदि त्रस जीवों, एव (जलमए) जलमयशरीरवालों (जसगए) जल के आश्रित रहने वाले फुंहारे आदि जीवों, (अणत्ताणिलतणवस्सइगणनिस्सिए) अग्नि, वायु, तृण और वनस्पतिगण के आश्रित रहने वाले त्रस जीवों (य) और (तम्मयतज्जिए) (चेव) उन्हीं अग्नि, वायु, वनस्पति आदि के ही विकार जन्य, जो उन्हीं में रहते हैं, उन्हें, तथा अग्नि आदि की योनियों वाले जीवों, (तबाहारे) उन्हीं के आधार पर रहने वालों या पृथ्वी आदि का ही आहार करने वालों, (तप्परिणय-वण्णगंधरसफासबोंविक्खे) उन्हीं पृथ्वी आदि के रूप में परिणत वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शमय शरीर वालों, (अच्चक्खुसे) आँखों से नहीं दिखाई देने वालों (य) और (अक्खुसे) आँखों से दिखाई देने वालों, (असंखे तसकाइए) असंख्य त्रसकायिक जीवों (य) तथा (सुहमभायर पत्तेयसरीरे) नामसाधारण अणुत्तै थावरकाए) सूक्ष्म, बादर, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर वाले अनंत स्थावर कायिक जीवों का, (अविजाणओ) अपने दुःख को नहीं जानने वाले (य) और (विजाणओ)

जानने वाले, (जीव) जीवों का (इनेहि) आने बताए जाने वाले इन (विबिहेहि) विभिन्न, (कारणोहि) कारणों से (हणति) घात करते हैं ।

(किं ते ?) वे कारण कौन-कौन-से हैं ? (करिस्व-योक्खरिणी-वावि-वप्पिणि-कूव-सर-सलाग-खिति-वेइया-खासिय-आराम-विहार-भूभ-यागार-वार-गोउर-अट्टालग-वरिया-सेतु-संकम-पासाय-विकप्प-भवण-घर-सरण-लेण-आवण-वेइय-वेवकुल-चित्तसभा-पवा-आयतणा-वसह-भूमिघर-मंडवाण कए) खेती या खेत, पुष्करणी - छोटा तालाब-पोखर, बाघड़ी, प्यारिया, कुआ, तालाब, कमलसरोवर, चिता, बेबिका, छाई, बाग, बौद्धविहार या मठ. स्तूप, कोट, द्वार, नगर का सबर वरवाजा, अटारी, नगर और कोट के बीच में आठ हाथ चौड़ा मार्ग, पुल, विकट स्थान से उतरने का मार्ग, राजभवन-महल, बंगला, या प्रासाद के अन्तर्गत मकान, भवन-पक्का घर, मायूसी घर, तुणकुटीर-शौपड़ी, पर्वतीय आवासस्थल, बाजार, यथादि की प्रतिमा के स्थान, देवालय - शिखर-बद्धदेव-भवन, चित्रो से सुसज्जित सभामण्डप, प्याऊ, देवायतन - देवस्थान, तापसों का आश्रम, भूमिगृह-तलघर या भौघरा, छाया के लिए कपड़े के तम्बू - मंडप के लिए, (य) और, (विबिहस्स) अनेक प्रकार के (भायण भंडोवगरणस्स) सोना-चांदी, ताम्बा, पीतल आदि धातुओं के बर्तनों तथा मिट्टी के अनेक किस्म के बर्तनों एवं नमक मिर्च आदि बेचने की सामग्री, रूप (किराना) तथा ऊखल भूसल आदि साधनरूप उपकरणों के (अट्टाए) निमित्त, (मंव बुद्धिया) मंवबुद्धिवाले लोग, (पुड्ढवि) पृथ्वीकायिक जीवों की, (हिंसति) हिंसा करते हैं । (य) और, (मज्जणय-याण-भोयण-वत्थ-धोवण-सोयमाविर्णहि) स्नान, पान, भोजन, वस्त्र धोने और शौच (सफाई मांजने, धोने, कुत्सा करने, टट्टी जाने आदि) आदि कारणों से (जलं) जलकायिक जीवों का (य) तथा (पयणपयावण जलावण-विबंसणोहि) पकाने, पकवाने, जलाने, उजाला करने आदि कारणों से (अगणि) अग्निकाय के जीवों का, तथा (सुप्प-वियण-तालयंट-परिचुनक-हुणमुह - करयल-सग्गपत्त-वत्थ एवमाविर्णहि) सूप (छाज), पंखों, ताड़ के पत्तों के पंखे, मोरपंख, कागज आदि के पंखे, सुंह, हाथ, सर्गवृक्ष के पत्ते, वस्त्र आदि से (हवा करके) (अजिलं) वायुकायिकजीवों का घात करते हैं । तथा (अगार-परि (दि) यार-मक्ख-भोयण-सयणत्तण-कत्तक-मुत्तल-उखल-सत्त-विततातोज्ज-वहण-वाहण-मंडव-विबिहभवण-तोरण-विटंग-वेवकुल-जालयत्तबंध-निक्खुहग - बंदसालिय - वेतिय -निस्सेणि-दोणि-बंगेरी-ओल-मंडव-सभावसह-मंधमत्सा-णुलेवणंबर-भुय-मंगल-मेइय-कुलिय-संबन - सीया-रह-सगड-आणजोग-अट्टालग-वरिअ-वार-गोपुर-कलिह-अंत-सुलिया-सउड-मुसंडि-सयघी-बहुपहरणा-वरणुवक्खराण कए) घर, तलवार आदि का म्यान, मोदक आदि मधुयवस्तु, चावल आदि भोजन, शय्या, आसन (खाट या पलंग) लकड़ी का तख्त (पट्टा), भूसल, ऊखल, बीणा आदि बाद्य, होल, नगाड़े आदि बाजे, जहाज, गाड़ी आदि सवारी, लता आदि का मंडप, अनेक प्रकार के भवन (ईमारतों), तोरण, कन्नतरों के बैठने का स्थान, देवालय, शरोके, विशेष

किस्य की सीढ़ियाँ, दरवाजे पर अगल-अगल में निकले हुए लकड़ी के कंगूरे, चौबारा, बेदी, निलेनी, नाच, बड़ी ठोकरी, कील (खूँटियाँ), रावटी या केमा (कपड़े की पटकुटी), सभा, प्याऊ, मठ, सुगन्धित धूम (पाउडर), फूलों की माला और चन्दन आदि का लेप, कपड़े, जूड़ा (जूआ), हल, खेत को जोतने के बाद भूमि को सम करने वाला औजार (सुहागा), हल की तरह का खेती का औजार, विशेष प्रकार का रथ, पालकी, रथ, बैलगाड़ी, यान-एक विशेष प्रकार की घोड़ा आदि के जुतने से चलने वाली गाड़ी, अटारी, नगर और प्राकार के बीच का आठ हाथ का मार्ग, द्वार, नगर का सबर दरवाजा, आगल, रँहट या लाई को ढकने के लिए अरघट्ट आदि यंत्र, मूली, लाठी, बंदूक, तोप, तलवार आदि बहुत प्रहार करने के शस्त्र, डाल, कवच आदि आबरण, एवं मंच, पलंग, मकान आदि उपकरणों—साधनों के लिए, (एवमाविर्णहि) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहि) अग्य, (बहृहि) बहुत से, (कारणसर्णहि) संकड़ों कारणों—प्रयोजनों को लेकर (ते) उन (तरुण्णे) बृक्षों के समूह (उपलक्षण से अग्य वन-स्पतिकार्यिक जीवों) की (हिंसंति) हिंसा करते हैं। (एवमादी) इस प्रकार और भी, (मणिता) कहे हुए (अभणिए य) अथवा नहीं कहे हुए, (सत्परिवर्ज्जिया) शक्ति हीन, (सत्ते) प्राणियों का, (बडमुद्धा) पापकर्म में बड़ और मूड अथवा बध्मूर्ख, (वारुणमती) कठोर बुद्धि वाले जीव (उबहणंति) घात करते हैं। किस कारण से मारते हैं? (कोहा) क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के वश, (माणा) अभिमान के वश, (माया) कपटवश, (लोहा) लोभवश, (हास-रती-अरती-सोय-बेदत्थ-जीय कामत्थधम्महेउ) हास्य के वश, रति, अरति और शोक के वश, वेद अर्थात् स्त्री वेद, पुरुषवेद व नपुंसकवेद में से किसी वेद के उदय होने पर उस की पूर्ति के लिए, अथवा 'वेदत्थ' पाठ होने से 'वेदोक्त अनुष्ठान के लिए' यह अर्थ भी निकलता है। जीने की कामना के लिए, काम भोग की वाञ्छामूर्ति के लिए, अर्थ के लिए और कुलजाति आदि के तथाकथित धर्म पालन के लिए या धर्म के नाम पर बताई हुई क्रिया के हेतु; (सबसा) स्वाधीन (अबसा) या पराधीन होकर, (अट्ठा) प्रयोजन से (व) और (अण्णट्ठाए) बिना ही प्रयोजन के, (तसपांणे) प्रसजीवों (य) और (पावरे) स्थावरजीवों की (हिंसंति) हिंसा करते हैं।

(मंबबुद्धी सवसा हणंति) मंबबुद्धि वाले अज्ञान स्वाधीन होकर मारते हैं, (अबसा हणंति) पराधीन होकर मारते हैं, (सबसा अबसा बुहो हणंति) स्वतंत्र व परतंत्र होकर दोनों प्रकार से मारते हैं, (अट्ठा हणंति) प्रयोजनवश मारते हैं, (अण्णट्ठा हणंति) बिना प्रयोजन के मारते हैं (अट्ठा अण्णट्ठा बुहो हणंति) प्रयोजन व निष्प्रयोजन दोनों तरह से मारते हैं, (हस्सा हणंति) हंसी में मारते हैं, (वेरा हणंति) शत्रुतावश मारते हैं, (रती हणंति) भोगों में रति (आसक्ति) के कारण से मारते हैं, (हस्सवेररतीय हणंति) कई हंसी, वर और रति इन तीनों कारणों से मारते हैं, (कुद्धा हणंति) कई क्रुद्ध होकर मारते हैं, (जुद्धा हणंति) कई जुद्ध यानी किसी चीज में

आसक्त होकर मारते हैं, (मुझा हर्षति) कई किसी पर मुग्ध (फिक्का) होकर मारते हैं या मुग्ध बन कर मारते हैं (मुझा मुझा मुझा हर्षति) कई कोभी, मुग्ध और मुग्ध होकर मारते हैं, (अत्या हर्षति) कई अर्थ के निमित्त से मारते हैं, (धम्मा हर्षति) कई धर्म के नाम पर मारते हैं; (कामा हर्षति) कई कामधोष के लिए मारते हैं, (अत्या धम्मा कामा हर्षति) कई अर्थ—धनसम्पत्ति, धर्म और काम को लेकर मारते हैं ।

मूलार्थ— कई पापिष्ठ, असंयमी, पाप क्रिया से अविरत, मन वचन काया को अनुपशान्त परिणामों में दुष्प्रयुक्त करने वाले, दूसरों को दुःख देने में उद्यत इन आगे कहे जाने वाले त्रस और स्थावर जीवों के द्वेषी लोग पूर्वसूत्रों के अनेक प्रकार के उस भयंकर प्राणिवध को करते हैं ।

वे जिन-जिन प्राणियों का और जिस-जिस प्रयोजन से वध करते हैं ; उनके नाम इस प्रकार हैं— पाठीन, तिमि, तिमिगल (महामत्स्य), विविध प्रकार की छोटी मछलियाँ, अनेक जाति के मेंढक, दो प्रकार के कछुए, नक्रों का समूह, दो तरह के मगरमच्छ, मूढसंढ नामक मत्स्य, ग्राह (घड़ियाल), दिलि-वेष्टक, मंदूक, सीमाकार और पुलक ये पाचों प्रकार के ग्राह, सुंसुमार— शिशुमार इत्यादि ये और ऐसे अनेक प्रकार के जलचरजीवों का वे वध करते हैं ।

तथा हिरण, रुरु नामक मृग, अष्टापद नामक लोकप्रसिद्ध जंगली पशु, चमरी गाय, सांभर, भेड़, खरगोश, प्रशय नामक दो खुरो वाले जंगली जानवर, बैल, रोहित नामक चौपाया जानवर, घोड़ा, हाथी, गधा, ऊँट, गेंडा, बंदर, रोजनामक जंगली गाय (गवय), भेड़िया, गीदड़, चूहे की-सी आकृति वाला कोल, बिलाव, बड़ा सूअर, श्रीकंदल और आवत्त नामक एकखुर वाले पशु, लोमडी या रात में 'को को' करने वाला कोंकतिक नामक जंगली जानवर, दो खुरवाला गोकर्ण, मृग, भैंसा, बाघ, बकरा, चीता, कुत्ता, बिब्जू (जरख), रीछ, भालू, शार्दूल (केसरी सिंह), सिंह और चिल्लल इत्यादि ; ये और इस प्रकार के और भी अनेक प्रकार के चौपाये जीवों को वे मारते हैं ।

इसी प्रकार अजगर, बिना फन वाले सर्प, दृष्टिविषसर्प, परड़, दर्वीकर, दभं पुष्पसर्प, असालिक सर्प, महोरग (विशाल काय सांप) ; इत्यादि नानाविध पेट के बल चलने वाले उरःपरिसर्प जानवर हैं । इन सब सर्प जातीय प्राणियों का वे क्रूरकर्मा वध करते हैं ।

इसी प्रकार क्षारल, सरम्ब, सेहला (कांटेदार काला जीव), शल्यक, गोह, चूहा, नेवला, गिरगिट, केंकड़ा, जाहक, छड्डुं दर, गिलहरी, वातोत्पत्तिक

और छिपकली आदि नाना प्रकार के चातुष्पदिक और भुजाओं से सरक कर चलने वाले भुजपरिसर्प प्राणी होते हैं, जिनका वध वे अधम करते हैं ।

तथा हंस, बगुला, बगुली, सारस, आड़ी व सेतीका नामक जलपक्षी, लालपैरों वाले कुलल हंस, खंजन, पारिप्लव, सुग्गे या कीव पक्षी, टिटहरी, देवी नाम की मादापक्षी, सफेद पंखवाले हंस, काली चोंच वाले घृतराष्ट्र हंस, काले मुँह वाले पवभास या भासपक्षी, कुटीक्रोश, क्रौंच (कुररी), जलमुर्गी, डेलिकासग (डेणिकालक), सूचीमुख (वैया पक्षी), सुगरी, कपिल, कारडक, पिंगल या पिंगलाक्ष-पहाड़ी कौआ, चकवा, कुरर, गरुड, लाल तोता, लाल मुँह वाला तोता, पिच्छ वाले मोर, मैना, नंदीमुख, नंदमाणक, कोरक, भृंगारक, कोणालक, जीवजीवक, चकोर, तीतर, बतक, लावा (बटेर), कमेडी, कर्पिजल, कबूतर, विशेष जाति का कबूतर, चिड़िया, ढिक (पानी पर चलने वाले), गिद्ध, मुर्गा, बेसर, बिना पिच्छ का मोर चकोर, हृदपुंडरीक, करक, बाज, कौआ, विहंग नामक पक्षी, भेनाशित, चास, बल्युली-बागल, चमगीदड इत्यादि नानाविध आकाशचारी या पंखों के बल उड़ने वाले ये तथा और भी अनेक पक्षी होते हैं, जिनका वे निर्दय लोग वध करते हैं ।

इसी प्रकार उपयुक्त जलचर, स्थलचर-चौपाये, उरःपरिसर्प भुजपरिसर्प और खेचरपक्षी, इन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चगति के प्राणियों को तथा दो इन्द्रियो वाले, तीन इन्द्रियों वाले नाना प्रकार के विकलेन्द्रिय त्रस जीव, जिनको अपना जीवन अत्यन्त प्रिय है, जो मृत्यु के दुःख को कतई नहीं चाहते, उन बेचारे दीन जीवों की ये दुष्टकर्म करने वाले दुरात्मा आगे बताए जाने वाले निम्नोक्त विविध कारणों—प्रयोजनों से हिंसा करते हैं ।

वे प्रयोजन कौन-कौन से हैं, यह बता रहे हैं—उनमें से कई तो चमड़े, चर्बी, मांस, मेदा, रक्त, जिगर, फेफड़े, भेजा (दिमाग), हृदय, आंतों, पित्त, फोफस (फुफ्फुस) और दांतों के लिए उन निरपराध जीवों का प्राणवध करते हैं । तथा कई हड्डी, मज्जा, नख, आँखें, कानों, स्नायुओं-नसों (रगों), नाक, घमनियों (नाडियों), सींगों दाढ़, पिच्छ, विष, हाथीदात और केशों के (प्राप्त करने के) लिए उनका प्राणनाश करते हैं ।

और कई रसलोलुप अधम शहद प्राप्त करने के लोभ में भीरों और मधुमक्खियों का प्राणवध कर देते हैं ।

इसी तरह कई मूढ अपने वस्त्रों को रंगने या बढ़िया बनाने एवं घर में सोने, नहाने, शौच जाने, वस्त्रादि का प्रसाधन (शृंगार) करने, भोजन बनाने, पानी रखने आदि के उपगृहों को खासतौरसे रगरीगन करने या सुशोभित करने के लिए एवं कई अपने शरीर और अन्य साधनों को संस्कारित करने, मांजने,

धोने या साफ करने के लिए दीन-हीन अगणिततीन इन्द्रियों और दो इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा करते हैं। इसी प्रकार के दूसरे बहुत-से संकड़ों कारणों से अज्ञानी जीव इस लोक में बेचारे त्रसजीवों का वध कर डालते हैं। इसी प्रकार बहुत-से अज्ञानी जीव बेचारे इन एकेन्द्रिय जीवों का और उन एकेन्द्रिय जीवों के ही आश्रित बहुत से सूक्ष्म शरीर वाले त्रसजीवों का नाश कर डालते हैं।

वे एकेन्द्रिय जीव सुरक्षारहित, अशरण, अनाथ, बन्धुजनरहित, कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए होते हैं, मिथ्यात्वी होने से उनके परिणाम शुभ नहीं होते, मंदबुद्धि प्राणियों को उनके अस्तित्व का ज्ञान दुष्कर होता है। उनमें पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर पृथ्वीमय होता है, उनके आश्रित कई अलसिया आदि त्रसजीव होते हैं, अप्काय के जीवों का शरीर जलमय होता है, उनके आश्रित फुंआरे वगैरह बहुत-से त्रस जन्तु रहते हैं, तथा अग्नि, वायु और वनस्पति आदि का शरीर भी क्रमशः अग्निमय, वायुमय और वनस्पतिमय होता है, उनके आश्रित रहने वाले या उन्हीं के ही विकार से उत्पन्न कई जन्तु होते हैं। ये सब एकेन्द्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के ही आधार पर या आहार पर रहते हैं, और पृथ्वी आदि के रूप में ही परिणत वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शमय शरीर धारण करके रहते हैं। इनमें कई सूक्ष्म हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते; कई आँखों से दिखाई देते हैं। ऐसे त्रसकायिक जीव अमंख्य होते हैं। और स्थावर कायिक जीव सूक्ष्म, बादर, प्रत्येक और माधारण शरीर के भेद से अनन्त हैं। इनमें से कई जीव अपने विनाश के दुःख को स्पष्ट महसूस करते हैं और कई स्पष्ट महसूस नहीं करते। मोहान्ध जीव आगे बताये जाने वाले इन विविध कारणों—प्रयोजनों से उनका संहार करते हैं। वे प्रयोजन इस प्रकार हैं—

कृषिकर्म, पुष्करिणी, बावड़ी, खेत, क्यारी, कुंआ, तालाब, कमलो वाला मरोवर, चिता, वेदिका, खाई, बाग, बौद्ध-विहार या मठ, स्तूप कोट, द्वार, नगर का सदर दरवाजा, अटारी, नगर और कोट के बीच का आठ हाथ का मार्ग, पुल, उबड़खाबड़ जगह से उतरने का रास्ता, राजमहल, बंगला या प्रासाद के अन्तर्गत मकान, भवन (पक्काघर), तृणकुटीर या भ्रौंपड़ी, मामूली घर, गुफा, बाजार, यज्ञादि की प्रतिमा का स्थान, शिखर वाले देवालय (मन्दिर), चित्रों से सुसज्जित सभामण्डप, प्याऊ, देवायतन, तापसों का आश्रम या मठ, भूमिगृह, और मण्डप (तम्बू) के लिए तथा अनेक प्रकार के सोने, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं के अनेक किस्म के बर्तनों एवं नमक मिर्च आदि बेचने के साधनों (किराने)

तथा ऊखल मूसल आदि अनेक उपकरणों के लिए मन्द बुद्धि लोग पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं ।

स्नान, पान, भोजन, वस्त्रप्रक्षालन तथा शौच आदि कार्यों के लिए जलकायिक जीवों की हिंसा करते हैं ।

एवं पकाने, पकवाने, जलाने और उजाला करने आदि कामों के लिए अग्निकायिक जीवों की हिंसा करते हैं ।

सूप (छाज), पंखों, ताड़पत्र के पंखों, मोर पंख के पंखों, कागज आदि के पन्ने, मुँह, हथेली, सर्गवृक्ष के पत्ते और वस्त्र आदि साधनों से वायुकायिक जीवों की हिंसा करते हैं ।

तथा मकान, तलवार वगैरह का म्यान, मोदक आदि भक्ष्यवस्तु, भोजन, शय्या, आसन, लकड़ी के पट्टे, ऊखल, मूसल, वीणा आदि तार वाले बाजे, ढोल-नगाडे आदि चमड़े से मढ़े हुए बाजे, अन्य बाजे, जहाज गाड़ी आदि सवारी, लता आदि का मंडप, अनेक प्रकार के भवन (इमारतें), तोरण, कबूतरो के बैठने का स्थान, देवालय, भरोखे, विशेष किस्म की सीढियाँ, दरवाजे पर अगल बगल में निकले हुए लकड़ी के कंगूरे, चौबारा, वेदी, निसैनी, नाव, बड़ी टोकरी, कील (खूँटियाँ), रावटी (खेमा), सभा, प्याऊ, मठ, सुगन्धित चूर्ण (पाउडर), फूलों की माला और चंदन आदि का लेप, कपडे, जूड़ा-जूआ, हल, खेत जोतने के बाद भूमि को सम करने वाला औजार (सुहागा) हल की तरह का खेती का औजार, विशेष प्रकार का रथ, पालकी, रथ, बैलगाड़ी, यान (घोडा आदि के जुतने से चलने वाली सवारी), एक तरह की पालकी, अटारी, नगर और प्राकार के बीच का ८ हाथ चौडा रास्ता, द्वार, नगर का सदर दरवाजा, आगल, अरघट आदि यंत्र, शूली, लाठी, बंदूक, तोप, अन्य हथियार, ढाल, कवच आदि आवरण, मंच आदि उपकरणों—साधनों के लिए, इन और ऐसे ही दूसरे बहुत से संकडों कारणों—प्रयोजनों से वे उन तरुणों (उपलक्षण से वनस्पतिकायिक जीवों) की हिंसा करते हैं ।

इस प्रकार और भी ऊपर कहे हुए या नहीं कहे हुए शक्तिहीन प्राणियों का पापकर्म में दूढ, मूढ़ व कठोरमति जीव घात करते हैं । उनमें से कई तो क्रोध के वश, कई मान के वश, कई माया के वश, कई लोभ के वश, कई हंसी, रति, अरति और शोक के वश, कई स्त्री आदि वेद का उदय होने पर उसकी पूर्ति के लिए, अथवा वेदोक्त अनुष्ठान के लिए, जीने की कामना से प्रेरित होकर कामभोग की इच्छा पूरी करने के लिए, अर्थ के लिए और कुल जाति आदि के तथाकथित धर्म के पालन के लिए या धर्म के नाम पर

बताई हुई क्रिया के हेतु स्वाधीन होकर या पराधीन होकर, प्रयोजन से या निष्प्रयोजन प्रसजीवों और स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं ।

कई मंदमति अज्ञान द्रष्टे स्वाधीन होकर मारते हैं, कई पराधीन होकर मारते हैं, कई स्वाधीन और पराधीन होकर दोनों तरह से मारते हैं, कई प्रयोजनवश मारते हैं, कई बिना ही प्रयोजन के मारते हैं, कई प्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनों तरह से मारते हैं, कई हास्यवश मारते हैं, कई वैर (अदावत) के कारण मारते हैं, कई भोगों में रति (आसक्ति) के कारण मारते हैं, कई हँसी, वैर और रति तीनों कारणों से मारते हैं, कई क्रुद्ध होकर मारते हैं, कई लुब्ध (आसक्त) होकर मारते हैं, कई भुग्ध (फिदा) होकर मारते हैं, कई क्रुद्ध, लुब्ध और भुग्ध होकर मारते हैं, कई अर्थ के निमित्त से मारते हैं, कई धर्म के नाम पर मारते हैं, कई कामभोग के लिए मारते हैं, कई अर्थ, धर्म और काम तीनों के निमित्त से मारते हैं ।

व्याख्या

तीन बातें—प्रस्तुत सूत्रपाठ में मुख्यतया तीन बातों पर प्रकाश डाला गया है—

(१) हिंसक जीवों के स्वभाव पर, (२) जिन जीवों की हिंसा की जाती है, उनके नामोल्लेख पर, (३) हिंसा के-कारण, प्रयोजन या निमित्त पर ।

हिंसक जीवों का स्वभाव—हिंसाकर्ता जीवों के स्वभाव का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस लोक और परलोक में सर्वत्र दुःख देने वाली, अनेक भेद-प्रभेदयुक्त भयकर हिंसा में वे ही प्रवृत्त होते हैं, जिनकी आत्मा पापानुबन्धी पापकर्म के उदय से रातदिन पाप में ही मग्न रहती है, जो केवल इन्द्रियों और मन के ही गुलाम है, जिन्हें समय (नियंत्रण) नाम की कोई चीज नहीं सुहाती, पापकार्यों से विरत न होने के कारण जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, त्याग, तप, सुध्यान, भावना आदि से कोसों दूर रहते हैं, जिनके मन में कभी शान्त परिणाम नहीं आते और उन अशान्त परिणामों के कारण जिनके मन, वचन और काया दुष्प्रवृत्तियों में बेरोकटोक भटकते रहते हैं, इस कारण जो सदा अज्ञान, मोह और प्रमाद में ग्रस्त रहते हैं ।

हिंसा किए जाने वाले जीव—शास्त्रकार ने पञ्चेन्द्रिय से लेकर क्रमशः एकेन्द्रिय तक के जीवों का नामोल्लेख करके स्पष्ट समझा दिया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चजीवों में स्थलचर (चतुष्पद, चौपाये), उरःपरिसर्प और भुजपरिसर्प, जलचर-मत्स्य आदि और क्षेत्र-पक्षियों के क्रमशः नाम खोल कर तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, एव पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीवों का सामान्यतया उल्लेख करते यह बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि हम पञ्चेन्द्रियों और उनमें भी मनुष्यों को ही इस ससार में जीने का अधिकार है । मनुष्य के सिवाय अन्य सब

प्राणी मनुष्य के मौजशौक या वैषयिक सुख कामना की पूर्ति के लिए हैं। उन जीवों को भी जीने का अधिकार है। अपनी आत्मा के समान उन्हें भी सुख और दुःख का संवेदन होता है, उन्हें भी मरने का दुःख अतीव पीडा पहुंचाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन एकेन्द्रिय प्राणियों में चाहे चेतना सुषुप्त या मूर्च्छित हो, परन्तु है अवश्य। वैदिक धर्मग्रन्थ स्मृतिशास्त्र में भी इसे माना है—


‘अन्तःप्रज्ञा भवत्येते सुखदुःखसमन्विताः ।

शारीरजैः कर्मदोषैर्यान्ति स्थावरतां नरः ॥’

ये स्थावर जीव भी सुख और दुःख के संवेदन में युक्त और अन्तःचेतना वाले होते हैं। मनुष्य शरीरजन्य कर्म-दोषों के कारण स्थावर योनियों को प्राप्त करता है।’

मनुष्य सत्सार के सभी प्राणियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता तभी सार्थक हो सकती है, जब वह अपने से निम्न और अविकसित चेतना वाले या अल्पविकसित चेतनाशील प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति, वत्सलता, और आत्मीयता का व्यवहार करे। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने उन प्राणियों की दयनीयता का सजीव चित्र खींचकर सत्सार के श्रेष्ठ प्राणी—मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया है कि “वे बेचारे अत्राण है, अज्ञान है, अनाथ है, अबाधव है, अपने पूर्वकृत कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, मिथ्यात्ववश अकुशल परिणामी हैं, साधारण मदबुद्धि मानव इनके अस्तित्व की उपेक्षाकर देता है। इसी प्रकार तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय (जलस्थलनभचारी) जीवों और विकलेन्द्रिय (दो-तीन-चार इन्द्रियों वाले) जीवों की भी दयनीयदशा का वर्णन करते हुए कहा है—इन्हें अपनी ज़िदगी प्यारी है, ये मरने के दुःख के खिलाफ हैं, दीनहीन हैं और अनेक प्रकार के सक्लिष्ट कर्मों से बंधे हुए हैं।

समस्त ससारी जीवों का मौटे तौर से स्वरूप समझने के लिए हम नीचे एक तालिका दे रहे हैं—



यद्यपि प्रस्तुत सूत्रपाठ में तिर्यञ्चगति के एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों के नाम गिनाये हैं, तथापि स्पष्ट समझने के लिए हम संक्षेप में इनकी व्याख्या कर देते हैं—

तिर्यञ्चपंचेन्द्रिय के ५ भेद हैं—जलचर, स्थलचर, क्षेत्रचर, उरःपरिसर्प और भुजपरिसर्प ।

जलचर वे हैं, जो जल में ही चलते हैं, स्थल पर जिनका जीवन टिक नहीं सकता, जल के सहारे से ही जो अपना जीवन टिकाते हैं । वे न आकाश में उड़ सकते हैं, न स्थल पर चल सकते हैं । जैसे मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जलचारी जन्तु ।

स्थलचर वे हैं, जो इस जमीन पर ही चल सकते हैं, न वे उड़ सकते हैं और न वे जल में चल सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, गाय, हिरण आदि चौपाये जानवर ।

उरःपरिसर्प वे हैं, जो पेट के बल रेंग कर या सरककर चलते हैं, यद्यपि वे चलते जमीन पर ही हैं, किन्तु चौपाये जानवरों की तरह पैरों के बल नहीं चल सकते । जैसे अजगर, सर्प, महामर्प आदि । ये न आकाश में उड़ सकते हैं, न जल में चल सकते हैं । हाँ, कुछ साप तैर जरूर लेते हैं ।

भुजपरिसर्प वे हैं, जो भुजाओं के बल गति करते हैं । वे न तो उड़ सकते हैं, न जल में चल सकते हैं । जैसे—बूहा, नेबला, गिरगिट, गिलहरी आदि । यद्यपि ये भी भ्रूचर हैं, तथापि चौपाये जानवरों की तरह पैरों से नहीं चलते ।

क्षेत्रचर वे हैं, जो आकाश में या जमीन से ऊपर उड़ने वाले प्राणी हैं । यद्यपि ये जमीन पर उतरते हैं, टिकते हैं, परन्तु खासतौर से ये अपने पंखों के बल पर आकाश में उड़ते हैं । इसलिए इन्हें पक्षी कहा है । जैसे कबूतर, चिड़िया, हंस, बाज, कौआ, मोर, चकोर, तीतर आदि ।

ये पाँचों ही प्रकार के तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय कहलाते हैं ।

चतुरिन्द्रिय वे जीव हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय (शरीर-स्वच्छा), रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुर्निन्द्रिय ये चार इन्द्रियाँ हो । जैसे—भौरा, टिड्डी, मधुमक्खी आदि ।

त्रीन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके स्पर्शन, रसन और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हो । जैसे—चीटी, मकौड़े, कीड़े आदि ।

द्वीन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये दो ही इन्द्रियाँ हों । जैसे—शंख, सीप, अलसिया, लट आदि । पंचेन्द्रिय से लेकर द्वीन्द्रिय तक व्रस जीव कहलाते हैं ।

एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनके सिर्फ एक ही स्पर्शनेन्द्रिय हो । जैसे—

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक जीव । ये पाँचो स्यावर^१ जीव कहलाते हैं ।

पृथ्वीकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही पृथ्वीमय है, पृथ्वी का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा पृथ्वी का रंग (रूप), रस (स्वाद), गन्ध (खुशबू या बदबू), और स्पर्श होगा, वैसा और तद्रूप ही उन जीवो का शरीर होगा । जैसे—मिट्टी, मुरड, हिंगुल, हडताल, हिरमच, नमक, पत्थर, रत्न, मणिमाणिक्य, अभ्रक शिला आदि ।

अष्कायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही जलमय है, जल का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा जल का रंग (रूप) गन्ध, रस (स्वाद) और स्पर्श (ठंडा या गर्म आदि) होगा वैसा और तद्रूप ही उन जीवो का शरीर होगा । जैसे कुण्ड, तानाब, बावड़ी, समुद्र, नदी, झरना, बरसात आदि का पानी ।

तेजस्कायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही अग्निमय है, अग्नि का ही बना हुआ है । अग्नि का रूप, गन्ध और स्पर्श जहाँ जैसा होगा, वहाँ वैसा और तद्रूप ही उन जीवो का शरीर होगा । जैसे—आग, ज्वाला, अगारे, चिनगारी आदि ।

वायुकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही वायुरूप है, हवा का ही बना हुआ है । वायु का वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श जहाँ जैसा होगा, वहाँ उन जीवो का शरीर भी वैसा तद्रूप होगा । जैसे—उक्कलियावात, मडनियावान, धनवात, तनुवान, शुद्ध-वात आदि ।

वनस्पतिकायिक जीव वे हैं, जिनका शरीर ही वनस्पतिमय है, वनस्पति का ही बना हुआ है । जहाँ जैसा भी रंग (रूप), रस, (स्वाद), गन्ध और स्पर्श होगा, वहाँ उन जीवो का शरीर भी वैसा और उमी रूप में परिणत हो जायगा । जैसे विविध शाक, भाजी, फल, आम, नीम, जामुन आदि के पेड, पौधे, फूल, ईख, कपाम, विविध प्रकार के घान्य, आदि ।

ये पाँचो एकेन्द्रिय और स्यावर जीव दो प्रकार के हैं— सूक्ष्म और वादर ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय वे हैं, जो काटे नहीं कटते, मारे नहीं मरते । वे अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं । इन्हें किसी आधार की आवश्यकता नहीं रहती । ये सारे लोक में ठसाठस भरे हैं । इनका रास्ता कोई दीवार या प्रतिबन्ध रोक नहीं सकते ।

वादर एकेन्द्रिय वे हैं, जो दूसरो को रोकते हैं, स्वयं भी दूसरे में रोके जाने हैं, जो शस्त्र से कट सकते हैं—

वनस्पतिकायिक जीवो के इन भेदो के अलावा दो भेद और हैं—प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय । जो एक शरीर का एक ही स्वामी हो, वह प्रत्येक वनस्पतिकाय कहलाता है जैसे—फल, बीज, अन्न आदि । और जहाँ एक ही शरीर

१ इनका विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में देखें । —सपादक

में अनन्त जीव रहते हैं या एक शरीर के अनन्त जीव स्वामी हैं, एक ही साथ जन्म लेते हैं, एक ही साथ मरते हैं, एक ही साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति-काय कहते हैं। जैसे—जमीकद, आलू, रतालु आदि। इसके अलावा पृथ्वीकाय आदि के जीवों के आश्रित बहुत से जीव रहते हैं, वे तस कहलाते हैं। उनमें कई तो आँखों से दिखाई देते हैं, कई नहीं दिखाई देते। माईक्रॉसकोप आदि यन्त्रों या खुरदबीनों से देखने पर वे चलते फिरते नजर आते हैं। जैसे जल के आश्रित फुंगारे आदि, हवा के आश्रित कीटाणु, मिट्टी के आश्रित कीट, वनस्पति के आश्रित कीटाणु आदि।

जीवों के भेद और नाम बताने का प्रयोजन—कई लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ हिंसा के प्रकरण में जीवों के भेद और नाम बताने की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवों का स्वरूप, उनके भेद और नाम, तथा उनके रहने के स्थान नहीं जान लेगा, तब तक वह उनकी हिंसा से कैसे विरत होगा? हिंसा और अहिंसा तो प्राणियों को लेकर ही होती है! जिसे इस ससार के चेतनाशील जीवों का पता नहीं, वह अपने जीवन की तरह दूसरों के अस्तित्व या जीवन को बचाने का प्रयत्न भी कैसे करेगा? जब वह जान जायगा कि इन प्राणियों में भी मेरी ही तरह की-सी चेतना है, तभी वह इनकी हिंसा करने से रुकेगा। दूसरी बात यह है कि जीव-अजीव के विवेक से रहित मूढ़ लोग किन-किन जीवों की कैसे-कैसे और किस-किस प्रयोजन से हिंसा कर बैठते हैं, यह बताने के लिए यहाँ जीवों के स्वरूप, भेद और नाम बताना शास्त्रकार को अभीष्ट है। तीसरी बात यह है कि कई प्राचीन मतवादी गाय आदि में आत्मा नहीं मानते थे, वे कहते थे—Cow has no soul (गाय में आत्मा नहीं होती), इसी प्रकार आज भी बगाल आदि प्रान्तों में मछली को जलतरौई मानकर उसके खाने से कोई परहेज नहीं करते, चीनी लोग तो कई जलजन्तुओं को कच्चे ही खा जाते हैं तथा जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ अन्य धर्म सम्प्रदाय के बहुत-से लोग मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, वनस्पति आदि में चेतना या जीवन नहीं मानते, उन्हें स्पष्ट रूप से बताने के लिए भी तस की तरह स्थावर जीवों का वर्णन करना आवश्यक था।

जीव का लक्षण और उनमें चेतना का प्रमाण—‘उद्योगो लक्षणो जीवो’—जिममें उपयोग हो यानी ज्ञान और दर्शन का उपयोग हो, जानने और विशेष प्रकार से देखने—चिन्तनपूर्वक जानने की शक्ति हो, जिसे सुख और दुःख का संवेदन होता हो उसे जीव कहते हैं। प्रत्येक जीव में चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म निगोद का ही जीव क्यों न हो, चेतना विद्यमान रहती है। उसी चेतना के कारण उसमें प्राण टिकते हैं, शरीर के अगोपाग, इन्द्रियाँ और मन काम करते हैं। यह बात दूसरी है कि किसी जीव में चेतना अव्यक्त व सुषुप्त होती है, किसी में कुछ कम जागृत होती है, किसी में विशेष जागृत होती है। यह तो चेतना के अल्प विकास और अधिक विकास का अन्तर है।

परन्तु चेतना सब जीवों में अवश्य रहेगी। चाहे किसी जीव का दर्शन और ज्ञान कितना ही आवृत्त क्यों न हो जाय, फिर भी उसके आठ रुचक प्रवेश तो खुले रहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होता कि वह जिंदा रहे, लेकिन उसमें चैतन्य कतई न रहे। जब चैतन्य मृत्यु होने से निकल जाता है तो वह निश्चेतन या निर्जीव हो जाता है। अतः एकैन्द्रिय जीव से लेकर पञ्चेन्द्रिय जीव तक में चैतन्य जब तक रहता है, तब तक उसमें जीवत्व रहता है, उसमें आत्मा रहती है। जितने भी जीव हैं, उनमें आत्मा जरूर होती है।

पृथ्वीकाय के जीवों में चेतना होने का सबूत यह है कि खान आदि में से शिलाएँ या चट्टानें तोड़कर निकाल लेने और चूरा डालने के कई महीनों के बाद वहाँ पहले की तरह पुनः शिलाएँ बन जाती हैं। यह वृद्धि क्या बिना चेतना के हो सकती है। जिस मिट्टी को सूर्य की किरणों का या प्राणियों का आवागमन के कारण स्पृशं होता रहता है, वह तो अचेतन हो जाती है, लेकिन जो नीचे से खोदकर निकाली जाती है, वह सजीव होती है, उसका लेप लगाने पर वह जहर को चूस लेती है, घाव को ठीक कर देती है, उसे खाद और पानी मिलने पर उससे अनाज, पेड़-पौधे आदि उग जाते हैं। क्या यह मिट्टी की जीवनी शक्ति का चिह्न नहीं है। इसी प्रकार जल-कायिक जीवों में भी चेतना होने का प्रमाण यह है कि पानी की पट्टी बाध देने पर वह रोगी को स्वस्थ कर देता है, घाव पर पानी की पट्टी लगातार बाधने पर वह मवाद आदि को साफकर उसे चूस लेता है। यह उसकी जीवनी शक्ति का चमत्कार नहीं तो क्या है? अग्निकाय और वायुकाय में भी चेतनाशक्ति मौजूद है, तभी तो अगर कोई न बुझाए या रोक न लगाए तो वे अपने आप आगे में आगे बढ़ते जाते हैं। वनस्पति-काय में चेतना और सुखदुःखादि का संवेदन अनुभव से, शास्त्रों से और वर्तमानकाल के वनस्पति विज्ञानवेत्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है। वृक्ष श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। दिन में उनकी छाया में बैठने पर वे ऑक्सिजन (स्वास्थ्यवर्धक प्राणवायु) छोड़ते हैं और मनुष्य के मुँह से निकलने वाले कार्बन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य के लिए ऑक्सिजन लाभदायक होता है, वृक्षों के लिए कार्बन। इसी प्रकार अफ्रीका आदि देशों में कई पेड़ ऐसे पाये गये हैं जो जहरीला धुआँ या गैस छोड़ते हैं, जिससे पास आने वाला दम घुटकर मर जाता है। कई ऐसे वृक्ष भी वहाँ पाये गये हैं, जो पास में आने वाले मनुष्य या पशु आदि को नीचे झुक कर पकड़ लेते हैं और उसे चूसकर छोड़ देते हैं। कई पेड़ ऐसे भी पाये गये हैं, जो अपने पत्तों पर किसी कीड़ या पक्षी आदि को बैठते ही उसे दौने की तरह बंद कर लेते हैं, वह प्राणी उसी में फँस कर मर जाता है। कई पेड़ों के पत्ते करवत की तरह तीखे होते हैं, वे प्राणी के पास में आते ही उसके अंग को चीर डालते हैं। लाजवती (छुड़ मुई) नाम की वनस्पति छूते ही सिकुड़ जाती है। फिर वनस्पतियों को बढ़ते और फैलते हम देखते हैं। यह बातें क्या जड़ में पाई जा सकती हैं? क्या ये बातें वनस्पति में चेतनता—सजीवता के प्रमाण नहीं हैं?

कुछ वर्षों पहले बंगाल के वनस्पति विज्ञान के आचार्य जगदीशचन्द्र बसु ने बम्बई में प्रदर्शनी लगाकर वनस्पति में सुख और दुःख के संवेदन का होना प्रत्यक्ष सिद्ध कर बताया था। उन्होंने दर्शकों से कहा कि मैं इस वनस्पति को गाली देता हूँ, फिर प्रशंसा करता हूँ, देखना इसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? उन्होंने पहले गाली दी तो वह एकाएक मुरझा गई। फिर उमकी प्रशंसा की तो वह खिल उठी। यह वनस्पति में जीवन का प्रत्यक्ष सबूत है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय त्रस प्राणियों में चेतना प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वतंत्र गति करते हैं, कष्ट देने पर तड़फते हैं, धूप से छाया में उठाकर रखो तो सुखी होते हैं; उनको छूने या उन पर प्रहार करने से वे एकदम छटपटा उठते हैं, दुःखी होते हैं। चाहे वे बोल न सकें या अपनी वेदना को व्यक्त न कर सकें, किन्तु उनकी चेष्टाओं से तो प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। इसलिए इनके सजोव होने में तो कोई सदेह ही नहीं है।

इससे आगे अधिक विकसित चैतन्य वाले तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीव हैं, जिनके भेद और नाम विस्तार से शास्त्रकार ने बताए ही हैं। उनकी चेतना तो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, उनमें से बहुत में तो अपनी अव्यक्त भाषा में अपने सुख-दुःख के संवेदन को व्यक्त भी करते हैं। पालतू पशु ही नहीं, क्रूर से क्रूर माने जाने वाले सिंह सर्प आदि जानवर भी उन्हें सुख पहुँचाने वाले उपकारी के प्रति कृतज्ञ होकर अपनी हिंसावृत्ति तक छोड़ देने हैं, मित्रवत् बन जाते हैं। जब उन्हें कोई मारता, पीटता, सताना या हैरान करता है तो वे बदला लेने या सामना करने को तैयार हो जाते हैं। यह सुख और दुःख के संवेदन की स्पष्ट प्रतिक्रिया उनमें देखी जा सकती है। तब क्या यह कहने की कोई गुंजाइश रह जाती है कि इन पूर्वोक्त विविध तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीवों में चैतन्य या जीवनशक्ति नहीं है?

चेतना के विकास का तारतम्य—एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के सब जीवों में चेतना विद्यमान होने पर भी उसके विकास में उत्तरोत्तर न्यूनाधिकता पाई जाती है; विकास की न्यूनाधिकता का कारण उनमें प्राण और इन्द्रियों की न्यूनाधिकता है। जैसे एकेन्द्रिय में सिर्फ एक स्पर्शनेन्द्रिय ही है, इसलिए प्राण भी शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य ये ४ ही हैं। इन्द्रिय न होने के कारण उन जीवों में चेतना अव्यक्त, सुषुप्त या मूर्च्छित रहती है। अत्यन्त अविकसित चेतना है। उससे बढ़कर चेतना का विकास द्वीन्द्रिय में होता है, उसमें स्पर्शनेन्द्रिय और जिल्हेन्द्रिय होने से रसनेन्द्रिय और वचन ये दो प्राण बढ़ गए। एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय जीवों में थोड़ी-सी ज्यादा विकसित चेतना है। त्रीन्द्रिय जीवों में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय बल प्राण अधिक होने से तथा चतुरिन्द्रिय में पहले की अपेक्षा चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण अधिक होने से उत्तरोत्तर चेतना का विकास

बढ़ा है। इसके बाद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय में पाँचों इन्द्रियाँ होने से जो सञ्जी (समनस्क) हैं, उनमें दसों ही प्राण होने से उनकी चेतना पहले के चारों कोटि के जीवों से अधिकतम विकसित होती है। जिसकी चेतना जितनी अधिक विकसित होती है, उसे सुख और दुःख का संवेदन उतना ही अधिक होता है, और निम्न कोटि के जीवों की अपेक्षा उनमें ज्ञान, समझ व अपने हिताहित को पहिचानने की बुद्धि अधिकतम होती है।

जिन जीवों की चेतना जितनी अधिक विकसित होती है, उनकी हिंसा करने में हिंसाकर्ता में क्रूरता उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए उनकी हिंसा से पाप कर्म का बन्ध भी प्रबल होता है। कहने का मतलब यह है कि एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीवों की हिंसा में पाप कर्म का बन्ध अधिक, त्रीन्द्रिय की हिंसा में उससे अधिक, और चतुरिन्द्रिय जीवों की हिंसा में उससे भी अधिक पाप कर्म का बन्ध होता है, तथा पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा में अधिकतम पाप कर्म का बन्ध होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। हिंसा की तीव्रता-मन्दता जीवों की चेतना के तीव्र मन्द विकास पर और हिंसाकर्ता के परिणामों की तीव्रता-मन्दता पर निर्भर है।

प्राणिवध करने के प्रयोजनों या कारणों पर विचार—शास्त्रकार ने मूलपाठ में पञ्चेन्द्रिय से एकेन्द्रिय तक के जीवों की हिंसा के जिन-जिन प्रयोजनों पर प्रकाश डाला है, वे तो स्पष्ट हैं। खासतौर से पञ्चेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा चमड़े, मांस आदि के लिए होती है, विकलेन्द्रिय जीवों की हिंसा शरीर, वस्त्र, घर आदि विविध वस्तुओं को सुशोभित करने या कई दवाइयाँ बनाने आदि के लिए की जाती है, और एकेन्द्रिय जीवों का हिंसा खान पान, शय्या, वस्त्र, जीवनोंपयोगी विषय साधनों, मकानात बनाने एवं खेती, व्यापार आदि धर्मों में या बाग बगीचे आदि के निमित्त से की जाती है।

हिंसा के प्रयोजनों या कारणों के बताने का उद्देश्य यही है कि मानव इन कारणों से जहाँ तक हो सके दूर रहे, इनसे बचने की कोशिश करे, कम से कम आवश्यकताओं से काम चलाए, अत्यन्त सात्त्विक और सादा जीवन बिताए, जीवननिर्बाह के साधनों में कटौती करे। क्योंकि जीवन में जितनी अधिक हिंसा बढ़ेगी, उतना ही उसके अपने लिए दुःख की परम्परा बढ़ेगी, आत्मा की उन्नति में उतने ही विघ्न बढ़ेंगे, भविष्य में हिंसा की उस अधिकता के फलस्वरूप विकास प्राप्त होने का मार्ग अवरुद्ध हो जायगा। सच कहें तो वह हिंसा उन जीवों की हिंसा नहीं, एक तरह से अपनी ही आत्महिंसा होगी। परन्तु मनुष्य की बुद्धि पर आज भौतिकवाद एवं स्वार्थ का पर्वा पड़ जाने के कारण वह अध्राधुंध प्रवृत्ति करता है, हिंसा-अहिंसा का कोई विचार नहीं करता, दूसरे प्राणियों की जिदगियों का खयाल ही प्रायः नहीं करता, अपने सुख साधनों को जुटाने के लिए वह दूसरों के सुखों की परवाह नहीं करता। इस प्रकार की आपा-

धामी में उसे विवेक का प्रकाश देने वाले शास्त्र के पाठ कितने उपकारी होते हैं। अज्ञानी जीवों द्वारा अपनी छोटी-सी जिवगी के लिए या थोड़े-से जीने के लिए दूसरे सुखाभिलाषी प्राणियों पर किन-किन अधम प्रयोजन वश कहर बरसाया जाता है, उनके प्राणों को लूटा-खसोटा जाता है, इसका कच्चा चिट्ठा शास्त्रकार ने मूलपाठ में खोलकर रख दिया है।

पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का वध करने का सर्वप्रथम प्रयोजन चमड़ा है। आजकल चमड़े का व्यापार व आयात-निर्यात हृद से ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए बढ़े-बढ़े अद्यतन मशीनों वाले कत्लखाने खोले जाते हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पशु निर्दयतापूर्वक काटे जाते हैं। उनका चमड़ा विदेशों में जाता है अथवा देश में चमड़े की चीजें बनाने के कारखानों में जाता है। वहाँ चमड़े के बूट, बटुए, मूटकेस, मोजे, ओवरकोट, पट्टे, कमरबंद, घड़ी के पट्टे, आदि विविध लुभावनी वस्तुएँ बनकर बाजारों में आती हैं। भोले भाले ग्राहक उन चमचमाती हुई चीजों को देखकर खुश होकर खरीदते हैं। वे यह नहीं सोचते कि चमड़े की इन वस्तुओं के बनाने में चमड़ा कहाँ से और कैसे आया है? वल्कि कई बार तो गर्भवती भेड़ बकरियों को कत्ल करके उनके बच्चों को बेरहमी में मार कर मुलायम चमड़ा प्राप्त किया जाता है, जिसे क्रुमलेदर व काफलेदर कहते हैं। उस मुलायम चमड़े की बनी वस्तुएँ कई मूढ ग्राहक खुश होकर खरीदते हैं। इसी प्रकार मृगछाला या बाघंबर के लिए हिरणवबाघ को मारा जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने सबसे पहले चमड़े के लिए भयंकर हिंसा का जिक्र किया है।

चर्बी के लिए आजकल बड़े शहरों में पशुओं को कत्ल किया जाता है। वह चर्बी मशीनों के पट्टों पर लगाई जाती है। कपड़ों को फाइन बनाने के लिए चर्बी की पालिश की जाती है। साबुन बनाने में भी चर्बी का इस्तेमाल होता है। यही नहीं, धी के बदले आजकल बड़े-बड़े शहरों में चर्बी को तपा कर उसे टिन में जमा कर बेचा जाता है। पता नहीं, लोग इसके पीछे होने वाले पञ्चेन्द्रियवध को क्यों नहीं सोचते! कई दवाइयों में भी चर्बी पढ़ने लगी है।

यही हाल मासाहार का है। पहले की अपेक्षा अब लोग मास खाने के शौकीन ज्यादा होते जा रहे हैं। अड़ों को तो निर्जीव मानने और आलू के समान समझकर घड़ल्ले से खाने लग गये हैं। अड़ों किसी पेड़ का फल नहीं है और न जमीन में ही पैदा होता है। है वह मुर्गी के पेट का ही बच्चा और पञ्चेन्द्रिय जीव। अड़ों निर्जीव होता तो मुर्गी के पेट में आता ही कैसे? है तो वह सजीव ही। हाँ, यह हो सकता है कि उसको हिलाने वगैरह से जीव च्युत हो गया हो। परन्तु है वह मुर्गी के रज, रस, रक्त आदि से उत्पन्न, घिनौना पदार्थ ही। मासभोजियों की संख्या बढ़ने से कत्लखाने बढ़ते

जा रहे है। इससे अन्न की वचत होती हो, यह बात भी नहीं दिखाई देती। मासभोजी मास तो जिह्वा की तृप्ति के लिए खाते है, उधर अन्न भी उतना ही खाते है। मत्स्याहार भी बढ़ता जा रहा है। इस पचेन्द्रिय वध का अभिशाप यह हुआ है कि भारत मे दुधारु पशुओ की सख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, प्राय निःसत्त्व, निबल और रजोतमोगुणी सत्तान पैदा होती जाती है।

रक्त का भी उपयोग काफी मात्रा मे बढ गया है। कई लोग अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए बदर का खून चढवाते है। कई जगह रक्त का पेय पदार्थ की तरह उपयोग होता है। वस्त्रादि रगने मे भी उसका उपयोग कही कही होता है। मोरिस मे आने वाली शक्कर या चीनी खून से साफ की जाती थी, ऐसा सुनने मे आया है। कई दवाइयो या इजेक्शनो मे रक्त का मिश्रण किया जाता है।

इसी प्रकार हड्डी, जिगर, फेफडे, मस्तिष्क, हृदय, आते, पित्त, मज्जा, नख, आंखे, कान, नसे, दात, दाढ, नाक, नाडियाँ, सींग, पख, विप, हाथीदान और केशो के लिए भी निर्दोष पचेन्द्रिय जीवो का वध किया जाता है। जैसे हाथ के चूडे वगैरह बनाने के हेतु हाथीदात के लिए हाथी को घेरा जाता है, उसे फसाया जाना है, और मारा जाता है। केशो के लिए सूअर, चमरी गाय आदि का, सींगो की बन्नु बटन आदि के लिए हिरनो का, विप के लिए सापो का वध कर देने है। पखो के लिए अनेक रगविग्ने पक्षियो का, पिच्छो के लिए भोर का, पित्त के लिए गाय का, इत्यादि विविध प्रयोजनो के लिए हिसक लोग प्राणिवध करने है।

रसलोलुप लोग चतुरिन्द्रिय प्राणी—भीरो और मधुमक्खियो का नाश कर देते है, वे शहद पाने के लिए ही ऐसा करते है। एक छत्रो मे से शहद लेने मे अनेक मधुमक्खियो का घात हो जाता है।

शरीर को सस्कारित करने के लिए कई लोग त्रीन्द्रिय जीवो का घात करने है। रजमी वस्त्र बनाने के लिए शहतूत के कीडे आदि का वध किया जाता है। वस्त्रादि को रगने, पालिश करने आदि के लिए भी त्रीन्द्रिय जीवो का वध होता है।

इसी प्रकार मदबुद्धि लोग बाग, वावडी घर, मडप, भवन, बाजार, अटारी, पुल, स्तूप, मठ, बिहार, आश्रम, द्वार आदि बनाने के लिए पृथ्वीकायिक जीवो की हिसा करत है, म्नानादि कार्यों के लिए अण्काय के जीवो का, पकाने-पकवाने, जलाने, उजाला करने आदि कार्यों के लिए अग्निकायिक जीवो का घात करत है, सूप, पखे, वस्त्र, हथेली, वस्त्र आदि से वायुकायिक जीवो का वध करत है, तथा विविध भोजन, मडप, तोरण, भवन, बलगाडी, छोटी मवारी, रथ आदि बनाने के लिए वनस्पतिकायिक जीवो का सहार होता है।

यद्यपि गृहस्थ, चाहे वह धतधारी श्रावक भी हो, एकन्द्रिय जीवो की हिमा से सर्वथा विरत नहीं हो सकता। उसको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए मकान वगैरह

बनाना पढता है, अनाज भी संग्रह रखना पढता है, भोजनादि भी करना पढता है तथापि गृहस्थ इसमें सकल्पजा हिंसा का सर्वथा त्याग करता है और आरम्भजा आदि में विवेक रखता है ।

हिंसा के पीछे प्रेरणा—शास्त्रकार आगे यह बताते हैं कि वे मदबुद्धि अज्ञानी जीव जो हिंसा करते हैं, उनके पीछे क्या-क्या प्रेरणा गर्भित है ? वे दृढमूढ और भयकर बुद्धि के लोग क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हसी से, रति-अरति से, शोक से, कामवासना से, धर्म, अर्थ, काम और जीवनरक्षा से प्रेरित होकर त्रमस्थावर जीवों का घान करते हैं ।

हिंसा किस परिस्थिति में करते हैं ?—वे मदबुद्धि लोग किस परिस्थितिबश हिंसा करते हैं, यह सूत्रपाठ के अन्त में बताया गया है—“कभी स्वाधीन, कभी विवश, कभी स्वाधीन भी पराधीन भी दोनों परिस्थितियों में, कभी प्रयोजनबश, कभी निष्प्रयोजन, कभी वैरवश, कभी हास्यवश, कभी रतिवश होकर, कभी इन तीनों के वश होकर, कभी क्रुद्ध होकर, कभी लुब्ध होकर, कभी मुग्ध होकर, कभी तीनों ही हान्यतो में कभी अर्थ के कारण, कभी तथाकथित धर्मक्रिया के कारण, कभी काम के कारण, कभी धर्म, अर्थ और काम तीनों के कारण प्राणवध करते हैं ।

इस प्रकार इस सूत्रपाठ में कैसा व्यक्ति, किन-किन जीवों की, किन-किन प्रयोजनों व कारणों से जब किममें प्रेरित होकर, किस परिस्थिति में हिंसा करता है ? यह सारी बातें स्पष्ट करदी है ।

‘पुण’ और ‘च’ शब्द—सूत्रपाठ में जो ‘पुण’ शब्द है, वह केवल उच्चारण के लिए है और जितने भी ‘य’ शब्द है, वे सब समुच्चयार्थक हैं ।

हिंसा के कर्ता और दुष्परिणाम

तृतीय द्वार में हिंसा किन-किन जीवों की, किन-किन कारणों से की जाती है ? यह बता दिया । अब चौथे द्वार में कौन-कौन व्यक्ति हिंसा करते हैं और हिंसा का क्या-क्या फल होता है, इसका विस्तृत वर्णन करते हैं —

मूलपाठ

कयरे ते ? जे ते सोयरिया मच्छबंधा साउणिया वाहा कूरकम्मा, वाउरिया दीवित-बंधणप्पओग-तप्पगलजाल-वोरल्लगायसोदब्भवागुराकूडछेलिया (छेलि) - हत्था हरिण्सा, साउणिया य वीदंसगपासहत्था वणचरगा लुद्धगा महुघाया पोतघाया एण्णियारा पोसणीयारा सर-दह-दीहिअ-तलाग-पल्लल-

परिगालण-मलण-सोत्तबंधण - सलिलासयसोसगा विसगरस्स य
 दायगा उत्तणवल्लर-दवग्गिणिद्वय-पलीवगा कूरकम्मकारी इमे
 य बह्वे मिलक्खुजातीया । के ते ? सक-जवण-सवर-बब्बर-
 गाय - मुरुं डोद-भडग- तित्थिय . पक्कणिय . कुलक्ख-गोड-सींहुल-
 पारस-कोंचंध-दविल-बिल्लल-पुलिद-अरोस-डोंब-पोक्कण-गंधहारग-
 बहलीय - जल्ल- रोम- मास- बउस- मलया- चुंचुया य चूलिया-
 कोंकणगा (ग)-कणग-सेय-मेता (मेत)-पण्हव - मालव - महुर-
 आभासिय-अणक्ख (क्क)- चीण - ल्हासिय-खस - खासिया-नेहुर-
 (नेट्टुर) - मरहट्ठ-मुट्ठिअ-आरव - डोविलग - कुहण-केकय-हूण-
 रोमग-रु-मरुया (गा)-चिलाय-विसयवासी य पावमत्तिणो ।

जलयर - थलयर - सण्फतोरग - खहचर - संडासतोंड-
 जीवोवघायजीवो सण्णी य असण्णिणो य पज्जत्ते अपज्जत्ते
 य असुभलेसपरिणामे एते अण्णे य एवमादी करेति
 पाणाइवायकरणां ।

पावा पावभिगमा (पावमई) पावरुई पाणवहकयरतो
 पाणवहरूवाणुठ्ठाणा पाणवहकहासु अभिरमता तुट्ठा पावं करेत्तु
 (सु) होंति य बहुप्पगारं ।

तस्स य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वड्ढंति महब्भयं
 अविस्सामवेयणां दीहकालवहुदुक्खसंकडं नरयतिरिक्खजोणिं ।
 इवो आउक्खए चुया असुभकम्मबहुला उववज्जंति नरएसु हूलियं
 (तं) महालएसु वयरामय-कुहु-रुंद-निस्संधि-दारविरहिय-निमद्व-
 भूमितल-खरामरिस-विसमणिरयघरचारएसुं महोसिण-सया-पतत्त-
 दुग्गंध-विस्स - उव्वेयजणसेसु वीभच्छदरिमणिज्जेसु य निच्चं
 हिमपडलसीयलेसु कालोभासेसु य भीमगंभीरलोम - हरिसणेसु,
 णिरभिरामेसु निप्पडियारवाहिरोगजरापीलिएसु अनीवनिच्चं-
 धकारतिमिस्सेसु पतिभएसु ववगयगहच्चंदसूरगाक्खत्तजोइसेसु मेय-

वसा-मंसपडल-पोच्चड-पूय -रुहिरुविकण्ण-विलीण-चिक्कणरसिया-
वावण्णकुहियचिक्खल्लकद्दमेसु कुकूलानल-पलित्तजालमुम्मुर-
असिक्खुरकरवत्तधारासुनिसियविच्छुयडंक्विनिवातोवम्मफरिस-
अतिदुस्सहेसु य अत्ताणाऽसरणकड्डुयदुक्खपरितावणेसु अणुबद्ध-
निरंतरवेयणेसु जमपुरिससंकुलेसु ।

तत्थ य अंतोमुहुत्तलद्धिभवपच्चएणं निव्वत्तेति उ ते सरीरं
हुं डं बीभच्छदरिसणिज्जं बीहणगं अट्ठिण्हारुणहरोमवज्जियं
असुभगं दुक्खविसहं, तत्तो य पज्जत्तिमुवगया इंदिएहि पंचहि
वेदेति वेदणं असुहाए वेयणाए उज्जलबलविउल-कक्खड-खरफरस-
पयंड-घोर-बीहणगदारुणाए, किं ते ? कंदुमहाकुंभिए पयण-
पउलण-तवग-तलण-भट्ठ-भज्जणाणि य लोहकडाहुक्कड्ढणाणि य
कोट्टबलिकरणकोट्टणाणि य सामलित्तिक्खग्ग-लोहकंटक-अभि-
सरणापसारणाणि फालणविदारणाणि य अवकोडगबंधणाणि
लट्ठिसयतालणाणि य गलगंबलुल्लंबणाणि सुलग्गभेयणाणि य आएस-
पवंचनाणि खिसणविमाणणाणि विघुट्ठपणिज्जणाणि वज्जसय-
मातिकाणि य एवं ते ॥

संस्कृत-छाया

कतरे ते ? ये ते शौकरिका मत्स्यबन्धाः शाकुनिका व्याघ्राः क्रूर-
कर्म्माणो, वागुरिका द्वीपिक-बन्धनप्रयोग-तत्प्रगलजाल-वीरल्लका (श्वेना)ऽऽ
यसी वर्मवागुरा कूटछेलिकाहस्ता हरिकेशाः, शाकुनिकारश्च विवंशकपाशहस्ता
वनचरका लुब्धका मधुघाता पीतघाता एणीचाराः पोषणीचाराः (प्रीणीचाराः)
सरोह्लव-बीघिका- तडाग- पल्बल-परिगालन- मसन-ओतोबंधन-सलिलाशय-
शोषका, विषगरलस्य च बायका उत्तुणवल्लरववाग्निनिर्वयप्रवीपका. क्रूरकर्म्म-
कारिण इमे च बहुबो म्लेच्छजातीयाः, के ते ? शक-यवन-शबर-बर्बर-काय-
नुरडोव-मडक-तित्तिक-पक्कणिक-कुलास-गौड-सिहल-पारस-क्रौंच-अन्ध-द्रविड-
विल्वल-पुल्लिव-अरोष-डोंब-पोक्कण-गंधहारक-बहलीक-अल्ल-रोम-मास (ध)-
वकुश-मलयारश्चञ्चुकारश्च झूलिकाः कौकणकाः कनकाः सेत-मेव-पल्लव-
मालव-मधुकर-आभाषिक-अणक्क (नक्ष)-चीन-स्थासिक-खस-जातिका-नेहर-

(निष्ठुर)-महाराष्ट्र-मौष्टिक-आरब-ओ (हु) बिलक-कुहण (कुहण)-केकय-हण-रोमक-वध-मरुकाश्चलातविषयवासिनश्च पापमतयः ।

जलचर-स्थलचर-सनलपदोरग-लेचर-संश-तुण्डजीवोपघातजीविनः संशिनोऽसंशिनश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चाशुभलेश्यापरिणामा एते अन्ये चैवमादयः कुर्वन्ति प्राणातिपातकरणम् ।

पापाः पापाभिगमा (पापमतय) पापरुचयः प्राणवधकृतरतिकाः प्राणवधरूपानुष्ठानाः प्राणवधकथासु अभिरममाणास्तुष्टाः पाप कृत्वा (सुखमिति) भवन्ति च बहुप्रकारम् ।

तस्य च पापस्य फलविपाकमजानन्तो वधयन्ति महाभयामविभ्राम-वेदना दीर्घकालबहुदुःखसंकटां नरकतिर्यञ्चयोनिम् । इत आधु क्षये च्युता अशुभकर्मबहुला उत्पद्यन्ते नरकेषु त्वरितं महालयेषु वज्रमय-कुड्य-रुन्ध-निस्सन्धि-द्वारविरहित-निर्माद्व-भूमितल-खरामशं-विषम - निरयगूहचारकेषु महोष्ण-सदाप्रतप्त-दुगन्ध-विश्रोद्धे गजनकेषु बीभत्सवर्शनोयेषु च नित्य हिम-पटलशीतलेषु कालावभासेषु च भीमगम्भीरलोमहर्षणेषु निरभिरामेषु निष्प्रतीकारध्याधिरोगजरपीडितेषु अतीवनित्यान्धकारतिस्रेषु प्रतिभयेषु व्यपगत-ग्रह-चन्द्र-सूर्य-नक्षत्र-ज्योतिष्केषु भेदो-वसा-मांसपटलातिनिविडपूय- (त) रुधिरौत्कीर्णविलीनचिककणरसिका - व्यापन्न - कुथित-चिक्खिलकदमेषु कुकूलानलप्रदीप्तज्वाला - मुमुं राऽसिद्धुर - करपत्रधारामुनिशितवृश्चिकवंश-विनिपातौपम्य स्पर्शातिवुःसहेषु च अत्राणाशरणकटकवु खपरितापनेषु अनुबद्ध-निरन्तरवेदनेषु यमपुरुषसंकुलेषु ।

तत्र चान्तमुहृत्तलविधमवप्रत्ययेन निर्वर्त्तयन्ति तु ते शरीरं दृष्टं बीभत्सदर्शनीयं भापनकमस्थिस्नायुनखरोमवज्जितमशुभकं दुःखविषह, ततश्च पर्याप्तिमूपगता इन्द्रियैः पंचभिर्वेदयन्ति वेदनां अशुभया वेदनया-उज्ज्वलबल-विपुल-कर्कश-खरस्पर्शं-प्रचण्ड-घोरभीषणकदारुणया, किं तत् ? कन्दु-महाकुम्भो-पचन-प्रज्वलन-तपक-तलन-भ्राष्ट्रभर्जनानि च लोहकटाहो-त्कथनानि च कोट्ट (श्रीड़ा) बलिकरणकोट्टनानि, शात्मलितोक्षणप्रलोह-कंटकाभिसरणापसरणानि स्फाटनविदारणानि च अवकोट्ट (ट) कबन्धनानि यष्टिशनताडनानि च गलकंबलोत्संबनानि (त्लुंठनानि) शूलाग्रभेदनानि च आदेशप्रवं (पं) चनानि खिसनविमाननानि विघुष्टप्रणयनानि वध्यशतमात्सु-काणि चैवं ते ।

पदार्थान्वय—(ते) वे हिंसक (कयरे) कौन-कौन हैं ?, (जे) जो हिंसक हैं, (ते) वे आगे कहे अनुसार हैं—(सोपरिया) सूअर का शिकार करने वाले, (मच्छबंघा)

मछलियों को जाल में पकड़ने वाले मच्छीमार-धीवर, (साउणिया) पक्षियों का शिकार करने वाले—बहेलिये, (बाहा) व्याध—हिरणों का शिकार करने वाले, (कूरकम्मा) कूर कर्म करने वाले, (वीवियबंधणप्पजोग-त्तप्पगल-जाल-वीरल्लगावसी-वज्जवागुरा-कूड्ढेलियहत्था हरिएसा) ऐसे चाण्डालविशेष जो चीतों को साथ में रखकर हिरनों को मारने के लिए बंधनों का प्रयोग करते हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी नाव, बंसी—जिसके मुंह पर लोहे का कांटा लगा रहता है, तथा जाल रखते हैं, जो बाज आदि पक्षियों या मृग आदि को मारने के लिए लोह का या नारियल की जटा (वर्ध) का बना हुआ फंदा या गुल्ल आदि रखते हैं, और सिंह आदि हिंज जानवरों को पकड़ने के लिए जो हाथ में नकली बकरी आदि छलपूर्वक रखते हैं, (य) तथा (वीवंसगपासहत्था) जिस बाज आदि एक पक्षी से अन्य पक्षी पकड़ लिये जाते हैं, ऐसा जाल हाथ में रखने वाले, (वणचरगा) भील आदि वनचर, (सुद्धया) व्याध-शिकारी, (महुघाया) शहद के लिए छत्तों को नष्ट कर मधुमक्खियों का घात करने वाले, (पोतघाया) पक्षियों के छोटे-छोटे बच्चों का घात करने वाले, (एणीयारा) हिरनों को पकड़ने के लिए हिरनी को साथ में लिए धूमने वाले (पोसणीयारा) हिरनों को पालने वाले, (सर-वह-वीहिअ-त्तलाण-यल्लल-परिगालण-मलण-त्तोसबंधण-त्तिल्लासयत्तोसगा) सरोवर, झील, बाघड़ी, बड़ा तालाब और तलैया का संल, सीप, मछली आदि की प्राप्ति के लिए जल निकाल कर, जल का मर्दन कर, जल का प्रवेश रोक कर-यानी बांध या पाल बांधकर जलाशयों को सुखाने वाले, (विस्सरस्स वायगा) विष या काल-कूट, अथवा बूसरे द्रव्य के साथ मिला हुआ विष देने वाले; (उत्तण वल्लरवदग्गिण्हयपलीवगा) ताजी उगी हुई हरी घास के खेतों को निर्दयता-पूर्वक दावाग्नि लगा कर जला डालने वाले (कूरकम्मकारी) कूर कर्म करने वाले (य) और (बह्वे) बहुत से (मिलक्कुजातोया) म्लेच्छ जाति के लोग; (से) वे (के) कौन-कौन है ? वे निम्नोक्त प्रकार के हैं—(सक-जवण-सबर-बब्बर-काय-मुव-डोव-भडव-त्तित्तिय-पक्कणिय-कुलक्ख-गोड-सींहल-पारस - कोंबंध-बविल-बिल्लल-गुल्लिद-अरोस-डोंब-पोक्कण-गंधहारक-बहलीय-जल्ल-रोम-मास-वउस-मलया) शक (टर्कों निवासी), यवन (जाबा द्वीप के), शबर (भील जाति के), बर्बर (अफ्रीका आदि के नरमती लोग अथवा बारबरी) काय, मुरुषड, उव, भडग, तिल्लिक (तातार), पक्कणिका (शबरी से पैदा हुए) कुलाक्ष, गौड़ (उड़ीसा के गौड़ देशीय), सिंहल (संका वासी), पारस (फारसी), कौंच (जर्मन), अण्ड (आन्ध्रवासी), द्राविड़ (तामिलनाडुवासी), बिल्वल, पुल्लिन्न, जरोष (रूसी), डोंब (डोम-बांडाल), पोक्कण, खंधारदेशवासी (काबुलवासी), बहलीक, (वाली द्वीप के), जल्ल, रोम (रोमन), मास या माय, बकुश, मसय (मलाबार के) (य) और चुंचुया चुञ्चुक, (चूलिया) चूलिक, (कोंकणगा) कोंकण देश के, (सिय-मेता)

श्वेत रंग के सेत, मेघ (मेघाङ्क या मेघ देश के), (पण्डव-मालव-महुअर-आभासिय-अणक्क (क्क)-चीण-ल्हासिय-खस-खासिया) पल्लव-(पस्तोभाषी पेशाबरी), मालव बेस के, मयुकर, आभासिक, अनक्ष या अणक्क (छोटी नाक वाले), चीनी, ल्हासिक (ल्हासा-तिब्बत के निवासी), खस (ईरानी), खासिक (खासी जाति के लोग), (नेहर-निट्टुर-नरहट्ट-मुट्टिअ-आरब-ओबिलग-कुहण - केकय-हूण-रोमग-रुह-मरुगा) नेहर (चेरापुंजी वासी) (निट्टुर=निष्ठुर), महाराष्ट्रीयन), मीष्टिक, आरब (अरब देश के), ओम्बिक, कुहण (कोहकाक पर्वतीय अथवा क्रांसवासी), केकय (हिरात), हूण (यूनानी), रोमक (रोमवासी), रुह, मरुक (रेमिस्तानी (य) और (खिलाय विसयवासी) किरात या म्लेच्छ देश के निवासी (पावमतिणो) वे पापबुद्धि वाले लोग तथा (जलधर-धलधर-सणफतोरग-खहचर-संढासतोंडजीवोवघायजीवो) जलधर, स्थलधर (चीपाये जानवर, मनुष्य आदि), नखसहित पैर वाले-सिंह आदि, पैर के बल चलने वाले सर्प आदि तथा खेचर (उड़ने वाले पक्षी आदि), और सडासो के समान मुख वाले पक्षी आदि. इन सब जीवों का घात करके अपनी जीविका करने वाले (सण्णी) जिनका मन दीर्घकाल से संज्ञाओं में परिणत है, इस प्रकार के संज्ञी (य) और (असण्णिणो) संज्ञी से भिन्न, (पञ्जत्ता) पर्याप्त वाले, (य) और (अपञ्जत्ता) अपर्याप्तक (अनुभलेस्स परिणामा) अशुभ लेख्याओं और अशुभ परिणामों वाले, (एते) ये (य) और (एवमावी) इसी प्रकार के, (अण्णे) दूसरे, (पापा) पापी, (पावाभिगमा) पाप को उपादेय मानने वाले, (पावमई) जिनकी बुद्धि पाप में ही रत है, (पावइई) जिनकी रुचि पाप में ही है, (पाणवहकयरती) जिनकी प्राणिवध में ही प्रीति लगी हुई है, (पाणवहकवाण्टठाणा) जिनके सब कार्य प्राणिवधरूप हैं, (पाणवहकहामु अभिरमंता) प्राणिवध (शिकार, कत्ल, हत्या, सहार आदि) की कथाओ-कहानियों में आनंद मानने वाले, (पाव) प्राणवधरूप पाप को, (करेनु) करके (बहुप्पगारं) अनेक तरह से, (तुट्ठा) सतुष्ट (होनि) होते हैं। अथवा प्राणवधरूप पाप करते-कराते देखकर सुख मानते हुए बहुत प्रकार की जीववध की क्रियाओ के करने-कराने में लुप्त रहते हैं। (पाणाइवायकरणं) प्राणिवधरूप क्रिया, (करंति) करते हैं।

(य) और (तत्स) उस (पावत्स) पाप के (फलविवाग) फलविपाक को, (अयाणमाणा) नहीं जानते हुए (महन्नभयं) अत्यन्त भयावनी, (अविस्सामबेयणं) निरंतर वेदना वाली, (दीहकालबहुवुक्खसंकडं), चिरकाल तक अनेक दुःखों से व्याप्त, (नरयतिरिक्ख जोणं) नरकयोनि तथा तिर्यं चयोनि को, (वड्डंति) बढ़ाते हैं। (इओ) यहाँ से, (आउक्खए) आयु के अन्त होने पर (जुया) च्युत होकर-मरकर, (असुक्कम्म-बहुला) अधिक अशुभ कर्मों वाले वे जीव (हुलितं) शीघ्र (महालएमु) अतिबिस्तीर्ण क्षेत्रों वाले या अत्यन्त दीर्घ आयुष्य वाले, (नरएमु) नरकों में (उबवज्जंति) उत्पन्न

होते हैं, (ध्वरामय-कुड्ड-व-द-निस्संघि-दारविरहिय-निमहूच - भूमितल - धरामरित्त-विसमनिरयघरचारएसु) जिन नरकगृह कपी बंदीघरों-नारकीय जीवों के उत्पत्ति स्थानों की बीबारे बध्यमय हैं, विस्तीर्ण हैं, डाररहित हैं, जहाँ का भूमितल बड़ा ही कठोर है, उसका स्पर्श भी अत्यन्त खुरदरा है, तथा जो ऊबड़-खाबड़ हैं (महोत्तिण-समापत्त-दुग्गंध-विस्सज्ज्येय-जणगेसु) जो नरकावास बड़े ही उष्ण (गर्भ) हैं, तथा अत्यन्त तपे रहते हैं, भयंकर दुर्गन्ध से सड़े रहते हैं और उद्वेगजनक हैं ; (भीमच्छ-वरिसण्जेसु) जो डेकने में अत्यन्त भीमत्स (घृणाजनक) हैं, (णिच्चं हिमपडलसीयले-सु) जो हमेशा बर्क की बट्टान के समान ठंडे हैं; (कालोभासेसु) जो काली प्रभा वाले हैं (य) और (भीमगंधोरलोमहरिसण्जेसु) भयंकर और नंभीर होने से रोमांच पैदा कर देने वाले हैं (गिरभिरामेसु) जो अत्यन्त असुन्दर-कुक्ष्य हैं, (निप्यविदार-वाहिरोगजरापीलएसु) जहाँ असाध्य कोढ़ आदि व्याधियों तथा मूल आदि रोगों एवं बुढ़ापे से सोग पीड़ित रहते हैं, (अतीव निष्पंधकारतिसिस्सेसु) जो नित्य गाढ़ अन्धकार-समूह से घिरे रहते हैं, (पतिमएसु) जहाँ प्रत्येक प्राणी या वस्तु से भय ही भय बना रहता है ; (बवगयगहू चंद धूर नक्कत्तजोइसेसु) जहाँ घह, नक्षत्र, तारे, चन्द्रमा और सूर्य नहीं हैं, (भेय-वसा-मंसपडल-पोच्छदपूय-रहिवनिकण्ण-विसीच-चिक्कण-रसियावावण्णकुहिय चिक्कलकहूमेसु) जहाँ नेद, बर्बों, मांस के ढेर तथा अत्यन्त घने पीप और रक्त से सने हुए और कंले हुए चिकने धिनीने शरीर के रसविशेष से बिगड़ा हुआ और सड़ा हुआ गाढ़ा और मैला चिपचिप करता हुआ कोचड़ और दलदल है; (कुक्कलानसपलित्त जाल मुम्मुर वसिक्कुरकरवत्तघारसुनिसित्त विष्णुयडंक्क निवातोवम्म फरिस अतिदुस्सहेसु) जिनका स्पर्श कंठे की आग, छछकती हुई ज्वाला, उड़ती हुई चिनगारियों तथा तलवार, छुरे, करौल की तीखी धार एवं तीखे बिच्छू के डंक लगने के समान अत्यन्त दुःसह है; (अत्ताभात्तरण्णकडुय बुक्क परित्तावण्णसु) जहाँ रक्षा और शरण से रहित नारकीय जीवों को अत्यन्त कट्टु दुःख से संताप होता है; (अणुबद्ध निरंतर वेयण्णसु) जहाँ एक के बाव एक वेदना लगातार लगी ही रहती है, (जम्पुरिससंकुत्तेसु) जहाँ दक्षिण विक्पाल के पुच्छ-अम्बावरीय आदि असुरजातीय यक्षदेव घेरे रहते हैं ।

(य) और (तत्थ) उन नरकों में उत्पन्न होने पर (अंतोमुहुत्तलद्धि भवपण्णएण) अन्तर्मूर्त्तों में वैश्रियलब्धि और भवप्रत्यय से (नरक में जन्म लेकर) (ति) वे पापी नारकीय जीव (भीमच्छ वरिसण्जेसु) डेकने में अत्यन्त घृणाजनक, (भीहृमयं) भयावना (अट्ठि-म्हाद-गह-रोमवज्जयं) हड्डी, नसों, नख और रोम से रहित, (असुभगवंद बुक्कविसहं) दुर्गन्ध वाले और दुःख को सहने वाले; अथवा पाठान्तर (असुभदुविसहं) असुभ और दुःख सहने के योग्य, (हुंठं) हुंठक संत्धान वाले, (सरीरं) शरीर को

निष्कर्षेति) निष्पन्न कर लेते हैं। (घ) और (तत्तो) शरीर ग्रहण कर लेने के बाद (ब्रह्मस्तिभुवभवा) पर्याप्ति को प्राप्त हुए वे नारकीय जीव, (पंचार्हा इविवेर्हा) पाँचों इन्द्रियों द्वारा (अमुष्पाए) अमुष्परूप (उज्ज्वल-बल-विजल-उक्कड-क्लरफरसपयंडघोर श्रीहृषगम्बाराष्पाए वेयणाए) उज्ज्वल, बलवती, विपुल-समस्त शरीर व्यापी, उत्कट और कर्कशस्पर्श वाली, प्रबुद्ध, घोर भयानक व अत्यन्त दारुण-पीडाजनक वेवना से (वेवर्ण) दुःखों का अनुभव करते हैं, (किं ते ?) वे दुःख कौन-कौन-से हैं ? (कंदु-महाकुंभिय-पयण-पउलण-तवग-तलण-मट्ट-मज्जणाणि) लोहे की छोटी व बड़ी कड़ाही में पकाना, उबालना, तबे पर तलना और भाड़ में भूजना, (घ) और (लोहकडाहुक्कड-णाणि) लोहे के कड़ाह में डाल कर काढ़ा बनाना यानी खूब उबालना, (घ) तथा (कोट्टबलिकरण कोट्टणाणि) जैसे अन्न हिंसक देवियों के सामने प्राणी को बलि देते समय जबरन कटते हैं, वैसे ही बलि चढ़ाना और कटना। (सामलितिवल्लग लोहकंटक-अभिसरणपासरणाणि) सेमल वृक्ष के तीखे मुँह वाले लोहे के काटो पर फँसाना और हटाना; (फालणविदारणाणि) चमड़ी फाड़ना और करौत बगंरह से खोरना (घ) और (अवकोडकबंधणाणि) भुजाओं और सिर को पीछे से बांधना, (लट्ठसव-तालणाणि) सैकड़ों लाठियों से पीटना (घ) तथा (गलगबलुल्लबणाणि) गले के बल लट का देना यानी गले में फांसी डाल कर लटका देना; (घ) एव (सूलागभेयणाणि) शूलों की नोक से छेदना, (आएसपवचणाणि) झूठी बात कह कर ठगना, (खिसन-विमाणाणि) डांटना, धमकाना और अपमान करना, (विघुट्टपणिज्जणाणि) 'इन जीवों ने ये महापाप किये हैं, उनका फल ये भोगों' ऐसी घोषणा करके बध्यभूमि को ले जाना (घ) और (ब्रह्मसयमात्तिकाणि) सैकड़ों बध्य स्थानों मारने के स्थानों की जननी रूप—उत्पत्ति स्थान के समान, दुःखों का (एव) उक्त प्रकार में (ते) वे पापकर्म करने वाले जीव अनुभव करते हैं।

मूलार्थ वे हिंसा करने वाले पापिष्ठ जीव कौन-कौन हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि वे इस प्रकार हैं

सूअर का शिकार करने वाले, धीवर, पक्षियों का शिकार करने वाले-बहेलिए, हिरणों के शिकारी, क्रूर कर्म करने वाले कमाई, चीते आदि जीवों को पकड़ने के साधन रखने वाले, हिरणों का शिकार करने के साधन रखने वाले, मछलियों को पकड़ने के साधन रखने वाले मछुए, बाज आदि पक्षियों या मृग आदि को मारने के लिए लोह का या दर्म का फंदा या गुलैल आदि रखते हैं, सिंह आदि को पकड़ने के लिए भूठ-भूठ नकली बकरो रखते हैं, चाण्डाल-विशेष, एक पक्षी से अन्य पक्षियों को पकड़ने हेतु जाल हाथ में रखने वाले, भील आदि जंगल में धूमने वाले, व्याध, शहद के लिए मधुमक्खिया का नाश करने

वाले, पक्षियों के बच्चों को मारने वाले, हिरनों को पकड़ने के लिए हिरनी को साथ लिए घूमने वाले, हिरनों को पालने वाले, सरोवर, झील या नद, बावड़ी, बड़ा तालाब ताल या तलैया में से शंख, सीप, मछलियाँ आदि प्राप्त करने के लिए इनका पानी निकाल कर, जल का मर्दनकर, जल के स्रोत पाल या बांध आदि से बंद कर जलाशयों को सुखाने वाले, जीवों को मारने के लिए सामान्य विष या कालकूट विष या विषमिश्रित दवा आदि देने वाले, ताजी घास के स्थानों में निर्दयता पूर्वक आग लगा देने वाले, ऐसे नृशंस कर्म करने वाले लोग और बहुत से म्लेच्छजाति के लोग हिंसक होते हैं।

म्लेच्छजाति के लोग कौन-कौन होते हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं— शक, यवन, शबर, बर्बर, काय मुरुंड, उद, भडक, तित्तिक, पक्वणिक, कुलाक्ष, गौड, सिंहल, पारस, क्रीच, आन्ध्र, द्राविड, बिल्वल, पुलिन्द्र, अरोष, डोब, पोक्कण, गन्धहारक (कंधारवासी), वहलीक, जल्ल, रोम, माप, ब्रकुश, मलय, चुञ्चुक, चूलिक, कोकणक, मेद, पल्लव, मालव, आभाषिक, अणक्क, चीन, ल्हार्सिक, खस, स्वासिक, नेहर (नेट्टर या निष्टुर) महाराष्ट्र, मौण्टिक आरब, डोबिलिक, कुहण, कंकय, हूण, रोमक, रुह, मरुक और चिलात नामक म्लेच्छदेश के निवासी—ये सब पापमय बुद्धि वाले म्लेच्छजातीय मनुष्य हैं।

तथा मगर, घड़ियाल आदि जलचर जीव, स्थलचर (चौपाये जानवर व मनुष्य), नखसहित पैर वाले सिंह आदि पशु, पेट से चलने वाले सर्पिण्डि प्राणी, तथा आकाश में उड़ने वाले गिद्ध आदि क्षेत्र पक्षी, इन सब जीवों का घात करके अपनी रोजी चलाते हैं। इनमें कई संज्ञी होते हैं, जिनका मन दीर्घकाल से संज्ञाओ में परिणत होता है, कई इससे भिन्न असंज्ञी होते हैं (अथवा जो मनसहित है, वे संज्ञी होते हैं, जो मनरहित हैं, वे असंज्ञी), लेकिन जब इनके धरीर और भाषा बनकर पूर्ण हो जाते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं, तभी इनमें हिंसा करने की शक्ति होती है अपर्याप्त अवस्था में नहीं, (अथवा कई पर्याप्तललिध सम्पन्न होकर हिंसा करते हैं और कई अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना ही मर जाते हैं, वे अपर्याप्त होते हैं) तथा वे अशुभ लेश्याओ और अशुभ परिणामो वाले होते हैं, ये और इस प्रकार के और भी पापी जीव होते हैं, जो पाप को ही अपना योग्य मानते हैं, पाप में ही रुचि रखते हैं, प्राणिवध करने-कराने में ही मस्त रहते हैं, जिनके सब आचरण ही हिंसामय होते हैं, जो प्राणिवध की रसप्रद कथाओं में ही आनन्द मानते हैं। ये सब जीव प्राणवधरूप पाप अनेक प्रकार से करके संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार ये प्राणवध की क्रियाएं करते रहते हैं।

उस हिंसा रूप पाप के फल को नहीं जानते हुए ये अत्यन्त भयावनी, निरन्तर वेदना वाली, दीर्घकाल तक दारुण दुःखों से भरी हुई नरकयोनि और तिर्यञ्चयोनि को बढ़ाते हैं।

वहाँ से आयुष्य पूर्ण हो जाने पर च्युत हो (मर) कर वे अत्यन्त अशुभ कर्मों वाले जीव शीघ्र ही उन नरकों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ का क्षेत्र बहुत बड़ा है और आयु सागरों की लम्बी है, जिन नरकागार रूपी कारागारों (चारकों) में वे रहते हैं, उनकी दीवारें वज्रमयी हैं, वे बड़े लम्बे-चौड़े हैं, द्वार रहित हैं, वहाँ का भूमितल अत्यन्त मल्ल है और उसका स्पर्श अत्यन्त खुरदरा है, वह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, वे नरकावास बड़े ही उष्ण और मदा अत्यन्त तपे हुए रहते हैं, वे महादुर्गन्ध से सड़े रहते हैं और उद्वेगजनक (ऊबा देने वाले) हैं। वे देखने में अत्यन्त बीभत्स हैं, वे बर्फ के ढेर के ममान सदा ठंडे और काली प्रभा वाले हैं। अत्यन्त भयंकर और गहरे होने से उन्हें देखते ही रोगटो खड़े हो जाते हैं, वे दिखने में अत्यन्त खराब (कुरूप) हैं, जहाँ लोग असाध्य कुष्ठ आदि व्याधियों और शूल आदि बीमारियों व ज्वर, जरा आदि से पीड़ित रहते हैं। वे सदा गाढ़ अन्धकार समूह से घिरे रहते हैं, जहाँ प्रत्येक प्राणी या वस्तु से भय बना रहता है, जहाँ सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे नहीं हैं, जहाँ गाढ़ा चिपचिपा-सा दलदलरूप कीचड़ है, जो भेद, चर्बी, पीप, रुधिर और मांस के पिंडों से व्याप्त है, जिसके कारण वह बड़े घिनौने एवं चिकने शरीर के रसविशेष से बिगड़ा हुआ, बदबूदार और सड़ा हुआ है। जिन नरकागारों का स्पर्श कंडे की आग, घघकती हुई ज्वाला, राख मिली हुई अग्नि, उछलती हुई चिनगारियों तथा तलवार, छुरे और करौत की तीखी धार एवं बिच्छू के डंक लगने के समान अत्यन्त दुःसह्य है, जहाँ रक्षा और शरण से रहित नारकीय जीवों को अत्यन्त दारुण दुःख के कारण संताप होता है, जहाँ लगातार एक के बाद एक वेदना होती रहती है, और जहाँ दक्षिण दिक्पाल यम के सेवक अम्बावगीष आदि जाति के असुरकुमार देव सदा घेरे रहते हैं।

उक्त नरकों में उत्पन्न होने पर वे नारकीय जीव अन्तर्मुहूर्त में वैक्रिय-लब्धि और भव प्रत्यय के कारण देखने में अत्यन्त बुरे, डरावने, हडिडियों, नखों, नसों और रोमों से रहित, दुर्गन्धमय, अत्यन्त दुःसह्य हुंडक शरीर को धारण कर लेते हैं। शरीर ग्रहण कर लेने के बाद आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियों को पूर्णतया प्राप्त करके वे नारक जीव पाचो इन्द्रियों द्वारा अशुभ, उज्ज्वल-तीव्र, बलशाली, प्रचुर, सारे शरीर में व्याप्त, उत्कट, तीक्ष्ण स्पर्श वाली, प्रचंड, घोर डरावनी दारुण वेदना से जन्य दुःखों का अनुभव करते हैं।

वे दुःख कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं - लोहे की छोटी व बड़ी कड़ाही में पकाना, उबालना, तबे पर तलना, भाड़ में भूँजना, लोहे की कड़ाही में खूब उबाल कर काढ़ा बनाना, अज्ञानी मनुष्य जैसे देवी के आगे जीवों की बलि देते हैं, वैसे ही अंगों को काटना और पीटना, सेमलवृक्ष के तीखे नोकदार लोहे के काटो पर फँसाना और घसीटना, फाड़ना और चीरना, भुजाओं और सिर को पीछे से उलटे बांध देना, सेंकड़ों लाठियों से पीटना, गले में फाँसी लगाकर लटका देना, शूलों की नोंक से छेदना, भूठी बात कहकर ठगना, डांटना, धमकाना और अपमान करना ; इन जीवों ने अमुक महापाप किये हैं, यो जोर-जोर से चिल्लाते हुए वध्यभूमि (कत्लगाह) को ले जाना इत्यादि, सेंकड़ो वध्यभूमियों में जैसे दुःख उत्पन्न होते हैं उन दुःखों को वे नारक सदा भोगते रहते हैं ।

व्याख्या

इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने हिंसा करने वाले जीवों और हिंसा के दुःखद फलों का पर्याप्त उल्लेख किया है। वस्तुतः हिंसा करने वाले हिंसा करने में प्रवृत्त होते समय यह नहीं सोच पाते कि इस क्रिया का फल क्या होगा ? फल भोगते समय मुझे कितना दुःख उठाना पड़ेगा ? उस समय मेरे उस दारुण दुःख में कौन हिस्सेदार होगा ? कौन मुझे आश्वासन देगा ? कौन शरण देकर उस समय मुझे दुःखों से बचाएगा ? कितने लम्बे अरमें तक मुझे नरक की भयंकर काल काठरियों में सड़ना पड़ेगा ? उस समय मेरी कितनी विवशता होगी ? इन सब प्रश्नों का समाधान करने के लिए शास्त्रकार ने 'फलविभागं अयाणमाणा' भादि पदों से स्पष्ट वर्णन किया है और हिंसा के कटु फलों का स्पष्ट उल्लेख भी ।

हिंसकों की मुख्य तीन कोटियाँ—हिंसा करने वाले प्राणियों, खासकर मनुष्यों को तीन कोटियों में विभक्त किया जा सकता है—पहली कोटि में वे आते हैं, जो अपनी जीविका (रोजी) के लिए हिंसा करते हैं, दूसरी कोटि में वे हैं, जो अपने आमोद प्रमोद के लिए हिंसा करते हैं, और तीसरी कोटि में वे आते हैं जो रसलोलुपतावश सिर्फ खाने के लिए हिंसा करते हैं, करवाते हैं या करने में समर्थक बनते हैं ।

शास्त्रकार ने प्रस्तुत सूत्रपाठ में सर्वप्रथम हिंसा से अपनी आजीविका चलाने वाले प्रथम कोटि के व्यक्तियों का निरूपण किया है। वे हैं—सूअर पाल कर मारने वाले, मछलिया पकड़ने वाले, बहेलिए, शिकारी, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए अनेक प्रकार के साधन लिए हुए घूमने वाले, शहद पाने के लिए मधुमक्खियों का नाश करने वाले, चिड़िया के बच्चों को पकड़ कर मारने वाले, जलाशयों को

सुखाने वाले, जहर देकर मारने का धन्धा करने वाले, जगलो या खेतों में आग लगाने वाले आदि ।

ये पापी जीव केवल अपना पेट पालने के लिए इस प्रकार के घातक धन्धे अपनाते हैं, उस समय यह नहीं सोचते कि मैं इस धन्धे के सिवाय अन्य सात्त्विक धन्धों में से किसी को क्यों न अपना लूँ । जिम परिवार के पोषण के लिए मैं यह नीच धन्धा अपनाये हुए हूँ, उनका पोषण क्या और किसी सात्त्विक धन्धे से नहीं हो सकता ? और फिर जो भयकर क्रूर कर्म मैं कर रहा हूँ, उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, उस समय मेरे दारुण दुःख को बटाने के लिए परिवार वाला कोई नहीं आएगा ।

कई बार जो मनुष्य प्राणिघातक धन्धों को वश परम्परा से करना है, उमें अपनी वर्षों की पडी हुई बुरी आदत के कारण छोड़ नहीं पाता, आदत से लाचार हो जाता है, उसका मन लिप्त हो जाता है, उसके परिवार वाले भी उमें उमी धन्धे को करने के लिए उकसाते हैं और विवश कर देते हैं । रात-दिन उमी पापकांगे धन्धे में रचा-पचा रहने के कारण उनका मन भी पापकर्म में डीठ बन जाता है, फिर तो उमें उमी पापकर्म में आनन्द आता है । इसी दृष्टिकोण को लेकर शास्त्रकार ने पापकर्मरत मनुष्यों को उसके फल की ओर सोचने को प्रेरित किया है । हिंसा से अपनी जीवन-यात्रा चलाने वाले प्राणियों को पालने वाला भी प्रायः इमी कोटि में आता है ।

ऐसे पापपूर्ण आजीविका वाले मनुष्यों को लगानार कई जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलती, वे उन्हीं नरक और नियंत्रक गति की विविध योनियों में जन्म-मरण करते रहते हैं ।

आजीविका के लिए प्राणिवध जैसे क्रूर कर्म करने वाले म्लच्छजातीय मनुष्य किस-किस देश में कहीं-कहाँ अधिकतर पाये जाते हैं, इस दृष्टि में तथा अलग-अलग देश, भाषा और जाति की दृष्टि से उनके बहुत से नाम शास्त्रकार ने गिनाए हैं । जैसे—अकदेशवामी, यवद्वीपवामी, शबर (भील), बर्बर (अफ्रीका के नर भक्षी मनुष्य), अरब, चीनी, रोमन, रूमी, कोकणी, मानव, द्राविड, मरहट्टे, पारसी, (ईरानी), सिंहल देशीय, मलाबारी, वालीद्विपीय, कधारी (काबुली), कैकयवासी, हूण, खस जालीय, खासी जातीय, डोब जातीय, श्वेत जातीय, मरु भूमिीय, पशुभापी-पेशावरी (पन्धव), चिनात देशवासी आदि ।

इनमें से बहुत-से नाम तो आज भी मिलते हैं, बहुत से उस जमाने में थे, आज उनके नाम बदल गये हैं ।

इनमें से कई दूसरी कोटि के भी हिमक हैं, कई तीसरी कोटि के भी हैं । क्योंकि इनमें बहुत-से देश मांसभोजी हैं, इसलिए मांस प्राप्त करने के लिए जीव हिंसा

करते, कराते या करने में निमित्त बनते हैं। बहुत से ऐसे देव हैं, या प्रान्त अथवा जनपद हैं, जहाँ के क्षत्रिय, राजपूत या सरदार अथवा शासक अपने आमोद-प्रमोद के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, कराते हैं, मनुष्यों, साड़ों या मुगों आदि को आपस में लडाकर खत्म करा देते हैं।

दूसरी और तीसरी कोटि के लोगो का निर्देश करते हुए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—“जलयर-थलयर……पाणाहवायकरणं” यानी जलचरो, स्थलचरो, सिंहादि तीसरे नखों वाले चौपाये जगली जानवरों, सर्पादि उर.परिसर्प जातीय जीवों, खेचरो (पक्षियों), सडासी के समान मुह वाले जीवों आदि को आहारसजा, भयसजा, मैधुन-सजा और परिग्रहसजा वाले या इन चारों सजाओं से रहित—सिर्फ आमोद-प्रमोद-जीवी-पर्याप्तक-अशुभ लेश्या और अशुभ परिणाम से युक्त पापी—ये जीव और इसी प्रकार के दूसरे मानव प्राणिवध किया करते हैं।

आमोद-प्रमोद के लिए जीवों की हिंसा करने वाले लोगो में अधिकतर ऐसे लोग हैं, जो अपने को बड़े आदमियों की श्रेणी में मानते हैं। वे निर्दोष प्राणियों का शिकार करते हैं। प्रायः यही कहा करते हैं कि ये जगली जानवर मनुष्यों को मताते, मार डालते या उन पर हमला कर बैठते हैं, इसलिए हम मनुष्यों की सुरक्षा के लिए उनका शिकार करते हैं। हम बहादुर हैं, क्षत्रिय हैं और प्रजा के रक्षक हैं, शिकार करना वीरो का कर्तव्य है। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उन निहत्थे सिंह, चीता आदि प्राणियों को लुक-छिपकर मारने में कौन-सी वीरता है? वे बेचारे वैसे ही बम्नी में आने से और किसी पर सहसा हमला करने से घबराते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए पर्वत की गुफाओं में, बीहड़ों में या घोर जंगलों में, जनशून्य प्रदेशों में आश्रय लेते हैं, सिंह आदि भी अत्यन्त भूले होने पर या सताये अथवा छोड़े जाने पर किमी मनुष्य पर हमला करते हैं। मनुष्य उनको मारने के बदले अपना प्रेम देकर गाय-भैस हाथी आदि की तरह उन्हें पालतू भी बना सकता है। अस्तु उनके प्राणहरण करने की अपेक्षा उन्हें पालतू बना देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और इसी में सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी-मानव की वीरता है।

क्षत्रिय का अर्थ मूक, निहत्थो व प्राणों की भीख मागने वालों पर अत्याचार करना, और विनाश के मुह में उन्हें धकेल देना नहीं है, अपितु 'कृतात् श्रायते रक्षतीति क्षत्रिय' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो दुर्बलो, निहत्थो और निर्दोष जानवरों या मानवों को नाश-आफत से बचाए वही सच्चा क्षत्रिय है। शिकार खेलने में ही बड़प्पन या बहादुरी नहीं है। कई राजपूत राजा, महाराजा अथवा कई अंग्रेज लोग चिड़ियों, मछलियों आदि को बंदूक या पिस्तौल का निशाना बना कर मार डालते हैं। पुराने जमाने में रोम और ग्रीस में एक बड़े मैदान में गुलामों को आपस

मे तलवारो से लड़ाया जाता था, और इस खेल को देखने के लिए बड़े-बड़े अमीर उमराव व शासक आदि बैठते थे। जब तलवार से लड़लुहान होकर एक आदमी गिर जाता और मर जाता तो बड़े जोर से चिल्ला-चिल्ला कर खुशी मनाई जाती थी। यह बहुत भयकर क्रूर प्रथा थी। इसी प्रकार भारतवर्ष में मुर्गों, साड़ों, भैंसों आदि को आपस में लड़ाने का कई राजाओं, ठाकुरों और उमरावों को शौक था। अपनी क्षणिक तृप्ति और मनोविनोद के लिए इस प्रकार दूसरों के प्राणों को मौत के मुह में धकेलना कितना बुरा और पापकर्म है। हिंसा के कार्यों को रसपूर्वक देखना और उनका अनुमोदन करना भी हिंसा के समान पाप है। अतः वे भी सावधान होकर हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं तो इसी कोटि में आ जाते हैं।

हिंसादि पाप कार्यों का उपदेश देने वाले भी उम पापकर्म के करने वालों से अधिक पाप बंध कर लेते हैं। यज्ञ, पशुबलि या जानवर की कुर्बानी का उपदेश भी हजारों को पापकर्म में प्रवृत्त कर देता है। एक बार कोई दुष्कर्म किमी पापोपदेशक के उपदेश से प्रचलित हो जाता है तो वह लम्बे अर्से तक चलता रहता है। इसलिए पापमय परम्परा का उपदेशक भी इसी दूसरी कोटि के हिंसकों में आता है। परन्तु शायद ऐसे पाप-कर्मकारी व्यक्ति अपने बड़प्पन, धन, सत्ता और तेरवर्ष के नशे में चूर होकर ऐसे निर्बल प्राणियों की आवाज नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने उनकी मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए मूलपाठ में बताया है—“पाबा पाबाभि-यसा पाबवई पाणवहकयरती पाणवहकबाणुद्वाणा पाणवहकहासु अभिरमंता तुट्ठा पाबं करेत्तु हौंति बहुष्पगारं।” अर्थात्—“वे पापिष्ठजन पापकर्म को ही उपादेय समझते हैं, पापकर्म में ही रुचि रखते हैं, प्राणिवध में ही उनकी प्रीति होनी है, वे प्राणिवध रूप आचरण (शिकार, पशुयुद्ध, पशुबलि, प्राणिसंहार आदि) में रात-दिन मस्त रहते हैं, प्राणिवध (शिकार, युद्ध या प्राणिसंहार) की कहानियाँ सुनने-पढ़ने में प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रकार से ऐसे प्राणिवध रूप पापकर्म करने में सतुष्ट रहते हैं।” ऐसे बुद्धि के दिवालिये सचमुच दया के पात्र हैं। क्योंकि वे अपनी भारतीय अहिंसा-प्रधान संस्कृति को भूलकर अनार्य संस्कृति को अपना बैठे हैं। यही कारण है, ऐसे शासनकर्त्ताओं का प्रभाव ‘यथा राजा तथा प्रजा’ की कहावत के अनुसार उनकी प्रजा पर भी पडा। जहाँ-जहाँ शासकों ने इस प्रकार के क्रूरकर्म किये वहाँ-वहाँ की जनता भी वैसी ही क्रूर, बर्बर, अत्याचारी, पाशविक और नूटमार करने वाली बन गई, खून का बदना खून से लेने की परम्परा उनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चल पड़ी, मांस-भक्षण करने और किसी निदोष प्राणी को मारने में उन्हें कोई हिचक न रही।

तीसरी कोटि के निकृष्ट वे लोग हैं, जो केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए निदोष प्राणियों का वध करते हैं, कराते हैं, या करने में निमित्त बनते हैं। उनका

कहना है—संसार में बकरे आदि जितने जानवर हैं, वे सब मनुष्यों के खाने के लिए हैं। परन्तु मासभोजियों की यह दलील धोयी और स्वार्थभरी है। यही दलील अगर सिंह आदि जानवर कहे कि मनुष्य हमारे खाने के लिए पैदा हुए हैं, तो क्या वे मासभोजी इसे स्वीकार करेंगे? फिर अपने पेट भरने के लिए मास से भी बढ़कर ताकत देने वाली मात्सिक चीजें छोड़कर मास जैसे घृणित, अपवित्र, पापजनक, अल्पशक्तिदायक पदार्थ को अपनाने में कौन-सी बुद्धिमानी है? जल से उत्पन्न (शाबी) अन्न, फल आदि पवित्र, सात्त्विक शक्तिप्रद, स्वास्थ्यवर्द्धक पदार्थों को छोड़ कर रजोवीर्य में उत्पन्न (पेशाबी) दूषित, अपवित्र (नापाक), तामसिक, स्वास्थ्य-नाशक, काम श्रोधादि तमोगुणवर्द्धक मास को अपनाना रत्न को छोड़कर काच को अपनाने के समान है।

मास वैसे भी मानवप्रकृति के अनुकूल नहीं है। मानवशरीर की रचना यह बना रही है कि वह शाकाहारी है, मासाहारी नहीं। मासाहारी प्राणियों की शरीररचना शाकाहारियों से भिन्न है। बिल्ली, कुत्ते आदि मासाहारी जानवरों की आँखें पीली, चमकीली, दात नुकीले तथा पंजे तीखे होते हैं, वे जीभ से पानी पीते हैं, जबकि गाय बैल आदि शाकाहारी प्राणियों की आँखें काली व दात चपटे होते हैं, उनके पैर के पंजे नुकीले नहीं होते, न वे जीभ द्वारा लपलपा कर पानी पीते हैं। अतः मनुष्य की शरीररचना शाकाहारियों के समान है। मासाहारी में शक्ति और कार्यक्षमता उनकी नहीं होती, जितनी शाकाहारी में होती है, हाँ, क्रूरता और उत्तेजना मासाहारी में ज्यादा होती है। इसमें यह सिद्ध है कि मासभोजन मनुष्य के लिए अहितकर, प्रकृतिविरुद्ध और स्वास्थ्यनाशक है। इस दृष्टि से जो मास-भोजन के निम्न निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं या करने में निमित्त बनते हैं, उनको भी उसका भयकर कटुफल भोगने पड़ते हैं।

आत्महित की दृष्टि से देखा जाय तो मासाहारियों को मास पशुपक्षियों के घात से प्राप्त होता है। जिन पशुपक्षियों को मारा जाता है, वे भी मनुष्य के जैसे ही प्राणी हैं, उन्हें भी सुख-दुःख का हमारे समान ही संवेदन होता है। वे भी हमारी ही तरह निरंतर अपने प्राणों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उन अनाथ, असहाय, बेकसूर, निर्बल और निर्दोष पशुपक्षियों को मनुष्य अपनी क्षणिक जिह्वा-तृप्ति के लिए मार डाले, यह कितनी नादानि है। कितनी बेहयाई और निर्दयता है। जो पशुजाति मनुष्य की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उपकारी है, गाय, भैंस, बकरी आदि दूध-भी देकर, ऊँट-घोड़ा आदि सवारी देकर या बोझा ढोकर, गधा आदि बोझ

ढोकर मनुष्य जाति की कीमती सेवा करते हैं, जीते जी भी अपने शरीर से कितनी ही चीजें देते हैं, मरने के बाद भी चमड़ा, हड्डी आदि देकर मानवजाति के लिए उपकारी बनते हैं। उनसे इस बहुमूल्य सेवा लेने के बदले मनुष्य को उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसके बजाय उनका बध करना कितनी कृतघ्नता और नीचता है। कितना विश्वासघात है। पक्षीगण सड़ी गली चीजों को खाकर वायुशुद्धि करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। उन निस्वार्थ सेवा करने वाले पक्षियों को मार डालना कितना अन्याय है। मनुष्य जाति की तरह वे भी मृष्टि के अलंकार हैं। इसलिए पशुजाति के उपकारों के बदले में अपनी अधम लानसा को पूर्ण करने के लिए उनके प्राणों का सहार करना उचित नहीं। यह अनधिकार चेष्टा है।

इसलिए पूर्वोक्त तीनों कोटि के हिंसकों का इस मूलपाठ में स्पष्टनया उल्लेख करके परोक्ष रूप से यह भी ध्वनिन किया है कि ऐसे भ्नेच्छ जातीय अनार्य जनो के दुःसग से भी दूर रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो अनार्यप्रधान देश है, जहाँ के अधिकांश लोग हिंसक हैं, बर्बर हैं, मामादि हेय वस्तुओं का सेवन करने वाले हैं, धर्म-अधर्म के विवेक में शून्य हैं, उन देशों में या उन अनार्यों के पडीस में आत्महितैषियों व धर्मात्मा पुरुषों का रहना उचित नहीं। क्योंकि वहाँ के गंदे वातावरण का असर प्रायः उनकी आत्मा पर भी हो सकता है। कईबार उन धर्मात्मा और अहिंसक लोगों को भी उस देश में या अनार्यों के पडीस में रहने के कारण परोक्ष-रूप से अनुमोदन का भागी बनना पड़ता है, अथवा उनकी कामलमार्ति मनान पर भी उनके दुष्कृत्यों के कुसम्कार पड़ सकते हैं। सर्गिन का प्रभाव बड़ा बलवान् होता है। धुरधुर विद्वानों और धोर तपस्या करने वाला पर भी अकस्मात् उन निर्मिता या दुःसगो का असर होता और उनका पतन होता देखा गया है। एक बार जहाँ उन हिंसादि दुष्कृत्यों का चेप लगा कि फिर वह क्रम आगे में आगे चलता जाता है। उसका सम्भलना मुस्किल हो जाता है। जैसे पर्वत में नीचे फिसलन वाला मनुष्य नीचे से नीचे लुढ़कना-गिरता चला जाता है, वैसे ही एक दिन जा अहिंसक था, वह भी पतित होता चला जाता है और पक्का हिंसक बन जाता है।

हिंसा का भयंकर दुष्परिणाम—इसीलिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में इस भयंकर हिंसा में बचने और दूंसगो को बचाने के हेतु हिंसा के भयंकर कुफल बताये हैं, जो प्रत्येक हिंसाकर्ता को भोगने ही पड़ेगा। उसमें कोई रुग्णियाअत नहीं होगी, चाहे फिर हिंसा करने वाला मनुष्य किसी भी उच्चकुल, उच्चजाति, उच्चधर्म, उच्चराष्ट्र या प्रान्त का ही क्यों न हो। जहर को कोई भी कुनीन व्यक्ति खाए या अकुलीन, जान कर खाए या अजाने में, उसका दुष्परिणाम मृत्यु के रूप में उसे

भोगना ही पड़ता है, इसी प्रकार हिंसा को चाहे कुलीन करे या अकुलीन, जान कर करे या बिना जाने करे, उसका भी दुष्फल उसे नरक और तिर्यञ्च योनि की प्राप्ति के रूप में भोगना ही पड़ेगा। यही कारण है कि शास्त्रकार मूलपाठ में स्पष्ट कर देते हैं—‘तस्स य पावस्स फलविभागं अयाचमाणा वड्ढत्ति’.....‘नरपतिरिक्खजोषि।’ अर्थात् हिंसा करने वाले, उस पाप के फल को जानते हुआ की तो बात ही क्या, नहीं जानते हुए भी महाभयकर, अनवरत वेदनापूर्ण और दीर्घकाल तक अनेक दुःखों से व्याप्त नरक और तिर्यच योनियों की अपने लिए वृद्धि करते रहते हैं। वे अशुभ कर्मों की बहुतायत के कारण आयुष्य क्षीण होने पर मर कर विविध नरकों में उत्पन्न होते हैं। आगे उन नरकागारों की भयकरता, दुःखबहुलता और असुन्दरता का विषद वर्णन शास्त्रकार करते हैं। उसके बाद उन नरकागारों में वे कैसा बीभत्स, भयावना और कुम्प शरीर पाते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और इसके बाद नरकों में किस प्रकार से पीडा दी जाती है? अथवा अपने पूर्वकृत दुष्कर्मों के फलस्वरूप नरकगत जीव किस-किस प्रकार से दुःखित और पीडित होते हैं? इसका भी वर्णन स्पष्ट है। यह वर्णन पदार्थान्वय और मूलार्थ में हम कर आये हैं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं।

नरकभूमियाँ कहाँ और कौन-कौन-सी हैं ?

प्रश्न होता है कि नारकीय जादों के वे निवासस्थान (नरकभूमियाँ) कहाँ पर हैं? वे कितन हैं? किस प्रकार से वे सब अवस्थित हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में हम अन्य शास्त्रों के आधार पर यहाँ वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

आप जैन दृष्टि से १४ रज्जुपरिमाण लोक का नकशा अपने सामने खोल कर रखिए। लोक की परिभाषा जैन दृष्टि से यह है—जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कान, पुद्गल और जीवास्तिकाय—ये ६ द्रव्य पाये जायें, वह लोक है। यह लोक किमी का बनाया हुआ नहीं है, अपितु अनादि-अनन्त है। इस अनन्त लोक के तीन विभाग हैं—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषी और वैमानिक देव हैं, मध्यलोक में तिर्यञ्च, मनुष्य और व्यन्तर तथा भवनपति देवों का निवास है और अधोलोक में नारकीय जीव हैं। इन तीनों लोकों की ऊँचाई-लम्बाई कुल मिल-मिलाकर १४ रज्जुपरिमाण है। जिसमें से सात रज्जु-परिमाण से कुछ कम लम्बाई-ऊँचाई ऊर्ध्वलोक की है, पूरे सात रज्जु लम्बाई-ऊँचाई अधोलोक की है और बाकी की करीब एक रज्जु से भी कम लम्बाई मध्यलोक की है।

नरक के जीवों का निवास अधोलोक में ही है, जहाँ निम्नोक्त सात भूमियाँ सात नरकों के रूप में क्रमशः एक के नीचे दूसरी अवस्थित हैं—१ रत्नप्रभा,

पावकम्मकारी बहूणि पलिओवमसागरोवमाणि कलुणं पालेंति ते अहाउयं जमकातियतासिता य सद्दं करेंति भीया ।

किं ते ? 'अविभाय सामि भाय वप्प ताय जितवं मुय मे मरामि, दुब्बलो वाहिपीलियो अहं, किं दारिणिसि, एवं दारुणो निद्दो य मा देहि मे पहारे, उस्सासेतं (एयं) मुहुत्तयं मे देहि, पसायं करेह, मा रूस, वीसमामि, गेविज्जं मुयह मे, मरामि, गाढं तण्हाइओ अहं, देहि पाणीयं ।' हंता (ताहंतपिय) पिय इमं जलं विमलं सीयलं ति घेतूण य नरयपाला तवियं तउयं से देंति कलसेण अंजलीसु । दट्टूण य तं पवेवियंगोवंगा अंसुपगलंतपप्पुयच्छा छिण्णा तण्हाइयम्ह कलुणाणि जंपमाणा विप्पेक्खता दिसोदिंसि अत्ताणा असरणा अणाहा अबांधवा बंधुविप्पहीणा विपलायंति य मिगा इव वेणेण भयुव्विग्गा, घेतूण य बला पलायमाणाणं निरणु-कंपा मुहं विहाडेतुं लोहडंडेहि कलकल ण्हं वयरांसि छुभति, केइ जमकाइया हसंता । तेण दड्ढा संतो रसंति भीमाइ विस्सराइं रुवंति य कलुणगाइं पारेवयगा (इ) व एवं पलवित-विलाव-कलु-णाकंदियबहुरुन्नरुदियसद्दो परिदे (वे) वियरुद्धबद्धयनारकारव-संकुलो णीसिट्ठो; रसिय-भणिय - कुविय - उक्कइय - निरयपाल-तज्जियं गेण्ह कम पहर छिदिभिद उप्पाडेहुक्खणाहि कत्ताहि विकत्ता-हि य भुज्जो (भंज) हण विहण विच्छुभोच्छुभ आकड्ढ विकड्ढ कि ण जंपसि ? सराहि पावकम्माइं (कियाइं) दुक्कयाइं एवं वयणमहप्पगब्भो (सं) पडिसुयसद्दसंकुलो उत्तासओ सया निरय-गोयराण महाणगरडज्जमाणसरिसो निग्घोसो सुच्चए अणिट्ठो तहि नेरइयाणं जाइज्जंताणं जायणाहि । किं ते ? असिवण—दब्भ-वण - जंतपत्थर - सूइतल - क्खारवावि - कलकलतवेयरणि - कलंब - वालुया-जलियगुह्निरुंभराणं उसिणोसिण - कंटइल्ल - दुग्गमरहजोयणतत्तलोहमग्ग (पह) गमण-वाहणाणि इमेहि विवि-

हेहि आयुहेहि । किं ते ? मोग्गर-मुसुंढि - करकय - सत्ति - हल-
 गय - मुसल - चक्क - कोत - तोमर-सूल - लउल - भिडिमाल-
 सब (इ ढ) ल - पट्टिस - चम्मेट्ट - दुहण - मुट्टिय - असि -
 खेडग - खग्ग - चाव - नाराय - कणक - कटिणि- वासि-परसु-
 कंटक (टंक)-तिक्ख-निम्मला अण्णेहि य एवमादिएहि असुभेहि
 वेउव्विएहि पहरणसतेहि अणुबद्धतिव्वेरा परोप्परवेयणं उदीरेति
 अभिहणंता । तत्थ य मोग्गरपहारचुण्णिय - मुसुंढिसंभग्गमहित-
 देहा जंतोवपीलणफुरंतकप्पिया के इत्थ सच्चम्मका विग्गत्ता णिम्मूलु-
 लूण कण्णोट्टणासिका छिण्णहत्थपादा (तत्थ य) असि - करकय-
 तिक्ख - कोत - परसुप्पहार - फालियवासी - संतच्छित्तंगमंगा
 कलकलमाणखारपरिसित्तगाढ - डज्झंतगत्त - कुंतग्गभिण्ण -
 जज्जरियसव्वदेहा विलोलंति महीतले विमूर्णियंगमंगा, तत्थ य
 विग - सुणग - सियाल - काक - मज्जार - सरभ - दीविय -
 वियग्घ - सद्दूल - सीह - दप्पिय-खुहाभिभूतेहि णिच्चकालमण-
 सिएहि घोरा रसमाणभीमरूवेहि अक्कमित्ता दढदाढा - गाढडक्क
 कड्ढिय - सुत्तिक्ख - नहफालियउद्धदेहा विच्छिप्पंते समंतओ
 विमुक्कसंधिबंधणा वियंगमंगा कंक-कुरर-गिद्ध-घोरकट्टवायसगणेहि
 य पुणो खरथिरदढणक्ख - लोहतुडेहि ओवदि (ति) ता पक्खा-
 हय-तिक्खणक्खत्रिकिन्न - जिब्भंछिय - नयण - निद्द (ढ) ओ-
 लुग्गविगतवयणा उक्कोसंता य उप्पयंता निपतंता भमंता ।

संस्कृत-छाया

पूर्वकर्मकृतसंचयोपतप्ता निरयाग्निमहाग्निसंप्रवीप्ता गाढदुःखां
 महाभयां कर्कशामसातां शारीरीं मानसीं च तीव्रां द्विविधां बेवयन्ति बेवनां
 पापकर्मकारिणो बहूनि पत्योपभसागरोपमाणि करुणं पालयन्ति ते यथायुष्कं
 यमकायिकत्रासितारश्च शब्दं कुर्वन्ति भीताः । किं तत् ? अविभाष्य !
 स्वामिन् ! भ्रातः ! पितः ! तात ! जितबन् ! मुञ्च मां, स्त्रिये, दुर्बलो व्याधि-
 पीडितोऽहम् किमिदानीमस्मि ! एवं वारुणो निर्वयो (भूत्वा) मा देहि मे

प्रहारान् ! उच्छ्वासमेकं मुहूर्त्तं मे देहि, प्रसावं कुरु, मा रुद्य, विधमामि, ह्यं वैयकं मुञ्च मे, क्षिये, गाडं तृष्णावितोऽहं बत पानीयं । हन्त ! (ततोऽहं देहि) 'पिबेदं जलं विमलं शीतलमिति' गृहीत्वा च नरकपालास्तप्तं त्रयुक्तं तस्मै ददति कलशेनाऽञ्जलिषु । दृष्ट्वा च तत्प्रवेपितागोपांगाः प्रगलबधु-प्रप्लुताक्षारिष्ठना तृष्णा अस्माकमिति (तृष्णाविताः स्म इति) करुणानि जल्पन्तो विप्रक्षमाणा विशोविशमत्राणा अशरणा अनाथा अबान्धवा बन्धु-विप्रहोणा विपलायन्ते च मृगा इव वेगेन भयोद्विग्नाः, गृहीत्वा च बलात् पलायमानानां निरनुकम्पा मुखं विघाट्य लोहवण्डैः कल-कलं किल ददन्ते क्षिपन्ति, केचिद्यमकायिका हसन्तस्तेन वग्धा. सन्तो रसन्ति भोमानि विस्व-राणि रुदन्ति च करुणकानि पारापतका इव, एवं प्रलपित-विलाप-करुणा-क्रन्वितबहुरुन्नरुदितशब्दः परिदेवित (वेपित) रुद्धबद्धक नारकारवसंकुलो निःसुष्टो, रसित-भणित-कूजितोत्कूजित-निरयपालतजितं-गृहाण, क्रम, प्रहर, छिद, भिद, उत्पाटय, उत्खनय, कृन्त, विकृन्त च भूयो (भञ्ज) हन विहन (जहि विजहि) विक्षिप, उत्क्षिप, आकर्ष, विकर्ष, किं न जल्पसि ? स्मर पापकर्म्मणि कृतानि, दुष्कृतानि, एवं वच (व) नमहाप्रगल्भः (स) प्रति-श्रुतशब्दसंकुल उत्त्रासकः सवा निरयगोचराणां दह्यमानमहानगरसदृशो निर्धौवः श्रूयतेऽनिष्टस्तत्र नैरयिकाणां यात्यमानानां यातनाभिः । कास्ताः ? असिधन-दर्भधन-यंत्र प्रस्तर-शूचीतल-आरवापो-कलकलायमानवैतरणीकदम्ब-बालुकज्वलितगुहानिरो धनमुष्णोष्णकण्टकवद्दुर्गमरथयोजनतप्तलोहभागं (पथ) गमनवाहनानि, एभिर्विधिषैरायुधैः, कानि तानि ? मुद्गर-मुसुण्डि-ककच-शक्ति-हल-गदा-भुशाल-चक्र-कुन्त-तोमर-शूल-लकुट-भिण्डिमाल - सब- (द्व) ल-पट्टिश-चर्मोष्ठ-दूधण-मोष्टिकासि-खेटक-खड्ग-चाप-नाराच - ५ णक-कर्त्तनी (कल्पनी)-वासो-परशु-कण्टक-(टंक) तीक्ष्णनिर्मलैर-यैश्चैवमादिभिर-शुभैर्वैः कियैः प्रहरणशतैरनुबद्धतीव्रवैरा परस्परं वेदनामदीरयन्ति, अभि-घ्नन्तः । तत्र च मुद्गरप्रहार-क्षिप्त-मुसुण्डिसंभगमथितवेहा यंत्रोपयोद्धन-स्फुरत्कल्पिताः केचिदत्र सचर्मका विकृता निर्मूलोन्मूलनकर्णोष्ठनासिका-च्छिन्नहस्तपादा असिक्कचतीक्ष्णकुन्तपरशुप्रहारस्फाटितवासी-संतक्षितांगो-पांगा कलकलायमानक्षारपरिसक्तगाढबह्यमानगात्र-कुन्ताप्रभिन्न-अर्जरित-संधवेहा विसुलं (ठं) ति महीतले विसूनिता-(विलनिता) ज्ञोपाङ्गाः । तत्र च बृक-श्व-भृगाल-काक-मार्जार-शरभ-द्वीपिक-व्याघ्र-शाबूल-सिंह - वपित - क्षुधाभिभूतेनित्यकालमनशितौघोरा रसवभोमरुपैराक्रम्य दृढवैष्ट्रागाढवष्ट-कृष्टसुतीक्ष्ण - नखस्फाटितोव्ध्वंवेहा विक्षिप्यन्ते समन्ततो

विपुस्तसंधिवन्धना व्यङ्गिताङ्गाः कंक-कुरुर-गृध्र-घोरकण्ठवायसगर्भश्च पुनः
 खरस्थिरवृद्धनखलोहतुण्डरैरवपत्य पभाहृत्तीक्ष्ण-नखविकीर्ण-जिह्वाकण्ठित
 (जिह्वा) मयन निर्दयावदगणविगतबधना उत्क्रोशन्तश्चोत्पतन्तो नियतन्तो
 भ्रमन्तः ।

पदार्थान्वय—(पुष्पकम्मकयसंघजोबतसा) पूर्वघष में किये हुए कर्मों के संघष से संतप्त (निरयगिमहृगि संपलित्ता) महाग्नि के समान नरक की आग से अत्यन्त जलते हुए वे (पावकम्मकारी) पाप कर्म करने वाले नरक के जीव, (गाड बुक्कं) उत्कट दुःखरूप, (महवमयं) अत्यन्त भयानक, (कक्कसं) कठोर (असायं) असातावेदनीय-कर्म के उदय से जनित, (शारीरं) शरीरसम्बन्धी, (च) और (भाणसं) मनसम्बन्धी, (बुबिहं) दो प्रकार की, (तिव्वं) तीव्र, (बियणं) बेवना को (बेवेत्ति) भोगते हैं । तथा (ते) वे नारकीय जीव (बहूणि) बहुत लम्बी, (पल्लिओवमसामरोचमाणि) पस्थोपम एवं सागरोपमकाल प्रमाण, (अहाउयं) बांधी हुई आयु को, (कसुणं) दोनता से, (पाल्लेत्ति) पार करते हैं—बिताते हैं ; (य) और, (यमकातियतासिता) यमकायिक बक्षिण-विक्पालदेविकाय के आश्रित अम्ब आदि असुरों द्वारा सताये गए वे (भीया) भयभीत होकर (सहं) आर्त्तनाद, (करेत्ति) करते हैं । (से) वह आर्त्तनाद (किं) किस तरह का होता है ? (अविभाय) हे प्रतापी ! (सामि) हे स्वामिन् ! (भाय) हे भाई, (बप्प) हे बाप ! (ताय) ओ तात ! (जित्तवं) हे विजयी ! (मुय मे, मरामि) मुझे छोड़ दो, मैं मर गया ! (वाणि) इस समय (अहं) मैं, (किं) कितना, (बुब्बलो) बुबल तथा (बाहिपील्लिओ) रोग से पीड़ित (असि) हूँ । (एवं) इस प्रकार, (वारुणो) कठोरचित्त (य) और (निहूओ) निर्दय होकर (मा वे हि मे पहारे) मुझ पर चोटें प्रहार मत दो ! (मे) मुझे (मुहत्तयं) एक मुहूर्त्त तक, उस्तासेत) स्वास लेने दो ; (पसायं) कृपा (करेह) करो, (मा हस) मुझ पर गुस्ता मत करो, (वीसमामि) जरा विश्राम लेता हूँ, (मे) मेरी (गेवेण्वं) गर्दन को, (मुयह) छोड़ दो, (अहं) मैं, (गाडं तण्हाइयो) अत्यन्त प्यास से पीड़ित हूँ, (मे) मुझे (पानी-यं) पानी (वेह) दो" नारकीय जीवों के ऐसा कहने पर यमपुरुष कहते हैं—(हंता) तो नारक ! (इमं) इस (विमलं) स्वच्छ, (सीतलं) ठंडे (जलं) पानी को (पिय) पी लो, (इत्ति) ऐसा कहकर (नरयपाला) नरकपाल, (कल्लेण) कलश में से (तविमं) तपे हुए (तउय) सीसे को, (घेत्त, ञ) लेकर (से) उसकी (अंजलीसु) हथेली पर (वेत्ति) उबेलते हैं—बेते हैं । (य) और (तं) उसे (वट्ठूण) बेलकर, (पवेवियंगोबंग) नारकों के अंगोपांग सिंहर उठते हैं, (अंसुपगलंतपप्पुयच्छा) बहते हुए औंसुओं से उनकी ओरें डबडबा आती हैं, और (अम्ह) 'बस हमारी, (तण्हा) प्यास, (छिण्णा) भुख गई' (इय) इस प्रकार से (कसुणाणि) कदवापुर्ण दोनखचन (अंपपाणा) कहते हुए (विसोविस्ति) एक चिसा से दूसरी चिसा की ओर, (विप्येकजता) नजर दौड़ाते हुए,

(अस्ताणा) रसाहीन, (असरथा) शरणहीन, (अणाहा) अनाथ, (अबांधवा) बान्धवों से रहित, (बंधुविष्यहीना) स्वजनों से रहित (भउड्विग्गा) भय से घबराये हुए, (मिगा इव) हिरण्यों की तरह, (बेगेण) जोर से (विपलायंति) भागने लगते हैं। तब (गिरणु-कांपा) निर्बन्धी (हंसता) हंसते हुए (केइ) कई (जम काइया) यमपुरष (बला) जबर्बस्ती उन्हें (वेत्तू ण) पकड़ कर (पलायमाणं) भागते हुए नारकियों के (मुहं) मुंह को, (लोहडंडेहिं) लोहे के डंडों से, (विहाडेत्तु) खोलकर (कलकल) उबलते हुए सीसे को (बयणंसि) उनके मुंह में (छुभति) उड़ेल देते हैं। (तेण) उससे (दब्ढा सतो) जले हुए बे (रसंति) चिल्लाते हैं (य) और (पारेवयगा व) कन्नूतरो की तरह (भीमाइ) भयंकर, (विस्सराइ) बुरे स्वर से (कलुणगाइ) दीमता-पूर्वक (खंबंति) रोते हैं, (एवं) इस प्रकार, (पलवितविलावकलुणाकंविद्यबहुल्ल-हवियसहो) प्रसाप, विलाप (आत्तं नाव) दीमतापूर्वक गला फाड़ कर रोने, बहुत बेर तक अरूप्यरोदन एवं तिसकियां भरकर रोने की आवाज से युक्त, (परिवेपित-वेविय द्ढ-बद्धय नारकारवसकुलो) कांपते हुए या जोर-जोर से दुःख प्रकट करते हुए, रोके हुए, और बंधे हुए नारकों द्वारा मचाए हुए शोर से व्याप्त, और जोर-जोर से इस प्रकार चिल्लाते हुए नारकीय जीव को, (रसिय-भणिय-कुपिय-उक्कइय-निरय-पालतज्जियं) चिल्लाते हुए, स्पष्ट धमकाते हुए, कोप करते हुए, जोर-जोर से शोर मचाते हुए नरकपालों की डांट पड़ती है (नेष्क वकम पहर छिब भिद उप्पाडेहुक्खणाहि कत्ताहि विकत्ताहि य भुज्जो (भुंज) हण-विहण विच्छुभोच्छुभ आकइइ विकइइ) इसे पकड़ो, इस पर पर रस कर बले जाओ, इसे पीटो, छेदन करो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो, उखाड़ डालो, इसकी आँखें बर्गरह निकाल लो, कँची से इसके नाक-कान काट लो, विशेष प्रकार से कतर डालो और फिर (अथवा इसे भून डालो) इसे मारो, जोर से मारो, इधर-उधर फेंक दो, ऊपर उछाल दो, सामने से खींचो, उलटा खींचो, (कि ण जंपसि) अब क्यों नहीं बोलता है ? (पाप) 'अरे पापी ! (बुक्कवाइ कम्माइ' सराहि) अपने बुद्धूत-पाप-कर्मों को याद कर', (एवं) इस प्रकार (वयणमहूपगद्वो) यमपुरषों के बोलने से फंला हुआ शोर (पडिसुय सद्दवसकुलो) और उसकी प्रतिध्वनि के गूँजने से व्याप्त (सया) सदा, (नरयमोयराणं) नरक निवासियों को (तासओ) त्रास पहुँचाने वाला, (जायणाहिं) यातनाओ-पीड़ाओं से, (जाइज्जताणं) यंत्रणा (पीड़ा) पाते हुए (नेरइयाणं) नारक-जीवों का, (महाणगरडज्जमाणसंरसो) जलते हुए महानगर के शोर के समान, (अणिट्ठो) अनिष्ट-अप्रिय, (निग्घोषो) महाघोष-हल्ला-मुल्ला (तहियं तहिं) वहाँ नरक में (सुच्चए) सुनाई देता है। (ते) वे यातनाएँ, (कि) कौन-कौन-सी हैं ? (असिक्ख-डम्मवण-अंतपत्थर-सुइतलक्खारवावि-कलकलतवेयरणि-कलंबबालुया-जलिय-गुहनिरंभणं) तलवार की धार के समान तीखे पत्तों के वन में, बभं-कुश के वन में, घरट्ट आदि पत्थरों पर, ऊपर मुंह की हुई सुइयों के समान भूतल पर, खारे रसों से भरी हुई बावड़ियों में, उबलते हुए सीसे से भरी हुई बेंतरणी

नदी में कचंब के फूल के आकार की बनी हुई तीखी रेत पर, जलती हुई गुफाओं में नारकियो को फेंक कर या धकेल कर, (उसिषोसिष्य-कंटइल्ल-मुगमरहजोयथततलोह-मग (पह) गमणवाहृषाणि) गर्भागर्म कांटों वाले तथा अत्यन्त बजनदार होने के कारण कठिनाई से चलने वाले रथ में जोत कर, तपे हुए लोहे के रास्ते पर चलाकर एवं बंलों की तरह बहुत बजन लाद कर चलाये जाकर, (इमेहि) इन आगे कहे जाने वाले, (बिबिहेहि) अनेक प्रकार के, (आयुहेहि) हथियारों से नारकी परस्पर एकदूसरे को पीड़ा देते हैं। (ते) वे हथियार, (किं) कौन-कौन-से हैं ? (मोगर-मुसुंढि-करकव-ससि-हल-गय-मुसल-चक्क-कोत-तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल-सड (ब) ल-पट्टिस-चम्मेहु-बुहण-मुट्टिय-असि-खेडग-खग-चाव-नाराय-कणक-कप्पणि-वासी-परसु-टंक (कंटक)-तिक्ख निम्मला) मुद्गर, मुसुंढि, करौत, त्रिशूल, हल, गदा, भूसल, चक्र, बर्छी, तोमर (तबर), शूली (बल्लम), साठी, भिडीमाल (गोफन) भाला, पट्टिस (एक प्रकार का अस्त्र), चमड़े से वेष्टित पथर, दूधण (तोप या विशेष प्रकार का मुद्गर), हथोड़ा, कटारी, डाल, तलवार, धनुष, बाण, नली वाला बाण, कैची, बसूला, कुल्हाड़ा, बल्लम तथा तीखी नोक या धार वाले चमचमाते हुए शस्त्रों, (य) तथा (एवमाविएहि) ये और इसी प्रकार के (अण्णेहि) दूसरे, (असुमेहि) पाप के निदानभूत अयुध, (बिज्जिबएहि) इन्हीं में से सुधार कर या बिगाड़ कर कृत्रिम या अकृत्रिम तरीकों से बने हुए (पहरणसतेहि) सैकड़ों शस्त्रों से, (अभिहणंता) सीधा प्रहार करते हुए, (अणुबद्धतिष्ववेरा) निरन्तर तीव्र वंरभाव धारण किए हुए वे नारकीय जीव, (परोप्पर-वेयणं) पूर्व वंर भाव स्मरण कर करके परस्पर पीड़ा को, (उदीरंति) उकसाते हैं, (य) और (तत्थ) वहाँ (मोगरपहारचुण्णिय-मुसुंढिसंभग्ग-महितवेहा) मुद्गरों के प्रहार से उनके शरीर चूरचूर कर दिये जाते हैं, मुसुण्डियो से शरीर जर्जर करके बही की तरह मथ दिया जाता है, (अंतोवपीलणफुरंतकप्पिया) कोलू बगैरह यंत्रों से घेरने के कारण फड़फड़ाते हुए उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं, (केइत्थ) कई नारकियों को यहाँ, (सचम्मका विगत्ता) चमड़ीसहित विकृत कर दिया जाता है अथवा चमड़ी खींचकर उधेड़ ली जाती है, (णिम्मूलुल्लण कण्णोट्टनासिका) कान, ओठ और नाक जड़ मूल से काट दिये जाते हैं, (छिण्णहत्थपादा) हाथ-पैर काट लिये जाते हैं, (असिकरकयतिक्खकोतपरसुप्पहारफासियवासीसंतच्छियंगमंगा) उनके अंग-अंग तलवार, करौत, तीखे भालों, कुल्हाड़ी के प्रहार से फाड़ दिये जाते हैं और बसूले से छील दिये जाते हैं, (कलकलमाणखारपरिसित्तगाड्डअसंतगत-कुं'तग्गभिण्ण-अज्जरिय-सज्जवेहा) उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गर्भागर्म खार सौंभा जाता है, जिससे शरीर जल जाता है, फिर भालों की नोक से उसके टुकड़े-टुकड़े किये जाते हैं, इस प्रकार उनका सारे शरीर का कच्मर निकाल दिया जाता है, (बिसूणियंगमंगा) उनका

अंग-अंग सूत्र जाता है, ऐसी स्थिति में बेचारे नारकीय जीव (महीतले) पृथ्वीतल—
जमीन पर, (बिलोलंति) लोटते फिरते हैं ।

(य) और (तत्थ) वहाँ (गिच्छकालं) हर समय (अणसिर्णह) बिना छाप
हुए—भूखे ही रहने वाले, (घोरा) भयंकर, (रसमाणमीमरूचे) आवाजें करते हुए,
डरावने रूप वाले वे, (विग-सुणग-सियाल-काक-मञ्जार-सरभ-बीविय-विद्यग्ध-सहूल-
सीह-बन्धिय लुहाभिभूतेर्हि) अत्यन्त भूख से सताए हुए मतवाले भेड़िये, शिकारी कुत्ते,
सियार, कौए, बिलाव, अष्टापद, चीते, बाघ, केसरी सिंह और सिंह, (अक्कमिता)
उन पर हमला करके (रडवाडा-गाडप्रक्क-कडिडयसुतिकखणह-फालियउडवेहा) अपनी
मजबूत दाढ़ी से नारको के शरीर के ऊपरी हिस्से को जोर से काटते हैं, फिर उन्हें
छींचते हैं तथा अत्यन्त तीखे नखों से उसे फाड़ देते हैं, फिर उन्हें (समंतओ) चारों
ओर, (विच्छियंते) फेंक देते हैं, (विमुक्कसंधिबंधणा) जिससे उनके शरीर के जोड़
और बंधन ढीले हो जाते हैं, (वियंगमंगा) अंग-अंग विकृत या पृथक् कर चिये जाते
हैं (य) और (पुणो) फिर (खरिधिरवडणखलुहलुडंहेहि) तीखी और मजबूत डाढ़, नख
और लोहे के समान नुकीली चाँच वाले, (कंक-कुरर-गिड-धोरकट्ट-वायसगणेर्हि) कंक,
कुरर (कौंच), गिड, अत्यन्त कष्ट देने वाले जंगली कौओं के झुंड के झुंड, (ओव-
तित्ता) उन पर टूट पड़ते हैं (पक्खाहपतिकखणखडिकिभिजिठमंछियनवर्णनिट्ट (ड)
ओलुगवियगतवयणा) वे उन नारको को अपने पंखों से ताड़ित करते हैं, तीखे नखों से
ओभ छींच लेते हैं, उनकी आँखें निकाल लेते हैं तथा निर्बयतापूर्वक उन्हें अस्वस्थ
करके उनका चेहरा बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण वे (उक्कोसंता) जोर-जोर से
रोते-बिल्लाते हैं, कोसते हैं, (उप्पयंता) उछलते हैं, (निपतंता) नीचे गिरते हैं, (य)
और (ममंता) इधर से उधर घूमते हैं ।

मूलार्थ—पूर्वजन्मों में उपार्जित कर्मों के मंचय से संतप्त महाग्नि के
समान नरक की प्रचंड आग में अत्यन्त जलते हुए वे पापकर्मकर्त्तृ वाले नरक
के जीव उत्कट दुःस्वरूप, महाभयंकर, कठोर एवं असाता वेदनीयकर्म के उदय
से जनित शारीरिक एवं मानसिक दो प्रकार की तीव्र वेदना भोगते हैं । तथा
वे नारकीय जीव बहुत लम्बी पत्योपम एवं सागरोपम काल तक की बांधी
हुई अपनी आयु दीनतापूर्वक बिताते हैं । इस लम्बी अवधि तक वे दक्षिण
दिक्पाल देव के आश्रित अम्ब आदि यमकायिक असुरों द्वारा मताए जाते हुए
भयभीत होकर आर्तनाद करते हैं ।

वह आर्तनाद किस प्रकार का होता है ? ऐसा पूछने पर शास्त्रकार
कहते हैं—“हे प्रतापी पुरुष ! हे स्वामिन् ! हे भाई ! ओ पिता ! अय तात !
हे जयशील ! मुझे छोड़ दो, मैं दुर्बल और व्याधियों से पीड़ित हूँ, मर रहा हूँ ।

हाय रे ! अब क्या होगा ? हे कठोर, निर्दय होकर इस प्रकार मुझ पर प्रहार मत करो ! मुझे क्षणभर (मुहूर्त मात्र) दम लेने दो, कृपा करो, क्रोध मत करो, मैं जरा विश्राम ले लूँ, मेरी गर्दन में पड़ी हुई फांसी खोल दो, मैं मरा जा रहा हूँ, प्यास से अत्यन्त पीड़ित हूँ, मुझे पानी पिला दो ।” नारकीय जीवों द्वारा इस प्रकार कहने पर वे यमपुरुष असुरकुमारदेव कहते हैं—‘ले नारक ! यह साफ और ठंडा पानी पी ले ।’ यों कहते हुए वे नरकपाल तपे हुए सीसे को लेकर कलश में से नारकी की अंजलि में उँडेलते हैं । उसे देखकर नारकीय जीवों के बंगोपांग सिहर उठते हैं, उनकी आँखें आंसुओं से भर आती हैं और वे कहते हैं—‘बस, हमारी प्यास बुझ गई ।’ इस तरह करुणापूर्ण वचन बोलते हुए वे एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भाँकते हुए अरक्षित, अशरण, अनाथ, अबान्धव और स्वजनरहित होकर हिरणो की तरह भय से घबराए हुए तेजी से भागते हैं । उन भागते हुए नारकियों को कई निर्दय यमपुरुष हँसते हुए जबरन पकड़कर, लोहे के डंडों से उनका मुँह खोलकर कलकल उबलते हुए सीसे को उनके मुँह में उँडेल देते हैं । उससे जले हुए वे नारकीय चिल्लाते हैं, कबूतरों की तरह भयंकर करुणापूर्ण बेसुरा रुदन करते हैं । इस प्रकार बडबड़ाने, विलाप करने, दीनतापूर्वक गला फाड़कर रोने, अत्यन्त अरुण्यरोदन करने, और सिसकियाँ भर कर रोने की आवाज से युक्त एव थरति हुए या जोर-जोर से दुःख प्रगट करते हुए, रोके हुए और बंधे हुए नारकियों के द्वारा स्पष्ट निकले हुए शब्दों को सुनकर चिल्लाते, स्पष्ट धमकाते, कोप करते और जोर-जोर से शोर मचाते हुए यमपालो की डांट पड़ती है “पकड़ लो इसे, इस पर पैर रखकर लांघ जाओ, इसे पीटो, छेद डालो, इसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो, इसे उखाड़ डालो, इसकी आँखें वगैरह निकाल लो, कँचों से इसके नाक, कान काट डालो, इसे अच्छी तरह नोच डालो भून डालो या इसे फिर मारो, खूब मारो, इधर-उधर फेंक दो, ऊपर उछाल दो, सामने से खींचो, उलटा खींचो; अब क्यों नहीं बोलता है ? अरे पापी ! अपने किये हुए दुष्कर्मों—पाप कर्मों को याद कर ।”

इस प्रकार यमपुरुषों द्वारा बोलने से फैला हुआ शोर, और उसकी प्रतिध्वनि के गूँजने से व्याप्त नरकवासियों को सदा त्रास पहुँचाने वाला तथा विविध प्रकार की यातनाओं से पीड़ित होते हुए नारको का जलते हुए महा-नगर के घोष के समान अनिष्ट—अप्रिय महाघोष (हल्ला गुल्ला) वहाँ (नरक में) सुनाई देता है । वे यातनाएँ कौन-कौन सी हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं— तलवार की धार के समान तीखे पत्तों के वन में, कुश के वन में, घट्ट आदि पत्थरो पर, ऊपर मुख की हुई सूइयों वाले झूलत पर, सारे रसों

से भरी हुई बावडियों में, उबलते हुए सीसे से भरी हुई वैतरणी नदी में, कदम्ब के फूल के समान आकार वाली तीक्ष्ण रेत पर और धक्कती हुई गुफाओं में नारकियों को फेंक कर या धकेल कर, गर्मा गर्म कंटीले तथा अत्यन्त वजनदार होने के कारण कठिनाई से चलने वाले रथ में जोत कर, तपे हुए लोहे के मार्ग पर चला कर एवं बैलों की तरह दूसरों द्वारा बहुत वजन लादकर चलाये जाकर तथा इन आगे कहे जाने वाले अनेक प्रकार के हथियारों से नारकी परस्पर एक दूसरे को पीटा देते हैं।

वे हथियार कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं— 'मुद्गर मुसुंढि, करौत, त्रिशूल, हल, गदा, मूसल, चक्र, भाला, तोमर (तबर), शूली (बल्लम), लाठी, भिंडीमाल (गोफन), बरछी, पट्टिस नामक एक प्रहरण, चमड़े से लपेटा हुआ एक प्रकार का पाषाण, द्रुघण (तोप या विशेष प्रकार का मुद्गर), हथौड़ा, तलवार या कटार, ढाल, दुधारी तलवार, धनुष, बाण, नली वाला बाण, कंची, बसूला, कुल्हाड़ा, काटेदार शस्त्र, तथा तीखी नोक या पंजी धार वाले चमचमाते हुए हथियारों व और भी अनेक प्रकार के सैकड़ों अछुभ आयुधों से, जो कि कृत्रिम या अकृत्रिम तरीके से विक्रिया के द्वारा बना लिए जाते हैं, सीधे प्रहार करते हुए, निरन्तर तीव्र वैरभाव धारण किये हुए वे नारकीय जीव, पूर्व वैर का स्मरण करके परस्पर एक दूसरे को पीटा के लिए उकसाते हैं।

इसी प्रकार वहाँ मुद्गरों के प्रहार से नारकियों के शरीर चूर-चूर कर दिये जाते हैं, मुसुंढि नामक शस्त्र से शरीर जर्जर कर दिया जाता है, दही की तरह उनका शरीर मथ दिया जाता है, कोल्हू वगैरह यंत्रों में पीलने से वे भरते हैं तो उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं, यहाँ कई नारकियों को चमड़ी उधेड़ कर विकृत कर दिया जाता है, उनके नाक, कान और ओठ जड़मूल से काट लिये जाते हैं, हाथ पैर काट लिये जाते हैं, उनका प्रत्येक अंग तलवार, करौत, तीखे भालों और कुल्हाड़ों के प्रहार से फाड़ दिया जाता है और बसूले से छील दिया जाता है, उनके शरीर पर कलकल करता हुआ गर्मागर्म खार मीचा जाता है, जिससे शरीर जल जाता है, फिर भालों की नोक से उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं, इस प्रकार उनके सारे शरीर का कचूर निकाल दिया जाता है, उनका अंग-अंग सूज जाता है। ऐसी स्थिति में वे बेचारे नारकीय जीव जमीन पर लुढ़क जाते हैं, निढाल होकर भूमि पर गिर जाते हैं।

वहाँ पर हमेशा मानो बिना खाये हुए रहने वाले, भूख से पीड़ित मदनमत्त भेड़िये, शिकारी कुत्ते, गीदड़, कौए, बिलाव, अष्टापद, चीते, बाघ

केसरी शेर और सिंह, घोर आवाजे करते हुए भयावना रूप धारण करके उन नारकियों पर टूट पड़ते हैं और अपनी मजबूत दाढ़ों से नारकों के शरीर के ऊपरी हिस्से को जोर से काटते हैं, फिर उसे खींचते हैं, अत्यन्त पीने नुकीले नखों से फाड़ डालते हैं और तब इधर-उधर चारों ओर फेंक देते हैं, जिससे उनके शरीर के जोड़ और बन्धन ढीले हो जाते हैं, उनके अंग-अंग विकृत या पृथक् कर दिये जाते हैं। उसके बाद तीखी मजबूत दाढ़, नख और लोहे के समान नुकीली चोच वाले कंक, टिटहरी, गिद्ध तथा घोर कष्ट देने वाले कौओ के भुंड उन पर टूट पड़ते हैं और अपने पंखों से उन्हें घायल कर देते हैं, तीखे नखों से उनकी जीभ खींच लेते हैं और आँखें निकाल लेते हैं तथा निर्दयतापूर्वक उनके मुंह को नीचते और कुरेदते हैं। इसके कारण वे जोर-जोर से चिल्लाते हैं, कांसते हैं, उछलते हैं, नीचे गिरते हैं और इधर से उधर चक्कर लगाते हैं।

व्याख्या

यह मूलपाठ पूर्व सूत्र के ही आगे का पाठ है। इसमें पूर्ववर्णित हिंसा के महा-भयकर फल का उसी सिलसिले में निरूपण किया गया है। पूर्वपाठ में हिंसा करने वालों के नामों का उल्लेख करने के माघ-माघ हिंसा रूप दुष्कर्म के फलस्वरूप नरकागारों और वहाँ दी जाने वाली भयकर यातनाओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत मूलपाठ में नरकों में नारकियों को दी जाने वाली तीव्र यातनाएँ, उनके कारण नारकियों में होने वाली प्रतिक्रिया, नरकपालों द्वारा उनकी पुकार के बदले में उनके पूर्व कुकर्मों की याद दिला-दिला कर भयकर से भयकर पीड़ाएँ देने के विविध तरीकों, पीड़ाएँ देने के लिए विविध शस्त्रों और उनके प्रहारों के विविध ढंग एवं नरक में वैकियजन्य विविध हिंस्र पशुपक्षियों द्वारा नारकियों के शरीर को क्षत-विक्षत करने आदि का स्पष्ट वर्णन शास्त्रकार ने किया है। इन नरकयातनाओं के वर्णन को पढ़ने-सुनने वाले के भी रीगटे खड़े हो जाते हैं तो फिर जिन्हें इन यातनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, या इस दुनिया में भी मनुष्य और तिर्यञ्चयोगि पाए हुए जीवों की विविध दुःखद यातनाओं का दर्शन हुआ है या होना रहता है, वे स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि नरक के दुःख कितने भयकर हैं और किस-किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? हिंसा करने वाले व्यक्ति यहाँ चाहे समाज, राष्ट्र या सरकार की नजरों से बच जायें, यहाँ चाहे वे सरकार की आँखों में धूल झोंक कर अपने को निर्दोष साबित कर दे अथवा समाज या सरकार पर दबाव डालकर पशुपक्षियों की हत्या का खुल्ला परवाना पा लें, किन्तु अपने दुष्कर्मों की आँखों से बच नहीं सकते, उनके हिंसा में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, उनका फल भोगना अवश्यम्भावी है। मनुष्य न चाहे तो भी उसके दुष्कर्म

बलात् उसे नरक या तिर्यञ्च योनि में धकेल देते हैं या खींच ले जाते हैं। दुष्कर्म किसी के लिए भी रियायत नहीं करते। चाहे वह राजा हो, सेठ हो, ब्राह्मण हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा लिखा हो, मंत्री हो या अध्यक्ष हो, अगर वह हिंसा जैसा दुष्कर्म करता है तो उसका दुष्परिणाम उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है।

यही कारण है कि विश्वहितीपी ज्ञानी आप्तजनों ने जगत् के जीवों को दुःखों की परम्परा में लिपटे देख कर, उन पर दया लाकर उन दुःखों के कारणों और दुःख के बीज बोने से बचने के हेतु नरकतिर्यञ्चगमनरूप विविध दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप में बता दिया है।

प्रस्तुत मूलपाठ में नारकियों को होने वाली तीव्र वेदना और यमकायिकों द्वारा दी हुई विविध यातनाओं का स्पष्ट निरूपण है। साथ ही नारकियों के मन-वचन-काया द्वारा उस पीड़ा के कारण होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया का भी वर्णन किया गया है। अन्त में, नरक के हिस्र पशुपक्षियों द्वारा भी यातना पर यातना दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

कटुफल का कारण—इतने भयंकर दुष्परिणाम का आखिर कोई न कोई कारण जरूर है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। इमीलिए शास्त्रकार कहते हैं—'पुण्यकर्मकयसंचयोवतत्ता'—वे नारकी जीव पूर्व जन्मों में उपाजित दुष्कर्मों के सचय के कारण यहा सदा सतप्त रहते हैं। इस शब्द से कर्म करने और उसका फल भोगने में जीवों की स्वतंत्रता और उनके पुनर्जन्म का अस्तित्व छीतित होता है। जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ही जीवों को कर्म कराता है, और वही उनका फल भुगवाता है, यह बात असंगत लगती है। क्योंकि ईश्वर अगर जीवों से कर्म करवाता है या कर्म करने की स्वतंत्रता देता है तो फिर वह पक्षपाती ठहरंगा, क्योंकि एक को शुभकर्म करने और एक को अशुभ कर्म करने की प्रेरणा क्यों देता है? सबको ईश्वर शुभकर्म करने या कर्म क्षय करने की प्रेरणा क्यों नहीं देता? क्यों एक को चोर बनाता है, एक को साहूकार? यह ईश्वर को कर्ता-धर्ता मानने से बहुत बड़ा आक्षेप आता है। और फल भुगवाते समय भी वह सबको स्वर्ग या मोक्ष में क्यों नहीं भेज देता? वह तो दयालु है। इसीलिए वैदिक धर्म के प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है—

'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

अर्थात्—'ईश्वर लोक (जगत् के जीवों) का कर्तृत्व नहीं करता, न कर्मों की प्रेरणा ही करता है, और न ही कर्मों के फल का संयोग कराता है। यह संसार तो जीवों की अपनी-अपनी (कर्म) प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त होता है।'

जहाँ ईश्वर या खुदा को कर्मफल भुगवाने वाला माना जाता है, वहाँ मनुष्य बेखटके दुष्कर्म करता रहता है, उसे चिन्ता नहीं होती कि मुझ इसका कुफल मिलेगा या दण्ड मिलेगा। वह इसी भ्रम में रहता है कि फल भोगने के समय ईश्वर से मिन्नते कर लूँगा, उसकी खुशामद करके, उसकी स्तुति या प्रार्थना करके उसके सामने अपराधो या पापो को स्वीकार करके उसे मना लूँगा और उस कुफल से बच जाऊँगा। ईश्वर को इस तरह अगर खुश कर लिया जाता तो ससार में किसी को सदाचार या अहिंसा आदि के पालन की जरूरत ही नहीं रहती। परन्तु ईश्वर इस तरह कदापि प्रसन्न नहीं होता। वह रागी, मोही या ड्रंपी नहीं है, वह तो वीतराग है और समार में अलिप्त है। इसलिए हिंसारूप पाप कर्म अगर कोई करेगा तो उसके दुष्परिणाम भोगने के समय उसे सतप्त और पीडित होना ही पड़ेगा, उस समय कोई मिन्नत, प्रार्थना या स्तुति काम नहीं आएगी।

कई लोगों का यह कहना है कि इससे आगे पुनर्जन्म है ही नहीं। यह शरीर यही समाप्त हो जाता है। मनुष्य के कर्मों का फैसला कयामत के दिन ईश्वर करता है, उस दिन सब आत्माएँ (रूहे) ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करके, उन्हें प्रसन्न करके अपराध से बरी हो जायेगी। परन्तु यह भी भयकर भ्रान्ति है। आजकल के पुनर्जन्म-विज्ञानवेत्ताओ द्वारा प्रमाणित प्रत्यक्ष घटनाओ से पुनर्जन्म सिद्ध है। जिस धर्म या मजहब वाले लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, उन्हें भी इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के कारण इसे मानना पड़ता है। अनुमान प्रमाण से भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। क्योंकि यदि पुनर्जन्म (इस जीवन के आगे कोई और जन्म) न होता तो फिर धर्म पालन करने की, शुभ कर्म करने की या कर्मक्षय के लिए साधना करने की जरूरत ही क्या रहती? हिंसा आदि दुष्कर्म करने वाले और अहिंसा आदि सद्धर्म का आचरण करने वाले दोनों एक समान होते, दोनों को समान ही फल मिलता। परन्तु ऐसा होना असंभव है। अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जीव नरक, तिर्यच, मनुष्य या देवगति में जाता है, वह पुनर्जन्म होने के कारण ही। अन्यथा, कई लोग, जो यहाँ शुभ कर्म करते हैं या धर्माचरण करते हैं, फिर भी दुःखी, निर्धन या पीडित रहते हैं, उन्हें उस शुभाचरण या धर्माचरण का सुफल तत्काल या इस जन्म में नहीं मिलता है तो आगे के जन्म में तो मिलेगा ही। इसी आशा से वे ऐसा करते हैं। इसलिए पुनर्जन्म स्वतः ही सिद्ध है।

हाँ, यह बात जरूर है, एक जिवनी के सारे शुभाशुभ कर्मों का जल्ता इकट्ठा होने पर जिस प्रकार के कर्मों की सख्या अधिक होती है या प्रबलता होती है, उसी के अनुसार भविष्य में उसकी गति और आयु का बन्ध होता है।

इसीलिए प्राणी को पूर्व कर्म के सचय से संतप्त कहा है। यानी पूर्वजन्मों के कर्मों की टोटल मिलने पर जिन कर्मों की सख्या अधिक होती है उसके अनुसार ही

प्राणी को गति, आयु, योनि आदि प्राप्त होती है। यहाँ नारकियों को जो नरकभूमि मिलती है और नरक में इतना भयकर दुःख मिलता है, वह सब पूर्व जन्मकृत अशुभ कर्मों के जत्ये के कारण ही है।

कई कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल तुरन्त या इसी जन्म में ही मिल जाता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दूसरे जन्म में या अनेक जन्म के बाद मिलता है। गति कर्म और आयु कर्म का फल सदा अगले जन्म में मिला करता है। जैसी गति या योनि मिलती है, उसी के अनुसार उसे शुभ या अशुभ फल भी मिलता है।

साराश यह है कि जीव स्वयं ही अपने मन-वचन-काया की प्रवृत्ति के कारण कर्मबन्ध करता है और अन्तिम समय में कर्मों के जत्ये के अनुसार उसे गति व योनि मिलती है, और तदनुसार ही उसे सुफल या दुःफल भोगना पड़ता है।

कर्मबन्ध के प्रकार— प्रसंगवश हम यहाँ कर्मबन्ध के प्रकारों का भी संक्षेप में परिचय दे देते हैं। कर्मबन्ध के ४ प्रकार हैं— प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभाग (रम) बन्ध और प्रदेशबन्ध। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। जैसे नीम की प्रकृति कड़वा और ईख की प्रकृति मीठी है, वैसे ही कर्मों की प्रकृति जीव के ज्ञान आदि शक्तियों को रोकने की है। प्रकृतिबन्ध मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) से होता है। प्रकृतिबन्ध मूलतः आठ प्रकार का है— ज्ञानावरणीय, दगंतावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय। उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं।

कर्म करते समय ममारी जीवों के समय-ममय में अनन्त कर्मपरमाणुओं का बन्ध होना प्रदेशबन्ध कहलाता है। यह भी मन-वचन-काया की प्रवृत्ति (व्यापार) से होता है। कहा भी है—

‘योग पर्यङ्गपदेसा ङिद्-अनुभागा कषायदो होति ।’

यानी योग (मन-वचन-काया के व्यापार) से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय (क्रोधादि) से स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध होता है।

क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों में बंध टूट कर कर्मों में स्थिति (अमुक समय तक कर्मों की आत्मा के साथ टिके रहने की अवधि) का बन्ध होना, स्थितिवन्ध कहलाता है। जैसे जहाँ चिकनाई हो, वहाँ धूल ज्यादा देर तक चिपकी रहती है, जहाँ चिकनाई न हो वहाँ धूल तुरन्त खिर जाती है या उड़ जाती है, वैसे ही आत्मा पर कषायों की चिकनाई जितनी न्यूनार्थिक होगी, उतनी अवधि तक आत्मा के साथ कर्मरज लगी रहती है। कषाय तीव्र होता है तो दीर्घकाल की स्थिति, मद् होता है तो थोड़े काल की और मध्यम होना है तो मध्यम स्थिति का बन्ध होता है।

कर्मों में शुभाशुभफल देने की तीव्रता-मदना रूप शक्ति का बधना अनुभागबन्ध है। अनुभागबन्ध भी कषायों के अनुसार ही होता है। तीव्र कषाय होगा तो तीव्र अनुभागबन्ध होगा, मध्यम होगा तो मध्यम और मन्दकषाय होगा तो मद् अनुभागबन्ध होगा।

इन चारों प्रकार के कर्मबन्धों के जत्ये के अनुसार किसी भी जीव को शुभा-शुभ गति, योनि और तदनुकूल ही सुखदुःखादि रूप फल प्राप्त होते हैं ।

नारकीय जीवों को भी इन चारों प्रकार के कर्मबन्धों के जत्ये के फलस्वरूप अशुभ भयकर नरकगति, नरकयोनि और नरकायु मिलती है तथा तदनुकूल ही अपार दुःख, शारीरिक-मानसिक तीव्र वेदना, भयकर से भयकर यातनाएँ मिलती हैं । जिसका विशद वर्णन शास्त्रकार ने मूलपाठ में स्वयं किया है ।

नारकों की लम्बी स्थिति—इस मनुष्य लोक में भी देखा जाता है कि जो जितना बड़ा अपराध करता है, उसे उतनी ही लम्बी जेल की सजा और वह भी सख्त सजा दी जाती है । इसी प्रकार जो जितना बड़ा अपराध या महापाप करता है, उसे उतनी ही लम्बी अवधि की सजा नरक के रूप में मिलती है । इसीलिए पूर्वोक्त सातों नरकों की स्थिति भी क्रमशः अधिकाधिक होती गई है । नीचे सात नरकों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की तालिका दी जा रही है—

जघन्यस्थिति १० हजार वर्ष	उत्कृष्ट स्थिति
प्रथम नरकभूमि रत्नप्रभा	१ सागरोपम
दूसरी नरकभूमि शर्कराप्रभा	३ "
तीसरी नरकभूमि बालुकाप्रभा	७ "
चौथी नरकभूमि पकप्रभा	१० "
पाचवी नरकभूमि धूमप्रभा	१७ "
छठी नरकभूमि तम प्रभा	२२ "
सातवी नरकभूमि तमस्तम प्रभा	३३ "

असंख्यात वर्षों का एक पल्योपम काल होता है और दश क्रोडा-क्रोड पल्योपम का एक सागरोपम काल होता है । इतने लम्बे समय तक नारकी जीवों को नरक में लाजमी रहना होता है, और सतत छेदन—भेदन आदि के महान् दुःखों को सहना पड़ता है । इतनी लम्बी नरक की सजा के दौरान नारकी जीव वहाँ से कहीं भाग कर छूट नहीं सकता, और न आत्महत्या ही कर सकता है । क्योंकि नरक के जीवों का आयुष्य बीच में किसी भी कारण से टूटता नहीं है । आयुष्य का बंध पूर्व जन्म से जितनी अवधि तक का होता है, उससे एक क्षण भी कम नहीं हो सकता, उतनी अवधि तक भोगना अनिवार्य होता है ।

इसीलिए शास्त्रकार ने बताया है—'बहूणि पलिओवम सागरोवमाणि कसुर्णं पालेति ते अहाडयं ।' अर्थात् वे नारकी जीव बहुत पल्योपम और सागरोपमों तक की आयु दीनतापूर्वक रिब रिब कर बिताते हैं ।'

नरकपालों द्वारा नारकों को भी जाने वाली यातनाएँ—मनुष्य लोक में जब कोई चोरी या हत्या जैसा भयकर अपराध करता है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने

में ले जाते हैं और उससे अपना अपराध स्वीकार करवाने के लिए निर्दयता से मारते, पीटते और सताते हैं। इसी प्रकार जेलखाने में कैदियों को भी भयकर यातनाएँ दी जाती हैं। वैसे ही नरक में कुछ असुरकुमार जाति के देव हैं, जो इन नारकों को अपने पूर्वकृत अपराधों की याद दिला दिलाकर भयकर से भयकर यातना देते हैं। वे बड़ी बेरहमी से उन्हें विविध शस्त्रों से मारते, पीटते हैं, उनके अंगोपांगों को काट डालते हैं, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, उन्हें पैरों से कुचलते हैं, मार-मार उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, शरीर सूजा डालते हैं, क्रूर पशु पक्षियों के आगे उन्हें डाल देते हैं, वे उन्हें मुर्दा समझ कर उन पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं, उन्हें नोचते हैं, शरीर की बोटी-बोटी काट खाते हैं। इन सब दुःखों से घबराकर जब वे आर्तनाद करते हैं, दीन-भाव से हाथ जोड़कर उन परमाधर्मी असुरों से छोड़ देने की प्रार्थना करते हैं, उनके आगे पुकार करते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी मागते हैं तो वे पहले तो उन्हें डाटते, घमकाते हैं और उन पर क्रोध बरसाते हैं। फिर उनकी अजलि में गर्मा-गर्म खीलता हुआ सीसा उड़ेल देते हैं। वे बेचारे इसे पीते नहीं, अपितु हाय हाय करके थरथरि हुए, डरते हुए, हिरणों की तरह इधर-उधर भागने लगते हैं। परन्तु ये परमाधामी फिर भी पकड़कर उनके मुह को लोहे के डबे में खोलकर खीलना हुआ सीसा उनके मुह में डाल देते हैं। उन्हें अपने किये कर्मों की याद दिला दिलाकर भयकर से भयकर अमानुषिक यातना देते हैं।

यह वर्णन इतना स्पष्ट है कि इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं।

ये यमकायिक नरकपाल देव, जिन्हें वर्तमान भाषा में यमदून भी कहा जा सकता है, बड़े ही अधार्मिक वृत्ति के क्रूरति क्रूर परिणाम वाले रोद्रध्यानी होना है। इन्हें नारकों को यातना पाते देखने में और इन्हें यातना देने में बड़ा आनन्द आता है। ये यम नामक दक्षिण दिशा के रक्षक देव के सेवक होते हैं, अम्ब, अम्बरीय आदि नाम के असुरकुमार जाति के ये देव होते हैं। इन्हें परमाधामी या परमाधार्मिक भी कहते हैं। ये अपने इन अशुभ परिणामों के कारण मर कर अशुभगति में जाते हैं।

ये तीसरी नरकभूमि तक जाते हैं और वहाँ के नारकियों को दुःख पहुँचाने के लिए कमर कसे रहते हैं। ये स्वयं वैक्रियलब्धि में नाना रूप बनाकर या भयावने पशु आदि के रूप धारण करके अथवा नाना प्रकार के शस्त्र-अस्त्र बनाकर नारकियों को निरन्तर बेरहमी से सताते रहते हैं। तथा नारकियों को भी पूर्व जन्मों के बँर की याद दिला-दिलाकर परस्पर लडाते-भिडाते रहते हैं। इसीलिए मूलपाठ में बताया गया है—
‘स्रराहि पाव कम्मार्इ दुष्कयाइ’ अर्थात्—“अरे पापी, अपने किये हुए बुरे पाप कर्मों का स्मरण कर।” क्या असुरदेवों द्वारा इस प्रकार याद दिलाने से वे अपने पूर्वकृत दुष्कृत्यों का स्मरण कर लेते हैं? इसके उत्तर में यही कहना है कि देवों और नारकों को जन्म लेते ही भव प्रत्यय अवधिज्ञान हो जाता है। अवधिज्ञान से इन्द्रियों की सहायता

के बिना अमुक अवधि (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्ती) तक की बात जानी व देखी जा सकती है । यद्यपि वह अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि नारकों को विभंग ज्ञानरूप होता है और बहुत ही थोड़े क्षेत्र का होता है । पहली नरकभूमिके नारक ४ कोस तक का क्षेत्र अवधि ज्ञान द्वारा जान या देख सकते हैं, दूसरी नरकभूमि के साढ़े तीन कोस तक, तीसरी के ३ कोस तक, चौथी नरकभूमि के २॥ कोस तक, पांचवी के दो कोस क्षेत्र तक, छठी के १॥ कोस क्षेत्र तक और सातवी नरक पृथ्वी के नारक १ कोस क्षेत्र तक की बात को जान-देख सकते हैं । यही कारण है कि उन्हें पूर्व जन्म के पाप कर्मों की स्मृति हो जाती है । पूर्व जन्म के शुभ कार्यों का उन्हें स्मरण नहीं होता, सिर्फ अशुभ-कार्यों या बातों का ही स्मरण उन्हें होता है । इसीलिए 'सराहि' (स्मरण कर) पद कहा ।

नारक स्वयं अपने कृतकर्मों का दुष्फल स्वयं नहीं भोगना चाहता । हर साधारण व्यक्ति दुष्कृत्य के फल से बचने का प्रयत्न करता है । वह चाहता है, मुझे अपने कुकर्मों का फल न मिले । इसलिए वे परमाधामी यमकायिक देव नारकियों को भयकर से भयकर सजा देते हैं और उन्हें उकसा-उकसाकर लड़ाते हैं, नाना प्रकार की यातना देने में वे कोई कोरकसर नहीं छोड़ते ।

नारको द्वारा परस्पर वी जाने वाली यातनाएँ—तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है— 'परस्परोवीरित्तदुःखाः' नारकीय जीव पुराने वैर, झगड़े, दुर्व्यवहार आदि का जन्म से प्राप्त विकृत अवधिज्ञान (विभंगज्ञान) के प्रभाव से स्मरण करते हैं और एक दूसरे को मारने-पीटने लगते हैं । वे पूर्वजन्म का वैर स्मरण करके उसे शान्त करने की अपेक्षा तीव्र क्रोधवेष में आकर वैर वसूल करते हैं । एक नारकी शस्त्र बन जाता है, दूसरा उसे उठाकर मारता है । विक्रिया लब्धि के प्रभाव से कोई कड़ाही बन जाता है, कोई अग्नि और कोई तेल बन जाता है और उस गर्मा-गर्म तेल में कोई किसी को उठाकर फेंक देता है । इस प्रकार नारकियों को प्राप्त अवधि ज्ञान और विक्रियालब्धि उन्हीं के मरने-मारने के काम आती है । यानी इन दोनों से वे एक दूसरे को निरंतर कष्ट देने में लगे ही रहते हैं । ये दोनों लब्धियाँ नारको के लिए वरदान के बजाय अभिशाप रूप बनती हैं । क्योंकि नरक में शरीर आदि जितनी भी वस्तुएँ मिलती हैं, वे सबकी सब असाता की ही निमित्त हांती हैं, उत्तम निमित्तों को पाकर भी वे अपने लिए दुःख का बीज बोते हैं, एक दूसरे के लिए दुःख को उभाड़ते हैं । पुरानी तुच्छ बातों को याद करके कुरेदते रहते हैं और एक दूसरे को भड़काकर परस्पर गुत्वमगुत्या हो जाते हैं । इस प्रकार नारके लोग दुःख की परम्परा बढ़ाकर, तीव्र क्रोध के वशीभूत होकर, असहिष्णु बनकर निरन्तर दुःख ही दुःख में सारी जिंदगी बिताते हैं । यही बात शास्त्रकार ने सूचित की है—

'अपुच्छति त्ववेरा परोप्यरं वेद्यं उदीरति अविहर्गता ।'

विक्रिया द्वारा शस्त्रादि निर्माण क्यों और कैसे ?—नरक में जितने भी साधन मिलते हैं, वे अपने दुःख के बढाने वाले होते हैं। वैक्रिय लब्धि नारको को मिलती है, देवों को भी। परन्तु नारको को वह मिलती है, उनके लिए अभिशाप के रूप में ही। क्योंकि वे उसके प्रभाव से शस्त्रादि बनाकर परस्पर लड़ते हैं और दुःख पाते हैं।

विक्रिया दो प्रकार की होती है—पृथक् विक्रिया और अपृथक् विक्रिया। पृथक् विक्रिया देवों को प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से देव एक साथ अनेक शरीर बना सकते हैं। नारको को अपृथक् विक्रिया प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से वे अपने शरीर से एक समय में एक ही विक्रिया कर सकते हैं और वह भी अशुभरूप विक्रिया ही। विक्रियारूप शरीर मूल शरीर से दुगुनी अवगाहना वाला बना सकते हैं। अर्थात् अपने शरीर को हिसक प्राणी के रूप में या शस्त्र के रूप में बदल सकते हैं। यही बात 'असुभोर्हि वेज्जिर्णहि' (अशुभ विक्रियाओं द्वारा) पदों से सूचित होती है। यद्यपि नारकी जीव शुभ विक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन होती है—अशुभ विक्रिया ही। यह उस नरकभूमि का प्रभाव है।

अम्ब, अम्बरीप आदि असुरकुमार जाति के नरकपाल देव अपने शरीर से एक समय में अनेक आकार वाले शरीर या शस्त्रादि बना सकते हैं, लेकिन वे तीसरी नरकभूमि के आगे नहीं जा सकते। जबकि नीच की नरकभूमियों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुःख होता है। सवाल होता है कि वहाँ पर तो ये नरकपाल देव होते नहीं, फिर वहाँ दुःख या यातनाएँ उन्हें देता है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार ने नरक में जो शस्त्रास्त्रों के नाम गिनाए हैं या पशु पक्षियों के नामों का उल्लेख किया है, वे सब वहाँ होने नहीं, परन्तु ये सब नारको की विक्रिया के रूप में हैं। वैक्रिय लब्धि द्वारा नारकी इन्हें स्वयं बनाते हैं और परस्पर एक दूसरे को दुःखी करते हैं, नारक ही दूसरे नारको को वहाँ (चौथी नरकभूमि से ७ वी तक) यातनाएँ देते हैं। कोई नारक करौरूप बन जाता है, कोई तनवार रूप ; कोई नारकी गिड़ बन जाता है तो कोई कौआ। इस प्रकार एक दूसरे को पीटा देने में तत्पर रहते हैं।

वैक्रियलब्धि होने के कारण उन नारकियों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने पर भी, कोल्ह में पीलकर उनके तमाम अंग चूर-चूर कर दिये जाने पर भी, रेत के समान भुरभुरे कर देने पर भी, वे पुल ज्यों के त्यों पारे के समान जुड़ जाते हैं, वैसे के वैसे मिल जाते हैं। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए शरीर के कितने ही टुकड़े कर दिये जाय, अंग तोड़मरोड़ दिये जाय या चमड़ी उधेड़ दी जाय, अथवा लड्डलुहान कर दिया जाय, मा काटा पीटा या छेदा जाय या छुरी आदि उनके पेट में धोंक दी जाय, फिर भी जब तक का उनका आयुष्य बचा है, तब तक वे मरते नहीं। इसीलिए तो वहाँ बार-बार यातनाएँ प्राप्त होती रहती हैं। एक बार शरीर के टुकड़े करते ही, या छुरा भोक्ते ही जैसे यहाँ मनुष्य के प्राणपक्षेक जाते हैं, वैसे नारक

जीवो का प्राणान्त नहीं होता। इसलिए एक ही बार मरणान्त कष्ट पाकर भी उनके प्राणो का अन्त नहीं होता, इसलिए बारबार वे अपनी जिन्दगी में ऐसे मरणान्तक कष्ट पाते रहते हैं।

क्षेत्रकृत दुःख—नारको को नरक में नरकपालों के निमित्त से, परस्पर नारकों के निमित्त से, तो भयकर शारीरिक एवं मानसिक दुःख होता ही है, परन्तु क्षेत्रकृत दुःख भी कम नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि नरकायु का बंध होने पर उसे नरक का क्षेत्र न मिले। वह तो अवश्यम्भावी है। जीवो की हिमा करने वाले प्राणी को रौद्र-ध्यान के कारण नरकायु का बंध होता है। जिसके कारण उसे नरक का महादुःखद क्षेत्र मिलता है। उम क्षेत्र से निकल कर वह बाहर कही नहीं जा सकता। अपनी जिन्दगी की लम्बी अवधि बिताने के बाद ही नारकी उस क्षेत्र से छुटकारा पा सकता है।

नरक के क्षेत्र की भयकरता का इस सूत्रपाठ से पहले के सूत्रपाठ में स्पष्ट वर्णन किया जा चुका है। फिर भी उस क्षेत्र की दुःखदता को वर्णन, गन्ध, रस और स्पर्श की दृष्टि में तथा दृश्य, श्रव्य, स्पर्श्य, स्वाद्य, और नस्य की दृष्टि से टटोले तो हमें स्पष्ट आभास हो जायगा। नरक की भूमि का रूप बड़ा ही भौंका, भद्दा और विकृत है। वहाँ कोई सुन्दरता, रमणीयता या मनोहारिता नहीं है। कोई वायु बगीचे वहाँ नहीं, कोई व्यवस्थित मकान नहीं, न कोई वहाँ प्रकाश है या सुन्दर रंग बिरंगी चीजे ही हैं, जिन्हे देखकर आँखों को शान्ति या सुख मिले। नरकभूमि का दृश्य अत्यन्त भद्दा है। यहाँ ऊबड़खाबड़, भयकर भूमि है। कोई दरवाजे नहीं, सर्वत्र अधेरा ही अधेरा है, काला ही काला। अपने महापाप को क्षोभित करने वाला यह रंग है। यहाँ के रस का तो पूछना ही क्या? हालाहल विष से भी अधिक बुरा रस यहाँ होता है। कोई भी स्वादिष्ट मीठी या चरपरी वस्तु यहाँ नहीं होती, जिसे चख कर जीभ को तृप्त किया जा सके। स्वाद्य वस्तु तो यहाँ कोई है ही नहीं। सभी वस्तुएँ नीरस और अत्यन्त खराब होती हैं। शब्द तो नरकभूमि में सदा कर्णकटु ही सुनने को मिलते हैं। नारको की चीखो, पुकारो में तथा चिल्लाहट, रोने, हाहाकार मचान, गला फाड़कर रोने के शोर से और इसकी प्रतिध्वनि एवं नरकपालो के भयकर कर्कश शब्द से नरक हर समय भरा रहता है। नरक में कोमल, मधुर, प्रिय, मनोहर, आवरणक, संगीतमय शब्दों का काम ही क्या?

यहाँ की भूमि का स्पर्श हजारो-हजार बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जितना दुःखद होता है, उससे भी अधिक दुःखप्रद है। असिपत्र, बैतरणी नदी, रेत आदि का स्पर्श तीक्ष्ण, गर्म और अत्यन्त खुरदरा है। कोमल और गुदगुदा स्पर्श तो यहाँ किसी भी चीज का नहीं है। दीवारें हैं तो बिलकुल कठोर वज्रमयी, नीचे का भूमितल

है तो वह भी अत्यन्त खुरदरा और ऊबड़खाबड़ है। किसी भी वस्तु के स्पर्श से यहाँ सुखानुभव नहीं होता।

और यहाँ के गध का तो कहना ही क्या ? यहाँ इतनी दुर्गन्ध, सडान और बदबूदार रास्ते हैं कि मारे बदबू के नाक फट जाय। सातवीं नरकभूमि की मिट्टी का एक कण भी यदि इस मध्य लोक में आ जाय तो उसकी दुर्गन्ध से (बदबूदार तेज गैस से) २४ $\frac{1}{2}$ कोस (४६ मील) तक के जीव मर जायेंगे। पहले नरक के प्रथम पटल की मिट्टी की गन्ध में आधाकोस (१ मील) दूर तक की मारक शक्ति है, दूसरे पटल (पायड़ों) की मिट्टी में १ कोस (२ मील)—इस प्रकार आगे के एक-एक पटल की गध में उत्तरोत्तर एक-एक मील (यानी आध-आध कोस) अधिक दूरी तक मारने की शक्ति है। सातवीं नरकभूमि का पटल ४६ वाँ होने से उसकी मिट्टी की गध में ४६ मील (२४ $\frac{1}{2}$ कोस) दूर तक मनुष्यतिर्यंचो को मारने की शक्ति है। सुगन्ध का तो वहाँ नामोनिशान ही नहीं है, तब वहाँ की गन्ध से सुखानुभव कैसे हो सकता है।

इन चारों की कमीटी पर नरकभूमियों को कम लेने के बाद नरकभूमियों के बारे में निर्विवाद कहा जा सकता है, कि वहाँ नारकों को क्षेत्रकृत दुःख भी अपार हैं।

तीनों प्रकार के दुःखों की नारकों पर प्रतिक्रिया—पूर्वोक्त स्वजातिकृत, नरकपालकृत और क्षेत्रगत—इन तीनों प्रकार के दुःखों की बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया नारकों पर होती है। वे पीडा के मारे कराहते हैं, चीखते हैं, चिन्लाते हैं, शोर मचाते हैं, रोते हैं, बहुत प्रकार से आरजू मिश्रित करते हैं, करुणापूर्ण स्वर में पुकार करते हैं, दया की भीख मागते हैं। इतने पर भी जब कोई नहीं सुनता और उन्हे आश्वासन नहीं देता तो वे भय के मारे घबरा कर इधर उधर भागने और नरकपालों के चगुल से छूटने का प्रयत्न करते हैं, मगर वे नरकपाल तो उन्हे जबरन पकड़ कर उनके मुँह में गर्मागर्म सीसा उ डेल देते हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार में मताये जाने पर या मारे पीटे जाने या अग भग किये जाने पर वे फिर दीन-हीन होकर कातरभाव से चारों दिशाओं में झाँकते हैं, मानो कोई उन्हे बचा ले, उनके चगुल में छुड़ा दे। पर वे अशरण, अबाधव, अनाथ नारक अधिकाधिक त्रस्त और पीडित किये जाने हैं; विवश पराधीन होकर वे नरकपालों के कहे अनुसार विविध यातनाएँ मन ममोस कर चुपचाप सहते जाते हैं, कभी-कभी करुण आर्तनाद व विलाप करते हैं। इस प्रकार सारी लम्बी जिन्दगी वे निरन्तर दुःख के मारे रोते-घोते और आर्त्तध्यान करते हुए बिताते हैं। इस सतत आर्त्तध्यान के कारण वे पुराने अशुभ कर्मों को तो क्षय नहीं कर पाते; नये कर्म और बाध लेते हैं, परम्पर बँर की परम्परा बढ़ा कर वे रौद्रध्यानी भी सदा बने रहते हैं। रातदिन मार काट, दुःख और यातना के बीच रहते-रहते उनका जीवन भी परमाधमियों की तरह क्रूर, कठोर, निर्दय, परम्पर लडाकू, बैरघस्त और अज्ञानमय बन जाता है। नारक जीव इन विविध यातनाओं और दुःखों के मारे

किरकृतव्य विमूढ़ होकर जीवन से ऊब कर कभी आक्रन्दन करते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी चक्कर लगाते हैं, कभी ऊपर को उछलते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—

“उक्कसंता य उप्ययंता निपतंता भमंता।” नारकों में से जिसके शरीर की जितनी ऊँचाई होती है, वह उतना ही ऊँचा उछल सकता है। जैसे सातवीं नरकभूमि के नारकों के शरीर की उत्कृष्ट ऊँचाई ५०० धनुष है, छठी की २५० धनुष है, पाचवीं की १२५ धनुष, चौथी की ६२।।, तीसरी की ३१। धनुष, दूसरी की १५।। = धनुष अर्थात् १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल और पहली की ७ धनुष ३ हाथ ६ अंगुल ऊँचाई है, तो वह नारक उतना ही ऊँचा उछल सकता है, जितनी ऊँचाई की उसकी नरकभूमि की सीमा हो।

नारकों की इन मय प्रतिक्रियाओं का वर्णन शास्त्रकार ने स्वयमेव मूलपाठ में किया है।

ये मय हिंसा के बुरे नतीजे हैं, जिनके कारण नरकगति में पैदा होकर नाना प्रकार की यातनाएँ बहून् दीर्घकाल तक भोगनी पड़ती हैं। यह सब बनाकर शास्त्रकार ने हिंसा में बचने की प्रेरणा परोक्षरूप में दे दी है।

तिर्यंचगति और मनुष्यगति में हिंसा के कुफल

नरकगति में हिंसा के कुफलों का वर्णन पूर्वोक्त सूत्रपाठ में करने के बाद अब शास्त्रकार तिर्यंच गति और मनुष्यगति में कुफलस्वरूप क्या-क्या यातनाएँ सहनी पड़ती हैं, इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

पुव्वकम्मोदयोवगता पच्छाणुसएण डज्झमाणा णिदंता पुरेकडाइं कम्माइं पावगाइं तहिं तहिं तारिसाणि ओसण्ण-चिक्कणाइं दुक्खाइं अणुभवित्ता, तत्तो य आउक्खएण उव्वट्टिया समाणा बह्वे गच्छंति तिरियवसहिं दुक्खुत्तारं सुदारुणं जम्मण-मरणजरावाहिपरियट्टणारहट्टं जल-थल-खहचरपरोप्परविहिंसण-पवंचं, इमं च जगपागडं वरागा दुक्खं पावेंति दीहकालं। किं ते ? सीउण्ह-तण्हा-खुह-वेयणअप्पईकार-अडविजम्मण-णिच्चभउ-व्विग्गवास-जग्गण-वह-बंधण-ताडणंकण-निवायण-अट्ठिभंजण-नासा-भेय-प्पहारदूमण-छविच्छेयण - अभिओगपावण - कसंकुसारनिवाय-दमणाणि, वाहणाणि य, मायापित्तिविप्पयोग-सोयपरिपीलणाणि य, सत्थग्गि-विसाभिधाय-गलगवलावणमारणाणि य, गलजालु-

च्छिप्पणाणि य, प (ओ) उलणविकप्पणाणि य, जावज्जीविग-
बंधणाणि, पंजरनिरोहणाणि य, सयूहनिद्धाडणाणि य, धमणाणि य,
दोहणाणि य, कुदंडगलबंधणाणि य, वाडगपरिवारणाणि य, पंकजल-
निमज्जणाणि य, वारिप्पवेसणाणि य, ओवायणिभंगविसम-
णिवडणदवग्गिजालदहणाइ (याइ) य । एव ते दुक्खसयसपलित्ता
नरगाओ आगया इहं सावसेसकम्मा तिरिक्खपंचेदिएसु पावंति
पावकागी कम्माणि पमाय-राग-दोस-बहुसच्चियाइ अतीव अस्साय-
कक्कसाइ ।

भमर-मसग-मच्छिमाइएसु य जाइकुलकोडिसयमहस्सेहि
नवहि चउरिदियाण तहि तहि चैव जम्मणमरणाणि अणुहवंता
कालं संखि (खे) ज्जं (ज्जकं) भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा
फरिस-रसण-घाण-चक्खुसहिया । तहेव तेइदिएसु कुंथु-पिप्पो-
लिया-अंधिकादिकेसु य जातिकुलकोडिसयसहस्सेहि अट्ठहि अणूणगे
(ए) हि तेइदियाण तहि तहि चैव जम्मणमरणाणि अणुहवंता
कालं संखिज्जगं भमंति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा फरिसरसणघाण-
संपउत्ता । गंडूलय-जलूय-किमिय-चंदणग-मादिएसु य जानिकुल-
कोडिसयसहस्सेहि सत्तहि अणूणएहि बेइदियाण तहि तहि चैव
जम्मणमरणाणि अणुहवंता कालं सखिज्जक भमंति नेरइयसमा-
णतिव्वदुक्खा फरिसरसणसंपउत्ता । पत्ता एगिदियत्तण पि य
पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणप्फतिसुहुमबायर च पज्जत्तमपज्जत्तं
पत्तेयसरीरणासहारणं च, पत्तेयसरीरजीवेसु (जीविएसु) तत्थ
वि कालमसंखिज्जं (ज्जगं) भमंति, अणंतकालं च अणतकाए
फासिदियभावसंपउत्ता दुक्खसमुदयं इमं अणिट्टं पावं (वि) ति
पुणो पुणो तहि तहि जेव परभवतरुणगहणे ॥

कोद्दाल-कुलिय-दालण-सलिल-मलण - खुंभण-रुंभण-अण-
लाणिल-विविहसत्थघट्टण-परोप्पराभिहणण-मारण - विराहणाणि

य अकामकाइं परप्पओगोदीरणाहि य कज्जपओयरोहि य पेस्स-
पसुनिमित्त-ओसहाहार-माइएहि उक्खणणा-उक्कत्थणा-पयण-
कोट्टण-पीसण-पिट्टणा-भज्जण - गालण - आमोडण-सडण-फुडणा-
भंजण-छेयण-तच्छण-विलुचण-पत्तज्जोडण-अग्गिदहणाइयाइं, एवं
ते भवपरंपरादुक्खसमणुबद्धा अडंति संसारे बीहणकरे जीवा
पाणाइवायनिरया अरांतकालं, जे वि य इह माणुसत्तणं आगया
कहि वि नरगा उवट्टिया अधन्ना ते वि य दीसंति पायसो विकय-
विगलरूवा खुज्जा वडभा य वामणा य बहिरा काणा कुंटा
पंगुला विगला य मूका य मंमणा य अंधयगा एगचक्खू विणिहय-
संचिल्लया (सपिसल्लया) वाहिरोगपोलिय-अप्पाउय-सत्थबज्झ-
बाला कुलक्खणुक्किन्नदेहा दुब्बल-कुसंधयण-कुप्पमाण-कुसंठिया
कुरूवा किविणा य होणा हीणसत्ता णिच्चं सोक्खपरिवज्जिया
असुहुदुक्खभागी णरगाओ उवट्टित्ता इहं सावसेसकम्मा (उवट्टा
समाणा) ।

एवं णरगं तिग्गिक्खजोणि कुमाणुसत्तं च हिडमाणा पावंति
अराताइं दुक्खाइं पावकारी । एसो सो पाणवहस्स फलविवागो
इहलोइओ पारलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भयो बहुरयप्प-
गाढो दारुणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेहि मुच्चती, न य
अवेदयित्ता अत्थि ह्मु मोकखोत्ति एवमाहंसु, नायकुलनंदणो महप्पा
जिणो उ वीरवरनामघेज्जो कहइ (कहेसि य) पाणवहस्स फल-
विवागं, एसो सो पाणवहो चंडो रुद्दो खुद्दो अणारिओ
निग्घणो निसंसो महब्भओ बीहणओ तासणओ अणज्जो (अण-
ज्जाओ) उब्बेयणओ य णिरवयक्खो निद्धम्मो निप्पिवासो निक्क-
लुणो निरयवासगमणनिघणो मोहमहब्भयपवड्ढओ मरणवेमणसो ।

पढमं अहम्मदारं समत्तं ति बेमि ॥१॥

संस्कृत-छाया

पूर्वकर्मोदयोपगताः पश्चादनुशयेन दह्यमाना निम्बन्तः पुराकृतानि कर्माणि पापकानि तत्र तत्र तादृशानि अवसन्नचिककणानि दुःखानि अनुभूय ततश्चाप्युःक्षयेणोद्भूताः सन्तो बहवो गच्छन्ति तिर्यग्भवति दुःखोत्तारां सुदारुणां, जन्ममरणजराव्याधिपरिवर्त्तनारघट्टां जल-स्थल-स्येचरपरस्पर-विहिंसनप्रपञ्चां, इदं च जगत्प्रकटं वराका दुःखं प्राप्नुवन्ति दीर्घकालम् । किं तत् ? शोतोष्ण-तूष्णा-भुक् वेदनाऽऽप्रतीकाराऽऽटबीजन्म-नित्यभयोद्विग्नबास-जागरण-वध-बंधन-ताड़नाङ्गुन - निपातनास्थिमञ्जन - नासामेव-प्रहार-द्वन छविच्छेदनाभियोगप्रापण-कशांकुशारानिपात-दमनानि बाहनानि च मातृ-पितृविप्रयोग-श्रोतःपरिपी-नानि शस्त्राग्नि-विषाभिघात-गलगवलावलन-मारणानि च, गलगलोत्क्षेपणानि प्रज्वलनविकल्पनानि च यावज्जीविक-बंधनानि पंजरनिरोधनानि च स्वयूथनिर्घाटनानि धमनानि च दोहनानि च कुदण्डगलबन्धनानि वाटकपरिवारणानि पंकजलनिमज्जनानि च वारिप्रवेश-नानि चावपातनिभंग-विषमनिपतन-दवाग्निज्वाला-दहनानि (न्यादि) च । एवं ते दुःखहातसंप्रदीप्ता नरकादागता इह सावशेष-कर्माणः तिर्यक्पञ्चेन्द्रि-येषु प्राप्नुवन्ति पापकारिणः कर्माणि प्रमाद-राग-द्वेष-बहुसंचितानि अतोवा-सातककशानि ।

भ्रमर-मशक-मक्षिकादिषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु नवसु चतुरिन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्तः कालं संख्येयकं भ्रमन्ति नैरयिकसमानतीव्रदुःखाः स्पर्श-रसन-घ्राणचक्षुःसहिताः । तथैव त्रीन्द्रियेषु कुन्धुपिपीलिकाण्डिकादिकेषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु अष्टस्वन्यूनकेषु त्रीन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्तः कालं संख्येयकं भ्रमन्ति नैरयिकसमान-तीव्रदुःखा स्पर्श-रसन-घ्राणसंप्रयुक्ताः । गण्डूलक-जलौक-कृमिरु-चन्दनकादिकेषु च जातिकुलकोटिशतसहस्रेषु सप्तस्वन्यूनकेषु द्वीन्द्रियाणां तत्र तत्र चैव जन्ममरणान्यनुभवन्तः कालं संख्येयकं भ्रमन्ति नैरयिकसमानतीव्रदुःखाः स्पर्शरसनसंप्रयुक्ताः । प्राप्ता एकेन्द्रियत्वमपि पृथिवी-जल-ज्वलन-मारुत-वनस्पति सूक्ष्मबादरं च पर्याप्तमपर्याप्तं प्रत्येक-शरीरनाम साधारणं च, प्रत्येकशरीरजीवितेषु (जीवेषु) च तत्रापि कालम-संख्येयकं भ्रमन्ति, अनन्तकालं चानन्तकाये स्पर्शन्द्रियमाधसंप्रयुक्ता दुःख-समुदयमिदमनिष्टं प्राप्नुवन्ति पुनः पुनस्तत्र तत्र चैव परभवतरुणगहने ।

कुद्दाल-कुलिक-वारण-सलिलमसन-शोभण - रोधनानलानिल-विषिध-शस्त्रघट्टन-परस्पराभिहनन-मारण-विराधनानि चाकामिकानि परप्रयोगो-

वीरणाभिरश्च कार्यप्रयोजनेश्च प्रेक्ष्यपशुनिमित्तौषधाहारारविकेस्त्वनन-
उत्सवधन-पचन-कुट्टन-पेषण-पिट्टन-भर्जन - शालनामोटन - शटन-स्फुटन-
भञ्जन-छेदन-तक्षण विलुञ्चन-पत्रक्षोडनाग्निबहूनाविकानि । एवं ते भक्ष-
परम्परा-बुःखसमनुबद्धा अटन्ति संसारे भयंकरे जीवाः प्राणातिपातनिरता
अनन्तकालं । येऽपि चेह मनुष्यत्वमागताः कथमपि नरकाबुबुत्ता अध-
न्यास्तेऽपि च दृश्यन्ते प्रायशो विकृतविकलरूपाः कुब्जा बटभारश्च वामनारश्च
बधिराः काणाः कष्टाः पंगुला विकलाश्च मूकाश्च मन्मनारचान्धका
एकक्षुबिनिहताः संचिल्लकाः (सपिशाचा) व्याधि-रोगपीडिताऽऽप्यायुष्क-
शस्त्रवध्यवालाः कुलक्षणोत्कीर्णदेहा दुर्बल-कुसंहनन - कुप्रमाण-कुसंस्थिताः
कुरुपाः कृपणाश्च हीना हीनसत्त्वा नित्यं सौख्यपरिवर्जिता अशुभबुःखभागिनः
नरकाबुबुत्ता इह सावशेषरुर्भागः । (उद्धृताः सन्तः) ।

एवं नरकतिर्यग्योनि कुमनुष्यत्वं चाधिगच्छन्तः प्राप्नुवन्त्यनन्तानि
पापकारिणः । एष स प्राणवधस्य फलविपाकः इहलौकिकः पारलौकिकोऽप्य-
मुखो बहुदुःखो महाभयो बहुरजःप्रगाढो वारुणः कर्कशोऽसातो वर्षसहस्रं -
मुच्यते, न चावेदयित्वा अस्ति खलु मोक्ष इत्येवमाख्यातवान् ज्ञातकुलनम्बनो
महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेयः कथितवांश्च प्राणवधस्य फलविपाकम् ।
एष स प्राणवधश्चण्डो रुद्रः क्षुद्रोऽनार्यो निर्घृणो नृशंसो महाभयो भयंकर-
स्त्रासनकोऽन्यायः (अथवा अनर्जुः) उद्वेजनको निरवकांशो निर्द्धर्मो
निष्पिपासो निष्करुणो निरयवासगमननिधनो मोहमहाभयप्रवर्द्धको मरण-
वैमनस्यः ।

प्रथममधर्मद्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि ॥१॥

पदार्थान्वय — (पुण्यकम्मोदयोवगता) पूर्वकर्म के उदय से युक्त (पञ्चाणुसएण)
पश्चात्ताप से, (इज्जमाणा जलते हुए (पुरेकडाई) पूर्वजन्म में किये हुए, (पाबगाइ')
पापकर्मों की, शिबंता) निन्दा करते हुए (तहिं तहिं) उन-उन रत्नप्रभा आदि नरक
भूमियों में (सारिसाणि) अमुक-अमुक प्रकार के, (ओसन्नच्चिकणाइ') अत्यन्त चिकने,
नहीं छूट सकने योग्य, निकाचित) (बुक्खाइ') दुःखों का (अणुभवित्ता) अनुभव करके
(य) और (आउक्खएण) आयुष्य का क्षय होने पर (ततो) नरक से (उव्वट्टिया
समाणा), निकले हुए (बहवे) बहुत से जीव (बुक्खुत्तारं) दुःख से पार की जाने वाली
(मुवारुणं) अत्यन्त कठोर, जम्भणमरणजराबाह्यपरियट्टणारहट्ट') जिसमें रहट के
समान जन्म, मृत्यु बुढ़ापे और व्याधि का परिवर्तनबन्ध चल रहा है, (जल-थल-
खह्वर-परोप्पर-विहिसणपवंबं) जिसमें जलचर, स्थलचर, और ज्वेचर जीवों की
परस्पर विविध हिंसाओं का प्रसार है, ऐसी (तिरियवसहिं) तिर्यञ्च योनि में
(गच्छंति) पहुँचते हैं । (ख) और वहाँ, (वरागा) वेधारे दीन हीन के
प्राणी, (इमं) इस प्रत्यक्ष वृक्षमान, (जगपागडं) जगत्प्रसिद्ध (बुक्कं) दुःख को

(बीहकालं) बीर्धकाल तक (पार्वति) पाते हैं। (किं ते ?) वे दुःख कौन-कौन हैं ? वे निम्न प्रकार के हैं (सीउष्-तष्हा-सुह-वेयण-अप्पईकार-अडविजम्मणणिव्वभउ-विग्गवास - जग्गण - बह - बंधण - ताडणंकण - निबायण - अट्ठिभंजण - नासाभेयण-प्पहारइमण - छविछेयण - अभिओगपावण - कसंकुसार - निबायवमणणि) सर्वाँ, गर्मी, भूख और प्यास की वेदना, प्रतीकाररहितता, घोर जंगल में जन्म लेना, भृगावि पशुओं का नित्य भय से घबराते रहना, जागना, पीटना, बांधा जाना, मारा जाना, तपी हुई लोहे की सलाई आदि से चिह्न करना, खड़े आदि में फँक देना, हड्डी तोड़ देना, नाक कान छेदना, प्रहार करना, संताप देना, शरीर के अंगोपांग काट देना, जखईस्ती काम में लगाना, चाबुक से पीटना, अंकुश और आर (डंडे के अप्रभाग में लगी हुई नुकीली कील) से छेदना, सजा देने के लिए दमन करना) (य) और (वाहणाणि) भार लादना, (मायापितिविष्पओगसोयपरिपीलणाणि) माता-पिता से वियोग कर देना या वियोग होना तथा नाक और मुँह आदि के छिद्रों में रस्ती (नकेल) डालकर मजबूती से बाँधकर पीडा देना, (य) और (सत्यग्गि-विसाभिघाय-गलगवल-आवलणमारणाणि) शस्त्र, अग्नि या विष से खत्म कर देना तथा गले और सींग को मोड़ना और मारना, जखवा गलकंबल को मोड़कर मारना, (गलजालु च्छिष्पणाणि) बंसी (मछली पकड़ने का काँटा) और जाल से मछली आदि को पकड़ कर जल से बाहर निकालना, (य) तथा (पउलणविकप्पणाणि) अग्नि पर भूतना और काटना, (य) और (यावज्जीविगबंधणाणि) जिदगीभर बांधे रखना, (य) एव (पंजरिरो-हणाणि) पींजरे में बंद कर देना, (सयूहनिद्धाडणाणि) अपने टोले से निकाल देना, (य) और (धमणाणि) भैंस आदि को फूँका लगाना, (य) तथा (दोहणाणि) दूहना (कुबंडगलबधणाणि) गले में डंडा बाँधना, (वाडकपरिवारणाणि) वाड़े में घिरे रखना (य) और (पंकजल निमज्जणाणि) कीचड़ के गवे पानी में डुबोना (य) और (वारि-प्यवेसणाणि) पानी में घुसाना (य) तथा (ओवार्याणभगविसमनिवडण ववग्गिजालदहणाइ-याइ) खड्डों में गिर जाने से अंग-भग हो जाना तथा पहाड़ आदि के ऊबड़खाबड़ स्थानों से गिर पड़ना और दावाग्नि की लपटों से झुलस जाना इत्यादि दुःख हैं। (एवं) इस प्रकार, (ते) प्राणियों का वध करने वाले वे (पापकारी) पापकर्मकर्ता, (दुक्खसयसंपत्तिता) सैकड़ों दुःखों से जले हुए (नरगाओ) नरक से (आगया) आए हुए (इह) इस तिर्यग्गति में, (सावसेसकम्मा) भोगने से शेष बचे हुए कर्म वाले (तिरिक्ख-पंचेविएसु) तिर्यंचपचेन्द्रियों में, (पमाय राग-दोस बहुसंचियाइ) प्रमाद, राग और द्वेष के कारण बहुत से संबन्धित किये गए, (अतीवअस्सायकक्कसाइ) अत्यन्त कठोर दुःख देने वाले (कम्माइ) कर्मजन्यदुःखों को (पार्वति) पाते हैं।

(य) तथा (वडरिवियाण) चार इन्द्रियों वाले जीवों की (भमर-भसग-मच्छि-माइएसु) मीरे, मच्छर और मक्खी आदि की योनियों में, (नर्वाह जाइकुलकोडिसय-

सहस्त्रेहि) नौ लाख जन्म लेने के कुलों (उत्पत्ति स्थानों) में, (तर्हि तर्हि चेव) उन-उन में ही, (जन्ममरणणि) जन्म-मरण का, (अणुहवंता) अनुभव करते हुए, (नेरइय-समाणतिव्वबुक्खा) नारकों के समान तीव्र दुःखों से युक्त (फरिसर-रसण-घाण-वक्खु-सहिया) स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु सहित चार इन्द्रियों वाले जीव, (संखेज्जकं) संख्यात, (कालं) काल तक, (भमंति) भ्रमण करते हैं। (तहेव) उसी प्रकार, (तेइ'दिएसु) तीन इन्द्रियों वाले जीवों में, (तेइ'दियाण) तीन इन्द्रियों वाले (कुं'धु-पिप्पीसया-अधिकदिक्केसु) कुं'धुआ, चींटी, अधिक आदि जीवों की योनियों में जन्म लेने के (अणुणए'हि) पूरे (अट्ठहि) आठ, (जाइकुलको'डिसयसहस्त्रेहि) लाख कुलकोटि के उत्पत्ति स्थान हैं (तर्हि तर्हि चेव) उन-उन में ही (जन्ममरणणि) जन्म-मरण का, (अणुहवंता) अनुभव करते हुए (नेरइयसमाणतिव्वबुक्खा) नारकों के समान ही तीव्र दुःख वाले, (फरिसरसणघाणसंपउत्ता) स्पर्शन, रसन और घ्राण से युक्त तीन इन्द्रियों वाले जीव, (संखेज्जय काल) संख्यातकाल तक, (भमंति) भ्रमण करते हैं। (य) तथा (वेइ'दियाण) दो इन्द्रिय वाले जीवों के, (गं'डूसयजलूयकिमिय चवणगमादिएसु) गिड़ोले (गं'डुए), अलसिए, जोक, घोघे आदि में जन्म लेने के, (अणुणए'हि) पूरे, (सत्ताजाइ-कुलको'डिसयसहस्त्रेसु) सात लाख जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं, (तर्हि तर्हि चेव) उन-उनमें ही, (जन्ममरणणि) जन्ममरण का, (अणुहवंता) अनुभव करते हुए, (नेरइय-समाण तिव्व बुक्खा) नारक जीवों के समान तीव्र दुःखों से युक्त (फरिसरसणसंपउत्ता) स्पर्शन और रसना इन्द्रिय से युक्त दो इन्द्रियों वाले जीव (संखेज्जकं कालं) संख्यात काल तक (भमंति) भ्रमण करते हैं। (य) और (ए'गिंदियत्ताणं'पि) एकेन्द्रियत्व (पत्ता) प्राप्त किये हुए (पुड्वी-जल-जलण-मारुय-वणक्फत्ति) पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के जीव हैं। इनमें से प्रत्येक के (सुहुमबायरं) सूक्ष्म और बाबर भेद है, (य) तथा (पज्जसा अपज्जसा) पर्याप्तक और अपर्याप्तक भेद भी होते हैं, तथैव वनस्पतके (पत्तेयसरीरणाम) प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले प्रत्येक शरीरी जीव (च) और (साधारणं) साधारण नामकर्म वाले साधारणशरीरी जीव, इस प्रकार दो भेद और भी हैं। (य) और (तत्थ वि) उनमें भी जो (पत्तेयसरीरजीविएसु) प्रत्येक शरीर में रहने वाले जीव हैं, उनमें, (असंखेज्जकं) असंख्यात, (कालं) कालतक (च) और (अनत्ताए) साधारण शरीरों में, (अणंतकालं) अनन्त काल तक (भमंति) भ्रमण करते हैं। (फासिदियभावसंपउत्ता) स्पर्शनेन्द्रिय पर्याय को पाये हुए एकेन्द्रिय जीव, (पुणो पुणो) बारबार (परभवतसणगहणे) उत्कृष्टकाल तक दूसरे भवों में उत्पत्ति के स्थानरूप वृक्षादि समूह से गहन, (तर्हि तर्हि चेव) उसी एकेन्द्रिय पर्याय में, (इमं) इस आगे कहे जाने वाले (अणिट्ठं) अनिष्ट, (वुक्खसमुदयं) दुःख समूह को, (पार्वति) पाते रहते हैं। (कोट्ठास-कुलिय-डालण-सलिलमसण-खु'भण-इ'भण-अणत्ताणिल-विबिहसत्थ-घट्टण-परोप्परभिहणण-मारणबिराहणाणि) कुल्हाड़े और हलसे भूमिका

झीरना जल का मलना और रोकना, अग्नि तथा वायु का अनेक प्रकार के शस्त्रों से झकुराना, परस्पर आघात से मारना तथा विराधना - संताप देना (य) और (अकाम-काइ) अघाच्छनीय, (परप्यओगोवीरणाहि) अपने से अतिरिक्त जनों के द्वारा ध्यर्ष्य ही दुःख पैदा करना, (कञ्जपओयणेहि) आवश्यक प्रयोजन से, (पेस्स पसुनिमित्त ओसहा-ह्वरणाइएहि) नौकर चाकर तथा गाय, बैल आदि पशुओं के निमित्त औषध या आहार आदि के लिए, (उक्कलणउक्कलण-पयण-कोट्टण-पीसण-पिट्ठण-भज्जण-गालण-आमोडण-सडण-कुडण-भज्जण-छेयण-बिलु'चण-पराज्जोडण-अग्गिवहणाइयाइ) खोबना, बूझादि की छाल अलग करना, पकाना, कूटना, पीसना, बलना, पीटना, धूनना, छानना, मोड़ना, सड़ना, स्वतः टूट जाना, मसलना या कुचलना, छेदना, छीलना, रोओं का उखाड़ना, पत्ते आदि का तोड़ना या झड़ जाना, अग्नि में जला देना आदि, (इमं) इस, (अनिट्ठं) अनिष्ट (दुक्खसमुदयं) दुःख-समूह को, (पार्वितं) पाते हैं। (एवं) इस प्रकार, (भवपरंपरादुक्खसमणुबद्धा) जन्म-परम्परा से निरन्तर दुःख वाले, (पाषाडवायनिरया) प्राणिवध में तत्पर, (ते) वे (जीवा) हिसक जीव, (बीहणकरे) भयंकर, (संसारे) संसार में, (अणंतकाल) अनन्त काल तक, (अटंति) धूमते रहते हैं (य) और (नरगा उवट्टिया) नरक से निकले हुए (जे वि) जिन लोगो ने, (काहं वि) किसी तरह भी, (इहं) इस मर्यादक में (माणसराण) मनुष्यत्व को, (आगया) प्राप्त कर लिया है, (तेवि) वे भी, (पायसो) बहुत करके, (अधन्ना) भाग्यहीन (विगयविकल-रूपा) विकृत और विकल रूप वाले, (सुज्जा) कुबड़े, (वडभा) जिनके शरीर का ऊपरी हिस्सा टेढा हो (य) तथा (वामणा) बौने, (य) तथा (बाह्वरा) बहुरे, (काणा) काने, (कुटा) टूटे, विकृत हाथ वाले, पगुला पगु-पांगले (य) तथा (विगला) विकलांग (अपाहिज) (य) तथा (मूका) मूक-गूंगे, (मंमणा) मन मन शब्द करने वाले या तुतसाने वाले, (य) और (अंधयगा) अंधे, (एगच्चसुविजि-ह्य-संचिल्लया) जिनकी एक आँख फूट गई है, वं, और चपटे नेत्र वाले अथवा (संपिसल्लया) पिशाचप्रस्त, (बाहिरोगपीलिय-अप्पाउय-सत्थवज्जबाला) कुष्ठ आदि व्याधियो और ज्वरादि रोगों से पीड़ित, अथवा विशेष प्रकार की आधि-मानसिक-व्यथा और कुष्ठ, ज्वर आदि रोगों से पीड़ित, अत्यायु, शस्त्रों से मारे जाने वाले अज्ञानी जन (मूर्ख), (कुसक्खणुविकप्रवेहा) कुलक्षणो से व्याप्त बंधु बाले, (दुब्बल-कुसंधयण-कुप्पमाण-कुसंठिया) दुर्बल, क्षराब संहनन (शरीर के कद) वाले, शरीर के म्यूनार्थिक प्रमाण वाले, शरीर की मही रचना—क्षराब डीलडोल वाले, (कुल्ला) कुल्फ, (किविणा) रंक या कंजूस, (य) और (हीणा) जाति आदि से हीन-नीच, (हीणसरा) अल्प सत्त्व-पराक्रम वाले, (जिक्खं) सवा, (सोक्खपरिवज्जिया) मुच्छों से वंचित, (असुहदुक्खभागी) अत्यन्त अशुभ परिणाम वाले दुःखों के भागी, (नरगाओ) नरक से

(उच्चद्विधा) निकले हुए तथा (सावसेसकम्पा) बचे हुए कर्मों वाले जीव, (इहं) इस लोक में, (एवं) इस प्रकार, (पापकारी) प्राणवधरूप पाप करने वाले, (नरकं) नरक, (तिरिक्त्वजोनिं) तिर्यञ्चयोगिनि (च) जीव (कुमापुसत्तं) कुमानुव पर्याय में (हिंइमान्ना) धमन करते हुए (अणंताहं) अनन्त (दुष्साहं) दुःखों को (पारंति) पाते हैं। (एतो) यह, (सो) वह पूर्वोक्त (पाणवहस्स) प्राणवध-हिंसा के, (फलविभागो) फल का विपाक, (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (पारलोइओ) व परलोकसम्बन्धी (अप्पसुहो) अल्प-सुक देने वाला, और (बहुवुस्सो) भोगते समय महानुःसदायी है, (महम्मओ) वह महाभय रूप है, (बहुरयप्पाओ) बहुत-सी कर्मरज से प्रगाढ़ है (दाचणो) रौद्र, (कक्कसो) कठोर, (असाओ) असाता वेदनीय रूप—दुःखरूप, (वाससहस्सेहिं) हजारों वर्षों में जाकर, (मुच्चति) छूटता है। (य) और, 'जिसे (अवेवयिता) बिना भोगे, (हु) निश्चय ही, (मोक्खो) छूटकारा, (न अत्थिस्सि) नहीं होता है।' इस प्रकार (नायकुलनंइओ) भ्रातृकुल के मदन, (महप्पा) महात्मा, (वीरवरनामधेज्जो) जिनका प्रधान नाम 'वीर'—महावीर है, (जिणो) जिनैव ने (उ) निश्चय से (पाणवहस्स) हिंसा के, (फलविभागं) फल के विपाक को, (कहेस्सि) कहा है। (सो) वह, (एसो) यह, (पाणवहो) प्राणवध, (चंडो) तीव्रकोपरूप, (इहो) रौद्र-शत्रु (सुहो) सुद्व जीवों का कार्य, (अपारियं) अनार्य लोगों द्वारा किया जाने वाला, (निग्घणो) घृणा से रहित, (निसंसो) नृसंस कार्य, (महम्मओ) महाभय का हेतु, (वीहणओ) भयंकर, (तासणओ) त्रास देने वाला, (अणज्जो) अन्यायरूप अथवा (अणज्जाओ) सरलता (अज्जुता) से रहित, (उब्बेयणओ) उद्वेग पैदा करने वाला, (य) तथा (निरययक्खो) दूसरे के प्राणों की अपेक्षा—पर्याह नहीं करने वाला, (निट्ठम्मो) धर्म से रहित, (निप्पिवासो) स्नेहपिपासा से रहित, (निक्कलुणो) करुणा से रहित, (निरयवासगमणनिघणो) नरकावास में गमन ही जिसका आखिरी परिणाम है, (मोहमहम्मयपवइओ) मोहरूपी महाभय की वृद्धि करके अज्ञानता तथा महाभय को बढ़ाने वाला (अरणवेमणसो) मरण से होने वाली दीनता पैदा करने वाला है।

इस प्रकार (पडमं) पहला, (अहम्मदारं) प्राणवध नामक अधर्म द्वारा (समत्तं) समाप्त हुआ, (तिबेमि) ऐसा मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—इस प्रकार के पूर्व कर्म के उदय को प्राप्त, पश्चात्ताप से जलते हुए, पूर्वजन्म में किए हुए पाप कर्मों की निन्दा करते हुए, उन उन रत्नप्रभा आदि नरक भूमियों में वैसे-वैसे अत्यन्त चिकने-नहीं छूट सकने योग्य-निकाचित दुःखों को भोग कर आयुष्य का क्षय होने पर नरकों से निकले हुए बहुत-से जीव, भुक्तिकल से पार की जाने वाली अत्यन्त

कठोर और रेंहट के समान जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधि के परिवर्तन के चक्कर वाली तथा जलचर, स्थलचर, और खेचर जीवों की पारस्परिक हिंसा के प्रपंच वाली तिर्यञ्च योनि में पहुँचते हैं। और वहाँ वे बेचारे दीन-हीन प्राणी इस प्रत्यक्ष दृश्यमान व जगत्प्रसिद्ध दुःख को बहुत लम्बे समय तक पाते हैं।

वे दुःख कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं, वे दुःख इस प्रकार हैं—सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास की वेदना, प्रतीकार-रहितता, घोर जंगल में जन्म ग्रहण, मृगादि पशु अवस्था में मदा घबराते रहना, जागना, मारा जाना, बाँधा जाना, पीटा जाना, तपी हुई लोहे की सलाई आदि से दागा जाना, खड्डे आदि में फँका जाना, हड्डी का तोड़ा जाना, नाक तथा कान का छेदा जाना, प्रहार किया जाना, मताप दिया जाना, शरीर के अंगोपांगों का काटा जाना, जबर्दस्ती काम में लगाना, चाबुक से पीटा जाना, अंकुश और आरा—डण्डे के अग्रभाग में लगी हुई नुकीली कोल भौकना, सजा आदि के लिए दमन करना, भार लादा जाना, माता-पिता से वियोग करा देना, या वियोग हो जाना, नाक-मुँह आदि के छिद्रों में मजबूती से रस्ती या नकेल डाल कर पीड़ा देना तथा शस्त्र, अग्नि या विष के द्वारा खत्म कर देना, गले और सींग को मोड़ देना और मारना, अथवा गलकंबल को मोड़ कर प्रहार करना, बँसी (मछली पकड़ने का काटा) और जाल से मछली आदि को पकड़ कर पानी से बाहर निकालना तथा आग पर भूना और काटना, जीवन भर बाँधे रखना, पीजरे में डाल कर बन्द कर देना, अपने टोले से अलग निकाल देना, भैंस आदि को फूँका लगाना, दूहना, गले में दुःखदायी डण्डा बाध देना, बाँड़े में रोके रखना, कीचड़ से सने गन्दे जल में डुबोना, पानी में प्रवेश कराना, खड्डों में गिर जाने से अंग-भंग हो जाना तथा पर्वत आदि ऊबड़-खाबड़ जगहों से गिर पडना, दावाग्नि की लपटों से भुलस जाना, इत्यादि दुःख तिर्यञ्चगति के हैं। इस प्रकार प्राणियों का वध करने वाले वे पापकर्मकारी नरकगति में मैकड़ों दुःखों से जले हुए नरकगति से भोगने से बचे हुए शेष कर्मों को भोगने के लिए इस तिर्यञ्चगति में आकर तिर्यञ्चपंचेन्द्रियों में प्रमाद, राग और द्वेष के कारण बहुत-से संचित किए हुए अत्यन्त कठोर दुःख देने वाले कर्मजनित दुःखों को पाते हैं।

यहाँ वे चार इन्द्रियों वाले जीवों की भौरे, मच्छर और मक्खी आदि योनियों में, नौ लाख जन्म लेने के कुलो में जन्म-मरण का अनुभव करते हुए नारकियों के समान तीव्र दुःखों से युक्त स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु—इन चार इन्द्रियों महित चतुरिन्द्रिय जीव संख्यातकाल तक

परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार तीन इन्द्रियों वाले कुंशुआ, चींटी, अंधिया आदि जीवों की योनियों में पूरे आठ लाख जन्म लेने के कुलकोटिस्थान हैं, उनमें जन्म-मरण का अनुभव करते हुए नारकों के समान तीव्र दुःख वाले स्पर्शन, रसन और घ्राण से युक्त तीन इन्द्रियों वाले जीव संख्यात काल तक भ्रमण करते रहते हैं। तथा दो इन्द्रियों वाले जीवों के गिडौले (गेंडुए), अलसिए, जोक, घोघे आदि योनियों में जन्म लेने के पूरे सात लाख कुलकोटि (उत्पत्तिस्थान) है। उन में जन्ममृत्यु का अनुभव करते हुए नारकों के समान तीव्र दुःखों से परिपूर्ण स्पर्शन और रसन—इन दो इन्द्रियों से युक्त जीव संख्यात काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायों को प्राप्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति—ये ५ प्रकार के जीव हैं। इनमें से प्रत्येक के सूक्ष्म और बाहर दो भेद हैं। फिर इन दसों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक नाम के दो भेद और होते हैं। तथा वनस्पति के प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न प्रत्येक शरीरी एवं साधारण शरीर-नाम कर्म के उदय से उत्पन्न साधारण शरीरी, इस तरह दो भेद और भी हैं। और इनमें से जो प्रत्येक अर्थात् भिन्न-भिन्न शरीर में जीने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वन-स्पति के जीव हैं, उनमें वे असंख्यात काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं तथा साधारण वनस्पति में अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं। केवल स्पर्शनेन्द्रिय को पाए हुए वे एकेन्द्रियजीव बार-बार उन्हीं-उन्हीं एकेन्द्रियपर्यायों में वृक्ष गण या वन आदि में दूसरे भवों में जन्म लेकर आगे कहे जाने वाले इस अनिष्ट दुःखसमूह को पाते रहते हैं—

कुल्हाड़े और हल से भूमि को विदारण करना, जल का मथना और रोकना, अग्नि और वायु का अनेक प्रकार के स्व-परकाय आदि शस्त्रों से टकराना, परस्पर चोट लगा कर मारना तथा विराघना और संताप देना, अनचाही और निरर्थक दूसरों की शरीरादि प्रवृत्ति के लिए अथवा आवश्यक प्रयोजनों से नौकर चाकरो या गाय बैल आदि पशुओं के निमित्त एवं औषध व आहार आदि के लिए जड़ से खोदना, वृक्षादि की छाल अलग करना, आग में पकाना, कूटना, पीसना, पीटना, भूनना, छानना, मोड़ना, सड़ना, टुकड़े-टुकड़े हो जाना, मसल या कुचल देना, छेदना, छीलना, रोओं का उखाड़ा जाना, पत्तों-फूलों आदि का भाड़ा जाना—तोड़ा जाना, आग जलाना आदि।

इस प्रकार जन्मपरम्पराओं में लगातार दुःखों से सम्बद्ध होकर प्राणिवध करने में संलग्न वे हिंसक जीव इस भीषण संसार में अनन्तकाल तक चक्कर खाते रहते हैं। नरक से निकले हुए जीव बड़ी कठिनाई से किसी भी तरह मनष्य पर्याय को पा भी लेते हैं, तो भी वे प्रायः भाग्यहीन, विकृत

(भौंडे भद्दे) अंग और रूप वाले, कुबड़े, शरीर के ऊपरी हिस्से में टेढ़े भेड़े, बौने, बहुरे, काने, टूटे, लंगड़े, अपाहिज, गुंगे, तुतलाने वाले या मम मम करने वाले, अंधे, एक आँख से हीन, व चिपटी आँख वाले, पिशाच से ग्रस्त, कोढ़ आदि किसी व्याधि व ज्वर आदि किसी रोग से पीड़ित, कम उम्र वाले, शस्त्र आदि द्वारा चोट खाए हुए या मारे जाने योग्य, सूखे, शरीर पर अनेक कुलमणो से व्याप्त, दुर्बल, बुरे कद वाले (बहुत ही छोटे या बहुत ही मोटे या बहुत ही लम्बे कद के), शरीर के बुरे संहनन और बुरे संस्थान (डीलडोल, ढांचे) वाले, कुरूप, कृपण या रंक, जाति आदि से हीन, और हीन पराक्रम वाले, सदैव सुखों से वंचित और अशुभ परिणाम वाले दुःख के भागी होते दिखाई देते हैं ।

इस प्रकार नरक से निकले हुए तथा बचे हुए शेष कर्मों से युक्त इस लोक में प्राणिवधरूप पाप कर्म करने वाले वे जीव नरक, तिर्यञ्चयोनि और कुमनुष्य पर्याय में भ्रमण करते हुए अनन्त दुःखों को पाते रहते हैं ।

अतः उपयुक्त प्राणिवध-हिंसा का फल-विपाक (भोग) इस मनुष्य भव में और पर भव में अल्पसुख और बहुत दुःख वाला है, महा भय पैदा करने वाला, गाढ कर्मरूपी रज से युक्त है, अत्यन्त दारुण, अत्यन्त कठोर एवं अत्यन्त असात-दुःख को देने वाला है, हजारों वर्षों में छूटता है । इसे बिना भोगे कभी छुटकारा नहीं होता । प्राणिवध का ऐमा फलविपाक ज्ञातकुलनन्दन महात्मा वीरवर (महावीर) नाम वाले श्री जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ।

जिस का फलविपाक इतना भयंकर है, ऐमा वह पूर्वोक्त प्राणिवध तीव्र क्रोधरूप है, रौद्रध्यान से उत्पन्न है, अधम मनुष्यों का कार्य है, अनार्य पुरुषों द्वारा आचरणीय है, घृणारहित नृशंस, महाभयों का हेतु, भयकर, त्रासदायक, अन्यायरूप या सरलता से शून्य कार्य है, तथा उद्वेग पैदा करने वाला, दूसरे के प्राणों की परवाह न करने वाला, धर्म से रहित, स्नेहपिपासा से शून्य, कृष्णा से हीन है, इसका अन्तिम परिणाम नरकावास में जाना ही है, यह मोह और महाभय को बढ़ाने वाला एवं मृत्यु के समय दीनता पैदा करने वाला है । इस प्रकार पहला अधर्मद्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं कहता हूँ ।

व्याख्या

चतुर्थ सूत्र के इस शेष मूलपाठ में तिर्यञ्चगति और मनुष्यगति में हिंसा के फलस्वरूप होने वाले भयकर दुःखों का निरूपण किया गया है । यह तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि नरकगति में हिंसक जीवों को असह्य यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । उन अपार दुःखों के बीच उस प्राणी के पूर्वकृत पापकर्म ही हैं, जो उस प्राणी

ने जाने-अजाने स्वयं बोगे हैं। इसीलिए मूलपाठ में कहा गया है—‘पुण्य कर्मोद्योगवता’ अर्थात् पूर्वकृत कर्मों के उदय को प्राप्त।

फल भोगते समय पश्चात्ताप—जिस समय जीव हिंसा आदि पापकर्म करता है, उस समय वह भविष्य का विचार नहीं करता, उसकी बुद्धि पर अज्ञान और मोह का पर्दा पडा रहता है, जिसके कारण वह दूरदर्शिता से उस कर्म के भावी नतीजे पर बिलकुल नहीं सोचता। किन्तु जब वे ही कर्म उदय में आते हैं और उसे उनका कट्ट फल भोगने को विवश होना पडता है, तब उसे अपने किये हुए कर्मों पर ग्लानि पैदा होती है, मन में घोर पश्चात्ताप होता है, फलतः वह अपने आप की भी निन्दा करने लगता है, इससे उसके पापकर्म कुछ हलके अवश्य हो जाते हैं। हिंसक जीवों की इसी मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—‘पुण्यकर्मोद्योगवता पश्चात्तापेण इक्षमाणा णिबंता पुरेकडाहं कम्भाइ’ पाबगाइ’; अर्थात्—पूर्वकृत कर्मों के उदय में आने पर—फल भुगवाने के लिए उद्यत होने पर—अपने पूर्वकृत पापकर्मों की निन्दा करते हुए वे पश्चात्ताप की आग में जलते हैं।

किन्तु पश्चात्ताप करते हुए भी वे बेचारे नारकीय जीव रत्नप्रभा आदि नरक भूमियों में अत्यन्त चिकने, जिनको भोगे बिना छुटकारा ही नहीं हो सकता; ऐसे निकालित कर्मों के बन्ध के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दुःखों का अनुभव करते हैं। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं—‘तहिं तहिं तारिसाणि ओसम्भविक्कण्णइं इवसाइ’ अणुभवित्ता।’

नरकगति के बाद तिर्यञ्चगति में आगमन—सवाल यह उठता है कि वे नारकीय जीव आयुष्यक्षय हो जाने पर नरक से पुन नरक में क्यों नहीं जाते? जैन सिद्धान्त की दृष्टि में इसका समाधान यह है कि नारक जीव नरक का आयुष्य क्षय हो जाने के पश्चात् नरक से निकल कर सीधा पुन नरक में नहीं जा सकता। हाँ, मनुष्यगति या तिर्यञ्चगति में जन्म लेकर बाद में नरक में जा सकता है। इसी प्रकार देवगति के देव अपनी आयु क्षीण हो जाने के बाद देवलोक से व्यव (मर) कर सीधे नरक में पैदा नहीं होते और न वे पुनः सीधे देवपर्याय ही धारण कर सकते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने मूलपाठ में बताया है—‘ततो आउक्खण्ण उब्बट्ठिया समाणा बहवे गच्छंति तिरियवसहिं।’ अर्थात्—‘आयुष्य का क्षय हो जाने पर नरक से निकले हुए बहुत-से जीव तिर्यञ्चयोनि में पहुँचते हैं।’ इस सूत्रपाठ में ‘बहवे’ शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि नरक से निकले हुए अधिकांश जीव तिर्यञ्चयोनि को ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न होता है कि कुछ थोड़े से नारक, जो तिर्यञ्च गति में नहीं जाते, वे कहाँ जाते हैं? सिद्धान्त की दृष्टि से इसका उत्तर यह है कि प्रायः तो तिर्यञ्चयोनि में या दुर्भागि मनुष्य कुलो में जन्म लेते हैं; कुछ विरले जीव ही ऐसे बचते हैं जिनके लिए यह सिद्धान्त है कि पहली नरकपृष्ठी से लेकर तीसरी नरकपृष्ठी तक के नारक मर

कर तीर्थंकर तक हो सकते हैं, चौथी नरकभूमि से मर कर नारक केवलजानी हो सकते हैं, पांचवी नरकभूमि से मर कर नारक मुनिव्रतधारी हो सकते हैं, छठी नरकभूमि से मर कर नारक श्रावकव्रती-अणुव्रती श्रावक हो सकते हैं और सातवी नरकपृथ्वी के नारक मर कर सम्यक्त्वी सत्री तिर्यञ्चपचेन्द्रिय हो सकते हैं।

इसका आशय यह है कि जीवार्हसा करने वाले जीव पहले तो मरकर अति रौद्रध्यानवश नरक में जाते हैं, फिर वहाँ भी रातदिन सतत नाना दुखों और यातनाओं से पीड़ित होने के कारण वे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान की बात तो सौच ही नहीं सकते हैं, अपनी आत्मा का भान भी उन्हें नहीं होता। इस कारण दुखों में सखिलष्ट होकर वे उनसे बचने के लिए आर्त्तध्यान-रौद्रध्यान के अलावा माया भी करते हैं। इसी कारण वे मर कर प्रायः तिर्यञ्चयोनि में पैदा होते हैं। बहुत विरले नारक ऐसे होते हैं, जिन्हें अपने पूर्व मनुष्यभव में ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया हो, वे वहाँ शान्तभाव-समताभाव में रहकर दुखों को भोगते हैं, और विषुद्ध पश्चात्ताप तथा आत्मनिन्दा करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। वे ही थोड़े-से नरकगत जीव वहाँ की आयुष्यस्थिति पूर्ण हो जाने के पश्चात् वहाँ से मरकर तीर्थंकर, केवली, मुनिव्रती, श्रावक या सम्यक्त्वी होते हैं। अधिकांश तो तिर्यञ्चयोनि में ही पैदा होते हैं।

तिर्यञ्चयोनि का स्वरूप—तिर्यञ्चगति में भी नरक के समान दीर्घकाल तक दुःख भोगना पड़ता है। इतना अन्तर अवश्य है कि नरकगति के जिनने क्षेत्रकृत, कालकृत और परस्परकृत दुःख तिर्यञ्चगति में नहीं होते। परन्तु नरकगति में नरकभूमियों में रहने वाले समस्त नारकीय जीवों के वैक्रियलब्ध होनी है, इस कारण वे भयकर से भयकर शारीरिक दुःख पाने और सह लेने के बाद वापिस उनका शरीर पुनः वैसा का वैसा तैयार हो जाता है, बिखरा हुआ पारा जैसे पुनः मिला जाता है, वैसे ही उनका शरीर पुनः मिला जाता है, अतः अकाल में ही उनका मरण नहीं होता। जिसका जितना आयुष्य बधा हुआ होगा, वह नारक उतना पूर्ण आयुष्य भोग कर ही मृत्यु पाता है, पहले नहीं। मगर तिर्यञ्चयोनि में ऐसा नहीं होता। यहाँ वैक्रिय शरीर जन्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए तिर्यञ्चगति के जीवों का शरीर अगभग होने या घातक चोट आदि लगने पर अकाल में ही कालकवलित हो जाता है। वहाँ शरीर के अगोपागो का शीघ्र जुड़ना होता नहीं, या कटा हुआ अवयव प्रायः पुनः मिलाता नहीं। इसी कारण शास्त्रकार तिर्यञ्चगति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं—**तिरियवसहि बुक्खुत्तारं सुदारुणं जन्मणमरणजरावाहिपरियट्टुभारहट्टं जलथल-सहचर-परोप्परविहिंसणपबंधं** ; अर्थात्—तिर्यञ्चयोनि दुःख से पार की जाने वाली व अत्यन्त भयकर है, जिसमें रेहट के समान जन्म, मरण, बुढ़ापे और व्याधियों के चक्र चलते रहते हैं और जहाँ जलचर, स्थलचर, खेचर आदि जीवों में परस्पर हिंसा-प्रतिहिंसा का प्रपञ्च चलता रहता है।

नरकगति में जैसे मृत्यु की अवधि निश्चित होती है, वैसे तिर्यञ्चगति में मृत्यु की अवधि पूर्णतः निश्चित नहीं होती, और न नारको की तरह तिर्यञ्चो का जन्म ही खतरे से रहित होता है। कई तिर्यञ्च पशु पक्षी या विकलेन्द्रिय जीव तो जन्म नेते ही तुरन्त मर जाते हैं। मा के गर्भ में, अंड के खोल में, या वृक्षों के खोखले में अथवा मकानों में विविध छिद्रवाली जगहों या गुफा, खोह आदि जगहों में वही के वही खत्म हो जाते हैं या दूसरे जानवरों या मनुष्यों द्वारा खत्म कर दिये जाते हैं। उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। तिर्यञ्चगति में बार-बार उसी-उसी योनि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, बुढ़ापे और व्याधियों के दौर भी चलते रहते हैं। बैल आदि पशु बुढ़ापा आने पर या बीमारियों से घिर जाने पर असहाय, पराधीन और विवश हो जाता है, फिर भी उसका स्वार्थी मालिक निर्दयतापूर्वक बेचारे उस मूक प्राणी से काम लेता रहता है, वह उसे मारता-पीटता भी है। उसे बीमारी में कोई दवा देने वाला नहीं रहता, न उसे अपने जन्मदाता माता-पिता ही बड़ी उम्र में कोई मदद करते हैं। प्रायः उसका अपने माता-पिता से वियोग हो जाता है। क्योंकि बड़ा होते ही मालिक उसे दूसरे के हाथों बेच देता है। इसलिए तिर्यञ्चगति में असहायता, अनाथता, अशरणता, अरक्षा, पराधीनता का भयकर दुःख है। इनके मिवाय जलचर आदि जीवों में परस्पर एक दूसरे के घात-प्रतिघात की परम्परा चलती रहती है, जिसके कारण रातदिन प्राणों के वियोग का खतरा बना रहता है। इस खतरे से बचने का कोई उपाय भी तो उन तिर्यञ्चजीवों के पास नहीं। जहाँ बैठकर, रहकर या छिपकर अथवा आश्रय लेकर वे त्राण पा सकें। जल में छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, बड़ी मछली को भी मगरमच्छ आदि निगल जाते हैं, इसी प्रकार सर्प को मोर अथवा नेवला, चूहे को बिल्ली, बकरी को सिंह, कबूतर को बाज देखते ही पकड़ लेता है, इन निर्बलों के पास सबलों से बचने का कोई उपाय या स्थान भी नहीं होता। इसलिए यह निरुपायता तिर्यञ्चो को मन मार कर सहनी पड़ती है। इसी कारण तिर्यञ्चगति अत्यन्त दारुण और दुःख से पार करने योग्य बताई है।

तिर्यञ्च योनि में प्राप्त होने वाले दुःख—नरकभूमियों के दुःखों के प्रत्यक्ष न होने से कदाचित् कोई बुद्धिजीवी उन्हें मानने से इन्कार कर दे, परन्तु तिर्यञ्च योनियों में प्राप्त होने वाले भयकर से भयकर दुःख तो सारे सत्सार के मामने प्रत्यक्ष हैं, अनुभव सिद्ध हैं और जगत् में प्रसिद्ध हैं। अतः तिर्यञ्चगति में होने वाले दुःखों से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मूलपाठ में कहा है—‘इमं च जगत्पापं वरागा दुष्कं पावैति बोहकालं।’ अर्थात्—‘बेचारे वे दीन हीन प्राणी दीर्घकाल तक इस प्रत्यक्ष दृश्यमान और जगत्प्रसिद्ध दुःख को पाते हैं।’

तिर्यञ्चयोनि में किस-किस प्रकार से और कैसे-कैसे दुःख मिलते हैं? इसका

स्पष्ट वर्णन शास्त्रकार ने मूलपाठ में किया है, अतः इसके बारे में विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 'सीउण्हं' से लेकर 'द्वगिगजालबहणाइयाइं व' तक का पाठ तिर्यञ्चयोनि के दुखों की कहानी अपने आप कह रहा है, और ये सारे और इसी से मिलते जुलते अन्य सैकड़ों दुख तिर्यञ्च योनि के जीवों पर आ पड़ते हूँ सब देखते हैं।

विविध दुःखों से पीड़ित तिर्यञ्चों द्वारा नये दुःखदायक कठोर कर्मों का उपाख्यान—यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अत्यन्त दुख में प्राणी भान भूल जाता है, उसे अपनी आत्मा का बोध होना तो दूर रहा, अपने भविष्य के बारे में भी कोई चिन्तन नहीं होता, और न अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कोई उपाय ही सूझता है। नरकगति के सैकड़ों घोरतिघोर दारुण दुःखों से प्रज्वलित होकर एवं पूर्व कर्मों में भोगने से बचे हुए कर्मों का जत्था साथ लेकर तिर्यञ्चपंचेन्द्रिय योनियों में आए हुए पापात्मा जीव भी यहाँ पूर्व अभ्यास, सस्कार, अज्ञान और मोहवश तथा प्रमाद, राग (मोह), और द्वेष के कारण अत्यन्त दुःखजनक और कठोर बहुत-से कर्मों का सचय-उपाख्यान कर लेते हैं। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं—'एवं ते दुःखस्यसंपत्तिस्ता नरगाभो आगया इहं सावसेसकम्मा तिरिक्खपचेंदिएसु पावंति पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-बहुसंचियाइं अतीव अस्तायककसाइं।' आशय यह है कि अनेक दुःखों से घिरे होने के कारण पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि में भी जीव पुराने कर्मों को क्षय तो कर नहीं पाता, क्योंकि वह दुःखों को हायतोबा मचाते हुए आर्त्त-रोद्रध्यानग्रस्त होकर भोगता या सहता है। इस कारण अज्ञान, राग, द्वेष या प्रमादवश नये कर्मों का जत्था इकट्ठा कर लेता है। दुष्कर्मों की परम्परा जहाँ एक बार चली कि वह फिर विविध योनियों में या कुगतियों में जाने के बाद भी अपने परिवार को बढ़ाती ही है, घटाती नहीं। निष्कर्ष यह है कि वह पूर्व कर्मों का भुगतान तो कर ही नहीं पाता, और नये कर्मों का जत्था संचित कर लेता है। जिन्हें भोगना बड़ा दुष्कर और कठिन होता है। जैसे कोई कर्जदार अपने साहूकार से लिए कर्ज का मूलधन तो चुका ही नहीं पाए, अपितु लाचार होकर और नया कर्ज सिर पर चढा ले तो उसे कर्ज चुकाना कितना कष्टकारक और अप्रिय लगता है, वैसे ही नरक से तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में आया हुआ जीव भी पुराने दुष्कर्मों का कर्ज तो अभी तक चुका नहीं पाया, किन्तु प्रमाद राग द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर अशुभ कर्मों का नया कर्ज और सिर पर चढा लेता है।

कर्मों के अतिसंचय के कारण—प्रस्तुत पाठ में 'पमाय-राग-दोस-बहुसंचियाइं' कहा है। उसका आशय यह है कि कर्मों का बहुत-सा सचय प्रमाद, राग और द्वेष के कारण होता है। प्रमाद के ५ भेद हैं—मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकषा। मद बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब के सब सुबुद्धि को लुप्त कर देते हैं,

इसलिए कहीं-कहीं 'मद' के बदले मद्य (मदिरा) शब्द भी मिलता है। पाँचों इन्द्रियों के विषयो मे लुब्ध होकर प्राणी आत्मभान भूल जाता है, उसे विषयों का इतना नशा चढ़ जाता है कि वह उसमें चूर होकर अहिंसा आदि कर्तव्यों को भूल जाता है। क्रोधादि चार कथायो मे भी हिंसा एव क्रूरता का भाव बढ़ जाता है। द्रव्य निद्रा मे भी मनुष्य आलस्यवश हो जाता है, अतः अहिंसा का स्वरूप जानते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर पाता। भावनिद्रा तो और भी भयंकर है, उसमें तो मनुष्य बात-बात पर असावधान होकर गलतियाँ करता है, पद-पद पर गफलत के कारण भूलें कर बैठता है। कहीं-कहीं 'निद्रा' के बदले 'निन्दा' शब्द भी मिलता है; परन्तु निन्दा, चुगली, गाली, अपशब्द प्रयोग आदि सब वाणी के प्रयोग मे असावधानी के कारण होते हैं, इसलिए निद्रा मे ही निन्दा का समावेश हो जाता है। अब रही विकथा। वह स्त्री विकथा, भक्त (भोजन) विकथा, राजविकथा और देशविकथा के भेद से ४ प्रकार की है। ये चारो विकथाएँ जीवन मे राग-द्वेष आदि विकार पैदा करती हैं, इसलिए कर्मबन्ध की कारण हैं। यही कारण है कि ये पाँचो प्रकार के प्रमाद कर्मों का बहुत अधिकमात्रा मे और शीघ्र बंध करते हैं।

इसी प्रकार राग और द्वेष भी कर्मों को शीघ्र और अतिमात्रा मे संचित करने के कारण हैं। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है—'रागो य बोसो विष कम्मबीर्य' 'राग और द्वेष ये दोनो कर्मों के बीज हैं।' मोह, स्वार्थ, अविवेक, मूढता, लोभ, तृष्णा, लालसा, लोलुपता, आसक्ति, माया, मूर्च्छा, दुःसग आदि सब राग के ही परिवार हैं। और क्रोध, घृणा, वैर, विरोध, दुःप्रमनी, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, डाह (मत्सर), अभिमान, प्रतिस्पर्धा, नीचा दिखाने या दूसरो को गिराने या सताने की भावना, ये सब द्वेष के परिवार हैं। राग और द्वेष अपने परिवारसहित तीव्र गति से भयंकर से भयंकर दुष्कर्मों का बंध करते हैं। हिंसा मे भी राग, द्वेष और कथाय ही निमित्त होते हैं।

तिर्यञ्च योनि के मुख्य भेद—शास्त्रकार ने तिर्यञ्चयोनि के मुख्य पाँच भेद बताए हैं—पचेन्द्रिय तिर्यञ्च, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय। पञ्चेन्द्रिय मे नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव चारो प्रकार हैं। उनमें से सिर्फ जलचर, स्थलचर, खेचर, उर.परिसर्प और भुजपरिसर्प ये पाँच प्रकार के पशुपक्षी आदि की ही गणना तिर्यञ्च पचेन्द्रिय मे होती है, बाकी के एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीवों की गणना एकान्त तिर्यञ्च मे ही होती है। मतलब यह है कि तिर्यञ्च योनि का परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा है।

तिर्यञ्चयोनिओं की कुलकोटिर्था—उच्च या नीच गोशों के प्रकृतिविशेष के उदय से प्राप्त होने वाले वशों को कुल कहते हैं। उन कुलो के समूह या कुलों की विभिन्न श्रेणियो (दर्जों) को कोटि कहते हैं। वास्तव में यहाँ 'कुल कोटि' शब्द जीवों के उत्पत्ति स्थान के प्रकारों या किस्मों के अर्थ मे व्यवहृत हुआ है। जैसे तिर्यञ्च

पंचेन्द्रिय के मुख्य ५ भेद तो बता दिये, लेकिन किस भेद में किस किसमें की तिर्यञ्च-योनियों में कोई जीव पैदा हुआ, इसका पता कुलकोटि से लग जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तिर्यञ्च पचेन्द्रियो तथा एकेन्द्रियो से लेकर चतुरिन्द्रियो (चार इन्द्रियो वाले जीवों) तक की कुलकोटियों की निश्चित संख्या बता दी गई है। वह क्रमशः इस प्रकार है—

जलचर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीवों की कुलकोटियाँ	१२॥ लाख
स्थलचरो में चतुष्पद पचेन्द्रिय ,, ,, ,,	१० लाख
,, ,, उरपरिसर्प ,, ,, ,,	१० लाख
, ,, भुजपरिसर्प ,, ,, ,,	६ लाख
क्षेचर (पक्षिगण) पचेन्द्रिय ,, ,, ,,	१२ लाख
चार इन्द्रियो वाले जीवों की कुलकोटियाँ	६ लाख
तीन ,, ,, ,, ,, ,,	८ लाख
दो ,, ,, ,, ,, ,,	७ लाख
एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक जीवों की कुलकोटियाँ	१२ लाख
,, ,, अणुकायिक ,, ,,	१५ लाख
,, ,, अग्निकायिक ,, ,,	३ लाख
,, ,, वायुकायिक ,, ,,	७ लाख
,, ,, वनस्पतिकायिक ,, ,,	२८ लाख

कुल योग १३४^१ लाख

इनके साथ मनुष्यों की १२ लाख, देवों की २६ लाख और नारकों की २५ लाख कुलकोटियाँ मिलाने से मसार के समस्त जीवों की कुलकोटियाँ^१ एक करोड़ साठ सत्तानवे लाख होती हैं।

नरक भूमियों से आयुष्य पूर्ण करके प्रायः पचेन्द्रिय तिर्यंचों की जलचर आदि विभिन्न किस्मों की पूर्वोक्त ५३॥ लाख योनियों में वह नरक से आया हुआ जीव पैदा होता है और मरता है। नत्पश्चात् क्रमशः स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों वाले जीवों की ६ लाख कुलकोटियों में परिभ्रमण करता है। फिर स्पर्शन, रसन और घ्राण इन तीन इन्द्रियों वाले जीवों की ८ लाख कुल कोटियों में भ्रमण

१ देखिए सप्तहिणी गाथा—

एगिंदिएसु पंचसु वारस सत्त तिन सत्त अट्ठबोसा य ।

विगलेसु सत्त अट्ठ नव, जल - खह - खउप्पय-उरगभुयणे ॥१॥

अट्ठतेरस वारस इस इस नवग नरामरे नरए ।

वारस छब्बीस पणवीस हुंति कुलकोटिलक्खाइ ॥२॥

—सपादक

करता है, तदनन्तर स्पर्शन और रसन इन दो इन्द्रियो वाले जीवों की ७ लाख कुल-कोटियो मे जन्म मरण के चक्कर काटता है, उसके बाद सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय को पाए हुए पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवो की पूर्वोक्त ५७ लाख कुल कोटियो मे बारबार जन्म-मरण पाता रहता है ।

विकलेन्द्रिय और एकेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनियो के दुःख—पञ्चेन्द्रिय तिर्यच-योनियो मे नरकगति के सहस्र दुःखानुभव करने के बाद शेष दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ से निकल कर चतुर्गिन्द्रिय जीव योनियो मे जन्म लेते हैं । चार इन्द्रियो वाले भीरे, टिट्डी, मक्खी, मच्छर आदि की विविध योनियो मे जीव बारबार उन्ही-उन्ही योनियो मे जन्म-मरण का दुःख भोगते हुए सख्यात काल तक भ्रमण करते हैं । उनके दुःख भी नैरयिको के समान अत्यन्त तीव्र है । उसके पश्चात् हजारो वर्षों तक चार इन्द्रियों वाले जीवो की पर्यायो को बिताकर शेष पाप कर्मों को भोगने के लिए वहाँ से निकल कर तीन इन्द्रियो वाले जीवो की पर्याय धारण करते हैं, वहाँ भी हजारों (सख्यात) वर्ष तक जन्म-मरण के चक्कर लगाता है । तत्पश्चात् नरक के सहस्र तीव्र दुःखो को सह बर वह जीव शेष कर्मों को भोगने के लिए द्वीन्द्रिय पर्याय को धारण करता है, जहाँ हजारो वर्षों तक नरकसहस्र अमीम पीडा का अनुभव करता है । इतने दीर्घकाल तक उस हिंसा के कटफल को भोगने पर भी बाकी बचे हुए दुष्कर्मों को भोगने के लिए वह एकेन्द्रिय जाति मे जन्म लेता है, जहाँ उसकी चेतना सुप्त यामूर्च्छित होती है । उम अव्यक्त चेतनावस्था मे उमे कर्म के केवल सुख-दुःख रूप फल का यत्किञ्चित् भान होता है । उमका वह ज्ञान भी अक्षर के अनन्तवे भाग जितना ही होता है । एकेन्द्रिय जीव ब्रह्मोण हुए आदमी के समान अचेत अवस्था मे पडे रहते हैं । वहा भी बार-बार उन्ही-उन्ही योनियो मे जन्म लेकर और मर कर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में असख्यात काल तक और वनस्पतिकाय मे अनन्त काल तक नारक के समान अमीम और अवाचनीय दुःख पाते है ।

एकेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेद का स्पष्टीकरण—एकेन्द्रिय जीवों के मुख्य भेद पाच है—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । इन पांचो के मूढभ और वादर के भेद मे दो प्रकार हैं । इनका स्वरूप हम इसी चौथे सूत्र के पूर्व मूलपाठ की व्याख्या मे बना आए है । इन पूर्वोक्त १० भेदों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप मे दो भेद है । जिनका शरीर आदि पूर्ण बन जाता है, वे पर्याप्तक और जिनका शरीर पूर्ण नहीं बन पाया या नहीं बनेगा, वे अपर्याप्तक कहलाते हैं । अपर्याप्तक के भी दो भेद है—निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक । जिनका शरीर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, किन्तु उसमे पूर्ण होने की योग्यता है, उन्हें निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं और जिनका शरीर पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाता है, उन्हें लब्धि-अपर्याप्तक कहते हैं ।

वनस्पतिकामिक जीवों के इनके अतिरिक्त दो भेद और हैं—प्रत्येक वनस्पति-काय और साधारण वनस्पतिकाय । जिस वृक्ष, फूल, फल आदि वनस्पति के एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक वनस्पतिकाय और जिस वनस्पति के एक ही शरीर में अनन्त जीव रहते हैं, अनन्त जीव मालिक हैं और वे एक ही साथ जन्म लेते हैं, म्वास लेते-छोड़ते हैं, आहार लेते हैं व मरते हैं; उन्हें साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं । 'प्रत्येक शरीर नाम', नामकर्म की ९३ प्रकृतियों में से एक प्रकृति है, उसके उदय से उत्पन्न शरीर वाले जीव को, प्रत्येक शरीरी कहते हैं । इसीलिए शास्त्र के मूलपाठ में कहा है—'पक्षेऽथ शरीर नाम' । प्रत्येक शरीरी वनस्पति के जीवों के भिन्न-भिन्न शरीर होते हैं । इसके भी दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जहाँ एक वनस्पति वृक्ष, लता आदि के आश्रित अलग-अलग वनस्पतियाँ (पत्तों, फूल, फल आदि के रूप में) रहती हो और उनका अपना अस्तित्व व व्यक्तित्व अलग-अलग हो, वहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरी वनस्पति समझना चाहिये । जैसे सम्पूर्ण वृक्ष का स्वामी एक जीव होने पर भी उसके मूल (जड़), कन्द (जड़ के ऊपर लगने वाला आन्तु सुरण आदि), त्वचा (छाल), कोपल, पत्ता, शाखा, फूल, फल और बीज— इन सब में अलग-अलग जीव हैं, इनके स्वामी भी अलग-अलग हैं, शरीर भी भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु जब इनको तोड़ा जाता है तो इनका (एक समान चिकना) एक-सा भग हो, तब वह वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहानी है, यदि उसका भग खुदरा, टेड़ा मेड़ा टुकड़े के रूप में हो, तब उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहना चाहिये । कहा भी है—

कंदे-मूले-छल्ली-पवास-साल-बल-कुसुमे ।

समभगे सति अर्णता, असमे सवि ह्येति पत्तं धा ॥

अर्थात्—'कद, मूल, त्वचा, कोपल, शाखा, पत्ता और फूल, इनका ममान भग हो तो ये अनन्तकाय (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) होते हैं, और जब इनका ममान भग न हो, तब अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं ।'

साधारणशरीरी वनस्पति का लक्षण इस प्रकार है—

'साहारणमाहारो साहारणमाणपाण्यहृणं च ।

साहारणजीवाणं साहारणलक्षणं प्रणियं ॥'

अर्थात्—एक शरीर में एक साथ उत्पन्न हुए अनन्त साधारण जीवों का जहाँ एक साथ एक सरीखा आहार होता हो, उनके शरीर और इन्द्रियों की रचना, पर्याप्ति भी एक सरीखी और एक साथ होती हो, म्वासोच्छ्वास भी सहज और एक साथ होता हो, यही साधारण जीवों का सामान्य लक्षण बताया गया है ।

प्रत्येक शरीरी जीवन में वह जीव असंख्यत काल तक भ्रमण करता है । इनमें पृथ्वीकाय, जलकाय अग्निकाय, वायुकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय के जीवों की गणना

हो जाती है। साधारण वनस्पतिकाय (अनन्तकाय) में अनन्तकाल तक भ्रमण करता है। इसे ही स्पष्ट किया गया है—‘पत्तं वसरीरजीविएसु कालमसंखेच्छाय भवति..... अर्णतकाए अर्णतकाल ।’

एकेन्द्रियधर्माय में प्राप्त होने वाले दुःख—कई लोग, जो जैन सिद्धान्तों से अनभिज्ञ हैं, यो कह दिया करते हैं कि “पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में हमें तो कोई चैतन्य या जीव दिखाई नहीं देता। जब इनमें चेतना (आत्मा) ही नहीं है, तब इनके लिए क्या सुख और क्या दुःख, सब एक समान है। अगर इन्हें सुख-दुःख का अनुभव होता तो ये दुःख देने वाले का प्रतिकार—सामना करते और सुख देने वाले पर आशीर्वाद बरसाते।” इसका यो तो हम पूर्वसूत्र की व्याख्या में स्पष्ट समाधान कर आए हैं कि इनमें जीव कैसे हैं और इनमें सुख-दुःख का संवेदन तथा अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया कैसे होती है? एकेन्द्रिय जीवों का अस्तित्व जब स्पष्ट है तो उनमें चैतन्य होते हुए भी सुख-दुःख का संवेदन न हो, यह कैसे संभव है? किन्तु बड़ा चैतन्य अव्यक्त, मूर्च्छित या सुषुप्त होने के कारण आम आदमी को उनके संवेदन का व्यक्तरूप में पता नहीं लगता। मगर आजकल के वैज्ञानिकों ने विविध दूरबीक्षण यंत्रों, माधनों और औजारों द्वारा इसका पता लगा लिया है और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनके अंदर भी सुख-दुःख का संवेदन और अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। अग्नि की प्रतिक्रिया ज्वालामुखी तथा भटकती हुई लपटों के रूप में, पानी की प्रतिक्रिया बाढ़ के रूप में, हवा की प्रतिक्रिया तूफान और आघी वगैरह के रूप में, पृथ्वी की प्रतिक्रिया भूकंप और पाषाणपात के रूप में तथा वनस्पति की प्रतिक्रिया जहरीली गैस, घुआ आदि के रूप में या सगीत या बाघ सुनाने से फसल की उपज में वृद्धि आदि के रूप में देखी जा सकती है। इन एकेन्द्रिय जीवों के पास केवल शरीर है, भाषा, द्रव्यमन या अन्य इन्द्रियाँ आदि नहीं हैं, जिसे वे गहराई से चिन्तन कर सकें, ससार के अन्य जीवों के व्यवहार को देख-सुन सकें अथवा अपने भावों को स्पष्ट व्यक्त कर सकें। अगर कोई गहराई से सोचे और इनकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का गम्भीर अध्ययन करे तो निःसंदेह उसे एकेन्द्रिय जीवों के संवेदनों का पता लगे बिना न रहेगा। इसीलिए सर्वज्ञ तीर्थंकरों के द्वारा प्राप्त प्ररूपणा के आधार पर ज्ञानी शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं—‘फासिबियभावसंपउत्ता बुक्खसमुदयं इम अणिट्ठं पार्षति पुणो-पुणो तहिं-सहिं खेव .. कुहास-कुलियबालण अग्निबहणाइयाइ’।” मूलार्थ में हम इन सबका अर्थ स्पष्ट कर आए हैं। इसलिए और अधिक लिखने की आवश्यकता न समझकर इतना ही कहना उचित समझते हैं कि इन एकेन्द्रिय जीवों को प्राप्त होने वाला दुःख नारकों और त्रस जीवों से किसी कदर कम नहीं होता। एकेन्द्रिय जीवों की कुल ५७ नाख कुलकोटियों (उत्पत्ति स्थानों) में अनन्तकाल तक

जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहना, क्या कम दुःखकारी है ? किसी भी व्यक्त चेतना-शील जीव को इतने लम्बे समय तक एक ही प्रकार के एकेन्द्रिय जोबयोनियो में रहने की सजा दी जाय तो उसके लिए वह कितनी भयकर, कितनी दुःसह्य और कितनी दुःखकर होगी ? इसी पर से एकेन्द्रिय जीवों के वचनागोचर दुःखों का अनुमान लगाया जा सकता है। नरक भूमियों में प्राप्त होने वाले दुःख नारकों द्वारा शब्दों से व्यक्त किये जा सकते हैं, लेकिन एकेन्द्रिय जीव तो शब्दों से भी अपने दुःखों को व्यक्त नहीं कर सकते। इन पूर्वोक्त दुःखों के सिवाय सबसे भयकर दुःख तो ससार में जन्म-मरण का है, जिसे वे सदा-सर्वदा भोगते रहते हैं। इसीलिए ससार के समस्त प्राणियों में अधमाधम पर्याय एकेन्द्रिय की मानी गई है। जैसे किमी मनुष्य को चाबुक, लाठी आदि से लगातार मारने पर वह मार खाने-खाने जब सह नहीं सकता तो बेहोश होकर गिर जाता है। यद्यपि बेहोश अवस्था भी अन्यन्त दुःख से हांती है, परन्तु बेहोशी की हालत में भी दुःख तो मौजूद रहना है, लेकिन व्यक्तरूप से उसे महसूस नहीं होता। यही हाल एकेन्द्रिय जीवों का आर स्वामकर अनन्तकायिक निगोद के जीवों का है, जो बार-बार जन्म-मरण करने में उत्पन्न हुए दारुण दुःखों का अनुभव करते-करते अचेत में रहते हैं। इसलिए इनका भी दुःख नारकों के समान तीव्र है।

दूसरी बात यह है कि वे बड़े हिंसक जीव नरक से निकल कर तिर्यञ्च योनि में और उममें भी त्रसपर्याय में उन शेष कर्मों के फलभोग के लिए दो हजार सागरोपम से कुछ अधिक काल तक रह सकते हैं। इस अवधि से अधिक त्रसपर्याय में कोई भी जीव नहीं रह सकता। फिर तो उसे अपने शेष कर्मों का भोगने के लिए एकेन्द्रिय (स्थावर) पर्याय की ही शरण लेनी पड़ती है। उसमें भी पृथ्वीकाय आदि चारों स्थावरों में असख्यात काल तक रह कर फिर साधारण वनस्पतिकाय में ही वह अपना डेरा जमा लेता है, जहाँ से अनन्त काल तक उसका निकलना दुष्कर होता है। इस पर से यह सहज ही समझा जा सकता है कि अनन्तकाल तक जन्म-मरण का दुःख कितना भयकर दर्दनाक होता है।

मनुष्यपर्याय पाकर भी सुख नहीं—हिंसा आदि भयङ्कर दुष्कर्मों का सेवन करके आत्मा अपनी अनन्तज्ञानादि शक्तियों को नष्ट कर लेता है और उन दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में जाता है, वहाँ पर उनका फल पूरा न भोग सकने के कारण तिर्यञ्चगति में विविध योनियों में भटकता है, किन्तु कदाचित् किसी पुण्यकर्म के उदय से उन बाकी रहे कर्मों का फल भोगने के लिए बड़ी कठिनाई से मनुष्यगति में आ जाय और मनुष्यपर्याय को पा ले तो यहाँ भी दुर्भाग्यवशा प्रायः उसका पल्ला नहीं छोड़ती। इसी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

अध्वन्ना ते वि य दीर्घंति पायसो विक्रयविगलरूपा सावसेसकम्मा उवहा समाणा ।' मूलार्थ में हम इसे स्पष्ट कर आए हैं । इसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जन्म पाकर भी वे प्रायः रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य, विकलांगता, दुर्बलता, मूर्खता आदि-आदि अनेक दुःखों से घिरे रहते हैं । मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसे जीव प्रायः सद्बोध नहीं प्राप्त कर सकते । वे एक के बाद एक दुःख का अन्त करने में ही सतत लगे रहते हैं और इसी उधेड़ बुन में अपनी सारी जिंदगी पूरी कर देते हैं । इसीलिए मनुष्यजन्म पाने से भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता । पूर्वकृत अशुभ कर्मों में से श्रेष्ठ बचे हुए कर्मों का फल भोगने में ही सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है । वह मनुष्य-जन्म में नये अशुभ कर्मों को रोक नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान और मोह का इतना घना अधेरा उसके मन और बुद्धि पर छाया रहता है कि वह नवीन अशुभ कर्मों को आने से रोकने के बजाय और अधिक कर्मदल इकट्ठे कर लेता है । उसे शरीर भी इनना सबल और मनोबलशाली नहीं मिलता कि वह तपश्चर्या करके तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की उत्साहपूर्वक निर्मल आराधना करके अपने जीवन में पूर्व उपाजित कर्मों को सर्वथा क्षय कर सके और नवीन कर्मों के प्रवाह को रोक सके । यही कारण है कि फिर वह अपने लिए जन्म-मरण के चक्र में परिभ्रमण करने की मामूली गुंटा लेता है और बरबस फिर से उसकी अनन्त जन्म-मरण की यात्रा शुरू हो जाती है । इसीलिए शास्त्रकार आगे स्पष्ट कहते हैं—“एवं शरणं तिरिक्खजोषिं कुमाणुसंतं च हिंडमाणा पावंति अणताइं दुक्खाइं पावकारी ।” अर्थात् वे हिंसादि पापकर्म करने वाले इस (पूर्वकृत) प्रकार से नरको में, तिर्यञ्चयोनियो में और कुमनुष्यपर्याय में चक्कर लगाते हुए अनन्त दुःखों को पाते रहते हैं ।

‘प्रायश’ शब्द का स्पष्टीकरण—मनुष्यपर्याय को पाने वाले जीवों में से कुछ ऐसे भी होते हैं, जो नरक से निकल कर सीधे मनुष्यपर्याय में तीर्थङ्कर, केवलज्ञानी, मुनिव्रतधारी, श्रावकव्रती, या सम्यक्त्वही होते हैं; वे मनुष्यपर्याय में दुर्भाग्य के शिकार नहीं होते और जिस प्रकार की कुमनुष्यत्वप्राप्ति का शास्त्रकार ने चित्रण किया है, उस प्रकार की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी स्थिति वे प्राप्त करते हैं । इसीलिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में स्पष्ट कर दिया है—‘ते वि य दीर्घंति पायसो विक्रयविगलरूपा ।’ इस ‘पायसो’ शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि नरक से आकर मनुष्यपर्याय प्राप्त करने वालों में तीर्थंकरादि कुछ आत्मा इसके अपवाद हैं, जो अंधे, लगड़े, अपाहिज, रोगी, दुर्बल, निर्धन आदि भाग्यहीनता से ग्रस्त नहीं होते ।

कर्मफल भोगे बिना छुटकारा नहीं—कोई भी कर्म हो, वह अपना फल अवश्य देता है । हिंसा आदि दुष्कर्मों से रौद्र आदि परिणाम होते हैं और रौद्र आदि परिणामों से निकाचित रूप से कर्मबन्ध होता है, जिसे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं । वे तीर्थंकर

मुनि, चक्रवर्ती या राजा-महाराजा तक को भी नहीं छोड़ते, मामूली आदमी की तो बात ही क्या है ? जैन इतिहास में आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के जीवन का एक जबलन्त उदाहरण इस विषय में प्रस्तुत किया जा सकता है। लाभान्तराय कर्म के उदय के कारण उन्हें एक वर्ष मुनि के योग्य कल्पनीय आहार नहीं मिला, इस कारण उन्हें एक वर्ष तक अपना अभिग्रह तप करना पडा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक ने रौद्र-ध्यानव्रत निकाचित रूप से नरकगति का बध कर लिया था। उसके पश्चात् उन्होंने क्षाधिक सम्यक्त्व भी प्राप्त किया, भविष्य में तीर्थंकर नामकर्म भी उपाजित किया, लेकिन उन्हें नरकगति में अवश्य जाना पडा। मतलब यह है कि रौद्र परिणामवश, ऐसे गाढ रूप से बाधे हुए कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पडता है। इसी बात को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है—‘न य अवेद्यिस्ता अस्थि ह्य मोक्खो सि ।’

प्राणवध के बुधपरिणामों की भयंकरता—पूर्वोक्त मूलपाठ के द्वारा हिंसा के कटुफलो का स्पष्टीकरण करने के बाद शास्त्रकार निष्कर्ष रूप में प्राणवध (हिंसा) की भयंकरता संक्षेप में बताते हैं—‘एसो सो पाणवहस्स फलविवागो वाससहस्सेहि मुच्चती ।’ ‘एसो सो पाणवहो चंडो रुब्बो ... मरणवेमणसो ।’ इसका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है, जिसे मूलार्थ में हम दे आए हैं। हिंसा के भयंकर फलो का निष्कर्ष बताने के साथ-साथ हिंसा की भयंकरता और कठोरता का वर्णन जो प्रारम्भ में किया था, उस का ही दुबारा पुनरुक्ति करके भी चौथे सूत्र के प्रथम अधर्म द्वार के उपसंहार के रूप में निरूपण किया है। दुबारा उसी बात को दोहराने के पीछे यही आशय प्रतीत होता है, कि हिंसा की निकृष्टता या अकर्त्तव्यता की बात जनता के मन में जम जाय। हिंसा आदि की अनाचरणीयता या निकृष्टता की बात किसी व्यक्ति के दिल-दिमाग में जब अच्छी तरह ठस जाती है तो वह पुनः उस निकृष्ट बात की ओर नहीं झुकता, उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यही कारण है कि शास्त्रकार ने हिंसा के स्वरूप वाले पाठ को, जो प्रारम्भ में दिया गया था, उपसंहार में पुनः दोहराया है।

एवमाहुंसु नायकुलनंबणो—हिंसा के इस भयंकर फलविपाक का निरूपण कोई कपोलकल्पित नहीं है, और न किसी राह चलते मनचले द्वारा ही बताया गया है, न शास्त्रकार की अपनी मनमडत बातें हैं। सर्वज्ञ वीतराग तीर्थंकर ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी ने ही ऐसा कहा है। जो लोग यह कहते हैं कि यह शास्त्र किसी पुरुष का रचा हुआ नहीं है, या किसी मनुष्य का कहा हुआ नहीं है, यह तो सीधा ईश्वर के द्वारा कथित और रचित है, इस अपौरुषेयवाद का भी ‘एवमाहुंसु नायकुलनंबणो’ कहकर खण्डन कर दिया है। साथ ही इस बात का भी समाधान कर दिया है कि ये चट्टानों की गप्पे नहीं हैं, वास्तविक तथ्यपूर्ण बातें हैं और एक प्रामाणिक, सर्वप्राणिहितैषी, आप्तपुरुष, सर्वज्ञ द्वारा निरूपित हैं। ऐसा कहकर शास्त्रकार ने विनय भक्तिवश अपनी

न्यूनता भी प्रदर्शित कर दी है। जो आप्तपुरुष होते हैं, वे माता-पिता की तरह जगत् के जीवों के हितैषी होते हैं और उनमें किसी प्रकार का राग, द्वेष या पक्षपात नहीं होता कि किसी भी प्राणी के लिए वे गलत, झूठी, अहितकर या दुःखकर बात कहें। वे जो कुछ कहते हैं, जगत् के जीवों के प्रति वात्सल्य और कृपा से प्रेरित होकर एकान्त हित की बात ही कहते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान् महावीर के लिए वास्तविक विशेषणों का प्रयोग किया गया है—'नाय्यकुलनंदणो महप्पा जिणो उ बोरवर नामधेण्णो।' अर्थात् ज्ञातकुल-नन्दन, महात्मा, जिन (वीतराग), वीरों में श्रेष्ठ महावीर नाम के तीर्थंकर ने ऐसा कहा है।

'सिद्धेभि' शब्द—श्रीसुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी से कह रहे हैं कि वत्स! जैसा मैंने श्रमण भगवान् महावीर से इस अध्यायन का वस्तुतत्त्व सुना था, वसा ही सूत्ररूप में सकलन करके तुम्हारे सामने कहता हूँ। मैं ये वचन तीर्थंकर के उपदेश के आधार पर कहता हूँ, अपनी बुद्धि की कल्पना से नहीं। इस कथन से गुद-भक्ति, शास्त्र की प्रामाणिकता, और सर्वज्ञोक्त वचन की जगत् के लिए उपकारकता सिद्ध की गई है। अपना अभिमान छोड़कर नम्रतापूर्वक गुद की अधीनता स्वीकार करने की बात भी इस पद से ध्वनित की गई है।

इस प्रकार प्रश्न व्याकरण सूत्र का यह प्रथम अधर्म द्वार समाप्त हुआ। प्रश्न व्याकरण सूत्र में प्रथम आश्रय द्वार की 'सुबोधिनी' नामक हिन्दी व्याख्या भी सम्पूर्ण हुई।



द्वितीय अध्ययन : मृषावाद-आश्रव

प्रथम अध्ययन में प्राणवध (प्राणातिपात) का विस्तार से सांगोपांग निरूपण किया गया। किन्तु वह प्राणवध (हिंसा) मृषावाद के द्वारा होता है; क्योंकि मृषावाद भी क्रोध, लोभ, भय और हास्य से सम्पन्न होता है। क्रोधादि ही भावहिंसा के मुख्य कारण हैं। द्रव्यहिंसा भी क्रोध, लोभ या भय आदि के निमित्त से होती है। अतः प्रसंगवश अब मृषावाद का निरूपण करते हैं—

मृषावाद का स्वरूप

मूलपाठ

इह खलु जम्बू ! बितियं च अलियवणं लहुंसग-लहुचवल-
भणियं भयंकरं दुहकरं अयसकरं वेरकारणं अरतिरतिरागदोस-
मण-संकिलेस - वियरणं अलियं नियडिसातिजोयबहुलं नीयजण-
निसेवियं निस्संसं अपच्चय ठारकं परमसाहुगरहणिज्जं परपीला-
कारकं परमकिण्हलेस्ससहियं दुग्गइविणिवायविवद्धणं भवपुण-
भवकरं चिरपरिचियमणुगतं दुरंतं कित्तियं बितियं
अधम्मदारं ॥सू० ५॥

संस्कृतच्छाया

इह खलु जम्बू ! द्वितीयं चालीकवचनं लघुस्वक-लघुचपलभणितं,
भयङ्करं दुःखकरं अयशस्करं वेरकारकमरतिरतिराग-दोषमन-संश्लेश-
वितरणमलीकं निकृत्तिसाति(अविश्रम्भ)योगबहुलं नीचजननिषेधितं नृशंसं
(निशंसं) अप्रत्ययकारकं परमसाधुगर्हणीयं, परपीडाकारकं, परमकृष्ण-
लेशयासहितं दुर्गतिविनिपातविषयज्ञं भवपुनर्भवकरं चिरपरिचितमनुगतं
दुरंतं कीर्तितं द्वितीयमधर्म-द्वारम् ॥सू० ५॥

पदार्थान्वय—(इह) इस शास्त्र में, (खलु) वास्तव में, (जम्बू) हे जम्बू !

(चित्तियं) दूसरा आश्रयद्वार (अलियवचनं) मृषावाद—अस्त्य भाषण है। यह (सहस्रग-सहस्रचलमथियं) जिनकी आत्मा गुणगौरव से हीन है, तथा जो उतावले और चंचल हैं, उन्हीं के द्वारा बोला जाता है, (भयंकरं) स्व-पर में भय पैदा करने वाला है, (दुःखकरं) दुःख का कर्ता है, (अयस्करं) अपकीर्ति (बदनामी) करने वाला है, (वेर-कारणं) वैर पैदा करने वाला है, (अरतिरतिरागदोसमणसंकिलेसवियरणं) अरति, रति, राग, द्वेष और मानसिक क्लेश को देने वाला, (अलियं) झूठ, निष्फल या शुभ फल से रहित, (नियडिसातिजोयबहुलं) घूर्तता और अविश्वसनीय वचनों से प्रचुर, (नीयजणसेवियं) जाति आदि से नीच-हीन लोगों द्वारा सेवित, (निस्तंसं) नृशंसा, (क्रूर) अथवा प्रशंसारहित, (अपञ्चयकारकं) अविश्वासजनक, (परमसाहृगरहणिज्जं) योग, ध्यान आदि से उत्कृष्ट साधुओं द्वारा निन्दनीय, (परपीलाकारकं) दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला, (परमकिण्हेस्ससहियं) परम कृष्णलेश्या से युक्त, (दुग्गइविण्णियवियद्वणं) दुर्गति में पतन की वृद्धि करने वाला, (भवपुणभवकरं) संसार में पुनः पुनः जन्म-पुनर्जन्म कराने वाला, (घिरपरिचियं) अनादिकाल से जीव का अभ्यस्त या परिचित, (अणुगतं) निरन्तर प्राप्त और (दुरंतं) कठिनता से अन्त होने योग्य अथवा अस्थन्त दारुण फल वाला है, ऐसा (चित्तियं) दूसरा (अधम्मद्वारं) अधर्म-आश्रय-द्वार, (कित्तियं) कहा गया है।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! मृषावाद दूसरा अधर्मद्वार है। यह मृषावाद गुणगौरव से रहित हीन आत्माओं एवं उतावले और अतिचंचल लोगों द्वारा बोला जाता है। अपने और दूसरों में भय पैदा करने वाला है, दुःखजनक है, संसार में अपकीर्ति (बदनामी) का जनक है, वैर पैदा कराने वाला है, रति-अरति, राग और द्वेष रूपी मानसिक संक्लेशो को पैदा करने वाला है, शुभ फल की दृष्टि से निष्फल या झूठ है, घूर्तता माया-चारी और अविश्वसनीय वचन से भरपूर है, जाति, कुल आचरण आदि से हीन लोगों द्वारा ही सेवित होता है, प्रशंसारहित या क्रूर है, अविश्वास का जनक है, महापुरुष या साधुजनों द्वारा गृहित—निन्दनीय है, पर (जिसके लिए झूठ बोला जाता है,) उसको पीड़ा देने वाला है, उत्कृष्ट कृष्णलेश्या से युक्त है, दुर्गति में पतन की वृद्धि करने वाला है, संसार में बार-बार जन्म-पुनर्जन्म आदि कराने वाला है, अनादिकाल से जीवो का परिचित-अभ्यस्त है, मिथ्यात्व अवरति आदि के प्रवाह के साथ लगातार लगा रहने वाला है, दारुण फल वाला होने से बड़ी मुश्किल से अन्त किया जाने वाला है। इस प्रकार दूसरे अधर्म (आश्रय) द्वार-मृषावाद का निरूपण किया गया है।

व्याख्या

प्राणवच नामक प्रथम आश्रवद्वार का वर्णन कर चुकने पर अब शास्त्रकार 'मृषावाद' नामक द्वितीय आश्रवद्वार का निरूपण करते हैं। जिस प्रकार प्रथम आश्रव का वर्णन स्वरूप, नाम, साधन, कर्ता और फल इन पांच द्वारों में वर्गीकरण करके किया गया है उसी प्रकार द्वितीय आश्रव का वर्णन भी क्रमशः पांच द्वारों द्वारा शास्त्रकार करना चाहते हैं। अतः प्रसंगवश सर्वप्रथम शास्त्रकार मृषावाद के स्वरूप का निरूपण करते हैं।

अस्मिन्वचनं—मिथ्यावचन को अस्मिन्वचन कहते हैं। व्यक्ति जब मन में यथार्थ से विपरीत सोचता है, तभी उसके वचन में झूठ प्रगट होता है। इसलिए अयथार्थ विचार का सम्बन्ध अयथार्थ भाषण के साथ अवश्यम्भावी है।

लघुसग-लघुचललक्षणं—लघु का अर्थ हल्का, हीन या तुच्छ होता है। जिनकी आत्मा लघु है यानी बात-बात में डिलमिल हो जाती है, जो अपनी बात के घनी नहीं होते—जरा-जरासी देर में कहकर बदल जाते हैं, वे गुण और गौरव से हीन व्यक्ति लघुस्वक (हीन आत्माएँ) हैं; साथ ही जो झटपट किसी बात को सोचे-विचारे बिना कह डालते हैं या चंचलतावश कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे हीनात्मा तथा उतावले और चंचल व्यक्तियों द्वारा ही मृषावाद बोला जाता है।

भयंकर—असत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन में अपने-आप भय पैदा होता है कि "कहीं मेरी कलाई खुल गई तो, कहीं मेरा झूठ साबित हो गया तो, क्या होगा!" इस प्रकार डर के मारे उसके हाथ-पैर कापने लगते हैं। साथ ही असत्य भाषण परम धर्मात्मा पुरुषों, परहिततत्पर साधु महात्माओं तक को भी पलभर में भयग्रस्त कर देता है। झूठे लोगों द्वारा किये गए मिथ्या दोषारोपण ने सुदर्शन सेठ सरीखे अतिधर्मात्मा पुरुषों और निर्मलचित्त साधुमहात्माओं को बड़े भयंकर दुश्चक्र में डाला है। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने मिथ्या अपवाद के डर से आत्महत्या तक करली है। अतः यह असदिग्धरूप से कहा जा सकता है कि असत्य बड़ा भयंकर और तमाम पापों का जनक है।

दुःखकर—असत्य वचन स्वयं बोलने वाले को और जिसके लिए वह बोला जाता है उसको, दोनों को दुःख देने वाला है। असत्य बोल कर या असत्याचरण करके व्यक्ति किसी आपत्ति या दुःख से बच जायेगा या वह खूब पैसा कमा लेगा, यह निरा भ्रम है। जो बीज अन्तरायकर्म के क्षयोपशम द्वारा प्राप्त होने वाली है, वह झूठ बोल कर कैसे प्राप्त की जा सकेगी? या जो आफत वा विपत्ति असाता-वेदनीय कर्म के उदय से आने वाली है, वह असत्य के बल पर कैसे टाली जा सकेगी? अतएव असत्यवचन सदैव दुःख का जनक रहा है और रहेगा। वर्तमान में झूठ का

बोलबाला होने से कई लोग यह कहा करते हैं कि सत्य बोलने वाले को तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, इसलिए असत्य दुःखकर न होकर सत्य ही दुःखकर लगता है। परन्तु यह क्षणिक सुख की भ्रान्ति के कारण कहा गया है। सत्यवादी को प्रारम्भ में कदाचित् कुछ समय के लिए झूठे और धोखेबाज लोगों के बीच रहकर थोड़ा-सा कष्ट या आर्थिक हानि का सामना भले ही करना पड़े, लेकिन सदा के लिए उस पर दुःख के बादल छाये नहीं रहेगे, वे जल्दी ही छँट जायेंगे, और सत्य का सूर्य चमक उठेगा। सत्य भाषण का सुखद फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए शास्त्र में असत्य को दुःखकर ठीक हो कहा है। सत्य ही अन्त में विजयी और सुख का कारण बनता है।

अयसकर—असत्य अपयश बढ़ाता है। असत्य बोलने वाले की समाज और राष्ट्र में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते। बड़े से बड़े इज्जतदार और यशस्वी पुरुष एक बार जब असत्य बोलकर मुर्खी और समझ बनना चाहते हैं; तभी उनकी सर्वत्र अपकीर्ति होती है, वे अपने मुंह पर सदा के लिए कालिख पोत लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के लोगों के दबाव में आकर 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' कहा, तभी से उनकी वास्तविक कीर्ति पर पानी फिर गया। इसलिए मूषावाद अयश कारक है।

वैरकारणं—कुलपरम्परा से चली आई हुई मंत्री को ध्वस्त कर परस्पर शत्रुता पैदा करने वाला यदि कोई उपाय सत्कार में है तो वह केवल 'असत्यवचन' है। मर्म-स्पर्शी वचन, अपशब्द, गाली, निन्दा, चुगली, अप्रिय या बुरे वचन आदि सभी असत्य में शुमार हैं। जो दूसरे को चोट पहुँचाने वाले, दुर्भावना से प्रयुक्त वचन हैं, वे सब आपस में वैर बढ़ाने वाले हैं। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि सर्वप्रथम मामूली कटु वचन से ही लड़ाई शुरू होती है, बाद में वह उपरूप धारण कर लेती है, और अन्त में, वह वैरपरम्परा पीढी दर पीढी चलती रहती है।

अरति-रति-राग-दोष-मणसंकिलेसवियरणं—अरति (अप्रिय वस्तुओं या बातों से मन का उच्चाट), रति (प्रियवस्तुओं-इन्द्रियविषयों में र्हाच), राग (धन स्त्री पुत्र आदि सासारिक पदार्थों के प्रति मोह, ममत्व), द्वेष (अप्रिय वस्तुओं से घृणा, विरोध आदि) ये सब मन के सविलिप्त परिणाम हैं। इन्हे पैदा करने में मुख्य कारण असत्य-वचन है। किसी सच्चे और भावुक आदमी पर मिथ्या दोषारोपण लगते ही उसके चित्त में उद्वेग या उच्चाट पैदा हो जाता है। फिर किसी अच्छी वस्तु पर भी उसका चित्त नहीं लगता। विषयों में आसक्ति बढ़ाने वाली या कामोत्तेजक कहानियाँ श्रु गाररस को पुष्ट करती हैं, ऐसे पापोत्तेजक घासलेटी साहित्य से मिथ्या कल्पनाओं द्वारा लोगों का चित्त विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसी में निरंतर वे निमग्न रहते हैं, इससे फिर राग, मोह और द्वेष बढ़ता है। असत्य के कारण पैदा हुए अविश्वास से

कई लोगो में परस्पर द्वेषभाव पैदा हो जाता है, जो काफी वर्षों तक चलता रहता है। असत्य और अतिरजित कल्पनाओं से मन उस वस्तु के प्रति मोहित और आसक्त हो जाता है। उसके न मिलने पर मन में संक्लेश होता है। पूर्वोक्त चारों ही विकार मानसिक संक्लेश पैदा करने वाले हैं। इसलिए असत्य वचन मन के क्लेश को बढ़ाता है।

अलियं—असत्यवचन सदैव अशुभफल देता है ! इसलिए असत्य भाषण शुभ-फल की अपेक्षा से निष्फल है।

नियन्त्रितातिजोयबहुलं—असत्य स्वयं ही झूठ, फरेब, धोखेबाजी, धूर्तता, दम्भ और मायाजाल से भरा हुआ होता है। उससे कदापि किसी को सरल बनने की प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए असत्य धूर्तता, दम्भ, अविश्वासनीयता और जाल-साजी से भरा होता है। दूसरो को ठगने, धोखा देने या दूसरो को अपने जाल में फसाने के लिए मनुष्य असत्य का आश्रय लेता है। अपने द्वारा बोने हुए एक झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य व्यर्थ ही अनेक असत्यो व बनाबट-दिखावट का सहारा लेता है। इसीलिए असत्य को धूर्तता, अविश्वास आदि का घर कहा है। मनुष्य झूठी कसमे खाकर, असत्य को सत्य का जामा पहना कर सत्य साबित करना चाहता है, मगर वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती है। अतः किसी ने ठीक ही कहा है—

“सच्चाई छिप नहीं सकती बनाबट के उसूलों से।

कि खुराबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से ॥”

नीचजननिसेविय—मनुष्य की कुलीनता या उच्च जाति एव कुल आदि की पहिचान वचन से होती है। दुराचारी, असभ्य, कुसस्कारी और पापात्मा मनुष्य नीचजन कहलाते हैं और ये नीचजन बात-बात में झूठ बोलते हैं, कटु और असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। हीन आचार-विचारो के जमे हुए कुसस्कार ही नीचजनो को असत्य की ओर प्रेरित करते हैं। सदाचारी, सुसभ्य, धर्मात्मा और सुसस्कारी मनुष्य उच्चजन कहलाते हैं। उच्चजनो की वाणी मधुर, सयत, सभ्य और सत्यपूर्ण होती है। उनकी वाणी में दम्भ, झूठ, फरेब, मायाजाल या धूर्तता का पुट नहीं होता। यही कारण है कि नीचजन ही असत्य का सेवन करते हैं, वे सकट में और आनन्द में हर समय असत्य को ही उपादेय समझते हैं। वे यही समझते हैं कि सत्य से जीवन दुःखी होता है, असत्य ही जीवन में सुख का मूल है। जबकि उच्चजन सकट में भी असत्य का सहारा नहीं लेते।

निस्संसं—असत्य भाषण नृशंस (घातक) मनुष्य का शस्त्र है। कूर मनुष्य अपने नीच हृदय की प्यास झूठफरेब का जाल रच कर बुझाता है। अपनी नृशंसता

छिपाने के लिए यह किसी को झूठा अश्वासन देता है, किसी से कपटपूर्वक मधुर बोलता है, किसी को झूठ बोलकर फंसाता और सताता है। पापात्माओं के लिए नीतिकार कहते हैं—'असत्यस्य च अश्वस्यस्य च कर्मव्यव्ययं दुरात्मनाम्' दुष्ट आत्माओं के मन में कुछ और रहता है, वचन से वे कुछ और ही बात प्रगट करते हैं और शरीर की चेष्टाएँ दूसरी ही तरह की दिखाते हैं। यानी नृशस के मन-वचन-शरीर सब में असत्यता ही भरी रहती है। इसीलिए असत्य को नृशस कहा है। अथवा इसका दूसरा रूप बनता है—'निशंस', जिसका अर्थ होता है—प्रशंसा से रहित। असत्य की कोई भी प्रशंसा नहीं करता। स्वयं असत्यवादी भी उसकी सार्वजनिकरूप में प्रशंसा कभी नहीं करता। इसलिए असत्य सदा अप्रशंसनीय है।

अपञ्चयकारकं—असत्य सदा अप्रतीति पैदा करने वाला होता है। असत्य-भाषी पर किसी को प्रतीति या विश्वास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कदाचित् सत्य भी बोलता हो, तो भी उस पर भरोसा नहीं बैठता। असत्यभाषण करने वाले को कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी जाती; कोई आर्थिक कार्य नहीं दिया जाता, उसके साथ लेनदेन का व्यवहार करने में भी लोगों को सकोच होता है। इसलिए असत्य अविश्वास की खान है, अप्रतीति पैदा करने वाला है।

संसार के सब कार्य या व्यवहार विश्वास के बल पर चलते हैं, लोग अपनी धनसम्पत्ति को विश्वास करके ही किसी के पास धरोहर रखते हैं या बैंक में जमा कराते हैं। सत्यवचन ही विश्वासजनक होता है। सांसारिक या पारमार्थिक जितने भी कार्य हैं, वे सब विश्वासजनक सत्य पर आधारित हैं। क्या परिवार, क्या समाज और क्या राष्ट्र सर्वत्र पारस्परिक विश्वासजनक सत्य के आधार पर ही सारी सधिया, सम्बन्ध, लेनदेन, सहयोग के आदान-प्रदान आदि होते हैं। उनमें जहाँ जरा भी असत्य आया या एकबार भी किसी को असत्यता का आभास हुआ कि वहाँ अविश्वास की कुल्हाड़ी पड़ जाती है, जो जमे हुए विश्वास को उखाड़ देती है। पति-पत्नी में परस्पर असत्य-वचन से मन फूट जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए असत्य विश्वासघात करने वाला और अविश्वासनीय है। सत्य ही विश्वास पैदा करने के लिए अमोघ अस्त्र है।

परमसाह्वगरहृणिकञ्जं—असत्य उत्तम पुरुषों और विश्व हितैषी साधु-महात्माओं द्वारा सदा ही निन्दनीय और गहिह होता है। असत्य उनके द्वारा इसलिए निन्दित है कि असत्य से जीवन के समस्त व्यवहार ठप्प हो जाते हैं, उन्नति रुक जाती है, आत्मिक उत्थान में विघ्न आ जाता है, सुख शान्ति लुप्त हो जाती है, विश्वास उठ जाता है। इसलिए वे हमेशा इस निन्दनीय असत्यमार्ग से दूर रहने का उपदेश देते हैं। जो उनके उपदेश से इस निन्द्य असत्य पथ को छोड़ देता है, वह सुखी, शान्त, स्वस्थ, निर्भय,

विश्वस्त और आत्मविकास का पथिक बन जाता है। इसीलिए असत्य उत्तम जनों और साधुओं द्वारा निन्दनीय है।

परपीलाकारकं—यह तो सर्व विदित है कि असत्य वचन से प्राणियों की हैरानी परेशानी बढ़ जाती है, जिसके प्रति असत्याचरण किया जाता है, उसके दिल को सख्त चोट पहुँचती है। जितने भी पीड़ाकारी वचन—(मारो, काटो आदि आदेश कारक या काना, दुष्ट, चोर आदि सम्बोधन कारक वचन) हैं, वे सब असत्य में ही समाविष्ट हैं, इसलिए असत्य वचन परपीडाकारी है। कठोर, कर्कश, हिंसाकारी, छेदकारक, भेद (फूट) डालने वाली, मर्मस्पर्शी या अपशब्दमयी व्यग्रमयी वाणी दूसरो को सदा दुःख और पीडा ही पहुँचाती है। प्रिय, हित, मित और सत्य वचन ही सबको शान्ति पहुँचाते हैं।

परमकृष्णलेस्ससहियं अत्यन्त दुष्ट परिणाम ही परमकृष्णलेश्यारूप है। असत्य वचन और आचरण करने वाले के मन में परमकृष्णलेश्या की सभावना है। क्योंकि जब मन में अत्यन्त दुष्ट परिणाम होते हैं, तभी व्यक्ति सच्ची बात को विपरीत बनाने के लिए असत्य वचन का सहारा लेता है। परमकृष्णलेश्यारूप दुष्ट परिणामों के कारण जीव दुर्गति में जाता है। यदि उस समय उसके आयु का बंध हो जाय तो वह अवश्य ही नरकगति का पथिक बन जाता है। जहाँ उसे असह्य बरों (सागरोपम-काल) तक नरक के दुःखों में पड़े रहना पड़ता है। पर यह होता है केवल जरा-से काल्पनिक स्वार्थ या सुखानुभव करने के लिए, अथवा क्षणिक कषाय के आदेश में आकर असत्य वचन बोलने पर ! इसलिए असत्य वचन परमकृष्णलेश्यायुक्त बनता है और जीव को नरकगामी बना देता है।

कषाय के उदय के अनुसार मन, वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, उसे लेश्या कहते हैं। वास्तव में देखा जाय तो लेश्या का तीव्र सम्बन्ध मन से है। वचन और शरीर तो उसी के पीछे चलते हैं। इसलिए कषायसहित मन की तरफ को ही लेश्या कहना चाहिए। कषाय के दो प्रकार हैं—अप्रशस्त और प्रशस्त। अतः मन में जिस-जिस प्रकार के शुभ या अशुभ कषायों की तरंगें उठेंगी, लेश्या भी उस-उस प्रकार की शुभाशुभ बनती जायगी। कृष्णलेश्या अत्यन्त रौरूप है। मन में भयंकर, क्रूर और तीव्र परिणाम होने पर ही कृष्णलेश्या होती है। परमकृष्णलेश्या तो क्रूरति क्रूर परिणाम होने पर होती है, जो असत्य भाषी में मृषानुबंधी रौरूपानवश होनी संभव है। इसलिए असत्य को 'परमकृष्णलेश्यासहित' बताया, वह ठीक ही है।

दुग्गद्विजिजायविबद्धं—यूँ कि असत्य परमकृष्णलेश्या रूप होता है, इसलिए दुर्गतियों—नरक तिर्यच गतियों—में जन्ममरण की वृद्धि करने वाला है। असत्यभाषी परमकृष्णलेश्या के वश दुर्गति का बंध कर लेता है। परन्तु उस बंध में वृद्धि तब होती

है, जब एकबार असत्य-आचरण करके किसी ने दुर्गति का बंध कर लिया, फिर बार-बार असत्य का सेवन करे तो वह दुर्गति के अपने पूर्व बंध में और भी वृद्धि कर लेता है। अथवा पहले असत्य सेवन के कारण जिसके प्रथम नरक की एक सागरोपम की स्थिति का बन्ध हुआ तो फिर पुनः पुनः असत्य सेवन कर वह उस स्थिति (कालाबधि) को और बढ़ा लेता है। यानी दूसरे और तीसरे आदि आगे के नरको में जाने की सामग्री जुटा लेता है।

यद्यपि आयुर्कर्म का बन्ध समस्त आयु के त्रिभागों में से किसी एक त्रिभाग में एकबार हो जाता है; लेकिन बाद में समय-समय पर बढ़ने वाले समयप्रबद्धों (एक समय में बढ़ने वाले) आठों कर्मों का बंटवारा होता रहता है। जब शुभ परिणामों से बन्ध होता है तब शुभ प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होती है। और जब अशुभ परिणामों से बंध होता है तब अशुभ प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से असत्य सेवन पहले की बंधी हुई दुर्गति की स्थिति को भी बढ़ाता है।

इस पद का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि असत्य दुर्गति में गिरने को बढ़ावा—प्रोत्साहन देता है। जब मनुष्य असत्य बोलता है तो बिना सोचे-समझे और निःशंक होकर बोलता है, बल्कि वह असत्य की ही बारबार तारीफ करना है और मन ही मन असत्य से अपना काम बना लेने में पूरा विश्वास रखता है, इस कारण दुर्गति गर्त में होने वाले पतन को उसके व्यवहार से बढ़ावा मिलता है।

भयपुण्यभयकर—असत्य ससार में बारबार जन्म कराने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि एकबार जिस आत्मा का पतन हो जाता है, उसे उसके फल-स्वरूप नरकतिर्यंचादि कुगतियों व कुयोनियों में से किसी में जन्म लेना पड़ता है। वहाँ के खराब निमित्तों से उसकी आत्मा और अधिक पतित होती जाती है, उसे आत्म-विकास के मुख्य साधन या निमित्त वहाँ मिलते ही नहीं। फलतः उसकी आत्मा धर्माचरण से शून्य होकर बार-बार उन्हीं-उन्हीं योनियों में जन्ममरण के भयजाल में मोते खाती रहती है। इसलिए असत्य जन्म जन्मान्तर का लगाना नाता लगाने में बहुत बड़ा कारण है।

चिरपरिचिद्यं—असत्य चिरकाल से जीव का परिचित है। क्योंकि नरक और तिर्यञ्चगतियों में तो सत्य का नाम भी सुनने को नहीं मिला। वहाँ तो प्रवाहपेक्षया अनादिकाल से मिथ्यात्वरूपी अन्धकार में ही आत्मा डूबा रहा, उसे सत्यरूपी सूर्य के दर्शन हुए ही नहीं। इसी प्रकार वर्तमान काल में जो असत्य सेवन करेगा, उसे आगामी काल में असत्य के फलस्वरूप सत्य के दर्शन होने कठिन होंगे, वह असत्य में ही लिपटा रहेगा। इसीलिए असत्य को जीव का चिरपरिचित या दीर्घकाल से अभ्यस्त कहा है।

अणुगतं—असत्य जीव का परम्परागत साथी भी रहा है; क्योंकि नरक, तिर्यञ्च

या कुमनुष्यपर्याय में आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति आदि प्रवाहों में बहता रहा; इसलिए वहाँ सत्य का अनुगामी या साथी बनना तो कठिन ही था। अतः मिथ्यात्व आदि के सतत प्रवाहों में असत्य ही जीव का अनुगामी रहा, साथी बना और अब भी है। इससे एकबार दोस्ती कर लेने पर पिंड छूड़ाना बड़ा ही कठिन और दुर्वार होता है।

दुरन्त—असत्य का अन्त करना बड़ा ही दुष्कर है। अथवा असत्य का अन्त यानी परिणाम कई सागरोपमो पर्यन्त दुःखद और बुरा ही होता है। इस लोक में भी असत्य के परिणामस्वरूप शासको द्वारा जिह्वाछेद, देश निकाला या गधे पर बिठा कर नगर में घुमाना आदि कठोर दण्ड दिया जाता है, समाज में भी उसकी निन्दा और बदनामी होती है। परलोक में भी उसे नीच गति और नीच कुल आदि अधम स्थान मिलते हैं, जहाँ सख्यातीत समय तक उसे नाना प्रकार के दुःखों और यातनाओं को विवश होकर भोगना पड़ता है। इसीलिए असत्य को दुरन्त अर्थात् दुःखान्त या दुष्परिणामी कहना मयार्थ है।

इम प्रकार द्वितीय अधर्मद्वारा यानी पाप के उपाय-असत्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है।

मृषावाद के पर्यायवाची नाम

मृषावाद के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब शास्त्रकार क्रमप्राप्त मृषावाद के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य णामाणि गोष्णाणि होंति तीसं, तंजहा-१ अलियं,
 २ सढं, ३ अणज्जं, ४ मायामोसो, ५ असंतकं, ६ कूडकवडम-
 वत्थुगं च, ७ निरत्थयमवत्थयं च, ८ विद्देसगरहणिज्जं,
 ९ अणुज्जुकं, १० कक्कणा य, ११ वंचणा य, १२ मिच्छापच्छा-
 कडं च, १३ साती उ १४ उच्छन्नं (उच्छुत्तं), १५ उक्कूलं च,
 १६ अट्टं १७ अब्भक्खाणं च, १८ किच्चिसं, १९ वलयं,
 २० गहणं च, २१ मम्मणं च, २२ नूमं, २३ नियथी,
 २३ अपच्चओ, २५ असमओ, २६ असच्चसंघत्तरां, २७ विवक्खो,
 २८ अ (उ) वहीयं (आणाइयं) २९ उवहिअसुढं, ३० अवलोवोत्ति।
 अवि य तस्स (विइयस्स) (इमाणि) एयाणि एवमादीणि

(एवमाइयाणि एयाणि) नामधेज्जाणि ह्येति तीसं सावज्जस्स अलियस्स वय (इ) जोगस्स अणेगाइं ॥ सू० ६ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गौणानि (गुणानि) भवन्ति त्रिंशत् ; तद्यथा—
 १ अलीकं, २ शठं, ३ अन्याय्यं (अनार्यं), ४ मायामूषा, ५ असत्कं, ६ कूट-
 कपटावस्तुकं ७ निरर्थकमपार्थकं च, ८ विद्वेष-गर्हणीयं, ९ अनुजुक्तं,
 १० कल्कना च, ११ बंधना च, १२ मिथ्यापरचात्कृतं च, १३ सातिस्तु,
 १४ अपच्छन्नं (उच्छन्नं, उत्सूत्रं), १५ उत्कूलं च, १६ आर्त्तं,
 १७ अम्याख्यानं, १८ किल्बिषं, १९ बलयं, २० गहनं च, २१ मन्मनं च,
 २२ नुमं (पिषानं), २३ निकृतिः, २४ अप्रत्ययः, २५ असमयः (असम्मत)
 २६ असत्यसंधत्वं, २७ विपक्षः, २८ उपधीक (आज्ञातिगं, अपधीकं)
 २९ उपध्यशुद्धं, ३० अवलोपः इति । अपि च तस्य (द्वितीयस्य) (इमानि)
 एतान्धेवमादीनि (एवमादिकानि एतानि) नामधेयानि भवन्ति त्रिंशत्
 सावद्यस्यालीकस्य वचोयोगस्थानेकानि ॥ सू० ६ ॥

वचार्थव्यय—(य) और, (तस्स) उस असत्य के (गोण्याणि) गुणनिष्पन्न-
 सार्थक, (तीस) तीस, (नामाणि) नाम (ह्येति) होते हैं । (तंजहा) वे इस प्रकार हैं—
 (अलियं) अलीक, (सठं) शठ-शाठ्य-वृत्ता, (अणज्जं) अनार्य लोगों का कर्म अथवा
 अन्याययुक्त, (मायामोसो) माया-कपट-सहित मूषा-झूठ अर्थात् बन्ध, (असत्कं), असत्
 (अविद्यमान) या अप्रशस्तपदार्थों का कथन करना, (कूटकवज्जमवस्तु) दूसरे को ठगने के
 लिए हीनाधिक कहना, बचन-विपर्यास करना, अविद्यमान वस्तु का कथन करना,
 (निरन्वयमवस्थयं) सत्य अर्थ से हीन, सत्य-अर्थशून्य बोलना, (विद्वेषगरहणीज्जं) विद्वेष
 या डाह के कारण दूसरे के प्रति निन्दामय वचन बोलना, (अणुज्जुक्तं) सरलतारहित
 वक्रतापूर्वक कथन, (कक्कणा य) माया या पाप का वचन कहना, (य) तथा
 (बंधणा) ठगना, धोखा देना, (मिच्छापच्छाकडं) मिथ्यारूप होने से न्यायवादियों द्वारा
 पीछे किया गया या छोड़ा गया, (अथवा मिथ्यारूप वचन और बाद में पीठ पीछे से
 अवर्णभाव बोलना) (साती उ) अविश्वासरूप, (उच्छन्नं) अपने दोषों और दूसरे के
 गुणों को झाँकने वाला वचन, अथवा (उच्छुत्तं) उत्सूत्रप्रकरण करना—शास्त्र से
 न्यूनधिक या विपरीत प्रकरण करना (च) और (उत्कूलं) न्याय मार्ग से छष्ट करने
 वाला या म्यायरूप नदीप्रवाह के तट से अलग करने वाला वचन (च) और (अट्टं)
 आर्त्त-पीड़ित का वचन, (च) और (अममक्खाण) मिथ्या दोषारोपण करना, (किल्बिषं)
 पापजनक वचन, (बलयं) झूठी के समान बात को मोलमोल या घुमाफिरा कर कहना-

(ब) और (गहणं) गहन-गूढ़ वचन, जिसकी बाह का पता न लग सके, ऐसा वचन, (घ) और (मम्मणं) अस्पष्ट वचन, (नूनं) दूसरे के गुणों को ढांकने के लिए उपकन के समान आच्छादनरूप वचन, (निययी) अपनी मायाचारी को छिपाने का वचन, (अपञ्चओ) अप्रतीतिजनक वचन, (असमओ) समय-सिद्धान्त से विपरीत वचन वा शिष्ट पुरुषों द्वारा असम्मत वचन, (असञ्चसंघसणं) असत्य से मेल खाता हुआ वचन अथवा असत्य संघा-अभिप्रायरूप, प्रतिज्ञारूप वचन, (विबक्खो) सत्य अथवा धर्म से विपन्न वचन, (उबहीयं) उपधि-माया पर आधारित वचन अथवा (अवहीयं) तुच्छ बुद्धि से कहा गया वचन, (उबहि असुद्धं) कपट से युक्त साबद्ध असुद्ध वचन, (अवल्लोवो) वस्तु की वास्तविकता को छिपाने-लौप करने वाला वचन, (इति) इस प्रकार (अपि च) और भी (तस्स) उसके, (विइयस्स) द्वितीय आश्रयद्वार के (एयाणि-इमाणि) ये (एवमादीणि) ऐसे ही और भी (तस्स) उसके (तीसं) तीस (नामवेज्जाणि) नाम हैं उस, (साबद्ध-पापरूप, (असियस्स) असत्य, (वयजोगस्स) वचनयोग के, (अणेयाइं) अनेक नाम (होति) हैं ।

मूलार्थ—उस असत्य वचन के गुणनिष्पन्न (सार्थक) तीस नाम हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) अलोक-मिथ्यावचन, (२) शठ-शठजनों द्वारा आचरित शास्त्रवचनरूप असत्य (३) अनार्य मनुष्यों का कर्म या अन्याययुक्त असत्य, (४) कपटसहित झूठ (५) असत् (अविद्यमान) या अप्रशस्त वस्तुओं का कथन, असत्य, (६) कूट-कपट, अवस्तु नामक असत्य, (७) निरर्थक और गलत अर्थ वाला असत्य, (८) विद्वेष से परनिन्दारूप कथन वाला विद्वेषगर्हणीय नामक असत्य (९) टेढ़ा या व्यंग्य पूर्ण बोलना-अनूजुक नामक असत्य, (१०) मायारूप या पापरूप कल्कना नामक असत्य, (११) धोखेबाजीरूप वंचना नामक असत्य, (१२) न्यायवादियों द्वारा छोड़े हुए मिथ्यावचनरूप मिथ्यापदचात्कृत नामक असत्य, (१३) अविश्वस्त वचन रूप साति नामक असत्य, (१४) अपने और दूसरे के गुणों को ढांकने वाले वचनों से युक्त उच्छन्न या अपञ्चन्न नामक असत्य अथवा सूत्रविरुद्ध प्ररूपणारूप उत्सूत्र नामक असत्य, (१५) न्यायमार्ग की मर्यादा को लांघकर बोलने या न्याय पथ से भ्रष्ट कर देने वाला उत्कूल नामक असत्य, (१६) आर्त-पीडित मनुष्य के वचन रूप आर्त नाम का असत्य, (१७) सहसा किसी पर मिथ्या दोषारोपण करना, अभ्याख्या नामक असत्य, (१८) पापजनकवचनरूप कित्विष नाम का असत्य, (१९) गोल-मोल बात करने को बलय नामक असत्य कहते हैं, (२०) गूढ़ बातें करना, जो किसी की समझ में न आवें ऐसा वचन, गहन नामक असत्य है, (२१) अस्पष्ट वचनरूप मम्मण नाम का असत्य (२२) दूसरे के गुणों को ढक देने के रूप में 'नूम' नामक असत्य, (२३) अपनी मायाचारी को छिपाने वाला निकृति नामक असत्य (२४) अप्रीतिकर वचन के रूप में अप्रत्यय

नामक असत्य (२५) ऐसा वचन, जो सिद्धान्त या शिष्टजनों से सम्मत न हो, वह असंमत या असमय नामक असत्य, (२६) झूठी प्रतिज्ञा करने या कसमें खाने के रूप में असत्य संघत्व नायक असत्य है, अथवा असत्य से मेलखाता या असत्य अभिप्राय वाला वचन भी असत्य संघत्व है (२७) धर्म या शिष्ट पुरुषों के प्रति विपक्षी वचन विपक्ष नामक असत्य है, (२८) माया पर आधारित वचन उपधि नाम का, या तुच्छबुद्धि से कहा गया वचन, अपघ्नी नाम का असत्य है, (२९) कपटयुक्त सावद्य अशुद्ध शब्दों का कथन उपध्यशुद्ध नामक असत्य है। और (३०) वस्तु के सद्भाव का लोप करने वाला वचन अपलोप नामक असत्य है।

इस प्रकार उस द्वितीय आश्रव द्वार मूषावाद (असत्य) के ये तीस नाम हैं। तथा उस पापरूप असत्य वचन योग के ऐसे ही और भी अनेक नाम होते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में असत्य के गुणनिष्पन्न एव असत्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले सार्थक तीस नाम बतलाए हैं। अन्त में, यह भी कह दिया है कि इसके केवल ३० नाम ही न समझ लेने चाहिए, अपितु और भी अनेक नाम हो सकते हैं। जो वचन सावद्य (पापरूप) एव असत्य अर्थ के प्रतिपादक हों, उन सबको असत्य समझ लेना चाहिए। इसी को शास्त्रकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं—'एवमादीणि अणेगाइ तस्स सावज्जस्स अलियस्स वयजोगस्स नामधेज्जाणि होति।'।

असत्य शब्द का अर्थ—'सबूभ्यो हितं सत्यं' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो प्राणिमात्र के लिए सर्वथा और सर्वदा हितकर हो, वह सत्य है, और सत्य से जो विरोधी-विपरीत हो, वह असत्य है। इसी प्रकार सत्य का एक अर्थ यह भी है कि 'जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा सोचा-समझा हो, जैसा अनुमान किया हो, मन-वचन-काया से प्राणिहित को सामने रखकर वैसा ही प्रगट करना।' इससे विपरीत कथन असत्य है। जैसे विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना तथैव अविद्यमान को विद्यमान कहना असत्य है। इसी प्रकार सुनी, देखी, सोची-समझी कुछ और बात हो किन्तु कहना कुछ और हो, यह भी असत्य है। अपनी बात को, अपने भावों को छिपाना भी असत्य है; गोलमोल, अस्पष्ट, द्व्यर्थक-गूढ या निरर्थक वचन कहना भी असत्य है। इसी प्रकार धूर्तता, धोखा, छल या वचना की दृष्टि से, किसी को ठगने और अपने जाल में फसाने की नीयत से मीठा बोलना भी असत्य है, दूसरों को पीडा या हानि पहुँचाने वाली वाणी या ऐसी तथ्यपूर्ण बात भी, जिससे प्राणि-हिंसा की सभावना हो, जिस वचन से अशान्ति, उपद्रव, झगड़े या वैमनस्य पैदा होता हो, वह वचन भी

अहितकर होने से सच कहे जाने पर भी परिभाषा के अनुसार असत्य में बिना जाता है । निन्दा, गाली, अपनी प्रशंसा, चुगली, ईर्ष्या, दूसरो पर दोषारोपण, क्रोध, या अभिमानपूर्वक डींग मारने, दूसरे को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए बोले जाने वाले शब्दों में अतिशयोक्ति—बढ़ा-बड़ा कर कहने की वृत्ति—आ जाती है, इसलिए ये सब असत्य के अन्दर ही गतार्थ हो जाते हैं । हास्य के वश, रोष के वश, लोभ या स्वार्थ के वश मनुष्य न कहने योग्य बात कह जाता है, वह भी असत्य है । इसी प्रकार किसी को बचन देकर बाद में बदल जाना, मुकर जाना, विश्वासघात करना, सत्य को छिपाना, प्रतिज्ञा करके इन्कार कर जाना, आदि सभी असत्य में झुमार हैं । मतलब यह है कि जो बचन सभी प्राणियों के लिए हितकर न हो, जिससे अपने आपका मन भी भय, शोभ आदि मानसिक सक्लेश में पड़े, उसे असत्य समझ लेना चाहिये ।

नीचे हम शास्त्रकार के द्वारा उल्लिखित असत्य के ३० नामों का आशय क्या है ? इसके ये पर्यायवाची शब्द क्यों हैं ? इसका क्रमशः विश्लेषण करते हैं—

अलिय—मिथ्या कथन का नाम अलीक है । मनुष्य क्रोध, लोभ, हास्य, भय, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या आदि के वश झूठ बोल देता है । उसका इन विकारों के अधीन होकर बोलना स्वपर के लिए हितकर नहीं होता । वह दोनों को हानि पहुंचाने वाला होता है । इसलिए 'अलीक' को मृषावाद का भाई कहने में कोई अत्युक्ति नहीं ।

सद्ध—कई बार मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरो के साथ शठता—दुष्टता से भरे वचनों का प्रयोग करता है । वह समझता है कि इस प्रकार के दुर्वचन या धमकी भरे वचन, अथवा डाट-फटकार के वचन से मैं दूसरों पर रौब गाठकर, अपनी धाक जमा कर, या दूसरों को कायल करके अपना मतलब सिद्ध कर लूंगा; मगर उसके वे दुष्टवचन, जिनमें असत्य का जहर मिला होता है, दूसरे को पीडा तो पहुंचाते ही हैं, उसके स्वयं के लिए भी हितकर नहीं होते । इससे भयकर कर्मबन्ध होते हैं । इसलिए शठ या शाठण को असत्य का पर्यायवाची यथार्थ ही कहा है । वास्तव में शठतापूर्ण वचनों से किसी पर स्वाधी प्रभाव नहीं डाला जा सकता और न सुख शान्ति ही प्राप्त की जा सकती है । इससे तो प्रायः वैर विद्वेष की परम्परा ही बढ़ती है ।

कई लोगों का कहना है कि 'शठे शठ्यं समाचरेत्' इस नीति के अनुसार ससार में चलने वाला सुखी रहता है । परन्तु यह नीति धर्मलक्ष्मी सच्ची नीति नहीं है । किसी ने शठता की, उसे के बदले में यदि दूसरा भी शठता करता है तो उससे समस्या का वास्तविक हल नहीं होता । बल्कि कई बार तो समस्या उलझ

जाती हैं और बैर, द्वेष, छल, दुष्टता और हिंसात्मक सघर्ष की परम्परा बढ़ती जाती है। अतः इस दुर्नीति के बदले 'शठे सत्य समाचरेत्' वाली सुनीति को अपनाना ही श्रेयस्कर है।

अथर्षा—असत्य वस्तुतः अनार्य कर्म है ; आर्यकर्म नहीं। अनार्य लोग प्रायः अपना व्यवहार घोसा, छल, फरेब, धायाजाल, बे-ईमानी, ठगी, चकमा आदि के सहारे चलाते हैं, वे सत्य को पास ही नहीं फटकने देते। असत्य ही उन्हें जन्मघुट्टी में मिला होता है ; असत्य पर ही उनका भरोसा, श्रद्धा, बल, दारोमदार, आधार या विश्वास होता है। रातदिन असत्य का ही चिन्तन और अभ्यास उन्हें अनार्य बना देता है। आर्यत्व के संस्कार उन्हें मिल ही नहीं पाते। इसलिए अनार्यों द्वारा आचरित होने के कारण अथवा अनार्यों का कर्म होने के कारण असत्य को अनार्य ठीक ही कहा है। आर्य सत्यनिष्ठ और समस्त हेय कार्यों से दूर रहेगा। हिंसा, अमत्य आदि भी हेय कार्य हैं, इसलिए अनार्य व्यक्ति ही सत्य को दबा कर असत्य का आचरण करने का दुःसाहस करता है।

मायाबोझो—माया और मृषा (झूठ) दोनों जब घुलमिल जाते हैं, तब उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। फिर 'एक तो करेला, फिर नीम का चढा' इस कहावत के अनुसार असत्य बहुत ही जोरशोर से फलता-फूलता है। खुल्लमखुल्ला असत्य बोलने की अपेक्षा उस पर सत्य का मुलम्मा चढा कर कपट और दम्भ से युक्त असत्य बोलना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मायाचार (दम्भ, दिखावे) के साथ असत्य भाषण भी व्यक्ति तब ही करता है, जब दूसरों को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखने का इरादा होता है, अथवा अपनी निन्दनीय वासना पूरी करने की लालसा होती है। कई लोग अपने स्वार्थ या लोभ में अंधे होकर व्यापार के क्षेत्र में ऐसा किया करते हैं। ग्राहक जब उनसे पूछता है कि इसके दाम आप अधिक तो नहीं बता रहे हैं ? तब वह प्रायः जवाब देता है—“ज्यादा ले सो छोरा-छोरी खाय, ज्यादा ले सो गाय खाय।” इस कथन से ग्राहक तो यह समझता है कि दूकानदार कसम खाकर कह रहा है कि 'जो ज्यादा ले वह गौ को खाय या लड़के-लड़की को खाय।' परन्तु बात कुछ और ही होती है। वह यह 'कि छोरा-छोरी खाय या गाय खाय', यानी गाय के खाते में या लड़के-लड़की के खाते में जमा किए जाते हैं। वे गाय या लड़के-लड़की के लिए खर्च किये जाते हैं। यह है कपटसहित मिथ्यावचन का रूप। कई विवाह सम्बन्ध कराने वाले दलाल भी ऐसा कपटमिश्रित झूठ का प्रयोग किया करते हैं। एक दलाल लड़की वाले के यहाँ एक ८० साल के बूढ़े का रिश्ता (सगाई सम्बन्ध) तय करने गया तो वहाँ उससे पूछा—लड़का कितने साल का है, जिसकी सगाई तुम मेरी कन्या के साथ करना चाहते हो ? तब उसने उत्तर दिया—'उगणीसा, बीसा, बीसा, इनकीसा-एसी एसी

के हैं। यानी '१६-२०—२०-२१' ऐसा-ऐसा कहते हैं। 'कन्या के पिता ने सोचा-लड़की के लिए २०-२१ साल का जबान बर मिलता है तो सगाई तय कर ली जाय।' उसने दलाल से कहा—'हमारी लड़की के साथ उस लड़के का रिस्ता पक्का। लो ये रुपये भेंट के।' यों कहकर उन्होंने दलाल को काफी रुपये दिये। इधर बूढ़े बरराज से भी उसने काफी रुपये ऐंटे ही थे। विवाह में फेरों के समय जब बूढ़े बरराज घोड़ी पर बैठ कर दुल्हे बनकर आए तो कन्यापक्ष के लोग आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कानाफूसी करने लगे—'यह बर तो ८० साल का बूढ़ा है। क्या इसी के साथ लड़की का रिस्ता तय हुआ है?' सयोगवश धूर्त दलाल भी वही आया हुआ था। उससे लड़की के पिता ने पूछा—'अरे! तुम तो लड़का २०-२१ साल का बता रहे थे, यह तो ८० साल से कम का नहीं जँचता। क्या बात है?' तब उसने रहस्य खोला 'कि मैंने जो कहा था, उन्हें जोड़कर देखलो, मैंने कुछ झूठ बोला है क्या! १६-२०-२० और २१ चारो मिलकर सख्या पूरी ८० होती है। इसीलिए मैंने अन्त में कहा भी था कि एसी एसी के हैं। यानी ८०-८० कहते हैं।' कन्या के पिता ने दलाल को खूब डाटा फटकारा, पर अब क्या हो सकता था? आखिर वह रो-धो कर रह गए और लड़की बूढ़े के साथ ब्याहनी पड़ी। यह था मायापूर्वक मूषा वचन का प्रयोग! यह कोरे असत्य से भी कई गुना अधिक खतरनाक होता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऊपर से वैराग्य की बाते करके, सन्यास या साधु के वेष का डोल दिखाकर लोगों को त्याग की ओट में खूब फसा लेते हैं। मधुर और शास्त्रीय वचनों का वे ऐसा जाल रचते हैं कि आगन्तुक आकर्षित होकर उनके चगुल में फस ही जाता है। और जो कुछ भी द्रव्य होता है, वह उन्हें दे बैठता है। यह है मायासहित वचनचातुरी, जो असत्य को भी मात कर देती है। इसलिए मायामूषा को असत्य की दादी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

असत्क—असत् यानी अविद्यमान वस्तु का प्रतिपादन विद्यमान के रूप में करना असत्क कहलाता है, अथवा अप्रशस्त का बखान करना भी असत्क कहलाता है। क्योंकि असत् शब्द के दो अर्थ हैं—अविद्यमान और अप्रशस्त। जो चीज विद्यमान न हो उसे विद्यमान बतलाना तो मिथ्यावचन है ही, खराब वस्तु की बढाचढा कर तारीफ करना भी असत्यमिश्रित कथन होने से असत्यवचन ही है। वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य कई बार स्वार्थवश या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिहाज से अपनी स्थिति को वैसी न होते हुए भी बढाचढा कर बताता है अथवा किसी में कोई गुण न होने पर भी उसमें उस गुण का अस्तित्व बतलाता है, यह सरासर झूठ है। कई बफा दूकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिहाज से वह वस्तु

खराब हो, तो भी उसकी खूब तारीफ करके ग्राहक के गले मड देता है। यह भी असत्य और बे-ईमानी का ही एक प्रकार है।

कूटकवचमवस्थु—इस पद में तीन शब्द हैं, उनको मिला कर एक पद कर दिया गया है—कूट, कपट और अबस्तु। दूसरो को ठगने के लिए हीनाधिक कहना कूटवचन है, वचन का विपर्यसि-विपरीतता कर देना यानी आशय को बदल देना कपट है। किसी ने किसी से कहा कि मुझे फला दिन तुमने ५०) रु. देने को कहा था, तब वह कहे कि 'मैंने कब कहा था ? मैंने तो फला चीज के बदले में ५०) रु. देने को कहा था।' इस प्रकार वचन को या कहने के आशय को रद्दोबदल कर देना कपट कहलाता है। इसी तरह जिस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसका प्रतिपादन करना अबस्तु कथन है। जैसे कोई कहे कि—'उस बध्यापुत्र से मैं कल मिला था।' बन्ध्या के पुत्र होता ही नहीं, तब उससे मिलना तो दूर रहा। इस प्रकार अस्तित्व-हीन वस्तु का कथन करना अबस्तु है। शास्त्रकार ने इन तीनों वचनों में थोड़ा-बहुत अन्तर होने के कारण तीनों को सम्मिलित करके एक नाम से असत्य के पर्यायवाची शब्द के रूप में गिनाया है।

वर्तमान राजनीति और समाज एव राष्ट्र की नीति बहुत दूषित हो गई है। वह धर्मलक्षी नीति न रहकर कूटनीति बन गई है। यही कारण है कि राष्ट्र-राष्ट्र में, राष्ट्रीय सरकार और जनता में, समाज और उसके सदस्यों में परस्पर अविश्वास, आशका, आशान्ति बढ़ती जा रही है। कूटनीति के कारण न उसके आचरण करने वाले को ही शान्ति मिलती है और न जनता को ही। व्यापारिक जगत् में भी वचन देकर बदल जाना, बे-ईमानी, मिलावट और धोखाधड़ी करना आम बात हो गई है। इसीलिए कूट, कपट और अबस्तु को शास्त्रकार ने असत्य की कोटि में बताया है।

मगर एक बात निश्चित है कि कोई व्यक्ति चाहे जितनी कूटनीति को अपना ले, एक न एक दिन उसकी कलाई खुले बिना नहीं रहती। चाहे वह व्यापारी हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, और चाहे वह भ्रष्टाचारी नेता ही क्यों न हो, अधिक दिन तक कोई भी व्यक्ति जनता, समाज या राष्ट्र की आँखों में धूल नहीं झाँक सकता। जब उसकी कूटनीति की पोल खुलनी है तो वह ऐसे गिर जाता है, जैसे आसमान से कोई चीज गिरी हो। वह जनता की नजरो में गिर जाता है, समाज और परिवार में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है; वह कहीं का भी नहीं रहता। लाभ से कई गुनी हानि उसे उठानी पड़ती है, मानसिक परेशानी होती है, मो असग।

आजकल कई धर्मसम्प्रदाय के लोग भी अपना मतलब मिद्ध करने के लिए

मास्त्रवचनो का उलटफेर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुस्मृति में एक श्लोक आता है—

‘न मांसभक्षणं दोषो न च मद्ये न च मैथुने ।
प्रवृत्तिरेवा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥

इसका अर्थ अनाचारी लोग ऐसा करते हैं—‘मांस भक्षण में, मद्यपान में और मैथुन सेवन में कोई दोष नहीं है। यह तो जीवों की प्रवृत्ति है। इससे निवृत्ति करना-त्याग करना, महाफलदायी है।’

भला, यह सोचिए कि जिसके सेवन करने में कोई पाप नहीं, उसके त्याग करने में कौन-सा महाफल होगा ? जब इनको पापकार्य ही नहीं माना है, तो इनका त्याग करने से कौन-से पुण्यफल की प्राप्ति होगी ? यह तो हुवा वचन का विपर्यास ! अब देखिए इस श्लोक का उसी सम्प्रदाय के धर्मात्मा पापभीरु लोगों द्वारा किया गया सिद्धान्तानुकूल वास्तविक अर्थ—

वे ‘न मांसभक्षणं दोषः’ ऐसा वास्तविक पाठ मान कर अर्थ करते हैं कि ‘मांसभक्षण करने में दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं, अवश्य ही दोष है। इसी प्रकार मद्यपान और मैथुन में भी जरूर दोष है। मगर खुदजीवों की ऐसी प्रवृत्ति है। इनसे निवृत्त होना ही महाफलदायक है।’ निष्कर्ष यह है कि वचनविपर्यास करने से वह असत्य एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसकी परम्परा समाज, राष्ट्र और उस सम्प्रदाय में हजारों वर्षों तक चलती रहती है।

इसी प्रकार भगवद् गीता में एक वाक्य आता है—‘मद्याजी मा नमस्कुह ।’ उसका वास्तविक अर्थ तो होता है—‘मेरा पुजारी बनकर मुझे नमस्कार कर ।’ परन्तु शराबी, कबाबी लोग अपने मतलब के लिए उसमें उलटफेर करके—‘मद्य + आजी = मद्याजी’—इस प्रकार विपरीत पदच्छेद करके अर्थ करने लगे—‘मद्य पीकर, बकरे की बलि देकर मुझे नमस्कार करो ।’

इस प्रकार करना आत्मवचना तो है ही, सारी समाज को उसी असत्य की राह पर ले जाने वाला भयकर कुकृत्य भी है।

अवास्तविक बातों का प्रतिपादन करना भी अवस्तु नामक असत्य है। कई लोगों को यह आदत होती है कि वे बातों के ऐसे पुछल्ले बाधेगे या हवाई किले बनाएंगे, जिनका कोई अतापता नहीं होता। ऐसी बेसिरपैर की बे-नुनियाद बातें असत्य की ही कोटि में आती हैं।

निरर्थक्यमवस्थाय—निरर्थक और अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करना भी असत्य है। निष्प्रयोजन बडबडाने या बातों के गुब्बारे छोड़ने से कोई मतलब हल नहीं होता। कई बार ऐसी बेमतलब की बातों से आपस में झगड़े और सिरफुटीबल

भी हो जाते हैं; ऐसे बातूनी लोगो मे कभी-कभी परस्पर तू-तूमें-मैं भी हो जाती है और वाक्युद्ध का अखाड़ा जम जाता है। कई बार निरर्थक बकझक और चछचछ करने से क्रोधादि कथायों और वैर व द्वेष की परम्परा बढ जाती है। कामकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा, क्रूर राजनैतिककथा, एव राष्ट्रीय कानून की कथा भी अर्थहीन, वासना-बद्धक, कलहकारक एव पापोत्तेजक बन जाती है। निरर्थक बातो मे अधिकतर अति-शयोक्तिरूप असत्य का मिश्रण होने से यह भी असत्य की ही कोटि मे है। इसी प्रकार वे वचन, जिनका अर्थ सुनने वाले के समझ मे न आए या सुनने वाला एक के बदले दूसरा अर्थ समझ ले, अपार्थक वचन हैं, और असत्य है।

विद्वेसगरहृणिकञ्ज—विद्वेष का कारण होने से निन्दनीय या परनिन्दाकारी वचन भी असत्य माना गया है। क्योंकि मन मे किसी के प्रति विद्वेष होने के कारण व्यक्ति को बोलने का भान नहीं रहता, वह आवेश मे आकर अटसट बक देता है जिसके प्रति उसके मन मे द्वेष है, उसके लिए यद्वातद्वा बोलने अथवा उसमे अविद्यमान दुर्गुणों को प्रगट करने लगता है। यह असत्य का ही एक प्रकार है। लोकनिन्दनीय बातो का उप-देश देना भी असत् होने से असत्य है। जैसे शावतमम्प्रदाय के तत्रग्रन्थ मे बताया गया है—‘मातृयोनिं परित्यज्य विहरत् सर्वयोनिषु’ (‘माता की योनि छोडकर सभी स्त्रियो के साथ रमण करे।’) ऐसी लोकनिन्दनीय, धर्मविरुद्ध और शास्त्रनिन्द्य बातें घोर असत्य की पोषक है।

अणुञ्जक—बक (सरलता रहित) बोलना या किसी बात को टेढेमेढे घुमाकर कहना, जिससे सुनने वाले उसकी असलियत को न समझ सके। प्राय धोखेवाज या ठग लोग बात को घुमा फिराकर ऐसे ढग से कहते है, जिससे सुनने वाले आदमी के मन पर उसकी सचाई की छाप पड जाती है और इस तरह बात ही बात मे वह लोगो को चकमा देकर पलायन हो जाता है। कई लोग दुगुना मोना बना देने या दुगुने नोट बना देने की बात कहकर लोगो को सासे मे डालने के लिए पहले थोडा-सा अधिक सोना उसके दिये हुए सोने के साथ रखकर उसके हृदय मे विश्वास जमा देते है, फिर जब वह लोभ मे आकर अधिक सोना बन जाने की धुन मे अपने सोने के सब गहने उनके पास ले आता है तो वे कोई-न-कोई बहाना बनाकर वह मोना लेकर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं। यह वक्रतापूर्वक बोलने का नतीजा है। यह भयकर असत्य है, इसलिए इसे असत्य का पर्यायवाची बताया गया है।

कक्कणा—मायामय या पापमय वचन कल्कना है। कल्कना इसलिए असत्य की बहन है कि इसमे वचन के साथ माया, छल या कपट मिने रहते हैं। अथवा इसके साथ पापकारक कर्मों के सावद्य उपदेश का पुट रहता है। इसलिए ये दोनों ही प्रकार

के कल्कनामय वचन असत्यरूप हैं। जितने भी पापजनक या मायाचारपूर्वक वचन हैं, वे सबके सब असत्य की कोटि में आते हैं।

बंचना—ठगई के वचन बोलना या दूसरों को ठगने की दृष्टि से वचन बोलना, वंचना है। वंचना इसलिए असत्य का अंग बन जाती है कि दूसरो को ठगने के लिए कहे गए वचनो मे काफी असत्य का अंश मिला रहता है। और ठगे जाने वाले को बाद में उन वचनो से अत्यन्त पीडा होती है, मन मे सख्त चोट लगती है। कई लोग ऐसी बोगस कंपनी या फर्म सजाकर बैठ जाते है कि जहाँ माल बिलकुल नही होता, केवल खाली डिब्बे या टीन सजाए हुए पड़े रहते हैं। आने वाले व्यापारी के साथ वे कंपनी के आफिसर ऐसे ढग से बातें करते हैं कि “आप इतनी रकम जमा करा दीजिए, हम आपको अमुक जगह का ‘सोल एजेंट’ बना देते हैं, आपको माल बेचने के पीछे इतना कमीशन मिलता रहेगा।” बेचारा व्यापारी उनके चक्कर मे आ कर रुपये दे बैता है। परन्तु बाद में न माल व्यापारी के पास पहुचता है और न पत्र ही। व्यापारी घबडा कर जब वापिस बहाँ आता है, तब तक तो वह कंपनी ही वहाँ से गायब हो जाती है। इस प्रकार झूठे वादे, झूठे आश्वासन या झूठे प्रलोभन देकर या सब्जबाग दिखाकर किसी को अपनी ठगी का शिकार बनाना वंचना है, जो सरासर असत्य है। वंचनामय वचन बोलने वाला स्वयं तो अपनी आत्म-वंचना कर ही लेता है, दूसरे चाहे उसके वचनो से वंचित हो, या न हो।

मिथ्यापच्छाकडं—मिथ्या रूप होने से न्यायवादियों द्वारा पीछे किया हुआ—छोडा हुआ वचन ‘मिथ्या पश्चात्कृत’ वचन कहलाता है। यह असत्य का अंग इसलिए माना गया है कि इसमे अधिकतर वाग्जाल मे फसाने की ही प्रक्रिया होती है, वाणी से ऐसे सब्जबाग दिखाये जाते हैं कि मामने वाला आदमी उसकी बात को सच्ची मानकर फस जाता है, लेकिन बाद मे जब नजदीक आता है तो उसकी बात के अनुसार कुछ नही पाता है, इससे निराश होकर वापिस लौट जाता है। जैसे रेगिस्तान मे प्यासे हिरन को दूर से पानी का सरोवर भरा हुआ दिखता है, लेकिन पास मे जाने पर उसे केवल सूखी रेत ही मिलती है। इससे वह निराश होकर वापिस लौट जाता है, वैसे ही वाणी के द्वारा सब्जबाग दिखाने वालो या आश्वासन वचनों से आसमानी किले बाधने वालो के पास आने वाले लोगो को हताश होकर वापिस लौट जाना पड़ता है। यह भी एक प्रकार की धोखा घडी है, जिसमे असत्य का बाहुल्य होता है। इस प्रकार के अमन्य मे मिथ्याभाषण तो होता ही है, दूसरों को निराशा होने से पीछे लौट जाने की पीडाकारी प्रतिक्रिया भी होती है; जिससे इसकी भयंकरता बढ़ जाती है।

इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी के बारे में उसके पीछे झूठमूठ

ही उसके अवगुणों का कथन करना। यानी किसी की पीठ पीछे से झूठी निन्दा करना या चुगली करना मिथ्यापश्चात्कृत है। कई लोगों की यह आदत होती है कि वे सामने तो अपना काम निकालने के लिए 'हा, जी हाँ' करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे, किन्तु उसके चले जाने या सामने से ओझल हो जाने पर उसकी भरोपेट निन्दा करेंगे, उसके अवगुणों का झूठ-मूठ ही ढिंढोरा पीटते फिरेंगे। यह आदत असत्यवादिता को बढ़ावा देने वाली है। इसलिए 'मिथ्या पश्चात्कृत' को असत्य का भाई मानना अनुचित नहीं होगा।

साती—अविश्वास पैदा करने वाला वचन साती कहलाता है। असत्य स्वयमेव अविश्वास पैदा करने वाला होता है। असत्य से परस्पर समाज, जाति, परिवार और राष्ट्र में बहुत जल्दी अविश्वास पैदा हो जाता है; जो दो हृदयों को परस्पर जोड़ने के बजाय तोड़ देता है। विश्वास का उच्छेद करने का कारण होने से 'साती' असत्य का ही एक रूप है।

उच्छन्न—अपने दोषों और दूसरों के गुणों को ढकने के लिए आच्छादनरूप वचनप्रयोग उच्छन्न है। जहाँ-जहाँ गुप्तता है, छिपावना है, वहाँ-वहाँ असत्य है। मनुष्य उसी चीज को छिपाता है, जो लोकनिन्द्य, शास्त्रनिषिद्ध और अनाचरणीय बात या व्यवहार हो। अथवा द्वेषवश भी दूसरों के गुणों पर पर्दा डाल देता है, उन्हें यथार्थरूप से प्रगट नहीं करता है। वह सोचता है, कि अगर अमुक व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करूँगा तो लोगों में उसकी ख्याति व प्रभाव फैलेगा, उसकी प्रशंसा और प्रमिद्धि होगी। इस तेजोद्वेष के वश वह किसी भी गुणी के गुणों को व्यक्त नहीं करता, यह अन्याय है, जो पाप रूप है। वाम्तव में 'प्रकटं पुण्यं प्रच्छन्नं पापम्' इस न्याय के अनुसार जो भी कपट के वश प्रच्छन्न-गुप्त रखा जाता है, वह पाप है। इसलिए उच्छन्न वचन भी पापरूप होने के कारण असत्यमय है और असत्य का साथी है।

इसके बदले किसी-किसी प्रति में 'उच्छ्रुत्' शब्द मिलता है, उसका अर्थ है—सूत्रविरोध प्ररूपण करना। शास्त्र या सिद्धान्त के आशय के विरुद्ध अपनी ही स्वच्छन्द कल्पना से या स्वार्थभावना से प्रेरित होकर किसी बात का प्रतिपादन करना उत्सूत्र-वचन कहलाता है, जो असत्य के बहुत ही निकट है। उत्सूत्रप्ररूपण असत्य के निकट इसलिए होता है कि उसे सत्य के नाम से चलाया जाता है, सिद्धान्त या सूत्र के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है।

उक्कूल—नदी जब तक दो कूलों (तटों) की सीमा के अन्दर बहती है, तब तक वह स्वयं भी शान्त रहती है, और जगत् के प्राणियों को भी सुखशान्ति और जीवन प्रदान करती है, परन्तु जब वह दोनों तटों की सीमा को लाधकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब प्रलय मचा देती है, वृक्ष, पौधे आदि को उखाड़ फेंकती है,

मनुष्यों में हाहाकार मचा देती है। इसी प्रकार मनुष्य की बाणी भी जब-तक सत्य और न्याय की तट-मर्यादाओं में होकर बहती है, तब तक वह संसार के लिए जीवनदायिनी बनी रहती है, परन्तु जब वह मर्यादाओं को लांघ कर सीमा तोड़ देती है, तब स्वपर के लिए हानिकारक और परपीडादायिनी बन जाती है। इसीलिए उत्कूल वचन वे हैं जो सत्य और न्याय की मर्यादाओं से हटकर स्वच्छन्दता और असत्यता का रूप धारण कर लेते हैं। उत्कूल वचन असत्य का साथी इसलिए कहलाता है, कि यह मनुष्य को नीति, न्याय, धर्म और सत्य से भ्रष्ट करने वाला है। चञ्चलचित्त पुरुष ही ऐसे उत्कूलवचनों का सहारा लेते हैं। घोर पुरुष तो कितनी ही विपत्ति क्यों न आए, न्यायमार्ग से भ्रष्ट करने वाले उद्गार नहीं निकालते।

अट्ट—जब मनुष्य किसी गहरी चिन्ता में डूबा हुआ होता है, किसी आफत से घिरा हुआ होता है, किसी इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से पीड़ित होता है अथवा किसी वैयक्तिक सुख की तीव्र लालसा से प्रेरित होकर उसे पाने के लिए रातदिन तडफता रहता है, तब उसके मुख से निकलने वाले वचन प्रायः असत्यरूप होते हैं। क्योंकि इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, पीडाचिन्तन और निदान प्राप्ति-लालसा इन चारों प्रकार के आर्त्तध्यानों में निमग्न व्यक्ति को वास्तविकता का उस समय भान ही नहीं रहता। वह शोक और दुःख में अपने स्वभाव से हट जाता है। यही कारण है कि आर्त्त वचन सत्य से विकल होने के कारण असत्य के ही साथी हैं।

अभ्यस्त्याय—दूसरो पर मिथ्या दोषारोपण करना अभ्याख्यान नामक असत्य है। अभ्याख्यान असत्य यो है कि अभ्याख्यान के समय व्यक्ति द्वेषवश होता है और जो दोष दूसरो में नहीं है, उन्हें अपनी कल्पना से लगा कर झूठमूठ उसे लाञ्छित करता है। किसी पर झूठा कलक लगाते समय व्यक्ति पहले उसके बारे में कोई छानबीन नहीं करता, बिना ही विचार किये उस पर आरोप लगा देता है। इससे दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, लोगों में वह बदनाम हो जाता है। आम जनता की नजरों में वह गिर जाता है। स्वाभिमानी मनुष्य तो इस मिथ्यापवाद से लाञ्छित और अप्रतिष्ठित होकर तिलमिलाने लगता है। कई बार तो वह इसके सयमे के कारण आत्महत्या तक कर बैठता है। इसलिए अभ्याख्यान में असत्य का जहर होने के कारण नरहत्या का भयकर पाप भी संभव है। इस कारण अभ्याख्यान भी असत्य का दाहिना हाथ है।

किल्बिस्त—किल्बिष यानी पाप का हेतु होने से इसे किल्बिष भी कहा गया है। पहले कहा जा चुका है कि असत्य अनेक पापों का जनक है। असत्य के साथ क्रोध, अभिमान, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह, हिंसा आदि भयंकर पाप भी जुड़े हुए हैं। एक असत्य को छिपाने के लिए असत्यवादी अनेक असत्यों का, हिंसादि

भयंकर पापों का आश्रय लेता है। इसलिए नि संदेह कहा जा सकता है कि असत्य किल्बिष—पापों की वृद्धि में निमित्त है। इसलिए इसे भी असत्य का पर्यायवाची बताया गया है। किल्बिष अपराध को भी कहते हैं। असत्य अपने साथ हिंसा, क्रोध, राग-द्वेष, कलह, लोभ आदि अनेक अपराधों को ले आता है। वैसे असत्य भी स्वयं आप में एक अपराध है किन्तु वह दूसरे अपराधों का कारण होने से उसे किल्बिष कहा गया है। किल्बिष रोग को भी कहते हैं। आत्मा के साथ अनादिकाल से राग-द्वेष, कर्म आदि रोग लगे हुए हैं, उनका कारण होने से भी असत्य को किल्बिष कहा गया है।

बलय—कगन या कडे को बलय कहते हैं। वह जैसे गोल होता है, वैसे ही गोलमोल वचन बोलना, असली बात को छिपाने के लिए कपटपूर्वक गोलमोल बात कहना, बलय नामक असत्य है। बलय असत्य का साथी इसलिए माना गया है कि इसमें जैसी बात होती है या जैसी बात देखी-सुनी या की है, वैसे ही उनी रूप में नहीं कही जाती, वह घुमा फिरा कर मायापूर्वक छिपा कर दूसरे रूप में बनाई जाती है। सत्य सरल और स्पष्ट होता है, उसमें छिपाव, दुराव या बनावट, दिखावट नहीं होती, जबकि बलयवचन में ये सब होती हैं। इसलिए वनयवचन असत्य का ही साथी है।

गहणं—जिसके अन्तिम परिणाम की थाह न लग सके, उसे गहन नामक असत्य कहते हैं। वचन का प्रयोग अपनी बात दूसरों को स्पष्ट और मरल रूप से समझाने के लिए होता है। यदि वचन प्रयोग से अपनी बात का दूसरों को स्पष्ट बोध न हो तो वह सत्य नहीं कहलाता। गूढ वचन बोलने से या द्व्यर्थक वचन बोलने से सुनने वाला उसे स्पष्ट न समझ सकने के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार कई बार गलत अर्थ लगा लेता है, जिसे विस्बाद बढ़ जाता है। गलतफहमी के कारण कई बार तो भयंकर झगड़े भी होते देखे जाते हैं। गहन, गूढ, सदिग्ध या द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग असत्य का कारण इसलिए भी है कि उससे दूसरों का अहित ही अधिक होता है, मानसिक सबलेश और अशान्ति भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाभारत के समय - द्रोणाचार्य के साहस को तोड़ने के लिए 'अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो वा' ऐसे द्व्यर्थक शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समझ गए, और उनका साहस टूट गया, वे पुत्रशोक में विह्वल होकर लडना छोड़ बैठे, फलत मारे गए। प्रायः कपटी लोग ही दूसरों को भ्रम में डालने या गलतफहमी के शिकार बनाने के लिए ऐसे गहन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं।

मम्मथं—अस्पष्ट रूप से किसी बात को कहना मन्मथ नाम का असत्य है। किसी बात को स्पष्ट न कहने के कारण कई बार सुनने वाले उसका आशय नहीं

समझ पाते या विपरीत समझ लेते हैं। जानबूझ कर अस्पष्ट कहना हृदय की कालिमा को प्रगट करना है। स्वच्छ हृदय वाले अपने मन की बात साफ-साफ कह दिया करते हैं। सत्य स्वच्छ और स्पष्ट होता है, जबकि असत्य अस्वच्छ और अस्पष्ट। इसलिए मन्मनरूप अस्पष्ट वचन भी असत्य के ही अन्तर्गत है।

हाँ, जिनको स्वाभाविक रूप से बौखलाने, तुतलाने की आदत है, जिनका उच्चारण स्वाभाविक ही अस्पष्ट है, उनके द्वारा बोला गया अस्पष्ट वचन असत्य नहीं समझना चाहिए। माया, वक्रता आदि से जिनका अन्तःकरण कलुषित है, उन्हीं का 'हूँ हूँ', 'ऊँ ऊँ' या 'ना ना' इत्यादि रूप में कहा हुआ अस्पष्ट वचन ही असत्य समझना चाहिए।

नूम—यथार्थ बात को आच्छादन करने वाला वचन 'नूम' नामक असत्य है। असली बात पर पर्दा डाल कर लोगों को अंधेरे में रखना, धोखा देना, किसी चीज पर ढकना लगा कर बद कर देने की तरह किसी बात को माया का ढकना लगाकर हृदय में बद कर देना भी एक प्रकार का छल है। इसलिए इसे भी असत्य का साथी बताया गया है।

जैसे किसी चीज को डाट या ढक्कन लगाकर किसी पात्र में बद करके रख देने से वह चीज अदर ही अदर सड़ जाती है, उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं, इसी प्रकार किसी मक्की बात को भी कपट वृत्ति से मन में बंद करके रख देने से वह अदर ही अदर गदी होने लगती है, उसकी दुर्गन्ध बाहर फैलने लगती है, उसमें क्रोध, द्वेष, अभिमान आदि के कीड़े कुलबुलाने लगते हैं।

पाप छिपाये ना छिपे, छिपें तो भोटा भाग।

दाबी दूबी ना रहे, रई लपेटी आग ॥

इस कहावत के अनुसार बात आखिर फूटे बिना नहीं रहती। और जब वह फूटती है तो उसे छिपाने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गौरव, यश, और आजतक की हुई सेवा या उपार्जित कीर्ति सब धूल में मिल जाती है। इसलिए सच्ची बात को कपट से छिपाकर रखना नूम नामक भयकर असत्य है। कषायों की तीव्रता होती है, तभी मनुष्य ऐसा दुष्कृत्य करता है।

निययी—दूसरो को वंचित करने (धोखा देने) की दृष्टि से जो वचन बोला जाना है, उसे निकृति नामक अमत्य कहते हैं। दूसरे के हित का उच्छेद करने वाला या दूसरे की जीविका या अन्य किसी आर्थिक हित, ज्ञानवृद्धि, सदाचार आदि आत्मिकहित का विध्वंस करने वाला वचन भी निकृति कहलाता है। अथवा अपने आर्थिक या अन्य किसी निहित स्वार्थ की अभिलाषा से परवंचना करना—दूसरों को धोखा देना आदि को भी निकृति कह सकते हैं। जिस वचन में परवंचना, परहित का

उच्छेद, दूसरो के कल्याण का नाम निहित है, वह वचन असत्य है। इसलिए निकृति को भी असत्य की सहचारिणी बताया गया है।

अपञ्चओ—अप्रतीतिजनक वचन अप्रत्यय नामक असत्य कहलाता है। किसी के वचन के प्रति अप्रतीति तब होती है, जब पहले कई बार कहे हुए वचनो का पालन उसने न किया हो। एक बार जब किसी के वचनो पर लोगो को अप्रतीति या अविश्वास हो जाता है तो सहसा उसके वचनो पर पुन प्रतीति नहीं होती, विश्वास नहीं जमता, चाहे वह हजार कसमे क्यों न म्भाए। वह प्रतीति तो उसके अपने कहे हुए वचन के या वादे के अनुसार कर दिखाने से ही होती है। असत्य अपने-आप मे भी अप्रतीति का जनक है। ऐसे अप्रतीतिजनक वचन से हानि यह होती है कि एक व्यक्ति के वचन के प्रति हुई अप्रतीति, अन्य सत्यवादी सज्जनों के वचनो के प्रति भी जनता की अप्रतीति का कारण बनती है। इसलिए अप्रत्यय वचन को असत्य का सहोदर कहना अनुचित नहीं है। अप्रतीतिजनक वचन का प्रयोग करने वाले के वचन चाहे कितने ही मधुर, प्रिय और आश्वासनदायक हों, आकाशकुसुम की तरह निरर्थक हैं।

असमओ—जो वचन मदाचार से रहित हो, अथवा सिद्धान्त से विरुद्ध हो, उसे 'असमय' नामक असत्य कहते हैं। समय सदाचार और सिद्धान्त को भी कहते हैं। जिन वचनो मे सदाचार का पुट न हो और जो सिद्धान्त के अनुकूल न हो, वे चाहे जितनी लच्छेदार, प्राञ्जल एव वजनदार भाषा मे ही क्यों न कहे गए हो, चाहे जिनने विद्वन्ता-पूर्ण भी क्यों न हो, वे प्राणियो के अहित के पोषक होने मे असत्य से युक्त हैं, इसलिए असमय वचन को असत्य वचन का साथी कहना समीचीन है। मदाचारयुक्त या सिद्धान्तानुकूल वचन यदि थोड़े से, या टूटे फूटे शब्दो मे भी कहा जाता है तो उसका असर श्रोताओ पर जादू-सा होता है, वह विरोधियो के हृदय को भी छू लेता है, दुराचारियो और पापियो के हृदय को भी झकझोर कर बदल देना है, किन्तु अनाचारपोषक, पापोत्तजक या सिद्धान्तविरुद्ध अन्याययुक्त वचन लच्छेदार और व्यवस्थित रूप से कहा जाने पर भी श्रोताओ के हृदय पर उचित प्रभाव नहीं डाल पाता; विरोधियो को बदल नहीं सकता।

अथवा 'असमओ' पाठान्तर का संस्कृत मे असम्मत रूप होता है। जिसका अर्थ होता है, जो धर्माचार से या शिष्टपुरुषो द्वारा असम्मत वचन हो। शिष्टजन धर्ममर्यादाओं या धर्माचार से पुट वाले वचन कहते हैं। जो उपदेश या वचन धर्ममर्यादाओ या सम्यक् आचार से विपरीत हो, वह असत्य का पोषक है। अतः असत्य का पोषक होने से 'असम्मत' वचन को भी असत्य भाषण के समान बताया गया है।

असञ्चसंघसर्ण—सधा अभिप्राय या प्रतिज्ञा को कहते हैं, कही-कही सधा का

अर्थ मेल भी किया जाता है। अतः 'असत्यसधत्व' शब्द का अर्थ हुआ—जिस वचन में असत्य अभिप्राय निहित हो, अथवा जो असत्य प्रतिज्ञा से युक्त वचन हो, या असत्य से मेल खाता हुआ वचन हो। जिस वचनप्रयोग के पीछे अभिप्राय मलल हो, वह वचन जनहितकर न होने के कारण असत्य है। कई व्यक्ति खराब दृष्टिकोण से किसी के प्रति व्यंग्य या ताने के रूप में वचनप्रयोग करना भी परपीडाजनक होने से असत्य में ही शुमार है। जैसे किसी व्यभिचारी से कहना कि 'आइए, महात्मन् !' किसी अपकारी से या किसी सेठ से अपना मतलब गाठने के लिए चापलूसी या खशामद भरे मीठे वचन बोलना भी असत्यसधत्व है। क्योंकि किसी की चापलूसी करते समय उम व्यक्ति में जो गुण नहीं हैं, उनको भी बड़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। जैसे कई भाट या कवि लोग राजाओं की विरुदावलियाँ या यशोगाथाएँ गाते समय पुरस्कार पाने के लालच से कहते थे— आप इन्द्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, आप सूर्य के दूसरे अवतार हैं, आदि। ऐसी चाटुकारी करते समय व्यक्ति स्वार्थ या लोभ में आकर उसके वास्तविक गुणों-अवगुणों का विचार नहीं करता, इसलिए ऐसे वचन या विपरीत दृष्टिकोण से कहे गए वचन असत्यगर्भित होने से असत्य ही हैं। इसी प्रकार असत्य से सम्बन्धित या मेल खाने वाले वचन कहना भी असत्यसधत्व है। क्योंकि ऐसे वचनों में सत्य नहीं होता, केवल सत्य का आभास होता है। इसलिए ऐसे सत्याभासी वचन भी असत्यसधत्व में आ जाते हैं। इसी तरह असत्य प्रतिज्ञा लेना भी अमत्य सधत्व है। कई दफा व्यक्ति आवेश में आकर प्रतिज्ञा तो ले बैठता है, किन्तु उसका पालन नहीं करता। अथवा प्रतिज्ञा भी लेता है तो केवल दिखावे के लिए या झूठे आश्वासन देने के लिए। उसका पालन नहीं करता या उस पर हठ नहीं रहता। बात-बात में तोड़ बैठता है। कई लोग सकल्प करते हैं, लेकिन जरा-सा कोई दबाव पड़ा या लोभ आया, अथवा स्वार्थ में मुँह खोला, भय अथवा आफत ने घेरा डाला कि संकल्प से हट गए, तोड़ डाला सकल्प को। इसी प्रकार किसी को कोई वचन देकर उसका पालन न करना भी असत्यसधत्व है। ये सब प्रकार अमत्य में गतार्थ हो जाते हैं, इसीलिए असत्य के ही साथी हैं।

विषयवस्तु—जो वचन सत्य और सिद्धान्त का या धर्म और पुण्य का विपक्ष है—विरोधी है, वह विपक्ष नामक असत्य है। सिद्धान्त और सत्य के विरुद्ध वचन भी वास्तव में असत्य रूप हैं। इसलिए विपक्ष में असत्य का आश्रय होने से वह भी असत्य का अनुचर ही है। जैसे कई नास्तिक लोग कह देते हैं कि 'स्वर्ग नरक नहीं हैं, ये सब कोरी कपोलकल्पनाएँ हैं।' यह वचन सत्य और सिद्धान्त से विपरीत होने से विपक्ष असत्य है। इसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्त को छोड़कर सिर्फ

एकान्त दृष्टि से कथन करना भी विपक्ष असत्य है। जैसे किसी ने कह दिया— 'दान मत करो। क्योंकि दान पुण्यवर्द्धक है और पुण्य सर्वथा हेय है, उसे छोड़े बिना मोक्ष नहीं होगा।' इस वचन में पुण्य एवं दान का सर्वथा निषेध ऐकान्तिक है, अनेकान्त सिद्धान्त का विरोधी है, सत्य का विपक्षी है। इसलिए यह विपक्ष वचन असत्यरूप है। आत्मा में तीन परिणतियाँ (भाव या परिणाम) होती हैं—शुद्ध, शुभ और अशुभ। शुद्ध परिणति तब होती है, जब आत्मा आत्मस्वरूप के ही मन-चिन्तन-ध्यान में तल्लीन रहता है। जब आत्मा परोपकार, दान, हितोपदेश आदि शुभ कार्यों में लगा रहता है तब शुभ परिणति होती है, और जब आत्मा आर्त-रौद्रध्यान में तथा इन्द्रिय-विषयो में मग्न रहता है तब अशुभपरिणति होती है। जब तक आत्मा में शुद्ध बीतराग परिणति न हो, तब तक शुभ परिणति में उसे स्थिर रखना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा वह शुद्ध में जायगा नहीं, शुभ में रोक रहे हो, तब अशुभ परिणति के सिवाय कहा जाएगा? इसलिए दान-पुण्य आदि का सर्वथा ऐकान्तिक निषेध कर देना, विपक्ष नामक असत्य वचन है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को लक्ष्य में रखकर वचन बोलना सत्य है। जहाँ दोनों में से एक के प्रति भी लक्ष्य न रखा जाय या सिर्फ एक को लेकर ही कथन किया जाय, वहाँ एकान्त पक्ष का आश्रय होने से विपक्ष नामक असत्य है।

अवहीयं या उवहीयं—दुर्बुद्धि रखकर वचन बोलना अपधीक नामक असत्य है। दुर्बुद्धि रखकर किसी वचन को कहने से वक्ता की दुर्बुद्धि का पता चल जाता है। दुर्बुद्धिपूर्वक वचन बोलना दूसरे के लिए हितकर नहीं होता, इसलिए वह असत्यरूप होता है। इसी कारण अपधीक नामक वचन को असत्य में बताया है। अथवा उपधीक रूप भी है, जिसका अर्थ होता है—उपधि यानी माया का आधारभूत जो वचन हो। मायापूर्वक वचन बोलने से सुनने वाले को उस पर अविश्वास, शका और असद् भाव पैदा होने हैं। किसी-किसी प्रति में 'आणाइय' पाठ भी मिलता है। जिसका अर्थ होता है—बीतराग जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला वचन कहना 'आज्ञातिग' नामक असत्य है। बीतराग की आज्ञा जिन कार्यों को करने की है, उनका उल्लंघन करना, शास्त्रीय बातों का मनमाना सिद्धान्त-विरुद्ध अर्थ करना, एक तरह से असत्य रूप होने से 'आज्ञातिग' को भी असत्य का साथी माना गया है।

उवहि असुद्ध—उपधि यानी माया से असुद्ध कथन उपध्यशुद्ध कहलाता है। छल कपट करके शब्द और अर्थ दोनों ही असुद्ध बोलना असत्यरूप होने से उपध्यशुद्ध वचन को भी असत्य का सहचारी मान लिया है। असुद्ध शब्द प्रयुक्त होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और असुद्ध अर्थ कहना तो स्पष्ट रूप से हानिकारक है ही।

अवलोपो—विद्यमान वस्तु को लोपरूप-अभाव रूप में कथन करना अवलोप

नामक असत्य है। अथवा शास्त्र में निरूपित किसी वस्तु का सर्वथा अपलाप करना भी अवलोप है। यह भी भयकर असत्य है। सामान्य रूप से असत्य बोलने की अपेक्षा सैदान्तिक असत्य ज्यादा भयकर होता है। क्योंकि उससे अनन्तकाल तक संसार के जन्ममरण के चक्र में घूमना होता है। शास्त्र की यदि कोई बात समझ में न आती हो तो 'तत्त्वं केवलिगम्यं' कहकर उसे छोड़ देना चाहिए। मगर शास्त्रविहित वस्तु का सर्वथा लोप या निषेध कर देना, यह असत्य की कोटि में माना जाएगा।

अणेशास्त्र--इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से असत्य के ३० नामों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है। साथ ही 'अणेशास्त्र' शब्द से यह भी स्पष्ट अभिव्यक्त कर दिया है कि असत्य के इस प्रकार के और भी अनेक नाम हो सकते हैं, और वे हैं भी।

असत्यवादी कौन और किस प्रयोजन से ?

इस तरह नाम द्वारा मे असत्य के ३० नामों का स्पष्ट उल्लेख कर देने के बाद अब शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि असत्य कौन-कौन बोलते हैं और किस प्रयोजन से व किस प्रकार से बोलते हैं ?

मूलपाठ

तं च पुण वदन्ति केइ अलियं पावा, असंजया, अविरया,
कवड-कुटिल-कडुय-चडुलभावा, कुद्धा, लुद्धा, भया य,हस्सट्टिया य,
सक्खी, चोरा, चारभडा, खंडरक्खा,जियजूयकारा य, गहियगहणा,
कक्क-गुरुगकारगा, कुलिगी, उवहिया, वाणियगा य, कूडतुलकूड-
माणो, कूडकाहावणोपजोविया, पडगारका, कलाया, कारुइज्जा,
वंचणपरा, चारिय-चाट्टयार-नगरगोत्तिय-परियारगा, दुट्टुवायि-
सूयक - अणबल - भणिया य, पुव्वकालियवयणदच्छा, साहसिका,
लहुस्सगा, असच्चा, गारविया, असच्चट्टावणाहिवित्ता, उच्चच्छंदा,
अणिग्गहा, अणियता, छंदेशेण मुक्कवाया भवन्ति, अलियाहि जे
अविरया ।

अवरे नत्थिकवाइणो वामलोकवादी भणन्ति-सुण्णं ति, नत्थि
जोवो, न जाइ इह परे वा लोए, न य किंचिवि फुसति
पुन्नपावं, नत्थि फलं सुकयदुक्कयाणं, पंचमहाभूतियं सरीरं भासन्ति
ह ! वातजोगजुत्तं। पंच य खंधे भणन्ति केई, मणं च मणजीविका
वदन्ति, वा उजीवोत्ति एवमाहंशु, सरीरं सादियं सनिघणं इहभवे

एगे भवे तस्स विप्पणासंमि सव्वनासोत्ति एवं जंपंति मुसावादी । तम्हा दाणवयपोसहाणं तवसंजमबंभचेरकल्लाणमाइयाणं नत्थि फलं, नवि य पाणवहे अलियवयरां, न चेव चोरिवककररां, परदारसैवरां वा, सपरिग्गहपावकम्मकररां पि नत्थि किच्चि, न नेरइयतिरियमणुयाण जोणी, न देवलोको वा अत्थि, न य अत्थि सिद्धिगमणं, अम्मापियरो नत्थि, नवि अत्थि पुरिसकारो, पच्च-क्खाणमवि नत्थि, नवि अत्थि कालमच्चू य, अरिहंता चक्कवट्टी बलदेवा वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि केइ रिसओ, धम्माधम्मफलं च नवि अत्थि किच्चि बहुयं च थोवगं वा, तम्हा एवं विजाणिरुण जहा सुबहु इंदियाणुकूले सव्वविसएसु वट्टह, नत्थि काइ किरिया वा अकिरिया वा, एवं भरांति नत्थिकवादिणो वामलोगवादी ।

इमं पि वितियं कुदंसणं असव्भाववाइणो पण्णवेत्ति मूढा-संभूतो अंडकाओ लोगो सयंभुणा सयं च निम्मिओ, एवं एयं अलियं (पयंपंति) पयावइणा इस्सरेण य कयं ति केइ, एवं विण्हु-मयं कसिणमेव य जगं (ति) केई, एवमेके वदंति मोसं-एगो आया अकारको (अ) वेदको य सुकयस्स दुक्कयस्स य करराणि कारराणि सव्वहा सव्वहिं च निच्चो य निक्किओ निग्गुणो य अणुवलेवओ (अन्नो लेवउ) त्ति वि य एवमाहंमु असव्भावं, जंपि इहं किच्चि जीवलोके दीसइ सुकयं वा दुकयं वा एयं जदिच्छाए वा सहावेण वावि दइवतप्पभावओ वावि भवति, न (त) त्थेथ (थं) किच्चि कयकं तत्तं लक्खणविहाणं नियती (ए) कारि (यं) या, एवं केइ जंपंति इड्डिरससायगारवपरा, बहुवे (धम्म) करणालसा परूवेत्ति धम्म-विमंसएण मासं, अवरे अहम्मओ रायदुट्टं अभक्खाणं भणंति अलियं-चोरोत्ति अचोरयं करेतं, डामरिउ त्ति वि य एमेव उदासीणं, दुस्सोलोत्ति य परदारं गच्छति त्ति मइलिति सीलकलियं अयं पि

गुरुतप्पओ, अण्णे एमेव भणंति उवाहरांता मित्तकलत्ताइं सेवन्ति, अयं पि लुत्तधम्मो, इमो वि विस्संभघायओ पावकम्मकारी अकम्मकारी अगम्मगामो, अयं दुरप्पा बहुएसु य पावगेसु जुत्तो त्ति एवं जंपंति मच्छरी, भद्दके वा गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा, एवं ते अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेडेति । अक्खतियबोएण अप्पाणं कम्मबंधणेण, मुहरी असमिक्खियप्पलावी निक्खेवे अवहरंति, परस्स अत्थंमि गढियगिद्धा अभिजुंजंति य परं असंतएहिं, लुद्धा य करेति कूडसक्खित्तणं, असच्चा अत्थालियं च कन्नालियं च भोमालियं च तह गवालियं च गरुयं भणंति अहरगतिगमणं । अन्नंपि य जातिरूवकुलसीलपच्चयं मायाणिपु (गु) णं, चवलपिसुणं परमट्ठभेदकमसंतकं विद्देसमणत्थकारकं, पावकम्ममूलं दुद्धिट्ठं दुस्सुयं अमुणियं णिल्लज्जं लोकगरहणिज्जं वहंबंधपरिकिलेसबहुलं, जरामरणदुक्खसोयनिम्मं (नेमं), असुद्धपरिणामसंकिलिट्ठं भणंति, अलियाहिसंधिसंनिविट्ठा असंतगुणुदीरका य संतगुणनासका य हिसाभूतोवघातितं अलियसंपउत्ता वयरां सावज्जमकुसलं साहुगरहणिज्जं अधम्मजणरां भणंति अणभिगयपुन्नपावा । पुणो य अहिकरणकिरियापवत्तका बहुविहं अणत्थं अवमद्दं अप्पणो परस्स य करेति । एमेव जंपमाणा महिससूकरे य साहिति घायगाणां, ससयपसय-रोहिए य साहिति वागुराणां, तित्तिरवट्टकलावके य कविजल-कवोयके य साहिति साउणीरां, झसमगरकच्छभे य साहिति मच्छियारां, संखंके खुल्लए य साहिति मगराणां, अयगरगोणसमंडलिदब्बीकरे मउली य साहिति वालवीणं (वायलियारां), गोहासेहगसल्लगसरडगे य साहिति लुद्धगाणां, गयकुलवानरकुले या साहिति पासियाणां, सुकबरहिणभयणसालकोइलहंसकुले सारसे य साहिति पोसगाणां, वधबंधजायरां च साहिति गोम्मियारां, धणधन्नगवेलए य साहिति तक्कराणां, गामागरनगर-

पट्टणे य साहिति चारियागं, पारघाइयपंथघातियाओ साहिति य गंठिभेयागं, कयं च चोरियं नगरगोत्तियाणं, लंछण-निल्लंछण-धमण-दुहण-पोसण-वणण-दुमणवाहणादियाइं साहिति बहूणि गोमियाणं, धातुमणिसिलप्पवालरयणागरे य साहिति आगरीणं, पुप्फविहि फलविहि च साहिति मालियाणं, अग्घमहुकोसए य साहिति वणचराणं, जंताइं विसाइं मूलकम्मं आहेवण (आहिक्वण)-आविधण-आभिओग-मंतोसहिप्पओगे चोरियपरदारगमणबहुपाव-कम्मकरणं उक्खंघे गामघातियाओ वणदहण-तलागभेयगाणि बुद्धिविसविणासणाणि वसीकरणमादियाइं भयमरणकिलेसदोसजण-णाणि भावबहुसंकिलिट्टमलिणाणि भूतघातोवघातियाइं (असच्चाइं) ताइं हिंसकाइं वयणाइं उदाहरंति । पुट्टा वा अपुट्टा वा परतत्तिय-वावडा य असमिक्खिय भासिणो उवदिसंति सहसा उट्टा गोणा गवया दमंतु, परिणयवया अस्सा हस्थी गवेलगकुक्कडा य किज्जंतु, किणावेध य विक्केह पयह य सयणस्स देह पिय (ध) य, दासि-दासभयकभाइल्लका य सिस्सा य पेसकजणो कम्मकरा य (किकरा) यए सयणपरिजणो य कीस अच्छंति । भारिया भे करित्तु (करेतु) कम्मं, गहणाइं वणाइं खेत्तखिलभूमिवल्लराइ उत्तणघणसंकडाइं डज्जंतु, सूडिज्जंतु य रुक्खा, भिज्जंतु जंतभंडाइयस्स उवहिस्स कार-णाए, बहुविहस्स य अट्टाए उच्छू दुज्जंतु, पीलिज्जंतु य तिला, पयावेह य इट्टकाउ मम घरट्टयाए, खेताइं कसह कसावेह य, लहुं गाम-आगर नगर खेडग कब्बडे निवेसेह, अडवीदेसेसु विपुलसोमे पुप्फा-णि य फलाणि य कंदमूलाइं कालउत्ताइ गेण्हेह, करेह संचयं परि-जणट्टयाए, साली वीही जवा य लुच्चंतु मलिज्जंतु उप्पणिज्जंतु य लहु च पविसंतु य कोट्टागारं, अप्पमहउक्कोसगा य हंमंतु पोय-सत्था सेणा णिज्जाउ, जाउ डमरं, घोरा वट्टंतु य संगामा, पवहंतु य सगडवाहणाइं, उवणयणं चोलगं विवाहो जन्नो अमुगम्मि उ होउ

दिवसेसु करणेषु मुहुत्सेसु नक्खत्सेसु तिहिमु य, अज्ज होउ ण्हवणं मुदितं बहुखज्जपिज्जकलियं कोतुकं विण्हावणकं, संतिकम्माणि कुणह ससिरविगहोवरागविसमेसु सज्जणपरियणस्स य नियकस्स य जीवियस्स परिरक्खणट्टयाए पडिसोसकाइं च देह, देह य सीसो-वहारे विविहोसहिमज्जमंसभक्खन्नपाणमल्लाणुलेवणपईवजलि-उज्जलसुगंधिधूवावकारपुप्फफलसमिद्धे पायच्छित्ते करेह, पाणा-इवायकरणेणं बहुविहेणं विवरीउप्पाय-दुस्सुमिण-पावसउण-असो-मग्गहचरिय-अमंगलनिमित्तपडिघायहेउं वित्तिच्छेयं करेह, मा देह किंचि दाण, सुट्ठु हओ सुट्ठु हओ, सुट्ठु छिन्नो भिन्नत्ति उवदिसंता एवविहं करेति-अलियं मणेण वायाए कम्मुणा य अकुसला अणज्जा अलियाणा अलियधम्मणिरया, अलियासु कहासु अभिरमंता, तुट्ठा अलियं करेत्तु होति य बहुप्पयारं ॥ सू० ७ ॥

संस्कृत-छाया

तं च पुनर्वदन्ति केचिदलिकं पापा असंयता अविरताः कपट-कुटिल-कटुक-चटुलभावाः क्रुद्धा लुब्धा भयाच्च हास्यार्थिकाश्च साक्षिणश्चौराश्चार-भटाः क्षण्ड (शुल्क) रक्षा जितछूतकाराश्च गृहीत-ग्रहणाः कल्कगुरुककारकाः कुलिगिन और्षाधका वाणिजकाः कूटतुलकूटमानिनः कूटकार्षापणोपजीविनः पटकारकाः कलावाः कारकीयाः बञ्चनपराश्चारिव-चाटुकार-नगरगुप्तिक-परिवारका दुष्टवाविसूचकर्णबलभणितारश्च, पूर्वकालिकबचनबधाः, साहसिका, लघुस्वका असत्या गौरविका असत्यस्थापनाधिचिता उच्च-च्छन्दा अनिग्रहा अनियताश्छन्देन मुक्तवाचो भवन्ति, अलीकाव् ये अविरता ।

अपरे नास्तिकवादिनो वामलोकवादिनो भणन्ति - शून्यमिति, नास्ति जोबो, न यातीह परे वा लोके, न किञ्चिदपि स्पृशति पुष्य-पापं, नास्ति फलं सुकृतदुष्कृतानां, पंचमहाभूतिकं शरीरं भाषन्ते ह वात-योगयुक्तम् । पञ्च च स्कन्धान् भणन्ति केचित्, मनश्च मनोजीविका वदन्ति, वायुर्जीव इत्येवमाहुः । शरीरं सादिकं सनिधनं इह भव एको भवः तस्य विप्र-णाशे सर्वनाश इति, एवं जल्पन्ति मृषावादिनः । तस्माद्दानव्रतपौषधानां तपः-संयमब्रह्मचर्यकल्याणादिकानां नास्ति फलं, नाऽपि प्राणवधोऽलोकवचनं, न

चैव चौर्यकरणं परदारसेवनं वा, सपरिग्रहपापकर्मकरणमपि नास्ति, न नैरयिकतिर्यङ्मनुजानां योनिः, न देवलोको वाऽस्ति, न चाऽस्ति सिद्धिगमनम् अम्बापितरौ न स्तः, नाऽप्यस्ति पुरुषकारः, प्रत्याख्यानमपि नास्ति, नाऽप्यस्ति कालमृत्युश्चार्हन्तश्चक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा न संति, नैव सन्ति केऽपि श्रुषयो, धर्माधर्मफलं च नाऽप्यस्ति किञ्चिद् बहुकं च स्तोत्रं वा । तस्माद्देवं विज्ञाय यथा सुबहु इन्द्रियानुकूलेषु सर्वविषयेषु वर्तध्वम्, नास्ति काचिद् क्रिया वाऽक्रिया वा, एवं भणन्ति नास्तिकवादिनो वामलोकवादिनः ।

इदमपि द्वितीय कुदर्शनमसद्भाववादिनः प्रज्ञापयन्ति मूढाः संभूतोऽण्डकाल्लोकः स्वयम्भुवा स्वयं च निर्मितः, एवमेतदलीकं प्रजल्पन्ति प्रजापतिनेश्वरेण च कृतमिति केचित्, एवं विष्णुमयं (विष्णुकृत) कृत्स्नमेव च जगदिति केचित्; एवमेके वदन्ति मूर्षा—एक आत्मा अकारकोऽवेदकश्च सुकृतस्य दुष्कृतस्य च करणानि कारणानि सर्वथा सर्वैः (सर्वत्र) च नित्यश्च निष्क्रियो निर्गुणश्चानुलेपक इत्यपि चैवमाहुरसद्भावम्, यवपीह किञ्चिज्जीवलोके दृश्यते सुकृतं वा दुष्कृतं वा एतद् यदृच्छया वा स्वभावेन वाऽपि देवतप्रभावतो वाऽपि भवति, तत्रैत्थं (नास्त्यत्र) किञ्चित्कृतकं तत्त्वं लक्षण-विधानं नियतिः कारिका, नियत्या कारितम्, एवं केचिज्जल्पन्ति श्रद्धिरससात-गौरवपर। बहवः धर्मकरणालसाः प्ररूपयन्ति धर्माधर्मशंकेन मूषा । अपरेऽधर्म-तो राजदुष्टमभ्याख्यानं भणन्ति—अलिकं, चौर इति अचौर्यं कुर्वन्त, डामरिक इत्यपि चैवमेवोदासीन, दुःशील इति च परदारं गच्छतीति मलिनयन्ति शील-कलितमयमपि गुरुतल्पगः, अन्य एवमेव भणन्त्युपधनन्तो मित्रकलत्राणि सेवन्ते, अयमपि लुप्तधर्मः, अयमपि विश्वम्भघातक पापकर्मकारी अकर्मकारी अगम्य-गामी, अयं दुरात्मा बहुभिः पापकर्मयुक्त इत्येवं जल्पन्ति मत्सरिण, भद्रके वा गुणकीर्तिस्नेहपरलोकनिष्पिपासा । एवं ते अलिकवचनदक्षा. परदोषोत्पादन-प्रसक्ता वेष्टयन्ति, अअतिकबोजेन आत्मानं कर्मबन्धनेन मुह्यारय असमीकित-प्रलापिनो निक्षेपानपहरन्ति, परस्वार्थे ग्रथितगूढा अभियुञ्जते च परमसत्कैः, सुबवाश्च कुर्वन्ति कूटसाक्षित्वं, असत्या अर्थालीकं च कन्यालीकं च भूम्यलीकं च गवालीकं च गुरुकं भणन्त्यधरगतिगमन, अन्यदपि च जातिरूपकुलशील-प्रत्यय मायानिपुणं (निर्गुणं) चपलपिशुनं परमार्थभदकमसत्कं विद्वेध्यमनर्थ-कारकं पापकर्ममूलं दुर्दृष्टं दुःश्रुतमज्ञानं निर्लज्जं लोकगहंणीयं बध्मबन्धपरि-वलेशबहुलं जरामरणदुःखशोकनिम्ब (नेम) मशुद्धपरिणामसकिलष्टं भणन्ति,

अलीकामिसंघिसंनिविष्टा असव्गुणोधीरकाश्च सव्गुणनासकाश्च हिंसाभूतो-
पघातिकं संप्रयुक्तालीका वचनं सावद्यमकुशलं साधुगर्हणीयमधर्मजननं मणन्ति
अनभिगतपुण्यपापाः, पुनश्चाधिकरणकियाप्रवर्त्तका बहुविधमनर्थमपमर्दमात्मन
परस्य च कुर्वन्ति, एवमेव जल्पन्तो महिषान् शूकरांश्च साधयन्ति घातकानाम्,
शशकप्रशकरोहितांश्च साधयन्ति बागुराणां, तित्तिरवत्कलावकांश्च कपिञ्जल-
कपोतकांश्च साधयन्ति शाकुनिकानां, श्लथमकरकच्छपांश्च साधयन्ति मात्स्य-
कानां, शंखकान् (शंखांकान्) क्षुल्लकांश्च साधयन्ति मकराणां (मार्गिणां),
अजगर-भोनस-मण्डलि-वर्षाकरान् मुकुलिनश्च साधयन्ति (व्यालपिनां) व्याल-
पानां, गोधा-सेहक-शल्यक-शरटकांश्च साधयन्ति लुब्धकानां, गजकुलवानर-
कुलानि च साधयन्ति पाशिकानां, शुक-बर्हिण-मदनशाल-कोकिल-हसकुलानि
सारसांश्च साधयन्ति पोषकानां, वधबन्धयातनं च साधयन्ति गौल्मिकानां,
घनधान्यगवेण् कांश्च साधयन्ति तस्कराणां, ग्रामाकरनगरपत्तनानि साधयन्ति
चारिकाणां, पारघातिक-पथिघातिकांश्च साधयन्ति प्रन्थिभेदानां, कृतां च
चौरिकां नगरगुप्तिकानां, साञ्छन-निर्लाञ्छन-ध्मान-दोहन-पोषण-वञ्चन-
दुबन-बाहनादिकानि साधयन्ति बहूनि गोमतां (गोमिकानां), धातुमणिशिला
(मणशिला) प्रवाल-रत्नाकरांश्च साधयन्ति आकरिणां, पुष्पविधिं फलविधिं च
साधयन्ति मालिकानां, अर्धमधुकोशकांश्च साधयन्ति वनचराणां, यंत्राणि
विधांनि मूलकर्माऽक्षेपण (आहित्य) (आवेधन) आभियोग्यमत्रौषधिप्रयो-
गान् चौरिकापरदारगमनबहुपापकर्मकरणमवस्कन्धा ग्रामघातिका वनवहन-
तडागभेदनानि वृद्धाविषय-विनाशनानि वशीकरणादिकानि भयनरणक्लेश-
द्वेषजननानि भावबहुसकिलष्टमलिनानि भूतघातोपघातकानि, स्त्यान्यपि
तानि हिसर्कानि वचनान्युदाहृन्ति पृष्ठा वा अपृष्ठा वा परतुप्तिव्यापृताश्च
असमाक्षतभाषिण उपदिशन्ति—उष्ट्रा गोणा गवया दम्पन्ताम्, परिणतवयसो
अश्वः हस्तिनो गवेलक-कुक्कटाश्च क्रापयन्तां, क्रापयेत च विक्रीणीर्ध्वं, पचत
च स्वजनाय, वत्त पिबत, वासां-दास-भूतक-भागिनश्च शिष्याश्च प्रेक्षकजनः
कर्मकराश्च किकराश्चन्ते स्वजनपरिजनश्च कस्मादासते, भार्याश्च भवतः
कुर्वन्तु कर्म, गहनानि वनानि क्षेत्रखिलभूमिवल्लराणि उत्तूणघनसंकटानि
वह्यन्तां, सूचन्ताञ्च वृक्षा, भिद्यन्ता यंत्रभाण्डावकल्पोपधेः कारणाय बहुविध-
स्याथाय, ईक्षवो वृयन्तां, पांड्यन्ताञ्च तिलाः, पाचयत च ईष्टका मम गृहार्थं,
क्षेत्राणि कुषत कषयत च, लघु ग्रामाकरनगरखेटककर्वदारानि निवेशयत, अटवी-

देशेषु विपुलसीमानि पुष्पाणि च फलानि कंदमूलानि कालप्राप्तानि गृह्णीत, कुस्त सञ्चयं परिजनार्थं, शालयो ब्रीहयो यवाश्च लूयन्तां, मल्यन्तामुत्पूयन्तां च, लघु च प्रविशन्तु च कोष्ठामारं, अल्पमहोत्कृष्टकाश्च हन्यतां पोतसार्थाः, सेना निर्यातु यातु डमरं, घोरा वर्तन्तु चसंग्रामाः, प्रवहन्तु च शकटवाहनानि, उपनयनं चोलकं विवाहो यज्ञोऽमुकेषु च भवतु विवसेषु करणेषु मुहूर्तेषु नक्षत्रेषु तिथिषु च, अद्य भवतु स्नपनं मुदितं बहुस्नाद्यपेयकलितं कौतुकं विस्नापकं शान्तिकर्माणि कुस्त शशिरविग्रहोपरागविषमेषु । स्वजनपरिजनस्य च निजकस्य च जीवितस्य परिरक्षणार्थाय प्रतिशीर्षकाणि च वत्त, वत्त च शीर्षोपहारान् विविधौषधिमद्यमांसभक्ष्यान्नपानमाल्यानुलेपनप्रदीपज्वलितोज्ज्वलसुगन्धिघ्नूपापकारपुष्पफलसमृद्धान्, प्रायश्चित्तानि कुस्त प्राणातिपातकरणेन बहुविधेन विपरीतोत्पातदुःस्वप्न-पापशकुनासौम्यग्रहचरितामंगलनिमित्त-प्रतिघातहेतुं, वृत्तिच्छेदं कुस्त, मा वत्त किञ्चिद्दानं, 'सुष्ठु हतः सुष्ठु हतः' सुष्ठु छिन्नो भिन्न इति, उपविशन्त एवंविधं कुर्वन्ति-अलीकं मनसा वाचा कर्मणा च अकुशला अनार्या अलीकाज्ञा अलीकधर्मनिरता अलीकासु कथासु अभिरम-माणास्तुष्टा अलीकं कृत्वा भवन्ति च बहुप्रकारम् ॥ (सू० ७)

पदार्थान्वय—(पुण च) और (जे) जो (केइ) कई (पावा) पापी (असंजया) असंयत, (अविरया) अविरत, पापकर्मों का त्याग न करने वाले, अतरहित, (कवड-कुडिलकडुयचडुलभावा) कपट, कुटिल, कटक और चंचल भाव वाले, (कुडा) क्रोधी, (लुडा) सोभी (भया य) भय के कारण (हस्सट्टिया) हास्य के लिए (य) और (सक्की) सामी-गवाही देने वाले, (चोरा) चोर, (चार-भडा) गुप्तचर और भट-योद्धा, (खण्ड-रक्खा) चूंगी के कर्मचारी या जकात अथवा कर वसूल करने वाले, (य) और (जियजूयकारा) हारे हुए जुआरी, (गहियगहणा) गिरवी रखने वाले (कक्कगुहगकारगा) मायापूर्वक अत्यन्त बढ़ाचढ़ा कर बोलने वाले, (कुलिंगी) मिथ्यामत वाले वेवधारी (य) और (उबहिया) मायाचारी (वाणियगा) वाणिज्य-व्यवसाय करने वाले, (कडुलकूडभाणी) झूठा तौलने और झूठा नापने वाले, (कडकाहावणोवजीवी) छोटे सिक्कों से आजीविका चलाने वाले, (पडगारा) जुलाहे, (कलाया) सुनार, (कारुडज्जा) कपड़े पर छापने वाले छीपे, बड़ई, दर्जों आदि कारीगर, (बंधणपरा) ठगई करने वाले, (चारिय चाडुयार नगर गोत्तिय परिवारगा) हेराफेरी करने वाले, खुशामदखोर (चापलूस), कोटवाल और व्यभिचारी (य) तथा (डुट्टुवायि सूयक-अणबल भणिया) झूठे का पक्ष लेने वाले या अपशब्द व गाली बकने वाले, चुगलखोर और बलपूर्वक

कर्म लेने वाले तथा 'हमें द्रव्य दो', इस प्रकार बोलने वाले, (पुण्यकालियव्ययवच्छा) किसी के कहने से पहले ही उसके अभिप्राय को जानने में कुशल, (साहसिका) बिना बिचारे एकदम कह देने वाले, (सहस्सगा) तुच्छ आत्माएँ, (असच्छा) सञ्जनों के लिए अहितकारक, (असद्भाषणाहिचिन्ता) असत्य अर्थों की स्थापना में बसचित्त, (उच्चछंदा) अपने को बड़ा मानने वाले, (अणिग्गहा) स्वच्छन्दाचारी, किसी के अनुशासन में न चलने वाले, (अणियता) नियमनिष्ठा से रहित - अव्यवस्थित, (छंघेण मुषकवाया) हम ही सिद्धवादी हैं, इस तरह की मनमानी बातें कहने वाले, अथवा मनमाना वचन-प्रयोग करने वाले, ये सब (अलियाहि अवरिया) असत्यवचन से अचिरतजन (तं) उस पूर्वोक्त (अनियं) असत्य को (वदंति) बोलते हैं। (अवरे) दूसरे (नत्थि-कवाइपो) नास्तिकवादी (वामलोकवादी) लोक के स्वरूप का विपरीत कथन करने वाले (भणंति) कहते हैं कि जगत् शून्य है ; (नत्थि जीवो) जीव-आत्मा नहीं है, (न जाइ इह परेवा लोए) इस (मनुष्य) लोक में अथवा पर (देवावि) लोक में (जीव) नहीं जाता, (य) और वह (न) न (किञ्चि वि) जरा भी, (पुण्यपावं) पुण्य और पाप को (कुसइ) छूटा-बाधता है, (नत्थि फलं सुकयवुक्कयाणं) सुकृत (पुण्य) और दुष्कृत (पाप) का सुख-दुःख-रूप फल भी नहीं है, (सरीरं पंचमहाभूतियं भासंति ह वातजोगलुर) प्राणवायु के योग से सब क्रिया में प्रवृत्ति करने वाले इस शरीर को पंचमहाभूतों से बना हुआ कहते हैं। (य) तथा (केइ) कई (बौद्धमतव-लम्बी) आत्मा को (पंच) पाच (खंधे) स्कन्ध-रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार रूप (भणंति) कहते हैं, (य) और (मणजीविका) मन को ही जीव-आत्मा-मानने वाले, (मणं) पाच स्कन्धों के अलावा एक मन को (वदंति) बताते हैं ; (वाउजीवोत्ति) कोई श्वासोच्छ्वास ही जीव (आत्मा) है, (एवमाहंसु) ऐसा कहते हैं। (य) तथा (सरीरं) शरीर (साविद्यं) आविमान् और (सनिघणं) बिनासयुक्त है ; (इह) यहाँ प्रत्यक्ष (भवे) जन्म ही (एगो भवो) एक ही भव है (तस्स) इस का (विष्यणासंथि) विविध प्रकार से नाश होने पर, (सव्वनासोत्ति) आत्मा का सर्वनाश हो जाता है, (एवं) ऐसा (मुसावादी) असत्यवादी (जंपंति) कहते हैं। क्योंकि शरीर सादि सान्त है, (तम्हा) इसलिए (दाणवयपोसहाणं) दान, व्रतपालन, और पीवध का तथा (तवसंजमबंधवेरकत्लाणमाइयाणं) तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि कत्याणकारी कर्मों का (फलं) फल (नत्थि) नहीं है (य) और (पाणवहे) प्राणवध, (अलियवयणं) असत्य वचन (अवि) भी (न) कोई माने नहीं रखते, अथवा अशुभदायक नहीं हैं, (चोरिककरणं) चोरी करना (य) अथवा (परदारसेवणं) परस्त्री-गमन करना (न एव) कोई चीज ही नहीं है या अशुभफलदायक ही नहीं है ; (सपरिग्गहावकम्मकरणंथि) परिग्रह के सहित और भी जो पापकर्म हैं, वे भी, (नत्थि किञ्चि) कुछ भी नहीं हैं,

अथवा सुख-दुःख के जरा भी साधन नहीं है। (निरद्वय-तिरिच-मन्वुयाचजोषी) नारकों, तिर्यं चों और मनुष्यों की योनियाँ—उत्पत्तिस्थान, (न) नहीं हैं (व) अथवा (न देवलोको अत्थि) न देवलोक ही कोई है (य) और (न) न ही (सिद्धिगमणं) मुक्तिमति (अत्थि) है। (अम्मापियरो) माता-पिता (नत्थि) नहीं होते, (पुरिसकारो वि) पुत्रवार्ध भी, (न अत्थि) कोई शीज नहीं है, (पच्चक्खानमवि) प्रत्याख्यान-स्थाय भी, (नत्थि) नहीं है, (य) और (कालमच्चू) काल (भूतभविष्यावि) तथा मृत्यु भी (न अत्थि) नहीं है। (अरिहंता) अहंन्त देवाधिदेव तीर्थं कर (चक्कयट्ठी) चक्रवर्ती, (बलदेवा) बलदेव तथा (वासुदेवा) वासुदेव नारायण (नत्थि) नहीं है, (केई) कोई (रिसओ) ऋषि-मनि, (नेवत्थि) नहीं हैं। (च) तथा (बहुयं) बहुत (वा) अथवा (षोणं) षोड़ा (किचि) कुछ भी (धम्माधम्मफलमपि) धर्म और अधर्म का फल भी, (नत्थि) नहीं है। (तम्हा) इसलिए (एवं) उक्त प्रकार से वस्तुस्वरूप को, (विजाणि-ऊण) जान कर (अहा) जिस तरह (इं विद्यानुकूलेसु) अपनी इन्द्रियों के अनुकूल, (सच्चविसएसु) सभी विषयों में (सुबहु) अच्छी तरह यथेष्ट (वट्टह) प्रवृत्ति करो। (काइ किरिया) कोई (शुम) क्रियाएँ (वा) अथवा (अकिरिया) निन्द्य क्रियाएँ (नत्थि) नहीं हैं। (एवं) इस प्रकार (वामलोकवादी) लोक के स्वरूप को विपरीत बताने वाले (नत्थिकवादिणो) नास्तिकवादी (भणंति) कहते हैं। (असम्भाववाइणो) असत् वस्तु का निरूपण करने वाले, (मूढा) मूढ लोग (इम) इस आगे कहे जाने वाले (वितियं) दूसरे (कुवसणं) कुवर्शन, मिथ्यामत का (पण्णवेत्ति) प्ररूपण करते हैं कि (सोगो) यह संसार (अडगाओ) अंडे से, (संभूतो) पंचा हुआ है, (च) और (सयंभुणा) ब्रह्मा ने इसे (सयं) स्वयं (निम्मिओ) बनाया है। (एवं) इसी प्रकार (एय) यह आगे कहा जाने वाला (अलियं) असत्य वचन है— (पञ्जावइणा इस्सरेण) प्रजापति ईश्वर ने (कयं ति) संसार रचा है, ऐसा (केइ) कई लोग कहते हैं। (एव) इसी प्रकार (कसिणमेव जगं) सारा जगत् (विण्हुकयं विण्हुमयं) विष्णु द्वारा रचित है अथवा विष्णुमय है, ऐसा (केई) कई लोग कहते हैं। (एवं) इसी प्रकार (एगे) कई लोग (सोसं वदंति) झूठ बोलते हैं कि (एगो आया) आत्मा एक ही है, वही सारे संसार में व्याप्त है। (सांख्यमत वालों का कहना है—) आत्मा (सुकयस्स) पुण्य का (य) और (दुक्कयस्स) पाप का, (अकारको) कर्ता नहीं है, किन्तु (उनके फल का) (वेवको) भोक्ता है, (अथवा) पुण्यपाप के फल का भी अवेवक—भोगने वाला नहीं है। (य) और (करणाणि) इन्द्रियाँ (कारणाणि) उनके कारण (सच्चहा) सर्वथा (सच्चहि) सब देव और सब काल में अलग नहीं हैं (य) तथा (जिच्चो) आत्मा नित्य है, (निक्कियो) निष्किय (क्रियारहित) (निगुणो) निगुण—त्रिगुणातीत (य) और (अणुवलेवोत्तिव य) कर्मों से निलंब भी है, (एवं) इस प्रकार (असम्भावं) असत्य बात को (आहंणु) कहते हैं, (जपि) जो भी (किचि) कुछ (इहं) इस (जीवलोए) मर्त्यलोक में (सुकयं, पुण्य

(वा) अथवा (दुककयं) पाप (दीसइ) दिखाई देता है, (एवं) इस प्रकार की सब चीजें (अदिच्छाए) अपने आप ही यदुच्छा से, (वा) अथवा (सहावेण वि) स्वभाव से भी (वा) अथवा (बहुवतप्पभावओ वि) देव के प्रभाव से भी (भवति) होती है। (एत्थ) इस लोक में (किंवि) कोई (तत्तं) तत्त्व—पदार्थ (कयकं) किसी का किया—बनाया हुआ (नत्थि) नहीं है, (लक्खणविहाणं) वस्तु के लक्षणों और प्रकारों की (कारिया) करने-बनाने-वाली (नियती) नियति-भवितव्यता (होनहार) है। अथवा (नियतीए कारियं) नियति ने ही बनाए हैं—कराए हैं।] (एवं) इस प्रकार (केई) कई (इड्डिरससातगारक्परा) ऋद्धिगौरव रसगौरव और साता गौरव में तत्पर (बहूबे) बहुत से (धम्मकरणात्ता) धर्माचरण करने में आलसी (धम्मविभसएण) धर्मविचार की अपेक्षा से (मोसं) मिथ्या (परुवेत्ति) प्ररूपण करते हैं। (अवरे) दूसरे (अहम्मओ) अधर्म को स्वीकार करके, (रायवुट्टं) शासकविरुद्ध (अलियं अम्मक्खाणं) झूठा दोषारोपण (भणंति) करते हैं, (अचोरयं करेत्तं) चोरी नहीं करने वाले को, (चोरोत्ति) यह चोर है, ऐसा (य) और (एमेव) इसी प्रकार (उदासीणं) प्रपञ्चों से उदासीन, लड़ाई-झगड़ों से दूर तटस्थ व्यक्ति को, (डामरिउ त्ति) यह लड़ाई करने वाला है, ऐसा (य) तथा (सीलकलियं) शीलसम्पन्न परस्त्रीत्यागी को (दुस्सीलोत्ति) दुःशील है, इसलिए (परदारं गच्छति) परस्त्रीगमन करता है, इस तरह, (मइलंति) ब्रूहित करते हैं, बदनाम करते हैं, (अयं) यह (गुरुत्तप्पओ वि) गुरुपत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखने वाला भी है, इस तरह दोष लगाते हैं। (अण्णे) दूसरे लोग (एमेव) यों ही धर्म ही (उवाहणता) उसकी आजीविका, कीर्ति आदि नष्ट करते हुए (भणंति) कहते हैं कि ये (मित्तकलत्ताइं) मित्र की पत्नियों का (सेवति) सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, (अय) यह (नुत्तधम्मो) धर्मसुन्य भी है, (इमो) यह (विस्संभघायओ) विश्वासघाती है, (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाला, (अकम्मकारी) न करने योग्य कामों को करने वाला है, (अगम्मगामी) भगिनी, पुत्री, पुत्रवधू आदि अगम्य के साथ गमन—सहवास करने वाला है (य) और (अयं) यह (दुरप्पा) दुरात्मा (बहुएसु पापेसु) बहुत से पापों से, (नुत्तोत्ति) युक्त है, (एवं) इस प्रकार (मच्छरी) ईप्सालु व्यक्ति (जंपंति) बकते हैं। (भइके) भद्र (भोले) स्वभाव वाले अनुप्य के (गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा) गुण, कीर्ति, स्नेह व परभव को कोई परबाह न करने वाले (ते) वे असत्यवादी (अलियक्कपणवच्छा) असत्य बोलने में चतुर, (परदोसु-प्पायणपत्ता) दूसरों में दोषों को बताने में जुटे (सुहरी) अपने हुए मुख को अपना बुरमन बनाये हुए, (असमिक्खियप्पत्तावा) बिना विचारे सहसा बोल देने वाले (एवं) इस प्रकार से, (अक्खतियवीएण) अक्षयदुःख के बीजरूप कम्मबंधणेण) कर्मबंधन से (अप्पाचं) अपनी आत्मा को, (वेवेत्ति) लपेट लेते हैं—अकड़ लेते हैं। (परस्स अत्थमि)

दूसरे के घन पर (गच्छिपिगिद्धा) गिद्ध की तरह वृष्टि गाए हुए अथवा गड़ाइ गूढ़—
 आसक्त हुए वे (निकलेवे) धरोहर को, (अबहरंति) हड़प लेते हैं, (य) और (परं)
 दूसरे को, (असंतर्पहि) अविद्यमान दोषो से, (अभिबुंजति) झूठा अभियोग—आरोप
 लगा कर दूषित करते हैं । (य) और (सुद्धा) लोभी मनुष्य (कूडसक्वित्तणं) झूठी
 गवाही देने का काम (करंति) करते हैं (च) और (असक्वा) असत्यवादी (अत्थालियं)
 घन के लिए झूठ (च) तथा (कन्नालियं) कन्या के लिए असत्य, (च) तथा (भोमालियं)
 भूमि के लिए असत्य (तह य) और बैसे ही (गवालियं) गौ आदि पशुओं के निमित्त
 असत्य, इस तरह का (अहरगतिगयणं) नीचगति में पहुँचाने वाला (गदअं) बड़ा झूठ
 (भणति) बोलते हैं । (य) तथा (अलियाहिंसंधिनिविद्धा) मिथ्या तद्व्यंज रचने में
 दत्तचित्त (असंतगुणदीरका) असद्गुणों को उत्तेजन देने वाले (य) और (संतगुण-
 नासका) सद्गुणों के नाशक, (अणभिययपुत्रपावा) पुष्य और पाप के स्वरूप से अज्ञात,
 (आलयसंपउत्ता) असत्य में जुटे हुए लोग (अन्न पि) और भी (जातिकुलरूवसोल-
 पञ्चयं) जाति, कुल, रूप, और शील से सम्बन्धित, (मायानिगुण) माया के कारण
 गुणहीन अथवा (मायानिपुणं) माया से निपुण, (चचल पिसुणं) चञ्चलता से युक्त और
 पशुन्यरूप, (परमट्ठभेदकं) परमार्थनाशक, (असतकं) असत्य अर्थ वाले अथवा
 सत्यहीन, (विहेसं) द्वेषरूप—अप्रिय, (अनत्थकारक) अनर्थकारी, (पावकम्ममूल)
 पापकर्म के मूल, (दुविट्ठं) मिथ्यादर्शनयुक्त (दुस्सुय) कानों को सुनने में अप्रिय,
 (अमुणियं) सम्यग्ज्ञान से रहित, (निल्लज्ज) लज्जाहीन, (लोकगरहणिज्ज) लोक में
 निन्द्य, (वधबंधपरिकित्तेसबहुलं) वध, बंधन और संक्लेश—संताप से परिपूर्ण,
 (जरामरणदुक्खसोयनिम्मं) बुढ़ापा, मृत्यु, दुःख और शोक के मूल कारण (असुद्ध-
 परिणाम संकिलिट्ठं) अशुद्ध परिणामों के कारण संक्लेशदायी, (हिंसाभूतोवघातिय)
 हिंसा द्वारा प्राणियों के घात से युक्त, (अकुसल) अशुभ और अनिष्ट, (साहगरहणिज्जं)
 साधुओं द्वारा निन्दनीय, (अधम्मज्जणं) अधर्म के जनक, (सावज्जं) पापयुक्त (वपणं)
 असत्यवचन को (भणति) बोलते हैं । (पुणो य) और पुनः (अधिकरणकिरियापवत्तका)
 शस्त्रों को बनाने और उनके जोड़ने या जुटाने के रूप में अधिकरणक्रिया में प्रवृत्त
 रहने वाले लोग, (बहुच्चिह्) अनेक प्रकार के (अणत्थं) अनर्थ का कारण, जो (अप्पणो)
 अपने (य) और (परस्स) दूसरे का (अवमहं) उपमर्दन-विनाश (करंति) करते हैं ।
 (एमेव) ऐसे ही अज्ञानपूर्वक (अपमाणा) बोलते हुए मूर्ख लोग, (घायमाणं) घात करने
 वाले मनुष्यों—कसाइयों को महिते, भँसों (य) और (सुकरे) सूअरों के सम्बन्ध में
 (साहिंति) प्रतिपादन करते हैं—बतलाते हैं, (य) तथा (बायुरारणं) हिरण आदि
 जानवरों को फँसे में फँसाने वाले पारधियों को (ससयपसयरोहिण्) छरपोश. प्रशय
 और रोहित नामक जंगली पशुओं को (साहिंति) बतलाते हैं । (य) तथा (साउणीणं)
 बाज आदि द्वारा पक्षियों का शिकार करने वाले बहैलियों को (तित्तिरवट्टकलावके)

तोतर, बतक और बटेर पक्षियों व (कविजलकबोयके) कविजलों और ककूतरों को (साहित्य) बतलाते हैं, (य) और (मच्छियाण) मच्छुओं—मच्छीमारों को, (ससमयर-कच्छभे) मच्छली, मगरमच्छ और कछुए (साहित्य) बतलाते हैं (य) और (मगराचं मग्निगं वा) धीबरों या जलचर जन्तुओं को खोजने वालों को (संलंके) संख और अंक नामक मणियां, और (खुल्लए) कौड़ियां (साहित्य) बतलाते हैं (य) तथा (बाल-वीणं वा बालवाण) सपेरों को (अयगरगोणसमंडलिदब्बीकरे) अजगरों, बुमुं ही (सपें), टेड़े चलने वाले मंडली सपों, फण वाले सांपों, (य) और (मंडली) जिनके फण कमल की कली की तरह मिल जाते हैं, ऐसे सपों को (साहित्य) बतलाते हैं, (य) और (सुद्धयाणं) शिकारियों को (गोहा) चन्दन गोह (य) और (सेहगसल्लगसरउने) सेहों, कांटेदार जानवरों संलों, और गिरगिटों को (साहित्य) बतलाते हैं । (य) तथा (पासियाण) फंदे द्वारा पशु पकड़ने वाले पासियों को (गजकुलवानरकुले) हाथियों के झुंड और बंदरो के टोले (साहित्य) बतलाते हैं, (य) और (पोसयाणं) पक्षियों को पालने वालों को (सुकबरहृणमयणसालकोइसहंसकुले) तोतों, मोरों, मैनाओं, कोयलों और हंसों के झुंडों (य) तथा (सारसे) सारसों को (साहित्य) बतलाते हैं । (य) और (गोम्मियाणं) गुप्तिपालकों—बबीबानों या पशुरक्षकों को, (वधबंधजायणं) पीटने, बांधने और पीड़ा देने का (साहित्य) उपदेश देते हैं—अभ्यास करते हैं । (य) और (तक्कराणं) चोरो को (घणघन्नगवेलए) घन, घान्य, गायों, बेलों और भेड़-बकरियों का (साहित्य) पता बतलाते हैं (य) और (चारियाणं) गुप्तचरों, भेदियों या जासूसों को, (गामागरनगरपट्टणे) गाँवों, खानों, नगरों तथा पत्तनों (बड़ी मंडियों) का (साहित्य) भेद बतलाते हैं । (य) और (गंठिभेयाणं) गांठ खोलने वालों या गिरहकटों को, (पारघाइयपंथघाइयाओ) रास्ते के परले सिरे पर व रास्ते के बीच में पथिकों को लूटने की (साहित्य) सूचना देते हैं । (य) तथा (नगरगोस्तियाणं) नगररक्षकों—कोतवालों आदि को, (कयं) की गई (चोरियं) चोरो की (साहित्य) सूचना देते हैं, (य) तथा (गोमियाणं) श्वालों को (लंछणनिर्लंछणधमणहुहणपोसणवणधुमण-वाहणादियाइ) पशुओं के कान आदि काटना या गर्म लोहे आदि से दाग देना, उन्हें लस्सी करना (बधिया बनाना), फूँक लगाना, बुहना, पुष्ट करना, बछड़े को बूत्तरी गाय के साथ लगाना, (बंधन करना), हैरान करना, गाड़ी आदि को खींचना, बोझ लादना इत्यादि (बहूणि) बहुत से (साहित्य) उपाय बतलाते हैं । (य) और (आगरीणं) खान के भालिकों को (धातुमणिसिलप्यवालरयणागरे) गेद, सोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं, चन्द्रकान्त आदि मणि, शिला अथवा नैनसिल, सुंगे और हीरे, पन्ने, माणिक्य आदि रत्नों को खानों का (साहित्य) पता बतला देते हैं । (य) और (भालियाणं) भालियों को (पुष्किर्वाह) फूलों के तोड़ने या धुंधने की विधि, (फलविह) फलों को उपजाने व पकाने की विधि, (साहित्य) बतलाते हैं, (य) तथा

(वचनचरणं) भील आदि जंगल में घूमने वाले वनचरों को (अग्रमहकोसए) बहुभूल्य शहब के छत्ते (सांहिति) बतलाते हैं, (अंताइं) (मारण-मोहन-उच्चाटन आदि के लिए यंत्रलेखन (बिसाई) विधों (मूलकम्म) गर्भपात आदि के लिए जड़ी बूटियों या जड़ों के प्रयोग से सम्बन्धित, (आहेवणआभियोगमंतोसहिष्यओगे) मंत्रादि द्वारा नगर में ओष, या फूट पंखा कर देना, अथवा घनादि को मंत्र के जोर से खींच लेना, ब्रह्म और भाव से बशीकरण मंत्रो व औषधियों के प्रयोगरूप (चोरिय-परदारगमन - बहुपावकम्मकरणं; चोरी, परस्त्रीगमन आदि बहुत से पापकर्मों के करने की प्रेरणा से सम्बन्धित, (उफखंवे) छल से शत्रुसेना की ताकत तोड़ देने या कुचल डालने, (वणदहन-तलाग-भेयणाणि) जंगल में आग लगाने तथा तालाब सूखाने के सम्बन्ध में (बुद्धिविसयविणासणाणि) बुद्धि तथा स्पर्श आदि विषयों के विनाशक, (वसीकरणमादियाईं) बशीकरणादि रूप (भयमरणकिलेसदोसजणाणि) भय, मृत्यु, क्लेश और दोष के जनक, (भावबहुसंकिलिट्ठमलिणाणि) बहुत सक्लिष्ट भावों से मलिन, (भूतघातोवघातियाईं) प्राणियों के घात और उपघात करने वाले सच्चाईपि) सच्चे (तथ्ययुक्त) होने पर भी (ताइं) उन (हिसकाइं) हिंसाजनक (वयणाइं) वचनों को (उदाहरति) बोलते हैं । (य) और (पुट्ठा) पूछे जाने पर (वा) अथवा (अपुट्ठा) बिना पूछे ही (परतत्तियवावड़ा) दूसरों के काम की ध्येय चिंता में डूबे रहने वाले (असमिक्खियभाविणो) बिना सोचे विचारे बोलने वाले (सहसा) अकस्मात्— एकदम बिना मतलब के (उवविसंति) उपदेश देने लगते हैं कि—(उट्ठा) ऊंटो, (गोणा) गाय-बैलों, (गवया) गोरों या नीलगायों का (वमंतु) वमन करो—वश में करो, (परिणत-वया) बयस्क तरुण (अस्सा) घोड़े, (हत्थी) हाथियों (य) और (गवेत्तककुक्कुडा) गायों, मेंढ़ों और मुर्गों को (किज्जंतु) खरीदो. (य) और (किणाघेघ) लारीबवालो, (विककेह) बेच दो (च) (सयणस्स) अपने पारिवारिक लोगों के लिए (पयह) पकाओ, (देह) उनको देवो, (पियय) शराब आदि पीओ, पिलाओ, (वासीवास - भयक-भाइल्लका) दासी, दास, नौकर तथा हिस्सेदार, (य) और (सिस्सा) शिष्य-छेले, (पेसकजणो) बाहर भेजे जाने वाले नौकर, (कम्मकरा) कर्मचारी, (य) तथा (किकरा) सेवक (य) एवं (सयणपरिजणो) स्वजन—कुटुम्बोजन तथा परिजन-सगेसम्बन्धी (कीस) क्यों, (किसलिए) (अण्ठंति) बेकार बंटें हैं ? (सं) आपकी, (भारिया) परिचर्या (कम्मं) काम (करेत्तु) करें । (गहणाइं वणाइं) घने जंगल, (खेत्तिलभूमिवल्लराइं) अनाज बोने के खेत, बिना जोती हुई भूमि और बल्लर—धोर जंगल या मंडान, (उत्तणघणसकडाइं) बहुत लम्बे लम्बे और घने घास से भर गये हैं, (उज्जंतु) इन्हें जला डालो, (य) तथा (सूडिज्जंतु) कटवा डालो । (अंतभंडाइयस्स) कोल्हू आदि यंत्रों, कुंडी आदि बर्तनों अथवा गाड़ी आदि बनाने, (य) तथा (बहुविहस्स उवहिस्स) हल आदि बहुत प्रकार के उपकरणों साधनों के (अट्ठाए) प्रयोजन के लिए (कक्खा)

पेड़ों को (भिज्जंतु) काट डालो, (य) और (उच्छृ) गलों को (दुष्मंतु) उखाड़ लो, (य) एवं (तिला) तिलों को (पीलिज्जंतु) धानी में पीर डालो । (य) तथा (अय) मेरे (घरदठयाए) घर के लिए (इट्टकाओ) ईंटें, (पयावेह) पकवा लो, (खेत्ताइ) खेतों को (कसह) जोतो, (य) और, (कसावेह) जुतवाओ, (अडवीसेसु) बंगलप्रदेशों में (विजलसीमे) विशाल सीमा वाले, (गाम-नगर-खेड-कण्डे) गाँव, नगर, खेड़े (छोटे गाँव) कण्डक-कन्डे (सहु) झटपट, (निवेसेह) बसाओ, अर्थात् इन्हें मनुष्यों के रहने लायक बस्ती में बदल डालो । (य) और (कालपत्ताइ) पके हुए या खिले हुए (पुष्फाणि) फूल फलाणि) फल (य) और (कदमूलाइ) कंदमूलों को (गेहह) ग्रहण कर लो, (परिजणदठयाए) सगे-सम्बन्धियों के लिए, (संचय) इन्हें इकट्ठे (करेह) कर लो । (य) और (साली) धान, (बीही) गेहूँ आदि अनाज (य) और (जवा) जौ (सुज्जंतु) काट लिये जायें, (भलिज्जंतु) क्यालों में इन्हे मर्दन किये जायें, (य) और (उष्पिण-ज्जंतु) साफ किये जायें, (य) और (सहुं) जल्बी (कोट्टागारं) कोठार-कोठे में, (पविसंतु) भर दिये जायें, (य) तथा (अप्पमहउक्कोसगा) छोटे, मझले और बड़े (पोयसत्था) जहाजों के सार्थवाह या शिगुसमूह (हंमंतु) मार दिये जायें । (य) तथा (सेणा सेना (णिज्जाउ) कूच करे, चढाई करने निकले, (डभरं) कलह (जाउ) पैदा हो, (घोरा) भयंकर, (सगामा) युद्ध (बटंतु) होने से (य) और (सगडवाहणाइ) गाड़ी, रथ आदि सवारियाँ (पवहंतु) बढ़ाओ या खूब चलानो, (उबणयणं) उपनयन—यज्ञोपवीत संस्कार, (खोलण) चूडाकर्म (चोटी रखने का) संस्कार—मुंडनसंस्कार (विवाहो) विवाह, (जन्तो) यज्ञ (अमुगम्मि) अमुक (विसेसु) विनों में, (करणेसु) करणों में, (मुहुत्तेसु) मुहूर्तों में, (नखत्तेसु) नखरों में (य) और (तिहिंसु) तिथियों में (होउ) हो । (य) और (अज्ज) आज (मुविनं) आमोद-प्रमोद-पूर्वक (बहुखज्जपिज्जकलियं) बहुत-सी मिठाइयाँ आदि खाने एवं पीने के पदार्थों से युक्त अथवा प्रचुर मद्य, मांस आदि सहित, (पुवणं) सौभाग्य तथा पुत्र आदि के लिए वषू आदि का स्नान तथा (कौतुकं) डोरा बांधना, राख की पोटली आदि न्योछावर करना आदि विधिवाला कौतुक (होउ) हो । (य) तथा (सत्तिरविगहोवरागबिसमेयु) चन्द्र और सूर्य के ग्रहण तथा दुःस्वप्न आदि के होने पर (विष्ठावणकं) विविध मंत्रादि से संस्कारित जल से स्नान तथा (संतिकम्मणि) शान्तिकर्म (कुणह) करो (य) तथा (सजणपरियणस्स) कुटुम्बीजन और सगे-सम्बन्धियों की (य) तथा (नियकस्स जी-व-यस्य) अपने जीवन की (परिरक्खणदठयाए) सुरक्षा के लिए (पडिसीसकाइ) अपने सिर के प्रतीक आटे आदि के बने हुए सिर (वेह) बण्डी आदि डेवियों को भेंट चढ़ाओ (ख) और (विबिहोसहिमज्जमंसमक्खअपाणामत्ताणुलेवण-पईवजसिउज्जल सुगंधिपूजावकारपुष्फफल-सभिद्धं) अनेक प्रकार की वनस्पतियों, मद्य, मांस, मिठाइयों (भक्ष्य), अन्न, पान, पुष्पमाला, चंदनादि लेपन, उबटन आदि, तथा दीपक जलाने,

मुगन्धितञ्जुप आदि देने एवं फूलों व फलों से परिपूर्ण विधि से (सोसोबहारे) बकरे आदि पशुओं के सिरों की बलि देह) दो, (य) और (बहुविहेण) नाना प्रकार की, (पाणा-इषायकरणेण) हिंसा करके (विबरीउप्पायवुस्सुमिण-पावसउण-असोमग्गहचरिय-अमंगल-निमित्तपडिघायहेउ) अशुभसूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, छोटे स्वप्न, बुरे शकुन, क्रूरग्रह की बाल, अमंगलनिमित्तसूचक अंगस्फुरण आदि के फल को नष्ट करने के लिए (पायच्छित्ते पापोपशमनायं प्रायश्चित्तं करेह) करो। (बित्तच्छेयं करेह) आजीविका को नष्ट कर डालो, (मा देह किंचि वाण) किसी को कुछ भी दान मत दो, (सुट्ठु हओ सुट्ठु हओ) अच्छा हुआ, मारा गया, अच्छा हुआ, मारा गया। (सुट्ठु छिओ) अच्छा हुआ काट डाला गया, (मिओ) टुकड़े हो गए, (इति) इस प्रकार (उवविंस्ता) किसी के बिना ही पूछे उपदेश करते हुए या कहते हुए मनुष्य (मण्णे) मन से, (बायाए) वाणी से, (य) और (कम्मणा) कर्म से (एवविह) इस प्रकार के (अलियं) द्रव्य से सत्य होते हुए भी प्रार्थिहिसा का कारण होने से असत्य भाषण (करंति) करते हैं। (वे कौन ?) (अकुसला) हिंसक और अहिंसक या कहने और न कहने योग्य, वचन के रहस्य को समझने में अचतुर (अणज्जा) अनार्य (अलियाणा) मिथ्याशास्त्रों को मानने वाले। (अलियघम्मणिरया) असत्यधर्म में आसक्त, (अलियासु कहासु अभिरमंता) आत्मगुणों को घटाने वाली पापोत्तेजक झूठी कहानियों—(उपन्यासों नाटकों आदि) में आनन्द मानने वाले, (बहुप्पगार वा) नाना प्रकार से (अलियं) मिथ्याभाषण (करेत्तु) करके (सुट्ठा, संतुष्ट (होति) होते हैं।

मूलार्थ—कई पापिष्ठ, संयमहीन, व्रतग्रहित अथवा पापकर्माँ से अविदित, कपटी, कुटिल कटु और चंचल स्वभाव के, क्रोधी, लोभी, भयातुर, हसी-मखौल करने वाले, गवाही देने वाले, चोर, गुप्तचर (जासूस या भेदिये), भट (योद्धा), चुंगी के कर्मचारी अथवा कर, जकात वगैरह बसूल करने वाले, हारे हुए जुआरी, गिरवी (बंधक) रखने वाले, मायाचारी, कपटपूर्वक नाना कुवेषों के धारक, कपटी, वाणिज्य-व्यवसाय करने वाले, खोटा तौल और खोटा नाप करने या रखने वाले, छोटे सिक्को से रोजी चलाने वाले, जुलाहे, मुनार तथा छीपे आदि कारीगर, ठगाई करने वाले, चोरी करने वाले, खुशामदखोर तथा कोतवाल एवं व्यभिचारी दुष्टवादी, चुगलखोर और कर्जदार, किसी के बोलने से पहले ही उसके अभिप्राय को ताडने में कुशल, भूत और भविष्य काल की बातों को बताने में प्रवीण, बिना विचारे बोलने वाले, कमीने (नीच आत्माएँ), सत्पुरुषों के लिए अहितकारक श्रद्धि, रस और साता के गर्ब में चूर, असत्य अर्थ की स्थापना करने में

दत्तचित्त, अपने आपको सर्वोत्कृष्ट मानने वाले स्वच्छन्दाचारी, किसी के अनुशासन में न चलने वाले, नियमनिष्ठा से रहित, अस्थिर, अव्यवस्थित, मनमाना बकने वाले या अपने को ही सिद्धवादी कहने वाले मनचले, ये सब असत्य बोलने से अविरतजन पूर्वोक्त असत्य बोलते हैं।

लोक के स्वरूप को विपरीत कहने वाले दूसरे नास्तिकवादी कहते हैं — यह जगत् शून्य है, जीव (आत्मा) नहीं है। वह इस भव—मनुष्यभव में, अथवा देवादि परभव में नहीं जाता, और न किञ्चित् पुण्य-पाप का ही स्पर्श करता है। पुण्य और पाप का सुख और दुःख-रूप फल भी नहीं है। पांच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर है, जो प्राणवायु के योग से सब क्रियाएँ करता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि श्वासोच्छ्वास की हवा ही जीव है। बौद्धों का यह कहना है कि आत्मा रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पंचस्कन्धरूप है। कई मन को ही जीव (आत्मा) मानने वाल पाच स्कन्धों के अलावा एक मन को जीव ठहराते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि यह शरीर सादि और सान्त (नश्वर) है। इसी एक ही पर्यायरूप एक भव (जन्म) में अनेक कारणों से उसका नाश हो जाता है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी सर्वनाश हो जाता है, इस प्रकार मृषावादी कहते हैं। शरीर सादि, सान्त है, इसलिए दान, व्रताचरण, पौषष तथा तप, संयम, ब्रह्मचर्य आदि कल्याणकारी कार्यों का फल भी नहीं है। प्राण-वध (हिंसा) और असत्यवचन भी अशुभफलदायक नहीं है। चोरी अथवा परस्त्रीगमन भी अशुभफल के हेतु नहीं है। परिग्रह और इसके अतिरिक्त जो भी पापकर्म है, वे भी कुछ भी नहीं है, अर्थात् जरा भी सुख-दुःख के हेतु नहीं है। नारको, तिर्यचो और मनुष्यों की योनियां नहीं हैं और न देवलोक ही है। तथा सिद्धगति (मुक्ति) भी नहीं है। माता-पिता नहीं हैं। पुरुषार्थ भी कोई चीज नहीं है, प्रत्याख्यान-त्याग भी नहीं है, भूत, भविष्य और वर्तमानकाल नहीं है और न मृत्यु ही है। अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव (नारायण) इस संसार में कोई नहीं हैं। कोई ऋषि-मुनि भी नहीं हैं। धर्म-अधर्म का फल भी थोड़ा या बहुत कुछ भी नहीं है इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से वस्तुस्वरूप को जान कर अपनी इन्द्रियों के अनुकूल सभी विषयों में खूब डट कर मनचाही प्रवृत्ति करो। कोई भी शुभ क्रियाएँ या निन्द्य अक्रियाएँ

नहीं हैं। लोक के स्वरूप का विपरीत वर्णन करते हुए नास्तिकवादी इस प्रकार से कहते हैं।

असत् पदार्थों का निरूपण करने वाले बहुत से मूढ लोग इस आगे कहे जाने वाले दूसरे कुदर्शन (मिथ्यामत) का प्ररूपण करते हैं कि यह संसार अंडे से पैदा हुआ है। ब्रह्माजी ने उसे स्वयं बनाया है। इसी प्रकार यह भी असत्य वचन है—जैसे कई लोग कहते हैं कि लोक के प्रभु ईश्वर ने यह सृष्टि रची है। कई लोगों का कहना है कि जगत विष्णुमय है। कितने ही इस प्रकार असत्यभाषण करते हैं कि एक आत्मा (ब्रह्म) ही है। सारे संसार में व्याप्त है। दूसरी कोई वस्तु नहीं है। साख्यमत वालों का कहना है—) आत्मा (पुरुष) पुण्य और पापकर्मों का कर्ता नहीं है, किन्तु उनके मुख-दुःख रूप फल का भोक्ता है (पाठान्तरके अनुसार वह पुण्य-पाप के फल का भोक्ता भी नहीं है), इन्द्रियाँ और कारणभूत पदार्थ सर्वथा सब जगह और सब समय प्रकृति से भिन्न नहीं होते। अर्थात् सर्वत्र और सर्वदा प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। आत्मा निष्क्रिय और निर्गुण (सत्त्व, रज और तमोगुण से रहित) है तथा कर्मों के लेप से भी रहित है। इस प्रकार असत्य बात कहते हैं।

इस मर्त्यलोक में जो कुछ सुकृत या दुष्कृत दिखाई देते हैं या इस प्रकार की अन्य सब वस्तुएँ हैं, वे अपने आप ही (यदृच्छा से) उत्पन्न हुई हैं। अथवा स्वभाव से या देव के प्रभाव भी से पैदा होती हैं। इस लोक में कोई भी पदार्थ किसी का बनाया हुआ नहीं है। किन्तु जितने भी वस्तु के लक्षण-स्वरूप हैं और प्रकार (भेद) हैं, उन्हें निर्यात (भावितव्यता-होनहार) ही पैदा करती है—बनाती है। बहुत से लोग ऋद्धि, रस और साता के गर्व में चूर हो कर धर्माचरण करने में आलसी हैं, वे भी धर्मावचार की अपेक्षा से मिथ्या प्ररूपणा करते हैं।

दूसरे लोग अधर्मयुक्त होने से राजविरुद्ध भूठा दोषारोपण करते हैं। वे चोरी न करने वाले को चोर कहते हैं, तथा लड़ाई भगड़ो-और प्रपंचों से तटस्थ रहने वाले को लड़ाकू कहते हैं। शील-सम्पन्न परस्त्रीत्यागी को यह दुःशील-व्यभिचारी है, परस्त्रीगमन करता है, इत्यादि अपवाद लगा कर उसे बदनाम करते हैं। यह भी दोष लगाते हैं कि 'यह गुरुपत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है। दूसरे कई लोग यो व्यर्थ ही उसकी कीर्ति, खाजी-

विका आदि को चौपट करने की दृष्टि से कहते हैं कि "यह अपने मित्र की पत्नियों का सेवन करता है। इतना ही नहीं, यह धर्मशून्य भी है, विश्वासघातो है, पापकर्म करने वाला है, नहीं करने योग्य कार्यों को करने वाला है तथा भगिनी, पुत्रवधू, पुत्री आदि अगम्य स्त्रियों के साथ सहवास करता है, यह दुरात्मा बहुत-से पापों से युक्त है।" इस प्रकार ईर्ष्यालु लोग भूठभूठ बकते हैं। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के परोपकार, क्षमा आदि गुणों, तथा कीर्ति, स्नेह एव परभव को जरा भी परवाह न करने वाले वे असत्यवादी असत्य बोलने में प्रवीण, दूसरों के दोषों को बताने में जुटे हुए, और मुख को अपना शत्रु बनाए हुए वे अधम पुरुष अक्षय दुःख के बीजरूप कर्म-बन्धन से अपनी आत्मा को जकड़ लेते हैं। दूसरों के धन पर गिद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए वे धरोहर को हडप जाते हैं, तथा सत्पुरुषों को उनमें अविद्यमान दोषों में दूषित करते हैं। लोभी मनुष्य भूठी साक्षी देने का काम करते हैं तथा वे पवित्र और भद्र पुरुषों का अहित करने वाले असत्यवादी धन के लिए, कन्या के लिए, भूमि के निमित्त, गाय-बैल आदि पशुओं के निमित्त अधोगति में ले जाने वाला बड़ा भूठ बोलते हैं। मिथ्या षड्यंत्र रचने में दत्तचित्त, दूसरों के असद्गुणों के प्रकाशक एव सद्गुणों के नाशक, पुण्य और पाप के स्वरूप से अनभिज्ञ, असत्याचरण में जुटे हुए लोग इसके अतिरिक्त और भी जाति, कुल, रूप और शील से सम्बन्धित, माया के कारण गुणहीन या माया-निपुण, चञ्चलता से युक्त, पेशून्यपूर्ण (चुगली से भरपूर), परमार्थ के नाशक, असत्य अर्थ वाले या सत्त्वहीन, द्वेषरूप, अप्रिय, अनर्थकारी, पापकर्म के मूल मिथ्यादर्शन से युक्त, कर्णकण्ठ, मम्यज्ञानशून्य, लज्जाहीन, लोकाभिष्य, वध, बधन और सकलेश से पूर्ण, बुढ़ापा, मृत्यु, दुःख और शोक के मूल कारण, अशुद्धपरिणामों से संक्लेशयुक्त, हिंसा द्वारा प्राणियों के घात से युक्त, अशुभ या अनिष्ट, साधुओं द्वारा निन्दनीय, अधर्म के जनक, पापयुक्त असत्य वचन बोलते हैं।

पुनश्च - शस्त्रों को बनाने, जोड़ने और जुटाने के रूप में अधिकरण-क्रिया में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के अनर्थ का कारण, जो अपने और दूसरे का विनाश का हेतु है, उसे करते रहते हैं। ऐसे ही अज्ञानपूर्वक बोलते हुए मूर्ख लोग घातक लोगों को—कसाइयों को भैंसों और सूअरों के सम्बन्ध

में हिंसा का उपदेश देते हैं। मृग आदि पशुओं को फंदे में फंसाने वाले पारधियों को खरगोश, प्रशय और रोहित नामक जंगली जानवरों को बतलाते हैं। बाज आदि द्वारा पक्षियों का शिकार करने वाले बहेलियों को तीतर, बतक, बटेर, कर्पिञ्जल और कबूतर आदि पक्षियों को बताते हैं। मछुओं को मछली, मगर, कछुए आदि बतलाते हैं। और धीवरो को शंख, अंकरत्न और कौडिया बताते हैं, सपेरों को अजगरो, दुमुंही, सापिं, मण्डलाकार सर्पों, फणधर सर्पों और बिना फण के सर्पों की सूचना देते हैं। शिकारियों को चन्दनगोह, काटेदार गोल शंले और गिरगिट बतलाते हैं, फंदे द्वारा पशुओं को पकड़ने वालों को हार्थियों के भुंड और बंदरो के टोले बताते हैं, पक्षियों को पालने वालों को तोते, मोर, मैना, कोयल और हंसों के भुंड और सारस बतलाते हैं, पशुपालकों को मारने-पीटने, बांधने और पीड़ा देने का उपदेश देते हैं—अभ्याम कराते हैं तथा चोरो को घन, घान्य, गायो-बैलो और मेडबकरियों का पता बताते हैं, गुप्तचरो-भेदियों या जासूसों को गांचो, खाना, नगरो तथा बड़ी मण्डिया (पत्तनो) का मेद बताते हैं। गांठकटो-गिरहकटों को रास्ते के परले सिरें पर या रास्ते के बीच में राहगीरो को लूटने का निर्देश करते हैं, नगररक्षक कोतवाल आदि को की गई चोरो की खबर देते हैं तथा ग्वाला का पशुआ के कान आदि काटना या गर्म लोहे आदि से दाग देना, उन्हे खस्सी या बांधिया करना, फूंक लगाना, दुहना, जो आदि खिलाकर पुष्ट बनाना, बछड़े को अपनी मां से अलग करके दूसरी गाय के साथ कर देना, हैरान करना, गाड़ी आदि को खीचना, बोझ लादना आदि बहुत-से उपाय बतलाते हैं। खान के मालिकों को गेरु आदि, या सोना, चादी, लोहा आदि धातुओं, चन्द्रकात आदि मणियों शिला अथवा मॅनसिल, सूँगा और रत्न की खानों का पता बतलाते हैं। मालियों को फूलों के तोड़ने या गूँधने की विधि और फलों को उपजाने, पकाने आदि की विधि बतलाते हैं। तथा जंगलों में भटकने वाले भीलो आदि को मधुमक्खियों के बहुमूल्य छत्ते दिखला देते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए लिखित यंत्रों या पशुओं आदि को पकड़ने के यंत्रों, सखिया आदि हलाहल विषों, गर्भपात आदि के लिए वनस्पति की जड़ या अन्य जड़ीबूटियों के प्रयोग, मन्त्रादि द्वारा नगर में क्षोभ या फूट पैदा कर देने अथवा मंत्रबल से धन आदि के खींचने, द्रव्य और भाव से बशीकरणयंत्रों

और औषधियों के प्रयोग करने व परस्त्रीगमन आदि बहुत से पापकर्मों के उपदेश तथा छल से शत्रुसेना की ताकत तोड़ देने या उसे कुचल ढालने के, जंगल में आग लगाने तथा तालाब सूखाने के, बुद्धि के विषय विज्ञान आदि अथवा बुद्धि एवं स्पर्श आदि विषयों के विनाश के, वशीकरण, उच्चाटन आदि के तथा भय, मृत्यु, क्लेश और दोष के जनक, बहुत क्लिष्ट भावों से मलिन, प्राणियों के घात और उपघात करने वाले वचन द्रव्य से तथा तथ्यरूप से सच्चे होने पर भी भाव से उन-उन प्राणियों का घात करने वाले होने से असत्य ही हैं, जिन्हें मिथ्यावादी बोलत हैं।

तथा पूछे जाने पर या बिना पूछे ही दूसरों के काम की व्यर्थ चिन्ता में डूबे रहने वाले, बिना बिचारे बोलने वाले, बिना ही मतलब के एकदम उपदेश देने लगते हैं कि ऊंटों, गाय-बैलों एवं नौल गायों (रोम्भो) का दमन करो, वश में करो, पग्पक्व उम्र के तरुण घोड़े, हाथी, बैल, मीढ़े और मुर्गे खरीदो, खरीदवा लो तथा बेच दो। कुट्टम्बीजनों के लिए भोजन बनाओ। उनको यह शराब आदि पेय वस्तु दे दो, पिला दो, तथा ये दासी-दास, नौकर और हिस्सेदार, बाहर भेजे जाने वाले गुमास्ते या नौकर, कर्मचारी और सेवक, कुट्टम्बी तथा रिस्तेदार क्यों बेकार बैठे हैं? आपकी पत्नियाँ काम करं, घने जंगल, घान आदि बोने के खेत, बिना जोती हुई भूमि और घोर जंगल बहुत लंबे लंबे घने घास से भर गए हैं, इन्हें जला डालो और कटवा डालो! कोल्हू आदि यन्त्रों, कुंडों आदि बर्तनों तथा गाड़ी, हल आदि बहुत से उपकरणों-साधनों के लिए तथा और भी अनेक कामों के लिए वृक्षों को काट लो। गन्नों को काट लो या उखाड़ लो, तिलों को पील डालो, मेरे घर के लिए ईंटें पकवा लो, खेतों को जोतो और जुतवाओ, जंगल के प्रदेशों में भट-पट लम्बी-चौड़ी सीमा वाले नगर, गाँव, खेड़े और कस्बे बसाओ। खिले हुए, पके हुए फूलों, फलों और कन्दमूलों (आलू, सूरण आदि कंदों और गाजर-भूली आदि मूलों) को उखाड़ लो या चुन लो और अपने सगे-सम्बन्धियों के लिए इन्हें इकट्ठे कर लो। शालि घान, गेहूँ आदि अन्न तथा जौ काट लो, इन्हें बैलों से पैरवा लो और साफ करवा लो। इनका भूसा अलग करवा लो और जल्दी कोठार-कोठे में भर दो। तथा छोटे, मंभले और बड़े जहाजा के सार्थवाहों

को तथा शिशुसमूहों को खत्म कर दो। सेना चढ़ाई करने के लिए बाहर निकले, संग्राम-स्थल की ओर कूच करे और घोर युद्ध हो। गाड़ी, रथ वगैरह सवारियाँ हाँको। यज्ञोपवीतसंस्कार, चूडाकर्मसंस्कार, या मुँडनसंस्कार, विवाह और यज्ञ अमुक दिवस, करण, सुहूर्त, नक्षत्र और तिथि में हो। आज आमोद-प्रमोदपूर्वक बहुत-सी मिठाइयाँ आदि खाने और मदिरा आदि पीने की वस्तुओं के भोज के साथ सौभाग्यवृद्धि तथा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए वधू आदि का स्नान हो तथा डोरे बांधने आदि विधियो वाला कौतुक हो। सूर्य और चन्द्र के ग्रहण तथा दुःस्वप्न आदि के होने पर विविध मन्त्रादि से संस्कारित जल से स्नान और शान्तिकर्म करो। अपने कुटुम्बियों की तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए आटे आदि के बने हुए प्रतिशीर्षक (सिर) चण्डी आदि देवियों के भेंट चढ़ाओ। और अनेक प्रकार की औषधियों, मद्य, मास, मिठाई, अन्न, पान, पुष्पमाला, चंदनादि का लेपन, उवटन, दीपक, सुगन्धित घूप तथा फूलों और फलों से परिपूर्ण विधि से बकरे आदि पशुओं के सिरों की बलि दो। नाना प्रकार की हिंसा करके अशुभसूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, क्रूर ग्रहों की चाल, अमंगलसूचक अंगस्फुरण इत्यादि के फल को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करो। अमुक की आजीविका नष्ट कर दो! किसी को कुछ भी दान मत करो। अच्छा हुआ, मारा गया! अच्छा हुआ, काट डाला गया! अच्छा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया गया! इस प्रकार बिना ही पूछे उपदेश करते या कहते हुए मनुष्य मन से, वाणी से और कर्म से द्रव्य से सत्य होते हुए भी प्राणातिपात का कारण होने के भाव से इस प्रकार असत्य भाषण करते हैं। (वे कौन हैं?) हिंसक और अहिंसक या कहने योग्य और न कहने योग्य वचनों के रहस्य को समझने में अकुशल, पाप में तत्पर, अनार्य, मिथ्याशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, असत्य धर्म-कर्म में लीन, आत्मगुणों का ह्रास करने वाली पापोत्तेजक भ्रूठी-कहानियों में ही आनन्द मानने वाले लोग नाना प्रकार से मिथ्याभाषण करके सतुष्ट होते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में दो द्वारों का एक साथ ही निरूपण किया गया है—'असत्य भाषण कौन-कौन करते हैं और किस प्रयोजन से व किस प्रकार से करते हैं?' मतलब यह है कि शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में असत्य बोलने वालों तथा असत्य बोलने के

प्रयोजनो व प्रकारो का वारीकी से विमलद निरूपण कर दिया है। साथ ही इस सूत्रपाठ में यह भी ध्वनित कर दिया है कि कोई व्यक्ति चाहे ब्राह्मण रूप से सत्य ही बोल रहा हो, किन्तु उस सत्यवचन के पीछे किसी के मन, वचन, काया या प्राणों को ठेस पहुंचाने, हानि पहुंचाने, पीडा देने, वध करने या नाश करने की वृत्ति हो अथवा उसके उक्त वचन से जगत् गुमराह होता हो, अधर्म और हिंसा आदि कुकर्मों के रास्ते चल पडता हो ; जगत् के प्राणिवर्ग का अहित होना हो तो वह वचन असत्य ही है। इस प्रकार विभिन्न कोटि के लोगो द्वारा असत्य का सेवन किस-किस रूप में किया जाता है ? इस बात को प्रस्तुत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है।

‘केइ’—शास्त्रकार संसार के सभी व्यक्तियों को असत्यवादी की कोटि में नहीं मानते, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण सत्यमहाव्रती हैं, इसलिए दूसरों के प्रति वे ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं ? या मरारसर असत्य कैसे कह सकते हैं ? यही कारण है कि प्रस्तुत मूलपाठ में उन्होंने ‘केइ’ पद से इसका पृथक्करण किया है कि संसार के सभी प्राणी या सभी मानव असत्य नहीं बोलते। जो पचमहाव्रतधारी साधु, ऋषि, मुनि या श्रमण हैं, वे मृषाभाषण के सर्वथा त्यागी होते हैं ; वे वचन से तो क्या, मन से भी असत्यभाषण का या असत्य वस्तु का चिन्तन नहीं करते। इस कोटि के जो भी मानव हैं, वे असत्यभाषी नहीं होते। इसके पश्चात् गृहस्थ श्रमणोपासक या श्रावक भी स्थूल असत्य के त्यागी होते हैं। वे भी ऐसा वचन नहीं बोलते, ऐसे उद्गार नहीं निकालने, जिससे सरकार द्वारा दण्डित हो, समाज में निन्दित हो, अनर्थ की की सम्भावना हो, व्यवहार बिगड़ जाय, प्राणियों के घात की सम्भावना हो, उनके मन में सताप पैदा हो या आपस में मिरफुटीव्वल हो। गृहस्थधर्मी श्रावक भी वचन को तोल कर, दीर्घदृष्टि से विचार कर किसी का अहित न हो, इस प्रकार से बोलते हैं ; ऐसे धर्मिष्ठ श्रावक के सभी कार्य सत्यता से युक्त होते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने ‘केइ’ पद द्वारा उन्हीं लोगो की ओर इशारा किया है ; जो अमुक-अमुक प्रकार से असत्य बोलते हैं !

व्यवहार में असत्य बोलने वाले—इस सूत्रपाठ में सर्वप्रथम व्यवहार में असत्य बोलने वालों के नाम गिनाए हैं। चूंकि व्यवहार प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है ; इसलिए व्यवहार में असत्य बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक धर्म और दर्शन वाले असत्यभाषी ही मानते हैं। इसमें किसी को भी शंका उठाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तो मूलार्थ में इन सबका अर्थ किया जा चुका है, फिर भी संक्षेप में इन पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला जाना उचित समझते हैं—

पाषा—जो रातदिन हिंसा आदि पापकर्मों में रत रहते हैं, उनका सत्य बोलना बहुत ही कठिन है। यदि वे वस्तुस्थिति को ज्यों की त्यों कह दें, तो भी वे

हिंसा, चोरी आदि पापकर्मों के लिए वाचिक प्रेरणा देते हैं, अतः उनका वचन असत्य हो ही जाता है। इसलिए पापिष्ठ व्यक्ति असत्यवादी हैं।

असंजया—जो अपनी इन्द्रियो और मन पर जरा भी समय, नियंत्रण या अंकुश नहीं रख सकते, विषयो के दास बने हुए हैं, वे असयम के यशीभूत होकर बात-बात में प्राणियों के लिए अहितकर तथा मिथ्या वचन बोलेंगे ही जो असत्य की कोटि में है।

अबिरया—जो हिंसा आदि आश्रयो से जरा भी विरत नहीं है, जिन्होंने ब्रह्म को यात्किचित् भी स्वीकार नहीं किया है, वे व्यक्ति सत्य-असत्य की कोई मर्यादा नहीं मानते और न उसे पालते हैं।

कवच-कुटिल-कबुज-बहुलभावा—जिनके रोम-रोम में कपट भरा है, कुटिलता भरी है, वचन में पद-पद पर कटुता है और जिनके भावों में बार-बार उतारचढ़ाव आते हैं, जो अपने शुद्ध विचार पर कुछ देर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते, उनको असत्यवादिता में तो कोई सदेह ही नहीं रह जाता।

कुडा—क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में चाहे जो कुछ बोल देता है, वह अटसट भी बक देता है, इसलिए ऐसे क्रोधातुर व्यक्ति को सत्य का भान ही कैसे रह सकता है ?

लुब्धा—लोभी व्यक्तियों का भी यही हाल है। जब उन पर लोभ सवार हो जाता है तो वे सच-झूठ का कोई विचार ही नहीं करते। येन-केन-प्रकारेण अपने स्वार्थ या अति लोभ की पूर्ति करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः लोभी भी प्रायः सत्यभाषी नहीं होता।

भया य—मनुष्य प्राण जाने, प्रतिष्ठा जाने या मार पड़ने का भय उपस्थित होने पर या सकट या खतरे के समय प्रायः असत्य का ही सहारा लेता है। भयाविष्ट व्यक्ति को उस समय सत्य की चिन्ता नहीं होती।

हस्तद्विधा—जो व्यक्ति हसोड़, विद्वपक या मजाकिया होता है, वह बात-बात में असत्य का सहारा लेता है। वैसे भी हास्य के वश मनुष्य असत्य बोलता है, जिसका नतीजा कई दफा बड़ा ही भयकर आता है। हसी-मजाक में झूठ बोल जाने पर सामने वाला व्यक्ति कई बार उसे सच मान लेता है और आत्महत्या तक कर बैठता है, या गलतफहमी का शिकार बन कर अनर्थ कर बैठता है। अतः हास्यानन्दी व्यक्ति प्रायः असत्यभाषी होते हैं।

सक्खी—अदालतों में कई पेशेवर गवाह होते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे देने से वे झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी उस झूठी साक्षी में सत्य का अंश नहीं होता। इसलिए उन्हें असत्यभाषी कहा गया है।

चोरा—चोरो का काम ही झूठ से चलता है। झूठ और चोरी का तो परस्पर चोली-दामन का-सा नाता है। इसलिए चोरो को असत्यभाषी कहा गया है।

चारबन्दा—गुप्तचर और जासूस तो अपना रूप, रंग, बेषभूषा, भाषा ही बदल लेते हैं, असत्य का सहारा ले कर ही वे किसी गुप्त बात का पता लगाते हैं। इसलिए असत्य उनका साथी होता है। भाट लोग भी युद्ध में शौर्यगाथा गाते हैं, तब बहुत ही अतिशयोक्ति करके बड़ा-बड़ा कर प्रशंसा करते हैं, सेना को उत्तेजित करते हैं, उनके शब्दों में भी सत्यता नहीं होती।

खंडरबन्धा—चूगी, कर, या जकात के वसूल करने वाले प्रायः लोगों को धमका कर एव असत्य बोल कर रिश्वत के रूप में उनसे पैसा गँठते हैं। वचन की प्रामाणिकता उनमें प्रायः नहीं होती, इसलिए उन्हें भी असत्यभाषी की कोटि में बताया है।

जियजूयकारा—हारे हुए जुआरियों की मनोवृत्ति किसी भी तरह से झूठा दाव लगा कर पुनः जीतने की होती है। अथवा अपनी प्रतिष्ठा समाज में रखने के लिए वह जुग में मारा धन खो देने पर भी पूछने पर कहेगा—“मेरे पास धन की क्या कमी है ?” मतलब यह है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जुआरी भी प्रायः असत्य का आश्रय लेते हैं; इसलिए उन्हें असत्यभाषी कहा गया है।

गहियगहणा—गिरवी रखने वाले व्यक्तियों की नीयत प्रायः यही रहती है कि सौ रुपये के माल को ग्राहक पचास रुपये में गिरवी रख जाय, इसलिए वह गिरवी रख जाने वाले के साथ झूठ बोलता है, फिर ब्याज जोड़ते समय भी प्रायः झूठ का सहारा लिया करता है; इसलिए इसे भी असत्यभाषी कहा गया है।

कक्कगुरुगकारगा—मायापूर्वक बड़ाचड़ा कर बोलने वाले, चापलूस, वचक, ठग आदि तो असत्य को ही अपना मित्र बनाते हैं। इसलिए उनकी असत्यभाषिता में कोई सन्देह ही नहीं है।

कुत्तिली—धर्म के नाम पर दूसरों के साथ धोखेबाजी करने वाले लोग साधु-संत का बाना पहन कर या साधुवेष धारण करके दुनियाभर की गण्ये लगा कर लोगों से पैसा चटोरते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, ऐश-आराम के साधन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वे तो असत्य की खान हैं ही।

उबहिया—मोना बना देने या नोट बढ़ा देने का कह कर चकमे में डालने वाले या बहुरूपिया बन कर लोगों को बाग्जाल में फसाने वाले मायाचारी लोग तो सरासर असत्यभाषी हैं ही।

बाणियगा—ब्यापार करने वाले या विविध प्रकार का व्यवसाय करने वाले, कारखानेदार आदि लोग भी धन के लोभ में प्रायः असत्य का सहारा लेते हैं। वे दिखाएँगे एक चीज, देंगे दूसरी और वह भी खराब चीज, चीज के दाम बहुत बढ़ाकर कहेंगे,

सौ कसमें खा लेंगे, झूठे वादे कर लेंगे। इस प्रकार वचन द्वारा बेईमानी करके ध्यव-सायी भी असत्यभाषी बन जाता है।

झूठतुलझूठभाषी—झूठा तौलने और झूठा नापने वाला बैसे बाहर से तो असत्य बोलता दिखाई नहीं देता, लेकिन माया, कपट और बेईमानी का उसका व्यवहार तथा ग्राहक को तौल-नाप में धोखा देने का व्यवहार अहितकर होने से असत्याचरण ही माना जाता है। इसलिए झूठा तौल-नाप करने वाला असत्यवादी की ही कोटि में है।

झूठकाहावचनोपजीविया—जो लोग झूठे सिक्को पर ही अपनी रोजी चलाते हैं, वे तो सरासर झूठ का ही व्यवसाय करते हैं। उनके मन में झूठ होता है, उनका व्यवहार भी झूठा होता है। चाहे वे वचन से झूठ न बोलें, या मफाई से अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने का प्रयत्न करें, हैं वे असत्यवादी ही।

कपटारका कलाया काइइज्जा—कपट बनाने वाले, स्वर्णकार तथा दर्जी, लुहार, कुम्हार, छिपा आदि कारीगर प्रायः बातबात में झूठ बोल जाते हैं। मुनार, दर्जी, जुलाहे आदि अपने ग्राहक से अमुक दिन चीज तैयार करके देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन वे उस दिन अपने वचन के अनुसार देते नहीं आगे से आगे टरकाते रहते हैं। बेचारा ग्राहक हैरान होता है, उसका कपडा, सोना आदि भी उसमें से चुरा लिया जाता है, मेहनताना न ठहराने पर अधिक लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वे अपनी घटिया चीज की भी अत्यन्त तारीफ करके अधिक दाम पाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब यह है कि प्रायः इन लोगों के काम में झूठ और कपट का या वचनभंग का व्यवहार होने से वह असत्यवादिता की कोटि में ही माना जाता है।

वचनपरा—ठगाई करने वाले भी सरासर असत्यभाषी हैं।

चारिय-चाडुयार-नगरगोलिय-परिचारगा—वेप बदल कर घूमने वाले, चापनूस, नगररक्षक, कोतवाल आदि और व्यभिचारियों के दलाल—ये चारों प्रकार के मनुष्य माया और धूर्तता करने में प्रायः सिद्धहस्त होते हैं। वाणी के मायाजाल में फसा कर वे सम्बन्धित व्यक्ति से मनमाना पैसा ठगते हैं, उसकी जेब खाली करा लेते हैं, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला देते हैं। अतः असत्य तो इनकी रग-रग में भरा होता है।

दुट्ठबायि-सूयक-अणबल-भणिया—दुष्टों का पक्ष लेने वाले या बात-बात में अपशब्द बोलने वाले, चुगलखोर, बलपूर्वक कर्ज लेने वाले तथा हमें द्रव्य दों, इस प्रकार की धमकीभरे शब्द कहने वाले, ये चारों ही असत्य के पिटारे हैं। इन्हें सत्य-भाषण का कोई बिबेक ही नहीं रहता। इसलिए इनकी असत्यवादिता स्पष्ट है।

पुठ्वकालियवयणइच्छा—किसी के कहने से पहले ही उसके अभिप्राय को जान कर कहने में कुशल अथवा किसी की भूतकालीन बात को कहने में चतुर लोग

प्रायः अनुमान के आधार पर चलते हैं। अनुमान कई दफा गलत हो जाता है और ऐसे लोग जो अटकलबाजी से किसी के बारे में कहते हैं, प्रायः उनके वचन असत्य ही साबित होते हैं। इसलिए उनके वचनों में असत्य का अंश होने से उन्हें असत्यवादी की कोटि में गिनाया है।

सहस्रसगा—जिनकी आत्माएँ तुच्छ होती हैं, जिनके निम्नतम संस्कार होते हैं, वे तो बात-बात में झूठ बोलने में हिचकते नहीं अथवा असत्य व्यवहार करने में भी उन्हें कोई सकोच नहीं होता। इसलिए लघुस्वक भी असत्यवादी की कोटि में बताए गये हैं।

असच्चदृष्टावर्णाह्चित्ता—जिनका चित्त सदा असत्य बातों की स्थापना में, असत्य बातों को लोगों के दिनदिमाग में ठसाने की उधेड़बुन में ही दत्तचित्त रहता है, उनके असत्यप्रचारी होने में तो कोई सदेह नहीं है।

उच्चछंदा—अपने को बड़ा मानने वाले लोग भी महानता और उच्चता के गुण स्वयं में न होने हुए भी उनका दिखावा करने के लिए वागाडम्बर करते हैं; व्यवस्थित भाषा में बड़े-बड़े लच्छेदार भाषण झाड़ते हैं, परन्तु जीवन में चरित्रशीलता या सदाचार नहीं होना, ऐसे स्वच्छन्दी लोग आडम्बर की ओट में वाणी के माध्यम से लोगों पर अपना मिक्का जमाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु अन्त में तो सत्य प्रगट हो कर ही रहना है। इसलिए ऐसे उच्चछन्द लोग भी असत्याचारी की कोटि में हैं।

अणिग्गहा—जो किसी के अनुशासन या निग्रह (अकुश) में नहीं चलना चाहते, वे स्वच्छन्दाचारी अपने जीवन को मनमाने ढंग से बिताते हैं, वे सब बोलेंगे या अमत्य बोलेंगे, इसकी किसी को कोई प्रतीति नहीं होती। इसलिए अनिग्रह (निरकुश) लोग भी असत्यवादियों में ही शुमार हैं।

अणियता—जिनके जीवन में कोई नियमनिष्ठा नहीं होती, जो अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, उनके जीवन में मत्य तो होता ही नहीं, असत्य से ही उनका रात-दिन वास्ता पड़ता है। इसलिए ये भी असत्यवादी हैं।

छंदेण भुक्कवाद्या—जिनकी जवान पर कोई लगाम नहीं है, जो मनमानी बातें करते हैं, हम ही सिद्धवादी हैं, इस तरह की बेसिरपैर की बातें करने वाले लोगों के असत्यभाषी होने में कोई शक नहीं।

अलियार्हा अबरिया—जो असत्यभाषण से, मूक्य या स्थूल रूप से, सर्वाशत या अल्पाशत विरत नहीं हैं, वे तो असत्यवादी की ही कोटि में गिने जायेंगे, चाहे वे कभी सत्य ही बोलें।

नास्तिकवादी असत्यभाषी शार्शनिक—नास्तिकवादी असत्यभाषी वे हैं, जो असत्यदर्शन की प्ररूपणा करते हैं, ससार को गुमराह करने के लिए सभी लोक-हितकारी बातों का निषेध करते हैं। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत् का भी स्वरूप विपरीत

रूप में प्रस्तुत करके जगत् को स्वच्छन्दाचार की ओर प्रेरित करते हैं। नीचे हम क्रमशः नास्तिकवादियों के मत की समीक्षा करते हैं—

सुष्णसि—नास्तिकवादियों का कहना है—'जगत् शून्य है।' यानी जगत् का अपना कोई आकार या अस्तित्व नहीं दिखाई देता, इसलिए जगत् शून्य है। परन्तु जगत् शून्य होता तो उसका जो रूप दिखाई दे रहा है, वह नहीं दिखाई देता। इसलिए जगत् प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध है। नास्तिकवादियों का जगत्-शून्यता का कथन मिथ्या है।

नस्त्वि जीवो—नास्तिकवादियों का कहना है, कि 'जीव नहीं है यानी आत्मा नहीं है। क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इन्द्रियों के साथ पदार्थ के मन्तिकर्ष से होने वाले ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। इन्द्रियों से तो आत्मा न कभी जानने में आता है, न उसकी कोई आकृति दिखाई देती है; इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती। जो वस्तु प्रत्यक्ष से कही भी सिद्ध नहीं होती, उसके विषय में अनुमान भी नहीं हो सकता। घुए और अग्नि का संयोग रसोईघर में प्रत्यक्ष देखने पर ही पर्वत पर घुए को देख कर अग्नि का अनुमान किया जाता है। अतः अनुमानप्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होती। आगमप्रमाण से भी आत्मा सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विभिन्न धर्मों के आगमों में परस्पर विरोधी बातें आत्मा के सम्बन्ध में मिलती हैं। इसलिए आगम के स्वयं अप्रमाण होने से, आगम प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि जो चीज है ही नहीं, उसके साथ उपमा किसकी दी जाय? इसलिए किसी भी प्रमाण से आत्मा के सिद्ध न होने से आत्मा का अभाव ही सिद्ध होता है।

न जाइ इह परे वा लोए—जब आत्मा ही नहीं है, तब मरने के बाद कौन इस मनुष्यलोक में अथवा देवलोक आदि अन्य लोकों में जाएगा? अतः निष्कर्ष यह है कि जीव कही भी इस लोक या परलोक में नहीं जाता।

न य किञ्चि वि फुसति पुन्नपावं—शुभ-अशुभ कर्मों के पुण्य-पाप के रूप में बंध का भी जीव स्पर्श नहीं करता।

नस्त्वि फलं सुखदुःखकाम्याणं—जब जीव पुण्य-पाप का बंध ही नहीं करता, तब पुण्य-पाप का सुख-दुःख-रूप फल उसे क्यों मिलेगा? इसलिए पुण्य-पाप का सुख-दुःखरूप फल भी नहीं है। क्योंकि जब जीव ही नहीं है तो कर्मों का बन्ध और उसका फल कैसे मिलेगा? अतएव सर्वशून्य है।

पंचमहाभूतियं शरीरं—उनके सामने जब यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि जब जीव नहीं है तो यह शरीर किमके आधार पर टिका हुआ है? इसके उत्तर में वे कहते हैं—'यह शरीर पंचमहाभूतों के संयोग से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं। शरीर ही आत्मा है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा

नहीं है। वास्तव में सारा जगत् पञ्चमहाभूतमय है। क्योंकि इसमें पृथ्वी कठोरता-कठिनता-गुणवाली है, पानी बहने के स्वभाव वाला तरल है, अग्नि (तेज) उष्ण-स्वभाव वाली है। वायु निरन्तर चलने के स्वभाव वाली है और पोल-स्वरूप आकाश है, जो सबको अवकाश देता है। शरीर भी पञ्चमहाभूतमय है, इससे भिन्न और कोई वस्तु इसमें नहीं है। 'बातजोगबुद्ध' भासंति' इस पद के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शरीर से भिन्न कोई चैतन्य नहीं है। यह पचमहाभूतात्मक शरीर ही प्राणवायु के संयोग से चलता फिरता है और अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। प्रत्यक्षप्रमाण से यह पचमहाभूतरूप शरीर ही सिद्ध होता है। इसके सिवाय दूसरे किसी पदार्थ की प्रत्यक्ष प्रतीति न होने से उसका अभाव है। पचमहाभूतो में जो चैतन्य दिखाई देता है, वह शरीर का आकार धारण किये हुए महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। जैसे महुआ आदि मद्य पैदा करने वाले पदार्थों (अंगों) के मिलने पर मद्य में मदशक्ति पैदा हो जाती है, वैसे ही शरीर में पचमहाभूतों के मिलने पर चैतन्यशक्ति पैदा हो जाती है। जिम प्रकार जल में बुलबुला पैदा होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर से चैतन्य पैदा होकर उसी के साथ नष्ट हो जाता है। अतः महाभूतों से भिन्न चैतन्य नहीं है। क्योंकि वह उमका कार्य है। कार्य कारण से भिन्न नहीं रह सकता। जैसे घडा मिट्टी का कार्य है, अतः वह मिट्टीरूप कारण से अलग नहीं रह सकता; वैसे ही चैतन्य भी पचमहाभूतात्मक शरीर का कार्य है, वह इससे भिन्न नहीं रह सकता। इम अनुमान से चैतन्य पचमहाभूतात्मक शरीर से अभिन्न सिद्ध होता है।'

नास्तिकवादियों के मत की असत्यता—नास्तिकवादियों का उपर्युक्त कथन असत्य है, क्योंकि जिस शरीर को वे पचमहाभूतो से बना हुआ और उसी को ही आत्मा कहते हैं, तथा चैतन्यशक्ति का भी उसी से पैदा होना मानते हैं, तो जब शरीर निश्चेष्ट (मृत) हो जाता है, तब भी उनके मतानुसार पचमहाभूत और तज्जन्य चैतन्य रहते हैं, फिर भी वह चलता-फिरता क्यों नहीं? देखना, सुना, सूँघना, स्पर्श करना, चखना आदि क्रियाएँ बंद क्यों हो जाती हैं? पचमहाभूतो की मौजूदगी में तो वह बंद नहीं होनी चाहिए? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मा नामक चेतनाशक्ति का जनक सजीव पदार्थ वहाँ नहीं रहा; इसलिए शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। इस अनुमान से आत्मा का शरीर से पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है।

दूसरे प्रमाण—मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इत्यादि अनुभव द्वारा आत्मा स्वयं सिद्ध है। यह अनुभव शरीर को नहीं होता। अगर शरीर को यह अनुभव होता हो तो मृत शरीर में पाच महाभूतों के रहते हुए भी क्यों नहीं होता? अतः मृत शरीर में सुख, दुःख, ज्ञान आदि आत्मीय गुणों का अभाव ही दिखाई देता है।

जो जिसके गुण होते हैं, वे उस गुणी के साथ ही रहते हैं। जैसे मिट्टी के रूप, रस, गन्ध आदि गुण हमेशा मिट्टी के साथ ही रहते हैं, वैसे ही अगर सुख, दुःख, ज्ञान आदि गुण शरीर के होते तो सदा उसके साथ ही रहते। परन्तु मृत शरीर के साथ ये गुण नहीं रहते। इससे सिद्ध होता है कि ये गुण शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ के हैं और वह दूसरा पदार्थ आत्मा ही है।

आत्मा की सिद्धि अनुमान प्रमाण से भी होती है—(१) एक ही माता-पिता से जन्मे हुए पुत्रों में तीव्र-मंद बुद्धि, सुख-दुःख, धनसम्पन्नता-निर्धनता आदि गुणों का अन्तर दिखाई देता है। ये सब बातें पूर्वजन्मगत शुभाशुभकर्मविशिष्ट आत्मा के माने बिना सिद्ध नहीं हो सकती। (२) चैतन्य पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों से उत्पन्न नहीं हो सकता; क्योंकि वह पंचमहाभूतों से भिन्न जाति का है। जो भिन्न जाति का है, वह भिन्न जाति वाले से उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे—पृथ्वी से भिन्न जाति वाले जलादि उत्पन्न नहीं हो सकते। वैसे पंच महाभूतों से चैतन्य भिन्न जाति का है। अतः वह उन पंच महाभूतों से उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि भिन्न जाति वाले पदार्थ से भिन्न जाति वाले पदार्थ की उत्पत्ति मानी जायगी तो पृथ्वी से जनादि की, और जलादि से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, पर ऐसा होना नहीं। इसलिए चैतन्यशक्तिविशिष्ट आत्मा शरीर से भिन्न पदार्थ है। अन्य अनेक प्रमाणों में आत्मा की सिद्धि की जा सकती है। परन्तु हम ग्रन्थविस्तार के भय में इस विषय को यही संमट लेने है।

इन प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि हो जाने पर नास्तिकवादियों के मत की असत्यता स्पष्ट प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म या परलोकगमन तथा इहलोक-आगमन के प्रत्यक्ष प्रमाण भारतवर्ष में पहले भी और अब भी मिले हैं। ऐसे कई बालकों का पता लगा है, जिन्हें अपने पूर्वजन्म के माता-पिता, पत्नी, घर, पड़ोस, लेनदेन आदि सब बातों का स्मृतिज्ञान था, और उनके बताए हुए स्थान पर जा कर पता लगाने पर वे सब बातें सत्य मालूम हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी देखिये—जन्म लेते ही बालक को माता के स्तनपान आदि का ज्ञान होता है, वह उम्र समय तो सिखाया ही नहीं गया था, न गर्भ में ही सिखाया गया था। अतः वह ज्ञान पूर्वजन्म के अस्तित्व को सिद्ध करता है।

इस प्रकार नास्तिकवादियों द्वारा जीव के इह-परलोक-गमन के निषेध की असत्यता सिद्ध हो गई।

इसी प्रकार पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मबन्ध तथा उसके सुख-दुःखरूप फल के अस्तित्व के विषय में प्रमाण देखिये—ससारी जीवों में हम अनेक प्रकार की भिन्नता देखते हैं, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। बिना कारण के कोई भी

कार्य नहीं होता। एक सुखी है, एक दुःखी है, एक मंदबुद्धि है, एक तीव्रबुद्धि है। कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई बिना परिश्रम किये अपार धनराशि का उपभोक्ता बना हुआ है, दूसरा दिन-रात अथक मेहनत करने पर भी अपना पेट भी नहीं भर पाता, कोई मंत्री के पद पर है, और कोई उसी के दफ्तर में चपरासी है। ये सब विषमताएँ या विचित्रताएँ नि सदेह पूर्वकृत शुभ-अशुभ कर्मबन्ध को सूचित करती हैं। इसी प्रकार दो सहोदर भाइयों के एक ही धनसम्पन्न घर में पैदा होने पर भी दोनों के जीवन में अन्तर दिखाई देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लाभान्तराय कर्म के टूटने से प्राप्त धन और साधनों का भलीभांति उपभोग कर रहा है, दूसरा घर में धन होते हुए भी चिरकाल से रोगी रहने के कारण धन और साधनों का उपभोग नहीं कर पाता। एक भाई मंदबुद्धि होने के कारण पढाये जाने वाले विषय को तुरन्त समझ नहीं पाता, जबकि दूसरा भाई तीव्रबुद्धि होने से पढाये जाने वाले विषय को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष फल व उनमें अन्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म (पुण्य-पाप) के फल हैं, जिनका बन्ध पूर्वजन्मों में हुआ है।

इस प्रकार नास्तिकवादियों के द्वारा पुण्यपापकर्मरूप बन्ध एवं उनके फल के निषेधरूप कथन की असत्यता स्पष्ट सिद्ध हो चुकी।

पंच घ स्रष्टे भर्षति केइ—इसके बाद बौद्धमतावलम्बियों की चर्चा करते हैं। बौद्धमतावलम्बी ५ स्कन्ध मानते हैं—रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और सस्कार। पृथ्वीजल आदि तथा रूपरस आदि को रूपस्कन्ध कहते हैं। सुखरूप, दुःखरूप तथा दुःख-सुख-उभयरूप जो अनुभव होता है, उसे वेदनास्कन्ध कहते हैं। रूप, रस आदि का जो ज्ञान होता है, उसे विज्ञानस्कन्ध कहते हैं। संज्ञा के निमित्त से वस्तु का जो भान होता है, उसे संज्ञास्कन्ध कहते हैं और पुण्यपाप आदि धर्म-समुदाय को सस्कार-स्कन्ध कहते हैं। इन पांच स्कन्धों के अलावा आत्मा नाम का कोई पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता।

मर्षं च मणजीविका वर्धति—बौद्धों में सौत्रान्तिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार—ये ४ दार्शनिक मत हैं। इन चारों में से एक मत वाले इन पूर्वोक्त ५ स्कन्धों के अतिरिक्त मन को और मानते हैं, और कहते हैं—महं मन ही रूपादि के ज्ञान का उपादान कारण है। इसी मन के आधार पर वे परलोक मानते हैं। उनके मत से मन ही जीव है। मन के अतिरिक्त जीव का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वे मनोजीव या मनोजीविका कहलाते हैं।

बौद्धमत की असत्यता—बौद्धों के इन दोनों मतों की असत्यता तो आत्मा की

सिद्धि के लिए पहले दिये गए प्रमाणों से स्पष्ट हो जाती है। इस विषय में विशेष स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं।

जो बौद्ध मन को ही जीव मानते हैं, उनके मत से परलोकगमन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मन का तो शरीर के साथ ही नाश हो जाता है, फिर परलोक में कौन जाएगा? यदि यह कहा जाय कि सूक्ष्म मन सतान परलोक में जाती है तो प्रश्न उठेगा कि वह मन सतान नित्य है या क्षणिक? यदि क्षणिक है तो वही पूर्वोक्त दोष (परलोकगमन की असिद्धि) अब भी बना रहा। यदि कहे कि मन सतान नित्य है तो उनके मतानुसार 'सभी वस्तुएं' क्षणिक हैं यह प्रतिज्ञा भंग होती है। और फिर आत्मा और नित्य मन में कोई अन्तर नहीं रहा। आपने केवल नाम दूसरा रख लिया, इतना ही अन्तर हुआ। इस प्रकार 'मन ही जीव है' इस मत की अमत्यता समझ लेनी चाहिए।

बाउ जीवोत्ति एवमाहुंसु—कई दार्शनिकों का कहना है कि श्वासोच्छ्वास की वायु (प्राणवायु) ही जीव है। जब तक श्वास चलता रहता है, तब तक जीवन है और जब श्वास बंद हो जाता है, तब मृत्यु हो जाती है। इसके सिवाय परलोक में जाने वाला कोई आत्मा नहीं है।

यह मत भी अमत्यपूर्ण है, क्योंकि श्वासादि वायु जड़ है और आत्मा चैतन्यस्वरूप है। जड़ वायु को चैतन्यगुण वाला आत्मा कैसे माना जा सकता है? इसके सिवाय श्वास व उच्छ्वास दोनों शरीर के साथ रहने वाले हैं। शरीर के नाश होने के साथ ही इनका नाश हो जाता है। बल्कि कई बार तो शरीर के नष्ट होने से पहले ही ये बंद हो जाते हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले जब श्वासोच्छ्वास चलना बंद हो जाता है तो उम्र समय आँविसजन (प्राणवायु) नाक में चढ़ाया जाता है, फिर भी उस प्राणवायु—(श्वासवायु) में मनुष्य जीवन नहीं होता। अतः श्वासोच्छ्वासवायु को जीव मानने का कथन असत्य सिद्ध हो जाता है।

सरीरं साविद्यं सनिघ्नं सव्वनासोत्ति—कई दार्शनिकों का यह कथन है कि शरीर आदिमान है; क्योंकि यह उत्पन्न होता है। जो-जो उत्पन्न होते हैं वे सब पदार्थ सादि होते हैं, जैसे घटपटादि। शरीर भी उत्पन्न होता है, इसलिए सादि है। जिसकी आदि है, उसका अन्त भी होता है। शरीर सादि है, इसलिए इसका नाश भी होता हम देखते हैं। शरीर नाशवान होने से वह परलोक में साथ नहीं जाता। इसलिए विविध प्रकार से शरीर के यही इसी जन्म में नष्ट होते ही सभी चीजों का यही नाश हो जाता है। मतलब यह यह है कि शरीर जब यही नष्ट हो जाता है तो वह परलोक में नहीं जाता और न ही शुभाशुभ कर्मबन्ध कुछ शेष रहे और न उनका फल

भोगना बाकी रहा। शरीर के खत्म होते ही पुण्य-पापकर्म का बन्ध और उनका शुभाशुभ फल भी यही समाप्त हो गए ! कितनी विचित्र मान्यता है !

इस मत की असत्यता—अगर शरीर यहीं नष्ट हो जाता हो और उसके साथ ही पुण्यपाप कर्म और उनके फल नष्ट हो जाते हो, तब तो किसी को भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना करने की जरूरत ही नहीं और न अहिंसा-सत्यादि का पालन करने की ही जरूरत है ! फिर तो बेखटके मनमानी प्रवृत्ति ही मनुष्य करे ? परन्तु यह मत अनेक प्रमाणों से खण्डित हो जाता है। हम पहले शरीर से भिन्न अनुगामी नित्य आत्मा की एव पुनर्जन्म, तथा पुण्यपाप के फल की बातें अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर आए हैं, अतः उन्हीं पर से इस मत की असत्यता समझ लेनी चाहिए।

तन्हा दाणवय नत्थि फलं बामसोगवादी—इन्हीं पूर्वोक्त दार्शनिकों का यह घोर नास्तिकवादी मत है कि “दान, व्रत, तप, पीषघ, सयम, ब्रह्मचर्य आदि अर्थात् कल्याण के हेतु त्रिकरण-त्रियोग से ज्ञान-दर्शनचारित्र्यादि का आचरण करने पर भी उनका कोई मुफल कर्मक्षयरूप या सुगतगमनादिरूप नहीं है। तथा प्राणातिपात, श्रुतवादा, चोरी, परस्त्रीगमन, परिग्रहसेवन तथा अन्य कोई भी पापकर्म अशुभ फल के हेतु नहीं है, ये सब कपोलकल्पित है। नारको, तिर्यञ्चो व मनुष्यों की योनियाँ या देवलोक नहीं है, सिद्धि (मोक्ष) गमन भी नहीं है। माता-पिता भी नहीं होते। न पुरुषार्थ है, न प्रत्याख्यान है, न काल है, न मौत है, न अरिहृतो, चक्रवर्तियो, बलदेवों या वासुदेवों का कोई नामोनिशान है, न ही किन्हीं ऋषि-मुनियों का अस्तित्व है; धर्माधर्म का फल भी थोड़ा या बहुत कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा जान कर इन्द्रियों के अनुकूल तमाम विषयों में खूब डट कर प्रवृत्ति करो। कोई भी शुभ क्रिया या निन्दनीय अक्रिया नहीं है। लोक का विपरीतस्वरूप बताने वाले नास्तिकवादी इस प्रकार कहते हैं।

नास्तिकवादी अपने मत का समर्थन इस आधार पर करते हैं—कि दान, ब्रह्मचर्य आदि सब कल्याणकारी धर्म के अग तो आस्तिकों ने माने हैं, हम तो उन्हें नहीं मानते। इनके मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। जो आस्तिकों द्वारा प्रमाण दिये जाते हैं, उन सब में परस्पर विरोध है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में सब अप्रमाण हैं।

अपने मत की पुष्टि करते हुए वे आगे कहते हैं—अपि इह किञ्चि बीसह सुकयं वा सुकयं वा एयं अविष्णाय वा सहानेय वावि दद्वतत्प्यभाबजो वावि भवति। नत्थेय किञ्चि कयकं तस लक्खणविहाणं निवतीए कारियं।” अर्थात् इस जीव लोक में जो भी सुकृत या दुष्कृत दिखाई देता है, वह अपने-आप ही (यदृच्छा से) होता है, या स्वभाव से होता है, अथवा कभी-कभी दैव के प्रभाव से होता है। इस ससार में कोई भी

चीज किसी के द्वारा रचित नहीं है, पदार्थों के जो भी स्वरूप या प्रकार हैं, वे सब नियति के द्वारा किये गए हैं ।

जैसाकि उन्होंने पहले कहा था कि तप, जप, सयम आदि या पुरुषार्थ, प्रत्याख्यान आदि कुछ भी नहीं हैं । जब कोई उनसे पूछना है कि यह जो पुरुषार्थ, त्याग, प्रत्याख्यान आदि किये जाते हैं, ये क्या हैं ? तो वे कहते हैं—इस ससार में जो कुछ होता है, वह अपने आप है, अपनी इच्छा से होता चला जाता है । अथवा यह सब पदार्थों के अपने-अपने स्वभाव के अनुसार होता चला जाता है । कोई इनको करता-कराता नहीं है । अथवा अपने-अपने समय के अनुसार सब होता चला जाता है ।

कहा भी है—

कष्टकस्य प्रतीक्षणत्वं मयूरस्य चिचित्रता ।

वर्णास्थ ताञ्जचूडानां स्वभावेन भवन्ति हि ॥

अर्थात्—काटे में तीखापन, मोर का रगबिरगा चित्रित शरीर, मुर्गों के शरीर पर अनेक रंग, ये सब स्वभाव से होते हैं ।

इसी प्रकार जो पुरुषार्थ, त्याग या पुण्य-पाप के फल हैं, वे भी स्वभाव से ही होते चले जाते हैं । अथवा दैव के प्रभाव से भी कभी-कभी ये सब दिखाई देते हैं । यदि कोई उनसे पूछे कि सुखी-दुखी, धनी-निर्धन आदि जो विचित्रताएँ या विविधताएँ ससार के जीवों में दिखाई देती हैं, ये किम कारण से हैं ? दैव या स्वभाव से अगर ये होते हों तो सभी मनुष्यों के एक सरीखे होने चाहिए, जैसे मोर आदि सब में एक सरीखे डिजाइन, आकृति व रंग होते हैं, फिर मनुष्यों के जीवन में यह अन्तर क्यों ? इसके उत्तर के लिए वे नियति का पल्ला पकड़ लेते हैं कि जो सुख-दुख या धनी-निर्धन आदि विविधताएँ दिखाई देती हैं, वे सब नियतिकृत हैं, होनहार से या भवितव्यता से ही होती हैं । कहा भी है—

“प्राप्तव्यो नियतिबलाभयेण योऽर्थः,

सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।

भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने,

नाभाष्यं भवति, न भाविनोऽस्ति नाशः ॥”

मनुष्यों को नियति (भवितव्यता—होनहार) के बल पर जो शुभ या अशुभ पदार्थ मिलना होता है, वह अवश्य ही मिल कर रहता है । प्राणियों के जीतोड़ प्रयत्न करने पर भी जो बात नहीं होती होती है, वह कदापि नहीं होती और जो होने वाली होती है, उसका कभी नाश नहीं होता । यानी उसे कोई रोक नहीं सकता; वह हो कर ही रहती है ।

इस दृष्टि से पुरुषार्थ, त्याग, प्रत्याख्यान आदि या चोरी, जारी आदि जो होने

होते हैं, वे हो कर ही रहते हैं। नियति अपने आप चलती है, उस पर किसी का प्रति-बन्ध नहीं। जब नियति के प्रभाव से ससार में तथाकथित शुभ या अशुभ कार्य होते हैं, तब फलाफल की बात ही क्यों? किसी अच्छी-बुरी क्रिया का स्वयमेव कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके फलाफल देने की तो बात ही नहीं उठती। और न उनके फल को भोगने के लिए कोई परलोक में जाता है और न यहाँ आता है। न तथाकथित पाप-पुण्य कर्मों का फल किसी को मिलता है। न कोई तथाकथित पुण्य के फलस्वरूप तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव या वासुदेव बनते हैं और न कोई ऋषि—मुनि ही होते हैं। यह सब आस्तिकों की अपनी कल्पनामात्र है। जैसा होनहार होता है, वैसा ही मनुष्य हो जाता है। माता-पिता का विशेष सम्बन्ध भी झूठा और कल्पित है। यह सृष्टि स्वभावतः बढती जाती है। एक प्राणी से अपने समान दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है। उन दोनों का सम्बन्ध माता-पिता एवं मन्तान का न हो कर सिर्फ जन्मजनकसम्बन्ध है। और यह सम्बन्ध चेतन और अचेतन दोनों में हम समानरूप से देखते हैं। जैसे सचेतन मनुष्यादि के सम्बन्ध से सचेतन जूँ, खटमल आदि पैदा हो जाते हैं, वैसे ही उनसे अचेतन मलमूत्र आदि भी उत्पन्न होते हैं और अचेतन काठ से घुन, कीड़े आदि सचेतन पदार्थ जन्म लेते हैं। उसी प्रकार अचेतन बुरादा (चूर्ण) आदि भी उससे पैदा होना हैं। इसलिए पदार्थों का केवल जन्मजनकभाव सम्बन्ध है, मातृत्व-पितृत्व और पुत्र-पुत्रीत्व आदि कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इसलिए माता-पिता कहे जाने वाले व्यक्तियों का अपमान, भोग या विनाश आदि करने में कोई दोष नहीं है। नास्तिकवादी आगे कहते हैं कि 'लोग धर्मप्राप्ति के लिए त्याग, प्रत्याख्यान या अहिंसादि का पालन करते हैं, परन्तु जब धर्म ही मिट्ट नहीं होता तो त्याग आदि का व्यर्थ कष्ट सहना आकाश में फूल लगाकर उसकी सुगन्ध लेने की आशा के समान निष्फल है। जब दान, परोपकार आदि पुण्य या त्याग, प्रत्याख्यान, अहिंसा-सत्यादि धर्म अथवा इनसे विपरीत चोरी, जुआ, परस्त्रीगमन आदि पाप और मिथ्याभाषण आदि अधर्म ही मिट्ट नहीं हैं तो उनके फल के चक्कर में भी पड़ना व्यर्थ है। जब पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म आदि भी हैं नहीं, तो इनका फल कहाँ से मिल जाएगा?'

इसी तरह वे कहते हैं कि काल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर काल नामक कोई द्रव्य हो तो वह उपलब्ध होता। परन्तु जब उनके सामने यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अगर काल न होता तो वसन्तऋतु आने पर पतझड़ हो कर जो नये पत्तों और फूल आदि निकल आते हैं, वर्षाऋतु आते ही जो वर्षा शुरू हो जाती है, ग्रीष्मऋतु में जो भूमि, हवा आदि गर्म होकर सारा वातावरण उष्णता से व्याप्त होता है, शीतऋतु आते ही सर्वत्र शीतलहरी जो चल पड़ती है, प्राणी ठंड के मारे ठिठुरने लगते हैं, यह सब क्या है? क्या काल के बिना यह सब हो सकता है? इसके उत्तर

में वे कहते हैं—यह सब उन वस्तुओं का स्वभाव ही है। वस्तुस्वभाव के अतिरिक्त काल नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देती।

इसी प्रकार मृत्यु भी कोई चीज नहीं है। चूँकि आस्तिक लोग परलोकगमन को मृत्यु कहते हैं। जब जीव ही नहीं है, तब परलोक में गमन किसका होगा? किसकी मृत्यु होगी? और परलोक का भी तो कोई अतापता नहीं है। इसलिए मृत्यु भी सिद्ध नहीं होती।

अथवा 'कालमच्छू' को एक शब्द माना जाय तो अर्थ है—कालक्रम से आयुष्य का क्षय हो जान पर जो मृत्यु होती है, वह कालमृत्यु है। ऐसी काल-मृत्यु भी तब सिद्ध हो, जब पहले आयुर्कर्म सिद्ध हो जाय। जब आयुष्यकर्म का ही पहले पता नहीं है तब क्षय किसका माना जाय? अतः कालमृत्यु भी कोई चीज नहीं है।

उन नास्तिकवादियों से जब यह पूछा जाता है कि जब ये सब चीजे नहीं हैं, पुण्य, पाप, धर्म, अधर्म, जीव, काल, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, त्याग, प्रत्याख्यान आदि सब बातों का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर क्या किया जाय, जिससे जीवन सुखी रहे? इसके उत्तर में वे इन्द्रियो एव विषयो के गुलाम नास्तिकवादी कहते हैं—'तम्हा एव विजाणिऊण जहा सुबहु इंदियाणुकुलेसु सब्बविसएसु बट्टह' यानी पूर्वोक्त सब बातें अस्तित्वहीन हैं, यह जान कर इन्द्रियानुकूल सभी विषयों में खूब अच्छी तरह प्रवृत्ति करो। चार्वाकदर्शनकार की भाषा में इसी बात को स्पष्ट कर देते हैं—

'यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।

भस्मीभूतस्य बेहस्य, पुनरागमनं कुतः ॥'

'जब तक जीवों सुख से जीवों, पास में पैसा न हो तो कर्ज लं कर भी घी पीओ। यानी खाओ, पीओ, मौज उडाओ। शरीर के निर्जीव होते ही यह जला दिया जायगा। शरीर के साथ ही आत्मा भी यही जल जायगी। फिर न कही जाना है और न कही से वापिस आना ही है। राख बने हुए शरीर का फिर लोट कर इस शरीर में जन्म लेना कैसे संभव है? आस्तिक लोगो ने पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक की व्यर्थ की कल्पना करके ससार को दुःख में डाल रखा है। सुख का राजमार्ग तो यही है! अतएव किसी धर्मभीरु नारी को सम्बोधित करते हुए वे अपनी मनमानी कल्पना के अनुसार कहते हैं—

'पिब खाव च वाएलोचने !, यदतीतं वरयात्रि ! तन्न ते।

नहि भीर ! गतं निवर्तते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥'

अर्थात्—हे सुनयने ! खूब अच्छी तरह से खाओ, पीओ और आनन्द करो, हे सुन्दरि ! जो कुछ बीत गया, वह तेरे हाथ से निकल गया। जो चला गया वह

लौट कर नहीं आता ! अरी ! धर्मभीरु ! डर मत । यह शरीर तो सिर्फ पंचभूतों का पुतला है । इसके सिवाय आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है । न नरक है, न स्वर्ग है, न कहीं जाना है, न आना है । फिर चिन्ता और भीति किस बात की ?

नास्तिकवादियों के मत की असत्यता—सर्वप्रथम तो नास्तिकवादियों की दानादि पुण्यकर्म और अहिंसादि या त्याग प्रत्याख्यान वगैरह धर्म के अभाव की कल्पना ही निर्मूल है । क्योंकि संसार की या समाज की सुव्यवस्था, मानवसमाज के विकास, सुसंस्कारों की वृद्धि आदि के लिए तथा अपने जीवन को भीतिकता से ऊपर उठा कर आध्यात्मिकता की भूमिका पर लाने के लिए इन सब वस्तुओं को माने बिना कोई चारा नहीं । धर्म, ईश्वर को न मानने वाले वर्तमानकालिक साम्यवादी भी राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए धर्म-पुण्य के उपर्युक्त सब अर्थों का जनता में होना अनिवार्य मानते हैं । जैसे शासनव्यवस्था में दण्ड की अनिवार्य आवश्यकता रहती है, उसके बिना अराजकता और आपाघापी ही फैलती है; जो सारी सृष्टि या राष्ट्र की सुव्यवस्था के लिए खतरनाक है । वैसे ही धार्मिक जगत् में भी अगर सबको चोरी, व्यभिचार आदि पापों के करने की छूट दे दी जाय और उसका कोई भी दण्ड न मिले तो मनुष्य दानव, राक्षस और पशु बन जायगा । समाज में किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं रहेगी । इसलिए यहाँ भी दण्डव्यवस्था जरूरी है । वह भयकर पापकर्म करने वालों के लिए नरक-तिर्यञ्च-योनि में गमन के रूप में है । और अच्छे कार्य करने वालों को पारितोषिक के रूप में स्वर्ग या मनुष्यलोक की प्राप्ति है । जो निस्वार्थभाव से आत्मशुद्धि के लिए त्याग, तप, सयम आदि का पालन करता है, वह सम्पूर्ण कर्मक्षय हो जाने पर सिद्धगति भी पाता है ; यह केवल कपोल-कल्पना नहीं, किन्तु एक अनिवार्य और ज्वलन्त तथ्य है । इसलिए त्याग-तप आदि तथा पुण्य-पाप, धर्माधर्म के फल, चार गतियों में गमन, मोक्ष आदि तथ्यों को झूठलाया नहीं जा सकता ।

त्याग, तपस्या का फल इस लोक में मानव की प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पूजनीयता तथा शारीरिक व मानसिक शान्ति के रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध है । त्यागी महात्माओं के चरणों में राजा, महाराजा और चक्रवर्ती आदि भी नतमस्तक होते हैं और अपने को धन्य मानते हैं । परलोक में जाते समय भी त्यागी आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, और वहाँ भी अपने त्याग-तप का वह फल प्राप्त करता है । किन्तु जो व्यक्ति हिंसा, असत्य आदि पापाचरण में रत रहता है, उसकी आत्मा यहाँ भी सदा संकलित रहती है, समाज में भी वह निन्दित और घृणित होता है, उसे हिकारतभरी दृष्टि से देखा जाता है । पापकर्मों और विषयों में आसक्त मनुष्य की इस लोक में कोई प्रशंसा या प्रतिष्ठा

नहीं करता। मरते समय भी उसके चेहरे पर अप्रसन्नता होगी, वह हायतोबा मचाते हुए इस दुनिया से कूच करेगा और आगे भी अपने दुष्कर्मों के अनुसार कुगति और कुयोनि में जन्म पा कर नाना प्रकार के दुःख भोगेगा। इसलिए प्रत्याख्यान, त्याग तप आदि तथा उनके फलस्वरूप देवलोक, मनुष्यलोक या सिद्धगति आदि के विषय में नास्तिकों की असत्यवादिता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है। सुक्रिया और दुष्क्रिया प्रत्यक्ष दिखाई देती है, “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषांन समाचरेत्” (जो अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरों के प्रति भी न करो) इस न्याय के अनुसार व्यक्ति स्वयमेव इन दोनों का निर्णय कर सकता है।

नास्तिकवादियों का माता-पिता, ऋषिमुनि तथा अरिहन्त आदि का निषेध करना भी मिथ्या है। माता-पिता के साथ सतान का जन्मजनकभाव सम्बन्ध तो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने पर स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस सम्बन्ध के अलावा वे व्यवहार दृष्टि से पूजनीय भी सिद्ध होते हैं। जैसे कीचड़ में कमल और मेढक की उत्पत्ति समान होने पर भी कमल आदरणीय समझा जाता है, वैसे ही माता-पिता सतान के अत्यन्त उपकारी होने से लोकपक्ष में पूजनीय माने जाते हैं। अगर नास्तिकवादी माता-पिता को न मानते तो उनकी दशा जगली पशुओं से भी गईबीती होती। इतने सुसंस्कार, विद्या और कलाएँ या विकास के माधन, जो नास्तिकों को मिले हैं, वे कहाँ से मिलते? इसी प्रकार जगत् के लिए उपकारी होने से ऋषि-मुनि और अरिहन्त भी पूजनीय माने जाते हैं। जगत् पारम्परिक विनिमय के आधार पर चलता है, किन्तु साधुता—त्यागशीलता के आधार पर वह विकसित होता है। दमनिए जगत् में साधु-सतों या तीर्थंकरों के मार्गदर्शन की और उनसे धर्म-अधर्म के फल की प्रेरणा की आवश्यकता रहने से उनका अस्तित्व तो स्वतः ही सिद्ध है। चक्रवर्ती आदि राज्यशासन के नेताओं की भी संसार में आवश्यकता रहेगी ही। अगर राजा, चक्रवर्ती आदि का अस्तित्व नहीं माना जाएगा तो राष्ट्रव्यवस्था में गड़बड़ पैदा होगी, अराजकता फैल जायगी। जो मनुष्य नीति-धर्म के नियमों का उल्लंघन करके राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हैं, दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं, छुटपाट, चोरी, हत्या आदि कुकर्म करते हैं, उनको दण्ड देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो सर्वत्र आपाधापी मच जायगी। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए राज्यशासनकर्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। यह एक तथ्य है। यह बात दूसरी है कि लोकतन्त्रीय व्यवस्था में चक्रवर्ती राजा आदि की ज़रूरत न रहती हो, परन्तु शासक की तो ज़रूरत हर देश और हर काल में रहेगी ही, भले ही वे मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में हों। इसलिए तमोगुणी तत्त्वों के दमन के लिए व व्यवस्था के लिए राज्यशासन के नेता के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। आगमप्रमाण से तो अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव,

वासुदेव व ऋषि आदि सिद्ध हैं। अतः नास्तिकवादियों का यह सारा कथन असत्य-पूर्ण है।

स्वभाववादियों की असत्यवादिता—स्वभाववादियों का यह कथन भी असत्य है कि दुनिया की सभी विविधताएँ या विचित्रताएँ स्वाभाविक हैं। कर्मों के निमित्त से उत्पन्न नहीं हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि वह स्वभाव जीव आदि पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न ? यदि वह जीवादि से भिन्न है, तब तो विविध शुभाशुभ क्रियाओं से उत्पन्न कर्म ही सिद्ध होता है। यदि उसे जीवादि पदार्थों से अभिन्न मानते हैं तब तो वह जीवादि-स्वरूप ही हुआ। अतः जीव आदि पदार्थों से भिन्न कोई स्वभाव सिद्ध नहीं होता। स्वभाववादियों के मत से मोर के शरीर पर रंगबिरंगी विचित्रता आदि अकारण ही सिद्ध नहीं होती। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। विचित्रतारूप कार्य भी मोर के पूर्वकृत कर्मों के कारण हुआ है। अगर बिना कारण के कार्य का होना माना जाय तब तो बन्ध्या के पुत्र और आकाश के फूल भी हो जाने चाहिए। अतः स्वभाववाद अनेक दोषों से युक्त होने से असत्य है।

नियतिवादियों की असत्यता—नियतिवादियों का यह कथन भी मिथ्या है कि सभी कार्य नियति-होनहार के बल से होते हैं, पुरुषार्थ करना निष्फल है। यदि मनुष्य होनहार के भरोसे हाथ पर हाथ धर कर बैठ रहे तो वह भूखो मर जायगा। पुरुषार्थ से ही सब काम सिद्ध होते हैं। किसान समय पर भूमि को जोते नहीं एव बीज नहीं बोए तो क्या उसे नियति अनाज दे देगी ? कदापि नहीं देगी। उद्योगी विचार्यो अध्ययन करके प्रखर विद्वान् बन जाते हैं, जबकि होनहार के भरोसे आलसी बन कर बैठे रहने वाले मूर्ख ही रहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ का परिणाम तो सर्वत्र प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, दिखाई दे रहा है, अतः इसे निष्फल बताना मिथ्या है।

काल और मृत्यु का निषेध भी असत्यकथन है—काल और मृत्यु दोनों कुछ नहीं है, इस प्रकार का नास्तिकवादियों का कथन भी असत्यप्रलाप है। क्योंकि काल और मृत्यु दोनों प्रमाण से सिद्ध होते हैं। ससार में जितने भी कार्य होते हैं, उनके उपादानकारण के सिवाय प्रधान और अप्रधान दो निमित्तकारण भी होते हैं। जैसे घड़े का प्रधान निमित्तकारण कुम्हार और अप्रधान निमित्तकारण मिट्टी ढोने वाला गधा आदि है, वैसे ही सतानोत्पत्ति में प्रधान निमित्तकारण स्त्री-पुरुष-संयोग होने पर भी अप्रधान निमित्तकारण काल की अपेक्षा रहती है। कई वनस्पतियों को जल आदि का निमित्त मिलने पर भी ऊगने और फलने-फूलने के लिए काल की अपेक्षा रहती है। अतः सिद्ध हुआ कि काल एक स्वतंत्र द्रव्य है। बालक, युवक, वृद्ध आदि अवस्थाएँ भी कालकृत ही हैं। नूतन और पुरातन पर्यायों की सिद्धि भी काल को माने बिना नहीं हो सकती। ऋतुओं का अपने-अपने समय पर ही कार्य करना काल-

कृत ही है। काल की सिद्धि के लिए जबलन्त प्रमाण यह है कि किसी भी द्रव्य की पर्यायें उस द्रव्य को छोड़ कर नहीं रह सकती। मिनट, घड़ी, पहर, घण्टा, दिन, रात आदि काल की पर्यायें हैं, इसलिए उन पर्यायों का धारण करने वाला काल भी उनके साथ ही रहेगा। इस प्रकार कालद्रव्य के बारे में नास्तिकों का निषेधात्मक कथन असत्य सिद्ध होता है। मृत्यु भी आयुष्यकर्म से सम्बन्धित है। आयुष्यकर्म का प्रति-समय क्षय होता रहता है। जब पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मृत्यु हो जाती है। इसलिए, मृत्यु तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, उसका अपलाप करना मिथ्या है।

जगत् की रचना के सम्बन्ध में विविध दार्शनिकों के मत—जगत् की उत्पत्ति या रचना के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। सर्वप्रथम शास्त्रकार पौराणिक मत का उल्लेख करते हैं—‘संभूतो अंडकाजो लोगो’—यानी ‘यह सम्पूर्ण लोक अंडे से उत्पन्न हुआ है।’ ‘ब्रह्माण्डपुराण’ में कहा है कि पहले जगत् पचमहाभूतो (पृथ्वी आदि) से रहित था। वह एक गभीर महासमुद्ररूप था, इसमें केवल जल ही जल था। उसमें एक विमाल अंडा प्रादुर्भूत हुआ। चिरकाल तक वह अंडा लहरो में इधर-उधर बहता रहा। फिर वह फूटा। फूटने पर उसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़े से भूमि और दूसरे से आकाश बना। बाद में उसमें से सुर (देव), असुर (दानव), मनुष्य, चौपाये पशु-पक्षी आदि सम्पूर्ण जगत् पैदा हुआ। इस प्रकार उस अंडे से बना हुआ ही यह जगत् (लोक) है।

सयंभुजा सयं च निम्बिओ—दूसरे पौराणिकों का मत है कि यह जगत् स्वयं ब्रह्माजी ने बनाया है। उनका मत इस प्रकार है—

आसीदिवं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥१॥

तस्मिन्नेकार्णवीभूते नष्टस्थावरजंगमे ।

नष्टामरनरे चैव, प्रनष्टे राक्षसोरगे ॥२॥

केवलं गह्वरीभूते महाभूतदिवजिते ।

अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र शयानस्तप्यते तपः ॥३॥

तत्र तस्य शयानस्य, नाभेः पद्मं विनिर्गतम् ।

तदणार्कबिम्बनिभं, हृद्यं कांचन-कर्णिकम् ॥४॥

तस्मिन् पद्मे भगवान् बण्डयज्ञोपवीतसंयुक्तः ।

ब्रह्मा तत्रोत्पन्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५॥

अदितिः सुरसंधानां, दितिरसुराणां, मनुर्मनुष्याणाम् ।

विनता बिहंगमानां, माता विश्वप्रकाराणाम् ॥६॥

कद्रुः सरीसृपानां, सुलसा माता च नागजातीनाम् ।

सुरभिश्चतुष्पशानानिला पुनः सर्वबीजानाम् ॥७॥

अर्थात्—“पहले यह जगत् घोर अन्धकारमय था। बिल्कुल अज्ञात, अलक्षण, अतर्क्य तथा अविज्ञेय था। मानो वह सर्वथा सोया हुआ था। वह केवल एक समुद्र के रूप में था। उसमें स्थावर, जंगम, देव, मानव, दानव, उरग, भुजंग आदि कोई भी नहीं था; सब के सब प्राणी नष्ट हो गए थे। पृथ्वी आदि महाभूत तथा पर्वत, वृक्ष आदि से वह ससार रहित था। वह केवल गह्वररूप था। वहाँ मन से भी अचिन्त्य विष्णु सोये हुए तपस्या कर रहे थे। वहाँ सोये हुए विष्णु की नाभि से एक कमल निकला। जो तरुण सूर्यबिम्ब के समान तेजस्वी, मनोहर और सोने की कणिका वाला था। उस कमल में से दण्ड और यज्ञोपवीत से युक्त भगवान् ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने ‘जगदम्बाएँ’ (जगत् की माताएँ) बनाई—दिति, अदिति, मनु, विनता, कद्रु, सुलसा, सुरभि और इला। दिति ने दैत्यो को, अदिति ने देवगणों को, मनु ने मनुष्यों को, विनता ने समस्त प्रकार के पक्षियों को, कद्रु ने सरीसृपो (सब सर्पों) को, सुलसा ने नागजातियों को, सुरभि ने चौपायों को और इला ने समस्त बीजों को उत्पन्न किया।”

दोनों पौराणिक मतों की असत्यता—(१) अंडे से जगत् की उत्पत्ति बताने वालों से पूछा जाय कि कि जब जगत् पंचमहाभूतों से रहित था, जब उसमें कोई भी चीज नहीं थी, तब अंडा कहाँ से आया ? और पानी भी कहाँ से आया ? यदि यह कहें कि अंडा और पानी पहले से थे और उनके सिवाय बहाँ और कोई चीज नहीं थी, तो भूमि और आकाश ये दो महाभूत कहाँ से टपक पड़े ? और बाद में आपके ही मतानुसार पंचमहाभूतों के अभाव में देव, दानव, मानव और पशु-पक्षी कहाँ से पैदा हो गए ? अतः ये सब उटपटाग कल्पनाएँ प्रमाणबाधित होने से असत्य है। (२) विष्णु द्वारा सृष्टिरचना मानने वालों से पूछा जाय कि सृष्टि रचने से पहले जब कुछ भी नहीं था, तो विष्णु कहाँ रहे ? यदि कहे कि जल था, तो प्रश्न होता है—जल को किसने बनाया ? यदि कहे कि उसे किसी ने नहीं बनाया, स्वयमेव अनादिकाल से निर्मित है, तब पृथ्वी आदि पदार्थों को भी अनादिकाल से स्वयंनिर्मित क्यों न मान लिया जाय ? विष्णु ने तपस्या की इससे सिद्ध होता है कि विष्णु भी कर्मविशिष्ट थे, शक्तिहीन थे। इसलिए कर्मक्षय करने के लिए एव शक्तिसम्पादन करने के लिए उन्होंने तप किया। इस प्रकार विष्णु भी हमारे ही समान कर्मविशिष्ट, अल्पज्ञ और असमर्थ सिद्ध होते हैं।

कोई भी वस्तु केवल इच्छा करने से या ज्ञानमात्र से नहीं उत्पन्न हो जाती, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता प्रतीत होती है। थोड़ी देर के लिए हम यों मान लें कि विष्णु में इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न तीनों सृष्टिरचना के लिए थे, तो भी उपादानकारण के बिना कार्य कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु का उपादान कारण पहले सिद्ध होना चाहिए। जब विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा ने

भाठ माताएँ बनाईं तथा उन भाताओ ने देव, दानव आदि को जन्म दिया, तब विष्णु, ब्रह्मा आदि ने क्या उनके शरीर और आत्मा दोनों को पैदा किया या केवल शरीर को ही ? यदि आत्मा को पैदा किया तो उसका स्रष्टाकारण कौन था ? यदि कहे कि उनकी आत्माएँ तो पहले से ही थी तो प्रश्न होता है, उन आत्माओ को किसने बनाया ? इत्यादिरूप में उत्तरोत्तर इसी प्रकार प्रश्नों की झड़ी एक के बाद एक लगी रहेगी; अतः इसमें अनवस्थाबोध उपस्थित होगा। यदि कहे कि विष्णु, ब्रह्मा आदि ने तो सिर्फ उनके शरीर को ही बनाया, उनकी आत्माएँ तो अनादिकाल से थी, तब हम पूछते हैं कि उन आत्माओ के साथ कर्म लगे हुए थे या नहीं ? यदि कहे कि कर्म लगे हुए नहीं थे, वे तो बिलकुल शुद्ध, कर्मरहित थी, तब तो उनके साथ कर्म लगा कर उन्हें अशुद्ध करके ससार में विविध योनियों में जन्म देने वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि दयालु कैसे हो सकते हैं ? दूसरों को घोर सकट में डालने वाले दयालु, पूज्य और महान् भी कैसे हो सकते हैं ?

दूसरा प्रश्न इस सम्बन्ध में यह होता है कि विष्णु ने सृष्टिरचना क्यों की ? स्वभाववश की ? क्रीडावश की ? इच्छावश की ? या दयालुता में प्रेरित हो कर की ?

यदि स्वभाववश सृष्टिरचना मानें तो यह यथार्थ नहीं है। क्योंकि स्वभाव से जो कार्य होता है, वह सदा होता है, एकसरीखा होता है। जैसे अग्नि स्वभाव से ही दाह उत्पन्न करती है, जब तक अग्नि रहेगी, तब तक दाह उत्पन्न करती रहेगी। इसी प्रकार विष्णु को भी सदा सतत ब्रह्मा आदि की एक-ही उत्पत्ति करते रहना चाहिए। परन्तु ऐसा आप नहीं मानते। विष्णु तो ब्रह्मा को पैदा करके शान्त हो गए। अतः स्वभाव से सृष्टिरचना मानना ठीक नहीं। यदि क्रीडावशान् विष्णु ब्रह्मा आदि को बनाते हैं तो क्रीडा तो क्षुद्र प्राणी किया करते हैं। विष्णु तो परमात्मा और आनन्दमय माने जाते हैं, उन्हें क्रीडा करने की आवश्यकता ही क्यों पडी ? यदि वे अपनी इच्छावश जगत् की रचना करते हैं तो इच्छा तो कर्मविशिष्ट अज्ञ जीव में होती है, क्योंकि इच्छा कर्म का कार्य है। बिना कर्मादय के इच्छा नहीं होती। इच्छा मान भी लें तो उसकी वह इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य है तो उसका कार्य भी नित्य निरन्तर होता रहेगा, कभी उस कार्य में विराम नहीं होगा। यदि अनित्य है तो उसका कौन-सा कारण है ? कर्म कारण है या अन्य कोई कारण ? कर्म के सिवाय और कोई कारण हो नहीं सकता। क्योंकि अन्य कोई वस्तु विष्णु के सिवा सृष्टि के आदि में नहीं थी। कर्म को कारण मानने पर विष्णु कर्मविशिष्ट सिद्ध होगा। इस प्रकार के पूर्वोक्त दूषण उपस्थित होंगे। यदि दयालुता से प्रेरित हो कर विष्णु सृष्टि बनाते हैं, तब तो यह कथन भी उपहास का विषय होगा। सृष्टि से पहले जब कोई प्राणी था ही नहीं, तब दया किस पर की गई ?

मान लो, विष्णु दयालु हैं, इसलिए उन्होंने प्राणियों को पैदा किया, तब तो उन्हें दया करके सभी प्राणियों को सुखी, परस्पर सहयोगी और साधनसम्पन्न बनाने चाहिए थे ? उन्होंने दुःखी तथा देव और दानव, नकुल और सर्प, गृह और नाग आदि परस्पर शत्रुजीवो को क्यों बनाया ? इसलिए यह सब कल्पना सत्य से कोसों दूर समझनी चाहिए ।

‘पर्यपन्ति पयावद्गुणा इस्सरेण य कथंति केह—इसके पश्चात् शास्त्रकार ईश्वर-कर्तृत्ववाद का उल्लेख करते हैं कि कई दार्शनिकों का कहना है—यह जगत् प्रजापति (ब्रह्मा) तथा महेश्वर ने बनाया है, अथवा प्रभु ईश्वर ने बनाया है । यहाँ वैशेषिक दर्शन का मत देते हैं—जगत् मे ७ पदार्थ हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव । इनमे से अभाव के सिवाय बाकी के ६ पदार्थ सद्भावरूप हैं । सामान्य, विशेष और समवाय ये तीनों पदार्थ नित्य हैं, कर्म अनित्य ही हैं । तथा गुण दो प्रकार के हैं—नित्य और अनित्य । नित्य द्रव्यों मे रहने वाले गुण नित्य है, और अनित्य द्रव्यों मे रहने वाले अनित्य । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं । इनमे से आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये ५ द्रव्य नित्य है, शेष द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, और अग्नि ये ४ द्रव्य नित्य और अनित्य दो प्रकार के हैं । परमाणुरूप पृथ्वी आदि नित्य हैं और कार्यरूप अनित्य है ।

ईश्वरकर्तृत्ववादियों का कहना है कि “अनित्य पर्वतादि पृथ्वी, समुद्र आदि जल, दिखाई देने वाली अग्नि और स्पर्श की जाने वाली वायु ये सब बुद्धिमान (ईश्वर) के बनाये हुए हैं । क्योंकि ये कार्य हैं । जो-जो कार्य होते हैं, वे-वे सब किसी न किसी के द्वारा अवश्य किये (बनाए) हुए होते हैं । जैसे घडा, वस्त्र, महल आदि कुम्हार, जुलाहे व मिस्त्री आदि के द्वारा बनाए हुए हैं । पृथ्वी, पर्वत आदि भी कार्य हैं, अतएव वे भी किसी बुद्धिमान के बनाये हुए हैं । वह बुद्धिमान सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है । क्योंकि सारे विश्व के पदार्थों का निर्माण वही कर सकता है, जो उन सबके जनक कारणो का ज्ञाता हो । सर्वज्ञता के बिना विश्व के जनक कारणों का ज्ञान होना असम्भव है । और बिना जाने कोई उनका यथायोग्य सयोग या प्रयोग भी नहीं कर सकता । जैसे कुम्हार को घडा बनाने में मिट्टी, पानी, चक्र आदि जनक कारणो का ज्ञान है, उन सबका ज्ञान होने के कारण ही वह उनका यथायोग्य उपयोग कर लेता है, वैसे ही विश्व के कार्यों के लिए उन सबके जनक कारणो का

१ इसका विस्तृत वर्णन जानना हो तो स्याद्वादमंजरी, आप्तपरीक्षा, स्याद्वाद-रत्नाकर और प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि ग्रन्थ देखें । —सम्पादक

ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि उन सबका यथायोग्य उपयोग किया जा सके। इस प्रकार सृष्टि का कर्ता ईश्वर ही सिद्ध होता है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वही सबका गुरु और नित्य है।

अज्ञ प्राणियों को अपने कर्मों के फल का ज्ञान नहीं होता। वे अच्छे बुरे कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परन्तु उन कर्मों का फल क्या है? उन्हें भोगने का कौन-सा स्थान है? इत्यादि बातों का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उन्हें कर्म का फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक में भेजता है। कहा भी है—

‘अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वप्नमेव वा ॥’

अर्थात्—‘यह अल्पज्ञ प्राणी अपने किये हुए कर्मों के जो सुख-दुःखरूप फल हैं, उन्हें जानने में असमर्थ है। अतः उन फलों को भोगने के लिए ईश्वर द्वारा प्रेरित (भेजा गया) ही वह स्वर्ग या नरक में जाता है।’ उनका कहना है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतन्त्र है। जैसे चोर चोरी तो कर लेता है, लेकिन उसका फल—कारावास आदि दण्ड नहीं भोगना चाहता। न्यायाधीश, राजा आदि उसे सजा सुनाते हैं और भोगने के लिए विवश करते हैं। वैसे ही यह ससारी जीव अनेक प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म कर लेता है। न्यायाधीश ईश्वर उसे उनका फल देता है। यदि उनसे कोई पूछे कि ईश्वर ने जानते हुए भी उसे बुरे कर्म क्यों करने दिये? तो इसका उत्तर वे यो देते हैं कि ईश्वर ने तो उन्हें समार में प्रवृत्ति करने के लिए उत्तम मार्ग का उपदेश दिया और यह भी कहा कि इस मार्ग पर चलने से तुम्हारा हित होगा और इससे विपरीत मार्ग पर चलने पर तुम्हें दण्डित किया जाएगा। इस प्रकार समझ कर ईश्वर ने उसे कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी। यदि वह प्राणी भला काम करता है तो ईश्वर उसे अच्छा फल स्वर्ग आदि देता है और यदि वह बुराचार आदि बुरे काम करता है तो उसे नरकादि की यातना देता है।

ईश्वरकर्तृत्वबाध की असत्यता—ईश्वरकर्तृत्ववादियों का यह सब उपयुक्त कथन विचारशून्य और युक्तिशून्य है तथा असत्यता से पूर्ण है।

प्रथम तो यह कहना प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आदि के भिन्न-भिन्न जाति के परमाणु अपने-अपने सजातीय कार्य को ही उत्पन्न करते हैं। यानी पृथ्वी के परमाणु पर्वत आदि पार्थिव पदार्थों को ही उत्पन्न करते हैं, जल के परमाणु नदी आदि जलीय पदार्थ को तथा अग्नि के परमाणु दिखाई देने वाली उष्णतागुणविशिष्ट अग्नि को ही पैदा करते हैं; इतर को नहीं। क्योंकि इस कथन के विपरीत कार्य-सांकर्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे चन्द्रकान्त मणि

पाथिव है। चन्द्रमा के उदय होने पर उसकी किरणों का सम्बन्ध होने से उससे जल उत्पन्न होता है, पाथिव सूर्यकान्तमणि से सूर्य की किरणों का संसर्ग होने पर अग्नि पैदा होती है। अरणि नाम की लकड़ी पाथिव है, उसको परस्पर रगड़ने से उसमें से अग्नि पैदा होती है, स्वातिनसत्र का जलबिन्दु सीप में पड़ने से पाथिव मोती बन जाता है। इत्यादि रूप में कार्यसाकर्य प्रत्यक्ष दिखाई देने के बावजूद भी पृथ्वी आदि के भिन्न-भिन्न परमाणुओं को अपने-अपने सजातीय का उत्पादक मानना प्रमाण-विरुद्ध है।

उनका दूसरा तर्क यह था कि 'अनित्य पृथ्वी, पर्वत आदि घटपटादि की तरह कार्य होने से किसी न किसी बुद्धिमान (ईश्वर) के बनाए हुए हैं; यह कथन भ्रमपूर्ण है। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि हर एक चीज का बनाने वाला कोई न कोई बुद्धिमान कर्ता हो ही। बादल बुद्धिमान कर्ता के बिना भी बनते और बिखरते हुए दिखाई देते हैं। बिजली चमकती और नष्ट होती है, जमीन पर पानी बरसने पर घास आदि बुद्धिमान के उगाए बिना ही उगती है, वर्षाऋतु में पानी बरसता है, शरदऋतु में ठंड और ग्रीष्मऋतु में गर्मी आदि बिना ही किसी बुद्धिमान के पड़ती है। उसके पीछे कोई भी उन-उन पदार्थों के कार्यों को करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। पदार्थों की उत्पत्ति और उनका नाश हम प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन उनका कर्ता-कर्ता तो नहीं दिखाई देता।

यदि यो कहे कि ईश्वर कहा से दिखाई दे ? वह तो अमूर्त और अदृश्य है। वह हमारी आँखों में दृष्टिगोचर नहीं होता। तब हम उनसे पूछते हैं कि वह ईश्वर शरीररहित है या शरीरधारी ? यदि शरीररहित है तब तो वह सृष्टि के पदार्थों को कैसे बनाएगा ? बिना शरीर या हाथ-पैर आदि अवयव के तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि कहे कि वह शरीरधारी है, तो उसका शरीर नित्य है या अनित्य ? उसे नित्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वह अवयवसहित है। जो पदार्थ अवयवयुक्त (खण्ड के रूप में) होते हैं, वे सब घटपटादि की तरह अनित्य होते हैं। ईश्वर का शरीर भी सावयव मानने पर वह अनित्य ही सिद्ध होगा। यदि ईश्वर का शरीर अनित्य है तो प्रश्न होता है—वह किसका बनाया हुआ है ? यदि कहे कि ईश्वर ने अपने शरीर को स्वयं ही बनाया है, तब तो उसके पहले भी ईश्वर के शरीर को मानना पड़ेगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर आगे-आगे के शरीर के पैदा करने को लिए उसके पूर्व-पूर्व के शरीर मानने पड़ेंगे। इस तरह लगातार शरीर मानते जाने पर अनवस्थादोष उपस्थित होगा। अनवस्थादोष जहा जाता है, वहाँ कार्य की सिद्धि नहीं होती।

ईश्वर ने संसारी जीव को सुमार्ग पर चलने और कुमार्ग से बचने आदि का उपदेश दिया, इत्यादि कथन भी असत्य सिद्ध होता है। क्योंकि हम ऐसा कहने वालों से पूछते

हैं—सृष्टि के प्रारम्भ में जीव कर्मसहित थे या कर्मरहित ? यदि कहे कि वे कर्मसहित थे तो उन कर्मों को किसने बनाया ? यदि यह कहें कि वे कर्म तो उन-उन आत्माओं ने ही बनाए हैं तो आपका कार्यरूप हेतु दूषित हो जाता है। आपका मानना है कि जितने भी कार्य होते हैं, वे सब ईश्वर के किये हुए होते हैं। यदि कहें कि उन कर्मों को भी ईश्वर ने बनाया, तब तो उसकी परम दयालुता पर बहुत बड़ा आक्षेप यह आता है कि ईश्वर ने उन शुद्ध और सुखी आत्माओं को व्यर्थ ही कर्मों से लिप्त बना कर अशुद्ध और दुःखी क्यों बना दिया ? क्या यही उसकी दयालुता है ?

यह मान भी लें कि ईश्वर ने सृष्टि के आदि में सुमार्ग पर गमन और कुमारों से रक्षण का उपदेश दे कर कर्म करने की स्वतन्त्रता दी, परन्तु वह ईश्वर सर्वज्ञ और परम दयालु पिता होते हुए भी अपने पुत्र जीव को बुरे मार्ग पर चलने से रोकता क्यों नहीं ; क्या यही उसकी दयालुता है ? एक पिता अपने प्रिय पुत्र को बुरे मार्ग पर चलते देख कर चुपचाप नहीं बैठता, वह उसे जरूर रोकता है, तब परमपिता परमदयालु ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो कर भी अपने प्रियपुत्रों को अन्यायमार्ग पर चलते हुए देख कर-जानकर भी उपेक्षा कैसे कर सकता है ? उस समय चुप्पी कैसे साध सकता है ? अतः उनका यह कथन भी सत्य से रहित है।

न्यायाधीश या राजा की तरह जीवों को अपने कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता बतलाई, वह विचार भी युक्तिहीन है। क्योंकि ईश्वर अरूपी और अशरीरी होने से कर्मयुक्त जीव को किस प्रकार फल देगा ? तथा न्यायाधीश भी जब तक अपराधी का अपराध सुन न ले और गवाहों आदि से पूछनाछ व बहुसंभवाहिसे, जिरह आदि द्वारा पक्का निर्णय न कर ले तब तक उमे दण्ड देने को प्रस्तुत नहीं हो सकता। यही नहीं, कई बार साक्षियों की साक्षी कानून से विपरीत मिलने पर स्वयं अपराधी का अपराध जान लेने पर भी उस अपराधी को निर्दोष बरी कर देना पड़ता है। जैसे बहुत से अपराध प्रगट न होने पर अपराधी को किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, वैसे ही ईश्वर के सामने भी बहुत से अपराध सिद्ध न होने पर क्या अपराधी को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा ? क्या ईश्वर के न्याय की भी यही दशा है ?

ईश्वर को कर्मों के फल भुगवाने के पचडे मे डालने से उस पर पक्षपात, दयाहीनता, अविवेक आदि अनेक आक्षेप आते हैं। इसलिए उस निर्लेप, निरजन, निर्विकार परमात्मा को कर्मफलदाता मानना युक्तिसंगत नहीं है। कर्मों का फल तो वे कर्म स्वयमेव आत्मा को भुगवाने में समर्थ हैं। जब आत्मा कर्म करता है, तभी कर्मों के उदय होने के निमित्तों को भी बाँध लेता है। उन्ही निमित्तों के कारण प्रत्येक प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल अनायास ही पा लेता है। जिस प्रकार बीज में

वृक्ष उगने की योग्यता होने पर भी पृथ्वी, जल आदि निमित्तों की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार कर्मों के फल भोगने के लिए निमित्तों की आवश्यकता है। चोरी करने पर चोर को चोरी के निमित्त से राजा आदि द्वारा दण्डित किया जा सकता है। वैसे ही आत्मा भी कर्मोदय के समय काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। ये निमित्त कारण अदृश्य नहीं हैं, अपितु युक्तियुक्त और बुद्धिमत् हैं। बीज को ठीक निमित्त मिलने पर वह फल आदि से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा भी पाँच निमित्तों (काल, स्वभाव आदि) के मिलने पर अपने कर्मों के शुभाशुभफल के अनुभव से युक्त हो जाता है। जैसे मदिरा मादक द्रव्य होने पर भी चेतन के संयोग होने या चेतन का निमित्त मिलने पर ही नशा चढा कर अपना स्वरूप प्रगट करती है, जब तक शीशी आदि में पडी है, तब तक वह अपने स्वरूप को प्रगट नहीं करती; वैसे ही जड कर्म और चेतन (आत्मा) दोनों का निमित्त ही कर्मफल देने में समर्थ है। कर्म अचेतन होते हुए भी जिस समय आत्मा अशुभ परिणामो से कोई प्रवृत्ति करता है उसी समय कर्मपुद्गल उसके चिपक जाते हैं, जो समय पर उदय में आ कर अवश्य ही स्वाभाविक रूप में अपना शुभाशुभ फल देते हैं, जिन्हे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं मिलता।

उक्त युक्तियों से ईश्वरकर्तृत्वाद् की असत्यता सिद्ध हो जाती है।

‘विष्णुमय कसिणमेव य जगं ति केई’—कई दार्शनिक इस समस्त जगत् को विष्णु-मय मानते हैं। ससार में सर्वत्र विष्णु व्यापक है। इस विषय में वे ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

जले विष्णुः, स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके ।

ज्वालामालाकुले विष्णुः, सर्वे विष्णुमयं जगत् ॥१॥

पृथिव्यामप्यहं पार्थ ! वायावग्नौ जलेऽस्म्यहम् ।

सर्वभूतगतश्चाह,^१ तस्मात्सर्वगतोऽस्म्यहम् ॥२॥

अर्थात्—‘जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, पर्वत के मस्तक पर विष्णु है, ज्वालामाला (अग्नि की लपटों) के समूह से व्याप्त ज्वालामुखी पर्वत आदि में भी विष्णु है। इसलिए सारा जगत् विष्णुमय है।’ ‘हे अर्जुन ! मैं पृथ्वी में भी हूँ; वायु, अग्नि और जल में भी मैं हूँ, समस्त प्राणियों में भी मैं हूँ। अतः मैं सारे ससार में व्याप्त हूँ।’ इसी बात की पुष्टि के हेतु मार्कण्डेय ऋषि की एक कथा है—

१ ‘वनस्पतिगतश्चाहं सर्वभूतगतोऽप्यहम्’ यह पाठ भी कहीं-कहीं है। इसका अर्थ है—‘मैं वनस्पति में भी रहता हूँ और सभी प्राणियों में भी मैं रहता हूँ।’

सो किल जलयसमुत्थेणुबएणेगन्नवन्मि लोगन्मि ।
 बीतीपरंपरेणं धोलंतो उदयमज्जन्मि ॥१॥
 सो किल पेच्छइ सो तसथावरपणहुसुरनरतिरिक्कजोणीयं ।
 एगन्नवं जगमिणं महभूयविक्कज्यं गुहिरं ॥२॥
 एवंपिहे जगंमी पेच्छइ नग्गोहपायवं सहसा ।
 मंवरगिरिब्ब तुंगं, महासमुद्दं च विच्छिन्नं ॥३॥
 ल्खंमि तस्स सयणं, अच्छइ तहि बालओ मणभिरामो ।
 संबिद्धो मुद्धहियओ मिउकोमलकुच्चियकेसो ॥४॥
 हत्थो पसारिओ से महरिसिणो एह तत्थ भणिओ थ ॥
 ल्खं इमं विलग्गसु भा मरिहिसि उदयवुद्धीए ॥५॥
 तेण थ घेत्तुं हत्थे उ मीलिओ सो रिसी तओ तस्स ।
 पेच्छइ उवरंमि जयं ससेलवणकाणणं सब्ब ॥६॥

अर्थात्—सारा ससार जल के बढ जाने के कारण एक जलमय महासमुद्र हो गया । उस अथाह जलप्रवाह में लहरो की परम्परा के साथ बहते हुए मार्कण्डे ऋषि ने इस जगत् को त्रस, स्थावर, देव, मानव और तिर्यञ्चर्यों के जीवों के नष्ट हो जाने से महाभूतो से रहित गह्वररूप एक महासमुद्र रूप में देखा । साथ ही ऐसे प्रलयमय जगत् में सहसा उन्हें एक विशाल वटवृक्ष नजर आया, जो मंदराचल के समान ऊँचा और महासागर के समान विस्तीर्ण था । फिर उन्होंने उसके स्कन्ध पर एक मनोहर नयनाभिराम बालक को सोये हुए देखा, जिसका हृदय शुद्ध था, जो सवेदनशील (भावुक) था । उसके बाल बड़े कोमल, चिकने और घुंघराले थे । उसने महर्षि की ओर हाथ फैलाए और कहा—'यहाँ आ जाओ । इस स्कन्ध को पकड़ लो, इससे तुम पानी के बढ जाने पर भी मरोगे नहीं । इसके बाद उसने महर्षि का हाथ पकड़ कर उसी स्कन्ध पर अपने साथ मिला लिया । उस समय मार्कण्डे ऋषि ने उस बालक विष्णु के उदर में पर्वतो, वनो और काननो सहित सारे जगत् को देखा । फिर सृष्टि के समय विष्णु ने सबकी रचना की ।

विष्णुमयबाद की असत्यता—उक्त सारी बातें कपोलकल्पित हैं । न तो ये बातें युक्तिसंगत हैं और न किसी प्रमाण से सिद्ध हैं । प्रत्यक्ष द्वारा पाषाण आदि अचेतन पदार्थों में तथा मनुष्य आदि सचेतन पदार्थों में विष्णु का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता । क्योंकि विष्णु का जैसा स्वरूप विष्णुमयवादियों ने माना है, वैसा उनमें दिखाई नहीं देता, और न अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से या युक्तियों से विष्णु सिद्ध होता है । यदि पृथ्वी में विष्णु है तो उसे खोदना, पैरो से रोंदना, उस पर मलमूत्र करना सर्वथा अनुचित है; क्योंकि जहाँ विष्णु का निवास है, वह स्थान तो उनके लिए विष्णुमन्दिर के समान पूजनीय होना चाहिए । इसी प्रकार स्त्री में, पुत्र में, माता में,

पिता मे, गुरु मे और शिष्य मे भी विष्णु के विद्यमान रहने से कुछ भी अन्तर नहीं रहेगा । फिर यह प्रश्न होता है कि वह विष्णु अचेतनरूप है या सचेतनरूप ? यदि वह चेतनरूप है, तब तो पाषाणादि अचेतन पदार्थों मे उसकी सत्ता न रह सकेगी और वह यदि अचेतनरूप है तो चेतन मनुष्य, पशुपक्षी आदि में नहीं रह सकेगा । इस प्रकार विष्णु को सर्वव्यापी मानने मे अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं । इसलिए विष्णु को सर्वत्र व्यापक मान कर सारे जगत् को विष्णुमय मानना प्रमाणविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध होने से असत्य है ।

‘एवमेके बहति भोस एगो आया’—अब शास्त्रकार आत्माद्वैतवादी वेदान्त-दर्शन की मीमांसा करते हुए कहते हैं कि यह मिथ्या कथन है कि ‘एक ही आत्मा है । जब वेदान्तियों के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ये जो विविध प्राणियों मे अलग-अलग आत्माएँ दिखाई देती है, इन्हे कैसे झुठलाएँगे ? तब वे युक्ति से इस बात को सिद्ध करते हैं—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकघा बहुधा चैव वृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

अर्थात्—‘ससार मे आत्मा तो एक ही है, वही प्रत्येक प्राणी मे स्थित है । वह एक होने पर भी अनेक-सा प्रतीत होता है, जैसे चन्द्रमा एक होने पर भी अनेक जल-पात्रो या जलाशयो मे प्रतिबिम्बित होकर अनेकरूप मे प्रतिभासित होता है ।’

आत्माद्वैतवाद की असत्यता—यह आत्माद्वैतवाद प्रमाण से बाधित है । क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से प्रत्येक आत्मा की सत्ता अलग-अलग प्रतीत होती है । अगर विश्व के सभी प्राणियों की आत्मा एक ही मानी जाएगी तो एक व्यक्ति के किये हुए अशुभकर्म का फल दूसरे शुभकर्म वाले को मिल जाएगा और उसके द्वारा कृत शुभकर्मों का फल अशुभकर्म वाले को मिल जाएगा । परन्तु ससार मे ऐसा देखा नहीं जाता कि एक मेहनत करे और दूसरा उसका फल भोगे । जो आत्मा अन्याय या अपराध करता है, वही दण्ड भोगता है, जो विद्याध्ययन मे श्रम करता है, वही विद्वान् बनता है; जो जहर खाता है, वही मरता है, ये सब बातें आत्मा के भिन्न-भिन्न अस्तित्व को सिद्ध करती हैं । अगर सब मे एक ही आत्मा मानी जाय तो एक के जहर खाने से मरने पर सबको मर जाना चाहिए, परन्तु ऐसा होना असम्भव है ।

सर्वत्र एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए जल मे चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब का जो दृष्टान्त दिया गया है, वह भी यथार्थरूप से घटित नहीं होता । चूँकि आकाश में स्थित चन्द्रमा और जलाशय या जलपात्र मे स्थित प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न हैं । आकाश-वर्ती चन्द्र प्रकाश, शान्ति और आह्लाद का जो कार्य करता है, उसे जलाशय या जल-पात्र मे स्थित चन्द्र-प्रतिबिम्ब नहीं कर सकता । कार्यभेद से वस्तु मे भेद माना जाता

है। इसलिए वे दोनो एक नहीं हैं; बल्कि भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। जल में स्वच्छता के कारण किसी भी वस्तु के प्रतिबिम्ब के रूप में परिणत होने की योग्यता है। वह अपने सामने जिस वस्तु को पाता है तद्रूप प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह मानना नितान्त असत्य और प्रमाणबाधित है कि वही आकाशवर्ती चन्द्र जलपाशों में अनेकरूप दिखाई देता है।

एकब्रह्मबाध की असत्यता—वेदान्तदर्शन का कहना है कि जगत् में केवल एक ही ब्रह्म है, इसके सिवाय और कोई पदार्थ नहीं है। हमें ये जो भेद दिखाई दे रहे हैं, वे सब उस (ब्रह्म) के विवर्त (पर्याय) हैं।

कहा भी है—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन ।

आरामं तस्य पश्यन्ति न तत् पश्यति कश्चन ॥

अर्थात्—‘जो कुछ भी वस्तुसमूह हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब ब्रह्मरूप ही है। इस जगत् में ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई चीज नहीं है। लोग प्रायः उम (ब्रह्म) के आरामो (पर्यायो) को देखते हैं, उस शुद्ध ब्रह्म को कोई नहीं देखता।’

‘विश्व में जो घट, वस्त्र, मकान, हम, तुम आदि नाना भेदों का प्रतिभास हो रहा है, उसका कारण अनादिकाल से आत्मा के साथ लगी हुई माया है। उस माया (अविद्या) होने से आत्मा को ब्रह्मज्ञान से वंचित करके इन झूठे पदार्थों की कल्पना के चक्कर में डाल दिया है। माया का पर्दा आत्मा को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने देता। जब यह आत्मा माया का पर्दा हटा कर उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब माया का भ्रमजाल हट जाने से ‘अहं ब्रह्माऽस्मि’ (मैं ही ब्रह्म हूँ) इस भावना में मग्न हो कर ध्यान की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ब्रह्म की सत्ता में मिल जाता है। उसकी सत्ता फिर अलग नहीं रहती। जैसे छोटे दीपक का प्रकाश बड़े दीपक के प्रकाश में मिल जाता है, इसी तरह ब्रह्मज्योति में आत्मज्योति मिल जाती है।’

उपर्युक्त सारा कथन प्रमाण और युक्तियों से बाधित है। वेदान्त का यह कथन भी असत्य है कि ये नाना भेद माया (अविद्या) के कारण प्रतीत होते हैं। प्रश्न होता है कि माया कोई वस्तु है या अवस्तु? यदि माया कोई वस्तु है, तब तो माया और ब्रह्म ये दो तत्त्व हो गए, वेदान्त का अद्वैत खण्डित हो गया, द्वैत की सिद्धि हो गई। यदि कहें कि माया अवस्तु है, तब तो वह भेदज्ञानरूप कार्य कैसे कर सकेगी? गधे के सींग के समान अवस्तु होने के कारण माया कुछ भी करने में समर्थ न हो सकेगी।

यदि घट, पट आदि पदार्थों का ज्ञान मिथ्या होता तो वह किसी अभ्य प्रमाण

द्वारा बाधित होता। जैसे मरीचिका (सूर्य किरणों से चमकती रेतीली भूमि) में उत्पन्न हुआ जल का ज्ञान पास जाते ही बाधित हो जाता है कि 'अरे ! यह तो केवल मरीचिका है। मैंने अज्ञानता (भ्रान्ति) से इसे जल समझ लिया था।' इस प्रकार उत्तर-काल में पूर्वकालिक ज्ञान बाधित होने पर उसे (पूर्वज्ञान को) मिथ्याज्ञान माना जाता है। लेकिन घट, पट, मकान आदि पदार्थों का पूर्वकालिक ज्ञान उत्तरकालिक (समीप जाने पर होने वाले) ज्ञान से बाधित नहीं होता, बल्कि उसमें प्रवृत्ति होने पर उस ज्ञान की सत्यता ही सिद्ध होती है कि मुझे पहले जो घट का ज्ञान हुआ था, वह बिलकुल सत्य है, क्योंकि कुएँ, नदी आदि पर ले जाकर इसमें जल भर कर ले आया हूँ।

अतः प्रमाण और युक्ति से स्रष्टित होने से ब्रह्मकत्ववाद भी असत्य सिद्ध हो जाता है।

आत्मा का अकर्तृत्ववाद—शास्त्रकार अब सांख्यदर्शन की मान्यता का उल्लेख करते हैं—'अकारको वेदको य सुकयस्स दुक्कयस्स' यानी आत्मा पुण्य और पाप कर्मों का कर्ता नहीं है, केवल उनका फल भोगने वाला है। प्रश्न होता है कि फिर पुण्यकर्मों और पापकर्मों का कर्ता कौन है ? इसके उत्तर में हम पहले सांख्यदर्शन की मान्यता का संक्षेप में दिग्दर्शन करते हैं—सांख्यदर्शन में मुख्य दो तत्व माने गए हैं—पुरुष (आत्मा) और प्रकृति। प्रकृति-पुरुष का स्वरूप इस प्रकार है—

‘त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि।

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥’

अर्थात्—प्रकृति यानी प्रधान सत्व, रज और तम तीन गुणों में युक्त है, विवेकरहित, विषय, सामान्य, अचेतन और व्यक्त है। तथा इसके विपरीत स्वरूप वाला पुरुष—आत्मा है, जो त्रिगुण आदि से रहित है।

पुरुष^१ (आत्मा) नित्य, अमूर्त, कर्मों का अकर्ता, कर्मों के फल का भोक्ता, असंग और निर्लेप चैतन्यस्वरूप है। पुरुष अपने स्वरूप का अनुभव करता है और उदासीन और द्रष्टा बना रहता है। प्रकृति ही ससार के सब कार्य करती है। वह जड़ और नित्य है तथा अनेक कार्य करने वाली है। ससार के रमस्थल पर नाचने वाली नर्तकी प्रकृति है। वह कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का और कभी देव का स्वाग (वेप) धारण करके नर्तनरूप अनेक क्रियाएँ करती रहती है। पुरुष (आत्मा) दर्शकों के समान उन सबका द्रष्टा है। ज्ञान, सुख, दुःख, हर्ष, शोक

१—कहा भी है—'अकर्ता, निर्गुणो, भोक्ता आत्मा कापिलदर्शने।'

२—'यस्मान्न बध्यते, न मुष्यते नापि संसरति कश्चित्।

संसरति बध्यते मुष्यते च नानाभया प्रकृतिः ॥'

आदि प्रकृति के धर्म है। आत्मा को हर्ष, शोक, ज्ञान आदि नहीं होता। वह तो कूटस्थ (सदा एक-सा रहने वाला) नित्य है। वह सभी विकारो से रहित है। प्रकृति का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से हो रहा है, इसलिए प्रकृति के द्वारा ज्ञात (ज्ञान द्वारा गृहीत) पदार्थ का प्रतिबिम्ब आत्मा में पड़ता है। उसे आत्मा जानता है। इसी प्रकार हर्ष, शोक आदि प्रकृति के धर्म भी प्रकृति का आत्मा (पुरुष) के साथ सम्बन्ध होने से आत्मा में झलकते हैं। जैसे शुद्ध स्वच्छ स्फटिकमणि के पास जपापुष्प रख देने से उस जपापुष्प की लालिमा स्फटिकमणि में झलकने लगती है और वह स्फटिकमणि लाल दिखाई देने लगती है। वस्तुतः वह लालिमा उसकी नहीं है। वैसे ही सुख-दुःख हर्ष-विषाद आदि सब प्रकृति के धर्म हैं। प्रकृति स्वच्छ शुद्ध आत्मा (पुरुष) के पास होने से ये सब हर्षादि उसमें झलकने लगते हैं। प्रकृति के साथ पुरुष का अनादिकालीन सम्बन्ध होने से पुरुष (आत्मा) को ही नर, नारक आदि नाना पर्यायों धारण करनी पड़ती है। लेकिन इससे पुरुष में कुछ विकार नहीं होता है। जब पुरुष (आत्मा) को इस प्रकार की विवेकख्याति (भेदज्ञान) हो जाती है कि 'यह प्रकृति है, ये सब काम इसके हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, तब वह (पुरुष या आत्मा) प्रकृति के जाल से निकल कर सम्प्रज्ञातसमाधि और उसके बाद असम्प्रज्ञातसमाधि द्वारा प्रकृति से सर्वथा भिन्न अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्थात् प्रकृति से सर्वथा पृथक् हो जाता है।

अतः ससार की सारी प्रक्रिया—रचना भी प्रकृति से ही होती है। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। और जब इनकी विषमता होती है, तब जगत् का प्रादुर्भाव होता है। जैसा कि सांख्यकारिका में कहा है—

‘मूलप्रकृतिरविकृतिर्महवाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त।

षोडशराकच विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥’

अर्थात्—मूल प्रकृति (त्रिगुण की साम्यावस्थारूप होने से) अविकृतरूप है—यानी किसी का कार्य नहीं है। महत् तत्त्व (बुद्धि), अहंकार और पांच तन्मात्रा ये सात कार्यकारणरूप होने से प्रकृतिविकृतिरूप हैं। अर्थात् कार्य (जन्य) भी हैं, कारण (जनक) भी। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पंच महाभूत और मन—ये १६ कार्य (विकार) रूप ही हैं। किन्तु प्रकृति और पुरुष ये दोनों न तो किसी के कार्य हैं और न किसी के कारण। अर्थात् ये दोनों न प्रकृतिरूप हैं, न विकृतिरूप।

आशय यह है कि सांख्यदर्शन सत्कार्यवादी है। वह मानता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारणों में सदा विद्यमान रहता है। वह कभी आवरण आ जाने से तिरोहित हो (छिप) जाता है, कभी आवरण के दूर हो जाने से व्यक्त (प्रादुर्भूत) हो जाता है। सृष्टि के प्रादुर्भाव का क्रम भी इस प्रकार बताया गया है—

‘प्रकृतेर्माहंस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गुणश्च षोडशकः ।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥’

अर्थात्—प्रकृति से महत्तत्त्व (बुद्धि) प्रगट होता है, महत्तत्त्व से अहंकार, और अहंकार से १६ गुण (५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रिया ५ तन्मात्रा और १ मन) प्रगट होते हैं । ५ तन्मात्राओ (स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द) से पृथ्वी-जल, वायु, अग्नि और आकाश ये ५ महाभूत प्रादुर्भूत होते हैं ।

इस प्रकार सृष्टि की रचना में २४ तत्त्व और २५ वां पुरुष (आत्मा) ये सब निमित्त होते हैं ।

सांख्यदर्शन के मत की असत्यता—प्रकृति और पुरुष का यह पूर्वोक्त सांख्यदर्शन का मत प्रतीति और प्रमाण से विरुद्ध होने से असगत और असत्य सिद्ध हो जाता है । सांख्यमत में बताया गया है कि जब तक सत्त्वादि त्रिगुणो की साम्यावस्था रहती है, तब तक प्रकृति अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है, जब इनमें विषमता-हीनाधिकता आती है, तब सृष्टि की रचना तथाकथित क्रम से होती है । यहाँ प्रश्न उठता है कि जब प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन होने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं करता, सिर्फ अपने स्वरूप का ही अनुभव करता है, तो अचेतन प्रकृति सब काम कैसे कर सकती है ? क्योंकि यह देखा जाता है कि चेतन का निमित्त पा कर ही अचेतन पदार्थ कुछ कार्य कर सकते हैं, किन्तु अकेली जड़ प्रकृति पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों और आकाश आदि अमूर्त पदार्थों की जनक कैसे हो सकती है ? न्यायशास्त्र का यह नियम है कि जैसा उपादान कारण होता है, वैसा ही कार्य होता है । मूर्त कारण हो तो उससे मूर्त कार्य और अमूर्त कारण हो तो अमूर्त कार्य होता है । मूर्त और अमूर्त धर्म परस्पर विरोधी हैं । एक ही वस्तु में ये दोनों धर्म नहीं पाये जा सकते । ज्ञान चेतन का धर्म है, वह अचेतन प्रकृति से कैसे उत्पन्न हो सकता है ?

सांख्यदर्शन के अनुसार कारण में हमेशा कार्य विद्यमान रहता है; यह बात भी असगत है । यदि कारण में कार्य सदा विद्यमान रहता हो तो उसकी उपलब्धि सदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं । दूध की अवस्था में दही नहीं दिखाई देता और न मिट्टी के डेले में घड़ा ही उपलब्ध होता है । यदि कारण में कार्य सदा विद्यमान होता तो दूध में दही की, मिट्टी के डेले में घड़े की उपलब्धि भी होती ।

यदि कहें कि कारण पर आवरण आया हुआ है, उसे दूर करने के लिए किसी योग्य अनुकूल कारण की आवश्यकता होती है । जब वह मिल जाता है, तब वह (कार्य) व्यक्त-प्रगट हो जाता है । जैसे मिट्टी में से घड़े को व्यक्त करने के लिए कुम्हार, चक्र बगैरह अनुकूल कारण अपेक्षित है । परन्तु यह मन्तव्य तो सत्कार्यवाद

का घातक है, क्योंकि कुम्हार आदि निमित्त कारणों ने मिल कर मिट्टी (उपादान कारण) से घड़ा पैदा किया है।

इस पर साख्यमत कहता है 'मिट्टी में घड़ा मौजूद न होता तो कुम्हार की क्या ताकत थी कि घड़ा बना देता? जैसे भरसक जोर लगाने पर भी कुम्हार पानी से कभी घड़ा नहीं बना सकता। अतः मानना पड़ेगा कि कारण में कार्य विद्यमान रहता है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए किसी व्यञ्जक की आवश्यकता होती है।' यह कथन भी प्रत्यक्ष-प्रमाणविरुद्ध है। यदि मिट्टी के ढेले में घड़ा होता तो चक्षु आदि इन्द्रियों से घड़े का आकार आदि प्रत्यक्ष प्रतीत होता। लेकिन वहाँ तो घड़े के विपरीत आकार वाला ढेला ही दृष्टिगोचर होता है। इसलिए मिट्टी के ढेले में घड़े का अस्तित्व स्वीकार करना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। यदि यह कहे कि 'जैसे अँधेरे में पड़ा हुआ घड़ा मौजूद होने पर भी आवरण आ जाने के कारण जब तक उमका व्यञ्जक-दीपक नहीं आ जाता, तब तक वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही ढेले में विद्यमान घड़ा भी आवरण आ जाने के कारण, उसका व्यञ्जक न आ जाय तब तक दिखाई नहीं देता।' साख्यदर्शन का यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि इस मन्तव्य से तो व्यञ्जक और कारक में कोई अन्तर नहीं मालूम देता। वस्तुतः कारक और व्यञ्जक में बड़ा अन्तर है। जहाँ व्यंग्य (प्रकट होने योग्य) पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण से पूर्व सिद्ध हो, पर किसी दूसरे पदार्थ से आवृत हो गया हो तो उसके विरोधी व्यञ्जक पदार्थ के उपस्थित होने से वह व्यक्त होता है। जैसे अँधेरे में घड़ा स्पर्शन आदि इन्द्रियों द्वारा सिद्ध होता है, तो वहाँ दीपक आदि व्यञ्जक के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। परन्तु मिट्टी के ढेले में घड़े की उपलब्धि किमी भी प्रमाण से पहले नहीं होती। कुम्हार आदि कारण से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है, अभिव्यक्ति नहीं। अँधेरे में स्थित घड़े के बारे में तो दीपक व्यञ्जक है, कारक नहीं, जबकि मिट्टी के ढेले में घड़े के होने के बारे में तो कुम्हार कारक है, व्यञ्जक नहीं। पूर्वोक्त कथन से सत्कार्यवाद की सिद्धि न होने से यह मानना ठीक नहीं है कि प्रकृति में महत्त्व (बुद्धि) आदि तत्त्व विद्यमान रहते हैं। तथा यह कथन भी गलत है कि सत्त्व, रज, तम की विषमता होने से महत्त्व आदि प्रादुर्भूत होते हैं। क्योंकि पहले तो सत्त्व, रज, तम की साम्यावस्थारूप प्रकृति ही प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, अपितु उसके कार्यरूप से माने गये महदादि ही सिद्ध होते हैं। इसलिए 'त्रिगुणमविवेकी' इत्यादि प्रकृति के लक्षण के सम्बन्ध में कथन बन्ध्यापुत्र के सौभाग्य आदि वर्णन के समान हास्यास्पद सिद्ध होता है।

इसी प्रकार पुरुष(आत्मा)को अकर्ता, कर्मफलभोक्ता व कूटस्थनित्य आदि मानना भी प्रमाणविरुद्ध है। यदि आत्मा पुण्य-माप का कर्ता नहीं, प्रकृति ही पुण्यपापादि की

कर्त्री है, तब तो आत्मा (पुरुष) का अस्तित्व मानना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो पुण्य-पाप का कर्ता है, वही उसके फल का भोक्ता होता है। यदि यह कहें कि आत्मा (पुरुष) तटस्थरूप से द्रष्टा मात्र है। प्रकृति का कार्य, जो बुद्धि है, उसमें प्रतिबिम्बित हुए सुख-दुःखादि का भोगने वाला है। यह कथन भी न्यायविरुद्ध है। जब आत्मा सर्वथा अकर्ता है, तो भोगक्रिया का कर्ता (भोक्ता) भी नहीं हो सकता। शुभाशुभकर्म करने वाली तो प्रकृति हो और उसका फल भोगने वाला पुरुष (आत्मा) हो, यह बात तो न्याय-विरुद्ध है। काम कोई करे और फल कोई भोगे, यह कहाँ का न्याय है? इससे तो कृत-का नाश और अकृत की प्राप्तिरूप दोष आएगा। इसलिए आत्मा को अकर्ता व भोक्ता मानना असत्य है।

आत्मा को सर्वथा कूटस्थनित्य मानने से उसकी नर, नारक आदि पर्यायों भी सिद्ध नहीं हो सकती, जबकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मा की नर-नारक, तिर्यञ्च आदि पर्याय प्रतीत होती है। और प्रकृति तो स्वयं जड़ है, उसकी ये चैतनात्मक पर्यायों ही कैसे सकती है? इसलिए आत्मा को कूटस्थनित्य मानना भी असत्य है। आत्मा द्रव्यरूप से नित्य है, वह कभी अनात्मा (जड़) हो नहीं सकता, सदा चैतन्यादिगुणावशिष्ट बना रहता है। इसलिए वह नित्य है। लेकिन कभी सुखी कभी दुःखी होता है, कभी मनुष्यपर्याय व कभी देवपर्याय को प्राप्त करता है, इसलिए अनित्य भी है। अतः आत्मा को कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य मानना ही सत्य है।

आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानना भी युक्तिविरुद्ध है। यदि आत्मा सर्वथा अमूर्त है तो उसका मूर्त प्रकृति के साथ सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। जैसे अमूर्त आकाश के साथ किसी मूर्त अग्नि, तलवार आदि का सम्बन्ध नहीं है। अग्नि, तलवार आदि मूर्त का असर भी अमूर्त आकाश पर नहीं दिखाई देता। क्योंकि आकाश का अग्नि से दाह और तलवार से छेदन नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानने पर उस पर मूर्त प्रकृति का असर कुछ भी न हो सकेगा। परन्तु साख्यदर्शन के मन्तव्यानुसार प्रकृति के सम्बन्ध से आत्मा नर-नारक आदि पर्यायों तथा सुख-दुःख आदि परिणामों का अनुभव करता है। इसलिए साख्यदर्शन का आत्मा को सर्वथा अमूर्त मानना भी असत्य है।

जपाकुसुम का दृष्टान्त दे कर आत्मा को जो सर्वथा निर्विकार, निर्लेप और शुद्ध सिद्ध करने की चेष्टा की गई है, वह भी यथार्थ नहीं है। जपाकुसुम का सम्बन्ध स्फटिकमणि के साथ बना रहता है, तभी तक वह स्फटिक लाल प्रतीत होता है। यद्यपि वह लालिमा उस स्फटिक की स्वाभाविक नहीं है; अपितु जपाकुसुम के सम्पर्क से आई हुई विकारजन्य है। तथापि उस स्फटिक में जपाकुसुमरूप से परिणमन करने की

शक्ति होने से जपाकुसुम के संयोग से वैसा हो जाता है। जैसे लोहे का गोला अग्निरूप नहीं है, लेकिन अग्नि का संयोग होने से अग्निस्वरूप हो जाता है और स्पर्श करने वाले को अग्नि के समान जलाता भी है। इसी प्रकार आत्मा भी द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध अनिर्विकार और निर्लेप है, लेकिन प्रकृति के संयोग से उसमें नाना पर्यायो या सुखदुःखानुभवरूप में परिणमन करने की शक्ति होने से वह तद्रूप विकारी, अशुद्ध और लिप्त होता है, कर्णचित् मूर्त भी है। अतः आत्मा को एकान्तरूप से सर्वथा शुद्ध, निर्लेप, निर्विकार और अमूर्त कहना मिथ्या है। साख्यदर्शन की पूर्वोक्त सभी बातें सत्य से विपरीत सिद्ध हुई हैं। सत्य यह है कि आत्मा ही पुण्य-पापकर्म का कर्ता है और वही उसका फलभोक्ता भी है। वह कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है, नरकादि पर्यायो में गमन करने के कारण सक्रिय है तथा ज्ञानादिगुण से विशिष्ट है और कर्मलेप से युक्त भी है।

पाँच कारण-समवाय में सत्यासत्यता—कई दार्शनिक जगत् के रचनारूप कार्य में काल को ही एकमात्र कारण मानते हैं। उनका कहना है कि बीज में उगने की शक्ति होते हुए भी, पानी, जमीन आदि का निमित्त और किसान का पुरुषार्थ मिलने पर भी वह समय पर ही अनाज के रूप में अकुरित होता है। इसी प्रकार संतानोत्पत्ति के सब निमित्त मिलने पर भी गर्भ काल के ६ मास पूर्ण होने पर ही प्रायः संतान होती है। यह सब काल का प्रभाव है। अपने-अपने समय पर ही सब ऋतुएँ, मास, पक्ष आदि अपना-अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहा भी है—

कालः सृजति भूतानि, कालः संहर्ते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥

अर्थात्—प्राणियों की सृष्टि (उत्पत्ति) अपने-अपने समय पर काल ही करता है, काल ही समय पर उनका सहार करता है। सब के सो जाने पर काल निरन्तर जागता रहता है। अतः काल के नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता।

दूसरे कुछ दार्शनिक स्वभाव को ही एकमात्र विश्व के पदार्थों के निर्माण और ध्वंसरूप कार्यों का कारण मानते हैं। उनका कहना है—संसार के जितने भी कार्य हैं, वे सब स्वभाव से ही होते हैं। इसमें किसी की इच्छा, काल या पुरुषार्थ काम नहीं देते। अपने-अपने स्वभावानुसार सभी चीजें बनती-बिगड़ती हैं। गर्भ में मिठास, सौष्ठव में तीखापन, मिर्च में चरचरापन, नमक में खारापन, हरे में कसैलापन आदि जो गुण हैं, वह स्वभाव से ही होता है। कोई उसको बनाता, बिगाड़ता नहीं है। कहा भी है—

रविरुष्णः शक्ती शीतः, स्थिरोऽग्निः पवनश्चलः ।

न स्मभ्युः स्त्रीभुखे, हस्ततलेषु न कुक्षोद्भवः ॥

भव्याऽनव्यादयो भावाः स्वभावेनैव जन्मते ।

कः कष्टकानां प्रकरोति तैस्त्वं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च ।

स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं, न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥

अर्थात्—सूर्य गर्म है, चन्द्रमा शीतल है, पहाड़ स्थिर है, हवा चंचल है, स्त्री के मुँह पर मूछे नहीं आती हथेली पर स्तन का उद्भव नहीं होता । किसी मे भव्य-भाव और किसी मे अभव्य भाव, सद्गुण-दुर्गुण आदि सब भाव स्वभाव से ही होते हैं । कांटो मे तीखापन कौन करता है ? मृग और पक्षियों के अन्दर विभिन्न भाव और रगरूप आदि की विचित्रता सब स्वभाव से ही होती है । सभी कार्यों में स्वभाव की प्रधानता है । किसी की इच्छा इसमे नहीं चल सकती, पुरुषार्थ का तो वहाँ चलता ही क्या है ?

तीसरे दार्शनिक नियति से ही जगत् के सभी कार्यों का होना, या बिगड़ना मानते हैं । उनका कहना है कि जो कुछ होना होता है, वह हो कर ही रहता है, जो नहीं होना होता है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होता । उसका बैसा होने का स्वभाव होने पर भी, काल पक जाने पर भी, मनुष्य की इच्छा होने पर भी, वह नहीं होता, जो नहीं होना है । अतः नियति यानी भवितव्यता या होनहार ही बलवान है । कहा भी है—

‘प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः, किं कारणं ? वैकल्यघनीयम् ।

तस्मान्न शोचामि, न विस्मयामि, यवस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥१॥

द्वीपावन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेशोऽप्यन्तात् ।

आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुक्षीभूतम् ॥२॥

सा सा सम्पद्यते बुद्धिर्व्यवसायश्च तावृशः ।

सहायास्तावृशा ज्ञेया, यावृशी भवितव्यता ॥३॥

नहि भवति पन्न भाष्यं, भवति च भाष्यं विनाऽपि धत्नेन ।

करत्तलगतमपि नश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥४॥

अर्थात्—‘क्या कारण है कि जो पदार्थ मिलने वाला है, उसे मनुष्य अवश्य ही प्राप्त करता है ; क्योंकि दैव—भाग्य दुनिवार है । इसलिए मैं किसी बात को पाने की चिन्ता नहीं करता और न किसी चीज के चले जाने पर आश्चर्य ही करता हूँ । जो पदार्थ हमारा है, वह दूसरे का हो नहीं सकता । यानी वह मुझे अवश्य ही मिलेगा ।’

जब विधि—दैव या भाग्य अभीष्ट व अनुकूल होता है तो दूसरे द्वीप से भी, अतल समुद्र के बीच से भी और दिशाओ के अन्तिम छोर से भी विधि हमारी इष्ट वस्तु को झटपट ला कर जुटा देती है । यानी हमें वह वस्तु अवश्य ही कहीं न कहीं से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है, वैसी ही बुद्धि होने लग जाती है, बैसा ही पुरुषार्थ होने लगता है और वैसे ही सहायक मिलते जाते हैं । जो नहीं होने वाला है, वह कभी नहीं होता है और जो होनहार है, वह बिना

प्रयत्न के ही हो जाता है। जिसकी भवितव्यता नहीं है, वह वस्तु हाथ में आई हुई भी चली जाती है।

इसी प्रकार कई दार्शनिक कर्म को ही जगत् के सब अच्छे बुरे कार्यों या भली-बुरी स्थिति का कारण मानते हैं। उनका कहना है कि कर्म अच्छे होते हैं तो सब चीजें अनायास ही मिल जाती हैं, न स्वभाव बाधक बनता है, न काल और न नियति ही; तथा न पुरुषार्थ की ही अपेक्षा रहती है। कर्म ही सब कुछ करने-धरने वाला है। कहा भी है—

‘ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोवरे।

विष्णुर्येन दशावतारग्रहणे क्षिप्तो महासंकटे ॥

इत्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितो।

सूर्यो ध्याम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे।’

अर्थात्—‘जिसने ब्रह्माजी को ब्रह्माण्डरूपी बरतन बनाने में ही कुम्भार की तरह नियुक्त कर दिया; जिसने विष्णु को दश अवतारों के धारण करने के महासंकट में डाल दिया, जिसने महादेव को हाथ में खप्पर ले कर भिक्षाटन करवा दिया, और जिसके प्रभाव से सूर्य प्रतिदिन आकाश-मंडल में घूमता है, उस कर्म को नमस्कार है।’

कई दार्शनिक कर्म के साथ ही दैव को भी ससार के सभी कार्यों का कारण मानते हैं। वे कहते हैं—पूर्वकृत कर्म ही दैव या भाग्य है। उसी के आधार पर मनुष्य का वर्तमान और भविष्य बनता है। पूर्वकृत कर्म के वश ही मनुष्य का अच्छा या बुरा प्रारब्ध अथवा भाग्य बनता है। इसलिए इसमें भी कर्म के सम्बन्ध में दिये गए सभी तर्क समझ लेने चाहिए।

इसके पश्चात् कई लोग यहच्छा को भी सृष्टि के कार्यों में प्रबल कारण मानते हैं। उनका कहना है—‘ईश्वरेच्छा बलीयसी’ ईश्वर की दृच्छा ही सबसे बलवती होती है। हमारा सोचा हुआ कुछ काम नहीं आता। अथवा यहच्छा का मतलब अपने आप ही होता है। कहा भी है—

‘अर्ताकृतोपस्थितमेव सर्वं, क्षिप्रं जनानां सुखदुःखजातम्।

काकस्य तालेन यथाभिघातो, न बुद्धिपूर्वोऽत्र वृथाभिमानः ॥’

अर्थात्—प्राणियों को विचित्र सुख या दुःख अप्रत्याशितरूप से बिना सोचे विचारे ही सहसा उपस्थित हो जाते हैं। उड़ते हुए कौए का ताड़ पर बैठना और ताड़ के पेड़ का गिरना, दोनों बातें अकस्मात् ही हो गईं। अतः सभी बातें अपने आप ही (यहच्छा से) होती हैं, इसमें बुद्धि लगा कर पहले से सोचने का अभिमान करना व्यर्थ है।

“सत्यं पिशाचाः स्म बने बसामो, भेरीं कराप्रेरपि न स्पृशामः।

यदृच्छया सिद्ध्यति लोकयात्रा, भेरीं पिशाचाः परितारुयन्ति ॥”

‘सचमुच यहाँ पिशाच रहते हैं। क्योंकि हम भी वन में ही रहते हैं ; और भेरी (नगाड़े) को हाथ से छूते तक भी नहीं, फिर भी वह बराबर आवाज करती रहती है। इससे निश्चित है कि भेरी को पिशाच ही बजाते हैं। इस प्रकार हमारी सब लोकयात्रा अपने आप ही अनायास सम्पन्न होती रहती है।’

इस प्रकार बिना ही पुरुषार्थ, काल, स्वभाव और होनहार की अपेसा रखे अपने आप ही सब काम होते रहते हैं, किसी काम का कोई कर्ता-धर्ता नहीं होता।

इसके पश्चात् कई दार्शनिक पुरुषार्थवाद को ही एकान्त महत्त्व देते हैं। उनका कहना है कि काल, स्वभाव आदि कितने ही अनुकूल हों, पहले या पीछे पुरुषार्थ तो करना ही पडता है। पुरुषार्थ से ही सब काम सफल होते हैं। संसार में धनवान, विद्यावान, चारित्रवान, कीर्तिमान और सत्तावान पुरुषार्थ के बल पर ही बनते हैं। यदि हम भाग्य, काल, स्वभाव या दैव आदि के भरोसे चुपचाप बैठे रहते तो कभी अपने मनोनीत कार्य में सफल नहीं होते। अतः पुरुषार्थ ही संसार के सब कार्यों का प्रधान कारण है। कहा भी है—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी—

वैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥

दैवं निहृत्य क्रुध पौरुषमात्मशक्त्या ।

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र बोधः ॥१॥

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति भुञ्जे मृगाः ॥२॥

‘दुस्साध्यमप्युद्यमलसुसाध्यं, भवेवनालस्यवशादभीष्टम् ।’

अर्थात्—‘लक्ष्मी उद्योगी पुरुषसिंह के पास ही आती है। जो कायर होते हैं, वे ही चिल्लाते हैं कि दैव ही देगा। अतः दैव का पल्ला छोड़ कर अपनी शक्तिभर पुरुषार्थ करो। प्रयत्न करने पर भी यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तो इसमें क्या दोष है ? कार्य उद्यम में ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं। सोये हुए आलसी सिंह के मुँह में कभी हिरण आ कर नहीं घुसते। उसके लिए उसे पुरुषार्थ करना ही पडता है। पुरुषार्थ से दुःसाध्य बातें भी सुसाध्य हो जाती हैं, आलस्य छोड़ कर उद्यम करने से ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।’ इस प्रकार काल, स्वभाव, नियति, दैव, यहच्छा, कर्म और पुरुषार्थ इनमें से एक-एक को ही एकान्तरूप से मानने और दूसरों का निषेध करने वाले ये सब दार्शनिक यथार्थवादी नहीं हैं। ये एकान्तवादी होने के कारण असत्यवादी हैं। कहा भी है—

‘कालो सहाय निघर्षि, पुण्यकर्मं पुरिसकारणेगता ।

मिच्छतं ते चेव उ समासवो ह्येति सम्मसमिति ॥’

काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ इन पांचों कारणों में से एक-एक को ही एकान्त रूप से मानना मिथ्यात्व (असत्य) है और इन पाँचों को संयुक्तरूप से कारण मानना सम्यक्त्व (सत्य) है !

काल की प्रतीक्षा भी कार्य में आवश्यक है। उस कार्य में बीसा होने का स्वभाव भी होना चाहिए, अतः स्वभाव भी देखना पड़ता है। कई दफा दूसरे निमित्तों के मिलने पर भी कार्य नहीं होता या विलम्ब से होता है, वहा भवितव्यता (नियति) को मानना पड़ता है। कही-कही कालादि के अनुकूल होने पर भी पर्याप्त पुरुषार्थ, ईश्वरेच्छा, यहच्छा या भाग्य प्रबल न होने से कार्य अनुकूल नहीं होता। इसलिए पांच-कारण मिल कर ही कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, अकेले एक कारण से काम नहीं होता। जहाँ बुद्धिपूर्वक काम होता है, वहा पुरुषार्थ की प्रधानता है और जहाँ अबुद्धिपूर्वक कार्य होता है, वहाँ दैव आदि की प्रधानता है। इसलिए इन पाँचों में से एक पर ही जोर दे कर एकान्तरूप से उसी का प्ररूपण करना असत्यवाद है।

पारमार्थिक धर्म की ओट में असत्यवादिता—बहुत से लोग अपना जीवन वैभव-विलास, आमोद-प्रमोद और खाने-पीने की तृप्ति में ही बिताते हैं। ऐसे लोग अपने असंयम पर धर्म की मुहरछाप लगाने के लिए इन बातों को ही धर्म का रूप दे बैठते हैं और संयम में प्रवृत्त करने वाली जो धर्म की बातें हैं, उनके पालन से कतरा कर अपने सुकुमार जीवन की पुष्टि के लिए उन्हें डोम, मिथ्या, या पाखण्डकल्पित आदि कह कर ठुकरा देते हैं। ऐसे लोग महान् असत्यवादी हैं, स्वपरवचक भी हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—

‘एवं केह जंपंति इडिहरससायगारवपरा “ धम्मवीमंसएण भोसं ।’

परदोषारोपण करने वाले असत्यवादी—कई लोग स्वयं अपना जीवन सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। वे प्रसिद्धि पाना, सत्ता हथियाना, पद प्राप्त करना, अथवा अपना कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं। इसके लिए वे दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण कर, नीचा दिखा कर उसके प्रति जनता की श्रद्धा खत्म करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोग असत्यवादी तो हैं ही; दूसरों को मानसिक आघात पहुँचाने का प्राणवध सरीखा महापाप भी करते हैं। अथवा अपने दोषों को छिपाने के लिए वे दूसरों के गले में ही दोष मढ़ देते हैं, जिससे कि वे व्यक्ति कायल होकर दब जाय, उन्हें पाप से हटने के लिए कुछ कहने को मुँह न खोल सके। वर्तमान राजनीतिज्ञों के जीवन में अकसर यह देखा जाता है कि वे शासकपक्ष की या एक दूसरे की भरपेट निन्दा करते हैं, बरी-खोटी आलोचना करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं, झूठे दोषारोपण करते हैं। ऐसा करके वे शास्त्रकार की भाषा में “अहम्मओ रायहुटं अण्वक्काणं

वर्णति ।” कुछ लोग शासनकर्ता के विरुद्ध उसे बदनाम करने के लिए झूठा दोष लगाते हैं ।”

कई लोगों की रग-रग में ईर्ष्या, तेजोद्वेष या डाह भरी होती है। दूसरे की कीर्ति, बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, गुणवृद्धि, तरक्की, धार्मिकता या तेजस्विता उन्हें फूटी आँखों नहीं सुहाती और वे उसे सह न सकने के कारण उनके गुणों को ढाकने, उन्हें बदनाम करने या लोगो की दृष्टि में गिराने का निन्ध प्रयत्न करते हैं, उनके लिए विपरीत वचन बोलते हैं, यद्वा-तद्वा बकते हैं। इस प्रकार असत्यभाषण करके वे दीर्घकाल तक अपनी आत्मा को उन सद्गुणों से पृथक् रखने वाले दुष्कर्मों का गाढ़ बन्ध कर लेते हैं।

‘अलिङ्गं चोरोत्ति’ से लेकर ‘परबोमुप्यायणपसत्ता वेडेंति’ तक का पाठ बहुत ही स्पष्ट है। मूलार्थ में हम इसका स्पष्ट अर्थ कर चुके हैं।

विविध कारणों से झूठ बोलने वाले—शास्त्रकार ने विविध कारणों से झूठ बोलने वालों का स्पष्ट उल्लेख किया है—“मुहुरी असमिबिखयप्पलात्ता गद्य वर्णति ।” मनुष्य धन के लिए, कन्या के लिए, भूमि के लिए, गाय-बैल आदि के लिए बहुत भारी झूठ बोलता है। ‘अस्वास्मियं’ का ‘स्वार्थ के लिए असत्य’ अर्थ भी हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य धन, सत्ता, स्वार्थ आदि की प्राप्ति के नशे में सत्य-असत्य का कोई विचार ही नहीं करता। ये बड़े-बड़े कारण ही प्रायः असत्य भाषण के हैं, जिनका शास्त्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है।

हिंसाजनक पेशे वाले असत्यवादी—शास्त्रकार ने असत्य के भयंकर स्वरूप का वर्णन करते हुए विवध प्रकार से हिंसाकारी वचनों या उपदेशों का प्रयोग करके प्राणियों के लिए अहितरूप असत्य का सेवन करने वाले विविध व्यक्तियों का उल्लेख भी किया है। जो एक प्रकार से हिंसात्मक पेशा करने वालों को वचन द्वारा प्रोत्साहन देते हैं या उपदेश व प्रेरणा देते हैं, वे शिकारियों, पारधियों, बहेलियों, मच्छीमारों, सपेरो, जुद्धको, पासियों, पक्षिपालकों, ग्वालियों, चोरों, जासूसों, लुटेरों, उचक्कों, फोतवालों, खनिकों, मालियों एवं वनचरो, आदि को विविध प्रकार के हिंसाजनक उपदेश, निर्देश, तालीम या प्रेरणा देकर प्राणियों के अहितरूप असत्य का सेवन करते हैं। कई लोग बिना ही पुछे रातदिन दूसरों के कार्यों की चिन्ता में डूब कर ऐसे अहितकर सावध कार्यों की प्रेरणा करते रहते हैं। शास्त्रकार ने ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया है।

असत्यवादियों की मनोवृत्ति—आगे चल कर ऐसे असत्यवादियों की मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हैं कि हिताहित व कर्तव्य-अकर्तव्य के विवेक में अकुशल, अनार्थ, मिथ्याशास्त्रों के वचन पर चलने वाले, असत्यकार्यों में ही रत रहने वाले, असत्य को

प्रोत्साहन देने वाली कथाओं या बातों में ही खुश रहने वाले ये असत्यवादी जन मन, वचन, काया के द्वारा अनेक प्रकार से असत्याचरण करने में सतुष्ट रहते हैं ।

असत्य के कटुफल

असत्य बोलने वाले और असत्य बोलने के विविध कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के बाद शास्त्रकार अब असत्य के कटुफलों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य अलियस्स फलविवागं अयाणमाणा वड्ढेंति महब्भयं अविस्सामवेयणं दीहकालं बहुदुक्खसंकड नरयतिरिय-जोणिं, तेण य अलिएण समणुबद्धा आइद्धा पुणब्भवंघकारे भमंति भीमे दुग्गतिवसहिमुवगया, ते य दिसंति ह दुग्गया, दुरंता, पर-वस्सा, अत्थभोगपरिवज्जिया, असुहिता, फुडियच्छविबीभच्छ-विवन्ना, खरफरुसविरत्तज्झामज्झुसिरा, निच्छाया, लल्लविफल-वाया, असक्कतमसक्कया, अगंधा, अचेयणा, दुभगा, अकंता, काकस्सरा, हीणभिन्नघोसा, विहिंसा, जडबहिरंधया '(मूया) य, मम्मणा, अकंतविकयकरणा, णीया, णीयजणनिसेविणो, लोग-गरहणिज्जा, भिच्चा, असरिसजणस्स पेस्सा, दुम्मेहा, लोकवेद-अज्झप्प समयसुतिवज्जिया, नरा धम्मबुद्धिवियला ।

अलिएण य तेरां पडज्झमाणा असंतएण य अवमाणण-पिट्ठिमंसाहिक्खेव- पिसुण - भेयण - गुरुबंधवसयणमित्तवक्खारणा-दियाइं अब्भक्खाणाइं बहुविहाइं पावेंति अमणोरमाइं हियय-मणदूमकाइं, जावज्जोवं दुरुद्धराइं, अणिट्ट-खर-फरुसवयण-तज्जण-निब्भच्छण-दीणवदणविमणा, कुभोयणा, कुवाससा, कुवसहीसु किलिस्संता, नेव सुहं, नेव निब्बुइं उवलभंति अच्चंतविपुलदुक्ख-सयसंपउत्ता (संपलित्ता) ।

एसो सो अलियवयणस्स फलविवाओ इहलोइओ, पर-लोइओ, अप्पसुहो, बहुदुक्खो, महब्भओ, बहुरयप्पगाढो, दारणो,

कक्कसो,असाओ, वाससहस्सेहि मुच्चइ । न य अबेदयित्ता अत्थि हु
मोक्खोत्ति,एवमाहंसु नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनाम-
घेज्जो कहेसी य अलिय-वयणस्स फलविवागं, एयं तं बितीयंपि
अलियवयणं, लहुसग-लहु-चवलभणियं, भयंकरं, दुहकरं, अयसकरं,
वेरकरगं, अरतिरतिरागदोस-मणसंकिलेसवियरणं, अलियणियडि-
सादिजोगबहुलं, नीयजणनिसेवियं, निस्संसं (निसेसं), अपच्चय-
कारकं, परमसाहुगरहणिज्जं, परपीलाकारकं परमकण्हेससहियं,
दुग्गतिविनिवायवड्ढरां पुणब्भवकरं चिरपरिचियमणु (णा) गयं,
दुरुत्तं (दुरंतं) बितीयं अधम्मदारं समत्तं ॥ सू० ८ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च अलीकस्य फलविपाकमजानन्तो बद्धं यन्ति महाभयामविद्याम-
वेदनां दीर्घकालां बहुदुःखसंकटां नरकतिर्यग्योनि, तेन चालीकेन समनुबद्धा
आविग्धाः पुनर्भवान्धकारे भ्रमन्ति भीमे दुर्गतिवसतिमुपगता, ते च दृश्यन्त
इह दुर्गता, दुरन्ताः, परचरया, अर्थभोगपरिर्वजिता, असुखिताः (असुहृदः),
स्फुटितच्छविबीभत्सविबर्णाः, छर-परुष-विरक्तध्यामशुचिरा, निच्छाया,
लल्लविफलवाचोऽसंस्कृताऽसंस्कृताः (असंस्कृताऽसंस्कृताः), अगन्धा, अचेतना,
दुर्भंगा, अकान्ताः, काकस्वरा, हीनभिन्नघोषा, बिहिंसा, जडबधिराश्वकारश्च
(मूकाश्च) मन्मना, अकान्तविकृतकरणा, नीचा, नीचजननिवेदिणो, लोक-
गर्हणीया, भृत्या, असदृशजनस्य प्रेक्ष्या, दुर्मेधसो लोकवेदाध्यात्मसमयश्रुति-
वर्जिता नरा धर्मबुद्धिविकलाः ।

अलीकेन च तेन प्रबह्यमाना अशान्तेन (असत्केन) अपमानन-
पुष्टिमांसाधिकेपपिशुनभेदन - गुरु-बान्धव-स्वजन-मित्रापक्षारणादिकानि
अभ्यास्यानानि बहुविधानि प्राप्नुवन्ति अमनोरमाणि हृदयमनोदुर्भागानि
(दावकानि) दावज्जीवं दुःखदराणि, अनिष्टहरपरुषवचन-तर्जन-निर्मत्स्रन-
बीमवचनविमनसः, कुभोजनाः, कुवाससः, कुवसतिषु क्लियन्तो नैव सुखं,
नैव निवृत्तिमुपसभन्तेऽप्यन्तविपुलदुःखशतसम्प्रयुक्ताः (सम्प्रवीप्ताः) ।

एष सोऽलीकवचनस्य फलविपाक इहलौकिक-पारलौकिकोऽप्यसुखो
बहुदुःखो महामयो बहुरजःप्रगाढो दारुणः कर्कशोऽसातो बर्षसहस्रं नुं व्यते,

न चावेदयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष इति । एवमाख्यातवान् ज्ञातकुलनन्वभो महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेयः, कथितवांश्चालोकवचनस्य फलविपाकम् । एवं तद्वृत्तियोमप्यलीकवचनं लघुस्वकलघुचपलभणितं भयङ्करं दुःखकरमयशस्करं वैरकरभरतिरतिरागद्वेषमनःसंकलेशवितरणमलीकनिकृत्तिसातियोगबहुलं नीचजननिषेधितं निःशंसं (नृशंसं, निः शेषं वा) अप्रत्ययकारकं परमसाधुगर्हणीयं परपीडाकारकं परमकृष्णलेश्यासहितं दुर्गतिविनिपातवद्धनं पुनर्भवकरं चिरपरिचितमनु (ना) गतं दुरन्त (दुरुक्त) द्वितीयमधर्मद्वारं समाप्तम् ॥ (सू० ८)

पदार्थान्वय—(य) और (तस्स) उस (अलियस्स) असत्य के (फलविवागं) कर्म-फल को, (अयाणमाणा) नहीं जानते हुए (महम्मयं) महाभयंकर, (अविस्सामवेयणं) निरन्तर वेदनायुक्त (दीहकालं) दीर्घकाल तक, (बहुवुक्कसंकडं) बहुत दुःखों से व्याप्त, (नरयतिरिक्खजोणिं) नरक और तिर्यञ्च योनि में (वद्धंति) वृद्धि करते हैं । (य) और (तेण अलिएण) उस असत्य से (समणुबद्धा) अच्छी तरह जकड़े हुए, (आइद्धा) छिपटे हुए, (दुग्गतिवसहिमुषयया) दुर्गति में निवास पाये हुए जीव (भीमे) भयानक, (पुणम्मवंधकारे) पुनर्जन्मरूप-संसाररूप अंधकार मे (भमंति) घमण करते हैं । (य) तथा (ते) वे जीव (इह) इस लोक में (दुग्गया) दुःखमय स्थिति में पड़े हुए, (दुरंता) अन्त में दुःख पाने वाले, (परवस्सा) परतंत्र, (अत्य-भोगपरिवज्जिया) घन और भोगों से विहीन (असुहिता) सुखों से रहित अथवा सुदुर्बों से रहित, (फुब्बिय-छविबीभच्छविबन्ना) बीवाई, खजली आदि से चर्मविकार वाले, विकारालरूप और खराब रंग वाले, (खरफदसविरसज्झामज्झुसिरा) कठोर और खुरदरे स्पर्श वाले व कहीं पर भी आराम न पाने वाले, फीकी कान्तिवाले और निःसार-ओषण शरीर वाले, (निच्छाया) निस्तेज, (लल्लविकलवाया) अस्पष्ट और निष्फल वाणी वाले, (असक्क-त्तमसक्कया) संस्कारहीन और सत्काररहित अथवा अस्सकृत (गंबार) और सुसंस्कृत भाषा से रहित, (अगंधा) दुर्गन्ध से भरे, (अचेयणा) विशिष्ट चेतना जागृति से रहित, (दुवभगा) अभाग्ये, (अकांता) सौन्दर्य से रहित, (काकस्सरा) कौए के समान अप्रिय स्वर वाले, (हीणभिससोसा) धीमी तथा फटी हुई आवाज वाले, (विहिंसा) लोगों द्वारा खासतौर से सताये जाने वाले, (जडवहिरंधया) मूर्ख, बहरे और अंधे, (भूया) गूँसे, (य) और (मम्मणा) अस्पष्ट उच्चारण करने वाले, (अकंतविकयकरणा) अमनोज्ञ एवं विकृत इन्द्रियों वाले, (णीया) जाति, कुल, गोत्र तथा कर्मों से नीच,

पामरों और नीचों की संगति करने वाले अथवा नीचों की सेवा में रहने वाले, (लोक-गरहणिज्जा) लोक में निम्ननीय, (भिच्चा) धाकर, (असरिसजणस्स पेस्सा) असमान-विषम आचार-विचार वाले, अशिष्ट लोगों के आत्मापालक, अथवा द्वेष के पात्र (दुम्मेहा) दुर्बुद्धि, (लोकवेव - अज्झप्प - समयसुत्तिवग्गिजया) लौकिक शास्त्र महाभारत रामायण आदि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेद, आध्यात्मिक शास्त्र-योगशास्त्र, कर्म-ग्रन्थ आदि तथा जैन-बौद्ध आदि आगमों या सिद्धान्तों के अन्वय या ज्ञान से रहित, (धम्मबुद्धिवियला) धार्मिक बुद्धि से मूर्ख (धीसंति) दिखाई देते हैं। (य) और (तेण असंतएण अलिएण) उस अनुपशान्त या अशुभ असत्यवावर्जनित कर्माग्नि से कालान्तर में (पडज्जमाणा) जलते हुए (अवभाषण-पिट्ठिमंसाहिकखेव - पिसुण - भेयण - गुरुबंधव - सयणमित्तवक्खारणादियाई) अपमान, पीठ पीछे निन्दा, धिक्कार, चुगली, आपस में फूट या प्रेमसम्बन्धों का भंग, गुरुजनों, स्नेहीजनों, सम्बन्धीजनों तथा मित्रजनों के तीखे वचनों से अनावर आदि से युक्त, (अमणोरमाइ) अमनोहर, (हिययमणदूमकाइ) हृदय और मन को संताप देने वाले, (जावक्कीव) जीवनपर्यन्त (बुद्धराणि) मुश्किल से मिटने वाले, (बहुविहाइ) अनेक प्रकार के, (अवभक्खाणाइ) मिथ्या दोषारोपणों को (पार्वेति) पाते हैं। और (अनिट्ठखरफरुसवयण - तज्जण - निव्वच्छण-दीणवदणवमिणा) अदक्षिकर-अप्रिय, तीखे, कठोर और मर्मभेदी वचनों से डांटझपट, झिड़कियों और धिक्कार-तिरस्कार द्वारा बिनमुख और शिथिल चित्त वाले, अतएव (कुभोयणा) खराब भोजन पाने वाले, (कुवाससा) मंलेकुचैले व फटे वस्त्र वाले, (कुवसहीसु किलिस्संता) खराब बस्ती में क्लेश पाते हुए (अच्छंतविपुलदुक्खसयसंपलि उ) सत्ता अत्यन्त विपुल सैंकड़ों दुःखों से युक्त या प्रज्वलित (नेव) न तो (सुखं) शारीरिक सुख (उवलमंति) पाते हैं (य) और (नेव) न ही (निव्वुइं) मानसिक शान्ति पाते हैं।

(एसो) यह (सो) पूर्वोक्त (अलियवयणस्स) असत्य बोलने का (फलविवायो) फल-भोग, (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (परलोइओ) परलोक सम्बन्धी, (अप्पसुहो) अल्पसुख वाला अर्थात् सुख रहित, (बहुदुक्खो) बहुत दुःखों से युक्त (महग्गओ) महाभयानक, (बहुरयप्पगाद्धो) बहुत कर्मरज के कारण आत्मा के साथ गाढ़रूप से सम्बद्ध, (सारणो) तीक्ष्ण, (कक्कसो) कर्कश-कठोर, (असाओ) असाता पैदा करने वाला, (वाससहस्सेहि) हजारों वर्षों में, (मुच्चइ) छूटता है। (य) तथा (अवेदयित्ता) बिना भोगे (हु) निश्चय ही, (मोक्खो नत्थि) छुटकारा नहीं होता। (एवं) इस प्रकार (नायकुलनंदणो) शातकुल में उत्पन्न (महप्पा) महात्मा, (वीरवरनामवेज्जो) महावीर नाम के (जिणो उ) जिने-

श्वर भगवान् ने (अलियवचणस्स) असत्यभाषण का (कलविषामं) कलविषाक—परिषामों का भोग, (कहैसी) कहा था, (एवमाहंसु) ऐसा गौतमादि गणधरों ने कहा है। (एयं) इस प्रकार (तं) वह (अलियवचणं) असत्यवचन, (लहुसगलहुचवलमणियं) तुच्छ आत्माओं से भी तुच्छ एवं चपल मनुष्यों द्वारा बोला जाने वाला, (भयंकरं) भयंकर है, (हुहकरं) दुःखप्रव है, (अयसकरं) अपयश दिलाने वाला है, (वेरकरं) बंद विरोध उत्पन्न करने वाला है, (अरतिरतिरागदोसमणसंकिसेसबियरणं) अरति, रति, राग, द्वेष एवं मन में संश्लेष पैदा करने वाला है, (अलियनियडिसातिजोगबहुलं) असत्य, माया और धूर्तता की प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है, (नीयजणनिसेवियं) जाति, कुल और कामों से हीन कमीने लोगों द्वारा ही सेवित है, (निसंसं) घातक है अथवा प्रसंसारहित है, अथवा निःशेष - समस्त (अपण्चयकारकं) अविश्वासों का कारण है, (परमसाहुगरहुणिज्जं) उत्कृष्ट साधुओं द्वारा निन्द्य है, (परपीलाकारकं) दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने वाला है, (परमकिण्हलेस्ससहियं) परम कृष्णनेत्र्या से युक्त है, (हुगति-विनिवायवड्डणं) दुर्गति के पतन में वृद्धि करने वाला है, (पुणम्मवकरं) पुनः पुनः जन्म कराने वाला, (चिरपरिचियं) अनाविकाल से परिचित—अभ्यस्त है, (अणुगयं) परम्परागत है अथवा (अणाययं) भविष्य में भी साथ जाने वाला है, (डुरंतं) परिणाम में दुःखवायी है। (चित्तीयं) यह द्वितीय (अधम्मवारं) अधर्मद्वार, (समत्तं) समाप्त हुआ।

मूलार्थ—उस पूर्वोक्त असत्यभाषण से बचे हुए कर्मफल को नहीं जानने वाले मनुष्य महाभयकर, निरन्तरवेदना से परिपूर्ण, लम्बे समय तक प्रचुर दुःखों से व्याप्त नरक और तिर्यञ्चयोनि का बन्ध करते हैं और उसकी अवधि को बढ़ाते हैं। तथा निरन्तर असत्य भाषण में रचेपचे और चिपटे हुए दुर्गति में निवास पा कर जीव बार-बार जन्म-मरणरूप घोर अन्धकार में भटकते रहते हैं। वे जीव नरक और तिर्यञ्चयोनि से शेष बचे हुए कर्मफलों को भोगने के लिए इस मनुष्यलोक में आते हैं; लेकिन यहाँ भी दुःखमय स्थिति में होते हैं, अन्त में दुःख पाते हैं, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े रहते हैं, धन और इन्द्रियों के भोगों से वंचित रहते हैं, सुखों से रहित होते हैं, अथवा मित्रों से विहीन होते हैं, वे बीबाई, खाज, खुजली आदि चर्मरोग वाले होते हैं, उनका चेहरा बड़ा ही विकराल और शरीर का रंग भद्दा होता है, वे कठोर और खुदरे शरीर को पाते हैं, उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता, उनके शरीर की कान्ति फीकी होती है, शरीर खोखला व बलहीन होता है, वे निस्तेज होते हैं, उनकी वाणी

अस्पष्ट एवं निष्फल होती है। वे संस्काररहित (गंवार) और सत्कारहीन होते हैं, उन्हें सुसंस्कृत भाषा, सभ्यता और सस्कृति नहीं मिलती। उनके मुंह शरीर आदि से बदबू निकलती है, उनमें कोई विशेष चेतना (बोध) नहीं होती। वे अभागे, दरिद्र और लावण्यहीन होते हैं। उनका स्वर कौए के समान कर्कश होता है, उनकी आवाज घीमी (प्रभावहीन) और फटी होती है, उन्हें विभिन्न लोगों द्वारा सताया जाता है, वे मूर्ख, बहरे, अन्धे, गूंगे और तोतले होते हैं, वे स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते, उनकी इन्द्रियाँ असुन्दर और विकृत होती हैं, वे जाति, कुल, गोत्र एव कामो से नीच होते हैं और नीचों की संगति करते हैं या नीच लोगों की सेवा में रहते हैं, जगत् में वे निन्दा के पात्र होते हैं, वे चाकर व विषम आचार विचार वाले अशिष्ट लोगों के आज्ञापालक हज़ूरिये बनते हैं, या उनके द्वेषपात्र बनते हैं, वे दुर्बुद्धि होते हैं, लौकिक शास्त्र महा-भारत रामायण आदि, श्रुवेद, सामवेद यजुर्वेद आदि वेद, योगशास्त्र, कर्म-ग्रन्थ, जीवविचार आदि अध्यात्मशास्त्रों एवं जैन-बौद्ध आदि आगमो या सिद्धान्तों के बोध या श्रवण से रहित होते हैं, अतएव धर्मज्ञान से या धार्मिक बुद्धि से हीन दिखाई देते हैं।

कालान्तर मे उस (पूर्वोक्त) अनुपशान्त या अशुभ असत्यवादजनित कर्म-रूप अग्नि से जलते हुए वे मनुष्य तरह-तरह से अपमानित होते हैं, उनकी पीठ पीछे निन्दा होती है, उन्हें बार-बार झिड़का जाता है, उनकी चुगली की जाती है, उनमे आपस मे फूट हो जाती है या उनके साथ प्रेमसम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, उन्हे गुरुजनो, स्नेहीजनो, सम्बन्धियो और मित्रो के तीखे, मर्मस्पर्शी व कडवे वचन सुनने पड़ते हैं, ये और इस प्रकार के और भी मन को नहीं सुहाने वाले, हृदय और चित्त को चुभने वाले, जिदगीभर मन को कचोटने वाले, बड़ी मुश्किल से दिल-दिमाग से निकलने वाले नाना प्रकार के दोषारोपण वे पाते हैं। अरुचिकर, तीखे कठोर और मर्मभेदी चुभते वचनों से डाटडपट झिड़कियों और धिक्कार-तिरस्कारो को पा कर उनका मुंह दीन और चित्त सदा खिन्न रहता है। इसी तरह उन्हें खराब भोजन मिलता है, फटे-पुराने, मैले-कुचैले कपड़े पहिनने को मिलते हैं, रहने के लिए निकम्मी बस्ती मिलती है, जहाँ वे क्लेश पाते हैं, अत्यन्त विपुल सैकड़ो दुःखों से वे व्यथित रहते हैं। न उन्हें शारीरिक सुख मिलता है और न मानसिक शान्ति ही मिलती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त असत्यकथन का फलभोग इस लोक और परलोक

में थोड़े से सुख और बहुत से दुःखों वाला है; महाभयंकर है, अपार कर्मरज से आत्मा को गाढ़ बंधन में बांधने वाला है, लोक्षण और कठोर है, असाता पैदा करने वाला है; हजारों वर्षों में जा कर उससे पिंड छूटता है, उस दारुण दुःखद फल को भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता।' इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा (चार धातिकर्मों से रहित) महावीर नामक जिनेन्द्रदेव ने असत्य-भाषण के फलविपाक का वर्णन किया था, ऐसा गौतमादि गणधरो से कहा है।

इस प्रकार वह असत्यभाषण तुच्छातितुच्छ एवं चंचल (वाचाल) मनुष्यों द्वारा बोला जाता है, यह भयंकर है, दुःखजनक है, अपयश (बदनामी) कराने वाला है, वैर का उत्पादक है, चित्त में बेचैनी, विषयो में आसक्ति, मोह, द्वेष, ममत्व और मन में संक्लेश पैदा करता है, यह अहितकर है, माया और घूर्तता से भरा है, जाति, कुल और कार्यों से नीच लोगो द्वारा ही सेवित है, घातक अथवा अप्रशंसित है, समस्त अविश्वासो का कारण है, उत्कृष्ट साधुओं द्वारा निन्दित है, दूसरो को पीड़ा पहुंचाने वाला है, परमकृष्णलेश्या से युक्त है, दुर्गंतियों में पतन को बढ़ावा देने वाला है, संसार में पुनः पुन जन्ममरण का कारण है, चिरकाल से परिचित-अभ्यस्त है, निरन्तर आत्मा के पीछे-पीछे लगा रहने वाला है, अथवा भविष्य में भी आत्मा के साथ आने वाला है। इसका परिणाम अत्यन्त दुःखप्रद है।

इस तरह दूसरा मृषावाद नाम का अधर्मद्वार सम्पूर्ण हुआ।

व्याख्या

पूर्व सूत्रपाठ में असत्य बोलने वालो और साथ ही असत्य बोलने के कारणो पर विशद निरूपण करने के बाद शास्त्रकार इस सूत्रपाठ में असत्य के कटु फल किस-किस प्रकार से जीवों को भोगने पडते हैं, उसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। वर्णन बहुत ही स्पष्ट है, मूलार्थ में उसका अर्थ भी हम कर आए हैं, फिर भी कुछ बातों पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं। अतः उन पर क्रमशः विवेचन कर रहे हैं—

‘असत्यस्य फलविषयान् अयाणमाणा’—शास्त्रकार ने इस वाक्य से यह स्पष्ट कर दिया है कि असत्य भाषण वे ही करते हैं, जो असत्य के फल के बारे में नहीं जानते हैं, जो असत्य का स्वरूप और असत्य से हानि या कर्मबन्ध के कारण नहीं जानते या जानते हुए भी अजाने-से बने हुए हैं। धन, सत्ता, पद, उच्च जाति या उच्चकुल के गर्व में आ कर इस भ्रान्ति के कारण असत्य बोलते हैं कि मेरे असत्य को कौन जान पाएगा? अथवा असत्य को बुरा मानते हुए भी पूर्व-संस्कारवश या मेरी असत्यबाहिता

को कौन जानता है ? इसका फल तो किसी ने कही देखा नहीं। इस भ्रमवश असत्य का प्रयोग बेखटके करता है। अथवा अदूरदर्शी मनुष्य असत्य के कटुफल की ओर न झाक कर इष्टपूर्ति या अनिष्ट का निवारण भी असत्य बोल कर करना चाहता है। अथवा धनवान या सत्तावान बनने की धुन में भावी में मिलने वाले असत्य के कड़वे फलों की ओर नजर नहीं जाती। या फिर संसार के असत्यवादी लोगों को धनसम्पन्न, ऐश्वर्यशाली या सत्ताधारी बने हुए तथा सत्यवादियों को निर्धन, फटेहाल या दुःख-पूर्वक दिन बिताते देख कर भविष्य का विचार किए बिना झटपट असत्य का सहारा ले बैठता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को झूठे निर्णयों से आश्रय कर लेता है कि 'असत्य, छल-कपट या फरेब से ही सासारिक कार्य चलते हैं, धनाढ्य या सत्ताधारी बनने के लिए असत्य का ही आश्रय लेना चाहिए।' इसी तरह कई बार किसी के झुलावे में आ कर मनुष्य असत्य की राह पर चल पड़ता है, भविष्य में उस असत्य के कटु फल भोगने पड़ेगे, इस बात को वह उस समय भूल जाता है। कई बार चालाक आदमी यह सोचता है कि मैं ऐसी सिपत से असत्य बोलूंगा कि किसी को मेरे असत्य का पता तक नहीं चलेगा। ऐसे लोग भी असत्य के फल भोग का जरा भी विचार नहीं करते। कई लोग यशकीर्ति या समाज में प्रतिष्ठा पाने के नशे में दूसरों की छोटी आलोचना, निन्दा या चुगली करते हैं। इस प्रकार असत्य की शरण लेने में वे नतीजों को आँखों से ओझल कर देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि धन, सत्ता या यश, सुख, लाभ और इनका उपभोग तो सातावेदनीय के उदय से लाभान्तराय और उपभोगान्तराय कर्म के क्षयोपशम से ही हो सकता है। ये और इस प्रकार के विभिन्न कारणों से वस्तु-स्वरूप को न समझ कर तथा असत्यभाषण से अत्यन्त अशुभकर्म का बन्ध होने पर उसके उदय के समय आत्मा की कितनी बुरी हालत होगी, इस बात का विचार न करने वाले सभी मनुष्य फलविपाक से अनभिज्ञों की कोटि में आते हैं।

नरक और तिर्यञ्चयोनियों में असत्य का कुफलभोग—कई लोग यो समझ लेते हैं कि हिंसा के फल के बारे में बताते समय शास्त्रकार ने नरकभूमियों तथा नारकों की दुःस्थिति का एव उसके पश्चात् तिर्यञ्चगति की विविध योनियों का जितना वर्णन किया था, उतना असत्यभाषण का फल बताते समय नहीं किया; इसलिए इस आश्रय या अधर्म (पाप) का इतना भयकर फल नहीं होगा। परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है। जिस बात का शास्त्रकार पहले वर्णन कर चुके हैं, उसे बार-बार न दोहरा कर सिर्फ सकेत कर देते हैं। यहाँ भी इस सूत्रपाठ में असत्यभाषण का फल बताते समय 'नरपतिरिभ्रञ्जयोजि' कह कर उसके लिए कहा है — 'अहृदयं अविस्तामवेयं, दीहकालं बहुपुण्यसंकट' आदि। इसी से समझ लेना चाहिए कि असत्य का कटुफल भी नरक-तिर्यञ्चयोनियों में बहुत लम्बे असें तक दुःख भोगना है। यहाँ नरक और तिर्यञ्च-

योनियो का पुनः विस्तार से वर्णन नहीं किया ; इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि असत्य की सजा हिंसा से कम है या हलकी है। हाँ, यह ठीक है कि हिंसा की भयंकरता तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उससे प्राणी के प्राणों का नाश कर दिया जाता है और सृष्टि के समस्त प्राणियों पर प्राणवध की निर्दयता, क्रूरता और भयंकरता का प्रभाव सीधा पड़ता है। असत्य का प्रभाव दूसरे प्राणियों पर उतना सीधा नहीं पड़ता, प्राणियों को मारने, काटने और सताने का उपदेश, शिक्षा या प्रेरणा देने पर ही पड़ता है। फिर भी असत्य कम भयकर नहीं है। उपदेशादि के रूप में प्राणियों के होने वाले अहित के रूप में असत्यवचन का प्रयोग भी एक प्रकार की वाचिक हिंसा है, जिसकी परम्परा दीर्घकाल तक चलती है। इसलिए उसका कुफल भी नरक-तिर्यञ्चयोनि में बार-बार जन्ममरण करके भोगना पड़ता है।

मनुष्यगति में असत्यभाषण की सजा—यह तो निर्विवाद है कि नरकगति और तिर्यञ्चगति में असत्यभाषण की भयकर सजा दीर्घकाल तक विविध योनियों में भटकने के रूप में काट लेने के बाद उनमें से कई जीवों को सौभाग्य में मनुष्यगति की भी प्राप्ति होती है, किन्तु मनुष्यगति में भी उनकी हालत बुरी से बुरी होती है। मनुष्यगति में वे किस प्रकार की बदतर हालत में होते हैं, इसका स्पष्ट निरूपण करते हुए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—‘ते य विसंति बुग्गया .. नरा धम्मबुद्धि-वियसा; ... अञ्चंतविपुलबुक्खसयसंपउत्ता।’ इसका अर्थ हम मूलार्थ में स्पष्ट कर आये हैं; इसलिये उसे दुबारा न कह कर, हम इस पर थोड़ा-सा विश्लेषण कर देते हैं।

मनुष्य को शारीरिक दण्ड की अपेक्षा मानसिक दण्ड अमह्य और नरक की यातना से भी भयकर लगता है। मनुष्य को साधनहीन, दरिद्र, कमजोर और अपाहिज या रुग्ण हो जाने पर पद-पद पर ठोकें खानी पड़ती हो, जगह-जगह अपमान के कड़वे घूट पीने पड़ते हो, चारों ओर से निन्दा, झिडकियों और आक्षेपों के वावय-वाणों का सतत प्रहार सहना पड़ता हो, बार-बार तुच्छ और गदे शब्दों में गालिया, भर्त्सना, अपशब्द एवं डाँटपट की बौछारे झेलनी पड़ती हो, कल्पना कीजिए, कितनी भयकर मजा है वह ? कितनी दर्दनाक स्थिति है मनुष्य की वह ? सुनने और विचार करने मात्र से ही रोगटे छडे हो जाते हैं। असत्यभाषण या मृषावाद की यह मानसिक सजा कितनी भयकर है और उसका कितना सजीव चित्र उपस्थित किया है शास्त्रकार ने !

अगर शास्त्रकार इस प्रकार से असत्यभाषण के फल-स्वरूप मिलने वाले दण्ड का वर्णन न करते तो भी हम प्रत्यक्ष कई बार अनुभव करते हैं कि झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता, उसे कोई नौकर नहीं रखता, उसके साथ लेनदेन का कोई व्यवहार नहीं करना चाहता, सरकार को उसकी जालसाजी का पता लगने पर उसे सख्त

सजा भी मिलती है। पुराने जमाने में तो असत्य बोलने वाले की जीभ तक काट ली जाती थी, कई बार उसे शिकारी कुत्तो से नुचवा दिया जाता था, उसके हाथ-पैर काट लिए जाते थे। मित्र और सम्बन्धी-गण असत्यवादी से बात करना पसंद नहीं करते, उसे डाटते-फटकारते भी देखे जाते हैं। इसलिए यह तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि असत्य बोलने वालों का समाज और राष्ट्र में अत्यन्त घृणित जीवन बन जाता है।

क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में असत्य का फल—लोकव्यवहार में हम देखते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आघात का प्रत्याघात होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कु ए में या पहाड़ी स्थान पर जोर से चिल्लाता है कि 'तेरा बाप चोर !' तो उसी समय प्रतिक्रिया के रूप में वे ही शब्द उसे सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार कोई किसी को निबंल समझ कर उस पर प्रहार करता है तो कई बार तो तुरन्त ही सबलों द्वारा सामने से प्रहार के रूप में उसी सिक्के में उसका जबाब दिया जाता है। मूसा पैगम्बर के जमाने में तो यह मजा आम प्रचलित थी कि अगर तुम्हारा कोई एक दात तोड़ता है तो तुम उसके सारे दात तोड़ दो। अगर कोई तुम्हारी एक आख फोड़ता है तो तुम उसकी दोनों आखें फोड़ दो। हजरत मुहम्मद ने भी शुद्ध न्याय के नाम पर बराबर बदला लेने का फरमान निकाला था। इसी दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया का हमें पता लगे बिना न रहेगा। इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक न्याय के तथ्य को सामने रख कर शास्त्रकारों ने प्रत्यक्ष अनुभव की आँखों से मनुष्यगत में असत्य की सजा पाने वालों की बुरी हालत का वर्णन किया है। जिन्होंने पूर्वजन्मों में गालिया बकी हैं, दूसरों पर झूठा आरोप किया है, मिथ्या दोषारोपण करके निन्दित और अपमानित किया है, उन्हें उस असत्य का फल भी प्रायः उसी रूप में मिलता है। उनकी जबान लडखड़ाती है, तुतलाती है, लोग उन्हें चिढ़ाते हैं उन पर झूठे आरोप और आरोप लगाते हैं, पद-पद पर उनका तिरस्कार करते हैं। जिन्होंने पूर्वजन्म में दूसरों के अग-भग करने, आँखें फोड़ने, कान काटने, जबान खींचने, बदसूरत बनाने, दूसरों को दुःखित करने और मजबूत बन्धनों से कस कर बाधने का उपदेश या प्रेरणा दी है, उन्हें उसका फल प्रायः उसी रूप में इस मनुष्यजन्म में मिलता है। वे अंधे, बहरे, गूंगे, अपाहिज, बदसूरत और दुःखी बनते हैं, उन्हें शरीर बदबूदार, धिनीना और क्रूरूप मिलता है। दूसरों के गुलाम बन कर वे नाना प्रकार की भयकर यातनाएँ और झिड़कियाँ सहते हैं। उन्हें नीच जनों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, वैसी ही नीचजाति और नीच कुल के बातावरण में पैदा होने के कारण नीच कर्म करने के लिए वे बाध्य किये जाते हैं। जिन्होंने पूर्वजन्म में मिथ्या बोल बोल कर दूसरों को ठगा है, धर्म के नाम पर झूठे हिंसाजनक उपदेश दिए हैं, आत्मा-परमात्मा के नाम पर लोगों को अपनी मिथ्या मान्यता से गुमराह किया है,

जीवन के मूल सत्य सिद्धान्तों का अपलाप करके लोगों को लुभावनी और इन्द्रियविषय की भ्रमरीचिका के जाल में फँसने को प्रेरित किया है, सद्धर्म की राह से भटका कर अधर्म और पाप के रास्ते बताए हैं, धर्म की ओट में बचना करके जिन्होंने दूसरों से बढ़िया भोजन, उत्तम वस्त्र और आलीशान महल पाए हैं, ऐसे लोगों को इस जन्म में भी प्रायः कुछ धर्म का बोध नहीं मिलता, वे लौकिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और धार्मिक शास्त्रों के ज्ञान से वञ्चित रहते हैं, दर्शनशास्त्र और अध्यात्म के श्रवण से भी वे दूर रहते हैं, उन्हें सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के सहवास के बदले गवार और असंस्कारी लोगों का सहवास मिलता है, धार्मिकजनों के सत्संग के बदले पापीजनों का कुसंग प्राप्त होता है, इन्द्रियों के विषयसुखों के उपभोग से वे प्रायः वञ्चित ही रहते हैं, अध्यात्मचेतना के बदले उनमें जड़ता, मूर्खता, मिथ्यादृष्टि आदि का ही दुर्भाव देखने का मिलता है। अच्छे भोजन, वस्त्र और निवास के बदले रद्दी से रद्दी भोजन, फटे-गुग्ने वस्त्र और गन्दे से गन्दे निवासस्थान उन्हें मिलते हैं। जिन्होंने दूसरों के सच्चे सिद्धान्तों या सच्ची मान्यताओं का खण्डन किया है, स्वर्गादि का मिथ्या आश्वासन दे कर दूसरों को छला है, उन्हें इस जन्म में बंसी ही दुःस्थिति प्राप्त होती है, वाणी भी उन्हें निस्तेज, प्रभावहीन, निष्फल, अस्पष्ट और कौए के समान कर्कशस्वर वाली, धीमी और फटी हुई आवाज वाली मिलती है, वे भी बार-बार छले और सताए जाते हैं। जिन्होंने दूसरों को बहका कर आपस में लड़ाया-भिडाया है, सिर फुड़ाया है, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, या अन्य बातों के नाम पर मनुष्य-मनुष्य में भेद डाले हैं, घृणा पैदा की है, सच्चे देव, गुरु, धर्म और शास्त्रों की झूठी निन्दा की है; उनका हाल भी यहाँ प्रायः वैसा ही होता है। मित्र, परिवार, गुरुजन और बन्धु-ब्राध्व सभी उन्हें नफरत की निगाहों से देखते हैं, उनके प्रति उनका स्नेह जरा भी नहीं होता, आपस में कलह-क्लेश के कारण वे मदा उद्दिग्ध और खिन्न रहते हैं, जनता में घृणा और निन्दा के पात्र बनने हैं, जगह-जगह उन्हें अपमान, धिक्कार और मार सहनी पड़ती है, पद-पद पर उन्हें लताड़ा जाता है, डाटा-फटकारा जाता है। जिन्होंने अपनी पहली ज़िंदगी में झूठे तौल-नाप किए हैं, लोगों को व्यवसाय में धोखा दिया है, चोरी और लूट की है, उन्हें इस जीवन में भी प्रायः दरिद्रता साधनहीनता तथा पद-पद पर निर्धनता के कारण यातना, अवमानना और उपेक्षा बदले में मिलती है। या धन आदि मुख के साधन भी उनके लिए क्लेश, कलह, रोष, शोक आदि के कारण दुःख के साधन बन जाते हैं। अपनी बैद्यक, ज्योतिष या अन्य जीविका चलाने के लिए जिन्होंने असत्य बोल कर लोगों को धोखा दिया है, पैसा बटोरा है; उन्हें इस लोक में रोग, शोक, दुःख, दारिद्र्य, घिनौना रूप, बेटील और दुर्गन्धित शरीर व अंगोपांग मिलते हैं।

मतलब यह है कि असत्यवचन की क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में उन सबको

बदले में प्रायः वैसा ही बुरा प्रतिफल मिलता है। साराण यह है कि संसार में कौन-सा शारीरिक और मानसिक कष्ट ऐसा है, जो असत्यवादी को न मिलता हो ! सबसे बड़ा आध्यात्मिक कष्ट तो यह है कि असत्यभाषण से जीव को नरक-तिर्यञ्च आदि कुगतिया मिलती हैं, जहां उसे आध्यात्मिक विकास का कोई अवसर या वातावरण नहीं मिलता, उसके बाद कदाचित् मनुष्यजन्म मिल भी जाय तो वहां भी उसे जीवन में कोई आध्यात्मिक विकास की चेतना प्राप्त नहीं होती, और न आध्यात्मिक वातावरण ही मिलता है। पुनः पुनः जन्म-मरण के चक्रों में अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह की दशा से जीवन में अधेरा छाया रहता है; आत्मा का स्वरूप और उसके विकास से ज्ञान पर कुहरा छा जाता है, मार्ग ही नहीं दिखाई देता, चलना तो दूर रहा ! फिर भला उसे वास्तविक आनन्द कैसे प्राप्त हो ? यह मानवजीवन के लिए सबसे बड़ी नजरबन्द कैद की-सी सजा है।

असत्यभाषण के फलभोग का स्वरूप—इस सूत्रपाठ के अन्त में शास्त्रकार सक्षेप में बताते हैं—असत्यभाषण का फलभोग कैसा है ? 'इह्लोइओ परलोइओ अप्सुहो बहुबुखो ... बाससहस्सेहि मुच्छइ। अर्थात् वह इस लोक और परलोक में अल्पसुखकर और बहुदुःखप्रद है, इत्यादि। शास्त्रकार ने इन दो शब्दों में साग निचोड दे दिया है। असत्य का यह फलभोग कितना भयंकर है, रोम-रोम कंपाने वाला है ! बड़ा ही कठोर दंड है ! आत्मा इतने धने अशुभ कर्मों से आच्छादित हो जाती है कि हजारों वर्षों में जा कर कहीं उनसे छुटकारा पाती है।

'न य अबेवयित्ता अत्थि हु मोक्खो'—कोई यह कहे कि असत्यभाषण का फल भुगाने वाला तो जैनदर्शन की दृष्टि से कोई परमात्मा, विष्णु, श्रुवा, गौड, ब्रह्मा या ईश्वर तो है नहीं, और कोई भी जीव स्वयं कडवे फल को क्यों भोगना चाहेगा ? इसलिए असत्यभाषण का जो फल बताया है, वह कानून की पोथी की तरह शास्त्र के पन्नों पर ही रहेगा ; उसे कोई भोगेगा नहीं। तब फल बताने से भी क्या लाभ ? इसके उत्तर में शास्त्रकार उपर्युक्त वाक्य द्वारा स्पष्टीकरण कर देते हैं कि इस (पूर्वोक्त) दारुण फल को भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं। जीव चाहे या न चाहे ; इस सिद्धान्त को माने या न माने, परन्तु असत्यभाषण का कुफल तो उसे भोगना ही पड़ेगा ; उसे भोगे बिना कोई चारा नहीं ; फिर चाहे वह रोते-रोते भोगे या हंसते-हंसते ! कर्मों में स्वयं ऐसी शक्ति है कि वे अपने जोर से बलात् उसे उन परिणामों को भोगने के लिए उसी योनि में खींच ले जाते हैं और नियमानुसार बाकायदा उसे फल भोगने को बाध्य कर देते हैं। कोई यह तर्क करे कि जडकर्मों में इतनी कहीं ताकत है कि वे आत्मा को उसके किये हुए शुभाशुभ आचरणों के फल भुगवा सके ! इसका समाधान यह है कि जड वस्तुएँ भी अपने-अपने स्वभाव के अनुसार चेतन

के साथ संयोग होने पर यथोचित फल देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जहर को किसी शीशी या बर्तन में रख दे, तब तक तो वह अपना कोई असर नहीं दिखाता ; किन्तु अगर उस जहर को व्यक्ति अपने मुंह में डाल लेगा यानी चेतना के साथ उस का संयोग करा देगा तो वह अवश्यमेव अपना मृत्युरूप फल दिखायेगा। भाग, शराब आदि नशीली चीजों को भी पेट में डाल लेने पर वे अवश्य ही नशा चढाएंगी। इसी प्रकार आत्मा भी जब किसी क्रिया को करती है तो उसके तीव्र, मद्, मध्यम परिणामों (भावों) के अनुसार कर्मों का बन्ध उसके साथ हो जाता है, वे कर्म गाढरूप से बंधे हो तो आत्मा उनका पूरा-पूरा फल भोगे बिना बीच में कदापि छूट नहीं सकती। आत्मा के साथ कर्मों का संयोग ही बरबस उसे फल भोगने को बाध्य कर देता है। इसलिए जीव को कर्मों का फल भुगाने के लिए परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर आदि कोई भी चाहे न हो और जीव चाहे स्वयं भोगने के लिए इच्छुक न हो, तो भी कर्म अपने स्वभावानुसार जीव को फल भोगने के लिए विवश कर देगे।

असत्यभाषण का संक्षिप्त रूप—इस सूत्रपाठ के उपसंहार में असत्यभाषण के स्वरूप का संक्षेप में चित्रण किया है। इसका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि असत्यभाषण भय, दुःख, अपयश, वैर, राग, द्वेष, मोह, बेचैनी, बलेश माया, शोक, अविश्वास, निन्दा, कपट, पीडा, दुर्भावना, दुर्गतिगमन, पुन-पुन जन्ममरण, आदि बातों को बढाने वाला है और चिरकाल से परिचित होने से मनुष्य अज्ञानवश इससे चिपटा रहता है। मनुष्य की जीवनयात्रा को यह शान्त और सुखद नहीं बनने देता।

एवमार्हसु नायकुलनदधो**धीरवरनामधेज्जो**—इस वाक्य से शास्त्रकार ने अपनी विनम्रता और भक्ति प्रदर्शित करते हुए शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध की है कि 'मैं अपनी बुद्धि की कल्पना से कुछ भी न कह कर ज्ञातकुलनन्दन महात्मा तीर्थंकर महावीर प्रभु ने असत्य का जैसा वस्तुस्वरूप बताया है, उमी के अनुसार कहता हूँ।'

इस प्रकार सुबोधनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र का द्वितीय अध्यायन और मूषाबावदाभावस्वरूप द्वितीय अध्यायन सम्पूर्ण हुआ।



तृतीय अध्ययन : अदत्तादान आश्रव

अदत्तादान का स्वरूप

असत्य आश्रव का वर्णन करने के पश्चात् अब शास्त्रकार तीसरे आश्रव अदत्तादान का इस तृतीय अधर्मद्वारा मे वर्णन करते हैं। क्योंकि अदत्तादान (चोरी) और असत्य का परस्पर गाढ सम्बन्ध है। चोरी करने वाले प्रायः झूठ बोला करते हैं। अतः अब यहाँ अदत्तादान—चोरी का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम अदत्तादान के स्वरूप का निरूपण करते हैं।

मूलपाठ

जंबू ! तद्व्यं च अदिष्णादाणं हरदहमरणभयकलुसतासण-
परसंतिगऽभिज्जलोभमूलं, कालविसमसंसियं, अहोऽच्छिन्नतण्ह-
पत्थाणपत्थोइमइयं, अकित्तिकरणां, अणज्जं, छिद्दमंतर-विधुर-वसण-
मग्गण-उस्सव-मत्तप्पमत्त-पसुत्तवंचण - विखवणघायणपराणिह्य-
परिणाम-तक्करजण-बहुमयं, अकलुणरायपुरिसरविखयं, सया
साहुगरहणिज्जं, पियजणमित्तजण-भेदविप्पीतिकारकं रागदोस-
बहुलं, पुणो य उप्पूरसमरसंगामडमरकलि-कलहवेहकरणं, दुग्गइ-
विणिवायवड्डणं, भवपुण्णभवकरं चिरपरिचितमणुगयं दुरंतं
तद्व्यं अधम्मदारं ॥ सू० ६ ॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! तृतीयं च अदत्तादानं हर-बह-मरण-भय-कलुष-प्रासन-परसत्का-
भिध्यालोभमूलं कालविषमसंश्रितमथोऽच्छिन्नतृष्णाप्रस्थानप्रस्तोत्रीमतिकम-
कीतिकरणमनार्यम् छिद्धान्तरविधुरव्यसनमार्गणोत्सवमत्त - प्रमत्तप्रसुप्त-

बन्धनाक्षेपणघातनपरानिभूतपरिणामतत्करजनबहुमतमकरुणं राज-
पुरुषरक्षितं सदा साधुगर्हणीयं प्रियजन-मित्रजनभेदविप्रीतिकारकम् रागद्वेष-
बहुलं पुनश्चोत्पूरसमरसंग्रामद्वन्द्वकलिकलहवेषधकरणं दुर्गतिविनिपातवर्द्धनं
भवपुनर्भवकरं चिरपरिचितमनुगतं दुरन्तं तृतीयमधर्मद्वारम् ॥ सू० ६ ॥

पदार्थान्वय—सुधर्मात्त्वामी कहते हैं—(अंबू !) हे जम्बू ! (तदयं च) तीसरा
(अधिष्ठातानं) अबस्तावान—खोरी (हर-बह-मरण-मय-कलुष-तासण-परसंतिगऽभिञ्ज-
लोभमूलं) हरण, बाह, मृत्यु और भयरूप है, मलिन है, त्रास पैदा करने वाला है,
परधन में रौद्रध्यानयुक्त मूर्च्छा—लोभ इसका मूल है, (कालविसमसंसियं) आधीरात
आदि काल और पर्वत आदि विषम स्थान का आश्रय लेने वाला है, (अहोऽच्छिन्न-
तण्डपत्वाणपत्सोदमइयं) जिसमें लगातार तृणानुर जीवों को अधोगति में प्रस्थान
करने में प्रवृत्त करने वाली बुद्धि है, (अकस्तिकरणं) अपयश का जनक, (अणञ्जं)
आर्यपुरुषों द्वारा अनाश्रणीय, (छिद्रमंतर-विधुर-वसन-मग्गण-उत्सव-मत्त-पमत्त-यसुत्त-
बंधन-विखण-घायण-पराणिहृय - परिणाम - तत्करजणबहुमयं) छिद्र, अवसर, विधुर-
अपाय, व्यसन—राजा आदि द्वारा उहाँई हुई आफत का अन्वेषण करने वाला
तथा उत्सवों में शराब आदि के नशे में चूर, असावधान तथा सोये हुए मनुष्यों को
ठगने वाला, चित्त में व्याकुलता पैदा करने और घात करने में तत्पर, तथा अशान्त-
बंधन परिणामवाले चोर लोगों द्वारा अत्यन्त मान्य है, (अकलुषं) कष्टारहित
कर्म है, (राजपुरिसरणिज्यं) चौकीदार, कोतवाल आदि राजपुरुषों द्वारा निवारित है,
(सया साहगरह्निज्जं) सदा साधुओं द्वारा निन्दित, (पियजणमित्तजनभेदविप्रीति-
कारकं) प्रियजनों एवं मित्रजनों में परस्पर फूट और अप्रीति—दुश्मनी पैदा करने
वाला, (रागवोसबहुलं) रागद्वेष से ओतप्रोत है। (पुणो य) और फिर यह (उत्पूर-
समर-संग्राम-द्वन्द्व-कलि-कलह-वेषधकरणं) बहुतायत से मनुष्यों को मारने वाले संग्रामों,
स्वच्छक्र - परच्छक्र में डमरों-विप्लवों, लड़ाई-झगड़ों—बाक्कलहों और परचास्ताप का
कारण है, (दुर्गद्विणिवायवर्द्धनं) दुर्गतिपतन में वृद्धि करने वाला, (भवपुणभवकरं)
संसार में बारबार जन्म कराने वाला, (चिरपरिचितं) चिरकाल से परिचित, (अणुगयं)
निरन्तर आत्मा के साथ लगा हुआ, (य) और (दुरन्तं) परिणाम में दुःखप्रद
यह (तदयं) तीसरा (अधम्मद्वारं) अधर्मद्वार है।

मूलार्थ—सुधर्मात्त्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूत्त्वामी से कहते हैं—हे
जम्बू! तीसरा अबस्तावान (बिना धी हुई या बिना अनुमति के किसी की पराई वस्तु
का लेना) हरणरूप है व चिरा को जलाने वाला है, मृत्यु और भयरूप है; पापों

से जीवों को त्रास पैदा करने वाला है, पराये धन में रीढ़ध्यानरूप मूर्च्छा ही इसका मूल कारण है। यह आधीरात आदि काल और पर्वत आदि विषमस्थानों पर आश्रित रहता है। जिनके चित्त में निरन्तर लालसा रहती है, उन्हें अधोगति में डालने वाली बुद्धि प्रदान करने वाला है, अपयश का कारण है, अनायर्पुरुषो द्वारा आश्रित है, प्रवेशद्वार (छिद्र), अवसर (मौका), अपाय (नुकसान) तथा राजा आदि द्वारा दी गई विपत्ति का हरदम दूँडने वाला है। उत्सवों में शराब आदि के तशे में चूर, असावधान या सोये हुए मनुष्यों की गफलत से लाभ उठाने वाला है, चित्त में घबराहट पैदा करने और मारने में उद्यत चोर-डाकुओ द्वारा बहुत मान्य (अपनाया जाता) है। चौकीदार, पहरेदार, कोतवाल आदि राजकर्मचारियों द्वारा इसे रोका जाता है, साधुपुरुष सदा इसकी निन्दा करते हैं। यह प्रियजनो और मित्रजनों में परस्पर फूट डालने और अप्रीति पैदा करने वाला है। राग और द्वेष से परिपूर्ण है, बहुतायत से मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। दुर्गतिपतन को बढ़ावा देने वाला है। संसार में बारबार जन्म कराने वाला है, अनादिकाल से परिचित है। आत्मा का निरन्तर पिछलग्गू है और परिणाम में दुःखदायक है। यह तीसरा अधर्मद्वार है।

व्याख्या

मृधावाद का निरूपण करने के पश्चात् शास्त्रकार अदत्तादान का निरूपण करने की इच्छा से स्वरूप, नाम आदि पूर्वोक्त पाच द्वारों में से सर्वप्रथम अदत्तादान के स्वरूप का वर्णन करते हैं—‘जंङ्ग ! तद्दयं च अधिष्ठादाणं’—सुधर्मास्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—‘जम्बू ! यह तीसरा महापाप अदत्तादान है।’

अदत्तादान का लक्षण—जिस वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं है, उसे बिना दिये या बिना अनुमति के ग्रहण कर लेना या दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपने कब्जे में कर लेना अदत्तादान कहलाता है। इसे चोरी, चौर्य, स्तेय आदि भी कहते हैं। ऐसी अदत्त वस्तु धन, या कोई भी वस्तु वस्त्र, वर्तन आदि साधन या मकान आदि भी हो सकती है।

शास्त्र में ऐसा अदत्त चार प्रकार का बताया है—स्वामी का अदत्त, जीव का अदत्त, गुरु का अदत्त, तीर्थकर का अदत्त। इन चारों के भी द्रव्य से (ग्रहण करने योग्य कोई भी वस्तु), क्षेत्र से (सर्व लोक में), काल से (दिन और रात में), भाव से (रागद्वेष से) अदत्त होते हैं। इस प्रकार कुल मिला कर ४+४=१६ भेद अदत्त के हुए। इन सभी प्रकार के अदत्तों का महाप्रती साधु-साध्वी तीन करण एव तीन योग

से त्याग करते हैं। गृहस्थ श्रावक के लिए स्थूलरूप से अबत्तादान के त्याग का विधान है।

हर-बहु-भरण-भय-कलुस-तासण-परसंतिगःभिञ्जलोभमूलं—चोरी का मूल क्या है? इसका विश्लेषण करते हुए शास्त्रकार सर्वप्रथम इन सब पदों को प्रस्तुत करते हैं। हर और वह ये दोनों शब्द हरण और दहन के पर्यायवाची हैं। चोर जब चोरी करने जाते हैं तो घर का स्वामी या अन्य लोग जब उन्हें घन नहीं बताते हैं तो वे जबरन उनका घन छीन लेते हैं; या उनकी प्रिय वस्तुओं का हरण कर लेते हैं। कई बार वे गुस्से में आ कर घर में आग भी लगा देते हैं, अथवा हृदय में संताप पैदा करते हैं, दूसरों को जान से भी मार देते हैं। कई बार खुद की जान को भी खतरा रहता है, चोर स्वयं भी भयभीत रहते हैं, चोरी में दूसरे भी बहुत भयभीत रहते हैं। चोरी अत्यन्त कलुपित कार्य है। चोरी करने वाले को तथा जिसके यहाँ चोरी होती है, उसे अत्यन्त त्रास पैदा होता है। चोर विरोधियों द्वारा जान से मारे जाते हैं, पकड़े जाने पर जेलखाने में नरक की-सी यातना भोगते हैं, उनके हाथपैर काट लिये जाते हैं, वे परलोक में भी नरक-तिर्यञ्चगति में भयंकर दुःख पाते हैं। इस तरह जिस चोरी के निमित्त से ये अनर्थ और संकलेश पैदा होते हैं, उसका मूल कारण पराये घन को अपने कब्जे में करने की लिप्सा है, जिसे पूरी करता है मनुष्य स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान से प्रेरित होकर। रौद्रध्यान के ४ भेद हैं—हिसानुबन्धी, स्तेनानुबन्धी, मृपानुबन्धी और सरक्षणानुबन्धी। चोरी करने में ही चित्त लगाए रखना, रात-दिन चोरी करने के स्थानों, तरकीबों और योजनाओं को मन में घुनाते रहना, चोरी करने के तरीकों पर ही मन को एकाग्र कर लेना और इसी उधेड़बुन में लगे रहना स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है। इस प्रकार इस वाक्य में चोरी का विश्लेषणमूलक स्वरूप बताया है।

कालबिसमसंसिय—चोरी करने वाला प्रायः रात को, जब लोग सो जाते हैं, तभी चोरी करने निकलता है। उसके पश्चात् बात ठंडी पड़ जाय, इसलिए एक-दो महीने गुफा, खोह, बीहड़, घने जंगल आदि विषम स्थानों में जा कर छिपता है, माल भी वही कहीं गाड़ देता है; इस प्रकार चोरी विषमकाल और विषमस्थान के आश्रय से की जाती है।

अहोऽञ्जितसत्पहपत्थाणपत्थोइमइय—चोरी सतत तृष्णातुर व्यक्ति ही करता है, जिसमें ऐसी घोर लालसा होती है, उसकी बुद्धि अपने लिए नरक में जाने का रास्ता तैयार कर लेती है।

अकित्तिकरं—चोरी करने वाले की समाज में कोई कीर्ति या प्रतिष्ठा नहीं

होती, राष्ट्र में भी उसका सम्मान नहीं होता। परिवार में भी उसकी बदनामी होती है। इस प्रकार चोरी बदनामी ही कराती है।

अणञ्जं—चोरी अपने आप में अनार्यकर्म है। म्लेच्छ या असभ्य लोग ही इसे अपनाते हैं, सभ्य या आर्य व्यक्ति तो अपनी मेहनत से कमाई करके जीते हैं। वे चोरी को पास भी नहीं फटकने देते।

छिह्-मंतर **तत्त्वरज्जुमयं**—चोरी करने के लिए चोर मकानों के दरवाजे या घुसने का रास्ता देखता रहता है, मन्त्रणा भी करता है, अथवा चोरी करने के अवसरो (मौको) की ताक में रहता है। चोरी करने में क्या-क्या खतरा या नुकसान उठाना पडगा ? इसका भी विचार करता है, राजा आदि द्वारा अपने पर क्या-क्या आफतें आ सकती हैं ? इमें भी चोर सोचता है। मेलो-ठेलो, उत्सवों, त्यौहारों और भीडमडवको में चोरो का दाब लगता है, ऐसे मौको पर लोग नशे में चूर हो कर पड़े रहते हैं, बेफिक्र हो कर सो जाते हैं, या झधर-उधर चले जाते हैं, घर छोड़ कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे मौको पर लोगो की अमावधानी का लाभ उठा कर वे चोरी करते हैं। साथ ही क्लोरोफार्म जैसी वेहोशी की दवा से वेहोश करके उनका माल ले कर चंपत हो जाते हैं। कई बार घर के मालिक आदि को जान से मार कर द्रव्य ले कर भाग जाते हैं, चोरी करने में चोर के परिणाम बहुत ही अशान्त रहते हैं, चोरो के लिए स्वपरिश्रम की अपेक्षा चोरी का रास्ता ही बहुमान्य होता है।

अकलुण-राघपुरिसरबिधय—चोरी करना कर्णाहीनता का कार्य है। जिसमें सहृदयता होनी है, कर्णा का निवास होता है वह इस कर्णाहीन कार्य को नहीं करता। अकमर चोर अपना हृदय पापाणवत् कठोर बना कर ही दूसरे के घरों पर छापा मारते हैं। वे चोरी करते समय व्यक्ति की धनिकता-निर्धनता एवं परिस्थिति-अपरिस्थिति आदि का कतई विचार नहीं करते। जिस राज्य में चोरी होती है, वह राज्य-शासन प्रबन्ध की दृष्टि से निकृष्ट माना जाता है; उससे शासक की भी अयोग्यता साबित होती है। इसलिए शासनकर्ता लोग राज्य में कहीं चोरी न होने पावे, इसके लिए जगह-जगह राजकर्मचारियों को तैनात करते हैं; पहरेदारो को रख कर चोरी से रक्षा की व्यवस्था करते हैं।

सधा साङ्गुगरहृणञ्जं—साधु-महात्मा चोरी जैसे महापाप को निन्दकर्म, घृणित व्यवसाय और गहित जीविका मानते हैं। वे ऐसे समाजघातक, राष्ट्रद्रोही कार्यों की सदा ही निन्दा करते हैं।

पियज्जामित्तज्जणेवेविप्पीत्तिकारकं—चोरी करने वाले को उसके प्रियजन और मित्रजन शका की दृष्टि से देखते हैं; वे उससे सशंक रहते हैं कि कभी हमारे माल पर भी यह हाथ साफ न कर जाय। इसलिए उनके साथ चोरी करने वाले

की मीमी टूट जाती है, उनमें आपस में फूट पड़ जाती है, अप्रीति भी पैदा हो जाती है। अतः चोरी परस्पर अविश्वास और फूट पैदा करने वाली व प्रीति-विनाशिनी है।

रागदोसबहुल—चोरी करने वाले में धन और मुफ्त के माल को हड़पने और अपना बना लेने का राग और मोह होता है, साथ ही उसके मार्ग में बिघ्न डालने वालों या सामने करने वालों के प्रति द्वेष भी पैदा होता है। अतः चोरी राग-द्वेषवर्द्धक है।

उत्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरण—संसार में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें लाखों-कराडों मनुष्यों का सहार हुआ है। और वे सब हुए हैं या तो राज्य छीनने के लिए, या धन और मुन्दरी का अपहरण करने के लिए। चोरी का माल जहाँ आता है, वहाँ उस घर के लोगों की मनोवृत्ति हराम का माल खाने की बन जाती है, इसलिए वे मुफ्त के उस माल को हथियाने के लिए परस्पर लड़ते-भिड़ते हैं, उनमें आपस में तू-तू-मैं-मैं होती है, कई जगह राज्य या धन को हथियाने के लिए विद्रोह या विप्लव पैदा होता है, कहीं आपस में लड़ बजते हैं, सिरफुटीब्वन मचती है और कहीं आपसी सघर्ष के बाद जब कुछ हाथ नहीं आता या दोनों तरफ के आदमी मारे जाते हैं तो पछतावा होता है। इस तरह चोरी, विद्रोह, लडाई-झगडे, वैरविरोध और पयचात्ताप की जननी है।

दुग्द्विधिषायबद्धण—चोरी करने वाले की आत्मा सदा रीड्रघ्यान में तल्लीन रहती है, अतः उसको कर्मबन्ध भी प्रायः दुर्गति का ही होता है। बन्ध होने पर अनुभाग-बन्ध और स्थितिवन्ध में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यानी दुर्गतिरूपी जेल में पड़े रहने की अवधि वह लम्बी बढ़ा लेता है।

भवपुणव्यकरण—चोरी के कारण पापानुबन्धी पाप का बन्ध होने से प्रायः बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है। इसलिए चोरी बार-बार जन्म-मरण का कारण है।

चिरपरिचियमणुगयं दुरंतं—अशुभ कर्मों के उदय से चोरी करने वाला बार-बार कुगति में जाता है और कुगति में इसी पापकर्म को वह पुनः पुनः करता है। इस लिए वह चिरकाल से चोरी से परिचित और अभ्यस्त हो जाता है। फिर तो चोरी का पाप आत्मा के साथ निरन्तर लगा रहता है, इससे बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाना होता है।

तद्वय अघम्मवार—इस प्रकार चोरी अघर्म का तीसरा द्वार है। अघर्मद्वार में प्रवेश करने के बाद शट पट निकलना नहीं हो सकता; क्योंकि उसका सिरा नहीं मिलता। एक छोर से दूसरे छोर तक जिधर देखो उधर अघर्म का ही वातावरण मिलता है।

अवत्तादान के पर्यायवाची नाम

अवत्तादान का स्वरूप बताने के बाद अब शास्त्रकार अवत्तादान के गुणनिष्पन्न एकार्थक पर्यायवाची शब्दों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्य य णामाणि गोष्णाणि ह्रींति तीसं, तंजहा—१ चोरिककं
२ परहडं, ३ अदत्तं ४ कूरिकडं, ५ परलाभो, ६ असंजमो, ७
परधणम्मि गेही, ८ लोलिककं, ९ तक्करत्तणंति य १० अवहारो ११
हत्थलहुत्तणं, १२ पावकम्मकरणं, १३ तेणिककं, १४ हरणविप्प-
णासो, १५ आदियणा, १६ लुपणा घणानं, १७ अप्पच्चओ १८
अवीलो, १९ अक्खेवो, २० खेवो, २१ विक्खेवो, २२ कूडया,
२३ कुलमसी य, २४ कंखा, २५ लालप्पणपत्थणा य, २६ आसस-
णाय वसणं, २७ इच्छामुच्छा य, २८ तण्हागेहि, २९ नियडिकम्मं
३० अपरच्छंति वि य । तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि
ह्रींति तीसं अदिन्नादाणस्स पावकलिकलुसकम्मबहुलस्स
अणोगाईं ॥ सू० १०॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गौणानि (गुण्यानि) भवन्ति त्रिंशत्, तद्यथा—१
चौरिककं, २ परहृतं, ३ अवत्तं, ४ कूरिकृतं, ५ परलाभो, ६ असंयमः, ७ पर-
धने गृह्णितः, ८ लौल्यं, ९ तत्स्करत्वमिति च, १० अपहारो, ११ हस्तलघुत्वं
(लाघवत्वं), १२ पापकर्मकरणं, १३ स्तेयं, १४ हरणविप्रणाशः, १५ आवाहनं,
१६ लोपना घनानां, १७ अप्रत्ययः १८ अवपीडः १९ आक्षेपः २० क्षेपः, २१
बिभ्रोपः, २२ कूटता, २३ कुलमयी च, २४ कांक्षा, २५ लालपन-प्रार्थना च, २६
आशसनाय व्यसनं २७ इच्छा-मूर्च्छा च, २८ लुपणागृह्णितः २९ निकृतिर्कर्म ३०
अपरोक्षमित्यपि च । तस्यैतान्धेवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिंशद् अवत्ता-
दानस्य पापकलिकलुषकर्मबहुलस्यानेकानि ॥१० सू०॥

१ 'हत्थलहुत्तणं' पाठ भी कही मिलता है । —संपादक

पदार्थान्वय—(तस्स य) उस अवत्तादान के, (गोष्णाणि) गुणनिष्पन्न सार्थक, (तीसं) तीस, (नामाणि) नाम, (होति) हैं। (तंजहा) वे इस प्रकार हैं— (चोरिकर्कं) चोरी, (परहृदं) दूसरे से छीनना, (अदत्तं) बिना दिये दूसरे की चीज लेना, (क्रूरिकर्कं) क्रूर व्यक्तियों का कृत्य, (परसामो) पराये धनावि का लाभ, (असंजम्भो) असंयम (परघणम्मि गोही) दूसरों के धन पर गृद्धि-आसक्ति, (लोलिकर्कं) दूसरे की वस्तु की लम्पटता, (तक्करत्तणं) लुटेरों का काम या तस्करता, (इति च) और (अवहारो) वस्तु का अपहरण, (हृत्थलहृत्तणं) दूसरों की चीज उड़ाने में हाथ की सफाई, (पावकम्मकरणं) पापकर्मों का कारण, (तेणिकर्कं) चोरो का कार्य, (हरणविप्पणासो) दूसरे के धनादि का हरण करके भाग जाना, (आदियणा) दूसरे के धन का ग्रहण करना, (लुं पणा घणाणं) दूसरे की संपत्तियों को गायब करना, (अप्पच्चओ) अप्रतीतिकारक, (अवीलो) दूसरों को पीड़ाक्ष्य, (अक्खेवो) दूसरे के द्रव्य पर झपटना, (खेवो) दूसरे के हाथ से द्रव्य छीनना, (विकखेवो) दूसरे के हाथ से द्रव्य ले कर इधर-उधर कर देना, (कूडया) झूठा तौल-नाप करना या झूठा व्यवहार या जालसाजी (कुलमसी य) और कुल पर कलंक या कालिमा लगाना, (कंला) परद्रव्य की अभिलाषा, (य) और (लालप्पणपत्थणा) सल्लोखप्पो करके दीन शब्दों में याचना करना, (आससणाय वत्तणं) विनाश के लिए व्यसन, (इच्छा-मुच्छा) परधन की चाह और अत्यंत आसक्ति, (तत्थागेहि) प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने की इच्छा तथा अप्राप्त द्रव्य को प्राप्त करने की लालसा, (नियडिकम्मं) छलकपटपूर्वक कर्म (य) और (अपरच्छंति वि) परोक्ष में किया जाने वाला कार्य। इस प्रकार (पावकलिकलुसकम्मबहुलस्स) पापकर्म और कलह से होने वाले मलिन कामों से ओतप्रोत, (अदिष्णादाणस्स) अदत्तादान के (एयाणि) ये (तीसं) तीस नाम और (एवमादीणि) ऐसे और भी (अणेयाइं) अनेक (नामधेज्जाणि) नाम (होति) हैं।

मूलार्थ—जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस अदत्तादान (चोरी) के ये गुणनिष्पन्न सार्थक तीस नाम हैं। वे इस प्रकार हैं—१ चोरी, २—दूसरे से वस्तु को छीन लेना, ३ बिना दिये दूसरे की वस्तु ले लेना, ४—क्रूर मनुष्यों का कार्य, ५—दूसरों के धन से अनुचित लाभ उठाना, ६—हाथ-पैर व मन आदि का असंयम, ७—पराये धन में गृद्धि रखना, ८—दूसरों के द्रव्य में मन का चलायमान होना, ९—लुटेरों का काम, १०—वस्तु का अपहरण, ११—दूसरे की वस्तु को उड़ाने में हाथ की सफाई, १२—पापकर्मों का कारण, १३—चोरों का काम, १४ दूसरों का धनादि

चुरा कर भाग जाना या नष्ट-भ्रष्ट कर देना, १५—बिना आज्ञा के परद्रव्य-ग्रहण करना, १६—दूसरे के धन या वस्तु को गायब कर देना, १७—अविश्वास का कारण, १८—परपीडाकारक १९—पराये धन पर झपटना, २०—दूसरो के हाथ से द्रव्य छीनना, २१—दूसरों के हाथ से द्रव्य छीन कर खुर्द-बुर्द कर देना, २२ तौलने-नापने के उपकरणों में बेईमानी करना, २३—कुल में कलंक लगाने का कारण, २४—दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा करना, २५ लल्लोचप्यो करके दूसरो से अर्थ की याचना करना, २६—पराई वस्तु को नष्ट करने की बुरी आदत, २७—पराये धन की इच्छा करना और उसमें गाढ आसक्ति रखना, २८—प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने की इच्छा और अप्राप्त द्रव्य को पाने की लालसा, २९—मायाचार (जालसाजी) से किया हुआ कर्म, ३०—परोक्ष में (दूसरे को आँख बचा कर) किया जाने वाला काम । इस तरह पापकर्म और कलह से होने वाले मलिन कामों से भरे हुए अदत्तादान के ये तीस नाम हैं तथा ऐसे और भी अनेक नाम हैं ।

व्याख्या

प्रस्तुत मूलपाठ में शास्त्रकार ने अदत्तादान के ३० गुणनिष्पन्न सार्थक नाम बताये हैं । वैसे तो मूलार्थ में प्रत्येक का अर्थ हम स्पष्ट कर आए हैं, लेकिन अदत्तादान के इन पर्यायवाची नामों की सार्थकता सिद्ध करने की दृष्टि से यहाँ कुछ विश्लेषण करना अप्रासंगिक नहीं होगा ।

चोरिकर्क—किसी वस्तु को, चाहे वह मार्ग में ही पड़ी हो, कोई भूल से छोड़ गया हो, असावधानी से गिरी हुई हो, उसके स्वामी की आज्ञा या इच्छा के बिना अपने कब्जे में कर लेना चोरी है । यहाँ शका हो सकती है कि कुँए आदि जलाशय से पानी, हाथ आदि साफ करने के लिए मिट्टी, दाँत आदि साफ करने के लिए बतौन की लकड़ी, किसी कार्य के लिए तिनका आदि चीजें उनके स्वामी की आज्ञा के बिना भी ग्रहण की जाती हैं, किन्ती शासक से बिना पूछे उसके राज्य में नगर, गली या मुहल्ले में प्रवेश किया जाता है, क्या यह भी चोरी ही कही जायगी ? इसका समाधान यह है कि प्रथम तो जिस चीज का कोई स्वामी नहीं होता या जो चीज सार्वजनिक होती है या उसका मालिक सभी के उपयोग के लिए उसे खुली (मुक्त) कर देता है, जिसे ग्रहण करने से या जिसका उपयोग करने पर लोकव्यवहार में कोई निन्दा नहीं होती, जिसके लिए निषेधाज्ञा जारी करके सरकारी कानून नहीं बना है, अतः सरकार उसे दण्ड नहीं देती; जिसे ग्रहण या उपयोग करने के पीछे अपने अधीन बनाने की

भावना नहीं होती; अथवा जिसे चोर का कर्म नहीं माना जाता, उसे व्यवहार में चोरी नहीं कहा जा सकता। हालांकि महाव्रती साधुओं के लिए तो प्रत्येक चीज, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत मालिकी की, आज्ञा के बिना ग्रहण करने का निषेध है। जिसका कोई स्वामी न हो उस वस्तु का भी शक्रेन्द्र महाराज की आज्ञा लेकर ग्रहण या उपयोग करने का विधान है। परन्तु गृहस्थ के लिए ऐसा कड़ा विधान नहीं है। प्रस्तुत सूत्रपाठ में इसीलिए 'चोरिक' पद दिया है, जिसका अर्थ होता है—चोरी की भावना से किया जाने वाला कर्म। अतः इसे अदत्तादान का पर्यायवाची शब्द कहना ठीक ही है।

परहृतं—पराये धन या पदार्थ का हरण कर लेने को भी 'परहृत' के रूप में अदत्तादान का साथी कहना उचित है। क्योंकि दूसरे की वस्तु (स्त्री-पुत्र-धनादि) का हरण करते समय हरण करने वाला किसी के देने से या उसके मालिक की स्वच्छा से नहीं लेता, इसलिए 'परहृत' भी चोरी है। इसी प्रकार अमानत या धरोहर के रूप में रखे गए पराये धन या पर पदार्थ का अपने कब्जे में कर लेना, उसे अपने उपयोग में लेना या दूसरे के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर लेखक के रूप में अपना नाम दे देना आदि भी 'परहृत' के प्रकार हैं।

अदत्त—इसका अर्थ स्पष्ट है—बिना दिये हुए का ग्रहण।

क्रूरिकं—चोरी बड़े ही साहस और क्रूरता का कार्य है। इसलिए क्रूरता-पूर्वक किये जाने के कारण इसे 'क्रूरिकृत' कहा जाना भी सार्थक है। यह भी अदत्तादान का साथी है।

परलाभो—दूसरे की वस्तु से उसकी इजाजत या इच्छा के बिना लाभ उठाना भी 'परलाभ' के रूप में चोरी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की गाय या बकरी उसके मालिक की अनुमति के बगैर दुह ले, या अमानत या धरोहर रखी हुई पराई चीज से भी इसी प्रकार नाजायज फायदा उठाए, किसी मकान को उसके मालिक से बिना पूछे ही अपने उपयोग में ले ले इत्यादि सब 'परलाभ' के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसलिए परलाभ को भी अदत्तादान का भाई समझना चाहिए।

असयमो—जिसके मन, इन्द्रियो या हाथ-पैरो पर अकुश (सयम) नहीं होता, वह खुले हुए पशु की तरह दूसरो के घर उजाड़ता है। इसलिए अदत्तादान को असयमरूप बताना वास्तव में यथार्थ है।

परधन्मि मेही—चोरी की मुख्य प्रेरणा ही पराये धन पर गृद्धि रखने से होती है। जब मनुष्य दूसरो के धन को हड़प लेने के लिए लालायित रहता है, तभी वह अदत्तादान में प्रवृत्ति करता है। इसलिए परधनगृद्धि को अदत्तादान की जननी कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

लौल्यवृत्ति—पराई मनपसंद वस्तु देख कर उसे किसी भी उपाय से लेने के लिए मन का चलायमान होना 'लौल्य' कहलाता है। यह लोचुपता की चंचलवृत्ति ही चोरी को उत्तेजन देती है। इसलिए लौल्य को अवत्तादान का जनक कहना उचित ही है।

तस्करत्तर्णतिथ—जब मनुष्य चोरी करने में अभ्यस्त हो जाता है तो वह प्राणों के खतरे की भी परवाह न करके डाका डालने लगता है, साहस करके दूसरों के मकान पर छापा मारता है, अथवा राज्यदण्ड की परवाह न करके चुंगी बचाने के लोभ में तस्करव्यापार (स्मगलिंग) करता है। ऐसी तस्करता अवत्तादान की बहन नहीं तो क्या है? इसलिए तस्करत्व को अवत्तादान का पर्यायवाची ठीक ही बताया है।

अवहारो—किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु का छिप कर, जबर्दस्ती, या धोखा देकर अथवा किसी की गफलत में लाभ उठा कर अपहरण कर लेना अपहार है, और वह भी एक प्रकार का अवत्तादान होने से उसे अवत्तादान का पर्यायवाची कहना यथार्थ है।

हृद्यलद्वृत्तण—कई लोग किसी की जेब, अलमारी, सडूक या कैसबक्स में पड़े हुए धन को ऐसी सितप से चुराते हैं कि उसके मालिक को पता ही नहीं लग पाता। यह हस्तलाघव या हाथ की सफाई वास्तव में अवत्तादान का ही प्रकार है, इसलिए इसे अवत्तादान का पर्यायवाची कहना उचित है।

पापकम्मकरणं—चोरी करने वाले व्यक्ति में हिंसा, असत्य, परिग्रह, क्रूरता, निर्दयता, माया, लोभ, क्रोध आदि पापकर्म स्वाभाविक ही पाये जाते हैं। इसलिए अवत्तादान अनेक पापकर्म का कारण होने से इसे 'पापकर्मकरण' कहना यथार्थ है।

तेजिष्कं—चोरो का मुख्य कार्य चोरी करना है। वे शूठ बोलते हैं, छल करते हैं, हत्या, मारपीट आदि करते हैं और इन सबको करते हैं चोरी के लिए ही। इसलिए अवत्तादान को चोरो का काम (स्तेय) बताना उचित ही है।

हरणविप्पणासो—किसी की चीज उडा कर भाग जाना हरणविप्रणास है, अथवा किसी की चीज को हरण कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देने को भी हरणविप्रणास कहते हैं। यह भी अवत्तादान का साथी होने से उसका पर्यायवाची शब्द ठीक ही है।

आशियणा—दूसरों का धन या पदार्थ मांग कर ले लेना, किन्तु उसे वापिस न लौटाना या लौटाने से इन्कार कर देना भी, आदान नामक अपराध है, जो चोरी की कोटि में ही है।

सुंपना ध्वान्त—किसी के धन या पदार्थ को हजम कर जाने या अपने कब्जे में करने की नीयत से गायब कर देना, पता न चल सके, इस प्रकार से गुप्त कर देना धन-सौपना है, जो कि अदत्तादान की ही बहन है।

अप्यच्छवो—संसार में चोरी करने वाले व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं होता, उस पर प्रतीति करके कोई भी जिम्मेवारी का काम नहीं सोपता। जिमकी चोरी करने की आदत हो, उस पर परिवार व समाज के लोग भी भरोसा नहीं करते। इसलिए अदत्तादान अप्रत्यय का उत्पादक होने से, उसे अप्रत्यय कहना ठीक ही है।

अधीलो—चोरी दूसरो को भी पीडा देती रहती है, और स्वयं चोर के मन को भी बराबर कचोटती रहती है। इसलिए पीडा का कारण होने से अदत्तादान को 'अवपीड' कहना युक्तिसंगत है।

अक्षेवो—चोरी करने वाला प्राय कई बार दूसरो के माल पर एकदम क्षपटता है वह मीघा लपक कर उम पर टूट पडता है, इसलिए आक्षेप नामक अवगुण भी अदत्तादान की पूर्व तैयारी के रूप होने से इसे अदत्तादान का पर्यायवाची बनाया गया है।

खेवो—दूसरे के हाथ से द्रव्य छीन लेना क्षेप है, जो अदत्तादान का ही साथी है। इसलिए इसे क्षेप कहना भी अनुचित नहीं है।

विक्षेवो—दूसरे के हाथ से द्रव्य लेकर इधर-उधर कर देना या फेंक देना अथवा खुद बुर्द कर देना विक्षेप है, जो अदत्तादान का मित्र है।

कूटया—कूटता कहते हैं—बेईमानी को। किसी माल के तौलने-नापने, दिखाने-देने, बेचने-खरीदने में फरेब करना, गडबड करना, मिलावट करना, जालसाजी करना या चकमा देना, ये और इसी तरह के व्यवहार कूटता के प्रकार हैं। कूटता अदत्तादान से किसी भी तरह कम नहीं है। चोर, डाकू गो मीघे ही चोरी या डकैती करते हैं, परन्तु ये लोगो की आँखो में धूल झीक कर उनका पैसा निकलवा लेते हैं, इसलिए कूटता को अदत्तादान की दादी कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं।

कुलमसी य—चोरी जैसे घड़े करने वाले व्यक्ति कुल को कलकित करते हैं, अपने कुल की प्रतिष्ठा पर कालिख पोत देते हैं। इसलिए अदत्तादान कुल पर कालिमा लगाने वाला होने से इसे 'कुलमपी' ठीक ही कहा है।

कक्षा—मनुष्य विविध प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ तथा बड़ी-बड़ी आशाएँ सजोता है, बड़प्पन पाने की भी बड़ी लालसा मन में होती है। जब प्रतिष्ठा पाने, बडे बनने के लिए साधनो की पूर्ति अपनी न्यायोपार्जित कमाई से नहीं होती तो, वह अन्याय, अत्याचार, शोषण, गबन, रिश्वत, लूट आदि के द्वारा उसकी पूर्ति करता है। इस-

लिए 'कांक्षा' भी चोरी में प्रेरित करने वाली होने से उसे अदत्तादान की नानी कहें तो अनुचित नहीं होगा।

सालप्यणपरत्थणा य—चोरी करने से जब व्यक्ति की विविध आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती अथवा चोरी करने का खतरा नहीं उठा सकता, तब वह लोगों के आगे जा कर उनकी खुशामद करता है, लल्लोचप्पो करता है और याचना करके किसी भी तरीके से उसकी जेब से धन निकलवा लेता है। अथवा उसकी झूठी प्रशंसा करके, उसके चरण चूम कर, दीनभाव से बार-बार प्रार्थना करके वह धन निकलवा ही लेता है। पर यह तरीका खराब है, झूठा है। अतएव इसे भी शास्त्रकार चोरी के लिए की जाने वाली माया, छल-कपट आदि का कारण होने से अदत्तादान के समकक्ष ही बताते हैं। कई हट्टे-कट्टे लोग श्रम न करके अपनी रोखी रोटी के लिए सीधे ही भीख मांगने का पेशा अपना लेते हैं या लोगों से पैसे मांगने का धन्धा अपनाते हैं। ये लोग अग-भग करके दयनीय सूरत बना कर लोगों में कर्षणा पैदा करके उनसे धन निकलवा लेते हैं। इस दृष्टि से इसे भी चोरी की ही कोटि में माना जाय तो बुरा नहीं है।

आससणा य वसणं—ऐसा व्यसन, जिससे प्राण खतरे में पड़ जाय, नाक-कान काट लिये जाय, मारापीटा जाय, सरकार को पता लगने पर जेल खाने में विविध यातनाएं दी जाय, चोरी ही है। इसलिए 'आससन व्यसन' को अदत्तादान के समकक्ष रखा गया है।

इच्छा मुच्छा य—चोरी करने वाले की पहले तो परधन या सुन्दर पर वस्तु देख कर इच्छा जागती है, फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए उसमें गाढ़ लालसा—आसक्ति पैदा होती है। वास्तव में इन दोनों का जोड़ा अदत्तादान के सेवन का मूल प्रेरक है। इसलिए अदत्तादान की सहचरी के रूप में इन्हे माना जाय तो अनुचित नहीं है।

तण्हगोहि—इसी प्रकार तृष्णा और गृद्धि ये दोनों भी चोरी की प्रेरणा देने में कारण हैं। तृष्णा के वश मनुष्य घोखेबाजी, पर-धन का गबन, रिश्वतखोरी, छीनाक्षपटी आदि करता है, और गृद्धि के वश रात-दिन धन-राज्य आदि को हथियाने के प्लान रचता है, मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्पों के ताने बाने गूँथता है, इसलिए इन दोनों का जोड़ा भी अदत्तादान का कारण होने से उसके समकक्ष इन्हें भी रखा गया है।

नियडिक्कम्म—धूर्तता, घोखेबाजी, मायाचारी और जालसाजी के जितने भी काम हैं, वे सब के सब प्रायः पर-धनहरण करने की इच्छा से होते हैं। इसलिए निष्कृति (माया) कर्म को भी अदत्तादान का जनक होने से इसे भी पर्यायवाची माना गया है।

अपरच्छति चि ध—दूसरे की नजर बचा कर छिप कर व परोक्ष में जो वनादि अपहरण करने का काम किया जाता है, वह 'अपराक्ष' नामक चोरी है। यह भी अदत्तादान के तुल्य होने से उसका पर्यायवाची माना गया है।

एवमादीणि अणेगाइ नामवेज्जाणि होंति—ये तीस नाम तो शास्त्रकार ने बताए हैं, इनके सिवाय और भी इसी प्रकार के अदत्तादान के नाम हो सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए 'एवमादीणि' पद दिया है। अतः चोरी का महापाप मलिन कामों से परिपूर्ण होने के कारण सर्वथा त्याज्य है।

चोरी करने वाले कौन-कौन ?

अदत्तादान के ३० गुणनिष्पन्न नामों का उल्लेख करके शास्त्रकार अब अदत्तादान रूप पाप कर्म करने वालों का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तं पुरा करेति चोरियं तक्करा परदन्वहरा, छेया, कय-करणलद्धलक्खा, साहसिया, लहुस्सगा, अतिमहिच्छ - (त्था) लोभगच्छा, ददरओवीलका य, गेहिया, अहिमरा, अणभंजका, भग्गसंधिया, रायद्धुकारी य, विसयनिच्छूलोकबज्जा, उदोहक-गामघायक-पुरघायग-पंधघायग-आलीवगतिथभेया, लहुहत्थसंप-उत्ता, जुइकरा, खंडरक्ख-त्थीचोर-पुरिसचोर-संधिच्छेया य, गंधिभेदग-परधणहरण-लोमावहार (रा) - अवखेवी, हडकारका, निम्मदग-गूढचोरक-गोचोरग-अस्सचोरग-दासिचोरा य, एकचोरा, ओकड्ढक-संपदायक-उच्छिपक-सत्थघायक-बिलचोरी - (कोली) कारका य, निग्गाहविप्पलुं पगा, बहुविहतेणिककहरणबुद्धी, एते अन्ने य एवमादी परस्स दब्बाहि जे अविरया। विपुलबलपरि-ग्गहा य बहुवे रायाणो परधणम्मि गिद्धा, सए य दब्बे असंतुट्ठा, परविसए अहिहणंति ते लुद्धा परधणस्स कज्जे चउरंगविभत्त-बलसमग्गा, निच्छियवरजोहजुद्धसद्धिय-अहमहमिति-दप्पिएहिं सेन्नेहिं संपरिवुडा पउम (पत्त) - सगडसूइक्कसागरगएलबूहा-तिएहिं अणिएहिं उत्थरंता, अभिभूय हरंति परधणाइं। अवरे

रणसीसलद्वलकखा संगामम्मि अतिवयंति, सन्नद्वद्वपरिषरउप्पी-
लियचिघपट्टगहियाउहपहरणा, माठिवरवम्मगुडिया, आविद्व-
जालिका, कवयकंकडइया । उरसिरमुहबद्व-कंठतोनमाइतवरफलह-
रचित-पहकरसरहसखरचावकरकरंछिय-सुनिसितसखरिस-च (व)
डकरमुयंत-घणचंडवेगघारानिवायमग्गे, अणेगघणुमंडलमगसंघिता-
उच्छलियसत्ति-सूल - कणग - वामकरगहियखेडग-निम्मलनिकिट्ट
खग्ग-पहरंतकोंत-तोमर-चक्क-गया- परसु-मुसल-संगल-सूल-लउल-
भिडिमाल-सब्बल-पट्टिस-चम्मेट्ट-दुघण-मोट्टिय - मोगगर-वरफलह-
जंत-पत्थर-दुहण-तोण-कुवेणी-पोढकलिय - ईलीपहरणमिलिमिलि-
मिलंतखिप्पंत-विज्जुज्जलविरचितसमप्पहणभतले, फुडपहरणे,
महारणसंख-भेरि-दुं दुभि-वरतूरपउरपडुपडहाहयणिणायगंभीरणंदित्त-
पक्खुभियविपुलघोसे, ह्यगयरहजोहतुरितपसरितरयुद्धततमंघकार-
बहुले, कातरनरणयणहिययवाउलकरे । विलुलियउक्कडवरमउड-
तिरीडकुंडलोडुदामाडोवियापागडपडागउसियज्झय - वेजयंति-
चामरचलंतछत्तं घकारगंभीरे ह्यहेसिय-हत्थिगुलुगुलाइय - रहघण-
घणाइय-पाइक्कहरहराइय-अप्फोडिय - सीहनाय-छेलिपविघुट्टु-
कुट्टुकंठगयसद्भीमगज्जिए, सयरह-हसंत-रुसंतकलकलारवे, आसूणि-
यवयणरुद्दे, भीमदसणाघरोट्टगाढदट्टे, सप्पहरणुज्जयकरे, अम-
रिसवसतिव्वरत्तनिहारितच्छे, वेरदिट्टिकुद्धचिट्टिय-तिवलीकुडिल-
(य) भिउडिकयनिलाडे, वहपरिणयनरसहस्सविक्कमवियंभियबले,
वगंततुरगरहपहावियसमरभडा, आवडियछेयलाघवपहारसाघिता-
समूस्सि(सवि)य बाहुजुयलमुक्कट्टहासपुक्कंतबोलबहुले, फुरफल-
मावरणगहिय - गयवर - पत्थितदरियभडखल - परोप्परपलग्ग -
जुद्धगव्वित - विउसितवरासिरोसतुरियअभिमुह - पहरितछिन्न-
करिकरवियं(रं)गितकरे, अवइद्वनिसुद्धभिन्नफालियपगलिय-
रुहिरकतभूमिकद्दमचिलिचिल्लपहे, कुच्छिदालियमसित्त-

रुलंतनिभेल्लितंतफुरुफुरंत - ऽविगलमम्माहयविकयगाढदिन्नपहार-
समुच्छितरुलंतवेंभलविलावकलुणे, ह्यजोह-भमंत-तुरग-उद्दाम-
मत्तकुंजर- परिसंकितजण- निब्बुकच्छिन्नघय - भग्गरह्वरनट्टसिर-
करिकलेवराकिन्नि-पतितपहरण-विकिन्नाभरणभूमिभागे, नच्चंत-
कबंधपउरभयंकरवायसपरिलेंतगिद्धमंडलभमंतच्छायंघकारगंभीरे ,
वसुवसुहाविकंपितव्व पच्चखपिउवणं परमरुद्दबीहणगं दुप्पवेसतरगं
अभिवयंति संगामसंकडं परघणं महंता ।

अवरे पाइक्कचोरसंघा सेणावतिचोरवंदपागडिडका य
अडबीदेसदुग्गवासी कालहरितरत्तपीतसुक्किक्कलअरोगसर्यचिघ-
पट्टबद्धा परविसये अभिहणंति ।

लुद्धा घणस्स कज्जे रयणागरसागरं उम्मीसहस्स-
मालाउलाकुलवितोयपोतकलकलेंतकलियं, पायालसहस्स-
वायवसवेग-सलिल-उद्धममाणदगरयरयंघकारं, वरफेणपउरघवल-
पुलंपुलसमुट्टियट्टहासं, मारुयविच्छुभमाणपाणियं जलमालुप्पोल-
हुलियं, अवि य समंतओ खुभियलोलियखोखुभमाणपक्खलिय-
चलियविउलजलचक्कवाल-महानईवेगतुरिय - आपूरमाण गंभीर-
विपुलआवत्तचवलभममाण - गुप्पमाणुच्छलंत - पच्चोणियत्त -
पाणियपघाविय - खरफरुसपयंडवाउलिय - सलिल - फुट्टंतवीति-
कल्लोलसंकुलं, महामगरमच्छ-कच्छभोहार-गाह-तिमि-सुसुमार-
सावयसमाहय समुद्धायमाणकपूरघोरपउरं, कायरजणहिययकंपरां,
घोरमारसंतं, महब्भयं, भयकरं, पतिभयं, उत्तासणगं, अणोरपारं,
आगासं चैव निरवलंबं, उप्पाइयपवणघणित-नोल्लिय - उवखरि-
तरंगदरिय-अतिवेगवेगचक्खुपहमुच्छरंतं, कच्छ(त्थ)इ गंभीर
विपुलगज्जियगुंजिय - निग्घायगरुयनिवतितसुदीहनीहारि-
दूरमुच्चंतगंभीरघुगघुगंतसद्दं, पडिपह-रुभंतजक्खरक्खसकुहंड-
पिसायरुसियतज्जायउवसग्गसहस्ससंकुलं, बहुप्पाइयभूयं, विरचित

बलिहोमधूवउवचारदिन्नरुधिररुच्यणाकरणपयतजोगपययचरियं ,
परियंतजुगंतकालकप्योवमं,दुरंतमहानईनईवइमहाभीमदरिसणिज्जं,
दुरणुच्चरं, विसमप्यदेसं, दुक्खुत्तारं, दुरासयं, लवण-
सलिलपुण्णं, असियसियसमुसियगेहि, (दच्छ) हत्थतरगेहि
वाहरोहि अइवइत्ता समुद्दमज्जे हणंति, गंतूण जणस्स पोते ।
परदव्वहरा नरा णिरणुकंपा, निरवकंखा, गामानगर खेडकव्व-
डमडंबदोणमुह-पट्टणासमणिगम-जणवए ते य धणसमिद्धे हणंति,
थिरहियया य छिन्नलज्जा बंदिग्गाहगोग्गहे य गण्हंति, दारुणमती
निक्किवा (णिक्किया) णियं हणंति, छिदंति गेहसंघि, निक्खि-
त्ताणि य हरंति, धणधन्नदव्वजायाणि जणवयकुलाण णिग्घणमती
परस्स दव्वाहिं जे अविरया । तहेव केइ अदिन्नादाणं
गवेसमाणा कालाकालेसु संचरंता चियकापज्जलियसरस-दरदड्ढ-
कड्ढियकलेवरे रुहिरलित्तवयण-अखत-खातिय-पीतडाइणि-भमंत-
भयंकरे, जंबुयक्खिक्खियंते, घूयकयघोरसद्दे, वेयालुट्टिय-
निसुद्धकहकहितपहसित-बीहणक - निरभिरामे, अतिदुग्घिगंध-
बीभच्छदरिसणिज्जे, सुसाण - वण - सुन्नघर - लेण - अंतरावण-
गिरिकंदर - विसमसावयसमाकुलासु वसहीसु किलिस्संता, सोता-
तवसोसियसरीरा, दड्ढच्छवी, निरयतिरियभवसंकडदुक्खसंभार-
वेयणिज्जाणि पावकम्माणि संचिणंता, दुल्लहभक्खन्नपाणभोयणा,
पिवासिया, झुंक्षिया, किलंता, मंसकुणिमकंदमूल - जंकिचिकिया-
हारा, उव्विगा, उप्पुया (उस्सुया), असरणा, अडवी-
वासं उवेति वालसतसंकणिज्जं ।

अयसकरा तक्करा भयंकरा कस्स हरामोत्ति अज्ज
दव्वं इति सामत्थं करेति गुज्झं, बहुयस्स जणस्स कज्ज-
करणेसु विग्घकरा, मत्तपमत्तपसुत्तवीसत्थच्छिद्दघाती, वसण-

म्भुदएसु हरणबुद्धी, विगव्व रुहिरमहिया परेंति नरवतिमज्जाय-
मतिकक्ता, सज्जएजणदुगंछिआ, सकम्मेहि पावकम्मकारी,
असुभपरिणया य दुक्खभागी, निच्चाइ(उ)लदुहमनिव्वुइमणा,
इह लोके चेव किलिस्संता परदव्वहरा नरा वसणसयसमा-
वण्णा ॥ सू० ११ ॥

संस्कृतच्छाया

तत्पुनः कुर्वन्ति चौर्यं तस्कराः परद्रव्यहराश्छेकाः कृतकरण-
संघलक्ष्याः साहसिका लघुस्वका अतिमहेच्छलोभप्रस्ता बर्वापत्रीडका-
(बर्वरोपपोड़का)श्च गृहिका अभिमरा ऋणभंजका भग्नसन्धिका राजवुष्ट-
कारिणश्च विषयनिक्षिप्त-(निर्द्धाटित) - लोकबाह्या उद्ग्रोहक-ग्रामघातक-
पुरघातक—पथिघातकादीपकतीर्थभेदा लघुहस्तसम्प्रयुक्ता छूतकराः सण्ड-
रक्ष-सत्रीचौर-पुरुषचौर-सन्धिच्छेदाश्च ग्रन्थिभेदक-परधनहरण-लोभावहारा
(रा)—क्षेपिणो, हठकारका, निर्महक गूढचौरक-गोचौरकाश्चचौरक-
बासीचौराश्चकचौरा आकर्षक-सम्प्रदायकावच्छिम्पक सार्थघातक-बिल-
कोलो (चोरी) कारनाश्च निर्ग्राहविप्रलोपका बहुविधस्तेयहरणबुद्धयः,
एतेऽन्ये श्वमादयः परस्य द्रव्याद् धेऽविरताः । विपुलबलपरिग्रहाश्च बहुवो
राजानः परधने गूढाः स्वके च द्रव्येऽसंतुष्टाः परविषयानभिघ्नन्ति, ते लुब्धाः
परधनस्य कार्ये चतुरङ्गविभक्तबलसमग्रा निश्चितवरयोधयुद्धभ्रष्टिताहम-
हमिति दर्पितैः सैव्यैः सम्परिवृताः पद्म(पत्र)शकटसूचीचक्रसागरगण्ड-
भ्यूहाविकरनीकैरास्तृणबन्तोऽभिभूय हरन्ति परधनानि । अपरे रणशीर्षलब्ध-
लक्ष्याः संप्राप्तेऽतिपतन्ति, सनद्धबद्धपरिकरोत्पीडितचिह्नपट्टगृहीतायुध-
प्रहरणा मादोवरवर्मगुण्ठिता आविद्धजालिकाः कवचकण्टकिता उर-
शिरोमुखबद्धकंठतूणहस्तपासिकावरफलकरचितप्रकरसरभसखरचापकरकरा-
ञ्छितसुनिशित - शरवर्षचटकरमुच्यमान - धनचण्डवेगधारानिपातमार्गोऽनेक-
धनुर्मण्डलाप्रसन्धितोच्छलितशक्तिकणकवामकरगृहीतखेटकनिर्मलनिकृष्टसू-
प्रहरत्कुन्ततोमरचक्रावापरशुमुशाललाङ्गल - शूललगुडभिण्डमालशम्बल-
पट्टिसचमैष्टद्रुघनमौष्टिकमुद्गरवरपरिघयंत्र - प्रस्तरद्रुहणतूणकुवेपी-
पोठकलितेलीप्रहरणचिकिचिकायमान - क्षिप्यमाणविद्युत्तुज्ज्वलवि-
रचितसमप्रभनभस्तले स्फुटप्रहरणे महारणशंखभेरीवरतूर्ध-

प्रचुरपटुपटहाहृतनिनादगम्भीरनन्दितप्रक्षुभितविपुलधोबे ह्यगजरथ-
योधत्वरितप्रसूतरज उद्धततमोऽन्धकारबहुले कातरनरनयनहृदय-याकुस-
करे विलुलितोत्कटवरमुकुटतिरोट, कुण्डलोद्बुदामाटोपिके प्रकटपता-
कोच्छ्रितध्वजवैजयन्तीचामरखलच्छत्रान्धकारगम्भीरे ह्यहेषित - हस्ति-
गुलुगुलायित-रथघणघणायित - पदातिहरहरायितास्कोटितसिहनाबसेदित-
विधृष्टोत्कृष्टकण्ठगतशब्दभीमगजिते सहेलया (एकहेलया) हसद्दृष्यत्-
कलकलारावे अमूनितबदनरुद्रे, भीमदशनाधरोष्ठगाढबध्ते सत्प्रह-
रणोद्यतकरेऽमर्षवशतोधरक्तनिर्दारिताक्षे वैरहृष्टिकृद्बध्तेषित - त्रिवली-
कुटिलभ्रकुटिकृतललाटे, वधपरिणतनरसहस्रविक्रमविजृम्भितबले ।
वल्गत्तुरगरथप्रधावितसमरभटापतितच्छेकलाघवप्रहारसाधितसमुच्छ्रित- बाहु-
युगलमुक्ताट्टहासपूत्कुर्वद्बोलबहुले, स्फुरत्फलकावरणगृहीतगजवर-
प्रार्थ्यमानहृत्भटखलपरस्परप्रलग्नयुद्धगर्भितविकोशितवरासिरोधत्वरिता -
भिमुखप्रहरच्छिन्नकरिकरव्यङ्गितकरे, अपविद्धनिगुद्धभिन्नस्फाटित-
प्रगलितरुधिरकृतभूमिकदंभचिञ्चिल्ल (प्रस्खलत्) - पथे, कुक्षिदारित-
गलितलुठन्निर्भेलितान्त्रफुरफुरायमाणविकलमर्माहत - विकृतगाढवस-
प्रहारमूर्च्छितलुठब्धिह्वलविलापकरणे, ह्ययोधभ्रमतुरगोद्दाममत्त-
कुंजर-परिशंकितजननिबुक्कच्छिन्नध्वजभग्नरथवरनष्टशिरःकरिकलेवराकीर्ण-
पतितप्रहरणविकीर्णभरणभूमिभागे नृत्यत्कबन्धप्रचुरभयंकरवायसपरि-
लीयमानगृद्धमण्डलभ्रमच्छायान्धकारगम्भीरे बसुवसुधाविकम्पिता इव
प्रत्यक्षपितृवनं परमरुद्रभयानक बुध्प्रवेशतरकमभिमपतन्ति संप्रामसंकटं
परधनमिच्छन्तः । अपरे पदातिचौरसंघाः सेनापतिचौरवृन्दप्रकर्ष-
काश्चाटवी-वेशदुर्गवासिनः कालहरितरक्तपोतगुक्लानेकगतचिह्नपट्टबद्धाः
परविषयानभिघ्नन्ति । लुब्धा घनस्य कार्ये रत्नाकरसागरमुर्मोसहस्र-
भालाकुलाकुलवितोयपोतकलकलायमानकलितं पातालसहस्रवातवश-
वेगसलिलोद्भ्रमायमानो(उत्पाद्यमानो)इकरजोरजोऽन्धकारं, धरफेनप्रचुर-
धवलाऽनवरतसमुत्थिताट्टहासं भारतविक्षोभ्य - माणपानीयजलमालोत्पील-
शीघ्रमर्ष च समन्ततः क्षुभितलुलितचोभ्रम्यमाणप्रस्खलितचलितविपुलजल-
क्षकबाल - महानदीवेगत्वरितापूर्यमाणगम्भीरविपुलावर्त्तचपलभ्रमद्गुप्य-
बुच्छलत्प्रत्यबनिवृत्तपानीयप्रधावितक्षरपरुषप्रचण्ड-भ्याकुलित - सलिल-

स्फुटब्वीचिकल्लोलसंकुलं, महामकर - मत्स्य - कच्छपोहारप्राहृतिमि-
सुं सुमारव्वापवसमाहृतसमुद्वावत्पूरघोरप्रचुरं कातरजनहृदयकम्पनं घोर-
मारसन्तं महाभयं भयंकरं प्रतिभयं उद्भ्रासतकमनर्वाक्पारं आकाशमिष
निरवलम्बमौत्पातिकपवनात्पर्यनोबितोर्युं परितरङ्गहृत्पातिवेग वेग चक्षु-
पयमवास्तृण्वन्तं कुत्रचिद्गम्भोरबिपुलर्गजिततगुं जितनिर्घातगुरुक-
निपतितसुदीर्घनिर्ह्वीबीदूरभ्रूयमाणगम्भीरधुगधुगायमान-शब्दं प्रतिपथरुग्धान
(हंभत्) यक्षराक्षसकूष्माण्डपिशाचरुषिततज्जातोपसर्गसहस्रसंकुलं बहुत्पा-
तिकभूतं विरचितबलिहोम - धूपोपचारवत्तदधिरार्चनाकरणप्रयतयोग-
प्रयतचरितं, पर्यन्तयुगान्तकालकल्पोपमं दुरन्तमहानदीनदोपतिमहाभीम-
वर्शनीयं वुरणुवरं विषमप्रवेशं दुःखोत्तारं दुरासयं (दुराशयं) लवणसलि-
सपूर्वम्, असितसितसमुच्छितकंदंभतरकं (हस्ततरकं) बाहुरैरतिपत्य समुद्रमध्ये
घ्नन्ति गत्वा जनस्य पोतान् परद्रव्यहरा नरा, निरनुकम्पा निरवकांक्षा
ग्रामाकरनगरखेटकर्वटमडम्बद्रोणमुखपत्तनाश्रमनिगमजनपदान् घन-
समृद्धान् घ्नन्ति, स्थिरहृदयाश्च छिन्नलज्जाः बंदीग्रह - गोप्रहांश्च
गृह्णन्ति वारुणमतयो निष्कृपा निजं घ्नन्ति, छिन्वन्ति गेहसन्धिं, निक्षिप्तानि
च हरन्ति घन-धान्यद्रव्यजातानि जनपदकुस्मानां निर्घृणमतयः परस्य
द्रव्येभ्यो येऽविरताः । तथैव केचिदवत्तादानं गवेषयन्त कालाकालयोः सञ्च-
रन्तश्चित्तिकाप्रज्वलित - सरसवरवग्धकृष्टकलेवरे रुधिरलिप्तवदनाशत-
स्त्रादितपीतडाकिनो - भ्रमद्भयंकरे स्त्रिणीयमानजम्बुके धूककृतघोरशब्दे,
वेतालोत्थितनिशुद्धकहकहायमानप्रहसितभीषणनिरभिरामे अतिदुरभि-
गन्धबीभत्सदर्शनीये श्मशान-वन - शून्यगृह-लयनान्तरापण - गिरिकन्दर-
विषमश्वापवसमाकुलासु वसतिषु क्लिश्यन्तः शीतातपशोषितशरीरा
वग्धच्छवयो रियतिर्यग्भवसंकटदुःखसम्भारवेदनीयानि पापकर्माणि
संचिन्वन्तो दुर्लभभक्ष्यान्नपानभोजनाः पिपासिता बुभुक्षिताः क्लान्ताः
मांसकुणपकंदमूलयत्किञ्चित्कृताहारा उद्विग्ना उत्प्लुता (उत्प्लुता अथवा
उत्सुका) अशरणा अटवीवासमुपयन्ति व्यालशतशंकीयम् । अयशस्करा-
स्तस्करा भयंकरा कस्य हरामोऽद्य द्रव्यमिति सामर्थ्यं कुर्वन्ति गुह्यं ।
बहुकस्य जनस्य कार्यकारणेषु विघ्नकरा मत्तप्रमत्तप्रसुप्तविश्वस्त-
च्छिद्रघातिनो ध्यसनाभ्युदयेषु हरणबुद्धयो वृका इव रुधिरेच्छवः परियान्त

नरपति-मर्यादामतिक्रान्ताः सज्जनजनजुगुप्सिताः स्वकर्मभिः पापकर्म-
कारिणोऽशुभपरिणताश्च दुःखभागिनो नित्याबिलदुःखानिर्वृत्तिमनसः
इहलोक एव क्लिश्यमानाः परद्रव्यहरा नरा भ्यसनशतसमापन्नाः ॥सू०११॥

पदार्थान्वय—(तं पुण) उस (चोरियं) चोरी को (तत्करा) चोरी करने के
भ्यसन वाले, (परद्रव्यहरा) दूसरे के द्रव्य का हरण करने वाले, (क्षिया) चालाक या
चौर्यकलानिपुण, (क्यकरणलज्जलक्ष्णा) कई बार चोरियाँ करने से जो अपने लक्ष्य
को पा चुके हैं, चोरी में अभ्यस्त होने से जो कई मौके पा चुके हैं, (साहसिया) पर्याप्त
साहस-हिम्मत कर सकने वाले, कुलंब होंसले वाले, (लहुस्सगा) तुच्छ आत्मा, (अति
महिच्छलोभगच्छा) बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण लोभ में फंसे हुए, (इदर-
ओवीलका) वाणी के चानुर्य से अपने स्वरूप को छिपाने वाले अथवा बागाइम्बर से
दूसरो को लज्जित करने वाले, (य) और (गेहिया) दूसरों के धन माल पर गूढ़-आसक्त
(अहिमरा) सामने से सीधा प्रहार करने वाले, (अणभंजक) लिये हुए कर्ज को न
चुकाने वाले, (भगसंधिया) विवाह होने पर की हुई संधि या प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले
(य) और (रायबुद्धकारी) खजाना आदि लूट कर राजा का अनिष्ट करने वाले, (विसय-
निच्छूडलोकबज्जा) देशनिकाला बिये जाने के कारण जनता (लोगों) द्वारा बहिष्कृत
(उद्दोहक-गामघायक-पुरघायक-पथघायक-आलीबग-तित्थभेया) धन आदि को जलाने
वाले या उपद्रव (रंग आदि) करने वाले, ग्राम-घातक, नगरघातक, राहगीरों को
लूटने वाले, घर आदि जला देने वाले, तीर्थयात्रियों को लूटने मारने वाले, (सहुहृत्थ-
सपउत्ता) हाथ की चालाकी का प्रयोग करने वाले, (बुद्धकरा) बुआरी, (संवरक्खत्थि-
चोर-पुरिसचोर-संधिच्छेया) चूंगी या कर वसूल करने वाले कर्मचारी, या कोतवाल,
स्त्री को चुराने वाले या स्त्री से धन लूटने वाले अथवा स्त्री का रूप बना कर चोरी
करने वाले, पुरुषों या बालकों का अपहरण करके ले जाने वाले या बच्चों को उठाने
वाले, सेंध लगाने में चतुर, (गंधिभेवग-परधनहरणलोमाबहारा) गंठकटे, गिरहकट,
पराये धन का हरण करने वाले, कुछ हाथ न लगने के कारण प्राणहरण करने वाले,
वशीकरण विद्या आदि का प्रयोग करके लूटने वाले, (अक्खेवी) एकदम झपट कर लूटने
वाले (हडकारका) जबरन हठपूर्वक लूट लेने वाले, (निम्महृग-गूढचोरक-गोचोरक-
अस्सचोरक-दासीचोरा य) निरन्तर सता कर—कुचल कर लूटने वाले, गुप्तचोर, माय
बैल आदि के चोर, घोड़ों के चोर, और दासीचोर, (एकचोरा) अकेले ही चोरी
करने वाले, (ओकइडसंपदायकउच्छिंपकसत्थघातकबिलकोलीकारका) चोरों को दूसरों
के घरों में बुला कर चोरी करवाने वाले, अथवा घरों से गहने निकलवाने वाले,

चोरों को भोजनावि देने वाले, छिप कर चोरी करने वाले, सारंधवाहों, बनजारों को लूटने वाले, लोगों को क्षम में डाल कर विश्वासोत्पादक (में तुगुना सोना बना बूंगा आदि) बचन बोलकर ठगने वाले; (य) और (निग्गाहकारका) सरकार के द्वारा बंदी बनाए हुए लोगों में से जेल से छूट कर चोरी करने वाले, अथवा लोगों को पकड़ कर ले जाने वाले, (विष्पलुंपका) तस्करव्यापार करने वाले या व्यवसाय में बेईमानी करके लूटने वाले; (बहुविहतेगिष्ककरणबुद्धी) जिनकी बुद्धि रात-दिन अनेक प्रकार से चोरी करने में ही लगी हुई होती है, वे ही चोरी (करेंति) करते हैं ।

(एते) ये (य) और (एवमावी) इसी प्रकार के (अन्ने) अन्य लोग भी चोरी (करेंति) करते हैं, (वे) जो (परस्स दब्बाहि अबिरया) दूसरे के द्रव्यों से—पर द्रव्य के लोभ से विरत नहीं हैं—निवृत्त नहीं हैं । (य) और (विपुलबलपरिग्गहा) विपुल बल या सैन्य और परिग्रह—धन या परिवार वाले (बहवे) बहुत से (रायाणो) राजा लोग, जो (परधणम्मि) पराये धन में (गिद्धा) आसक्त होते हैं, (सए दब्बे य असंतुट्ठा) अपने द्रव्य में असंतुष्ट हुए (परविसए) दूसरे वेशों पर (अभिहणंति) चढ़ाई करते हैं (ते) वे (लुट्ठा) लोभी (परधणस्स कज्जे) परधन को हथियाने के लिए (चउरंगविभत्तबल-सम्मया) अपनी सारी सेना को चार अंगों में बांट देते हैं—रथ, गज, अश्व और पंख इन चारों में फौज को विभक्त कर देते हैं । (निच्छियवरजोहबुद्धसद्धियअहमह-मितिदप्पिएहि) पहले निश्चय वाले अच्छे योद्धाओं के साथ युद्ध करने में आत्म-विश्वास वाले, मैं पहले लड़ूंगा, मैं पहले लड़ूंगा—इस प्रकार के गर्व से भरे हुए, (सेन्नेहि) पंख सैनिकों से (संपरिवुट्ठा) घिरे हुए (पउमपत्तसगडसूईचक्कसापर-गवलवुहातिएहि) कमलपत्राकार, शकट—बेलगाड़ी के आकार, सूई के आकार, चक्राकार, समुद्राकार, गण्डाकार इत्यादि व्यूहरचनाओं (भोच्चों) वाली (आणएहि) अपनी सेनाओं द्वारा (उत्थरंता) दूसरों की सेनाओं को आच्छादित करते हुए—अपनी विशाल फौज से विपक्ष की सेनाओं पर छा कर, (अभिपूय) उन्हें पराजित करके—हरा कर, (परधणाई) दूसरों की धन-सम्पत्ति को, (हरंति) लूट लेते हैं । (अवरे) दूसरे (रणसीसलडलवत्ता) युद्ध के मंत्रानों में अग्रिम पंक्ति में लड़ कर, जिन्होंने फतह पाई है, वे (सन्नद्धबद्ध-परियर-उप्पीलियचिधपट्टुगहियाउहपरणा) कमर कसे हुए तथा कवच पहने हुए एवं विशेष प्रकार के चिह्नपट्ट—परिचयसूचक बिल्ले मस्तक पर मजबूती से बांधे हुए, कंधों पर और हाथों में अस्त्र-शस्त्र लिए हुए, (भाडिबरबम्म-धुंढिया) शस्त्रास्त्रों के प्रहार से बचने के लिये डाल, और उत्तम कवच चारों ओर ढके हुए (आविद्धजालिका) लोहे की जाली पहने हुए (कवयकंकडइया) कवचों पर लोहे के

कांटे लगाए हुए (उरसिरभूहबद्ध - कंठतोण - माइतवरफलकरचित - पहकर सरहस-
खरचाबकरकरंछियसुनिसितसरवरिसचडकरमुयंतघणचंडवेगधारनिबायमने) बलः
स्थल के साथ ऊर्ध्वमुखी बाणों की तूणीर—बाणों की थंली—भाषा कंठ में बांधे
हुए, हाथ में पाश-शस्त्र और डाल लिये हुए, सैन्यसमूह की रथोचित रचना
किये हुए, कठोर धनुष को सहर्ष हाथ में लिए हुए, हाथों से खींच कर की
हुई बाणों की प्रचंड वेग से बरसती हुई मूसलधार बर्षा के गिरने से जहाँ
मार्ग भर गये हैं, उस संग्राम में (अभेयघणु - मंडलग - संघित - उच्छलिय-
ससित - कणग - वामकरगहियखेडग - निम्मलनिभिकद्रुखग - पहरंत कौत - तोमर-
खक - गया - परसु - मुसल - लांगल- मूल - लउल - भिडमाल-सञ्जल-पट्टिस-चम्मेट्ट-
दुघण-मोट्टिय - मोगर - वरफलहजंत-पत्थर-नुहण-तोण-कुवेणी-वीडकलिय- ईलीपहरण-
मिलिमिलिमिलंत-छिपंत-बिउजुजसबिरचितसमप्यहणभतले) अनेक धनुषों, दुधारी
तलवारों, फेंकने के लिए निकाली तथा उछाली हुई त्रिशूलों, बाण, बाँधे हाथों में
पकड़ी हुई डालों, ध्यान से निकाली हुई चमचमाती हुई तलवारों, प्रहार करते हुए
भालों, तोमर नामक बाण, चक, गदाएँ, कुल्हाड़ों, मूसल, हल, शूल, लाठियों, भिड-
माल, शञ्जल (लोहे के बल्लनों), पट्टिस नामक शस्त्र, चमड़े में बाँधे हुए पत्थर-गिल्लोल,
दुघण (घोड़े भाले), मुट्टी में आ जाने वाले विशेष पत्थर के शस्त्र, मुद्गर, प्रबल
आगल, गोकण (यंत्र में बाँधे हुए पत्थर), दुहण (कर्कर), बाणों के भाषों, कुवेणियाँ-
नालीदार बाण और आसन नामक शस्त्रों से सुसज्जित तथा दुधारी चमकती तलवारों
और चमचमाते प्रहरणों (शस्त्रों) के आकाश में फेंकने से आकाशतल बिजली के
समान उज्ज्वल प्रभा वाला हो जाता है। (फुडपहरणे) उस संग्राम में प्रकट—स्पष्ट
शस्त्रप्रहार होता है, और (महारणसंखभेरिबरतूर-यउरपडुपडहाह्यणिनायगंभीर-पांडित
पक्खुभिपविपुलघोले) महायुद्ध में बजाये जाने वाले शंखों, भेरियों, उत्तम बाजों,
अत्यन्त स्पष्ट आवाज वाले ढोलों के बजने की गंभीर ध्वनि से आनन्दित वीरों और
कंपित व क्षुब्ध कायरों का बहुत जोर से हो हुल्सा होता है। (हयगयरहुओहुरित-
पसरितरपुडततमंधकार-बहुले) घोड़े, हाथी, रथ और पंखल योद्धाओं के फुत्तों से
चलने से चारों तरफ फैली हुई धूलरूपी घने अंधेरे से व्याप्त उस युद्ध में, (कातरनर-
नयणहिययवाउलकरे) कायरजनों की आँखों और हृदय को व्याकुल करने वाले;
(बिलुलियउबकडवरमउड-तिरीडकुं डलोडुदाम-ओधिए) डीले होने के कारण इधर-
उधर हिलते हुए ऊँचे मुकुटों, तीन शिखरों (सेहरों) वाले मुकुटों (ताजों), कुम्बलों
तथा नक्षत्रनामक आभूषणों की वहाँ अत्यन्त जगमगाहट होती है, (पायडपडाय-उसिय

अथ-वेजयति-बल-बामर-बलतच्छतं ध कारगंभीरे) साफ बिखाई देने वाली पताकाओं, बहुत ऊँची बांधी हुई ध्वजाओं, विजयसूचक वंजयन्ती पताकाओं तथा चलायमान ध्वजों, और छातों से किये गए अन्धकार के कारण गम्भीर; (ह्यहेसिय-हृत्विगुलगुला-इय-रह्यधधघनाइय-पाइकहरहराइय-अप्कोडिय-सीहनाय-छैलिय-विधुट्टुषकुट्ट-कठगयसइ भीमगञ्जिए) घोड़ों के हिनहिनाने से, हाथियों से चिधाड़ने से, रथों की धनघनाहट से, प्याबों के हर-हर शब्द करने से, तालियों की गड़गड़ाहट से, सिहनाद करने से, सीटी की तरह की आवाज करने से, जोर-जोर से चिल्लाने से, जोर से खिलखिला कर हंसने से, और एक साथ हजारों कंठों की ध्वनि से जहाँ भयंकर गर्जनाएँ होती हैं; (सयराह-हसंत-रसंत-कलकलरवे) जिसमें एक साथ हंसने और रोने या कष्ट होने का शोरसाराबा कलकल शब्द होता है, (आसुणिय-वयण रवे) बीच-बीच में जो आसुओं के साथ मुंह फुला कर बोलने से रौद्र हो जाता है, (भीमवसणाघरोट्टुगाढबहुसप्पहरणुज्जयकरे) जिसमें भयावने वातों से होठों को जोर से काटने वाले योद्धाओं के हाथ अचूक प्रहार करने में उद्यत हैं, (अमरिसवसतिव्व-रत्त-निव्वारितव्वे) रोष से उन योद्धाओं की आँखें लाल और तरेर रही हैं, (वेरविट्ठिठकुट्टचिद्वियतिबलीकुडिलभिउडोकीयनिलाडे) बंदबुष्टि के कारण फुट्ट चेष्टाओं से उनकी भीहें तनी हुई होने से ललाट पर तीन सल पड़े हुए हैं, (बहुपरिणय-नरसहस्त-विक्कम-विद्यंभियबले) मारकाट में लगे हुए हजारों मनुष्यों के पराक्रम को देख कर जिस युद्ध में सेनाओं में पीरुव बढ़ रहा है, (बगंत - तुरग- रह- पहावित- समर- भड- आवडिय- छेय- लाघव - पहार-पसाधित - समुत्तिय (सविय) - बाहुजुयलमुक्कट्टहास - पुक्कंत - बोलबहुले) हिनहिनाते हुए घोड़ों और रथों से बौड़ते हुए समरभट यानी योद्धा तथा शस्त्रास्त्र चलाने में बल और हस्तलाघव, प्रहार आदि में सघे हुए सैनिक जिसमें हर्ष से धोनों भुजाएँ ऊँची उठाएँ, खिलखिला कर ठहाका मार कर हंस रहे हैं, किल-कारियाँ कर रहे हैं, (फुरफलगावरण - गहिय - गयवर - पत्थित - दरिय - भड-खल-परोप्पर-पलग-जुड- गव्वित- विउसित- बरासि-रोस- तुरिय-अभिमुह-पहरंत-छिन्न करिकर-विभंगितकरे) धमकती हुई डालें और कबच धारण किये हुए मस्त हाथियों पर चढ़ कर खाना हुए भट शत्रुओं के भटों के साथ परस्पर युद्ध में संलग्न हैं, तथा युद्धकला में प्रवीणता के कारण घमंडी योद्धा जिसमें अपनी-अपनी तलवारें म्यान में से निकाल कर फुर्ती से परस्पर रोषपूर्वक प्रहार कर रहे हैं और हाथियों की सूँडें काट रहे हैं, जिससे उनके भी हाथ कट रहे हैं, (अवइड-निरुड-भिन्न-फालिय-गलिय-रहिर कत-भूमिकइम-चिलिचिल्ल-पहे) जहाँ पर मुद्गर आदि से मारे गये, बुरी तरह

से काटे गए या फाड़े गए हाथी आदि पशुओं या मनुष्यों के जमीन पर बहते हुए खून के कीचड़ से रास्ते लचपथ हो रहे हैं, (कुच्छिन्न-दालिय-गलिय-दलंत-निम्बेसितंत-पुचपुचुरंत-विगल-मम्माहय-विकय - गाढविभ्रपहार-मुच्छित्त-दलंत - बेंमल-विलाव-कसुणे) पेट फट जाने से भूमि पर लुढ़कती हुई एवं बाहर निकलती हुई आतों से खून बह रहा है ; एवं तड़कड़ाते हुए, व्याकुल, मर्मस्थान पर चोट खाए हुए, कुरी तरह से कटे हुए, भारी चोट खाने से बेहोश हुए एवं इधर-उधर लुढ़कते हुए विह्वल मनुष्यों के विलाप से जो युद्धभूमि करुण हो रही है, (हयजोह-भमंत-नुरग-उद्दान-मत्त-कुंजर,-परिसंफितजण-निम्बुक छिन्नधय-भग्गरहवर - नटुसिर - करिकलेवराकिन्न-पतितपहरण-विकिन्नाभरणभूमिभागे) जिस युद्ध में मारे गये योद्धाओं के भटकते हुए घोड़े, मतवाले हाथी और भयभीत मनुष्य, मूल से कटी हुई ध्वजाओं वाले दूटे हुए रथ, सिरकटे हाथियों के कलेवर, नष्ट हुए हथियार और बिखरे हुए गहने युद्धभूमि के एक हिस्से में पड़े हैं, (नच्छंतकबंध - पउर - भयंकर - वायस-परिलेत-गिद्ध-मंडल-भमंत-छायंधकारगंभीरे) नाचते हुए बहुत से धकों पर कौए और गिद्ध मंडरा रहे हैं। वे जब झुंड के झुंड घूमते हैं तो उनकी छाया के अन्धकार से जो गंभीर हो रहा है, ऐसे (संगामंभि) युद्ध में (अतिव्यति) वे स्वयं प्रवेश करते हैं, केवल सेना को ही नहीं लड़ाते। (वसुवसुहाविकंपितव्व) वेव (लोक) और पृथ्वी को मानो कंपाते हुए (परधणं महता) पराये धन को चाहने वाले राजा लोग, (पव्ववस्स-पिउवणं) साक्षात् मरघट के समान, (परमरुह्वीहणगं) अत्यन्त रौद्र होने के कारण भयावने, (उप्पवेसतरगं) अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश करने योग्य, (संगामसंकडं) संधाम रूपी संकट में या गहन वन में (अभिबयति) चल कर—आगे हो कर प्रवेश करते हैं।

(अवरे) दूसरे (पाइरकचोरसंघा) पैल चोरों के दल (य) और (सेषावत्ति-चोरबंधपागाइडका) चोरों के दल के प्रवर्तक सेनापति, (अडवीदेसतुग्गबासी) अन्ध-प्रदेशों के खोह, गुफा, भीहड़ आदि तथा जलोय एवं स्थलीय दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं, (कालहरितरत्तपीतमुक्किल्लअणेगसय्यच्चपट्टबद्धा) काले, हरे, लाल, पीले, सफेद आदि संकड़ों रंग बिरंगे चिह्नपट्ट—बिल्ले या चपरास बांधे हुए, (परबिसए) दूसरे देशों-परदेशों पर (अभिहणंति) घाबा बोल देते हैं, (किसके लिए ?) (लुद्धा) लुब्ध—सालची बन कर (घणस्स कज्जे) धन के लिए (रयणाचरसागरं) रत्नों के लखाने वाले समुद्र पर (चड्ढाई करते हैं) (कंसा समुद्र ?) (उम्मीसहस्सनासाउलाकुल-जितोयपोतकलकल्लेतकलियं) हजारों लहरों की मालाओं से व्याप्त तथा वेगवल के अभाव

में अहाज के व्याकुल मनुष्यों के कलकल से युक्त, (पायालसहस्रवायवसवेगसलिल-उद्धममाणवग-रयरयंघकारं) हजारों पातालकलशों की हवा के कारण तेजी से ऊपर उछलते हुए जलकणों की रज से अन्धकारमय, (वरफेण-पउर-धवल-गुलंपुल-समुद्रिठय-हृहासं) निरन्तर प्रचुरमात्रा में उठने वाला सफेद फेन ही जिसका अट्टहास है, (माधय-विष्णुभमाण-पाणिय-जलमाल-पीलतुलियं) जहाँ हवा के थपेड़ों से पानी क्षुब्ध हो रहा है, और जलकल्लोलसमूह भी अत्यन्त वेगवान् हो रहे हैं। (अबि य) तथा (समंतओ सुभिय-लुलिय-सोलुभममाण-पक्खलियचलिय-विपुलजलचक्कवाल-महानइविग-तुरिय-आपूरमाण-गंभीर-विपुल - आवस-चवल-भममाण - गुप्पमाणुच्चलंत-पच्चोणियस पाणिय-पघाविय-खर-कस्स-पच्चंड - वाउलिय-सलिल - फुट्टंत-वीइ-कलोलसंकुलं) चारों ओर की तूफानी हवाओं से ओमित, किनारे पर टकराते हुए जलसमूह से या मगरमगच्छ आदि जलजन्तुओं से अत्यन्त खंचल बने हुए, (समुद्र के) बीच में निकले हुए पर्वत आदि से टकराते व बहते हुए विपुल अथाह जलसमूह से युक्त तथा गंगा आदि महानदियों के वेग से शीघ्र लबालब भर जाने वाला है एवं गहरे अथाह बेंबरो में चपलतापूर्वक झमण करते, व्याकुल होते, उछलते और नीचे गिरते जलसमूह या जलजन्तुओ का जिसमें निवास है तथा वेगवान् एवं अतिकठोर प्रचण्ड क्षुब्ध पानी में से उठती हुई सहरो रूप किल्लोलों से जो व्याप्त है। (महामगर-कच्छमो-हार-गाहतिमिसुं सुमार-सावय-समाहय-समुद्वायमाणकपूरधोरपउरं) बड़े-बड़े मगर-मच्छों, कछुओं, ओहार नामक जलजन्तुओं, और घड़ियालों (घ्राह), बड़ी मछलियों (तिमि), सुं सुमार और श्वापव नामक जलजन्तु - विशेषों के परस्पर टकराने और एक दूसरे को निगलने के लिए दौड़ने से जो अतीव घोर बना हुआ है, (कायर-जणहिययकंपणं) कायर लोगों के हृदय को कंपाने वाला है, (मह-भय) महाभयानक (भयंकरं) भय पैदा करने वाला, (प्रतिभयं) प्रतिक्षण भयप्रद, (उत्तासणकं) अत्यन्त उद्वेग (घबराहट) पैदा करने वाला (अणोरपार) जिसके आरपार का कोई पता नहीं, (आगासं चैव निरवलंबं) और जो आकाश के समान आवंजनरहित है, (उप्पाइय-पवण-धणित-नोल्लिय - उवववरितरंगवरिय - अतिवेग-चक्खुपहमुच्छरंतं) उत्पातजनित वायु से अत्यन्त प्रेरित—खलाई हुई एक के बाद दूसरी गर्ब से इठलाती हुई सहरो के अतिवेग—तेजी से दृष्टिपथ—आँखों के रास्ते को डक देने वाला (कस्वइ) कहीं पर, (गंभीर-विपुल-गज्जिय-गुं जिय-निग्घाय-गरुय-निवतित-सुवीह-निहार-दूर-सुच्छंत-गंभीर-पुग-पुगतसइं) गंभीर और विपुल गर्जना से धूँजती हुई, आकाश में व्यन्तरङ्गत महाध्वनि के समान तथा उससे उत्पन्न व दूर सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि के समान

गंभीर और धुग् धुग् करती हुई आवाज जहाँ पर हो रही है, (पडिपह-रमंत-जक्ख-रक्खस-कुदुंघ-पिसाय-रसिय-तक्जाय-उबसम्मसहस्ससंकुलं) जो प्रत्येक रास्ते में दकावट डालने वाले यल, राखस, कुम्माण्ड और पिसाचजातीय कुपित हुए ध्वन्तरदेवों द्वारा जनित हजारों उपसर्गों से व्याप्त है (बहुप्याइयधुंयं) बहुत से उत्पातों - उपद्रवों से भरा हुआ है, (बिरचित्तबल्लिहोमधुवउवचार-विन्न-रघिर-उबणाकरण-पयतजोग-पययचरियं) जो बलि, होम और धूप दे कर की गई देवता की पूजा तथा शधिर दे कर की हुई अर्चना करने में प्रयत्नशील सामुद्रिक व्यापार में रत जहाजी व्यापारियों से सेवित है, (परियंत-डुग्गंतकाल-कप्पोवमं) अन्तिम-युग (कलिकाल) के अन्त यानी प्रलयकाल के कल्प के तुल्य (दुरंतं) जिसका अन्त पाना कठिन है, (महानई-नईवइ-महाभीम-वरिसणिज्जं) गंगा आदि महानदियों का नदीपति (समुद्र), जो अति विकराल दिखाई देता है, (दुरणुच्चरं) जो कठिनाई से सेवित किया जा सकता है, (विसमप्पवेसं) नमकीन पानी से लबालब भरे होने से जिस में प्रवेश करना कठिन है ; (डुक्खुत्तां) जिसको पार करना बड़ा कठिन है, (दुरासयं) जिसका आश्रय लेना दुष्कर है, (लवणसलिलपुण्णं) खारे पानी से परिपूर्ण, (रयणावरसागरं) ऐसे रत्नों के आकर स्वरूप समुद्र में (असिय-सिय-समूसियगेहिं) ऊँचे किए हुए काले और सफेद झंडों से युक्त (वण्ण-हत्थ तरकेहिं वाहणेहिं) अतिशीघ्रगामी अथवा तेज पतवारों वाले जहाजों द्वारा (अइवइत्ता) आक्रमण करके (समुद्वमण्णे) समुद्र के मध्य में (गंतुण) जा कर (जणस्स) सामुद्रिक-व्यापारियों के (पोते) जहाजों को (हणंति) नष्ट करते हैं ।

(परवब्बहरा) परद्रव्य का हरण करने वाले, (निरणुकंपा) निर्बंध, (निरवयक्खा) परलोक की परवाह न करने वाले (धणसमिद्धं) धन से समृद्ध (गामावर-नगर-खेड-कब्बड-दोणमुह-पट्टणा-सम-णियम-जणवते-) गाँवों, छानों, नगरों, खेड़ों (धूल के कोट वाले छोटे गाँव), कबूटो (कस्बो), मडम्बों (चार योजन के अन्तर्गत गाँवों से घिरे हुए), पत्तनो (विशाल नगरो), द्रोणमुख (बंदरगाह के समीप का नगर जहाँ स्थलमार्ग और जलमार्ग दोनों हो), तापस आदि के आश्रमों, निगमों (व्यापारीमंडी), जनपदों—देशों को (हणंति) नष्ट कर देते हैं । (य) और वे (बिरहियया) मजबूत-पक्के बिल वाले अथवा स्थिरहित यानी निहितस्वार्थी, (छिन्नलज्जा) निर्लज्ज लोग (बंदिग्गा-हणोग्गहे) मनुष्यों को बंदी बना कर या गाय आदि को पकड़ कर (गिण्हुंति) ले जाते हैं । (दारुणमती) कठोर बुद्धि वाले, (णिककवा) निर्बंध अथवा (णिककया) निकम्मे लोग (णियं) अपना अथवा अपनों का (हणंति) घात करते हैं (य) तथा (वेहसंघिं) धर

की संघि को (छिर्बति) तोड़ते हैं यानी संघ लगाते हैं (य) और जो (परस्स) दूसरे के, (बष्वाहिं) ब्रह्म से (अबिरया) अबिरत-निवृत्त नहीं हैं, वे (निग्घणमती) बयाहीन बुद्धिवाले, (जणवयकुलाणं) देशवासी लोगों के घरों में, (निनिच्छताणि) रखे हुए, (धणधणदधवजायाणि) धन, धान्य और अन्य द्रव्यसमूह को (हरंति) चुराते हैं। (तहेव) इसी प्रकार, (केई) कितने ही, (अविघ्नादाणं) चोरी की (गवेसमाणा) खोज करते हुए (कालाकालेषु) समय-असमय में (संचरता) घूमते हुए (चियका-पज्जलियसरस-वरदड्ढ कडिडय-कलेवरे) जहाँ चिताओं में जलती हुई, रघिरादि से युक्त, षोड़ी जली हुई व खींची हुई लामों पड़ी हैं, (रहिरलित्त-वयण-अखत-जातिय-पीतडाइणी-भयंत-भयंकरे) तथा खून से लथपथ मृतशरीरों को पूरा खाने और खून पी लेने के बाद घूमते हुई डाकिनियों से जो अतीव भयकर हो रहा है, (जबुयज्जिखियंते) जहाँ गीदड़ खीं खीं आवाज कर रहे हैं, (धूयकयघोरसद्दे) जहाँ उल्लू भयकर आवाज कर रहे हैं, (वियालुटिट्ठय - निमुड - कह - कहित-पहसित-बीहणक-निरभिरामे) भयकर विदूरूप पिशाचों द्वारा ठहाका मार कर हंसने से जो अत्यन्त भयावना और अरमणीय हो रहा है, (अतिबुद्धिभगध-बीभच्छदरिसणिज्जे) अत्यन्त बड़बूदार और घिनौना होने से देखने में डरावने (सुसाणे) भ्रमज्ञान में तथा (वण-सुन्नघार-लेण-अंतरावण-गिरिकंदर-विसम-सावय-समाकुलासु) वन में, सुने घरों, में मार्ग पर बनी हुई दूकानों, पर्वतों की गुफाओं, ऊबड़खाबड़ जगहों तथा सिंह आदि हिंसक जानवरों-से घिरी हुई (वसतीसु) जगहों में राजदण्ड आदि से बचने के लिए, (किलिस्सता) बलेश पाते हुए भटकते हैं, (सीतातपसोसियसरीरा) उनके शरीर की चमड़ी ठंड और गर्मी से सूख जाती है, (दड्ढच्छवी) वह रुखी हो कर जल जाती है, (निरयतिरियभवसकड-दुबल्ल-संभार वेयणिज्जाणि पावकम्भाणि संचिणत्ता) जिनसे नरक और तिर्यञ्च की भयपरम्पराओं में सतत दुःखों को भोगना पड़ता है, ऐसे पापकर्मों का संचय करते हैं (वुल्लह-भयल्ल-पाण-भोयणा) उन्हें चोरी का दुष्कर्म करते हुए मोदक आदि भक्ष्य पदार्थों, चावल, गेहूँ आदि अनाजों, दूध आदि पेयपदार्थों का भोजन मिलना कुर्लभ होता है (पिवासिया) प्यासे, (सुंमिया) भूखे, (किलता) थके हुए (मस-कुणिम-कव-मूल-जंकिच्चिय-कयाहारा) मांस, मृत शरीर, कंद, मूल या जो भी चीज मिल जाय उसी को उन्हें खाना पड़ता है, (उब्बिग्गा) रातदिन उडिग्न-भयभीत-रहते हैं, (उप्पुया) वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते-भागते रहते हैं अथवा (उस्सुया) हर समय उत्सुक याने चौकन्ने रहते हैं, (असरणा) कहीं पर उन्हें टिकने को शरण नहीं मिलती, अतएव (बालसत-संकाणिज्जं) संकड़ों सपों के कारण हरवम शंकाजनक (अडवीवासं उबंति) अटवी में

रहने के लिए पहुँचते हैं। वे (अयसकरा) अपने को व अपने कुल को बबनाम करने वाले, (भयंकरा तक्करा) भयंकर चोर, (अञ्ज कस्त बन्वं हुरामोति सामत्वं करेति गुञ्जं) गुप्त मंत्रणा करते हैं कि आज किसका या किसके यहां ब्रह्म-धन चुराएँ ? (बहुवस्त कञ्जकरणेसु विगधकरा) वे बहुत-से लोगों के कर्तव्यों और कार्यों में विघ्न डालते हैं, (मत्त-प्यमत्त-पसुत्त-वीसत्थिछिद्घाती) वे नशे में पड़े हुए, लापरवाह, सोये हुए और विश्वस्त लोगों का मौका पा कर घात करते हैं, (वसणाभुवणसु हरणबुद्धी) दुर्व्यसनों या आफतों या उत्सवों—सुरी के मौको पर उनकी बुद्धि में चोरी की भावना जागती है, (विगञ्च रहिरमहिया परेति) वे भेड़ियों की तरह लून पीने की सालसा से युक्त हो कर चारों ओर भटकते रहते हैं, वे (नरवतिमञ्जायं अतिवकंता) राजा के बनाए हुए सरकारी कानूनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, (सञ्जणजण-बुगुंछिया) सञ्जन लोगों की धृणा के पात्र, (सकम्मोहि) अपने दुष्कर्मों के कारण (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाले (असुभपरिणया) अशुभ परिणामों से युक्त (य) तथा (दुक्खभागी) दुःख के भागी, (निच्चाइलबुहमनिव्वुद्धमणा) सदा मलिन, दुःखयुक्त एवं अशान्त मन वाले (परघणहरा) दूसरों के धन का हरण करने वाले वे (नरा) मनुष्य (इह लोके) इस लोक में (वेव) ही (वसणसयसमावण्णा) संकड़ो संकटों से घिरे हुए (किलिस्संता) क्लेश पाते हैं ॥ सू० ११ ॥

मूलार्थ—चोरी करने के स्वभाव वाले, पराये धन का हरण करने वाले, चौर्यकलानिपुण, कई बार चोरियां करने से अपने लक्ष्य को पाये हुए, पर्याप्त साहस करने वाले, तुच्छ आत्मा, बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण अत्यन्त लोभ में फंसे हुए, वाणी के चातुर्य से अपने स्वरूप को छिपाने वाले अथवा वागाडम्बर से दूसरों को भ्रमित करने वाले, दूसरों के धनमाल पर अत्यन्त आसक्त सामने से सीधा प्रहार करने वाले, लिए हुए कर्ज को नहीं चुकाने वाले, विवाद होने पर की हुई संधि या प्रतिज्ञा को भंग करने वाले, खजाना आदि लूट कर राजा का अनिष्ट करने वाले, देशनिकाला दिए जाने के कारण जाति या समाज द्वारा बहिष्कृत, वन आदि में आग लगाने वाले या दंगा उपद्रव आदि करने वाले, गाँवों का सफाया करने वाले, नगरों के घातक, पथिकों को लूटने वाले, घर आदि जला देने वाले, तीर्थ-यात्रियों को लूटने-मारने वाले, हाथ को चालाकी का प्रयोग करने वाले, जुआ खेलने वाले, चुंगी या कर वसूल करने वाले, कर्मचारी या कोतवाल,

स्त्री का हरण करने वाले या स्त्रियो से धन लूटने वाले अथवा स्त्री का रूप बनाकर चोरी करने वाले, पुरुषो या बालको का अपहरण करके ले जाने वाले, संध लगाने मे चतुर, गिरहकट या गंठकटे, पराया धन उडाने वाले उषकके, कुछ हाथ न लगने के कारण दूसरो के प्राण हरण करने वाले, बशीकरण विद्या तथा औषधि आदि के प्रयोग से मूर्च्छित करके लूटने वाले, एकदम झपट कर लूटने वाले, निरंतर सताकर या कुचल कर या धमकी दे कर लूटने वाले, गुप्त चोरियाँ करने वाले, गाय बैल आदि के चोर, घोड़ो के चोर, दासियो को चुराने वाले, अकेले ही चोरी करने वाले, घरो मे से आभूषण चुराने वाले अथवा चोरो को बुला कर दूसरो के घरो मे चोरी करवाने वाले चोरो को भोजन आदि देने वाले, छिप कर चोरी करने वाले, सार्थवाहो (बनजारो) को लूटने वाले, लोगो को चकमे मे डाल कर या विश्वासोत्पादक (मैं दुगुना सोना बना दूंगा इत्यादि प्रकार से वचन बोल कर ठगने वाले, बन्दीघर (जेलखाने) से भाग कर या छूटकर लूटखसोट करने वाले, अथवा लोगो को पकड़ कर ले जाने वाले और उनसे मनमाना धन बटोरने वाले, तस्कर-व्यापार करने वाले या व्यवसाय मे बेईमानी करके लूटने वाले और जिनकी बुद्धि रात-दिन अनेक प्रकार की चोरी करने मे लगी हुई होती है, वे ही चोरी करते है ।

ये और इसी प्रकार के दूसरे लोग भी चोरी करते है, जो परद्रव्यो के के लोभ से अविरत (निवृत्त) नहीं है । जैसे कि विपुल बल या सैन्य और परिग्रह (परिवार या धन) वाले बहुत से राजा लोग, जो पराये धन मे आसक्त होते है, अपने द्रव्य (राज्य, धन आदि) से असंतुष्ट होते है, दूसरे देशो पर चढ़ाई करते है । वे लोभी राजा दूसरो के द्रव्य को हथियाने के लिए अपनी फौज को हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन चार भागो मे बाटते है । पक्के निश्चय वाले अच्छे योद्धाओ के साथ युद्ध करने मे आत्मविश्वास वाले तथा मैं पहले लडूंगा, मैं पहले लडूंगा; इस प्रकार के गर्व से भरे हुए पैदल सैनिको से घिरे हुए कमलपत्राकार, शकटाकार, सूई के आकार, चक्राकार, समुद्राकार, गरुडाकार इत्यादि विविध व्यूहरचनाओ (मोर्चो) वाली अपनी विस्तृत सेनाओ से दूसरे की सेनाओ को आच्छादित करके या शत्रु-सेनाओ पर छा कर, उन्हें पराजित करके अन्य राजाओ को धन-सम्पत्ति लूट लेते हैं । दूसरे कितने ही राजा युद्ध के मैदानो मे सबसे अगली पंक्ति मे लड़ कर विजयी बने हुए कमर कसे

हुए, कवच पहने हुए, तथा खास तरह के परिचयसूचक पट्ट (बिल्ले) मस्तक पर मजबूती से बाँधे हुए, कंधो पर और हाथो में अस्त्र-शस्त्र लिये हुए, शस्त्रास्त्र प्रहार से बचने के लिए ढाल और उत्तम कवच से चारों ओर ढके हुए, लोहे की जाली लगाए हुए, कवचो पर लोहे के कांटे लगाए हुए, वक्षस्थल के साथ ऊर्ध्वमुखी तूणीर (बाणों की शैली या भाथा) गले में बाँधे हुए, हाथ में पाश शस्त्र और ढाल लिए हुए, सैन्यसमूह की रणोचित रचना किए हुए, कठोर धनुष को महर्ष हाथ में लिये हुए रहते हैं। समरभूमि में उनके हाथों से स्त्रीच कर छोड़े गये बाणो की वर्षा ऐसी लग रही है, मानो बादलों से मूसलधार बरसती हुई वर्षा से मार्ग व्याप्त हो। उक्त संग्राम में सैनिक अनेक धनुष, दुधारी तलवारो, फेंकने के लिए निकाली तथा उछाली हुई त्रिशूलो, बाणो, बाँये हाथो में पकड़ी हुई ढालों, म्यान से निकाली हुई चमचमाती तलवारो, प्रहार करते हुए भालो, तोमर नामक बाण, चक्र, गदा, कुल्हाडा, मूसल, हल, शूल, लाठी, भिडमाल, शब्बल (लोहे के बल्लम), पट्टिस नामक शस्त्र चमडे मे बंधे हुए पत्थर गिलौल), द्रुषणों (चौडे भालों), मुट्ठी मे आ जाने वाले विशिष्ट पत्थर के शस्त्रो, मुद्गर, प्रबल आगल, गोफण (यंत्र मे बंधे हुए पत्थर), द्रुहण (कर्कट, बाणो के भाथो कुवेणियो—नालीदार बाणो और आसन नामक शस्त्रो से सुसज्जित हैं। जिस युद्ध मे दुधारी चमकती तलवारो और चमचमाते प्रहरणो (शस्त्रो) के चलाने व फेंकने से आकाश बिजली की तरह उज्वल प्रभा वाला हो जाता है। जहाँ पर शस्त्रप्रहार स्पष्ट होते हैं। जिस महायुद्ध में शंखों, भेरियो, उत्तम बाजों तथा अत्यन्त स्पष्ट आवाज वाले ढोलो के बजने की गम्भीर ध्वनि से हर्षित वीरो और कम्पित व क्षुब्ध कायरो का बहुत जोर से कोलाहल हो रहा है। घोड़े हाथो, रथ और पैदल योद्धाओं के फुर्ती से चलने से चारो ओर उड़ती हुई धूल गाढ़ अन्धकार से रणक्षेत्र को ढक रही है। तथा कायर मनुष्यो के हृदय को कंपाने और नेत्रो को व्याकुलित करने वाले ढीले होने से इधर-उधर हिलते हुए ऊँचे मुकुटो, तीन सेहरे वाले ऊँचे मुकुटो, कानो के कुंडलो और नक्षत्रो (एक प्रकार के गहनो) की जहाँ जगमगाहट हो रही है। साफ दिखाई देने वाली पताकाओं, बहुत ऊँची बाँधी हुई ध्वजाओं, विजयसूचक बैजयंती-पताकाओं तथा चलायमान चंद्रों और

छत्रों से हुए अन्धकार के कारण जो गम्भीर है। घोड़ों के हिनहिनाने से, हाथियों के चिंघाड़ने से, रथों की घनघनाहट से, प्यादों की हर हर आवाज से, जोर से चिल्लाने से, जोर से खिलखिला कर हंसने से, और एक साथ हजारों कंठों की ध्वनि से जहाँ भयङ्कर गर्जनाएँ होती हैं, जिसमें एक साथ हंसने, रोने और हृष्ट होने का गोरशराबा हो रहा है, जो बीच-बीच में आंसूओं के साथ मुँह फुला कर बोलने से रौद्र हो जाता है, जिसमें भयावने दाँतों से होठों को जोर से चबाने वाले योद्धाओं के हाथ अचूक प्रहार करने के लिए उद्यत हैं, रोष से उनकी आँखें लाल हो कर तरेर रही हैं, वैर दृष्टि के कारण क्रुद्ध चेष्टाओं से उनकी भीहे तनी हुई होने से लनाट पर तीन सल पड़े हुए हैं मारकाट में लगे हुए हजारों मनुष्यों के पराक्रम को देख कर जिस युद्ध में सेनाओं में पौरुष बढ़ रहा है, हिनहिनाने हुए घोड़ों और रथों से दौड़ते हुए समरभट-योद्धा तथा शस्त्रास्त्र चलाने में दक्ष व हस्तलाघव, प्रहार आदि में संध हुए सैनिक जिसमें हर्ष से उन्मत्त हो कर दोनों भुजाएँ ऊँची उठाएँ खिलखिला कर ठहाका मार कर हँस रहे हैं और किलकारियाँ कर रहे हैं। चमकती हुई ढालें और कवच धारण किए मत्त हाथियों पर चढ़ कर खाना हुए भट शत्रुओं के भटों के साथ जहाँ परस्पर युद्ध में संलग्न हैं; युद्धकला में दक्षता प्राप्त करने के कारण घमड़ी योद्धा अपनी-अपनी तलवारें म्यान में से निकाल कर रोपपूर्वक फुर्ती से जिसमें परस्पर प्रहार कर रहे हैं एवं हाथियों की सूँडे काट रहे हैं, जिससे उनके भी हाथ कट रहे हैं, जहाँ पर मुद्गर आदि से मारे गए, बुरी तरह से काटे गए या फाड़े गए हाथी आदि पशुओं या मनुष्यों के जमीन पर बहते हुए खून के कीचड़ से रास्ते लथपथ हो रहे हैं, पेट फट जाने से भूमि पर लुढ़कती हुई एवं बाहर निकलती हुए आंतों से खून बह रहा है तथा तड़फड़ाते हुए, व्याकुल, मर्मस्थान पर चोट खाये हुए, बुरी तरह से कटे हुए, भारी चोट खा जाने से बेहोश हुए, एवं इधर-उधर लुढ़कते हुए मनुष्यों के विलाप से वह युद्धभूमि करुण हो रही है। जिस युद्ध में मारे गये योद्धाओं के भटकते हुए घोड़े, मतवाले हाथी और भयभीत मनुष्य तथा मूल से कटी हुई ध्वजाओं वाले दूटे हुए रथ, सिरकटे हाथियों के कलेवर, नष्ट हुए हथियार और बिखरे हुए गहने युद्धभूमि में पड़े हैं; जहाँ सैनिकों के

नाचते हुए अनेक सिरकटे घड़ों पर कौए और गिद्ध मंडरा रहे हैं और वे भुंड के भुंड जब घूमते हैं तो उनकी छाया के अधकार से वह गम्भीर हो रहा है। ऐसे युद्ध में वे केवल सेना को ही नहीं लडाते, बल्कि स्वयं भी प्रवेश करते हैं, मानो देवलोक (आकाश) और इस पृथ्वी को कंपाते हुए पराये धन के लिए लालायित वे राजा लोग साक्षात् श्मशान के समान, अत्यन्त रौद्र होने के कारण भयानक और अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश करने योग्य इस संग्रामरूपी घने वन में आगे हो कर प्रवेश करते हैं।

दूसरे पैदल चोरो के दल और चोरो के दल के प्रवर्तक—सेनापति वन्य प्रदेशों में खोह, गुफा, बीहड़ या जलीय-स्थलीय दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। काले, हरे, लाल, पीले, सफेद आदि सैंकड़ों रंग-बिरंगे चिह्नपट्ट (बिन्ले या चपरास) बाधे हुए वे दूसरे देशों यानी राज्यों पर सहसा धावा बोल देते हैं। लालची बन कर धन के लिए वे रत्नों के खजाने वाले समुद्र पर चढाई कर देते हैं। जो हजारों तरंगों की मालाओं से व्याप्त है पेय जल के अभाव में जहाज के व्याकुल मनुष्यों के कलकल से युक्त है, हजारों पातालकलशां की हवा के कारण तेजी से ऊपर उछलते हुए जलकणों की रज से जो अधकारमय है, निरन्तर प्रचुर मात्रा में उठने वाला सफेद फेन ही जिमका अट्टहाम है, जहाँ हवा के थपेड़ों से पानी क्षुब्ध हो रहा है, जलकल्लोलमालाएँ अत्यन्त वेग वाली हो रही हैं, चारों ओर तूफानी हवाओं से क्षुब्ध है, किनारे पर टकराते हुए जलसमूह से तथा मगरमच्छ आदि जलजन्तुओं से अत्यन्त चंचल है, अपने बीच में निकले हुए पर्वत आदि से टकराते व बहते हुए अथाह जलसमूह से जो युक्त है, गंगा आदि महानदियों के वेग से शीघ्र लबालब भर जाने वाला है, जिसके गहरे अथाह भ्रवरो में चपलतापूर्वक भ्रमण करते, व्याकुल होते, ऊपर उछलते और नीचे गिरते हुए जलसमूह है या जलजन्तु है, तथा जो वेगवान एवं अत्यन्त कठोर प्रचण्ड, क्षुब्ध जल में से उठती हुई लहरों से व्याप्त है। बड़े-बड़े मगरमच्छों कछुओं, ओहार नामक जलजन्तुओं, घडियालों, बड़ी मछलियों, सुंसुमार और स्वापद नामक जलजन्तुविशेषों के परस्पर टकराने और एक दूसरे को निगलने के लिए दौड़ने से जो प्रचुर घोर बना हुआ है; जो कायरजनों के हृदय को कंपा देने वाला है, अत्यन्त भया-

बना और भय पैदा करने वाला है, जो प्रतिक्षण भयप्रद है, अत्यन्त उद्वेग पैदा करने वाला है, जिसके आर-पार का कोई पता नहीं लगता, जो आकाश के समान आलम्बन-रहित है, उत्पातजनित वायु से प्रेरित (चलाई हुई) एक के बाद दूसरी गर्ब से इठलाती हुई लहरो के वेग से जो दृष्टिपथ को ढक देता है। कही पर गंभीर भेषगर्जना जैसी गूँजती हुई, व्यन्तरकृत महाध्वनि के सदृश, तथा उससे उत्पन्न होकर दूर तक सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि के समान गंभीर और धुग् धुग् करती हुई आवाज जिसमें हो रही है। जो प्रत्येक रास्ते में रुकावट डालने वाले यक्ष, राक्षस, कुष्माण्ड और पिशाच जातीय कुपित हुए व्यन्तरदेवों द्वारा जनित हजारों उपसर्गों से व्याप्त है; जो बहुत-से उपद्रवों से भरा हुआ है, जो बलि, होम और घूप दे कर की गई देवता की पूजा और रुधिर दे कर की गई अर्चना में प्रयत्नशील अपने सामुद्रिक व्यापार में रत जहाजी व्यापारियों से सेवित है, जो कलि-काल (अन्तिम युग) के अन्त यानी प्रलयकाल के कल्प के समान है, जिसका अन्त पाना कठिन है, जो गंगा आदि महानदियों का नदीपति होने से दिखने में अत्यन्त भयंकर है, जिसका सेवन कठिनाई से किया जा सकता है या जिसमें चलना बहुत ही दुष्कर है, जिसमें प्रवेश पाना (पानी से लबालब भरा होने से) बहुत ही कठिन है जिसका पार करना दुष्कर है, जिसका आश्रय लेना भी दुःखयुक्त है, जो खारे पानी से भरा हुआ है, ऐसे रत्नाकर सागर में ऊँचे किये हुए काले और सफेद भूँडा वाले, अति शीघ्रगामी तंज पतवारों वाले जहाजों द्वारा आक्रमण करके समुद्र के बीचोंबीच जा कर वे सामुद्रिक व्यापारियों के जहाजों को नष्ट कर देते हैं।

पराये धन को चुराने वाले लोग निर्दय एवं परलोक की जरा भी परवाह न करने वाले होते हैं। वे धन से समृद्ध गाँवों, नगरों, खेड़ों, खानों, कस्बों, चार योजन के अन्तर्गत गाँवों से घिरे हुए मडम्बों, बदरगाहों, बदरगाह के समीपवर्ती नगरों—जहाँ जल-स्थल दोनों मार्ग हो, आश्रमों, मठों, व्यापारी मंडियों एवं जनपदों को नष्ट कर देते हैं। वे अत्यन्त मजबूत दिल के या निहितस्वार्थी होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, वे लोगों के बदी बना कर या गाय आदि को पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे कठोर बुद्धि वाले, निर्दय या निकम्मे लोग अपना या अपना का (एक न एक दिन) घात करते हैं, घरों में संध

लगाते हैं, वे पराये धन से निवृत्त-विरक्त नहीं होते तथा दया-रहित बुद्धि वाले होते हैं, इसलिये देशवासी लोगों के घरों में रखे हुये धन, धान्य तथा अन्य द्रव्यसमूह को चुरा ले जाते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग चोरी की खोज में लगे रहते हैं। वे समय-कुसमय में घूमते हुए ऐसे शमशान में जा कर आश्रय लेते हैं, जहाँ चिताओं में जलती हुई, रघिरादि से लिप्त, अधजली या इधर उधर घिसटी हुई लाशें पड़ी हैं तथा खून से लथपथ मृत शरीरों को पूरा खाने और पी लेने के पश्चात् घूमती हुई डाकिनियों से अत्यन्त भयावना हो रहा है, जहाँ गीदड़ खी खी आवाज कर रहे हैं, उल्लू भयङ्कर आवाज कर रहे हैं, जो विद्रूप बेतालों द्वारा ठहाका मार कर हसने से अत्यन्त भयानक और अरमणीय हो रहा है, जो अत्यन्त दुर्गन्धित और घृणित होने से देखने में बड़ा भयावह है। तथा वे वन में, सूने घरों तथा शिलाओ से बने हुये घरों में, मार्ग पर बनी हुई दूकानों, पर्वतों की गुफाओं, ऊबड़-खाबड़ जगहों एवं मिह आदि हिंस्र जानवरों से व्याप्त जगहों में क्लेश पाते हुए भटकते हैं। उनके शरीर की खाल सर्पों और गर्मियों से सूख या सिकुड़ जाती है, वह सूखी होकर कड़ी पड़ जाती है, या जल जाती है। जिनसे नरक और तिर्यच की भवपरम्पराओं में सतत दुःखों को भोगना पड़े ऐसे पापकर्मों का वे सच्य करते हैं। उन्हें मोदक आदि भक्ष्य पदार्थों तथा चावल, गेहूँ आदि अनाजों एवं दूध आदि पदार्थों का मिलना दुर्लभ होता है। उन्हें चोरी के दुष्कर्म करते समय भूखे, प्यासे और थके हुए रहना होता है तथा मांस, मुर्दा शरीर, कंद, मूल या जो कुछ भी मिल जाय, उसी को खाकर रहना पड़ता है। वे रातदिन उद्विग्न (फडफडाते) रहते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते-भागते रहते हैं, अथवा हर समय वे गुप्त खबरें पाने के लिये उत्सुक रहते हैं, कहीं भी उन्हें टिकने को शरण नहीं मिलती, अतएव सँकड़ों सर्पों के कारण हर क्षण शकाजनक अटवी में रहने के लिए विवश होते हैं। वे अपने कुल की बदनामी कराने वाले भयंकर चोर होते हैं, जो चोरी करने से पहले ऐसी गुप्त मन्त्रणा करते हैं कि आज किसका धन चुराए ? वे बहुत-से लोगों के कर्तव्य-कर्मों में विघ्न डालते हैं। वे नशे में चूर, असावधान, सोये, हुए, और विश्वस्त लोगों का मोका पा कर घात करते हैं। दुर्धसनों, आफतों और उत्सव आदि खुशी के मौकों पर उनके दिमाग में चोरी की भावना जागती है। वे भेड़ियों की तरह अति क्रूर रक्तपिपासु जैसे होकर सर्वत्र भटकते रहते हैं, वे राजा द्वारा बनाए हुए सरकारी कानूनों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे सज्जन लोगों के द्वारा घृणा के पात्र हैं, अपने दुष्कर्मों

के कारण पापकर्म करने वाले एव अशुभ परिणामों से युक्त रहते हैं, तथा दुःख के भागी बनते हैं। उनके मन हमेशा दुःखाक्रान्त व अशान्त रहते हैं। वे परधन हूराण करने वाले मनुष्य इस लोक में ही सैकड़ों संकटों से घिरे हुए क्लेश पाते रहते हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ द्वारा शास्त्रकार ने, अदत्तादान करने वाले कौन-कौन होते होते हैं ? तथा वे चोरी करने के लिए किन-किन भयकर तरीकों का आश्रय लेते हैं ? इसका विशद विवेचन किया है। मूलार्थ में इसका स्पष्ट अर्थ किया गया है, जो अनायास ही समझ में आ सकता है। फिर भी कुछ पदों का विवेचन और विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर किया जा रहा है—

तं पुणु करैति चोरियं—उस चोरी को करते हैं—तस्कर, परद्रव्यहारक आदि दुर्जन। चोरी का जन्म सर्वप्रथम मन में होता है। मनुष्य के मन में पहले दूसरे की अच्छी वस्तु देख कर या अपने पास उस वस्तु का अभाव होने से दूसरे के यहाँ उस वस्तु की प्रचुरता देख कर उसे किसी भी तरह से प्राप्त कर लेने का लोभ और फिर क्रमशः इच्छा, लालसा, तृष्णा और आसक्ति पैदा होती-है। उसके बाद वह अपने मन में उस वस्तु को प्राप्त करने के उपायों का चिन्तन करता है, योजना बनाता है। उस वस्तु की प्राप्ति में कौन-कौन-सी रुकावटें आ सकती हैं ? कौन-कौन-से खतरे उठाने पड़ सकते हैं ? किन-किन साधनों का आश्रय लेना पड़ेगा ? किन-किन सहायकों को साथ में लेना होगा ? इत्यादि विविध तरीकों और तरकीबों को अजमाता है। बार-बार उन तरीकों और उपायों को अजमा लेने के बाद वह चौर्यकला में दक्ष और साहसिक बन जाता है, तब बेखटक चोरी करने लग जाता है। कुछ लोग स्वयं चोरी नहीं करते, किन्तु कुछ साहसी व्यक्तियों को अपने यहाँ रख कर या अमुक हिस्सा देने का लोभ दे कर उनसे चोरी करवाते हैं। कुछ लोग चोरी का माल खरीद लेने का वादा करके चोरों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वे उनकी चोरी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहते, अपितु गुप्त रूप से उस चोरी का समर्थन करते रहते हैं। कुछ लोग चोरी करने के विविध उपाय बताते हैं, चोरों के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें चोरी करने के लिए शस्त्र-अस्त्र आदि साधनों की गुप्त रूप से सहायता करते हैं। कुछ लोग व्यवसाय में चोरी करते हैं, वे अच्छी वस्तु दिखा कर घटिया दे देते हैं, तोल-नाप में गड़बड़ करते हैं, वस्तु में मिनावट करते हैं, झूठी सीगन्ध खा कर ग्राहक को ठग लेते हैं, अत्यधिक मूल्य या दर पर बेचते हैं, सरकार के द्वारा निश्चित करों की चोरी करते हैं, बहीखाते में

झूठा जमाखर्च करते हैं, सौ रुपये दे कर हजार रुपये लिख देते हैं, किसी की धरोहर को हड़प जाते हैं, पराई अमानत को डकार जाते हैं, इत्यादि प्रकार की चोरियों की गणना व्यावसायिक चोरी में होती है। झूठे विज्ञापनों द्वारा लोगों को धोखा दे कर रुपये बटोरना, नकली कपनी खोल कर लोगों को चकमा देना, बाजार के भावों में अचानक वृद्धि कर देना आदि भी व्यावसायिक चोरी है।

साहसिक चोरी में उन चोरियों की गणना होती है, जो डाका डाल कर, आक्रमण करके, समुद्रयात्रियों को अचानक घेर कर छूट पाट की जाती है। सेध लगा कर, घरों में घुस कर, ताला तोड़ कर तिजोरी तोड़ कर, घर फोड़ कर चोरी करना भी प्रसिद्ध चोरी है। ये सब तस्कर और परद्रव्यहरणकर्ता कहलाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार की चोरियाँ करने वालों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है। चोरो के विविध लक्षण और प्रकार मूलपाठ में बताये हैं। उनका क्रमशः संक्षेप में हम विश्लेषण करते हैं—

छंया—चोरी करने वाले छेक यानी प्रवीण होते हैं। मनुष्य उत्तम कार्यों में दक्षता प्राप्त करे, यही मानवीय नीति है, लेकिन उसी दक्षता का जब चोरी आदि अनीतिमय कार्यों में उपयोग होता है, तो वह दानवीय नीति कहलाती है। चोरी करने में चतुर लोग ऐसी सिपत से सफेदपोश बन कर सनसनीखेज चोरी करते हैं, जिससे मन्कार भी उन्हे गिरफ्तार करने में असमर्थ रहती है। कई लोग चोरी में ऐसे प्रवीण होते हैं कि दिन दहाड़े बैंक या अन्य किसी भी फर्म पर छापा मार कर द्रव्य नष्ट लेते हैं। ऐसे चतुर लोग चोरी करने के नये-नये तरीकों का आविष्कार करते रहते हैं। चौर्यशास्त्र का अध्ययन करके ऐसे लोग चौर्यकला में दक्ष हो कर नित नये तरीके अजमाते रहते हैं।

कथकरणलङ्घनलक्षणा—इस पद ने शास्त्रकार सूचित करते हैं कि चोरी करने वाले बार-बार चोरी का अभ्यास करने से चोरी करने में सिद्धहस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हर एक काम पहले अल्पमात्रा में प्रारम्भ होता है। फिर उसका बार-बार अभ्यास करने से वह विशालरूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार मनुष्य छोटी-छोटी चोरियाँ करके पहले चोरी का अभ्यास करता है। बाद में अवसर पा कर वह बड़ा चोर बन जाता है। वह चोरी करने में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि कोई उसकी चोरी को सहसा नहीं पकड़ सकता। अथवा उस चोर का सामना करने में या उसे गिरफ्तार करने में बड़े-बड़े लोग व सत्कारी अधिकारी तक भी असमर्थ रहते हैं।

साहसिधा—चोरी करने वाले अत्यन्त साहसी होते हैं। साहसहीन व्यक्ति चोरी सरीखे कामों में हाथ डालेगा तो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। चोरी जैसे खतर

को मोल लेना साहसिकों का ही काम है। वैसे तो साहस चोरी का गुण है, किन्तु उसी साहस का उपयोग जब चोरी सरीखे अनर्थकारी कार्यों में किया जाता है तो वह दुर्गुण बन जाता है। बल्कि ऐसे कुमार्ग में साहस का उपयोग करने वाले को सहायक कम मिलते हैं; कदाचित् मिल भी जाय तो आफत आने पर उससे किनारा-कसी कर लेते हैं। आखिरकार उसे अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ता है और कारावास या प्राणदण्ड अकेले को ही भोगना पड़ता है, जबकि सन्मार्ग में साहस करने वाले को अनेको सहायक भी प्रायः मिल जाते हैं, उसकी यशकीर्ति भी चन्द्रमा की चादनी की तरह फैल जाती है। धर्मकार्य में साहस करने वाले की आत्मा बलवान् बन जाती है, जबकि पापकार्य में साहस करने वाले की आत्मा निर्बल, भयभीत और कायर बन जाती है। वह साहस अधिक दिनों तक नहीं टिकता।

सहस्रसागा—चोरी करने वाले की आत्मा अत्यन्त तुच्छ होती है। जो चोरी करता है, उसे ससार तुच्छ दृष्टि से देखता है। उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। लकाधीश रावण ने महासती सीता का अपहरण किया। इसके फलस्वरूप उसका यज्ञ नष्ट हो गया। उसकी विद्वत्ता, प्रभुता और सत्ता सभी धूल में मिल गई। उसकी आत्मा का पतन हुआ। व्यक्ति चाहे जितने ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ हो, ऐश्वर्यशाली हो, प्रभुत्वसम्पन्न हो, किन्तु चोरी जैसे दुष्कृत्य को करने से उसकी प्रभुता, ऐश्वर्य-सम्पन्नता और विद्वत्ता मिट्टी में मिल जायगी, उसकी आत्मा का पतन हो जायगा। फलतः उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो जायगी।

अतिमहिच्छसोभमच्छा—जिनकी इच्छाएँ बहुत बड़ जाती हैं, तथा जो लोभ-रूपी पिशाच से ग्रस्त हो जाते हैं, वे चोरी करते हैं। इस पद में चोरी करने के मूल कारण को भी प्रगट कर दिया गया है। वास्तव में अतिलोभ या अतिलालसा ही चोरी का मूल कारण है। जब मनुष्य अपने मन में बड़ी-बड़ी आशाएँ व लालसाएँ सजोता है, मनसूबे बाधता है, बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करता है, या धनवृद्धि की अभिलाषा करता है, तभी उनकी पूर्ति के लिए वह पराये धन पर या पराई वस्तु पर हाथ साफ करता है। धन का लोभ बड़ो-बड़ो को चोरी सरीखे अनर्थकारी कार्य में प्रेरित करता है। धन के लोभ से ही डाकू डाका डालते हैं, लुटेरे अपनी जान को जोखिम में डाल कर लूटमार करते हैं। धन के लोभ से ही व्यापारी व्यवसाय में तरह-तरह से चोरी करते हैं। धन के लोभ से ही राजा लोग दूसरे के राज्य को छीन कर अपने कब्जे में करने का प्रयत्न करते हैं। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी धन के लोभ में आ कर रिश्वत लेते हैं, कार्य करने में चोरी करते हैं और गबन आदि करते हैं। भ्रष्टाचार, तस्करव्यापार, करचोरी आदि सब अनर्थों का मूल धनलोभ है। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है।

इसी प्रकार लोभ पर जब इच्छाओं के पख लग जाते हैं तो मनुष्य उससे प्रेरित हो कर पराये धन का परवस्तु को हड़पने, पराई अमानत को हजम करने और दूसरे की वस्तु को अपने कब्जे में करने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह ठीक कहा है कि बड़ी हुई इच्छाओं वाले एव लोभ से ग्रस्त मनुष्य ही चोरी का मार्ग अपनाते हैं। मनुष्य पहले अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाता; अतः बाद में अपनी उत्कट इच्छा की पूर्ति उचित मार्ग से न होने पर वह अनुचित मार्ग को अपनाता है, वह अनुचित—अनीतिमय मार्ग ही चोरी है।

बहुराजकीलगा—कुछ चोर ऐसे होते हैं, जो कठ से ऐसी आवाज निकालते हैं, जिससे वे पहिचाने न जा सकें। इस तरह वे गिरफ्तार करने वालों के चगुल से बच कर भाग निकलते हैं। अथवा अपनी डरावनी आवाज से लोगों को भयभीत करके या धमकी दे कर लोगों को पीड़ित करके उनसे धन छीन लेते हैं। अथवा इस पद का यह भी तात्पर्य है कि कुछ लोग वाणी के चातुर्य से दूसरों को प्रभावित करके ठगते हैं, परधनहरण करते हैं। कई लोग झूठ बोल कर वाणी का आडम्बर रच कर जाल में ऐसे फसाते हैं कि श्रोता लोग उन पर धन की वर्षा करने लगते हैं। यह भी चोरी का एक प्रकार है। दूसरों की जेब से पैसा निकलवाने के लिए कुछ लोग बड़े-बड़े लच्छेदार जोशीले भाषण देते हैं, जिसमें वे श्रोताओं की झूठी प्रशंसा करके उन्हें कुछ न कुछ देने के लिए विवश कर देते हैं। अथवा वाग्जाल में फसा कर भोलेभाले लोगों को ठग लेते हैं। ठगी भी चोरी करने के अपराध में परिगणित होती है।

गेहिया—दूसरों के अधिकार की वस्तु पर गृह की तरह दृष्टि गड़ाए हुए या गृह में आसक्ति रखने वाले चोर 'गेहिया' कहलाते हैं, जो भौका पाते ही पराये माल पर हाथ साफ कर जाते हैं। जब मनुष्य की आसक्ति परपदार्थ या परद्रव्य में बढ़ जाती है तब उसकी पूर्ति के लिए वह चोरी जैसे दुष्कृत्य को अपनाता है। आसक्ति ही मनुष्य को छिप कर, गुप्त रूप से काम करने को विवश कर देती है। छिप कर काम करना भी चोरी है। गुप्तरूप से तो मनुष्य वही काम करता है, जिस में नीति, धर्म आदि शुभ सकल्प नहीं होते। आसक्तिवश मनुष्य गुप्तरूप से दूसरों के धन या द्रव्य पर हाथ साफ करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सूत्रकार ने ऐसी गृह रखने वाले या पराये धन या वस्तु पर आस गड़ाए रखने वाले मनुष्य को चोरी करने वाले में गिनाया है।

अधर्माज्ञक-अधर्माज्ञिया—कर्ज न चुकाने वाले और अपनी की हुई संधि या प्रतिज्ञा को भंग करने वाले भी चोरों में शुमार हैं।

रायकुट्टका—राजा या सरकार के कानूनों का उल्लंघन करके तस्करव्यापार

करने वाले, चोरबाजारी करने वाले, करचोरी करने वाले तथा सरकारी खजाने आदि को छूट लेने वाले लोग भयकर चोरो की कोटि में हैं ।

बिसयनिच्छूलोकवञ्जा—देश, जाति या समूह से निष्कासित, लोकविरुद्ध निन्दित आचरण करने वाले लोग भी चोरी, डकैती या लूट का धंधा अपना लेते हैं । इस पद से उनका संकेत किया गया है ।

उहोहक-गामघायक-पुरघायक-पंचघायक-आबीलग-तित्थभया—जो लोग चोरी के लिए विविध प्रकार की साहसिक हिंसा का तरीका अपनाते हैं, उनका संकेत इन पद से किया गया है । ऐसे लोग, जो जंगल आदि जला डालते हैं, गाँव, नगर, यात्रीजन आदि की हत्या करके लूट लेते हैं तथा विविध प्रकार की याननाएँ देकर धनहरण कर लेते हैं अथवा तीर्थयात्रियों को घेर कर उन्हें मारपीट कर उनसे धन छीन लेते हैं, ये सभी चोर हैं ।

सहृहृथसंपउत्ता परस्स दब्बाहिं जे अवरिया—इन सनका अर्थ पहले स्पष्ट कर दिया गया है । इनमें उन सब लोगों का समावेश कर दिया गया है, जो परद्रव्यहरण (चोरी) के त्याग से विरत नहीं हैं । यानी जिसने अचौर्यव्रत धारण नहीं किया है, वह हाथ की सफाई से, जुआ खेल कर, रिश्वत ले कर, कर वमूल करने में गड़बड़ करके, स्त्री, पुरुष, या और किसी का वेष बनाकर, जेब काट कर, वशीकरण मन्त्र-तन्त्र आदि से अथवा बालक का अपहरण करके, मेघ लगाकर, मारपीट कर या सता कर चोरी करता है । अथवा यह गुप्तरूप में गाय, घोडा, बासी का हरण कर लेता है । कई लोग स्वयं चोरी नहीं करते, लेकिन चोरी करने वालों को सहायता दे कर चोरी में साझेदार बनते हैं, कई यात्रि सघों को लूट लेते हैं या विश्वास पैदा करके ठग लेते हैं । कई लोग जेलखाने से भाग कर चोरी का रास्ता अपनाते हैं । ऐसे अदत्तादान से अनिवृत्त लोगों का दिमाग हमेशा चोरी करने में ही लगा रहता है ।

विपुलबलपरिग्रहा अन्निभूय हरंति परधणाइं—पराये धन में आसक्ति रखने वाले राजा लोग कैसे चोरी करते हैं ? उनकी मनोवृत्ति तथा धनहरण करने का तरीका: यहाँ सूचित किया गया है कि ऐसे शासक परधन को अपने कब्जे में करने के लिए बड़ी भारी चतुरागिणी सेना सजा कर व्यवस्थित ढंग से दूसरे शासक पर या दूसरे के राज्य, कोष आदि पर आक्रमण करके सारा धन या राज्य अपने कब्जे में कर लेते हैं ।

अवरे रणसीसलद्धलक्का परबिसए अन्निहणंति—इस लम्बे वाक्य से ऐसे चोरों का संकेत किया है, जो बहुत पैसा खर्च करके व्यवस्थित ढंग से एक विशाल सेना को युद्ध की तालीम दे कर तैयार करते हैं और उस सेना को लड़ा कर दूसरे देश के राज्य पर कब्जा कर लेते हैं । इतने लम्बे वाक्य में सैन्य-संचालन, व्यूहरचना एवं युद्धकला

का वर्णन किया है। साथ ही सेना की मनोवृत्ति का भी विश्लेषण किया है। इतने साहसिक रूप से धनहरण का काम वे ही लोग करते हैं, जिनकी सालसाएँ अत्यन्त बढी हुई हैं। यह सब मूलार्थ से स्पष्ट है।

सुद्धा धणस्स कञ्जे समुद्दमञ्जे हणंति, संतुण जणस्स पोते—इस लम्बे वर्णन में उन लोगों की मनोवृत्ति, तरीको तथा साहसिकता का उल्लेख किया है, जो समुद्रयात्रा करने वालों के जहाजों पर हमला करके उन्हें लूट लेते हैं। इसका आशय भी मूलार्थ में स्पष्ट किया गया है। लोभी मनुष्य धन के लिए किन-किन खतरों का सामना करता है, इस बात को समुद्र की भयकरता का वर्णन करके शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है।

परवब्बहरा नरा परस्स इब्बाहि जे अब्बिरया—इस अनुच्छेद में शास्त्रकार ने परद्रव्यहरण करने वाले लोगों की मनोवृत्ति का विश्लेषण किया है। मूलार्थ में इसका आशय स्पष्ट है।

तहेव केई अबिभादाणं "वसणसयसमावण्णा—इतने लम्बे वर्णन में शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ का उपसंहार करते हुए चोरी करने वाले लोगों की दुर्दशा और सकटापन्न स्थिति को स्पष्ट किया है। चोरी करने वाले लोगों को अन्न, पानी, निवास, शयन आदि के भयकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, राजदण्ड से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल कर वे त्रनों में भूखे-प्यासे रहते हैं, रात-दिन भयभीत रहते हैं, भयकर हिंसा-जन्तुओं व जगली जानवरों के बीच में रहते हैं। उनकी सूरत, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की हालत, उनके बालकों की शिक्षा-दीक्षा तथा सस्कार से रहित हो जाने की परिस्थिति, उनकी लोभवश परस्पर भय, आशका और आतंरोद्बन्धन से रात-दिन घिरी हुई मन स्थिति और संकटों व्यसनो और कष्टों से घिरी हुई उनकी जिदगी का स्पष्ट विश्लेषण शास्त्रकार ने इस मूलपाठ में कर दिया है जिसका अर्थ स्पष्ट है।

चोरी के भयकर कुकृत्यों के कारण मनुष्य की अनमोल जिदगी धूल में मिल जाती है। चोरी करने वालों को अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार का नारकीय जीवन व्यतीत करके चोर अपने आपको स्वयं गुमराह करते हैं। आत्म-वचना के साथ-साथ समाज-वचना करके चोर अपने अमूल्य जीवन को दुःखी, अशान्त, अस्वस्थ एवं निरर्थक बना लेते हैं। समाज के सम्य लोगों की दृष्टि में वे घृणित बन जाते हैं, सरकार की निगाहों में वे अपराधी समझे जाते हैं और धर्मात्मा पुरुषों की नजरों में वे पापी और अघर्मी माने जाते हैं ! भला यह भी कोई जीवन है, जिसमें अपने शरीर, मन और परिवार को कोई सुख नहीं मिलता ? जिसमें सिवाय तकलीफों और खतरों के कोई लाभ नहीं ? इतने कष्टों के बाद प्राप्त्

हुए अनौत्तपूर्ण द्रव्य से भी थोड़े दिन के लिए सग्रह के सिवाय और कोई सुखशान्ति नहीं मिलती । इसलिए चोरी के पापमय धन से दूर रहना ही हितावह है !

अदत्तादान (चोरी) के दुष्परिणाम

पिछले सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने चोरी करने वालों के विभिन्न प्रकार, उनके लक्षण और स्वरूप का वर्णन किया है । अब बारहवें सूत्र में शास्त्रकार चोरी के विभिन्न दुष्परिणामों और कटुफलों की चर्चा करते हैं—

मूलपाठ

तहेव केइ परस्स दब्बं गवेसमाणा गहिया य हया य
 बद्धरुद्धा य तुरियं अतिघाडिया (अनिघाडिया) पुरवरं समप्पिया
 चोरग्गहचारभड्चाडुकराण तेहि य कप्पडप्पहार-निद्दय-आर-
 विखय-खरफरुसवयण - तज्जण-गलच्छल्लुच्छलणाहि विमणा
 चारगवसहि पवेसिया निरयवसहिसरिसं । तत्थवि गोमिय-
 प्पहारदूमण-निब्भच्छण-कडुयवयण-भेसणगभयाभिभूया, अक्खित्त-
 नियंसणा, मलिणडंडिखंडवसणा, उक्कोडालंचपासमग्गणपरायणेहि
 (दुक्खसमुदीरणेहि) गोम्मियभडेहि विविहेहि बंधणेहि ।
 किं ते ? हडि-निगड - वालरज्जुय - कुदंडग-वरत्त - लोहसंकल-
 हत्थंदुय - बज्झपट्ट - दामक - णिक्कोडणेहि अग्नेहि य
 एवमादिएहि गोम्मिकभंडोव ारणेहि दुक्खसमुदीरणेहि संकोडण-
 मोडणेहि बज्झंति मंदपुन्ना । संपुडकवाड-लोहपंजर-भूमिघरनिरोह-
 कूव - चारगकीलग - जूय - चक्कविततबंधणखंभालणउद्धचलण-
 बंधण - विहम्मणाहि य विहेडयंता अवकोडकगाडउरसिरबद्ध-
 उद्धपूरित (पूरिय) - (असुभपरिणयाय) फुरंतउरकडगमोडणा-
 भेडणाहि बद्धा य नीससंता सीसावेढउरुयावलचप्पडगसंधिबंधण-
 तत्तसलागसूइयाकोडणाणि तच्छणविमाणणाणि य खारकडुय-
 तित्तनावण-जायणाकारणसयाणि बहुयाणि पाविंयंता, उरक्खोडी
 (क्खाडा) - दिन्नगाढपेल्लण-अट्टिकसंभग्गसुपंसुलीगा, गलकालक-

लोहदंड - उरउदरवत्थि (पट्टि)परिपीलिता मच्छं (च्छि)त-
हिययसंचुष्णिर्यगमंगा, आणत्ति - (त्ती)किकरेहिं ; केति अविरा-
हियवेरिएहि जमपुरिससन्निहेहिं पहया ते तत्थ मंदपुष्णा चडवेला-
वज्जपट्ट-पाराइं-छिव- कस- लत(त्ता)-वरत्त-नेत्तप्पहारसयतालियं-
गमंगा, किवणा, लंबंत-चम्मवणवेयणविमुहियमणा, घणकोट्टिम-
नियलजुयलसंकोडिय-मोडिया य कीरंति, निरुच्चारं, (असंचरणा)
एया अन्ना य एवमादीओ वेयणाओ पावा पावेति ; अदंतिदिया
वसट्टा, बहुमोहमोहिया, परधणंमि लुद्धा, फांसिदियविसयतिव्व-
गिद्धा, इत्थिगयरूवसद्दरसगंध-इट्टरतिमहितभोगतण्हाइया य
घणतोसगा गहिया य जे नरगणा ।

पुणरवि ते कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायकिकराण तेसि
वहसत्थगपाढयाणं, विलउलीकारकाणं, लंचसयगेप्पकाणं,
कूडकवडमायानियडि - आयरणपणिहिवंचणविसारयाणं, बहुविह-
अलियसतजंपकाणं, परलोकपरंमुहाणं, निरयगतिगामियाणं तेहि
य आणत्तजीयदंडा तुरियं उग्घाडिया पुरवरे सिघाडग-तिय-चउक्क-
चचर-चउम्मुह-महापहपहेसु वेत्त-दंड-लउड - कट्ट-लेट्टु-पत्थर-
पणालि-पणोल्लि - मुट्टि-लया-पादपणिह-जाणु-कोप्पर-पहारसंभग्ग-
महियगत्ता, अट्टारस-कम्मकारणा जाइयंगमंगा, कलुणा, सुक्कोट्ट-
कंठगलकतालुजीहा, जायंता पाणीयं विगयजीवियासा, तण्हादिया,
वरागा तं पि य ण लभंति वज्जपुरिसेहिं (नि) घाडियंता ।

तत्थ य खरफरुसपडहघट्टितकूडग्गहगाढरुट्टिनिसट्टपरामुट्टा,
वज्जकरकुडिजुयनियत्था, सुरत्तकणवोरगहियविमुकुलकंठेगुण-
वज्जदूत आविद्धमल्लदामा, मरणभयुप्पण-सेद आयतणोहुत्तुपिय-
किलिन्नगत्ता चुष्णगुं डियसरीर-रयरेणुभरियकेसा कुसुं भगोकिन्-
मुद्धया छिन्नजीवियासा, धुन्न्ता वज्जयाण भीता (वज्जपाण-

पीया), तिलं तिलं चैव छिज्जमाणा, सरीरविकिकत (त्त) लोहि-
 ओवलित्ता कागणिमंसाणि खावियंता, पावा, खरकरसर्पिंहि-
 तालिज्जमाणदेहा, वातिकनरनारिसंपरिवुडा, पेच्छिज्जंता य
 नागरजरोण वज्जनेवत्थिया पणोज्जंति नयरमज्जेण किवणकलुणा,
 अत्ताणा, असरणा, अणाहा, अबंधवा, बंधुविप्पहीणा, विपिक्खिता
 दिसोदिंसि मरणभयुच्चिग्गा आघायणपडिदुवारसंपाविया, अधन्ता
 सूलग्गविलग्गभिन्नदेहा ; ते य तत्थ कीरंति परिकप्पियंगमंगा
 उल्लब्धिज्जंति रुक्खसालासु, केइ कलुणाइं विलवमाणा, अवरे
 चउरंगघणियबद्धा पव्वयकडगा पमुच्चंते दूरपातबहुविसम-
 पत्थरसहा, अन्ने य गयचलणमलयनिम्मदिदया कीरंति, पावकारी
 अट्टारसखंडिया य कीरंति मुंडपरसूहिं, केइ उक्कत्तकन्नोट्टनासा
 उप्पाडियनयणदसणवसणा जिब्भियच्चिथया छिन्नकन्न-सिरा
 पणिज्जंते छिज्जंते य असिणा निव्विसया छिन्नहत्थपाया
 पमुच्चंते जावज्जीवबंधणा य कीरंति, केइ परदव्वहरणलुद्धा,
 कारग्गलनियलजुयलरुद्धा, चारगाव(ए)हतसारा, सयणविप्प-
 मुक्का,मित्तजणनिरिक्खिया,(तिरक्कया) निरासा, बहुजणघिक्कार-
 सद्दलज्जायिता (लज्जाविता), अलज्जा, अणुबद्धखुहा,
 पारद्धा सीउण्हतण्हवेयणदुग्घट्टघट्टिया, विवन्नमुह्विच्छविया,
 विहलमलिनदुब्बला, किलंता, कासंता, वाहिया य आमाभि-
 भूयगत्ता, परूढनह्केसमंसुरोमा छगमुत्तंमि णियगंमि खुत्ता ॥

संस्कृतच्छाया

तथैव केचित् परद्रव्यं गवेषयन्तो गर्हिताश्च हताश्च बद्धरुद्धाश्च
 त्वरितं अतिघ्रायिताः (अनिर्घायिताः) पुरवरं समपिताश्चौरप्राह्वारभट्टाट्टु-
 करणां तैश्च कर्पटप्रहार-निर्बयारक्षिक-खरपरुक्खचन-तर्जन-गलप्रहणोच्छ-
 लणाभिर् विमनसश्चारवसति प्रवेशिताः निरयवसतिसदृशी । तत्रापि गौत्मिक-
 प्रहारदूमन (वचन) निर्भत्संनकटुकवचनभेषजकभयाभिभूता आक्षिप्तनिवसन्ता

मलिनवंडिखंडवसना उत्कोटालंजपार्ष्वभार्गणपरायणैः (दुःखसमुदीरणैः)
गौत्मिकभट्टैः विविधबंधनैः ।

कानि तानि ? हृदि-निगडबालरञ्जुक - कुबंडक-वरत्र - लोहसंकला-
हस्तानुक - वध्र्पट्ट - दामक - निष्कोटनेर् अन्यैश्चैवमादिकैर् गौत्मिक-
भांडोपकरणैर् दुःखसमुदीरणैः संकोटनामोटनाभ्यां बध्यन्ते मन्वपुण्याः,
सम्पुट-कपाट-लोह-पंजर - भूमिगृह- निरोध - कूप - चारक-कीलक-यूप-वक्र-
विततबन्धनस्तम्भालगन - ऊर्ध्वचरणबंधन-विधर्मणाभिश्च विहेड्यमानाः,
अवकोटकगाढोरःशिरोबद्धोर्ध्वपूरित (अमुभपरिणताश्च) स्फुरदुरःकटक-
मोटनाऽऽन्नेडनाभ्यां बद्धाश्च निश्चसन्तः शीघ्रविष्टकोटकावल-
क्षप्यडकसंधिबंधन - तप्तशलाकासूचिकाकोटनानि तक्षणविमाननानि च
क्षारकटुकतिरुदानयातनाकारणशतानि बहुकानि प्राप्यमाणा उरःखोडीवस्त-
गाडप्रेरणास्थिकसंभग्नमुपार्ष्वस्थिका गलकालकलोहबंधोरउवरवस्ति-
(पृष्ठि) परिपोडिता मध्यमान-हृदयसंचूर्णितागोपांगा आज्ञप्तिकरैः
केचिद् अविराधितवैरिर्कैर् यमपुरुषसन्निभैः प्रहतास्ते तत्र मंदपुण्याश्च-
वेला-वध्र्पट्ट - पाराइ (लोहकुशीविशेषः) छिवा (श्लक्ष्णकवः)
कषलतावरत्रवेत्रप्रहारशतताडितांगोपांगाः, कृपणाः संबमानचमंत्रण-
वेदनाबिमुञ्चितमनसो, धनकुट्टिमनिगडपुगलसंकोटितमोटिताश्च क्रियंते
निरुच्चारा एता अन्याश्चैवमादिका वेदनाः पापाः प्राप्नुवन्ति ;
अदान्तेन्द्रिया, वशार्त्ता बहुभोहमोहिताः परधने लुब्धाः स्पर्शन्द्रिय-
विषयतीव्रगृद्धा. स्त्रीगतरूपशब्दरसगन्धेष्टरतिमहित -- (बांछित)
भोगतृष्णादिताश्च धनतोषका गृहीताश्च ये नरगणाः ।

पुनरपि ते कर्मदुर्विदग्धा उपनीता राज्ञिककराणां तेषां वधशास्त्र-
पाठकानां वितपोल्ल । वितल) कारकाणां (अन्यायकर्तृणां अथवा चौर्यादिविदुष्ट-
कर्मकारकाणां), लंकाशतप्राहकाणां कूटकपटमायानिकृत्याचरणप्रणिधि-
वचनविशारदानां बहुविधालीकशतजल्पकानां परलोकपराङ्मुञ्चानां
निरयगतिगामिकानां तंश्चाज्ञप्तजीव(जीव) - बंडास्वरितं उद्घाटिताः
पुरधरे शृंगाटक-त्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुर्मुखमहापयपथेषु वेत्र-बंध-सकुट-
काष्ठ-लेष्ट-प्रस्तरप्रणाली-प्रजोदी - मुष्टिलता-पादपाणि - जानु-कुर्यरप्रहार-
संभग्नमथितगात्रा, अष्टादशकर्मकारजात् यातितांगोपांगाः कठणाः शुष्कौ-

षठ्कंठगलकतालुजिह्वा याचमानाः पानीयं विगतजीविताशास्तृष्णाविता
बराकास्तदपि च न लभन्ते वध्यपुरुषैर् द्वाट्यमानाः ।

तत्र च खरपरुषपटहृघट्टितकूटग्रहगाढरुष्टनिसृष्ट-परामृष्टा वध्य-
करकुटीयुगनिवसिता सुरक्तकणधीर- गृहीतविभुकुलकंठेगुणवध्यवृताविद्ध-
मात्यदामानो, मरणभयोत्पन्नस्वेदायतस्नेहोत्पित्तविलग्नगात्राश्चूर्ण-
मुद्धितशरीररजोरेणुभरितकेशाः कुसुंभकोत्कीर्णमूर्धजशिष्ठन्नजीविताशा
घूर्णमाना, वधकेभ्यो भीतास्तिलं तिलमिव छिद्यमाना शरीर-
विकृत्तलोहितावलिप्ताः काकिजीमांसानि छाद्यमानाः पापाः खरकरशतै-
स्ताड्यमानदेहा वातिकनरनारीसंपरिबृता प्रेक्ष्यमाणाश्च नागर-जनेन
वध्यनेपथ्यता प्रणोयन्ते नगरमध्येन कृपण-कृणा अत्राणा, अशरणा,
अनाथा, अबान्धवा बंधुविप्रहीणा विप्रेक्षमाणा दिशो दिशं मरणभयोद्विग्ना
आघातनप्रतिद्वारसंप्रापिता अध्वन्याः शूलाप्रविलग्नभिन्नदेहास्ते तत्र क्रियन्ते
परिकल्पितांगोपांगा उल्लस्यन्ते वृक्षशास्त्रासु केचित् कृष्णानि विलपमाना,
अपरे चतुरंगगाढबद्धा पर्वतकटकत् प्रमुच्यन्ते वूरपातबहुविषमप्रस्तर-
सहाः, अन्ये च गजचरणमलननिर्मदिताः क्रियन्ते पापकारिणः अष्टादश-
खंडिताश्च क्रियन्ते मुंड(कूठ/परशुभिः), केचित् उत्कृत्तकर्णोष्ठनासा
उत्पाटितनयनदशनवृषणा जिह्वेन्द्रियांछिता, छिन्नकर्णशिरसः प्रणोयन्ते
छिद्यन्ते च असिना निविषयाशिष्ठन्नहस्तपादाः प्रमुच्यन्ते, यावज्जीव-
बन्धनाश्च क्रियन्ते, केचित् परद्रव्यहरणलुब्धाः कारार्गलनिगड्युगलरुद्धा,
चारकाहृतसारा, स्वजनविप्रमुक्ताः, मित्रजननिराकृता, निराशा, बहुजन-
घिककारशब्दलज्जापिता, अलज्जा, अनुबद्धक्षुधा, प्रारब्धाः, शीतोष्णतृष्णा-
दुर्घटवेदनाघट्टिता विवर्णमुखच्छविका, विफलमलिनबुंबलाः क्लान्ता. काश-
माना ध्याघिताश्चामाभिभूतगात्राः प्ररुद्धनखकेशरमधुरोमाण पुरीषमूत्रे
निजके क्षिप्ताः ॥

पदार्थान्वय—(तहेव) पहले कहे अनुसार, (परस्त) दूसरे के (दब्बं) घन को,
(गवेसमाणा) दूँडते हुए (केइ) कई लोग (गहिता) पुलिस आवि द्वारा पकड़े जाते हैं,
(य) और, (हया) पीटे जाते हैं (य) तथा (बद्धरुद्धा) बांधे जाते हैं व कंद में बंद किये
जाते हैं (य) और (तुरियं) जल्दी जल्दी (अतिघादिया) बहुत ही घुमाये जाते हैं,
(पुरषर्) बड़े नगर में वे (समन्पिया) सिपाहियों आवि को सँपे जाते हैं । (य) तथा
वे फिर (चोरगाह-चारभड-बाहुकराणं) चोरों को पकड़ने वालों, चौकीदारों,

सिपाहियों, शूरवीर गुप्तचरों तथा झूठी प्रशंसा करने वालों के (तेहि) उन-उन (कप्यव्यप्यहार-निह्यआरविख्य-खरफरसवयण-तञ्जणगलच्छस्तुच्छलगाहि) कपड़े के चाबुको के प्रहार से, निर्बंध सिपाहियों के लीचे व कठोर वचनों की डांट-फटकार से तथा गर्दन पकड़ कर धक्का देने से (विमणा) खिन्न चित्त हुए वे चोर, (निरयवास-सरिसं) नरकावास के समान (चारकवर्साहि) कंदखाने में (पवेसिया) जबरन घुसाये जाते हैं। (तत्पवि) वहाँ भी (गोम्मियप्यहारब्रूमणनिष्मण्णकड्यवयणभेसणगभया-भिभूया) जेल के अधिकारियों द्वारा विविध प्रहारों, नाना प्रकार की यातनाओं, सिड़कियों, कड़वे वचनों तथा भयंकर वचनों से उत्पन्न भय से बड़े हुए या दुःखित रहते हैं। (अक्खितनियंसणा) उनके कपड़े छीन लिये जाते हैं, (मलिनवंडिलंबवसणा) उनके पास सिर्फ मंते-कुचैले फटे हुए वस्त्र रहते हैं, (उक्कोडालंबपासमग्गणपरायणोहि गोम्मियभडोहि) बार-बार उन कंदियों से रिखत और घूस मांगने में तत्पर जेल के सिपाहियों द्वारा (विहिरोहि बंधणोहि) अनेक प्रकार के बंधनों से वे (बज्जंति) बांधे जाते हैं। (किं ते ?) वे बन्धन कौन-कौन-से हैं ? (हडि-निगड-बालरञ्जुय-कुवंडग-वरत-लोहसंकल-रुत्तंयुध-बज्जपट्ट-दामक-णिककोडणोहि) हाड़ी—काठ की बेड़ी, लोठ की बेड़ी, बालो की बनी हुई रस्ती, जिसके किनारे पर रस्ती का फंदा बांधा जाता है ऐसा एक काठ, चमड़े के मोटे रस्ते, लोहे की सांकल, हथकड़ी, चमड़े का पट्टा, पैर बांधने की रस्ती, तथा निःकोटन—एक प्रकार के बंधन विशेष से (य) और (एवमा-दिएहि) ये और इसी प्रकार के (अग्नेहि) दूसरे (बुक्खसमुदीरणोहि) दुःख पैदा करने वाले, (गोम्मिकमंडोवगरणोहि) कंदखाने के अधिकारियों के विशिष्ट उपकरणों से, (संकोडमोडणाहि) कंदियों के शरीर को सिकोड़ कर और मोड़ कर (संबपुण्णा) उन अभागो कंदियों को (बज्जंति) बांधा जाता है। (य) तथा (संपुड-कवाड-लोह पंजर-भूमिघरनिरुह-कूव-चारक-कीलग - जूय-चक्क-विततबधण - खंभालण-उड्ढचलण-बंधण-विहम्मणाहि) कंद की कोठरी में चारों ओर से किवाड़ बंद कर देना, लोहे के पींजरे में बन्द कर देना, भोंयरे-तलघर में डाल देना, कुंए में उतार देना, बन्दीघर के सींखणों में जकड़ देना, कीलें ठोक देना, बंसों के कण्ठों पर डाले जाने वाला जूवा कंधे पर रख देना, गाड़ी के पहिये से चारों ओर से बांध देना, बाँहें, जांघें और सिर को कस कर बांध देना, खंभे से चिपटा देना, पैरों को ऊपर कर के बांध देना इत्यादि अनेक बन्धनों से यातनाएं दे कर अघर्मी जेल के अधिकारियों द्वारा (विहेडयंता) सिकोड़े या मोड़े जाते हैं—पीड़ित किये जाते हैं। (य) और (अक्कोडकाडउरसिरबड्ढउड्ढपुरित (असुहपरिणयाय) फुरंतउरकडगमोडणा-

भेदणाहि) गर्वन नीचे झुका कर छाती और सिर कस कर बांधे हुए कंबी निःश्वास छोड़ते हैं या कस कर जकड़े जाने के कारण उनका श्वास ऊपर को रुक जाता है अथवा उनकी आंतें ऊपर को आ जाती हैं, छाती घड़कती रहती है, उनके अंग मोड़े जाते हैं, बारबार उल्टे किये जाते हैं । इस तरह अशुभ भावों में बहुते हुए वे (बद्धा) बंधे हुए (नीससंता) निःश्वास लेते रहते हैं । (आणत्तिकरेरिंह) जेल के अधिकारियों का आदेश पाते ही काम करने वाले नौकरों द्वारा, (सीसावेडउरुयावलचप्पडगसंधिबधण-तससलागसुइयाकोडणाणि) जमड़े की रस्ती का सिर से बांधा जाना, बोनो जांघों को खीरा जाना या मोड़ा जाना, घुटने, कुहनी, कलाई आदि जोड़ों को काठ के यंत्रविशेष से बांधा जाना, तनी हुई लोहे की सलाई और सुई शरीर में चुभोना, (तच्छणविमाण-णाणि) बसूले से लकड़ी की तरह छीला जाना, मर्मस्थानों पर पीड़ा पहुँचाना, (घ) और (सार-कडय-तिस-नावण-जायणा-कारणसयाणि बहुयाणि) नमक, सोडा आदि क्षार पदार्थ, नीम आदि कड़वे पदार्थ, साल मिर्च आदि तीखे पदार्थ कोमल अंगों पर डालना या छिड़कना इत्यादि पीड़ा पहुँचाने के संकड़ों निमित्तों को ले कर बहुत-सी घातनाएँ (पाविधता) पाते रहते हैं । (उरक्लोडीविभगाठपेल्लण-अट्टिकसंभग-सुपंसुलीगा) किसी समय छाती पर महाकाष्ठ रख कर जोर से दबाने से या जोर से मारने से हड्डियाँ टूट जाती हैं, पसलिया डीली हो जाती हैं, (गलकालकलोहवंडउर-उबर-वत्थि-पट्टि-परिपीलित्ता) मछली पकड़ने के काटे के समान घातक काले लोहे की नोक वाले ढंडे से छाती, पेट, गुदा और पीठ में भोकने से वे अत्यन्त पीड़ित हो जाते हैं । (मच्छंतहिययसंचुष्णिगमंगगा) इतनी भयंकर पीड़ा से अपराधियों का हृदय मथ बिया जाता है और उनके सारे अंग-उपांग चूर-चूर कर बिये जाते हैं ।

(केई) कितने ही (अविराहियवेरिर्णह जमपुरिससन्निर्हिं) बिना अपराध किये ही बंदी बने हुए यमदूतों के समान पुलिस के सिपाहियों द्वारा (पहया) पीटे जाते हैं । (ते) वे (मंबपुण्णा) अभागे खोर (तत्थ) कंदलाने में, (अडवेला-वज्जपट्ट-पाराइ-छिब-कस-सत-वरस-वेत्तपहारसय-तालियंगमंगगा) थप्पड़ों, मुक्कों, चमड़े के पट्टों, लोहे के कुग, लोहे के नोकदार व तीखे शस्त्र, चाबुक, लात, चमड़े के मोटे रस्से और बेलों के संकड़ों प्रहारों से अंग-उपांगों में छोट पहुँचा कर सिपाहियों द्वारा पीड़ित (कीरंति) किये जाते हैं, (किवणा) बेखारे दीनहीन बने हुए खोर, (संबंत-सम्म-वण-वेयणविमुहियमणा) सटकती हुई चमड़ी पर हुए धारों की वेदना के कारण अपने खोरी के अपराध से उम्मने हो जाते हैं (घणकोट्टिम-नियल-जुयल-संकोडिय-मोडिया)हथौड़ों से कूट कर सैयार की हुई दोनों बेड़ियों के रातबिन पहिनाये रखने से

उनके अंग सिफुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं और झीले हो जाते हैं । (य) और (निष्कारणा) जेलखाने की कालकोठी में बंद किये जाने के कारण उनका दृष्टी-नेसाब रोक दिया जाता है ; अथवा बोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, (असंचरणा) इधर-उधर घूमना-फिरना बंद कर दिया जाता है ।

(एया) ये (अन्ना य) और दूसरी (एषमाबीओ वेयणाओ) इसी प्रकार की वेवनाएँ (पावा) वे पापी (पावेंति) पाते हैं । (कौन ?) (अर्बेंतिदिया) अपनी इन्द्रियों को बस में नहीं रखने वाले, (बसट्टा) विषयों के गुलाम होने से पीड़ित, (बहुमोह-मोहिता) अत्यन्त मोह-आसक्ति के कारण मूढ़ बने हुए (परघर्णमि लुद्धा) पराये धन में लुब्ध एवं (फांसिदियविसयतिव्वगिद्धा) स्पर्शोन्मिष के विषय में तीव्र आसक्त, (इत्थिगयकवसहरसगंधइट्ठरतिमहितभोगतण्हाइया) स्त्रीसम्बन्धी रूप, शब्द, रस, व गंध में इष्ट, रति एवं बाँछित भोग (सहवास) की लुब्धा से व्याकुल (य) तथा (धनतोसगा) केवल धन मिलने से ही संतुष्ट होने वाले (वे य नरगणा गहिया) सरकारी आबमियों द्वारा गिरफ्तार किये गए जो मनुष्यगण-खोर हैं, वे (पुणरवि) फिर भी (कम्मवुव्वियद्धा) पापकर्म के दुष्परिणाम को नहीं समझने वाले उन (बहुसत्थ-पाठयाणं) वधशास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने वाले, (विलउलीकारकाणं) दुष्ट-अन्याय युक्त कर्म करने वाले, (संबसयगेह्णगाणं) सैकड़ों रिश्वतें लेने वाले (कूड-कपड-माया-नियडि-आयरण-पणिहिवचणविसारायाणं) जो न्यूनाधिक तौल-नाप आदि करने में, बेश और भाषा को बदलने में, माया, छल, धूर्तता और फरेब एवं धोखेबाजी के आचरण-अमल करने में, गुप्तचर-सम्बन्धी बंधना में विशारद—प्रवीण हैं, (निरयगतिगामि-याण) नरकगति के मेहमान हैं (बहुविहअलियसतजंपकाणं) अनेक प्रकार के सैकड़ों झूट बोलने वाले हैं, (य) और (परलोयपरंमुहाणं) परलोक से विमुख यानी लापरवाह बने हुए हैं, ऐसे (राजिककराणं) राजपुत्रबं—सरकारी नौकरों—को (उवणीया) सजा के लिए सौंप दिये जाते हैं ।

(य) और (तेहि) उन राजकर्मचारियों द्वारा (आणत्तजीयवडा) जिन्हें प्राण-बंध—मृत्युबंध की आज्ञा दी गई है, उन खोरों को, (पुरियं) शीघ्र ही, (पुरबरे) नगर में (सिंघाडग-सिय-वउक्क-वच्छर-वउम्मुह-महापहपहेसु) सिंघाड़े के आकार वाली तिकोन जगह, जहाँ तीन रास्ते या बाजार मिलते हैं वहाँ, जहाँ चार रास्ते या बाजार मिलते हैं वहाँ चौक में, विशाल प्रांगण में, चारों ओर मुँह यानी द्वार वाले किसी देवमन्दिर आदि में, विशाल आम राजमार्ग [चौड़ी सड़क] पर तथा साधारण रास्तों पर (उग्घाडिया) जनसमूह के सामने जाहिर में लाये जाते हैं ; फिर (वेल-बंध-सउड-

कट्ट-लेट्ट-पत्थर-पचासि-पचोत्सि- बुद्धि-सधा - पाद-पङ्क्ति-जागु - कोप्परपहारसंभ्रग-
 महियपत्ता) बेंतों से, डंडों से, साठियों से, लकड़ी, डेले, पत्थर, लम्बे लट्ट, मारने के
 डंडे से, मुक्कों, धूलों, लसों, पैरों, एड़ियों ; धूटनों व कुहनियो भावि से प्रहार
 करके अंग-अंग का कज्जर निकाल दिया जाता है और घायल कर दिया जाता है ।
 (अट्टारसकम्मकारणा) अठारह प्रकार के चोर और चोरी के कारणों को लेकर
 (जाइयंगमंगा) उनके अंग-अंग पीड़ित कर दिये जाते हैं । वहाँ उन (कलुणा) करुणा
 के पात्र-व्यनीय अपराधियों के (सुक्कोट्टकंठगलकतालुजीहा) ओठ, कंठ, गला, तालु
 और जीभ सूख जाते हैं, (विगयजीवियासा) उन्हें जीने की आशा नहीं रहती
 (तण्हादिया) प्यास के मारे बेबन (बरागा) बेचारे बे (पानीयं जायंता) पानी मांगते
 हैं, (तं पि य ण लभंति) पर, उसे भी वे नहीं पाते । (य) और (तत्थ) वहाँ—कंदलाने
 में (वज्जपुरिसेहि) वध के लिए नियुक्त पुरुषों—जल्लादों द्वारा (धाडियता) वध्यस्थान
 पर उन्हें धकेल कर या घसीट कर ले जाया जाता है । उस समय (छरफरस-
 पडह-धट्टित-कूडग्गह- गाड-रुट्ठ- निसट्ठ- परामट्ठा) अत्यन्त कंकश डोल बजाते
 हुए राजपुरुषों द्वारा धकेले जाते हुए, एवं अत्यन्त रोष से भरे हुए राज-
 पुरुषों—बांडालों द्वारा फाँसी के लिए दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए होने से अत्यन्त
 अपमानित वे (वज्जकरकडिच्चुयनियत्था) मृत्युदंड के समय पहिनाए जाने
 वाले विशेष कपड़े के जोड़े को पहने हुए, तथा (सुरत्तकणवीर-गहिय-विमुकुल-
 कंठगुण-वज्जवूतआविद्धमत्तवामा) खिले हुए लाल कनेर के फूलों से गुंधी हुई
 वध्यवूत-सी माला वध्य के गले में डाली जाती है, जो उस की मृत्यु की
 सजा को स्पष्ट सूचित करती है, (मरणभयुप्पणसेद—आयत्तणेहुत्सुपियकिलिन्नगत्ता)
 मृत्यु के भय से उन्हें पसीना छूट जाता है, उस पसीने की शरीर पर फंली हुई
 चिकनाई से उनका सारा शरीर चिकना हो जाता है और भोग जाता है । (चुण्ण-
 गुडियसरीररपरेशुभरियकेसा) कोयले आदि के चूरे से उनके शरीर पर लेपन किया जाता
 है और हवा से उड़ कर लगी हुए धूल से उनके केश अत्यन्त रूखे और धूल भरे हो जाते
 हैं । साथ ही उनके (कुसुम्भगोकिस्समुद्व्या) सिर के बाल लाल कुसुम्भे के रंग से रंजित
 कर दिये जाते हैं, (छिन्नजीवियासा) उनकी जीने की आशा लीन हो जाती है । (धुसंता)
 भय से बिह्वल होने के कारण डगमगाते हुए, (वज्जपायाण भीया) वध करने वालों—
 जल्लादों से हरदम भयभीत रहते हैं अथवा (वज्जपायाणीया) मार डाले जायेंगे,
 इस भय से प्राणों के प्रति अत्यन्त आसक्त हैं, (तिल तिल वेव छिज्जमाणा) तिल-

तिल करके उनके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं, (सरीरविकसलोहिषोवसिता) उन्हीं के शरीर से काटे हुए और खून से लिपटे हुए (कागणिसंसाधि) छोटे-छोटे भाँस के टुकड़ों को (खावियंता) उन्हें खिलाया जाता है। फिर (पाबा), उन पापियों का (खरकरसएहि तालिज्जमाणवेहा) छोटे-छोटे पत्थरों से भरे हुए बमड़े के संकड़ों ब्रौलों से अथवा फटे हुए संकड़ों बाँसों से उनका शरीर पीटा जाता है। देखने के लिए जासुर (बालिकनरनारिसपरिबुडा) पागलों के समान नरनाटियों की अनियंत्रित भीड़ से घिरे हुए (य) और (नागरजणेण) नागरिक लोगों द्वारा (पेण्ठिजंता) देखे जाते हुए बे-खोर (वज्जनेपत्थिया) मृत्युवण्ड पाये हुए बध्य कंबी की पोशाक पहने (नयर-मज्जेण) शहर के बीचोंबीच होकर (पणेज्जंति) ले जाये जाते हैं। उस समय वे (किवणकलुणा) वीनहीन-अत्यन्त दयनीय, (असाणा) रक्षाहीन, (असरणा) शरभरहित, (अनाहा) अनाथ, (अबंधवा) बन्धुहीन, (बंधुविप्पहीणा) अपने भाईबन्धुओं से बिल्कुल त्यक्त-व्यागे हुए (दिसोविसं विपिक्खंता) सहारे के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ताकते हुए वे, (मरणभयुज्जिग्गा) मृत्यु के भय से अत्यन्त व्याकुल होते हैं। (आघायणपडिबुवारसंपाविया) वध्यभूमि—शूली या फाँसी बिये जाने के द्वार—स्थान पर लाये जाकर वे (अधप्पा) अभागे मनुष्य (सुलग्गविलग्गभिन्नवेहा) शूली की नोक पर रखे जाते हैं, जिससे उनका शरीर खिर जाता है, (य) और (तत्थ) वहीं—वध्य-भूमि में ही (ते परिकप्पियंगमगा कीरंति) उनके अंग-प्रत्यंग काट कर टुकड़े-टुकड़े कर बिये जाते हैं।

(केई) उनमें से कई (कलुणाइं विलवमाणा) कष्टन बिलाप करते हुए मनुष्य (कखसालामु) वृक्ष की शाखाओं पर (उल्लंभिज्जंति) लटका बिये जाते हैं; (अबरे) दूसरे, (चउरंगघणियबद्धा) दोनों हाथों और दोनों पैरों को कस कर बाँधे जाते हैं, (पव्वयकडगा) पर्वत की चोटी से (पमुच्चंते) नीचे गिरा बिये जाते हैं; जहाँ वे (बुरपात बहुविसमपत्थरसहा) बहुत ऊँचे से गिराये जाने के कारण बहुत ही ऊबड़खाबड़ पत्थरों की चोट सहते हैं, (य) और (अन्ने) अन्य कुछ लोग (गय-चलणमलणनिम्मविवया कीरन्ति) हाथी के पैर तले कुचल डाले जाते हैं। (य) तथा (पापकारी वे पाप कर्म करने वाले खोर (मुंडपरसूहि) कुंडित-भोंपरे कुल्हाड़ों से (अट्ठारसखंडिया) अठारह स्थानों से खंडित (कीरन्ति) किये जाते हैं। (केई) कई खोर ऐसे भी होते हैं, (उक्कत्तकप्पोट्टुनासा) जिनके कान, मोठ और नाक काट लिये जाते हैं, तथा (उप्पाडियनयणवसणवसणा) जिनके नेत्र, दाँत और अंडकोश उखाड़ लिये जाते हैं, एवं (जिम्भंविद्यच्छिया छिन्नकससिरा) जिनकी जीभ खींच कर निकाल

ली जाती है तथा कान और शिराएँ—नसें काट ली जाती हैं, फिर उन्हें (पण्डितों) बध्यभूमि में ले जाया जाता है (य) और वहाँ (छिञ्जते असिना) तलवार से काट दिया जाता है, (छिन्नहृत्पयाया) हाथ—पैर, कटे हुए उन खोरों को (निब्वसया) देशनिकासी दे कर, देशनिर्वासित करके (पमुच्छन्ते) राजपुत्रों द्वारा छोड़ दिया जाता है। (य) और (केई) कई तो (आवञ्जीवबध्ना) उभ्रभर की कंठ में (कीरति) रखे जाते हैं। (केइ) कितने ही (परबवहरणलुद्धा) दूसरो के धन को हरण करने में लुब्ध—आसक्त मनुष्यों को (कारगलनियलजुयलद्धा) कारावास में अर्गला लगा कर दोनों पैरों में बेड़ियाँ डाल कर बन्ध कर दिया जाता है, (चारगाए) वहाँ कारागार में ही (ह्यसारा) उनका सारा धन छीन लिया जाता है। इस तरह वे (सयणविष्यमुक्का) अपने सगे-सम्बन्धियों द्वारा छोड़ बिये जाते हैं, (मित्तजननिरिक्खया) मित्र लोग उन्हें नहीं रखते, अथवा (तिरक्कया) मित्रजन उनका तिरस्कार करते हैं, इससे वे (निरासा) निरास हो जाते हैं, (बहुजणधक्कारसद्वलज्जायिता) अनेक लोगों द्वारा—'धक्कार हैं तुम्हें' इस प्रकार कहे जाने से लज्जित होते हैं अथवा अपने परिवार को लज्जित करते हैं, ऐसे उन (अलज्जा) निलज्ज मनुष्यों को (अणु-बद्धलुहा) निरन्तर झूठ लगी रहती है। तथा वे (पारद्धा) अभिभूत या अपराधी (सीउहत्तण्वेयणादुग्घट्ट-घट्टिया) सर्दी, गर्मी और प्यास की असह्य वेदना से कराहते रहते हैं (विबन्नमुल्लविच्छविया) उनका चेहरा फीका और कान्तिहीन रहता है (विहलमइलदुब्बला) वे हमेशा असफल, मलिन और दुर्बल रहते हैं, (किलन्ता) ग्लानि से युक्त—मुर्झाए हुए रहते हैं, (कासन्ता) कई खांसते रहने हैं, (य) तथा (वाहिया) अनेक रोगों से घिरे रहते हैं, अथवा (आम्माभिभूयत्ता) भोजन भलीभाँति हजम न होने के कारण अपक्वरस से उनका शरीर पीड़ित रहता है। (पक्कहनक्केस-मंजु-रोमा) उनके नख, केश, और दाढ़ी-मूँछों के बाल और रोम बढ़ जाते हैं, वे (तत्थेव) वहाँ कंठस्थान में (णियगंमि छग-मुत्तंमि) अपने टट्टी-पेशाब में ही लिपटे हुए रहते हैं।

मूसार्थ—पहले कहे अनुसार दूसरो के धन को हरण करने की फिराक में लगे हुए बहुत-से लोग पुलिस आदि द्वारा रंगे हाथो या बाद में पकड़ लिए जाते हैं, फिर उन्हें पीटा जाता है, रस्सी से बांधा जाता है, और जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात् शीघ्र ही उन्हें सरेआम धूमाया जाता है और बड़े शहर में चोर पकड़ने वाले

चौकीदारो, जेल के अधिकारियों या मीठी-मीठी बातें बना कर भेद निकालने वालों को सौंप दिया जाता है। उनके द्वारा उन चोरों को कपड़े के कोड़ों से पीटा जाता है, सिपाही उन्हें तीखे व कठोर वचनों से डांटते फटकारते हैं, उनकी गर्दन पकड़ कर धक्का देते हैं, इससे वे खिन्नचित्त होते हैं, फिर उन्हें नरकावास के समान जेल को कालकोठरी में जबर्दस्ती घुसा कर बंद कर दिया जाता है। वहाँ भी जेल के अधिकारियों द्वारा मार, फिड़कियों व कट्टुबचनों की बौछार होती है, जिससे वे दुःखित होते हैं। वहाँ कभी कपड़े छीन कर वे वस्त्ररहित कर दिये जाते हैं, कभी उन्हें मैले कुचैले-फटे और चौथड़े जैसे वस्त्र पहिने को दिए जाते हैं। जेल के निर्दयी कर्मचारी अधिकारी बार-बार उन कैदियों से अनेक प्रकार की रिश्वतें मांगने में तत्पर रहते हैं। जेल के सिपाहियों द्वारा वे अनेक प्रकार के बन्धनों से जकड़ दिये जाते हैं। वे बन्धन कौन-कौन-से हैं? काठ की बेड़ी, लोह की बेड़ी, बालों की बनी हुई रस्सी, जिसके किनारे पर रस्सी बंधी रहती है, ऐसा एक काठ, चमड़े का मोटा रस्सा, लोह की सांकल, हथकड़ी, चमड़े का पट्टा, पैर बांधने की रस्सी तथा निष्कोटन नामक एक विशेष बंधन, इन और ऐसे ही अन्य दुःख पैदा करने वाले कैदखाने के खास विविध उपकरणों से उन अभागों के शरीर को सिकोड़ कर और मोड़ कर बांधा जाता है। वे लकड़ी के एक प्रकार के यंत्र से दबाये जाते हैं, किवाड़ वाली कोठरी में बंद किए जाते हैं, लोह के पीजरे में डाल दिए जाते हैं, भूमिगृह में बंद किए जाते हैं, कभी कुंए में उतार दिए जाते हैं, कभी जेल के सीखचो में बंद किए जाते हैं, कभी बँलों के कंधों पर रखा जाने वाला जूवा उनके कंधों पर रखा जाता है, कीलें ठोकी जाती हैं, कभी गाड़ी का पहिया उनके गले में डाला जाता है, कभी उनके पैर, बाहें और सिर धंभे के साथ कस कर बांध दिए जाते हैं, कभी पैरों को ऊपर करके बांध कर लटका दिए जाते हैं, इस प्रकार अधर्मी, निर्दय जेल के कर्मचारियों द्वारा उनको यातनाएँ दी जाती हैं। फिर गर्दन नीचे झुका कर उनकी छाती और सिर को कस कर बांधा जाता है, जिससे उनकी सांस ऊपर जाते समय रुक जाती है या उनकी आँतें ऊपर को आ जाती हैं, डर के मारे उनका हृदय घड़कने लगता है, फिर उनको मोड़ा और उलटा किया जाता है और बांधा जाता है, जिससे वे दुःखभरे निःश्वास छोड़ते हैं। उनके सिर को चमड़े की रस्सी से कसकर

बांध दिया जाता है, दोनों जांघों को चीरा या मोडा जाता है, काठ के एक खास यंत्र से उनके घुटने, कलाई आदि जोड़ो को बांधा जाता है, तपी हुई लोहे की सलाई और सुई शरीर में चुभोई जाती है। वसूले से काठ की तरह उनके शरीर कां छीला जाता है। ऐसी अनेक पीड़ाएँ उन्हें दी जाती है। शरीर पर हुए घावों पर नमक आदि खारे, मिर्च आदि तीखे, नीम आदि कड़ुवे पदार्थ छिड़के जाते हैं। इस तरह की यातनाओं के सँकड़ो निमित्तों को लेकर वे पीड़ा पाते हैं। कभी-कभी आदेश पाते ही काम करने वाले जेल के क्रूर नौकरों द्वारा उनकी छाती पर बड़े वजनदार काठ को रख कर जोर से दबाया जाता है, जिससे उनकी हड्डियाँ और पसलिया टूट जाती है। मछली को पकड़ने के तीखे नोकदार काटे के समान काले लोहे का डंडा उनकी छाती, पेट, गुदा और पीठ में भोंक दिया जाता है, इस प्रकार उन्हें पीड़ित करके उनका हृदय मथ दिया जाता है और उनके अंग-अंग चूर-चूर कर कर दिये जाते हैं। कितने ही चोर, जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, फिर भी वैरभाव रखने वाले यमदूतों के समान क्रूर सिपाहियों द्वारा वे पीटे जाते हैं और जेलखाने में उन अभागों के अंगोपांगों पर थप्पड़ो, मुक्कों, धूसो, चमडे के पट्टो, लोहे के कुश, पतले चाबुक, चमडे के चाबुक, लात और चमडे की बडी रस्सी एवं बेटों के सँकड़ो प्रहारों से चोट पहुँचाई जाती है। शरीर पर लटकती हुई चमड़ी पर हुए घावों की असह्य वेदना के कारण उन्हें चोरी से अब नफरत हो चुकी है। फिर भी पुलिस के सिपाहियों द्वारा हथौडों से कूट कर तैयार की गई दो बेडियों से उनके अंग सिकोड़े और मोड़े जाते हैं, जेल की कोठरी में उन्हें स्वतन्त्रता से मलमूत्र भी नहीं करने दिया जाता, न बोलने दिया जाता है, और न उधर-उधर घूमने की छूट दी जाती है। इन तथा इसी प्रकार की अन्य वेदनाओं को वे पापी भोगते हैं, जो इन्द्रियों को बश में नहीं रखते, इन्द्रियों के गुलाम होने से पीड़ित हैं, जो अत्यन्त मोह से मूढ़ बने हुए हैं, पराये धन में लुब्ध हैं, जो स्पर्शान्द्रियों के विषय में अत्यन्त आसक्त हैं, जो स्त्रीसम्बन्धी रूप, शब्द, रस, गन्ध तथा इष्ट रति और वाञ्छित भोग (सहवाम) की तृष्णा से आतुर हैं तथा सिर्फ धन देख कर ही संतुष्ट होने वाले वे लोग राजपुरुषों—सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। फिर भी पापकर्म के बुरे नतीजे को नहीं समझने वाले वे

मनुष्यगण पुनः उन सरकारी नौकरों के हवाले किये जाते हैं, जो वध-(भारने-पीटने के) शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाले हैं, अन्याययुक्त दुष्ट कर्म करने वाले हैं, सैकड़ों रिश्वतें लेने के आदी हैं, जो भूठा तौलने-नापने, वेश और भाषा को बदलने, भूठ-फरेब करने, धोखा देने, धूर्तता करने, अपने मायाजाल को छिपाने के लिए और माया करने, ठगी करने या गुप्तचर सम्बन्धी चालाकी में अत्यन्त प्रवीण होते हैं, वे अनेक प्रकार के सैकड़ों भूठ बोलने वाले, परलोक की परवाह न करने वाले तथा नरकगति के मेहमान बनने वाले हैं। जिन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई गई है, वे चोर उन्हीं राजकर्मचारियों द्वारा शीघ्र ही नगर में सिंघाड़े के आकार वाले त्रिकोण स्थान में, जहां तीन गलियाँ या बाजार मिलते हैं वहाँ, अथवा जहा चार गलियाँ या बाजार मिलते हैं, वहाँ (चौक में), चारों ओर दरवाजे वाले चौमुखे देवमन्दिर आदि पर या राज-मार्ग (चौड़ी आम सड़क) पर या साधारण रास्ते पर सरेआम जाहिर में ला कर खड़े किए जाते हैं। और बेंतों, डंडों, लाठियों, लकड़ी, ढेले, पत्थरो, सिर तक लम्बे लट्ठो, घोड़े आदि को पीटने की पैनियो, मुक्को, लातो, पैंरो, एड़ियों, घुटनो और कुहनियो के प्रहार से उनका शरीर जर्जरित और घायल कर दिया जाता है। अठारह प्रकार के चौर्य कर्म यानी चोरी करने के कारणों से उनके अंग-अंग को अत्यन्त यातनाएं दी जाती हैं। उन दयनीय अपराधियों के ओठ, गला, तालु और जीभ सूख जाते हैं, उन्हें जीने की आशा नहीं रहती, प्यास के मारे सताये हुए वे ब्रेचारे उन सिपाहियों से पानी मांगते हैं। लेकिन पानी नहीं पाते। बल्कि वध (उनको मृत्युदंड देने) के लिए नियुक्त किए गये पुरुष उन्हें धकेल देते हैं। अत्यन्त कर्कश ढोल बजाते हुए चलने के लिए उन्हें पीछे से धकेला जाता है। मृत्युदंड देने के पहले अत्यन्त क्रोध से आग-बबूला हुए जल्लादो (राजपुरुषो) द्वारा मजबूती से वे पकड़े जाते हैं। वध्य से सम्बन्धित खास वस्त्र का जोड़ा पहने हुए, लाल कनेर के खिले फूलों से गुंथी हुई बध्यदूत की तरह वध्य व्यक्ति को सूचित करने वाली फूलमाला को वे गले में पहने होते हैं। उनके शरीर मौत के डर से पैदा हुए अधिक पसीने की चिकनाई से चिकने हो जाते हैं, पीसे हुए कोयले वगैरह के काले रंग से उनके शरीर पोत दिये जाते हैं, हवा से उड़-उड़ कर आई हुई धूल से उनके बाल भर जाते हैं। उनके सिर के बाल कुसुम्मे के लाल रंग से लाल कर दिये जाते हैं, अब उन्हें अपने जीने की कोई आशा नहीं रहती, भय से बिह्वल हो कर वे

कांपने लगते हैं, वध करने वाले जल्लादों को देख कर डरते हैं । फिर तिल-तिल करके उनका शरीर छेदा जाता है, उन्हीं के शरीर से काटे हुए और खून से लथपथ छोटे-छोटे मास के टुकड़े उन्हें खिलाये जाते हैं । छोटे-छोटे पत्थरों से भरे चमड़े के सँकड़ो थैलो से उन्हें मारा जाता है । पागलों की तरह मनुष्यों की अनियंत्रित भीड़ से वे घिर जाते हैं, नागरिक लोग उन्हें देखने लिए इकट्ठे हो जाते हैं । फिर वध्य (मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति) की पोशाक पहने हुए नगर के बीचो-बीच हो कर उन्हें ले जाया जाता है । उस समय वे बेचारे दीनो से भी दीन, रक्षाहीन, अशरण, अनाथ, बन्धुहीन और सगे-सम्बन्धियों द्वारा त्यक्त होते हैं । एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ताकते हुए, मृत्यु के भय से घबराए हुए वे अभागे कैदो वध्यभूमि के दरवाजे पर लाये जाते हैं और शूली की नोक पर उन्हें रखा जाता है, जिससे उनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है, और वही वध्यभूमि में उनके अंग-अंग के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं । उनमें से कई करुणाजनक विलाप करते हैं, उन्हें वृक्षों की शाखाओं पर लटका दिया जाता है । कुछ को दोनों हाथ-पैर बांध कर पर्वत की चोटी से नीचे लुडका दिया जाता है । ऊँचाई से गिरने के कारण वे ऊबड़-खाबड़ पत्थरों की चोट सहते हैं । पापकर्म करने वाले उन चोरों को भोथरे कुल्हाड़े द्वारा अठारह जगह से खण्डित किया जाता है । कई चोरों के कान, ओठ और नाक काट लिए जाते हैं, आँखें निकाल ली जाती हैं, दाँत उखाड़ लिए जाते हैं और अंडकोश काट दिये जाते हैं, जीभ खींच कर बाहर निकाल ली जाती है, कान और शिराएँ काट ली जाती हैं और बाद में वे वध्यभूमि में ले जाये जाते हैं । सरकारी नौकरो द्वारा कितने ही चोर तलवार से काट दिए जाते हैं, कई लोगों के हाथ-पैर काट लिए जाते हैं और उन्हें देश से निर्वासित कर सीमा के बाहर छोड़ दिया जाता है । कई जिदगी-भर कैद खाने में बंद कर दिए जाते हैं । पराए घन के लोभी कई चोरों को कैद-खाने की अर्गला और दोनों बेड़ियाँ डाल कर रखा जाता है । कैदखाने में उनके पास का सर्वस्व घन छीन लिया जाता है । वे उनके कुटुम्बियों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, मित्रों से तिरस्कार पाते हैं, निराश हो जाते हैं । बहुत से लोगों द्वारा धिक्कारे जा कर वे लज्जित किए जाते हैं, अथवा वे अपने परिवार को लजाते हैं, निर्लज्ज हो जाते हैं । वे निरन्तर भूख से पीड़ित रहते हैं । वे पापी सर्वांगी और प्यास की असह्य वेदना से व्याकुल रहते हैं । उनके चेहरे मलिन

और निस्तेज (कान्तिहीन) रहते हैं। वे असफल, मलिन और दुर्बल हो जाते हैं, झुर्झाए हुए से रहते हैं। कई खासी से पीड़ित या कई रोगों से घिरे रहते हैं, कई लोगों के शरीर आंव आदि अपक्वरस से पीड़ित रहते हैं। उनके नख, केश, दाढ़ी-मूछों के बाल बढ जाते हैं, वे बंदीगृह में अपने ही मलमूत्र में लिपटे रहते हैं।

व्याख्या

पूर्वसूत्र में शास्त्रकार ने अदत्तादान (चोरी) करने वाले विविध कोटि के मनुष्यों का स्वरूप बताया है तथा उनके द्वारा अजमाये जाने वाले तरीकों और उनमें पैदा होने वाले खतरों का वर्णन किया है, साथ ही चोरों की मनोवृत्ति और साहसिकता का वर्णन करते हुए उनके जीवन में सदा साथ लगी रहने वाली अशान्ति और बेचैनी का भी उल्लेख किया है। अब इस सूत्रपाठ के द्वारा पांचवे फलद्वार के रूप में चोरी से होने वाले बुने नतीजों का, खासतौर से मनुष्यलोक में होने वाली उनकी दु स्थिति का सजीव वर्णन किया है। मूलार्थ द्वारा सारा ही वर्णन स्पष्ट है, फिर भी कुछ मुद्दों पर विवेचन करना आवश्यक समझ कर नीचे संक्षेप में यथावश्यक स्थलों का स्पष्टकरण कर रहे हैं—

‘परस्स वच्चं गवेसमाणा गहिया य हया य बद्धवद्धा य’—दूसरे के द्रव्य की तलाश में घूमने वाले जब रगे हाथों पकड़े जाते हैं, तब पुलिस वाले तो उनकी खूब मरम्मत करते ही हैं जनता भी जूतों, डडों, नाटियों और मुक्कों से ऐसे लोगों की अच्छी तरह पूजा करती है। उनके पैरों में और हाथों में हथकड़ियाँ बेडिया डाल कर उन्हें जेल के सीकचो में बंद कर दिया जाता है। और फिर जेल में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कितना बुरा हाल किया जाता है, इसका सजीव वर्णन शास्त्रकार ने तो किया ही है, हर एक समझदार व्यक्ति भी ऐसे लोगों की जेलों में जो दुर्दशा होती है, उसे देखता—सुनता है। जेल में यातना देने के जितने भी साधन और तरीके हो सकते हैं, उन सबको जेलरों द्वारा भरपेट अजमाया जाता है।

‘तुरियं अतिघाडिया .. . शोम्मियन्नडोहि’—इस लम्बे पाठ में जेल के अधिकारियों को सौंपने और जेल में निवास के दौरान जो-जो यातनाएँ बन्धन, मारपीट, अपमान, तिरस्कार, झिडकियाँ, प्रहार आदि के रूप में दी जाती हैं, उनका स्पष्ट वर्णन किया है। इसमें कोई भी सदेह नहीं कि चोरी करने से प्राप्त होने वाले धन और उससे प्राप्त होने वाले सुख की कल्पना की तुलना में चोर की गिरफ्तारी होने पर उसे मिलने वाली मानसिक और शारीरिक यातनाएँ बहुत ही भयंकर और प्रचुर मात्रा में हैं। मामूली समझदार व्यक्ति भी यह घाटे का सौदा नहीं करेगा।

इसके बजाय वह न्यायनीति से श्रम करके या कोई आजीविका करके अपना जीवन संतोष, शान्ति और सुख के साथ बिताना पसंद करेगा। भला, चोरो की जिदगी भी कोई जिदगी है, जिसमें न तो सुख से वह खा-पी सकता है, न सुख से नींद ले सकता है, न आमोदप्रमोद या मनोरंजन कर सकता है। चोर की जिदगी में न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है; न मानसिक शान्ति है, न धार्मिक जीवन का आनन्द है और न ही आध्यात्मिक जीवन की स्फूर्ति है। वन्य पशु से भी गयाबीता और खतरनाक जीवन है यह! रातदिन पकड़े जाने, दंड मिलने, इज्जत जाने और पीटे जाने की आशका से चोर बेचैन रहता है। मनुष्यजीवन पा कर चोरी का घधा करने वाले अपनी जिदगी को खतरे, भय, आशका और अधर्म में डाल कर निष्फल बना डालते हैं। मनुष्यजीवन की प्राप्ति से वे कोई भी लाभ वर्तमान या भविष्य के लिए नहीं उठा पाते। मनुष्यजीवन जैसा देवदुर्लभ उच्च जीवन मिलने पर भी उसे चोरी जैसे पापकर्म में बिता कर पिछली सारी कमाई का फल धो दिया जाता है, सारा ही 'कातापीजा पुन. कपास' कर दिया जाता है। परलोक में अपने साथ पाप की गठरी के सिवाय चोर और कुछ भी नहीं ले जाता। इस लोक में भी चोरी करने वाले दुष्कर्मी जन किसी अच्छे वातावरण से, अच्छे धार्मिक पुरुषों की संगति से, धर्मपोषक साहित्य के पठन-पाठन से और जीवन के शुद्ध और स्वस्थ चिन्तन से प्रायः दूर ही रहते हैं। परलोक में भी उन्हें पापानुबन्धी पाप के फलस्वरूप वैसा ही खराब वातावरण, बुरी संगति, बुरा खानपान, बुरा ही साहित्य और खराब ही चिन्तन मिलता है। क्योंकि इस लोक में इतनी भयकर सजा पाने के बावजूद भी उनकी लेश्याएँ, उनकी परिणामधाराएँ और उनके चिन्तन की धुरा नहीं बदलती। तब परलोक में भी ये बातें कैसे बदल सकती हैं?

‘बिबिहेहि बंधर्णेहि, किं ते ? हृडिनिगड एवमादीओ वेयणाओ पावा पावेत्ति’—चोरी करने के आदी बने हुए अपराधी को किन-किन भयकर बघनो और यातनाओं में से गुजरना पड़ता है, इसका निरूपण बड़ी कुशलता से शास्त्रकार ने किया है। वे बन्धन और उनसे होने वाली यातनाएँ इस प्रकार हैं—काठ का बना हुआ एक बन्धन विशेष, जिसे हड़ी या हाडी भी कहते हैं, खोडा भी कहते हैं; उसके बीच में जो छेद होते हैं, उनमें कँदी के दोनो पाव फसा कर उसके तात्का सगा दिया जाता है। इस बंधन से कँदी कही भी चल-फिर या उठ-बैठ नहीं सकता। मोहे की बेड़ियाँ पैरो में डाली जाती हैं, जिनके कारण कँदी स्वतंत्रतापूर्वक कहीं जा-आ नहीं सकता। बालों की बनी हुई मजबूत रस्सी से कँदी के हाथ-पैर आदि फस कर बाध दिये जाते हैं। यह रस्सी शरीर में चुभती है, जिससे शरीर पर चिह्न पड़ जाते हैं। 'कुबड' काठ का एक मोटा डबा होता है, जिसके सिरे पर रस्सी का

फंदा लगा रहता है, जिसे कँदी के गले में पहना दिया जाता है। बरत्र' (बरत) चमड़े की मोटी मजबूत रस्सी होती है, जिससे कँदी के सारे शरीर को कस कर बांध दिया जाता है। लोहे की साकल से कँदी के हाथ आदि बांध कर सिपाही उस कँदी को पकड़े रहता है, अथवा कभी-कभी स्तभ आदि के साथ बांध भी देता है। हत्यंदुय यानी 'हस्तान्दुक' कँदी के हाथ को बांधने का लोह का एक यंत्र होता है। 'बर्धपट्ट' चमड़े का वह पट्टा होता है, जिससे अपराधी के भुजा, जांच आदि अवयवों को खूब कस कर बांध दिया जाता है। अथवा उस पट्टे को गीला करके कँदी के मस्तक पर कस कर लपेट दिया जाता है। ज्यों-ज्यों वह पट्टा सूखता जाता है, त्यों-त्यों वह कँदी के मस्तक में घुसता जाता है और इससे उसके मस्तक का मांस बाहर निकल आता है। यह भयंकर दंड उस अपराधी को दिया जाता है, जिसने भयंकर अपराध किया हो। इस महान् दुःख से पीड़ित हो कर वह काल के गाल में चला जाता है। 'दामक' पैरों को बांधने की एक रस्सी होती है। 'निष्कोटन' एक खास किस्म का बधन होता है, जिससे कँदी के हाथपैर मोड़ कर बांधे जाते हैं। ये और इस प्रकार के और भी सैकड़ों बधन के साधन जेलखाने में होते हैं, जो कँदियों के दुःखों को बढ़ाने वाले होते हैं। जेल के अधिकारी अपराधियों को चुन-चुन कर ऐसी सजा देते हैं और उनके अगोपागो को तोड़-मरोड़ डालते हैं।

इतनी ही सजा दे कर वे विराम नहीं लेते, अपितु वे और भी तरह-तरह की यातनाएँ कँदियों को देते हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रकार करते हैं—उन अभाग्य कँदियों के पैर चीड़े करके काठ के एक यंत्र के छेदों में फंसा दिये जाते हैं। कई कँदी लोहे के पीजरो और भूमिगृहों में डाल दिये जाते हैं, अथवा कुएँ में उतार दिये जाते हैं, जेल की कालकोठरी में बंद कर दिये जाते हैं, कील, जूआ या गाड़ी का पहिया उनके गले आदि में बांध दिया जाता है। कितने ही कँदियों के सिर झुका कर उनके हाथों को जाघों के बीच में करके गठड़ी-सा बांध कर लुढ़का देते हैं; कइयों को खम्भे के साथ बांध देते हैं, कुछ कँदियों के पैर ऊपर में बांध कर उन्हें आँधे मुह लटका देते हैं। इन और ऐसी ही विविध यातनाओं से पीड़ित कँदी गर्दन नीची करके मस्तक और छाती को बांध देने के कारण पूरी तरह श्वास भी नहीं ले सकते। उनका श्वास ऊपर ही रुक जाता है। वे हाफने लगते हैं। उनके पेट की आँतें बाहर निकल आती हैं। इतना होने पर भी उन अभाग्य कँदियों को बदीघर के सिपाही चैन नहीं लेने देते। वे कभी तो चमड़े की रस्सी पानी में भिगो कर उनके मस्तक पर पगड़ी की तरह बांध देते हैं; कभी घुटने और कोहनी आदि शरीर के जोड़ों को काठ के यंत्र-विशेष

से बाध देते हैं ; कभी तपी हुई लोहे की सलाइयाँ उनके शरीर पर चुभते हैं, कभी गर्मानर्मक सूइयाँ उनके अंगों में भोकते हैं ; कभी बसूलों से काठ के समान उनके शरीर की चमड़ी छीलते हैं , कभी उनके घावों पर नमक आदि खारे पदार्थ छिड़कते हैं, सालमिचं आदि तीखे पदार्थ उनके गुप्त-अंगों में डालते हैं, कभी नीम आदि कड़वे पदार्थ उन्हें खिलाते हैं । कई कैदियों की छाती पर बड़ा भारी काठ रख कर उसे बहुत जोर से दबाते हैं , जिससे उनकी हड्डी-पसली सब चूर-चूर हो जाती है । कभी मछली को पकड़ने के लोहे के काटे के समान नोकदार लोहे के काले डंडे को छाती, पेट, गुदा और पीठ में ठोक कर भयकर त्रास पहुँचाते हैं । इस प्रकार जेल के आज्ञापालक सेवक अपने अधिकारियों का हुकम पाते ही विविध प्रकार की यातनाएँ दे कर कैदियों के अंग-प्रत्यंगों को अत्यन्त जर्जरित कर देते हैं । इससे उनके हृदय को बड़ा आघात पहुँचता है ।

जेल के कई सिपाही तो इतने क्रूर और अकारणद्वेषी होते हैं कि किमी कैदी का इतना भयकर अपराध न हो, तो भी यमदूतों के समान अत्यन्त क्रूर बन कर वे उन अभाग्य कैदियों के मुँह थप्पड़ों के मारे लाल कर देते हैं, लोहे के कुश से उनके शरीर की हड्डियाँ तोड़ डालते हैं, घोड़ आदि को पीटने के चाबुको से मार-मार कर उनकी पीठ सूजा देते हैं, जिससे उनके शरीर से खून टपकने लगता है, कभी लातों और घूसों की चोट से मर्मस्थानों को व्यथित कर देते हैं, कभी चमड़े की मोटी रस्सी से सारे शरीर को बाध कर उन्हें नीचे लुढ़का देते हैं और ऊपर से बेंते मार कर अघमरे कर देते हैं । उनके शरीर पर इतने घाव हो जाते हैं कि उनकी चमड़ी लटकने लगती है, उससे से खून बहने लगता है । इतनी असह्य वेदना होती है, जो शब्दों से नहीं कही जा सकती । लोहे के बड़े-बड़े हथौड़ों से कूट कर बनाई हुई भजबूत बेड़ियों और हथकड़ियों से उनके हाथ-पैर जकड़ दिये जाते हैं । बेड़ियों के कारण वे इधर-उधर चल नहीं सकते । यातनाएँ देने पर मुँह से बोल भी नहीं सकते । बोलने पर और ज्यादा मार पड़ती है । इस प्रकार जेल के कर्मचारियों द्वारा पगाये धन पर हाथ साफ करने वाले पापी चोर नाना प्रकार की असह्य यातनाएँ पाते हैं ।

‘अर्द्धतिदिया .. धनतोसगा गहिया थ जे नरगणा’—प्रश्न यह होता है कि जेल में कितनी भयकर यातनाएँ चोरों को दी जाती हैं, चोर स्वयं भी जानते हैं, फिर भी वे बार-बार चोरी के इस निन्दनीय मार्ग को क्यों अपनाते हैं ? अपनी असूय जिदगी को जानबूझ कर ऐसी आफत में क्यों डालते हैं ? वे ईमानदारी और स्वपरिश्रम से अर्थप्राप्ति का निरापद रास्ता क्यों नहीं अपनाते ? इसी बात का उत्तर शास्त्रकार ‘अर्द्धतिदिया’ आदि पदों से देते हैं । वस्तुतः शास्त्रकार

मनुष्य के मन की तह तक पहुँच गए हैं। उनका यह स्पष्ट मनोविश्लेषण है कि जो व्यक्ति इन्द्रियों को जरा भी बश में नहीं कर सकते; चटपटी और मसालेदार चीजें तथा विविध मिठाइयाँ एवं मांस अडे आदि तामसी पदार्थों के खाने के शौकीन हैं, शराब, गाजा, भाग, अफीम आदि नशीली चीजों के पीने के आदी हैं, बड़िया भड़कीले कपडे पहनने के लिए लालायित रहते हैं, हाथ-पैर हिलाना नहीं चाहते; आलसी बन कर बैठे-बैठे खाना चाहते हैं, नाटक, सिनेमा, खेलतमाशे, रडियों के नाच-गान आदि देखने—सुनने में मस्त रहते हैं या स्पर्शोन्मिय के बशीभूत होकर पराई स्त्रियो को ताकते फिरते हैं, जिन्हे उनके रूप, सौन्दर्य, हावभाव, वाणी, अगबिन्यास आदि देखने-सुनने का व्यसन लगा है, अपने शरीर को मोहवश बारबार सजाते हैं, तेलफूलेल लगाते हैं, साबुन से रगड़-रगड़ कर धोते हैं, नई-नई सुन्दरियो के साथ सहवास करने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे अवसर अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय अजमाते हैं; मुफ्त का धन कहीं से मिल जाय, इसी फिराक में रात-दिन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियो को अपनी उपर्युक्त वासनाएँ, कामनाएँ और लालसाएँ पूरी करने के लिए धन जुटाना तो अवश्यम्भावी है। वे इन सब इन्द्रियविषयो की पूति के लिए बिना मेहनत किये धन कहाँ से पायेंगे ? अत अन्तत वे चोरी का ही रास्ता अपनाते हैं। वे चोरी के इन बुरे नतीजों को बखूबी जानते हैं। लेकिन इन सब बुरी आदतों के शिकार जो बन गये हैं, इन सब बुरे व्यसनो का चस्का जो लग गया है। इसलिए वे जानते-बूझते हुए भी चोरी के खतरनाक मार्ग को अपनाते हैं। चोरी से प्राप्त धन के द्वारा अपनी इन सब बुरी आदतों को पालते-पोसते हुए वे रगे हाथो पुलिस द्वारा कभी न कभी पकड़ लिये जाते हैं और पूर्वोक्त यातनाजो के भागी बनते हैं।

पुणरवि ते कम्मबुविद्यद्धा—इसीलिए शास्त्रकार ने इस पक्ति में स्पष्ट कर दिया है कि इतनी यातनाएँ सह लेने के पश्चात् भी कई लोग चोरी को नहीं छोडते और मोह एव अज्ञान से मूढ बन कर अपने दुर्व्यसनो को पालने-पोसने के लिए ; फिर चोरी करते हैं, और फिर पकडे जाते हैं। ससार में बहुधा अभाव के कारण चोरियाँ हुआ करती हैं। चोरी का जन्म भी सच पूछा जाय तो अभाव के कारण हुआ है। यह बात दूसरी है कि आगे चल कर मनुष्य या तो अपनी लालसाओं और आदतों का शिकार बन कर चोरी करने लगे; या मुफ्त में धन पाने का चस्का लग जाने के कारण पेशेवर चोर बन जाए।

कई पेशेवर चोर नहीं होते, वे अपने स्त्री और बालबच्चों को भूख से बिलबले देख कर त्रस्त हो जाते हैं, किन्तु उदरपूति के लिए अन्य कोई रोजगार धधा नहीं मिलता है, तो चोरी का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे लोग सरकार के द्वारा दी जाने वाली सजा से घबरा कर पुनः इस दुष्कर्म को नहीं करते। लेकिन जिनको पूर्वोक्त महेश्छाएँ पूरी करने का भूत

सवार हो जाता है; वे चोरी किये बिना नहीं रहते। मध्ययुग से समाज-व्यवस्था में कुछ ऐसी सामाजिक खर्चीली कुरूपियाँ घुस गई हैं कि प्रामाणिकता या ईमानदारी से पैसा कमाने वाले मनुष्य के लिए जिन्हें निभाना बहुत ही कठिन होता है। इस फिजूल खर्ची की पूर्ति के लिए मनुष्य चारों तरफ हाथ-पैर मारता है। जब किसी तरह से पूर्ति होती नहीं देखता तो वह चोरी आदि अनैतिक उपायों का सहारा लेता है। चोरी में प्रवृत्त होने वाले इन तीन कोटि के व्यक्तियों के अलावा चौथे पेशेवर चोर होने हैं, जो चोरी करने में सिद्धहस्त होते हैं; पकड़े जाने पर भी अधिकारियों को रिश्वत देकर छूट जाते हैं। फिर भी सौ सुनार की तो एक लुहार की' इस कहावत के अनुसार कभी न कभी वे रंगे हाथों पकड़े ही जाते हैं और उन्हें इन भयकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मगर वे बराबर सजा पाने पर भी इतने डीठ हो जाते हैं कि फिर चोरी के निन्द्यकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इतना जरूर है कि उनके लिए चोरी बहुत ही महंगी और कष्टसाध्य साबित होती है। वे इतना समय और इतनी शक्ति यदि ईमानदारी से कमाने में लगाते तो उनका जीवन सुखी और शान्तिमय होता। पर जिसको एक बार चोरी की चाट लग गई, मुफ्त में धन पाने की धुन सवार हो गई, वह इन सजाओं की कोई परवाह नहीं करता। जैसे पतंगा रोशनी देखते ही उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही ऐसे धनलोलुप लोग सम्पत्ति को देखते ही उसे हड़पने के लिए टूट पड़ते हैं, अपनी जान तक को न्योछावर कर देते हैं।

‘उबणीया रायकिकराण · नियंगमि खुत्ता’—ऐसे पंशेवर या डीठ चोरो को बेष बदलने, छलकपट और झूठफरेब करने एव हज़ारों झूठ बोल कर मीठी-मीठी बातों से चोरो के मन की बात निकलवाने में प्रवीण वधशास्त्रज्ञ राजपुरुषो (सिपाहियों) के हवाले किया जाता है। वे उन भयकर चोरों को न्यायाधीश द्वारा सुनार्ड हूई प्राणदंड की सजा को अमली रूप देते हैं। प्राणदंड देने से पहले उस चोर के साथ कितना निर्वय व्यवहार किया जाता है; तथा कैसी-कैसी भयकर यातनाएँ दी जाती हैं, इसका शास्त्रकार ने विशद वर्णन किया है। यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। वध्यस्थान में ले जाते समय की दशा का वर्णन भी बड़ा रोमांचक है। जिनको प्राणदण्ड दिया जाता है, उनके गले में एक डोल बाँधा जाता है, जो प्रायः उन्हीं से बजवाया जाता है। डोल बजाने या चलने में सुस्ती करने पर वध करने के लिए नियुक्त राजकिकर (जल्लाद) उन्हें जोर से धक्का देते हुए पीछे से धकेलते जाते हैं। वध्य-भूमि पर ले जाते समय गुस्से से अत्यन्त लाल-लाल आँखें किए जल्लाद यमदूत के समान उनकी मुश्कें खूब कस कर बाँधते हैं तथा उन्हें वध्य (मौत की सजा पाने वाले) की खास पोशाक पहनाते हैं, उन्हें लाल कनेर के खिले हुए फूलों की माला पहनाते हैं, जो वध्यदूत के समान वध्य को पहिचानने का एक चिह्न होती है। फिर

कोयला पीस कर या काला रंग उनके हाथ, पैर और मुँह आदि अंगों पर पोता जाता है। उनके सिर के बाल उड़ती हुई धूल से भरे होते हैं। सिर के बाल कुसुम्भे के लाल रंग या सिंदूर से लाल कर दिये जाते हैं। मृत्यु के डर से उनका सारा शरीर चिकने पसीने की धारा से लथपथ हो जाता है। उन्हें अब अपने जीने की आशा बिलकुल नहीं रहती। बधिको (जल्लादों) को देख कर भय के मारे वे कांपने लगते हैं, उनके पैर लडखडाने लगते हैं। उन्हें देखने के लिए चारों ओर से पागलों की तरह नरनारियों की भीड़ उनके चारों ओर जमा हो जाती है। नगरनिवासी भी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस समय प्यास के मारे उनके कंठ, ओठ जीभ और तालु सूख जाते हैं और वे पानी की याचना करते हैं, लेकिन निर्दय सिपाही उन्हें एक घूट भी पानी नहीं देते।

जिस समय उनको वध्यवेष पहना कर नगर के बीचोबीच हो कर ले जाया जाता है, उस समय वे दीनातिदीन, रक्षाहीन, शरणहीन, अनाथ, अबाधव, बन्धुओं द्वारा परित्यक्त और असहाय हो कर चारों दिशाओं में कातर दृष्टि से देखते हैं। मौत के भय से वे अत्यन्त उद्विग्न हो जाते हैं।

मृत्युबंध के विविध रूप—उनमें से कई चोरो के अंग के तिल-तिल के समान छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं। शरीर के एक भाग से काटे हुए वे टुकड़े खून से लिपटे होते हैं, जो उन्हें ही खिलाने जाते हैं।

कई अपराधी चोरो को पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों से भरे हुए चमड़े के थैलो से पीटा जाता है, अथवा फटे हुए बाँसों से मार-मार कर उनका अंग-अंग ढीला कर दिया जाता है।

कई अपराधियों के हाथ-पैर वध्यभूमि में काट लिये जाते हैं और पेड़ की शाखाओं से बांध कर लटका दिये जाते हैं, जहाँ वे अत्यन्त कष्ट विलाप करते हैं। कई अपराधियों के दोनों हाथ और दोनों पैर बांध कर पहाड़ की चोटी पर से उन्हें नीचे लुटका दिया जाता है। बहुत ऊँचे से गिरने तथा ऊबड़-खाबड़ पत्थरों पर गिरने के कारण उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है।

कई पापकर्म करने वाले चोर हाथी के पैरों तले कुचलवा कर मौत के घाट उतार दिये जाते हैं।

कुछ चोरो के अंग-प्रत्यंग भोथरे कुल्हाड़े से धीरे-धीरे काटे जाते हैं; जिससे उन्हें बहुत ही वेदना होती है और उनके प्राण भी जल्दी नहीं निकलते।

कई दुष्ट चोरो के कान, नाक और ओठ काट लिये जाते हैं, आँखें निकाल ली जाती हैं, दात और अंडकोश उखाड़ लिये जाते हैं, उनकी नसें ढीली कर दी जाती हैं, और फिर उन्हें वध्यभूमि में ले जाकर तलवार के घाट उतार दिया जाता है।

कुछ चोरों के हाथ-पैर काट कर उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है ।

कुछ चोरों को जब बध्यस्थल के द्वार पर ले जाया जाता है, तब वे मौत के भय से काँपते रहते हैं । निर्वय जल्लाव उन्हें शूली की तीक्ष्ण नोक पर चढ़ा देता है, जिससे उनका शरीर विदीर्ण हो जाता है ।

कई परधनहरण करने वालों को आजन्म कैंद की सजा दी जाती है; जिससे वे जिदगीभर वहाँ सड़ते रहते हैं । उन्हें कालकोठरी में हथकड़ियाँ—बेडियाँ डाल कर पटक दिया जाता है । उनका सब धन जप्त कर लिया जाता है । वे अपनी स्त्री और अपने बाल बच्चों के वियोग में जिदगीभर झूरते रहते हैं, उनके मित्र, स्वजन आदि उनका तिरस्कार करते हैं, बहुत से लोगो द्वारा वे धिक्कारे जाते हैं, लज्जित किये जाते हैं । वे वहाँ सर्दी, गर्मी की तीव्र वेदना सहते हैं, उनका मुँह पीला पड़ जाता है, चेहरे का तेज खत्म हो जाता है । उनकी सभी आशाएँ धूल में मिल जाती हैं । वहाँ मनचाही वस्तु पाना तो दूर रहा, मुँह पर भी नहीं ला सकते । उनका शरीर अत्यन्त मलिन और दुर्बल हो जाता है । खाँसी के मारे रात-दिन खो-खो करते रहते हैं, रातदिन एक ही अंधेरी कोठरी में रहने के कारण कोढ़ आदि बीमारियाँ उन्हें घेर लेती हैं । उन्हें खाना हजम नहीं होता । उनके केश नख और दाढ़ी-मूछों के बाल बहुत बढ़ जाते हैं । वहाँ वे अपने ही टट्टी-पेशाब से लयपथ रहते हैं । इस प्रकार जीते हुए भी वे मरे के समान जेलखाने में नारकीय जीवन बिताते हैं और वही रिब-रिब कर मर जाते हैं ।

चोर और चौर्य-कर्म की उत्पत्ति के प्रकार—ससार में चोर भी एक प्रकार के नहीं होते । यानी केवल चोरी करने वाले ही चोर नहीं कहलाते, अपितु चोरी के दुष्कर्म में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मदद करने वालों की गणना भी चोरो में की जाती है । वे कुल मिला कर सात हैं । कहा भी है—

‘चौरश्चौरार्यको मंत्री, भेदज्ञः काणकक्रयी ।

अन्नदः स्थानदश्चैव, चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥’

अर्थात्—१—‘चोरी करने वाला, २—चोरी करवाने वाला, ३—चोरी करने की सलाह देने वाला, ४—भेद बताने वाला, ५—चोरी का माल कम कीमत में खरीदने वाला, ६—चोरों को खाने के लिए अन्न देने वाला, और ७—उन्हे छुपने के लिए स्थान देने वाला; ये सातों चोर कहलाते हैं ।’

इसी प्रकार चोरी सरीखे दुष्कर्म के होने में निमित्त कारण १८ हैं । उसके लिए, देखिए, ये प्राचीन श्लोक—

मलनं कुशलं तर्जा, राजभागोऽवलोकनम् ।

अमार्गदर्शनं शय्या पद्मभंगस्तर्ष्वथ च ॥ १ ॥

विधामः पावपत्नमासनं गोपनं तथा ।
 लण्डस्य स्वादनं चैव, तथाऽन्यन् माहुराजिकम् ॥२॥
 पश्चाऽन्युवक - रञ्जुनां प्रदानं ज्ञानपूर्वकम् ।
 एता प्रसूतयो ज्ञेयाः, अष्टावश मनोविधिः ॥ ३ ॥

अर्थात्—(१) असन - आप ढरें नही, मैं आपकी सहायता करूँगा, ऐसे वचनों द्वारा चोर को प्रोत्साहन देना, (२) कुशल—मिलने पर चोरो से कुशल मगल पूछना, (३) तर्जा—चोरो को हाथ आदि से इशारा करना, (४) राजभाग—राजा का देय भाग न देना, (५) अवलोकन—चोरी करते हुए देखकर भी उपेक्षा करना, (६) अमार्गदर्शन—‘चोर किधर गये हैं?’ ऐसा पूछने पर जानते हुए भी दूसरा रास्ता बताना या ठीक न बतलाना; (७) शय्या—चोरो को सोने के लिए शय्या, खाट आदि देना, (८) पदबंध—चोरो के पैरो के निशान (पशु आदि चलाकर) मिटा देना, ताकि पता न लगे, (९) विधाम—अपने घर में चोरो को विश्राम देना, (१०) पावपत्न—चोरो को प्रणाम आदि करके या जाहिर में प्रतिष्ठा देकर उनका सम्मान करना, (११) आसन—‘आइये बैठिये’ इत्यादि कह कर चोरों को आसन देना, (१२) गोपन - चोरो को अपने यहाँ छिपाना, अथवा किसी के पूछने पर दूसरी बातों में लगा कर चोरी पर पर्दा डालना, (१३) लण्डस्वादन—चोरों को प्रेमपूर्वक मिठाइयाँ खिलाना, या आग्रहपूर्वक भोजन कराना, (१४) माहुराजिक—चोरो को ‘महाराज’ !, सरकार !, ठाकुर साहब !, हजूर !, बाबूजी ! इत्यादि आदरसूचक शब्दों में बुलाना अथवा लोगो में उस चोरी की जानकारी हो जाने पर चोरी का माल दूसरे गच्छ में जाकर बेच देना, (१५) पश्चा-प्रदान—बहुत दूर से आने के कारण थके हुए चोरो के लिए पैंर घोने हेतु गर्म पानी व मालिश के हेतु तेल आदि वस्तुएँ देना, (१६) अग्निदान—चोरो को भोजनादि बनाने के लिए अग्नि देना, (१७) उवकदान—पीने के लिए उन्हे ठंडा पानी देना और (१७) रञ्जुप्रदान—चोरी करके लाये हुए पशुओं को बाँधने के लिए रस्सी आदि देना। इन १८ दोषों को बुद्धिमान चोरी की प्रसूतियाँ (उत्पत्ति कारण) समझे। चोरो के साथ जानबूझ कर पूर्वोक्त व्यवहार करने वाले को ये १८ दोष लगते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने संकेत किया है—‘अट्ठारसकम्मकारणा’ यानी चौर्यकर्म के ये १८ कारण हैं।

इन १८ कारणों में से किसी भी कारण का पता लगते ही पुलिस का सिपाही चोरी के अपराध में उसे गिरफ्तार कर सकता है; और पूर्वोक्त प्रकार का कठोर दंड उसे दे सकता है।

चोरी के कटुफल : अन्य गतियों में

पूर्वोक्त मूलपाठ में शास्त्रकार ने चोरी करने वालों को मनुष्यलोक में क्या-क्या दंड मिलता है ? उनकी मानसिक-शारीरिक स्थिति कितनी भयंकर होती है ?

इसका निरूपण किया है। अब आगे अन्य गतियों में चोरी के क्या-क्या फल भोगने पड़ते हैं ? इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तत्थेव मया अकामका, बंधिऊण पादेसु कड्ढिया खाइयाए छूढा, तत्थ य विग-सुणग-सियाल - कोल - मज्जार-वंद (चंड)-संदंसगतुंडपक्खिगण-विबिहमुहसयलविलुत्तगत्ता, केइ किमिणा य कुहियदेहा, अणिट्ठवयणेहि सप्पमाणा-‘सुट्ठु कयं, जं मउत्ति पावो’ तुट्ठेणं जणेण हम्ममाणा, लज्जावणका च होंति सयणस्स वि य दीहकालं मया संता । पुणो परलोगसमावन्ना नरए गच्छंति निरभिरामे अंगारपलित्तककप्प-अच्चत्थसीतवेदण - अस्साउदिन्न-सयतदुक्खसयसमभिद्दुते, ततो वि उवट्टिया समाणा पुणोवि पवज्जति तिरियजोणिं, तहिं पि निरयोवमं अणुहवंति वेयणं ते अणंतकालेण, जति नाम कंहिवि मणुयभावं लभंति णेगेहिं गिरयगतिगमण-तिरियभवसयसहस्सपरियट्ठेहि ।

तत्थ वि य भमंतणारिया नीचकुलसमुप्पणा आरिय-जणेवि लोकबज्झा तिरिक्खभूता य अकुसला कामभोगतिसिया जहिं निबंधंति निरयवत्तणिभवप्पवंचकरणपणोल्लिया पुणो वि संसारावत्तणेमभूले धम्मसुतिविवज्जिया अणज्जा कूरा मिच्छत्त-सुतिपवन्ना य होंति एगंतदंडरुइणो वेढेंता कोसिकाकारकीडोव्व अप्पगं अट्टकम्मतंतुघणबंधणेणं एवं नरग-तिरिय-नर-अमर-गमणपेरंतचक्कवालं जम्मजरामरण-करणगंभीरदुक्खपक्खुभिय-पउरसलिलं, संजोगविओगवीचीचिंतापसंगपसरिय-वहबंधमहल्ल-विपुलकल्लोल - कलुणविलवितलोभकलकलितबोलबहुलं, अव-माणणफेणं, तिब्बखिसणपुलंपुलप्पभूयरोगवेयण-पराभवविणिवात्त-फरुसघरिसणसमावडिय - कठिणकम्म-पत्थरतरंगरंगंतनिच्चमच्चु-

भयतोयपट्टं, कसायपायालकलससंकुलं, भवसयसहस्सजलसंचयं, अरांतं, उब्बेयजणयं, अणोरपारं, मह्भयं, भयकरं, पइभयं, अपरिमियमहिच्छकलुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाण - आसापिवास-पायालकामरतिरागदोसबंधणबहुविहसंकप्प-विपुलदगरयरयंघकारं, मोहमहावत्तभोगभममाण-गुप्पमाणुच्छलंतबहुगब्भवासपच्चोणियत्त-पाणियं, पधावितवसणसमावन्नरुन्नचंडमारुयसमाहयाऽमणुन्नवीची-वाकुलित-भंग(भग्ग) - फुट्टंतनिट्टकल्लोलसंकुलजलं, पमादबहु-चंडदुट्टसावयसमाहयउद्धायमाणग-पूरघोरविद्धंसणत्थबहुलं, अण्णाण-भमंतमच्छपरिहत्थं, अनिहुत्तिदिय-महामगरतुरियचरियखोक्खुभ-माणसंतावनिचयचलंत - चवलचंचल - अत्ताणऽसरणपुव्वकयकम्म-संचयोदिन्नवज्जवेइज्जमाणदुहसयविपाकघुन्नंतजलसमूहं, इड्ढिरस-सायगारवोहार-गहियकम्मपडिबद्ध - सत्तकडिड्ढज्जमाणनिरयतल-हुत्तसन्न-(त्ता)विसन्नबहुलं, अरइ-रइ-भय-विसाय-सोग - मिच्छत्त-सेलसंकडं, अणाइसंताणकम्मबंधणकिलेसचिक्खिलसुदुत्तारं, अमर-नर-तिरिय-निरयगतिगमणकुडिलपरियत्तविपुलवेलं, हिंसालिय-अदत्तादानमेहुणपरिग्गहारंभ - करणकारावणाणुमोदण - अट्टविह् अणिट्टकम्मपिडितगुरुभारक्कंतदुग्गजलोघदूर - निबोलिज्जमाण-उम्म(म्मु)गनिमग्गदुल्लभतलं, सारीरमणोमयाणि दुक्खाणि उप्पियंता सातस्स य परित्तावणमयं उब्बुडुनिब्बुडयं करेता चउरंत-महंतमणवयग्गं, रुद्धं, संसारसागरं अट्ठियं अणालंबणमपतिट्टाणमप्पमेयं चुलसीतिजोणिसहस्सगुविलं अणालोकमंघकारं अरांतकालं, निच्चं उत्तत्थसुण्ण-भवसण्णसंपउत्ता (संसारसागरं) वसंति उब्बिग्ग-(ग्गा)वासवसहिं । जहिं आउयं निबंधंति पावकम्मकारी बंधवजण-सयणमित्तपरिवज्जिया, अणिट्टा भवंति, अणादेज्जदुव्विणीया कुठाणासण-कुसेज्ज - कुभोयणा, असुइणो, कुसंघयण-कुप्पमाण-

कुसंठिया, क्रुवा, बहुकोहमाणमायालोभा, बहुमोहा, धम्मसन्न-
सम्मत्त-परिब्भट्टा, दारिद्दोवद्दवाभिभूया निच्चं परकम्म-
कारिणो, जीवणत्थरहिया, किविणा, परपिडतक्कका, दुक्खलद्धाहारा,
अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा, परस्स पेच्छंता, रिद्धिसक्कार-
भोयणविसेससमुदयविधिं निदंता अप्पकं कयंतं च परिवयंता,
इह य पुरेकडाइं कम्माइं पावगाइं विमणसो सोएण ड्ज्जमाणा,
परिभूया होंति सत्तपरिवज्जिया य छोभा सिप्पकलासमयसत्थ-
परिवज्जिया, जहाजायपसुभूया, अवियत्ता, णिच्चं नीयकम्मोप-
जीविणो, लोयकुच्छणिज्जा मोघमणोरहा, निरासबहुला, आसा-
पासपडिबद्धपाणा, अत्थोपायाणकामसोक्खे य लोयसारे होंति ।
अफलवंतका य सुट्ठु वि य उज्जमंता तद्दिवसुज्जुत्तकम्मकय-
दुक्खसंठवियसित्थिपिडसंचया, पक्खीणदव्वसारा. निच्चं अधुव-
घणघणणकोसपरिभोगविवज्जिया, रहियकामभोगपरिभोगसव्व-
सोक्खा, परसिरिभोगोवभोगनिस्साणमग्गणपरायणा, वरागा
अकामिकाए विणेंति दुक्खं, णेव सुहं णेव निव्वुंति उवलभंति,
अच्चंतविपुलदुक्खसयसंपलित्ता परस्स दव्वेहिं जे अविरया ।

एसो सो अदिण्णादाणस्स फलविवागो इहलोइओ, पार-
लोइओ, अप्पसुहो, बहुदुक्खो, महब्भओ, बहुरयप्पगाढो, दारुणो,
क्ककसो, असाओ वाससहस्सेहिं मुच्चति, न य अवेदयित्ता अत्थि
उ मोक्खोत्ति; एवमाहंसु णायकुलणंदणो महप्पा जिणो उ वीरवर-
नामघेज्जो कहेसी य अदिण्णादाणस्स फलविवागं । एयं तं ततियं
पि अदिण्णादाणं हरदहमरणभयकलुसतासण-परसंतिकभेज्जलोभमूलं
एवं जाव चिरपरिगतमणुगतं दुरंतं ॥ ततियं अधम्मदारं समत्तं
तिबेमि ॥ ३ ॥ (सू० १२)

संस्कृतच्छाया

तत्रैव मृता अकामका बद्ध्वा पादयोरारुह्यः क्षातिकार्यां क्षिप्त्वा-
स्तत्र च वृकशुनकभ्रगालकोलमार्जारवृन्द (चंड) सन्वशक्तुं उपक्षिगणविधिष-
मुच्छातबिलुप्तगात्राः कृतविभागाः, केचित् कृमिबन्तरश्च कुक्षितवेहा अनि-
ष्टवचनैः शाप्यमानाः—'सुष्ठु कृतं यन्मृत पाप' इति तुष्टेन जनेन हन्यमाना
लज्जापनकाश्च भवन्ति स्वजनस्यापि च दीर्घकालं, मृताः सन्तः, पुनः परलोक-
समापन्ना नरके गच्छन्ति निरभिरामे, अंगारप्रदीप्तकल्पत्यर्थशीतवेदना-
ऽसातोदीर्घसततदुःखशतसर्माभद्रुते । ततोऽप्युद्धृताः सन्तः पुनरपि
प्रपद्यन्ते तिर्यग्योनिम् । तत्राऽपि निरयोपमां अनुभवन्ति वेदनां तेऽनन्तकालेन ।
यदि नाम कथंचिद् मनुजभावं लभन्ते नैकेषु निरयगतिगमनतिर्यग्भवशत-
सहस्रपरिवर्तेषु तत्रापि भवन्त्यनार्या मीचकुलसमुत्पन्ना । आर्यजनैऽपि
लोकबाह्याः तिर्यग्भूताश्च अकुशला कामभोगतृषिता यत्र निबद्धन्ति
निरयवर्ति भवप्रपंचकरणप्रणोदीनि पुनरपि संसारवर्त्तनिमीमूलानि धर्मश्रुति-
विर्वाजिता अनार्या क्रूरा मिथ्यात्वश्रुतिप्रपन्नाश्च भवन्ति एकान्तबंधरुचयो
वेष्टयन्तः कोशिकाकारकोट इव आत्मानम् अष्टकर्मतन्तुघनबन्धनेन । एवं
नरकतिर्यग्नरामरगमनपर्यन्तचक्रवालं जन्मजरामरणकरणगंभीरदुःखप्रक्षुभित-
प्रचुरसलिलं, संयोगवियोगबीचीचिन्ताप्रसंगप्रसूतवधबंधमहाविपुल-
कल्लोलकरणविलपितलोभकलकनायमानबोलबहुलम्, अवमाननफेनं, तीव्र-
खिसन (निन्दा) निरन्तरप्रभूतरागवेदनापराभवविनिपातपरुषघर्षणसमापतित-
कठिनकर्मप्रस्तरतरंगरंगनित्यमृत्युभयतोयपृष्ठं, कषायपातालसंकुलं, भव-
शतसहस्रजलसंचयं, अनन्तम्, उद्वेगजनकम्, अनर्वाक्यपारं, महाभयं, भयकरं,
प्रतिभयम्, अपरिमितमहेच्छकलुषम्, अतिबायुवेगोद्धन्यमानाशापिपासा-
पाताल - कामरतिरागद्वेषबंधनबहुविधसंकल्पविपुलवकरजोरयोऽन्धकारम्,
मोहमहावर्त्तभोगभ्राम्यद्गुप्यदुच्छलद्विभुगर्भवासप्रत्यधनिवृत्तपानीय, प्रघावित-
व्यसनसमापन्नरुदितचंडमारुतसमाहतामनोजबीची - व्याकुलितमंगस्फुटव-
निष्टकल्लोलसंकुलजलं, प्रमादबहुचंडदुष्टद्वेषापदसमाहृतोद्घातत्पूरघोर-
विध्वंसानर्थबहुलम्, अज्ञानभ्राम्यन्मस्स्यपरिहस्तं (दर्शनं), अनिष्कृतेन्द्रिय-
महामकर - त्वरितचरितचोभ्रम्यमाणसंतापनित्यक (निन्दय) - क्षलक्ष्चपल-
क्षलत्राणाशरणपूर्वकृतकर्मसंशयोदीर्घवर्षवेद्यमानदुःखशतविपाकधूर्णवजल-

समूहम्, ऋद्धिरससातगौरवापहारगृहीतकर्मप्रतिबद्धसत्त्वाकृष्यमाणनिरय-
तल्लुप्त (अभिमुख) - सन्नविषण्णबहुलम् अरतिरतिभयविषावशो ऽभिष्यात्ब-
शैलसंकटम्. अनादिसन्तानकर्मबन्धनक्लेशकर्वमसुदुरुत्तारम्, अमरनर-
तिर्यङ् निरयगतिगमनकुटिलपरिवर्तनविपुलबेलम्, हिंसालीकावसा ल-
भैद्युनपरिग्रहः स्मरकरणाकारणानुमोदनाष्टविधानिष्टकर्मपिडितगुरुभाराऽऽ -
क्रान्तवुर्गजलौघद्वारनिबोत्यमानोन्मग्ननिमग्नदुर्लभतलम्, शारीरमनोमयानि
बुल्लानि उत्पिबन्तः, सातासातपरितापनमयमुन्मग्ननिमग्नत्वं कुर्वन्तश्चतुरन्त-
महान्तम्, अनवदधम्, रुद्रम्, संसारसागरम्, अस्थितम्, अनालम्बनम्,
अप्रतिष्ठानम्, अप्रमेयम्, चतुरशीतियोनिशतसहस्रगुपिलम्, अनालोकान्ध-
कारम्, अनन्तकालम्, नित्यम्, उत्त्रस्तशून्यभयसजासंप्रयुक्ता वर्सान्त संसार-
सागरम् उद्विग्नावासवसतिम् । यत्रायुष्कं निबध्नन्ति पापकर्मकारिणो बान्धव-
जनस्वजन-मित्र-परिर्वजिता अनिष्टा भवन्ति अनादेयदुर्विनीताः, कुस्थानाः, न-
कुशाला, कुभोजना, अशुचयः (अशुतयः), कुसंहनन-कुप्रमाणकुसंस्थिता. कुरुपा,
बहुक्रोधमानमायालोभा, बहुमोहा, धर्मसंज्ञासम्यक्त्व परि भ्रष्टा, दारिद्र्योपद्रवा-
भिभूता, नित्यं परकर्मकारिणो, जीवनार्थरहिताः, कृपणा, परिपिडितकंका, दुःख-
लब्धाहारा, अरसबिरसतुच्छकृतकुक्षिपूराः, परस्य प्रेक्षमाणा, ऋद्धि-
सत्कारभोजनविशेषसमुदयविधि निम्बत आत्मानं कृतान्तं च परिववन्त इह च
पुराकृतानि कर्माणि पापकानि विमनसः, शोकेन दह्यमाना, परिभूता भवन्ति,
सत्त्वपरिर्वजिताश्च छोभाः (निःसहायाः क्षोभणीया वा), शिल्पकलासमयशास्त्र-
परिर्वजिता, यथाजातपशुभूता, अप्रतीताः (अप्रतीत्युत्पादकाः), नित्यं नीच-
कर्मोपजीविनो, लोककुत्सनीया, भोगमनोरथा, निराशा- (निरास) बहुला,
आशापाशप्रतिबद्धप्राणा, अर्थापादानकामसौख्ये च लोकसारे भवन्त्यफल-
वन्तश्च, सुष्ठु अपि उद्यच्छन्तः (उद्यमवन्तः), तद्विवसोद्युक्तकर्मकृतदुःख-
संस्थापितसिक्थपिडसंचयाः, प्रक्षीणद्रव्यसारा नित्यं अप्रबुधनघान्यकोश-
परिभोगविर्वजिता, रहितकामभोगपरिभोगसर्वसौख्याः परश्रीभोगोपभोग-
निश्वाणमार्गणपरायणा, वराका, अकामिकया विनयन्ति दुःखं, नैव सुखं
नैव निर्वृत्तिमुपलभन्ते, अत्यन्तविपुलदुःखशतसंप्रदीप्ताः परस्य द्रव्येभ्यो
वेऽविरताः ।

एष स अबसादानस्य फलविपाकः, इहलौकिकः, पारलौकिकः, अल्प-
सुखो, बहुदुःखो, महाभयो, बहुरज.प्रगाढो, वारुणः, कर्कशः, असातो, बर्षसहर्षं

पर (मनुष्यवचं) मनुष्यवच-आनवजन्म (लभंति) पाते हैं (तस्य वि य) तो भी वहाँ पर (नीचकुलसमुप्यया) नीच कुल में पैदा होते हैं, (अणारिया) अनार्य (भवता) होते हैं, (आरियजने वि) कदाचित् आर्यमनुष्यों में जन्म ले लें तो भी (लोकवज्जसा) लोगों से बहिष्कृत (य) और (तिरिक्त्वभूया) पशुओं के जैसे (अक्रुसला) कुशलता से रहित बिवेकहीन—जड़मुड़, (कामभोगतिसिया) कामभोगों की अत्यधिक लालसा वाले होते हैं। (जहि) जहाँ (निरयवत्तणिसवप्यवंचकरणणोल्लिया) नरक गति में अनेकों जन्म मरण करने के कारण उसी नरक-गमन के योग्य पापकर्म की प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, (पुणोवि) फिर (संसारवत्तणेममूले) संसार—जन्ममरण के चक्र—में परिश्रमण कराने के मूल कारण दुःखजनक अशुभ कर्मों का (निबंभंति) बूढ़ बन्धन करते हैं तथा (धम्मसुत्तिविबञ्जिया) धर्मशास्त्र के श्रवण और ज्ञान से रहित (अणज्जा) अनार्य—श्रेष्ठ आचरणों से दूर (करा) क्रूर (य) और (मिच्छसुत्ति-पवसा) मिथ्यात्व के प्रतिपादक शास्त्र को स्वीकार करने वाले (एगंतवंडवहणो) सर्वथा दण्डशक्ति—हिंसा में ही रुचि—आस्था रखने वाले (कोसिकाकारकीडोव्व) रेशम के कीड़े के समान, (अट्टकम्मत्तंतुघनबंधणेण) आठ कर्मरूपी तंतुओं के गाड़ बंधन से (अप्यगं) अपनी आत्मा को, (वेडेंता) जकड़ लेते हैं लपेट लेते हैं। (एवं) इस प्रकार (उत्तस्य-सुण्यमसयण्यसंपउत्ता) अत्यन्त उद्य त्रास से त्रस्त, कर्तव्यशून्य, भय-आहारादि संज्ञाओं से युक्त वे जीव (निब्बं) सदा के लिए (संसारसागरं, संसाररूपी समुद्र में ही, (वसंति) निवास करते हैं—संसारसागर में ही परिश्रमण करते रहते हैं, (नरवतिरि-दनरअमरगमणपेरंतवचकबालं) नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतियों में गमन करना ही संसार सागर की बाह्य परिधि है, (जम्मजरामरणकरणगंभीरदुक्खसंपंखुभियपउरसलिलं) जन्म, जरा, मृत्यु के कारण होने वाला गंभीर दुःख ही जिस संसार-सागर का शून्य प्रचुर जल है, (संजोगविभोगवोधीचितापसंगपसरियवह-बंधमहल्लविपुलकल्लोलकलुण-विलवित्तलोभकलकलित्तबोलबहुलं) जिस संसारसमुद्र में संयोग और वियोगरूपी लहरें हैं, निरन्तर चिन्ता ही उनका फलाव है, वध और बंधन ही जिसमें लंबी-लंबी विस्तीर्ण कल्लोल-तरंगें हैं तथा कष्टापूर्ण विलाप और लोभ की कलकल ध्वनि का प्राचुर्य है। (अवमानणकेणं) जहाँ अपमानरूपी फेन—झाग हैं, (तिज्जवत्त-सणपुलंपुलप्यभुयारोगवैयणपराज्जविधिपातकवसधरिसणसमावडियकठिणकम्मपत्थरतरंग-रंगंतनिज्जमञ्जुणयतोयपट्टं) तीव्र निम्बा, बारबार उत्पन्न होने वाले रोग, वेदना, तिर-स्कार, अपमान, नीचे गिरा बेना, कठोर सिद्धिकर्षा—डाँटपट्ट जिनसे प्राप्त होते हैं, ऐसे

कठोर ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूपी पत्थरों से उठी हुई तरंगों के समान चंचल एवं ह्रमेसा मृत्यु और भयरूप संसार-समुद्र के जल का तल—सतह है। (कसायपायास-संकुलं) जो संसारसागर कषायरूप पातालकलशों से व्याप्त है, (भवसयसहस्तजलसंचयं) लाखों भवों जन्ममरणों की परम्परा ही उसकी अगाध जलराशि है, (अणंतं) जो अनन्त है (उब्धेयज्जणय) उठ्ठे गजनक है (अणोरपारं) तटरहित होने से आरपाररहित है, (महृषमयं) बुस्तर होने से महाभयानक है, (भयकरं) भय पैदा करने वाला है, (पद्ममयं) प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक दूसरे प्राणी द्वारा प्रतिभय पैदा करने वाला है, (अपरिमियमहिच्छकलुसमतिबाउवेगउद्धम्ममाणआसापिवासपायासकामरतिरागदोस-बंधणबहुविहसंकप्पवियुलदगरयरयंघकारं) बड़ी-बड़ी असीम इच्छाओं और मलिन बुद्धिरूप हवाओं के प्रचंड वेग से उत्पन्न हुए तथा आसा [अप्राप्त पदार्थ को पाने की सम्भावना] और पिपासा [प्राप्त अर्थ को भोगने की आकांक्षा] रूप पाताल—समुद्रतल से कामरति-शब्दादिविषयों के प्रति राग और द्वेष के बन्धन के कारण अनेक प्रकार के संकल्परूपी प्रचुर जलकणों के वेग से जो अन्धकारमय हो रहा है, (मोहमहावत्तभोगभममाणगुप्पमाणुच्छलंतबहुगम्भवासपच्चोणियत्तपाणियं) जिस संसार समुद्र के जल में प्राणी मोहरूप महान भंवरों में भोगरूपी गोल चक्कर खा रहे हैं, व्याकुल होकर उछल रहे हैं तथा बहुत-से बीच के हिस्से में कलने के कारण ऊपर उछल कर फिर नीचे गिर रहे हैं, (पघावितवसणसमावन्नरत्तबंधमादयसमाहयामणुन्न-वीचीवाकुलितभंगफुटंतनिट्टकल्लोलसंकुलजल) जिस समुद्र में इधर-उधर बीड़ते हुए व्यसनों से प्रस्त व्यसनी प्राणियों के स्वनरूपी प्रचण्ड वायु से परस्पर टकराती हुई अमनोम लहरों से व्याकुल तथा तरंगों से फूटता हुआ, चंचल कल्लोलों से व्याप्त जल है, (पमादबहुचंडबुट्ठसावयसमाहयउद्धायमाणपूरघोरविद्धसत्थत्थबहुलं) जो प्रमादरूप अत्यन्त भयंकर बुष्ट हिंसक जन्तुओं से सताये गये तथा नाना चेष्टाओं से उठते हुए मनुष्यादि या मत्स्यादि जंतुओं के समूह का विध्वंस करने वाले घोर अनर्षों से परिपूर्ण है, (अण्णाणममंतमच्छपरिहृत्थं) जिसमें भयंकर अज्ञानरूपी बड़े-बड़े मच्छ घूम रहे हैं, (अनिहुत्तविय-महामगर-नुरियच्चरिय-ओसुबममाणसंतापनिचयचलंत-चवलचंचल-अत्ताणऽसरणपुब्बकयकम्मसंचयोदिसवज्जवेइज्जमाणुहसपविपाकधुंलंत - जलसमूहं) अनुपशान्त इन्द्रियों वाले जीवरूपी महामगरों की शीघ्र चेष्टाओं से जो अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा है, तथा जिसमें संतापों का समूह है, ऐसा प्राणियों के द्वारा पूर्वसंचित पाप-कर्मों के उदय से प्राप्त कर्मों का भोगा जाने वाला कलरूपी घूमता हुआ जलसमूह है, जो चपला के समान अत्यन्त चंचल और चलता रहता है, प्राच-

रहित है, शरण रहित है, (इडिडरससायगारवोहारगहियकम्मपडिबडससकडिज्जमाण-
निरयत्तलहुत्तसन्नविसन्नबहुलं) ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव के रूप में
प्राणियों के अहंकारयुक्त अशुभ अछयवसायविशेषरूप अपहार-हिंसक जलजन्तुविशेष से
इसमें कर्मविशिष्ट प्राणी पकड़े जाते हैं तथा नरकरूप पाताल के सम्मुख खींचे जाते
हैं, इस प्रकार खेव और विषादयुक्त जीवों से भरा हुआ यह संसार-समुद्र है, (अरइ-
रइ-भय-विसाय-सोग-मिच्छत्तसेलसंकडं) यह अरति, रति, भय, विषाद, शोक और
मिथ्यात्वरूपी पर्वतों से ध्याप्त है, (अणाइसंताणकम्मबंधणकिलेसच्चिखिल्लसुदुत्तारं)
इसमें अनादिकालीन प्रवाह वाले कर्मबंधन एवं रागादि क्लेशरूपी कीचड़ है, जिसके
कारण यह बड़ी कठिनाई से पार किया जाता है, (अमर-नर-तिरिय-निरयगतिगमण-
कुडिलपरियत्तविपुलबेलं, देवगति, मनुष्यगति, तिर्यंचगति और नरकगति में गमनरूप
कुटिल टेढ़ीमेढ़ी चक्काकार घूमने वाली इसकी विस्तीर्ण बेला है, (हिंसाविय-
अवत्तादाण-मेहुण- परिग्गहारंभकरणकारावणाणुभोदण - अट्ठावहअणिट्ठकम्मपिडित-
गुरुभारकंतबुग्गजलोघबूरनिबोनिज्जमाण-उमग्गनिमग्गदुल्लभतलं) हिंसा, झूठ, चोरी,
मंथन, परिग्रह और आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदन द्वारा संचित अनिष्ट
अष्टविधकर्मों के अत्यन्त भार से बने हुए तथा व्यसनरूपी जलप्रवाह द्वारा दूर फेंके
हुए तथा इसी जल में डूबते-उतराते हुए जो प्राणी हैं, उनके लिए इस संसारसमुद्र
का तल (पंदा) पाना अत्यन्त दुर्लभ है, (सारोरमणोमयाणि) शारीरिक और मानसिक,
(बुक्खाणि) दुःखों को, (उप्पियंता) भोगते हुए (सायस्सायपरितावणमयं) सुख और दुःख से
उत्पन्न परिताप-संतापरूप (उम्बुदु-निम्बुदुयं करंता) डूबने व फिर ऊपर उभरने का जिसमें
पराक्रम करते हैं, (अउरंतमहंत) चार विशा और चारगति के भेद से जो महान है,
(अणययग्गं) अनन्त, अन्तरहित है, (वहं) विस्तीर्ण है, (अट्ठिय अणालंबणं अपत्तिट्ठाणं)
संघम में अस्थिर जीवों के लिए जहाँ कोई सहारा नहीं है, ठहरने का कोई स्थान या
सुरक्षा के लिए स्थान नहीं है, यानी संसारसमुद्र असंयमी जीवों का आधाररूप है।
(अप्पमेयं) अल्पज्ञों-असंबंधों के ज्ञान का अगोचर—अविषय है, (चुलसीतिजोणिसय-
सहस्सगुबिलं) चौरासी लाख जीवयोनियों से व्याप्त है, (अणालोकमंघकारं) जहाँ
अज्ञान का अंधकार है, (अणंतकालं) जो संसारसमुद्र अनन्तकाल तक स्थायी है।
वह संसारसागर (उड्ढवगावासावत्ताहं) उड्ढिन प्राणियों के निवास की भूमि है, (जहिं)
जहाँ जिस-जिस गाँव, कुल आदि की (पावकम्मकारी) पापकर्म करने वाले संसारी
जीव (आउयं निबंधंति) आशुष्य बाँधते हैं, वहाँ पर वे, (बंधवज्जवसवणमित्तपरि-

वज्रिजया) भाई आदि बंधुओं, पुत्र आदि स्वजनों और मित्रों से रहित और (अभिदृष्टा) सब लोगों के अप्रिय (भवंति) होते हैं, (अनादेवज्जुम्बिणीया) उनकी आत्माएँ या बच्चनों को लोग ठुकरा देते हैं, वे दुर्विनीत होते हैं, (कुठायासण-कुसेज्ज-कुभोयणा) उन्हें खराब स्थान, खराब आसन, बुरी शय्या, रद्दी भोजन मिलता है, (असुहणो) वे गंदे और अपवित्र होते हैं, अथवा श्रुति-शास्त्र के ज्ञान से रहित होते हैं, (कुसंबयण-कुप्पमाण-कुसंठिया) वे निष्कण्ट संहनन (शारीरिक ढींचे) वाले, कष के या तो बहुत ही ठिगने बौने होते हैं या बहुत लंबे होते हैं, कुसंस्थान वाले—हुंडक आदि विकृत आकार के बेडौल होते हैं, (कुरूवा) कुरूप होते हैं, (बहुकोहमाणमायालोभा) उनमें अत्यन्त क्रोध, अत्यन्त अभिमान, अतिमाया—छलकपट और तीव्र लोभ होता है, (बहुमोहा) वे अत्यन्त मोह—आसक्ति से ग्रस्त होते हैं, अथवा अत्यन्त मूढ़ होते हैं, (धम्मसन्नसम्मत्परिग्गहा) धर्मबुद्धि और सन्यग्दर्शन—सम्यक्त्व से छष्ट होते हैं, (वरिद्धोवव्याभिभूया) वे वरिष्ठतारूपी उपद्रव के सताए हुए होते हैं, (निच्चं परकम्मकारिणो) वे हमेशा दूसरों के ही आत्माधीन रह कर काम करने वाले नौकर होते हैं, (जीवणात्थरहिया) जिवगी—गुजरबसर करने लायक द्रव्य या साधनों से रहित होते हैं, (किविणा) कृपण होते हैं या रंक—बयापात्र या बयनीय होते हैं, (परपिडतक्कका) दूसरों के द्वारा बिये जाने वाले भोजन की ताक में रहते हैं, (मुक्खलद्धाहारा) बड़ी मुश्किल से आहार पाते हैं, (अरसविरसतुच्छकयकुञ्छपूरा) जैसे-तैसे क्खे-सूखे, नीरस तुच्छ भोजन से वे अपना पेट भर लेते हैं, (परस्स) दूसरों की (रिद्धि-सक्कार-नीयणविसेससमुदयविहिं वेज्जंता) ऋद्धि-वैभव, प्रतिष्ठा-सत्कार-सम्मान, भोजन, वस्त्र, मकान आदि का रहन-सहन व पद्धति देख कर, (अप्पकं निंबंता) अपने आपको कोसते हैं या अपनी निंदा-भर्त्सना करते हैं, (य) और (कयंतं) अपने भाग्य को (य) और (इह पुरेकडाइं पावगाइं कम्मडाइं परिवयंता) इस जन्म में या पहले के जन्मों में किये हुए पापकर्मों को कोसते हैं—धिक्कारते हैं (विमनसो) मलिन मन होकर (सोएण) शोक-अफसोस से, (इज्जामाणा) जसते हुए (परिभूया) तिरस्कृत-मज्जित या दुःखित (होति) होते हैं (य) और (सत्तपरिवज्जिया) सत्त्व से रहित-वेदम, (छोषा) सुब्ध हो जाने वाले—कुड़ने वाले—चिड़चिड़े स्वभाव के, (सिप्पकलासमयसत्थपरिवज्जिया) चित्र आदि शिल्पकला से अनभिज्ञ, अनुबंध आदि विद्याओं से शून्य और ज्ञान, बौद्ध आदि शास्त्रों-सिद्धान्तों के ज्ञान से रहित, (अहा-

जायपसुभ्रूया) जन्मजात अज्ञानी पशु के समान जड़ता के प्रतिनिधि, (अविद्यता) अप्रतीति बंधा करने वाले, (निच्चं नीयकम्मोपजीविणो) हमेशा नीच कर्मों से अपनी जीविका चलाने वाले (लोयकुच्छणिज्जा) लोक में निन्दनीय, (मोघमणोरहा) विफल-मनोरथ वाले, (निरासबहुला) अत्यन्त निराशा से युक्त, (आसापासपडिबद्धपाणा) उनके प्राण अनेक आशाओं के पाश से बंधे रहते हैं (य) और (लोयसारे) लोक में सारभूत (अत्थोपायण-कामसोक्खे) अर्थोपार्जन तथा काम-भोगों के सुख में (सुट्ट उज्जमंता वि य) भलीभांति उद्यम करने पर भी (अफलवंतका) असफल (होति) होते हैं । (तद्विबसुज्जुत्तकम्मकयबुक्खसंठविद्यसित्थपिडसंघया) जिस-जिस दिन वे उद्यम करते हैं, उस-उस दिन बहुत काम करने और कष्ट सहने पर भी वे मुश्किल से सत्त्व के पिड का ही संघय कर पाते हैं अथवा अनाज के कणों का समूह कठिनाई से सग्रह कर पाते हैं (पक्खीणवब्बसारा) उनका सारभूत द्रव्य नष्ट हो जाता है, (निच्च अधुवघण-घण्णकोसपरिभोगवज्जिया) अस्थिर धन, धान्य और कोष के परिभोग से वे हमेशा ही वंचित रहते हैं, (रहियकामभोगपरिभोगसब्बसोक्खा) शब्दरूपावि काम और गन्ध-रसस्पर्शभोग के एक बार या बारबार-सेवन के तमाम सुखों से वे वंचित ही रहते हैं, बेचारे (परसिरिभोगोवभोग-निस्साण-मग्गणपरायणा) दूसरों की लक्ष्मी के भोग-उपभोग को अपने अधीन करने की फिराक में लगे हुए वे (बरागा) बेचारे (अकामिकाए) नाहक ही, बिना मतलब के, नहीं चाहते हुए भी, (दुक्खं विपेति) दुःख ही पाते हैं, (णेष सुहं णेष निब्बति) वे न तो सुख पाते हैं और न शान्ति—मानसिक स्वस्थता (उबलमंति) पाते हैं । (जे परस्त वब्बाहिं अविरया) सच है, जो दूसरों के द्रव्यों के प्रति विरत नहीं हुए ; वे, (अच्छंतविपुलबुक्खसयसंपलिस्ता) वे अत्यन्त मात्रा में संकड़ों दुःखों से संतप्त होते रहते हैं ।

(एसो) यह, पूर्वोक्त (अदिप्पावाणस्स) चोरी का (फलविवागो) फलविपाक—उदय में आया हुआ कर्मफल है, जो (इहलोइयो) इस लोकसम्बन्धी है, (पारलोइओ) परलोक-सम्बन्धी भी है, (अप्पसुहो बहुबुक्खो) अल्पसुख और अत्यन्तदुःख का कारण है, (महक्खओ) यह महामयानक है, (बहुरयप्पगाडो) बहुत गाड़ कर्मरूपी रज वाला है, (वारणो) घोर है, (कक्कसो) कठोर है, (असाओ) दुःखमय है, (वाससहस्सेहिं पुच्चति) हजारों वर्षों में जा कर छूटता है । (न य अवेदयित्ता मोक्खो अत्थि) इसे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं होता ।

(इति एवं) इस प्रकार (जायकुलनंबणो) ज्ञातकुल में उत्पन्न हुए, (महप्पा)

महात्मा, (भीरवरनामवेम्बो) महावीर नाम के (जिनो उ) तीर्थंकर भीतरागवेव ने, (आहंसु) कहा है (य) पुनः (अविष्णादानस्त) अदत्तादान के (एवं) इस (तं ततित्यं) पूर्वोक्त तीसरे (फलविवागं पि) फलविपाक को भी उन्हीं भगवान् ने कहा है। इस प्रकार यह अदत्तादान (हर-बह-भरण-भय-कलुष-तासण-परसंतिक्केज्जसोममूलं) परधनहरण, बहन, मृत्यु, भय, मलिनता, त्रास, रौद्रव्यान-सहित लोभमूलक है, यानी ये सब इसकी जड़ें हैं। (एवं) इस प्रकार (आव) यावत् (चिरपरिगतमजुगतं कुरंतं) चिरकाल से प्राप्त, अनादि परम्परा से पीछे लगा हुआ और दुःख से अन्त होने वाला है। इस प्रकार (ततित्यं अधम्मदारं समत्तं) यह तीसरा अधर्म द्वार समाप्त हुआ। (तिवेमि) ऐसा मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—वे कैदी वही मर जाते हैं; यद्यपि वे मरना नहीं चाहते; लेकिन पूर्वोक्त कठोर दंड के कारण उनकी वही अकाम (अकाल) मृत्यु हो जाती है। मरने पर अथवा मरणासन्न स्थिति में उनके पैरो में कसकर रस्सी बांध दी जाती है और उन्हें जेलखाने से बाहर खींच कर निकाला जाता है और गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। वहाँ उनकी लाशों पर भेड़ियों, कुत्तों, गीदड़ों, सूअरों और बनबिलावों के भुंड के भुंड टूट पड़ते हैं और उधर से संडासी के समान भुंह वाले पक्षियों की कतार आती है और उन सबके नाना प्रकार के सैकड़ों भुंह उनके शरीर को नीच-नीच कर टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। कई लाशों का बाज और गीध सफाया कर देते हैं। कई अपराधियों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे उनका सारा शरीर सड़ जाता है। उनकी इस प्रकार की कुमौत से संतुष्ट जन निम्नोक्त अशुभ उद्गार निकालते हैं—‘अच्छा किया, बहुत ठीक हुआ; जो यह पापी मर गया।’ इस प्रकार कई उन पर वचनों से ताने कसते हैं और प्रसन्न हो कर उनकी लाशों को पीटते हैं अथवा उनके विषय में निन्दात्मक मौखिक ढिंढोरा पीटते हैं। उन कुलांगारों को मरने के बाद दूसरों के द्वारा ही नहीं, अपने स्वजनो द्वारा भी इस प्रकार धिक्कारा और लज्जित किया जाता है। अथवा मरने के बाद भी दीर्घकाल तक उनके गांव के ही नहीं, परिवार के लोगों को भी लज्जित होना पड़ता है।

मरने के बाद परलोक में पहुँच जाने पर भी वे चौर अशुभ व असातावेदनीय कर्म के उदय से ऐसे बुरे नरक में जा कर उत्पन्न होते हैं, जहाँ जलते अगारों के समान तेज गर्मी है, और अत्यधिक ठंड है; इस अवस्था में वे निरन्तर सैकड़ों दुःखों से घिरे रहते हैं।

वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर निकलने के बाद फिर वे तिर्यचयोनि में पहुँचते हैं। वहाँ भी वे नरक के समान वेदना का अनुभव करते हैं। अनन्त-काल बीत जाने के बाद यदि किसी तरह वे मनुष्यजन्म पाते भी हैं, तो भी अनेक बार नरकगति में गमन और तिर्यचगति में लाखों चक्कर हो जाने के बाद। धूमधाम कर किसी तरह मनुष्य भव में भी वे नीचकुल में ही उत्पन्न होते हैं, और अनार्य—म्लेच्छ—धर्मसंस्कारों से रहित होते हैं। सयोगवश यदि आर्य-जनों में जन्म भी ले लिया, तो भी वे अपने गंदे आचरणों के कारण लोगों से बहिष्कृत होते हैं, पशुओं की-सी जिदगी बिताते हैं, विवेक-विचार से हीन मूढ़ होते हैं; वे केवल कामभोगों की ही लालसा में रचे-पचे रहते हैं। नरक गति में अनेकों जन्म-मरण करने के कारण पूर्वसंस्कारवश पुनः उसी नरक-गमन के योग्य पापकर्मयुक्त प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं और संसार-जन्ममरण के चक्र—में परिभ्रमण और दुःखों के मूल कारण अशुभकर्मों का फिर बन्ध करते हैं। वे धर्मशास्त्र के श्रवण और ज्ञान से बंचित रहते हैं, इस कारण वे श्रेष्ठ आचरणों से दूर हिंसावृत्ति में मग्न रह कर क्रूर होते जाते हैं। मिथ्यात्व के प्रतिपादक शास्त्रों का ज्ञान पाने से एकान्तरूप से दण्डशक्ति—हिंसा के कामों—में ही उनकी रुचि होती है। इस प्रकार रेशम के कीड़े के समान अष्टकर्मरूपी तन्तुओं के गाँठ बन्धन से वे अपनी आत्मा को जकड़ लेते हैं और उग्र त्रास से संतप्त, कर्त्तव्यशून्य एवं भयादि सजाओं से युक्त होकर वे दिशामूढ़ मानव सदा के लिए संसारसमुद्र में ही अपना निवास कर लेते हैं।

नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतियों में गमन करना ही जिस संसार-सागर की बाह्य परिधि है। जन्म, जरा और मृत्यु के कारण होने वाला गंभीर दुःख ही जिस संसार सागर का क्षुब्ध प्रचुर जल है। उसमें संयोग-वियोग रूपी लहरें हैं, निरन्तर चिन्ता ही उसका फैलाव है। परस्पर बध, बन्धन ही जिसमें लंबी चौड़ी कल्लोले हैं, करुण विलाप और लोभ की कल-कल ध्वनि की प्रचुरता ही उसकी घोर गर्जना है। उसमें अपमान-रूपी फेन है। घोर निन्दा एवं बार-बार पैदा हुई बीमारी और वेदना, बार-बार होने वाला तिरस्कार, नीचे गिरते जाने का क्रम, कठोर भिड़कियाँ, डाट-फटकार आदि जिनसे प्राप्त होती हैं—ऐसे कर्म-रूपी कठिन पत्थरों से उठी हुई तरंगों के समान सदा मृत्यु की भीति ही इस समुद्र के जल की सतह है। यह कषायरूपी पाताकलशों से व्याप्त है। हजारों प्रकार की भीतियाँ (भय)

ही उसकी अगाध जलराशि है, जो अनन्त और अपार है। वह महाभयजनक हैं, भयंकर है और प्रत्येक प्राणियों में परस्पर प्रतिभय पैदा करने वाला है। बड़ी-बड़ी अमीम इच्छाओं और मलिन बुद्धियों रूपी हवाओं के तूफान से उत्पन्न हुए तथा आशा (अप्राप्त अर्थ की सम्भावना) और पिपासा (प्राप्त अर्थ की भोगने की इच्छा) रूपी पाताल (समुद्रतल) से उठते हुए कामरति (शब्दादि विषयो में आसक्ति) तथा रागद्वेषरूपी बन्धन के नाना संकल्प ही उस संसार समुद्र के जलकण हैं ; जो अपने तीव्र वेग से उसे अन्धकारमय बना रहे हैं। इस संसारसागर के मोहरूपी भंवर मे बहुत-से प्राणी गोते लगा रहे हैं; कई प्राणी उसमे भोगरूपी गोल चक्कर लगाते हुए व्याकुल हो रहे हैं, उछल रहे हैं, बहुत से मध्यभाग मे डूबते-उतराते हैं। इस ससारसागर में इधर-उधर दौड़ते हुए नाना व्यसनो से घिरे हुए व्यसनी लोगो का प्रचंड वायु के थपेड़ों से टकराता हुआ, तथा अमनोज्ञ लहरो से विक्षुब्ध एवं तरंगो से फूटता हुआ तथा अस्थिर बड़ी-बड़ी कल्लोलो से व्याप्त रुदनरूप जल बह रहा है। यह प्रमाद रूपी अत्यन्त रौद्र व हिंसक जन्तुओ से सताए जाते हुए तथा नाना प्रकार की चेष्टाओ के लिए उठते हुए मनुष्यादि या मत्स्यादि प्राणियों के दल को विध्वंस करने वाले घोर अनर्थों से भरा है। इसमें अज्ञानरूपी बड़े-बड़े शीघ्रगामी भीम मच्छर फिर रहे हैं। अनुपशान्त इन्द्रियों वाले जीव ही इसमें मगरमच्छ है, जिनकी शीघ्र चेष्टाओ — उथल-पुथलो से यह अत्यन्त चंचल हो रहा है। इसमे वाडवाग्नि की तरह शोकादि का नित्य सताप है, इसमें चलायमान और अत्यन्त चंचल तथा सुरक्षाहीन, शरणरहित, पूर्वकृत कर्मों को इकट्ठे किए हुए प्राणियो को उनका फल भुगवाने के लिए आए हुए सैकड़ों दुःखों के रूप में कर्मफल ही घूमता हुआ जल समूह है। ऋद्धि (वैभव), रस (स्तादिष्ट पदार्थ) और साता (सुखसाधन) के गौरव-अहंकार रूपी अपहार (हिंसक जलजन्तु) से पकड़े गए व कर्मबन्धनो से बंधे हुए प्राणी खींच कर नरक रूपी पाताल (समुद्रतल) की ओर लाये जाते हैं; तब वे अत्यन्त खेद और विषाद से युक्त होते हैं; ऐसे विषण्ण व खिन्न जीवो से यह भरा है। यह अरति, रति, भय, विषाद, दैन्य, शोक और मिथ्यात्व रूपी पहाड़ों से विषम बना हुआ है। अनादि सन्तान वाले कर्मबन्धन तथा रागादिक्लेश रूपी कीचड़ से भरा होने से इसे पार किया जाना अत्यन्त कठिन है। देवगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति और नरकगति में गमनरूपी टेढ़ी-भेड़ी घूमने वाली इसकी विस्तीर्ण बेला है। हिंसा,

असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह एवं आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदन द्वारा संचित आठ प्रकार के कर्मों के अत्यन्त बोझ से दबे हुए तथा व्यसनरूपी जल के प्रवाह के द्वारा अत्यन्त निमग्न हुए प्राणी संसारसागर में डूबते-उतरते रहते हैं; उन्हें इसका पैदा (तलभाग) पाना अत्यन्त दुर्लभ है। जिसमें प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःख भोगते रहते हैं। सांसारिक सुख और दुःख से उत्पन्न परिताप के कारण वे कभी इसके ऊपर-ऊपर तैरने और कभी डूबने की चेष्टाएँ करते रहते हैं। चारों दिशाओं रूपी चार गतियों तक इसका अन्त—किनारा होने से यह संसारसागर महान् है, अन्तरहित है, विस्तीर्ण है। सयम में अस्थिर जीवों के लिए यहाँ आलंबन—सहारा या मंरक्षण नहीं है। यह अल्पज्ञों (छद्मस्थों) के ज्ञान का विषय नहीं है, यह चौरासी लाख जीवयोनि से भरा है। यहाँ पर अज्ञानरूपी अंधेरा है, यह अनन्तकाल तक स्थायी है और नित्य है।

इस संसारसमुद्र की उद्विग्न-निवास वाली जगह में रहने वाले पाप-कर्म करने वाले प्राणी जिस किसी गाँव या कुल आदि का आयुष्य बाँघते हैं, वहाँ पर पैदा होकर वे भाई आदि बन्धुओं, पुत्र आदि स्वजनो और मित्रों से रहित होते हैं, वे जनता को अप्रिय लगते हैं, उनके वचनों को कोई मानता नहीं, वे स्वयं दुर्विनीत होते हैं। उन्हें खराब से खराब स्थान, खराब आसन, खराब शय्या (खाट, बिछौने आदि) और रद्दी भोजन मिलता है। वे स्वयं गदे, धिनौने और आचरण से अशुद्ध होते हैं अथवा शास्त्रज्ञान से हीन होते हैं। उनको शरीर का संहनन-गठन खराब मिलता है, उनका कद ठीक नहीं होता, उनको शरीर का ढाँचा बहुत ही हलका मिलता है; वे अत्यन्त बदसूरत होते हैं, वे अत्यन्त क्रोधी, मानी, मायी और लोभी होते हैं, वे अत्यन्त आसक्ति वाले या मूढ होते हैं। वे धर्मसंज्ञा (सस्कारिता) और सम्यक्त्व से कोसो दूर होते हैं; दरिद्रता का उपद्रव उन्हें सदा सताता रहता है। वे हमेशा दूसरों के आज्ञाधीन रह कर काम करते हैं। वे जीवन के साधनरूप अर्थ से रहित होते हैं अथवा मनुष्यजीवन के लक्ष्य—प्रयोजन से अनभिज्ञ होते हैं, वे कृपण-रंक या दयनीय होते हैं, हमेशा दूसरों से भोजन पाने की ताक में रहते हैं; बड़ी मुश्किल से भरपेट भोजन पाते हैं। उन्हें जो भी नीरस, रूखा-सूखा और तुच्छ आहार मिल जाता है, उसी को अपने पेट में डाल लेते हैं। वे सदा दूसरों

का मुंह ताकते रहते हैं अथवा दूसरो के बँभव ठाठबाठ, इच्छत, मानमर्तबों, भोजनसामग्री, रहन-सहन एवं खास तौरतरीकों की बढ़ती देख-देख कर अपनी निन्दा करते हैं, अपने भाग्य को तथा अपने पूर्वकृत कर्मों को कोसते हैं, धिक्कारते हैं। इस जन्म में और पूर्वजन्मों में किये हुए अपने पापकर्मों का विचार करके वे उन्मना और उदास हो जाते हैं और शोक-अफसोस से जलते हुए मुर्झाए रहते हैं। किसी बात का दम न होने से वे चिडचिड़े और क्षुब्ध से हो जाते हैं। वे चित्र आदि शिल्पकला (हुन्नर) या धनुर्वेदादि भौतिक विज्ञान तथा जैन-बौद्ध आदि धर्मों के सिद्धान्तज्ञान से रहित होते हैं। जन्मजात गन्ध-घड़ग पशुओं की-सी उनकी जिदगी होती है। वे अप्रतीति पैदा करने वाले होते हैं। सदा नीच कर्म करके ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। वे लोक में निन्दनीय और असफल मनोरथ होते हैं; उनके जीवन में प्रायः निराशा होती है, उनके प्राण विविध आशाओं के पाश में बंधे रहते हैं। जगत् में सारभूत अर्थोपार्जन और कामभोगों के सुखों के लिए वे बड़ी अच्छी तरह से परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होते। यही नहीं, रोजाना सारे दिन किसी काम में लगे रहने पर भी बड़े कष्ट से अनाज का पिंड इकट्ठा कर पाते हैं। उनका सारभूत द्रव्य नष्ट हो जाता है, वे अस्थिर घन, धान्य और कोश के उपभोग से सदा ही वंचित रहते हैं, काम (रूप और शब्द के विषयों) तथा भोग (गन्ध, रस और स्पर्श के विषयों) के बार-बार सेवन से होने वाले सुख से वे रहित होते हैं। हमेशा वे (पूर्व संस्कारवश) दूसरो की लक्ष्मी के भोग और उपभोग को अपने अधीन करने की फिराक में रहते हैं; न चाहते हुए भी बेचारे दुःख पाते रहते हैं। वे न तो सुख ही पाते हैं और न शान्ति ही। सारांश यह है कि दूसरे के द्रव्यों को हरण करने की इच्छा से जो विरत नहीं होते, वे अत्यन्त प्रचुर सँकड़ो दुःखों से पीडित और संतप्त रहते हैं।

यह पूर्वोक्त अदत्तादान का फलविपाक (कर्मफल) इस लोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी अल्पसुखद और बहुत दुःखप्रद है, महाभयानक है, प्रगाढ कर्मरज से ओत-प्रोत है, दारुण है, कठोर है तथा दुःखमय है। यह हजारो वर्षों में जा कर छूटता है; और बिना भोगे इससे छुटकारा नहीं हो सकता।

इस प्रकार ज्ञातकुल के नन्दन महात्मा महावीर नामक जिनेन्द्रदेव तीर्थ-

कर ने कहा है। और अदत्तादान का यह पूर्वोक्त फलविपाक भी उन्हीं प्रभु ने बताया है।

इस तरह यह अदत्तादान परधनहरण, दहन, मृत्यु, भय, मालिन्य, त्रास और रौद्रध्यान सहित लोभ का मूल है। अधिक क्या कहें, चिरकाल से परिचित या प्राप्त है और अनादिकाल से प्राणी के पीछे लगा हुआ है और इसका अन्त होना बड़ा ही दुष्कर है अथवा इसका अन्त दुःखकर है।

इस प्रकार तीसरा अधर्म द्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं कहता हूँ।

व्याख्या

बारहवें सूत्र के पूर्वाह्न में चोरी करने वालों को, खासतौर से मनुष्यलोक में प्राप्त होने वाले कटुफलो का निरूपण किया गया था। इसके उत्तरार्द्ध में नरकगति और तिर्यचगति में प्राप्त होने वाले भयंकर दुःखों का वर्णन किया गया है और अन्त में, बड़ी कठिनता से किसी को मनुष्यभव प्राप्त होने के बाद उसकी दुरवस्था और जीवन की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है। मूलपाठ में पाप-कर्मरत ससारीजीवों का संसारसमुद्र में अनन्तकाल तक निवास बता कर जन्ममरणचक्ररूप संसार की समुद्र के साथ तुलना करते हुए उसके सारे अगो-पांगों की हूबहू सगति समुद्र के साथ बिठाई गई है।

मूलार्थ में तथा पदार्थान्वय में अधिकांश अर्थ हम स्पष्ट कर आए हैं। कुछ खास स्थलों पर यहाँ विश्लेषण कर देना ही उचित समझते हैं—

चोरों की मृत्यु के बाद जनता में प्रतिक्रिया—मृत्यु मानवजीवन की अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों की अन्तिम मजिल है। मृत्यु होने के बाद ही किसी मनुष्य की असलियत का पता लगता है कि अमुक व्यक्ति कैसा था? वास्तव में शरीर की समाप्ति ही मानव जीवन की सही निर्णायिका होती है। उससे पहले पूरी तरह से पता नहीं लगता कि कौन मनुष्य भला या बुरा है। प्रायः मृत्यु हो जाने के बाद ही उसके विषय में आम जनता अपनी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर आदमी अच्छे कर्म करके इस लोक से विदा होता है तो उसके विषय में जनता कहती है— 'हमारे समाज, जाति या राष्ट्र का एक रत्न चला गया; उसके स्थान की क्षतिपूर्ति कठिन है।' साथ ही सारा समाज उसके लिए रोता है; उसका वियोग सबको खट-कता है। परन्तु कोई पापी, अन्यायी, अत्याचारी या दुरात्मा इस संसार से विदा होता है, तो जनता प्रायः उसके विषय में कहा करती है— 'अच्छा हुआ, पापी मर गया! अच्छा किया, पापी को मार डाला! यह सबको सताता था।' मतलब यह है कि पापी के मरने पर सभी खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बाँटते हैं। पापी व्यक्ति

जीतेजी तो अपनी जाति, परिवार, राष्ट्र और समाज को कलंकित और बदनाम करता ही है ; मरने के बाद भी अपनी बदबू छोड़ जाता है ।

शास्त्रकार ने पापात्मा के मरने के बाद जनता में होने वाली इसी प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया है—‘अणिद्वयवर्णेह सप्पमाणा, ‘सुदु कयं ञं मउत्ति पावो’, सुदुठेणं जणेण हम्ममाणा, सज्जावणका य होंति सयणत्सवि ‘ मया संता ।’ यानी पापात्मा के मरने के बाद लोग अनिष्टवचनो से अपने उद्गार निकालते हैं—‘अच्छा हुआ, यह पापी मर गया या इस पापी को मार डाला ।’ उसके मरने से लोग सतुष्ट हो कर उसके बारे में जगह-जगह ताने मारते हैं । इतना ही नहीं, जीतेजी भी उसे धिक्कारते हैं, मरने के बाद भी धिक्कारते हैं । उसके स्वजनसम्बन्धी भी चिरकाल तक उसकी बदनामी करते रहते हैं ।’

वास्तव में ऐसे पापकर्म करने वाले व्यक्ति जीतेजी भी दुनिया के लिए भार-भूत होते हैं और मरने के बाद भी अपने कुल, जाति और राष्ट्र को बदनाम और कलंकित करते हैं । एक तरह से ऐसे अपयशकामी लोग जीतेजी भी मरे हुए के समान हैं ।

ऐसे पापियों की अनचाही कुमौत—ऐसे भयकर पापकर्म करने वाले कैदखाने में बुरी तरह कुत्ते की मौत मरते हैं । इतने कष्ट, दुःख या विपत्तियाँ अगर वे सदाचारी और धर्मपरायण हो कर समाज, राष्ट्र वा देश के लिए सहते या हसते-हसते मौत का आलिंगन करते तो उनकी मृत्यु सकाममृत्यु-पण्डितमरण या शहीद की मौत कहलाती । अपने जीवनकाल में भी उन्हें उन दुःखो,कष्टो या मृत्यु का कोई खटक न होना । जनता उन्हें हाथों में उठा लेती । वे लोकप्रिय बन जाते । जनता उनकी मृत्यु पर शोक के आंसू बहाती । वे स्वपर कल्याण के हेतु कष्ट सहकर यदि मृत्यु पाते,तो वह उन्हें अमर बना जाती । वह मृत्यु उनके जीवन को सार्थक कर देती । उनकी वह मृत्यु बरदान-रूप हो जाती । राष्ट्र, समाज और कुल की नैतिक मर्यादाओं के घातक पापकर्म करके, सदाचार को तिलाजलि दे कर जब वे पापात्मा जेलो में दी जाने वाली पूर्वाक्त यातनाएँ बेमन से सह कर न चाहते हुए भी रिब-रिब कर मरते हैं तो उनकी वह अकाम-मृत्यु (अकालमृत्यु) उनके लिए अभिशापरूप बनती है । जनता के लिए उनकी मृत्यु खुशी का कारण बनती है । उनके अपने लिए दुःखदायक तो बनती ही है ; परलोक में भी उन्हें वह दुर्गति का मेहमान बना देती है । इस लोक में जेल आदि के जो उन्होंने कष्ट सहे, उनकी अपेक्षा अनेको गुना भयंकर असह्य कष्ट उन्हें परलोक में मिलता है । मतलब यह है कि वे अपना मनुष्यजन्म सार्थक नहीं कर पाते और न ही आगे की जिंदगी के लिए कोई अच्छी कमाई कर जाते हैं । एक मनुष्यजन्म को खो देने पर भविष्य में उन्हें हजारों-लाखों जन्मों तक पुनः मनुष्यजन्म मिलना दुष्कर हो जाता

है। भिन्न भी जाता है तो उन्हें धर्मसंस्कार, शुद्ध आचरण का वातावरण सत्संग या अच्छी परिस्थित नहीं मिलती। यहाँ कंदखाने में उनके न चाहने पर भी बरबस पकड़ कर उन्हें रस्सो से बांध दिया जाता है और घसीट कर बाहर ला कर धाई में पटक दिया जाता है; जहाँ भेड़िये, कुत्ते, सियार आदि हिंसक पशु-पक्षी उनका सफाया कर देते हैं। कई लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है कि उनके शरीर में घाव हो जाते हैं, शरीर सड़ने लगता है, बदबू के मारे कोई भी उनके पास नहीं फटकता; और अन्त में, उनके घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, जो तिलतिल करके उनके शरीर का काम तमाम कर देते हैं। इसी बात को शास्त्रकार ने व्यक्त किया है—

‘सत्त्वेव मया अकामका...बिलुस्तगस्ता...कुहियवेहा।’ मतलब यह है कि ऐसे पापियों को न चाहने पर भी पहले तो बुरी तरह मारा-पीटा, सताया और तग किया जाता है; और बाद में कुमौत मारा जाता है।

पुष्पो परलोगसमावहना नरए गच्छति— इतनी दुर्दशा और कष्टपूर्ण स्थिति में मृत्यु पाने के बाद परलोक में उन्हें अच्छी जगह नहीं मिलती। कहाँ से मिले? मरते समय जैसी लेश्या, जैसी शुभाशुभ भावना और जैसे अच्छे-बुरे परिणाम होते हैं, तदनुसार ही स्थान का चुनाव होता है। हालांकि कई बार आयुष्य तो पहले से ही बध जाता है; परन्तु गति के निर्णय के बावजूद भी उस गति में स्थान या स्थिति का निर्णय तो प्रायः अन्तिम समय पर ही होता है। शास्त्र में भी कहा है—‘जल्लेसे भरइ सल्लेसे उबबज्जइ’ अर्थात्—‘जिस लेश्या में जीव मरता है, उसी लेश्या वाले स्थान में वह उत्पन्न होता है।’

इन चोरी जैसे कुकर्म करने वालों की भावनाएँ या लेश्याएँ अन्तिम समय में प्रायः नहीं बदलती। इसलिए इनके बारे में शास्त्रकार ने स्पष्ट कह दिया है कि मरने के पश्चात् वे पापी परलोक में भी ऐसे निकृष्ट नरक में स्थान पाते हैं, जहाँ की गर्मी और सर्दी इतनी भयंकर है कि मेरु के बराबर ताबे या लोहे का गोला वहाँ डाला जाए तो वह क्षणभर में गल जाता है। प्यास इतनी अधिक लगती है कि सारे समुद्र का पानी पीने पर भी शान्त गही हो सकती। भूख भी इतनी अधिक लगती है कि पृथ्वी का समग्र भोजन खाने पर भी मिट नहीं सकती। लेकिन नरक में उन्हें एक बूद भी पानी या एक कण भी भोजन का नहीं मिलता। वहाँ की भूमि का स्पर्श भी इतना दुःख-प्रद होता है; मानी हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो। इसी प्रकार उस नरक-भूमि के रस, गन्ध, रूप, शब्द आदि भी असह्य और भयंकर कष्टदायक हैं। इसका वर्णन शास्त्रकार प्रथमद्वार में कर चुके हैं। इसलिए यहाँ उसका विशेष वर्णन नहीं किया है। उसी से समझ लेना चाहिए कि नरक में जीव की क्या दुर्दशा होती है!

बोरी करने वाला पापी यहाँ के जेलखाने के कण्ठों से कदाचित् बच जाय अथवा यहाँ के जेलखाने में उसे कदाचित् कम कष्ट मिले ; परन्तु मरने के बाद जिस नरक में वह जन्म लेता है, वहाँ तो उन भयंकर कण्ठों से किसी सूरत में भी बच नहीं सकता। उसे वे नारकीय कष्ट लाजिमी भोगने होते हैं।

‘ततोषि उबद्धिया तिरियजोर्णि, अणुह्वन्ति वेयन्’ नरक में वचनानीत दुःखों को भोगने के पश्चात् वहाँ से निकला हुआ दुरात्मा तिर्यचयोनि में जन्म लेता है। यहाँ भी नरक के समान घोर कष्ट उसे चुपचाप सहने होते हैं। तिर्यचयोनि में एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक के जीव होते हैं। अतः यहाँ छेदन, भेदन, भूख, प्यास, परवशता आदि हजारों दुःख भोगने पड़ते हैं। यहाँ किसी के आगे वह बोल कर कुछ भी पुकार नहीं कर सकता, यहाँ न कोई उसकी सुनने वाला है, न आश्वासन देने वाला है और न उसे धर्मात्मा के सिवाय कोई बचाने वाला है। तिर्यचयोनि में एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक वह लाखों बार पुनः पुनः जन्म-मरण करता रहता है। दुर्भाग्य से यदि कभी निगोद में पहुँच जाता है तो अनन्त-अनन्त काल तक उसी योनि में एक श्वास में १० बार जन्ममरण करते रह कर वचन से भी नहीं कहे जा सकें, ऐसे असह्य दुःखों को भोगता रहता है।

‘ते अर्णतकालेण...मणुयभावं सञ्चिन्ति षोर्णेहि निरयगतिगमण-तिरिय-भवसय-सहस्सपरियट्ठेहि’—इस वाक्य से शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अनेकों बार नरकगति में जाने और लाखों बार तिर्यचभव में जन्ममरण कर लेने के बाद अनन्त-काल बीतने पर सौभाग्य से यदि कदाचित् मनुष्यजन्म प्राप्त भी कर ले तो भी वे अनार्य, नीचकुलोत्पन्न, हीन आचरण वाले, अविवेकी, लोकनिन्द, कामभोगों में आसक्त, धर्मसंस्कारों से रहित, मिथ्याशास्त्रों का आश्रय लिये हुए एकान्ताहिंसापरायण व्यक्ति बनते हैं। इसी का मूल में निरूपण किया है—‘तत्त्वचि य भवत्तऽपारिया... कामभोगतिसिया।’ प्रश्न होता है कि लाखों बार नरक और तिर्यचगति में जन्म से लेने और भयंकरतम कष्ट सह लेने के पश्चात् भी क्या उनके ऐसे अशुभकर्म भोगने शेष रह जाते हैं, जिनके कारण उन्हें मनुष्यजन्म सरीखा उत्तमजन्म मिलने पर भी अच्छा वातावरण और पवित्र धर्मसंस्कार नहीं प्राप्त होते ?

इसका उत्तर शास्त्रकार इस सूत्रपाठ में देते हैं—‘अहि निञ्चन्ति निरयवत्तपि-भवप्यञ्चकरणपणोल्लिया पुणो वि संसारावत्तणेमभूले।’ इसका भावार्थ यह है कि नरक और तिर्यच में जन्म लेने के कारण उन जीवों ने कष्ट तो बहुत सहे ; लेकिन बिना मन से, लाचारी से, बाध्य हो कर, रोते-रोते, बिलखते हुए सहे। इसलिए पिछले अशुभकर्मों के फल भोगने के साथ-साथ उन्होंने हाय-हाय करके नये कर्म और बाध लिये। नरक और तिर्यचगति में उन जीवों को कहीं सम्मत्त्व, सत्संग, सद्बोध

और सुखस्कार मिले, जिससे कि वे कर्मों को भोगने के समय भी समभाव रखते तो अकामनिर्जरा के बदले सकामनिर्जरा होती ; यानी संवर पूर्वक कर्मों का क्षय जड़मूल से हो जाता ।

मतलब यह है कि नरक-तिर्यञ्चगतियों में उपर्युक्त शुद्ध वातावरण न मिलने के कारण अशुभ कर्मों का क्षय पूर्णतया न हो सका; हा, कुछ क्षय हुआ तभी तो उनके पुण्यकर्मों का अश अधिक होने से उन्हें मनुष्यजीवन मिला । परन्तु पहले के उन जन्मों में अशुभकर्मों का वे पूरा क्षय न कर सके ; वहाँ भी परस्पर कषाय, राग, द्वेष, वैरविरोध, सघर्ष आदि के कारण अशुभकर्मों का नया जत्था और इकट्ठा कर लिया । इस कारण मनुष्यजन्म में उन अवशिष्ट अशुभकर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल वातावरण व प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिली । इसलिए मनुष्यजन्म पा कर भी कोरे के कोरे बने रहे । मनुष्यजन्म में भी पूर्वजन्मों के कुसस्कारवश पुन हिंसा आदि कुमार्गों को अपना कर नरक में जाने की सामग्री इकट्ठी कर ली । उन्होंने मनुष्यभव में भी जन्ममरण की परम्परा घटाने के बजाय बढ़ा ली । आशय यह है कि एक बार आत्मा का पतन हो जाता है तो उसका पुन उठना बहुत ही कठिन होता है । नीतिकार भर्तृहरि ने तो स्पष्ट कहा है—

‘विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।’ ‘विवेक से भ्रष्ट लोगो का शतमुखी पतन हो जाता है ।’

एक बार आत्मा विवेकभ्रष्ट हुई कि फिर वह उत्थान के माधनो से सदा बंचित रहती है ; उन्नति और विकास के अवसर उसे नहीं मिल पाते । कदाचित् मिल भी जाय तो वह उस ओर झकता भी नहीं, या उनमें लाभ नहीं उठा पाता । इसी कारण उसे सदा के लिए फिर पतन के ही निमित्त मिलते जाते हैं ।

शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्यजन्म पा कर चोरी आदि पापकर्मों को एक बार अपना लेता है ; और जीवन के अन्तिम समय तक अपने पापों का कोई पछतावा या आलोचना आदि नहीं करता, शुद्धि का मार्ग नहीं अपनाता ; वह पापबुद्धि मरने के बाद नरक या तिर्यच में जहाँ कहीं भी जाता है, उसे कोई सद्बोध, सुसस्कार, सम्यक्त्व या सत्संग मिलना दुर्लभ होता है । उसकी बुद्धि पर कर्मों का आवरण इतना छा जाता है कि उसे वह ये चारो उत्तम बातें प्राप्त ही नहीं होने देता । धर्मसस्कार की बातें उसे नहीं सुहाती, सत्संग करना उसे आग के पास जाने-सा लगता है, सद्बोध उससे उलटा लगता है और सम्यक्त्व तो उपादान शुद्ध हुए बिना प्राप्त ही नहीं होता । हाँ, श्रेणिकराजा की तरह यदि ये मनुष्यलोक से ही क्षायिक सम्यक्त्व साथ में ले कर नरक में जाते तो उनके लिए नरक अशुभकर्मों को क्षय करने की स्थली—तपोभूमि बन जाता । नरक तो दूर रहा, इस लोक में भी उनके जीवन में सम्यक्त्व होता, तो चोरी जैसे कुकर्मपथ में एकाध बार चढ़ जाने पर भी

वे पश्चात्ताप करते, उसका प्रायश्चित्त लेते, अपना अपराध जाहिर में प्रकट करके या चोरी का माल उसके मालिक को वापिस लौटा कर या माल न रहा हो तो उसके मालिक के सामने विनय, क्षमायाचना और अपराध स्वीकार करके उसकी क्षतिपूर्ति करते। इस प्रकार शुद्ध हो कर जीवन बिताते। परन्तु ऐसे हठी चोरो का हृदयपरिवर्तन होना अत्यन्त दुष्कर होता है।

इसलिए मिथ्याशास्त्र का स्वीकार करके वं चोर जब एक बार अनार्यकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं तो फिर वे उन्हीं पापकर्मों से बलात् प्रेरित हो कर वैसे ही पापकर्म पुन पुन करते जाते है और उन्हीं नरक-तिर्यञ्चयतियो में परिभ्रमण करते रहते है। ऐसे गुरुकर्मा जीवों के उत्थान के मार्ग में यदि सबसे भयंकर कोई रोग है तो वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण सद्बोध न होने से जीव बार-बार नरकादि योनियो में भटकता रहता है। यही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि चोर अपने मिथ्यात्व को छोड दे तो शीघ्र ही उत्थान के मार्ग पर आ सकता है। किन्तु मिथ्यात्व का पल्ला न छोडने के कारण वह ससारसागर में गोते लगाता रहता है।

यही कारण है कि शास्त्रकार आगे चल कर मूलपाठ में इसी बात को द्योतित करते हैं—'नरग-तिरिय-नर-अमरगमणपेरंतचक्रबालं . . . संसारसागरं . . . निष्चं उत्तत्य-मुष्णमयसण्णसंपउत्ता वसंति।' इसका भावार्थ यह है कि वे जन्म-मरण के चक्र से अत्यन्त तग आ कर दिशाशून्य एवं भयादि संज्ञाओं के बशीभूत हो कर और कोई रास्ता न पाकर अनन्त काल तक उसी ससारसागर में जन्ममरण के गोते लगाते रहते हैं। यहाँ शास्त्रकार ने ससार के साथ समुद्र की तुलना करके गुरुकर्मा जीव की मनोदशा तथा जीवन की स्थिति का सुन्दर विश्लेषण किया है। यह वर्णन मूलार्थ व पदार्थान्वय में स्पष्ट है। यहाँ इस पर अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं।

मानवजीवनप्राप्ति के बाद भी भयंकर सजा—मनुष्य का जीवन इतना उत्तम जीवन है कि इस जीवन में मनुष्य चाहे तो सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य एवं तपत्याग के द्वारा पूर्वकर्मों का क्षय करके अपना जीवन शुद्ध बना कर मोक्षप्राप्ति कर सकता है; किन्तु पूर्वजन्मों में की हुई चोरी जैसी निन्द्य प्रवृत्ति का फल लाखों जन्मों में भोगने के पश्चात् मनुष्यजन्म पा लेने पर भी चोर को सच्ची राह नहीं मिलती। इसलिए मनुष्यजन्म अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होने पर भी उसे पूर्वकृत अशुभ आचरण की सजा मिलती है और वह मनुष्य समाज में तिरस्कृत, निन्दित, अपमानित, धूणित और दीन-हीन जीवन बिताता हुआ जैसे-तैसे कष्टमय जिवनी पूरी करता है। वह अपनी दुर्दशा पर आसू बहाता है, अपने को कोसता है, दूसरों के

वैभवा, सत्कार, ठाठबाट आदि को देख कर तरसता है; परन्तु पा कुछ भी नहीं सकता। क्योंकि उसने चोरी जैसे कुकर्म को किसी जन्म में अपना कर हजारों का धनहरण किया, उन्हें लूटा, खसोटा, सताया, मार डाला और उनका घरबार जला दिया। क्या उसका फल उसे वैसे ही रूप में नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा! इसीलिए कई जन्मों पूर्व का वह चोर अब खुद लुटता है, पिटा है, दरिद्र बनता है, मन में जलता है, चोर अन्तराय कर्म के उदयवश वह कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, अज्ञ, मूढ़, नीच और कुसस्कारी बनता है।

इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ द्वारा उद्धोषित करते हैं—‘उष्णिगावास-वर्साहं’... पावकम्मकारी ... षेव सुहं षेव निष्पुति उवलभंति, अचंचतधिउल्ल-दुक्खसयसंपलित्ता ... अबिरया।’ इसका अर्थ मूलार्थ तथा पदार्थान्वय में स्पष्ट-रूप से किया जा चुका है।

मतलब यह है कि मनुष्य चाहे जैसा कुकर्म करके यहाँ सरकार, समाज या कुल की आँखों में धूल झोक दे; फलतः दंड से स्पष्ट बच जाय, सजा से साफ बरी हो जाय, लेकिन वे दुष्कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे कही न कही, उसे उसका फल भुगवा कर ही छोड़ते हैं। वहाँ किसी की पेश नहीं चलती। कई बार तो ऐसे दुष्कर्म का फल हाथोहाथ इसी जन्म में मिलता देखा जाता है। किसी ने किसी के लड़के की हत्या की, उसका इकलौता लड़का मर गया। किसी ने किसी गरीब सच्चरित्र व्यक्ति को लूटा या उसका घरबार नीलाम करवा दिया, उसकी दुराशीष के फलस्वरूप उस पापकर्म करने वाले का भी धन बीमारी, मुकद्दमेबाजी या अन्य कामों में खर्च हो गया और वह कगाल हो गया; असाध्य बीमारी का शिकार हो गया। कर्मों के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अतः जो यहाँ स्वयं ही अपने कृत कर्मों पर विचार करके शुद्ध हृदय से उसका प्रायश्चित्त कर लेता है वह अपने गाढ़ बन्धनों को हलका कर सकता है।

परन्तु यदि कोई जिद्द ठान कर अपने दुष्कर्मों में दिनोदिन वृद्धि करता जाता है, हंसते-हसते बेसटके पापकर्म करता जाता है, तो उसका फल उसे रो-रो कर भोगना पड़ता है। शास्त्रकार स्वयमेव कहते हैं—‘न थ अवेदधित्ता अरिथ उ भोक्खोसि’ अर्थात्—उन दुष्कर्मों का फल भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं। इसमें किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं होती।

‘एवमाहुंसु कहेसी थ अबिष्णादाणस्स फलविदानं एयं’—इसका अर्थ स्पष्ट है। इस बात से तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के प्रति शास्त्रकार ने अपनी विनय-भक्ति प्रदर्शित की हैं, और इन बातों को उन बोतराग सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा प्रतिपादित बता कर इस सारे वर्णन पर प्रामाणिकता की छाप लगा दी है।

एयं तं तत्तियं वि अबिम्नादाणं...दुरंतं—इस सूत्रपाठ का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार अदत्तादान की भयकरता और अशान्ति-दुःखप्रदता बता कर पुनः विवेक जगाते हैं । यह शास्त्रकार का पुनरुक्तिदोष न समझ कर आप्तपुरुष द्वारा अपने स्वजन को बार-बार समझाने के समान ससारी प्राणियों के लिए बार-बार दिया गया हितोपदेश समझना चाहिए ।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र की सुबोधिनी व्याख्या सहित तीसरे अध्यायद्वारा के रूप में अदत्तादान आश्रव नामक तृतीय अध्यायन पूर्ण हुआ ।



चतुर्थ अध्ययन : अब्रह्मचर्य-आश्रव

अब्रह्मचर्य का स्वरूप

तीसरे अध्ययन में तृतीय अधर्म—अदत्तादान आश्रव का वर्णन किया गया था। अब इस चौथे अध्ययन में शास्त्रकार चतुर्थ अधर्म— अब्रह्मचर्य आश्रव का वर्णन करते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जो मनुष्य अपनी इन्द्रियो और मन पर संयम नहीं रखता, इन्द्रियविषयो में अत्यधिक आसक्त रहता है, अब्रह्मचर्य में प्रवृत्त होता है; वही प्रायः चोरी किया करता है। इसलिए प्रसंगवश अदत्तादान के पश्चात् अब्रह्मचर्य का निरूपण किया जा रहा है। शास्त्रकार की प्रतिपादनशैली यह रही है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण निरूपण करने के लिए वे स्वरूप, नाम आदि ५ द्वारों के जरिये वर्णन करते हैं। अतः यहाँ भी पहले की भाँति अब्रह्मचर्य का वर्णन करते समय शास्त्रकार पहले उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं—

मूलपाठ

जंबू ! अबंभं च चउत्थं सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थ-
णिज्जं, पंकपणयपासजालभूयं, थोपुरिसनपुंसवेदचिघं, तवसंजम-
बंभचेरविग्घं, भेदायतणबहुपमादमूलं, कायरकापुरिससेवियं,
सुयणजणवज्जणिज्जं, उड्ढनरयतिरिय-तिलोक्कपइट्ठाणं, जरा-
मरणरोगसोगबहुलं, वह्बंघविघात-दुव्विघायं, दंसणचरित्तमोहस्स
हेउभूयं, चिरपरिचियमणुगयं दुरंतं चउत्थं अधम्मदारं ॥सू० १३॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! अब्रह्म च चतुर्थं सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य प्राचनीयम्,

१ कहीं-कहीं इसके बदले 'चिरपरिगमणाइकालसेवियं' पाठ भी मिलता है।

—संपादक

पंकपनकपाशजालभूतम्, स्त्रीपुरुषनपुंसकवेदचिह्नम्, तपःसंयमब्रह्मचर्य-
विध्नो, भेदायतनबहुप्रमादमूलम्, कातरकापुरुषसेवितम्, मुजनजनवर्जनीयम्,
ऊर्ध्वद्वनरकतिर्यक्त्रैलोक्यप्रतिष्ठानम्, जरामरणरोगशोकबहुलम्, बध-अन्ध-
विघात-दुर्विघातम्, दर्शनचारित्रमोहस्य हेतुभूतम्, चिरपरिचितम्, अनुगतम्,
दुरन्तं चतुर्थमधर्मद्वारम् ॥ सू० १३ ॥

पदार्थान्वय श्रीसुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—
(जम्बू) हे जम्बू ! (चउत्थ च) चौथा, (अवंभ) अब्रह्मचर्य—मंथुन, (सवेधमणुया-
सुरस्स) देव, मानव और असुरसहित (लोयस्स) लोक—संसार का, (पत्थणिज्जं)
अभिलाषा करने योग्य है—चाँछनीय है । (पंकपणयपासजालभूय) यह पतला कीचड़ है,
सूक्ष्म काई के समान छिपकने वाला, पाश-रूप तथा जालमय है, (थीपुरिसनपुंस-
वेदचिह्नं) स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ही इसका चिह्न है, (तवसंजमगंभचेर-
विघ्नं) यह अनशान आवि तप पांच इन्द्रियो और मन पर के समय और ब्रह्मचर्य के लिए
विघ्नरूप है । (भेदायतनबहुप्रमादमूलं) चारित्रिक जीवन के नाश के आधार स्वरूप जो
अनेक प्रकार के भवविषयकषायावि प्रमाद है, उनका मूल है । (कायरकापुरिससेविय)
कष्टों से घबराने वाले कायर और निन्दनीय व्यक्ति ही इसका सेवन करते हैं ।
(सुयणजणवज्जणिज्जं) पापों से बिरत जो सज्जन पुरुष है, उनके द्वारा त्याज्य है ।
(ऊर्ध्वद्वनरयतिरियतिलोक्यपइट्ठाणं) ऊर्ध्वलोक—देवलोक, अधोलोक—नरकलोक और
मध्यलोक-तिर्यग्लोक के रूप में जो त्रिलोक है, उसमें सर्वत्र इसकी अवस्थिति
है । (जरामरणरोगसोगबहुलं) यह बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और चिन्ता—शोक से प्रचुर
है । (बधबंधविघातदुग्बिघायं) बध—मारने-पीटने, बध—बधन में डालने और विघात-
भार डालने पर भी जिसका नाश करना बुझकर है । (वंसणचरित्तमोहस्स हेउध्मं)
दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का कारणभूत है । (चिरपरिचितं) चिरकाल से
से परिचित है । (अणुययं) निरन्तर पीछे लगा रहने वाला है (दुरन्तं) इसका परिणाम
दुःख है अथवा इसका अन्त कठिनाई से होता है । (चउत्थं अधम्मवारं) ऐसा यह
चौथा अधर्मद्वार है ।

मूलार्थ—गणधर श्रीसुधर्मास्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते
हैं—जम्बू ! यह चौथा अब्रह्मचर्य मंथुनसेवन नामक आश्रव है । देव, मनुष्य
और असुरसहित सारा लोक इसकी अभिलाषा (चाह) रखता है । यह मानव

जीवन को फंसाने के लिए दलदल (पतला कीचड़) है। पनक है, यानी काई के समान है, पाशरूप टूट बधन है, और मायाजाल है। इसे पहिचानने के चिह्न स्त्रीवेद (स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा), पुरुषवेद (पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा) और नपुंसकवेद (स्त्री और पुरुष दोनों के साथ सहवास की वृत्ति) है। यह अनशन आदि बारह प्रकार के तप, इन्द्रियों और मन आदि पर के संयम और ब्रह्मचर्य में विघ्न करने वाला है। चारित्र्यजीवन का नाश करने वाले मदविषयकषायादि बहुत-से प्रमादों की जड़ है। कष्टों से घबराने वाले कायर और निम्न पुरुष इसको हृदय से अपनाते हैं। श्रेष्ठजनो—पापो के त्यागी पुरुषों द्वारा यह त्याज्य है। स्वर्ग, नरक और तिर्यग्—इन तीनों लोको में यह प्रतिष्ठित—जड़ जमाए हुए— है। यह बुडापा, मौत, रोग और शोक—चिन्ताओं का कारण है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति को मारने-पीटने, बन्धन में डालने या जान से खत्म कर देने पर भी इसका सर्वथा नाश करना—मिटाना कठिन है। दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय कर्मबन्ध का हेतु यही है। यह जीव का अनादिकाल से परिचित है, जीव के साथ लगातार इसका सम्बन्ध रहा है और इसका अन्त (परिणाम) दुःखदायी है अथवा दुःख से इसका अन्त किया जा सकता है। इस प्रकार का यह चौथा अधर्मद्वार है।

व्याख्या

तीसरे अधर्मद्वार—अदत्तादान-आश्रव के निरूपण करने के पश्चात् शास्त्र-कार अब चौथे अधर्मद्वार—अब्रह्मचर्य-आश्रव का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम अब्रह्मचर्य का स्वरूप बताते हैं।

अब्रह्मचर्य का लक्षण—हिंसा, मृदावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह—इन पाचों आश्रवों में से अब्रह्मचर्य आश्रव का त्याग बड़ा ही दुष्कर है। बड़े-बड़े योगियों, साधकों, त्यागियों और तपस्वियों को इसने पछाड़ दिया है। इसका नेप इतना गाढ़ है कि एक बार लगने पर जल्दो छूटता नहीं। कहा भी है—

‘हरिहरहरिभ्यवर्भप्रमुञ्चे भुवने न कोऽप्यसौ शूरः।

कुसुमविशिलस्य विशिलान् अस्खलयत् यो जिनावन्धः ॥’

अर्थात्—‘विष्णु, महेश और ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी सत्कार में व्यक्त हैं, उनमें सिवाय वीतराग के कोई ऐसा शूरवीर नहीं है, जिसने काम (अब्रह्मचर्य) के बाणों को व्यर्थ किया हो, यानी जो काम के बाणों का शिकार न हुआ हो।

अब्रह्म, काम, मैथुन, विषयसेवन, कुशील आदि सब समानार्थक शब्द हैं। ब्रह्म का अर्थ आत्मा या परमात्मा होता है। ब्रह्म यानी आत्मा या परमात्मा में रमण करना अथवा आत्मा या परमात्मा की सेवा में लगना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिस प्रवृत्ति में आत्मा या परमात्मा को छोड़ कर इन्द्रियविषयो का ही आसक्तिपूर्वक सेवन होता हो, शरीर पर मूर्च्छा-ममता करके उसी की सेवा में रातदिन लगे रहना होता हो, वह अब्रह्मचर्य है। जब मनुष्य शरीर और इन्द्रियो के लुभावने विषयो में आसक्त हो जाता है तो सर्वप्रथम कामवासना या मैथुनसेवन की प्रवृत्ति की ओर ही झुकता है। फिर वह जननेन्द्रिय पर संयम नहीं रखता। यही अब्रह्मचर्य है, शीलभ्रष्टता है, मैथुनसेवन है और कामवासना की प्रवृत्ति है।

अब्रह्मचर्य के चिह्न—किसी व्यक्ति में अब्रह्मचर्य की वृत्ति है या नहीं? इसकी पहिचान केवल उसकी बाह्य वेशभूषा से ही नहीं होती। इसकी पहिचान के लिए शास्त्रकार ने तीन चिह्न बताए हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद—‘बीपुरिस-नपुसवेद-चिह्नं’। जब तक स्त्री को पुरुष के माथ रमण करने की इच्छा अन्तर्मन में जागती हो, तब तक उसमें अब्रह्मचर्य की वृत्ति मीजूद है और उसको शास्त्रीय परिभाषा में स्त्रीवेद कहा गया है। जब तक पुरुष के अन्तर्मन में किसी स्त्री को देख कर उसके साथ सहवास की इच्छा जागती है या उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, तब तक उसमें अब्रह्मचर्य है और उसका बाह्य प्रतीक पुरुषवेद है। जब तक किसी नपुसक को स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति रमण की इच्छा जागती है, तब तक वहा भी अब्रह्मचर्य है, और उसकी बाह्य पहिचान नपुसकवेद है। अब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति की स्थूलरूप में पहिचान स्त्री और पुरुष की दिनचर्या, व्यवहार, चेष्टाएँ, हावभाव या प्रवृत्ति देख कर ही की जा सकती है। स्थूलदृष्टि वाले दुनियावी लोग तो बाह्य व्यवहार—किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार, बलात्कार, प्रेमालाप, प्रणय आदि देख कर या पराये पुरुष के साथ किसी स्त्री का उपयुक्त व्यवहार देख कर अब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति को जान पाते हैं।

अब्रह्मचर्य की सर्वत्र धूम—आज जहाँ देखो, वही अब्रह्मचर्य की धूम मची हुई है। सिनेमाघर, नाटकशाला, वेम्यालय आदि अब्रह्मचर्य के स्थानों में एव स्वागतमाणा करने वालों के यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। मनुष्यो का इतना जमघट देख कर यही कहा जा सकता है कि लोगो की ब्रह्मचर्य की ओर रुचि अत्यन्त कम है। हालांकि अब्रह्मचर्य से होने वाले नुकसानो को उनमें से बहुत-से जानते भी हैं, फिर भी मन की कामवृत्ति एव व्यसन के कारण उनके पैर धर्मस्थानो में आने के बजाय उन अधर्मस्थानो की ओर ही ज्यादा बढ़ते हैं। मनुष्यलोक में ही जब अब्रह्मचर्य की इतनी प्रवृत्ति है, इतना बोलवाला है, तब देवों, असुरो और तिर्यचों के

लोक मे क्यों नहीं होगी ? इसीलिए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—'उद्धनरवतिरिक्-
तिलोककपद्दुठान् ।'

मनुष्य जैसा समझदार और विवेकी प्राणी भी जब काम में इतना अधिक
आसक्त हो जाता है कि उसे गम्यागम्य, समय-असमय, लाभ-हानि आदि का कोई
भान नहीं रहता, तब तिर्यञ्चो का तो कहना ही क्या ? तिर्यञ्चो में तो मनुष्य
जितना विवेक और विचार नहीं है। वे कामवासना के अत्यधिक शिकार हों तो
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कहा भी है—

'कृशः काणः संजः भवन्नरहितः पुच्छश्चिकलो,
घर्णः पूयक्लिन्नः कुमिकुलशतंरावृततनुः ।
क्षुधाक्षामो जीर्णः पिठरककपालापित्तगलः,
शुनीमन्वेति रवा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥'

अर्थात्—एक कुत्ता बहुत दुबला है, काना है, लगडा है, बहरा है, पूँछकटा
है, घावो से पीप बह रही है, सँकडो कीडो से शरीर व्याप्त है, भूख से विकल है, बूढ़ा
है। पेट, कपाल और गला पिचके हुए हैं अथवा गले में पिठर-कपाल पडा है, तब भी
वह कामविवश हो कर कुतिया के पीछे लगता है। अफसोस है, काम मरे हुए को भी
मारता है ।'

देवो मे भी काम का बोलबाला है। वहाँ भी एक-एक देव के कई देवागनाएँ
होती हैं। मनुष्यलोक की तरह वहाँ भी स्त्रियों के लिए परस्पर संघर्ष होता है और
कामसुखसेवन की होड लगी रहती है। इसलिए शास्त्रकार का यह कथन सोलहो आने सच
है कि 'सदेव मनुष्यासुरस्स लोयस्स पत्थणिञ्ज'—देवता, मनुष्य और असुरसहित सारे लोक-
जगत् मे इसकी अभिलाषा है, पूछ है या लोग इसे चाहते हैं। इतना इसका आकर्षण क्यों
है ? दुनिया इस काम (अब्रह्मचर्य) के पीछे क्यों पागल बनी फिरती है ? इसका उत्तर
आगे चल कर शास्त्रकार स्वयं ही देते हैं—'चिरपरिचियमणुगयं ।' यह अब्रह्मचर्य चिर-
परिचित है, अनादिकाल से अभ्यस्त है, परम्परा से सभी प्राणी बारबार इसके सम्पर्क मे
आते हैं, लगातार इसके साथ सम्बन्ध बना रहा है, यह सतत प्राणी के साथ-साथ चला
आ रहा है। प्राणी जहाँ भी जिस योनि मे भी जाता है, वहाँ काम (मैथुन) उसके साथ
निरन्तर रहता है, इसलिए इसका छोड़ना अत्यन्त दुष्कर लगता है।

'पंकपण्यपासजालभ्रमं'—इसीलिए शास्त्रकार ने अब्रह्मचर्य (काम) को दलदल-
पतला कीचड़, चिपकने वाला गाढ़ बंधन और जाल के समान बताया है। जैसे प्राणी
दलदल मे फँस जाने पर निकल नहीं सकता ; प्रायः वह वही फँस कर मर जाता है ;
जैसे ही काम के दलदल मे फँस जाने पर मनुष्य सहसा निकल नहीं सकता। जैसे-
पाश में बंधे हुए मुगादि पशुओं का और जाल में फँसे हुए मछली आदि जलचरजीवों

का छूटना दुष्कर है, वैसे ही काम के पाश और जाल से छूटना भी कठिन है । कहा भी है—

सन्मार्गे तावदास्तो प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणाम्,
लज्जां तावद् विधत्ते, विनयमपि समालम्बते तावदेव ।
ध्रुवापाहृष्टमुक्ताः अवणपचक्षुषो नीलपश्माण एते ।
यावत्सौम्यावतीनां न हृदि धृतिमुषो वृष्टिबाणाः पतन्ति ॥

अर्थात्—यह पुरुष तब तक ही सन्मार्ग में लया रहता है, तब तक ही इन्द्रियों पर विजय पाता है, तब तक ही लज्जा रखता है और विनय करता है ; जब तक उस पर युवती नारियों के भीह रूपी धनुष से खीच कर फँके गए तथा कान तक पहुँचे हुए धैर्य को हरने वाले, नीले पश्म वाले वृष्टिबाण (काम के बाण) नहीं पड़ते हैं । उसकी वही नैतिकमृत्यु हो जाती है ।

इसीलिए जिस प्राणी के जीवन में अब्रह्मचर्य ने स्थान पा लिया है, उसे चाहे जितना मारा-पीटा जाय, सताया जाय या बधन में डाला जाय, अवया प्राणरहित कर दिया जाय, उसका अब्रह्मचर्य के कुसस्कार से सर्वथा बच निकलना मुश्किल है, क्योंकि इसका चप ही इतना गाढ़ है कि छूटना कठिन होता है । कहा भी है—

‘किं किं ष कुण्ड, किं किं न भासए चितए वि ध न किं किं ? ।
पुरितो विसयासतो बहलंघसिउध्व मज्जेण ॥’

अर्थात्—मद्य से मत्त पुरुष की तरह विषयासक्त पुरुष क्या-क्या नहीं करता ? क्या-क्या नहीं बोलता ? क्या-क्या नहीं सोचता ? इसी बात को ‘बधबंध-विघातदुःखघायं’ और ‘वुरंतं’ इन दो पदों में शास्त्रकार स्वयं कहते हैं ।

अब्रह्मचर्य से कायिक, मानसिक और आत्मिक हानियाँ—अब्रह्मचर्य जीवन का सर्वनाश करने वाला है । जो व्यक्ति इसके चंगुल में फँस जाता है, वह वीर्यनाश करके शरीर की शक्ति को खत्म कर बैठता है । वीर्य शरीर की शक्ति का मूल है । अगर वीर्य का अधिक नाश हो जाता है तो अशक्त हो जाने के कारण मनुष्य क्षयरोग, हृदयरोग, मदाग्नि आदि अनेक बीमारियों का शिकार बन जाता है, कहा भी है—

‘कम्पः स्वेदः श्मो मूर्च्छा, श्मिग्मर्त्तानिर्बलक्षयः ।
राज्यक्ष्मादिरोगाश्च भवेयुर्नैपुनोत्थिताः ॥’

‘अब्रह्मचर्य से कपन, पसीना, थकान, मूर्च्छा, चक्कर आना, घबराहट, कमजोरी एवं टी. बी. आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं ।’ उसे असमय में ही बुढ़ापा आ घेरता है । वीर्यनाश करने वाला व्यक्ति रातदिन निराश, चिन्तातुर और उत्साहहीन बना रहता है । वह किसी भी अच्छे कार्य को करने का साहस नहीं कर सकता । उसके चेहरे पर सदा मायूसी छाई रहती है । एक आचार्य ने कहा है—

‘जो सेवइ कि लहई, धामं हारेइ, दुबल्यो होइ ।

पावेइ बेमणस्सं बुषखाणि य अस्तबोसेणं ॥’

‘मैयुनसेवन से क्या लाभ होगा ? मनुष्य अपने उत्साह और स्फूर्ति को खो देता है, दुर्बल हो जाता है। मन में ग्लानि पाता है और अपने आपकी इस गलती से अनेक दुःख पाता है।’ यह तो हुई शारीरिक और मानसिक हानियाँ, जिनका संकेत शास्त्रकार ने स्वयं किया है—‘जरामरणरोगसोगबहुल’। अब आध्यात्मिक हानि की बात सुन लीजिए। जिसके जीवन में अन्नह्यचर्य ने अड़ा जमा लिया है, उसकी आत्मा दुर्बल हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास नाममात्र को भी नहीं होता, उसके जीवन में मद, विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय, निन्दा या निद्रा और विकषया (स्त्री-भक्त-राज-देश की कुचर्चा) ये पाचो प्रमाद घुस जाते हैं और उसके चारित्रिक जीवन का सर्वनाश कर देते हैं। जीवन को मोहाच्छन्न करके सच्चे ज्ञान से, दर्शन से और शुद्ध आचरण से रहित कर देने वाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय घुन की तरह उसके जीवन में लग जाने हैं और वे दोनों कर्म उसकी आत्मा को विविधगतियों और योनियों में बारबार भटकाते हैं। कभी नरक में ले जाते हैं तो कभी तिर्यचगति में भटकाते हैं। आचार्यों ने बताया है—

तिष्ठकसाओ बहुमोहपरिणधो, रागबोससजुलो ।

बंधइ चरित्तमोहं बुबिहंपि चरित्तगुणघाई ॥१॥

अरिहंतसिद्धचेईअतवसुअगुरुसाहसघपडिणीओ ।

बंधति बंसणमोह अणंतसंसारिओ जेण ॥२॥

अर्थात्—‘तीव्रकषायी, अत्यन्तमोही, राग और द्वेष से युक्त व्यक्ति चारित्रगुण का घात करने वाले दो प्रकार के चारित्रमोहनीयकर्म का बध करता है। अन्नह्यचर्य का सेवन करने वाला अहन्त (बीतराग), मिद्ध, चैत्य, तप, श्रुत-शास्त्र, गुरु, साधु और सध का विरोधी बन जाता है, जिससे वह दर्शनमोहनीय कर्म का बध करता है और उसके कारण अनन्तकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है।’

ये सब बहुत बड़ी आत्मिक हानिया हैं। इसी की साक्षी शास्त्रकार के ये वचन देते हैं—‘भेदायतण-बहुपभायमूलं बंसणचरित्तमोहस्स हेउभूयं ।’ इसके अतिरिक्त आत्मा के विकास के लिए जो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तभाव्यासन, कायक्लेश (धर्मपालन के लिए कष्टसहन), प्रायश्चित्त, विनय, वैया-वृत्त्य (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान, और व्युत्सर्ग ये १२ प्रकार के तप हैं; अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पाचो इन्द्रियों पर नियंत्रण, मन का नियंत्रण, आदि सयम के प्रकार हैं और ब्रह्मचर्य रूप हैं, अन्नह्यचर्य (मैयुनसेवन) इनमें सदा रुकावट डालने वाला है। आत्मा के विकास के लिए महापुरुषों ने जो भी प्रक्रियाएँ या साधनाएँ बताई हैं;

उन सबमें अब्रह्मचर्य विघ्नकारक है। तप, जप, ध्यान, मीन, स्वाध्याय, सेवा आदि सब में यह रोड़ा अटकाने वाला है। इसीलिए कहा है—‘तबसंजमबंभचेरबिग्गं ।’ मतलब यह है कि अब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और आत्मिक सभी प्रकार की हानि करने वाला है।

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक डॉ० थोरो से उसके शिष्य ने पूछा—‘गुरुदेव ! मनुष्य को अपने जीवन में कितनी बार स्त्रीप्रसंग करना चाहिए ?’ थोरो ने उत्तर दिया—‘जीवनभर में सिर्फ एक बार ।’ शिष्य ने फिर पूछा—‘अगर इतने से न रहा जाय तो ?’ थोरो ने कहा—‘साल में एक बार ।’

‘अगर इतने से भी न रहा जाय तो ?’ शिष्य ने पुनः पूछा ।

थोरो—‘तो, महीने में एक बार ।’

शिष्य—‘अगर इस पर भी न रहा जाय तो क्या करना चाहिए ?’

थोरो—‘तब उसे कफन ले कर अपने सिरहाने रख लेना चाहिए और फिर जो मन चाहे करना चाहिए ।’

मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य के नाश से जीवन का ह्रास और नाश होता है। अब्रह्मचर्य से कितनी बड़ी हानि है यह ?

कई लोग यह मानते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी आदि से तो अपने नुकसान के साथ-साथ दूसरों का भी बड़ा भारी नुकसान है, लेकिन अब्रह्मचर्य से केवल अपना ही नुकसान होता है, इसमें परिवार, राष्ट्र या समाज आदि का क्या नुकसान है ?

परन्तु यह भ्रान्ति है। अब्रह्मचर्य-सेवन से अपनी तो अपार हानि होती ही है, परिवार आदि की भी बहुत बड़ी हानि होती है। जिस परिवार, कुल, जाति या राष्ट्र में व्यभिचारी या कामी पुरुष होते हैं, वे अपने दुष्कार्य से उसे बदनाम और कलकित करते हैं, उनकी संतानों में भी परम्परा से प्रायः वे ही कुसंस्कार उतर कर आते हैं। वह परिवार या समाज को दुर्बल, निर्वीर्य, निरुत्साही व कुसंस्कारी सतान दे जाता है। ऐसे व्यक्ति कई पैतृक रोग भी अपनी सतान को दे जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अब्रह्मचर्य-सेवन करने वाला प्रायः किसी न किसी रोग से अल्प आयु में ही कालकवलित हो जाता है; इससे राष्ट्र या समाज को उसके जीवन से होने वाले सुकार्यों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है, परिवार को उसकी बीमारी के समय आर्थिकहानि उठानी पड़ती है; हैरानी-परेशानी भोगनी पड़ती है और उसकी सेवा में लगातार जुटा रहना पड़ता है, जिससे आजीविका का कार्य ठप्प हो जाता है। ये सब सामाजिक, पारिवारिक या राष्ट्रीय हानियाँ कम नहीं हैं !

अब्रह्मचर्य का सेवन कौन करते हैं, कौन नहीं ?—अब सवाल यह होता है कि अब्रह्मचर्य अब इतनी अगणित हानियाँ करता है तो उसका सेवन कौन व्यक्ति और क्यों सेवन करते हैं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—‘कायरकापुरिस-

सेषियं ...सुयणञ्जवज्जनीयं' अर्थात्—कायर और समाज में घृणित लोग ही प्रायः इसका सेवन करते हैं, धर्मपरायण विवेकी सज्जनपुरुष तो इसे त्याज्य समझते हैं। जो लोग भ्रान्तिवश ब्रह्मचर्य का पालन करना महाकष्टदायक समझते हैं; ससारासक्त मोही जनों को देख कर वे विषयभोगो या मैथुनसेवन में ही आनन्द की कल्पना करते हैं, वे ही स्त्रीपरिषह या कामवासना पर विजय नहीं पाने वाले तथा कष्टों से घबराने वाले कायर व्यक्ति होते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है और जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त कराने वाला है। अब्रह्मचर्य ही अस्वाभाविक, कष्टकर और सतानोत्पत्ति एव सतानो के पालन-पोषण, विवाहादि करने की नाना चिन्ताओं का जाल बढाने वाला है। इसमें सुख होता तो वीतरागपुरुष या उनके पदचिह्नो पर चलने वाले साधु और श्रावक इसका त्याग न करते। इसलिए शास्त्रज्ञ, विवेकी और धर्मपरायण पापी से विरक्त सज्जन पुरुष तो इसे विष की तरह त्याज्य समझते हैं। शेष समस्त पदो का अर्थ पदार्थान्वय एव मूलार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है।

अब्रह्मचर्य के पर्यायवाची नाम

पिछले सूत्र में शास्त्रकार अब्रह्मचर्य के स्वरूप का निरूपण कर चुके, अब आगे के सूत्रपाठ में वे क्रमशः अब्रह्मचर्य के समानार्थक नामों का निर्देश करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य णामाणि गोष्णाणि इमाणि ह्येति तीसं; तंजहा—
 १ अबंभं, २ मेहुणां, ३ चरंतं, ४ संसग्गि, ५ सेवणाधिकारो
 ६ संकप्पो, ७ बाहणा पयाणां, ८ दप्पो, ९ मोहो, १० मण-
 संखोभो (संखेवो) ११ अणिग्गहो, १२ वि-(वु)ग्गहो, १३ विघा-
 ओ, १४ विभंगो, १५ विब्भमो, १६ अधम्मो, १७ असीलया,
 १८ गामधम्मत(ति)त्ती, १९ रती, २० राग्गिचिता-(रागो),
 २१ कामभोगमारो, २२ वेरं, २३ रहस्सं, २४ गुज्झं, २५ बहु-
 माणो, २६ बंभचेरविग्घो, २७ वावत्ति, २८ विराहणा, २९
 पसंगो, ३० कामगुणोत्ति वि य तस्स एयाणि एवमादीणि नाम-
 धेज्जाणि ह्येति तीसं ॥ सू० १४ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानि गुण्यानि इमानि भवन्ति त्रिसत्, तद्यथा—१ अब्रह्म
 २ मैथुनं, ३ चरतं, ४ संसर्गि, ५ सेवनाधिकारः, ६ संकल्पः, ७ बाधना पदा-

नाम्, ८ दर्पः, ९ मोहः, १० मनःसंक्षोभः [संक्षेपः], ११ अनिग्रहः, १२ विग्रहः [ध्रुवग्रहः], १३ विघातः, १४ विभंगः, १५ विभ्रमः, १६ अधर्मः, १७ अशीलता १८ ग्रामधर्मतन्त्रिः (तृप्तिः), १९ रतिः, २० रागचिन्ता (रागः), २१ कामभोगम.रः, २ बेरं, २३ रहस्यं, २४ गुह्यं, २५ बहुमानः, २६ ब्रह्मचर्यविघ्न, २७ ध्यापत्तिः, २८ विराधना, २९ प्रसंगः, ३० कामगुण, इत्यपि च तस्यैतानि एवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिंशत् ॥सू० १४॥

पदार्थान्वय—(तस्स य) उस अब्रह्मचर्य के (इमाणि) ये, (गोष्णाणि) गुण-निष्पन्न सार्थक, (तीसं) तीस, (धामाणि) नाम, (होति) होते हैं। (तज्जहा) वे इस प्रकार हैं—(अर्वाभं) अब्रह्म, (मेहृणं) मैथुन (चरंतं) सारे विश्व में चलने वाला या व्याप्त, (संसर्गि) स्त्री-पुरुष के संसर्ग से जनित, (सेवणाधिकारो) चोरी आदि दुष्कर्मों के सेवन में निमित्त या नियुक्त, (संकप्यो) संकल्प-विकल्प से होने वाला, (बाहणा पयाजं) संयम के स्थानों अथवा संयमी पद पर स्थित लोगो की बाधा पौड़ा का हेतु, (दप्यो) शरीर और इन्द्रियो के दर्प उद्रेक से उप्पन्न होने वाला, (मोहो) मोह—मूढ़ता या मोहनीय कर्म से उत्पन्न होने वाला, (मणसंखोभो) चित्त की चंचलता अथवा (मणसंखेवो) मन के संक्षेप अर्थात् मन की संकीर्णता से होने वाला, (अणिग्गहो) विषय में प्रवृत्त होते हुए मन तथा इन्द्रियो का न रोकना, (विग्गहो) कलह का कारण, अथवा (वुग्गहो) विपरीत अभिनिवेश—हठ से होने वाला, (विघाओ) गुणों का विघातक, (विभंगो) संयम के गुणो का भंग करने वाला, (विभ्रमो) परमार्थ की छान्ति का कारण अथवा विभ्रमों का, कामविकारों का आश्रय, (अधम्मो) अधर्म, (अशीलया) शील-रहितता—सदाचारहीनता, (ग्रामधर्मतन्त्री) ग्रामधर्मो—इन्द्रियविषयों—शब्दादि कामगुणों की तलाश का कारण, (रती) रति-क्रीडा - संभोगक्रिया, (रागचिता) राग-प्रणय का चिन्तन अथवा शृंगार, हावभाव, विलास आदि रागरंगों का चिन्तन, (कामभोगमारो) काम और भोग में अत्यधिक आसक्ति होने पर मृत्यु का कारण अथवा कामभोगों का साथी मार यानी कामदेव, (बेरं) बेर का हेतु, (रहस्सं) एकान्त में आचरणीय, (गुज्जं) गोपनीय, (बहुमानो) बहुत से लोगों द्वारा मान्य या इष्ट, (बंभचेरविग्घो) ब्रह्मचर्य के लिए विघ्नरूप, (वावत्ति) आत्म-गुणों से छष्ट करने वाला, (विराहणा) चारित्रधर्म की विराधना—नाश करने वाला (पसंगो) कामभोगों में आसक्ति, (कामगुणो) कामवासना का कार्य, (त्ति) इस प्रकार (तस्स) उस अब्रह्मचर्य के, (एयाणि) ये, (तीसं) तीस तथा (एवमादीणि) इस प्रकार के (अवि य) और भी अनेक (नामधेज्जाणि) नाम (होति) हैं।

मूलार्थ—इस अब्रह्मचर्य के गुणयुक्त अर्थात् यथार्थगुणों को प्रगट करने वाले सार्थक तीस नाम हैं। वे इस प्रकार हैं १-अब्रह्म—आत्मा और परमात्मा की उपासना से रहित अकुशल अनुष्ठान, २-मैथुन- स्त्रीपुरुष के जोड़े के संयोग से निष्पन्न होने वाला, ३-सारे विश्व में व्याप्त या सर्वत्र चलने वाला, ४-स्त्री और पुरुष के सपर्क से जन्य ; ५-चोरी आदि पापकर्मों के सेवन में लगाने वाला, ६-मन के संकल्प से उत्पन्न होने वाला अथवा संकल्प-विकल्प का कारण, ७-संयम के स्थानो अथवा संयमीजनों को बाधा-पीडा पहुँचाने वाला, ८-शरीर और इन्द्रियो के दर्प से—अधिक पुष्ट होने से—उत्पन्न अथवा गेह्वर्य आदि के अभिमान से पैदा होने वाला, ९-सूढता-अज्ञानतारूप, अथवा मोहनीयकर्म का कार्य, १०-मन में क्षोभ से उत्पन्न होने वाला अथवा मन का मंछेप करना—मन को केवल स्त्री के प्रेम में ही संकीर्ण कर देने वाला, ११-विषयो में दौडते हुए मन का और उद्दाम इन्द्रियो का निग्रह न करना, १२-विग्रह-लडार्ड-भगडो का कारण, अथवा विपरीत अभिनिवेश-पूर्वाग्रह से उत्पन्न, १३-आत्मा के चारित्रगुणो का घातक, १४-संयम के गुणो का भंजक, पूर्णाविस्था तक उन गुणो को न पहुँचाने देने वाला, १५-अहितकर विषयभोगो में हित की भ्रान्ति पैदा करने वाला, १६-अधर्म का कारण, १७ शील का नाशक, १८ इन्द्रियों के शब्दादिविषयो को ढूढने का कारण, १९-रतिक्रीडा करना-मैथुनसेवन करना, २०-प्रेमी-प्रेमिका के शृंगार, हावभाव, रतिक्रीडा आदि रागरगो के चिन्तन से पैदा होने वाला ; २१-काम-भोगो में अत्यन्त आसक्ति होने से मृत्यु का कारण, २२-स्त्री के निमित्त से वैरविरोध का कारण। २३-एकान्त में किया जाने वाला कार्य, २४-छिप कर किया जाने वाला या छिपाने योग्य, २५-सांसारिक जीवो द्वारा बहुत मान्य या इष्ट, २६ अब्रह्मचर्यपालन में विघ्नकारक, २७ आत्मा को निजगुणो से भ्रष्ट करने वाला, २८ चारित्र की विराधना का कारण, २९-कामभोगो में आसक्ति का कारण, ३०-कामगुण—कामवासना का कार्य ; इस प्रकार अब्रह्मचर्य के ये तीस तथा इस प्रकार के और भी नाम होते हैं।

ध्याख्या

अब्रह्मचर्य शब्द ही एक व्यापक अर्थ वाला है, जिससे सभी अर्थ प्रगट हो सकते हैं; लेकिन परहितपरायण दयालु शास्त्रकार आम जनता को स्पष्टरूप से समझाने और इस बात को उनके गले उतारने की दृष्टि से इसके तीस नामो का निरूपण

करते हैं, जो अब्रह्मचर्य के समानार्थक हैं, सार्थक है, और गुणनिष्पन्न हैं। यद्यपि 'मूलार्थ' में इन सबके अर्थ स्पष्ट हैं, फिर भी इनकी व्याख्या करना आवश्यक समझकर संक्षेप में व्याख्या करते हैं—

'अब्रह्म' सस्कृत भाषा में इसका रूप होगा—'अब्रह्म', जिसका सामान्य अर्थ है—ब्रह्म का अभाव। 'ब्रह्म' शब्द निम्नोक्त सात अर्थों में प्रयुक्त होता है—तत्त्व, तप, वेद, ब्रह्मा, यज्ञ कराने वाला, योग का एक भेद और ब्राह्मण।^१ यहाँ प्रसंगवश तत्त्व, तप, वेद और ब्रह्मा इन चार अर्थों का इस शब्द में समावेश हो सकता है। तत्त्व का अर्थ आत्मस्वरूप है। आत्मा का ब्रह्म से यानी अपने स्वरूप से अलग हो जाना, आत्मस्वरूप को छोड़ कर इन्द्रियो के विषयो में प्रवृत्त हो जाना, अब्रह्म है, अतत्त्व रूप है। तप पवित्र अनुष्ठान या आचरण को कहते हैं। मैथुन अपवित्र आचरणरूप है, उसके सद्भाव में तप का होना अमम्भव है। इसलिए यह अब्रह्म अतप—अकुशलानुष्ठान—पापाचरण रूप भी है। वेद का अर्थ आगमज्ञान है। जिसके हृदय में कामवासना जाग रही है, उसके हृदय में सम्यग्ज्ञान नहीं होता। अतएव अब्रह्म अवेद—अज्ञानरूप है। ब्रह्म परमात्मा या भगवान् वीतराग अर्हन्त को कहते हैं। जिसमें ज्ञानावरणीय आदि (चार घातिकर्म तथा रागद्वेषादि भाव) कर्म नहीं होते, वह अर्हन्त है, अथवा शुद्ध आत्मा का नाम भी ब्रह्म है। जो कामी जीव होता है, वह शुद्ध आत्मभाव को अर्थात् परमात्मा—वीतराग अर्हन्त की दशा को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए शुद्ध आत्मा—परमात्मा या वीतरागरूप ब्रह्म से रहित होने के कारण वह अब्रह्म कहलाता है।

'मेहुणं'—स्त्री-पुरुष के जोड़े को मिथुन कहते हैं। स्त्री-पुरुष-युगल के सयोग-विशेष से यह उत्पन्न होता है। इसलिए इसका मैथुन नाम भी सार्थक ही है।

चरत्सं—आज अब्रह्मचर्य एक या दूसरे रूप में सारे ससार में व्याप्त है, सारे ससार में यह प्रचलित है; इसलिए इसका 'चरत्' नाम यथार्थ है। ऊर्ध्वलोक में—स्वर्ग में इसकी अप्रतिहतगति है। नौ ग्रंथेयक तथा पाच अनुत्तर—विमानवासी देवों को छोड़ कर शेष देवलोकों में इसका प्रत्यक्ष साम्राज्य है। ज्योतिषी देवों में भी इसका संचार है। और मध्यलोक में वीतरागी साधुओं के सिवा मनुष्यों और तिर्यचों में सर्वत्र इसका धोनबाला है। अधोलोक में भी व्यन्तरदेवों और भवनपतिदेवों में भी कामवासना प्रबल होती है। नारक जीवों में भी नपु सकवेद के उदय से तीव्रवासना का होना आगम, सिद्ध है।

१ 'ब्रह्म तत्त्वतपोवेदे न द्वयो पु सि वेधसि ।

ऋत्विग्योगभिदोधिष्रे'—मेदिनीकोश

अथवा 'चरत्' का अर्थ यह भी हो सकता है कि सभी प्राणियों के जीवन में यह चलता रहता है, चलायमान होने वाला भी है। इसलिए इसका 'चरत्' नाम भी सार्थक है। चर् घातु जैसे गति अर्थ में है, वैसे भक्षण अर्थ में भी है। उसके अनुसार 'चरत्' का यह अर्थ भी उचित कहा जा सकता है कि जो चारित्र्य गुणों को चर जाय—उन्हे सफाचट कर दे। वास्तव में अब्रह्मचर्य विश्वव्यापी, सब प्राणियों में सचरण करने वाला या चारित्र्य गुणों का चरने वाला है, अतः इसका चरत् नाम सार्थक है।

'संसर्गि'—स्त्री और पुरुषों का संसर्ग—बार-बार एकान्त संपर्क या संस्पर्श भी कामविकारों को पैदा करने वाला होता है। इसलिए संसर्गजन्य होने से इसे अब्रह्म का पर्यायवाची कहना ठीक ही है। कहा भी है—

'नामाऽपि स्त्रीति संह्लादि विकरोत्पेव मानसम् ।

किं पुनर्दशनं तस्या विलासोल्लासितछ्रुवः ॥'

'स्त्री का नाम भी विकारी मन में आह्लाद पैदा कर देता है, मन में विकार वासना पैदा कर देता है तो फिर विलास (हाव भाव) के साथ तिरछे कटाक्ष वाली स्त्री का दर्शन या स्पर्श क्या नहीं कर सकता ?'

'सेवणाधिकारो'—यह चोरी आदि विरोधी सेवनाओं—पापकर्मों में प्रवृत्त करने वाला है। क्योंकि विषयासक्त कामी पुरुष स्त्री के इशारे पर चोरी, हत्या, मद्यपान, मासभक्षण आदि सभी अकार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। कहा भी है—

'सर्वेऽनर्था विधीयन्ते नरैरर्थकलालसैर ।

अर्थस्तु प्रार्थ्यते प्रायः प्रेयसीप्रेमकामिभिः ।'

अर्थात्—अर्थ की लालसा वाले मनुष्य दुनिया भर के सभी अनर्थों को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और प्रेमिकाओं का प्रेम चाहने वाले लोग धन अवश्य चाहते हैं।

इसलिए पापाचारों में नियुक्त या प्रेरित करने वाला होने से इसे अब्रह्म का भाई कहना उचित ही है।

संकल्पो—अब्रह्मचर्य का सर्वप्रथम प्रवेश मन के सकल्प विकल्प से होता है। कहा भी है—

'काम ! जानामि ते रूपम्, संकल्पात् किल जायसे ।

न त्वां संकल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यसि ॥'

हे काम ! मैं तेरे स्वरूप को जानता हूँ। तू संकल्प से ही तो पैदा होता है। मैं तेरा सकल्प ही नहीं करूँगा तो तू मेरी आत्मा में उत्पन्न न हो सकेगा।

इसलिए सकल्प से पैदा होने के कारण इसे अब्रह्म का पर्यायवाची कहना ठीक ही है।

बाधणा पर्याणं—अब्रह्म समय के पद अर्थात् स्थानों का बाधक है, अतः इसका बाधना नाम भी उचित है। 'पया' का संस्कृत रूप प्रजा भी होता है, अतः अब्रह्म संयमी मानव प्रजा को बाधा पहुँचाने वाला है।

बन्धो—अत्यधिक स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ वस्तुओ का सेवन शरीर को पुष्ट बना देता है; उससे भी कामविकार पैदा होता है। जैसा कि उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है—

रसा पगामं न निसेवियन्वा, पायं रसा वित्तिकरा ह्वन्ति ।

दित्तं च कामा समभिद्भवति, दुभं जहा साउफलं तु पक्खी ॥

अर्थात्—शरीर को पीष्टिक बनाने वाले रसों—स्वादिष्ट चीजों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रायः रसीले पदार्थ दर्प (उत्तेजना) पैदा करने वाले होते हैं। और दर्पयुक्त मनुष्य को कामवासनाएँ उसी तरह सताती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले पेड़ को पक्षी पीडित करते हैं।

अथवा वैभव आदि का दर्प भी मनुष्य को व्यभिचार के रास्ते चला देता है। इसलिए इसे अब्रह्म का समानार्थक कहना उचित है।

मोहो—यह अज्ञान और मूढता से उत्पन्न होता है, इमणिग इमे मोह क्हा है। वास्तव में यह वेद नामक नोकपाय, जो चारित्र्यमोहनीय कर्म का एक भेद है, उसके उदय से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मोह कहा है। मोह में अघा होकर ही मनुष्य कामवासना से प्रेरित होता है। मोह की भयकरता का वर्णन एक आचार्य ने बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है—

दृश्यं वस्तु परं न पश्यति जगत्यन्धः पुरोऽवस्थितं,

रामान्धस्तु यदस्ति तत्परिहरन् यन्नास्ति तत्पश्यति ।

कुन्वेन्दीवरपूर्णचन्द्रकलशश्रीमल्लतापल्लवाः

नारोप्याशुचिराशिषु प्रियतमागात्रेषु यन्मोदते ॥

अर्थात्—अन्धा मनुष्य तो सामने रखी हुई घड़ा, कपड़ा आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीजों को ही नहीं देख पाता, किन्तु राग (मोह) से अन्धा बना हुआ व्यक्ति तो जो प्रत्यक्ष में विद्यमान है उसको तो नहीं देखता, किन्तु जो वस्तु उसने सामने प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं है, उसे देखता है। यही कारण है कि वह अपनी मानी हुई प्रियतमा के अत्यन्त घिनौने अपवित्र शरीर में झूठी कल्पनाएँ करके प्रसन्न होता है। उसके हड्डी के दातों को कुन्दपुष्प मानता है, अस्थिमय मलयुक्त नेत्रों को नीलकमल मानता है, कफ आदि घृणित पदार्थों से भरे हुए मुख को पूर्ण चन्द्रमा की उपमा देता है, मांस के पिंड-रूप स्तनों को स्वर्ण कलश मानता है, उसकी हड्डी, मांस, रुधिर आदि से भरी हुई अपवित्र भुजाओं को सुन्दर लता की और उंगलियों को कोमल किसलयों—कोपलों की उपमा देता है। यह सब उसके अज्ञान और मोह की ही करामात है।

इसलिए मोह को अब्रह्म का साथी कहना ठीक ही है।

‘भणसंखोहो’—चित्त में चंचलता और व्यग्रता आए बिना काम-वासना उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी भी सुन्दरी को देख कर मन चलायमान न हो तो काम-वासना पैदा नहीं होती, लेकिन जब मन विचलित होता है, तभी वासना जागती है और वही

इसलिए अब्रह्मचर्य (काम) सेवन की तीव्रता से कामवासना की मुख्य निमित्त-भूत किसी स्त्री को ले कर होने वाली लड़ाई (विग्रह) भी काम के कारण होने से विग्रह को अब्रह्म का पर्यायवाची कहा गया है।

अथवा 'वुग्गहो' पद भी इसके बदले मिलता है। वस्तु को विपरीत मानना ही व्युद्ग्रह या विपरीत आग्रह है। वस्तु को विपरीत मानने पर भी काम में प्रवृत्ति होती है। जैसा कि कामियों का स्वरूप बताया है—

बुःखात्मेषु विषयेषु सुखाभिमानः, सौख्यात्मकेषु नियमाविषु च बुःखबुद्धिः ।

उत्कीर्णवर्णपवपक्तिरिवाऽन्यरूपा, सारूप्यमेति विपरीतमतिप्रयोगात् ॥

अर्थात्—'जो इन्द्रियविषय दुःखदायक है, उन्हे विपरीत आग्रहवश कामी सुखरूप मानते हैं और नियम, व्रत, त्याग आदि जो वास्तव में सुखरूप है, उन्हे वे बड़े कष्टमय मानते हैं। जैसे किसी पत्थर या लकड़ी पर उलटी खोदी हुई वर्णों और पदों की पक्ति होती है, वैसे ही कामी पुरुषों की दृष्टि और गति भी उलटी है।

व्युद्ग्रह—विपरीत आग्रह भी कामवासना का कारण होता है, अतः इसे पर्यायवाची पद मानना भी अनुचित नहीं है।

विघातो—अब्रह्मचर्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आत्मगुणों का सर्वथा घात करने वाला होने से 'विघात' भी कहता है।

क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में कामपिशाच (अब्रह्म) प्रविष्ट हो जाता है तो उसके सभी सद्गुण एक-एक करके नष्ट हो जाते हैं। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है—

'विषयासक्तचित्तस्य गुण. को वा न नश्यति ।

न चैतुष्यं, न मानुष्यं, नाभिजात्यं, न सत्यवाक् ॥

अर्थात्—जिसका चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है; उसका कौन-सा ऐसा गुण है, जो नष्ट न हो जाता हो? उस कामासक्त में तब न तो विद्वत्ता रहती है, न मनुष्यता ही। न वह कुलीनता को रख पाता है और न अपने वचनों का पाबंद ही रहता है।'

एक आचार्य ने तो यहाँ तक ललकार कर कहा है—

'जइ ठाणी जइ मोणी जइ मुंडी बकली तबस्ती वा ।

पत्यंतो अ अबंधं बंधा वि न रोयए मज्झ ॥१॥

तो पढियं तो गुणियं तो मुणियं तो य वेइओ अप्पा ।

आवडियपेल्लियानंतिओ वि जइ न पुणइ अकण्वं ॥२॥"

अर्थात् 'चाहे कोई कायोत्सर्ग में स्थित रहने वाला—ध्यानी हो, चाहे मौनी हो, चाहे वृक्ष की छाल पहने रहता हो अथवा तपस्वी हो, यदि वह अब्रह्मचर्य (काम) में प्रवृत्त होना चाहता है तो वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे तो अच्छा नहीं मालूम होता। उसी का पढ़ना सफल है, उसी का अभ्यास और मनन करना सफल है, तभी उसे ज्ञानी कहा जायगा और तभी सावधान और बिबेकी आत्मा माना जायगा, यदि वह आपत्ति आने पर भी अकार्य—अब्रह्म में प्रवृत्ति नहीं करता है।'

ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुंचा हुआ पुरुष भी कामसेवन के चक्कर में पड़ते ही एकदम नीचे गिर जाता है, सर्वथा पतित और गुणो से रहित हो जाता है। वह किसी का विश्वासपात्र नहीं रहता।

बिभंगो—अब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाते ही साधक के चारित्र्यादि गुणों का भंग हो जाता है। चारित्र-पालन के लिए जो व्रत, नियम आदि स्वीकार किये जाते हैं, वे सब टूट जाते हैं। मनुष्य सयम में शिथिल होकर मर्यादाएँ तोड़ता जाता है। यह सब प्रभाव अब्रह्मचर्य का ही है। इसलिए उसे विभंग भी कहा गया है।

बिभ्रमो—ससार में अगणित लोगों को अब्रह्मचर्य में प्रवृत्त देख कर तथा उन्हें धन और साधनों से सम्पन्न देखकर अब्रह्मचर्य के प्रति अच्छाई की या अब्रह्मचर्य में सुखप्राप्ति की भ्रान्ति हो जाती है। अतः विशेष प्रकार के भ्रम का कारण होने से अब्रह्म को विभ्रम भी कहा गया है। अथवा विभ्रम का अर्थ कामविकार भी है। अब्रह्म कामविकारो का कारण है, अतः इसे विभ्रम भी कहा गया है।

अधम्मो—मनुष्य के मन में कामविकार का प्रवेश होते ही धर्मभाव नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इसे अधर्म कहा है। अथवा यह स्वयं अधर्मरूप (पापस्वरूप) है और अधर्म (पाप) का बन्ध भी करता है, इसलिए इसे अधर्म ठीक ही कहा है।

अशीलया—शील यानी सदाचार से रहित होना अशीलता है। जब मनुष्य अब्रह्मचर्य को अपनाता है तो सदाचार की मर्यादाओं को ताक में रख देता है। चारित्रमोहनीयकर्म के उदय से कुशील सेवन होता है। इसलिए अशीलता को अब्रह्मचर्य की बहन कहें तो अनुचित नहीं।

गामधम्मतस्ती—कामी पुरुष व्यसनी की तरह रात-दिन कामवासना पैदा करने वाले शब्दादि कुविषयों की फिराक में रहता है। शब्दादि कुविषयों की तलाश करते रहना ही गामधर्म-तप्ति है। अब्रह्मचर्यपरायण व्यक्ति भी यही धषा करता है। इसलिए अब्रह्मचर्य और गामधर्मतप्ति ये दोनों साथी हैं।

'रती'—स्त्रीपुरुष की गुप्त रतिप्रीड़ा ही अब्रह्मचर्यसेवन की अन्तिम निष्पत्ति

है। इसलिए रति अब्रह्मचर्य का उत्कट और बाह्यरूप है, इसी कारण इसे 'रति' (संयोगक्रिया) भी कहा है।

'रागचिन्ता'—स्त्रीपुरुषों की पारस्परिक रतिक्रीडा, हावभाव, विलास आदि प्रणयरोग कहलाता है, इसे आजकल रागरोग भी कहते हैं। उसका चिन्तन करने से कामविकार पैदा होता है; इसलिए रागचिन्ता भी अब्रह्म का कारण होने से अब्रह्म का पर्यायवाची शब्द माना गया है। कही-कही 'रागो' पाठ भी है। उसका अर्थ होता है—दाम्पत्यप्रणय—विकारी प्रेम। चू कि अब्रह्म अपने आप में राग का ही कार्य है।

'कामभोगमारो'—काम (शब्द और रूप) तथा भोग (रस, गन्ध और स्पर्श) से मार—काम पैदा होता है; अत अब्रह्म और मार दोनों को एकार्थक कहे तो अनुचित नहीं। अथवा काम और भोग द्वारा यह जीवों को मारता है—पीडित करता है, इसलिए भी यह अब्रह्म का समानार्थक है।

वैरं—ससार में वैरविरोध के दो मूलकारण हैं—धन और स्त्री। स्त्री के निमित्त से जो वैर बढ़ता है, उसमें यह अब्रह्म (काम) ही कारण है। इसलिए वैर को जन्म देने वाला होने के कारण कार्य का कारण में उपचार करके इसे वैर कहा है।

'रहस्स'—प्रायः सभी पापक्रियाएँ एकान्त में की जाती हैं। पापकृत्य होने के कारण मैथुनसेवन भी एकान्त में किया जाता है इसलिए एकान्त में किये जाने से इस कुकार्य को भी रहस्य कह कर 'अब्रह्म' का साथी बताया है।

गुह्यं—पाप हमेशा छिपाने योग्य हुआ करता है। 'प्रच्छन्नं पापं'—पाप का लक्षण है—'प्रच्छन्न'। इसलिए इसे गुह्य-नोपनीय कहा है। अथवा मैथुन गुह्य-गुप्त अंगों द्वारा सम्पन्न होता है, इसलिए इसे 'गुह्य' कह कर अब्रह्म का मित्र बताया है।

'बहुमानो'—ससार के अगणित प्राणी अब्रह्म की प्रवृत्ति को मानते हैं, अथवा स्त्रीपुरुष के संयोगजन्य इस अकार्य को बहुत सम्मान देते हैं। इसलिए इसे 'बहुमान' कह कर अब्रह्म का समर्थक बताया है।

'ब्रह्मचरविद्यो'—ससार में राम (परमात्मा-शुद्ध आत्मा) भी है और काम भी। परन्तु राम की प्राप्ति में जैसे काम सहयोग नहीं देता, वैसे ही काम की प्राप्ति में राम भी सहयोग नहीं दे सकता। मतलब यह है राम और काम एक ही सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ब्रह्मचर्यपालन शुद्ध आत्मा एवं परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जबकि अब्रह्मचर्य (काम) का आचरण क्षणिक वैषयिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यपालन में सहायक न हो कर विघ्नकारक ही बनेगा। अब्रह्मचर्य कामोत्तेजक विचारों, कुचेष्टाओं, अश्लील दृश्यों, गंदे गीतों, तथा कामविकार की तमाम प्रवृत्तियों की ओर खींचेगा, जबकि ब्रह्मचर्य

इन सब बातों का विरोधी है। इसलिए अब्रह्मचर्य का एक नाम, 'ब्रह्मचर्यविघ्न' रखा है, यह ठीक ही है।

'वाषत्ति'—बुरे विचारों, बुरे कार्यों और बुरी वाणी से संसार में अनर्थ पैदा होते हैं, ये अशान्ति और आफत के कारण हैं। अब्रह्मचर्य भी इन तीनों बुराइयों का मूल है। इसलिए व्यापत्ति—बड़ी आपत्ति—महा-अनर्थ का कारण होने से इसे अब्रह्म का पर्यायवाची बताया है।

'विराहणा'—अब्रह्मचर्य से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य आदि शक्तियों की, सद्गुणों की विराधना होती है। आत्मा के शुद्धभाव, वीतरागता, ब्रह्मचर्य, स्वभावपरिणति आदि का घात अब्रह्मचर्य से होता है। इसलिए सद्गुणों की विराधना का कारण होने से इसे अब्रह्म के समकक्ष बताया गया है।

प्रसंगो—अब्रह्मचर्य स्त्री आदि हेय पदार्थों में आसक्ति पैदा करने का कारण है, इसलिए इसे 'प्रसंग' कहा है। अथवा स्त्री आदि कामोत्तेजक पदार्थों या वातावरण का अनुचिन् और अतिससर्ग करने से अब्रह्माचरण होता है; इसलिए प्रसंग अब्रह्माचरण का कारण होने से इसे अब्रह्म का पर्यायवाची बताया है।

'कामगुणो'—जब चित्तभूमि में कामवासनारूपी बीज बोया जाता है, तभी उसके फलस्वरूप मधुन की प्रवृत्ति होती है। काम बीज है और मधुन उसका फल। इसलिए कामगुण (कामवासना) अब्रह्म का बीज होने से उसे अब्रह्मचर्य का साथी बताया है। अथवा काम यानी कामनाओं का गुणन-बारम्बार आवृत्ति करने वाला होने से इसे कामगुण कहना भी सार्थक है। क्योंकि अब्रह्मचर्य सेवन करने वाले का मन और बुद्धि ये दोनों स्थिर नहीं रहते, उसके मन में नाना प्रकार की इच्छाएँ-कामनाएँ उठती रहती हैं, एक की पूर्ति हुई, न हुई कि दूसरी इच्छा तैयार खड़ी रहती है। उसके पश्चात् तीसरी। इस प्रकार कामनाओं का ताता लगा रहता है। इसलिए अब्रह्म को कामनाओं की बारम्बार आवृत्ति का कारण होने से कामगुण कहना सगत ही है।

इस प्रकार अब्रह्म के तीस सार्थक नामों की व्याख्या की गई है। इसके ये और ऐसे अन्य मन्मथ, मदन आदि अनेक नाम होते हैं। परन्तु विस्तार के भय से शास्त्रकार ने सक्षेप में ही दिग्दर्शन कराया है।

अब्रह्मसेवनकर्ता कौन और कैसे ?

पूर्वसूत्रपाठ में शास्त्रकार अब्रह्म के सार्थक नामों का निरूपण कर चुके; अब अगले सूत्र में वे क्रमशः अब्रह्मचर्यसेवन-कर्ता कौन-कौन हैं और वे किस-किस तरह से इसका सेवन करते हैं; यह बताते हैं।

मूलपाठ

तं च पुण निसेवंति सुरगणा सअच्छरा मोहमोहियमती,
 असुर-भुयग-गरुल-विज्जु-जलण -दीव-उदहि-दिसि-पवण - थणिया,
 अणवंनि-पणवंनि य-इसिवादिय-भूयवादिय-कंदिय-महाकंदिय-कूहंड-
 पयंगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस - किनर-किपुरिस - महोरग-
 गंधवा, तिरिय-जोइस-विमाणवासि-मणुयगणा, जलयर-थलयर-
 खहयरा य, मोहपडिबद्धचित्ता, अवितण्हा, कामभोगतिसिया,
 तण्हाए बलवईए महईए समभिभूया, गढिया य, अतिमुच्छिया य,
 अबंभे उस्सण्णा, तामसेण भावेण अणुम्मुक्का, दंसणचरित्त-
 मोहस्स पंजरमिव करेति अन्नोऽन्नं सेवमाणा ।

भुज्जो असुर-सुर-तिरिय - मणुअ - भोगरतिविहारसंपउत्ता
 य चक्कवट्टी सुरनरवतिसक्कया, सुरवरुव देवलोए भरह-णग-
 णगर-णियम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्वड-मडंब-संवाह-पट्टण-
 सहस्समंडियं, धिमियमेइणीयं, एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण वसुहं
 नरसीहा, नरवई, नरिदा, नरवसभा, मरुयवसभकप्पा, अब्भहियं रायतेय-
 लच्छीए दिप्पमाणा, सोमा, रायवंसतिलका, रविसिसिखवर-
 चक्कसोत्थियपडागजवमच्छकुम्मरहवर-भग - भवण-विमाण-तुरय-
 तोरण-गोपुर-मणिरयण - नंदियावत्त-मुसल - णंगल - सुरइयवर-
 कप्परुक्ख-मिगवति-भद्दासण-सु(र)रुवि-(चि)-थूभ-वर-मउड-सरिय-
 कुंडल-कुंजर-वरवसभ-दीव- मंदर - गरुल-ज्झय - इंदकेउ-दप्पण-
 अट्टावय-चाव - बाण - नक्खत्त - मेह-मेहल-वीणा-जुग-छत्त-दाम-
 दामिणि-कमंडलु-कमल-घंटा-वरपोत-सूइ - सागर-कुमुदागर-मगर-
 हार-गागर-नैउर-णग-णगर-वइर - किन्नर-मयूर-वररायहंस-सारस-
 चकोर-चक्कवाग-मिहुण-चामर - खेडग - पव्वीसग-विपंचि-वरता-
 लियंट-सिरियाभिसेय-मेइणि-खगंगकुस - विमलकलस-भिगार-वद्ध-

माणगपसत्थउत्तम - विभक्तवरपुरिसलक्खणधरा, बत्तीसवरराय-
सहस्साणुजायमग्गा, चउसट्टिसहस्सपवरजुवतीण णयणकंता,
रत्ताभा, पउमपम्हकोरंटगदामचंपकसुतयवरकणकनिहसवन्ना,
सुवण्णा, सुजायसव्वंगसुंदरंगा, महग्घवरपट्टणुग्गय-विचित्तराग-
एणिपेणिणिम्मिय-दुगुल्लवरचीणपट्टकोसेज्ज-सोणीसुत्तकविभूसियंगा,
वरसुरभि-गंधवरचुण्णवासवरकुसुमभरियसिरया, कप्पियल्लेयायरिय-
सुकयरइतमालकडंगयतुडियपवरभूसणपिणद्धदेहा, एकावलिकंठ-
सुरइयवच्छा, पालंबपलंबमाणसुकयपडउत्तरिज्जमुद्दिदयापिगलंगु-
लिया, उज्जलनेवत्थरइयचेल्लगविरायमाणा. तेएण दिवाकरोव्व
दित्ता, सारयनवत्थणियमहुरगंभीरनिद्धघोसा, उप्पन्नसमत्तरयण-
चक्करयणप्पहाणा, नवनिहिवइणो, समिद्धकोसा, चाउरंता,
चाउरार्हिं सेणाहि समणुजातिज्जमाणमग्गा, तुरगवती, गयवती,
रहवती, नरवती, विपुलकुलवीसुयजम्मा, सारयससिसकलसोमवयणा,
सूरा, तेलोककनिग्गयपभावलद्धसद्दा, समत्तभरहाहिवा नरिदा,
ससेलवणकाणणं च हिमवंतसागरंतं धीरा भुत्तूण भरहवासं जिय-
सत्तू, पवररायसीहा, पुव्वकडतवप्पभावा, निविट्ठसंचियसुहा,
अणोगवाससयमायुवंतो भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियंता
अतुलसद्दफरिसरसरूवगंधे य अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति अवितित्ता
कामाणं ।

संस्कृतच्छाया

तच्च पुनः निषेवन्ते सुरगणाः साप्सरसो मोहमोहितमलयः, असुर-
भुजगगरुडविद्युज्ज्वलनद्वीपोवधिविक्रपवनस्तनिताः, अणपन्निक-यणपन्निक-
श्रुषिधाविक-भूतवाविक-कन्वित - महाकन्वित-कूष्मांड - पतंगवेधाः, पिशाच-
भूत-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पुरुव-महोरग-गन्धर्वाः, तिर्यग्-ज्योतिर्बिमानवासि-
मनुज-गणा, जलचर-स्थलचर-क्षराराश्च, मोहप्रतिबद्धचित्ता, अचित्तुष्णाः, काम-
भोगतृषिताः, तूष्ण्या बलवत्या महत्या समभिज्ञता, प्रथितारश्च, अति-

मूर्च्छितारश्च अङ्गहृदि अवसन्नाः, तामसेन भावेन अनुभुक्ताः, दर्शनधारित्र-
मोहस्य पंजरमिव कुर्वन्त्यन्योन्यं सेवमानाः ।

भूयो ऽसुर-सुर-तिर्यग्-मनुज-भोगरतिविहारसम्प्रयुक्ताश्च चक्रवर्तिनः
सुरनरपतिसत्कृताः सुरवरा इव देवलोके भरत-नग - नगर-निगम-जनपद-
पुरवर-द्रोणमुख-खेट-कर्बट-मंडम्ब-संवाह-पत्तनसहस्रमंडितां स्तिमित-मेदिनी-
काम् एकच्छत्राम् भुक्त्वा वसुधां नरसिंहा, नरपतयो, नरेन्द्रा, नरवृषभा,
मरुद्वृषभकल्पा, अभ्यधिकं राजतेजोलक्ष्म्या दीप्यमाना, सौम्या, राजवंश-
तिलका, रविशशिशंखवरचक्रस्वस्तिकपताकायवमस्त्यकूभंरथवरभग-
भवनविमानतुरगतोरण - गोपुर - मणिरत्ननद्यावत्संशुशलांगलसुरचितवर-
कल्पवृक्षमृगपतिभद्रासनसुरू (पी) ची-स्तूपवरमुकुटमुक्तावलीकुंडलकुंजर-
वरवृषभद्वीपमन्दरगरुडध्वजेन्द्रकेतुदर्पणाष्टापदचापबाणनक्षत्रमेघमेखलावीणा-
युगच्छत्रदा।मदाभिनोकर्मंडलुकमल -घंटावरपोतसूचीसागरकुमुदाकरमकरहार-
गागरनूपुरनगनगरवज्रकिन्नरमयूरवरराजहंससारसचकोरचक्रवाकमिथुनचामर
खेटकपष्वीसकविपचीवरतालवन्त-श्रीकाभिषेकमेदिनीखड्गांकुशविमलकलश-
भृंगारवद्धमानकप्रशस्तोत्तमविभक्तवरपुरुषलक्षणधरा, द्वात्रिंशद्वरराज-
सहस्रानुयातमागश्चित्तुःषष्टिसहस्रप्रवरयुवतीनां नयनकान्ता, रक्ताभा,
पद्मपक्षकोरंटकदामचंपकसुतप्तवरकनकनिषधवर्णाः, सुवर्णाः, सुजातसर्वांग-
सुन्दरांगा, महार्धवरपत्तनोद्गतविच्चित्ररागैणीप्रेणीनिर्मितदुकूलवरचीनपट्ट-
कौशेयशोणीसूत्रकविमूषितांगा, वरसुरभिगन्धवरचर्णवासवरकुमुमभरित-
शिरस्काः, कल्पितछंकाचार्यसुकृतरतिवमालाकटकांगदुटिकप्रवरभूषणपिनद्ध-
देहा, एकावलीकंठसुरचितबक्षसः, प्रलम्बप्रलम्बमानसुकृतपटोत्तरीयमुद्रिका-
पिंगलांगुलिका, उज्ज्वलनैपथ्यरचितचिल्लग-(लीन)।वराजमानाः, तेजसा
विवाकर इव दीप्ताः, शारदनवस्तनितमधुरगम्भीरस्निग्धघोषाश्चान्तुरन्ता-
श्चातुरीभिः सेनाभिः समनुयायमानमार्गाः, तुरगपतयो, गजतपयो, रथपतयो,
नरपतयो, विपुलकुलविभ्रुतयशः, शारदशशिसकलसौम्यवदनाः, शूरास्त्रलो-
क्यनिर्गतप्रभावलम्घशब्दाः, समस्तभरताधिपा, नरेन्द्राः, सशैलवनकाननं च
हिमवत्सागरान्तं धीरा भुक्त्वा भरतवर्षं जितशत्रवः, प्रवरराजसिंहा पूर्वकृत-
तपःप्रभावा, निविष्टसंचितसुखा अनेकवर्षशतायुष्मन्तो भार्याभिश्च जनपद-

प्रधानाभिलक्ष्यमाना अनुलशब्दस्पर्शरसरूपगन्धान् चानुभूय तेऽप्युपनमसि मरणधर्ममवितृप्ताः कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(पुन) और (तं च) उस अन्नहृद्य को, (सअच्छरा) अप्सराओं-वेवियों सहित, (मोहमोहितमती) मोह से मोहित बुद्धिवाले, (असुर-भुयग-गरुड-विष्णु-जलण-बीष-उदहि-दिसि-पवण-थणिया) असुरकुमार, नाग कुमार, सुपर्ण (गरुड़) कुमार, विष्णुकुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, विकुमार, पवनकुमार और स्तनित-मेघकुमार ये इस भवनवासी देव, (अणवंनि-पणवंनि य-इसिवादि-भूय-वाविय-कंविय-महाकंविय-कूहंड-पयंगदेवा) अणपन्निक, पणपन्निक, ऋषिवाविक, भूतवाविक, ऋषित, महाऋषित, कूष्मांड और पतंग ये आठ व्यन्तर जाति के उच्च माने जाने वाले—यानी वन आदि स्थानों के अन्तर के भागों में रहने वाले देव, तथा (पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-महोरग-गंधवा) पिसाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व ये आठ व्यन्तरजाति के देव, जो पूर्वोक्त व्यन्तरों से नीचे माने जाते हैं, (तिरिय-जोइस-विमाणवासि-भणुयगणा) तिर्यग्लोक-मध्यलोक में विमानवासी ज्योतिषदेव तथा मनुष्यगण (य) और (अलयर-यलयर-सहयरा) जलचर, स्थलचर और खेचर-पक्षी, (मोहपडिबद्धचित्ता) जिनका चित्त मोह में आसक्त है वे, (अवितण्हा) कामभोगों की प्राप्ति होने पर भी जिनकी तृष्णा मिटी नहीं है, वे, (कामभोगतिसिया) अप्राप्त काम भोगों के व्यासे, (महईए बलवईए तण्हाए) भोगों की बड़ी बलवती-प्रबल तृष्णा-लालसा से, (समभिभूया) सताये हुए, (गडिया) विषयो में रचेपचे, (य) और (अतिमुच्छिया) अत्यन्त मूर्च्छित—आसक्त, (अबंभे) अन्नहृद्य में—कामवासना के कीचड़ में, (उस्सण्णा) फंसे हुए (तामसेण भावेण) तामसभाव से—अज्ञानमय-अदृता के परिणाम से (अणुमुक्का) मुक्त नहीं हुए, (अन्नोज्जं) नरनारी के रूप में परस्पर अन्नहृद्य—मैवुन का (सेवमाणा) सेवन करते हुए, (वंसणचरित्तमोहस्स) ब्रह्मनमोहनीय एवं चारित्र्य-मोहनीयकर्म का (पंजरमिच) अपनी आत्मारूपी पक्षी को पींजरे में डालने के समान बंध, (करंति) करते हैं ।

(भुज्जे य) और पुनः (असुर-सुर-तिरिय-मणुअ-भोग-रतिविहारसंपउत्ता) असुरों, सुरों, तिर्यकों और मनुष्यों सम्बन्धी भोगों—शब्दादिविषयों में राग-आसक्ति-पूर्वक बिहारों—विविध प्रकार की कीड़ाओं में प्रवृत्त—डुटे हुए (सुरनरवतिसक्कया) देवैन्द्रों और नरैन्द्रों द्वारा सम्मानित, (देवलोए) स्वर्गलोक में, (सुरबवच्च) देवैन्द्र की

तरह, (बहर-जग-भगर-नियम-जगवय-पुरवर-दोगमुह-खेड-कम्बड-मंडंभ-संवाह-पट्टन-सहस्रसंभ्रियं) भरतकोत्र के हजारों पर्वतों, नगरों, नियमों—ध्यापारियों के स्थानों, जगपदों, राजघानीरूप नगरों, द्रोगमुहों—जसस्थलपथ से युक्त स्थानों—बंदरगाहों, मूल के कोट वाली वस्तियों—खेड़ों, कंबटों—कस्बों, मडबों—आसपास बस्ती से रहित स्थानों, संवाहों—छाबनियों, पत्तनों—मंडियों से सुशोभित, (धिमियमेइधियं) सुरवा से निश्चित-स्थिर लोगों से बसी हुई पृथ्वी वाली (एगच्छत') एकछत्रा, (ससागरं) समुद्र-पर्यन्त (बसुहं) बसुधा का (भुंजिऊण) उपभोग करके (बक्कवट्टी) बक्कवर्ती, (य) तथा (नरसीहा) मनुष्यों में सिंह के समान शूरवीर, (नरवई) मनुष्यों के स्वामी, (नरिदा) मनुष्यों में ऐश्वर्यशाली, (नरवसभा) मनुष्यों में लिये हुए कर्तव्यभार को निभाने में समर्थ बल के समान, (मयवसमकप्पा) नाग-भूत यक्षादि देवों में बृषभ के समान अप्रगण्य, (अम्बहियं रायतेयलच्छीए दिव्यमाणा) राजकीय तेजो-सन्धी से अत्यधिक बेवीप्यमान, (सोमा) सौम्य अथवा नीरोग, (रायवंसतिलगा) राजवंश के तिलक, (रविससिसंखवरबक्कसोत्थियपडाग-जवमच्छकुम्भरहवरभगभवणविमाण सुरयतोरणगोपुरमणिरधणनदियाबत्तमुसलणंगलसुरइयवरकप्परुक्क - मिगवति-भहासण-सुवधि-बूभ-वरमडड - सरियकुंडल - कुंजरवर - बसमबीवमंबंदरगहलज्जय - इ'दकेउ-इप्पण-अट्टावय-वाव-बाण-नक्खत्त-मेह-मेहल-धीणाजुगच्छत्तदामवामिणीकमडलु-कमस-घंटा-वरपोत-सुइ-सागर-कुमुदागर-भगर-हार-गागर-नेउर-भग - भगर-बहर - किन्नर-मयूर-वर-रायहंत-सारस-बकोर-बक्कवाग-मिहुण-बाभर-खेडक - पब्बीसग - विपंचि-वरतालियंत-सिरियाभिसेय-मेइणि-सम्मं-कुस-बिमलकलस-भिगार - बट्टमाणगपसत्थ - उत्तम-विभत्त-वरपुरिसलक्खणधरा) सूर्य, चन्द्र, शंख, उत्तम बक्क, स्वस्तिक, पताका, जो, मत्स्य, कछुआ, उत्तम रथ, योनि, भवन, विमान, अश्व, तोरण, नगरद्वार, चन्द्रकान्त आदि मणि, रत्न, नौ कोनों वाला साधिया—गन्धावर्त, मूसल, हल, सुरचित—सुन्दर भेष्ट कल्पवृक्ष, सिंह, भद्रासन, सुवधि नामक आभूषण, स्तूप, सुन्दर मुकुट, मुक्तावली हार, कुंडल, हाथी, उत्तम बेल, द्वीप, मेरुपर्वत अथवा घर, गण्ड, ध्वजा, इन्द्रकेतु, (इन्द्र-महोत्सव में गाड़ी जाने वाली स्तंभरूप लकड़ी), वर्षण—शीशा, वह फलक या पट जिस पर शतरंज या चौपड़ खेली जाती है, अथवा कंलाशपर्वत, धनुष, बाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला—करघनी, बीजा, गाड़ी का जूआ, छत्र, माला, पूरे शरीर तक लम्बी माला, कमंडलु, कमल, घंटा, मुख्य जहाज, सुई, सपुत्र, कृमुववन या कृमुवों से भरा तालाब, भगर, हार—मणिमाला, गागर नामक आभूषण अथवा पानी का गागर—घड़ा, पंरों के नूपुर पर्वत, भगर, बज्र, किन्नर नामक देव अथवा किन्नर नामक बाजा, मोर, उत्तम,

राजहंस, सारस, बकोर, बकबाक पक्षियों के जोड़े, खंवर, डाल, पम्बीसक नामक बाजा, सात तारों की बीणा, उत्तम पंखा, लम्बी का अभिषेक, पुष्पी, तलवार, अंकुश, निर्मल कलश, झारी और सकोरा या प्याला, श्रेष्ठ पुरुषों के इन सब उत्तम, मार्गलिक और विभिन्न लक्षणों— बिहूनों को धारण करने वाले (बत्तीसवररायसहस्रा-जुजायमगा) बत्तीस हजार श्रेष्ठ मुकुटबद्ध राजा मार्ग में जिनके पीछे-पीछे चलते हैं, (बजसद्विसहस्रपवरजुवतीण जयणकंता) चौसठ हजार सुन्दर युवतियों के नेत्रों के प्यारे, (रस्ताभा) लाल कान्ति वाले, (पउमपम्हकोरंटदवामधंपकसुतववरकणकनिहस-वन्ना) कमल के गर्भ—मध्यभाग, चम्पा के फूलों, कोरंट (हजार) नामक फूलों की माला और तपे हुए सुन्दर सोने की कसीटी पर खींची हुई रेखा के समान गोरे रंग के, (सुवण्णा) सुन्दर वर्ण वाले, (सुजायसम्बंगसुवरंगा) जिनके सभी अंग बड़े सुन्दर और सुगठित—सुडौल हैं, (महग्घवरपट्टधुग्गय विचित्तरागएणियेणिणिम्मियवुगुल्ल-वरजौणपट्टकोसेज्ज-सोणीसुराकविभूसियंगा) बड़े-बड़े शहरों में बने हुए, विविध रंगों वाले, हिरनी तथा खास जाति की हिरनी के चमड़े के समान कोमल बहुमूल्य बल्कल-छाल के वस्त्र अथवा पूर्वोक्त हिरनी के चमड़े से बने हुए कीमती कपड़े, चीनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र और कटिसूत्र से जिनका शरीर सुशोभित है, (वरसुरभिग्घवरकुण्ण-वासवरकुसुमभरियसिरया) जिनके मस्तक श्रेष्ठ सुगंध से, सुन्दर चूर्ण (पाउडर) की सुवास से, उत्तम फूलों से भरे हुए हैं, (कण्पियेयारियसुकवरइतमालकडंगयतुडिय-वरभूसणपिनद्धवेहा) प्रसिद्ध चतुर कलाकारों—शिल्पियों द्वारा बड़ी कुशलता से आर्यजनों के पहनने योग्य बनाई हुई सुखकर माला, कड़े, बाजूबंद, तुटिक—अनन्त तथा उत्तम आभूषण शरीर पर पहने हुए, (एकाबलिकंठसुरइयवच्छा) जिन्होंने कंठों और बक्षस्थलों पर एकलड़ी की सुन्दर मणिमाला पहन रखी है, (पालंबपलंबमाणसुकय-पडउत्तरिज्जमुद्धियारिगलंगुलिया) जो लम्बी धोती और सटफते हुए कुपट्टे को पहने हैं तथा उंगलियों में अंगूठी डाले हुए हैं, जिनसे उनकी अंगुलियाँ पीली हो रही हैं, (उज्जलनेवत्थरइयवेल्लगविरायमाणा) वे अपनी उजली बेवभूषा से, गहनों और अच्छी तरह पहनी हुई पोशाक से सुशोभित हो रहे हैं, (तिवसा दिवाकरोब्ब विर्रा) तेज से बे सूर्य की तरह चमक रहे हैं, (सारयनवत्थणियमहुरांगीरनिद्धोसा) उनकी आवाज शरद्वस्तु के नये मेघ के गर्जन के समान मधुर, गम्भीर और स्नेह-भरी है, (उत्पन्नसत्तरयणवक्करयणपहाणा) चक्ररत्नप्रमुख समस्त १४ रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, (नवनिहिबई) जो नौ विधियों के स्वामी हैं, (समिद्धकोसा)

जिनका कोश—अज्ञाना अत्यन्त समृद्ध—परिपूर्ण है, (चाउरंता) तीनों ओर समुद्र और चौथी ओर हिमवान पर्वत तक जिनके राज्य का अन्त है, सीमा है। (चाउराहि सेनाहि समणुजातिज्जमाणमग्गा) हाथी, घोड़े, रथ और पंख—ये चारों प्रकार की सेनाएँ जिनके मार्ग का अनुगमन करती हैं, अर्थात् जिनकी आज्ञा में हैं। (तुरगवती गयवती रहवती नरवती) वे घोड़ों के स्वामी हैं, हाथियों के मालिक हैं, रथों के स्वामी हैं तथा मनुष्यों के भी अधिपति हैं, (विपुलकुलवीसुयजसा) जिनका कुल बड़ा विशाल है और यश भी दूर-दूर तक फैला हुआ प्रसिद्ध है, (सारयससिसकलवयणा) जिनका मुख शरत्काल के सोलहकलाओं सहित—पूर्ण चन्द्रमा के समान है, (सूरा) शूरवीर हैं, (तेलोक्कनिग्गयपभावलद्धसद्दा) जिनका प्रभाव तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और जो सर्वत्र जयजयकार पाये हुए है, (समत्तभरहाहिवा) जो सारे भरतक्षेत्र के अधिपति हैं, (धीरा) जो धीर हैं, (जियसत्त) जिन्होंने अपने दुश्मनों को जीत लिया है, (पवरराजसीहा) बड़े-बड़े राजाओं में जो सिंह के समान हैं, (पुव्वकडतवप्पभावा) वे अपने पूर्वजन्मों में कृत तप से प्रभावशाली हैं, (निविट्टसंचियसुहा) वे संचित पुण्य सुख को भोगने वाले हैं, (अणेगवाससयमायुबंधो) संकड़ो वर्षों की आयु वाले (नरिदा) चक्रवर्ती नरेन्द्र (सत्तेलवणकाणण) पर्वतो, वनों और उद्यानों से सहित, (हिमवंत-सागरत्त) उत्तर में हिमवान पर्वत और तीनों दिशाओं में समुद्रपर्यन्त, (भरहवास) भरतक्षेत्र-भारतवर्ष को, (भुत्तूण) भोग कर—भारत के राज्य का उपभोग करके, (य) तथा (अणवयप्पहाणाहि भज्जाहि) जनपद—देश में सर्वश्रेष्ठ और नामी पत्नियों के साथ (सालियंता) भोगविलास करते हुए (अतुलसद्दपरिसरसररुवगघे अणुभवोत्ता) अनुपम अद्वितीय शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध सम्बन्धी विषयों का अनुभव करके (ते वि) वे भी (कामाण अचित्ता) कामभोगों से अतृप्त हो कर या तृप्त न हुए और (मरणधम्म उवणमति) मरणधर्म को, मृत्यु को पाते हैं।

भूलार्थ—जिनकी बुद्धि मोह से मोहित हो रही है, ऐसे देव अपनी देवियों-अप्सराओं के साथ उस मैथुन का सेवन करते हैं। वे देव निम्नोक्त हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण (गरुड़)—कुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, दिशाकुमार पवनकुमार और स्तनित—मेघकुमार। ये दस भेद भवनवासी देवों के हैं। अणपन्निक, पणपन्निक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, ऋन्वित, महाऋन्वित, कृष्णमांड और पतंग—ये आठ भेद उच्चजाति के व्यन्तरदेवों के हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, ये आठ

भेद नीची जाति के व्यन्तरदेवो के हैं। मध्यलोक में विमान में निवास करने वाले ज्योतिषदेव तथा मनुष्यगण एव जलचर, स्थलचर और खेचर (पक्षीगण) हैं; जिनका मन मोह में डूबा हुआ है, जिनकी कामभोगों की तृष्णा नहीं मिटी है, अभी तक जो अप्राप्त कामभोगो को पाने के लिए लालायित है, जो अत्यन्त प्रबल भोगो की तृष्णा से पीडित है तथा विषयों में ही रचेपचे और अत्यन्त मूर्च्छित रहते है। वे कामवासना—अन्नहाचर्य के कीचड़ में फसे रहते है और तामसभाव—अज्ञानमय जडता के परिणाम से मुक्त नहीं हुए वे नरनारी के रूप में परस्पर अन्नहा-मैथुन का सेवन करते हुए अपने आत्मारूपी पक्षी को पीजरे में डालने के समान दर्शनमोहनीय एव चारित्र-मोहनीय कर्म का बन्ध करते है।

और फिर वे असुरो, सुरो, तिर्यचो और मनुष्यों सम्बन्धी शब्दादिविषय-भोगो में, आसक्तिपूर्वक विहागे-विविध प्रकार की क्रीडाओं में जुटे रहते हैं। वे देवेन्द्रो और नरेन्द्रो द्वारा सम्मानित होते है। देवलोक में देवेन्द्र की तरह भ्रतक्षेत्र के हजागे पर्वतो, नगरो निगमो—व्यापारियो की बस्तियो, जनपदो, राजधानीरूप नगरो, द्रोणमुखो-बंदरगाहो, धूल के कोट वाली बस्तियो—बडो, कर्बटो—कस्बो, मडबो—जहाँ आसपास चारो ओर ढाई योजन तक कोई बस्ती न हो ऐसे स्थानों, सवाहो—छावनियो या किलो, पत्तनो—मडियो से मुशोभित, सुरक्षा से निश्चिन्त, भयरहित स्थिर भूमि वाली एकछत्र समुद्रपर्यंत पृथ्वी (ममस्त भारतखण्ड) का उपभोग करके चक्रवर्ती बने है। वे मनुष्यो में सिंह के समान शूरवीर है, मनुष्यो के स्वामी है, मनुष्यो में ऐश्वर्यशाली है, मनुष्यसमाज में प्राप्त कार्यभार को वहन करने में वृषभवत् समर्थ है, नागभूतयक्षादि देवा में वृषभ के समान है, अथवा मरुस्थल के घोरी बैल की तरह स्वीकार किए हुए कार्यभार के निर्वाह में समर्थ है, राजकीय तेजोलक्ष्मी से अधिकाधिक देदीप्यमान है, शान्त-सौम्य है अथवा नीरोग है, राजवश के तिलक है; सूर्य, चन्द्र, शंख, उत्तमचक्र, स्वस्तिक (साधिया), पताका, जौ, धान्य, मच्छ, कछुआ, उत्तम रथ, योनि, भवन, देवविमान, अश्व, तोरण, नगरद्वार, चन्द्रकान्त आदि मणि, कर्कतन आदि रत्न, नौकोना साधिया—नन्दावर्त, मूसल, हल, सुन्दर सुखद कल्पवृक्ष, सिंह, भद्रासन (सिंहासन), सुरुची नामक आभूषण, स्तूप, सुन्दर मुकुट, मुक्तावली हार,

कुंडल, हाथी, उत्तम बैल, द्वीप, मेरुपर्वत या गृह, गरुड़, ध्वजा, इन्द्रकेतु (इंद्रयष्टि) दर्पण, चौपड़ या शतरंज का फलक या पट, अथवा कैलाश पर्वत, धनुष, बाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला—करधनी, वीणा, बैल के कंधो पर रखा जाने वाला जूवा, छत्र, फूलो की माला, दामिनी (लक्षणविशेष), कमडलु, घंटा, उत्तम जहाज, सूई, समुद्र, कुमुदपुष्पों का वन, मगर, रत्नो का हार, गागर नामक आभूषण अथवा गागर—घड़ा, तूपुर, पर्वत नगर, वज्र, किन्नर (वाद्यविशेष या देवविशेष), मयूर, राजहंस, सारस, चकोर और चक्रवाक का जोड़ा, चंवर, ढाल, पन्वीसक (एक बाजा), सप्ततंत्री वीणा, श्रेष्ठ पंखा, लक्ष्मी का अभिषेक, पृथ्वी, तलवार, अंकुश, निर्मल कलश, झारी, सकोरा या प्याला, श्रेष्ठ पुरुषों के इन मंगलकारक विभिन्न उत्तम लक्षणो को जो धारण करते है, तथा बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा जिनके मार्ग का अनुमरण करते है, चौसठ हजार सर्वांगसुंदर युवतियो के नेत्रो को जो प्यारे है, जिनके शरीर की कान्ति लाल है, जो कमल के गर्भ—मध्यभाग, कोरंट (हजारा) के फूलों की माला, चम्पा के फूल, कसौटी पर खीची हुई तप्त शुद्ध सोने की रेखा के समान गोरे रंग के है, जिनका रंगरूप अच्छा है, जिनके शरीर के सभी अंग सुगठित है। बड़े-बड़े नगरो में चतुर शिल्पकलाचार्यों द्वारा अच्छे तरीके से बनाए गये रंग-बिरंगे हिरनी या उच्च जाति की हिरनी की चमड़ी के समान कोमल अथवा उक्त हिरनियो के चमडो से ही बने हुए वस्त्र, दुकूल नामक वृक्ष की छाल को कूट कर उसका सूत कात कर बुने हुए, या पेड़ की छाल से बने हुए या कपास के वस्त्र, चीन देश के बने हुए पट्टवस्त्र, रेशमी वस्त्र, कटिसूत्र (करधनी) से उनका शरीर सुशोभित हो रहा है। मनोन्न सुगंध वाले इत्र आदि द्रव्यों से तथा खुशबूदार चूर्ण (पाउडर) की सुवास से तथा उत्तमोत्तम फूलो से जिनके सिर भरे हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई हुई सुन्दर सुखप्रद माला, कड़े, बाजूबन्द, अनंत आदि सुंदर आभूषण शरीर पर धारण किये हुए है, जिन्होंने एकलड़ी की विचित्र मणियो की माला कंठ और वक्षस्थल पर धारण कर रखी है, जिन्होंने लंबी घोती और लम्बे लटकते हुए दुपट्टे पहन रखे हैं, अगूठियो से जिनकी उगलियाँ पीली दिखाई दे रही हैं, जो उजली, चमकती हुई और अच्छी तरह सजी-धजी वेशभूषा से मुशोभित हो रहे हैं। तेज से जो सूर्य के समान चमक रहे

हैं, जिनकी आवाज शरत्काल के नए बादलों के गर्जन के समान मधुर, गंभीर और स्नेहभरी है। चक्ररत्नप्रमुख १४ रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हुए हैं। जो नौ निधियों के स्वामी है। जो अखूट (समृद्ध) खजाने के मालिक हैं। जिनके राज्य की सीमा तीनों ओर समुद्र तक एवं चौथी ओर हिमवान पर्वत तक है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल—ये चारों प्रकार की सेनाएँ उनके मार्ग का अनुगमन करती है, अर्थात्—उनकी आज्ञा में चलती हैं। जो घोड़ों के स्वामी है, हाथियों के अधिपति है, रथों के मालिक हैं, और मनुष्यों के नायक—स्वामी है। जिनका कुल बहुत विशाल है, जिनकी प्रसिद्धि सारे लोक में है, जो समस्त भरतक्षेत्र के स्वामी है, जो धैर्यशाली हैं, जो सर्वशत्रुओं को जीतने वाले हैं, बड़े-बड़े नरेशों में जो सिंह के समान हैं। जो पूर्वजन्म में किए हुए तप के प्रभाव से युक्त है, जो सचित सुख का उपभोग करते हैं, जिनकी आयु मैकड़ों वर्ष लम्बी होती है, ऐसे चक्रवर्ती नरेन्द्र पर्वतो, उद्यानों और वनों सहित उत्तर में हिमवान पर्वत तक और शेष तीन दिशाओं में समुद्र तक भरतक्षेत्र—भारतवर्ष का राज्योपभोग करते हैं तथा भारत के सभी जनपदों की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अपनी पत्नियों के साथ भोगविलास करते हैं और अनुपम शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध सम्बन्धी पचेन्द्रिय-विषयों का अनुभव करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती भी कामभोगों से अतृप्त हो कर ही कालधर्म (मृत्यु) को प्राप्त करते हैं।

व्याख्या

शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में विस्तृत रूप से यह बताया है कि अब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले कामरसिक लोग कौन-कौन हैं और उनके तौर-तरीके, ठाठबाट, वैभव, प्रभाव, वस्त्राभूषण, रहन-सहन आदि कैसे होते हैं? वर्णन इतना सजीव है कि पढ़ते-पढ़ते भारत के भूतपूर्व राजाओं और रईसों की स्मृति ताजा हो जाती है। इस-लिए जितना भी वर्णन है, वह स्वाभाविक लगता है, आश्चर्यजनक नहीं।

इस वर्णन से और अनुभव से ऐसा लगता है कि कामी-भोगी लोगों के जीवन के साथ ये ठाठबाट, वेशभूषा, आडम्बर और रागरग बंधे हुए हैं। इनके बिना उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।

जानबूझ कर भी अब्रह्मचर्य के कीचड़ में क्यों?—प्रसन्न होता है, ये देव और वैभवशाली मनुष्य अब्रह्मचर्यसेवन का कटुफल अनुभव करते हैं, स्वियों को ले कर बड़े-बड़े युद्ध तक होते हैं, मानसिक संक्लेश की कोई सीमा नहीं रहती, कभी-कभी

तो जीवन भी संकट में पड़ जाता है, फिर ये सब जानते-बूझते हुए भी अब्रह्मचर्य का पल्ला क्यों पकड़े रहते हैं, इन्हें इस बुरे कार्य से विरक्ति क्यों नहीं होती ?

इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—‘मोहमोहितमती’ यानी इन सबकी बुद्धि मोह के घने कुहरे में ढकी रहती है। मोहाच्छन्न व्यक्ति अपने भले-बुरे, हानि-लाभ, कार्य-अकार्य और हिताहित का विचार नहीं कर पाता। यही कारण है कि चारित्र्य-मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के कारण देव और देवागनाएँ दोनों अब्रह्मचर्य का त्याग नहीं कर सकते और न वे मनुष्य ही सहसा अब्रह्मचर्य को निन्नाजलि दे पाते हैं, जो सुखवैभव में पल रहे हैं, जिनके पास अपार धनराशि है, अतुल वैभव है, हजारों नौकर-चाकर या दास-दासियाँ हैं, सुख के एक से एक वट कर माधन हैं, नितनये शृंगार सजे जाते हैं, राग-रग में ही जिनका अधिकांश जीवन बीतता है भोगविलास और आमोदप्रमोद ही जिनके जीवन का सर्वस्व है।

मतलब यह है कि जहाँ सुख-साधनों की प्रचुरता है, ऐश्वर्य और वैभव के अवार खडे हैं, जहाँ एक देव या एक पुरुष के अधीन हजारों देवागनाएँ या नारियाँ रहती हैं, ऐसे लोग अधिक से अधिक कामभोगों में लीन रहते हैं, अपने जीवन में वे भौतिक सुखोपभोग को ही प्रधानता देते हैं, रातदिन विषयभोगों के ही सपने लेते रहते हैं, सुन्दरियों की ही टोह में रहते हैं। ससार में चारगातियाँ हैं—नरक-गति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति। इन चारों में से सबसे ज्यादा सुख-साधन और ऐश्वर्य की प्रचुरता देवगति में है, इसीलिए शास्त्रकार ने सर्व-प्रथम देवलोक के देव-देवियों में कामभोग की तीव्र वासना का उल्लेख किया है—‘सुरगणा सबच्छरा’।

देवों में अधिक विषयलालसा क्यों ?—प्रायः यह देखा गया है कि जो जितना अधिक सुख में पलता है, वह अधिकतर अब्रह्मचर्य का शिकार होता है। वह न तो साधु के महाव्रतों को ग्रहण कर सकता है और न श्रावक के अणुव्रतों को। यही कारण है कि देवगति के देव-देवी व्रतों को जरा भी ग्रहण नहीं कर सकते। मन में विचार उठते ही उनकी इच्छानुसार भोगों की साधन-सामग्री कल्पवृक्षों से उपलब्ध हो जाती है। आहार (भोजन) की इच्छा होते ही उनके कंठ में अमृतमय आहार उपस्थित हो जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार ने देवों के लिए ही ‘मोहमोहितमती’ विशेषण का प्रयोग किया है।

देवों का अधिकतर समय कामक्रीडाओं में ही बीतता है। विविध उपायों से विषयसेवन करने में ही वे मशगूल रहते हैं। इन्द्रियों के उत्तम से उत्तम शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शरूप विषय और उनकी प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठसाधन वहाँ मौजूद हैं ही। इसलिए उन्हें वहाँ विषयों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना

पडता। फिर देवों के वैक्रियशरीर होता है। वैक्रियलब्धि तो उन्हें जन्म से ही मिलती है। देव-लोक के देवदेवियों का शरीर रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र धातुओं से बना हुआ नहीं होता, सुकोमल सुन्दर, सुढौल शरीर होता है। उनके शरीर की सुकुमारता और तज्जन्य रति-सुख की उपमा किसी पदार्थ से नहीं दी जा सकती। वहाँ के कल्पवृक्षों से प्राप्त पदार्थों के सुख या कठ मे झरने वाले अमृतमय आहार के सामने यहाँ के मंवामिष्टान्न आदि कुछ भी नहीं हैं। वहाँ के कल्पवृक्ष के फूलों और सुगन्धित द्रव्यों की तुलना मे यहाँ के इत्र या केसर, कस्तूरी, चन्दन आदि सर्वश्रेष्ठ सुगन्धित पदार्थ भी मिट्टी के तेल के समान तुच्छ बताये गये हैं। वहाँ के आभूषण, वस्त्र, और रत्नजटित अकृत्रिम विमानों की सुन्दरता के सामने रूप, रंग और सुन्दरता मे यहाँ की कोई भी चीज ठहर नहीं सकती है। देवागनाओं के नृपुर आदि आभूषणों की अकार के सामने वीणा, कोयल आदि की ध्वनि फीकी है। देवागनाओं के मुरम्य कठ मे निकलने वाली सुरीली आवाज और गायन का तो कहना ही क्या है ! तात्पर्य यह है कि देवलोक मे उत्तमोत्तम विषयों की पराकाष्ठा है। इस कारण मोह के बाह्य माधनों के या निमित्तों के प्राप्त होने से तथा अन्तर्ग मे चारित्र्यमोहनीय कर्म के तीव्र उदय से अब्रह्म सेवन भी बड़ा चरम मीमा पर है, यह नि सदेह कहा जा सकता है। इसी बात की पुष्टि शास्त्रकार ने की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न कोटि के देवों के नाम गिनाए हैं।

‘देव’ का अर्थ—असल मे देखा जाय तो देव उसे कहते हैं, जो सदा क्रीडा करते रहते हैं, जिनके शरीर, आभूषण आदि देदीप्यमान होते हैं, जो सदा हर्ष मे मग्न रहते हैं, इन्द्रियविषयों मे मस्त रहते हैं, तथा जिनके चित्त मे लगातार अनेक कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं एव जो विविध स्थानों मे क्रीडा के लिए गमन करते हैं। इसलिए देवों मे विषयेच्छा प्रबल हो, इसमे कहना ही क्या ?

भवनवासी देव कौन और कहाँ रहते हैं ?—शास्त्रकार ने असुरभुवगणस्य इत्यादि पक्ति से असुरकुमार आदि १० प्रकार के भवनवासी देव बताये हैं। इनका भवनवासी नाम इसलिए पडा है कि ये भवनों मे रहते हैं। जैनशास्त्रानुसार अधोलोक मे रत्नप्रभा पृथ्वी का पिंड एक लाख अस्सी हजार योजन का है। ऊपर और नीचे से एक-एक हजार योजन छोड कर शेष १७८००० योजन मे भवनवासी देवों के भवन हैं। अधोलोक की इस पृथ्वी के तीन भाग हैं—खरभाग, पकभाग और जलबहुल भाग। मध्यलोक से नीचे १६ हजार योजन चौड़ी खरभाग भूमि है; जहाँ असुरकुमार

१ विशेष जानकारी के लिए देखो—प्रज्ञापनासूत्र द्वितीयपद।

जाति के देवों को छोड़ कर बाकी के नागकुमार आदि ६ प्रकार के भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। उस खरभाग से नीचे ८४००० योजन चौड़ी पकभागभूमि हैं, जहाँ असुरकुमार जाति के देवों के भवन बने हुए हैं।

यद्यपि सब देवों की अवस्था आयुपर्यन्त पूर्ण यौवनावस्था के समान एक सरीखी रहती है, तथापि भवनवासी देव प्रायः विक्रिया द्वारा कुमारों के समान अपनी अवस्था बना लेते हैं और कुमारों की तरह ही चमकीले वस्त्र, कड़े, कुडल, हार और मुकुट आदि आभूषण पहने रहते हैं एव बालकवत् विविध क्रीड़ाएँ करते हैं, इसलिए इनके जातीय नाम के आगे 'कुमार' शब्द लगाया जाता है।

व्यन्तरदेव और उनका निवास—विविध देशान्तरो मे इनके निवास है, इसलिए इन्हे व्यन्तर कहा जाता है। रत्नप्रभा पृथ्वी का जो प्रथम भाग एक हजार योजन का है, उसमे से ऊपर और नीचे का सौ-सौ योजन छोड़ कर बाकी का जो ८०० योजन का टुकड़ा है, उसके तिर्यग्भाग मे व्यन्तरो के असंख्यत नगर हैं।

इसके अतिरिक्त इनका एक नाम 'वाणव्यन्तर' भी है, जिसका अर्थ होता है—वनों मे रहने वाले व्यन्तर। जो नीची जाति के यक्षादि व्यन्तर देव हैं, वे प्रायः वनों मे, पर्वतों की गुफाओं मे, पेड़ों मे, वृक्षों के कोटरों मे, विविध जलाशयों या प्राकृतिक दृष्यो वाले स्थानों, बगीचों और शून्यगृहों मे रहते हैं।

'तिरिय-जोइस-विमाणवासि—मणुयगणा'—मध्यलोक के ज्योतिषदेव भी अन्नह्यार्य सेवन मे पीछे नहीं है। ज्योतिषदेवों के ५ भेद हैं—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इनमे से सूर्य और चन्द्र ज्योतिषदेवों के इन्द्र होते हैं। सूर्यदेव के ४ अग्र-महिषी देवियाँ होती हैं, जो प्रत्येक विक्रिया करके अपने चार-चार हजार रूप बना सकती हैं। उनके साथ सूर्य दिव्यसुख का अनुभव करते हैं। चन्द्रमा के भी ४ अग्र-महिषी देवियाँ होती हैं, वे भी हर एक विक्रिया द्वारा अपने चार-चार हजार रूप बदल सकती हैं। इनके साथ चन्द्रमा भी दिव्यसुख का अनुभव करते हैं। पाचों प्रकार के ज्योतिषदेव ढाई द्वीप पर्यन्त निरन्तर गमन करते रहते हैं, आगे नहीं। इस भूमि के समतल भाग से लेकर ११० योजन आकाशक्षेत्र मे कुल ज्योतिषदेवों के विमान हैं।

इसके बाद शास्त्रकार ने मनुष्यगति के स्त्रीपुरुषों में भी अन्नह्यार्य का प्रभाव बताया है। मनुष्यों मे बड़े-बड़े धूरवीर योद्धा भयकर युद्धों मे अपना जौहर दिखा सकते हैं, वे मतवाले हाथियों के मस्तकों को अपनी तलवार के एक प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, बड़े-बड़े दुर्दान्त सिंहों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन काम-

१ इसका विस्तृत वर्णन प्रज्ञापनासूत्र के द्वितीय स्थानपद मे देखो।

वासना के आगे वे भी लाचार हो कर घुटने टेक देते हैं। काम के चेष से तो निःस्पृह त्यागी परमवीर साधु-महात्मा ही बचे हैं, जो कामिनी के संसर्ग से दूर रहते हैं।

'जलचर-जलचर-सहचर'—देवो की अपेक्षा मनुष्यो के पास सुख-माधनों की कमी है। वैभव और शक्ति मे भी मनुष्य देवो से बहुत पीछे हैं। फिर देवगण महाव्रत और अणुव्रत को स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि मनुष्यगण इन दोनों को स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते कि चारित्र्यमोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो। इसलिए देवो की अपेक्षा मनुष्यो मे अब्रह्मचर्य का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि पंचेन्द्रिय-तिर्यचो में कोई-कोई अणुव्रत तक ग्रहण कर सकते है, तथापि पंचेन्द्रिय-तिर्यचो मे कामवृत्ति का प्रभाव कम नहीं है।

मध्यलोक मे ज्योतिषी देव, मनुष्य और तिर्यच तीन रहते है। इनमे से दो का वर्णन पहले किया जा चुका है। तिर्यचगति के जीवो पर अब्रह्म का प्रभाव बताने के लिए ही शास्त्रकार ने अब यह उल्लेख किया है। तिर्यचगति के जीवो मे पंचेन्द्रिय जीव ही मथुन सेवन कर सकते है। बाकी के एकेन्द्रिय से ले कर चार इन्द्रिय तक के जीव बाह्य मथुनसेवन नहीं कर सकते। उनमे नपुंसकवेद के उदय से कामवासना अवश्य होती है। लेकिन बाह्यरूप मे मथुनसेवन करने की इन्द्रिय आदि सामग्री उनको उपलब्ध नहीं होती। इसलिए पंचेन्द्रिय-तिर्यचो का ही तीन भागो मे बाट कर निर्देश किया है।

जलचर तिर्यचपंचेन्द्रिय वे है, जो जल मे ही जीवन धारण करके रहते हैं। जैसे—मछली, मगरमच्छ, घडियाल आदि। स्थलचर तिर्यचपंचेन्द्रिय जीव वे हैं, जो भूमि पर ही विचरण करते है। जैसे—गाय, बैल, घोडा, सिंह कुत्ता आदि। और लेचर तिर्यचपंचेन्द्रिय जीव वे है, जो आकाश मे उड़ते है। जैसे—चिड़िया, कबूतर, बाज, चील आदि।

ये तीनो प्रकार के पंचेन्द्रिय जीव अब्रह्मचर्य के पजे मे फसे हुए हैं। कामवासना के निमित्त से इनमे परस्पर खूब लडाइयां होती है। कई बफा तो ये परस्पर लड़ते-लड़ते अपनी जान तक गंवा बैठते है।

प्रश्न होता है कि नरकगति मे भी तो पंचेन्द्रिय नारकजीव हैं; क्या वे अब्रह्मचर्य के चक्कर से दूर हैं? इसके उत्तर मे शास्त्रकार ने इस अध्यायन के प्रारम्भ मे स्वरूपद्वार मे ही बता दिया है कि अब्रह्मचर्य ने क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या मनुष्य और क्या तिर्यच सभी पर अपना जादू चला रखा है। फिर नरक के जीव इस विकार से कैसे बच सकते हैं? परन्तु एक बात यह है कि नरक के जीवों के पास केवल दुःख-सामग्री ही है। वहाँ न तो इन्द्रिय-सुख है और न इन्द्रियविषयसुख के साधन हैं।

यद्यपि विषयसेवन में प्रवृत्त करने वाले चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से नारक जीवों में नपुंसकवेद होने पर भी विषयसेवन के अनुकूल बाह्य साधन न मिलने के कारण वे मैथुन सेवन नहीं कर पाते। मगर कामभोग की वासना उनमें बनी रहती है। यही कारण है कि शास्त्रकार ने अन्नह्यार्च्य के पाश में बंधे हुए प्राणियों में नरक के जीवों तथा एकेन्द्रिय से ले कर चतुरिन्द्रिय तिर्यचप्राणियों का जिक्र नहीं किया।

मोहपडिबद्धचित्ता—शास्त्रकार द्वारा इस सूत्रपाठ में बताया हुआ सभी प्राणियों का चित्त मोह या मोहनीय कर्म के बशीभूत रहता है। इसका तीव्र उदय होने पर वे अपने कर्तव्यपथ से भ्रष्ट हो जाते हैं और न करने योग्य कार्य भी कर बैठते हैं। ससार में मोहनीय कर्म ही सब कर्मों में प्रबल है। सारा ससार मोहकर्म से ग्रस्त है।

अवितर्क्या कामभोगतिसिया तप्हाए बलवईए महईए समभिभूया—इन पदों से शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवों को विषयसुखभोग के इतने मनचाहे साधन मिल जाने पर भी और धनसम्पन्न या सत्ताधारियों को भी विषयसुखभोग के प्रचुर साधन प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उनकी तृष्णा उन प्राप्त कामभोगों से बुझती नहीं है, उसका कारण मोहनीय कर्म ही है। परन्तु यह तो निश्चित है कि कामभोगों के अधिकाधिक सेवन से कामवासना कभी शान्त नहीं होती। कहा भी है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति ।

हविषा कृष्णवल्ग्वं भय एवाभिबद्धं तं ॥

अर्थात्—कामों के अधिकाधिक उपभोग से काम कभी शान्त नहीं होता है। प्रत्युत भाग में भी डालने के समान वह और अधिक बढ़ता है—भडकता है।

किन्तु मोहवश जीव दूसरों को प्राप्त कामभोगों को देख कर ईर्ष्यावश अप्राप्त कामभोगों को प्राप्त करने के लिए हरदम लालायित रहता है। उसकी काम-पिपासा कभी शान्त ही नहीं होती। ससार के सभी प्राणी चक्रवर्ती या देवेन्द्र की-सी विषयसुखसामग्री चाहते हैं। कदाचित् वह मिल भी जाय या उससे भी अधिक मिल जाय तो भी उसे तृप्ति नहीं होती। वह उससे भी अधिक की चाह करता है। परन्तु इस खोटी चाह से तो मनुष्य को दुःख की राह ही मिलती है। कहा भी है—

‘विषयासा प्रतिप्राणि यस्यां विश्वमनूपमम् ।

कस्य कियद्धि संप्राप्तं, वृथा वै विषयंविता ॥’

अर्थात्—संसार में प्रत्येक प्राणी को विषयसेवन की इच्छा रहती है। और वह इच्छा इतनी विशाल है कि उसमें सारे विश्व की सम्पत्ति भी अणु के समान है। भला, बताओ तो सही, वह किसे कितनी प्राप्त हुई है? और हो सकती है? न तो किसी को प्राप्त हुई है और न हो सकती है। विषयसुख की यह एषणा वृथा है। सतोष के सिवाय इसे शान्त करने की और कोई अमोघ औषधि नहीं है।

परन्तु जो लोग विषयभोग की प्यास मिटाने के लिए मैथुन या अब्रह्मसेवन की प्रक्रिया अपनाते हैं, उन्हें बलवती विषयवृष्णा धर दबाती है और वे उसके इशारे पर नाच कर अपनी जिदगी से हाथ धो बैठते हैं।

गच्छिया य अतिमुच्छिया य—विषयवृष्णा के सहारे जीने वाले जीव विषयो की पूर्ति सहसा न होने पर उसी के पीछे दीवाने बन कर आसक्त और एक दिन अतिमूर्च्छित हो जाते हैं। अब्रह्मचर्य के दलदल में फसे वे लोग इस तामसभाव से मुक्त नहीं हो पाते, और पति-पत्नी दोनों परस्पर कामवासना का सेवन करते हुए दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के पीजरे में अपनी आत्मा को डाल देते हैं। वहाँ वे पक्षी की तरह परतत्र होकर उस पीजरे के बघन में बँध पड़े रहते हैं। दर्शनमोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपमकाल की है। यह एक बार में बाधे हुए दर्शनमोहकर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। यदि वह जीव लगातार दर्शनमोह का कर्मबन्ध करता चला जाए तो अनन्तकाल तक उससे छुटकारा पाना कठिन है। भोगविलास और सुखसुविधाओं में रचापचा रहने वाला जीव अकसर आत्मा, परमात्मा या तीर्थंकर, स्वर्ग, नरक, धर्म, पुण्य और सध आदि की उपेक्षा कर देता है। वह धर्म और भगवान् की निन्दा भी जीभर कर किया करता है। इसलिए दर्शनमोहनीय कर्म का बन्ध होना स्वाभाविक है। कदाचित् अब्रह्मसेवी दर्शनमोहनीयकर्म का बन्ध न करे तो भी चारित्रमोहनीयकर्म का बन्ध तो उसके जीवन में अवश्यम्भावी है। उससे वह छूट नहीं सकता। उसकी उत्कृष्टस्थिति ४० कोटाकोटि सागरोपम की है।

मनुष्यगति के नामी अब्रह्मचर्यसेवी—अब शास्त्रकार मनुष्यगति के विशिष्ट ऐश्वर्यशाली, सत्ताधारी और वैभवसम्पन्न खास-खास व्यक्तियों के अब्रह्मसेवन के तौरतरीके निम्नोक्तसूत्र से बता रहे हैं—‘भुञ्जो असुरसुरतिरियमणुजभोगरति ... इत्यादि।

मनुष्यगति में असाधारण-विभूतिसम्पन्न चक्रवर्ती होते हैं। वे दो तरह के होते हैं—अर्धचक्री—त्रिखंडाधिपति वासुदेव और पूर्णचक्री—षट्खंडाधिपति।

यहाँ सूत्रपाठ में प्रथम चक्री के वैभवविलास का वर्णन है। सुर असुर, मनुष्य और तिर्यचो के सातिशय भोगों में अतीव आसक्ति होने से वे भांति-भांति की श्रीङ्गाओं में, रागरंग में सतत मशगूल रहते हैं। सुरपति और नरपति उनका बहुत

सत्कार करते हैं। उनके लिए वे अपने-अपने देश की सुन्दर से सुन्दर वस्तुएँ और अंगनाएँ भेंट में भेजते हैं। जैसे स्वर्गलोक में इन्द्र अनेक मनोहर और प्राकृतिक दृश्य वाले स्थानों में जा कर क्रीडा करता है, वैसे ही ये भी पर्वतो, प्राकृतिक दृश्यों, झरनों, मनोहर लताकुजो, मनोज्ञ नगरों, जनपदों आदि स्थानों में अपनी विविध सवारियों द्वारा जा पहुँचते हैं और वहाँ अनुकूल समय में चित्ताकर्षक क्रीडाएँ करते हैं। कई बार समुद्र या बड़ी-बड़ी नदियों के समीपवर्ती स्थानों में जलमार्ग या स्थलमार्ग द्वारा पहुँच कर अभीष्ट सुखों का उपभोग करते हैं। कभी मन में आया तो धूल के कोट वाली वस्तियों, कस्बों, गाँवों या बस्ती से दूर ऐसे एकांतस्थानों में जा पहुँचते हैं। कभी ऐसे स्थानों में जा कर अपनी महफिल जमाते हैं; जहाँ सुरक्षा के लिए अनाज व अन्य सामग्री का प्रबन्ध पहले से होता है। किसी समय रत्नों का जहाँ व्यापार होता है, ऐसे पत्तनों में पहुँच कर मन को प्रफुल्लित करते हैं।

मतलब यह है कि विविध साधनों से और भाति-भाति के तोरतरीको से शब्दादिविषयों का पुनः पुनः सेवन करने पर भी वे कामभोगों से तृप्त नहीं होते और अन्त में कामभोगों की इच्छा करते-करते ही काल के गाल में पहुँच जाते हैं।

चक्रवर्ती का वैभव—शास्त्रकार पट्टखडाधिपति चक्रवर्ती के वैभवविलासों का निरूपण करते हुए कहते हैं—'एगच्छत्त ससागरं भुजिष्ण वसुहं भज्जाहि य अणवयप्पहायाहि लालिघंता अविलिता कामाणं।' इस लम्बे पाठ का वर्णन बहुत ही स्पष्ट है। ये सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के स्वामी होते हैं, तीनों और अमुद्र तक और उत्तर में हिमवान पर्वत तक इनका अखंड राज्य होता है। बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा सिर झुका कर उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। विशेष बात यह है कि मूलपाठ में वर्णित नाना प्रकार की अगणित भोगसामग्रियों के अलावा उनके अकेले के ६४ हजार पत्नियाँ होती हैं, जो उन्हें देख कर अपने नेत्रों को आर्तान्वित करती हैं। चक्रवर्ती का सारा दारोमदार चक्र आदि १४ रत्नों पर होता है। चक्रवर्ती को ६ खंडों पर विजय प्राप्त कराने में तथा चक्रवर्ती पद प्राप्त कराने में ये सहायक होते हैं। खान से निकला हुआ पदार्थविशेष यहाँ रत्न नहीं कहलाता, अपितु जिस-जिस जाति की जो-जो श्रेष्ठ वस्तु होती है, उसे ही रत्न कहा जाता है। चक्रवर्ती के १४ रत्न होते हैं। जो निम्नोक्त गायों से प्रगत हैं—

‘सेनापति १ गाथापति २ पुरोहित ३ सुरग ४ बड्ढ ५।

गय ६ इत्थी ७ चक्रं ८ छत्तं ९ चम्मं १० मणि ११,

कायणि १२ खण्ण १३ बंडो य १४ ॥’

अर्थात् १ सेनापति, २ गाथापति (स्पपति), ३ पुरोहित, ४ अश्व, ५ बड्ढ, ६ हाथी, ७ स्त्रीरत्न, ये सात (पंचेन्द्रिय) सचेतन (सजीव) रत्न हैं, तथा ८ चक्र,

६ छत्र, १० चर्म, ११ मणि, १२ काकिणी, १३ खड्ग और १४ दंड ; ये सात अचेतन रत्न हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती इन चौदह रत्नों का स्वामी होता है। चक्रवर्ती का प्रथम रत्न सेनापति होता है, जिसकी शक्ति शत्रुओं से अबाधित होती है और जो गंगासिन्धु आदि नदियों को पार करके विजय प्राप्त कराने में समर्थ होता है। दूसरा गृहपतिरत्न है, जो गृहोचित शाली आदि सभी प्रकार के धान्य, फल, सागभाजी तत्काल उत्पन्न करने में और चक्रवर्ती की सारी सेना को खाने-पीने की तमाम चीजें मुहैया करने में समर्थ होता है। तीसरा रत्न पुरोहित होता है, जो समस्त क्षुद्र उपद्रवों को शान्त करता है। चौथा और छठा रत्न घोड़ा और हाथी होता है, ये दोनों अत्यन्त वेग और पराक्रम वाले होते हैं। पाचवा बड़ई रत्न होता है ; जो देखते ही देखते सारी सेना के लिए भवन बनाने, उनको सुसज्जित करने तथा बात की बात में कठिन में कठिन ऊबड़खाबड़ म्थानों पर रास्ता आदि बना देने में समर्थ होता है। सातवाँ स्त्रीरत्न समस्त उत्तमोत्तम काममुखों का खजाना होता है। आठवाँ चक्ररत्न हजार आरों का लम्बा-चौड़ा, समस्त शस्त्रों में प्रधान अमोघ शस्त्र होता है। नौवा विशाल लम्बा-चौड़ा छत्ररत्न होता है, जो ६६ हजार लोहे की सलाहियों (ताड़ियों) से गूथा हुआ व सोने के बने हुए प्रचंड दंड से सुशोभित होता है, जो धूप, वर्षा, दू आदि दोषों का नाशक होता है और स्वामी के हाथ का स्पर्श होते ही १२ योजन तक फल कर, वैताड्यपर्वत के उत्तरभाग में रहने वाले म्लेच्छों के अनुरोध से मधुकुमार द्वारा बरसाई हुई जलधाराओं का निवारण करता है। दसवा चर्मरत्न होता है, जो होता तो है दो हाथ का ही, लेकिन वैताड्यपर्वत के उत्तर में रहने वाले म्लेच्छों द्वारा कराई हुई मूसलधार वर्षा होने पर स्वामी के हाथ का स्पर्श होते ही १२ योजन तक विस्तृत हो जाता है। चक्रवर्ती की सारी सेना को आकाश में ऊपर से तो छत्ररत्न ढक देता है, जबकि नीचे से चर्मरत्न पृथ्वी की तरह उसे आघात देने में और प्रातःकाल बोलने पर अपराह्न में शाली आदि अन्न उपजा देने में समर्थ होता है। म्यारहवा मणिरत्न चार अंगुल लम्बा और दो अंगुल चौड़ा तिकोन और छह पहलू वाला वैडूर्यमय होता है, जो छत्र के ऊपरी सिरे पर और हाथी के कंधे पर लगा होता है। वह १२ योजन तक प्रकाशक होता है, क्षुद्र उपद्रवों को मिटा देता है। उसको हाथ में रखने पर यौवन स्थायी रहता है, केश और नख भी टिके रहते हैं। बारहवाँ काकिणीरत्न होता है जिसके आठों पहलू स्वर्णजटित होते हैं। वह चार अंगुल का समचौरस और समस्तविद्याओं का अपहर्ता होता है। वह तिमिस्रागुफा और खडप्रपातगुफा में १२ योजन तक अंधेरा मिटा देने वाला होता है। चक्री द्वारा रात को सेना के बीच में रख देने पर सूर्य की तरह प्रकाश देता है। तिमिस्रागुफा में पूर्व और पश्चिम की प्रत्येक दीवार पर एक योजन दूर तक और ५०० घनुष लम्बाई-चौड़ाई

तक चक्रवर्ती इसी से प्रकाश करता है, तथा एक दीवार पर गोमूत्रिकाक्रम से २५ और दूसरी दीवार पर २४ चक्राकार मडल चक्रवर्ती इसी काकिणीरत्न से छडिया की तरह सुखपूर्वक अंकित करता है।

भरतक्षेत्र के अपराध भाग के विजय के लिए जब तक चक्रवर्ती रहता है, तब तक तमिस्रगुफा और खण्डप्रपातगुफा खुली रहती हैं।

तेरहवाँ खड्गरत्न होता है, जो १२ अंगुल का होता है, लेकिन युद्ध में अजेय होता है। चौदहवाँ दण्डरत्न होता है, जो रत्नमय, और पाच लताओं वाला होता है, जिसमें इन्द्र के वज्र जितनी ताकत होती है, जो बहुत ही लम्बा-चौड़ा होता है, जो शत्रु की सेना को त्रास पहुंचाता है, विषम ऊँची-नीची जगहों को सम कर देता है, वह शान्ति करने वाला और मनोरथपूर्ति करने वाला होता है, सर्वत्र अबाधित होता है और एक हजार योजन नीचे तक धुम जाता है।

ये चौदह ही रत्न एक-एक हजार यक्षों द्वारा अधिष्ठित होते हैं। इसी तरह चक्रवर्ती नौ निधियों के अधिपति होते हैं। वे नौ निधियाँ इस प्रकार हैं—

“नैसर्पं पंडुरयं पिंगलयं, सव्वरयणे तथा महापद्मे ।

काले च महाकाले माणवगमहाणिही संखे ॥”

अर्थात्—नैसर्पं, पाण्डु, पिंगलक, सर्वरत्न, महापद्म, काल, महाकाल, माणवक और शख ये नौ महानिधियाँ हैं।

संस्कृत ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में एक भिन्न ही उल्लेख मिलता है—

महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपो ।

मुकुन्द-कुन्द-नीलाश्व सर्वश्च निधयो नव ॥

अर्थात्—महापद्म, पद्म, शख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और सर्व, ये नौ निधियाँ हैं।

इन महानिधियों से चक्रवर्ती का कोश परिपूर्ण रहता है; उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती।

इतने समृद्ध भी कामभोगों से अतृप्त—वैभव का इतना लम्बा-चौड़ा वर्णन करने के पीछे शास्त्रकार का आशय यही है कि इतने मनचाहे वैभव, ऐश्वर्य, सुखसाधन, रत्न और भोगों के प्राप्त होने पर भी और उनका उपयोग कर लेने पर भी वे एक दिन इस ससार से अतृप्त ही चल देते हैं, तो अल्पपुण्य वाला प्राणी किस बिंसात में है? अतः ऐसा समझ कर अतृप्तिकारी विषयवासनाओं का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। इसी से सच्ची तृप्ति और शान्ति मिल सकती है।

संसार के अन्य पुण्यशालियों की काम-प्रवृत्ति

चक्रवर्ती की कामभोगो मे प्रवृत्ति का विस्तृत वर्णन करने के बाद आगे शास्त्र-कार बलदेव, वासुदेव के रूप मे पुण्यशाली और प्रशसनीय माने जाने वाले अन्य पुण्यो के वैभव और उनकी कामभोगो मे प्रवृत्ति का पुनः विशद वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

भुज्जो भुज्जो बलदेव-वासुदेवा य पवरपुरिसा, महाबल-परक्कमा, महाघणुवियट्टका, महासत्तसागरा, दुद्धरा, घणुद्धरा, नरवसभा, रामकेसवा, (स)भायरो, सपरिसा, वसुदेवसमुद्द-विजयमादियदसाराणं पज्जुन्न-पतिव-संब-अणिरुद्ध-निसह-उम्मुय-सारण-गय-सुमुह-दुम्मुहादीण जायवाणं अद्धुट्ठाण वि कुमार-कोडीणं हिययदयिया, देवीए रोहिणीए देवीए देवकीए य आणंद-हिययभावणंदराकरा, सोलसरायवरसहस्साणुजातमग्गा, सोलस-देवीसहस्सवरणयणहिययदइया, आणामणिकरागरयणमोत्तिय-पवालधणधन्नसंचयरिद्धिसमिद्धकोसा, हयगयरहसहस्सामी, गामागर-नगर-खंड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्टणासम-संबाह-सहस्स-थिमियणिव्वुय-पमुदितजणविविहसासनिप्फज्जमाण - मेइणिसर-सरियतलागसेलकाणणआरामुज्जाण - मणाभिरामपरिमंडियस्स दाहिणड्ढवेयड्ढगिरिविभत्तस्स लवणजलहिपरिगयस्स छव्विह-कालगुणकामजुत्तस्स अद्धभरहस्स सामिका, धीरकित्तिपुरिसा, ओहबला, अइबला, अनिहया, अपराजियसत्तुमहणरिपुसहस्स-माणमहणा, साणुक्कोसा, अमच्छरी, अचवला, अचंडा, मित-मंजुलपलावा, हसियगंभीरमहुरभणिया, अब्भुवगयवच्छला, सरण्णा, लक्खणवंजणगुणोववेया, माणुम्माणपमाणपडिपुन्नसुजाय-सव्वंगसुंदरंगा, ससिसोमागारकंतपियदंसणा, अमरिसणा, पर्यंड-डंडप्यारगंभीरदरिसणज्जा तालद्धउविद्धगरुलकेऊ, बलवग-गज्जंतदरितदप्पितमुट्टियचाणूरमूरगा, रिट्टुवसभवातिणो, केसरि-

मुह्विप्फाडगा, दरितनागदप्पमद्दणा (महणा), जमलज्जुणभंजगा,
 महासउणिपूतणारिवू, कंसमउडतो(मो)डगा, जरासिधमाणमहणा,
 तैहि य अविरलसमसहियचंदमंडलसमप्पभेहि सूरमरीयकवयं
 विणिम्मुयंतेहि सपतिडं(दं)डेहि आयवत्तेहि धरिज्जंतेहि
 विरायंता, ताहि य पवरगिरिकुहरविहरणसमुट्टियाहि, निरुवहय-
 चमरपच्छिमसरीरसंजाताहि अमइलसेयकमलविमुकुलुज्जलित-
 रयतगिरिसिहर-विमलससिकिरणसरिसकलहोय - निम्मलाहि
 पवणाहयचवलचलियसललियपणच्चियवीइपसरियखीरोदगपवर -
 सागरुप्पूरचंचलाहि माणससरपसरपरिचियावासविसदवेसाहि
 कणगगिरिसिहरसंसिताहि अववायुप्पातचवलजायणसिग्घवेगाहि
 हंसवधूयाहि चेव कलिया, नाणामणिकणगमहरिहतवणिज्जुज्जल-
 विचित्तडंडाहि सललियाहि नरवतिसिरिसमुदयप्पगासणकरीहि
 वरपट्टणुग्गयाहि समिद्धरायकुलसेवियाहि कालागुरु-पवरकुंदुरुक्क-
 तुरुक्क धूववसवासविसदगधुद्धुयाभिरामाहि चिल्लिकाहि उभयोपास
 पि चामराहि उक्खिप्पमाणाहि सुहसीतलवातवोइयंगा, अजिता,
 अजितरहा, हलमुसलकणगपाराणी, संखचक्कगयसत्तिणंदगधरा,
 पवरुज्जलसुकतविमलकोथूभतिरीडधारी, कुंडलउज्जोवियाणणा,
 पुंडरीयणयणा, एगावलीकंठरतियवच्छा, सिरिवच्छसुलंछणा,
 वरजसा, सब्बोउयसुरभिकुसुमसुरइयपलंबसोहंतवियसतचित्तवण-
 मालरतियवच्छा, अट्टसयविभत्तलक्खणपसत्थसुंदरविराइयंगमंगा,
 मत्तगयवरिदललियविककमविलसियगती, कडिसुत्तगनीलपीतको-
 सिज्जवाससा, पवरदित्ततेया, सारयनवथणियमहुरगंभीरणिद्ध-
 घोसा, नरसीहा, सीहविककमगई, अत्थमियपवररायसीहा, सोमा,
 बारवइपुण्णचंदा, पुव्वकयतवप्पभावा, निविट्टसंचियसुहा, अणेग-
 वाससयमाउवंतो भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहि लालियंता अनुल-

सहृफरिसरसरुवगंधे अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं
अवितित्ता कामाणां ।

संस्कृतच्छाया

भूयो भूयो बलदेववासुदेवाश्च प्रवरपुरुषा, महाबलपराक्रमा, महा-
धनुर्विकर्षका महासत्त्वसागरा, दुर्धरा, धनुर्धरा, नरवृषभा रामकेशवा,
सन्नातरः सर्पारिषदो, वसुदेवसमुद्रावजयादिकदशार्हाणां प्रद्युम्नप्रतिव-शम्भ-
अनिरुद्ध-निवधोलुम्बुसारणजसुप्तुस्रदुमुंखादीनां यादवानां अध्युष्टानामपि
(अर्धाधिकतिसृणामपि) कुमारकोटानां हृदयदयिताः, देव्या रोहिण्या देव्या
देवक्याश्चानन्दहृदयभावनन्दनकरा, षोडशराजवरसहस्रानुयातमार्गाः, षोडश-
देवीसहस्रवरनयनहृदयदयिता, नानामाणिकनकरत्नमौक्तिकप्रबालघनधान्य-
संचर्यादिसमृद्धकोशा, ह्यगजरथसहस्रस्वामिनो, ग्रामाकरनगरखेटकबंदमडंब-
द्रोणमुखपत्तनाभमसंबाहसहस्रस्तिमितनिर्वृत्तप्रमुदितजनविबिधसस्यनिष्पद्य-
मानमेदिनोसरसरिवृतडागशंलकाननारामोद्यानमनोऽभिरामपरिमंडितस्य
दक्षिणाद्वैतादय - (विजयाद्वै)गिरिविभक्तस्य लवणजलधिपरिगतस्य
षड्विधकालगुणक्रम(काम)युक्तस्य अद्वैभरतस्य स्वामिका, धीरकीर्तिपुरुषाः,
ओघबला, अतिबला, अनिहता, अपराजितशत्रुमर्दनरिपुसहस्रमानमथनाः,
सानुक्रोशा, अमत्सरिणोऽचपला अचंडा, मितमंजुलप्रलापा, हसितगम्भीर-
मधुरभणिता, अभ्युपगतवात्सल्याः, शरण्या लक्षणव्यजनगुणोपपेता मानो-
न्मानप्रमाणप्रतिपूर्णसुजातसर्वांगसुन्दरांगाः, शशिसोभाकारकान्तप्रियदर्शना
अमर्षणाः (अमसृणा), प्रचंड(प्रकांड) दंडप्रचार (प्रकार) गम्भीरदर्शनीयाः,
तालध्वजोद्विद्विडगरुडकेतवो, बलवदगजंहरितद्विपित(क)मौष्टिकचाणूर-
मूरका, रिष्टवृषभघातिन केसरिमुखविस्फाटका दरित (दृप्त)नागदर्पमथना
(मर्दना), यमलाजुंभमंजका महाशकुनिपूतनारिपवः, कंसमुकुटमोटका,
जरासन्धमानमथनाः, तैश्च अबिरलसमसहितचन्द्रमंडलसमप्रभैः सूरमरोचि-
कवचं विनिमुंचद्विभिः सप्रतिबंधैर् आतपत्रैर् श्रियनाजैर् बिराजमानाः,
तैश्च प्रवरगिरिकुहरविहरणसमुद्धतैर् निरुपहतचमरपश्चिमशरीरसंजा-
तैर् अमलिनसितकमलविभुकुलोज्ज्वलितरजतगिरिशिखरबिमलशशिकिरण-
सदृशकलधौतनिर्मलैः पवनाहृतचपलज्वलितसलसितप्रवृत्त(प्रनतित) वीचि-
प्रसृतभीरोवकप्रवरसागरोत्पूरचंचलैर् मानससरःप्रसरपरिचितावासविशद्वे-

षामिः कनकगिरिशिखरसंभिताभिर् अवपातोत्पातच्छपलजयिशीघ्रवेगाभिर्
 हंसबधूभिरिव कलिता, नानामणिकनकमहार्घ्यं(हं)-तपनीयोज्ज्वलबिच्चित्र-
 बंधैः सललितैर् नरपतिश्रीसमुदयप्रकाशनकरैर् वरपत्नोद्गतैः समुद्रराज-
 कुलसेवितैः कालागुरुप्रवरकुन्दुरुक्कतुरुक्कधूपवशावासविशदगन्धोद्धूताभिरामैः
 स्त्रीनैः (दीप्यमानैः) उभयोरपि पार्श्वयोश्चामरैरुत्क्षिप्यमाणैः सुसशीतलवात-
 बीजितांगा, अजिता, अजितरथा, हलमुशलकणकपाणय, शंखचक्रगदा-
 शक्तिनन्दकघराः, प्रवरोज्ज्वलसुकृतबिमलकौस्तुभतिरीटधारिणः, कुंडलोद्-
 द्योतिताननाः, पुंडरीकनयना, एकाबलीकंठरचितवक्षसः, श्रीवत्समुलांछना,
 वरयशसः, सर्वतुं कसुरभिकुसुमसुरचितप्रलम्बशोभमानविकसच्चित्रवनमाला-
 रतिव(रचित)वक्षसोऽष्टशतविभक्तलक्षणप्रशस्तसुन्दरविराजितांगोपांगा,
 मत्तगजवरेन्द्रललितविक्रमविलसितगतयः, कटिसूत्रकनीलपोतकौशेयवाससः,
 प्रवरद्योत्तेजसः, शारदनवस्तनितमधुरगम्भीरस्निग्धघोषा, नरसिंहाः, सिंह-
 विक्रमगतयः, अस्तमितप्रवररार्जासिंहाः, सौम्या, द्वारावतीपूर्णचन्द्राः पूर्वकृततपः-
 प्रभावा निविष्टसचितसुखा अनेकवर्षशतायुष्मन्तो भार्याभिश्च जनपद-
 प्रधानाभिलाष्यमाना अतुलशब्दस्पर्शरसरूपगन्धानुभूय तेषां उपनमन्ति
 मरणधर्ममवितृप्ताः कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(भुज्जो भुज्जो य) और पुनः पुनः, (पवरपुरिसा) श्रेष्ठ पुरुष
 (महाबलपरशुका) महाबली तथा महापराक्रमी (महाधनुर्विद्युत्का) बड़े-बड़े सारंग
 आदि धनुष को चढ़ाने वाले, (महासत्तसागरा) महासत्त्व के सागर, (दुड्डरा) शत्रुओं
 से अपराजेय, (धनुड्डरा) प्रधान धनुर्धारी, (नरवसभा) मनुष्यों में धोरी बल के
 समान—श्रेष्ठ, (रामकेसवा) बलराम और केशव—श्रीकृष्ण (अथवा नारायण
 और बलभद्र) भाई, अथवा (सभायरो) भाइयों के सहित (सपरिसा)
 परिवारसहित (वसुदेव-समुद्बिजयमादियवसाराणं) वसुदेव, समुद्रविजय आदि दशार्ह-
 महीय-पूज्य पुरुषों के, (पञ्जुप्रपतिवसंबअनिरुद्ध-निसह-उम्पुय-सारण-गय-सुमुह-
 दुम्मुहावीण जायवाणं) प्रहृन्न, प्रतिव शम्भ, अनिरुद्ध, निषध, औत्सुक, सारण, गज,
 सुमुख, हुमुंख आदि यावकों, तथा (अद्धुट्ठाणं कुमारकोडीणं षि) साढ़े तीन करोड़ कुमारों
 के भी (हिययवदया) हृदयों के वल्लभ (य) और (रोहिणीए देवीए) देवी—रानी
 रोहिणी के, तथा (देवकीए देवीए) देवकी देवी-रानी के (आणंदहिययभावनंवनकरा)
 आनन्दस्वरूप हृदय के भावों की वृद्धि करने वाले, (सोलसरायवरसहस्तामुजातमग्गा)
 सोलह हजार बड़े-बड़े राजा, जिनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, (सोलस देवीसहस्स-

बरभयण(हिययबइया) सोलह हजार सुन्दर नयनों वाली देवियों — महारानियों के हृदयों के प्रिय (गाणामणिकणगरयणमोत्तियपबालघणघन्नसंचयरिद्धिसमिद्धकोसा) जिनके कोश-खजाने अनेक प्रकार की मणियों, सोने, रत्न, मोती, मूंगे, धन और धान्य के संचयरूप ऋद्धि से समृद्ध-परिपूर्ण हैं, (हयगयरहसहस्ससामी) जो हजारों हाथियों, घोड़ों और रथों के स्वामी हैं, (गामागर-नगर-खेड-कव्वड-मडंब-डोणमुह-पट्टणासम-सवाहसहस्सथिमियणिव्युय-पमुवितजणविहिहसासनिष्कज्जमाणमेद्वणि - सर-सरिय-तलाग-सेल-काणण-आरामुज्जाण-मणाभिरामपरिमंडियस्स) हजारों गाँवों, खानों, नगरों, खेड़ों (धूल के कोट वाले नगरों), कब्रटों—कस्बों, मंडबों (जहाँ ढाई योजन तक कोई बस्ती न हो), द्रोणमुखों—बंदरगाहों, पत्तनों—मंडियों, आश्रमों, संवाहों—सुरक्षा के लिए बने हुए किलों में स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित लोग रहते हैं, जहाँ विविध प्रकार के अन्न पँवा करने वाली भूमि है, बड़े-बड़े सरोवर हैं, नदियाँ हैं, छोटे-छोटे तालाब हैं, पर्वत हैं, वन हैं, दम्पतियों के क्रीडा करने योग्य लतामंडपसहित बगीचे हैं, फुलवाड़ियाँ हैं, और इन उपयुक्त मनोहर गाँवों आदि से सुशोभित, (दाहिणइडवेयइडगिरिविभत्तस्य) जिसका दक्षिण की ओर का आधा भाग वंताद्वय पर्वत से विभक्त है, लवणसमुद्र से वेष्टित—घिरा हुआ है, (छव्हकालगुणकामजुत्तस्स) छही प्रकार की ऋतुओं के कार्यों (कम) के होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त (अडभरहस्स) अर्ध भरतक्षेत्र के (सामिका) स्वामी हैं; वे (धीर-कित्तिपुरिसा) धैर्यवान और कीर्तिमान पुरुष हैं, (ओहबला) प्रवाहरूप से निरन्तर बलशाली, (अइबला) अत्यन्त बलवान्, (अनिहत्ता) दूसरों से अपीडित, (अपराजियसत्तुमह्वणरिपुसहस्समाणमहणा) अपराजित शत्रुओं का भी मर्दन करने वाले तथा हजारों रिपुओं का मानमर्दन करने वाले, (साणु-बकोसा) दयावान् (अमच्छरी) मात्सर्यरहित-परगुणघ्राही, (अचबला) काया की चञ्चलता से रहित, (अचंडा) बिना कारण कोप नहीं करने वाले, (मितमंजुलपलावा) परिमित और मृदु भाषण करने वाले, (हसियगंभीरमह्वरमणिया) मुस्कान के साथ गंभीर और मधुर वचन बोलने वाले, (अभुवगयवच्छला) सम्मुख आए हुए व्यक्ति के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, (सरण्णा) शरणागत की रक्षा करने वाले, (सक्खणवंजण-गुणोव्वेया) शरीर पर सामुद्रिक शास्त्र में बताए हुए उत्तम लक्ष्णों-चिह्नों तथा तिल, मस्से आदि व्यंजनों के गुणों से युक्त, (माजुम्माणपमाणपडिपुअसुजायसब्बंग-सुंब्रंगा) मान और उन्मत्त से प्रमाणोपेत तथा इन्द्रियों व अवयवों आदि से प्रतिपूर्ण होने से उनके शरीर के सभी अंग सुडील और सुन्दर हैं, (सत्तिसोमागारकंत्त-

पियवंसणा) उनकी आकृति चन्द्रमा के समान सौम्य है तथा उनका दर्शन अत्यन्त प्रिय और मनोहारी है, (अमरिसणा) अपराध को सहन नहीं करने वाले या कार्य में आसक्त्य न करने वाले (पयंडंडंप्पयारगभीरवरिसणज्जा) जिनके दण्ड का प्रकार या प्रचार प्रचंड — उग्र है, या प्रकांड—श्रेष्ठ है और जो गंभीर दिखाई देते हैं । (ताल-डुडुच्चिडुडुगल्लकेऊ) ताड़वृक्ष के चिह्न से बलदेव की ध्वजा अंकित है औः वासुदेव की गठड़ के चिह्नवाली ऊँची ध्वजा है । (बलवगगज्जंतवरितवपितमुट्टियचाणूर-मुरगा) गर्जते हुए बलशाली अभिमानियों में महाभिमानी मौष्टिक और चाणूर नाम के नामी पहलवानों को जिन्होंने चूर-चूर कर दिया है, (रिटठवसभधातिणो) जिन्होंने रिष्ट नामक दुष्ट सांड को मार डाला है, (केसरिमुह्विष्काडगा) जो सिंह के मुंह को चीरने वाले हैं, (वरितनागदप्पमहणा) गर्वयुक्त कालीयनाग (सर्प) के घमंड को चूर-चूर करने वाले (जमलज्जुणभजका) विक्रिया से बने हुए वृक्ष के रूप में यमल अर्जुन को नष्ट कर देने वाले, (महासउण्णित्तणारिवू) महाशकुनि और पूतना नाम की विद्याधरियों के शत्रु, (कसमउडमोडगा) कंस के मुकुट को मोड़ने वाले यानी मुकुट पकड़ कर कंस को नीचे पटक कर मारने वाले, (जरासंधमाणमहणा) जरासंध के मान का भर्दन करने वाले, (घ) और (तेहि) उन प्रसिद्ध, (जविरलसमसहियबंध-मंडलसमप्पभेहि) घनी, समान और ऊँची की हुई शलाकाओं ताड़ियों से निर्मित एव चन्द्रमा के मंडल के समान प्रभाव वाले, (सूरमरीयकवच विणिम्मयुंतेहि) भूयं की किरणों के समान चारों ओर तेज से फैलते हुए किरणमंडलरूप कवच को फंकते-बिखेरते हुए, (सपतिवडेहि) अनेक दंडों से (धरिज्जमाणेहि) धारण किये जाते हुए (आयवत्तेहि) छत्रों से (विरायंता) विराजमान —शोभायमान (घ) और (ताहि) उन-उत्कृष्ट (पवरगिरिक्कुहरविहरणसमुट्ठियाहि) श्रेष्ठ पर्वतों की गुफाओं में विचरण करने वाली क्षमरी गायों से प्राप्त किये गए (निरुहहयक्षमर-पच्छिमसरोरसंजाताहि) नीरोगी क्षमरी गायों के शरीर के पिछले भाग—पूँछ वाले हिस्से से उत्पन्न हुए, (अमइल - सियकमलविमुकुलुज्जलितरयतगिरिसिहरविमलससिकिरणसरिसकलहोय - निम्मल्लाहि) बिना मुझाए या बिना मसने हुए विकसित श्वेतकमल, उज्ज्वल रजत गिरि के शिखर तथा निर्मल चन्द्रमा की किरणों के सदृश वर्ण वाले एवं चांदी की तरह निर्मल, (पवणाहयक्षवलक्षलियसलियपणच्चियवीइपसरियखीरोवगपवरसागरूपूर-चंचल्लाहि) हवा से प्रताड़ित, चपलता से चलते हुए, लीलापूर्वक नाचते हुए व लहरो के प्रसार तथा सुन्दर क्षीरसागर के जलप्रवाह के समान चंचल, (माणससरपसरपरि-चियावासविसद्वेसाहि) मानसरोवर के प्रसार में परिचित आवास और श्वेत देव

बाली (कणगगिरिसिहरसंसिताहि) सुवर्णमय सुमेरुपर्वत के शिखर पर बंठी हुई, (अबायुष्पातचदलजयिणसिधधेगाहि) ऊपर और नीचे गमन करने में दूसरी चंचल वस्तुओं को शीघ्र गति के वेग में जीतने वाली, ऐसी (हंसवधूयाहि) हंसनियों के (चेव) समान चामरो से (कालया) युक्त (नाणामणिकणगमहृरिहृतवणिज्जुज्जल-बिच्चित्तडंडाहि) नाना प्रकार की मणियों के, पीले रंग वाले तथा बहुमूल्य सोने के चमकौले विविध दलों से, एव (सललियाहि) लालित्य से युक्त (नरवत्तिसिरिसमृद्यप्पगा-सणकरीहि) राजाओं की लक्ष्मी के अभ्युदय को प्रकाशित करने वाले, (वरपट्टणुग-याहि) बड़े-बड़े नगरो में बने हुए, (सभिद्धरायकुलसेवियाहि) समृद्धिशाली राजवंशों में इस्तेमाल किये जाने वाले (कालागुरुपवरकतुरुक्क-तुरुक्क-धूव-वसवामविसवगंधुद्धूयाभि-रामाहि) काला अगर, उत्तम चीड़ की लकड़ी और तुरुक्क-मुगन्धित द्रव्यविशेष से बनी हुई धूप के कारण उठने वाली सुवास से जिसमें स्पष्ट व मनोहर सुगन्ध आ रही है, ऐसे (उमथा पाम पि उक्खिप्पमाणाहि चामराहि) दोनों बगलो - पारवों की ओर ढुलाए जाते हुए चवरो से (सुहसीतलवातबोइअंगा) सुखद और शीतल हवा अंगो पर की जा रही है, ऐसे (अजिता) जो किसी से जीते नहीं जा सकें, (अजित-रहा, अपराजित रथ वाले (हलमुसलकणगपाणी जो अपने हाथ में हल, मूसल और बाण रखते हैं। (सल्लचक्कगयसत्तिणंदगधरा) पांचजन्य शंख, मुदशंन चक्र, कौमुदी गदा, शक्ति (त्रिगुल विशेष) और नन्दक नामक तलवार को धारण करने वाले, (पवहज्जलमुकतविमलकोष्भतिरीडधारी अत्यन्त उज्ज्वल व अच्छी तरह बनाये गये कोस्तुभ मणि और मुकुट को धारण करने वाले (कुंडलउज्जोवियाणणा) कुंडलों से जिनका मुंह प्रकाशित होता है, (पुंडरीयथयणा) श्वेतकमल के समान जिनके विक-सित नेत्र हैं, (एगावलीकठरइयवच्छा) जिनके कंठ और वक्षःस्थल पर एकलड़ी वाला विविध मणियों का आनन्ददायी हार पड़ा रहता है, (सिरिवच्छमुलच्छणा) जिनके वक्षस्थल पर शीवत्स का उत्तम चिह्न है, (वरजसा) जो बड़े यशस्वी हैं, (स चोउयसुरभिकुसुमसुरइयपलबसोहत-वियसंत-च्चिसवणमालरतिथवच्छा) सब ऋतुओं के सुगन्धित फूलों से धूंधी हुई, लम्बी, शोभायुक्त खिली हुई अनूठी बनमाला से जिनका वक्षस्थल सुशोभित होता है, (अट्ठसयविभसलक्खणपसत्थसुंहरविराइयंगमंगा) मांग-लिक एवं सुन्दर आठ सौ विभिन्न लक्षणों से जिनके अंग और उपांग सुशोभित होते हैं, (मत्तगयवर्दिलियविककमविलिसियगती) जिनकी गति अर्थात् चाल मतवाले श्रेष्ठ गजेन्द्र की - सी ललित और विलासयुक्त है, (कडिमुत्तगनीलपीतकोसिक्ख-

वासता) जो कटिसूत्र-करधनी से युक्त हैं, नीले व पीले रेशमी-कौशेय बस्त्र पहने हुए हैं, (पवरविलतेया) उनके शरीर पर प्रखर तेज चमक रहा है, (सारयनवत्पणितमहुर-गंभीरनिद्रघोसा) जिनकी आवाज शरत्काल के नये मेघ की गर्जना के समान मधुर, गभीर और स्निग्ध है, (नरसीहा) जो मनुष्यों में सिंह के समान शूरवीर होते हैं, (सीहृविककमर्गई) सिंह के समान पराक्रम और चाल वाले हैं, (अत्यभियपवर-राजसीहा) जिन्होंने बड़े-बड़े राजसिंहों का जीवन अस्त—समाप्त कर दिया है, (सोमा) जो सौम्य-शान्त हैं, (वारवद्गुणधंवा) जो द्वारावती—द्वारिका नगरी के पूर्णचन्द्रमा हैं, (पुष्पकयतवप्पभावा) जो अपने पूर्वजन्म में किये हुए तप के प्रभाव से युक्त होते हैं, (निषिद्ध-सचियसुहा) पूर्वजन्म के पुष्पोदय से सचित इन्द्रियसुखो का जो उपभोग करते हैं, (अण्णवाससयमाउवंतो) जो कई सौ वर्ष की आयु वाले हैं, ऐसे (बलदेव-वासुदेवा) बलदेव-बलभद्र और वासुदेव-नारायण श्रीकृष्ण (जगवयपहाणाहि य भञ्जाहि) विविध जनपदों—देशों की प्रधान-भेष्ठ भार्याओं-पत्नियों के साथ, (लालियंता) भोगविलास करते हुए (अतुलसहृफारिस-रसकवंधं) अनुपम—अद्वितीय शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध स्वरूप इन्द्रियविषयों का (अणुभवेत्ता) अनुभव करके (ते वि) वे भी (कामाणं अबित्ता) कामभोगों से अनुत्पन्न हो कर ही, (मरणधम्म उच्चमंति) कालधर्म को—मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—बलदेव और वासुदेव भी पुनः पुनः कामभोगों के सेवन से तृप्त न होकर भौत के सुंह में चले गए तो सात्कारण मनुष्य का तो कहना ही क्या ? वे मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष थे, वे महाबली और महापराक्रमी थे । सांग आदि बड़े-बड़े धनुषों को चढ़ाने वाले, महासाहस के समुद्र, शत्रुओं से अजेय एवं धनुर्धारियों में प्रधान थे । वे लिए हुए कार्यभार का निर्वाह करने में धीरी बल के समान नरवृषभ बलराम (नौवां बलभद्र) और केशव-वासुदेव (नौवां नारायण) दोनों भाई थे, वे बड़े भारी परिवार के सहित थे । उन्हीं में वसुदेव और समुद्रविजयजी आदि दश दशार्ह—पूज्य पुरुष हुए हैं तथा प्रद्युम्न, प्रतिव, शंभ, अनिरुद्ध, निषध, औत्सुक, सारण, गज, सुमुख और दुर्मुख आदि यादवों की संतानों के रूप में साढ़े तीन करोड़ कुमार हुए हैं । रानी रोहिणी के पुत्र बलराम थे और महारानी देवकी के पुत्र थे—श्रीकृष्ण वासुदेव । वे रोहिणीदेवी और देवकीदेवी के हृदय में उत्पन्न हुए आह्लाद की वृद्धि करने वाले थे । सोलह हजार मुकुटबद्ध राजा उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले थे यानी उनकी आज्ञानुसार चलने वाले थे और सोलह हजार

सुन्दर युवतियों के वे हृदयवत्लभ थे । नाना प्रकार की मणियों, सोने, रत्न, मोती, मूंगों तथा धन-धान्यों के संचयरूप लक्ष्मी से जिनके खजाने भरे रहते थे । वे हजारों घोड़ों, हाथियों और रथों के स्वामी थे । वे हजारों सुन्दर गाँवों, नगरों, खानों, खेड़ों, कस्बों, मडकों, द्रोण-मुखा बंदरगाहों, पत्तनो-मंडियों, आश्रमों, सुरक्षित किलों (सवाहो से युक्त अर्द्धभरतक्षेत्र के स्वामी थे, जिनमें लोग स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित रहते थे, जहाँ विविध प्रकार के अनाज पैदा करने वाली उपजाऊ भूमि थी । वह बड़े-बड़े सरोवरों, नदियों, छोटे-छोटे तालाबों, पर्वतों, वनों, दम्पनियों के क्रीडा करने के योग्य लतागृहों से युक्त बगीचों, फुलवाडियों और उद्यानों से सुशोभित था । वह दक्षिण की ओर का अर्द्धभरत वैताड्य पर्वत से विभक्त एव लवणसमुद्र से घिरा हुआ तथा छद्मी ऋतुओं के कार्यों से क्रमशः प्राप्त होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त था । वे धैर्यवान और कीर्तिमान पुरुष थे । उनमें प्रवाहरूप से निरन्तर बल पाया जाता था । वे अत्यन्त बलवान थे । दूसरों के बलां से वे कभी मात नहीं खाते थे । वे अपराजित माने जाने वाले शत्रुओं का भी मानमर्दन करने वाले और हजारों शत्रुओं का अभिमान चूर-चूर करने वाले थे । वे दयालु, मात्सर्य-रहित यानी परगुणप्राही, चंचलता से रहित, अकारण क्रोध न करने वाले, परिमित और मृदुभाषी तथा मुस्कान के साथ गंभीर और मधुर वचन बोलने वाले थे । वे पास आए हुए व्यक्ति के प्रति वत्सल थे तथा शरणागत को शरण देने वाले थे । सामुद्रिक शास्त्र में बताये हुए शरीर के उत्तमोत्तम लक्षणों (चिह्नों) और तिल, मस्से आदि व्यञ्जनों के गुणों से युक्त थे । उनके शरीर के समस्त अंग और उपाग मान एवं उन्मान प्रमाण से परिपूर्ण थे । उनकी आकृति चन्द्रमा के समान सौम्य थी, उनका दर्शन बड़ा ही मनोरम और सुहावना लगता था । वे अपराध को नहीं सह सकते थे अथवा कार्य में आलस्य नहीं करते थे । वे अपनी प्रचंड या प्रकांड दण्डशक्ति का प्रसार प्रचार करने में बड़े गंभीर दिखाई देते थे । बलदेव की ध्वजा ताड़वृक्ष के चिह्न से तथा कृष्ण की ऊंची फहराती हुई ध्वजा गरुड के चिह्न से अंकित थी । उन्होंने गर्जते हुए बलशाली अत्यन्त घमंडी मौष्टिक और चाणूर नामक मत्स्यो को खत्म कर दिया था । रिष्ट नामक दुष्ट बैल का भी सहार कर दिया था । वे सिंह के मुँह में हाथ डाल कर उसे चीर डालते थे । उन्होंने गर्वोद्धत भयकर कालीयनाग के अभिमान को नष्ट कर दिया था

और विक्रिया से वृक्षरूपधारी यमलाजुन को खंडित कर दिया था। वे कंसपक्ष की महाशकुनी और पूतना नाम की दो विद्याधरियों के शत्रु थे, उन्होंने कंस का मुकुट मोड़ा था, यानी मुकुट पकड़ कर उमको नीचे पटका और दे मारा था। उन्होंने जरासंध के मान का मर्दन किया था यानी उसे भी यमलोक पठा दिया था। वे ऐसे छत्रों से मुशोभित रहते थे, जो गधन, समान तथा ऊँची की गई मलाइयो ताड़ियों से बनाए गए थे और चन्द्रमंडल के समान प्रभा वाले थे, वे सूर्यकिरण के प्रभामंडल की तरह अपन चारों ओर तेज को फँकते थे। विशाल होने के कारण अनेक दण्डों के द्वारा धारण किए हुए थे। इसी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ पहाड़ों की गुफाओं में घूमने वाली नीरोग चमरी गायों की पूँछ के पिछले हिस्से में उत्पन्न हुए, निर्मल श्वेतकमल, उज्ज्वल रजतगिरि के शिखर एवं निर्मल चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत, चाँदी के समान स्वच्छ तथा हवाओं से ताड़ित, चंचलतापूर्वक हिलते और लीलापूर्वक नाचते हुए एवं धिरकती हुई लहरा के विस्तार से युक्त सुन्दर क्षीरसमुद्र के जलप्रवाह के समान चंचल, मान-सरोवर के विस्तार में परिचित आवास वाली और श्वेत रूप वाली, स्वर्ण-गिरि पर बैठी हुई तथा ऊपर-नीचे गमन करने में दूसरों चंचल वस्तुओं को मात करने जैसे शीघ्र वेग वाली हंसनियों के समान श्वेत चवरो से व युक्त थे। उन चवरो के डंडे (सूठे) नाना प्रकार की चन्द्रकांत आदि मणियों से जटित होते हैं, कई लालरंग के तपे हुए महामूल्यवान् मोने के बने हुए तथा कई पीले सोने के होते हैं। वे (चवर) सौंदर्य से परिपूर्ण आर राजलक्ष्मा के अभ्युदय को प्रगट करते हैं, वे अच्छे शहरों में (कुशल कारीगरों द्वारा) बनाए जाते हैं। समृद्धिशाली राजवंशों में उन (चवरो) का उपयोग किया जाता है। काला अगर, उत्तम चीड़ की लकड़ी और तुरुक्क नामक सुगन्धित द्रव्य की धूप देने के कारण उठी हुई सुवास से उन चवरा में स्पष्ट और मनोहर सुगन्ध प्रगट होती है। इस प्रकार के चवर उनके दोना बगला (पाश्वर्य) में ढुलाए जाने से उनकी सुखद व शीतल हवा उनके अंग-अंग को स्पर्श करती है। वे अजेय होते हैं, उनके रथ भी अपराजित होते हैं, उनके हाथ में मूसल और बाण होते हैं। वे पांचजन्म शस्त्र, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, शक्ति—त्रिशूल विशेष एवं नन्दक नामक तलवार को धारण करते हैं, वे अत्यन्त उज्ज्वल और भलीभाँति बनाए हुए सुन्दर कौस्तुभमणि और मुकुट को धारण करते

हैं। कुंडल उनके मुख को प्रकाशित करते हैं। उनके नेत्र श्वेतकमल के समान विकसित होते हैं। उनके कंठ और वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक उत्तम चिह्न होता है। वे महायशस्वी होते हैं। सभी ऋतुओं के सुगन्धित पुष्पों से रचित लम्बी देदीप्यमान एवं विकसित अनूठी वनमाला उनके वक्षस्थल पर सुशोभित होती है। मांगलिक और सुन्दर विभिन्न ८०० लक्ष्णों से उनके अंगोपांग शोभा पाते हैं। मतवाले श्रेष्ठ हाथियों की तरह उनकी गति-चाल बड़ी ही ललित (सुन्दर) और विलसित होती है। उनको कमर में कटिसूत्र (करघनी) होता है, और वे नीले तथा पीले रेशमी वस्त्र पहनते हैं। वे प्रखर तेज से देदीप्यमान होते हैं। उनकी आवाज शरत्काल के नए मेघ की गर्जना के समान गंभीर, मधुर और स्निग्ध होती है। वे मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। उनकी सिंह के समान पराक्रम व गति होती है, सिंह के समान बड़े-बड़े पराक्रमी राजाओं के जीवन को उन्होंने अस्त कर दिया है। वे सौम्य होते हैं। द्वारावती—द्वारिका नगरी के निवासियों के लिए वे पूर्णचंद्रमा के समान होते हैं। उनमें पूर्वजन्म में किए हुए तप का प्रभाव होता है। वे पूर्वकालकृत पुष्पों के उदय से संचित इन्द्रिय-सुख वाले होते हैं। वे कई सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं। वे प्रधान देशों की श्रेष्ठ पत्नियों के साथ ऐश-आराम करते हैं और एक से एक बढ़कर इन्द्रियजन्य स्पर्श, रस, रूप और गन्ध-स्वरूप विषयों का उपभोग करते हैं। परन्तु अन्त में, वे भी उन कामभोगों से तृप्त न हो कर एक दिन मृत्यु की गोद में चले जाते हैं।

व्याख्या

पूर्व सूत्रपाठ में चक्रवर्तियों के वैभव, सुख के साधन और अन्त में काम-भोगों से अतृप्ति की हालत में ही उनकी मृत्यु आदि का शास्त्रकार ने स्पष्ट वर्णन किया है। अब उससे आगे बलदेवों और वासुदेवों की ऋद्धि, समृद्धि, ठठबाठ और भोगविलासों का वर्णन करते हुए बताया है कि वे भी इन कामभोगों से अतृप्त हो कर ही इस संसार से एक दिन बिधा हो जाते हैं। वर्णन काफ़ी स्पष्ट है। पदार्थान्वय और मूलार्थ में हम इन सबका अर्थ स्पष्ट कर आए हैं; फिर भी कुछ पदों पर विशेषण करना आवश्यक है।

‘भुज्जो भुज्जो बलदेव-वासुदेवा य’—यहाँ ‘भुज्जो भुज्जो’ (भूयो भूयः) शब्द ‘तथा’ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ‘जैसे चक्रवर्ती कामभोगों से संतुष्ट न हुए

और एक दिन कालकवलित हो गए, वैसे ही बलदेव और वासुदेव भी कामभोगो से तृप्त न हो कर एक दिन इस ससार से चल बेते हैं—ऐसा पूर्वापर सम्बन्ध यहाँ समझ लेना चाहिए। यद्यपि इस सूत्रपाठ में सामान्यरूप से नौ बलभद्रो और नौ नारायणो के विषय में निरूपण किया गया है, तथापि कहीं-कहीं कुछ विशेषण खासतौर से बलदेव (बलराम) और वासुदेव (श्रीकृष्ण) को लक्ष्य में रख कर प्रयुक्त किये गये हैं।

सामान्य बलदेव और वासुदेव के लिए प्रयुक्त विशेषण—‘पवरपुरिसा महाबलपरक्कमा महाधनुर्बिषट्टका महासत्तसागरा दुद्धरा धनुद्धरा नरबसभा’ यहाँ तक जितने भी पद हैं, वे जितने भी बलभद्र और नारायण हुए हैं, उन सबके लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन सबका अर्थ तो स्पष्ट है ही। सन्नेप में कहा जा सकता है, कि वे ससार के अद्वितीय शक्तिमान्, साहसी और अजेय योद्धा एव बेजोड़ धनुर्धारी होते हैं, इसलिए सर्वोत्तम पुरुष कहलाते हैं। ‘रामकेसवा भायरो’ - इसके बाद इन दो पदों से आगे की पक्तिया खासतौर से बलराम बलदेव) और केशव (वासुदेव श्रीकृष्ण) के लिए प्रयुक्त की गई हैं। यानी रामकेसवा’ पद से ले कर ‘‘हिययबइया’ तक एव और आगे ‘सालद्धउम्बिद्धगलकेऊ’ से ले कर ‘जरासिध-माणमहणा’ तक एव और आगे ‘हलमुसलकणकपाणी, संखचक्क-गयसत्तिणवगधरा पवरुजलमुकतविमल-कोधुभतिरीइधारी’ आदि पद विशेषरूप से बलराम और श्रीकृष्ण इन दोनों के लिए ही प्रयुक्त हैं। बाकी के सारे पद सामान्यत बलदेव और वासुदेव के लिए प्रयुक्त किए गये हैं।

नौ बलभद्र और नौ नारायण ६३ प्लाघ्य-प्रणसनीय पुरुषों में से हैं। इन ६ बलभद्रों और ६ नारायणों में से बलराम और श्रीकृष्ण ये दोनों भाई प्रधान थे। जैन इतिहास के अनुसार ये इस अवसर्पिणी काल के नौवें बलदेव (बलभद्र) और नारायण (वासुदेव) थे। ये दोनों जगत् में अतिविख्यात हुए। इन्होंने ससार में कई अद्भुत, अपूर्व और असाधारण पराक्रम के कार्य किए। वे सिर्फ दो ही पराक्रमी नहीं थे, अपितु उनका सारा परिवार—५६ कोटि यादव सहित अतुलबलधारी और पराक्रमी था। वसुदेव, समुद्र-विजय आदि दस पूज्य पुरुष इस वंश के मुखिया थे। ये दोनों अपने अद्भुत जौहरो से उन सबके हृदय को प्रफुल्लित करने वाले थे। यादवजाति के प्रद्युम्न आदि साठे तीन करोड़ स्फूर्तिमान कुमार थे, उन्हें भी ये दोनों अत्यन्त प्रिय और उनके हृदय के श्रद्धेय थे। बलरामजी की माता का नाम महारानी रोहिणी देवी था और श्रीकृष्ण की माता का नाम महारानी देवकी देवी था। इन दोनों के हृदयों को ये दोनों आनन्दित करने वाले थे। ये भरतक्षेत्र के आधे भाग के स्वामी थे। इसलिए अर्धभरत के भिन्न भिन्न राज्यों के स्वामी १६ हजार मुकुटबद्ध राजा उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते

थे। प्रत्येक वासुदेव के १६ हजार विभिन्न देशों की अद्वितीय सुन्दरी हृदय-बल्लभा पत्नियाँ होती हैं। गृहस्थ का सुख धन के बिना नहीं टिकता, इसलिए शास्त्रकार ने उनके वैभव की चर्चा की है कि उनके खजानो मे नाना प्रकार की चन्द्रकान्त आदि मणियाँ और कर्कतन आदि रत्न तथा सुवर्ण आदि द्रव्य भरे रहते थे।

धन की रक्षा सैनिकशक्ति के बिना नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार ने कहा—‘हृद्यगव्यरहसहस्ससामी’—वे हजारो घोडो, हाथियो और रथों के स्वामी थे। राजाओ की महत्ता राज्य से होती है, इसीलिये बताया है—‘गामागरनगर खेडकञ्चड’ इत्यादि। यानी गाँव, नगर, खाने, खेड़े, कस्बे आदि हजारो जनपदो से उनका राज्य सुशोभित था। उनके राज्य की सीमा उत्तर मे वंताद्वयगिरि तक थी, शेष तीनों ओर वह लवणसमुद्र से घिरी हुई थी। भरतक्षेत्र के ठीक मध्यभाग में वंताद्वयगिरि है, जिसे रजताचल भी कहते है। वंताद्वयपर्वत ही भरतक्षेत्र को दो खण्डो मे विभक्त करता है—उत्तरभारत और दक्षिणभारत। बलदेव और वासुदेव दक्षिण भरताड के स्वामी थे।

बलदेव-वासुदेव के असाधारण गुण यद्यपि बलदेव और वासुदेव दोनों के पाम पूर्वजन्मकृत तप और साधना के प्रभाव से सुखभोग के साधनो की कमी नहीं रहती, उनके सामने अभाव कभी मुह बाए नहीं खडा रहता। कोई भी सासारिक भौतिक वस्तु ऐसी नहीं है, जो उन्हें उपलब्ध न हो सकती हो, तथापि उनमे कुछ असाधारण गुण होते हैं, जिसके कारण वे उन भोगो के बीच रहते हुए भी कई सौ वर्ष की इतनी लंबी आयु तक अपनी जीवनयात्रा मनुष्यलोक मे यापनकर लेते हैं। नहीं तो, साधारण गुणहीन मानव भोगो का कीडा बन कर कभी का समाप्त हो गया होता। इसी बात को दृष्टिगत रख कर शास्त्रकार उनमे पाये जाने वाले असाधारण गुणों का निरूपण करते हैं, जिनसे कि दुनिया उन्हें श्रेष्ठ मानव के रूप मे पहिचानती है और युगो-युगो तक वे मानव के मन-मस्तिष्क पर चढ़ कर अमर हो जाते हैं—

(१) धैर्य और कीर्ति के धनी—मनुष्य को हर कार्य मे सफलता और आत्म-विश्वास पैदा कराने वाला गुण धैर्य है। धीर वही कहलाता है—जिसका मन अनेक सक्षा वातो और क्षोभ पैदा करने के निमित्तो के आ पड़ने पर भी क्षुब्ध न हो। कहा भी है—

‘विकारहेतौ सति विचिप्यन्ते येषां न चेतांसि त एष धीराः।’

‘विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे ही धीर पुरुष होते हैं।’ वास्तव में हर परिस्थिति मे, हर हालत मे जो मनुष्य समत्व—सतुलन की पगडडी पर स्थिर रह सकता हो, वही धैर्यवान कहलाता है। बलदेव और वासुदेव दोनों के जीवन मे ऐसे अनेक अंघड़ आए; लेकिन वे अपने पथ से विचलित

न हुए। जैन और बौद्ध धर्म शास्त्रों में इनके जीवन से सम्बन्धित धर्म के अनेक ज्वलन्त उदाहरण उल्लिखित हैं। जहाँ मायूसी व्यक्ति घबरा कर, हार कर बैठ जाता है, वहाँ ये अपनी धीरता के कारण अपने पथ पर अडिग रहे हैं।

जो धीरतापूर्वक बड़े-बड़े असाधारण कार्य सफल कर दिखाता है, दुनिया उसी का लोहा मानती है और उसी की कीर्तिपताका दिग्दिगन्त में फहराती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर आज भी उनके जीवन की अमरगाथाएं आम जनता की जबान पर हैं, उनको लोग कर्मयोगी के रूप में श्रद्धा से मानते हैं, उनके पदचिह्नो पर चलते हैं।

(२) समस्तभौतिक शक्तियों के स्वामी—संसार का यह नियम है, कि शक्तिमान ही संसार में असाधारण कार्य करके दिखा सकता है, राज्यसंचालन कर सकता है, न्याय का प्रवर्तन कर सकता है तथा बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकता है। शक्तिहीन मानव तो प्राप्त राज्य को भी खो देता है, न्याय-अन्याय का विचार नहीं करता और न ही कोई विशिष्ट कार्य कर सकता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं—
ओहबला, अइबला, अनिहया। यानी वे प्रवाहरूप से अखंड बल के धनी थे, अति बली थे, दूसरों के बल को भी मात कर देते थे, और किसी से मार नहीं खाते थे। अर्थात् वे तीनों शक्तियों से सम्पन्न थे—प्रभुत्वशक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साहशक्ति। इसके अलावा शारीरिक शक्ति और मनोबल की भी उनमें कमी न थी। इसीलिए तो शास्त्रकार स्वयं उल्लेख करते हैं—उन्होंने दुर्दान्त अहंकारी और बलवान भौष्टिक और चाणूर पहलवानों को पछाड़ दिया था, रिष्ट नामक बैल को मार डाला था, कालीयनाग—सर्प के दर्प का मर्दन कर दिया था, वृक्ष का रूप धारण करके आए हुए यमसाधुन का सफाया कर दिया था, कस की भेजी हुई महाशकुनि और पूतना विद्याधरियों का भी काम तमाम कर दिया था, कस को सिंहासन से नीचे पटक कर परलोक पठा दिया था, जरासन्ध के मान को खंडित कर दिया था, त्रिपुष्ट नाम के भव में विषमगिरि गुफानिवासी उपद्रवी केसरी सिंह के दोनों होठ पकड़ कर उसका मुंह चीर डाला था अथवा केशी नामक अतिदुष्ट घोड़े को उसके मुंह में हाथ डाल कर श्रीकृष्णजी ने चीर दिया था।

वे अपराजित माने जाने वाले शत्रुओं का भी मर्दन कर देते थे तथा हजारों रिपुओं का धर्मब चूरचूर कर देते थे। वे दोनों महाबली, महापराक्रमी, शत्रुओं से अजेय, प्रधान धनुर्धारी थे। वे राजाओं में सिंह के समान थे, सिंह के समान पराक्रम और शाल वाले थे, तथा उन्होंने बड़े-बड़े राजाओं को परास्त कर दिया था।

(३) महात्सव्य के सामर—साहसी व्यक्ति हार को झटपट जीत में बदल देता है। बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण, समाजों की रचना और असंख्य व्यक्तियों

पर आधिपत्य साहस के बिना नहीं हो सकता। इन दोनों महापुरुषों में असाधारण साहस था ; तभी तो ब्रजभूमि में जमे-जमाए साम्राज्य को एक दिन छोड़ कर ठेठ सुदूर समुद्र तट पर द्वारिका में उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव डाली। साहस और अध्यवसाय ने उनके जीवन को चमका दिया। अन्यथा, केवल ग्वालो के साथ शोकुल में रह कर वे कभी इतना विराट् कार्य नहीं कर सकते थे।

(४) दयावान—दया के बिना दूसरो की सहानुभूति और आशीर्वाद मनुष्य नहीं पा सकता और बिना सहानुभूति और आशीर्वाद के मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में जराजर्जर उपेक्षित वृद्ध की ईंट उठाने जैसी सहायता करने के अनेक कार्य किये हैं। वे जहाँ भी निर्बल को सबल द्वारा सताता देखते, वही अड जाते और उसे न्याय दिलाते। इसलिए दया का गुण बहुत आवश्यक है।

(५) अभास्तर्य—किसी के भी विशिष्ट गुण, कार्य या पराक्रम को देख कर उनके मन में मत्सर, डाह, ईर्ष्या या तेजोद्वेष नहीं पैदा होता था। वे दूसरे के गुण आदि को देख कर प्रसन्न होते थे, गुणग्राही होते थे।

(६) अचंचलता—चंचलता छिछोरपन का चिह्न होता है। जो व्यक्ति महान् होता है, उसमें गंभीरता होती है, चंचलता नहीं। बात-बात में तुनुकमिजाबी, चंचलता या चपलता जीवन के कई कार्यों को बिगाड़ देती है। इसीलिए बलदेव-वासुदेव में इस गुण का होना आवश्यक है।

(७) अचंबा—बात-बात में क्रोध करना उच्छृंखलता की निशानी है। महान् व्यक्ति सहसा कुपित नहीं होते। वे गंभीरता से हर बात को सोचते हैं, सहसा निर्णय नहीं देते और न सहसा गर्म हो कर उबल पड़ते हैं। इसलिए उनमें बिना कारण कभी क्रोध पैदा नहीं होता। शिशुपाल के द्वारा अनेक गलतियाँ की जाने पर भी श्रीकृष्णजी ने उन्हें काफी देर तक क्षमा किया ; वे शीघ्र कुपित नहीं हुए।

(८) हित-मित्त-मधुरभाषी—वाणी मनुष्य के जीवन की क्षुद्रता और महानता का परिचय करा देती है। बलदेव-वासुदेव की वाणी नपीतुली, मधुर और हितकर होती है। वे बिना कारण कभी किसी पर प्रकोप नहीं करते। दुर्पोधन के द्वारा किये गए दुर्व्यवहार के समय भी वे शान्तिदूत बन कर उसकी राजसभा में गए थे। अपमान किये जाने पर भी उन्होंने शान्त संयत शब्दों में ही उत्तर दिया। मुसकरा कर कड़वी बात का जबाब भीटे शब्दों में देने की क्षमता इन उत्तम पुरुषों में होती है।

(९) वात्सल्य—वात्सल्य का गुण ऐसा है, जो पराये से पराये व्यक्ति को भी सदा के लिए अपना बना लेता है। वात्सल्य बरसाने वाले व्यक्ति के सभी

आत्मीय हो जाते हैं, अपनी दृष्टि में उसे कोई पराया लगता ही नहीं। श्रीकृष्णजी में बचपन से ही माता यशोदा से प्राप्त वात्सल्य का गुण सत्काररूप से उतर आया था। वे पिछड़ी जातियों, दुर्बलो, गाँवो, गायो तथा नारीजाति के प्रति हमेशा वात्सल्य बहाते रहे।

(१०) शरण्य—शरण में आये हुए को शरण दे देना भी महान् उदारता और त्याग का काम है। स्वार्थी और अनुदार मनुष्य सहसा ऐसा नहीं कर सकता। वह किसी भी शरणागत को उससे अपना स्वार्थ सिद्ध न होता देख ठुकरा देता है। श्री कृष्णजी तो इस विषय में उदार और शरणागतवत्सल थे।

(११) अमर्षण—अपराध या गल्ती को नजरअदाज कर देना दुर्बल और स्वयं दुर्गुणी व्यक्ति का काम होता है। जो व्यक्ति स्वयं सद्गुणी और सिद्धान्तो पर दृढ़ होगा; वह अपने या दूसरे के अपराधो की कभी उपेक्षा नहीं करेगा। यही बात श्रीकृष्ण में थी। अथवा प्राकृत 'अमरिसण' का मस्कृत रूप 'अमसृण' भी हो सकता है। जिसका अर्थ होता है, महत्त्वपूर्ण कार्यों में आलस्य न करना। किसी कार्य को दुर्लक्ष्य करके समय से आगे ठेल देने पर वह कार्य वर्षों तक पूरा नहीं हो पाता। दीर्घसूत्रता या कार्य में ढिलाई ही जीवन को महान् बनने में विघ्न बनती है। श्रीकृष्णजी के जीवन में कर्मयोग और पुरुषार्थ तो कूट-कूट कर भरा था।

(११) दण्ड देने में गंभीर—किसी को बिना विचारे झटपट मनचाहा दण्ड दे डालना अन्याय है। कमजोर होने के कारण चाहे कोई व्यक्ति शक्ति के आगे झुक जाय और चुपचाप उस अन्याय को पी ले, लेकिन अन्ततः उसका मन विद्रोह कर बैठता है, उसके हृदय में प्रतिक्रिया अवश्य पैदा होती है। इसलिए महान् व्यक्ति किसी को दण्ड देते समय पूरा न्याय तैल कर ही निर्णय करते हैं। श्रीकृष्ण में यह गुण अधिक विकसित था।

(१३) सौम्य आकृति, मधुर मनोरम दर्शन और गंभीर हृदय—ये तीनों गुण मनुष्य के उन्नत व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। जो व्यक्ति छिछला, उच्छृंखल, क्रोधी या वाचाल होगा, उसमें ये गुण प्रायः नहीं होते। कहावत है—

'वक्त्रं वक्ति हि मानसम्' यानी मुख हमेशा मन के भावो को प्रगट कर देता है। श्री कृष्णजी में ये गुण सदा रहे हैं। इसीलिए वे अपने मधुर व्यक्तित्व से लाखों लोगों को आकर्षित कर सके। 'आकृतिर्गुणान् कथयति' इस न्याय से आकृति से गुणो का पता लग जाता है।

(१४) क्षमकता हुआ उत्तम तेजस्वी जीवन—यह महान् जीवन की निशानी है। जिसके जीवन में कोई दम नहीं होता, जो बातबात में अपने वचन से हट जाता है, सिद्धान्तो को ताक में रख कर समझौता करने लग जाता है, व्रत-नियमों पर

बटल नहीं रहता, उसका जीवन तेजस्वी नहीं होता, अपितु बहू मायूस, उदास, निराश और सत्त्वहीन जीवन होता है। श्रीकृष्ण का जीवन चमकता हुआ जीवन था।

(१५) मधुर, गंभीर और स्निग्ध आवाज—यह विशेषता भी उत्तम व्यक्तित्व की चिह्न है, जो श्रीकृष्णजी के जीवन में थी।

(१६) सुन्धर मस्त चाल—मनुष्य की चालढाल को देख कर उसके आचरण या चरित्र का बहुत-सा पता लग जाता है। श्रीकृष्ण की हाथी जैसी मस्त, ललित और मन्धर चाल उनके जीवन में एकाग्रता और व्यवस्थितता को सूचित करती थी।

(१७-१८) लक्षणों और व्यंजनों से युक्त तथा भानोन्मानपूर्वक सर्वांग-सुन्दर शरीर—शरीर भी मनुष्य के जीवन का प्रतिबिम्ब है। शरीर पर स्थित लक्षण और व्यंजन (तिल, मध आदि) तथा शरीर का सुन्दर गठन और अंगों की परिपूर्णता आदि भी उसे पहिचानने के लिए बहुत बड़े निमित्त हैं। जैसे घुटने तक की लम्बी भुजाएँ, चौड़ी छाती, विशाल भ्राल, विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत ललाट आदि शुभ लक्षण कहलाते हैं, इसी प्रकार शरीर पर होने वाले तिल, मध, रेखाएँ, लहसुन आदि व्यंजन कहलाते हैं। श्रीकृष्णजी में यह गुण सविशेष थे।

ये और इस प्रकार के कुछ अन्य खास गुण बलदेव और वासुदेव में होते थे, जिनका शास्त्रकार ने मूल में उल्लेख किया है। तभी तो वे भोगों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन को दीर्घायु और गुणसम्पन्न रख सके। अन्यथा, वे इस ससार से कभी के मिट गये होते, सुरा, सुन्दरी आदि के चक्कर में पडने वाले कई निरकुश राजाओं की तरह वे भी बर्बाद हो गए होते।

इनके विशेष चिह्न—पाच जन्य शब्द, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, नन्दक तलवार और सारंग धनुष इनके अतीव विशिष्ट शक्तिसम्पन्न होते हैं। प्राचीन-काल में राजा लोग ध्वजा पर अपना खास चिह्न अंकित करते थे। बलदेव की ध्वजा पर ताड के वृक्ष का तथा श्रीकृष्णजी की ध्वजा पर गरुड का चिह्न अंकित था। उनका वक्षस्थल श्रीवत्स लाछन और एकवली हार से सुशोभित रहता था। वे गले में वनमाला डाले रहते थे।

इनके विशिष्ट राजचिह्न होते हैं—छत्र और चक्र ! इन दोनों का शास्त्रकार ने विशद निरूपण किया है, उन पक्तियों का अर्थ मूलार्थ में स्पष्ट कर दिया गया है।

निष्कर्ष—इस प्रकार बलदेव-वासुदेव के वैभवों, गुणों, शक्ति और भोगों के साधनों के विस्तृत निरूपण का निचोड यही है कि इतने सुखसाधन व भोग मिल जाने पर भी जब बलदेव और वासुदेव जैसे उच्च व्यक्ति अन्नह्यचर्य के मार्ग में फिसल गए तो फिर सामान्य मानव की तो विसात ही क्या है ?

मांडलिक राजाओं एवं उत्तरकुरु-देवकुरु के मनुष्यों की विभूति

अब शास्त्रकार मांडलिक नरेन्द्रों और उत्तरकुरु-देवकुरुक्षेत्र के भोगसम्पन्न मनुष्यों के, ऐश्वर्य, वैभव और कामभोगों के साधनों का निरूपण करते हुए, अन्त में उनकी भी अतृप्ति का प्रतिपादन करते हैं—

भूलपाठ

भुज्जो मंडलियनरवरेंदा, सबला, सभ्रतेउरा, सपरिसा, सपुरोहियाऽऽमच्च-दण्डनायक - सेणावति-मंतनीतिकुसला, नाणामणिरयणविपुलधणघण्णसंचयनिहीसमिद्धकोसा, रज्जसिंरि विपुलमणुभविता, विक्कोसंता, बलेण मत्ता, तेवि उवणमंति मरणघम्मं अवितित्ता कामाणं ।

भुज्जो उत्तरकुरु-देवकुरुवणविवरपादचारिणो नरगणा भोगुत्तमा, भोगलक्खणघरा, भोगसस्सिरिया, पसत्थसोमपडिपुण्णरूवदरिसणिज्जा, सुजातसव्वंगसुंदरंगा, रत्तुप्पलपत्तकंतकरचरणकोमलतला, सुपइट्टियकुम्मचारुचलणा,^१ अणुपुव्वसुसंहयंगुलीया, उन्नयतणुतंबनिद्धनखा, संठित्तसुसिलिट्टिगूढगोफा, एणीकुरुविदवत्तवट्टाणुपुव्विजंघा, समुग्गनिसग्गगूढजाणू, वरवारणमत्ततुल्लविककमविलसिय (विलासित्त)गती, वरतुरगसुजायगुज्जदेसा, आइन्नहयव्व निरुवलेवा, पमुइयवरतुरगसीह - अतिरेगवट्टियकडी, गंगावत्तदाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरणबोहियविकोसायंत - पम्हगंभीरविगडनाभी, संहित्तसोणंदमुसल-दप्पणनिगरियवरकणगच्छरुसरिसवरवइरवलियमज्झा, उज्जुगसमसहिय-जच्चतणुकसिणणिद्धआदेज्जलडहसूमालमउयरोमराई, झसविहगसुजातपीणकच्छी, झसोदरा, पम्हविगडनाभी(भा), संततपासा^२, संगयपासा, सुंदरपासा, सुजातपासा, मित्तमाइयपीणरइयपासा, अकरंडुयकणगरुयगनिम्मलसुजायनिरुवहय-

१ 'अणुपुव्विसुजायपीवरंगुलिका' पाठ भी मिलती है ।

२ 'संततपासा' पाठ भी कहीं कहीं मिलता है ।

देहधारी, कणागसिलातलपसत्थसमतलउबइयविच्छिन्नपिहलवच्छा,
 जुयसंनिभपीणरइयपीवर- पउट्टसंठियसुसिलिट्टविसिट्टलट्टसुनिचित्त-
 घणथिरसुबद्धसंधी, पुरवरवरफलिवद्वियभुया, भुयईसरविपुल-
 भोगआयाण-फलउज्जूढदीहबाहू, रत्ततलोवइयमउयमंसलसुजाय-
 लक्खणपसत्थ - अच्छिद्धदजालपाणी, पीवरसुजायकोमलवरंगुली,
 तंबतलिणसइरुइलनिद्धनखा, निद्धपाणिलेहा, चंदपाणिलेहा,
 सूरपाणिलेहा, संखपाणिलेहा, चक्कपाणिलेहा, दिसासोवत्थिय-
 पाणिलेहा, रविससिसंखवरचक्कदिसासोवत्थियविभत्तसुविरइय-
 पाणिलेहा, वरमहिस-वराह - सीह-सद्दूल-रिसह-नागवरपडिपुन्न-
 विउलखंधा, चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसग्गीवा, अवट्टिय-
 सुविभत्तचित्तमंसू, उवच्चियमंसलपसत्थसद्दूलविपुलहणुया, ओय-
 वियसिलप्पवालबिबफलसंनिभाघरोट्टा, पंडुरससिसकल-विमल-
 संख-गोखीर-फेण-कुंद-दगरय-मुणालिया-धवलदंतसेढी, अखंडदंता,
 अप्फुडियदंता, अविरलदंता, सुणिद्धदंता, सुजायदंता, एकदंत-
 सेढिव्व अणेगदंता, हुयवयनिद्धंतघोयतत्ततवणिज्जरत्ततल-
 तालुजीहा, गरुलायतउज्जुतुंगनासा, अवदालियपोंडरियनयणा,
 कोकासियधवलपत्तलच्छा, आणामियचावरुइल-किण्हम्भराजि-
 संठियसंगयायसुजायभुमगा, अल्लीणपमाणजुत्तसवणा, सुसवणा,
 पीणमंसलकवोलदेसभागा, अचिरुग्गयबालचंदसंठियमहानिलाडा,
 उडुवति(रिव)-पडिपुन्नसोमवयणा, छत्तागारुत्तमगदेसा, घणनि-
 चियसुबद्धलक्खणुन्नयकूडागारनिर्भर्पिडियग्गसिरा, हुयवहनिद्धंत-
 घोयतत्ततवणिज्जरत्तकेसंतकेसभूमी, सामलीपोंडघणनिचिय-
 छोडियमिउविसय(त)पसत्थसुह्मलक्खणसुगंधिसुंदरभुयमोयग - -
 भिंगनोलकज्जल- पहट्ट - भमरगणनिद्धनिगुरुंबनिचिय-कुंचिय-
 पयाहिणावत्तमुद्धसिरया, सुजातसुविभत्तसंगयंगा, लक्खणवज्जण-

गुणोववेया, पसत्थबत्तीसलकखणधरा, हंसस्सरा, कुंचस्सरा, दुंदुभिस्सरा, सीहस्सरा, (उज्ज)ओघसरा, मेघसरा, सुस्सरा, सुस्सरनिग्घोसा, वज्जरिसहनारायसंघयणा, समचउरंससंठाणसठिया, छायाउज्जोवियंगमंगा, पसत्थच्छबी, निरातंका, कंकग्गहणी, कवोत्तपरिणामा, सउ(गु)णि पोसपिट्ठंतरोरुपरिणया, पउमुप्पल-सरिसगंधुस्साससुरभिवयणा अणुलोमवाउवेगा, अवदायनिद्ध-काला, विग्गहियउन्नयकुच्छी, अमयरसफलाहारा, तिगाउयसमू-सिया, तिपलिओवमट्ठितीका तिन्नि य पलिओवमाइं परमाउं पालयित्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं अवितित्ता कामाणं ॥

संस्कृतच्छाया

भूयो मांडलिकनरवरन्द्राः, सबलाः सान्तःपुराः सपरिषदः, सपुरो-हिताऽऽमात्य-दण्डनायक-सेनापति-मंत्रनीतिकुशला, नानामणि-रत्न-विपुल-धन-धान्यसंचय-निधिस्समुद्रकोशा, राज्यभियं विपुलाम् अनुभूय विक्रोशन्तो, बलेनमत्तास्तेऽपि उपनमन्ति मरणधर्मम् अवितृप्ताः कामानाम् ।

भूय उत्तरकुश-वेवकुखनखिवरपादचारिणो नरगणा, भोगोत्तमा, भोगलक्षणधरा, भोगसश्रीकाः, प्रशस्तसौम्यप्रतिपूर्णरूपदशनीयाः, सुजात-सर्वांगसुन्दरांगा, रक्तोत्पलपत्रकान्तकरचरणकोमलतलाः, सुप्रतिष्ठितकर्म-चारुचरणा, अनुपूर्वसुसंहतांगुलिका, उन्नततनुताअस्निग्धनखाः, संस्थित-सुरिलष्टगूढगुल्फा, एणीकुशविद्वत्तवृत्तानुपूर्वजंघा, समुद्गनिसर्गगूढजानबो, मत्तवरवारणतुल्यविक्रमविल-ला)सितगतयो, वरतुरगसुजातगुह्यदेशा, आकीर्णहय इव निरुपलेपाः, प्रमुदितवरतुरगसिंहातिरेकवर्षितकटयो, गंगावर्षवक्षिणावर्षतरंगमंगुररविकिरणबोधित - विक्रोशायमानपद्मगम्भीर-विकटनाभयः, संहृत(संहित)सोणद(शोणद) - मुशल - दर्पण - निगजित (निगरिका, वरकनकत्सरसदृशशवरवज्रविलितमध्या, ऋजुकसमसंहृत (सहित) जात्यतनुकृष्णस्निग्धादेयलडहसुकुमारमृदुकरोमराजयो, स्रग्धविहगसुजातपीन-कुक्षयो, झषोदराः, पद्मविकटनाभयः, सन्नतपार्श्वीः, संगतपार्श्वीः, सुन्दर-पार्श्वीः, सुजातपार्श्वी, मितमात्रिक(मातृक)-पीनरतिदपार्श्वी, अकरंदुककनक-रञ्जकनिर्मलसुजातनिरुपहतवेहधारिणः, कनकशिलातलप्रशस्तसमतलोपधित-

विस्तीर्णपृथुलवक्षसो, युगसन्निभरतिवपीवरप्रकोष्ठसंस्थितसुश्लिष्टविशिष्ट-
लष्टसुनिश्चितधनसुबद्धसन्धयः, पुरवरवरपरिघर्षतितभुजा, भुजगेश्वरविपुल-
भोगवानपरिघोष्कप्तवीर्षबाह्वो, रक्ततलोपचित(तलोपचयिक तलोपयिक)
मृदुक मांसलसुजातलक्षणप्रशस्ताच्छिद्रजालपाणयः, पीवरसुजातकोमलवरांगु-
लयस्ताम्रतलिनशुचिश्चिरस्निग्धनखाः, स्निग्धपाणिरेखाश्चन्द्रपाणिरेखाः,
सूर्यपाणिरेखाः, शंखापाणिरेखाश्चक्रपाणिरेखा, दिक्स्वस्तिकपाणिरेखा,
रविशशिशंखवरचक्रदिक्स्वस्तिकविभक्तसुविरचितपाणिरेखा, वरमहिष-
वराह-सिंह-शार्ङ्ग-ल-वृषभ-नागवरप्रतिपूर्ण - विपुलस्कन्धाश्चतुरंगुलसुप्रमाण-
कम्बुवरसदृशग्रीवा, अवस्थितसुविभक्तचित्रश्मश्रुः, उपचितमांसलप्रशस्त-
शार्ङ्गलविपुलहनुकाः, उपचित (औपयिक)शिलाप्रवालबिम्बफलसन्निभाधरो-
ष्ठाः, पाण्डुरशशिशकलविमलशंखगोक्षीरफेनकुन्वदकरजोमृणालिकावदल-
वन्तश्रेणयोऽञ्जडवंता, अस्पृष्टितदन्ता, अचिरलवन्ताः सुस्निग्धवन्ताः, सुजात-
वन्ता, एकदन्तश्रेणिरिवानेकदन्ता, हुतबहनिध्मातघोततप्ततपनीयरक्तलतालु-
जिह्वा, गरुडायतजुतुंगनासा, अबदालितपुंडरोकनयना, कोकासित-
(विकसित)घवलपत्रलाक्षा, आनामितचापरुश्चिरकृष्णाभराजिसंस्थित-
संगतायतसुजातभ्रूका, आलीनप्रमाणयुक्तश्रवणा, सुश्रवणाः, पीनमांसलकपोल-
देशभागाः, अचिरोद्गतबालचन्द्रसंस्थितमहाललाटा, उडुपतिपतिरिव)-
प्रतिपूर्णसौम्यवदनाश्चक्राकारोत्तमांगदेशा, घननिश्चितसुबद्धलक्षणोन्नतकूटा-
कारनिर्भापडिताग्रशिरसो, हुतबहनिध्मातघोततप्ततपनीयरक्तकेशान्तकेश-
भूमयः, शाल्मलिपौण्ड्रघननिश्चितच्छोटितमृदुविशदप्रशस्तसूक्ष्मलक्षणसुगन्धि-
सुन्दरभुजमोक्षकमृगनीलकज्जलप्रहृष्टभ्रमरगणस्निग्धनिकुहम्बनिश्चित - -
कुञ्चितप्रवक्षिणावर्त्तमूर्द्धशिरोजाः, सुजातसुविभक्तसंगतांगाः, लक्षणध्वज-
गुणोपपेताः, प्रशस्तद्वित्रिशल्लक्षणधरा, हंसस्वराः, कौचस्वरा, दुन्दुभिस्वराः,
सिहस्वरा, ओघस्वरा, मेघस्वराः, सुस्वराः, सुस्वरनिर्घोषा, वज्रध्वनाराज-
संहननाः, समचतुरस्रसंस्थानसंस्थिताश्छायोद्योतितान्गोपांगा, प्रशस्तच्छवयो,
निरातंकाः, कंकग्रहणीका (गिनः), कपोतपरिणामाः शकुनिपोस(अपान)
पृष्ठान्तरोरुपरिणताः, पद्मोत्पलसदृशगन्धोच्छ्वाससुरभिवदना, अनुलोम-
वायुवेगा, अबदातस्निग्धकाला, विग्रहिकोन्नतकुक्षयोऽमृतरसफलाहारास्त्रि-
गव्यूतसमुच्छ्रितास्त्रिपल्योपमस्थितिकास्त्रीणि च पल्योपमानि परमायुधि
पालयित्वा तेऽप्युपनमन्ति मरणधर्ममबितृप्ताः कामानाम् ।

पदार्थान्वय—(भुञ्जो) तथा (सबल) बल या संव्य के सहित, (संतेजसा) अन्तःपुर—रत्नवाससहित, (सपरिसा) परिवर्षों या परिवार के सहित, (सपुरोहित्वा-अम्ब-बंडनायक-सेनापति-मंतनीतिकुसला) शान्तिकर्मकर्ता पुरोहितों, अमात्स्यों—शत्रुओं, बंडनायकों—बंडाधिकारियों—कोतवालों, सेनापतियों तथा मंत्रों—गुप्त परामर्शों के करने में और नीति में कुशल व्यक्तियों के सहित, (नाचामभिरयथ-विपुल-धन-धनसंधय-निहीसमिद्धकोसा) अनेक प्रकार की मणियों, रत्नों, विपुलधन और धान्यों के संग्रह और निधियों से जिनके खजाने समृद्ध—परिपूर्ण हैं, (विपुलं रज्जसि-रिमन्मवित्ता) अत्यधिक राज्यलक्ष्मी का अनुभव—उपभोग करके (विकोसंता) दूसरों को कोसने वाले—चलाने वाले अथवा कोशरहित हो कर या विशिष्ट कोश वाले हो कर, (बलेन मत्ता) बल से मर्बित, ऐसे जो (मंडलिनरवरंदा) मांडलिक नरेन्द्र—मंडलाधिपति राजा होते हैं, (तेवि) वे भी (काम्यां) कामभोगों से (अवित्ता) अतृप्त हुए ही (मरणधम्मं) काल-धर्म—मृत्यु को, (उबनमंति) प्राप्त होते हैं ।

(भुञ्जो) इसी तरह फिर, (उत्तरकुच-देवकुच-वर्णविवरपावचारिणो) देवकुच और उत्तरकुच क्षेत्रों (उपचार से हेमवत, रम्यकवर्ष, हरिचर्ष और ऐरभ्यवत आदि क्षेत्रों) के वनों, गुफाओं और आरामों आदि में पंवल विचरण करने वाले, जो (नरगणा) यौगलिक मनुष्यसमूह हैं, वे (भोगुत्तमा) भोगों से उत्तम अर्थात् उत्तम भोगों से सम्पन्न होते हैं, (भोगत्वच्छणधरा) भोगों के सूचक स्वस्तिक आदि लक्षणों के धारक होते हैं, (भोगसत्सिरिया) भोगों से शोभायमान होते हैं, (पसत्त्वसोमपडिपुण्यरुवर्दारस-विज्जा) अष्ट मंगलमय सौम्य-शान्त और परिपूर्ण रूपसम्पन्न होने से वंशनीय होते हैं, (सुजातसम्बंगसुंबरंगा) उत्तम रूप से बने हुए सब अवयवों से सर्वांगसुन्दर शरीर वाले होते हैं ; (रत्तुप्यल-पत्त-कंत-कर-चरण-कोमलतला) उनकी हथेली और पैरों के तलुए लालकमल के पत्तों की तरह रक्ताभ और कोमल होते हैं, (सुपद्मद्वियकुम्भचारचलणा) उनके चरण-पैर कछुए के समान सुस्थिर और सुन्दर होते हैं, (अनुपुष्वसुसंहयंगुलीया) उनकी उंगलियाँ अनुक्रम से बड़ी और छोटी सुसंहत-सघन-छिन्नरहित होती हैं । (उन्नयतनुतंबनिद्धनका) उनके नख उन्नत-उभरे हुए, पतले, लाल, और चिकने-चमकीले होते हैं, (संठितसुसिन्धुगुणोका) उनके पैरों के गट्टे—गुल्फ सुस्थित, सुघड़ और मांसल होने से दिखाई नहीं देने वाले होते हैं । (एपीकुचविदवराकृष्ण-पुष्पिबंधा) उनकी आंखें हिरनी की आंख, कुर्वाचि नामक लृणविशेष और वृषा—सूत कातने की तकली के समान क्रमशः बतुल और स्पूल होती है । (समुमानिसमगुड-

जाय) उनके घुटने डिब्बे व उसके डकने के समान स्वाभाविकरूप से मांसल होने से मूठ होते हैं । (बरबारणमस्तुल्लबिककमविलसियगती) उनकी चाल—वर्ति मबोम्भरा उराम हाथी के समान मस्त तथा पराक्रम और बिलास से युक्त होती है । (बरतुरगसुजायगुञ्जवेसा) भेठ छोड़े की-सी सुनिष्पन्न लघु और गुप्त उनकी जनने-श्रिय—लिंग होती है, (आइन्नहयव्य निववलेवा) आकीर्ण - उत्तमजाति छोड़े के गुवाभाग की तरह उनका गुवाभाग मलद्वार मल के सम्पर्क से रहित होता है, (पमुइयबरतुरगसीहअतिरेगवट्टियकडी) उनकी कमर हृष्टपुष्ट भेष्ट छोड़े और सिंह की कमर से भी बढ़कर गोल होती है । (गंगावत्तदाहिणावत्तरंगभंगुररविकिरण-बोहियविकोसायंतपम्हृगंभीरविगडनाभी) उनकी नाभि गंगानदी के आवर्त्त-भंवर एवं दक्षिणावर्त्त-व्यकर वाली तरंगों के जाल के समान तथा सूर्य किरणों के द्वारा खिले हुए पद्म-कमल की तरह गम्भीर और विकट-विशाल होती है, (सहतसोभंढ (सोषव) मुसलवष्पणनिगरियवरकणगच्छसरिस-बरवद्वरवलियमज्जा) उनके शरीर का मध्यभाग सिक्नुड़ी हुई बतौन अथवा समेटी हुई लकड़ी की तिपाई, मूसल, वर्णन और मूष में शोधे—तपाये हुए भंछ सोने की बनी तलवार आदि की मूठ के समान तथा उराम बख की तरह पतला होता है । (उञ्जुगसम-सहिय - जव्व-तणु - कसिण-णिद्ध-आदेक्ज-सडह-सूमाल-मउयरोमराई) उनके शरीर पर सीधी और संबाई-बौड़ाई में एकसरीखी, परस्पर सटी हुई, स्वभाविकरूप से बारीक, काली, चिकनी तथा प्रशंसनीय सौभाग्यशाली पुरुषों के योग्य सुकुमार और मुकु—मुलायम रोमराजि—रोओ की गन्धि होती है । (ससविहगसुजातपीणकुच्छी) उनके दोनों पार्श्वप्रदेश मछली और पकी के पार्श्वप्रदेश-कुकि की तरह सुन्दर बमोटे होते हैं । (ससोवरा) उनका पेट मछली के समान, (पम्हृविगडनामिसंनतपासा) कमल के समान गहरी उनकी नाभि है तथा दोनों बगलें नीचे की ओर झुकी हुई हैं, इसलिए (संगयपासा) उनके दोनों पार्श्व ठीक संगत होते हैं । (सुं वरपासा) उनकी बगलें—पार्श्व सुन्दर हैं, (सुजातपासा) योग्य गूणों से युक्त बगलें हैं (मितमाइयपीचरइम-पासा) उनके पार्श्व (बगलें) भानोपेत परिणाम से युक्त—गूनाधिकता से रहित हैं, परिपुष्ट हैं, (अकरंइयकणगक्ष्यगनिम्मलसुजायनिस्वहयवेहृघारी) वे ऐसे शरीर को धारण किये होते हैं, जिनकी पीठ और बगल की हृदिमां मांस से ढकी हुई हैं, तथा जो सोने के आभूषण की तरह निर्मल कान्तियुक्त तथा सुन्दरता से बना हुआ और मीरोग होता है । (कणपसिलसलपसत्थसमतलउच्चइयविच्छिन्नापिहुलवच्छा)

उनके बक्षस्वल सोने के शिलालक के समान प्रशस्त, समतल, ऊँचाई-नीचाई में बराबर, मांसभरे और विशाल होते हैं। (जुयसंनिभपीणरइयपीवरपउट्ठसंठिय-सुसिन्दिट्ठविंसिठलट्ठसुनिचितघणधिरसुबद्धसंधी) उनकी दोनों कलाइयाँ बूबे के समान लम्बी, पुष्ट, सुखप्रदायिनी, रमणीय, मोटी होती हैं तथा विशेष सुबोल, सुगठित, यथास्थान सुन्दर मांसल और नसों से बृद्ध बनी हुई हृद्बिन्दुओं की संधियाँ होती (पुरवरकलिहवट्टियभुया) उनकी भुजाएँ नगरद्वार की आगल के समान लम्बी और गोल होती हैं। (सुयईसरविपुलभोगभायाणकलिह-उच्छूडवीहवाह) उनकी बाँहें भुजगेश्वर—शेषनाग के विशाल—विस्तीर्ण शरीर या फन की तरह और अपने स्थान से निकाल ली गई आगल के समान लंबी होती हैं। (रत्ततलोवडय-मउय-मंसल-सुजाय-सखण-यसत्थ-अच्छिह-जालपाणी) उनके हाथ लाल-लाल हथेलियों से युक्त, परिपुष्ट अथवा उचित, कोमल, मांसल-मांस से भरे, सुन्दर बने हुए, स्वस्तिक आदि लक्षणों से प्रशस्त और छेवरहित—परस्पर सटी हुई उगलियों वाले होते हैं। (पीवरसुजायकोमलवरंगुली) उनके हाथों की उगलियाँ परिपुष्ट, सुरचित, कोमल और श्रेष्ठ होती हैं। (तंबतलिणसुद्वरुइलनिद्धनखा) उनके नख लाल-लाल, सूक्ष्म-पतले, पवित्र, रुचिर एवं चमकीले होते हैं। (निद्धपाणिलेहा) उनके हाथ की रेखाएँ चिकनी होती हैं, (चवपाणिलेहा) वे चन्द्रमा की तरह अविषम-सम या चाक्रांकित हस्तरेखा वाले, (सुरपाणिलेहा)-सूर्य के समान चमकने वाली या सूर्यांकित हस्तरेखा वाले (संखपाणिलेहा) शंख के समान उन्नत या शंखांकित हस्तरेखा वाले, (चक्रपाणिलेहा) चक्र के समान घृत-गोल या चाक्रांकित हस्तरेखा वाले, (विसासोवधिपपाणिलेहा) विशा-प्रधान स्वस्तिक यानी दक्षिणावर्त स्वस्तिक के चिह्न वाली हस्तरेखाओं वाले, (रविसिसंखवरचक्रविसासोवत्थिय-विभस्तसुविरइयपाणिलेहा) वे सूर्य, चन्द्र, शंख, श्रेष्ठ चक्र, दक्षिणावर्त, स्वस्तिक आदि विभिन्न चिह्नों से अंकित-सुरचित हस्तरेखाओं वाले होते हैं। (वरमहिंस-वराह-सीह-सद्वुल-रिसह-नागवर-पडिपुष्णविउलसंधा) उनके कंधे श्रेष्ठ भंसे यमराज के भंसे, सुजर, सिंह, व्याघ्र, साँड और गजेन्द्र के कंधों सरीखे परिपूर्ण और मोटे—परिपुष्ट होते हैं। (चउरंगुलसुप्यमाणकंबुवरसरिसग्गीवा) उनकी गर्दन ठीक चार अंगुल प्रमाण और शंख के समान होती है। (अवट्टियसुविभस्तचित्तमसू) उनकी दाढ़ी-मूँछें न कम न ज्यादा—एक सरीखी बढ़ी हुई और अलग-अलग विभक्त, शोभायमान होती हैं। (उवन्धिय-मंसल-यसत्थ-सद्वुल-विपुलहणमा) वे पुष्ट, मांसयुक्त, सुन्दर तथा व्याघ्र की ठुड्डी के समान विस्तीर्ण ठुड्डी वाले होते हैं। (ओयवियसिल-प्यवाल-विबफल-

संनिभाधरोदृठा) उनके नीचले ओठ संशोधित भ्रूंगे और बिबफल के समान लाल-लाल होते हैं । (पंढर-ससि-सकल-बिमल-संख-गोखीर-फेण-कु ब-वगरय-मुणालिया-धवलवंतसेढी) उनके दांतों की पंक्ति सफेद रंग के चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मल शंख, गाय के दूध, समुद्र फेन, कुदुष्प, जलकण तथा कमल की नाल के समान धवल-सफेद होती हैं । (अखंडवंता) उनके दांत अखंड होते हैं, (अष्कुद्वियवंता) बिना टूटे हुए होते हैं, (अविरलवंता) वे घने दांतों वाले, (सुण्डिवंता) चिकने दांतों वाले, (सुजायवंता) सु बर दांतों वाले, और (एगवंतसे-द्विष्व अणैगवंता) वे एक दांत की पंक्ति के समान अनेक-बत्तीस दांतों वाले होते हैं । (हृयवह-निवधंत-धोय-तत्त-तवणिज्ज-रत्तातलतासुजीहा) उनके तालु और जीभ आग में तपाये हुए तथा धोए हुए निर्मल सोने के समान लाल तल वाले होते हैं । (गरुलायत-उञ्जु-तुंगनासा) उनकी नाक गरुड़ के समान लंबी, सीधी और ऊँची होती है । (अवदालिय-पोडरीय-नयणा) उनके नेत्र खिले हुए श्वेत कमल के समान होते हैं, (कोकासियधवलपरालच्छा) तथा विकसित सफेद पक्ष्म-पपनी से युक्त भी होते हैं । (आणामिय-चाव-रुइल-किण्हव्वराजि-सठिय-संगयायय-सुजायभुमगा) उनकी भोहे थोड़े से झुकाये हुए धनुष के समान मनोरम, एक जगह जमे हुए काले-काले बादलो की रेखा के समान काली, उचित मात्रा में लंबी और सुंदर होती हैं । (अल्लीण-पमाण-जुत्तसवणा) उनके दोनों कान एक जगह टिके हुए, उचितप्रमाणयुक्त पंखे के समान होते हैं । (सुसवणा) वे सुन्दर कानों वाले अथवा अच्छी तरह सुनने की शक्ति से युक्त होते हैं । (पीणमंसलकपोलवेसभागा) उनके दोनों गाल तथा आसपास के भाग परिपुष्ट, और मांस से भरे हुए होते हैं । (अच्चिरगयबालचंदसंठियमहानिडाला) उनके ललाट थोड़े ही समय पहले नवीन उदय हुए बालचन्द्रमा के आकार के समान विशाल होते हैं । (उडुपतिपडिपुन्न-सोम-वयणा) उनके मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान सौम्य होते हैं । (छत्तागावत्तमांगवेशा) छाते के आकार के समान उभरा हुआ उनका मस्तक का भाग होता है । (घण-निच्चिय-सुबद्ध-लक्खणुन्नयकूडागार-निभ-पिडियम्म-सिरा) उनके सिर का अग्रभाग लोहे के मुद्गर के समान ठोस—सुबुद्ध, नसों से आबद्ध, उत्तम लक्षणों से युक्त, उन्नत—उभरा हुआ, शिखरसहित भवन के समान और गोलाकार पिंड के समान होता है । (हृयवहनिद्धंतधोयतत्तवणिज्जरत्तकेसांत-केसभूमी) उनके मस्तक की बमड़ी अग्नि में तपाये और धोये हुए तप्त सोने के सबाने लाल-लाल तथा सिर पर बड़े हुए बालों से युक्त होती है । (सामलीपोंडघण-निच्चिय-छोडिय-मिउ-विसय-पसत्थ-सुहुम-लक्खण-सुगंधि-सुंदर-मूय-भोयग-निग-नील-कज्जल-

पहट्टमभरण-निद्ध-निगुह-ब-निधिय-कुंभिय - पयाहिणावसमुद्धसिरया) उनके मस्तक के बाल सेमर के फल के समान घने, छांटे हुए या मानो घिसे हुए, बारीक, सुस्पष्ट, प्रशस्त-मांगलिक, चिकने, उत्तम लक्षणों से युक्त, सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित, सुन्दर, भुजमोक्षकरत्न के समान काने, नीलमणि और काजल के समान तथा हृषित भीरों के झुंड की तरह कृष्णकान्ति वाले, झुंडरूप में इकट्ठे और देढ़े मेढ़े झुंधराले, दक्षिण की ओर धूमे हुए होते हैं । (सुजाय-सुविभक्त-संगयंगा) उनके अंग बड़े ही सुडौल, योग्यस्थान पर और सुन्दर होते हैं । (लक्ष्मणबंजणगुणोषवेया) वे उत्तमोत्तम लक्षणों व तिल, भस्मा आदि ध्वंजनों के गुणों से युक्त होते हैं । (पसत्पक्षीसलकलणधरा) वे मांगलिक बत्तीस लक्षणों के धारक होते हैं । हंसस्सः) उनका स्वर हंस के समान होता है, (कुंभस्सरा) वे कौंचपक्षी—कुररी के समान आवाज वाले होते हैं, (हुंडुभिस्सरा) वे हुंडुभि की ध्वनि के सयान ध्वनि वाले होते हैं, (सीहस्सरा) वे सिंहगर्जना के समान आवाज वाले होते हैं । (ओघस्सरा) बिना फटे हुए या बिना रुके हुए स्वर के समान स्पष्ट स्वर वाले होते हैं । (मेघस्सरा) उनकी आवाज बाबलों के गर्जन के समान होती है, (सुस्सरा) उनकी आवाज कानों को सुखद एवं प्रिय होती है; (सुस्सरनिग्घोसा) वे अच्छे स्वर और अच्छे निर्घोष वाले होते हैं (बज्जरिसहनारायसंघयणा) वे बज्जभनाराय संहनन वाले होते हैं, (समच्चउरंससंठाणसंठिया) उनका शरीर समच्चतुरज संस्थान से गठा हुआ होता है, (छायाउज्जोविपंगमंगा) उनके अंग-प्रत्यंग कान्ति से चमकते रहते हैं । (पसत्पच्छवी) उनके शरीर की चमकी-त्वचा खेळ होती है, (निरासका) वे नीरोग रहते हैं । (कंकगहणी) कंक नामक पक्षी के समान वे अल्प आहार ही ग्रहण करते हैं । (कबोस-परिणामा) कबूतर की तरह उनमें आहार की परिणति पचाने-हजम करने की शक्ति होती है । (सउणियोसरिद्धंंतरोरूपरिणया) पक्षी के समान उनका मलद्वार अपानमार्ग होता है, जिससे वे मलत्याग करने के बाद उसके लेप से राहत रहते हैं । तथा उनकी पीठ, पाखंडाग और अंधाएँ परिपक्व होती हैं । (पउमुप्पलसरिसंगंधुस्तास-सुरभिवयणा) पद्म कमल और नीलकमल के सरोखी सुगन्ध से उनके श्वास और मुख सुगन्धित रहते हैं । (अणुलोमबाउवेया) उनके शरीर की वायु का वेग अनुकूल-मनोज रहता है । (अबबायनिद्धकाला) निर्मल और चिकने काले बाल उनके सिर पर होते हैं । (बिग्गहियउज्जतकुच्छी) उनका पेट शरीर के अनुरूप उन्नत-ऊँचा व मोटा होता है । (अमयरसकलाहारा) वे अमृत के समान रसयुक्त फलों का

आहार करने वाले होते हैं । (तिगाजयसमुत्तिवा) उनके शरीर की ऊँचाई तीन गाऊ -कोश होती है, (तिपलिओषमदित्तीका) उनकी स्थिति तीन पत्थोपम की होती है । (य) और (तिपलिओषमाह) इस तीन पत्थोपम की (परमाह) उत्कृष्ट आयु को (पालयिस्ता) भोग कर, (तेबि) वे भोगभूमि—अकर्मभूमि के मनुष्य भी (कामार्ण अविचित्ता) काम भोगों से अतृप्त होकर अन्त में (मरणधम्म) मृत्यु को—कालधर्म को, (उचषमंति) प्राप्त होते हैं—पाते हैं ।

मूलार्थ—इसी तरह मांडलिक नरेश भी जो बड़े बलवान् तथा प्रचुर सैन्य वाले होते हैं, उनके अपने अन्तःपुर-रनवास होते हैं, वे सभाओं से युक्त होते हैं या बड़े परिवार वाले होते हैं, शान्तिकर्म करने वाले पुरोहितों, राज्य-विन्ता करने वाले अमात्यो - मंत्रियों, दंडनायकों, सेनापतियों, मंत्रणा और राजनीति में कुशल दरबारियों से युक्त होते हैं । उनके कोश नाना प्रकार की मणियों, रत्नों तथा प्रचुर धन और धान्यों के संग्रह से भरे रहते हैं । वे विपुल राजलक्ष्मी का उपभोग करके अपने बल से मतवाले हो कर दूसरों को आक्रोस करते हैं—अथवा कोश खाली होने पर दूसरों पर रोष करते हैं, अन्त में वे भी कामभोग से अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

तथा उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्र के यौगलिक मानवगण, जो वन खंडों, गुफाओं वगैरह मे पाद विहार करते हैं, उत्तमोत्तम भोगों से सम्पन्न होते हैं, भोगों के सूचक स्वस्तिक आदि उत्तम लक्षणों के धारक होते हैं, भोगों से शोभा पाते हैं, उनका रूप और दर्शन बड़ा ही मांगलिक, सौम्य—शान्त और प्रतिपूर्ण होता है, उनके शरीर के तमाम अंगों की बनावट अच्छी होने से उनके सभी अंग सुन्दर होते हैं; उनकी हथेली और पैरों के तलुए लाल कमल के पत्र की तरह कोमल और सुन्दर होते हैं, उनके पैर सुस्थिर कछुए के समान उन्नत-उभरे हुए होते हैं; उनकी उँगलियाँ अनुक्रम से छोटी-बड़ी और छिद्र-रहित होती हैं । उनके नख उभरे हुए, पतले, लाल और चमकीले होते हैं । उनके पैरों के गट्टे सुस्थित, सुघटित और मांसल होने से गूढ़ होते हैं, उनकी जाँघें हिरनी की जाँघों के समान तथा कुर्बिद नामक तृणविशेष और सूत कातने की तकली के समान बतुल-गोल और उत्तरोत्तर स्थूल होती हैं; उनके घुटने गोल डिब्बे और उसके ढक्कन के समान स्वाभाविकरूप से मांस से ढके हुए होते हैं; मतवाले उत्तम हाथी के समान उनका पराक्रम और मस्त सुन्दर गति-चाल

होती है। श्रेष्ठ घोड़े के लिंग के समान उनका गुप्तांग—भूत्रेन्द्रिय सुनिष्पन्न होता है और आकीर्ण (उत्तम जाति के) घोड़े के समान मलद्वार मल के लेप से रहित होता है।

उनकी कमर हृष्ट पुष्ट घोड़े और सिंह की कमर से भी बढ़कर गोल होती है, उनकी नाभि गंगानदी के भंवर के समान, दक्षिणावर्त्त लहरों की परम्परा जैसी, सूर्य की किरणों से विकसित व कोश से बाहर निकले हुए कमल के समान गम्भीर और विशाल है। समेटी हुई तिपाई या सिकुड़ी हुई दतौन की लकड़ी, मूसल और मूष मे शोषे हुए श्रेष्ठ तप्त सोने की बनी हुई मूठ के समान और उत्तम वज्र के समान पतला उनका मध्यभाग होता है। उनकी रोमराजि सीधी, एक सरीखी, परस्पर सटी हुई, स्वभाव से बारीक, काली, चमकीली, सौभाग्यसूचक, मनोहर व अत्यंत कोमल तथा रमणीय होती है। उनका पार्श्वभाग—बगले मछली और पक्षी की कुक्षि के समान पुष्ट और सुन्दर होता है। उनका पेट मछली के समान होता है। कमल के समान विशाल उनकी नाभि होती है। उनके पार्श्व प्रदेश नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, संगत—जँचते हुए होते हैं, इसलिए उनके पार्श्व सुन्दर दिखाई देते हैं। यथा योग्य गुण वाले तथा परिमाण से युक्त, परिपुष्ट और रमणीय उनके पार्श्व होते हैं। उनकी पोठ और पार्श्वभाग की हड्डियाँ व पसलियाँ आदि मांस से ढकी होने से वे निर्मल, सुन्दर, पुष्ट और नीरोग शरीर से युक्त होते हैं। उनका वक्षःस्थल सोने की शिला के तल के समान मागलिक, समतल, मांस से भरे हुए, पुष्ट, विशाल और नगर के फाटक समान चौड़ा होता है। उनकी कलाइयाँ (कुहनी से नीचे का भाग) गाड़ी के जूबे के सदृश, यूप (खंभे) के समान, मांस से पुष्ट, रमणीय और मोटी होती है, तथा उनके शरीर की सन्धियाँ-जोड़ सुन्दर आकृति वाली, अच्छी तरह गठी हुई, मनोज्ञ, घनी, स्थिर, मोटी और अच्छी तरह बढ़ती हैं। उनकी भुजाएँ महानगर के द्वार की भारी आगल के समान गोल होती हैं। तथा उनके बाहु शेषनाग आदि के विशाल शरीर के समान विस्तीर्ण और आदेय—रम्य तथा अपनी जगह से बाहर निकाली हुई आगल के समान लंबी होती हैं। उनके हाथ लाल-लाल हथेलियों से सुशोभित, मांस से पुष्ट, कोमल, उचित-जचते हुए तथा स्वस्तिक आदि लक्षणों के कारण प्रशस्त एवं सटी हुई उँगलियों वाले होते हैं। उनके हाथ की उँगलियाँ परिपुष्ट, सुरचित, कोमल और श्रेष्ठ होती हैं।

उनके नख लाल, बारीक (पतले), स्वच्छ, सुन्दर और चमकीले होते हैं। उनके हाथ की रेखाएँ बड़ी चिकनी होती हैं, तथा चन्द्र, सूर्य, शंख, चक्र और दिशा स्वस्तिक के आकार से अंकित होती है। यानी सूर्य, चन्द्रमा, शंख, श्रेष्ठ चक्र, दिक्-स्वस्तिक आदि विभिन्न आकृतियों से युक्त उनकी हस्तरेखाएँ होती हैं। उनके कंधे श्रेष्ठ और बलवान महिष, सूअर, सिंह, व्याघ्र, साड और गजेन्द्र के कंधों के समान परिपूर्ण और पुष्ट होते हैं। उनको गर्दन चार अंगुल प्रमाण वाली एवं शंख के समान सुन्दर होती है। उनकी दाढ़ी-सूँछें न्यूनाधिकता से रहित, एक सरीखी, सुविभक्त—अलग-अलग दिखाई देने वाली और शोभादायक होती हैं। उनकी ठुड्डी पुष्ट, मांसल, प्रशस्त, बाघ की ठुड्डी की तरह विस्तोर्ण-चौड़ी होती है, उनके नीचे के ओठ शोघे हुए मूंगे तथा बिम्बफल के समान लाल होते हैं। उनके दातों की पक्ति चन्द्रमा के टुकड़े, निर्मल शंख, गाय के दूध, समुद्रफेन, कुन्दपुष्प, जलरज और कमलिनी के पत्ते पर पड़े हुए जलबिन्दु या कमल की नाल की तरह सफेद—धवल होती है। उनके दांत अखंडित होते हैं; बिना टूटे, सघन, चिकने और सुरचित-सुन्दर होते हैं। उनके अनेक दांत एक ही दात की श्रेणी की तरह मालूम होते हैं। यानी उनके बत्तीस दांत भी एक दांत के-से लगते हैं। उनके तलुए और जीभ का तलप्रदेश तपाये हुए निर्मल सोने के समान लाल-लाल होते हैं। उनको नाक गरुड़ की नाक के समान लंबी, सीधी और ऊँची उठी हुई होती है। उनके नेत्र खिले हुए श्वेतकमल के समान होते हैं। तथा उनकी आँखें सदा प्रसन्न रहने के कारण विकसित धवल पपनी वाली होती हैं। उनकी भौंहें थोड़े नमाए हुए धनुष के समान सुन्दर तथा जमे हुए काले-काले बादलों की पंक्ति के समान आकार युक्त काली, संगत, उचित लंबी-चौड़ी और सुन्दर होती हैं। उनके कान परस्पर सटे हुए प्रमाणोपेत होते हैं; जिनसे वे खूब अच्छी तरह सुन सकते हैं। अथवा उनके कान अच्छी तरह सुनने की शक्ति वाले होते हैं। उनके गाल पुष्ट और मांस से भरे होने से लाल होते हैं। थोड़ी ही समय पहले उदित हुए बालचन्द्रमा के आकार के समान विशाल उनका ललाट होता है। उनका चेहरा पूर्ण चन्द्रमा के समान बड़ा ही सौम्य होता है। उनका मस्तक छत्र के समान उभरा हुआ होता है। उनके सिर का अग्रभाग लोहे के मुद्गर के समान मजबूत नसों से आबद्ध, उत्तम लक्षणों से युक्त, शिखरसहित भवन तथा गोला

कार पिंड के समान होता है। उनके मस्तक की त्वचा (चमड़ी) अग्नि से तपाए, एवं धोए हुए सोने-सी निर्मल, लाल तथा बीच में केशो से युक्त होती है। उनके मस्तक के बाल सेमर के फल के समान अत्यन्त घने, घिसे हुए से—बारीक, कोमल, सुस्पष्ट, प्रशस्त—मांगलिक, चिकने, उत्तम लक्षण से युक्त, सुगन्धित और सुन्दर होते हैं, तथा भुजमोचकरत्न के समान काले, नीलमणि, काजल, गुनगुनाते हुए प्रसन्न भौरों के भुंड के समान काली कान्ति वाले, भुंड के भुंड इकट्ठे, टेढ़े-भेढ़े—घुंघराले एवं दक्षिण की ओर घूमे हुए होते हैं। उनके शरीर के अवयव सुडौल, सुरचित व संगत-जचते हुए होते हैं। वे लक्षणो और व्यंजनो के गुणो से युक्त होते हैं। वे प्रशस्त—उत्तमोत्तम ३२ लक्षणो को धारण करने वाले होते हैं। उनकी आवाज हंस के स्वर के समान, कौंच—पक्षी के स्वर के तुल्य, दुंदुभि के नाद के समान, सिंह की गर्जना के समान, मेघ की गर्जना के समान, बिना फटे हुए स्वर वाली तथा कानो को सुख देने वाली होती है, उनका निर्बोष—शब्दोच्चारण भी आदेय होता है। उनका संहनन (शरीर की हड्डियों का ढांचा) वज्र ऋषभ नाराच होता है—उनका शरीर समचतुरस्र (चारो ओर से समान) संस्थान (डीलडौल) से गठे हुए होते हैं; उनके अंग-प्रत्यंग कान्ति से चमकते रहते हैं। उनके शरीर की चमड़ी उत्तम होती है। उनका शरीर रोगरहित होता है। कंकपक्षी के समान उनकी गुदा होती है, अथवा कंक पक्षी की तरह वे अल्पआहार ग्रहण करने वाले होते हैं, कबूतर की तरह वे खाए हुए गरिष्ठ आहार को पचा लेते हैं। वे पक्षी के मलद्वार समान मलद्वार वाले होने से मलत्याग करने में लेप से रहित होते हैं। उनकी पीठ, पार्श्व भाग और जघाएँ परिपक्व होती हैं। उनका मुख पद्म कमल व नीलकमल की तरह सुगन्धित रहता है। उनके शरीर की वायु का वेग अनुकूल और मनोज्ञ होता है। उनके बाल स्वच्छ, चमकीले, काले होते हैं, उनका पेट शरीर के अनुपात में उन्नत—कुछ उभरा हुआ सा होता है। वे अमृत के समान रसीले फलों का आहार करते हैं। उनका शरीर तीन गाऊ—कोस ऊँचा होता है। तथा उनकी आयु—स्थिति तीन पत्योपम की होती है।

ऐसे वे अकर्मसूमि—भोगसूमि के मनुष्य भी तीन पत्योपम की उत्कृष्ट आयु को भोगकर अन्त में कामभोगो से अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

व्याख्या

विस्तृत वर्णन करने के पीछे रहस्य—पूर्व सूत्रपाठ में अर्धचक्रवर्ती, पूर्णचक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव के भोगो, वैभवो तथा सुखसाधनों का विस्तृत वर्णन करने के बाद इस सूत्रपाठ में भी माडलिक नृपों तथा देवकुरु-उत्तरकुरु के मानवों की सुख सम्पदा, शरीरसम्पदा और भोगों के साधनों का विस्तृत वर्णन किया है, इसके पीछे क्या रहस्य है ?

वास्तव में इतने विस्तृत वर्णन के पीछे शास्त्रकार का यही आशय प्रतीत होता है कि ससार के प्राय सभी प्राणी अब्रह्मचर्यसेवन को भ्रान्तिवश आत्मा के लिए सतोष और सुख का साधन समझते हैं और इसकी पूर्ति के लिए वे सभी प्रकार के साधन जुटाने और तरह-तरह से उछाड़-पछाड़ करने में अपनी ओर से कोई कोरकसर नहीं रखते। वे इसमें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वे प्राय यही समझते हैं कि हमें अब तक इसके अनुकूल सामग्री नहीं मिली है, इसलिए हम पूर्ण तृप्ति के आनन्द का अनुभव नहीं कर सके। यदि हमें कामभोग-सेवन की उत्तम और प्रचुर सामग्री मिल जाती तो हम उसका यथेच्छ सेवन करके संतुष्ट हो जाते। लेकिन उनकी यह मान्यता आग को शान्त करने के लिए उसमें घी की आहुति डालने के समान है। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह और ज्यादा भडकती है, वैसे ही विषय-वासना की आग को शान्त करने के लिए भोगोपभोग के अनेकानेक साधनों को जुटाने और उनका सेवन करने से भी वह शान्त होने के बदले और ज्यादा भडकती है। इसी बात को स्पष्ट करने हेतु शास्त्रकार ने पूर्वोक्त सभी पुण्यशालियों और भोग की उत्तमोत्तम साधन-सामग्री बालो का दृष्टान्त विस्तृतरूप से दे कर बताया है कि जिनके पास यौवन, शारीरिक बल, सौन्दर्य, धन-जन की अपार शक्ति और प्रभुता थी, भोग के एक से एक बढ़कर उत्तम साधन थे; हर तरह की मनचाही भोगसामग्री प्राप्त करने के लिए जिनके पास धनसम्पत्ति का अखूट खजाना था; हजारों सुन्दरियाँ उनके चित्त को प्रफुल्लित रख कर कामसुख को बढ़ाने के लिए सेवा में हाज़िर रहती थी; देवदुर्लभ क्रीडाएँ करने के लिए जल, स्थल और नभ के सभी क्रीडास्थल उनके लिए खुले थे, हजारों राजा उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते थे, जो बल, बुद्धि, धन, साधन, सौन्दर्य, प्रभुत्व आदि में किसी से कम नहीं थे; फिर भी वे अर्धचक्री, पूर्णचक्री, बलदेव, वासुदेव, माडलिक नृप या उत्तरकुरु-देव-कुरुक्षेत्र के भोगप्रधान मानव विषय भोगों से संतुष्ट न हो सके। वे असंतुष्ट हालत में ही इस ससार से बिदा हो गए। तब भला, साधारण आदमी की क्या विसात है कि वह यथेच्छ भोग-सामग्री जुटा कर उससे संतुष्ट हो ही जायगा ? जब इतने बड़े बड़े भाग्यशाली समर्थ मानव भी अब्रह्मसेवन से संतुष्ट नहीं हुए तो तुम जैसा साधारण मानव या प्राणी कैसे संतुष्ट हो जायगा ? इसलिए इस भ्रान्ति को मन से

सर्वथा निकाल फेंको कि यदि विषयसेवन की पूर्ण सामग्री मिल जाती तो हम उससे सतुष्ट हो जाते। आज तक कोई भी, यहाँ तक कि चक्रवर्ती जैसा परम शक्तिमान मानव भी भोग-सामग्री के अंवार लगा कर तृप्त नहीं हुआ तो तुम भोगसामग्री से कैसे तृप्त हो जाओगे ?

इसी उपदेश को हृदयगम कराने के लिए शास्त्रकार ने विस्तृतरूप से ये सब दृष्टान्त दे कर निरूपण किया है।

भोग का प्रमुख साधन स्वस्थ और उत्तम शरीर होने पर भी—कोई यह कह सकता है कि माडलिक नृपो या देवकुरु-उत्तरकुरु क्षत्र के भोगभूमिय मानवो के पास उत्तम, स्वस्थ और बलवान शरीर नहीं होता होगा ; तब वे कहाँ से विषयभोगो से तृप्त होते ? इसी का उत्तर शास्त्रकार 'भुञ्जो मंडलियनरवरेंदा भुञ्जो उत्तरकुरु-देवकुरुवणविवरपादचारिणो नरगणा अबित्तिता कामाणं' इस विस्तृत पाठ से देते हैं।

वास्तव में विषयभोगो के सेवन के लिए प्रमुख साधन शरीर है। अगर शरीर और शरीर के अवयव स्वस्थ, सुन्दर, बलिष्ठ, परिपूर्ण, सुडौल, दृष्टपुष्ट और प्रमाणोपेत नहीं हैं तो मनचाहे विषयभोगो के सेवन की आशा भी दुराशा ही सिद्ध होती है। यही कारण है कि इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सर्वप्रथम माडलिक राजाओं के बल, परिवार, परिषद्, पुरोहित, अमात्य, दडनायक, सेनापति, मन्त्रणाकुशल एव नीतिनिपुण मन्त्रिण, वैभव, राजलक्ष्मी आदि भोग के सभी साधनों की प्रचुरता का वर्णन किया है। तत्पश्चात् भोगभूमि में पले हुए और भोगो की ही दुनिया में बसने वाले देवकुरु-उत्तरकुरुक्षेत्र के यौगलिक मनुष्यों के विषयभोगो और उनके प्रमुख साधन शरीर व उसके अगोपागो का विस्तृत निरूपण किया है। यही नहीं, उनके स्वस्तिक आदि भोगो के उत्तम चिह्न, भोगो की सम्पन्नता, प्रणस्त सौम्यरूप और दर्शनीयता का निरूपण करने के साथ-साथ उनके हाथ-पैर के तलुओं, चरणों, उगलियो, नखों, गट्टों, जाधों, घुटनों, चालढाल, गुप्तागों, कमर, नाभि, मध्यभाग, रोमराजि, पेट के पार्श्वभागो, पेट, बगलो, पसलियो, आतो, वक्ष स्थल, जोडो, भुजाओ, हाथो, हस्तरेखाओ, कधे, गर्दन, दाढी-मू छो, टुडुडी, अघरोष्ठी, दतपक्ति, दातो, तालु, जीभ, नाक, आँखो, भीहो, कानो, कपोल, ललाट, चेहरा, मस्तिष्क, मस्तक के अग्रभाग, खोपडी, बाल आदि नख से लेकर शिखा तक के तमाम अग-प्रत्यगो का स्पष्ट निरूपण किया है। इतने विस्तृत निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोग का प्रमुख साधन उनका शरीर अपने आप में समस्त अगोपागो के सहित स्वस्थ, सशक्त, पुष्ट, बलिष्ठ, परिपूर्ण, योग्य तथा प्रशस्त बत्तीस लक्षणों से युक्त, उत्तमोत्तम लक्षणो और ध्वजनों से सम्पन्न, बच्चश्लेषभनाराचसहनन और समचतुरस्र-सस्थान से युक्त था। इसी प्रकार उनके शरीर की कान्ति, उनकी आवाज, शरीर की सुगन्ध, भोजन हजम करने की शक्ति, अमृतमय रसीले फलो का आहार, तीन गाऊ की ऊँचाई,

तीन पत्थोपम की दीर्घायु, अनुरूप वायुवेग इत्यादि सभी साधन एक से एक बढ़ कर थे ।

यद्यपि चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, या माडलिक नरेशो की तरह यौगलिकों के पास किसी वैभव, धनसम्पत्ति, सेना, राजाओ की मडली द्वारा आज्ञाकारिता, राजलक्ष्मी या रथादि परिवहन के साधनो के होने का उल्लेख शास्त्रकार ने मूलपाठ मे नहीं किया है, परन्तु उन्हें इनमे से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे प्रकृति से प्राप्त उत्तमोत्तम साधनो पर निर्भर रहते हैं। उनके पैरो में ही इतनी शक्ति होती है कि उन्हें बाहन आदि की अपेक्षा नहीं होती, और वे जिदगी की आवश्यकताओ के लिए इधर-उधर मारे-मारे नहीं फिरते। उसी वनप्रदेश या भूखण्ड मे अहमिन्द्र की तरह निद्वन्द्व, शान्त, निर्वैर और कलहरहित उनका विचरण होता है। वे धनसम्पत्ति की न तो अपने जीवन-निर्वाह के लिए जरूरत समझते है और न ही सग्रह करके रखते है। उन्हें कृत्रिम भोगसाधनों या सुखमामयी की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रकृति से मिला हुआ उत्तम सुडौल, सुपुष्ट, बलिष्ठ, सुन्दर और समस्त परिपूर्ण अगोपागो से युक्त शरीर ही उनका सर्वस्व जीवनधन होता है ; जिसके सहाये वे पचेन्द्रियविषयो के उपभोग का आनन्द लेते हैं। उनके शरीर मे कभी रोग नहीं होता, उनके गख से लेकर शिखा तक किसी भी अंग मे कोई विकार पैदा नहीं होता, और न कभी वे किमी बात की चिन्ता, शोक या सताप से ग्रस्त होते है। जिसका जीवन प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति के नियमो का जो उल्लघन नहीं करता, उसे रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य और दुश्चिन्तन क्यों होगा ? वे जहाँ होते है, वहाँ न तो नगर बसे हुए हैं, न गाँव ही, न वे अपनी सुरक्षा के कभी लिये कोट, किला, खाई या सुरक्षित स्थान बनाते हैं ; और न ही सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए मकान बनाते हैं। आधुनिक सभ्यता और बनाबट से वे कोसो दूर रहते है। कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला-कौशल, कल-कारखाने आदि उत्पादन के साधन और रथ, विमान, जलयान आदि वाहन तथा शस्त्र, अस्त्र आदि सुरक्षा के साधनो की वे आवश्यकता ही नहीं समझते। जीवनयापन के लिए या विषयसुख के लिए वे स्वस्थ शरीर और प्राकृतिक वनसम्पदा पर ही निर्भर रहते हैं। वनसम्पदा इतनी घनी, सुरम्य, शान्त और निद्वन्द्व है कि उन्हें जीवनयापन व विषयसुखलाभ के लिए कहीं भी अन्यत्र जाने या कृत्रिम साधनो का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पडती। इसीलिए शास्त्रकार सर्वप्रथम उनका परिचय एक ही पद मे दे देते हैं—
'उत्तरकुशेवकुशवर्षाविचरन्धारिभो नरगणा ।'

वस्तुतः उनका जीवन शान्त, निद्वन्द्व, निश्चिन्त होता है और उनके कषाय बहुत ही मन्द होते हैं। उनके जीवन मे स्वार्थ की मात्रा अत्यन्त कम होती है; इसलिए कभी सघर्ष का मौका नहीं आता। वहाँ वनसम्पदा इतनी है कि कोई किसी वृक्ष, सता,

फल, फूल आदि पर या किसी स्थान पर अपना अधिकार जमा कर या ममत्त्व करके नहीं बैठता। उन्हें अपनी आजीविका के लिए जगल काटने, खेती करने, कलकारखाने चलाने, या किसी शिल्प द्वारा निर्वाह करने की भी जरूरत नहीं होती। चिन्ता-फिक्र से रहित, मस्ती भरा उनका जीवन होता है। वे यह नहीं चिन्ता करते कि कल क्या खायेंगे ? कल क्या पहनेंगे ? कल कहाँ रहेंगे ? और कल कौन-सी जीविका करेंगे ? इसका कारण यह है कि उन्हें समस्त साधन-सामग्री अभिलाषा के अनुसार कल्पवृक्षों से मिल जाती है। खाने-पीने की चिन्ता उन्हें इसलिए नहीं करनी पड़ती कि वहाँ उन्हें हर चीज विचार करते ही मिल जाती है, किसी को खाद्य या पेय वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। वहाँ की मिट्टी का स्वाद भी मिश्री से बढ़कर मधुर होता है तथा फलो का रस अमृत के समान होता है। इसीलिए कहा है—
'अमयरसफलाहारा।'

इतना बेफिक्री का मस्त और शान्त जीवन होते हुए भी, भोगभूमि के वातावरण में सहज भाव से भोगों के सर्वोत्तम प्राकृतिक साधन प्राप्त होने पर भी, वे अपनी जिदगी के अन्तिम क्षणों तक कामभोगों से सर्वथा तृप्त नहीं होते और अतृप्त अवस्था में ही अपना शरीर छोड़ कर परलोक में चल देते हैं। बाह्यशान्ति का साम्राज्य होने पर भी उन्हें इस सम्बन्ध में आन्तरिक मानसिक शान्ति और सतुष्टि नहीं मिलती।

भोगभूमि के मनुष्यों का संक्षिप्त परिचय—प्रसंगवश जैनशास्त्रों की दृष्टि से भोगभूमि के इन मनुष्यों का संक्षेप में परिचय देना आवश्यक है। जैनदृष्टि से जम्बूद्वीप में कुल सात क्षेत्र माने जाते हैं—१ भरत, २ ऐरावत, ३ महाविदेह, ४ हैमवत, ५, हैरप्यवत, ६ और हरिवर्ष ७ रम्यक्वर्ष। घातकीखण्ड और पुष्कराडं द्वीप में भरत आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप से दुगुने हैं। इन सात क्षेत्रों में से भरत, ऐरावत और महाविदेह क्षेत्र से सम्बन्धित ५-५ कर्मभूमियाँ हैं। यानी जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र की तीन कर्मभूमियाँ हैं, तथा घातकीखण्ड और पुष्कराडं द्वीप में इन तीनों क्षेत्रों की दुगुनी-दुगुनी कर्मभूमियाँ हैं। कुल मिला कर $३ + ६ + ६ = १५$ कर्मभूमियाँ हैं। इन कर्मभूमियों में रहने वाले लोग असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला (सेवा) आदि ६ कर्मों द्वारा अपनी आजीविका करते हैं। उत्तरकुह और देवकुह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से महाविदेह क्षेत्र की ही सीमा में क्रमशः उत्तर और दक्षिण में हैं ; इनमें अकर्मभूमिक जीव रहते हैं। इसी तरह हरिवर्ष, रम्यक्वर्ष तथा हैमवत और हैरप्यवत में भी अकर्मभूमिका वाले जीव निवास करते हैं। इन अकर्मभूमियों में असि, मसि, कृषि आदि किसी प्रकार का कर्म या आजीविका के लिए कोई व्यवहार नहीं होता। वहाँ हमेशा भोगभूमि बनी रहती है। जीवनयापन के लिए जो भी अल्प

सुखसामग्री उन्हें अपेक्षित होती है, वह कल्पवृक्षों से मिल जाती है। उन्हें कभी कमाने या जीविका के लिए उखाड़पछाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रकृति का यह नियम है कि जहाँ जनसंख्या घटती-बढ़ती नहीं, वहाँ संघर्ष नहीं होता, न जीवनीपयोगी साधनों को पाने के लिए रस्साकस्सी ही होती है। सबको अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार मनचाही चीजे प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं।

जैनदृष्टि से दो प्रकार के कालचक्र माने जाते हैं—उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। आयु, शरीर, सस्थान, सहनन, धृति, बल आदि बातें जिसमें घटती जाती है, उसे अवसर्पिणी-काल कहते हैं और जिसमें ये चीजे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, उसे उत्सर्पिणीकाल कहते हैं। इन दोनों में से प्रत्येक काल के ६-६ आरे क्रमशः होते हैं। वर्तमान में अवसर्पिणीकाल काल का पांचवां आरा चल रहा है। १ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुःषमा ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषमा और ६ दुःषमदुःषमा—इन ६ आरों के व्यतीत हो जाने के बाद इनसे विपरीत फिर उत्सर्पिणीकाल के क्रमशः ६ आरे दुःषमदुःषमा से शुरू हो कर सुषमसुषमा तक सम्पूर्ण होते हैं। सुषमसुषमा से ले कर दुःषमदुःषमा तक के ६ आरे क्रमशः ४ कोटाकोटिसागर, ३ कोटाकोटिसागर, २ कोटाकोटिसागर, १ कोटाकोसागर में ४२ हजार वर्ष कम, २१ हजार वर्ष और २१ हजार वर्ष के लम्बे होने हैं।

इन सातों क्षेत्रों में से सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहाँ छही कालों का क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। महाविदेहक्षेत्र में तो हमेशा चतुर्थ आरे का-सा भाव और व्यवहार बना रहता है। भोग भूमि क्षेत्रों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जैसा काल चक्र नहीं होता।

यद्यपि भोगभूमि के इन भोगप्रधान यौगलिक मानवों की आयु उत्कृष्ट तीन पत्योपम की होती है, लेकिन वे अपनी लम्बी उम्र को मनोवाञ्छित कामभोगों के सेवन में ही बिता देते हैं। यद्यपि उनमें सप्त कुव्यसनो में से एक भी व्यसन नहीं होता; परन्तु अप्रत्याख्यानादि कषाय का उदय होने से वे त्याग-प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। इन्द्रियविषयो का यथेष्ट सेवन करते हैं। उन्हें किसी भी अभीष्ट वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं होता। अपने दीर्घ जीवनकाल में उनके सिर्फ दो ही सतान—एक लडका और एक लडकी—नियमानुसार होते हैं। चूँकि ज्यादा संतान होने पर मनुष्य को उनके पालन-पोषण की, रोगादि दुःख से सुरक्षा की व वियोग आदि की चिन्ता सवार हो जाती है। अतः एक पुत्र और पुत्री के रूप में नियमित संतान होने से ये किसी भी प्रकार के रोग, शोक, जरा, वियोग आदि के दुःख से व्याकुल या पीड़ित नहीं होते।

इनका शरीर सदा नवयौवन अवस्था वाला, बड़ा सुन्दर और पुष्ट होता है। उनका जन्म और मरण भी सुखपूर्वक होता है, क्लेशकर नहीं। जब इनकी आयु के ६ मास बाकी रहते हैं, तभी परभव की आयु का बन्ध होता है। जब इनका आयुष्यकर्म पूर्ण हो जाता है तो पतिपत्नी-युगल (योगलिक) में से एक को छीक और दूसरे को जंभाई आती है और किसी प्रकार का कष्ट भोगे बिना सुखपूर्वक दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। मर कर वे दोनों नियमानुसार देवलोक में देव होते हैं। उनके पीछे नियमानुसार एक ही जोड़ा उनकी सतान के रूप में शेष रहता है। ४६ दिन के पश्चात् ही वह जोड़ा यौवनावस्था को प्राप्त कर लेता है। इनके जीवन के विकासक्रम के लिए एक आचार्य ने कहा है—

सप्तोत्तानशया लिहन्ति विवसान् स्वांगुष्ठमार्यास्ततः,
 कौ रिरगन्ति ततः पदेः कलगिरो यान्ति स्वल्बद्भिस्ततः ।
 स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभ्रतस्तारुष्यभोगोद्गताः,
 सप्ताहेन ततो भवन्ति सुदृशोवानेऽपि योग्यास्ततः ॥१॥

अर्थात्—जन्मग्रहण करने के पश्चात् वे अकर्मभूमिक आर्य मनुष्ययुगल ७ दिन तक अधोमुख किये हुए पेट के बल सोये रहते हैं और अपने अगुठे को चूसते रहते हैं। इस के बाद ७ दिन तक घुटनो के बल जमीन पर रेंगते—सरकने हैं। दूसरे सप्ताह के बाद ७ दिन तक पैरों से लडखडाते व गिरते-पडते हुए चलते हैं और तुतलाते हुए मधुर शब्द बोलने लगते हैं। तीसरे सप्ताह के बाद ७ दिन में पैरों से अच्छी तरह चलने लगते हैं। चौथे सप्ताह के बाद ७ दिन में सुन्दर गायन आदि कला में प्रवीण होने का गुण प्राप्त कर लेते हैं। पाचवे सप्ताह के बाद छठे सप्ताह तक में वे तारुष्य-जवानी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और सातवे सप्ताह में वे सम्यक् प्रकार से भोग योग्य हो जाते हैं।

इस प्रकार सात सप्ताह के अन्दर ही उनका शीघ्र विकास हो जाना है। उस काल की व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न हुआ वह युगल (लडका-लडकी) पतिपत्नी के रूप में दाम्पत्य को अगीकार कर लेता है। और तीन पत्य की उत्कृष्ट आयु भोग कर मृत्यु के समय अपने पीछे उसी नियमानुसार एक युगल छोड़ जाते हैं। वह भी इसी परम्परानुसार चलता है।

मतलब यह है कि अकर्मभूमि के इस योगलिक जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर भी वे कामभोगों से अतृप्त रह कर दूसरे लोक में चल देते हैं। इनके सम्बन्ध में अन्य बातें मूलपाठ में स्पष्ट हैं ही।

भोगभूमि के मनुष्यों की महिलाएँ

भोगभूमि के पुरुषों की भोगसम्पन्नता और शरीर की सर्वांगसुन्दरता का निरूपण करने के पश्चात् अब आगे के सूत्रपाठ में शास्त्रकार उनकी पत्नियों का वर्णन करते हैं—

मूलपाठ

पमया वि य तेसि सोम्मा सुजायसव्वंगसुन्दरीओ, पहाण-
महिलागुणेहि जुत्ता, अतिकंतविसप्पमाणमउयसुकुमालकुम्मसंठिय-
सिलिट्ठ - (विसिट्ठ)चलणा, उज्जुमउयपीवरसुसाहतंगुलीओ,
अब्भुन्नतरइय(तित)तलिणतंबसुइनिद्धनखा, रोमरहियवट्टसंठिय-
अजहन्नपसत्थलक्खण-अकोप्पजंघजुयला, सुणिम्मिसुनिगूढजाणू,
मंसलपसत्थसुबद्धसंधी, कयलीखंभातिरेकसंठिय-निव्वणसुकुमाल-
मउय-कोमलअविरलसमसहित सुजायवट्ट (माण) पीवरनिरंतरोरू,
अट्टावयवीइपट्टसंठियपसत्थविच्छिन्नपिहुलसोणी, वयणायामप्प-
माणदुगुणियविसालमंसलसुबद्धजहणवरधारिणीओ, वज्जविराइय-
पसत्थलक्खणनिरोदरीओ, तिवलिवलियतणुनमियमज्झियाओ,
उज्जुयसमसहिय-जच्चतणुकसिणनिद्धआदेज्जलडहसुकुमालमउय-
सुविभत्तरोमराजीओ, गंगावत्तगपदाहिणावत्ततरंगभंगरविकिरण-
तरुणवोधितआकोसायंत - पउमगंभीरविगडनाभी, अणुब्भड-
पसत्थसुजातपीणकुच्छी, सन्नतपासा, सुजातपासा, संगतपासा,
मियमायियपीणरइय(तित)पासा, अकरंडुयकणगरुयग-निम्मल-
सुजायनिरुवहयगायलट्ठी, कंचणकलसपमाणसमसंहियलट्ठ-चूचुय-
आमेलगजमलजुयलवट्टियपओहराओ, भुयंगअणुपुव्वतणुयगो-
पुच्छवट्टसमसंहियनमियआदेज्जलडहबाहा, तंबनहा, मंसलग्गहत्था,
कोमलपीवरवरंगुलीया, निद्धपाणिलेहा, ससिसूरसंखचक्कवर-
सोत्थियविभत्तसुविरइयपाणिलेहा, पीणुण्णयक्कखवत्थिप्पदेसपडि-
पुन्नगलकवोला, चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा, मंसलसंठिय-
पसत्थहणुया, दालिमपुप्फप्यगासपीवरपलंबकुचितवराधरा,

सुंदरोत्तरोट्ठा, दधिदगरयकुंदचंदवासंतिमउलअच्छिद्दविमल-
वसणा, रत्तुप्पलपउमप्पत्तसुकुमालतालुजीहा, कणवीरमुउलऽकुडिल-
अब्भुन्नयउज्जुतुंगनासा, सारदनवकमलकुमुदकुवलयदलनिगर-
सरिसलक्खणपसत्थअजिम्हकंतनयणा, आनामियचावरुडलकिण्हब्भ-
राइसंगयसुजायतणुकसिणनिद्धभुमगा, अल्लीणपमाणजुत्तसवणा,
सुस्सवणा, पीणमट्ठगंडलेहा, चउरंगुलविसालसमनिडाला, कोमुदि-
रयणिकरविमलपडिपुन्नसोमवदणा, छत्तुन्नयउत्तमंगा, अकविल-
सुसिणिद्धदीहसिरया, छत्त-ज्झय-जूव-थूभ-दामिणी-कमंडलु-कलस-
वावि-सोत्थिय-पडाग - जव-मच्छ-कुम्म-रथवर - मकरज्झय- अंक-
थाल-अंकुस-अट्टावय-सुपइट्ट-अमर - सिरियाभिसेय-तोरण-मेइणि-
उदधिवर-पवरभवण - गिरिवर-वरायंससललियगय - उसभ-सीह-
चामर-पसत्थवत्तीसलक्खणघरोओ, हंससरित्थगतीओ, कोइलमहुर-
गिराओ, कंता, सब्वस्स अणुमयाओ, ववगयवलिपलितवंगदुव्वन्न-
वाधि-दोहग्गसोयमुक्काओ, उच्चत्तेण य नराण थोवूणमूसियाओ,
सिगारागारचारुवेसाओ, सुंदरथणजहणवयणकरचरणणयणा,
लावण्णरूवजोव्वणगुणोववेया, नंदणवणविवरचारिणीओ व्व अच्छ-
राओ उत्तरकुरुमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिज्जियाओ तिन्नि
य पलिओवमाइं परमाउं पालयित्ता ताओ वि उवणमंति मरण-
धम्मं अवितित्ता कामाणं ॥ सू० १५॥

संस्कृतच्छाया

प्रमवा अपि च तेषां भवन्ति सौम्याः सुजातसर्वागसुन्दर्यः, प्रधानमहिला-
गुणेषु क्ता, अतिक्रान्तविसर्पमाण-(विस्व-प्रमाण)-मृदुक - सुकुमालकूर्मसंस्थित-
म्लिष्ट (विशिष्ट) चरणाः, ऋजुमृदुकपीवरसुसंहतांगुलीका, अभ्युन्नतरतिव-
(रचित)-तलिनताम्रशुचिस्निग्धनखा, रोमरहितवृत्तसंस्थिताजघन्यप्रशस्त-
लक्षणाऽकोप्यजंघायुगलाः, सुनिर्मितसुनिगूढजानुमांसलप्रशस्तसुबद्धसन्ध्यः,
कबलीस्तम्भातिरेकसंस्थितनिर्ब्रंणसुकुमालमृदुककोमलाऽधिरलसमसहित - -
सुजातवृत्तपीवरनिरन्तरोरवो, अष्टापदबीधिपृष्ठसंस्थितप्रशस्तविस्तीर्णपृथल-

श्लेषयो, बबनाऽयामप्रमाणद्विगुणितविशालमांसलसुबद्धजघनवरधारिण्यो,
 वक्षत्रिजितप्रशस्तलक्षणनिवहाराः, त्रिबलिबलित(क)तनुमितमठ्याः,
 श्रुजुकसमसहितजात्यतनुकृष्णस्निग्धावेयलडहसुकुमालमृदुसुविभक्तरोमराजयो,
 गंगावत्कप्रवक्षिणावर्तितरंगभंगरविकिरणतरुणबोधिताऽकोशायमानपद्म -
 गम्भीरविकटनाभयो, अनुद्भटप्रशस्तसृजातपीनकुक्षयः, सन्नतपार्श्वीः,
 सृजातपार्श्वीः संगतपार्श्वी,मितमात्रिकपीनरतिव (रचित)-पार्श्वी, अकरंडुक-
 कनकवचकनिर्मलसृजातनिरुपहृतगात्रयष्टयः, कांचनकलशप्रमाणसमसंहित-
 लष्टच्छुकाऽमेलकयमलयुगलवर्तितपयोधरा, भ्रुजंगाऽनुपूर्वतनुकगोपुच्छवृत्त-
 समसंहितनमितावेयलडहबाह्वस्ताभ्रनखा, मांसलाग्रहस्ता, कोमलपीवर-
 वरांगुलीकाः,स्निग्धपाणिरेखा,शशिसूरशंखचक्रवरस्वस्तिकविभक्तसुविरचित-
 पाणिरेखाः, पीनोन्नतकक्षवस्तिप्रवेशप्रतिपूर्णंगल.पोला, चतुरंगुलसुप्रमाण-
 कम्बुवरसदृशशीवा, मांसलसंस्थितप्रशस्तहनुका, वाङ्मिपुष्पप्रकाशापीवर-
 प्रलम्बकुंचितवराधरा, मुन्वरोत्तरोष्ठा, बधिवकरजःकुन्दचन्द्रव।सन्तीमुकुला-
 च्छिन्नविमलदशना, रक्तोत्पलपद्मपत्रसुकुमालतालुजिह्वाः, करवीरमुकुला-
 ऽकुटिलाऽभ्युन्नतजुं तु गनासाः, शारदनवकमलकुमुदकुवलयदलनिकरसदृश-
 लक्षणप्रशस्ताऽजिह्वकान्तनयना, आनामित-चापरवधिरकृष्णाऽश्वराजि-
 संगतसृजाततनुकृष्णस्निग्धभ्रूका, आलीनप्रमाणयुक्तश्वणा, सुश्वणा,पीन-
 मृष्टगंडरेखाश्चतुरंगुलविशालसमललाटा, कौमुदीरजनीकरविमलप्रतिपूर्ण-
 सौम्यवदनाशत्रोन्नतोत्तमांगा,अकपिलसुस्निग्धदीर्घशिरोजाशत्रध्वजयूपस्तूप-
 दामिनोकमंडलुकलशवापीस्वस्तिकपताकायबमस्त्यकूर्मं रथवरमकरध्वजांक -
 स्थालांकुशाष्टापदसुप्रतिष्ठकाऽमर - श्रीकाऽभिधेकतोरणमेविन्दुबधि-
 वरप्रवरभवनगिरिवरवरावर्शंसललितगजवर्षभसिंहचामरप्रशस्तद्वित्रिशल्लक्षण -
 धर्यो, हंससवृक्षगतयः, कोकिलमधुरगिरः, कान्ताः, सर्वस्याऽनुमता, व्यपगत-
 वलीपलितध्वंगवुर्वर्णव्याधिदोर्भाष्यशोकमुक्ता, उच्छत्वेन च मरणां स्तोकोन-
 मुच्छिताः, श्रृंगारागारधारवेधाः, सुन्दरस्तनजघनबदनकरचरणनयना,
 लावण्यरूपयोवनगुणोपपेता, नन्दनवनचिबरचारिष्य इवाऽसरस उत्तर-
 कुदमानुष्याऽसरस, आश्चर्यप्रेक्षणीयाः,त्रोणि च पल्योपमानि परमायुधि पाल-
 यित्वा ताश्चाऽप्युपनमन्ति मरणधर्मनवितृप्ताः कामानाम् ॥ सू० ११॥

पवार्चान्धय (य) और (तेज) उनकी (पमवा वि) स्त्रियां श्री (सौम्या) सौम्य-
 शान्तस्वभाव वाली (सुजायसम्भंगसुंदरीयो) उत्तम सर्वांगों से सुन्दर, (पहाणमहिला-

गुणोहि शुक्ता) महिलाओं के उत्तमोत्तम - प्रमुख गुणों से युक्त होती हैं। (अतिकंत-
 विसम्पन्नायमउपसुकुमालकुम्भसंठियसिद्धिठबलणा) उनके चरण अतिरमणीय, खासतौर
 से अपने शरीर के अनुपात में उचितप्रमाणोपेत अथवा चलते समय भी कोमल से कोमल,
 कछुए के समान उभरे हुए और मनोज्ञ होते हैं। (उज्जुमउपपीवरसुसाहंतगुलीओ) उनकी
 उंगलियाँ सीधी, कोमल, पुष्ट और परस्पर सटी हुई—छिन्नरहित होती हैं, (अम्भुप्रत-
 रइयतलिनतंबसुइनिद्धनखा, उनके नख ऊपर उठे हुए, आनन्दवायक, पतले, लाल, निर्मल
 और चमकीले होते हैं। (रोमरहियवट्टसंठिय अजहृप्रपसत्त्वलक्षण-अकोप्य-अंधजुयला)
 उनकी दोनों जघा-पिंडलिया रोओं से रहित, गोलाकार, असाधारण मागलिक
 लक्षणों से युक्त व रमणीय (घृणारहित) होती हैं। (सुष्णिम्मतसुनिगूडजाणू) सुन्दर
 बने हुए, मांस से अच्छी तरह ढके हुए उनके घुटने होते हैं। (मंसलपसत्त्वसुबद्धसंधी)
 मांस से भरी हुई, श्रेष्ठ तथा नसों से बंधी हुई उनकी संधियाँ (जोड़) होती हैं।
 (क्यलीखंभातिरेकसंठियनिव्वणसुकुमालमउयकोमल-अविरलसमसहितसुजायवट्टपीवर-
 निरंतरोक) उनकी अंधाएं-साँबल केले के लंबे से भी अधिक सुंदर
 आकार वाले, पाव-दाग से रहित, अत्यन्त कोमल, सुकुमार, अन्तररहित, समप्रमाणवाली,
 सुन्दर लक्षणों से युक्त, अथवा सहनशील, सुगठित, गोल, पुष्ट एवं समान होती हैं,
 (अट्ठावयबीइपट्टसंठियपसत्त्वबिच्छिन्न-पिह्लसोणी) उनकी श्रोणि (नितब) जूवा
 खेलने के पासों की लहरों वाले पट्टे के समान आकार वाली श्रेष्ठ, और विस्तीर्ण होती
 है। (वयथायामप्यमाणदुगुणियविसालमंसलसुबद्धजहृणवरधारिणीओ) वे मुख की लंबाई
 के प्रमाण—१२ अंगुल—से द्रुगुने यानी चौबीस अंगुल विशाल, मांस से पुष्ट, गढ़े हुए,
 श्रेष्ठ जघन (कटि प्रदेश से नीचे का भाग, पेड़) को धारण करने वाली होती हैं। (वज्ज-
 विराइयपसत्त्वलक्षणनिरोदरीओ) वे मध्य में पतली होने से वक्ष के समान शोभायमान,
 प्रशस्त लक्षणों से युक्त, कृश उदर-वाली होती हैं, (तिवलिबलियतगुननियमज्जियाओ)
 उनके शरीर का मध्यभाग-उदर तीन रेखाओं से अंकित, कृश और झुका हुआ
 होता है। (उज्जुयसमसंहियज्जतगुकसिणधिद्धआदेज्जलद्धसुकुमालमउयसुविधत्त-
 रोमराइओ) उनकी रोमावली सीधी, एकसरीधी, परस्पर मिली हुई, स्वानाधिक,
 बारीक, काली, मुलायम, प्रशंसनीय, ललित, सुकुमार, कोमल और यथास्थान
 शोभायमान होती है। (गंगावस्तग-पदाहिणावत्तरगभंग-रविकिरण-त्तरणवोधित-
 आकोसायंत - पठमगंभीरविगडनामी) उनकी नाभि गंगानदी के भंवर के समान,
 दक्षिण की ओर चलने वाले भंवर—बक्कर से युक्त तरंगमाला के समान, सूर्य की
 किरणों से ताजे खिले हुए व बिना कुम्हलाए हुए कमल के समान गंभीर और विशाल

होती है । (अणुभ्रमद्वयसत्त्वसुजातपीणकुण्ठी) उनकी कुक्षि नहीं उभरी हुई, प्रशस्त, सुन्दर और पुष्ट होती है । (सन्नतपासा) उनका पार्श्वभाग ठीक मात्रा में झुका हुआ, (सुजातपासा) सुगठित (संगतपासा) संगत अर्थात् जघता हुआ होता है । (मियमायियपीणरइयपासा) उनका पार्श्वभाग प्रमाणोपेत—मित, उचित मात्रा में रखा हुआ, पुष्ट और सुख देने वाला है । (अकरद्वय-कणव-रुचय-निम्मल-सुजाय-निरुवह-यमायलट्ठी) उनकी मात्रयष्टि—वेह उभरी हुई पीठ की अस्थि से रहित स्वभावतः शुद्ध हुए सोने से निर्मित रुचक नामक आभूषण के समान निर्मल या स्वर्णकान्ति से युक्त, अच्छी गठी हुई व रोगरहित होती है । (कंचणकलसपमाणसमसहियट्ठसुधुय-आमेलगजमलजुयलवट्टियपओहराओ) उनके दोनों पयोधर स्तन सोने के दो कलश के समान, प्रमाणोपेत, उठे हुए—उन्नत, समान, कठोर तथा मनोहर चूची वाले, तथा शिखर पर गोल होते हैं । (भुंगं-अणुपुण्व - तणुय - गोपुच्छ-वट्ट - सम - सहिय - नमिय - आवेज्ज - लडह - बाहा) उनकी दोनों भुजाएँ सर्प के समान क्रमशः पतली, गाय की पूँछ के समान गोल, एक सरीसृी, शिथिलता से सहित, झुकी हुई, सुभग और ललित होती है । (तंबनहा) उनके नख ताबे के समान लाल होते हैं, (मंसलग्गहत्था) उनके हाथों की पहोची—कलाई (या हथेली) मांस से पुष्ट होती है । (कोमलपीवरं-गुलीया) उनकी अंगुलियाँ बड़ी कोमल और पुष्ट होती है । (निट्टपाणिलेहा) उनके हाथों की रेखा बहुत चिकनी होती हैं, (ससिसुरसंखचक्कवरसोत्थियविभत्तसुविरइय-पाणिलेहा) तथा उनकी हस्तरेशाएँ चन्द्रमा, सूर्य, शंख, श्रेष्ठचक्र, और स्वस्तिक के चिह्नों से अंकित और सुन्दर बनी हुई होती हैं । (पीणुण्यकवखवत्थिप्पदेसपडिपुण्व-गलकपोला) उनकी कान्छ और मलोत्सर्गस्थान पुष्ट व उन्नत होते हैं तथा गाल परिपूर्ण और गोल होते हैं । (चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा) उनकी गर्दन चार अंगुल ठीक प्रमाण वाली, श्रेष्ठ शंख के सदृश होती है । (मंसलसंठियपसत्थहणुया) उनकी टङ्डी मांस से पुष्ट, सुस्थिर और प्रशस्त होती है । (वाल्लिमपुक्कप्पणासपीवरपलंब-कुञ्चितवराघरा) उनके निचले ओठ बाहुिम—अनार के विकसित फूलों के समान लाल, कान्तिमान, पुष्ट, कुछ लंबे, सिकुड़े हुए और श्रेष्ठ होते हैं । (सुन्वरोत्तरोट्ठा) उनके ऊपर के ओठ भी बड़े सुन्दर होते हैं । (दधिवगरयकुंबंधवत्सत्तिमउत्सवत्थिक्क-विमलवत्सथा) उनके दांत बही, पत्ते पर पड़ी हुई बूँद, कुन्वपुण्व, चन्द्रमा, वासंती - धमेली की लता की कसियों के समान सफेद, छिद्र—अन्तररहित, और उजले होते हैं ।

(रसुष्पलपउमपससुकुमालतासुजीहा) वे रक्तोत्पल के समान लाल तथा कमल के पत्तों के समान कोमल तासु और जीम वाली होती हैं । (कणवीरमुउलऽकुडिलऽम्भुन्यउज्जु-तुंगनासा)उनकी नाक कनेर की कलियों के समान, वक्रता (टेडेमेडेपन) से रहित, आगे से उठी हुई, सीधी और ऊँची होती है । (सारवनवकमलकुमुवकु वलयदलनगरसरिसलकखण-पसस्थ-अजिम्हकंतनयणा) उनकी आँखें शरद्वृत्तु के सूर्यविकासी ताजे कमल, चन्द्र-विकासी कुमुदपुष्प, एवं नीलकमल के पत्तों के समूह के समान, लक्षणों से श्रेष्ठ, अकुडिल (टेडेपन से रहित) और रमणीय होती हैं । (आनमियथावदलकिल्हम्पराइ-संगय-सुजायतणुकसिणनिड्भुमगा) उनकी भौंहे कुछ नमाये हुए धनुष के समान मनो-हर, काले-काले बादलों की पंक्ति के समान, सुन्दर, पतली, कानी और चिकनी होती हैं । (अत्लीणपमाणजुत्तसवणा) उनके कान परस्पर सटे हुए, शरीर के नाप से युक्त होते हैं । (सुस्तवणा) उनके कानों की श्रवणशक्ति अच्छी होती है । (पीणमट्ठगंडलेहा) उनकी कपोलरेखा पुष्ट, साफ और मुलायम होती है । (खउंगुल-विसालसमनिडाला) उनका ललाट चार अंगुल चौड़ा और सभ (विषमतारहित) होता है । (कोमुविरयणिकरविमलपडिपुन्नसोमवदणा) उनके मुल्ल चांदनी से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान गोल व सौम्य होते हैं । (छत्तुन्न्यउत्तमंगा) उनके मस्तक छत्र के समान उन्नत—उभरे हुए और गोल होते हैं । (अकविलसुसिणिड्ढीहसिरया) उनके मस्तक के बाल अकपिल—काले, चिकने और लम्बे-लम्बे होते हैं । (छत्त-ज्झय-मुव-भूण-वामिणि-कमंडलु-कलस-वावि-सोरियय-पडाय-जव-मच्छ-कुम्मरथ-वर-मकरज्झय-अंक-वाल-अंकुस-अट्ठावय-सुपइट्ठ-अमर-सिरियामिसेय-तोरण-मेइणि-उदधिवर - पवर-धवण-गिरिवर-वरायंस-सललिययय-उसभ-सीह-वामर-पसस्थ-वत्तीसलकखणधरीओ) वे १ छत्र, २ ध्वजा, ३ यज्ञस्तम्भ, ४ स्तूप, ५ वामिनी—माला, ६ कमंडलु, ७ कलसा, ८ वापी, ९ स्वस्तिक, १० पताका, ११ यव—जौ, १२ मत्स्य, १३ कछुआ, १४ प्रधान रथ, १५ मकरध्वज—कामदेव, १६ बज्र—हीरा—अकरत्न, १७ धाल, १८ अंकुश, १९ चौपड़ या शतरंज जिस पर खेली जाती है, वह पट्टा—फलक या वस्त्रविशेष, २० स्थापनिका—ठवणी या ऊँचे पींटे का प्याला, २१ देव २२ लक्ष्मी का अभिषेक, २३ तोरण - बंदनवार या घर के द्वार की महाराव, २४ पृष्ठी, २५ समुद्र, २६ श्रेष्ठ मवन, २७ उत्तम पर्वत, २८ उत्तमवर्णन, २९ फीड़ा करता हुआ हाथी, ३० बेल, ३१ सिंह, ३२ चंवर—इन प्रशस्त ३२ लक्षणों को धारण करने वाली होती हैं । (हंससरित्त्वगसीओ) उनकी बाल—गति हंस के सरीसौ होती है । (कोइलमहुरगिराओ) उनकी वाणी कोयल के समान मधुर होती

हैं, (कंता) के विशेष कान्तिवाली—कमनीय एवं (सख्यस्त अणुमयाओ) सब लोगों को अनुमत-प्रिय लगने वाली होती हैं। (ब्रह्मवयवलिपलितबंगदुवन्नवाधि-सोहृण्-सोयमुक्काओ) के जोहरे पर झुरियों, सफेद बालों, अगहीनता—अपंगपन, कुक्ष्यता, व्याधि-बीमारी, दुर्भाग्य—सुहाग से रहितता, तथा शोक—चिन्ता से मुक्त होती हैं, (य) और (उच्चस्तेण) ऊँचाई में (नराण भोवूणमूसिपाओ) पुरुषों से कुछ कम ऊँची होती हैं, (सिगारागारचाक्वेसाओ) के भूंगार की धर होती हैं, उनकी वेसाभूषा बहुत ही सुन्दर होती है। (सुंवरयण-अघण-वयण-कर-वरण-णयणा) उनके स्तन, कमर के आगे का हिस्सा—पेट, मूख—चेहरा, हाथ, पैर और नेत्र बड़े सुन्दर होते हैं। (लावन्नखवजोवण्ण-गुणोववेया) के लावण्य, रूप और यौवन के उत्तम गुणों से सम्पन्न होती हैं। (नंदण-वण विवरणारिणीओ अच्छराओ ध्व) के ऐसी लगती हैं, मानो नंदनवन में बिचरण करने वाली अप्सराएँ हो, वास्तव में वे (उत्तरकुचमाणसच्छराओ) उत्तरकुचलेत्र की मानवी अप्सराएँ होती हैं। (अच्छेरग-पेच्छणिज्जाओ) के आश्चर्यपूर्णक दर्शनीय—देखने जैसी (हॉति) होती हैं। (य) तथा (तिभि) तीन (पलियोवमिइ) पल्योपम की (परमाडं) उत्कृष्ट आयु को (पालयित्ता) पाल कर—भोग कर (ताओ वि) जे की (कामाणं अवितित्ता) कामभोगों से अतृप्त ही, (मरणधम्मं) मृत्यु को—कालधर्म को, (उवणमंति) प्राप्त होती हैं।

मूलार्थ—और उन अकमभूमि—भोगभूमि के मनुष्यों की स्त्रियाँ भी मौम्य—शान्त स्वभाव वाली, भलीभाँति रचित सभी अंगों से सुन्दर और महिलाओं के मुख्य-मुख्य गुणों से युक्त होती हैं। उनके चरण अत्यन्त कमनीय, चलते समय कोमल वस्तुओं से भी अतिकोमल, सुकुमार, कछुए की तरह बीच में उभरे हुए, मनोहर होते हैं। उनकी अंगुलियाँ सीधी, कोमल, पुष्ट और परस्पर सटी हुई होती हैं, उनके नख आगे को उठे हुए, सुखद या सुरचित, पतले, ताँबे के समान लाल, साफ एवं चिकने होते हैं। उनकी दोनों जंघाएँ—पिंडलियाँ रोओ से रहित, छाते की-सी उभरी हुई, गोलमटोल, उत्तम और मांगल्यचिह्नो से युक्त, और देखने वालों को प्रिय होती हैं। उनके घुटने अच्छी तरह से बने हुए और मांस से ढके होने से अच्छे लगते हैं। उनकी संघियाँ जोड़ें मांस से पुष्ट, प्रशस्त और सुगठित—परस्पर बंधी हुई होती हैं। उनके दोनों उरू—पिंडलियों के ऊपर के भाग, जाँघे—केले के खंभे से भी अधिक

गठे हुए, ऋण से रहित, सुकुमाल, मुलायम एवं चिकने होते हैं, तथा अन्तररहित समप्रमाण वाले, सुन्दर, गोल और सुपुष्ट होते हैं। उनकी श्रोणि (कटितट) जूए या चौपड़-शतरंज खेलने के पट्टे के ऊपर खीची हुई लहरो के समान आकार वाली रेखाओं सरीखी, सुन्दर लक्षणों सहित अथवा सहनशील, विस्तीर्ण और पृथुल होती है। वे अपने मुंह की लम्बाई के प्रमाण (बारह अंगुल) से दुगुनी (यानी २४ अंगुल) लम्बी, विशाल, मांस से पुष्ट, सुगठित जघन—कमर के आगे के भाग—पेड़ को धारण करने वाली होती है, उनका उदर—पेट बीच में पतला—कृश होने से वज्र के समान शोभायमान, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त और अत्यन्त कृश होता है। उनके शरीर का मध्य भाग त्रिवलियो—तीन रेखाओं से अंकित, पतला, और झुका हुआ होता है। उनकी रोमराजि सीधी, एक सरीखी, परस्पर जुड़ी हुई, स्वाभाविकरूप से बारीक, काली, चिकनी, आकर्षक, ललित, सुकुमार, मुलायम और अलग-अलग रोमों से युक्त होती है। उनकी नाभि गगानदी के भँवर एवं दक्षिण की ओर चक्कर लगाने वाली तरंगों के समान, सूर्य की किरणों के छूते ही ताजे नये खिले हुए व कोश से अलग हुए कमल के समान गंभीर और विशाल होती है। उनकी कुक्षि कृश बाहर नहीं उभरी हुई—अप्रकट, प्रशस्त, श्रेष्ठ और पुष्ट होती है। उनके पार्श्वभाग (कांख से नीचे का भाग—बगलें) नीचे की ओर अच्छी तरह झुके हुए होते हैं, सुन्दर होते हैं, जचते हुए—सगत होते हैं, वे उचित परिमित प्रमाण से युक्त, परिपुष्ट और आनन्ददायक होते हैं। उनकी गात्रयष्टि देहरूपी यष्टि स्वाभाविक रूप से शुद्ध-साफ सोने के रुचक—एक प्रकार के आभूषण की तरह निर्मल—स्वच्छ—धूल से रहित, सुनिर्मित एवं रोगादि से रहित होती है। उनके दोनों स्तन सोने के कलशों की तरह गोल, उन्नत, समान, कठिन, मनोहर, जुडवां जैसे, अग्रभाग पर लगी हुई दो चूचियो से युक्त और बड़े हुए होते हैं। उनकी दोनों बांहें सांप के समान क्रमशः पतली, गाय की पूंछ के समान गोल, एक सरीखी, शिथिलताररहित, झुकी हुई, आकर्षक और रमणीय होती हैं। उनके नख तांबे के समान लाल होते हैं। उनके हाथ के पंजे मांस से परिपुष्ट होते हैं, उनके हाथों की उंगली कोमल, पुष्ट और उत्तम होती है; उनके हाथों की रेखाएँ चिकनी होती हैं; उनके हाथों की रेखाएँ चन्द्रमा, सूर्य, शंख, श्रेष्ठ चक्र, स्वस्तिक आदि विभिन्न चिह्नों से भलीभांति अंकित होती है। उनकी कांखें और मलोत्सर्ग का स्थान-

गुह्य प्रदेश उभरे हुए हैं। और परिपूर्ण गोल-गोल गाल होते हैं। उनकी गर्दन चार अंगुल ठीक प्रमाण वाली, श्रेष्ठ शंख के समान होती है; उनकी ठुड्डी मांस से भरी हुई, पुष्ट और आकार में श्रेष्ठ होती है। उनके निचले ओठ अनार के फूल के समान चमकदार, लाल-लाल, पुष्ट, कुछ लंबे और सिकुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर के ओठ भी बड़े सुन्दर होते हैं। उनके दांत दही, जल की बूबों, कुन्द के फूलों, चन्द्रमा, वासंती—चमेली की-बेल की कलियों के समान तथा अन्तररहित एवं अत्यन्त उजले होते हैं। उनके तालु और जीभ लाल कमल के समान लाल और कमल के पत्तों के समान कोमल होते हैं। उनकी नाक कनेर की कलियों के समान टेढ़ेपन से रहित, आगे से अंदर की ओर उठी हुई, सीधी और ऊँची होती है। उनकी आँखें शरदःशतु के ताजे सूर्यविकासी कमल और चन्द्रविकासी कुमुदपुष्प तथा नीलकमल के पत्तों के ढेर के समान एवं लक्षणों से श्रेष्ठ, अकुटिल या तेजस्वी और प्रिय होती हैं। उनकी भौंहें कुछ नमाये हुए घनुष के समान मनोहर, काले-काले बादलों की घटाओं की-सी सुन्दर, पतली, काली और चिकनी होती हैं। उनके कान अच्छी तरह लगे हुए और प्रमाणोपेत होते हैं। उनकी श्रवणशक्ति अच्छी होती है, उनके कपोलतट पुष्ट और चिकने होते हैं, उनका ललाट चार अंगुल चौड़ा और विषमतररहित होता है। उनका मुख चांदनी से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान गोल और सौम्य होता है। उनका मस्तक छाते के समान गोल और उभरा हुआ होता है। उनके मस्तक के केश भूरे नहीं, किन्तु काले, चिकने और लंबे-लंबे होते हैं। वे छत्र, ध्वज, यज्ञस्तम्भ, स्तूप, दामिनी—माला, कमडलु, कलश, बावड़ी, साधिया (स्वस्तिक), पताका, यव—जौ, मच्छ, कछुआ, श्रेष्ठ रथ, कामदेव, अंकरत्न—हीरा, धाल, अंकुश, जिस पर चौपड़ या शतरंज खेला जाती है वह पट्टा या कपड़ा, स्थापनिका—ठवणी या ऊँचे पैदे का प्याला, देव, लक्ष्मी का अभिषेक, तोरण (गृहद्वार पर मेहराव या वन्दनवार) पृथ्वी, समुद्र, श्रेष्ठ भवन, उत्तम घर, उत्तम दर्पण, ऋद्धि करते हुए हाथी, बैल, सिंह और चंवर, इन बत्तीस उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली होती हैं। उनकी गति-चाल हंस के समान होती है। कोयल के समान उनकी मधुर वाणी होती है। वे कान्ति बाली और सर्वजनप्रिय होती हैं। वे मुख पर भुर्रियों, सफेद बालों और अपंगपन—अंगविकलता से रहित होती हैं तथा कुरूपता, व्याधि, दुर्भाग्य और शोक से मुक्त हैं। वे ऊँचाई में मनुष्यों से कुछ कम ऊँची होती हैं। वे शृंगार का

घर होती हैं और उनकी वेशभूषा अत्यन्त सुन्दर और उजली होती है। उनके स्तन, पेड़, मुख, हाथ, पैर और नेत्र अत्यन्त सुन्दर होते हैं। वे लावण्य, सौन्दर्य और यौवन के गुणों से सम्पन्न होती हैं। वे नन्दनवन में विचरण करने वाली अप्सराओं के समान मानुषीरूप में उत्तरकुरुक्षेत्र की अप्सराएँ होती हैं, जो आश्चर्यपूर्वक देखने जैसी होती हैं। वे तीन पत्योपम की उत्कृष्ट आयु को भोग कर अन्ततः कामभोगों से अतृप्त ही मृत्यु पाती हैं।

व्याख्या

इससे पूर्व सूत्रपाठ में जिन भोगभूमि (अकर्मभूमि) के मनुष्यों का वर्णन किया है, उनकी पत्नियों का उससे आगे के सूत्रपाठ में वर्णन किया गया है। इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने उत्तरकुरु-देवकुरुक्षेत्र की महिलाओं के उत्तमोत्तम गुणों और मागल्यसूचक लक्षणों के अतिरिक्त उनके चरण, अगुली, नख, जाँघें, घुटने, सधियाँ, उरू, कमर, पेट, मध्यभाग, रोमावली, नाभि, कुक्षि, पार्श्वभाग, गात्रयाष्ट, स्तन, बाहू, नख, पंजा, हाथों की उगली, हस्तरेखा, कंगोल, गर्दन, ठुड्डी, ओठ, दात, तालु, जीभ, नाक, आँख, कान, भौंह, ललाट, मुख, मस्तिष्क, बाल, आदि प्रत्येक अंग-उपांग का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अन्त में उनकी चाल-डान, आवाज, ऊँचाई, लोकप्रियता, कमनीयता, लावण्य, रूप, यौवन, वेशभूषा और निवास आदि का वर्णन भी किया है।

मतलब यह है कि शास्त्रकार ने उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता, प्रकृति और गुणों का सुन्दर चित्रण किया है।

इस वर्णन से पता चलता है कि ये सब महिलाएँ कृत्रिमताओं, फैशन और नखरों से काफी दूर होती हैं। जिस प्रकार भोगभूमि के पुरुष प्रकृति के अत्यन्त निकट होते हैं, वैसे ही वहाँ की ये महिलाएँ भी टापटीप और आडम्बर से अति दूर होती हैं। शरीर का जो स्वाभाविक सौन्दर्य, लावण्य, और स्वास्थ्य है, उसी पर वे निर्भर रहती हैं। यही कारण है कि इतने लम्बे वर्णन में कहीं भी यह बात नहीं बताई गई है कि उनके शरीर पर आभूषण कौन-कौन-से थे ? उनके नखों और ओठों को विशेष लाल करने के लिए कौन-सी चीज लगाई जाती थी ? गालों को विशेषरूप से चमकाने के लिए वे कौन-सा पाउडर या चासचूर्ण लगाती थी ? दातों को चमकाने के लिए, मिस्ती या मजन, आँखों को आकर्षक बनाने के लिए काजल या अजन कौन-से लगाती थीं ? बालों का जूड़ा बाधती थी तो किस चीज से ? गले की शोभा के लिए कौन-सा हार पहनती थीं ?

फिर भी स्त्रियों में जो स्वाभाविक सौन्दर्य होता है, वह उनमें था। वे स्वस्थ,

निश्चिन्त और रोगशोकमुक्त थी, और वृद्धत्व से, सफेद बालों से, अंगविकलता से एवं चेहरे पर झुर्रियों आदि से वे रहित थीं ।

कोई कह सकता है कि वे असम्य और फूहड़ होंगी, उनमें आधुनिक सम्पत्ता नहीं होगी, इसलिए उनका जीवन सम्य-जीवन नहीं होगा ! इसका उत्तर एक ही पद मे स्वयं शास्त्रकार ने दे दिया है—‘पहाणमहिलागुणेहि जुत्ता’ अर्थात्—वे मुख्य-मुख्य महिलागुणो से सम्पन्न होती है ।

प्राचीनकाल मे महिला के प्रधान गुणों में ६४ कलाएँ मानी जाती थीं । ६४ कलाओं मे ऐसी कोई विद्या या कला बाकी नहीं रह जाती, जो महिलाओं के प्रधान गुणो की पूर्ति न कर सके । यह ठीक है कि भोगभूमि की स्त्रियाँ ६४ कलाओं का शिक्षण नहीं पाती थी, फिर भी उनका जीवन स्वभावतः ही कलापूर्ण था । इसलिए उन्हें असम्य और फूहड़ कैसे कहा जा सकता है ? वर्तमान की पढी-लिखी, फंशान-परस्त और श्रु गारप्रिय, चालाक तथा कलहप्रिय युवतियो से तो कहीं अच्छी होती हैं वे । अतः प्रकृति से ही वे शान्त, सम्य और नारी सुलभ लज्जा और संकोच से युक्त होती हैं ।

उनके शरीर पर भले ही बाह्य अलंकार नहीं होते; परन्तु उनके जीवन में निम्नोक्त दस स्वाभाविक अलंकार अवश्य होते हैं । कहा भी है—

‘लीला-विलासो विच्छित्ति बिम्बोक्त, किल किञ्चित्तं ।

भोट्टापितं कुट्टमितं ललितं विहृतं तथा ॥

विश्व मरुचेत्यलंकाराः स्त्रीणां स्वाभाविका इव ।’

यानी लीला, विलास, हावभाव, रूठना, क्रीडा करना, ललित कलाएँ बताना, अगविन्यास, अभिनय, विभ्रम इत्यादि स्वाभाविक अलंकार भोगभूमि की उन महिलाओं में भी होते हैं । वे शान्त, सौम्य, स्वतंत्र महिलाएँ होती हैं; कलहकारिणी, स्वार्थी, क्रूर और चालाक नहीं । वे मध्ययुग की रानियो की तरह अन्त.पुर मे या केवल घर की चारदीवारी मे बंद हो कर नहीं रहती हैं । इसीलिए उनके लिए शास्त्रकार ने कहा—‘नंबणवणविचरचारिणीओ ष्व अच्छराओ ।’ यानी वे नन्दनवन में विचरण करने वाली अप्सराओ की तरह स्वतंत्र विचरण करने वाली होती हैं ।

महिलाओं का वर्णन क्यों ?—अब प्रश्न यह होता है कि इस सूत्रपाठ में भोगभूमि के केवल पुरुषों का ही वर्णन पर्याप्त था । इन महिलाओं का इतना विशद वर्णन करने का प्रयोजन क्या था ?

इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि यह अब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा है । और उसमे भी अब्रह्मसेवनकर्ताओं के निरूपण का प्रसंग है । अब्रह्मचर्य-सेवन का मूल आधार स्त्री है । यद्यपि स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से अब्रह्मचर्य की निष्पत्ति होती है, तथापि अब्रह्मचर्य-सेवन का पहला और मूल कारण स्त्री है । स्त्री के रूपरंग, हाव-भाव, कटाक्ष, विलास, अंग-विन्यास और

चालढाल को देख कर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े योगियों और त्यागियों का मन भी चलायमान हो जाता है, इसलिए जो कामराग, दृष्टिराग और स्नेह-आसक्तिराग का मूल कारण है ; जिसके राग के बश हो कर ही पुरुष अपने मूल गुणों, ब्रतों और नियमों को भूल जाता है , वह स्त्री ही है ।

यही कारण है कि शास्त्रकार ने भोगभूमि के पुरुषों की स्त्रियों का सागोपाग वर्णन किया है ।

पुनश्च—शास्त्रकार का अगप्रत्यगों के सहित नारियों का वर्णन करने के पीछे एक आशय यह भी हो सकता है कि किसी को यह कहने की गुंजाइश न हो कि भोगभूमि के पुरुषों के पास कामभोगसेवन के लिए स्त्रियाँ नहीं होती या अगोपाग, लावण्य और सौन्दर्य में सर्वोत्तम नारियाँ नहीं होती । इसलिए वं कामभोगों को तरसते-तरसते ही मर जाते हैं । उनके प्रत्येक के पास सुन्दर, सुशील, शान्त और यौवनसम्पन्न सर्वोत्तम स्त्री होती है । फिर भी वे कामभोगों को तरसते-तरसते अतृप्त अवस्था में ही इस लोक से विदा हो जाते हैं । यही तो स्त्री के आकर्षण की विशेषता है । कहा भी है—

‘तिर्यञ्चो मानवा देवाः केचित् कान्तानुचिन्तनम् ।

मरणेऽपि न मुञ्चन्ति, सद्योगं योगिनो यथा ॥’

अर्थात्—‘श्राय सभी तिर्यञ्च, मनुष्य और देव मृत्युशय्या पर पड़े-पड़े अपनी प्रिया के चिन्तन में मग्न रहते हैं । जैसे योगीश्वर अपने मच्चे योग को नहीं छोड़ता, वैसे ही वे मरणोन्मुख अवस्था में भी कामभोग का चिन्तन नहीं छोड़ते ।’

जिस प्रकार पुरुष कामभोगों से तृप्त नहीं होते, वैसे ही स्त्रियाँ भी कामभोगों से तृप्त नहीं होती । उनकी कामवासना भी अतृप्त रहती है । शास्त्रकार ने यहाँ स्त्रियों का वर्णन करके यह बता दिया है कि कर्मभूमि की स्त्रियाँ, जिनके पास इतने सुखसाधन नहीं हैं, या जो रोग, शोक, दुःख दारिद्र्य आदि से ग्रस्त रहती हैं वे तो दूर रही, भोगभूमि की स्त्रियाँ, जिनके पास पर्याप्त सुखसाधन हैं, रोग, शोक आदि से जो कभी पीड़ित नहीं होती, वे भी कामभोगों से अतृप्त दशा में ही इस लोक से विदा होती हैं । इसीलिए अत मे स्पष्ट कहा है—

‘तामोऽपि उवशमति मरणवन्मं अबितस्ता कामाणं ।’

बाकी के सारे सूत्रपाठ का अर्थ पदार्थान्वय एवं मूलार्थ से स्पष्ट है ।

अन्नह्याचरण और उसका दुष्फल

पूर्व सूत्रपाठ में शास्त्रकार अन्नह्याचर्यसेवनकर्ता स्त्री - पुरुषों, देवदेवियों, चक्रवर्तियों, बलदेव-वासुदेवों और मांडलिकों का विशद निरूपण कर चुके । अब इस सूत्रपाठ में ‘अन्नह्याचरण किस-किस तरीके से किया जाता है’ और ‘उसका कितना भयकर फल प्राप्त होता है?’ इन दो बातों (द्वारों) का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

मेहुणसन्नासंपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहि हणंति एकमेकं,
 विसयविसस्स उदीरएसु, अवरे (उदारा) परदारेहि हम्मंति,
 विसुणिया धणानासं सयणविप्पणासं च पाउणंति । परस्स दाराओ
 जे अविरया मेहुणसन्नासंपगिद्धा य मोहभरिया अस्सा, हत्थो,
 गवा य, महिसा, मिगा य मारेंति एकमेकं, मणुयगणा वानरा य
 पक्खी य विरुज्झंति, मित्ताणि खिप्पं भवंति सत्तू, समये धम्मे गणे
 य भिदंति पारदारी, धम्मगुणरया य बंभयारी खरणेण उल्लोट्ठए
 चरित्ताओ, जसमंतो सुव्वया य पावेंति अयसकिंत्ति, रोगत्ता वाहिया
 पवडिडति रोयवाही, दुवे य लोया दुआराहगा भवंति—इहलोए
 चेव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया, तहेव केइ परस्स दारं
 गवेसमाणा गहिया हया य बद्धरुद्धा य एवं जाव गच्छंति विपुल-
 मोहाभिभूयसन्ना । मेहुणमूलं च सुव्वए तत्थ तत्थ वत्तपुव्वा
 संगामा जणक्खयकरा सीयाए दोवईए कए रुप्पिणीए पउमावईए,
 ताराए, कंचणाए, रत्तसुभद्दाए, अहिन्नियाए, सुवन्नगुलियाए,
 किन्नरीए, सुरूवविज्जुमतीए य रोहिणीए य । अन्नेसु य एवमा-
 दिएसु बहवो महिलाकएसु सुव्वंति अइक्कंता संगामा गामधम्म-
 मूला (अबंभसेविणो) इहलोए ताव नट्ठा (विनट्ठकीत्ति)
 परलोए वि य णट्ठा महया मोहतिमिसंधकारे घोरे तसथावर-
 सुहुमबादरेसु पज्जत्तसाहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु य, अंडज-पोतज-
 जराउय-रसज-संसेइम-संमुच्छिम-उभिभय-उववादिएसु य नरग-
 तिरियदेवमाणुसेसु, जरामरणरोगसोगबहुले पल्लिओवमसागरोवमाइं
 अणादीयं अणवदग्गं दोहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियट्ठंति
 जीवा मोहवस(सं)संनिविट्ठा ।

एसो सो अबंभस्स फलविवागो इहलोइओ पारलोइओ य

अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भओ बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो
असाओ वाससहस्सेहिं न मुच्चति, न य अवेदइत्ता अत्थि हु
मोक्खोत्ति, एवमाहंमु नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवर-
नामधेज्जो, कहेसी य अबंभस्स फलविवागं, एयं तं अबंभंपि चउत्थं
सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्जं एवं चिरपरिचियमणुगयं
दुरंतं चउत्थं अधम्मदारं समत्तं त्ति बेमि ॥४॥ (सू० १६)

संस्कृतच्छाया

मैथुनसंज्ञासंप्रगृह्याश्च मोहभृताः शस्त्रैर्घ्नन्ति अन्योऽन्यम्, विषय-
विषय उदीरकेषु (उदारा) अपरे परदारैः. (परदारेषु प्रवृत्ताः) हन्यन्ते, विभृता
घननाशं च प्राप्नुवन्ति, परस्य दारेभ्यो ये अविरताः मैथुनसंज्ञासम्प्रगृह्या
(संप्रगृह्याः) च मोहभृता अश्वा, गजाः, गावो, महिष्यः, मृगाश्च मारयन्ति
परस्परम् । मनुजगणा बानराश्च पक्षिणश्च विरुध्यन्ते, मित्राणि क्षिप्रं
भवन्ति शत्रवः । समयान्, धर्मान्, गणान् च भिदन्ति परदारणः । धर्मगुण-
रताश्च ब्रह्मचारिणः क्षणेन अपवर्तन्ते चारित्र्यात् । यशस्वन्त सुव्रताश्च प्राप्नु-
वन्ति अयशःकीर्तिम् । रोगार्ताः, व्याधिताः प्रबद्धयन्ति रोगव्याधीन् । द्वावपि
लोकौ दुराराधकौ भवतः, इहलोके चैव परलोके परस्य दारेभ्यो ये अविरताः ।
तथैव केचिद् परस्य दारान् गवेषयन्तो गृहीताः हताश्च बद्धरुद्धाश्च एवं
यावद् गच्छन्ति विपुलमोहाभिभूतसंज्ञाः । मैथुनमूलं च श्रूयन्ते तत्र-तत्र वृत्त-
पूर्वाः संप्रामाः जनअयकराः, सीताया द्रौपद्याः कृते रुक्मिण्याः पद्मावत्या-
स्तारायाः कांचनायाः रक्तसुभद्रायाः अहिल्यायाः सुवर्णगुलिकायाः किन्नर्याः
सुरुपविद्युन्मत्या रोहिण्याश्च । अन्येषु चैवमादिकेषु बहवो महिलाकृतेषु श्रूयन्ते
अतिकान्ताः संप्रामाः ग्रामधर्ममूलाः । अब्रह्मसेविनः इह लोके तावन्नष्टा
(इहलोकेऽपि नष्टकीर्तिः) परलोकेऽपि च नष्टाः महति महामोहतिमिच्छान्धकारे
घोरे त्रसस्थाबरसूक्ष्मबाहरेषु पर्याप्ताऽपर्याप्तसाधारणशरीरप्रत्येक-शरीरेषु च
अंडजपोतजजरायुजरसजसंस्वेदिमोद्भिज्जौपपातिकेषु च नरकतिर्यग्देवमानुषेषु
जराभरणरोगशोकबहुले पत्योपमसांगरोपमाप्यनादिकमनवदप्रं दीर्घाढं
(बीर्घाढं) चातुरन्तसंसारकान्तारमनुपरिवर्तन्ते जीवाः मोहवशसंनिविष्टाः ।

एष स अब्रह्मणः कलविपाकः, इहलौकिकः पारलौकिकश्च अल्पसुखः,

बहुदुःखः, महद्भयः, बहुरजःसंप्रगाढो, दाहणः, कर्कशः, असातः, वर्षसहस्रं र्मुच्यते, न च अवेद्यित्वा अस्ति खलु मोक्षः, इति एवम् आख्यातवान् ज्ञात-
शून्यनन्दो महात्मा जिनस्तु श्रीवरनामघोषो, अशोकथत् च अन्नह्यणः
कलविपाकम् एतम् तम्, अन्नह्य अपि चतुर्थं सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य
प्रार्थनीयम् एवं चिरपरिचितम् अनुगतम् वुरन्तम् । चतुर्थं अधर्मद्वारं
समाप्तम्, इति ब्रवीमि ॥४॥ (सू० १६)

पदार्थान्वय—(मेहुणसन्नासंपगिद्धा) मंथुनसेवन करने की संज्ञा—वासना में
अत्यन्त आसक्त (य) और (मोहभरिया) अज्ञान—मूढ़ता या मोह—कामवासना से
भरे हुए (एकमेवकं) परस्पर एक दूसरे को (सत्येहिं) शस्त्रों से (हर्षति) मारते हैं ।
(अधरे) दूसरे कई लोग (विसयविसस्त उवीरएसु परदारेसु) शब्दादिविषयकपी विष
को उदीरणा करने वाली—बढ़ाने वाली—पराई स्त्रियों में प्रवृत्त हुए अथवा (विसय-
विस - उवारा परदारेसु) विषयकपी विष के वशीभूत अर्थात् अत्यन्त तीव्र होकर
परस्त्रियों में प्रवृत्त हुए (हर्षति) दूसरों द्वारा मारे जाते हैं । (विसुषिया) प्रसिद्ध हो
जाने पर (घणनासं) धन का नाश (य) और (सयणविष्यणासं) अपने कुटुम्ब का नाश
(पाउणति) पाते हैं । (परस्त वाराओ) दूसरे की स्त्रियों से (जे अशिरया) जो विरक्त
नहीं हैं, वे (य) और मेहुणसन्नासंपगिद्धा) मंथुन सेवन करने की संज्ञा—वासना में
अत्यन्त आसक्त, (मोहभरिया) मूढ़ता या मोह से परिपूर्ण (अस्सा हत्पी गवा
य महिसा य मिगा) घोड़े, हाथी, बंल, भैंसे और भूग या जंगली जानवर (एकमेवकं)
परस्पर लड़ कर एक दूसरे को (मारति) मार डालते हैं, (मणुयणा) मानवगण,
(य) तथा (वानरा) बंदर (य) और (पच्छी) पक्षीगण (विद्वंति) मंथुनवश पर-
स्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं । (मिताणि) मित्र, (क्षिप्यं) शीघ्र ही, (सत्तु)
शत्रु (भवति) हो जाते हैं । (परवारी) परस्त्रीगामी (सभये,घम्मे, य गणे) सिद्धान्तों या
शपथों का, धर्माचरण का—सत्य-अहिंसादि धर्म का, और गण—समान विचार-
आचार वाले मानवसमूह का—समाज का, या समाज की अर्थादाओं का (निवति) जंग
कर डालते हैं—तोड़ देते हैं । (य) तथा (घम्मणुगरया) धर्म और गुणों में रत
(बंभयारी) ब्रह्मचर्यपराधन व्यक्ति, मंथुनसंज्ञा के वशीभूत हो जाने पर (सनेण)
अधर में (अरिसाओ) अरि संघ से (उस्तोदुठए) गिर जाते हैं—जड़ हो जाते
हैं । (असमंतो य सुब्बया) दशस्त्री तथा भलीभाँति ज्ञत के पालन करने वाले मनुष्य
(अयसकिंति पागेति) अथवा और अयकीति को पाते हैं । (रोणसा वाहिया) अरिदि

रोगों से पीड़ित तथा कोढ़ आदि व्याधियों से दुःखी मानव कामसेवन की तीव्रवासना के कारण (रोगवाही) रोग और व्याधि को (पवङ्गति) और ज्यादा बढ़ाते हैं । (जे) जो प्राणी (परस्स बाराओ) दूसरे की स्त्रियों से (अविरया) बिरत नहीं हैं, या त्याग नहीं किया है, वे (हुवे य लोया) दोनों लोकों में (इहलोए जेव परलोए) इस लोक में तथा परलोक में (हुआराहगा) दुःख से अराधक—आराधना करने वाले—(भगति) होते हैं । (तहेव) इसी प्रकार (केई) कई लोग (परस्स) पराई (बारं) स्त्रियों की (गवेसमाणा) फिराक—तलाश में रहने वाले (गहिया) पकड़े जाते हैं, (य) और (हया) पीटे जाते हैं, (य) तथा (बडपडा) बांधे जाते हैं और जेल में बन्द कर दिये जाते हैं । (एवं) इस प्रकार (विपुलमोहाभिभूयसन्ना) तीव्र मोह से या मोहनीय कर्म के उदय से उनकी सबुद्धि भारी जाती है, वे (एवं गच्छंति जाव) इस प्रकार वे नीची गति में जाते हैं । यह तृतीय अध्ययन के पाठ तक समझ लेना चाहिए ।

(य) तथा (मेहुणमूलं) मंथनसेवन करने के निमित्त (तदथ-तदथ) उन-उन शास्त्रों में (सीयाए, बोवाईए कए वप्पिणीए, पडमावाईए, ताराए, कंचणाए, रत्त-सुभङ्गाए, अहिन्नि(ल्लि)याए, सुवन्नगुलियाए, किन्नरीए, सुख्वाविञ्जुमतीए य रोहिणीए) सीता के लिए, द्रौपदी के लिए, वकिमणी के लिए, पद्मावती के लिए, तारा के लिए, कांचना के लिए, रत्तसुभद्रा के लिए, अहिल्या के लिए, स्वर्णगुटिका के लिए, किन्नरी के लिए, सुरूपविष्णुमती के लिए और रोहिणी के लिए, (वत्तपुञ्जा) पूर्वकाल में हुए (जयवत्सयकरा) मनुष्यों का संहार करने वाले (संगामा) युद्ध (सुब्बए) सुने जाते हैं । (य) और (एवमादिकेसु अन्नसु महिलाकएसु गामधम्ममूला बहवो अइक्कंता संगामा) ये और इस प्रकार की अन्य स्त्रियों के लिए इन्धियविषयों के निमित्त भूतकाल में हुए बहुत-से संग्राम (सुब्बंति) सुने जाते हैं । (अवभसेविणो) मंथनसेवन करने वाले जीव (इहलोए ताव नट्ठा) इस लोक में तो बबनामी आदि होने के कारण नष्ट हो ही जाते हैं, (परलोए वि य नट्ठा) परलोक में भी नष्ट होते हैं । (तसथावरसुहुमवायरेसु) त्रस, स्थावर, सूक्ष्म या बाबर जीवों में, (य) तथा (पञ्जसम-पञ्जससाहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु) पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारण और प्रत्येकसरीरी जीवों में (य) और (अब्बजपोतजजराउयरसजसंसेइमउग्गिभवउववाडिएसु) अब्बज, पोतज, जरायुज, रसज, (रस में जन्म लेने वाले), संस्वेदिम—पत्तीने से पैदा होने वाले, उब्भिज्ज और औपपासिक जीवों में, ऐसे (नरगतिरियवेवमाणुसेसु) नरक, तिर्यक, देव और मनुष्यगति के जीवों में (जरामरजरोगसोगबहुले) बुढ़ापा, मृत्यु, रोग

और शोक से भरे हुए (महया मोहतिमितंशकारे) महामोहकपी घोर अंधकार वाले (घोरे) भयंकर (परलोए वि) परलोक में दूसरे जन्म में भी, (पलिभोवमसागरोवमाह) पत्थोपम और कभी-कभी सागरोपम काल तक (नदृठा) नष्ट होते हैं— बर्बाद हो जाते हैं—दुःख पाते हैं। तथा (अणावीर्यं) अनादि (अणववर्गं) अनन्त (वीहमद्वं) दीर्घकाल तक या लम्बे मार्ग वाले, (चाउरंत-संसारकंतारं) बार गति वाली संसाररूपी अटवी में (अणुपरिवृत्ति) बार-बार लगातार परिभ्रमण करते रहते हैं।

(एसो) यह (सो) वह पूर्वोक्त (अबंभस्स फलविवागो) अन्नह्यचर्य का फलभोग (इहलोइओ) इस लोकसम्बन्धी (य) तथा (पारलोइओ) परलोक-सम्बन्धी (अप्पसुहो बहुवुखो) थोड़े सुख और अधिक दुःख वाला (महम्मओ) महाभयानक (बहुरथप्प-गाढो) बहुत ही गाढ़ कर्मरज का बंध करने वाला (वाएणो) घोर (कक्कसो) कठोर (असाओ) असातारूप है। (वाससहस्सेहं) और यह हजारों वर्षों में जा कर (मुच्चइ) छूटता है। (य) और (अवेइइत्ता) बिना भोगे (मोक्खो) मोक्ष छुटका— (ह न अत्थि) निश्चय ही नहीं होता।

(एवं) इस प्रकार (नायकुलनंबणो) ज्ञातकुल के नन्दन—ज्ञातकुल को समुद्ध करने वाले, (वीरवरनामधेज्जो महप्पा जिणो उ), महावीर नाम के महात्मा जिनेन्द्र— तीर्थंकर ने (आहंसु) कहा है। (य) तथा (एयं तं) पूर्वोक्त इस (अबंभस्स) मंथुनसेवन-रूप अन्नह्यचरण के (फलविवागं) फल के अनुभव को भी (कहेसी) बताया है। (एवं) इस प्रकार (तं) पूर्वोक्त वह (अउत्थं अबंभं वि) चौथा आश्रय—अन्नह्य भी (सवेवमवु-यासुरस्स लोगस्स) देवता, मनुष्य और असुरसहित सम्पूर्ण लोक के जीवों से (पत्थणिज्जं) प्रार्थनीय—वांछित है। (एवं) इस तरह (चिरपरिचियं) चिरकाल से अभ्यस्त—परिचित, (अणुगयं) परम्परा से लगातार साथ जाने वाला, (पुरंतं) अन्त में दुःखप्रव या कष्ट से अन्त होने वाला, (अउत्थं) चौथा, (अहम्मदारं) अघमंदार (समसत्) समाप्त हुआ। (इति) ऐसा (वेमि) मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—मैथुनसेवन करने की वासना में अत्यन्त आसक्त और मोह-मूढ़ता से भरे हुए लोग आपस में एक दूसरे को हृथियारों से मारते हैं और शब्दादि—विषयरूपी विष को उत्तेजित करने वाली परस्त्रियों में अत्यन्त तीव्रता से प्रवृत्त हुए कई लोग दूसरों द्वारा भी मारे जाते हैं। प्रसिद्ध हो

जाने पर उन्हें अपने घन के नाश और कुटुम्ब का सर्वनाश ही मिलता है । इस प्रकार जो दूसरे की स्त्रियो के सेवन से विरक्त नहें है, वे मैथुनसेवन की लालसा में अत्यन्त आसक्त एवं मूढता मोह से परिपूर्ण घोड़े, हाथी, बैल, भैंसे एवं मृग—जंगली पशु परस्पर लड कर एक दूसरे को मारते हैं, तथा मनुष्य, बदर और पक्षीगण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, मित्र भी भ्रष्टपट शत्रु बन जाते हैं । परस्त्रीगामो अपने सिद्धान्तो या शपथों अथवा वादो का, धर्माचरण का या अहिंसा-सत्यादि धर्म का और गण-समाज यानी समान आचार-विचार वाले जनसमूह का या समाज की मर्यादाओ का भंग कर डालते है—तोड़ देते है । तथा धर्म और गुणो में रत ब्रह्मचारी व्यक्ति भी मैथुनसंज्ञा के वशीभूत हो जाने पर क्षणभर मे पतित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित—यशस्वी तथा व्रतो का भलीभाति पालन करने वाले व्यक्ति भी अपयश और अपकीर्ति पाते हैं । ज्वरादिरोग से पीड़ित और कुष्ठ आदि व्याधियो से ग्रस्त मानव कामसेवन की तीव्र लालसा के कारण अपने रोगो और व्याधियो को और ज्यादा बढ़ाते है । जो प्राणां पराई स्त्रियो के सवन से अवरित है—विरक्त नही है, वे अपने इहलोक और परलोक—दोनां लोक बिगाड़ लेते है—उभय लोक मे मुश्किल से आराधक बनते है । इसो प्रकार जो ब्यक्ति पराई स्त्रियो की तलाशमे ही रात-दिन लगे रहते है, वे गिरफ्तार किये जाते हैं, मारे-पीटे जाते है, रस्सी आदि बंधनां से बाधे जाते हैं और जेल मे बंद किये जाते हैं । इस तरह तीव्रमोहनीय कर्म के उदय से उनका सदबुद्धि मारी जाती है । यो वे अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप नरक आदि नाची गति मे जाते हैं । तृतीय अध्ययन का यहाँ तक का ११४ इससे सम्बन्धित मान लेना चाहिए ।

तथा मैथुनसेवन के निमित्त से अनेक शास्त्रो मे सीता के लिए द्रौपदी के लिए, रुक्मिणी के लिए, पद्मावती के लिए, तारा के लिए, काचना के लिए, रक्तसुभद्रा के लिए, अहिल्या के लिए, सुवर्णगुटिका के लिए, किन्नरी के लिए, सुरूपविद्युन्मती के लिए और रोहिणी के लिए पूर्वकाल मे जनसह्यारक अनेक संग्राम होने के वर्णन सुने जाते है । इसी प्रकार अन्य स्त्रियो के लिए इन्द्रियविषयो के सेवन के निमित्त भूतकाल मे हुए बहुत से संग्राम सुने जाते हैं । मैथुनसेवन करने वाले जीव इस लोक में भी परस्त्रीसेवन के कारण कलंकित हो कर नष्ट—भ्रष्ट हुए है, परलोक में भी वे विनष्ट हुए है—दुर्गतिगामी

बने हैं। महामोहान्धकार वाले तथा बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और शोक से भरे हुए घोर परलोक में भी वे त्रस, स्यावर, सूक्ष्म और बादर जीवों में ; पर्याप्त, अपर्याप्त, साधारणशरीरी और प्रत्येक शरीरी जीवों में और अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, मंस्वेदिम (पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव) उद्भिज्ज और औपपातिक जन्म वाले ऐसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के जीवों में, पल्योपम और सागरोपम काल तक दुःख पाते हैं। मोह या मोहनीय कर्म से ग्रस्त जीव अनादि-अनन्त दीर्घकाल वाली या लंबे मार्ग वाली चतुर्गति रूप भयानक संसार-अटवी में भ्रमण करते हैं।

यह पूर्वोक्त अब्रह्मचरण से उत्पन्न कर्मों के फलविपाक-फल का भोग इस लोक में तथा परलोक में अल्पसुख और बहुत दुःख देने वाला है। यह महाभयानक है और गाढ कर्मरज के बधनका कारण है। यह दारुण, कठोर और असाताजनक है। यह हजारों वर्षों में जा कर छूटता है। इसे भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर जिनेन्द्र ने कहा है। वैसे ही इस पूर्वोक्त अब्रह्मसेवन के फलविपाक का वर्णन किया है। यह पूर्वोक्त अब्रह्म (मैथुन) भी देव, मनुष्य और असुरसहित समस्त सासारिक जीवों द्वारा प्रार्थनीय—अभीष्ट है। इसी तरह यह चिरकाल से अभ्यस्त है। अनादिकाल से जीवों के साथ निरन्तर सम्बद्ध है, अन्त में दुःख-दायी है, या दुःख से इसका अन्त होता है। यह चतुर्थ अधर्मद्वार समाप्त हुआ। ऐसा मैं (शास्त्रकार) कहता हूँ।

व्याख्या

शास्त्रकार ने पूर्व सूत्रपाठों में क्रमशः अब्रह्म के पर्यायवाची नामों का तथा अब्रह्म के स्वरूप और अब्रह्मसेवनकर्त्ताओं का निरूपण करने के बाद इस अन्तिम सूत्रपाठ में अब्रह्मसेवन के निमित्तों और उसके दुष्फलभोगों का सयुक्तरूप से वर्णन किया है। यद्यपि वर्णन स्पष्ट है, तथापि कुछ पदों पर तथा बीच-बीच में दिये गए दृष्टान्तों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अतः नीचे हम कुछ बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं—

मेहुणसन्नासंपिगिद्धा—कामवासना खुजली की तरह बड़ी मीठी लगती है। परन्तु खुजली को बारबार खुजलाने पर उस स्थान पर घाव हो जाता है और वहाँ खून टपकने लगता है। इसी प्रकार कामवासना की खुजली को भी बार-बार खुजलाने से

आपस में सघर्ष पैदा होता है। एक ही स्त्री पर आसक्त कई कामी लोगों में परस्पर लाठियों, भालों, डंडों एवं तलवार आदि शस्त्रों से लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई अहाँ होती है, वहाँ परस्पर वैरभावना की आग बढ़ती जाती है और वह सारे परिवार का, धन-सम्पत्ति का और कुल की प्रतिष्ठा एवं चारित्र्य का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए शास्त्रकार ने इस सर्वनाश का सर्वप्रथम कारण मैथुनसंज्ञा में अत्यन्त आसक्त जीवों को बताया है, फिर वे चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु-पक्षी हों। निष्कर्ष यह है कि 'मैथुनसंज्ञा' ही मनुष्य को अपने आपका, परिवार का, धन-सम्पत्ति का और कुलप्रतिष्ठा एवं चारित्र्यका भान भूला देती है।

मैथुनसंज्ञा और उसका अर्थ—ससार के समस्त प्राणियों को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की चार संज्ञाओं ने बुरी तरह घेर रखा है। उनमें से मैथुन की संज्ञा बड़ी भयकर होती है और वह होती है नोकषायरूप चारित्र्यमोहनीय कर्म के एक भेद—वेदकर्म के उदय से। साथ ही उसका उदय नीचे अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान के सवेदभाग तक रहता है। अतः मैथुनसंज्ञा का अस्तित्व सवेदभाग के अनिवृत्तिगुणस्थानवर्ती मुनि तक में माना गया है। लेकिन रतिक्रीडा इत्यादि के रूप में मैथुनसेवनरूप उसका कार्य पाचवे गुणस्थान तक ही होता है। इससे आगे छठे गुणस्थान से ले कर आगे के सभी गुणस्थानों में मैथुनसंज्ञा का कार्य नहीं होता।

मैथुनसंज्ञा किन-किन कारणों से पैदा होती है ? इसके लिए एक आचार्य कहते हैं—

**'पणीवरसभोयणेण य तस्सुवज्जोगे कुसीलसेवाए ।
वेदस्सोदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ॥'**

अर्थात्—'इन्द्रियों में दर्प उत्पन्न करने वाले स्वादिष्ट या गरिष्ठ रसीले भोजन के करने से, पहले सेवन किये हुए विषयभोगों का स्मरण करने से, कुशीलसेवन करने से और मोहनीयकर्मजनित वेद की तीव्र उदीरणा-उत्तेजना या तीव्र कर्मोदय होने से मैथुनसंज्ञा उत्पन्न होती है।'

उपर्युक्त गाथा के द्वारा मैथुनसंज्ञा के अन्तरग और बहिरग कारणों का साफतौर से पता लग जाता है।

प्रश्न होता है कि यहाँ मैथुनशब्द के आगे 'संज्ञा' शब्द का क्या प्रयोजन है ; क्योंकि मैथुनशब्द का अर्थ ही अन्नह्यसेवन होता है, फिर संज्ञा-शब्द के लगाने का

१—इन चारों संज्ञाओं का विस्तृतस्वरूप जानने के लिए जैनशास्त्रों तथा जैनग्रन्थों का अवलोकन करें।
—संपादक

क्या अर्थ रह जाता है ? इसका उत्तर 'सज्ञा' शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होने से हो जायगा। संस्कृतभाषा में 'सज्ञा' शब्द के कई अर्थ हैं। इस सम्बन्ध में मेदिनीकोष का निम्नोक्त प्रमाण प्रस्तुत है —

'सज्ञा नामनि गायत्र्यां, चेतनारवियोषितोः ।

अर्थस्य सूचनायां च, हस्ताद्यंरपि योषिति ॥'

अर्थात्—'स्त्रीलिंगवाची सज्ञा शब्द का प्रयोग नाम, गायत्री, चेतना (होश में जाना-बाहोशी), सूर्य की स्त्री, हाथ आदि से किसी बात के लिए संकेत करना, इत्यादि अर्थों में होता है। परन्तु यहाँ सज्ञा शब्द न तो किसी के नाम के अर्थ में है, न गायत्री अर्थ में, न सूर्यपत्नी के अर्थ में और न संकेत करने के अर्थ में है। यहाँ सीधेतौर पर सज्ञा शब्द चेतना-अर्थ में भी प्रतीत नहीं होता। वास्तव में जैनदर्शन में सज्ञा-शब्द पारिभाषिक है, और वह दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो मन के व्यापाररूप अर्थ में सज्ञाशब्द का प्रयोग होता है। जैसे— सज्ञी और असज्ञी जीव। यहाँ सज्ञी का मतलब है मन के व्यापार—सज्ञा वाला जीव। दूसरा सज्ञा-शब्द वासना या अभिलाषा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ मयुनशब्द के साथ सज्ञाशब्द लचाने से प्रसंगवश कामसेवन की अभिलाषा या वासना अर्थ ही सगत लगता है।

केवल मयुन-शब्द के रहने से तो पाचवे गुणस्थान तक रहने वाली मयुनक्रिया का ही बोध होता। लेकिन मयुन की वासना या अभिलाषा अव्यक्त रूप से तो नीवें गुणस्थान तक रहती है। इसलिए इस बात को द्योतित करने के लिए ही शास्त्रकार ने मयुन-शब्द के साथ सज्ञाशब्द जोड़ा है। यही कारण है कि आगे चल कर शास्त्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि - 'धम्मगुणरया य बभयारी क्षणेण उल्लोहुए चरिस्ताओ।' अर्थात्— मयुनसज्ञा के बढ जाने पर अहिंसा-सत्यादि चारित्रधर्म और सद्गुणों में रत और ब्रह्मचर्यनिष्ठ मुनि, साधु, सन्यासी और योगी भी क्षणभर में चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ मयुनसज्ञा को सर्वनाश का सर्वप्रथम कारण बताया है।

इसके अतिरिक्त शास्त्रकार ने इसी सूत्रपाठ में आगे चल कर जिन भयंकर अनर्थों— परस्पर शस्त्राघात, मारपीट, जीवनाश, युद्ध और सघर्ष आदि का वर्णन किया है; उन सब अनर्थों की खान मयुनसज्ञा ही है। इसलिए 'भेत्तुचसम्मासंपगिद्धा' शब्द से शास्त्रकार का एक तात्पर्य यह भी मालूम होता है कि मयुनसज्ञा में आसक्ति रखने वाले जीवों की दशा को जान कर मयुनसज्ञा के कारणों से संभ्रान्त व्यक्त बचा रह सकता है। चूँकि मयुनसज्ञा से इस जन्म और परजन्म में आत्मा का अहित होता है, अतः उससे बचना ही श्रेयस्कर है।

मोहपरिया'—अन्नह्यचर्य में प्रवृत्त होने वाले जीवों के लिए दूसरा कारण बन जाता है—'मोह'। यह मोह ही है, जो मनुष्य को विवेकान्ध बना देता है, हिताहित का भान भुला देता है; जो मनुष्य के ज्ञानचक्षुओं पर पर्दा डाल देता है। मोह से

मूर्खता, जड़ता, अज्ञानता और विवेकविकलता पैदा होती है। मनुष्य अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने के बदले दुरुपयोग कर बैठता है। मैथुनसज्ञा भी मोहनीयकर्म के तीव्र उदय से होती है। दर्शनमोहनीय देव, गुरु, धर्म और आत्मा के गुणों पर श्रद्धा नहीं अमने देता, वह सम्यक् विश्वास को उखाड़ फेंकता है। और चारित्र्य-मोहनीय आत्मा में चारित्र्य के गुणों को उत्पन्न नहीं होने देता, वह चारित्र्य का पालन करने में बाधक बनता है। त्याग, प्रत्याख्यान, असयम से विरति, सयम में पराक्रम आदि समस्त चारित्र्यगुणों का वह नाश कर देता है। चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से जीव पापक्रियाओं को सुखदायी समझ कर उनमें अधिकाधिक प्रवृत्त होता जाता है। इसीलिए शास्त्रकार ने सकेत किया है कि मोह से ग्रस्त हुए जीव इस लोक में सदा भयोत्पादक, शरीर को सत्त्वहीन व क्षीण बना देने वाले और मन को सदा उद्विग्न तथा विक्षुब्ध बना देने वाले मैथुन का सेवन बेछटके करते हैं।

सत्स्येहि हर्णाति एकमेवकं' इस वाक्य में कामीपुरुषों की दशा का वर्णन किया गया है। मोहान्ध कामीजन क्षणिक विषयतृप्ति के लिए परस्पर एक दूसरे को प्राणरहित कर देते हैं। कहा भी है—

‘मद्-क्त्वा भाविमवांश्च भोगिविद्यमान् भोगान् बुभुक्षुर् भृशम् ।
मृत्वाऽपि स्वयमस्तभौतिकरुषः सर्वान् जिघांसुमुग्धा ॥
यद्यत्साधुविर्गाहितं हतमिति तस्यैव धिक् कामुकः ।
कामक्रोधमहाप्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याञ्जनः ॥’

अर्थात्—कामी पुरुष पापों से निर्भय एवं जीवदया से रहित हो कर अपने भावी जन्मों को बिगाड़ देता है; तथा अपने प्राणों को खो कर भी काले नाग के समान भयकर भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा करता है। जिस मैथुन आदि कुकृत्य को सत्पुरुषों ने निन्दित माना है—आत्मा से दूर किया है, धिक्कारा है, उसी की कामना करने वाला पुरुष काम और क्रोधरूपी महाप्रहो से ग्रस्त हुआ नया-नया दुष्कर्म नहीं कर डालता? अर्थात् कामी पुरुष सभी पापकर्मों में बेछटके प्रवृत्त होते हैं।

मतलब यह है कि कामवासना में अन्धा हो कर मनुष्य अन्नह्यार्चय के साथ-साथ हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और मोह, मद आदि अनेक पापों के करने से नहीं हिचकिचाता। सत्पुरुषों की बात उसके गले नहीं उतरती। इसीलिए कामी पुरुष असहिष्णु और आवेशयुक्त हो कर एक दूसरे को शस्त्र से मार डालते हैं।

‘विसयविसस्स जदीरएणु अचरे परबारेहि हम्मंसि’—कुछ लोग, जो विषयरूपी विष को उत्तेजित करने वाली-बढावा देने वाली परस्त्रियो में प्रवृत्त होते हैं; दूसरों द्वारा मार डाले जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो विषयों को जन्म देने वाली एवं उत्तेजित करने वाली तो मनुष्य की कामुक मनोवृत्ति—मैथुनसज्ञा होती है; लेकिन

उनकी उस कामवासना को भड़काने में प्रबल निमित्त बनती है—स्त्री ! गृहस्थजीवन में अणुव्रती श्रावक, जिसने स्वदारसतोष-परदारविरमणव्रत ग्रहण किया है, वह अपनी विवाहिता स्त्री के साथ कामभोग-सेवन करता है, उसके लिए वह लोगों के लिए निन्दा या धृगा का पात्र नहीं बनता और न कोई व्यक्ति उसे मारपीट सकता है; लेकिन परस्त्री के साथ तो तभी व्यक्ति की काम-प्रवृत्ति होती है, जब उसकी वासना अत्यन्त भड़क उठती है। और ऐसा व्यक्ति जनता की दृष्टि में निन्दित, अपमानित माना जाता है, कोई न कोई व्यक्ति अथवा स्वयं उस स्त्री का पति ही उसे मार डालता है।

‘विसुणिया धननासं, सयणविष्यणासं च पाउणंति’—इतना ही नहीं, जो पुरुष परस्त्रीगामी हो, साथ ही अपनी जाति, समाज या राष्ट्र में प्रसिद्ध भी हो, वे अपने प्राणों से ही हाथ नहीं धो बैठते, अपितु अपने धन को भी (अपने उस कलक को छिपाने या ऐब को दवाने के लिए) स्वाहा कर देते हैं अथवा अपने उस महापाप के कारण सारे परिवार के प्राणों को सकट में डाल देते हैं। रावण आदि परस्त्री-सगकामी दुरात्मा अपने परिवार का विनाश कराने में कारण हुए हैं।

‘परस्स बाराओ ...अस्सी हृषी गवा य महिसा भिया य मारंति एककनेवकं’—केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुपक्षियों में भी यह देखा जाता है कि अपनी प्रिया मादा के साथ दूसरा नर पशु या पक्षी प्रेम करने लगता है तो वे परस्पर लड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। घोड़ों, हाथियों, साड़ों, भैंसों, बंदरों या हिरण आदि पशुओं एवं पक्षियों में यह मनोवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी प्रेमिका मादा के साथ दूसरे नरपशु को बैठे या कामक्रीडा करते देखते हैं तो उसे सह नहीं सकते हैं। वे मौका देख कर अपने प्रतिद्वन्द्वी को मार डालते हैं। कई मनुष्य, बंदर या पक्षी अपनी प्रेमिका के साथ किसी नर-पशु या पक्षी को देखते ही परस्पर लड़ने लगते हैं। अच्छे से अच्छे गाढ या जिगरी दोस्त भी जब अपने दोस्त को परस्त्रीगमन करते देखते हैं, तो वे मित्रता छोड़ देते हैं, परस्पर शत्रुता धारण कर लेते हैं।

समये, धम्मे, गणे य सिंहांति पारवारी’—परस्त्रीगामी मनुष्य का कोई धर्मकर्म नहीं होता। वह अभक्ष्य चीजों को भक्षण करने या अपेयवस्तुओं को पीने के लिए तैयार हो जाता है, अपने समाज को भी तिलाजलि दे बैठता है। वह समाज की मर्यादाओं को भी तोड़ देता है। समान आचारविचारों का जनसमूह गण कहलाता है। वह गण आसानी से धर्ममर्यादाओं के पालन करने के लिए जिन आचारविचारों या धर्मों—नियमों, व्रतों की मर्यादा बांधता है, उसे भी परदारसेवी बेखटके तोड़ डालता है। वह सिद्धान्तों को ताक में रख देता है, अपने स्वीकृत शपथों को भी भंग कर देता है। उसका कोई भरोसा नहीं करता।

आशय यह है कि जो पहले सिद्धान्तवादी था, जिसकी बात को लोग पत्थर की लकीर मानते थे, वह परस्त्री के चक्कर में जब पड़ जाता है तो सिद्धान्त आदि से भ्रष्ट हो जाता है। कहा भी है—

‘धर्मं शीलं कुलाचारं शौर्यं स्नेहं च मानवः।

साधयेव ह्यपेक्ष्यन्ते यावन्न स्त्रीवशो भवेत् ॥’

अर्थात्—‘मनुष्य तब तक ही धर्म, शील, कुलाचार, शौर्य, जाति, कुल और स्नेह की अपेक्षा करता है, जब तक वह किसी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ जाता।’ बहुधा किसी सुन्दरी के मोह में पड़ने वाले धर्म, सदाचार, कुल की नीति-रीति, सिद्धान्त, स्नेह, जाति और समाज के साथ मम्बन्ध आदि सबको एक झटके में तोड़ फेंकते हैं। ऐसे लोग अपने उस ऐव या दोष को क्रान्ति के नाम से छिपाते हैं, समाज में क्रान्तिकारी के नाम से वे अपने को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में, ऐसा कामुक व्यक्ति खुद तो बिगड़ता है ही, अपने परिवार को भी बिगाड़ता है, समाज में भी गलत सस्कारों का चेप छोड़ जाता है।

‘धम्मगुणरया य बंभचारी खणेण उल्लोद्धए चरिस्ताओ’—बड़े-बड़े तपस्वी, धर्मात्मा, गुणवान और ब्रह्मचारी भी स्त्री के सम्पर्क, आसक्तिमय ससर्ग और जाल में फँस कर अपने सुन्दर चरित्र से भ्रष्ट या पतित हो जाते हैं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या? कहा भी है—

‘श्लथसद्भाषना - धर्माः, स्त्रीविलासशिलीमुसं.।

मुनिर्योद्धा हतोऽयस्ताग्निपतेच्छीलकुंजरात् ॥’

अर्थात्—‘कर्मशत्रुओं के साथ युद्ध करने वाला धर्मयोद्धा मुनिवर भी स्त्रियों के हावभाव और लीलारूपी बाणों से घायल होकर श्रेष्ठ भावनारूप अपने धर्म से शिथिल हो जाता है और ब्रह्मचर्यरूपी हाथी से नीचे गिर जाता है।’ वास्तव में स्त्री ससर्ग ही मोहवृद्धि का कारण होता है और उससे कामवासना अकुरित होती है, जो अत्यधिक आसक्ति से फलती-फूलती है। रथनेमि जैसे त्यागी साधु भी एकान्त में सती राजीमती का रूप-लावण्य देख कर अपने सयम से चलायमान हो गए थे, मुनिश्रेष्ठ स्थूलभद्र के युवभ्राता कोशावेश्या पर मोहित होकर अपने सयम से पतित होने को उद्यत हो गए थे। जब इतने महान् सयमी भी स्त्री के जरा-से सम्पर्क से डोल गए, और अपने धर्म को तिलाजलि देने के लिए तैयार हो गए, तब भला, सामान्य व्यक्तियों का तो कहना ही क्या?

‘जसन्तो पार्वेति अयसर्कितं, रोगस्ता वाहिवा पर्वाड्भति रोयवाही’—
बड़े-बड़े यशस्वी व्यक्ति, जिनकी दूर-दूर तक कीर्ति फैली हुई होती है, जो उत्तम व्रतधारी

हैं, वे भी स्त्री के प्रेमपाश में पड़ कर घोर अपयश, बदनामी और अपकीर्ति की कालिख अपने मुँह पर पोत लेते हैं। कहा भी है—

‘अपकीर्तिकारणं योषित् योषित् वैरस्य कारणम् ।

संसारकारणं योषित्, योषितं बर्जयेन्नरः ॥’

अर्थात्—स्त्री अपकीर्ति का कारण है, वैर का कारण है, इसी तरह नारी संसारवृद्धि का कारण भी है, अतः मनुष्य को स्त्री संसर्ग से दूर रहना चाहिए ।

संसार में उत्तम कार्यों के करने से मनुष्य की कीर्ति, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ती है। ऐसा मनुष्य प्रशंसापात्र, सम्माननीय और सर्वमान्य बनता है; परन्तु जब मनुष्य कामवासना में अन्धा होकर किसी स्त्री के जाल में फँस जाता है तो वह लोगो की हृष्टि में गिर जाता है। लोग उसे नफरत की निगाहो से देखने लगते हैं। उसकी कोई प्रतिष्ठा या प्रशंसा नहीं करता ।

इसके अतिरिक्त स्त्री संसर्ग, जब कामभोग की तीव्र अभिलाषा से किया जाता है, तो उस व्यक्ति का शरीर अनेक बीमारियों और व्याधियों का घर बन जाता है। रोगी और व्याधिग्रस्त व्यक्ति स्त्रीसहवास करेगा तो उसकी बीमारी और व्याधि अवश्य ही बढ़ेगी। जिसका नतीजा यह होगा कि वह असमय में ही बुढ़ा, अशक्त और जीर्ण होकर मृत का मेहमान बन जायगा। कहा भी है—

‘सद्यो बुद्धिहरा तु’डी, सद्यो बुद्धिकरा बच्चा ।

सद्यः शक्तिहरा नारी, सद्यः शक्तिकरं पयः ॥’

अर्थात्—‘तु’डी या कुदरू का फल शीघ्र बुद्धि का ह्रास करता है। बच्चे बुद्धि प्रखर होती है। इसका नियमितरूप से सेवन करने पर बुद्धि तीक्ष्ण होती है। स्त्री तत्काल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का हरण कर लेती है और दूध पीने से तत्काल शक्ति आती है।’

मतलब यह है कि स्त्री के प्रति कामवासना जागते ही या उससे संसर्ग करते ही वह मन और तन दोनों को कमजोर बना देती है। और आत्मा तो इन दोनों के शीण होते ही निर्बल बन जाती है।

एक अन्य नीतिकार ने तो यहां तक कह दिया है—

‘दर्शनाद् हरते चित्तं, स्पर्शनाद् हरते बलम् ।

चिन्तनाद् हरते बुद्धिं, स्त्री प्रत्यक्षराक्षसी ॥’

‘स्त्री का दर्शन ही चित्त का हरण कर लेता है, उसका स्पर्श बल को नष्ट कर देता है, स्त्री के चिन्तन से बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए स्त्री वास्तव में प्रत्यक्ष राक्षसी है।’

स्त्री का दर्शन और स्पर्शन तो दूर रहा, उसका मन में चिन्तन भी मनुष्य का सत्त्व चूस लेता है। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति तो चिन्तन मात्र से क्षीण हो जाती है।

किसी नीतिकार ने कहा है—

‘व्रण-शक्यशुरायासात् स च रोगश्च जागरात् ।

तौ च वृत्तौ विद्या स्वापात् ते च मृत्युश्च मैथुनात् ॥’

अर्थात्—परिश्रम करने से घावों पर सूजन आ जाती है और जागने से रोग उत्पन्न होता है, तथा दिन में सोने से रोग और वीर्यपात होता है, परन्तु मैथुन (स्त्री-सहवास) से तो रोग, वीर्यपात और मृत्यु तीनों ही हो जाते हैं।

अतः स्त्रीसंसर्ग अपकीर्ति, रोग, शोक, दुःख-दरिद्रता और दीर्घत्व बढ़ाने वाला है, इसमें कोई सदेह नहीं।

‘दुबे य खोया दुआराहगा भवति ... परस्व वाराओ जे अबिरता’— इसके अतिरिक्त जो न तो पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके साधुधर्म निभाते हैं और न ही मर्यादित ब्रह्मचर्यपालन (स्वस्त्री-सतोष) करके गृहस्थधर्म की मर्यादाएँ ही निभापाते हैं, किन्तु सुन्दर परस्त्रियों की मन में अभिलाषा करते हैं, उन्हें ताकते रहते हैं, उनके लिए मन में झूठे रहते हैं, वे न तो इस लोक को साध सकते हैं, न परलोक को। वे दोनों ही लोको को बिगाड़ डालते हैं। इसलिए वे उभयलोक विराधक होते हैं। कहा भी है—

‘परवाराऽनिवृत्तानामिहाऽकीर्तिविदम्बना ।

परत्र दुर्गतिप्राप्तिर्दीर्घायं वच्छला तथा ॥’

अर्थात्—पराई स्त्रियों के सेवन का त्याग जिन्होंने नहीं किया है, इस लोक में तो उनकी अपकीर्ति (बदनामी) और विदम्बना (मारपीट, कैद, हत्या अपमान आदि) होती ही है, परलोक में भी उन्हें नरक-तिर्यञ्चगति (दुर्गति) मिलती है; मनुष्यजन्म मिलने पर भी वे भाग्यहीनता (अभागपन) और नपुंसकता प्राप्त करते हैं।

मतलब यह है कि परस्त्रीगामी दोनों लोको को खो देता है।

‘सहेव केइ परस्व वार गबेसमाणा गहिया विपुलमोहाभिभूयसन्ना’— जिस मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों को खोजने की भाव लग जाती है, परस्त्रियों को अपने चगुल में फँसाने की धुन सवार हो जाती है, वे अपनी आवत से लाचार हो कर एकदिन अपनी बुरी लालसा को पूरी करने के लिए दुःसाहस कर बैठते हैं, लेकिन आखिरकार एकदिन वे रगे हाथों पकड़े जाते

जाते हैं, मारे-पीटे जाते हैं, जेल में बंद कर दिये जाते हैं, अनेक प्रकार की यातनाएँ पाते हैं, साक्षात् नरक-की-सी असह्य पीडा उन्हें यहाँ और परलोक में मिलती है। आगे चलकर उन्हें परलोक में भी भयंकर सजाएँ मिलती हैं।

‘भेदुजमूलं च सुख्यए तत्त्व . . संगामा अणकखयकरा’—वास्तव में संसार में जितने भी अनसहारक संग्राम लड़े जाते हैं, उनमें एक निमित्त कारण स्त्री भी है। परस्त्रीगामी इतना भयकर पापात्मा है कि कृत पाप का कुफल तो उसे मिलता ही है, किन्तु उसके निमित्त से अन्य प्राणियों को भी उनका कटुफल अनुभव करना पड़ता है। विभिन्न धर्मशास्त्रों में जगह-जगह ऐसी बातें देखने-सुनने में आई हैं कि इस परस्त्रीसेवन के निमित्त से असख्य निरपराध जनसमूह का निर्मम सहार करने वाले युद्ध हुए हैं। जिस देश, गाँव या नगर में परस्त्रीलपट निवास करता है, उस गाँव, नगर या देश का सहार हुआ है। फिर इस पापकर्मरूपी दावानल की चिनगारियाँ दूर-दूर तक उछलती हैं और उन देशों को भस्मसात् कर डालती हैं। इसलिए मैथुन-सेवन की जड परस्त्री को माना गया है, परस्त्री को लेकर ही तलवारें चली हैं, वैर-विरोध बढ़े हैं और निर्दोष मनुष्यों के सहारक सैकड़ों युद्ध हुए हैं। इसीलिए एक आचार्य ने कहा है—

‘सतापफलयुक्तस्य नृणां प्रेमवतामपि ।
बद्धमूलस्य मूलं हि महद्बैरतरोः स्त्रियः ॥’

अर्थात्—प्रेमभाव से रहने वाले मनुष्यों में महान् भयकर वैररूपी वृक्ष का, जिस पर सतापरूपी फल लगते हैं और जो बड़ी मजबूत-जड जमाएँ हुए हैं, मूल स्त्रियाँ ही हैं।

संसार में स्त्रियों के लिए बड़े-बड़े झगड़े हुए हैं, जिनमें कामलोलुप लोगों ने तो पतंगों की तरह कूद कर अपनी जानें दी हैं, लेकिन लाखों निर्दोष मनुष्य यों ही मारे गए हैं। इसलिए स्त्री को झगड़े की जड कहा है। जैसे कमठ के जीव ने पाशर्वनाथ (तीर्थंकर) की आत्मा के साथ स्त्री के निमित्त से ही भयकर वैर विरोध किया, जो अनेक भवों तक चला।

स्त्री के निमित्त हुए संग्राम के विभिन्न उदाहरण—

(१) सीता के निमित्त युद्ध—मिथिला नगरी के राजा जनक थे। उनकी रानी का नाम विदेहा था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम भामंडल और पुत्री का नाम जानकी-सीता था। सीता अत्यन्त रूपवती और समस्त कलाओं में पारंगत थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयंवरमंडप बनवाया और देश-विदेशों के राजाओं, राजकुमारों और विद्याधरों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो स्वयंवर-मंडप में स्थापित देवाधिष्ठित

धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी।' ठीक समय पर राजा, राजकुमार और विद्याधर आ पहुँचे। अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र रघुकुल-कमलद्विवाकर रामचन्द्र भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर में आए थे। महाराजा जनक ने सभी समागत राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा— 'महानुभावो! आपने मेरे आमंत्रण पर यहाँ पधारने का कष्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद! मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वीर इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी।' यह सुन कर सभी समागत राजा, राजकुमार और विद्याधर बहुत ही प्रसन्न हुए। सब को अपनी सफलता की आशा थी। सब विद्याधरो और राजाओं ने बारी-बारी से अपनी ताकत अजमाई, लेकिन धनुष किसी से भी टस से मस नहीं हुआ। राजा जनक ने निराश होकर खेदपूर्वक जब सभी क्षत्रियों को फटकारा कि क्या यह पृथ्वी वीरशून्य हो गई है! तभी लक्ष्मण के कहने पर रामचन्द्रजी उस धनुष को चढ़ाने के लिए उठे। सभी राजा आदि आश्चर्यचकित थे। रामचन्द्रजी ने धनुष के पास पहुँच कर पंचपरमेष्ठी का ध्यान किया। धनुष का अधिष्ठायक देव उसके प्रभाव से शान्त हो गया। तभी श्रीरामचन्द्रजी ने सबके देखते ही देखते क्षणभर में धनुष को उठा लिया और झट से उस पर बाण चढ़ा दिया। सभी ने जयनाद किया। सीता ने श्रीरामचन्द्रजी के गले में वरमाला डाल दी। वहीं विधिपूर्वक दोनों का पाणिग्रहण हो गया। विवाह के बाद श्रीरामचन्द्रजी सीता को ले कर अपने अन्य परिवार के साथ अयोध्या आए। सारी अयोध्या में खुशियाँ मनाई गईं। अनेक मंगलाचार हुए। इस तरह कुछ समय आनन्दोन्मास में व्यतीत हुआ।

एक दिन राजा दशरथ के मन में इच्छा हुई कि रामचन्द्र को राज्याभिषिक्त करके मैं अब त्यागी मुनि बन जाऊँ। परन्तु होनहार बलवान है। जब रामचन्द्रजी की विमाना कैकयी ने यह सुना तो उसने सोचा कि राजा अगर दीक्षा लेगे तो मेरा पुत्र भरत भी साथ ही दीक्षा ले लेगा। अतः भरत को दीक्षा लेने से रोकने के लिए उसने राजा दशरथ को युद्ध में अपने द्वारा की हुई सहायता के फलस्वरूप प्राप्त और सुरक्षित रखे हुए वर को इस समय माँगना उचित समझा। महारानी कैकयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक देने का वर माँगा। महाराजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञानुसार यह वरदान स्वीकार करना पड़ा। फलतः श्रीरामचन्द्रजी ने अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने और भरत को राज्य का अधिकारी बनाने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन किया। वन में भ्रमण करते हुए वे वण्डकारण्य पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बना कर रहने लगे।

एक दिन लक्ष्मणजी घूमते-घूमते उस वन के एक ऐसे प्रदेश में चहुँचे, जहाँ

खरदूषण का पुत्र शम्बुक बांसों के बीहड़ में एक वृक्ष से पैर बांधकर अँधेरे लटकते हुए चन्द्रहाससखद्ग की एक बिद्या सिद्ध कर रहा था। परन्तु उसकी बिद्या सिद्ध न हो सकी। एक दिन लक्ष्मण ने आकाश में अघर लटकते हुए चमचमाते चन्द्रहाससखद्ग को कुतूहलवश हाथ में उठा लिया और उसका चमत्कार देखने की इच्छा से उसे बांसों के बीहड़ पर चला दिया। संयोगवश खरदूषण और चन्द्रनखा के पुत्र तथा रावण के भानजे शम्बुककुमार पर वह तलवार जा लगी। बांसों के साथ-साथ उसका भी सिर कट गया। जब लक्ष्मणजी को यह पता लगा तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने रामचन्द्रजी के पास जा कर सारा वृत्तान्त सुनाया। उन्हें भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे समझ गए कि लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ी विपत्ति को बुला लिया है। जब शम्बुककुमार के मार डाले जाने का समाचार उसकी माता चन्द्रनखा को मालूम हुआ तो वह क्रोध से आगबबूला हो उठी और पुत्रघातक से बदला लेने के लिए उस पर्णकुटी पर आ पहुँची, जहाँ राम-लक्ष्मण बैठे हुए थे। वह आई तो भी बदला लेने, परन्तु वहाँ वह श्रीराम-लक्ष्मण के दिव्यरूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने बिद्या के प्रभाव से षोडशी सुन्दर युवती का रूप बना लिया और कामज्वर से पीड़ित हो कर एक बार राम से तो दूसरी बार लक्ष्मण से कामाग्नि शान्त करने की प्रार्थना की। मगर स्वदारसंतोषी परस्त्रीत्यागी राम-लक्ष्मण ने उसकी यह जघन्य प्रार्थना ठुकरा दी। पुत्र के वध करने और अपनी अनुचित प्रार्थना को ठुकरा देने के कारण चन्द्रनखा का रोष दुगुना भयंकर उठा। वह सीधी अपने पति खरदूषण के पास आई और पुत्रवध का सारा हाल कह सुनाया। सुनते ही खरदूषण अपनी कोपज्वाला से दग्ध हो कर बैर का बदला लेने हेतु सदलबल दडकारण्य में पहुँचा। जब राम-लक्ष्मण को यह पता लगा कि खरदूषण लड़ने के लिए आया है तो श्रीलक्ष्मणजी उसका सामना करने पहुँचे। दोनों में युद्ध छिड़ गया। उधर लकाघीश रावण को जब अपने भानजे के वध का समाचार मिला तो वह भी लकापुरी से आकाश-मार्ग द्वारा दण्डकवन में पहुँचा। आकाश से ही वह टकटकी लगा कर बहुत देर तक सीता को देखता रहा। सीता को देख कर रावण का अन्तःकरण कामबाण से व्यथित हो गया। उसकी विवेकबुद्धि और धर्मसज्ञा लुप्त हो गई। अपने उज्ज्वल कुल के कलकित होने की परवाह न करके दुर्गतिगमन का भय छोड़ कर उसने किसी भी तरह से सीता का हरण करने की ठान ली। सन्निपात के रोगी के समान कामोन्मत्त रावण सीता को प्राप्त करने के उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी बिद्या के प्रभाव से जहाँ लक्ष्मण सपनाम कर रहा था, उस ओर जोर से सिंहनाद की ध्वनि की। श्रीराम यह सिंहनाद सुन कर चिन्ता में पड़े कि लक्ष्मण भारी विपत्ति में फसा है, अतः उसने मुझ बुलाने को यह पूर्वसंकेतित सिंहनाद किया है। इसलिए वे सीता को अकेली छोड़ कर तुरन्त लक्ष्मण की सहायता के लिये चल पड़े।

परशुनीलपट दुष्ट रावण इस अवसर की प्रतीक्षा में था ही। उसने मायावी साधु का वेष बनाया और दान लेने के बहाने अकेली सीता के पास पहुँचा। ज्यों ही सीता बाहर आई, त्यों ही जबरन उसका अपहरण करके अपने विमान में बिठा लिया और आकाशमार्ग से लंका की ओर चल दिया। सीता का विलाप और रुदन सुन कर रास्ते में जटायु पक्षी ने विमान को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसके पल्ल काट कर उसे नीचे गिरा दिया और सीता को लेकर झटपट लंका पहुँचा। वहाँ उसे अशोक-बाटिका में रखा। रावण ने सीता को अनेक प्रलोभन और भय बता कर अपने अनुकूल बनाने की भरसक चेष्टाएँ की, लेकिन सीता किसी भी तरह से उसके वश में न हुई। आखिर उसने विद्याप्रभाव से श्रीराम का कटा हुआ सिर भी बताया और कहा कि अब रामचन्द्र तो इस ससार में नहीं रहा। तू व्यर्थ ही किसका शोक कर रही है? अब तो मुझे स्वीकार कर ले। इत्यादि नाना उपायों से सीता को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सीता ने उसकी एक न मानी। उसने श्रीराम के सिवाय अपने मन में और किसी पुरुष को स्थान न दिया। रावण को भी उसने अनुकूल-प्रतिफल अनेक वचनों से उस अधर्मकृत्य से हटने के लिए समझाया, पर वह अपने हठ पर अड़ा रहा।

उधर श्रीराम लक्ष्मण के पास पहुँचे तो लक्ष्मण ने पूछा-‘भाई! आप माता सीता को पर्णकुटी में अकेली छोड़ कर यहाँ कैसे आ गए?’ श्रीराम ने सिंहनाद को मायाजाल समझा और तत्काल अपनी पर्णकुटी में वापस लौटे। वहाँ देखा तो सीता गायब! सीता को न पा कर श्रीराम उसके वियोग से व्याकुल हो कर मूर्च्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। इतने में लक्ष्मण भी युद्ध में विजय पा कर वापिस लौटे तो अपने बड़े भैया की यह दशा और सीता का अपहरण जान कर अत्यन्त दुःखित हुए। लक्ष्मण के द्वारा शीतोपचार से राम होश में आये। फिर दोनों भाई वहाँ से सीता की खोज में चल पड़े। मार्ग में उन्हें ऋष्यमूक पर्वत पर बानरवशी राजा सुग्रीव और हनुमान आदि विद्याधर मिले। उनसे पता लगा कि ‘इसी रास्ते से आकाशमार्ग से विमान द्वारा रावण सीता को हरण करके ले गया है।’ उसके मुख से ‘हा राम!’ शब्द सुनाई दे रहा था, इसलिए मान्य होता है, वह सीता ही होगी।’ अतः दोनों भाई निश्चय करके सुग्रीव, हनुमान आदि बानरवशी तथा सीता के भाई भामडल आदि विद्याधरों की सहायता से सेना ले कर लंका पहुँचे। युद्ध से व्यर्थ में जनसंहार न हो, इसलिए पहले श्रीराम ने रावण के पास दूत भेज कर कहलाया कि सीता को हमें आदर पूर्वक सौंप दो और अपने अपराध के लिए क्षमा माचना करो तो हम बिना सधाम किये वापिस लौट जाएँगे। लेकिन रावण की मृत्यु निकट थी। उसे विभीषण, मन्दोदरी आदि हितैषियों ने भी बहुल समझाया, किन्तु उसने किसी

की एक न मानी। आखिर युद्ध की दुंदुभि बजी। राम और रावण की सेना में परस्पर घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर के अगणित मनुष्य मौत के मेहमान बने। अधर्मी रावण के पक्ष के बड़े-बड़े योद्धा रण में खेत रहे। आखिर रावण रणक्षेत्र में आया। रावण तीन खण्ड का अधिनायक प्रतिनारायण था। उससे युद्ध करने की शक्ति राम और लक्ष्मण के सिवाय किसी में न थी। यद्यपि हनुमान आदि अजेय योद्धा राम की सेना में थे, तथापि रावण के सामने टिकने की और विजय पाने की ताकत नारायण के अतिरिक्त दूसरे में नहीं थी। अतः रावण के सामने जो भी योद्धा आए उन सबको वह परास्त करता रहा, उनमें से कई तो रणचंडी की भेंट भी चढ़ गए। रामचन्द्रजी की सेना में हाहाकार मच गया। राम ने लक्ष्मण को ही समर्थ जान कर रावण से युद्ध करने का आदेश दिया। दोनों ओर से शस्त्रप्रहार होने लगे। लक्ष्मण ने रावण के चलाए हुए सभी शस्त्रों को निष्फल करके उन्हें भूमि पर गिरा दिया। अन्त में, क्रोधवश रावण ने अन्तिम अस्त्र के रूप में अपना चक्र लक्ष्मण पर चलाया, लेकिन वह लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मण के ही दाहिने हाथ में जा कर ठहर गया। रावण हताश हो गया।

अन्ततः लक्ष्मणजी ने वह चक्र सभाला और ज्यों ही उसे घुमा कर रावण पर चलाया, त्यों ही रावण का सिर कट कर भूमि पर आ गिरा। रावण यम-लोक का अतिथि बना।

रावण की मृत्यु के बाद श्रीराम ने उसके धर्मप्रिय भाई विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। चिरकाल से वियोग के कारण दुःखित सीता श्रीराम को ओर श्रीराम सीता को पा कर हर्षविभोर हो गए। आनन्दोत्सव-पूर्वक उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और सहर्ष राज्य करने लगे।

यद्यपि सीता के निमित्त रामचन्द्रजी ने रावण से युद्ध छेड़ा था; तथापि रामचन्द्रजी का पक्ष न्याय और धर्म से युक्त था; रावण का पक्ष अन्याय-अनीति और अधर्म से पूर्ण था। इसलिए महासती सीता के लिए जो युद्ध हुआ; वह रावण की मदान्धता और कामान्धता के ही कारण हुआ।

(२) द्रौपदी के लिए हुआ संग्राम—कापिल्यपुर में द्रुपद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चुलनी था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था, और पुत्री का नाम था—द्रौपदी। विवाहयोग्य होने पर राजा द्रुपद ने उसके योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवरमण्डप की रचना करवाई तथा सभी देशों के राजा-महाराजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। हस्ति-नागपुर के राजा पाण्डु के पाचों पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी उस स्वयंवर-मंडप में पहुँचे। मंडप में उपस्थित सभी राजाओं और राजपुत्रों को

सम्बोधित करते हुए द्रुपदराजा ने प्रतिज्ञा की घोषणा कि "यह जो सामने वेध यंत्र लगाया गया है, उसके द्वारा तीव्रगति से घूमती हुई ऊपर में यत्रस्थ मछली का प्रतिबिम्ब नीचे रखी हुई कडाही के तेल में भी घूम रहा है। जो वीर नीचे प्रतिबिम्ब को देखते हुए धनुष से उस मछली का (लक्ष्य का) वेध कर देगा, उसी के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी।" यह सुनते ही वहा उपस्थित सभी राजाओं ने अपना-अपना हस्तकौशल दिखाया, लेकिन कोई भी मत्स्यवेध करने में सफल न हो सका। अन्त में, पांडवों का नंबर आया। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर धनुर्विद्याविशारद अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और तत्काल लक्ष्यवेध कर दिया। अपने कार्य में सफल होते ही अर्जुन के जयनाद से सभामंडप खूँज उठा। राजा द्रुपद ने भी अत्यन्त हर्षित होकर द्रौपदी को अर्जुन के गले में वरमाला डालने की आज्ञा दी। द्रौपदी अपनी दासी के साथ मंडप में उपस्थित थी। वह अर्जुन के गले में ही माला डालने जा रही थी, किन्तु पूर्वकृतनिदान के प्रभाव से दैवयोगात्, वह माला पाँचों भाइयों के गले में जा पड़ी। इस प्रकार पूर्वकृतकर्मानुसार द्रौपदी के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पांच पति कहलाए।

एक समय पाण्डु राजा राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास ही कुन्ती महारानी बैठी थी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाई भी बैठे हुए थे। द्रौपदी भी वही थी। तभी आकाश से उतर कर देवर्षि नारद सभा में आए। राजा आदि ने तुरत खड़े होकर नारद-ऋषि का आदर-सम्मान किया। लेकिन द्रौपदी किसी कारण-वश उनका उचित सम्मान न कर सकी। इस पर नारदजी का पारा गर्म हो गया। उन्होंने द्रौपदी द्वारा किए हुए इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सोचा—'द्रौपदी को अपने रूप पर बड़ा गर्व है। इसके इस गर्व को चूर-चूर न कर दिखाऊँ तो मेरा नाम नारद ही क्या?' वे इस दृढसंकल्पानुसार मन ही मन द्रौपदी को नीचा दिखाने की योजना बना कर वहाँ से चल दिए। देश-देशान्तर घूमते हुए नारदजी घातकीखड के दक्षिणार्ध भरतखेत्र की राजधानी अमरकका नगरी में पहुँचे। वहा के राजा पद्मनाभ ने नारदजी को अपनी राजसभा में आये देख उनका बहुत आदर-सत्कार किया। कुशलक्षेम पूछने के बाद राजा ने नारदजी से पूछा—'ऋषिवर! आप की सर्वत्र अबाधित गति है। आपको किसी भी जगह जाने की रोक-टोक नहीं है। इसलिए यह बताइए कि 'सुन्दरियों से भरे मेरे अन्तःपुर (रनवास) जैसा

१ अपरकंका नाम भी है।

और कही कोई सुन्दर अन्तःपुर आपने देखा है ?" यह सुनकर नारदजी हंस पड़े और बोले—“राजन् ! तू अपनी नारियों के सौन्दर्य का वृथा गर्व करता है। तेरे अन्तःपुर में द्रौपदी-सरीखी कोई सुन्दरी नहीं है। सब कहें तो, द्रौपदी के पैर के अंगूठे की बराबरी भी वे नहीं कर सकतीं।” यह बात सुनते ही विषयविलासानुरागी राजा पद्मनाभ के चित्त में द्रौपदी के प्रति अनुराग का अंकुर पैदा हो गया। उसे द्रौपदी के बिना एक क्षण भी वर्षों के समान सतापकारी मासूम होने लगा। उसने तत्क्षण पूर्व-सगतिक देवता की आराधना की। स्मरण करते ही देव उपस्थित हुआ। राजा ने अपना मनोरथ पूर्ण कर देने की बात उससे कही। अपने महल में सोई हुई द्रौपदी को देव ने शय्या-सहित उठा कर पद्मनाभ नृप के क्रीडोद्यान में ला रखा। जागते ही द्रौपदी अपने को अपरिचित प्रदेश में पा कर एकदम घबरा उठी। वह मन ही मन पचपरमेष्ठी का स्मरण करने लगी। इतने में राजा पद्मनाभ ने आ कर उससे प्रेमयाचना की, अपने वैभव एवं सुखसुविधाओं आदि का भी प्रलोभन दिया। नीतिकुशल द्रौपदी ने सोचा—‘इस समय यह पापात्मा कामान्ध हो रहा है। अगर मैंने साफ इन्कार कर दिया तो विवेकशून्य होने से शायद यह जबर्दस्ती मेरा शीलभंग करने को उद्यत हो जाय ! अतः फिलहाल अच्छा यही है कि इसे भी बुरा न लगे और मेरा शील भी सुरक्षित रहे।’ ऐसा सोच कर द्रौपदी ने पद्मनाभ से कहा—‘राजन् ! आप मुझे ६ महीने की अवधि इस पर सोचने के लिए दीजिए। उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो, करना।’ उसने भी बात मजूर कर ली। इसके बाद द्रौपदी अनशन आदि तपश्चर्या करती हुई सदा पचपरमेष्ठी के ध्यान में लीन रहने लगी।

पांडवों की माता कुन्ती द्रौपदीहरण के समाचार ले कर हस्तिनापुर से द्वारिका पहुँची और श्रीकृष्ण से द्रौपदी का पाता लगाने और लाने का आग्रह किया। इसी समय कलहप्रिय नारदऋषि भी वहाँ आ धमके। श्रीकृष्णजी ने उनसे पूछा—“मुने ! आपकी सर्वत्र अबाधित गति है। ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ आपका गमन न होता हो। अतः आपने कही द्रौपदी को देखा हो तो कृपया बतलाइए।” नारदजी बोले—“जनार्दन ! घातकीखण्ड में अमरकका नाम की राजधानी है। वहाँ के राजा पद्मनाभ के क्रीडोद्यान के महल में मैंने द्रौपदी जैसी एक स्त्री को देखा तो है।” नारदजी से द्रौपदी का पता मालूम होते ही श्रीकृष्णजी पाचों पांडवों को साथ ले कर अमरकका की ओर रवाना हुए। रास्ते में लवणसमुद्र उनका मार्ग रोके हुए था; जिसको पार करना उनके बूते की बात नहीं थी। सब श्रीकृष्णजी ने तैला (तीन उपवास) धारण करके लवणसमुद्र के अधिष्ठायक देव की आराधना की। देव प्रसन्न हो कर श्रीकृष्णजी के सामने उपस्थित हुआ। श्रीकृष्णजी के कथनानुसार समुद्र ने उन्हें रास्ता दे दिया।

फलतः श्री कृष्णजी पाचों पाडवों को साथ लिये हुए राजधानी अमरकका नगरी में पहुँचे और एक उद्यान में ठहर कर अपने सारथी के द्वारा पद्मनाभ को सूचित कराया। पद्मनाभ अपनी सेना ले कर युद्ध के लिए आ डटा। दोनों ओर से युद्धप्रारम्भ होने की दुबुधि बजी। बहुत देर तक दोनों में जम कर भयकर युद्ध हुआ। पद्मनाभ ने जब पाडवों को परास्त कर दिया; तब श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के मैदान में आ डटे और उन्होंने अपना पाचजन्यशस्त्र बजाया। पाचजन्य का भीषण नाद सुनते ही पद्मनाभ की तिहाई सेना तो भाग खड़ी हुई, एक तिहाई सेना को उन्होंने सारग-गाड़ीव धनुष की प्रत्यचा की टंकार से भूच्छित कर दिया। शेष बची हुई तिहाई सेना और पद्मनाभ अपने प्राणों को बचाने के लिए दुर्ग में जा घुसे। श्रीकृष्ण ने नरसिंह का रूप बनाया और नगरी के द्वार, कोट और अटारियों को अपने पंजे की मार से भूमिसात् कर दिया। बड़े-बड़े विशालभवनो और प्रासादों के शिखर गिरा दिये। सारी राजधानी (नगरी) में हाहाकार मच गया। पद्मनाभराजा भय से कापने लगा और श्रीकृष्ण के चरणों में आ गिरा तथा आदरपूर्वक द्रौपदी को उन्हें सौंप दिया। श्रीकृष्णजी ने उसे क्षमा किया और अभयदान दिया।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण द्रौपदी और पाचों पाडवों को ले कर जयध्वनि एवं आनन्दोल्लास के साथ द्वारिका पहुँचे।

इस प्रकार राजा पद्मनाभ की कामवासना—मैथुनसजा के कारण महाभारत-काल में द्रौपदी के लिए भयकर सग्राम हुआ।

(३) दक्षिणी के लिए हुआ युद्ध—कुडिनपुर नगरी के राजा भीष्म के दो संतान थी—एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम था—दक्षिणी।

एक दिन घूमते-घामते नारदजी द्वारिका पहुँचे और श्रीकृष्ण की राजसभा में प्रविष्ट हुए। उनके आते ही श्रीकृष्ण अपने आसन से उठ कर नारदजी के सम्मुख गए और प्रणाम करके उन्हें विनयपूर्वक आसन पर बिठाया। नारदजी ने कुशलमगल पूछ कर श्रीकृष्ण के अन्तःपुर में गमन किया। वहाँ सत्यभामा अपने गृहकार्य में व्यस्त थी। अतः वह नारदजी की आवभगत भलीभांति न कर सकी। नारदजी ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में आ कर प्रतिज्ञा की—“इस सत्यभामा पर सौत ला कर यदि मैं इसे अपने अपमान का फल न खाऊँ तो मेरा नाम नारद ही क्या।” तत्काल वे वहाँ से रवाना हुए और कुडिनपुर के राजा भीष्म की राजसभा में पहुँचे। राजा भीष्म और उनके पुत्र रुक्म ने उनको बहुत सम्मान दिया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ कर अपने आवगमन का कारण पूछा। नारदजी ने कहा—“हम भगवद्—

भजन करते हुए भगवद्भक्तों के यहाँ घूमते-घामते पहुँच जाते हैं।" उधर-उधर की बातें करने के पश्चात् नारदजी अन्तपुर में पहुँचे। रानियों ने उनका सविनय सत्कार किया। रुक्मिणी ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया। नारदजी ने उसे आशीर्वाद दिया—“कृष्ण की पटरानी हो।” इस पर रुक्मिणी की बुआ ने साश्चर्य पूछा—“मुनिवर ! आपने इसे यह आशीर्वाद कैसे दिया ? और श्रीकृष्ण कौन हैं ? उनमें क्या-क्या गुण हैं ?” इस प्रकार पूछने पर नारदजी ने उनके सामने श्रीकृष्ण के वैभव और गुणों का वर्णन करके रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा कर दिया। नारदजी भी अपनी प्रतिज्ञा की सफलता की सम्भावना से हर्षित हो उठे। नारदजी ने वहाँ से चल कर पहाड़ की चोटी पर एकान्त में बैठ कर एक पट पर रुक्मिणी का सुन्दर चित्र बनाया। उसे ले कर वे श्रीकृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें वह दिखाया। चित्र इतना सजीव था कि श्रीकृष्ण देखते ही भावविभोर हो गए और रुक्मिणी के प्रति उनका आकर्षण जाग उठा। वे पूछने लगे—“नारदजी ! यह तो बताइए, यह कोई देवी है, विष्ण्वरी है ? या मानुषी है ? यदि यह मानुषी है तो वह पुरुष धन्य है, जिसे इसके करस्पर्श का अधिकार प्राप्त होगा। नारदजी मुसकरा कर बोले—“कृष्ण ! वह धन्य पुरुष तो तुम ही हो”। नारदजी ने सारी घटना आद्योपान्त कह सुनाई। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने राजा भीष्म से रुक्मिणी के लिए याचना की। राजा भीष्म तो इससे सहमत हो गए। लेकिन रुक्मी इसके विपरीत था। उसने इन्कार कर दिया कि “मैं तो शिशुपाल के लिए अपनी बहन को देने का संकल्प कर चुका हूँ।” रुक्मी ने श्रीकृष्ण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया और माता-पिता की अनुमति की भी परवाह न की। उसने सबकी बात को टुकरा कर शिशुपाल राजकुमार के साथ अपनी बहन रुक्मिणी के पाणिग्रहण का निश्चय कर लिया। शिशुपाल को वह बड़ा प्रतापी और तेजस्वी तथा भूमडल में बेजोड़ बलवान मानता था। श्रीकृष्ण के बल, तेज और वैभव का उसे विशेष परिचय नहीं था। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन की शादी की तिथि निश्चित कर ली। शिशुपाल भी बड़ी भारी बारात ले कर सञ्जय के साथ विवाह के लिए कुण्डिनपुरी की ओर चल पड़ा। अपने नगर से निकलते ही उसे अमगलसूचक शकुन हुए, किन्तु शिशुपाल ने कोई परवाह न की और विवाह के लिए चल ही दिया। कुण्डिनपुर पहुँच कर नगर के बाहर वह एक उद्यान में ठहरा। उधर रुक्मिणी नारदजी से आशीर्वाद प्राप्त कर और श्री कृष्ण के गुण सुन कर उनसे प्रभावित हो गई थी। फलतः मन ही मन उन्हें पतिरूप में स्वीकृत कर चुकी थी। वह यह सुन कर

रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ महल से निकली । नगर के द्वार पर राजा शिशुपाल के पहरेदारों ने यह कह कर उन्हें रोक दिया कि—“ठहरो! राजा की आज्ञा किसी को बाहर जाने देने की नहीं है ।” रुक्मिणी की सखियों ने उनसे कहा—“हमारी सबी शिशुपाल की शुभकामना के लिए कामदेव की पूजा करने जा रही है । तुम इस मंगलकार्य में क्यों विघ्न डाल रहे हो ? खबरदार ! यदि तुम इस शुभकार्य में बाधा डालोगे तो इसका बुरा परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा । तुम कैसे स्वामिभक्त हो कि अपने स्वामी के हित में बाधा डालते हो !” द्वाररक्षकों ने यह सुन कर खुशी से उन्हें बाहर जाने दिया । रुक्मिणी अपनी बुआ और सखियों सहित आनन्दोल्लास के साथ कामदेवमन्दिर में पहुँची । परन्तु वहाँ किसी को न देख कर व्याकुल हो गई ।

उसने आर्त्त स्वर में प्रार्थना की । श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों एक ओर छिपे रुक्मिणी की भक्ति और अनुराग देख रहे थे । यह सब देख-सुन कर वे सहसा रुक्मिणी के सामने आ उपस्थित हुए । लज्जा के मारे रुक्मिणी सिक्कड़ गई और पीपल के पत्तों के समान धर-धर कापने लगी । श्रीकृष्ण को नृपचाप खड़े देख बलदेवजी ने कहा—“कृष्ण ! तुम बुत से खड़े क्या देख रहे हो ? क्या लज्जावती ललना प्रथम दर्शन में अपने मुह से कुछ बोल सकती है ?” इतना सुनते ही कृष्ण ने कहा—“आओ, प्रिये ! चिरकाल से तुम्हारे वियोग में दुःखित कृष्ण यही है ।” यो कह कर रुक्मिणी का हाथ पकड़ कर उसे सुसज्जित रथ में बिठा लिया । कुण्डिनपुरी के बाहर रथ के पहुँचते ही उन्होंने पाञ्चजन्य शङ्ख का नाद किया, जिससे नागरिक एवं सैनिक काप उठे । इधर रुक्मिणी की सखियों ने शोर मचाया कि रुक्मिणी का हरण हो गया है । इसके बाद श्रीकृष्ण ने जोर से ललकारते हुए कहा—“ऐ शिशुपाल ! मैं द्वारिकापति कृष्ण तेरे आनन्द की केन्द्र रुक्मिणी को ले जा रहा हूँ । अगर तुझ में कुछ भी सामर्थ्य हो तो छुड़ा ले ।” इस ललकार को सुन कर शिशुपाल और रुक्मी के कान खड़े हुए । वे दोनों क्रोधावेश में अपनी-अपनी सेना लेकर सग्राम करने के लिए रणामण में उपस्थित हुए । मगर श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाइयों ने सारी सेना को कुछ ही देर में परास्त कर दिया । शिशुपाल को उन्होंने जीवनदान दिया । शिशुपाल हार कर लज्जा से मुह नीचा किए वापिस लौट गया । रुक्मी की सेना तितर-बितर हो गई और उसकी दशा भी बड़ी दयनीय हो गई । अपने भाई को दयनीय दशा में देख कर रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि मेरे भैया को प्राणदान दिया जाय । श्रीकृष्ण ने हस कर कहा—“ऐसा ही होगा ।” रुक्मी को उन्होंने पकड़ कर रथ के पीछे बांध रखा था, रुक्मिणी के कहने पर छोड़ दिया । दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्ण विजयश्रीसहित रुक्मिणी को लेकर अपनी राजधानी द्वारिका में आए और वहीं श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विधि-बत् पाणिग्रहण किया ।

(४) पद्मावती से लिए हुआ संघाम—भारतवर्ष में अरिष्ट नामक नगर था। वहाँ बलदेव के मामा हिरण्यनाभ राज्य करते थे। उनके पद्मावती नाम की एक कन्या थी। सयानी होने पर राजा ने उसके स्वयंवर के लिए बलराम और कृष्ण आदि तथा अन्य सब राजाओं को आमंत्रित किया। स्वयंवर का निमंत्रण पाकर बलराम और श्रीकृष्ण तथा दूसरे अनेक राजकुमार अरिष्टनगर में पहुँचे।

हिरण्यनाभ के एक बड़े भाई थे—रैवत। उनके रैवती, रामा, सीमा और बन्धुमती नाम की चार कन्याएँ थी। रैवत सासारिक मोह जाल को छोड़ कर स्वपरकल्याण के हेतु अपने पिता के साथ ही बाईसवें तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमि के चरणों में जैनेन्द्री मुनिदीक्षा धारण कर ली थी। वे दीक्षा लेने से पहले अपनी उक्त चारों पुत्रियों का विवाह बलराम के साथ करने के लिए कह गए थे।

इधर पद्मावती के स्वयंवर में बड़े-बड़े राजा-महाराजा आए हुए थे। वे सब युद्ध कुशल और तेजस्वी थे। पद्मावती ने उन सब राजाओं को छोड़ कर श्रीकृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। इससे नीतिपालक सज्जन राजा तो अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘विचारशील कन्या ने योग्य वर चुना है।’ किन्तु जो दुर्बुद्धि, अविवेकी और अभिमानी राजा थे, वे अपने बल और ऐश्वर्य के मद में आकर श्रीकृष्ण से युद्ध करने को प्रस्तुत हो गए। उन्होंने वहाँ उपस्थित राजाओं को भडकाया—‘ओ क्षत्रियवीर राजकुमारो ! तुम्हारे देखते ही देखते यह म्बाला स्त्री-रत्न ले जा रहा है। ‘शस्त वस्तु हि भूभुजाम्’ इस कहावत के अनुसार उत्तम वस्तु राजाओं के ही भोगने योग्य होती है। अतः देखते क्या हो ! उठो, सब मिल कर इससे लड़ो और यह कन्यारत्न इससे छुड़ा लो।’ इस प्रकार उत्तेजित किये गए अविवेकी राजा मिल कर श्री कृष्ण से लड़ने लगे। घोर युद्ध छिड़ गया। श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई सिंहनाद करते हुए निर्भीक होकर शत्रुराजाओं से युद्ध करने लगे। वे जिधर पहुँचते उधर ही रणक्षेत्र योद्धाओं से खाली हो जाता। रणभूमि में खलबली और भगदड़ मच गई। ‘जल्दी भागो, प्राण बचाओ ! ये मनुष्य नहीं; कोई देव या दानव प्रतीत होते हैं। ये तो हमें शस्त्र चलाने का अवसर ही नहीं देते। अभी यहाँ और पलक मारते ही और कहीं पहुँच जाते हैं।’ इस प्रकार भय और आतंक से विह्वल होकर चिल्लाते हुए बहुत से प्राण बचा कर भागे। जो थोड़े से अभिमानी वहाँ ठटे रहे, वे यमलोक पहुँचा दिये गए। इस प्रकार बहुत शीघ्र ही उन्हें अनीति का फल मिल गया। वहाँ शान्ति हो गई।

अन्त में, रैवती, रामा आदि (हिरण्यनाभ के बड़े भाई रैवत की) चारों कन्याओं का विवाह बड़ी धूमधाम से बलरामजी के साथ हुआ और पद्मावती का श्रीकृष्णजी के साथ। इस तरह वैवाहिक मंगलकार्य सम्पन्न होने पर बलराम और श्री

कृष्ण बहुत-सा बहेज और अपनी पत्नियों को साथ लेकर द्वारिका नगरी में पहुँचे वहाँ पर अनेक प्रकार के आनन्दोत्सव मनाये गए ।

(५) तारा के लिए हुई लड़ाई—किष्किन्धानगरी में बानरवशी विद्याधर आदित्य राज्य करता था । उसके दो पुत्र थे—बाली और सुग्रीव । एक दिन अवसर देख कर बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं मुनि-दीक्षा लेकर घोर तपस्या करने लगा । उसने चार घातीकर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और एक दिन सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन कर मोक्ष प्राप्त किया । सुग्रीव की पत्नी का नाम तारा था । वह अत्यन्त रूपवती और पतिव्रता थी । एक दिन खेच-राधिपति साहसगति नाम का विद्याधर तारा का रूप—लावण्य देख कर उस पर आसक्त हो गया । वह तारा को पाने के लिए विद्या के बल से सुग्रीव का रूप बनाकर तारा के महल में पहुँच गया । तारा ने कुछ चिह्नों से जान लिया कि मेरे पति का बनावटी रूप धारण करके यह कोई विद्याधर आया है । अतः उसने यह बात अपने पुत्रों से तथा जाम्बवान आदि मंत्रियों से कही । वे भी दोनों सुग्रीवों को देख कर विस्मय में पड़ गए, उन्हें भी असली और नकली सुग्रीव का कोई पता न चला । अतएव उन्होंने दोनों सुग्रीवों को नगरी से बाहर निकाल दिया । दोनों में घोर युद्ध हुआ, लेकिन हार-जीत किसी की भी न हुई । नकली सुग्रीव को किसी भी सूरत से हटते न देख कर असली सुग्रीव विद्याधरो के राजा महाबली हनुमानजी के पास आया और उन्हें सारा हाल कहा । हनुमानजी वहाँ आए, किन्तु दोनों सुग्रीवों में कुछ भी अन्तर न जान सकने के कारण कुछ भी समाधान न कर सके और अपने नगर को वापिस लौट गए ।

असली सुग्रीव निराश होकर श्रीरामचन्द्रजी की शरण में पहुँचा । उस समय श्रीरामचन्द्रजी पाताललका के खरदूषण से सम्बन्धित राज्य की सुव्यवस्था कर रहे थे । सुग्रीव उनके पास जब पहुँचा और उसने अपनी दुःखकथा उन्हें सुनाई तो श्रीराम ने उसे आश्वासन दिया कि 'मैं तुम्हारी विपत्ति दूर करूँगा ।' उसे अत्यन्त व्याकुल देख कर श्रीराम और लक्ष्मण ने उसके साथ प्रस्थान कर दिया ।

वे दोनों किष्किन्धा के बाहर ठहर गये और असली सुग्रीव से पूछने लगे—
“वह नकली सुग्रीव कहाँ है ? तुम उसे ललकारो और भिड़ जाओ उसके साथ ।” असली सुग्रीव द्वारा ललकारते ही युद्धरसिक नकली सुग्रीव भी रथ पर चढ़ कर लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में आ डटा । दोनों में बहुत देर तक जम कर युद्ध होता रहा, पर, हार या जीत दोनों में से किसी की भी न हुई । राम भी दोनों सुग्रीवों का अन्तर न जान सके । नकली सुग्रीव से असली सुग्रीव बुरी तरह परेशान हो गया । अतः निराश होकर

वह पुनः श्रीराम के पास आ कर कहने लगा—“देव ! आपके होते मेरी ऐसी दुर्दशा हुई । अतः आप स्वयं अब मेरी सहायता करें ।” राम ने उससे कहा—“तुम भेदसूचक कोई ऐसा चिह्न धारण कर लो और उससे पुनः युद्ध करो । मैं अवश्य ही उसे अपने किये का फल चखाऊंगा ।”

असली सुग्रीव ने बैसा ही किया । जब दोनों का युद्ध हो रहा था तो श्रीराम ने कृत्रिम सुग्रीव को पहिचान कर बाण में उसका वही काम तमाम कर दिया । इससे सुग्रीव प्रसन्न होकर श्रीराम और लक्ष्मण को स्वागत पूर्वक किष्किन्धा ले गया, वहाँ उनका बहुत ही सत्कार-सम्मान किया । सुग्रीव अब अपनी पत्नी तारा के साथ आनन्द से रहने लगा ।

इस प्रकार राम और लक्ष्मण की सहायता से सुग्रीव ने तारा को प्राप्त किया और जीवन भर उनका उपकार मानता रहा ।

(६) काचना के लिए-हुआ युद्ध—काचना के लिए भी सग्राम हुआ था, लेकिन उसकी कथा अप्रसिद्ध होने से यहाँ नहीं दी जा रही है । कई टीकाकार मगध सम्राट् श्रेणिक की चिलणा रानी को ही ‘काचना’ कहते हैं । अस्तु, जो भी हो, काचना भी युद्ध की निमित्त बनी है ।

(७) रक्तसुभद्रा के लिए हुआ सग्राम—सुभद्रा श्रीकृष्णजी की बहन थी, वह पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति रक्त—आसक्त थी, इसलिए उसका नाम ‘रक्तसुभद्रा’ पड़ गया । एक दिन वह अत्यन्त कामासक्त होकर अर्जुन के पास चली आई । श्रीकृष्ण को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने सुभद्रा को वापिस लौटा लाने के लिए सेना भेजी । सेना को युद्ध के लिए आती देख कर अर्जुन किकर्तव्यविमूढ़ हो कर सोचने लगा—‘श्रीकृष्णजी के खिलाफ युद्ध कैसे करूँ ? क्योंकि मैं मेरे आत्मीयजन हूँ । और युद्ध नहीं करूँगा तो सुभद्रा के साथ हुआ प्रेमबन्धन टूट जायेगा ।’ इस प्रकार सदेह के झूले में झूलते हुए अर्जुन को सुभद्रा ने क्षत्रियोचित कर्तव्य के लिए प्रोत्साहित किया । अर्जुन ने अपना गाडीव धनुष उठाया और श्रीकृष्णजी द्वारा भंजी हुई सेना से लड़ने के लिए आ पड़चा । दोनों में जम कर युद्ध हुआ । अर्जुन के अमोघ बाणों की वर्षा से श्रीकृष्णजी की सेना तितरबितर हो गई । विजय अर्जुन की हुई । अन्ततो-गत्वा सुभद्रा ने वीर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी । दोनों का पाणिग्रहण हो गया । इसी वीरगता सुभद्रा की कुक्षि से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ; जिसने अपनी नववधू का मोह छोड़ कर छोटी उम्र में ही महाभारत के युद्ध में वीरोचित क्षत्रिय-कर्तव्य बजाया और वही वीरगति को पा कर इतिहास में अमर हो गया । सचमुच वीरमाता ही वीर पुत्र को पैदा करती है ।

मतलब यह है कि रक्तसुभद्रा को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने श्रीकृष्ण सरीखे आत्मीय जन के विरुद्ध भी युद्ध किया ।

(८) अहिनिका की कथा अप्रसिद्ध होने से उस पर प्रकाश डालना अशक्य है। कई लोग 'अहिनियाए' पद के बदले 'अहिल्लियाए' मानते हैं। उसका अर्थ होता है—अहिल्या के लिए हुआ सन्नाह।" अगर यह अर्थ हो तब तो वैष्णव रामायण में उक्त 'अहिल्या' की कथा इस प्रकार है—अहिल्या गौतमऋषि की पत्नी थी। वह बड़ी सुन्दर और धर्मपरायणा स्त्री थी। एक बार इन्द्र उसका रूप देखकर मोहित हो गया। एक दिन गौतम ऋषि कहीं बाहर गये हुए थे। इन्द्र ने उचित अवसर जान कर गौतम ऋषि का रूप बनाया और छलपूर्वक अहिल्या के पास पहुँच कर संयोग की इच्छा प्रकट की। निर्दोष अहिल्या ने अपना पति जान कर कोई आनाकानी न की। इन्द्र अनाचार सेवन करके चला गया। जब गौतम ऋषि आए तो उन्हें इस बात का पता चला और उन्होंने इन्द्र को शाप दे दिया कि 'तेरे एक हजार भग हो जायें।' वैसा ही हुआ। बाद में, इन्द्र के बहुत स्तुति करने पर ऋषि ने उन भगों के स्थान में एक हजार नेत्र बना दिये। परन्तु अहिल्या पत्थर की तरह निश्चेष्ट होकर तपस्या में लीन हो गई। वह एक ही जगह गुमसुम हो कर पड़ी रहती। एक बार श्रीराम विचरण करते-करते आश्रम के पास से गुजरे तो उनके चरणों का स्पर्श होते ही वह जागृत होकर उठ खड़ी हुई। ऋषि ने भी प्रसन्न होकर उसे पुनः अपना लिया।

(९) सुवर्णगुटिका के लिए हुआ सन्नाह—सिन्धु—सोवीर देश में वीतभय नामक एक पत्तन था। वहाँ उदयन राजा राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम पद्मावती था। उसकी देवदत्ता नामक एक दासी थी। एक बार देश-देशान्तर में भ्रमण करता हुआ एक परदेशी यात्री उस नगर में आ गया। राजा ने उसे मन्दिर के निकट धर्मस्थान में ठहराया। कर्मयोग से वह वहाँ रोगग्रस्त हो गया। रूग्णावस्था में इस दासी ने उसकी बहुत सेवा की। फलतः आगन्तुक ने प्रसन्न होकर इस दासी को सर्वकामना पूर्ण करने वाली १०० गोलियाँ दे दी और उनकी महत्ता एवं प्रयोग करने की विधि भी बतला दी। अब्बल तो स्त्री जाति फिर दासी। भला दासी को उन गोलियों का सदुपयोग करने की बात कैसे सूझती? उस बदनूरत दासी ने सोचा—“क्यों नहीं, मैं एक गोली खा कर सुन्दर बन जाऊँ!” उसने अजमाने के लिए एक गोली मुँह में डाल ली। गोली के प्रभाव से वह दासी सोने के समान रूप वाली—खूबसूरत बन गई। तब से उसका नाम सुवर्णगुटिका ही प्रसिद्ध हो गया। वह नवयुवती तो थी ही। एक दिन बैठे-बैठे उसके मन में विचार आया—“मुझे सुन्दर रूप तो मिला; लेकिन बिना पति के सुन्दर रूप भी किस काम का? पर किसे पति बनाऊँ? राजा को तो बनाना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह बूढ़ा है, दूसरे, यह मेरे लिए पितागुल्य है। अतः किसी नवयुवक को ही पति बनाना चाहिए।” सोचते-सोचते उसकी दृष्टि में उज्जयिनी का राजा चन्द्रप्रद्योत जँचा। फिर क्या था? उसने मन

में चन्द्रप्रद्योत का चिन्तन करके दूसरी गोली निगल ली। गोली के अघिष्ठाता देव के प्रभाव से उज्जयिनी नृप चन्द्रप्रद्योत को स्वप्न में दासी का दर्शन हुआ। फलतः सुवर्णगुटिका से मिलने के लिए वह आतुर हो गया। उसे स्वर्णगुटिका का पता चल गया। वह शीघ्र ही गंधगज नामक उत्तम हाथी पर सवार हो कर रात्रि के समय भीतभय नगर में पहुँचा। सुवर्णगुटिका तो उससे मिलने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। चन्द्रप्रद्योत के कहते ही वह उसके साथ चल दी।

प्रातःकाल राजा उदयन उठा और नित्यनियमानुसार अश्वशाला आदि का निरीक्षण करता हुआ हस्तिशाला में आ पहुँचा। वहाँ सब हाथियों का मद सूखा हुआ देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। तलाश करते-करते राजा उदयन को एक गजरत्न के भूत्र की गंध आ आई। राजा ने शीघ्र ही जान लिया कि यहाँ गन्धहस्ती आया है। उसी की गन्ध से हाथियों का मद सूख गया। ऐसा गन्धहस्ती हाथी सिवाय चन्द्रप्रद्योत के और किसी के पास नहीं है, फिर राजा ने यह बात भी सुनी कि सुवर्णगुटिका दासी भी गायब है। अतः राजा को पक्का शक हो गया कि चन्द्रप्रद्योत राजा ही दासी को भगा ले गया है। राजा उदयन ने रोपवश उज्जयिनी पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया। परन्तु मन्त्रियों ने समझाया—“महाराज। चन्द्रप्रद्योत कोई साधारण राजा नहीं है। वह बड़ा बहादुर और तेजस्वी है। केवल एक दासी के लिए उससे शत्रुता करना बुद्धिमानी नहीं है।” परन्तु राजा उनकी बातों से सहमत न हुआ और चढ़ाई करने को तैयार हो गया। राजा ने कहा—“अन्यायी अत्याचारी और उद्दण्ड को दण्ड देना मेरा कर्तव्य है।” अन्त में यह निश्चय हुआ कि “दस मित्र राजाओं को सैन्य साथ लेकर उज्जयिनी पर चढ़ाई की जाय।” ऐसा ही हुआ। अपनी-अपनी सेना लेकर दस राजा उदयननृप के दल में शामिल हुए। अन्ततः महाराजा उदयन ने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। बड़ी मुश्किल से उज्जयिनी के पास पहुँचे। चन्द्रप्रद्योत राजा भी यह समाचार सुनते ही विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए मैदान में आ उठा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राजा चन्द्रप्रद्योत का हाथी तीव्रगति से मडलाकार घूमता हुआ विरोधी सेना को कुचल रहा था। उसके मद की गंध से ही विरोधी सेना के हाथी भाग खड़े हुए। अतः उदयन की सेना में कोलाहल मच गया। यह देख कर रथारूढ़ उदयन ने गन्धहस्ती के पैर में खींच कर तीक्ष्ण बाण मारा। हाथी वहीं धराशायी हो गया और उस पर सवार चन्द्रप्रद्योत भी नीचे आ गिरा। अतः सब राजाओं ने मिलकर उसे जीतेजी पकड़ लिया। राजा उदयन ने उसके ललाट पर ‘दासीपति’ शब्द अंकित कर अन्ततः उसे क्षमाकर दिया।

सचमुच, स्वर्णगुटिका के लिए जो युद्ध हुआ, वह परस्त्रीगामी कामी चन्द्रप्रद्योत राजा की रामासक्ति के कारण से हुआ।

(१०) रोहिणी के निमित्त हुआ संप्राम—अरिष्टपुर में रुधिर नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुमित्रा था। उसके एक पुत्री थी। उस का नाम था—रोहिणी। रोहिणी अत्यन्त रूपवती थी। उसके सौन्दर्य की बात सर्वत्र फैल गई थी। इसलिए अनेक राजा-महाराजाओ ने रुधिरराजा से उसकी याचना की थी। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि वह किसको अपनी कन्या दे, किसको न दे? अन्ततोगत्वा उसने रोहिणी के योग्य वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर रचने का निश्चय किया। रोहिणी पहले से ही वसुदेवजी के गुणो पर मुग्ध थी। वसुदेवजी भी रोहिणी को चाहते थे। वसुदेवजी उन दिनों गुप्त रूप से देशाटन के लिए भ्रमण कर रहे थे। राजा रुधिर की ओर से स्वयंवर की आमंत्रणपत्रिकाएँ जरासंध, आदि सब राजाओ को पहुंच चुकी थी। फलतः जरासंध, आदि अनेक राजा स्वयंवर में उपस्थित हुए। वसुदेवजी भी स्वयं वर का समाचार पाकर वहाँ आ पहुँचे। वसुदेवजी ने देखा कि इन बड़े-बड़े राजाओ के समीप बैठने से मेरे मनोरथ में बिघ्न पड़ेगा, अतः मृदंग बजाने वालों के बीच में बैसा ही वेष बना कर बैठ गए। वसुदेवजी मृदंग बजाने में बड़े निपुण थे। अतः मृदंग बजाने लगे। नियत समय पर स्वयंवर का कार्य प्रारम्भ हुआ। ज्योतिषी के द्वारा शुभमुहूर्त की सूचना पाते ही राजा रुधिर ने रोहिणी (कन्या) को स्वयंवर में प्रवेश कराया। रूपराशि रोहिणी ने अपनी हसगामिनी गति एवं नूपुर की झकार से तमाम राजाओ को आकर्षित कर लिया। सबके सब टकटकी लगा कर उसकी ओर देख रहे थे। रोहिणी धीरे-धीरे अपनी दामी के पीछे-पीछे चल रही थी। सब राजाओं के गुणो और विशेषताओ से परिचित दासी क्रमशः प्रत्येक राजा के पास जा कर उसके नाम, देश, ऐश्वर्य, गुण और विशेषता का स्पष्ट वर्णन करती जाती थी। इस प्रकार दासी द्वारा समुद्रविजय, जरासंध आदि तमाम राजाओं का परिचय पाने के बाद उन्हें स्वीकार न कर रोहिणी जब आगे बढ़ गई तो वसुदेवजी हर्षित होकर मृदंग बजाने लगे। मृदंग की सुरीली आवाज में ही उन्होंने यह व्यक्त किया—

‘मुग्धभृगनयनयुगले ! शीघ्रमिहागच्छ भव चिरयस्व ।

कुलबिक्रमगुणशालिनि ! स्ववर्धनहृमिहागतो यद्विह ॥’

अर्थात्—‘हे विस्मयमुग्धभृगनयने ! अब झटपट यहाँ आ जाओ। देर मत करो। हे कुलीनता और पराक्रम के गुणों से सुशोभित सुन्दरि ! मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ (मृदंगवादको की पक्ति में) आ कर बैठा हूँ ।’

मृदंगवादक के वेष में वसुदेव के द्वारा मृदंग से ध्वनित उक्त आशय को सुन कर रोहिणी हर्ष के मारे पुलकित हो उठी। जैसे निर्धन को धन मिलने पर वह

आनन्दित हो जाता है, जैसे ही निराश रोहिणी भी आशाघन पा कर आनन्दविभोर हो गई और शीघ्र ही वसुदेवजी के पास जा कर उनके गले में वरमाला डाल दी। एक साधारण भूदग बजाने वाले के गले में वरमाला डालते देख कर सभी राजा, राजकुमार विसृब्ध हो उठे। सारे स्वयवरमण्डप में शोर मच गया। सभी राजा चिल्लाने लगे—“बड़ा अनर्थ होगया ! इस कन्या ने कुल की नीति-रीति पर पानी फेर दिया। इसने इतने तेजस्वी, सुन्दर और पराक्रमी राजकुमारों को ठुकरा कर और न्यायमर्यादा को तोड़ कर एक नीच वादक के गले में वरमाला डाल दी ! यदि इसका इस वादक के साथ अनुचित सम्बन्ध या गुप्तप्रेम था तो राजा रुधिर ने स्वयवर रचा कर क्षत्रियकुमारों को आमन्त्रित करने का यह नाटक क्यों रचा ? यह तो हमारा सरासर अपमान है ?” इस प्रकार के अनेक आक्षेप-विक्षेपो से उन्होंने राजा को परेशान कर दिया। राजा रुधिर किक-संबन्धविमूढ और आश्चर्यचकित हो कर सोचने लगा—“विचारशील, नीतिनिपुण और पवित्र विचार की होते हुए भी, पता नहीं, रोहिणी ने इन सब राजाओं को छोड़ कर एक नीच व्यक्ति का वरण क्यों किया ? रोहिणी ऐसा अज्ञानपूर्ण कृत्य नहीं कर सकती, फिर रोहिणी ने यह अनर्थ क्यों किया ?” अपने पिता को इसी उधेड़डुन में पड़ देख कर रोहिणी ने सोचा कि ‘मैं लज्जा छोड़ कर पिताजी को इनका (अपने पति का) परिचय कैसे दूँ ?’ वसुदेवजी ने अपनी प्रिया का मनोभाव जान लिया। इधर जब सारे राजा लोग कुपित होकर अपने दल-बलसहित वसुदेवजी से युद्ध करने को तैयार हो गए, तब वसुदेवजी ने भी सबको ललकारा—‘क्षत्रियवीरो ! क्या आपकी वीरता इसी में है कि आप स्वयवर-मर्यादा का भंग कर अनीति-पथ का अनुसरण करें ! स्वयवर के नियमानुसार जब कन्या ने अपने मनोनीत वर को स्वीकार कर लिया है, तब आप लोग क्यों अडचन डाल रहे हैं ?’ राजा लोग न्याय-नीति के रक्षक होते हैं, नाशक नहीं। आप स्वयं समझदार हैं, इतने में ही सब समझ जाइए !” इस नीतिसगत बात को सुन कर न्यायनीतिपरायण सज्जन राजा तो झटपट समझ गए और उन्होंने युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। वे सोचने लगे कि हम बात में अवश्य कोई न कोई रहस्य है। इस प्रकार की निर्भीक और गभीर वाणी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। लेकिन कुछ दुर्जन और अडियल राजा अपने दुराग्रह पर अड़े रहे। जब वसुदेवजी ने देखा कि अब सामनीति से काम नहीं चलेगा, ऐसे दुर्जन तो दण्डनीति-व्यमननीति से ही समझेंगे, तो उन्होंने कहा “तुम्हें वीरता का अभिमान है तो आ जाओ मैदान में ! अभी सब को मजा चखा दूँ गा।”

वसुदेवजी के इन वचनों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। सभी दुर्जन राजा उत्तेजित हो कर एक साथ वसुदेवजी पर दूट पड़ें और शस्त्र-अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अकेले रणभूत वसुदेवजी ने उनके समस्त शस्त्रास्त्रों को विफलकर सब राजाओं पर विजय प्राप्त की।

राजा रुधिर भी वसुदेवजी के पराक्रम से तथा बाद में उनके बंध का परिचय पा कर मुग्ध हो गया। हर्षित हो कर उसने वसुदेवजी के साथ रोहिणी का विवाह कर दिया। प्राप्त हुए प्रचुर दहेज एवं रोहिणी को साथ ले कर वसुदेवजी अपने नगर को लौटे। इसी रोहिणी के गर्भ से भविष्य में बलदेवजी का जन्म हुआ, जो श्रीकृष्णजी के बड़े भाई थे।

इसी तरह किन्नरी, सुरूपा और विद्युन्मती के लिए भी युद्ध हुआ। ये तीनों अप्रसिद्ध हैं। कई लोग विद्युन्मती को एक दासी बतलाते हैं, जो कौणिक राजा से सम्बन्धित थी, और उसके लिए युद्ध हुआ था। इसी प्रकार किन्नरी भी चित्रसेन राजा से सम्बन्धित मानी जाती है, जिसके लिए राजा चित्रसेन के साथ युद्ध हुआ था। जो भी हो, ससार में ज्ञात-अज्ञात, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध अगणित महिलाओं के निमित्त से भयकर युद्ध हुए हैं, जिसकी साक्षी शास्त्रकार इस सूत्रपाठ से देख रहे हैं—'अभ्रं सु य एषमाविण्णु बहवो महिलाकण्णु सुब्बंति अइक्कंता संगामा गामघम्म-मूला।'।

अब्रह्मसेवन का दूरगामी भयंकर फल—जो बात संसार में प्रकृतिविरुद्ध, नीतिविरुद्ध, धर्मविरुद्ध तथा लोकविरुद्ध होती है, उसमें प्रवृत्ति करने में बड़ी-बड़ी अड़चने आती हैं, कई दफा तो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले के प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं। अब्रह्मचर्यसेवन भी उनमें से एक है। अब्रह्मचर्यसेवन की मुख्य निमित्त स्त्री है और उसे उचित या अनुचित तरीको से प्राप्त करने में भूतकाल में भी बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, और वर्तमान में भी होती हैं। कई दफा तो जायज तरीके से किमी स्त्री के साथ पाणिग्रहण करने में भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। यह तो हुई स्त्री को प्राप्त करने में दिक्कतो की बात, जिसका जिक्र इससे पहले के पृष्ठों में हम कर आए हैं। अब शास्त्रकार अब्रह्म-सेवन से होने वाले इहलौकिक और पार-लौकिक, निकटवर्ती और दूरवर्ती अशुभपरिणामों का निरूपण निम्नोक्त पाठ द्वारा करते हैं—अबंभसेविणो इहलोए वि नट्ठा परलोए वि जट्ठा, महवा मोहतिमि-संघकारे . . दीहमड्डं आउरंतसंसारकंतरं अनुपरियट्टंति जीवा मोहवसं निबिट्ठा।" यह वर्णन और उसका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। इस सूत्रपाठ में अब्रह्म-सेवन के निकटवर्ती परिणामों का पहले जिक्र किया है कि महामोहमोहित और परस्त्रीलोलुप हो कर जो अब्रह्मसेवन करता है, उसके यश-कीर्ति, बुद्धि, आत्मशक्ति, भगवद् वचनों पर श्रद्धा, चारित्रबल, निर्भयता तथा शारीरिक-मानसिक ताकत आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। इसी का अर्थ है—इस लोक में जीवन का सर्वनाश होना। जो इस लोक का जीवन बिगाड़ देता है, उसका परलोक का जीवन तो नष्ट हो ही जाता है। इसलिये भ्रष्ट जीवन वाले व्यक्ति गाड़ महामोहान्धकार से ग्रस्त हो कर

ऐसी योनियो मे जाता है, जहां उसे ज्ञान का प्रकाश अनन्त-अनन्त जन्मो तक नहीं मिल पाता । वे योनिया हैं—त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर, पर्याप्तक और अपर्याप्तक तथा जरायुज, अडज, पोतज, रसज, सखेदिम, सम्मूर्च्छिम, उद्भिज्ज और औत्पातिक आदि । उक्त योनियो मे बार-बार जन्म लेकर वह तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, देवगति और नरकगति रूप ससार मे अनन्त-अनन्त चक्कर काटता रहता है । इस प्रकार बार-बार जन्म और मरण के रूप मे परिभ्रमण करना ही संसार कहलाता है । ससार मे रहने वाले जीव वे कहलाते हैं, जिन्होंने अभी तक मोक्ष (सिद्धगति) नहीं पाया, जिनके जन्ममरण का चक्र बंद नहीं हुआ । संसारी जीवों के मुख्यतया दो भेद हैं—त्रस और स्थावर । अपनी इच्छा से स्वतन्त्रता-पूर्वक चल-फिर सकते हो, ऐसे जीव त्रस कहलाते हैं । त्रस जीव द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियो वाले जीव) से लेकर पचेन्द्रिय (पाच इन्द्रियो वाले) तक के प्राणी होते हैं । जिनके केवल एक ही स्पर्शन-इन्द्रिय हो, उन्हें स्थावर कहते हैं । स्थावरजीव सभी एकेन्द्रिय होते हैं । त्रस और स्थावर इन दोनो प्रकार के जीवो की उत्पत्ति जिससे होती है, उसे जन्म कहते हैं । जन्म मुख्यतया तीन प्रकार का होता है—गर्भजन्म, उपपातजन्म और सम्मूर्च्छन (सम्मूर्च्छिम) जन्म । गर्भ से जन्म लेने वाले गर्भज, उपपात (देवो और नारको के स्थानविशेष) से जन्म लेने वाले औपपातिक और सम्मूर्च्छन—(नर और मादा के सयोग के बिना—अपने आप मिट्टी, पानी आदि के सयोग विशेष) रूप से जन्म लेने वाले सम्मूर्च्छिम कहलाते हैं ।

गर्भजन्म माता के रज और पिता के वीर्य के सयोग से होता है । यह जन्म मनुष्यो और तिर्यच-पचेन्द्रियो के होता है, दूसरे प्राणियो के नहीं । गर्भजन्म तीन प्रकार का होता है—जरायुज, अडज और पोतज । रुधिर और मास से लिपटी हुई थैली यानी गर्भ के वेष्टन को जरायु कहते हैं, उस जरायु से जो जन्म लेते हैं वे जरायुज कहलाते हैं । मनुष्य, गाय, बैल, घोडा आदि सब जरायुज हैं । जो अडे से जन्म लेते हैं, वे अडज कहलाते हैं । समस्त प्रकार के पक्षी या सर्प आदि भी अडज होते हैं । जो जरायु आदि के आवरण से रहित हैं, वह पोत कहलाता है । गर्भ से निकलते समय जिनके शरीर पर जरायु आदि किसी प्रकार का आवरण नहीं होता तथा गर्भ से निकलते ही जिनमे कूदने-फांदने की शक्ति होती है, उन्हें पोत या पोतज जीव कहते हैं—जैसे हस्ती आदि । मनुष्य के जरायुजन्म होता है, जबकि तिर्यचपचेन्द्रियो के ये तीनों ही प्रकार के जन्म होते हैं ।

देवो और नारकीय जीवो की उत्पत्ति के जो स्थानविशेष होते हैं, उन्हें उपपात कहते हैं, वे सपुटाकार होते हैं । जब किसी का जन्म देव या नारक में होता है तो वह ऐसे सपुटाकार स्थानविशेष में होता है और अन्तर्मुहूर्त में नवयीवन-अवस्थासहित उत्पन्न हो कर उसमे से बाहर निकल आता है । इसलिए नारको और देवो को औपपातिक कहते हैं ।

गर्भज और औपपातिक जीवों के अतिरिक्त शेष सब जीवों का जन्म सम्मूर्च्छनज होता है। गर्भ के बिना ही इधर-उधर के समीपवर्ती परमाणुओं से जिनका शरीर बन जाता है, उन्हें सम्मूर्च्छनज या सम्मूर्च्छिम कहते हैं। बिच्छू, मेंढक, चींटी, कीड़े-मकोड़े, घास-पात आदि सब सम्मूर्च्छन जन्म वाले हैं। एकेन्द्रियजीव से ले कर चतुरिन्द्रिय (चार इन्द्रियो वाले) तक के जीव नियम से सम्मूर्च्छन जन्म वाले होते हैं। इनका जन्म और किसी तरह से नहीं होता। मनुष्य के मल-मूत्र, गदगी आदि के चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले मानवरूप जीवाणु भी सम्मूर्च्छिम होते हैं। साप-मछली आदि कई पचेन्द्रिय जीव भी सम्मूर्च्छन जन्म से होते हैं। इस सम्मूर्च्छनज जन्म के तीन भेद हैं—स्वेदज, रसज और उद्भिज्ज। पत्तीने से उत्पन्न होने वाले जू, खटमल आदि जीवों को स्वेदज कहते हैं। शराब आदि रस में पैदा होने वाले जीवों को रसज कहते हैं और पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले खजन आदि प्राणी या वृक्ष, घासपात आदि को उद्भिज्ज कहते हैं।

त्रस और स्थावर, दोनों प्रकार के जीव पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी। जिन जीवों की शरीर आदि पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकती हैं, उन्हें पर्याप्तक कहते हैं और जिनकी ये पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुईं, उन्हें कहते हैं—अपर्याप्तक।

त्रस जीव स्थूलशरीर वाले ही होते हैं, इसलिए वे बादर ही होते हैं, जबकि स्थावरजीव दो प्रकार के होते हैं—बादर और सूक्ष्म। बादर जीव स्थूल शरीर वाले होते हैं, अतः अग्नि शस्त्र आदि से उनका घात हो सकता है। इसलिए बादरशरीर वालों को बादर जीव कहते हैं। बादरशरीर उसे कहते हैं, जो शरीर दूसरों को रोक सके या बाधा पहुँचा सके अथवा दूसरों के द्वारा रोका जा सके या बाधित हो सके। जो शरीर किसी के रोकने से न रुक सके और न बाधित हो सके; तथा जो शरीर न किसी को रोके, और न बाधा पहुँचाए; उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। अग्नि, शस्त्र आदि से उनका घात नहीं होता है; वे अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं।

एकेन्द्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। इनके पाँच भेद हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वरस्पतिकायिक। इनमें से प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म दो-दो भेद हैं। वनस्पतिकायिक जीवों के दो भेद और हैं—साधारण और प्रत्येक। जिस वनस्पति के एक शरीर के स्वामी अनन्तजीव हो, उसे साधारण वनस्पतिकायिकजीव कहते हैं और जिस वनस्पति के एक शरीर का एक ही स्वामी हो, उसे प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायिक के दो भेद और होते हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस वनस्पति के एक शरीर के आश्रित अनन्त जीव रहते हैं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। यानी उस

वनस्पति के एक शरीर का स्वामी तो एक जीव ही होता है, लेकिन उस शरीर पर या उसके आश्रित जहाँ दूसरे निगोदिया जीव निवास करते हों, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिस प्रत्येक वनस्पति के शरीर पर दूसरे निगोदियाजीव निवास न करते हों, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं।

इस प्रकार शास्त्रकार के निरूपण के अनुसार संसारी जीवों का यहाँ सक्षेप में स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है।

इस वर्णन से शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि अन्नह्यार्च्यसेवन के फलस्वरूप नरक, तिर्यच, देव और मनुष्यगतिरूप ससारचक्र में घूमता हुआ जीव अनन्तकाल तक निगोद (साधारण वनस्पतिकायिक) में भ्रमण करता है, फिर कहीं बड़ी मुश्किल से त्रसपर्यायि को प्राप्त करता है। इस त्रसपर्यायि को वह जीव ज्यादा से ज्यादा दो हजार सागरोपम काल तक ही धारण कर सकता है, इससे अधिक समय तक नहीं। उक्त काल बीतने पर उसे अवश्य ही एकेन्द्रिय (निगोद आदि) में पहुँचना पड़ता है, जहाँ एक श्वास में १८ वार जन्ममरण करते हुए अनन्तकाल तक निवास करना पड़ता है। त्रसपर्यायि में रहते हुए यदि कभी वह नरक में पहुँच गया तो वहाँ उसे जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष से लेकर उत्कृष्ट (ज्यादा से ज्यादा) तेतीस सागरोपमकाल व्यतीत करना पड़ता है। निगोद के सिवा तिर्यचगति की पृथ्वीकाय आदि अन्य स्थावर जीवयोनियों में पहुँच गया तो वहाँ असख्यात वर्ष तक रहना पड़ता है। यदि सयोगवश पचेन्द्रियनिर्यंचो या मनुष्यो में से किसी जीवयोनि में पहुँच गया तो वहाँ भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्पोपम की स्थिति तक रहना पड़ता है।

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है—‘अणवदग्गं बीहमद्धं चाउरंतं संसारकतारं अणुपरियट्टंति जीवा मोहवससंनिविट्ठा ।’ अर्थात्— सीमारहित, लम्बे मार्ग वाले, चातुर्गतिक ससाररूप जगल में मोहवश अन्नह्यार्च्यसेवन में ग्रस्त पाभरजीव अनन्तकाल तक बारबार पर्यटन करते रहते हैं।

चारों गतियों में मिलने वाले कटुफल - शास्त्रकार पिछले अध्ययनों के मूल-सूत्रपाठों में नरक, तिर्यच और मनुष्यगति में प्राप्त होने वाले विभिन्न दुखों का विशद वर्णन कर चुके हैं। अतः यहाँ भी अन्नह्यार्च्यसेवन के फलस्वरूप उन्हीं दुखों को समझ लेना चाहिए। वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में कुछ माथाएँ लिखी हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—

नरएसु जाइं अइकण्णडाइं, दुक्खाइं परमतिक्खाइं ।

को वण्णेइ ताइं जीबंतो वासकोडीहि ॥१॥

कण्णडावाहं सामलि, असिक्खण-वेयरणि-वहरणसएहि ।

या जायणाओ पाबंति निरया तं अहम्मफलं ॥२॥

तिरिया कसंकुसारानिबायबहुमारणबंधणसयाई ।
 अचि इह पावंति, परच्छिञ्जइ नियमिया हुंता ॥३॥
 आजीवसंकिलेसो, सुपक्षं तुच्छ उबहवा बहुया ।
 नीयजणसेवणा वि य, अणिट्ठवासो य मणुयस्स ॥४॥
 आरपनिरोह - बह-बंध - रोम - धणहरण - मरणवसपाई ।
 मणसंताबो अयसो, विग्घोवणया य माणुस्से ॥५॥
 चिंतासंतावेहि य, दारिद्रूपाई दुप्पकसाई ।
 लट्ठण वि माणुस्सं, मरंति केइ सुनिविण्णा ॥६॥
 देवाण वि देवलोए, अं दुक्खं तं नरो सुमणिओ वि ।
 न मणइ वाससएण वि, जस्स वि जीहा सयं हुज्जा ॥७॥
 देवा वि देवलोए, विग्घाभरणानुरंजियसरोरा ।
 अं परिवर्द्धंति तत्तो, तं दुक्खं दावणं तेसि ॥८॥
 तं सुरविमाणविभवं, चित्तिय चवणं च देवसोगाओ ।
 इय बलिओ चिय अन्नवि, फुट्टइ सयसक्करं हिययं ॥९॥
 ईसा-विसाय - मय - कोह-भोह - माएहि एवमाईहि ।
 देवावि समभिभूया, तेसि कत्तो सुहं नाम ॥१०॥
 एवं चउगइगमणे, संसारे बुहमए सरंताणं ।
 जीवाणं नत्वि सुहं, संवरधम्मे अपसाणं ॥११॥
 सण्णा-कसाय-विगहा, पमाय-मिच्छस-बुट्ठोयो य ।
 बुहज्जाणवसगा, जीवा पावंति बुहसेणि ॥१२॥
 एवं नाउण सया, अपमाएणं हविञ्ज वक्खत्ते ।
 तम्हा मोहाइबोससंगयमाणाइयं मुयह ॥१३॥

अर्थात्—विविध नरकों मे जो अतिकर्षण—कठोर और अतितीक्ष्ण दुःखों को जीव प्राप्त करता है, करोडो वर्षों तक जीवित रह कर भी कौन उनका वर्णन कर सकता है ? नारकजीव अत्यन्त कठोर दाह, शाल्मलि, अंसवन, वैतरणी तथा सैकड़ों प्रहारों द्वारा जिन-जिन यातनाओं को पाते हैं, वह अधर्म का फल है। तिर्यच (पशु-पक्षी आदि) भी नियमित रूप से चाबुक, अकुश, आर, वध, मारण-(मारपीट), बन्धनरूप सैकड़ों प्रकार के क्लेश आजीवन पाते हैं। हमेशा वे पराधीन रहते हैं। मनुष्य जीवन में भी सुख तुच्छ है, उपद्रव और दुःख बहुत हैं। यहाँ नीचजनों की सेवा, अनिष्टनिवास, जेल मे बन्द करना, मारना-पीटना, हाथों-पैरों को बन्धनों से जकडना, रोग, धनहरण, मृत्यु आदि विपत्तियाँ हैं, मानसिक संताप है, अपयश है, विघ्न हैं, चिन्ताएँ हैं। मनुष्यजन्म प्राप्त करके भी दरिद्रतारूपी दुर्दशा है; अतः कई अत्यन्त विलाप करते-करते मरते हैं। देवलोक मे देवों को जो दुःख होता है, उसे अच्छा पढालिखा मनुष्य,

जिसकी सौ जिह्वाएँ हो तो भी, सौ वर्ष में भी वह कह नहीं सकता। देवलोक में दिव्य अलंकार से सुसज्जित शरीर वाले देव जब वहाँ से च्युत होते हैं—शरीर छोड़ते हैं; तब वह दुःख उनके लिए अतिदारुण होता है। उस देवविमान के वैभव को, देवलोक से च्यवन—दूसरे लोक में गमन को सोच-सोच करके चाहे जितना बलवान हो तो भी उसका हृदय सौ टुकड़ों में फट जाता है। देवता भी ईर्ष्या, विषाद, मद, क्रोध, मोह, लोभ, माया इत्यादि दुर्गुणों से पीड़ित हैं; तब भला उन्हें सुख कहाँ से हो? इस प्रकार चारों गतियों में गमनरूप दुःखमय ससार में भ्रमण करते हुए सबरधर्म को अप्राप्त (नहीं पाए हुए) जीवों को कहीं सुख नहीं है। इस ससार में सजा, कषाय, विकषा, प्रमाद, मिथ्यात्व, दुष्टयोग (मन-वचन-काया का व्यापार) एवं दुर्ध्यान के बशीभूत जीव दुःखों की परम्परा पाते हैं। ऐसा जान कर चतुर जीवों को सदा अप्रमादी हो कर अनादिकालीन मोह आदि दोषों का सग छोड़ देना चाहिए।

उपसंहार—इस सूत्रपाठ के अन्त में, शास्त्रकार अब्रह्मसेवन के फलविपाक पर पुनः संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। इसका अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय से स्पष्ट है।

सारांश यह है कि अब्रह्मचर्यसेवन की देवो, मनुष्यों, असुरों, तिर्यञ्चो आदि में सर्वत्र धूम है और उसका कटुफल भी अनन्तकाल तक भोगना पड़ता है, परन्तु फल भोगने के समय बुद्धि पर मिथ्यात्व का पर्दा होने से पुनः पुनः जीव इस चिरपरिचित कामविकार का सेवन करता है और फिर ससारसागर में गोते लगाता है। अतः अब्रह्मचर्य का त्याग किये बिना जीव को कदापि शान्ति नहीं मिलती।

इस प्रकार सुबोधिनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र के चतुर्थ अध्यायन - अब्रह्मचर्य आश्रव के रूप में चौथा अधर्मद्वार समाप्त हुआ।

पंचम अध्ययन : परिग्रह आश्रव

परिग्रह का स्वरूप

चतुर्थ अध्ययन—अब्रह्मचर्य आश्रव के रूप में चतुर्थ अधर्मद्वार का निरूपण करने के पश्चात् अब शास्त्रकार पंचम अध्ययन में परिग्रह-आश्रव के रूप में पाचवे अधर्मद्वार का निरूपण करते हैं। चूँकि अब्रह्मचर्यसेवन परिग्रह के होने पर ही होता है। इसलिए शास्त्रकार अब क्रमशः परिग्रह का वर्णन प्रारम्भ करते हैं। शास्त्रकार अपनी निरूपणशैली के क्रम के अनुसार स्वरूप आदि पाच द्वारों में से सर्वप्रथम परिग्रह के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं—

मूलपाठ

जंबू ! इत्तो परिग्रहो पंचमो उ नियमा णाणामणि-कणग-
रयण - मह्रिहपरिमल- सपुत्तदार-परिजण-दासी-दास-भयग-पेस-
हय-गय-गो-महिस-उट्ट-खर-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह-जाण-जुग
संदण-सयणासण-वाहरा-कुविय-धण-धन्न-पाण-भोयणाच्छायण-गंध-
मल्ल-भायण-भवणविहिं चेव बहुविहीयं भरहं णग-णगर-णियम-
जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कव्वड- मडंब-संवाह-पट्टण-सहस्सपरि-
मंडियं थिमिय-मेइणीयं एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण वसुहं अपरि-
मियमणततण्ह-मणुगय-महिच्छसार-निरय मूलो, लोभकलिकसाय-
महक्खंधो, चिंतासयनिचियविपुलसालो, गारवपविरल्लियग्ग-
विडवो, नियडितयापत्तपल्लवधरो, पुप्फफलं जस्स कामभोगा,
आयासविसूराणा-कलहपकंपियग्गसिहरो, नरवत्तिसंपूजितो, बहु-
जणस्स हिययदइओ, इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ
चरिमं अहम्मदारं ॥ सू० १७ ॥

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! इतः परिग्रहः पंचमस्तु नियमात् नानामणि-कनक-रत्न-महार्ह-परिमल-सपुत्रदार-परिजन-दासी - दास - भृतक - प्रंथ्य-हृय-गज-गो-महिषोद्द-खाराऽज-गबेलक-शिविका-शकट-रथ-धान-युग्य-स्यन्दन-शयनासन-वाहन-दुष्य-धन-धाम्य-पान-भोजनाच्छादन-गन्ध-माल्य-भाजन-भवनविधिं चैव बहुविधिकं भरतं नग-नगर-निगम-जनपद-पुरवर-प्रोणमुख-खेट-कब्बट-मडम्ब-संवाह-पत्तन सहस्रपरिमंडितम्, स्तिमितमेदिनीकम्, एकच्छत्रम्, ससागरम्, भुक्त्वा वसु-धाम् अपरिमितानन्ततृष्णाऽनुगतमहेच्छसारनिरयमूलो, लोभकलिकषाय-महास्कन्धशिचन्ताशतनिश्चितविपुलशालो(शाखो), गौरवविस्तारवदध-विटपो, निकृतिवृक्षापत्रपल्लवधरः, पुष्पफलं यस्य कामभोगाः, आयास-विसृष्टा-कलह - प्रकम्पिताऽप्रशिखरो, नरपतिसंगुजितो, बहुजनस्य हृदयवदितः; अस्य मोक्षवरमुक्तिमार्गस्य परिघभूतश्चरममधर्मं द्वारम् ॥ (सू० १७) ॥

पदार्थान्वय—श्री सुधर्मस्वामीजी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं— (जम्बू) हे जम्बू ! (इतो) इस चौथे अग्रहणनामक आध्ववद्वार के अनन्तर (पंचमो उ) पांचवां आध्व (नियमा) नियम से, (परिग्रहो) परिग्रह है, (बहुविहीयं) वह अनेक प्रकार का है । (नानामणि-कनक-रत्न-महार्ह-परिमल-सपुत्रदार-परिजन-दासी-दास-भयग-अय-गबेलक-सीया-सगड-रह - जाण-कुग-संबण-सयणासन-वाहन-कुविध-धन-धन्-पान-भोजनाच्छादन-गंध-मल्ल-मायण - भवनविहि) अनेक प्रकार की मणियों, सुवर्ण, कर्कतनावि रत्नों, बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यों, पुत्रों सहित स्त्रियों, परिवारों, दासी-दासों, कर्मचारियों, नौकर-दाकरों, हाथियों, घोड़ों, गायों, बैलों, भैंसों, ऊँटों, गधों, बकरे-बकरियों, भेड़ों, शिविकाओं—पालकियों, गाड़ियों, रथों, जहाजों या विशेष प्रकार की सवारियों, गोल्ल नामक देशविशेष में प्रतिष्ठ हो हाथ की पालकियों, विशेष प्रकार के रथों, शय्याओं, आसनों, वाहनों—नौकाओं, कृष्य-सोने-चांदी को छोड़ कर धर का श्रेष्ठ सामान, धन—नकद रुपया-पैसा आदि, धान्यों—गेहूँ-बाजल आदि अनाजों, दूध आदि पेय पदार्थों, भोज्यपदार्थों, सुगन्धद्रव्यों, पुष्प मालाओं, बर्तन-भांडों और मकानों के प्राप्त संयोगों का; (चैव) उसी प्रकार (नग-नगर-निगम-जनपद-पुरवर-प्रोणमुख-खेट-कब्बट-मडम्ब-संवाह - पट्टण-सहस्रपरिमंडियं) हजारों पर्वतों, नगरों, निगमों—व्यापारी मंडियों, प्रदेशों, महानगरों, बंदरगाहों या जलमार्ग व स्थलमार्ग से जुड़े हुए स्थानों, चारों ओर भूल के कोट वाली बस्तियों—

खेड़ों, कस्बों—छोटे नगरों, मंडबों—जिनके चारों ओर डार्ड-डार्ड कोस तक बस्ती न हो, ऐसी बस्तियों, संवाहों दुगों या सुरआस्थलों एवं पतनों—बड़े नहरों जहाँ देश बिदेस के लोग बस्तुएँ खरीदने बेचने के लिए आते हों, अथवा जहाँ रत्नादि का व्यापार होता हो ; इन सबसे सुशोभित तथा (धिमियमेद्वणीयं) जहाँ के निवासी निमंयता—निर्विभक्ततापूर्वक रहते हों, ऐसे (एगच्छसं) एकच्छत्र—अन्य राजा के आधिपत्य से रहित (ससागरं) समुद्रपर्यन्त (भरह) भरतक्षेत्र का, तथा (बसुहं) उसके अन्तर्गत पृथ्वी का, (भुजिऊष) उपभोग या पालन करके, (अपरिमिय-मणंततहृमणुगयमहिच्छसार-निरयमूलो) असीम व अनंत तृष्णा तथा लघातार बढ़ती हुई इच्छाएँ ही जिसमें प्रमुख हैं; अतएव जो नरक का मूल है; (लोम-कलि-कसायमहकलंधो) लोम, कलह, कषाय ही जिसका महास्कन्ध—विशाल घड़ है। (चितासयनिचियविपुल सालो) सँकड़ों चिन्ताएँ ही जिसकी धनी और बिस्तीर्ण शाखाएँ हैं, अथवा सँकड़ों चिन्ताएँ ही जिसकी निरन्तर फेंती हुई डालियाँ हैं; (गारव-पविरत्लियग्गविडबो) ऋद्धि, रस और साता का गौरव ही जिसके शाखा के बीच के अप्रभाग हैं—तने हैं, (नियडितया-पत्त-पत्सवधरो) छल-कपट या एक मायाचार को छिपाने के लिए दूसरा मायाचार करना अथवा धूर्तता ही जिसकी त्वचा (छाल), बड़े पत्त व छोटे पत्त हैं, तथा (कामभोगा) कामभोग ही (जस्त जिसके (पुष्फल) फूल और फल हैं। (आयास-विसूरणा-कलह-पकंधियग्ग सिहरो) शारीरिक श्रम, चिन्त का खेद और कलह ही जिसका कम्पायमान अपशिखर—ऊपर का सिरा है; ऐसा परिग्रहरूपी वृक्ष है; जो (नरवत्तिसंभूजितो) राजाओं द्वारा भली-भाँति सम्मानित है, (बहुजणस्स हियय वइओ) बहुत-से लोगों के हृदय को प्यारा है, यह (इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स) इस प्रत्यक्ष भावमोक्ष के भुक्तिरूप निर्लोभरूप मार्ग-उपाय का (कलिहभूओ) अर्गलरूप है। और (चरिमं अधम्मवारं) अन्तिम अधर्मद्वार है।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—
'हे जम्बू ! इस चौथे अङ्गनामक आश्रवद्वार के निरूपण के पश्चात् पांचवाँ आश्रव बताता है, जो परिग्रह है। वह अनेक जाति की चन्द्रकान्त-सूर्यकान्त आदि मणियों, सोना, कर्कतन आदि रत्नों, बहुमूल्य, कस्तूरी, केसर, तेल आदि सुगन्धित द्रव्यों पुत्रों समेत स्त्रियों, कुटुम्ब—परिवारों, दास-दासियों, कर्मचारियों, नौकर-चाकरों, घोड़ों, हाथियों, गाय-बैलों, महिषो-भैंसों, ऊँटों, गधों, बकरे-बकरियों, भेड़ों, पालकियों, बैलगाड़ियों, रथों, यानों—विशेष

प्रकार की गाडियों, गोल्ड देश में प्रसिद्ध दो हाथ की पालकियों, विशेष रथो, शय्याओ, आसनो, जहाजो—नौकाओ, घर का सब सामान—कुप्य, नकद रूपये—पैसे आदि धन, गेहूँ चावल आदि धान्यों—अनाजो, दूध आदि पेय पदार्थों, अशनादि चारो प्रकार का आहार, वस्त्रो, सुगन्धचूर्णादि द्रव्यों फूलो की मालाओं, धाली, कटोरे आदि बर्तनों, एवं मकानो के प्राप्त संयोगों का तथा हजारो पर्वता, नगरो, व्यापारीमंडियो, जनपदो-प्रदेशा, नगर के सिरे पर बसी हुई बस्तियों—उपनगरो, बदरगाहो—जलमार्गों और स्थलमार्गों से युक्त, धूलि के कोट वाले खेडो, कस्बो, चारो और ढाई योजन तक के बस्ती से रहित भूभागो, सवाहो—रक्षा के लिए अन्नादि के संग्रह से युक्त बस्तियो, पट्टणो—जहाँ देश-देशान्तर से लोग माल खरीदने—बेचने आते हो, अथवा रत्न आदि का व्यापार होता हो, ऐसे स्थानो से मंडित—युक्त, तथा जहाँ लोग निश्चिन्तता-स्थिरता से रहते है, ऐसी भूमि से युक्त, एकच्छत्र (निष्कंटक) और सागर-पर्यन्त भरत क्षेत्र से सम्बन्धित पृथ्वी के राज्य का उपभोग करके असीम, अनन्त तृष्णा (प्राप्त पदार्थों की रक्षा एवं उनकी वृद्धि की लालसा) और लगातार बढ़ती हुई बड़ी-बड़ी इच्छाएँ ही प्रधान रूप से जिसमें है, ऐसे परिग्रह रूपी वृक्ष का शुभफल रहित नरक मूल है, लोभ, कलह और कषाय ही उस परिग्रह वृक्ष का विशालस्कन्ध है,—मोटी धड़ है। संकड़ो चिन्ताएँ ही जिसकी निरन्तर फैलती हुई या सघन और विस्तीर्ण शाखाएँ है, रस, श्रद्धि और साता को गौरव—आदर प्रदान करना ही जिसको अग्रशाखाएँ—पतली टहनिया है, छलकपट या एक मायाचार को छिपाने के लिए दूसरा मायाचार—दम्भ ही उस परिग्रहवृक्ष की छाल, बड़े पत्ते और कोपले (छोटे पत्ते) है। तथा कामभोग ही जिसके फूल एवं फल है, शरीरश्रम और चित्त का खेद ही जिस परिग्रह वृक्ष का कंपाय-मान अग्र शिखर—सिरा है।

ऐसा यह परिग्रह वृक्ष है; जिसका राजा लोगों ने भली-भाँति आदर किया है, अनेक लोगों के हृदय को यह प्रिय लगता है और इस प्रत्यक्ष भावमोक्ष के निर्लोभ (मुक्ति)रूप उपाय के लिए अर्गल के समान है, ऐसे यह अन्तिम आश्रय—परिग्रह रूप अधर्म द्वार है।

व्याख्या

अब्रह्म का एक बाह्य कारण परिग्रह भी है, इसलिए अब्रह्म का निरूपण करने के बाद शास्त्रकार ने क्रमप्राप्त पाँचवें आश्रय या अधर्म का निरूपण किया है।

वास्तव मे 'संसारमूलमारम्भास्तेषां हेतुः परिग्रहः' इस सूक्ति के अनुसार संसार के मूल कारण आरम्भ—हिंसाजनक कार्य—हैं और उनका कारण परिग्रह है ।

परिग्रह का लक्षण - परिग्रह का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ इस प्रकार है—'परिसामस्त्येन ग्रहणं परिग्रहणं भ्रूच्छांभशेन परिगृह्यते, आत्मभावेन भवेति बुद्ध्या गृह्यते इति परिग्रहः' किसी चीज का समस्तरूप से ग्रहण करना, अथवा भ्रूच्छांभश जिसे ग्रहण किया जाता है या अपनेपन—मेरेपन के भाव से 'मेरी है', इस बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाय, उसे परिग्रह कहते हैं ।

वास्तव मे परिग्रह उसी का नाम है, जिसे ममत्वबुद्धि से ग्रहण किया जाय । आत्मा ज्यो-ज्यो ममत्वबुद्धि से किसी चीज को ग्रहण करता जाता है, त्यों-त्यों वह भारी होना चना जाता है । जैसे भारी चीज हमेशा नीचे जाती है, वैसे ही आत्मा परिग्रह के पाप में भारी हो जाने के कारण नीचे से नीचे नरक में जाती है । अपनी अज्ञानता, मोह या ममता के बणीभूत हो कर आत्मा ज्यो-ज्यो किसी वस्तु या दुर्भाव को हितकारी समझ कर ग्रहण करती जाती है, त्यों-त्यों वह उसके चक्कर में फँस कर अपने ज्ञान, सुख आदि स्वभाव को खो बैठती है । जैसे मकड़ी अपने मुह मे से तन्तु निकालती है और उगी के जाल मे स्वयं फस कर अपना सर्वस्व—प्राण तक गवा देती है, वैसे ही आत्मा भी अपने ही ममत्वजाल मे स्वयं फस कर अपना सर्वस्व गंवा देती है ।

यही कारण है कि परिग्रह का लक्षण तत्त्वार्यसूत्र मे बताया गया है—'भ्रूच्छां परिग्रहः' अर्थात्—भ्रूच्छां-ममता-आसक्ति ही परिग्रह है ।

प्रश्न यह होता है कि यदि परिग्रह का लक्षण ममता-भ्रूच्छां ही है, तब शास्त्रकार ने धन, धान्य आदि को परिग्रह क्यों कहा ? और आगम मे इनके त्याग को परिग्रह-त्याग कैसे बताया ?

इसके उत्तर मे यही कहना है कि यदि ग्रहण करना ही परिग्रह होता तो मनुष्य कई ऐसी चीजे ग्रहण करता है, जो धर्मपालन, परोपकार या स्वपर-कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं । जैसे साधु वर्ग के लिए वस्त्र-पात्र आदि धर्मोपकरण रखना, धर्म स्थान मे रहना, किसी गाव या नगर मे आना और ठहरना, आहार-पानी लेना और उनका सेवन करना, ऊपर से गिरते हुए किसी बच्चे को बचाने के हेतु निःस्वार्थभाव से झेल लेना, श्रावक-श्राविकाओ को जैनधर्म के सत्कारो व धर्माचरण से ओतप्रोत रखने के लिए संगठनबद्ध करना, शरीर धारण करना, विभिन्न शुभक्रियाओं के कारण भी कर्मों का ग्रहण करना, इत्यादि बाते ग्रहण की जाती हैं । इसलिए ये चीजें भी परिग्रह के अन्तर्गत आ जानी चाहिए । परन्तु दशवैकालिक सूत्र में इन या ऐसी ही अन्य चीजों को परिग्रह नहीं बताया गया है । वहाँ इसका स्पष्टीकरण किया गया है—

अं पि बत्थं, व पायं वा कंबल पायपुच्छं ।
 तं पि संजमसज्जट्ठा धारंति परिहरंति य ॥
 न सो परिग्रहो वुत्तो नायपुत्तेष ताहणा ।
 मुच्छा परिग्रहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणा ॥

अर्थात्—'वस्त्र, पात्र, कंबल या पादप्रोच्छन आदि जो धर्मोपकरण साधु-मुनि धारण करते हैं या पहनते हैं, वह सिर्फ सयम की रक्षा के लिए, धर्मपालन के लिए और लज्जानिवारण के लिए ही। इसलिए छह काया के जीवो के त्राता ज्ञातपुत्र मर्हापि महावीर ने उसे परिग्रह नहीं कहा है। मूच्छा को ही परिग्रह कहा है।

निष्कर्ष यह है कि धर्मपालन करने के लिए, सयम के निर्वाह के लिए या लज्जानिवारण के हेतु जो भी वस्तु अममत्वभाव से ग्रहण या धारण की जाती है, वे सब परिग्रह की कोटि में नहीं आती। परिग्रह वही कहलाएगा, जब कोई भी वस्तु ममत्वबुद्धि से, अपनी बना लेने की लालसा से आसक्ति या मूच्छा की दृष्टि से ग्रहण की जाएगी।

धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थों को परिग्रह इसलिए बनाया गया कि इन पदार्थों का त्याग न करने से उनमें ममत्व रहता है। बिना ममता के प्राय बाह्य पदार्थ नहीं रखे जाते। अथवा सोना, चादी, रुपया, पैसा, घर का विविध समान, हाट, हवेली, मकान, दुकान, अपने स्वामित्व से युक्त गाव, नगर आदि सब परिग्रह यो है कि इनके ससर्ग से ममत्व-भाव पैदा होता है। ये सब पदार्थ ममत्वभाव पैदा करने के कारण हैं।

बाह्य पदार्थों का सग्रह जिसके पास न हो, उसे यदि अपरिग्रही कहा जाए, तब तो चीटी, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि पशु भी अपरिग्रही सिद्ध होंगे। अत मुख्य बात वस्तु की नहीं, ममत्व की है। जिन्हें ममत्व का त्याग नहीं है, जिनके मन में ग्रहण करने की इच्छा या लालसा है, अगर उन्हें कोई अनावश्यक या आवश्यकता के उपरांत भी खाने-पीने की चीजे दे दे तो वे उसे ममत्व-पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वे अपरिग्रही या मर्यादित परिग्रही की कोटि में नहीं आते।

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बाह्य पदार्थों के ग्रहण न करने मात्र से उनके प्रति ममत्व भी निकल गया। कई बार यह देखा जाता है कि कई व्यक्ति ऊपर से धन आदि के बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, किन्तु अन्तरंग में ममत्व न छूटने से वे समय-समय पर कई वस्तुओं का सग्रह करने-कराने में तत्पर दिखाई देते हैं।

सारांश यह है कि ममत्व के त्यागपूर्वक बाह्य पदार्थों का त्याग करना या ममत्वभाव से रहित हो कर धर्मोपकरण, शरीर आदि का ग्रहण-धारण करना

परिग्रह का त्याग है। इसलिए वास्तविक मूल परिग्रह तो ममत्वभाव है और उसके निमित्त होने से धन आदि भी बाह्य परिग्रह हैं।

जिस व्यक्ति ने धन, धान्य आदि में ममत्व का, अधिकार का या स्वामित्व (मालिकी) का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति के बाह्य परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। उसे बाह्य पदार्थों पर ममत्व रह ही कैसे सकता है? उसके सामने या आसपास लाखों की सम्पत्ति पड़ी रहे, बाग-बगीचे, मकान, दूकान, सामान, नगर, गाँव या राष्ट्र रहे तो भी उन पर उसका ममत्व या स्वामित्व न रहने से उसके लिए वह परिग्रह का त्याग ही है। ऐसी हालत में यदि उस ममत्वत्यागी को कोई आवश्यकता समझ कर धन, मकान या राज्य आदि कोई चीज देना चाहेगा या लेने के लिए अनुरोध करेगा तो भी वह उन्हे कदापि ग्रहण नहीं करेगा।

एक व्यक्ति अभाव के कारण या उपलब्ध न हो सकने के कारण बाह्य पदार्थ नहीं रखता, किन्तु उन सुन्दर और मनोज्ञ वस्तुओं को देख-देख कर वह मन में ललचाना है, अथवा मन में उनके पाने के लिए चिन्तन करता है, योजना बनाता है, तो वह वास्तव में परिग्रहत्यागी नहीं है। जिसे चीज उपलब्ध हो सकती है, या लोग आदरपूर्वक किसी मनोज्ञ, सुन्दर या अभीष्ट चीज को उसे भेट देना चाहते हैं, फिर भी वह उन्हे ग्रहण नहीं करता यहा तक कि उनकी ओर देखता तक नहीं, मन से भी उन्हे चाहता नहीं, वही वास्तव में परिग्रहत्यागी है।

परिग्रह के भेद—मूर्च्छा या ममता ही परिग्रह की परिभाषा होने के कारण परिग्रह के मुख्य दो भेद होते हैं—अंतरंग और बाह्य। मूर्च्छा-ममता करना अन्तरंग परिग्रह है। आशय यह है, जब आत्मा अपनी निजी वस्तु अर्थात् सहज शुद्ध निजस्वभाव या ज्ञानदर्शनादि निज गुणों को छोड़ कर परभावों—क्रोधादि कषायों या मिथ्यात्व, हास्यादि विकारों या राग-द्वेष आदि मेरमण करने लगता है, उन्हे ही अपने मान कर अपना लेता है, तब वे कर्मजन्य विकारभाव आत्मा के लिए अन्तरंग परिग्रह कहलाते हैं। वे अन्तरंग परिग्रह १४ हैं—१ मिथ्यात्व, २ राग, ३ द्वेष, ४ क्रोध, ५ मान, ६ माया, ७ लोभ, ८ हास्य, ९ रति, १० अरति, ११ शोक, १२ भय, १३ जुगुप्सा और १४ वेद। आत्मा ने अनादिकाल से इन मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रहों को पकड़ रखा है, अपना रखा है। इनके कारण नित्य नये-नये कर्मबन्धन से जकड़ा जाता हुआ प्राणी अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्वगमनशक्ति को खो बैठा है और वायु के शोको से चंचल बनी हुई अग्नि की लपटों के समान अपनी स्वाभाविक स्थिति से हट कर वह इधर-उधर नरक-तिर्यञ्च आदि गतियों में गुमराह हो कर भटक रहा है। वास्तव में मिथ्यात्व, क्रोधादि कषाय एवं वेद आदि अन्तरंग परिग्रह ही आत्मा का पतन करने वाले हैं। जिनके अन्तःकरण से ये निकल गये हैं और

सम्बन्धशून्य, क्षमा, आर्जव आदि आत्मगुणो से जिनके हृदय ओतप्रोत हो गए हैं, उन महान् आत्माओं के हृदय मे बाह्यपरिग्रह के प्रति ममत्वभाव स्वतः नष्ट हो जाता है।

ममत्वभाव के निमित्त होने से बाह्यपदार्थ भी परिग्रह बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे बाह्यपरिग्रह का १० भागो मे वर्गीकरण किया गया है— (१) क्षेत्र—खेत या खुली भूमि, अथवा नगर, गाँव, राष्ट्र आदि क्षेत्र, (२) वस्तु—रहने के मकान, महल, बंगले, दूकान आदि, (३) हिरण्य—सोनेचादी के सिक्के, (४) सुवर्ण—सोना, (५) धन—हीरा, पन्ना, मोती वगैरह, (६) धान्य—गेहूँ, चावल, जौ आदि अनाज, (७) द्विपद-चतुष्पद—दो-पैर वाले मनुष्य या स्त्री वगैरह तथा गाय भैस, घोडा आदि चौपाये जानवर, (८) दासी-दास—नीकर-नीकरानी, (९) कुप्य—सोने-चादी के अतिरिक्त वस्त्र बर्तन, पलग, खाट, अलमारी आदि घर का सारा सामान। (१०) धातु—चाँदी, ताँबा, पीतल, लोहा आदि अन्य धातु।

‘शाश्वतमणि—कणगरयण... भवणविर्हि चेव बहुविहीय।’—पूर्वोक्त बाह्य परिग्रह को स्पष्ट रूप से बताने के लिए स्वयं शास्त्रकार निरूपण करते हैं कि अनेक प्रकार की मणियाँ, सोना, रत्न, आभूषण, सुगन्धित पदार्थ, स्त्री, पुत्र, परिजन, दासी, दास, नीकर-चाकर, कर्मचारी, घोडे, हाथी, गाये, बैल, भैस, ऊँट, गधे, बकरे-बकरियाँ, भेड, पालकी, बैलगाडियाँ, रथ, जहाज, शय्या, पलग, बिछौने, सवारियाँ, घर का सब सामान, धन, धान्य, पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, कपडे, सुगन्ध, पुष्पमाला, बर्तन, मकान आदि अनेक प्रकार की चीजे मनुष्य ममत्वपूर्वक रखता है, सग्रह करता है या अपनी मान कर उन पर मूर्च्छा करता है, वे सब बाह्य परिग्रह है।

‘भरहं जगणगर नियम ससागरं भुंजिष्ण वसुह’—ये ऊपर गिनाई हुई वस्तुएँ ही क्यों? मनुष्य की इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त हैं, लोभ का कोई पार नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार पूर्वोक्त वस्तुएँ मोटेतीर से बता देने के बाद सूत्रपाठ की उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा स्पष्ट बता रहे हैं कि चक्रवर्ती की विभूति मनुष्यवर्ग मे सर्वोत्तम मानी जाती है। चक्रवर्ती के समान वैभव, रत्नो, निधियों तथा गौरव के पाने का सौभाग्य मनुष्यो मे से किसी को नहीं होता। भूतल पर मनुष्यजाति मे चक्रवर्ती ही सर्वोत्कृष्ट भौतिक शक्ति का प्रतिनिधि होता है। उसे १४ रत्न और ९ निधिर्वा पुण्ययोग से प्राप्त होती हैं, जिनका वर्णन हम पिछले अध्ययन में कर आए हैं। भरतक्षेत्र मे जितने भी पर्वत, नगर, निगम, जनपद आदि होते हैं, उन सबका स्वामी चक्रवर्ती होता है, उसका एकछत्र, निष्कटक, स्थिर एव समुद्रपर्यन्त विस्तीर्ण शासन होता है। लेकिन यह सब बाह्य महापरिग्रह पा कर भी चक्रवर्ती को शान्ति और सन्तोष नहीं होता है। तब थोड़ा-बहुत बाह्य परिग्रह रखने वालों को सतोष एव शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है?

वास्तव मे जिस पुण्यवान जीव ने बहुमूल्य अलकारो से अपने शरीर को सजाया,

चन्द्रकान्त आदि मणि, सोने, चांदी, हीरे आदि बहुमूल्य पदार्थ अपनी तिजोरी या भंडार में रखे और उन्हें देख-देख कर आँखें टट्टी की; इत्र आदि बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्यों से अपने शरीर और वस्त्रादि सुवासित किये; सुन्दर स्त्रियो और आज्ञाकारी विनीत पुत्रों को देख-देख कर अपने मन और नेत्र में काल्पनिक शान्ति की अनुभूति की; अपने मनोनुकूल कुटुम्बीजन पाकर तथा आज्ञाकारी सेवक-सेविकाएँ पा कर झूठा सन्तोष माना, शरीर के पोषण के लिए दूध, दही, घी आदि पदार्थों के साधक गायें-भैंस आदि पशु उपलब्ध किए; सवारी के लिए हाथी, घोड़े, रथ, ऊँट आदि प्राप्त किये, गृहकार्य के लिए या परिवार का निर्वाह करने के लिए बढ़िया कपड़े, शय्या, बर्तन, मकान, भोजन, पेय-पदार्थ, धन और धान्य आदि का सग्रह किया, अभीष्ट भोगविलास के लिए अनेक साधन जुटाए, फिर भी आत्मा की तृप्ति न हुई, आसक्ति और तृष्णा बनी रही। ज्यो-ज्यो इन बाह्य परिग्रहों की मांग बढ़ती गई, त्यो-त्यो चिन्ता और व्याकुलता भी बढ़ती गई।

अतः पहले परिग्रह रूप विविध वस्तुओं के पाने की चाह, फिर प्राप्ति के लिए प्रयत्न, तदनन्तर प्राप्त वस्तु की रक्षा और फिर प्राप्त वस्तु का वियोग, ममत्व-त्याग न होने की हालत में दूसरे के पास किसी वस्तु की प्रचुरता और अपने पास उसके न होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, बैरविरोध आदि, इन पाचों अवस्थाओं में परिग्रह को ले कर दुःख और अशान्ति, चिन्ता और व्याकुलता, निराशा और उद्विग्नता मन को घेरे रहती है।

परिग्रह को वृक्ष की उपमा—यही कारण है कि शास्त्रकार ने आगे चलकर इसी सूत्रपाठ में परिग्रह को वृक्ष की उपमा दी है। “अपरिमियमणततह्मणुगय ... से ले कर ‘पर्कपियग्गसिहरो’ तक का पाठ इस बात का साक्षी है। इस परिग्रह-रूपी वृक्ष की जड़ तृष्णा और महाभिलाषा है। क्योंकि प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षारूप तृष्णा और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा के आधार पर ही यह परिग्रह वृक्ष टिका हुआ है। यदि ये दोनों नष्ट हो जाएँ तो परिग्रह वृक्ष गिर जाएगा। वास्तव में असीम एवं अनन्त तृष्णा और लगातार नई-नई वस्तुओं को पाने की इच्छा और लालसा ही परिग्रहवृक्ष को मजबूत बनाने और टिकाए रखने वाली जड़ें हैं। ये जड़ें दिनोदिन हरीभरी होती हैं। मनुष्य के अरमान और उसकी बड़ी-बड़ी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। वे पूरी हो, चाहे न हों, मनुष्य के मन में तृष्णा या लालसा के पैदा होते ही परिग्रह का पाप जन्म ले लेता है। इसलिए निरर्थक इच्छाओं या तृष्णाओं से बचना चाहिए।

इस परिग्रहवृक्ष का महास्कन्ध लोभ, कलह और क्रोध, मान, और माया रूप कषाय है। प्राप्त या अप्राप्त वस्तुओं के प्रति आसक्ति लोभ है, किसी इष्ट वस्तु का वियोग और अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर परस्पर कलह होता है। कलहके साथ क्रोध, अभिमान

और छल-कपट का गठबन्धन है ही। ये तीनों लडाई-झगड़े के मूल कारण हैं। परिग्रह के लिए दुनिया में भाई-भाई में, पिता-पुत्र में, पति-पत्नी में, माता-पुत्र में भयकर लडाइयाँ हुई हैं, सिर फुटीव्वल हुए हैं, तू-तू-मैं-मैं हुई है। इसीलिए लोभ, कलह और कषाय, इन तीनों को परिग्रहवृक्ष का महास्कन्ध (घड) बताया गया है।

फिर सैकड़ों नित नई चिन्ताएँ इस परिग्रहवृक्ष की शाखाएँ हैं। कहा भी है—

अर्थानामर्शने दुःखं, अजितानां च रक्षणम् ।

आये दुःखं, व्यये दुःखं, धिगर्थाः कष्टसंभयाः ॥१॥

अर्थात्—अर्थों—धनसम्पत्ति या पदार्थों को अब्बल तो प्राप्त करने में ही चिन्ता आदि दुःख लगे हुए हैं, फिर प्राप्त हो जाने पर उन धन आदि प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने में चिन्ता आदि सैकड़ों कष्ट हैं। धन के आने में दुःख, खर्च होने में दुःख। धिक्कार है, अर्थ सुख के नहीं, कष्टों के ही आश्रयस्थान है।

परिग्रह बढ़ने के साथ ही क्रोध, अभिमान, माया और लोभ तो बढ ही जाते हैं। साथ ही कई ऐब भी लग जाते हैं। ऐब लग जाने पर परिग्रही मनुष्य स्वयं चिन्ताओं के जाल में फसता है। एक चिन्ता पूरी हुई न हुई, तब तक दूसरी चिन्ता आ घमकती है। शाखाओं की तरह चिन्ताएँ नित-नई बढती ही जाती हैं। इसलिए चिन्ताएँ परिग्रह-वृक्ष की डालिया हैं, जो बहुत दूर तक फैली हुई हैं।

ऋद्धि-रस-सातागौरवरूप इस परिग्रह वृक्ष की विस्तृत अग्रशाखाएँ हैं। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढ जाता है, तो उसे अपनी ऋद्धि-विभूति, अपने पास प्रचुर धन के कारण प्राप्त हुए साधनों, इन्द्रियविषयों में रागरग आदि में या स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं में रस का एब अपने प्राप्त हुए सुखसाधनों के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख का घमड हो जाता है। इससे वह दूसरों को तुच्छ समझता है, अपने हितैषियों को ठुकरा देता है, अपने सिवाय अन्य से घृणा करने लगता है।

इस परिग्रहवृक्ष की छाल (त्वचा), पत्ते और छोटे कोमल पत्ते बचना व छल है। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढता है या वह परिग्रह बढ़ाना चाहता है तो वह अपने सगे भाई तक के साथ प्रायः झूठ-फरेब, द्रोह, छल-छिद्र या धोखेबाजी करता है।

इसके बाद इस परिग्रहवृक्ष के फूल और फल कामभोग हैं। जब मनुष्य के पास परिग्रह बढ़ता है, और वह बढता है—अन्याय-अनीति या शोषण द्वारा, तब उस परिग्रही को ऐश-आराम, भोगविलास या रागरग की सूझती है। वह नाटक-सिनेमाओं में ही अपना धन खर्च करता है। फिर उसका चित्त धार्मिक बातों में, धर्माचरण में, दान में, या शुभकार्यों में लगना कठिन है। रातदिन नाना प्रकार के

मनचाहे कामभोगों को भोगने की ही उसकी धुन बनी रहती है। भोग मानवजीवन को गला देते हैं, नि सत्त्व कर डालते हैं, सत्य, अहिंसा, न्यायनीति के गुणों से और शरीर से भी भ्रष्ट कर देते है। जब मनुष्य के पास अनापसनाप धन के रूप में परिग्रह आता है तो वह व्यभिचारसेवन या अनाचारसेवन करने का ब्यसनी या आदी हो जाता है, और उसकी इज्जत-आबरू मिट्टी में मिल जाती है। और परिग्रहवृक्ष का अग्रशिखर है—शारीरिक खेद, चित्त में खिन्नता, परस्पर कलह, गालीगलीज आदि। परिग्रह की प्राप्ति के लिए बहुत-सी बार परिग्रहलोलुप व्यक्ति अन्याय, अनैति, गबन, कमजोरी, शोषण, चोरी आदि अनेक अनैतिक तरीकों को अपनाता है। उनमें उसे मानसिक खेद तो होता ही है। बार-बार सकटमें घिर जाने का भय, पकड़े जाने का डर, दण्ड मिलने की आशका, अनुचित दग से प्राप्त धन आदि को छिपाने, दबाने या सरकार की नजरों में बचने की मन में योजना बनाने की धुन, बार-बार दीडवृष से घबराहट का अनुभव, ये और इसी प्रकार के विविध मानसिक खेद तो परिग्रही को होते ही रहने हैं। शारीरिकखेद की भी कोई सीमा नहीं है। परिग्रहधारी को चोर, डाकू, मरकार आदि से मारे-पीटे जाने, मताये जाने या दण्डित किये जाने का खतरा रहता है। उसे कई दिनों तक नीद नहीं आती। अपच, मन्दाग्नि, क्षय रक्तचाप, हृदयपीडा आदि भयकर रोग उसे प्राय घेरे रहते हैं। और परस्पर गाजीगलीज, डाटडपट आदि बुरे वचन तो परिग्रह के कारण मनुष्य को प्राप्त होते ही हैं।

वास्तव में परिग्रह विषयवृक्ष की तरह महाभयकर है। लोग इससे छुटकारा पाने के बदले इसके साथ अधिकाधिक चिपटते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—'नरपतिसंपूजितो बहुजणस्स हिययवइओ।' अर्थात्—परिग्रह भोग के पुतले राजा आदि लोगो द्वारा ही अधिक सम्मान्य और आदरणीय है। आजकल तो क्या राजा, क्या रक, क्या खेती करने वाला और क्या मजदूर, प्राय सभी परिग्रह या परिग्रही का ही अधिक सम्मान-सत्कार करते हैं, उसे ही आदर देते हैं। यह बहुत लोगों के हृदय का प्यारा है। लडका अगर कमाऊ है, तो वह सबको प्यारा लगता है। बहू अगर दहेज में बहुत धन लाई है तो सबको अच्छी लगती है, इसी तरह घर में पिता कमाता है तो पुत्र को या पुत्र की माता को अच्छा लगता है। इसलिए परिग्रह या परिग्रही को बहुत-से लोगो का हृदयवल्लभ बताया है।

'भोक्खवरभोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ'—वास्तव में मोह या आसक्ति ही मोक्ष-प्राप्ति में मुख्य रुकावट है। मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ उपाय—निर्लोभता—मुक्ति है। परिग्रह मोहरूप या आसक्ति रूप होने से निर्लोभता—अनासक्ति के मार्ग में अर्गला के समान है। समस्त कर्मबन्धनों को तोड़ देने वाले आत्मध्यान आदि शुद्ध परिणामरूप भावमोक्ष का मार्ग निर्लोभता है; जिसे पाने में परिग्रह एक भयकर बाधक है। यह एक

ऐसा रोडा है, जिससे मनुष्य इस लोक में भी विषयकषायो से मुक्ति नहीं पा सकता है।

वास्तव में परिग्रह मानवजीवन के विकास में या कर्मों के भयकर आचरणों को हटाने में बहुत बड़ा बाधक है। परिग्रह के कारण मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता खो देता है, गुलाम बन जाता है। इसलिए परिग्रह को अन्तिम अधर्मद्वार बताया है।

परिग्रह के सार्थक नाम

परिग्रह को वृक्ष की उपमा दे कर तथा ससार में सब ओर परिग्रह का बोलबाला बताने के बाद अब शास्त्रकार परिग्रह के पर्यायवाची एकार्थक और सार्थक नामों का निम्नोक्ति प्रकार से उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तस्स य नामाणि इमाणि गोष्णाणि होति तीसं, तंजहा—
 १ परिग्रहो, २ संचयो, ३ चयो, ४ उवचओ, ५ निहा(दा)ण,
 ६ संभारो, ७ संकरो, ८ अग्यरो, ९ पिडो, १० दव्वसारो, ११ तहा
 महिच्छा, १२ पडिबंधो, १३ लोहप्पा, १४ महिडिडया, (महिदिदया)
 १५ उवकरणं, १६ संरक्खणा य. १७ भारो, १८ संपायउण्णायको,
 १९ कलिकरंडो, २० पवित्थरो, २१ अणत्थो, २२ संथवो,
 २३ अगुत्ती (अकित्ति), २४ आयासो, २५ अविओगो. २६ अमुत्ती.
 २७ तुण्हा, २८ अणत्थको, २९ आसत्ती, ३० असतोसोत्ति वि य ;
 तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होति तीसं ॥ (सू० १८)

संस्कृतच्छाया

तस्य च नामानीमानि गुण्यानि भवन्ति त्रिंशत् तद्यथा—१ परिग्रहः,
 २ संचयः, ३ चयः, ४ उपचयः, ५ निधानं (निदानं) ६ सम्भारः, ७ संकरः,
 ८ आवरः, ९ पिडः, १० ब्रह्मसारः, ११ तथा महेश्छा, १२ प्रतिबन्धः १३
 लोभात्मा, १४ महद्विका (महाद्विका वा), १५ उपकरणम्, १६ संरक्षणम् च,
 १७ भारः, १८ सम्पातोत्पादकः, १९ कलिकरंडः २० प्रविस्तरः, २१ अनर्थः,
 २२ संस्तवः, २३ अगुप्तिः (अकीर्तिः), २४ आयासः, २५ अवियोगः, २६
 अमुक्तिः, २७ तुष्णा, २८ अनर्थकः, २९ आसक्तिः, ३० असंतोषः इत्यपि च,
 तस्य एतानि एवमादीनि नामधेयानि भवन्ति त्रिंशत् ।

पदाश्रयिण्य—(ब) और (तस्स) उस परिग्रह के, (गोष्पाणि) गुणनिष्पन्न—
 सार्थक, (इमाणि) ये (तीसं) तीस, (पामाणि ह्येति) नाम होते हैं। (संज्ञा) वे इस
 प्रकार हैं—(परिग्रहो) परिग्रह,(संचयो) संचय (चयो) चय—पदार्थों को इकट्ठा करना,
 (उपचयो) पदार्थों की वृद्धि करना—उपचय, (निधानं) निधान—भूमि आदि में
 गाड़ कर रखना अथवा धन में निरन्तर बुद्धि जमाए रखना अथवा (निदानं) सर्वदोषों
 का आधिकारण, (सभारो) धान्य आदि वस्तुएँ अधिक परिमाण में भर कर रखना,
 जमाखोरी करना, (सकरो) भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को मिला कर रखना,
 (आयरो) पदार्थों को आदरपूर्वक सहेज कर रखना, (पिडो) द्रव्यों का डेर
 करना, (द्व्यसारो) सारभूत द्रव्य या जिसमें द्रव्य ही सार वस्तु मानी जाती है, वह
 (तहा महच्छा) तथा अपरिमित इच्छा, (पडिबंधा) धन, पदार्थ आदि में आसक्ति
 रखना, (लोहप्पा) लोभरूप स्वभाव, (महिद्धिया) धन आदि की महती इच्छा अथवा
 (महिद्धिया) बड़ी भारी याचना,(उचकरणं) घर का उपयोगी सामान,(सरक्खणा) अत्यन्त
 आसक्तिपूर्वक शरीर आदि का जतन करना—रक्षा करना,(भारो) भाररूप-बोझिल,(सपाय-
 उप्पायको) अनर्थों का उत्पादक, (कलिकरंभो) कलहों-झगड़ों का पिटारा, (पथिस्थरो)
 धन-धान्य आदि का विस्तार करना ; (अणत्थो) अनर्थों का कारण, (सचवो) स्त्री-
 पुत्रादि में अत्यन्त ससंग या गाड़परिचयरूप आसक्ति, (अमुत्ती) इच्छाओं को दबा
 कर न रखना, अथवा (अकित्ति) अपयश का कारण, (आयासो) शारीरिक और
 मार्नासक श्रम, (अविओगो) धनादि का अपने से वियोग न करना, नहीं छोड़ना ;
 (अमुत्ती) निर्लोभता का अभाव, (तथा) धनादिद्रव्यों की तुलना—सालसा,
 (अणत्थको) परमार्थदृष्टि से निष्प्रयोजन—निरर्थक, (आसत्ती) पदार्थों में आसक्ति—
 मूर्च्छा रखना, (य) और (असंतोसोत्ति वि य) असंतोष भी ; (तस्स) उस परिग्रह के
 (एयाणि) ये ऊपर बताए (तीसं) तीस, तथा (एवमादीणि) इसी प्रकार के और भी
 (नामधेज्जाणि) नाम (ह्येति) होते हैं। (सू० १८)

प्लार्य—परिग्रह के गुणनिष्पन्न—सार्थक निम्नोक्त तीस नाम हैं। वे
 इस प्रकार हैं—१ परिग्रह, २ संचय—सर्वथा ग्रहण करने की बुद्धि से धनादि
 एकत्र करना, ३ चय वर्तमानकाल की अपेक्षा से धनादि का संग्रह करना,
 ४ उपचय—आगामीकाल की दृष्टि से बारबार धनादि की वृद्धि करना,
 ५ निधान—निरन्तर धन को भूमि में गाड़ कर या तिजोरी में रखना
 अथवा सब दोषों का निदान, ६ संभार—धान्य आदि पदार्थों को अधिक मात्रा

में भर कर रखना, ७ संकर—अनेक तरह की वस्तुओं को मिला कर रखना, ८ आदर—धन, स्त्रीपुत्र आदि के बारे में अत्यन्त आदरपूर्वक प्रवृत्ति करना, ९ पिंड—पदार्थों का ढेर करना, १० द्रव्यसार—द्रव्य को ही सारभूत समझना, ११ धनादि के विषय में असीम इच्छाएँ रखना, १२ प्रतिबन्ध—धनसम्पत्ति के बारे में अत्यन्त आसक्ति रखना, १३ लोभात्मा—द्रव्यों में लोभ का स्वभाव होना, १४ महर्द्विका—धनादि के बारे में बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करना, अथवा महर्द्विका—यानी धनादि की महती याचना करना, १५ उपकरण—गृहोपयोगी सामग्री, १६ संरक्षण—आसक्तिवश धन, शरीर आदि का जतन करना, १७ भार—आत्मा के लिए भाररूप, १८ सपातोत्पादक—अनर्थों का जनक, १९—कलिकरंड—कलह का पिटारा, २० प्रविस्तर—व्यापारादि का फैलाना, २१ अनर्थ—अनर्थों का कारण, २२ संस्तव-स्त्रीपुत्रादि या धन आदि में आसक्तिपूर्वक अत्यन्त संसर्ग या परिचय करना, २३ अगुप्ति—इच्छाओं को दबा कर न रखना, अथवा अकीर्ति—अपयश का कारण, २४ आयास—शारीरिक एवं मानसिक खेद का कारण, २५ अविद्योग—धनादि का अपने से विद्योग न करना—न छोड़ना, २६ अमुक्ति—निर्लोभता का अभाव अथवा लोभ का न छूटना, २७ तृष्णा—धन-धान्यादि को प्राप्त करने तथा प्राप्त को बढ़ाने की तीव्र लालसा करना। २८ अनर्थक—परमार्थदृष्टि से निरर्थक, २९ आसक्ति—स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों में सूच्छा या गृद्धि रखना, और ३० असतोष—सतोष का अभाव, ये तीस परिग्रह के सार्थक नाम हैं, इसी प्रकार के और भी नाम इसके हो सकते हैं।

व्याख्या

परिग्रह के स्वरूप का निरूपण करने के बाद अब शास्त्रकार ने परिग्रह के सार्थक तीस नामों का उल्लेख इस सूत्रपाठ में किया है। यद्यपि पदार्थान्वय एवं मूलार्थ से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, फिर भी उनका रहस्य बताना आवश्यक समझ कर हम क्रमशः उन पर विश्लेषण कर रहे हैं—

‘परिग्रहो’—सूच्छा-भ्रमतापूर्वक शरीर, धन या अन्य साधन-सामग्री ग्रहण करना, अथवा चारों ओर से जिसका ग्रहण किया जाय, वह धनधान्यादि वस्तु परिग्रह है। इन दोनों लक्षणों में क्रमशः आभ्यन्तर और बाह्य दोनों परिग्रहों का समावेश हो जाता है।

‘सच्यो’—जो भी पदार्थ मिला या अच्छा मालूम हुआ, उसे सग्रह कर लेना, संचय कहलाना है। सचय में आदमी अपनी इच्छाओं पर समय नहीं रखता, हर

चीज को अपनी बनाना चाहता है। जिसकी ममता जितनी अधिक होती है, वह भविष्य के लिए उतना ही अधिक सग्रह करके रखता जाता है। चाहे उस वस्तु का उपयोग न होता हो, वह काम में न आती हो, दूसरे व्यक्ति उसके अभाव में भूखे-प्यासे या दुःखी होते हो, सचयी इसका विवेक नहीं करता। सचय में तो चारों ओर से ग्रहण करने की ही वृत्ति रहती है, इसलिए सचय को परिग्रह का साथी ठीक ही कहा है।

‘चयो’—वर्तमानकाल की अपेक्षा से धन, धान्यादि वस्तुओं को इकट्ठा करना चय कहलाता है। चय में भी मनोवृत्ति संतोष की नहीं होती। वर्तमानकाल में किसी पदार्थ को पाने की लालसा हुई और पता नहीं, वह पदार्थ भविष्य में मिलेगा या नहीं? इस आशंका में उसका सग्रह करना चय है। चय में भी लोभवश मनुष्य आवश्यकता में अधिक ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, इसलिए ‘चय’ भी परिग्रह का छोटा भाई है।

‘उबचओ’—उपचय करना—बढ़ाना—वृद्धि करना उपचय कहलाता है। धनादि पदार्थों को बढ़ाने की लालसा त्यागी या व्रतधारी को छोड़कर प्रायः हर व्यक्ति में होती है। किमी के पास हजार रुपये होंगे तो वह दो हजार चाहेगा और दो हजार वाला दस हजार तथा दस हजार वाला एक लाख प्राप्त करना चाहेगा। इस तरह पदार्थों को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने की लालसा बनी रहना ही उपचय कहलाता है। अतः इसे परिग्रह का सगा भाई कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं।

‘निहाण’ धन को भूमि में गाड़ कर या तिजोरी में बंद करके रखना अथवा किन्हीं वस्तुओं को दबा कर रखना निधान कहलाता है। धन या पदार्थों को दबा कर या गाड़ कर रखने वाला प्रायः यही सोचता है कि कोई दूसरा इनका उपयोग न कर ले। असल में ऐसा व्यक्ति न तो उन वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है, और न ही दूसरों को उपयोग करने देता है। वह मम्मण सेठ की तरह अपनी सम्पत्ति, हीरा, माणिक्य आदि पदार्थ, या बहुमूल्य वस्त्र आदि देख-देख कर राजी होता है, ममत्त्व-पूर्वक उसी की चिन्ता में डूबा रहता है, न तो खुद ही किसी काम में उन्हें खर्च करता है, न परिवार वालों को ही खर्च करने देता है और न ही परोपकार के कार्यों में दान देता है। वह धन, साधन आदि को देख-देख कर आखें ठंडी करता है। यही निधान-वृत्ति है, जो परिग्रह की ही बहन है। अथवा दोषों का निदान—मूलकारण होने से इसे निदान भी कहा जा सकता है।

‘संभारो’—धान्य आदि पदार्थों को अधिक मात्रा में भर कर रखना सभार कहलाता है। कई दफा मनुष्य कपड़ों की पेटियाँ पर पेटियाँ भर कर रखता है। वे भरी की भरी रखी रहती हैं, उतने कपड़े न तो जिदगी में स्वयं के ही काम आते हैं और न किसी दूसरे के काम ही आते हैं। केवल मोह-ममतावश मनुष्य दिल में झूठा संतोष मान लेता है

कि ये कपड़े या ये पदार्थ मेरे काम में आएँगे। उसे यह पता नहीं है कि काल किस समय आ दबोचेगा। उस समय ये सब चीजें यही की यही धरी रह जायेगी। अथवा वह जिस समय उन पदार्थों में से किसी को काम में लेना चाहेगा, उस समय बीमारी, अशक्ति, अगविकलता आदि अन्तरायों के कारण वह उन्हे जरा भी काम में नहीं ले सकेगा। इसलिए 'सभार' में भी परिग्रह के समान ग्रहण करके केवल भरने या भरे रखने की दृष्टि होने से वह भी परिग्रह का मित्र है।

'संकरो'—भिन्न-भिन्न पदार्थों को मिला कर—एकत्र करके रखना 'सकर' कहलाता है। कई बार मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि अगर यह कीमती चीज अलग रखी जायगी तो कोई माग लेगा या घर का कोई आदमी इसका इस्तेमाल कर लेगा। अतः वह उस बहुमूल्य चीज को दूसरी घटिया चीजों के साथ इस तरह मिला कर रख देता है कि दूसरे को झटपट न मिले। इस सकरवृत्ति के पीछे उम वस्तु के पीछे ममत्त्व की भावना होती है, और यही बात परिग्रह में होती है। इसलिए 'सकर' को परिग्रह का समानार्थक शब्द कहना उचित है।

'आयरो'—अपने शरीर, धन, धान्य आदि का आदर-सत्कार करना, नाड-प्यार करना 'आदर' कहलाता है। कई मनुष्यों को देखा गया है कि वे अपने धन, शरीर या वस्त्र आदि को बहुत ही सहेज कर हिफाजत से रखते हैं। शरीर सशक्त है, परोपकार के काम में आ सकता है, अथवा गृहकार्य करने में भी सशक्त है, लेकिन उसके प्रति मोह या आसक्ति होती है, इसलिए वे न तो उससे कुछ काम लेते हैं, न परोपकार के लिए शरीर का उपयोग करते हैं, जीवनभर आलसी और अकर्मण्य बन कर शरीर को ही सजाने—सवारने या धनादि को हिफाजत से रखने—रखाने में लगे रहते हैं। उनकी यह वृत्ति-प्रवृत्ति मोह-ममत्ववश होती है, इस लिए आदर को परिग्रह का जनक कहना उपयुक्त है।

'पिंडो'—किसी वस्तु या धन की राशि बनाना या ढेर करना या एकत्रीकरण करना पिंड कहलाता है। मनुष्य कई बार लोभवश धन की राशि करने में या किसी वस्तु का ढेर करने में ही लग जाता है, उस धुन में वह न तो ठीक तरह से खाता-पीता है, न ही सोता है, न किसी से मिलता-जुलता है, न अपने परिवार या समाज के प्रति कर्तव्यों पर ध्यान देता है और न ही किसी परोपकार के काम में प्रवृत्त होता है। रातदिन मम्मण सेठ की तरह धन के ढेर लगाने में या किसी चीज को एकत्र करने में ही तेली के बल के समान जुता रहता है। पिंड लोभवश ही होता है, और लोभ परिग्रह को उत्तेजित करता है। इस कारण पिंड को परिग्रह का जनक कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं।

'द्व्यसारो'—द्रव्य को ही सार में एकमात्र सारभूत वस्तु मानना द्रव्यसार

कहलाता है। यहाँ द्रव्य से धन का तात्पर्य है। कई लोग जो अत्यन्त लोभी होते हैं, वे द्रव्य को ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं। द्रव्य के लिए नीति, न्याय, धर्म, भाई—बन्धुओं का स्नेह, पुत्रों के प्रति कर्त्तव्य, स्त्री के प्रति जिम्मेदारी, आदि सबको वे ताक में रख देते हैं। ऐसे लोग धन के लिए ईमानदारी—बेईमानी का कोई विचार नहीं करते, भक्ष्य-अभक्ष्य, पेय-अपेय की भी परवाह नहीं करते और न लोकविरुद्ध व्यवसाय—मास की दूकान, मदिरालय, वेश्यालय, मुर्गी खाना आदि धंधों को अपनाते से परहेज करते हैं। येन-कंन-प्रकारेण धन उनके पास आना चाहिए। धन के लिए वे किसी का गला घोटने, किसी की हत्या करने या मारने-पीटने से नहीं चूकते। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना होता है। क्योंकि वे धन को ही सुख का साधन, जीवन का निचोड़ समझते हैं। ऐसी द्रव्यसारता की वृत्ति परिग्रह-लालसा की द्योतक है। इसीलिए 'द्रव्यसार' को परिग्रह का पर्यायवाची ठीक ही कहा है।

'महिच्छा'—असीम इच्छाओं का कारण महेच्छा कहलाती है। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जब वह अनाप-सनाप इच्छाएँ मन में उठाता रहता है तो दूसरे किसी भी अच्छे कार्य, अपने धर्म, नियम, कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व की ओर उमका ध्यान नहीं जाता। इच्छाएँ परिग्रह को जन्म देती हैं। जो-जो इच्छा-रूपी तरंगे मन में उठती हैं, मनुष्य उन्हें पूरी करने के लिए हाथ-पैर मारता है, रात दिन इसी उधेड़ बुन में रहता है। उसे जीवन में अपनी कामनाओं को पूरा करने की धुन सवार होती है। कामनाएँ कभी पूरी होती नहीं। इस कारण वह अशान्त, हताश और निराश हो जाता है। इसलिए महेच्छा परिग्रह का कारण होने से एक तरह से परिग्रह की जननी है।

'पडिबंधो'—किसी वस्तु के साथ बंध जाना, जकड़ा जाना प्रतिबंध कहलाता है। मनुष्य आसक्ति बश ही किसी चीज में बधता है। जैसे भीरा सुगन्ध के लोभवश कमल को भेदन करने की शक्ति होने पर भी कमल के कोश में बंद हो जाता है, इसी प्रकार स्त्री, मकान, दूकान, धन या पदार्थ अथवा पद के मोह में ऐसे जकड़ जाना कि उसे छोड़ने का सामर्थ्य होते हुए भी छोड़ना नहीं, उसके झूठे प्रेम में बंद हो जाना ही प्रतिबंध है। ऐसा प्रतिबंध मनुष्य की स्वतंत्रता की शक्ति को कुंठित कर देता है। जैसे तोता पीजरे में बंद होकर अच्छे-अच्छे पदार्थ पाने के लोभ से अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है, वैसे ही किसी के प्रतिबन्ध में पड़ा हुआ मनुष्य भी अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है। इसलिए प्रतिबन्ध भी परिग्रह की तरह एक प्रकार का बन्धन है।

'लोहप्या'—लोभ का स्वभाव—लोभवृत्ति लोभात्मा है। लोभवश ही वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। लोभी वृत्ति वाला मनुष्य लोभ के बश दूसरों के

साथ झूठ बोलने, बेईमानी करने, दूसरो को धोखा देने, झूठा तौल—नाप करने, मिलावट करने, असली वस्तु दिखा कर नकली देने आदि अनैतिक के कार्य करने से नहीं हिचकिचाता। इस दृष्टि से लोभ परिग्रह का कारण है। इसलिए लोभात्मा (लोभस्वभाव) को परिग्रह का वाप कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

'महिद्दिया' या 'महिद्विया'—जिसमें बड़ी-बड़ी आकाशाएँ हो, उस महादिका कहते हैं। मनुष्य अपने लिए बड़ी-बड़ी आकाशाएँ करता है। आकाशाएँ असीम होती हैं। उनकी पूर्ति न होने से मन में सन्देश होता है। परिग्रह भी इच्छाओं में होता है, इसलिए महादिका को परिग्रह की जननी समझा जाय तो कोई हर्ज नहीं। उसका दूसरा रूप महादिका बनता है, जिसका अर्थ होता है—महनी याचना। जिसमें बड़ी-बड़ी मांगे हो वह महादिका कहलाती है। जिसमें लोभवृत्ति होनी है, वह बड़ी-बड़ी मांगे रखता है, बार-बार याचना करना है। अतः महादिका को भी परिग्रह से सम्बन्धित होने से परिग्रह का पर्यायवाची शब्द कहना ठीक ही है।

'उपकरण' उपधि या गृहोपयोगी साधन-सामग्री को उपकरण कहते हैं। मनुष्य कभी-कभी आवश्यकता-अनावश्यकता का खयाल नहीं करता और अनाप-सनाप चीजे घर में जमा करता रहता है, कई दफा तो मारा कमरा फर्नीचर (टेबल, कुर्सी, सोफा, अलमारी आदि) से खचाखच भर जाता है। कई लोग बिना जरूरत की कई चीजें बर्तन, फूलदान, शाडकानुस आदि मजागट या शोभा के लिए रखते हैं। यह सरासर परिग्रह है। परिग्रहरूप बनी हुई उपधि जीवन के लिए उपाधि बन जाती है। यह तो हुई बाह्य उपधि। आभ्यन्तर उपधि आत्मा में सम्बन्धित है। आत्मा या आत्म गुणों के अतिरिक्त जितने भी ज्ञानावरणीय आदि आठ द्रव्यकर्म हैं, और रागद्वेष, कपाय आदि भाव कर्म हैं, वे सब आभ्यन्तर उपधि हैं। बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह के समकक्ष होने से उपधि भी परिग्रह की सहोदर बहन है।

'भारो'—बोझ या भाररूप होने से परिग्रह को भार कहा जाता है। वास्तव में जब प्राणी के जीवन में बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह बढ़ जाता है, तब वह भार-भूत हो जाता है। यो तो आत्मा का गुण अगुरु लघु है। वह न तो इतना हलका है कि रूई की तरह उड़ जाए और न लोहे के पिंड के समान भारी है कि जमीन में धस जाए। किन्तु अनादिकाल से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का भार इस आत्मा के प्रत्येक प्रदेश (कण-कण) के साथ चिपका हुआ है। ज्ञानावरणीयादि कर्म भी परिग्रह हैं। अतः इस परिग्रह के बोझ से दबे होने के कारण आत्मा का ऊर्ध्वगमन का स्वभाव आवृत हो गया है और वह नाना गतियों में चक्रवत् घूमता रहता है। अतः अन्तरंग भार ज्ञानावरणीयादि कर्म है और शरीर से सम्बन्धित स्त्री, पुत्र, मकान, धन आदि बाह्य भार हैं। उक्त दोनों भारों से दबा हुआ आत्मा अपनी अन्तिम मंजिल (मुक्ति) तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए भार को परिग्रह का पर्यायवाची कहना यथार्थ है।

'सपाय उप्पायको'—सपातो—सकल्प-विकल्पादि अनर्थों का या उपद्रवों का उत्पादक होने से यह सपातोत्पादक भी कहलाता है। वास्तव में धनधान्यादि परिग्रह के अर्जन, रक्षण और वियोग के निमित्त से आत्मा में अनेक सकल्प-विकल्प उठत रहते हैं, जो कर्मबन्ध या दुर्गतिगमन के कारण हैं। और परिग्रह भी इसी प्रकार नाना सकल्प-विकल्प—चिन्ता-दुश्चिन्ता का कारण है, इसलिए 'सपातोत्पादक' को उसका साथी कहा जाय तो अनुचित नहीं।

'कलिकरडो'—कलि यानी कलह का पिटारा हाने से इसे कलिकरडो कहा है। वास्तव में परिग्रह लड़ाई-झगड़, युद्ध, वैर-विरोध, सघर्ष और मनमुटाव का खास कारण है। परिग्रह के कारण ससार में अनेक लड़ाई-झगड़, और वैर-विरोध हुए हैं। यहां तक कि सगे भाइयों में, पिता-पुत्र में और पति-पत्नी तक में परिग्रह के कारण ठनी है। कहा भी है—

“पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसंधाय बहुधा ।
विमोहाद् ईहेते सुखलवमवाप्नुं नृपपदम् ।
अहो मुग्धो लोको मृत्तिजननवष्टान्तरगतो,
न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममम् ॥”

अर्थात्—‘पिता पुत्र के साथ और पुत्र पिता के साथ मोह-भ्रूढतावश बहुधा सुख का लेश प्राप्त करने के लिए राजपद के लिए परस्पर लड़ते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि मृत्यु की दाढ़ी तले आये हुए मूढ लोग निरन्तर शरीर का सहार करते हुए यम की ओर नहीं देखते।’

भरतचक्रवर्ती ने राज्य के लिए अपने भाई बाहुबली के साथ युद्ध किया। यहाँ तक कि जब वह बाहुबली के साथ दृष्टियुद्ध आदि नियतयुद्धों में हार गया, तब अन्त में बाहुबली का प्राणघात करने की इच्छा से चक्र तक चलाने से नहीं हिचकिचाया। यह सब परिग्रह का ही तो कारण था।

अतः ‘कलिकरड’ को परिग्रह का पर्यायवाची शब्द बताना सार्थक ही है।

'पचित्थरो'- धन, धान्य आदि पदार्थों के व्यवसाय को फँसाना—जगह-जगह व्यवसाय का बढ़ावा करना—प्रविस्तर कहलाता है। प्रविस्तर भी परिग्रहबुद्धि—ममत्त्वबुद्धि के कारण हुआ करता है, इसलिए प्रविस्तर को परिग्रह का पुत्र कह दे, तो कोई अत्युक्ति नहीं।

'अणत्थो'—परिग्रह अनर्थ का कारण होने से इसका एक नाम अनर्थ भी है। शंकराचार्य ने कहा है—‘अर्थमनर्थ भावय नित्यम्’ अर्थ को सदा अनर्थ समझो। परिग्रह के कारण ही मनुष्य हिंसा, असत्य, चोरी, बेईमानी, कामभोगसेवन, स्वार्थ, लोभ आदि पापकर्म करता है। आभूषण एवं धनादि परिग्रह के लिए हत्या, लूट, ठकैती, मारपीट आदि अनेक

अनर्थ होते हैं। अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति के साथ सघर्ष और चरविरोध परिग्रह को ले कर हुआ करता है। अनेक शारीरिक और मानसिक दुःख इसी के निमित्त से हुआ करते हैं।

‘बह-बध्ण-मारण-सेहणाउ काओ परिग्रहे नत्थि ।

तं जह परिग्रहृच्छिय जहधम्मो तो नणु पवचो ॥

अर्थात्—मारना-पीटना, बाँधना, मार डालना, सजा देना इनमें से कौन-सी ऐसी पापक्रिया है, जो परिग्रह में नहीं है? यदि इन सबको उपचार से परिग्रह मान लिया जाय तो समझ लो, शेष यतिघर्म (क्षमा आदि) इसी परिग्रहत्याग का ही विस्तार है। दूसरी बात इससे आत्मा का कोई हित या अर्थ-प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उल्टे यह आत्मगुणों का विघातक है, आत्मा के साथ पापकर्मों को चिपकाने वाला है और दुर्गति में ले जाने वाला है। इसलिए परिग्रह अनर्थकर है। उपर्युक्त सभी कारणों से परिग्रह अनर्थों का मूल होने से, इसे ‘अनर्थ’ कहा है तो कोई अनुचित नहीं।

‘संघबो’—सस्त्व का अर्थ होता है—परिचय। और बार-बार किसी चीज का परिचय या संसर्ग मोह-ममता का कारण बन जाता है। जितना अधिक धन, धान्य, सुख-साधन, मन्त्री-पुत्र आदि के साथ सम्पर्क बढ़ता जाता है, उतना ही अधिक आसक्ति, मोह, जडता, ममता या श्लोथुपता बढ़ती जाती है। वस्तुतः परिग्रह आसक्ति के कारण होता है और सस्त्व के कारण आसक्ति बढ़ती ही है। इसलिये सस्त्व को परिग्रह का पर्यायवाची कहना ठीक ही है।

‘अगुप्ती’ या ‘अकोप्ति’—इच्छाओं का गोपन न करना दबा कर न रखना, खुली छोड़ देना, उन पर सयम या नियन्त्रण न करना, अगुप्ति कहलाती है। जब मनुष्य इच्छाओं को दबाता नहीं या उन पर कोई नियन्त्रण नहीं करता, तब इच्छाएँ उसे व्यथित, चिन्तित और उद्विग्न कर देती हैं। इच्छाएँ बढ़ाने से सुख बढ़ने की भ्रान्ति का शिकार होकर मनुष्य इच्छाओं को बढ़ाता जाता है। आम्बिरकार उसे इच्छाओं, आशाओं या कामनाओं का दास-गुलाम बनना पड़ता है। वह अपने जीवन का बादशाह नहीं बन सकता, वह इच्छाओं—चाहों के इशारे पर नाचता रहता है। परिग्रह अपने आप में इच्छाओं का अगोपन ही तो है। इसलिए अगुप्ति को परिग्रह की बहन कह दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं।

इसका एक यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि परिग्रह के लिए मनुष्य शरीर, मन और इन्द्रियों की प्रवृत्ति को अधिकाधिक तेज करता जाता है, वह प्रवृत्ति की धुन में बह कर असयम के कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाता है। असयम की प्रवृत्ति से आत्मा, मन, शरीर और इन्द्रियों को न बचाना—गोपन न करना भी अगुप्ति है।

परिग्रह मे प्रसक्त मनुष्य अपने मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियों को उन्मुक्त छोड़ देता है, उन्हें अशुभत्व या असंयम से बचाता नहीं। इसलिए अगुप्ति को परिग्रह की बहन कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं।

‘अगुप्ती’ के बदले कहीं-कहीं ‘अकिति’ शब्द मिलता है, उसका अर्थ है—अपकीर्ति बदनामी का कारण। परिग्रह अधिकाधिक बढ़ाने वाले प्रायः अपने धर्म, कर्तव्य या दायित्व की ओर नहीं धाक सकते, न उन्हें समाजसेवा के सत्कार्यों में सहयोग देने की स्फुरण होती है और न ही परोपकार का चिन्तन होता है। इसलिए केवल जोड़-जोड़ कर धन इकट्ठा करने वालों की कीर्ति कभी नहीं बढ़ती, बल्कि लोग उनकी अपकीर्ति ही अधिक करते हैं, उन्हें बदनाम करने से नहीं चूकते। अतः अकीर्ति मे कारणभूत होने से इसे भी शास्त्रकार ने परिग्रह का पर्यायवाची शब्द कहा है।

‘आयासो’—आयास का अर्थ है—खेद। परिग्रह के जुटाने मे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का खेद होता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने पर ही व्यक्ति परिग्रही बनता है। किन्तु इसके साथ मानसिक श्रम भी कम नहीं होता। धन आदि का अर्जन, रक्षण, व्यय और वियोग इन चारो मे कष्ट ही कष्ट है। इसलिए आयास का कारण होने से परिग्रह का आयास नाम भी दिया गया है।

‘अबिभोगो’—धन, साधन, घर का सामान आदि किसी भी चीज का त्याग न करना, अपने से वियुक्त न होने देना अबियोग कहलाता है। मनुष्य जब किसी भी चीज मे अत्यधिक आसक्त या मोहित हो जाता है, तब वह चीज चाहे सस्ती भी क्यों न हो, उसका अपने से वियोग नहीं होने देता अथवा वह अपनी अपेक्षा किसी अन्य अधिक जरूरतमंद को भी नहीं देता या उसका त्याग नहीं करता। अबियोग एक प्रकार की गाढ़ आसक्ति के कारण होता है; इसलिए इसे भी परिग्रह का एक भाई कह दे तो असंगत नहीं होगा। जिसे आसक्ति का रोग लग जाता है, वह व्यक्ति, किसी भी मनुष्य को—चाहे वह दुःख मे ही क्यों न पड़ा हो, जरूरतमंद ही क्यों न हो, दान देने या उसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने हेतु भी अपनी चीज नहीं देता। वह यो सोचा करता है कि अगर मैं अमुक चीज या धन किसी को दान मे दे दूँगा तो मेरे पास कम हो जायगा, मैं क्या करूँगा? इस प्रकार अज्ञानता और मूर्खता के कारण विपरीत समझ वाला वह किसी भी वस्तु का दान नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि मेरे पास अमुक चीज पड़ी रहेगी, मेरे काम नहीं आएगी तो उससे मुझे क्या सुख मिलेगा? बल्कि उसकी रक्षा-व्यवस्था की चिन्ता करनी पड़ेगी, जिससे दुःख ही

होगा। परिग्रह पास में होने पर भी कई लोग असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःखी दिखाई देते हैं और मुनि-श्रमण आदि के पास परिग्रह न होने पर भी वे वस्तुतः सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए धनादि के वियोग—त्याग को दुःख का हेतु नहीं समझना चाहिए।

‘अमुक्ती’—मुक्ति का अर्थ यहाँ निर्लोभता है। इस दृष्टि से अमुक्ति का अर्थ है—सलोभता। लोभ से मुक्ति तभी होती है, जब व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करने के बदले उपयोग करना सीख ले, आवश्यकता से अधिक एक भी चीज का सग्रह न करे, आवश्यकताओं की भी सीमा बाधें। अतः जब तक लोभ से मुक्ति-छुटकारा पाने का उपाय नहीं किया जाता, तब तक परिग्रह की वृत्ति मनुष्य को तग करती रहती है। इसलिए अमुक्ति को परिग्रह की महचारिणी कहे तो अनुचित नहीं होगा।

‘तृष्णा’—धन, सुख के साधन या सासारिक पदार्थों की वाञ्छा या लालसा तृष्णा कहलाती है। तृष्णा मनुष्य को परिग्रह में प्रवृत्त करती है। तृष्णा न होती तो मनुष्य को परिग्रह में प्रवृत्त होने की आवश्यकता ही न रहनी। तृष्णा-राक्षसी मनुष्य को प्रेरित करके धन-दि पदार्थ जुटाने को विवश कर देती है। मनुष्य तृष्णा के पीछे बेतहाशा भागते-भागते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, वह सदा जवान रहती है। तृष्णा से सतप्त प्राणी शान्ति पाने के लिए परिग्रह को शान्ति का कारण समझ कर उसमें प्रवृत्ति करता है। लेकिन इधन से अग्नि के भड़कने के समान परिग्रहप्रवृत्ति से भी तृष्णा की आग और ज्यादा भड़कती जाती है, मनुष्य शान्ति के बदले और अधिक सताप में झुलम जाता है। किसी आचार्य ने ठीक ही कहा है—

‘रे धनेन्धनसंभारं प्रक्षिप्याऽशाहुताशने।

ज्वलन्तं मन्यते स्रान्तः शान्तं सन्पुक्षणे क्षणे।’

अर्थात्—‘अरे भव्यजीवो! यह अज्ञानी मानव आशा-तृष्णा-रूपी आग में धनरूपी-इन्धन का ढेर डाल कर उसे प्रतिक्षण अधिकाधिक प्रज्वलित करता है और उसमें जलता हुआ अपने-आपको भ्रान्तिबश शान्त हुआ समझता है।’

मतलब यह है कि तृष्णा—परिग्रह की वृद्धि होने पर बढ़ते हुए सताप को यह पामर जीव शान्ति और सुख समझता है।

वास्तव में तृष्णा ही परिग्रह की जननी है।

‘अर्थत्थको’—परमार्थदृष्टि से जो निरर्थक-निष्प्रयोजन हो, उसे अनर्थक कहते हैं। धन-धान्यादि जितने भी पदार्थ हैं, वे कुछ समय के लिए भले ही काल्पनिक सुख के कारण बन जायें, लेकिन वह सुख वास्तविक नहीं होता। परिग्रह आत्मा के लिए तो किसी भी काम का नहीं है। शरीर के लिए भी क्षणिक सुख का कारण होता है।

वह क्षण-र के लिए तो सुखकर लगता है, पर बाद में बहुत समय तक दुःखकारक बनता है। वह क्षणिक सुख भी अपध्यसेवन करने वाले रोगी की तरह वास्तव में दुःखदायी है। अतः परिग्रह को परमार्थ दृष्टि से 'अनर्थक' भी कहा है।

'आसत्ती'—घन आदि मे ममता, मूर्च्छा या गृद्धि होना आसक्ति है। आसक्ति के कारण ही तो परिग्रह का पाप लगता है। अन्यथा, सामने वस्तुओं का डेर लगा हो, यदि उस पर जरा भी मन न डुलाए, या ममत्वबुद्धि न करे तो वे पदार्थ उसके लिए परिग्रहरूप न होंगे। किसी के विशाल भवन मे एक त्यागी साधु भी रहता है, और उस भवन का मालिक भी रहता है। दोनों ही उसका समानरूप से पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। मकान को न तो उसका मालिक उठा कर कहीं अन्यत्र ले जा सकता है और न त्यागी साधु ही। परन्तु एक को मकान के खराब होने, नष्ट होने दूसरा कोई उस पर कब्जा न जमा ले, इस बात की हर समय चिन्ता रहेगी; वह उस मकान को अपना मान कर अहंकार और गर्व से फूल उठेगा। मकान को अधिक से अधिक किराये पर उठाने के लिए चिन्तित रहेगा, और मकान की गतिस्थिति पर दत्तचित्त रहेगा। मकान से सम्बन्धित इन सारी खुरापातों का मूल कारण आसक्ति है, उसी के कारण मकानमालिक परिग्रह से सम्बन्धित अशुभ कर्मों मे लिप्त होता रहता है। जबकि त्यागी साधु उस मकान मे रहता हुआ भी और उसका पूर्णरूप से उपयोग करता हुआ भी मकान को अपना नहीं मानता, इस कारण उसे अहंकार नहीं छूता; न वह लोभ से प्रेरित होता है कि मैं इसे न्यून या अधिक किराये पर उठा दूँ। न उसे उसके लिए किसी कारणवश चिन्तित होना पड़ता है। दूसरो के द्वारा उस पर कब्जा जमाने का भी उसे कोई डर नहीं है। अतः वह मकान की गतिस्थिति से चिन्तित या उसमे दत्तचित्त नहीं रहता। वह जब तक मकान मे रहना चाहता है, शान्ति से रहता है; बाद मे छोड़ जाता है। इस कारण न तो वह उस मकान मे आसक्ति रखता है और न परिग्रह से सम्बन्धित अशुभकर्मों से लिप्त होता है। यही आसक्ति और अनासक्ति में अन्तर है। इसलिए आसक्ति को परिग्रह की दादी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी।

'असंतोषो'—असंतोष का कारण होने से परिग्रह को असंतोष भी कहा है। मनुष्य जहाँ तक सासारिक पदार्थों के प्रति सतोष धारण नहीं कर लेगा, वहाँ तक उसे उन पदार्थों के न मिलने पर या कम मात्रा में मिलने पर असंतोष होता ही रहेगा। उस असंतोष के कारण घन-धान्यादि के संग्रह-परिग्रह मे वह अत्यधिक प्रवृत्त होता जायगा, लेकिन उसकी पूर्ति फिर भी नहीं होगी। असंतोष उसके पीछे सदा भूत की तरह लगा रहेगा। असंतोष की दबा परिग्रहबुद्धि नहीं, परिग्रह में कमी करना

और सतोष-वृत्ति धारण करना है। चूँकि असंतोष परिग्रह का कार्य है, इसलिए असंतोष को भी परिग्रह का साथी कहना अनुचित नहीं होगा।

परिग्रहधारो कौन-कौन प्राणी हैं ?

नामद्वार के बाद अब शास्त्रकार कर्ताद्वार के माध्यम से परिग्रह को स्वीकार करने वाले प्राणियों का प्रतिपादन करते हैं—

मूलपाठ

तं च पुण परिग्रहं ममायंति लोभघत्था भवणवर-विमाण-
वासिणो परिग्रहर्षई (ती) परिग्रहे विविहकरणबुद्धो देवनिकाया
य, असुर-भुयग-सुवण्ण(गरुल)-विज्जु - जलण-दोव-उदहि-दिसि-
पवण-थणिय-अणवंनिय-पणवंनिय-इसिवातिय- भूतवाइय - कदिय-
महाकंदिय - कुहंड-पतंगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस-किनर-
किंपुरिस-महोरग-गंधव्वा य, तिरियवासो, पंचविहा जोइसिया
य देवा वहस्सई (ती) चंदसूरसुक्कसणिच्छरा राहुधूमकेउबुधा य
अंगारका य तत्तवणिज्जकरणयवण्णा जे य गहा जोइसम्मि चारं
चरंति केऊ य गतिरतीया अट्टावीसतिविहा य नक्खत्तदेवगणा
नाणासंठाणसंठियाओ य तारगाओ ठियलेस्सा चारिणो य
अविस्साममंडलगती ।

उवरिचरा उड्ढलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा
सोहम्मीसाण - सणकुमार - माहिद - बंभलोग-लंतक - महासुक्क-
सहस्सार-आणय-पाणय-अच्चुया कप्पवर-विमाणवासिणो सुरगणा
गेवेज्जा अणुत्तरा दुविहा कप्पातीया विमाणवासी महिड्डिका
उत्तमा सुरवरा एवं च ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायति,
भवण-वाहण-जाण-विमाण-सयणासणाणि य नाणाविहवत्थभूसणा
पवरपहरणाणि य नाणामणिपंचवण्णदिव्वं च भायणविहिं
नाणाविह-कामरूवे वेउव्विय(त)अच्छरगणसंघाते दोवसमुद्दे
दिसाओ विदिसाओ चेतियाणि वणसंडे पव्वते य गामनगराणि य
आरामुज्जाणकाणणाणि य, कूव-सर-तलाग-वावि-दीहिय-देव-

कुल-सभ-पुत्र-वसहिमाइयाहि बहुकाइं कित्ताणि य परिगेण्हिता
परिग्गहं विपुलदब्बसारं देवावि सइंदगा न तित्ति न तुट्ठि
उवलभंति ।

अच्चंतविपुललोभाभिभूतसन्ना वासहर-इक्खुगार-वट्ट-पव्वय-
कुंडल-रुचग-वरमाणुसोत्तर-कालोदधि - लवणसलिल - दहपति-
रतिकर-अंजणकसेल-दहिमुह-उवपातुप्पाय-कंचणक - चित्तवित्त-
जमक-वरसिहर-कूडवासी वक्खार-अकम्मभूमिसु सुविभत्तभाग-
देसासु कम्मभूमिसु, जेऽवि य नरा चाउरंतचक्कवट्टी वासु-
देवा बलदेवा मंडलीया इस्सरा तलवरा सेणावतो इग्भा सेट्टी
रट्टिया पुरोहिया कुमारा दंडणायगा गणनायगा माडंबिया
सत्थवाहा कोडुंबिया अमच्चा एए अन्ने य एवमाती परिग्गहं
संचिणंति; अणंतं, असररां, दुरंतं, अधुवमणिच्चं, असासयं,
पावकम्मनेमं, अवकिरियव्वं, विणासमूलं, वहंबंधपरिकिलेस-
बहुलं, अणंतसंक्रिलेसकारणं । ते तं धणकणगरयणनिचयं पिडिता
चेव लोभघत्था संसारं अतिवयंति सब्बदुक्खसंनिलयणं, परिग्गहस्स
य अट्टाए सिप्पसयं सिक्खए बहुजणो कलाओ य बावत्तरि
सुनिपुणाओ लेहाइयाओ सउणरुयावसाणाओ गणियप्पहाणाओ
चउसट्ठि च महिलागुरो रतिजणणे सिप्पसेवं असि-मसि-किसि-
वाणिज्जं, ववहारं अत्थसत्थइसत्थच्छरुप्पगयं विविहाओ य
जोगजुंजणाओ अन्नेसु एवमादिएसु बहुसु कारणएसु जावज्जीवं
नडिज्जए, संचिणंति मंदबुद्धी परिग्गहस्सेव य अट्टाए करंति
पाणाण वहकररां, अलिय-नियडि-साइ-संपओगे परदब्ब(ब्बे)
अभिज्जा, सपरदारअभिगमणासेवणाए आयासविसूरणं कलह-
भंडणवेराणि य अवमाणणंविमाणणाओ इच्छामहिच्छप्पिवास-
सतततिसिया तण्हगेहि-लोभघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया करंति
कोहमाणमायालोभे, अकित्तणिज्जे परिग्गहे चेव होंति नियमा

सल्ला दंडा य गारवा य कसाया सन्ना य कामगुणअणह्णा
 य इंदियलेसाओ सयणसंपओगा सचित्ताचित्तमीसगाइं दव्वाइं
 अणंतकाइं इच्छंति परिघेत्तुं सदेवमणुयासुरम्म लोए लोभ-
 परिग्गहो जिणवरेहि भणिओ नत्थि एरिसो पासा पडिबधो अत्थि
 सब्वजीवाराणं सब्वलोए ॥ (सू. १६)

संस्कृतच्छाया

तं च पुनः परिग्रहं ममायन्ते लोभप्रस्ता भवनवरविमानवासिनः
 परिग्रहरुचयः परिग्रहे विविधकरणबुद्धयो देवनिकायाश्च असुरभुजगमुपर्ण-
 (गरुड़) - विद्यु उज्वलन-द्वीपोर्वाद्यद्विकृपवनस्तनिताऽणपन्निकपणपन्निकऋषि-
 वादिकभूतवादिकऋन्वितमहाऋन्वितकूष्मांडपतगदेवाः, पिशाच-भूत यक्ष-
 राक्षस-किन्नर-किम्पुरुष-महोरग गन्धर्वाश्च तिर्यग्वासिनः पंचविधाः ज्योति-
 ष्काश्च देवा बृहस्पति-चन्द्र-सूर्य-शुक्र-शनिश्चरा राहु-धूमकेतु-बुधाश्च अगार-
 काश्च तप्ततपनीयकनकवर्णा ये च ग्रहा ज्योतिषे चार चरन्ति, केतवश्च
 गतिरतिका अष्टाविंशतिविधाश्च नक्षत्रदेवगणा नानासस्थानसंस्थिताश्च
 तारकाः स्थितलेश्याश्च चारिष्यश्चाविभ्राममण्डलगतयः, उपरिचराः
 ऊर्ध्वलोकवासिनो द्विविधा वैमानिकाश्च देवाः सौधर्मेशानसानत्कुमार-
 माहेन्द्रब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारानतप्राणतारणाच्युताः कल्पवर-
 विमानवासिनः सुरगणा ध्रुवेयकाः अनुत्तरा, द्विविधाः कल्पातीता विमान-
 वासिनो महर्द्विका उत्तमाः सुरवराः, एवं च ते चतुर्विधाः सपरिवदोऽपि
 देवा ममायन्ते भवन-बाहन-यान-विमान-शयनासनानि च नानाविधवस्त्र-
 भूषणानि प्रवरप्रहरणानि च नानामणिपंचवर्णदिव्यं च भाजनविधि
 नानाविधकामरूपबिकुबिताप्सरोगणसंघातान् द्वीपसमुद्रान् दिशो
 विशशश्चेत्यानि वनर्षडान् पर्वतांश्च ग्रामनगराणि च आरामोद्यानकाननानि
 च कूपसारस्तडागवापीदीर्घिकादेवकुलसभाप्रपावसत्यादिकानि बहुकानि
 कीर्तनानि च परिगृह्य परिग्रहं विपुलद्रव्यसारं देवा अपि सेन्द्रका न तुष्टि
 न तुष्टिमुपलभन्ते अत्यन्त-विपुलसौभाभिभूतसंज्ञा वर्षधरेषुकार-वृत्त पर्वत
 कुंडल - दक्षकबरमानुषोत्तरकालोदधिलवणसलिलसहृदपतिरतिकरांजनक-
 शैलवधिमुष्ठाऽवपातोत्पातकांचनकचित्रविचित्रयमकबरशिखरकूटवासिनो
 वक्षस्काराकर्मभूमिषु सविभक्तभागवेशासु कर्मभूमिषु येषु च नराश्चतुरन्त-

अक्रवर्तिनो वासुदेवा बलदेवा मांडलिका ईश्वरास्तलवराः सेनापतय इभ्याः
श्रेष्ठिनो राष्ट्रिकाः पुरोहिताः कुमारा इंडनायका गणनायका मांडम्बिकाः
सार्थवाहा अमात्या, एतेऽन्ये चैवमादयः परिग्रहं संचिन्वन्ति अनन्तम्,
अशरणम्, दुरन्तम्, अध्रुवम्, अनित्यम्, अशाश्वतम्, पापकर्ममैमम्, अप-
कर्त्तव्यम् (क्षेप्यं), विनाशमूलम्, बधबन्धपरिक्लेशमूलम्, अनन्तसंक्लेश-
कारणम् ।

ते तं धनकनकरत्ननिचयं पिंडयन्तश्चैव लोभप्रस्ताः संसारमति-
पतन्ति सर्वदुःखसन्निलयनम् परिग्रहस्य चार्थाय शिल्पशतं शिक्षते बहुजनः
कलाश्च द्वाप्तर्ता सुनिपुणा लेखाविकाः शकुनरतावसाना गणितप्रधानाः
क्षतुर्षष्टि च महिलागुणान् रतिजनान्, शिल्पसेवाम् असि-मधि-कृषि-
वाणिज्यं व्यवहारम्, अर्थशास्त्रेषुशास्त्रत्सरप्रगतम्, विविधांश्च योगयोज-
नान् अन्येष्वेवमादिकेषु बहुषु कारणशतेषु यावज्जीवं नद्यन्ते, संचिन्वन्ति
मन्वबुद्धय परिग्रहस्यैव चार्थाय कुर्वन्ति प्राणानां बधकरणम् अस्तीकनिकृति-
सातिसम्प्रयोगान् परद्रव्याभिध्यां स्वपरद्वाराभिगमनासेवनायामायासविसूरणं
(मनःखेदं) कलहमंडनवैराणि धावमाननविमानना इच्छामहेच्छापिपासा-
सतततृषिताः तृष्णागृद्धिलोभप्रस्ता आत्मनाऽनिगृहीताः कुर्वन्ति श्लोथमान-
मायालोभान् अकीर्त्तनीयान्, परिग्रहे चैव भवन्ति नियमात् शक्यानि, दण्डाश्च
गौरवाणि च कषाया संज्ञाश्च कामगुणाश्वाश्चेन्द्रियलेश्याः स्वजनसंप्रयोगान्
सचित्ताचित्तमिभकानि द्रव्याणि अनन्तकानि इच्छन्ति परिगृहीतुं
सदेवमनुजासुरे लोके लोभपरिग्रहो जिनवरैर् भणितो, नास्तीदृशः पाशः प्रति-
बन्धोऽस्ति सर्वजीवानां सर्वलोके ॥ (सू. १६)

पदार्थान्वय—(तं च पुन) और उस (परिग्रहं) परिग्रह के प्रति (लोभघत्वा)
लोभ-ममत्व में फंसे हुए, (परिग्रहवर्द्धं) परिग्रह में रुचि रखने वाले, (भवणवरविमाष-
वासिणो) भवनवासी और श्रेष्ठ विमानवासी, (ममायंति) ममत्व करते हैं । (य)
और (परिग्रहे) परिग्रह के विषय में (विविहकरणबुद्धी) माना प्रकार से परिग्रह को
अपनाने की बुद्धि वाले—अनेक तरह के अविद्यमान परिग्रह को बटोरना चाहने वाले
(वेबनिकाया) बेवों के निकाय—समूह (असुरभुयगसुबण्णविष्णुनत्तणवीषजवह्निविसि-
पवणषणिय-अणयंनियणयंनिय-इसिवातिय-भूतवाइय-कंथिय-महाकविय-मुहंइ-पतंगवेवा)
असुरकुमार, मागकुमार, सुपर्ण—गरुडकुमार, विष्णुकुमार, अग्निकुमार, द्रौपकुमार,

उच्चिकुमार, विकुमार, पवनकुमार, स्तनिकुमार, ये दस भवनवासी देव हैं तथा अप्सरसिक, पक्षपक्षिक, ऋषिवाहिक, भूतवाहिक, क्रन्दित, महाक्रन्दित, कूर्मांड और पतंगदेव, ये व्यन्तरनिकाय के व्यन्तरविशेष हैं (य) तथा (पिसायभूय-जम्ब-रक्षस-किनर - किपुरिस - महोरग-गंधर्वा) पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्बुच, महोरग और गन्धर्व ये = महर्द्धिक व्यन्तरदेव हैं । (तिरियवासी) तिर्यंग्लोक में निवास करने वाले, खासतौर से वन-वनान्तर में निवास करने वाले वाणव्यन्तरदेव, (य) और (पंचविहा) ५ प्रकार के (जोइसिया देवा) ज्योतिष्क देव (बहस्तली-बंद-सूर-सुक-सनिच्छरा) बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक और शनिश्चर (य) तथा (राहुधूम-केउबुधा) राहु, धूमकेतु और बुध (य) और (अंगारका) मंगल (तत्ततवणिक्रकणय-वष्णा) तपे हुए तपनीय—रक्तसोने के समान रंग के (य) और (जे) जो अन्य, (गहा) प्रह (जोइसम्मि) ज्योतिष्क में (चारं चरंति) संचार—गति - गमन करते हैं अथवा अपनी जाल से चलते हैं । (य) और (गतिरतीया) गति में रति—प्रीति रखने वाले (केऊ) केतु (य) तथा (अट्टावीसतिविहा) २० प्रकार के (नखत्तदेवगणा) अभिजित् जाति नक्षत्र और ज्योतिषी देवगण हैं, (नाणासंठाणसंठियाओ) अनेक आकारों से युक्त (तारगाओ) तारागण, ये (ठियलेस्ता) स्थिरलेश्या—दीप्ति वाले—अर्थात् मनुष्यक्षेत्र के बाहर के ज्योतिषदेव गतिरहित होते हैं । (य) तथा (चारिणो) मनुष्यक्षेत्र के अन्दर गमन करने वाले, (अविस्साममंडलगती) विध्वामरहित—निरन्तर अपने-अपने मंडलों में गति करते हैं ।

(य) और (उच्चरिचरा) तिर्यंग्लोक के ऊपर के भाग में रहने वाले (उच्च-लोकवासी) ऊर्ध्वलोक में निवास करने वाले (विमाणिया) वैमानिक (देवा) देव (दुविहा) दो प्रकार के होते हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत (सोहम्मिसाण-सणकुमार-माहिद-बंभलोग-संतक-महासुवक-सहस्सार-आणय-याणय - आरण - अच्चया) सौधर्म, ईशान, सामकुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लालक, महाशुक, सहज्वार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत (कप्पवरविमाणवासिणो) उत्तम कल्पविमानों में निवास करने वाले अर्थात् कल्पोपपन्न हैं । (देवेष्णा) ईश्वर्य और (अणुत्तरा) अनुत्तर (दुविहा) दो दोनों प्रकार के (सुरगणा) देवगण, (कप्पातीया) कल्पातीत हैं । (य) तथा (विमाण-वासी) ये विमानवासी (महिद्विदया) महान् ऋद्धि वाले (उत्तमा) श्रेष्ठ (सुरवरा) सब देवों में उत्तम देव हैं । (एवं) इस प्रकार (ते) ये (अउच्चिहा सपरिसावि देवा) चार प्रकार की परिवर्ण के सहित देव भी, (ममायंति) ममता—मूर्च्छा करते हैं । (य) तथा (भवन-वाहण-आण-विमाण-सयणासवाधि) भवन, हाथी जाति वाहन,

रथ, आदि सुन्दर सवारियां, विमान, शय्याएँ (पलंग, खाट आदि) और अस्त्र, (य) और (नागानिहकल्पभूतना) अनेक प्रकार के कल्प एवं आभूषण, (पवरथहर-पाणि) उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र (य) और (नागानिपंचकसिद्धि) नामा प्रकार की मणियों के पत्थरों के विषय, (भायणविर्हि) विविध प्रकार के भाजन — वर्तन, (मायाविह-कामरूप-वेद्यविषय-अच्छरगण-संघाते) अपनी इच्छानुसार नामा प्रकार के रूप विधिया से बनाने वाली अप्सराओं के समूह को । (य) और (वीरसमुद्र) अस्तंभ्यात द्वीप-समुद्रों को, (विसाओ) विशाएँ (विदिसाओ) विदिसाएँ (चेतियाणि) चैत्यवृक्ष (वचसंघे) वन-समूह (य) एवं (पञ्चते) पहाड़ (य) तथा (गामनगराणि य) गाँव और नगर, (अरामुज्जाणकाणणाणि) लोगों द्वारा बनाई हुई छोटी सी बाटिका, उद्यान—खेसने का बगीचा, घना जंगल (य) और (कूब-सर-तलाग-वाधि-वीहिय-वेककुल-सम-प्यव-वसहिमाइयाइ) कुँए, सरोवर, तालाब, बाघड़ियाँ, बड़ी बाघड़ियाँ, देवमन्दिर, सभाएँ प्याऊएँ, आश्रम आदि स्थानों (य) तथा (विपुलवज्जसारं) बहुत अधिक सारभूत द्रव्यमय (परिग्रह) परिग्रह को, (परिवेष्टिता) स्वीकार करके, (सहंभगा) इन्द्रों सहित (देवा वि) देवता भी (अच्छंतविपुललोभाभिभूतसत्त्वा) जिनकी संज्ञाएँ-इच्छाएँ अत्यन्त भारी लोभ से प्रभावित हैं, (वासइच्छुगारवट्टपुण्ययकुंडलरथयवर-माणुसोत्तरकालोदधि - लवणसलिलवहपतिरतिकर - अंजणकसेल - बहिमुहवप्यातुप्याव-कंचणक-चित्तविचित्त-यमकवरसिहरकूटवासी) वर्षधर पर्वत—कुलाचल पहाड़, इषुकार पर्वत, वतुंसाकार—गोलाकार विजयाखंड पर्वत, कुंडलद्वीप के अन्तर्गत कुम्भलाकारपर्वत, रथकवरद्वीप के अन्तर्गत मण्डलाकारपर्वत, मानुषोत्तर पर्वत, कालोदधि समुद्र, लवणोदधि, गंगा आदि महानदियों, पद्म—महापद्म आदि बड़े-बड़े लुबों—श्रीलों, रतिकर पर्वतों, नन्दीश्वर द्वीप के अन्तर्गत अजनाक नामक पर्वत, तथा दधिमुक्ष नाम के पर्वतों, जहाँ पर वैमानिक देव मनुष्यक्षेत्र में आते हैं उन पर्वतों, कांचनमय पर्वतों, चित्रविचित्र कूटपर्वतों, यमकवर नामक पर्वतों, समुद्रमध्यवर्ती गोस्तुपादि पर्वतों, और मन्वनवन कूट आदि में निवास करने वाले देव (न तित्ति) न तो तृप्ति और (न तुष्टि) न संतोष ही (उवलभंति) पाते हैं । (बकवार अकम्मभूमिनु) जिसमें बकार पर्वत विशेष है, ऐसी क्षेमवत आदि अकर्मभूमियों में (य) तथा (सुविणसत्तगवेसात्तु) जिनमें देशों का अच्छी तरह विभाग किया हुआ है ऐसी (कम्मभूमिनु) भरत आदि आदि १५ कर्मभूमियों में (जो वि) जो भी (चाउरंतचक्कवट्टी) भरतक्षेत्र की चारों दिशाओं में चक्र द्वारा विजय प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती (वासुदेवा) वासुदेव-नारायण, (वलवेवा) बलभद्र (मंडलीया) मांडलिक राजा, (इत्तरा) बुधराज आदि या जामीरवार लोग,

(तलवार) राजा के द्वारा प्रसन्न हो कर बिये गये रत्नजटित स्वर्णपदक को मस्तक पर बांधने वाले, (सेनावती) सेनानायक, इक्ष्मा) हस्तीप्रमाण स्वर्णराशि के स्वामी बड़े सेठ, (सेट्ठी) सामान्य धनिक सेठ, (रटिठया) राष्ट्र की विन्ता करने वाले—राज-विन्ता करने वाले राजनियुक्त बड़े अधिकारी (पुरोहिता) शान्तिकर्म करने वाले पुरोहित (कुमार) कुमार—राज्यासन के योग्य कुमार, (दंडनायगा) दंडनायक—तंत्रपाल पुलिस-अधिकारी, (गणनायगा) गणनायक—मुखिया, (भाडंबिया) ऐसे गांवों के राजा, जिन गांवों के चारों ओर योजन तक अन्य बस्ती न हो, (सत्थवाहा) सार्धवाहब—नजारे, (कोडंबिया) कुटुम्बों में अगुआ या ग्राम का मुखिया (अमच्छा) अमात्य मंत्री-राज्य-हितैषी-बरबारी, (एए अन्नो य एवमाती) ये और इसी प्रकार के अन्य, (नरा) मनुष्य (परिग्रह संविणति) पूर्वोक्त जो परिग्रह है, उसे इकट्ठा करते हैं, जो (अगत) अन्त-रहित है, (असरणं) शरण देने वाला नहीं है, (दुरंतं) परिणाम में दुःखप्रद है, (अधुवं) जो स्थिर रहने वाला नहीं है, (अणिच्च) जो अनित्य है—नाशवान है, (असासय) सदा रहने वाला नहीं है. (पावकम्मनेमं) पापकर्मों का मूल है (अवकिरियब्बं) त्याज्य है, (विणासमूलं) ज्ञानाविगुणों के विनाश का कारण है। (बहंबंधपरिकिलेसबहुल) बंध—मारनेपीटने, बंधन में डालने तथा रातदिन परिक्लेश से प्रचुर है। (अणंतसंकिलेसकारणं) अपार संक्लेशों—चित्तविकारों को पैदा करने वाला है। (च) और (ते) वे देव (तं) उस (धणकणगरयणनिचयं) धन-सम्पत्ति, सोना और रत्नों की राशि का (पिडिता एव) संबन्ध करते हुए (सव्वदुकल-संनिसयणं) समस्त दुःखों के आश्रयभूत या घर (ससारं) संसार में—जन्ममरण के चक्र में, (अतिबयंति) पड़ते हैं, परिभ्रमण करते हैं। (परिग्रहस्स अट्ठाए) परिग्रह के लिए (सिप्पसेयं) सैकड़ों शिल्प या हुन्नर (य) और (बहुजणो) बहुत-से लोग, (बावत्तरिं मुनिपुणाओ लेहाइयाओ सउणसयावसाणाओ गणियप्पहाओ कलाओ) भलीभांति निपुणता कराने वाली लेखन आदि से ले कर पक्षियों की बोली—शब्द के ज्ञान तक की गणित प्रधान ७२ कलाएँ (च) और (चउसट्ठि रतिजणणे महिलागुणे) रति उत्पन्न करने वाले ६४ महिलागुणों—स्त्रियों की ६४ कलाएँ (सिप्पसेयं) शिल्प विविध प्रकार के हुन्नर तथा सेवा का कार्य (असिमत्तिकि-सिवाणिज्जं) तलवार चलाने का अभ्यास युद्धविद्या, हिसाब व किताब या लेखादि लिखने का कार्य, खेतीबाड़ी एवं व्यापार—वाणिज्य, (बवहारं) विवाद मिटाने की विद्या—बकालात, (अत्थसत्थ-इसत्थच्छरुप्पगयं) अर्थशास्त्र, राजनीति, धनुर्वेद आदि

दुःखशास्त्र, घुरी-तसवार आदि पकड़ने का शास्त्र (घ) और (विधिहाओ जोगपुंज-
णाओ) अनेक प्रकार के योगवशीकरणावि तंत्रप्रयोग, (सिक्खाए) सीखते हैं। (अज्ञेसु
एवमाविएसु बहुसु कारणसएसु जावज्जीवं नडिज्जए) और भी इस प्रकार के बहुत से
परिग्रह को ग्रहण करने के संकड़ों उपायों में, प्रपंचों में या छटपटों में आजीवन प्रवृत्ति
करते हैं और बिडम्बना पाते हैं। (घ) और (मंभवुड्डी) मन्व बुद्धि वाले अज्ञानी जीव
(संचिपंति) बहुत चीजों को इकट्ठा करते हैं। (घ) तथा (परिग्रहस्तेव अट्टाए)
परिग्रह के लिए ही, (करंति पाणाण वहकरणं) जीवों की हत्या—हिंसा करते हैं।
(अलियनियडिसाइसंपओगे) झूठ-मूधाभाषण, अत्यन्त आश्चर्यपूर्वक बंधना—निष्कृति,
असली वस्तु में रही वस्तु मिला कर उत्तमवस्तु की ध्वान्ति—साति उत्पन्न करने के
प्रयोगों को, (परवव्व अभिज्जा) पराये द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा, (सपरवार-
अभिगमणासेवणाए आयासविसूरणं) अपनी स्त्री या परस्त्री के साथ गमन करने
से तथा पुत्रादि के उत्पन्न होने से खर्च बढ़ेगा, इस भय से अपनी स्त्री और
परस्त्री के सेवन से भी दूर रहते हैं। (कलहभंडवेराणि) कलह—मुंह से
विवाद—झगड़ा, शरीर से लड़ाई तथा शंखविरोध करते हैं। (अवमाणण-
विमाणणाओ) अपमान तथा यातनाएँ—पीड़ाएँ (करंति) करते हैं।
(इच्छामहिच्छप्पिवाससतततिसिया) चक्रवर्ती आदि की तरह अभिलाषाओं और
महेच्छा—बड़ी-बड़ी इच्छाओं रूपी पिपासा से निरन्तर प्यासे (तण्हगेहिलोमघत्था)
अप्राप्त द्रव्य की प्राप्ति की तृष्णा—लालसा एवं प्राप्त के प्रति आसक्ति या आकांक्षा
और लोभ में ग्रस्त, (अत्ताणा) रक्षाविहीन (अणिग्गहिया) इन्द्रियों और मन के परिग्रह—
समय से रहित होकर (कोहमाणमायालोभे करंति) क्रोध, मान, माया और लोभ
करते हैं। (अकित्तिण्णजे) निन्दनीय (च) तथा (परिग्रहे) परिग्रह में (एव)
ही (नियमा) नियम से (सल्ला) मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शन—शल्य
होते हैं, (वंडा) इसी में ही शारीरिक मानसिक वाचिक तीनों प्रकार के वण्ड—अप-
राध होते हैं, (गारवा) श्रद्धा, रस, और साता का अभिमान, (घ) और (कसाया) क्रोध
मान, माया और लोभरूप कषाय (घ) तथा (सत्ता) आहार, भय, मंचन और परिग्रह
ये ४ संज्ञाएँ, (कामपुणअण्हगा) शब्दादि इन्द्रियविषयों तथा हिंसादि ५ आश्रयद्वारों,
(घ) एव (इंदियलेसाओ) इन्द्रियविकार और कृष्ण, नील, कापोत ये तीन अग्रशस्त
लेख्याएँ (होंति) होती हैं। (सयणसंपओगा) अपने कुटुम्बीजनों के साथ किनाराकसी
—अलगाव करते हैं। (सच्चित्ताचित्तमीसगाइं अणंतकाइं वच्चाइं परिचेत्तुं इच्छंति)
और वे अनन्त असीम द्रव्यों को, चाहे वे सच्चित्त हों, अचित्त हों या विषय, ममत्वपूर्वक

ग्रहण करना चाहते हैं। (सवेचमनुयासुरग्नि लोए) देवों, मनुष्यों और असुरों के सहित स्वावरत्रसात्मक लोक में (जिणवरेह; जिनेन्द्र भगवन्तो ने (लोभपरिग्रहो) लोभ रूप परिग्रह (अणिओ) कहा है। (एरिसो पासो नत्थि) इस परिग्रह के समान और कोई पास—बंधन नहीं है। (सव्वलोए) सम्पूर्ण संसार में (सव्वजीवाणं) समस्त जीवों के लिए यह परिग्रह (वडिबंधो अत्थि) प्रतिबन्धक—राग, आसक्ति आदि का कारण है।

मूलार्थ—परिग्रह के लोभ में फंसे हुए, परिग्रह में रुचि रखने वाले भवनवासी देव और श्रेष्ठ विमानवासी देव ममत्वभाव रखते हैं। अविद्यमान परिग्रह को भी नाना प्रकार से अपनाने की बुद्धि वाले इन देवों के समूह-निकाय होते हैं। असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्नि-कुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, स्तनितकुमार, ये दस भवनवासी देव हैं तथा अणपन्निक, पणपन्निक, श्रद्धिवादि, भूतवादि, क्रन्दित, महाक्रन्दित, कूष्मांड, और पतंगदेव ये व्यन्तरनिकाय के उच्चजाति के व्यन्तरदेव हैं। तथा पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, ये ८ महर्दिक एवं तिर्यग्लोक के निवासी व ह्यासतौर से बनवनान्तर में निवास करने वाले वाणव्यन्तर देव हैं। इसी तरह तिर्यग्लोकवासी ५ प्रकार के ज्योतिषी देव हैं वृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र और शनिश्चर। इसी प्रकार राहु, धूम केतु, बुध और मंगल हैं। जो तपे हुए सोने के समान लाल हैं। तथा अन्य व्यालक आदि ग्रह हैं, जो ज्योतिश्चक्र में अपनी चाल से चलते हैं। गति में प्रीति रखने वाले केतु तथा २८ प्रकार के अभिजित् आदि नक्षत्र और ज्योतिषी देवगण हैं, विविध आकारों से युक्त तारा गण हैं। ये सब ज्योतिषदेव स्थिरदीप्ति वाले हैं; यानी मनुष्यक्षेत्र (ढाई द्वीप और दो समुद्रों) से बाहर ज्योतिषदेव स्थिरलेख्या वाले—गतिरहित होते हैं और मनुष्यक्षेत्र के अन्दर के ज्योतिषदेव गतिसहित हैं निरन्तर अपने-अपने मंडलों में गति करते हैं। तथा तिर्यग्लोक के ऊपर के भाग में रहने वाले ऊर्ध्वलोकनिवासी वैमानिक देव हैं। वे दो प्रकार के हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत। सौषर्म, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये उत्तम कल्पविमानों में निवास करने वाले कल्पोपपन्न देव हैं। नौ ग्रंथैक तथा पंच अनुत्तर (विमान वासी) ये दोनों प्रकार के देवगण कल्पातीत होते हैं। ये सब विमान वासी देव महान् श्रद्धि वाले और सब देवों में श्रेष्ठ देव होते हैं।

इस तरह अपनी-अपनी परिषद् के सहित ये चारों निकायों के देव भी आत्मा से अतिरिक्त सांसारिक पौद्गलिक पदार्थों पर ममता रखते हैं— 'वे मेरे हैं, इस प्रकार की ममत्वबुद्धि रखते हैं। तथा ये भवन, हाथी आदि वाहन; रथ आदि मवारियाँ, विमान, शय्याएँ, आसन तथा अनेक प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण, उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र और नाना प्रकार की मणियों से बने हुए पचरंगे दिव्य बर्तन भाजन, एवं अपनी इच्छानुसार विक्रिया द्वारा नाना प्रकार के रूप बनाने वाली अनेक भूषणो से भूषित अप्सरागणों के समूह को और इसी प्रकार द्वीप, समुद्र, दिशाएँ, विदिशाएँ, चैत्य वृक्ष, वन समूह पर्वत, गाँव, नगर, वाटिकाएँ, बाग-बगीचे, घना जंगल, कुँए सरोवर, तालाब, बावडी, देवालय, सभा, प्याऊ, आश्रम आदि स्थानों को स्वीकार करते हैं। तथा अत्यन्त अधिक सारभूत द्रव्य से विशिष्ट परिग्रह को स्वीकार करते हैं। इन्द्रो सहित इन देवों को संज्ञाएँ—'इच्छाएँ' अत्यन्त प्रचुर लोभ से अभिभूत होती है। वर्षधरपर्वतो, हिमवान् आदि कुलाचलपर्वतों, गोलाकार विजयाद्वीपपर्वतो, कुण्डलद्वीप के अन्तर्गत कुण्डलाकारपर्वत, रचकबर द्वीप के अन्तर्गत मण्डलाकारपर्वत, मानुषोत्तरपर्वत, कालोदधि और लवण समुद्र, गंगा आदि महानदियों, पद्म, महापद्म आदि बड़े-बड़े ह्रदों—भीलो, नन्दीश्वर नामक आठवें द्वीप में विदिशाओं में स्थित भालर के आकार के चार रतिकर पर्वतों, नन्दीश्वरद्वीप के अन्तर्गत अजनपवतो, जिन पर वैमानिक देव ठहर कर मनुष्यक्षेत्र में आते हैं, उन पर्वतो, उत्तरकुरु एवं देवकुरुक्षेत्र के कांचनमय पर्वतों, शीतोदा महानदी के तटवर्ती चित्र - विचित्र नाम के पर्वतो, शीता महानदी के तटवर्ती यमकवर नामक पवतो, समुद्र के मध्य में स्थित गोस्तूपारि पर्वतशिखरो और नन्दनवन के ऋटो आदि में निवास करने वाले देव न तो तृप्ति पाते हैं और न संतोष ही पाते हैं। जिनमें वझार नामक पर्वत विशेष हैं, जो विजयो को पृथक्-पृथक् विभक्त करने वाले हैं और जिनमें हैमवत आदि अकर्मभूमियाँ हैं। इसी प्रकार भली-भाँति विभक्त प्रदेश वाली कृषि आदि कर्म की केन्द्र भरत क्षेत्र आदि १५ कर्मभूमियाँ हैं। इन समस्त क्षेत्रों पर चारों दिशाओं में दिग्विजय करने वाले चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, मांडलिक—मुकुटबद्ध राजा, युवराज आदि ईश्वर अथवा जागीरदार—उमराव आदि लोग, तथा राजा के द्वारा प्रसन्न हो कर प्रदत्त रत्नभूषित स्वर्णपदक को मस्तक पर बाँधने वाले शासनसंचालक, सेनापति, हस्तीप्रमाण स्वर्गरक्षि

के स्वामी—इन्ध्र सेठ, सामान्य श्रेष्ठी, गण्डरक्षक राज्य—नियुक्त पुरोहित, राजकुमार, दण्डनायक, गणनायक, जिन गाँवों के चारों ओर निकट में बस्ती न हो, ऐसे गाँवों के स्वामी—मार्डबिक, सार्थवाह कुटुम्बों अथवा ग्राम के मुखिया और अमात्य इत्यादि ये और अन्य जो भी मनुष्य है, वे परिग्रह का संचय करते हैं। ऐसे परिग्रह का, जिसका कोई अन्त नहीं है, जो शरणदायक नहीं है, जिसका परिणाम दुःखदायी है, जो स्थिर नहीं है, जो अनित्य है, अशाश्वत है, पापकर्म का मूल है, विवेकी जनो द्वारा हेय है, विनाश का मूल है, वध, वध और क्लेश से परिपूर्ण है, और अत्यन्त संक्लिष्ट परिणाम—चित्ताविकार का कारण है।

लोभग्रस्त हुए वे देव, चक्रवर्ती आदि धन, सुवर्ण और रत्नों की राशि का संचय करके लोभी होकर चाण गतियों वाले समस्त दुःखों के पर संसार में भ्रमण करते हैं। बहुत-से लोग परिग्रह के लिए सैकड़ों शिल्प—दृष्टर तथा गणितप्रधान कला से लेकर पक्षियों की बोली के ज्ञान तक की लेखन आदि सुनिपुण ७२ कलाएँ सीखते हैं। तथा रति उत्पन्न करने वाली महिलाओं की ६४ कलाओं (गुणों) को कई सीखते हैं। शिल्प और बड़े आदमियों की सेवा करना सीखते हैं, एवं अस्ति—तलवार चलाने आदि की शास्त्र विद्या ममि—लेखनकार्य तथा खेती एवं वाणिज्य-व्यापार सीखते हैं। इसी प्रकार परस्पर विवाद—भगड़े को मिटाने के रूप में न्याय व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। धन-उपार्जन करने के उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्रो, राजनीति का ज्ञान कराने वाले नीतिशास्त्रो तथा धनुर्वेद आदि शास्त्रों को सीखते हैं और छुरी आदि शास्त्रों को पकड़ने और चलाने का अभ्यास करते हैं। तथा अनेक प्रकार के वशीकरण आदि तंत्रप्रयोगों को सीखते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से परिग्रहप्राप्ति के सैकड़ों कारणों—उपायों में प्रवृत्त होकर वे आजीवन बिडम्बना पाते हैं, परिग्रह के गुलाम बन कर नाचते हैं। वे मंदबुद्धि अज्ञानी जीव परिग्रह के संचय करने में लगे रहते हैं। परिग्रह के लिए वे प्राणियों का वध करते हैं। भूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, घटिया चीज में थोड़ी-सी बढ़िया चीज मिला कर उसमें उत्तम व शुद्ध वस्तु का भ्रम पैदा करके धूर्तता का प्रयोग करते हैं। पराये द्रव्य को स्वीचने की उधेड़बुन में रहते हैं। अपनी स्त्री और परस्त्री दोनों का सेवन करने में धन खर्च हो जायगा, तथा स्वस्त्रीसेवन करने से संतान होने पर उनके पालन-पोषण का भार वहन करना पड़ेगा, इस डर से स्वस्त्री और परस्त्री

दोनों का ही सेवन नहीं करते। इसी प्रकार परिग्रह के कारण वे वाचिक कलह, कायिक युद्ध और वैर-विरोध, अपमान एवं अनेक यातनाओं का अनुभव करते हैं। साधारण इच्छाओं और बड़ी-बड़ी इच्छाओं की व्यास से निरन्तर व्यासे रहने वाले तृष्णा प्राप्त द्रव्य को खर्च न करने की इच्छा से और गृद्धि-अप्राप्त अर्थ की आकांक्षा एवं लोभ से ग्रस्त हुए अपनी आत्मा की रक्षा से रहित, एवं अपनी आत्मा पर किसी प्रकार का नियंत्रण न करते हुए वे मनुष्य निन्दनीय क्रोध, मान, माया और लोभ में रचेपचे रहते हैं।

निन्द्य परिग्रह से ही माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शल्य पैदा होते हैं। मन-वचन काया की दुष्ट प्रवृत्तिरूपी तीन दण्ड उत्पन्न होते हैं, धन सम्पत्ति आदि का गर्व—श्रद्धिगौरव, अनेक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थों के मिलने का अहंकार रसगौरव और अनेक सुखप्रद वस्तुओं की प्राप्ति का घमंड—सातगौरव पैदा होते हैं तथा क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार कषाय, आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा ये चार संज्ञाएँ—वासनाएँ होती हैं। इसी तरह इन्द्रियों के शब्दादिविषय तथा हिंसा, असत्य आदि पांच आश्रवद्वार, असंयमित इन्द्रियाँ, और कृष्ण, नील, कापीत रूप तीन अप्रशस्त लेश्याएँ होती हैं। वे अपने स्वजनो के साथ के सम्बन्ध को भी खत्म कर लेते हैं उनसे अलगाव या किनाराकसी कर लेते हैं। और सच्चित्त, अचित्त एवं भिन्न रूप अनन्त द्रव्यों को ममतापूर्वक ग्रहण करना चाहते हैं। देवो, मनुष्यों और तिर्यंचों के सहित इस लोक में जिनेन्द्रदेवो ने परिग्रह को लोभ-रूप कहा है। सम्पूर्ण लोक में समस्त जीवों के लिए इसके सरोखा और कोई पाश—बन्धन व प्रतिबन्धस्थान-आसक्ति का आश्रय नहीं है।

व्याख्या

इस विस्तृत सूत्रपाठ द्वारा शास्त्रकार ने परिग्रहकर्तियों का तथा कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में, किन-किन दुर्भावों से प्रेरित हो कर वे परिग्रह सेवन करते हैं?; इसका भी मागोपाग निरूपण किया है। यद्यपि इस सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय में हम स्पष्ट कर आए हैं, फिर भी कुछ स्थलों पर विशेष विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर नीचे उन स्थलों पर विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं—

परिग्रह पर ममत्त्व का मूल कारण—इस समार में साधु-मुनि या वीतराग अपरिग्रही होते हैं। कुछ अणुव्रती गृहस्थ अल्पपरिग्रही होते हैं। बाकी के जितने भी प्राणी हैं, वे किसी न किसी रूप में परिग्रहग्रस्त होते हैं। वे न तो ममत्त्व का

सर्वथा त्याग करते हैं और न ही परिग्रह की सीमा—मर्यादा करते हैं। प्रश्न यह होता है कि इन सब प्राणियों, सासतौर से मनुष्यो और देवो के परिग्रह सम्बन्धी ममत्त्व के पीछे किसकी प्रेरणा है ?

इसका उत्तर शास्त्रकार के ही शब्दों में सुनिये—‘तच्च पुण परिग्रह ममायंति लोभघत्वा ।’ अर्थात्—संसार के समस्त प्राणी लोभ रूपी पिशाच से ग्रसित होकर ‘ममेद ममेद’—‘यह मेरा है, यह मेरा है’ ऐसा कहते हैं और मानते हैं।

वास्तव में लोभ ही संसार के समस्त पदार्थों को ग्रहण करने, अपनाने, उपभोग करने और इकट्ठा करने में प्रबल प्रेरकतत्त्व है। लोभ के वशीभूत होकर मानव बड़े-बड़े युद्ध कर बैठता है, अपने भाई, पिता या पुत्र के साथ भी लड़ाई और बैर कर बैठता है, यहाँ तक कि अपने स्वजनो को भी लोभाविष्ट मनुष्य जान से मार डालता है। जैसे भूत या पिशाच से आविष्ट मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता, न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है, वैसे ही लोभ का भूत जिस पर सवार हो जाता है या लोभ पिशाच से जो आविष्ट हो जाता है, उस मनुष्य को भी अपने आपे का भान नहीं रहता, चाहे जब चाहे जैसा भयकर अकार्य कर बैठता है। वह आत्मा को अपना मानना छोड़ कर हर मनचाही चीज को अपनी बनाने की फिराक में रहता है।

लोभ पाप का बाप बखाना—यह कहावत यथार्थ है। जीवन में जहाँ लोभ घुस जाता है, वहाँ अनेक पाप आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। क्या हिंसा, क्या असत्य, क्या चोरी—जारी, बदमाशी या झूठफरेब, छल-कपट, धोखेबाजी, धूर्तता, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, बैरविरोध, कलह, सघर्ष, आसक्ति आदि जितने भी दोष हैं, पाप हैं, उन सब पापों का मूल जनक लोभ ही है। यह लोभ ही था, जिसके कारण सम्राट् कोणिक ने अपने पिता को लोहे के पीजरे (कैंद) में बद कर दिया था। लोभ के कारण ही उसने अपने भ्राता हल्लविहल्लकुमार से हार और हाथी छीनने के लिए अपने मातामह वेडानृप से भयकर युद्ध किया था। वह कौन-सा अनर्थ है, जो लोभ के कारण न हुआ हो। इसलिए लोभ को समस्त पापों का पिता कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसीलिए शास्त्रकार ने इस पाठ के उपसंहार में कहा है—‘लोभ-परिग्रहो जिगवरेहि जनिवो ।’

परिग्रहकर्ता कौन-कौन ?—यो तो परिग्रह के चक्कर में समभावी मुनि को छोड़ कर सारा संसार ही है। परिग्रह को संसार में इतनी बड़ी धूम है कि शायद कोई विरला ही इससे बचा हो। इसलिए शास्त्रकार ने ‘भवणवरविमानवासिभो’ से ले कर ‘से अउग्निहा सपरिता वि देवा ममायंति’ तक का पाठ एवं उससे आगे ‘अयंति विपुल लोभाधिभूतसत्ता’ से लेकर ‘अवच्छा एए अन्ने य एवमाती परिग्रहं

संक्षिप्तंति ।' तक पाठ में परिग्रहसेवनकर्ताओं की सूची देवी है। यों देखा जाय तो सारा ससार ही प्रायः एक या दूसरी तरह से परिग्रहसेवनकर्ता है। परन्तु शास्त्रकार ने महापरिग्रहियों के ही खासतौर से नाम गिनाये हैं, और अन्त में 'एए अन्ने य एवमाती परिग्रहं संक्षिप्तंति' (ये और इनके अतिरिक्त दूसरे इसी प्रकार के लोग परिग्रह का सचय करते हैं) कह कर अन्य लोगों का भी समावेश कर लिया है।

परिग्रहसेवनकर्ताओं की सूची में सर्वप्रथम शास्त्रकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों को गिनाया है। उसके बाद बर्षधर, इपुकार, वृत्त-पर्वत, कुडलाचल, रुचकाचल, मानुषोत्तरपर्वत, कालोदधि, लवण-समुद्र, गगादि महानदियों, पद्म-महापद्म नामक प्रधान द्रव्य, रतिकरपर्वतों, अजन्मशैलों, दधिमुखपर्वतों, कचनकपर्वत, चित्रविचित्रकूटपर्वतों, यमकपर्वतों, गोस्तूपादिपर्वतों पर रहने वाले परिग्रही देवों का उल्लेख किया है। तदनन्तर कहा है कि अकर्मभूमियों तथा व्यवस्थित कर्मभूमियों में रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, चाहे वे योगलिक हों या बड़े से बड़े विशाल साम्राज्य के धनी चक्रवर्ती हों, वासुदेव हों, बलदेव हों, माडलिक हों, युवराज आदि हों, अथवा भौतिक हों, जागीरदार हों, माडलिक हों, सेनापति हों, इम्य सेठ हों, धनाढ्य हों, राष्ट्रहितैषी हों, पुरोहित हों, राजकुमार हों, दडनायक हों, गणनायक हों, माडलिक हों, सार्थवाह हों, कौटुम्बिक हों या अमात्य हों, सबके सब कम या ज्यादा परिग्रह का सेवन करने में सलग्न रहते हैं।

देवों के पास अधिक परिग्रह क्यों?—शास्त्रकार ने देवों के परिग्रहों का सर्वप्रथम वर्णन किया है और उनके पास अत्यधिकमात्रा में परिग्रह होने का उल्लेख किया है, प्रश्न होता है कि देवों के पास सबसे ज्यादा परिग्रह होने का क्या कारण है?

इसी के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—“परिग्रहस्ती परिग्रहे विविहकरणबुद्धी बेचनिकाया विमानवासी महिद्विकार' अर्थात् देवों की परिग्रह में अत्यधिक रुचि होती है, परिग्रह को बढ़ाने और विविध उपायों से परिग्रह का सचय करने में उनकी बुद्धि व्यस्त रहती है। और विमानवासी देव तो पूर्वकृतपुण्य की प्रबलता के कारण महान् ऋद्धि-सम्पदा वाले होते ही हैं। वास्तव में देखा जाय तो जिसे अधिक परिग्रह-सामग्री मिलती है, वह ममतावश और अधिक परिग्रह जुटाने के लिए तत्पर रहता है। ससार के समस्त जीवों में देव अत्यधिक पुण्यशाली होते हैं। उन्हें उस पुण्य के फलस्वरूप सुखसामग्री भी उत्कृष्ट और अधिक मिलती है, और उनकी भी प्रायः यह धारणा बन जाती है कि सुख परिग्रह के बढ़ाने पर ही निर्भर है। जिसमें भवनवासी और विमानवासी इन दो प्रकार के देवों का प्रथम

उल्लेख करने के पीछे शास्त्रकार का यह आशय है कि इन दोनों की परिग्रहविभूति अत्यधिक होती है। अन्य देवों की विभूति इनके समान नहीं होती।

इनमें भी जो मिथ्यात्वी देव होते हैं, वे प्रायः यह भूल जाते हैं कि हमने पूर्वभ्रम में जो सत्कर्म किये थे, दान-पुण्य आदि किये थे, अरिहन्तदेवों, निर्ग्रन्थ गुह्यो और केवली-प्ररूपित धर्म की आराधना की थी, गुह्यो के उपदेश से या स्वतः प्रेरणा से परिग्रह को आत्महित में बाधक समझ कर छोड़ा था, या उसका ममत्व त्याग कर योग्य दान दिया था, उसी के फलस्वरूप यह सुखसामग्री हमें मिली है। अतः अब भी हमें प्राप्त सुखसाधनों का उचित कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में निराबाध सुख मिल सके। पर अपने सत्कर्मों की साधना को भूलकर भ्रान्तिवश वे बाह्य वस्तुओं में सुख मानने लगते हैं। किन्तु जब उनकी मृत्यु के ६ महीने शेष रहते हैं, और उनके गले की माला मुझ्जनि लगती है, तब वे अत्यन्त दुःख और शोक करते हैं।

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवों में परिग्रह बुद्धि के कारण अपने से महर्द्धिक देवों को देख देख कर अल्प ऋद्धि वाले देव उनसे ईर्ष्या करते हैं, वैरविरोध और सघर्ष भी करते हैं।

इन चारों निकायो के देवों का वर्णन हम पहले कर आए हैं। इनके नाम तथा गोत्र आदि भी स्पष्ट हैं। निष्कर्ष यह है कि चारों निकायो के देव परिग्रह के दास बने हुए रहते हैं। परिग्रह का अत्यधिक सम्पर्क होने के कारण उनका ममत्व अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—'एव च तं ऋद्धिं सपरिसा बि देवा ममायति' अर्थात्—उपर्युक्त चारों प्रकार के देव अपनी परिपद् (सभा के देवों) के साथ आत्मा से भिन्न पौद्गलिक और देवी आदि सचेतन परिग्रह में मूर्च्छावश 'यह मेरा है' इस प्रकार से ममत्व करते रहते हैं।

यही कारण है कि देवों में परिग्रह की अधिकता का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है।

यद्यपि यहा सामान्यरूप से चारों निकाय के देवों का ग्रहण शास्त्रकार ने किया है, तथापि पञ्चम स्वर्ग-ब्रह्मलोक के अन्त में सारस्वत, आदित्य, वाह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अब्याबाध और अरिष्ट; ये पूर्वोत्तर आदि आठ दिशाओं में

१ इनका विशेष वर्णन जानने के लिए जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति इत्यादि शास्त्रों का अवलोकन करें।

निवास करने वाले लोकांतिक देव प्रायः एक भव-मनुष्यजन्म धारण करके मोक्ष पाते हैं, ये परिग्रह के प्रति अत्यल्प ममत्व रखते हैं। तीर्थंकर-प्रभु जब विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण करने के अभिमुख होते हैं, तब ये लोकांतिक देव उन्हें प्रतिबोधित करने आते हैं। ये देवार्थ होते हैं, जिनवाणी के ज्ञाता और अध्येता होते हैं। ये अपनी समस्त आयु प्रायः इसी प्रकार के उत्तम चिन्तन-मनन में व्यतीत कर देते हैं। इसी प्रकार अनुत्तरविमानवासी देवों का भी मोह उपशान्त होता है। इसलिए चारो निकाय के देवों में इन्हें परिग्रह के बारे में अपवाद समझना चाहिए।

देवों का निवास और संक्षिप्त स्वरूप—चारों ही प्रकार के देवों में भवनवासी देवों का निवास अधोलोक में है। अधोलोक में भवनवासी देवों के भवन हैं। उन्हीं में वे रहते हैं, क्रीडा करते हैं और आमोद-प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये दम प्रकार के हैं—असुरकुमार, नागकुमार आदि। इनकी जाति की सज्ञा असुर है, इसलिए वे असुरकुमार आदि नाम से पहिचाने जाते हैं। इनके जातिवाचक नाम के आगे कुमारशब्द इसलिए लगाया गया है कि इनकी वेशभूषा कुमारों-किशोरों—बालकों की-सी होती है और उन्हीं की तरह ये द्वीप-समुद्र आदि में जा कर क्रीडा करते हैं। नागकुमार से इन्हे सर्पजाति के तिर्यञ्च तथा अग्निकुमार आदि से अग्नि आदि नहीं समझना चाहिये। इनके मुकुट में सर्प या अग्नि आदि का विशेष चिह्न अंकित होता है, तथा ये जब भी विक्रिया करते हैं तब सर्प, अग्नि, द्वीप, गरुड़, विद्युत्, मेघगर्जन, पवन आदि के रूप में करते हैं; इसलिए इन्हें नागकुमार, अग्निकुमार आदि से सम्बोधित किया जाता है। इसके पश्चात् उच्च व्यन्तरजाति के अणुपञ्जिक आदि ८ व्यन्तरविशेष के नाम गिनाए हैं। इन्हें बाणव्यन्तर भी कहते हैं। इन व्यन्तरो का निवास मध्यलोक में है। जहाँ ये आमोद-प्रमोद से रहते हैं। इसके बाद नीची जाति के व्यन्तरनिकाय के पिशाच, भूत आदि ८ भेद बताए हैं। ये देव विविध अन्तरो—अवकाश वाले स्थानों में रहते हैं। यानी ये सूने मकान, तालाब कुआ, बावड़ी, वृक्ष आदि स्थानों में रहते हैं। राक्षस आदि कुछ व्यन्तर भवनवासी देवों की तरह अधोलोक में रहते हैं, जहाँ उनके भवन बने हुए होते हैं।

इसके अनन्तर ज्योतिषदेवों का वर्णन है। ज्योतिषी देव मध्यलोक (तिर्यंग्लोक) में ही रहते हैं। इस भूमि के समतलभाग से ७६० योजन ऊपर जा कर ज्योतिष्क देवों के विमान शुरू होते हैं; जो ६०० योजन पर समाप्त होते हैं। यानी ११० योजन आकाशक्षेत्र में ज्योतिष्क देवों के विमान हैं; जहाँ वे निवास करते हैं।

ज्योतिषी देवों के मुख्यतया ५ भेद हैं—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। इनका वर्णन पहले आ चुका है; इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं।

विशेष बात यह है कि ज्योतिष्को में सूर्य, चन्द्र आदि के गमन करने के भिन्न-भिन्न मार्ग नियत हैं। इनके अलग-अलग मडल हैं, उन्हीं में वे घूमते रहते हैं। किन्तु डार्ई द्वीप-समुद्र के आगे के यानी अगले पुष्कराब्द से ले कर आगे के असख्यात द्वीप-समुद्रों के सूर्यचन्द्रादि ज्योतिष्क स्थिर हैं। वे गमन नहीं करते; जहाँ हैं, वहीं स्थिर रहते हैं।

इसके आगे ऊर्ध्वलोकवासी वैमानिक देव हैं, जो ज्योतिषी देवों से ऊपर अर्थात् मेरुपर्वत की चूल्का से असख्यात योजन ऊपर-ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं। इनके निवास के लिए आकाश में अर्द्धत्रिम विमान हैं, जो चारों ओर से घनवातबलय, तनुवातबलय और घनोदधिवातबलय; इन तीन वातबलयों के आधार पर अवस्थित हैं, इन्हीं से घिरे हुए हैं। विमानों में रहने के कारण इन्हे वैमानिक देव कहते हैं। इनके दो भेद हैं—कल्पविमानवासी (कल्पोपपन्न) और कल्पातीत। जिन विमानों में इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिणा, पारिषद्, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिष, इन दस कोटि के देवों की कल्पना होती है, उन्हे कल्पोपपन्न कहते हैं। जहाँ इन्द्र आदि का कोई भेद नहीं होता, सभी समानरूप से माने जाते हैं, सबकी अवस्था, विभूति एकसरीखी होती है, उन्हे कल्पातीत कहते हैं। बारह स्वर्गों (सौधर्म आदि) के निवासी वैमानिक देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं, इन्हीं में इन्द्र आदि १० भेद होते हैं। इनसे ऊपर ६ प्रवियक और ५ अनुत्तरविमानवासी देवों में इन्द्र आदि १० भेदों की कोई कल्पना नहीं होती, वहाँ सब अहमिन्द्र होते हैं, समान होते हैं। सौधर्म और ऐशान, सानत्कुमार और माहेन्द्र, ब्रह्मलोक और सान्तक, महाशुक्र और सहस्रार, आणत और प्राणत, आरण और अच्युत इस प्रकार दो-दो स्वर्ग एक-दूसरे के समीपतम हैं। दूसरा युगल - सानत्कुमार और माहेन्द्र प्रथम युगल-सौधर्म और ऐशान से असख्यात-योजन के फासले पर हैं।

कल्पातीत देवों के दो भेद हैं—प्रवियक और अनुत्तर। जिनके स्वर्गों का आकार श्रीवा-गर्दन सरीखा होता है, उन्हें प्रवियक कहते हैं। यानी लोक का आकार जैन भौगोलिक मानचित्र के अनुसार पैर-फैलाकर कमर पर हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष के आकार के सरीखा माना गया है। कमर से नीचे के भाग के समान अधोलोक का, कमर के समान मध्यलोक का, कमर से ऊपर कधो तक कल्पोपपन्न स्वर्गों का आकार माना गया है। इनसे ऊपर गर्दन आती है, इसलिए प्रवियक देवों के निवासस्थान का आकार श्रीवा (गर्दन) सरीखा माना गया है।

प्रद्वैयकों से ऊपर पाँच अनुत्तरदेवों के विमान हैं। इनमें से विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ये चार चारो दिशाओं में से एक-एक दिशा में हैं और सवार्थसिद्ध नामक अनुत्तरविमान इन चारों के मध्य में है। सर्व अर्थों—प्रयोजनों की सिद्धि वाले जीव इसमें उत्पन्न होते हैं। यानी सर्वार्थसिद्ध विमान में जन्म लेने वाले देव भविष्य में सिर्फ एक ही भव—मनुष्यजन्म धारण करके सीधे मोक्ष में जाने वाले होते हैं। इसलिए इस विमान का 'सर्वार्थसिद्ध' नाम सार्थक है।

विमानवासी देव दूसरे निकायों के देवों से अधिक ऋद्धि-सम्पन्न होते हैं। और पूर्व-पूर्व वैमानिक देवों से आगे-आगे के वैमानिक देव स्थिति (आयु), प्रभाव (शाप या अनुग्रह की शक्ति), सुख, द्युति (शरीर और आभूषणों की कान्ति), लक्ष्म्या (आत्मा की परिणति-भावना) की निर्मलता, इन्द्रियों की शक्ति एवं अवधिज्ञान के के विषय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रबल होते हैं। इसी बात को शास्त्रकार ध्वनित करते हैं—'विमानवासी महिद्भिद्यथा उत्तमा सुरचरा ।'

देवों के परिग्रह के रूप—देव किन-किन रूपों में परिग्रह स्वीकार करते हैं और उनका सेवन करते हैं? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है—'भक्षण-वाहन-जाण भायणविहि नाणाविहकामरुचे .. दीवसमुद्दे .. बहुकाई कित्तणाणि य परिगेहिस्ता विपुलं बह्वसारं'। इन पक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है। मतलब यह है कि देवों में वैक्रिय-शक्ति जन्म से ही होती है। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। मनचाहे भवन, वाहन, सवारी, यान, आभूषण, विमान, शय्या, आसन, वस्त्र, शस्त्र-अस्त्र, पत्थरों के दिव्यभाजन, तथा वस्त्रालंकारों से विभूषित अप्सराएँ आदि बना सकते हैं। इस कारण वे ममत्व से ग्रस्त हो कर विविध मनचाही सुखसामग्री बनाते हैं, अपनाते हैं और उन पर आसक्ति रखते हैं।

इन सब परिग्रहयोग्य सामग्री का उपभोग करने के लिए वे अनेक द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों, वनों, हृदयों, बावडियों आदि में अपनी अप्सराओं के साथ जाते हैं, वहाँ जलविहार, विविध प्रकार की क्रीडा और आमोद-प्रमोद करते हैं।

अभीष्ट परिग्रहों से भी देवों को तृप्ति और संतोष कहाँ?—परिग्रह के रूप में नाना प्रकार की उत्तमोत्तम भोग्यसामग्री प्राप्त कर लेने के बाद क्या देवों को तृप्ति या सतुष्टि हो जाती है? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—'देवाणि सङ्ख्या न त्रिंति न तुष्टि उवलन्ति ।' अर्थात् इतनी सारी दीर्घभूषण करने और विक्रिया द्वारा विविध सुखसाधन जुटाने के बावजूद भी इन्द्रों सहित वे देव न तो तृप्ति का अनुभव करते हैं, और न संतोष की साँस लेते हैं। सचमुच परिग्रह में तृप्ति और संतोष नहीं है। जितना

परिग्रह बढ़ाया या सेवन किया जायगा, उतनी-उतनी असंतुष्टि, अतृप्ति, बेचैनी, ऊब, अनिद्रा, अशान्ति, व्याकुलता, सुस्ती एव निरुत्साहिता बढ़ेगी। ज्यो-ज्यो वस्तुओ का लाभ (प्राप्ति) बढ़ता है, त्यों-त्यों लोभ का बढ़ना स्वाभाविक है। अपनी इच्छा से ही उस लाभ पर कोई नियंत्रण कर ले, अल्पसाधनो से ही सतोष मान ले, तभी उसे तृप्ति और संतुष्टि हो सकती है।

परिग्रह का स्वभाव—देव हो या मनुष्य, तिर्यञ्च हो या नारक, ऊपर-ऊपर से सबको परिग्रह-सुखसामग्री का ग्रहण अच्छा, रमणीय और आकर्षक लगता है। परन्तु पूर्वोक्त पाठानुसार परिग्रह अन्त में असंतुष्टि और अतृप्ति का कारण ही बनता है। इसीलिए शास्त्रकार परिग्रह के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं—परिग्रहं..... अर्णतं, असरणं, दुरतं, अधुवर्माणञ्च, असासयं, पाषकम्भनेमं, विणासमूल, बहुवधपरि-किलेसबहुल अर्णतसंकिलेसकारणंसंबुक्लसंसिन्धयणं। अर्थात् परिग्रह रमणीय नहीं है, वह दुःखद है, उसका अन्त नहीं, वह किसी को शरण देने वाला नहीं होता, उसका परिणाम सदा दुःखद होता है, वह स्वयं अस्थिर होता है, अनित्य और अशाश्वत होता है। परिग्रह पापकर्म का मूल है, विनाश की जड़ है, वध, वध और सकलेश से भरा हुआ है, परिग्रह के पीछे अनन्त क्लेश लगे हुए हैं। इसलिए परिग्रह सभी दुःखों का धर है। चक्रवर्ती, इन्द्र आदि भी परिग्रह का अन्त नहीं पा सके। वह समुद्र के समान अथाह है। वह अशाश्वत, अनित्य, अस्थिर या नाशवान इसलिए है कि जब तक आत्मा के कर्म भंडार में पुण्य-घन विद्यमान रहता है, तब तक उस पुण्यराशि से परिग्रह-योग्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु जब पुण्य का खजाना खाली हो जाता है, तब प्राप्त हुआ घन, स्त्री, पुत्र या विविध साधन वगैरह का भी वियोग होने लगता है। इसलिए परिग्रह को विनाशशील कहा है। इसी प्रकार परिग्रह अन्त में दुःखदायी इसलिए है कि परिग्रह उपार्जन करने में प्रायः हिंसा आदि पाप होते हैं। पाप तो परिणाम में दुःखद होता ही है। परिग्रह के वियोग में भी दुःख होता है तथा परिग्रह परलोक में भी नरकादि के भयंकर दुःखों को उत्पन्न करने वाला है।

संसार के विविध दुःखों से घबराराया हुआ आदमी अगर परिग्रह की शरण लेता है तो उसका हाल आग में जलते हुए व्यक्ति का मिट्टी के तेल की नाद में आश्रय लेने के समान हो जाता है। परिग्रह के कारण मारपीट, कंद, बंधन, मानसिक और शारीरिक क्लेश आदि का होना तो रोजमर्रा के अनुभव से सिद्ध है। जहाँ परिग्रह ज्यादा होता है, वही चोर, डाकू और लुटेरे बंध करने, रस्सी से या पेड़ आदि से बांधने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए परिग्रह को अनन्त क्लेशों का कारण बताया है।

परिग्रह के लिए विविध उपाय और उनसे होने वाले अनर्थ—मोहप्रस्त अज्ञानी जीव उभयलोक में दुःखजनक परिग्रह के लिए क्या-क्या उपाय अजमाता है

और उन उपायों से क्या-क्या अनर्थ पैदा होते हैं ? तथा उन परिग्रहग्रस्त जीवों को क्या-क्या हानियाँ उठानी पड़ती हैं ? इसका सजीव वर्णन आगे के इस सूत्रपाठ से शास्त्रकार ने किया, है—परिग्रहस्त य अट्ठाए सिम्पस्यं सिक्खए करित्ति पाणार्थं बहकरणं, अलियनियडिसाइसंपओगे ... कोहुमाणमायालोणे ।' इसका भावार्थ यह है कि परिग्रहलिप्सु लोग रातदिन नाना प्रकार की तरकीबों धन, साधन आदि को बटोरने के लिए सोचते रहते हैं और तदनुसार प्रवृत्ति करते रहते हैं । बहुत-से लोग शिल्पाचार्यों से कुंभार का काम, बड़ई का काम, सुनार का काम आदि सैकड़ों शिल्प या हुन्नर सीखते हैं, अनेक प्रकार की दस्तकारी सीखते हैं । गृहस्थ अपनी आजीविका के लिए कोई भी शिल्प, दस्तकारी या हुन्नर ! सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं है । परन्तु जब वह हुन्नर, शिल्प या दस्तकारी केवल धन बटोरने के लिए सीखे, लोगों से अपने परिश्रम का मूल्य अत्यधिक पाना चाहे या थोड़ा-सा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा पाना चाहे तो वह शिल्प जनता की सेवा के बदले जनता का शोषणरूप बन जाता है । यही कारण है कि जनता का शोषण करने की नीयत से जब किसी भी श्रमकार्य को किया जाता है तो वह जीवन के लिए अनर्थकर हो जाता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि अपने शिल्प से केवल पैसा कमाने की ही होगी, वह ऐसे ही शिल्पो को अपनाएगा, जो राष्ट्रघातक, समाजघातक या नीतिविरुद्ध होंगे । जैसे कोई व्यक्ति ऐसे यंत्र बना कर दे, जिनसे कामवासना उत्तेजित हो, या ऐसे हुन्नर अपनाए, जिनसे लोग दुर्व्यसनो में अधिकाधिक प्रवृत्त हो ।

उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट बनाने का शिल्प सीखे और उसे अपनाए अथवा शराब बनाने की विधि सीखे और बना कर लोगों को मुहैया करे । इससे जनता का स्वास्थ्य, धन और धर्म तीनों का नाश होगा । ऐसे निष्कृष्ट शिल्प से शिल्पकार को तो बहुत पैसा मिलेगा, वह तो मालामाल हो जायगा, लेकिन समाज और राष्ट्र का नैतिक पतन होगा, और समाज में अनेक अनर्थ फैलेंगे ।

इसी प्रकार जो लोग शास्त्र में बर्णित और लोकप्रसिद्ध पुरुषों की ७२ कलाएँ केवल परिग्रह के लिए ही सीखते हैं, उनका भी यही हाल है । गृहस्थ के लिये कलाएँ सीखना अपने आप में बुरा नहीं है । लेकिन जब कोई संगीत, नृत्य, चित्र, लेखन आदि विविध कलाएँ केवल पैसा कमाने के लिए सीखेगा, तब वह उनका उपयोग ही करेगा । वह ऐसे अपलील संगीत का प्रयोग करेगा, जिससे कामवासना भड़कती हो । वह ऐसे नन्म या अर्धनग्न सुन्दरियों के चित्र बनाएगा, जिन्हें देख कर नैतिक पतन होगा । वह अपलील लेख, कहानी या उपन्यास लिखेगा, जिन्हें पढ़ कर मनुष्य का चरित्र बिगड़ जाएगा । इसी प्रकार वह ऐसे अपलील नृत्य दिखाएगा, जिससे मनुष्य कामबिह्वल हो

जाय। तो ऐसी दशा में वह कला सद्गुणघातक, चरित्र-विनाशक, नीति-धर्म विधातक और सुसंस्कारलोपक बन जाएगी। ऐसी कलाओं से परिग्रहलिप्सु कलाकार तो धनवान बन जाएगा, लेकिन समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

इसी प्रकार कई परिग्रहग्रस्त लोग स्त्रियों के लिए उपयोगी ६४ कलाओं—गुणों का प्रशिक्षण लेते हैं, सिर्फ अधिकाधिक परिग्रह धन बटोरने के उद्देश्य से। वे भी समाज और राष्ट्र का पतन करते हैं। अब्बल तो ये ६४ कलाएँ केवल महिलाओं के सीखने लायक होती हैं, परन्तु जब उन्हें कोई पुरुष सीखता है, तो वह नीति-धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करता है। फिर उन महिलोपयोगी कलाओं को सीख कर भी उनसे कई अनर्थ पैदा करने का और राष्ट्र की सस्कृति को मटियामेट करने का प्रयत्न करता है तो वह और बड़ा अपराध करता है।

उदाहरणार्थ—कोई परिग्रहलिप्सु व्यक्ति वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लिखित आलिंगन, चुम्बन आदि कामोत्पादक—रतिजनक कलाओं का प्रशिक्षण लेता है और वर्तमान सिनेमा के अभिनेता या अभिनेत्री की तरह का पार्ट अदा करता है, अश्लील नृत्य, हावभाव, अभिनय आदि करता है तो उनसे उस कलाकार के यहाँ तो धन की वर्षा हो जाएगी, लेकिन समाज या राष्ट्र का कितना नैतिक पतन होगा? कितने युवक कामुक बन कर चरित्रभ्रष्ट होंगे? बलात्कार या अपहरण के कितने दौर बढ़ेंगे? इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। यह आकर्षणकारी कला लोकरजन के साथ-साथ मानवजीवन का सत्यानाश कर देगी। इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकार ने परिग्रहलिप्सुओं के द्वारा इन कलाओं के सीखने पर व्यय कसा है, इन्हें अधर्मजनक माना है।

गृहस्थों की आजीविका के लिए प्राचीनकाल के समाजशास्त्र या नीतिशास्त्र में ६ कर्म बताए गए हैं—शिल्प, सेवा, असि, मसि, कृषि और वाणिज्य। इन ६ कर्मों के द्वारा गृहस्थ अपने परिवार का भी भरण-पोषण करता था, समाज और राष्ट्र की भी सेवा करता था। जिस देश में शिल्प, विद्याएँ और कलाकौशल चढ़े-बढ़े होते हैं, वह देश भौतिक दृष्टि से उत्तमपथ पर अग्रसर होता है, वहाँ की जनता सुखपूर्वक अपनी जिवगी बिताती है; दुष्काल के थपेड़ों और प्राकृतिक प्रकोपो का वह डट कर सामना कर सकती है। परन्तु जो लोग केवल धनोपार्जन को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना कर इन षट्कर्मों को सीखते हैं, उनके सामने समाज या राष्ट्र की सेवा करने या अपने परिवार का ही पोषण करने का कोई लक्ष्य नहीं होता; उनका लक्ष्य खूब पैसा कमा कर मीजशौक करना ही होता है; दुनिया मरे चाहे जीए, समाज चाहे रसातल में जाय, राष्ट्र का नैतिक जीवन चाहे छतरे में पड़ जाय, उनकी बला से। उन्हें तो पैसा चाहिए, फैशन और भोगविलास के साधन चाहिए! इसी दृष्टि को

ले कर शास्त्रकार ने उक्त षट्कर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परिग्रहवादियों की ओर संकेत किया है ।

वास्तव में जब मनुष्य परिग्रहलिप्सु—घनार्थी या सुलक्ष्यविहीन बन कर उक्त षट्कर्मों को सीखेगा तो वह इनसे समाज या देश की सेवा या उन्नतिकरने के बदले समाज या देश की कुसेवा या अवनति ही अधिक करेगा । उससे समाज या देश का कोई भला नहीं होगा । शिल्प के दुरुपयोगके बारे में हम पहले लिख आए हैं । राजाओं, बादशाहों या धनिकों की सेवा में रहना कोई बुरा नहीं ; किन्तु अनाचारसेवन करने के लिए सुरा और सुन्दरियों को जुटाने, उनको अश्लील गीत, नृत्य आदि सिखाने, उन्हें दुर्व्यसन सिखाने जैसे कर्म बहुत जघन्य कर्म हैं । बुरे कार्यों के करने पर भी केवल उनकी हा में हाँ मिलाना, जीहजूरी करने के लिए उनके यहाँ नौकरी करना और उनसे ऊँची तनखावे प्राप्त करना, उनकी सेवा नहीं, कुसेवा होगी । इससे उनका जीवन तो दुराचार के गड्ढे में पड़ेगा ही, उसका चेप उनके परिवार और समाज को भी लगेगा । यह भी कितना बड़ा पतन का कारण होगा ?

इसी तरह युद्धविद्या राष्ट्रसेवा की दृष्टि से सीखना कोई बुरा नहीं, लेकिन उसी युद्धविद्या (असि) का उपयोग जब सेनाएँ रख कर आपस में लड़ाने-भिड़ाने और निर्दोष प्रजा का खून बहाने में किया जाता है, तब कितना भयकर होता है ? इसी प्रकार लेखनविद्या (मसि) भी राष्ट्रसेवा की दृष्टि से उत्तम है, किन्तु उसी लेखनविद्या का प्रयोग जब अश्लील काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, लेख आदि लिखने में या हिंसा भडकाने, परस्पर सघर्ष कराने, मारकाट और विद्रोह मचाने के लिए उत्तेजित करने वाला साहित्य लिखने में होता है, और वह होता है, सिर्फ शटपट मालामाल बनने के लिए, तब कितना अनर्थकर होता है ? कितने लोगों का जीवन उस साहित्य से बर्बाद हो जायगा ? कितने लोगों की जिंदगियाँ तहसनहस हो जाएँगी ? इसकी कोई हद नहीं । इसी तरह कृषिविद्या का हाल है । अपनी आजीविका और परिवार के भरणपोषण के लिए कोई गृहस्थ कृषि का धन्धा करे तो वह अल्पारम्भी है, जायज है तथा नैतिकदृष्टि से हेय नहीं है । किन्तु जब इस उद्देश्य को भूल कर कोई व्यक्ति मात्र अपनी भोगवासना की पूर्ति के लिए अनापसनाप व्यक्तिगत खेती करने लगे, बहुत बड़े फार्म में सभी प्रकार की बुरी से बुरी चीजे, यहाँ तक कि तम्बाकू, अफीम आदि भी बोने लगे और उसके द्वारा बहुत मुनाफा कमाने लगे तो कृषिविद्या का वह प्रयोग समाज का शोषण करने वाला बन जाएगा ।

यही हाल वाणिज्य का है । व्यापार भी एक प्रकार ने परिवारपोषण के साथ-साथ देशसेवा का साधन है । परन्तु व्यापारी जब इस लक्ष्य को भूल कर केवल अर्थो-पार्जन का लक्ष्य रखता है, तब वह ज्यादा नफा कमाने, दर बढ़ा कर लोगों का

शोषण करने, मिलावट करने, नापतौल में गड़बड़ करने तथा असली चीज दिखा कर नकली देने आदि के अनैतिक उपाय अपनाता है, तो समाज और राष्ट्र के लिए उसका वह व्यापार घातक और द्रोही सिद्ध होगा ।

इसी प्रकार शास्त्रकार ने परिग्रहलिप्सु लोगों द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार-ज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्र विद्याओं के ज्ञान तथा बहुत से यत्र-मंत्र-तत्र आदि के प्रयोगों एवं बशीकरण आदि योगों के ज्ञान का उल्लेख करके यह ध्वनित किया है कि केवल धन बटोरने के लिए इन सब शास्त्रों का ज्ञान उन लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के बजाय दुर्गति में भटकाने वाला होता है ।

व्यवहार का अर्थ है—विवाद मिटाना । विवादशमन करने के लिए प्राचीन-काल में धाराशास्त्र का अध्ययन किया जाता था , इसे वर्तमान में कानून-कायदों का अध्ययन कहते हैं । इस प्रकार का अध्ययन करके वह वकील बनता है और वकालत करता है । जहाँ तक विवादशमन का प्रश्न है, उसके लिए व्यवहारशास्त्र का अध्ययन करना और उचित पारिश्रमिक ले कर झगड़े मिटाना ठीक है । परन्तु जब कोई केवल धनार्जन करने के उद्देश्य से ही वकालत पढता है और झूठे मुकद्दमे ले कर अपने मर्वाकिल से अधिकाधिक मेहनताना लेने की कोशिश करता है तो वहाँ समाजसेवा नहीं होती, न परिवारपोषण का ही उद्देश्य सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धनुर्वेदशास्त्र आदि शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य भी जब एकमात्र पैसे कमाने का ही होता है, तब वह पेशा नीति-धर्म के बदले अनीति और अधर्म बन जाता है ।

इसी प्रकार यत्र, मंत्र, तत्र आदि विद्याएँ, ज्योतिषशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, चिकित्साशास्त्र एवं अनेक प्रकार के बशीकरण, मारण, सम्मोहन और उच्चाटन आदि का ज्ञान केवल अर्थप्राप्ति के लिए किया जाता है तो उनके प्रयोग में पूर्वोक्त अनर्थ पैदा होते । भोलेभाले लोगों को अपने खंगुल में फसा कर वह मनमाना पैसा लूटता है और गुलछर्र उड़ाता है । इसलिए परिग्रहार्थी के हाथों में पड़ कर सब शास्त्रों का दुरुपयोग होमा, उनसे अनेक अनर्थ पैदा होंगे ।

ये और इसी प्रकार के अन्य सैकड़ों उपाय परिग्रहार्थी अपनाते रहते हैं और आजीवन इसी में ही रचेपचे रहते हैं ।

परिग्रहलिप्सुओं का स्वभाव—शास्त्रकार आगे चल कर परिग्रहसेवनकर्ताओं के स्वभाव का निरूपण करते हुए कहते हैं—‘परवब्धे अभिञ्जा ’ करंति कोहमाण-माद्यासौमे ।’ जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना ही होता है, वे मंदबुद्धि अज्ञजीव अपनी आत्मा के हानिलाभ, कर्तव्य-कर्तव्य, नीति-अनीति, धर्माधर्म का विचार नहीं करते और जो भी अर्थात्पादक व्यवसाय हाथ में आता है, उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं । कभी

शराबखाना खोल दिया तो कभी मुर्गीखाना। कभी कत्लखाना खोला तो कभी बेध्यालब। कभी अनेक पंचेन्द्रियवधप्रेरक पशुबलि का ठेका ले लिया तो कभी अनेक पंचेन्द्रिय प्राणियों के बधसे होने वाली दवाइयों का कारखाना खोल दिया। जिनमे असख्य जीवों का घात होता हो, ऐसे कल-कारखाने लगवाने, वन में आग लगाने, जंगल कटवाने या पशुओं के चमड़े कमाने आदि के अनेक नीच व्यवसाय करते भी वे लोग नहीं हिचकिचाते। यहाँ तक कि पैसे के लिए वे नरहत्या करने को भी उतारू हो जाते हैं।

परिग्रह के लिए झूठ बोलने में भी ऐसे घनजीवी लोगों को कोई संकोच नहीं होता। वे झूठी साक्षी दे देगे, व्यापार में झूठ बोल देंगे। चद चादी के टुकड़ों के लिए वे चाहे जिस मामले में असत्य बोलने से नहीं हिचकेंगे। दूकान पर कोई ग्राहक आएगा तो उसे बहुत आदर-सत्कार देंगे, उसकी मिथ्याप्रशंसा करेंगे, उसके साथ बहुत मीठे-मीठे बोलेंगे और सौदा देने में उसकी गाठ अच्छी तरह काट लेंगे। साथ ही, घटिया वस्तु में बहुमूल्य बढिया वस्तु थोड़ी-सी मात्रा में मिला कर कीमती वस्तु की भ्रान्ति पैदा करके उससे बहुत पैसा ऐठ लेंगे। इस प्रकार की सँकड़ों घूर्तताओं के काम करने में वे लोग उस्ताद होते हैं। मतलब यह है कि किसी भी तरह पराये घन को अपनी तिजोरी में भरने की लालसा उनमें कूट-कूट कर भरी होती है। इसलिए वे हर फन में माहिर होते हैं।

ऐसा घनलोभी परिग्रहार्थी व्यक्ति सतानोत्पत्ति होने पर उनके भरणपोषण में घन खर्च होगा, इस डर से मनमें काम-वासना जागृत होने पर भी अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करता। परस्त्रीसहवास की मन में आती है, उसके लिए शारीरिक और मानसिक प्रयास भी करता है, किन्तु उसमें भी नैतिक दृष्टि से नहीं, अपितु घन खर्च हो जाने के डर से प्रवृत्त नहीं होता।

निष्कर्ष यह है कि घन का परिग्रहार्थी मानव हिंसा, झूठ, चोरी या व्यभिचार आदि किसी भी पापकर्म को करने से नहीं हिचकता।

परिग्रहार्थी साधारण इच्छाओं से ले कर बड़ी-बड़ी इच्छाओं की पिपासा से निरन्तर प्यासे बने रहते हैं। उनकी वह प्यास कभी नहीं बुझती। वे रात-दिन अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की तृष्णा और प्राप्त पदार्थों पर गाढ़ आसक्ति एवं प्राप्त करने के लोभ से ग्रस्त रहते हैं। वे परिग्रह के लिए परस्पर कलह और विवाद करते हैं, आपस में सिरफुटौबल करते हैं और परस्पर बँर बाँध लेते हैं। परिग्रह के लिए वे अपने सम्बन्धीजनों से भी गालीगलौज और हाथापाई पर उतर आते हैं। पैसे के लिए वे किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकते, अथवा पैसे के लिए अपने ग्राहक आदि के द्वारा किए हुए अपमान को भी सह लेते हैं। पैसे के लिए किसी भी व्यक्ति को डाँटने-धमकाने या उसकी भर्त्सना करने से वे नहीं चूकते अथवा अर्थ के लिए वे

किसी लुच्छ आदमी द्वारा की हुई डाटडपट या विडम्बना को भी सह लेते हैं। ऐसे परिग्रहलिप्सु की इच्छत मिट्टी में मिल जाती है, समाज में ऐसे लोगों को कोई शरण नहीं देता, अथवा ऐसे लोगों के यहाँ कोई शरण-आश्रय नहीं लेता। वे अपनी इन्द्रियों, मन और आत्मा पर अकुश नहीं रख सकते, इसी कारण अहर्निश क्रोध, अभिमान, माया, और लोभ में डूबे रहते हैं।

सारांश यह है कि परिग्रहग्रस्त मानव १८ पापस्थानों में से किसी भी पाप-कर्म को बाकी नहीं छोड़ते। परिग्रही में समस्त पाप भरे रहते हैं।

परिग्रह के साथ दुर्गुणों का अवश्यम्भावी सम्बन्ध—इसलिए शास्त्रकार परिग्रह के साथ निम्नोक्त दुर्गुणों का अस्तित्व अवश्यम्भावी बताते हैं—**अकित्तजिञ्जे परिग्रहे खेव ह्येति नियमा सत्त्वा ... इच्छन्ति परिचेत् ।** शास्त्रकार का तात्पर्य यह है कि परिग्रह अपने आप में एक महान् निन्दनीय दुर्गुण है, इतना जबरदस्त कि उसके होते ही मायाचार में प्रवृत्ति होने लगती है, मिथ्याभावना—विपरीत श्रद्धा होने लगती है, भविष्य में भोगों की आकांक्षारूप निदान के दुर्भाष भी पैदा हो जाते हैं। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ प्रायः अपनी धन-सम्पत्ति तथा तथा ऐश्वर्य का अभिमान पैदा हो जाता है सुन्दर, सुखद और स्वादिष्ट चीजों के उपभोग का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अनेक प्रकार के मौजमौक, रागरग, विलास आदि इन्द्रियसुखों का गर्व धर कर लेता है। परिग्रह पास में होते ही क्रोधादि चारों कषाय वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की सजाएँ—वासनाएँ परिग्रह के साथ ही आ धमकती हैं। परिग्रह के आते ही शब्द, गन्ध, रस, और स्पर्श इन पाचों इन्द्रियविषयों के सेवनरूप आश्रय का द्वार खुल जाता है। इन्द्रियाँ मतवाली और चंचल हो जाती हैं। परिग्रह की शकार होते ही कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों लक्ष्याएँ अपना अड्डा जमा लेती हैं।

परिग्रह के आते ही स्वजनों से अलगाव या किनाराकसी की भावना पैदा हो जाती है। उसके स्वजन तो परिग्रही के साथ सम्पर्क करना चाहते हैं, लेकिन वह धन-लोभ के कारण उनसे नफरत करने लगता है। इसके अतिरिक्त परिग्रही के मानस में परिग्रह के सम्पर्क से सजीव, निर्जीव तथा मिश्र तीनों प्रकार के अनन्त द्रव्यों को ममत्व-पूर्वक ग्रहण करने की इच्छा अवश्य पैदा होती है, किन्तु वे उन्हें नहीं मिलते हैं तो मन खिन्न होता है।

परिग्रहः एक बेजोड़ दास-बन्धन—पूर्वोक्त सूत्रपाठ के अनुसार इस ससार में साधु-मुनियों और वीतरागी पुरुषों के सिवाय ऐसा कोई प्राणी बचा नहीं है, जो परिग्रह की चपेट में न आया हो। स्वर्ग के सर्वोच्च देव और देवेन्द्र, मनुष्यलोक के सर्वोच्च मानव चक्रवर्ती तथा विशेष विभूति वाले भवनवासी देव (असुर) भी जब इसके मायाजाल में फंसे हैं, तब साधारण प्राणियों का तो कहना ही क्या? सवाल होता है कि ऐसे शक्तिशाली और विवेकी प्राणी भी परिग्रह के

बणीभूत क्यों है ? इसके उत्तर में ही शास्त्रकार कहते हैं—“अत्थि एरिसो पासो पडिबंओ अत्थि सब्बजीवाण सब्बलोए ।” अर्थात् ‘इस अखिल विश्व में क्या देव, क्या मनुष्य, क्या तिर्यच और क्या नरक इन सभी गतियों में सब जीवों को बाँधने में समर्थ परिग्रह के सरीखा कोई भी अन्य पाश-जाल नहीं है, यही सासारिक प्राणियों के लिए प्रबल प्रतिबन्धरूप है ।’ वास्तव में देखा जाय तो परिग्रह ममता, मूर्च्छा से पैदा होता है और ममता मूर्च्छा मोहनीय कर्म की प्रबल परिणति है । इसलिए परिग्रह ने मोहबिजेता वीतराग प्रभु के सिवाय सारे ससार को अपने मोहपाश में बाँध लिया है । तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

मतलब यह है कि ससार के अधिकांश प्राणी पूर्णरूप से या मर्यादित रूप से परिग्रहवृत्त से अविरत नहीं हुए हैं, यानी परिग्रह का त्रिकरण-त्रियोग से त्याग नहीं किया है अथवा परिग्रह का परिमाण नहीं किया है । इसलिए चाहे थोड़े फसे हो या ज्यादा सबके सब परिग्रह के जाल में फसे हुए हैं ।

परिग्रह का फलविपाक

पूर्वसूत्रपाठ में शास्त्रकार ने परिग्रह-सेवनकर्ताओं का परिचय दे कर, उसके पश्चात् परिग्रहसेवन के विविध उपायों तथा उनसे होने वाले अनर्थों का और अन्त में परिग्रह के साथ अवश्यभावी दुर्गुणों का विशद निरूपण किया है । अब इस अन्तिम सूत्रपाठ में परिग्रह के विशेष फल का निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

परलोगम्मि य नट्ठा तम पविट्ठा महया मोहमोहियमती
 तिमिसंधकारे तसथावरसुहमबादरेसु पज्जत्तमपज्जत्तग एवं
 जाव परिग्रहंति दीहमद्धं जीवा लोभवससंनिविट्ठा । एसो सो
 परिग्रहस्स फलविवाओ इहलोइओ, पारलोइओ, अप्पसुहो, बहु-
 दुक्खो, महब्भओ, बहुरयप्पगाढो, दारुणो, कक्कसो, असाओ,
 वाससहस्सेहिं मुच्चइ, न अवेइत्ता अत्थि हु मोक्खोत्ति, एवमाहंसु
 नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेज्जो कहेसी य
 परिग्रहस्स फलविवागं । एसो सो परिग्रहो पंचमो उ नियमा
 नाणामणिकणगरयणमहरिह एवं जाव इमस्स मोक्खवरमोत्ति-
 मग्गस्स फलिहभूयो चरिमं अधम्मदारं समत्तं ॥सू० २०॥

संस्कृतच्छाया

परलोके च नष्टास्तमःप्रविष्टा महामोहमोहितमतयस्तमिलान्धकारे त्रसस्थावरसूक्ष्मबावरेषु पर्याप्ताऽपर्याप्तक एवं यावत् पर्यन्ति दीर्घमन्धानं जीवा लोभवशसंनिविष्टा । एष स परिग्रहस्य फलविपाव इहलौकिकः पारलौकिकोऽप्यसुखो बहुबुद्धो महाभयो बहुरजःप्रगाढो वारुणः कर्कशोऽसातो वर्षसहस्रं मुच्यते, नावेवयित्वाऽस्ति खलु मोक्ष, इत्येवमाह्यातवान् ज्ञातकुलनंबनो महात्मा जिनस्तु वीरवर नामधेयोऽकथयत् च परिग्रहस्य फलविपाकम् । एष स परिग्रहः पंचमस्तु नियमान्नानामणिकनकरत्नमहाध्यं एवं प्रावद् मोक्षवरमुक्तिमार्गस्य परिघभूतश्चरिममधर्मद्वार समाप्तम् ॥सू० २०॥

परार्थान्वय—परिग्रह में आसक्त जीव (परलोगमि) परलोक में (च) और इस लोक में, (नष्टा) सुगति से नष्ट एव सन्मार्गच्छष्ट हुए (तमं पविट्टा) अज्ञानान्धकार में मग्न, (तिमिसंधकारे) अंधेरी रात के समान घोर अज्ञानान्धकार में (महया मोहमोहितमती) तीव्र उदय वाले मोहनीयकर्म से मोहित बुद्धि वाले (लोभवससंनिविष्टा) लोभ के बशीभूत (जीवा) जीव (तसयावरसुहृमबावरेसु) त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बावर पर्याय वाले तथा (पञ्जस्तमपञ्जस्तग एवं जाव परियट्टंति बोहमद्वं) पर्याप्तक, अपर्याप्तक से ले कर दीर्घमार्ग वाले चारगतिरूप संसारवन में परिघमण करते हैं ।

(एसो) यह (सो) पूर्वोक्त (परिग्रहस्त) परिग्रह के (फलविपावो) फल का अनुभव—भोग, (इहलोइओ) इस लोक सम्बन्धी (पारलोइओ) परलोकसम्बन्धी (अप्यसुहो) अल्पसुख वाला है; (बहुबुद्धो) बहुत दुःख वाला है । (महभमओ) महाभयजनक है; (बहुरयप्यगाढो) अत्यन्त मात्रा में कर्मरूपी रज से गाढ़ बना हुआ, (वारुणो) घोर (कर्कसो) कठोर और (असाओ) असात्कार्य है । (वाससहस्सेहि) हजारों वर्षों में जा कर (मुच्छह) इससे छुटकारा होता है । (अवेइसा मोक्सो हु नत्वि) फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता । (एवं) इस प्रकार (नायकुलनंबनो) ज्ञातकुल के मन्वन (महप्या) महात्मा (वीरवरनामधेज्जी) महावीर नामक (जिनो उ) जिनेश्वर भगवान् ने (आहंसु) कहा है । (य) और मैने—शास्त्रकार ने (परिग्रहस्त) परिग्रह के (फलविपाव) फल का विपाक (कहेसी) कहा है ।

एसो (यह) (सो) पूर्वोक्त (पंचमो उ) पांचवाँ (परिग्रहो) परिग्रह नामक आश्वत्थार (नियना) नियम से (नाणामणिकणगरयणमहरिह) अनेक प्रकार की चन्द्रकान्त भावि नक्षित्री, सोना, कर्कतन भावि रत्न तथा बहुमूल्य सुगन्धित द्रव्य—

इत्र आदि, (एवं जाव) इस प्रकार परिग्रह के स्वरूपद्वार में जो पाठ आया है, वह सब यहाँ समाप्त लेना । अतः (इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स) इस श्रेष्ठ मोक्ष—भाव मोक्ष के निर्लोभता-श्रुक्ति रूप मार्ग का (फलिहभूयो) यह परिग्रह आगत रूप है । इस प्रकार (चरिमं) अन्तिम, (अधम्मवारं) अधर्मद्वार (समत्तं) समाप्त हुआ । ॥सूत्र० २०॥

मूलार्थ—धन-सम्पत्ति—स्त्री-पुत्रादि परिग्रह के पाश में फंसे हुए प्राणी परलोक में और इस जन्म में नष्ट—भ्रष्ट हो जाते हैं और अज्ञानरूपी अंधेरे में डूबे रहते हैं । भयानक अंधेरी रात के समान अज्ञानरूप अन्धकार में तीव्र मोहनीय कर्म के उदय से उनकी बुद्धि मोहित—विवेकशून्य हो जाती है । त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर जीवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक, साधारण और प्रत्येक शरीर में अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समूर्च्छिम उद्भिज्ज और औपपातिक जन्मों में जन्म, मृत्यु, रोग और शोक से परिपूर्ण नारक, तिर्यञ्च, देव और मनुष्यों में वे पत्न्यो और सागरों की आयु वाले जन्म पाते हैं । इस तरह अनादि—अनन्त, दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिमय संसाररूपी भयानक वन में वे बार-बार परिभ्रमण करते रहते हैं ।

यह पूर्वोक्त परिग्रह—आश्रव का फलविपाक—फल का अनुभव—भोग इस लोक में और परलोक (भावी जन्म) में अल्प सुख एवं महादुःख देने वाला है । महाभय का उत्पादक है, अत्यन्त गाढ़ कर्मरूपी रज का सम्बन्ध कराने वाला है, अतिदारुण है, कठोर है और दुःस्वप्नमय है । यह हजारों वर्षों में जा कर छूटता है । इस (फल) के भोगे बिना कदापि छुटकारा नहीं होता है । इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर नाम के जिनेन्द्रप्रभु ने व्याख्यान किया है । तथा मैंने (शास्त्रकार ने) परिग्रह का (यह) फलविपाक कहा है ।

यह पूर्वोक्त परिग्रह नामक पांचवा आश्रवद्वार निश्चय ही अनेक प्रकार की चन्द्रकान्त आदि मणियों, सोना, हीरा आदि रत्न, महासुख्य सुगन्धित इत्र आदि द्रव्य, पुत्र, स्त्री आदि स्वरूपद्वारोक्त परिग्रह इस भावमोक्ष—मोक्ष के निर्लोभता—श्रुक्ति रूप उपाय के लिए बाधक अर्गलारूप—प्रतिबन्धक है । इस प्रकार यह अन्तिम पांचवाँ आश्रवद्वार समाप्त हुआ ॥सू० २०॥

व्याख्या

शास्त्रकार अब क्रमप्राप्त फलद्वार के निरूपण के प्रसंग में परिग्रहसेवन से जीवों को क्या-क्या फल मिलते हैं ? इसका संक्षेप में प्रतिपादन करते हैं। इस सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ और पदार्थान्वय से काफी स्पष्ट है तथा इस प्रकार के समान सूत्र-पाठ की व्याख्या पहले के सूत्रपाठों में काफी की जा चुकी है। फिर भी कई स्थलों पर आशय स्पष्ट करने की दृष्टि से कुछ विश्लेषण करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

परलोयन्मि य नदृठा—जो व्यक्ति परिग्रह के वशीभूत हो कर नाना प्रकार के सासारिक पदार्थों को येन-केन—प्रकारेण अन्याय, अनैति या अधर्म से भी जुटाने में तत्पर रहते हैं, उनकी हानत यह होती है कि वे अपने परलोक को नष्ट कर डालते हैं—बिगाड़ लेते हैं। यहाँ 'य' (च) शब्द पड़ा है, जो इस बात का द्योतक है कि जिसने परलोक को नष्ट कर डाला; उसका यह लोक (जन्म) भी अवश्य नष्ट होता है। उपनिषद् में कहा है—'इतो विनाष्टमहती विनाष्टिः' यहाँ का जीवनविनाश महान् जीवनविनाश है। जो यहाँ अपने जन्म को बिगाड़ लेता है—चारित्र्य से भ्रष्ट, नैतिकता से पतित और अपने ध्येय से भ्रष्ट हो जाता है, वह अपने परलोक को तो अवश्य ही नष्ट कर लेता है। इसलिए 'य' शब्द 'इहलोक' का बोधक है।

इसका आशय यह है कि परजन्म को सुधारना या बिगाड़ना किसी और शक्ति, भगवान् या ईश्वर के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो इस जीवन को अत्यन्त उन्नत, महत्त्वपूर्ण और सर्वसुख-सम्पन्न मोक्ष के निकट पहुँचा सकते हैं और चाहें तो बुरे आचरणों, दुर्व्यसनों, बुरे मार्ग या बुरे कार्यों में लगा कर इसे नष्ट कर सकते हैं। इस जीवन का अपने हाथों से इस प्रकार विनाश एक तरह से अनन्त जन्मों का विनाश होगा। क्योंकि पता नहीं, फिर मनुष्यजन्म कब मिले ? इसलिए इस जन्म में जैसा भी मनुष्यजन्म मिला है, जैसी भी परिस्थिति, क्षेत्र, कुल, इन्द्रियों की पूर्णता-अपूर्णता, आयुष्य, शरीरसम्पत्ति आदि प्राप्त हुई है, उसे बदलना तो हमारे हाथ की बात नहीं है। किन्तु हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम सन्मार्ग का आचरण करें और अशुभ पापमय कार्यों से अपने को बचाय रखें तो अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं।

प्रश्न होता है कि जब अपना जीवन बनाना-बिगाड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है तो वह जानबूझ कर क्यों अपने जीवन को पतन की आग में धकेलता है ? क्यों नहीं, अपने इहलौकिक जीवन को सुधार लेता ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—'तमं पश्चिदृठा महत्या मोहमोहियमती तिमिसंधकारे' अर्थात्—वे स्वयं अज्ञान के गाढ़ अंधेरे में डूबे रहते हैं। उनकी बुद्धि पर घनी काली अंधेरी रात की तरह तीव्र

मोहनीय कर्म का पर्दा पड़ा रहता है, जिससे उनकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाती है। उन्हें पशु की तरह पेट भरने, सतान पैदा करने एव पैसा, सुख-साधन इत्यादि के रूप में परिग्रह इकट्ठा करने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। वे जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं और बाद में भी कई जन्मों तक भटकते ही रहते हैं।

परिग्रह के दलदल में फसे हुए जीव अपने परलोक—आगामी जीवन को इस प्रकार अपने ही हाथों से बिगाड़ लेते हैं। वे चाहते हैं सुख। लेकिन परिग्रह प्राप्त करने के लिए उलटे मार्गों का सहारा लेते हैं, जिससे वे उस सुख से दूरातितूर होते जाते हैं। क्षणिक काल्पनिक सुख की आशा में वे महापापजनक बाह्य पदार्थों में मग्न रहते हैं। आत्मगुणों के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब परभाव हैं, आत्मा परभावों में जितनी-जितनी डूबती है, उतना-उतना अधिक दुःख पाती है।

वास्तव में तीव्र मोहनीयकर्म से परिग्रही की बुद्धि धिर जाती है तो उसका ज्ञान, दर्शन या चारित्र्य सब उलटा हो जाता है। विपरीत ज्ञान के प्रभाव से उसे सुख देने वाले देव-गुरु-धर्म पर श्रद्धा, सिद्धान्तज्ञान या शुद्धधर्माचरण बुरा मालूम होता है। अतः परिग्रह सेवनकर्ता लोभ के बन्धीभूत हो कर अपने इस जीवन को बिगाड़ डालते हैं, आगामी जीवन भी उन्हें बुरा ही मिलता है, वहाँ भी उनका जीवन भ्रष्ट और पतित होता है।

परिग्रह का फल : दीर्घकाल तक संसार-परिभ्रमण—जिस प्रकार अन्नह्यचर्य-सेवन का फल अनन्तकाल तक एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक विविधगतियों और योनियों में परिभ्रमण बताया गया था, उसी प्रकार परिग्रहसेवन का फल भी अनन्तकाल पर्यन्त एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय तक की नरक, तिर्यक, मनुष्य और देवगति रूप विविध योनियों में भटकना है।

इस पर विशद व्याख्या हम पहले के अध्ययनों में कर आए हैं। अतः पुनः पिष्टपेषण करना ठीक नहीं होगा।

वास्तव में परिग्रह का फल इस लोक में तो प्रत्यक्ष है। शास्त्रकार ने भी १६ वें सूत्रपाठ में परिग्रह से होने वाले अनर्थों का उल्लेख किया ही है। जिनके हृदय में तृष्णा की आग जलती रहती है, आशास्वी हवा जिसे बार-बार भडकाती रहती है, और इच्छा एवं परिग्रहसेवन-रूपी इन्धन भी जिसमें रात-दिन शोका जाता है, वहाँ भला शान्ति कैसे मिल सकती है? सन्मार्ग कैसे सूझ सकता है? यही कारण है कि परिग्रह का फलविपाक इस लोक और परलोक में सर्वत्र अल्पसुख एव बहुदुःखप्रदायक है। हजारों वर्षों तक भोगते रहने पर भी उस कटु फलभोग से छुटकारा नहीं होता। भोगना तो अवश्य ही पड़ता है। अमण भगवान्

महावीर ने इस प्रकार परिग्रह का फलविपाक बताया था, शास्त्रकार भी उसी को बोहरा कर अपनी नम्रता प्रगट करते हैं ।

उपसंहार

शास्त्रकार पूर्वोक्त पाँच अध्ययनों में पाँच आश्रवों का निरूपण करने के बाद अब पाँच गायानों द्वारा उनका उपसंहार करते हैं—

मू०—एएहि पंचहि आसवेहि, रयमादिणित्तु अणुसमयं ।
चउव्विहगइ - पेरंतं, अणुपरियट्टंति संसारं ॥१॥

छाया—एतैः पंचभिराश्रवैः, रज आश्रित्याऽनुसमयम् ।

चतुर्विधगति—पर्यन्तमनुपरिचर्तन्ते संसारम् ॥१॥

मू०—सव्वगई पक्खंदे, काहेति अणंतए अकयपुण्णा ।
जे य ण सुणंति धम्मं, सोऊण य जे पमायंति ॥२॥

छाया—सर्वगति प्रकन्वान्, करिष्यत्यनन्तान् अकृतपुण्याः ।

ये च न शृण्वन्ति धर्मं, श्रुत्वा च ये प्रमाद्यन्ति ॥२॥

मू०—अणुसिट्ठं पि बहुविहं, मिच्छादिट्ठीआ जे नरा ।
बद्धनिकाइयकम्मा, सुणंति धम्मं न य करेति ॥३॥

छाया—अनुशिष्टमपि बहुविधं, मिष्यादृष्टिका ये नराः ।

बद्धनिकाशितकर्माणः, शृण्वन्ति धर्मं न च कुर्वन्ति ॥३॥

मू०—कि सक्का काउं जे, जं णेच्छह ओसहं मुहा पाउं ।
जिणवयणं गुणमहुरं, विरेयणं सव्वदुक्खाणं ॥४॥

छाया—कि शक्यं कर्तुं ये, यन् नेच्छपीषधं मुधा पातुम् ।

जिन वचनं गुणमधुरं, विरेचनं सर्वदुःखानाम् ॥४॥

मू०—पंचेव य उज्झिऊण, पंचेव य रक्खिऊण भावेण ।

कम्मरयविप्पमुक्का, सिद्धिवरमणुत्तरं जंति ॥५॥स्तिवेमि॥

छाया—पंचैव जोज्झित्त्वा, पंचैव च रक्षित्वा भावेन ।

कम्मरजोविप्रमुक्ताः सिद्धिवरमणुत्तरं यान्ति ॥५॥इति श्रवोमि॥

सूक्तार्थ— इन पाँचों (प्राणातिपात आदि) आश्रवों से जीव प्रतिक्षण आत्म प्रदेशों के साथ कर्मरूपी रज का संचय करता हुआ गतिनाम कर्म के उदय से नरक, तिर्यक, देव, मनुष्य—इस चारगतिरूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है ॥१॥

जिन्होंने आश्रवो का निरोध नहीं किया है, वे पुण्यहीन प्राणी नरक देव आदि सर्वगतियों में अनन्त (बार) गमनागमन करेंगे। कौन ? जो धर्म का श्रवण नहीं करते या धर्म श्रवण करके भी जो प्रमाद करते हैं ॥२॥

जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है तथा निकाचित रूप से कर्म बांधे हुए हैं, वे अधम गुरुजनो द्वारा अनेक प्रकार से उपदेश दिये जाने पर धर्म श्रवण तो करते हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं करते ॥३॥

जिनवचन तो समस्त दुःखों के नाश के हेतु गुणयुक्त मधुर विरेचन है, परन्तु निःस्वार्थ बुद्धि से दिए गये इस औषध को जो पीना नहीं चाहते, उनका वह क्या कर सकता है ? ॥४॥

अतः जो हिंसा आदि पांच आश्रवो को छोड़ कर और प्राणातिपात-विरमण आदि पांच सवरो का भाव से पालन करके कर्मरज से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, वे सकलकर्मों के क्षय से प्राप्त होने वाली उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भावसिद्धि यानी सर्वोत्तम सिद्धि को पाते हैं ॥५॥

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्यासहित पंचम अध्यायन अर्थात् परिग्रह आश्रव के रूप में पंचम और अन्तिम अधर्मद्वार समाप्त हुआ ।

आश्रवद्वार सम्पूर्ण



द्वितीय खण्ड : संवरद्वार

संवरद्वार-दिग्दर्शन

प्रथम श्रुतस्कन्ध मे शास्त्रकार ने आश्रवद्वार के अन्तर्गत पांच आश्रवों का विशद वर्णन किया है। आश्रव का प्रतिपक्षी संवर है। संवर का महत्त्व जाने बिना आश्रवों से विरति नहीं हो सकती। इसलिए आश्रवों के निरूपण के बाद संवरों का निरूपण आवश्यक समझ कर शास्त्रकार सर्वप्रथम पांच संवरों का दिग्दर्शन निम्नोक्त पाठ द्वारा करा रहे हैं—

मूलपाठ

जम्बू ! एत्तो य संवरदाराइं पंच वोच्छामि आणुपुब्बीए ।
 जह भणियाणि भगवया सव्वदुह्विमोक्खणट्ठाए ॥ १ ॥
 पढमं होइ अहिंसा, बित्थियं सच्चवयणं ति पन्नत्तं ।
 दत्तमणुत्तायं संवरो य बंभचेरमपरिग्गहत्तं च ॥ २ ॥
 तत्थ पढमं अहिंसा तसथावरसव्वभूयखेमकरी ।
 तोसे सभावणाओ किंची वोच्छं गुणुहेसं ॥ ३ ॥

ताणि उ इमाणि सुव्वय ! महव्वयाइं^१ लोकहियसव्वयाइं
 सुयसागरदेसियाइं तवसंजमव्वयाइं सीलगुणवरव्वयाइं
 सच्चज्जवव्वयाइं नरकतिरियमणुयदेवगति-विवज्जकाइं कम्म-
 रयविदारगाइं दुहसयविमोयणकाइं सुहसयपवत्तणकाइं
 कापुरिसदुरुत्तराइं^२ सप्पुरिसनिसेवियाइं निव्वाणगमणमग्ग-
 (सरग) - पणायकाइं संवरदाराइं पंच कहियाणि य (उ)
 भगवया ।

१ 'लोए धिइअव्वयाइं' पाठ कहीं कहीं है।

२ 'सप्पुरिसतीरियाइं' पाठ भी मिलता है।

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! इतश्च संवरद्वाराणि पंच वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ।

यथा भणितानि भगवता सर्वदुःखविमोक्षणार्थम् ॥ १ ॥

प्रथमं भवर्त्याहिंसा द्वितीयं सत्यवचनमिति प्रज्ञप्तम् ।

वस्तमनुज्ञातं संवरश्च ब्रह्मचर्यमपरिग्रहत्वं च ॥ २ ॥

तत्र प्रथमर्माहिंसा त्रसस्थावरसर्वभूतक्षेमकरी ।

तस्याः सभावनायाः किञ्चिद् वक्ष्ये गुणोद्देशम् ॥ ३ ॥

तानि इमानि सुव्रत ! महाव्रतानि लोकहितसर्वदानि (लोके धृतिव्रतानि) श्रुतसागरदेशितानि तपःसंयमव्रतानि शीलगुणवरव्रतानि सत्यार्जवाक्ययानि (व्रतानि) नरकतिर्यग्मनुजदेवगतिविवर्जकानि, सर्व-जिनशासनकानि कर्मरजोविदारकाणि भवशतविनाशनकानि दुःखशत-विमोचनकानि सुखशतप्रवर्त्साकानि कापुरुषदुरुत्तराणि सत्पुरुषनिषेवि-तानि (सत्पुरुषतीरितानि) निर्वाणगमनमार्गं-(स्वर्गं)प्रणायकानि (प्रयाण-कानि) संवरद्वाराणि पंच कथितानि तु भगवता ।

पदार्थान्वय—(जम्बू !) गणधर सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! (एतो) आभवद्वारों का कथन करने के पश्चात् (पंच) पाँच (संवरद्वाराइं) संवरद्वार (जह) जिस प्रकार (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (सम्बुदुःखविमोक्षणदृष्टाए) समस्त दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिए (भणियाणि) कहे हैं; वैसे ही, (आणुपूर्व्याए) अनुक्रम से मैं (बोछामि) कहूँगा । (पठमं) पहला संवर-द्वार, (अहिंसा) अहिंसा (होई) है; (चितियं) दूसरा संवरद्वार (सच्चवयणं) सत्य-वचन है; (इति पण्यत्) ऐसा बताया है । (वत्तं) वी हुई या स्वामी, गुह, तीर्थकर आदि के द्वारा जिसके सेवन की अनुमति प्राप्त हुई हो; उसी वस्तु के ग्रहणरूप अवसत का विपक्षी 'वस्तानुज्ञात' नामक तीसरा संवरद्वार है, चौथा (बंभचेरं) ब्रह्मचर्य-संवरद्वार है (च) और पाँचवां (अपरिग्रहत्वं) अपरिग्रहत्व—परिग्रह का त्याग नामक संवरद्वार है । (तत्थ) उन पाँचों में से (पठमं) प्रथम संवर द्वार (अहिंसा) अहिंसा है, जो (तसथावरसम्बभूयक्षेमकरी) त्रस और स्थावर सभी जीवों का क्षेम—कल्याण करने वाली है । (सभावनायो) पाँच भावनाओं सहित, (तीसे) उस अहिंसा के (किञ्चि) कुछ थोड़े-से (गुणोद्देशं) गुणों का संक्षिप्त स्वरूप (बोच्छं) कहूँगा । (सुव्यय !) हे उत्तमव्रत वाले जम्बू ! (ताणि उ, वे नाम मात्र से कहे गए (इमाणि) जिनका स्वरूप आगे बताया जायगा, ऐसे ये (महोव्याइं) महाव्रत (लोकहितसम्बव्याइं) लोक के

सम्पूर्ण हित को देने वाले हैं, अथवा (लोके छिद्रज्ज्वयाहं) बीच लोक में बर्ष—चित्त को क्षारवासन देने वाले व्रत हैं। (सुयसागरवेसियाहं) ये आगमरूपी समुद्र में उप बिष्ट हैं (तवसंजनज्ज्वयाहं) ये तप और संयमरूप व्रत हैं अथवा इनमें तप और संयम का व्यय—क्षय—नहीं होता है; (शील गुणवरज्ज्वयाहं) शील और चिनवादि गुणों से श्रेष्ठ व्रत हैं अथवा इनमें शील और श्रेष्ठ गुणों का व्रत—समूह निहित है; (सत्त्वज्ज्वयाहं) सत्य और आर्जव—इन व्रतों में प्रधान हैं; अथवा सत्य और आर्जव का इनमें व्यय - नारा नहीं होता; (नरगतिरियमण्यवेवगतिविज्ज्वयाहं) नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति को दूर हटाने वाले हैं, (सत्त्वजिज्ज्वयाहं) समस्त जिनेन्द्रों द्वारा शासित—प्रतिपावित हैं; (कम्मरथविदारयाहं) कर्मरूपी रज का विदारण—क्षय करने वाले हैं, (भवसयविणासणकाहं) संकड़ों भवों—जन्मों का विनाश—अन्त करने वाले हैं, (दुहसयविभोयणकाहं) संकड़ों दुःखों से छुड़ाने वाले हैं, (सुहसयपवत्तणकाहं) संकड़ों सुखों में प्रवृत्त करने वाले हैं, (कापुरिसदुत्तराहं) कायर पुरुषों के लिए वृत्तर हैं, पीर लोग बड़ी मुश्किल से इन पर निष्ठा लाते हैं, (सप्पुरिसनिसेवियाहं) सत्पुरुषों ने इनका सेवन करके किनारा पा लिया है, (निब्बाणगमणमग्ग-(सग्ग) पणायकाहं) ये निर्वाणगमन के लिए मार्ग रूप हैं तथा प्राणियों को स्वर्ग पहुँचाने वाले हैं। (पंच) ऐसे पांच (संवरवाराहं) संवर द्वार (भगवया) भगवान् महावीर ने (कहियाणि उ) कहे हैं।

मूलार्थ - श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं— हे आयुधमन् जम्बू ! पांचो ही आश्रवद्वारो का वर्णन करने के पश्चात् समस्त दुःखो से छुटकारा दिलाने के लिए पांच संवरद्वार जिस प्रकार भगवान् महावीर स्वामी ने कहे है, उसी प्रकार मैं तुम्हें अनुक्रम से कहूंगा ॥१॥

पहला संवरद्वार अहिंसा है। दूसरा संवरद्वार सत्यवचन है, तीसरा संवरद्वार दत्त और अनुज्ञात के ग्रहण रूप है, चौथा ब्रह्मचर्य नामक संवरद्वार है और पांचवां अपरिग्रहत्व—परिग्रहत्याग नामक संवरद्वार है ॥२॥

इन पांचों में से पहला संवरद्वार अहिंसा है, जो त्रस-स्थावर सम्पूर्ण प्राणियों का क्षेम-कुशल करने वाली है। पांच भावनाओं सहित उस अहिंसा के थोड़े-से गुणों का संक्षिप्त स्वरूप मैं बताऊंगा ॥३॥

हे सुव्रत—उत्तम व्रताचरणशील ! पहले जिनके नामो का ही केवल उल्लेख किया गया है, जिनका विशेष स्वरूप आगे बताया जायगा; वे ये अहिंसा आदि ५ महाव्रत लोगों के सम्पूर्ण हितों के प्रदाता हैं अथवा लोक में दुःख से

बबर्राए हुए जीवों को धैर्य देने वाले ये व्रत हैं । ये व्रत तप—संयमरूप हैं, अथवा इनमें तप और संयम का क्षय नहीं होता । ये शील और विनयादि गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं अथवा उनमें शील और श्रेष्ठ गुणों का समूह रहता है । इनमें सत्य और आर्जव (सरलता) प्रधान हैं । ये नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव-गति का निवारण करने वाले हैं । इनकी शिक्षा समस्त तीर्थंकरों ने दी है । ये कर्मरूपी रज का क्षय करने वाले हैं । ये सैकड़ों भवों—जन्ममरणों का नाश करने वाले हैं । ये सैकड़ों दुःखों से छुटकारा दिलाने वाले और सैकड़ों सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं । कायर पुरुषों के लिए इन पर अन्त तक निष्ठा-पूर्वक टिकना कठिन है । ये सत्पुरुषों के द्वारा सेवित हैं अथवा सत्पुरुष इनका सेवन करके पार उतर गए हैं । ये निर्वाणगमन के लिए मार्गरूप हैं, और स्वर्ग में ले जाने वाले हैं । ऐसे पांच संवरद्वार का कथन भगवान महावीर स्वामी ने किया है ।

व्याख्या

श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र का प्रथम खण्ड—आश्रवद्वार (अधर्मद्वार) समाप्त हो चुका । इसलिए अब आश्रव के प्रतिपक्षी सवरो का वर्णन करना जरूरी था । चूंकि प्रश्नव्याकरणसूत्र विश्व के प्राणियों के जीवन से सम्बन्धित मूलभूत प्रश्नों की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए ही भगवान् महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित है । जीवन के मूलभूत और मुख्य प्रश्न यही हैं कि मनुष्य किन-किन कारणों से कैसे-कैसे दुःख पाता है । उसके लिए उसे कहीं-कहीं भटकना पड़ता है ? उसके पश्चात् वह इन दुःखों के कारणों से कैसे और किस उपाय से छुटकारा पा सकता है ? उसके लिए उसे कौन-सी आराधना—साधना करना जरूरी है ? अथवा किन-किन बातों को दृढता-पूर्वक अपनाना आवश्यक है ? प्राणिजीवन के बन्धनसम्बन्धी पूर्व प्रश्नों के उत्तर में आश्रवद्वार का वर्णन प्रस्तुत किया गया और अब मुक्तिसम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर में संवरद्वार प्रस्तुत कर रहे हैं ।

इसी हेतु से पांचों आश्रवद्वारों—अधर्म द्वारों का निरूपण और विश्लेषण कर चुकने के पश्चात् श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करके कह रहे हैं—‘जम्बू ! एते संवरद्वाराहं पंच बोच्छामि आणुपुब्बीए ।’ अर्थात् यहाँ से अब आश्रवों के प्रतिपक्षी पांच संवरद्वारों का मैं क्रमशः तुम्हारे सामने निरूपण करूँगा ।’

प्रश्न होता है कि इन संवरद्वारों का वर्णन पहले भी किसी ने किया है, या श्री

सुघर्मास्वामी स्वयमेव सर्वथा नये रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं ? इसके उत्तर में शास्त्र-कार स्वयं कहते हैं—'अह भविष्याणि भगवन्वा' ।

इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि सुघर्मास्वामी स्वयं ज्ञानी और वृद्ध चारिपाल्पा थे, वे चाहते तो स्वयमेव नये रूप में संवरों का वर्णन कर सकते थे; लेकिन उन्होंने उपर्युक्त वाक्य द्वारा विनयपूर्वक अपनी लघुता प्रगट की है। साथ ही वीतरागप्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया है। उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रदर्शित की है कि 'जैसा भगवान् महावीर ने संवरद्वारों का वर्णन अपने श्रीमुख से फरमाया था, वैसे ही रूप में मैं उनके आशयानुसार अपने शब्दों में उनका वर्णन करूंगा। मैं नये रूप में अपनी ओर से इनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। भगवद्वाणी तो समस्त जीवों के संशयों के दूर करने वाली, और सबको हृदयंगम हो सके, ऐसी सर्वभावामयी थी, वैसी शक्ति तो मुझ में नहीं है; किन्तु उन्हीं भावों को बिना विपर्यास किए, यथातथ्य रूप में मैं कहूंगा। इन शब्दों से श्री सुघर्मास्वामी ने इस शास्त्र की प्रामाणिकता भी व्यक्त कर दी है।

संवरद्वारों का वर्णन क्यों और किसलिए ?—एक शंका यह होती है कि इन संवरों का वर्णन भी क्यों और किसलिए किया गया है ? इसी के समाधानार्थ शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं—'सञ्चबुद्धिबिभेक्षन्वाहृत्' अर्थात्—समस्त दुःखों अथवा समस्त प्राणियों को दुःखों से मुक्ति—छुटकारा दिलाने के लिए संवर का निरूपण किया।

संवर का अर्थ—जैसे आश्रय जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है, वैसे ही संवर भी जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है। आश्रय का अर्थ हम आश्रयद्वार के प्रारम्भ में कर आए हैं। अतः उसका पिष्टपेषण करना अनावश्यक है। संवर का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इस प्रकार है—

'सन्निधन्ते प्रतिवध्यन्ते आगन्तुककर्माणि येन सः संवरः' 'संवरणमात्रं—प्रतिरोधनमात्रं' वा 'संवरः' ।

अर्थात्—'भविष्य में आने वाले कर्म जिस बुद्ध भाव से सकते हैं या रोके जाते हैं, उसे संवर—भावसंवर कहते हैं और आने वाले पुद्गलरूप कर्मों का रक जाना द्रव्यसंवर है।'

एक दृष्टान्त द्वारा इसे स्पष्टतया समझाना ठीक होगा—मान लो, समुद्र में अगाध जल भरा है। उसमें एक नौका पड़ी है। परन्तु अधिक समय हो जाने से उस नौका में छेद हो गए हैं। उन छेदों द्वारा जल द्रुतगति से नौका में भर रहा है। उस नौका के छिद्र किसी विवेकी नाविक ने बंद कर दिये। अब नौका के डूबने का कोई खतरा नहीं। अब उसमें पानी घुस नहीं सकेगा। नौका अब सहीसलामत समुद्र को पार करके किनारे पहुंच सकेगी।

इसी प्रकार संसाररूप समुद्र है, उसमें कार्माणवर्णना के रूप में कर्म रूप अबाह

जल भरा है। आत्मारूपी नौका इस संसारसमुद्र में अनादिकाल से पडी है। आत्मारूपी नौका में विपरीत परिणति के कारण पाच आश्वरूपी छंद हो रहे हैं, उन छंदों से कर्मरूपी जल द्रुतगति से सतत घुस रहा है। कुशल नाविक की तरह विवेकी आत्मा उन छिद्रों को अहिंसा-सत्य आदि पाच संवरों के उत्तम तथा पवित्र भावों से रोक देता है तो कर्मरूपी जल रुक जाता है। और तब आत्मारूपी नौका संसारसमुद्र को सुरक्षित रूप से पार करके किनारे लग सकेगी। यही सवर का स्वरूप है। सवर आश्व का ठीक विरोधी है। आश्वों के कारण तो आत्मारूपी नौका संसारसमुद्र में ही अनन्त काल तक जन्म-मरण के गोते खाती रहती है, जबकि सवर के द्वारा उसे गोते खाने से बचाया जा सकता है।

सवर का माहात्म्य और उसकी उपयोगिता—संसार में समस्त प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःखों से घबरा रहे हैं। वे उन दुःखों से बचने के लिए धड़र-उधर बहुत ही हाथ-पैर मारते हैं, लेकिन ज्यो-ज्यो वे प्रयत्न करते जाते हैं, त्यो-त्यो अधिक-अधिक दुःख के जाल में फसते जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे दुःखनिवारण एवं सुखप्राप्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, बेईमानी, अब्रह्मचर्यसेवन, परिग्रह आदि जिन-जिन चीजों को अपनाते हैं, वे उन्हें सुख के बदले और अधिक दुःख के गर्त में पटक देती हैं। ससारी जीव इन दुःखों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन मोह, अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण उन्हें कोई सच्ची राह नहीं सूझती। इसी कारण विश्ववत्सल, प्राणिमात्र के हितैषी एवं परमकृपालु वीतराग तीर्थंकरों ने आश्वों को छोड़ कर संवरों को अपनाने पर जोर दिया है।

इसी हेतु से इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सवर का माहात्म्य बताया है—कि दुःखसंतप्त प्राणी सवरों का माहात्म्य समझ कर सवरों की साधना—आराधना के सम्मुख हो और अणुव्रत या महाव्रत के रूप में उसे जीवन में उतार ले। यद्यपि शास्त्रकार ने यहाँ सवरद्वार में महाव्रतों का ही निर्देश किया है, लेकिन 'सर्वे षडा हस्तिपदे निगमनाः'—'हाथी के पैर में सभी पैर आ जाते हैं', इस कथावत के अनुसार महाव्रत के अन्तर्गत अणुव्रत या मार्गानुसारी नैतिक व्रत भी समा जायेंगे। इस दृष्टि से सवरों को केवल साधु-भुनियों के ही आराधन करने योग्य समझ कर किसी को निराश हो कर बैठने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को यथाशक्ति संवरों का स्वरूप और माहात्म्य समझ कर उनकी आराधना में तत्पर होना चाहिए। अब हम क्रमशः सवरद्वारों के माहात्म्य पर शास्त्रकार के द्वारा उक्त पंक्तियों पर प्रकाश डाल रहे हैं—

साणि उ इमाणि सुख्य ! महृष्ययाद्— जिन्हें सवरशब्द से पुकारा जाता है, वे अहिंसा आदि पंच-महाव्रतरूप हैं। गृहस्थ भावकों के पालन करने योग्य व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रतों की अपेक्षा से ये महान् होने के कारण महाव्रत कहलाते

हैं। अणुव्रतों में हिंसा आदि से सर्वथा निवृत्ति—विरति नहीं होती है, जबकि महाव्रतों में हिंसा आदि आश्रवों का मन, वचन और कायरूप तीन योगों से तथा कृत-कारित-अनुमोदन रूप तीन करणों से त्याग करना होता है। महाव्रत केवल साधु-मुनियों द्वारा पालनीय होते हैं। परन्तु यहाँ केवल महाव्रतों को ही एकान्तरूप से संवर नहीं माना, अपितु उन पाचों संवरों का माहात्म्य बताने के लिए यह बताया है कि वे महाव्रत-रूप भी होते हैं। अगर शास्त्रकार संवरों को एकान्तरूप से महाव्रतरूप ही बताते, तब तो ये संवर केवल साधुओं के ही काम के होते, सारा विश्व इनसे कोई लाभ नहीं उठा सकता। परन्तु शास्त्रकार ने 'लोकहितसम्बन्धाद्' आदि विशेषणों द्वारा इनसे सारे लोक के हित का दावा किया है। इसलिए इन संवरों को सार्वजनीन समझना चाहिए।

लोकहितसम्बन्धाद्—ये संवर संसार में समस्त हितों के प्रदाता हैं। संसारी जीव हित की प्राप्ति और अहित से निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। लेकिन विपरीत उपायों का सहारा लेने से विफलमनोरथ होकर वे हताश हो जाते हैं। परन्तु शास्त्रकार इन संवरद्वारों को एकान्त लोकहितप्रदायक बता कर संवर-ग्रहण की ओर अगुलनिर्देश कर रहे हैं।

अथवा यदि 'लोकहितसम्बन्धाद्' पाठ मानें तो अर्थ होता है—ये संवरद्वार लोक में शारीरिक और मानसिक दुःखों से सन्तप्त जीवों को धैर्य बधाने और आश्वासन देने वाले व्रत हैं। वास्तव में अहिंसा आदि व्रतों के धारण करने से व्यक्ति को सुख-शान्ति की अनुभूति अवश्य ही होती है, व्याकुलता कम हो जाती है, आश्रवों से छुटकारा पाते ही मनुष्य निश्चिन्त और निर्द्वन्द्व हो जाता है।

सुयसागरवेसिधाद्—सासारिक प्राणी जब शारीरिक मानसिक पीडाओं से छटपटाते हैं, उस समय यदि कोई साधारण आदमी जाकर उन्हें किसी मामूली पुस्तक की बातें पढ़ कर सुना दे तो उमसे उन्हें सतोष नहीं होता। परन्तु उस समय अगर उन्हें यह विश्वास दिलाया जाय कि ये बातें मैं अपने मन की कपोल कल्पित नहीं बता रहा हूँ, अपितु आगमों के गहरे ज्ञान समुद्र में उपदिष्ट ही यह सब बताया हूँ, तो उन्हें झट विश्वास जम जाता है और वे संवरों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से कहा गया है कि ये संवरद्वार श्रुतसमुद्र—शास्त्रसागर में सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट हैं।

तत्र-संज्ञमन्बन्धाद्—संसार के अधिकांश प्राणी कर्मों के रोग से पीड़ित हैं। कर्मों के रोग को मिटाने के लिए रामबाण दवा तप और संयम है। तप और संयम की दिव्य-औषधि का सेवन करने से ही कर्मों का उच्छेद होगा। इसलिए संवरद्वारों को तप-संयमरूप व्रत बताया कर उस सत्पुरुषरूप रोग को मिटाने के लिए संकेत किया है, शान्ति प्राप्त करने का आश्वासन दिया है। अथवा इन संवरद्वारों में तप

और संयम इन दोनों का क्षय नहीं होता। यानी संवर मे तप और संयम की धारा सतत प्रवाहित रहती है।

सौख्यसुखसंवरव्यवहारः—ससारी प्राणी सुख-शान्ति के कारण समस्त कर कामसेवन करते हैं और अनेक दुर्गुणों को अपनाते हैं, लेकिन ज्यो-ज्यो जीव कामवासना से प्रेरित होकर अब्रह्मसेवन करता है या दुर्गुणों को अपनाता है, त्यों-त्यों अनेक शारीरिक और मानसिक रोग उसे आ घेरते हैं, शरीर आधि-व्याधि-उपाधि से प्रस्त हो जाता है, तब उसे यदि बताया जाए कि तुम सबरो को अपना लो तो वह 'दूध का जला छाछ को भी फूक-फूक कर पीता है, उक्त कहावत के अनुसार शंका करने लगेगा कि कहीं इन सबर द्वारो मे भी वही मौजशीक, विषयवासनासेवन के खेल, रागरग, छलकपट, धोखे बाजी, झूठफरेब आदि तो नहीं हैं? अत उसे शास्त्रकार विश्वास दिलाते हैं कि 'घबराओ मत' इन सबर द्वारो मे ये सब कामोत्तेजक या दुर्गुणबद्धक बातें नहीं हैं, इनमे तो शील (सदाचार) है, श्रेष्ठ गुण है, सत्यता है, सरलता है। इन सबरद्वारो के सेवन से सभी प्रकारके शारीरिक मानसिक रोग मिट जाएंगे। झूठफरेब, धोखेबाजी, ठगी या कपटव्यवहार जीवन मे फटकेगे भी नहीं, जिनसे तुम्हें डरना पड़े। बल्कि शील, सत्य और सरलता से जीवन चमक उठेगा; जीवन मे शान्ति और सुख का सागर लहराने लगेगा।

नरगतिरियमगुयदेवगतिविबन्जकाहं—प्राणी अनादिकाल से नरकादि चारो गतियो में भ्रमण कर रहा है। बार-बार विभिन्न गतियो में भटकते-भटकते और वहाँ जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि के तथा बध-बन्धन आदि के विविध कष्ट सहते-सहते ऊबा हुआ प्राणी कोई न कोई सहारा ढूँढता है, या कोई निवारक उपाय खोजता है। ऐसे प्राणियो से शास्त्रकार कहते हैं कि सबरद्वार ऐसे हैं, जिन्हे अपना लेने पर और दृढ़ता से इनकी आराधना—साधना करने पर इन चारो गतियो मे भ्रमण करने का कोई खतरा नहीं रहता। ये सबर ऐसे हैं कि इन्हें अपना लेने पर चारो गतियो मे भ्रमण का रास्ता बंद हो जाता है।

सम्बन्धिसासात्त्वगाहं—जब कोई रोग दुःसाध्य हो जाता है तो रोगी घबरा कर अनेक वैद्यों और चिकित्सकों के पास जाता है। यदि वे अपने चिकित्साशास्त्र के आचार्यों द्वारा बताए हुए नुस्खे लिख कर रोगी को देते हैं, तब तो रोगी को विश्वास बैठ जाता है। परन्तु अगर वैद्य अपना मनमाना नुस्खा लिख कर दे देता है या उटपटाग यथा लिख कर रोगी को टरका देता है तो उसे फायदा भी नहीं होता और रोगी की श्रद्धा उस वैद्य पर से हट जाती है। यही बात आध्यात्मिक रोगी—भवभ्रमण के रोगी के लिए है। जब कोई अप्रसिद्ध या मामूली साधु या आचार्य उसे अमुक-अमुक नियम पालने की बातें करते हैं तो वह शकाशील हो कर पूछता है—“आत्मिक रोग का यह इलाज किसी प्राचीन महापुरुष

ने भी बताया है या आप अपने मन से हाक रहे हैं ?” यदि उस आत्मिक रोमी की शका का समाधान हो जाता है, तो वह बेखटके उस इलाज को अपना कर शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने बताया है कि ये संवरद्वार कोरी गप्प नहीं है, या मैं ही सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, परन्तु इस अनादि-अनन्त संसार में अनन्तकाल से प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में जो भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सबने सासारिक प्राणियों के आत्मिक रोमों को मिटाने के लिए समानरूप से इन संवरों की ही शिक्षा दी है, इन्हीं के सेवन का आदेश-निर्देश दिया है।

कर्मभयविचारगाइ—यह बात निश्चित है और विवेकी जीव अनुभव भी करते हैं कि जो जैसा शुभाशुभ कर्म करेगा, उसे उसी रूप में अपने उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ रहा है और भूतकाल में भी भोगना पड़ा था। इसलिए प्रत्येक मानव इन कर्मों से घबराता है और जो भी गुरु या उपदेशक उसके निकट-सम्पर्क में होते हैं, उनसे कर्मनिवारण का उपाय पूछता फिरता है। परन्तु वे खुद किसी न किसी दुर्गुण में फसे होते हैं तो ऊटपटाग उपाय ही बताते हैं, उलटे लटकने, चागे ओर आग जलाकर तपने आदि के उलटे मार्ग बता देते हैं, तो उनसे उनके कर्म कटने के बजाय और नये बधते जाते हैं, वे बेचारे किर्तव्यविमूढ़ हो कर मन मसोस कर रह जाते हैं। उन्हीं जीवों को लक्ष्य करके शास्त्रकार कहते हैं—ये संवरद्वार नये कर्मों को बढ़ाने के बजाय आते हुआ रोक देते हैं और पुराने कर्मों को क्षीण करने में सहायक होते हैं।

भयसयविनासणकाइ—संसार में जन्ममरण का भय सबके पीछे लगा हुआ है। कठोर से कठोर हृदय वाले को भी जन्ममरण से डर लगता है। कई लोग मनुष्यजन्म पा कर भी पूर्वकृत अशुभकर्मवश अनेक कष्टों का सामना करने से ऊब जाते हैं और सोचते हैं—“जीवन का अन्त कर डालें।” आत्महत्या करने से शान्ति और सुख हो जायगा, ऐसी भ्रान्ति के शिकार बन कर वे जन्म-मरण का चक्र घटाने के बजाय बढ़ा लेते हैं। कई बार उन्हें झंपापात (पर्वत से नीचे कूटना) और जलसमाधि ले लेने आदि के अनर्थक उपाय जन्ममरण के अन्त के लिए बता देते हैं; या ‘शरीर के भस्म होते ही सब यही भस्म हो जायगा’ इस प्रकार से विपरीत मार्गदर्शन दे कर गुमराह कर देते हैं। इन सबको लक्ष्य में रख कर शास्त्रकार कहते हैं—संवरद्वार ही एकमात्र सँकड़ो भवों (जन्ममरणों के चक्रों) को तोड़ने में समर्थ है, अन्य कोई उपाय यथार्थ नहीं है, उलटे ऐसे उपायों से जन्ममरण का चक्र बढ़ जायगा।

बुद्धसयविमोयणकाइ—संसार में अधिकाश प्राणी अज्ञान, मोह, अविद्या और मिथ्यादर्शन के कारण नाना दुःख पाते हैं। वे मोहमूढ़ हो कर समझ ही नहीं पाते कि हमें ये दुःख क्यों भोगने पड़ते हैं और इन दुःखों का अन्त भी हो सकता है या

नहीं ? कई बार तो उन्हें अपने जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक या पारिपार्श्विक सम्कार या वातावरण भी ऐसे गलत मिलते हैं, जिनसे उलटे उपाय अपना कर अपने दुःखों में बृद्धि कर लेते हैं । अतः शास्त्रकार ऐसे दिङ्मूढ़ बने हुए लोगों को आश्वासन के स्वर में कहते हैं कि 'ये सवरद्वार सँकड़ो दुःखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं । इन्हें अपनाओ ।'

सुहसयपचक्षणकाहं—ससारी जीव अज्ञान और मोह के बशीभूत हो कर वैषयिक सुखों को ही सुख मान कर विविध इन्द्रियविषयों तथा उनकी पुष्टि के लिए खाने-पीने-पहनने के साधनों, भौतिक पदार्थों आदि को अपनाता है, परन्तु वे सब जरा-सी देर के लिए सुख की झलक दिखा कर नष्ट हो जाते हैं । तब फिर वही हायतोबा मचती है । खराब, अनचाहा पदार्थ मिला तो दुःख, इष्ट पदार्थ का वियोग हो गया तो दुःख, इष्ट पदार्थ को किसी दूसरे ने अपने कब्जे में ले लिया तो उसकी चिन्ता और दुःख । इसलिए उन सब सुखाभासों से दुःख पाते हुए लोगों से शास्त्रकार का संकेत है—'ये ५ सवरद्वार ही, एकमात्र ऐसे हैं, जो वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ दुःखपरिणामी-सुखाभासों से छुटकारा दिला कर आत्मनिष्ठ स्वाधीन शाश्वत सुखों में रमण करा देते हैं ।

कापुरिसमुत्तराहं—ससार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सस्ता नुस्खा खोजते रहते हैं । जहाँ 'हींग लगे न फिटकरी रंग खोसा हो जाय' ; इस मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वहाँ कुछ धूर्त धर्मध्वजी भी उन्हें वैसे ही मिल जाते हैं, जो त्याग वैराग्य, सयम, तप और नियम को ढोंग और दिखावा बता कर उन्हें इन्द्रियसुखों के दलदल में फसा कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं । वे उन्हें इन्द्रियों के वैषयिक सुख और ऐश आराम की जिदगी बिता कर स्वर्ग और मोक्ष मिल जाने या अमुक सम्प्रदाय, गुरु, या अवतार को मान लेने या अमुक (भस्म रमाने, जटा बढ़ाने आदि) क्रिया करने से भगवान् के दर्शन या मुक्ति की प्राप्ति के सम्बन्ध दिखाते हैं । इस प्रकार तप, सयम, नियम, त्याग, वैराग्य आदि को कष्टकर समझ कर कायर बना हुआ और सस्ता नुस्खा खोजने वाला मनुष्य भोगपरायणता के ऐसे रास्ते को अपना लेता है । किन्तु आखिर वह धोखा खाता है, फिर पछताता है । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, कि इन्द्रियों के गुलाम कायर लोग इन सवरद्वारों के रहस्य को नहीं पा सकते । वे इन्हें ढोंग समझ कर ठुकरा देते हैं और सच्चे सुख से वंचित ही रहते हैं । मतलब यह है कि इन सवरद्वारों के आराधन में कायर लोगों की गुजर नहीं होती ।

सप्पुरिसनिसेविषाहं—हिताहित, कर्तव्याकर्तव्य, हानिलाभ और जडचेतन का जिनमें विवेक जागृत हो गया है और जो इन्द्रियवास और कष्टकातर न बन कर आत्मिक सुख को पाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसे सत्पुरुष ही इन सवरद्वारों का सेवन-पालन करते हैं । दुराचारी, कायर, हिंसक आदि दुर्बल तो इन्हें छूते भी नहीं ; सज्जन ही

इनका सेवन करते हैं। 'सत्पुत्रिसतीरियाई' इस पाठ के अनुसार अर्थ होता है— सत्पुरुष ही इन संवरद्वारों का पूर्ण अवगाहन कर पाते हैं। जो व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा रह कर नदी की लहरों गिनता रहता है या नदी में तैरने के मनसूबे बांधता रहता है, वह नदी में तैरने का आनन्द नहीं पाता। इसी प्रकार जो इन संवरद्वारों का निरूपण सुन कर केवल विचार करता रहता है, इनके पालन के लिए तैयार नहीं होता, सिर्फ संवरों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संवरों से होने वाले आनन्द का लाभ नहीं ले पाता। अतः उपयुक्त विवेकी सत्पुरुष ही संवरद्वार का किनारा पाते हैं।

निष्वाणगमनमग्न-पञ्चायकाइ—आज धर्मों की हज़ारों दूकानें लगी हुई हैं। जहाँ भी जाओ, तपाक से कहा जायगा—'हमारे भगवान या गुरु की शरण में आ जाओ या हमारा धर्म-संप्रदाय स्वीकार कर लो ; तुम्हें मुक्ति मिल जायगी, ईश्वर के दर्शन हो जायेंगे या स्वर्ग मिल जायगा।' भोलाभाला मानव ऐसे ढोंगियों के चक्कर में फँस कर आत्मसमर्पण कर देता है। वह निर्वाण या मोक्ष के या स्वर्ग के वास्तविक रहस्य को न पाने के कारण दम्भियों के जाल में फँस जाता है। इससे उसे न तो निर्वाण मिल पाता है और न स्वर्ग ही। ऐसे लोगों को लक्ष्य में रख कर शास्त्रकार कहते हैं—'ये संवरद्वार निर्वाणगमन के लिए रास्ते हैं। स्वर्ग में ले जाने वाले हैं।' रास्ता साफ बना हुआ हो तो यात्री को कहीं भटकने या लुटने का डर नहीं रहता। संवरद्वार ऐसे साफ रास्ते हैं, जिन पर चल कर हज़ारों महान् आत्माओं ने निर्वाण पाया है और पायेंगे। वास्तव में, निर्वाण आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है। जब आत्मा पर से समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मबन्ध का कोई कारण भी नहीं रह पाता, आत्मा ज्ञानावरणीय आवि सभी प्रकार के कर्मों (चाहे वे द्रव्यकर्म हो, चाहे भावकर्म हो और चाहे नोकर्म) से सर्वथा रहित हो जाती है, तभी वह पूर्ण शुद्ध होती है। तब उसमें अनन्तज्ञान, अनन्तसुख आदि गुण स्वतः प्रगट हो जाते हैं। जब तक समस्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक ये संवर स्वर्ग दिलाने वाले हैं, यानी संवरों की आराधना से दुर्गति में जाने का कोई खतरा नहीं है, और न ही कोई धोखेबाजी या झूठे सञ्चालन का दिखावा है। अथवा कही 'सग्नपञ्चायकाइ' पाठ भी मिलता है, उस दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि ये संवरद्वार स्वर्ग में पहुँचाने वाले हैं अथवा स्वर्ग पहुँचाने के लिए यान-जहाज के समान हैं।

इन्हें संवरद्वार क्यों कहा गया ?—अब प्रश्न होता है कि इन अध्ययनों को केवल संवर कहने से ही काम चल जाता ; द्वार' शब्द इनके आगे लगाने के पीछे क्या रहस्य है ? इसका समाधान यह है कि अगर केवल 'संवर' ही कहा जाता तो पूर्णतया स्पष्ट अर्थबोध नहीं होता। केवल इतना ही बोध हो पाता कि, यह संवर का

लक्षण है और इतने उसके भेद हैं। लेकिन सवर किस तरीके से प्राप्त हो सकता है ? जीवन में सवर को कैसे उतारा जा सकता है ? सवर को जीवन में रमाने के लिए क्या-क्या उपाय हैं ? इत्यादि बातों का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक संवर के आगे द्वारशब्द लगा कर यह चोतित किया गया है कि मकान में प्रवेश करने के द्वार की तरह ये भी सवर के द्वार हैं—उपाय है। द्वार हो तो किसी भी भवन में प्रवेश करने में जैसे आसानी रहती है, वैसे ही पाचों सवरो के भव्य भवनों में सुगमता से प्रवेश करने के लिए ये अध्ययन द्वार के समान हैं।

संवर के भेद—शास्त्रकार की दृष्टि से सवर के यहाँ ५ भेद^१ बताए गए हैं। यह गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

“पठमं होइ अहिंसा, द्वितियं सच्चवयर्णति पञ्चमं ।

दसमणुप्रायं सवरो य बंभवेरमपरिग्गहरां च ॥”

अर्थात्—पहला सवर अहिंसा है, दूसरा सत्यवचन है, तीसरा अदत्त का विपक्षी दत्त—दी हुई तथा अनुज्ञात—उसके स्वामी, जीव, तीर्थकर या गुरु द्वारा अनुमत वस्तु का ग्रहण करना, और चौथा ब्रह्मचर्य सवर है, तथा पाचवा सवर अपरिग्रहत्व—परिग्रहत्याग है।

इन सबका विशेष अर्थ तथा विस्तार से वर्णन आगे किया जाएगा।

सर्वप्रथम अहिंसा-संवर ही क्यों ?—प्रश्न होता है कि इन ५ सवरो में सर्व-प्रथम अहिंसा को ही क्यों माना गया ? सत्य को क्यों नहीं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—‘तस्य पठमं अहिंसा तस्यथावरसन्वभूयस्सेमकरी’ यानी तस-स्थावर रूप समस्त प्राणियों का क्षेम-कुशल करने वाली होने से अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है।

दूसरी बात यह है समस्त प्राणी अपने पर होने वाले प्रहार, मारपीट या अन्य हिंसाजनक घटनाओं से तथा अपनी हत्या से घबराते हैं, इसलिए हिंसा का उन पर असर सीधा पड़ता है। अमत्य, चोरी, परिग्रह या अब्रह्मसेवन का सीधा असर प्रायः नहीं पड़ता। इन चारों में से किसी का सीधा असर पड़ता है तो मनुष्य पर ही, तिर्यञ्चजाति पर तो कोई खास असर ही नहीं होता, इन सबका। इसलिए हिंसा की प्रतिपक्षी अहिंसा को विश्व में प्राणिमात्र चाहते हैं। हिंसा से सतप्त प्राणिगण मानो

१ तत्त्वार्षसूत्र और नवतत्त्व में सवर के ५७ भेद बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—
५ समिति, ३ गुप्ति, १० यतिधर्म, १२ अनुप्रेक्षा, २२ परिग्रहजय और ५ चारित्र। इनका विस्तृत वर्णन उन्हीं ग्रन्थों से जान लें। यहाँ सवर के ५ भेद ही विवक्षित हैं।

अहिमा को वरदान समझ कर उसका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। अतः अहिमा का दायरा बहुत ही विस्तृत है, इस कारण अहिमा को सबरो मे सर्वप्रथम स्थान दिया गया।

एक बात यह भी है कि मनुष्य जब झूठ बोलता है, तब वह अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप की भावहिमा कर लेता है, चोरी करता है, तब भी भावहिमा हो जाती है, मीथुन-सेवन से भी और ममत्व से भी भावहिमा का सम्बन्ध है; शोषण, लूट, गबन आदि भी हिमा के ही प्रकार हैं। अतः अहिमा के ग्रहण करने से सत्यादि चारों का उसी में समावेश हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी अहिमा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। भगवती अहिमा शेष समस्त सबरो की तथा व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, समय और तप की जननी है। इसके होने पर ही इन सबका अस्तित्व रह सकता है। यह न हो तो व्रत, नियम, समय, त्याग, प्रत्याख्यान और तप आदि का कोई भी मन्त्र या अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए शेष चारो सबर अहिमा के ही विस्ताररूप हैं।

इसीलिए शास्त्रकार अहिमा भगवती के गुणगान करने के लिए प्रेरित हो कर कहते हैं—'तीसे सभावणाओ किंचि बोच्छं गुणुद्देसं।'



१ 'अहिमाग्गहणे पचमह्वयाणि गहियाणि भवन्ति'—

—दशवैकालिक पूणि

—सम्पादक

छठा अध्ययन : अहिंसा-संवर

अहिंसा के सार्थक नाम

प्रथम संवरद्वार का प्रारम्भ करने से पूर्व शास्त्रकार ने उसकी प्रस्तावना के रूप में पाचो संवर द्वारो के निरूपण का उद्देश्य, उनका माहात्म्य, स्वरूप और गुणोत्कीर्तन करने के साथ ही उनकी उपयोगिता तथा उनमें अहिंसा-संवर को सर्वोपरि स्थान देने का कारण बताया है। उसके बाद यहाँ से प्रथम संवरद्वार का निरूपण प्रारम्भ करते हुए शास्त्रकार अपनी पुरातन वर्णनशैली के अनुसार सर्वप्रथम अहिंसा के पर्यायवाची गुणनिष्पन्न ६० नामों का उल्लेख करते हैं—

मूलपाठ

तत्थ पढमं अहिंसा जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भवति दीवो तारां सरणं गती पइट्ठा १ निब्बाणं, २ निब्बुई, ३ समाहो, ४ सत्ती, ५ कित्ती, ६ कंती, ७ रती य, ८ विरती य, ९ सुयंग, १० तित्ती, ११ दया, १२ विमुत्ती, १३ खंती, १४ समत्ताराहणा, १५ महंती, १६ बोही, १७ बुद्धी, १८ धिती, १९ समिद्धी, २० रिद्धी, २१ विद्धी, २२ ठित्ती, २३ पुट्ठी, २४ नंदा, २५ भद्दा, २६ विसुद्धी, २७ लद्धी, २८ विसिट्ठिट्ठी, २९ कल्लाणं, ३० मंगलं, ३१ पमाओ, ३२ विभूती, ३३ रक्खा, ३४ सिद्धावासो, ३५ अणासवो, ३६ केवलीण ठाणं, ३७ सिवं, ३८ समिई, ३९ सील, ४० संजमोत्ति य, ४१ सीलपरिधरो, ४२ संवरो य, ४३ गुत्ती, ४४ ववसाओ, ४५ उस्सओ, ४६ जप्पो, ४७ आयतणं, ४८ जयण, -४९ मप्पमातो, ५० अस्सासो, ५१ वीसासो, ५२ अभओ, ५३ सव्वस्स वि अमाघाओ, ५४ चोक्ख ५५ पवित्ता, ५६ सूतो, ५७ पूया, ५८ विमल, ५९ पभासा य,

६० निम्मलयरस्ति एवमादीणि निययगुणनिम्मियाइ' पज्जव-
नामाणि होंति अहिंसाए भगवतीए ॥ २१ ॥

संस्कृतच्छाया

तत्र प्रथममहिंसा या सा सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य भवति द्वीपः
(द्वीपः) त्राणं शरणं गतिः प्रतिष्ठा १ निर्वाणम्, २ निर्बृत्तिः, ३ समाधिः,
४ शक्तिः, ५ कीर्तिः, ६ कान्तिः, ७ रतिश्च, ८ विरति, ९ श्रुतांगा, १० तृप्तिः,
११ दया, १२ विमुक्तिः, १३ क्षान्तिः, १४ सम्यक्त्वाराधना, १५ महती,
१६ बोधिः, १७ बुद्धिः, १८ धृतिः, १९ समृद्धिः, २० ऋद्धिः, २१ वृद्धिः,
२२ स्थितिः, २३ पुष्टिः, २४ नन्वा, २५ भद्रा, २६ विशुद्धिः, २७ लब्धिः,
२८ विशिष्टवृष्टिः, २९ कल्याणम्, ३० मंगलम्, ३१ प्रमोदः ३२ विभूतिः,
३३ रक्षा, ३४ सिद्धावासः, ३५ अनाश्रवः, ३६ कैवल्यनां स्थानम्, ३७ शिवम्,
३८ समितिः, ३९ शीलम्, ४० संयम इति च, ४१ शीलपरिगृहम् ४२ संब-
रश्च, ४३ गुप्तिः, ४४ ध्यवसाय, ४५ उच्छ्रयः, ४ यज्ञः, ४७ आयतनम्,
४८ यजनम् (यतनम्), ४ अग्रमादः, ५० आश्वास, ५१ विश्वासः, ५२ अभ-
यम्, ५३ सर्वस्यापि अमाघातः, ५४ चोक्षा, ५५ पवित्रा, ५६ शुचिः, ५७ पूजा
(पूता), ५८ विमला, ५९ प्रभासा च, ६० निर्मलतरेति-एवमादीनि निजकगुण-
निमित्तानि पर्यायनामानि भवन्त्याहिंसाया भगवत्याः ॥ सू० २७ ॥

पदार्थान्वय—(तत्त्व) उन पांचों में से, (पदमं) पहला संबंरद्वार (अहिंसा)
अहिंसा है, (जा) यह (सा) वह पूर्वोक्त अहिंसा, (सदेवमणुयासुरस्त लोगस्त) देवों,
मनुष्यों और असुरों के सहित समग्र लोग जगत् के लिए (दोवो) शरणदायक द्वीप
है अथवा द्वीपक सदृश प्रकाशकर्त्री, (भवति) है, (ताणं) रक्षा करने वाली है, (सरणं)
शरण देने वाली है, (गती) अर्थार्थियों के लिए गति—गम्य है, प्राप्त करने योग्य
है, (पइट्ठा) समस्त गुणों या सुखों का प्रतिष्ठान—प्रतिष्ठा है, यह अहिंसा
(निव्वारणं) निर्वाण—मोक्ष का कारण है (निव्वुई) दुष्कार्णरहित होने से मानसिक
स्वस्थतारूप है, (समाही) समाधिरूप—समता का कारण है, (सत्ती) आत्मशक्ति का
कारण है; अथवा (संती) परब्रह्मविरतिरूप होने से शान्तिरूप है। (कित्ती) कीर्ति का
कारण है, (कंती) सुन्दरता का कारण है, (य) और (रती) सबसे अनुराग—रति-
प्रीति का कारण, (य) और (विरती) पाप से निर्बृत्तिरूप है, (सुयंगं) श्रुतज्ञान ही
इसका अंग—कारण है, (तित्ती) तृप्ति—संतोष का कारण है (दया) दयारूप है,

(विमुत्ती) समस्त बधनों से छुड़ाने वाली है। (संती) क्षमा रूप, (समस्ताराहणा) सम्यक्त्व का आराधन—सेवन में कारण, (महंती) सब ब्रह्मों में महान्-प्रधान, (बोही) बोधि—धर्मप्राप्ति का कारण, (बुद्धी) बुद्धि को सफल बनाने वाली, (धित्ती) वृत्ति—चित्त की दृढतारूप, (समिद्धी) जीवन को समृद्ध—आनन्दित बनाने वाली—समृद्धि का कारण, (रिद्धी) ऋद्धि (भौतिक लक्ष्मी) का कारण, (विद्धी) वृद्धि—पुण्य-वृद्धि का कारण, (ठित्ती) मोक्ष में स्थित कराने वाली, (पुट्ठी) पुण्यवृद्धि से जीवन को पुष्ट करने वाली अथवा पहले पाप का अपचय करके पुण्य के उपचय का कारण, (नंदा) स्वपर को आनन्दित करने वाली, (भृहा) स्वपरकल्याणकारिणी, (विसुद्धी) पापक्षय के उपायरूप में होने से जीवन की शुद्धि-निर्मलता का कारण, (लद्धी) केवलज्ञान आदि लब्धियाँ पैदा करने वाली, (विसिद्धिद्धी) विशिष्ट वृद्धि-विचार और आचार में अनेकान्त-प्रधान दर्शन वाली, (कल्याणं) कल्याण या आरोग्य का कारण, (मंगलं) पापशमनकारिणी होने से मंगलमयी, (पमोओ) प्रमोद—हर्ष उत्पन्न करने वाली, (विभूती) ऐश्वर्य का कारण, (रक्खा) शीवरक्षारूप, (सिद्धावासो) सिद्धों—निरंजन-निराकार परमात्माओं में निवास कराने वाली—मुक्ति प्राप्त कराने वाली, (अणासवो) अनाश्वररूप—आते हुए कर्मबन्ध को रोकने वाली, (केवलीण ठाणं) केवलियों के लिए स्थानरूप, (सिबं) शिवरूप—निरपद्रव सुखरूप, (समिई) सम्यक्प्रवृत्तिरूप, (सीलं) समाधानरूप (य) और (संजमोत्ति) संयमरूप है, (सील-परिघरो) सवाचार या ब्रह्मचर्य का घर—चारित्र्य का स्थान, (संवरो) संवररूप—आते हुए कर्मों को रोकने वाली, (य) और (गुत्ती) मन, बचन, और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकने वाली, (ववसाओ) विशिष्ट अध्यवसाय—निरश्चयरूप, (उस्तओ) भावों की उन्नतिरूप, (जन्ने) यजन-भावदेवपूजारूप, अथवा यतना—प्राणिरक्षारूप, (अप्पमातो) प्रमादत्याग—अप्रमादरूप; (अस्तासो) प्राणियों के लिए आशवासनरूप, (वोसासो) सब जीवों के विश्वास का कारण, (अभओ) अभयदानरूप या निर्भयता का कारण, (सव्वस्स वि अमाघाओ) सब जीवों की हत्या के निषेधरूप, अथवा अमारिघोषणारूप, (चोव्ल) अच्छी, भली लगने वाली, (पविता) पवित्र से भी पवित्र, अथवा पवि—वज्र की तरह त्राण—रक्षण करने वाली, (सुत्ती) भावों की शुचि-निर्मलता रूप, (पूया) भावपूजारूप या पूत—शुद्ध, (धिमल) निर्मलता का कारण, (पमासा) आत्मा का प्रकाश—दीप्ति (य) और (निम्मलघरा) अत्यन्त निर्मल अथवा जीव को कर्मरूपी रज से रहित—निर्मल करने वाली—निर्मलकरा है। (इत्ति) इस प्रकार (एवमादीणि) ऐसे ही और भी (निययपुणनिम्मिवाइ) अपने निजी पुण्यों से

निष्पन्न—यद्यार्थं, (सगवतीए अहिंसाए) सगवती अहिंसा के, (पञ्चवनामाधि) पचास वाचक नाम (होति) हैं ।

मूलार्थ—उन पाँचों संवरो में से प्रथम संवर अहिंसा है । यह पूर्वोक्त अहिंसा देवों, मनुष्यों और असुरों के सहित सम्पूर्ण लोक के लिए आश्रयदाता द्वीप की तरह है, अथवा अज्ञानान्धकार का नाश करने वाला दीपक है । यह सबकी रक्षा करने वाली, शरण देने वाली और कल्याणाभिलाषियों के लिए प्राप्त करने योग्य है । यह सब गुणों और सुखों का प्रतिष्ठान है । यह निर्वाण का कारण है, आत्मिक स्वस्थता का कारण है, समाधि—समता की जननी है, आत्मिक शक्ति का कारण है, अथवा शांतिरूप है यह कीर्ति का कारण है और आत्मिक व शारीरिक कान्ति बढ़ाने वाली है । यह रति (प्रीति) का कारण है और पापों से विरति कराने वाली है । श्रुतज्ञान ही इसकी उत्पत्ति का कारण है । यह तृप्ति का कारण और जीवदयारूप है, यह बन्धनों से मुक्ति दिलाती है, क्षान्तिरूप है । यह सम्यग्-दर्शन की आराधनारूप है अथवा सम्यक्-प्रतीति रूप है । यह सब व्रतों में महान्—प्रधान है । यह केवल प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने वाली है, और बुद्धि को सफल बनाने वाली है । यह धृति—धैर्य पैदा करती है, आत्मिक समृद्धि तथा श्रद्धा का कारण है, यह पुण्यवृद्धि का कारण है, पाप को घटा कर पुण्य को पुष्ट करने वाली है, और आनन्ददायिनी है । यह स्वपरकल्याणकारिणी है, पापक्षय करवा कर आत्मा की विद्युद्धि करने वाली है, केवलज्ञानादि लब्धिया प्राप्त कराने वाली है, अनेकान्तवाद से विशिष्ट दृष्टिरूप है, कल्याण, मंगल और प्रमोद का कारण है । यह ऐश्वर्यप्राप्ति में निमित्त है, जीवों की रक्षा करने वाली तथा सिद्धों—परमात्माओं के पास निवास कराने वाली—मुक्ति प्राप्त कराने वाली है । यह कर्मबन्ध को रोकने वाली होने से अनाश्रवरूप है, केवलज्ञानियों का स्थान है, और शिव—निरूपद्रवरूप है । यह सम्यक्प्रवृत्ति (समिति)-रूप, निराकुलता—समाधान—रूप और संयम रूप है । तथा शील - सदाचार का पीहर—पितृगृह है, संवरमयी है । यह मन - वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने वाली है, विशिष्ट व्यवसाय - निश्चय का कारण है और भावों की उन्नतिरूप है । यह भाव यज्ञरूप या भावपूजारूप है, गुणों का आयतन—आश्रय है और यतनारूप है या अभयदानरूप है । यह अप्रमादरूप है, प्राणियों के लिए आश्वासनरूप, विश्वास का कारण और अभय पैदा करने वाली या

अभयदात्री है। यह समस्त प्राणियों के लिए अमारिषोषणारूप है। यह स्वच्छ है, पवित्र है, पवित्रता का कारण है; और भावों की निर्मलतारूप भाव पूजा का कारण है। यह आत्मा को विमल बनाने वाली, तेज से प्रकाशित करने वाली और जीवों को कर्मरजमल से रहित—अत्यन्त निर्मल करने वाली है।

इस भगवती अहिंसा के ये और ऐसे ही अन्य निजगुण से निष्पन्न—सार्थक पर्यायवाचक नाम हैं।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ मे शास्त्रकार ने अपनी पूर्वप्रतिज्ञानुसार पाच संवरों मे से सर्वप्रथम अहिंसासवर के गुणकीर्तनपूर्वक गुणनिष्पन्न ६० नामों का निरूपण किया है। प्रसंगवश अहिंसा का लक्षण और उसके भेदों का विश्लेषण करके हम क्रमशः इन सब नामों पर विवेचन करेंगे।

अहिंसा का लक्षण—सामान्यतया अहिंसा का अर्थ 'न हिंसा अहिंसा' या 'हिंसाविरोधिनी अहिंसा' यानी हिंसा न करना या हिंसा की विरोधिनी' अहिंसा होता है। इस दृष्टि से हिंसा का अर्थ पहले भलीभांति समझना आवश्यक है। हिंसा का स्पष्ट लक्षण है—'प्रमाद और कषाय के वश किसी भी प्राणी के प्राणों को मन, बचन, काया से बाधा-पीडा पहुंचाना। इसलिए अहिंसा का लक्षण होगा - प्रमाद और कषाय के वश प्राणी के १० प्राणों में से किसी भी प्राण का वियोग न करना, बल्कि प्राण-रक्षा करना।

अहिंसा का केवल निषेधात्मक अर्थ मथार्थ नहीं है। क्योंकि व्याकरणशास्त्र के अनुसार अहिंसा मे नञ् समास है और नञ् समास के दो रूप होते हैं--प्रसज्य और पर्युदास। प्रसज्य तद्भिन्न एकान्त निषेधरूप अर्थ का प्राहक होता है, जबकि पर्युदास तत्सदृश अर्थ का। जैसे 'अब्राह्मण' कहने से ब्राह्मण से भिन्न किसी टूठ या पत्थर आदि का ग्रहण न होकर ब्राह्मण के सदृश ब्राह्मणेतर मनुष्य का ग्रहण होता है, वैसे ही अहिंसा से हिंसा से भिन्न हिंसा के सदृश जीवरक्षा दया, करुणा, सेवा आदि किसी शुद्ध भाव का ग्रहण होता है। हिंसा अशुद्ध भाव है तो अहिंसा शुद्ध भाव है, पर भावत्व दोनों मे समान है, इसलिए अहिंसा का अर्थ, केवल हिंसा न करना—इस प्रकार का निषेधात्मक ही नहीं होता, जीवरक्षा, करुणा, दया या सेवा करना, इत्यादि रूप मे विधेयात्मक भी होता है। यही कारण है कि अहिंसा निवृत्ति-परक भी है और प्रवृत्तिपरक भी।

अहिंसा के मुख्य भेद—अहिंसा के इस लक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उसके मुख्य दो भेद बताए जाते हैं—द्रव्यअहिंसा और भावअहिंसा। किसी भी प्राणी के

१० प्राणों^१ में से किसी भी प्राण का प्रमाद या कषाय के वश होकर घान न करना और रक्षा, सेवा, दया या करुणा आदि करना द्रव्यअहिंसा है तथा आत्मा के परिणामो तथा गुणों का घात न करना, बल्कि शुद्ध परिणामो तथा गुणो मे वृद्धि करना भावअहिंसा है। इन दोनों के भी दो-दो भेद और होते हैं—स्वद्रव्य-अहिंसा, परद्रव्यअहिंसा, स्वभाव-अहिंसा और परभाव-अहिंसा। क्रोधादि के वशीभूत हो कर अपने शरीर, इन्द्रिय आदि का किसी प्रकार का घात न करना स्वद्रव्यअहिंसा है और क्रोधादिवश दूसरे के प्राणो का नाश न करना परद्रव्यअहिंसा है। इसी प्रकार अपने परिणामो को राग-द्वेष-क्रोधादि कषायवश मलिन न करना, विकार, वासना, अर्थात् आश्रव आदि मे या आतंतीन्द्रध्यान मे न ले जाना तथा स्वभाव मे या निजगुणो मे ही रमण करना स्वभावअहिंसा है। तथा रागद्वेषादिवश दूसरे प्राणियों के आत्म-स्वभावो या शान्ति आदि निजगुणो को हानि न पहुँचाना, अपितु उनके शुभ परिणामो मे वृद्धि करना परभावअहिंसा है।

कोई भी साधु साध्वी या सद्गृहस्थ श्रावक-श्राविका जब आमरण अनशन (सथारा) या तप करते हैं, उस समय वे प्रमाद या क्रोधादिकषायवश नहीं करते, बल्कि शुद्ध भावो मे बहते हुए, चढते परिणामो से, स्वतः प्रेरणा से करते है। इसलिए अनशन तप आदि से शरीर-इन्द्रियो को-कष्ट देना, वास्तव मे कष्ट देना नहीं है। अतः वहाँ द्रव्य और भाव दोनो प्रकार से अहिंसा है, हिंसा नहीं है। अनशनादि व्रत या तप करने वाले आत्मा मे शान्ति और सतोप-सुख का अनुभव करते हैं। अत उनके मन मे कोई डर या क्रोधादि के कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते।

सखेवमणुयासुरस्स लोगस्स बीवो— अहिंसा देवो, मनुष्यो और असुरो सहित समग्र लोक के लिए आश्रय देने वाला द्वीप है। जैसे द्वीप अगाध समुद्र मे डूबते हुए और मगरमच्छ, घडियाल आदि हिसक जलचर जन्तुओ से पीडित, बडी-बडी लहरो के थपेडो से आहत व्यक्तियो को सुरक्षित स्थान दे देता है, वैसे ही ससारसमुद्र मे डूबते हुए, सैकड़ो प्रकार के दुःखो से पीडित और सयोगवियोगरूपी लहरो के थपेडो से आहत प्राणियो के लिए सुरक्षित स्थान देने वाली एक मात्र अहिंसा ही है।

अथवा जैसे घोर अन्धकार मे मार्ग मे स्थित सर्प और चोर आदि को अपने प्रकाश से दिखा कर दीपक यात्री को सावधान कर देता है, वैसे ही अहिंसा दीपक की तरह अपने प्रकाश से अज्ञानान्धकार मे निमग्न जीवनयात्रियो को हेयोपादेय का ज्ञान करा कर सावधान-जागृत कर देती है। इसलिए अहिंसा दीप भी है। 'तार्थं सरणं गती पद्दुडा'—अहिंसा ससार के दुखो से प्राणियो की रक्षा करती है,

१ वश प्राणों का वर्णन प्रथम आश्रवद्वार मे किया जा चुका है।

इसलिए इसे 'त्राण' कहा है। ससारदुःखरूपी दावाग्नि में झुलसते हुए प्राणियों को यह आश्रय देने वाली है, इसलिए इसे 'शरण' कहा है। कल्याणार्थी प्राणियों के लिए भ्रूम-फिर कर अहिंसा के सिवाय और कही गति नहीं है। अन्ततः उनको अहिंसा के पास ही पहुँचना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अहिंसा को 'गति' कहा है। अहिंसा में वात्सल्य, दया, सेवा, सहिष्णुता, धैर्य आदि अनेक गुण तथा अनेक सुख-सम्पदाएँ प्रतिष्ठित हैं, टिकी हुई हैं, इसलिए इसे 'प्रतिष्ठा' कहा है।

निर्वाण—समस्त रागद्वेष, कषाय, कर्म आदि विकारों का शान्त हो जाना, बुझ जाना निर्वाण कहलाता है, इसे मोक्ष भी कहते हैं। अहिंसा निर्वाण-मोक्ष का प्रधान हेतु है। अहिंसा को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निर्वाण का प्रधान कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके अहिंसा को निर्वाण कहा है। वास्तव में, अहिंसा का पालन करने से रागद्वेष की आत्मा पर लगे हुए रागद्वेष व काम-क्रोधादि विकार शान्त हो जाते हैं। इसलिए निर्वाण प्राप्त कराने में प्रधान कारण अहिंसा का पर्यायवाची नाम 'निर्वाण' रखा है।

निवृत्ति—आत्मा की स्वस्थता निवृत्ति कहलाती है। विषय आदि रोगों से अस्वस्थ—अशान्त बनी हुई आत्मा को स्वस्थता और शान्ति अहिंसा से ही मिलती है। इसलिए अहिंसा का निवृत्ति नाम सार्थक है।

समाप्ति—समताभाव को समाधि कहते हैं। लडाई-झगड़ों, मारपीट, वैरविरोध आदि द्वन्द्वों से जब आत्मा में असमाधि-विषमता पैदा होती है, उस समय अहिंसा का अवलम्बन इन सबसे दूर हटा कर मन में समताभाव पैदा कर देता है। इसी कारण अहिंसा को 'समाधि' कहा है।

शक्ति—अहिंसा आत्मिक शक्तियों का कारण है। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता, वत्सलता क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आत्मिक-बल के सामने सभी पाशविक या आसुरीबल नतमस्तक हो जाते हैं। पूर्ण अहिंसक के पास सिंह और गाय, सर्प और नेवला आदि जन्मजात शत्रु और हिंस्र जीव भी अपना वैरविरोध भूल कर परस्पर प्रेम करने लग जाते हैं। इसलिए अहिंसा को आत्मशक्तिरूप होने से 'शक्ति' कहा है।

अथवा अहिंसा शान्ति प्राप्त कराने वाली या शान्तिदायिनी है। आत्मा में अपूर्व शान्ति अहिंसा से ही प्राप्त होती है। मारकाट, युद्ध, द्वेष, झगड़े या वैरविरोध से कभी शान्ति नहीं मिलती। अहिंसा ही वैरविरोधों से अशान्त विश्व को शान्ति देने वाली है। इसलिए इसका 'शान्ति' नाम भी सार्थक ही है।

फिस्ती—यह कीर्ति का कारण है। अहिंसा पालन करने वाले की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसका नाम चारों ओर फैल जाता है, लोग उसे प्रतिष्ठा देते हैं,

जसकी प्रसिद्धि जनता में सब ओर हो जाती है। इसलिए कीर्ति का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके अहिंसा को 'कीर्ति' कहा है।

कंती—अद्भुत सौन्दर्य को कान्ति कहते हैं। क्रोधादिविकार आत्मिक सौन्दर्य को नष्ट कर देते हैं, जबकि अहिंसा सद्गुणों से आत्मिक सौन्दर्य की बढ़ाती है। जब क्रोधादि आते हैं तो भीहे टेढ़ी हो जाती है, ओठ कापने लगते हैं चेहरा लाल हो जाता है, साथ ही मन और बुद्धि में विकृतभाव पैदा हो जाते हैं, विरोधी का अनिष्ट करने की सूझती है। इस तरह शरीर में भी कुरूपता बढ़ती है, मन और बुद्धि में भी। यानी क्रोधादि से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, जब कि अहिंसा से चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है, आँखें और मुँह भी प्रसन्न दीखते हैं, शरीर का तेज बढ़ जाता है, इसलिए शारीरिक और आत्मिक सौन्दर्य में वृद्धि का कारण होने से अहिंसा का कान्ति नाम भी सार्थक है।

रती—जिसके जीवन में अहिंसा होती है, उसके प्रति लोगों को सहज ही प्रीति उत्पन्न होती है। अहिंसा अपने आराधक को लोकप्रिय, अनवल्लभ बना देती है। इसलिए रति-प्रीति उत्पन्न करने का कारण होने से अहिंसा को 'रति' कहा है।

विरती—हिंसा आदि दुष्कृत्यों से निवृत्ति विरति कहलाती है। अहिंसा भी हिंसा आदि दुष्कृत्यों से निवृत्तिरूप है। इसलिए इसका 'विरति' नाम भी सार्थक है।

सुयंग—अहिंसा की भावना सबसे पहले श्रुतज्ञान—आगमज्ञान से पैदा होती है। अर्थात्-आगम का अभ्यास-मनन आदि करने से अहिंसा उत्पन्न होती है। कहा भी है—'पढम नाशं ततो दयम्'। इस शास्त्रवाक्य के अनुसार पहले ज्ञान होता है, तत्पश्चात् दया होती है। इसलिए अहिंसा की उत्पत्ति का एक कारण श्रुतज्ञान होने से इसे श्रुताग कहा है।

तृप्ती—अहिंसा का पालन करने से आत्मा में तृप्ति-संतुष्टि पैदा होगी है। इसलिए तृप्ति का कारण होने से इसे 'तृप्ति' कहा है।

दया—कष्ट पाते हुए, मरते हुए या दुःखित प्राणियों की रक्षा करना, उनके दुःख दूर करना दया है। और अहिंसा भी प्राणियों की रक्षा करती है। इसलिए इसे दया कहना यथार्थ है।

विमुक्ती—समस्त बन्धनों से मुक्त होना विमुक्ति है। अहिंसा के पालन से प्राणी सभी बन्धनों से विमुक्त हो सकता है, जन्म-जन्मान्तर के बन्धनों से छूट सकता है। इसलिए अहिंसा को विमुक्ति कहना युक्तियुक्त है।

क्षान्ती—क्रोध का निग्रह क्षान्ति-क्षमा है। अहिंसा भी क्रोध को वश में करने से उत्पन्न होती है। अथवा क्षान्ति का अर्थ सहन करना या सहिष्णुता भी है।

अहिंसा का पालक सबके अघातों को सहन करता है। इसलिए अहिंसा भी क्षान्ति-रूप है।

सम्मत्साराहणा—प्रशम, संवेग, निर्वेद अनुकम्पा और आस्था, ये व्यवहार-सम्यक्त्व के पांच लक्षण हैं। जब किसी के जीवन में देव, गुण और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है तो ये पांचो बातें उसके जीवनव्यवहार में दृष्टिगोचर हो जाती हैं। अहिंसापालक के जीवन में भी उपर्युक्त प्रशमादि पांचो बातें होती हैं। यानी अहिंसक के जीवन में शान्ति, मोक्ष के प्रति उत्साह, वैराग्य, अनुकम्पा तथा धर्म और धर्मगुरुओं के प्रति आस्था होती है। इसलिए अहिंसा एक तरह से सम्यक्त्व की आराधना ही है। अथवा सम्यक्प्रतीतिरूप होने से भी यह सम्यक्त्व की आराधना-रूप है।

महंती—समस्त धर्मानुष्ठानों में अहिंसा महान् है, इसी प्रकार सभी व्रतों में अहिंसा बड़ा व्रत है, अथवा सभी सवरो में अहिंसा प्रधान है; इसलिए इसे 'महंती' ठीक ही कहा है। अहिंसा इतनी विशाल है कि शेष सभी व्रत इसी में समा जाते हैं। इसी बात को नियुक्तिकार ने व्यक्त किया है—

‘निबिद्धं एष वयं इवकांश्च ध जिनवरोहं सञ्चोहं ।
पाणाइवायवेरमणमवसेसा तस्स रक्खट्ठा ॥’

अर्थात्—‘सभी जिनवरो ने ससार में एक ही व्रत बताया है और वह है— प्राणातिपातविरमण—अहिंसा। शेष जो अचौर्य आदि व्रत हैं, वे सब इसी अहिंसा की रक्षा से लिए हैं।’

बोही—सर्वशक्यित धर्म की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप—रत्नत्रय को भी बोधि कहते हैं; और वह अपने आप में अहिंसारूप है। इसलिए अहिंसा को बोधि कहा गया है। अथवा अहिंसा का नाम अनुकम्पा भी है और वह (अनुकम्पा) बोधि का कारण है। जैसा कि आवश्यक नियुक्तिकार ने कहा है—

‘अणुकेपञ्जामणिञ्जरबालसत्थे हाणविषयविभंगे ।
संयोगविप्पजोगे वसणूसवइत्थिसत्कारे ॥’

अर्थात्—अनुकम्पा, अकामनिर्जरा, बालतप, दान, विनय, विभंग, संयोग, विप्रयोग, व्यसन, उत्सव, श्रद्धि और सत्कार ये बोधि प्राप्त होने में निमित्त हैं।

इसलिए अनुकम्पा बोधि का कारण होने से अहिंसा को बोधि कहा है।

बुद्धी—बुद्धि की सफलता का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहा है। बुद्धि की सफलता इसी में है कि वह दुष्कृत्यों के चिन्तन को छोड़ कर सुकृत्यों और धर्मकार्यों के चिन्तन में लगे। कहा भी है—

‘भावस्तरिकलाकुसला पडियपुरिसा अपंडिया चैव ।
सन्वकलाणं पवरं जे धम्मकलं न जाणंति ॥’

जो पुद्गल समस्त कलाओ मे श्रेष्ठ धर्मकला को नही जानते, वे ७२ कलाओ मे निपुण—विशेष पण्डित भी अपण्डित ही है ।

अतः अहिंसा धर्म की कला यानी बुद्धिसाफल्य का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहा है ।

अथवा अहिंसा का यथाविधि दृढता से पालन करने से द्वादशांगी श्रुतज्ञान, देशाविधिज्ञान, परमाविधिज्ञान, सर्वाविधिज्ञान, मनःपर्याय और केवलज्ञान आदि प्राप्त होते है । और ज्ञान बुद्धि का ही कार्य है । इसलिए पूर्वोक्त ज्ञानरूप बुद्धि का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहना उचित ही है ।

धृति—चित्त की दृढता को धृति कहते है । अहिंसा का पालन भी चित्त की दृढता के बिना हो नही सकता । इसलिए धृति अहिंसा का कारण होने से कारण मे कार्य का उपचार करके धृति को अहिंसा का पर्यायवाची शब्द कहा है ।

समिद्धी—मानसिक और आत्मिक आनन्द को समृद्धि कहत है । अहिंसा के पालन करने से मानसिक और आत्मिक दोनों प्रकार के आनन्द की उपलब्धि हांती है । इसलिए समृद्धि-आनन्द का कारण होने से अहिंसा को समृद्धि कहा गया है । अथवा अहिंसाधर्म के पालन से आत्मिकसमृद्धि (आत्मा मे दृढता, क्षमता, तितिक्षा, सहिष्णुता, दया, सेवा, वत्सलता आदि सद्गुणो की समृद्धि-पूँजी) बढ़ जाती है । इसलिए समृद्धिबुद्धिनी होने से अहिंसा को समृद्धि भी कहा गया है ।

रिद्धी—ऋद्धि लक्ष्मी को कहते है । अहिंसा के पालन से आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की ऋद्धि-सम्पदा बढ़ जाती है । अर्थात्, मनःपर्याय और केवल-ज्ञान आदि आत्मिक लक्ष्मी और धनसम्पत्ति आदि भौतिक लक्ष्मी अहिंसा की दृढता से मिलती है । परिवार और समाज के सभी सदस्यो मे परस्पर मेलजोल और सप होता है तो वहाँ प्रेमपूर्वक दिलचस्पी से मिल जुल कर व्यवसाय आदि करने से लक्ष्मी बढ़ती देखी गई है । कहावत भी है—जहा संप तहाँ संपत् नाना । और ऐसा प्रेमभाव या सप अहिंसा का ही एक अंग है । इस दृष्टि से अहिंसा ऋद्धि—लक्ष्मी का कारण होने से इसे ऋद्धि कहा गया है ।

बुद्धी—आत्मिक गुणो या पुण्यप्रकृतियो का बढ़ना बुद्धि है । अहिंसा से तप, सयम, शील आदि आत्मगुण बढ़ते ही हैं, शुभ परिणति से पुण्य भी बढ़ता है । इसलिए बुद्धि का कारण होने से अहिंसा को बुद्धि कहा है ।

स्थिती—अहिंसा सादि और अन्तरहित मोक्ष मे आत्मा की स्थिति कराती है, इसलिए इसे स्थिति कहा है ।

‘पुट्टी’—पुण्य वृद्धि के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना पुष्टि है। अहिंसा के पालन से पुण्यवृद्धि होकर आत्मा की पुष्टि होती है। इस कारण इसे ‘पुष्टि’ कहा गया है। जैसे रसायन का सेवन करने पर शरीर पुष्ट हो जाता है, वैसे ही अहिंसारूपी रसायन का सेवन करने पर आत्मा पुष्ट होती है, इस कारण भी इसे पुष्टि कहा गया है।

‘नन्दा’—स्व-पर को आनन्दित करने वाली होने से अहिंसा को नन्दा कहा है। अहिंसक के सम्पर्क में जो भी आता है, वह आनन्दित हो कर जाता है, प्रसन्नता से उसका चित्त भर जाता है। अहिंसक का प्राय कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए उसके चित्त में सदा प्रसन्नता रहती है। अतः अहिंसा स्वपर-आनन्ददयिनी होने से उसे ‘नन्दा’ कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

‘भद्रा’—भद्र कहते हैं—स्वपरकल्याण को। स्वपरकल्याणकारिणी होने से अहिंसा को ‘भद्रा’ कहना उचित है।

‘विशुद्धी’—पापों का क्षय होने से आत्मा की विशुद्धि होती है। जीवन में निर्मल भावना होने पर ही अहिंसा फलित होती है। साथ ही अहिंसा के पालन से क्लृप्त विचारों और कपायों का क्षय होने से आत्मशुद्धि स्वाभाविक हो जाती है। अतः आत्मशुद्धि का कारण होने से अहिंसा को ‘विशुद्धि’ कहा है।

‘लब्धी’—केवलज्ञान आदि क्षायिक लब्धियाँ अहिंसा का पूर्ण पालन करने से प्राप्त होती हैं। अहिंसा का पालन करने वाले मुनिवरो को अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा आदि अनेक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। अतः अहिंसा विविध लब्धियों और सिद्धियों का कारण होने से अहिंसा को ‘लब्धि’ कहा गया है।

‘विसिद्धिबिद्धी’—आध्यात्मिक जीवन की सफलता शुद्ध दृष्टि पर निर्भर है। दृष्टि विपरीत हो तो कोई भी धर्माचरण मोक्ष का कारण नहीं बनता। विविध धर्मों और दर्शनों में निहित सत्यों को मनुष्य खण्डनात्मक एकान्तदृष्टि से नहीं पा सकता, अपितु अनेकान्तदृष्टि से ही पा सकता है। और अनेकान्तदृष्टि वस्तुतः वैचारिक अहिंसा का ही एक अंग है। इसलिए अहिंसा विशिष्ट-अनेकान्तदृष्टि रूप होने से इसे विशिष्टदृष्टि कहना युक्तिसंगत है। अथवा जीवन में अहिंसा का दर्शन विशिष्ट दर्शन है, अन्य सब बातों का दर्शन गौण है। एक आचार्य ने व्यंग्य करते हुए कहा है—

किं तीए पड़ियाए पयकोडीए पलाभभूयाए ।

अत्थेसिय न नाय, परस्स पीडा न कायब्बा ॥’

अर्थात्—“भूसे के डेर के समान उन करोड़ों पदों के पढ़ने से क्या लाभ; जिनसे इतना भी ज्ञात नहीं हुआ कि दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए ?”

बास्तव में, जिसे स्पष्ट अहिंसादर्शन नहीं हुआ, वह दूसरे प्राणियों के प्रति

ममत्वदृष्टि नहीं रख सकता। इसलिए अहिंसा विशिष्टदर्शनरूप होने से उसका विशिष्टदृष्टि नाम सार्थक है।

'कल्याण'—कल्याण-आरोग्य की प्राप्ति कराने वाली होने से इसे कल्याण कहा है। जो व्यक्ति जीवन में हर कदम पर अहिंसा का पालन करता है, वह रात्रिभोजन का त्याग करेगा ही; अभक्ष्य एवं अपेय तामसिक खानपान से वह दूर रहेगा; भोजन का भी परिमाण करेगा, इसलिए स्वतः ही उसका जीवन स्वस्थ रहेगा ही। जिसके जीवन में अहिंसा होती है, उसको चिन्ता, द्वेष, घृणा, असूया ईर्ष्या, भय, उद्वेग आदि मानसिक रोग प्रायः नहीं होते। इसलिए अहिंसा शारीरिक और मानसिक आरोग्य—कल्याण का कारण होने से कल्याणरूप है।

'मगल'—मगल का अर्थ है—'म पाप गालयति भवाद्दपनयतीति मगलम् अथवा मंगं सुख लातीति मगलम्' जो पाप का नाश करने वाला है, जन्म-मरण-रूप चक्र का निवारण करता है अथवा सुख का देने वाला है वह मगल है। अहिंसा में ये सब गुण हैं। इसलिए इसे मगल कहा है।

'प्रमोदो'—अहिंसा स्वयं प्रमोद का कारण है। अहिंसा का आराधक सदा प्रमोद-हर्ष में मग्न रहता है, तथा उससे अन्य सासारिक जीव भी अभयदान पाकर प्रमुदित रहते हैं। इसलिए प्रमोद-हर्ष का कारण होने से अहिंसा को प्रमोद भी कहा गया है।

'विभूती'—अहिंसा समग्र ऐश्वर्य का कारण है। अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने वाले तीर्थंकर अहिंसा के प्रभाव से विभूतिमान—ऐश्वर्यशाली (छत्र-चामर आदि बाह्य ऐश्वर्य और केवलज्ञान, अनन्तसुख आदि आभ्यन्तर ऐश्वर्य से सम्पन्न) बनते हैं। इसलिए अहिंसा विभूति का कारण होने से इसे 'विभूति' कहा गया है।

'रक्षा'—अहिंसा का विधेयात्मक रूप रक्षा है। जीवों की रक्षा करने वाले साधु और गृहस्थ ही अहिंसा के आराधक हो सकते हैं। अतः अहिंसा को 'रक्षा' कहा है।

'सिद्धावासो'—अहिंसा अपने आराधक को सिद्धगति (मोक्ष) में सदा के लिए आवास करा देती है। आत्मा अहिंसा का पालन करके कर्मक्षय करता है और समस्त कर्मों का क्षय होने पर सिद्धों—परमात्माओं के निकट या सिद्धगति में निवास हो जाता है। इसलिए अहिंसा को सिद्धावास कहा गया है।

'अनाश्रयो'—कर्मबन्धों को रोकना अनाश्रव है। अहिंसा कर्मबन्धों को रोकती है, जबकि हिंसा कर्मबन्ध का कारण है। अतः कर्मबन्ध के निरोध—अनाश्रव का कारण होने से इसे 'अनाश्रव' कहा गया है।

'केवलीयं ठाणं'—केवलज्ञानी सदा अहिंसा भाव में ही स्थित रहते हैं। उनकी

आत्मा में पूर्ण अहिंसा की स्थिति रहती है। इसलिए अहिंसा को केवलियों का स्थान कहा है।

‘सिबं’—अहिंसा में निरुपद्रवत्व-शिवत्व रहता है, वह निराबाध सुख का कारण है, इसलिए इसे शिव कहा है।

‘समिद्धि’—सम्यक्प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। अहिंसा भी निर्वोष प्रवृत्तिरूप है। इसलिए अहिंसा को समिति कहा गया है।

‘शील संजमोत्ति य’—शील का अर्थ यहाँ समाधान—निराकुलता है। अहिंसा के पालन से व्यक्ति का मन समाधान हो जाता है। उसके मन में क्षोभ, आकुलता चंचलता या व्यग्रता नहीं रहती। इसलिए निराकुलतारूप होने से इसे ‘शील’ कहा है। हिंसा से विरत होना समय है और अहिंसा भी प्राणि-हिंसा से निवृत्तिरूप है। इसलिए अहिंसा को ‘सयम’ भी कहा है।

‘शीलपरिघरो’ यह शील—सदाचार—चारित्र्य या ब्रह्मचर्य का घर ही नहीं; परिघर—पीहर है। समस्त चारित्र्यो का घर अहिंसा है, ब्रह्मचर्य के लिए भी अहिंसा का आधार जरूरी है। इसलिए अहिंसा को शील का परिगृह कहा है।

‘संघरो’—अहिंसा आते हुए कर्मों को रोकने वाली है। इसलिए सवरूप होने से इसे ‘सवर’ कहा है।

‘गुप्ती’—अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ शरीर की क्रियाओं का रोकना गुप्ति है और अहिंसा से भी दुष्ट मन, वचन एवं काया का निरोध हो जाता है। इसलिए अहिंसा को गुप्ति भी कहा है।

‘व्यवसाओ’—व्यवसाय दृढनिश्चय या मजबूत संकल्प को कहते हैं। अहिंसा आत्मा का दृढनिश्चय है। बिना दृढ निश्चय के अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसा का पर्यायवाची नाम ‘व्यवसाय’ भी संगत है।

‘उत्सवो’—आत्मा के भावों की उन्नति का नाम उच्छ्रय है। अहिंसा का पालन भी आत्मा के परिणामों की उच्छ्रय से किया जाता है। इसलिए आत्मा का सर्वोच्च परिणामरूप होने से अहिंसा को उच्छ्रय भी बताया है। अथवा उत्सव में जैसे मनुष्य खुशियाँ मनाता है, आमोदप्रमोद करता है, वैसे ही अहिंसा के सांनिध्य में आत्मा हर्षित और प्रमुदित होता है। इसलिए इसे ‘उत्सव’ भी कहा जा सकता है।

‘जज्ञो’—अहिंसा एक यज्ञ है। दान देना, परोपकार करना, देवपूजा करना और सगति करना यज्ञ कहलाता है। अहिंसा के जरिये प्राणियों को अभयदान दिया जाता है, अहिंसा की सहचरी सेवाशुभूषा, दया आदि के द्वारा परोपकार के काम भी किये जाते हैं, आत्मदेवता की भावपूजा भी अहिंसा के द्वारा होती है और अहिंसा के मुख्य अंग शुद्धप्रेम द्वारा निःस्वार्थ सत्संग भी होता है। इन सब कारणों से अहिंसा महायज्ञरूप है। इसलिए इसे यज्ञ कहा है।

'आयतन'—गुणो का आश्रय होने से अहिंसा आयतन भी है। क्षमा, दया, सरलता, सेवा, कृपा आदि आत्मा के सब गुण अहिंसा के आधार पर हैं। अहिंसा के बिना उक्त गुण टिक नहीं सकते। इसलिए अहिंसा का आयतन भी कहा गया है।

'अयज'—प्राणियों की रक्षा का प्रयत्न यतन है। अहिंसा भी यतनारूप है। इसलिए यतन भी अहिंसा -का पर्यायवाचक गुणनिष्पन्न नाम है। अथवा 'अयज' का यजन रूप भी होता है। यजन दान को कहते हैं। अहिंसा में सर्वप्रधान अभय का दान दिया जाता है। इसलिए अहिंसा को यजन भी कहे तो कोई अनुचित नहीं।

'अप्यमातो'—अप्रमाद का अर्थ है—मद्य, विषय, कषाय, निन्दा (या निद्रा) और विकथारूप पांच प्रमादो का त्याग। अहिंसा भी उक्त पांचो प्रमादो का त्याग करने से ही निष्पन्न होती है। प्रमादो के रहते अहिंसा हो नहीं सकती। प्रमादी से अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अतएव अहिंसा का 'अप्रमाद' नाम यथार्थ है।

'अस्सासो'—किसी दुःख और सकट से पीड़ित व्यक्ति को तसल्ली देना आश्वास या आश्वासन कहलाता है। अहिंसा भी भयभीत, दुःखित, पीड़ित, पददलित, शोषित और व्यथित जीवो को आश्वासन देती है। इसलिए अहिंसा का आश्वास नाम भी सार्थक ही है।

'बोसासो'—अहिंसा समस्त प्राणियों को विश्वास-भरोसा देने वाली है। चबराते हुए, दुःख में सतप्त प्राणियों के दिनों में अहिंसा से बहुत बड़ा विश्वास बैठ जाता है। अहिंसा के भरोसे पर ही सारा समार टिका है। अन्यथा, हिंसा से तो सारा संसार मरघट बन जाता। अत अहिंसा का विश्वास नाम बिलकुल यथार्थ है।

अभयो—दुनिया में अधिकतर प्राणी विविध प्रकार के भयो और आशकाओ से त्रस्त हैं। हिंसा के व्यवहार से सारा ससार भयभीत है। अत अहिंसा की गोद में आ कर ही सारा विषय निर्भय, नि शक और निराकुल बन सकता है। अहिंसा प्राणियों को भयमुक्त बनाती है; अथवा यो भी कह सकते हैं कि अहिंसा के पालन करने वालो से सभी प्राणी निर्भय रहते हैं। इसलिए अभय का कारण होने से अहिंसा को अभय बताया गया है।

सण्वस्स वि अमाघाओ—अहिंसा सर्वप्राणियों का घात नहीं करने वाली, उन्हें मृत्यु से बचाने वाली एक तरह से अमारिषोषणा है। सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। अहिंसा प्राणियों के लिए अघातरूप है। इसलिए इस 'अमाघात' कहा जाय तो अनुचित नहीं है।

'चोक्क पविस्सा सूती पुया'—इसे तो ये चारो शब्द एकार्यक प्रतीत होते हैं। लेकिन थोड़ा-बहुत अन्तर इन सबमें है। चोक्क शब्द देख्य है, उसका अर्थ गुजराती और

मारवाडी में चोखा होता है। चोखा का मतलब है—सर्वोत्तम। अहिंसा सर्वोत्तम गुण है। अथवा चोख शब्द पवित्र स्वच्छ का भी द्योतक है। जहाँ वे एक सरीखे अर्थ वाले हैं, वहाँ एक शब्द का उत्कृष्ट अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाय तो अहिंसा उत्कृष्ट पवित्रता है। अहिंसा अपने आप में पवित्र होने से इसे पवित्र कहा गया है। अथवा पवि-वज्र की तरह जो त्राण देता है—रक्षा करता है, उसे पवित्र कहते हैं। अहिंसा को भी इसीलिए पवित्रा कहा गया है। फिर अहिंसा को शुचि भी कहते हैं। शुचि का अर्थ है—भावो की निर्मलता। अथवा शुचि का अर्थ निर्लोभता है। परप्राणो को हरण करने का लोभ अहिंसा से नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे 'शुचि' कहा जाता है। शुचि के और भी कई अर्थ होते हैं, जो निम्नोक्त श्लोक से प्रगट हैं—

“सत्यं शौचं तपः शौचम् शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया शौचं जलशौचं तु पंचमम् ॥”

अर्थात्—‘सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया और जलशौच ये पाच शौच है।’

इससे आगे अहिंसा को ‘पूया’ कहा है, जिसका अर्थ होता है—पूता। अहिंसा पूत—पवित्र है अथवा पूजा रूप भी इसका बनता है, जिसका अर्थ होता है—प्रशस्त भावपूजा। अहिंसा आत्मा को निर्मल बनाने वाली और आत्मदेव की पूजारूप है, अतः इसका पूया नाम सार्थक है।

‘विमल-प्रभासो’—आत्मा में से क्रोधादिमलों के निकलने पर ही अहिंसा सम्पन्न होती है। क्रोधादिमलो का निकल जाना ही विमलता है। इसलिए अहिंसा को विमल कहना भी न्यायसगत है। प्रभास का अर्थ प्रकाश है। अहिंसा आत्मा का उत्कृष्ट प्रकाश है। अहिंसा अज्ञान, मिथ्यात्व, हिंसा, राग-द्वेष, कषाय आदि अनिष्टअधकारो को निकाल फेंकती है। इसी से सम्पूर्ण गुण प्रकाशमान होते हैं। इसीलिए अहिंसा को प्रभास कहा है, वह उचित ही है।

निम्नलयरत्ति—अहिंसा जीव को कर्मरज के मल से रहित करती है। इसलिए यह निर्मलकर है। अथवा यह निर्मलतर है।

गुणनिष्पन्न नाम—अहिंसा के उपर्युक्त ६० नाम गुणनिष्पन्न हैं। अहिंसा के निजीगुणो से ये नाम निष्पन्न हुए हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं—“एवमासीणि निष्पन्नगुण-निष्पन्नाणि ह्येति” इसका अर्थ स्पष्ट है।

अहिंसा ए भगवईए—अहिंसा को भगवती बताया गया है। तीर्थंकर भगवान् की तरह अहिंसा में असंख्य दिव्य गुण पाये जाते हैं, इसलिए तथा भव-ऐश्वर्य से

युक्त होने से इन्हे भगवती कहा गया है। भग का अर्थ ज्ञान भी होता है, अहिंसा प्रशस्त ज्ञान वाली है। यह ससार के सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का निधान भी है। इन सब कारणों को ले कर अहिंसा को भगवती कहा गया है, यह उचित ही है।

भगवती अहिंसा की विविध उपमाएँ

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा के गुणनिष्पन्न ६० नाम बता कर उसकी व्यापकता और विविधरूपधारकता का निरूपण किया है। अब इस सूत्रपाठ में अहिंसा भगवती को अनेक लोकप्रसिद्ध उपमाएँ दे कर उसकी विशेषता बताई गई है।

मूलपाठ

एसा सा भगवती अहिंसा जा सा भोयाण विव सरणां,
पक्खीणं पिव गमणां, तिसियाणं पिव सलिलं, खुहियाणं पिव
असणां, समुद्धमज्जे व पोतवहरां, चउप्पयाणं व आसमपयं, दुह-
ट्टियाणं च ओसहिबलं, अडवीमज्जे व सत्थगमणं, एत्तो विसिट्ठ-
तरिका अहिंसा जा सा पुढावि-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-बीज-
हरित-जलयर-थलचर-खहचर-तस-थावर-सव्वभूयखेमकरो ।

संस्कृतच्छाया

एषा सा भगवती अहिंसा या सा भीतानामिव शरणम्, पक्षिणामिव
गमनम्, तुषितानामिव सलिलम्, क्षुधितानामिवाशनम्, समुद्रमध्ये इव
पोतवहनम्, चतुष्पदानामिव आश्रमपवम्, दुःखातिकानामिव औषधिबलम्,
अटवीमध्ये इव सार्थगमनम् ; एतेभ्यो विशिष्टतरिका ऽ हिंसा या सा पृथिवी-
जलाग्नि-मास्त-वनस्पति-बीजहरितजलचरस्थलचर-लेचरत्रसस्थावरसर्बभूत-
क्षेमकरी ।

पदार्थान्वय—(एसा) यह (सा) पूर्वोक्त (भगवती) पूज्या (अहिंसा) अहिंसा,
(जा) जो है (सा) वह (भोयाणं) भयभीत प्राणियों के लिए (सरणं विव) शरण के
समान है। (पक्खीणं) पक्षियों के लिए (गमणं पिव) आकाश में गमन के तुल्य है।
(तिसियाणं) प्यासों के लिए (सलिलं पिव) पानी के समान है। (खुहियाणं) झूषों के

१ 'अडवीमज्जे विसत्थगमणं' पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है।

लिए (असर्णं पिब) भोजन के सदृश है। (समुद्रमण्डो) समुद्र के बीच में, (पोतचहर्षं च) जहाज की सवारी के समान है। (चउप्य्याणं) चौपाये जानवरों के लिए (आसनपर्यं) आश्रमपद-आश्रमरूप स्थान के (ब) तुल्य है। (दुःखद्विदयाण) दुःख से पीड़ितों के लिए (ओसहिबलं) औषधि के बल के (व) समान है। (अडधीमण्डो) अंगल के बीच में, (सत्त्वगमणं) संघ या सार्थवाह के साथ गमन करने के (वि) समान है। (एस्तो) इन सबसे (विसिद्धतरिका) अधिक श्रेष्ठ (जा) जो (अहिंसा) अहिंसा है, (सा) वह (पुढवि-जल-अगणिमाक्य-वणत्सद्व-बीज- हरित-जलयर-थलचर-खहचर-त्रस-स्थावरसम्ब-भूयलेमकरी) पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस-स्थावर सभी प्राणियों का क्षेम—कल्याण करने वाली है।

मूलार्थ—यह वही भगवती अहिंसा है, जो भयातुर जीवों के लिए शरणदाता के समान है, पक्षियों के लिए आकाश में गमन करने-उड़ने के समान है; यह प्यास से व्याकुल प्राणियों के लिए जल के समान है; भूख से पीड़ितों के लिए भोजन के सदृश है, समुद्र के बीच में डूबते हुए लोगों के लिए जहाज के समान है, पशुओं के लिए आश्रयस्थान के समान है; दुःख और पीडा से आत्-रोगियों के लिए औषधिबल के समान है। यह भयानक अटवी में सार्थ—संघ के साथ गमन करने के समान है।

इन सभी से श्रेष्ठ यह अहिंसा है, वह पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर (पक्षी), त्रस और स्थावर इन सभी प्राणियों का क्षेम-कुशल-कल्याण करने वाली है।

व्याख्या

इस सूत्रपाठ में भगवती अहिंसा को लोकप्रसिद्ध उपमाएँ दे कर उसकी महिमा का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। वास्तव में अहिंसा जीवन के लिए अमृत है, वह परमब्रह्मरूपा है, सर्वव्यापक है, क्षेममयी, क्षमामयी और मंगलमयी है। अनेकगुण-सम्पन्न भगवती अहिंसा कैसे पूज्या है? इसके लिए शास्त्रकार स्वयं अनेको उपमाएँ दे कर समझाते हैं।

‘भीयाणं विच सरथं’— मनुष्य जब चारों ओर के प्रहारों से भयभीत हो जाता है, तब धबड़ा कर इधर-उधर कोई शरण ढूँढता है। उस समय यदि कोई उसे शरण-आश्रय दे दे तो वह हजारों दुआएँ देता है; उसे वह शरण अमृतदायी लगता है, वैसे ही अहिंसा भी भयभीत और दुःखों से त्रस्त प्राणियों को शरण—आश्रय देती है।

‘पक्षीणं विष गमनं’—पक्षियों को उड़ते समय जैसे आकाश का ही आधार होता है। आकाश के बिना कोई भी पक्षी अधर में टिक नहीं सकता। वैसे ही आध्यात्मिक गमन में उड़ने के लिए अहिंसा आधाररूप है। अहिंसा के आधार के बिना कोई भी अध्यात्मसाधक अध्यात्म में टिक नहीं सकता। अथवा जैसे पक्षियों के लिए आकाश में स्वतन्त्रतापूर्वक गमन हितकर है, उन्हें पींजरे आदि की परतत्रता दुःखदायिनी मालूम होती है; वैसे ही अध्यात्मसाधक के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक अहिंसा के आध्यात्मिक गमन में विचरण करना हितकर होता है, वह मोहमाया की परतत्रता में सुखपूर्वक नहीं जा सकता।

‘तिस्रियानं विष सलिलं’—जैसे प्यास से फ़टपटाते हुए जीवों को पानी जीवन-दान और शान्तिप्रदान करता है, वैसे ही अहिंसा आशातृष्णा की प्यास से व्याकुल जीवों को अपूर्व शान्तिप्रदान करती है।

‘क्षुहियानं विष असनं’—जैसे क्षुधा से पीड़ित प्राणियों को भोजन सुख और बल देता है, वैसे ही अहिंसा पीड़ित प्राणियों को सुख और बल प्रदान करती है।

‘समुद्गमन्ते च पोटवहणं’—समुद्र के बीच में डूबते हुए मनुष्य को जैसे जहाज उबारने वाला होता है, वैसे ही अहिंसा ससारसमुद्र में डूबते हुए प्राणियों को उबारने वाली है।

‘खड्गप्याणं च आसमपयं’—चौपाये जानवरों को जैसे पशुशाला (गोष्ठ) सुरक्षितरूप से आश्रय देती है, वैसे ही अहिंसा भी चारों गतियों के प्राणियों को सुरक्षित स्थान देने वाली है।

‘बुहट्टियाणं च ओसहिबलं’—जैसे औषधि भयकर रोग की पीड़ा से आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उनकी पीड़ा मिटा कर स्वास्थ्य और बल प्रदान करती है, वैसे ही अहिंसा द्वेष, वैर आदि भावरोगों से अशान्त जीवों के रोग मिटाकर उन्हें आत्मिक स्वास्थ्य और बल प्रदान करती है।

‘अडवीमन्ते वि सत्त्वगमनं’—भयकर अटवी में सुरक्षा के साधनों से युक्त सार्थवाहों का सार्थ (सच) जैसे हिंसक प्राणियों और लुटेरों से जानमाल की रक्षा करता है, वैसे ही भयानक ससार-वन में भटकते हुए प्राणियों की मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद आदि आत्मघ्न के लुटेरों तथा आत्मगुणों के विध्वंसकों से यह अहिंसा भगवती रक्षा करती है।

एसो विसिद्धतरिका अहिंसा पुडविबल सध्वनूयधेमकरो’—उपयुक्त पक्ति में शास्त्रकार ने अहिंसा की विशेषता बताई है। तीर्थंकरों ने अहिंसा को केवल मनुष्यों और आद्यों से दिखाई देने वाले द्विन्द्रिय से ले कर पंचेन्द्रिय जीवों तक ही नहीं,

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीवों तक सर्वप्राणिव्यापी बताया है। यही जैनदर्शन की विशेषता है कि इसमें एकेन्द्रिय से ले कर पंचेन्द्रिय तक समस्त प्राणियों को न्याय दिया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए अहिंसा का उपदेश है। दूसरे दर्शनों और धर्मों में इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा का विचार और प्रयोग नहीं किया गया है। यही कारण है कि अहिंसा को केवल स्थूलजीवों के लिए ही क्षेमकरी न बता कर सर्वभूतक्षेमकरी बताया है। अहिंसा के लिए दी गई पूर्वोक्त सभी उपमाएँ प्रायः पञ्चेन्द्रिय स्थूलप्राणियों के लिए प्रतीत होती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि अहिंसा केवल पञ्चेन्द्रिय स्थूलप्राणियों की ही क्षेमकुशल करने वाली नहीं, अपितु इससे भी विशिष्टतर है, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, तथा बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस (द्वीन्द्रिय से से लेकर पंचेन्द्रिय तक) और स्थावर (पूर्वोक्त एकेन्द्रिय) आदि समस्त प्राणियों का क्षेम करने वाली है।

यद्यपि वनस्पतिकाय के अन्तर्गत बीज और हरितकाय का समावेश हो जाता है, तथापि इन दो शब्दों को अलग से बताने का शास्त्रकार का यही प्रयोजन मालूम होता है कि कई लोग बीज में जीव नहीं मानते, इसी प्रकार कई लोग हरे पत्तो, घास आदि हरियाली में जीव नहीं मानते, उन्हें इन दोनों की सजीवता का स्पष्ट बोध हो जाय कि इन दोनों में भी जीव हैं। अहिंसापालक को इन दोनों प्रकार के जीवों की अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। 'बीज' शब्द से यहाँ पर केवल गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का ही नहीं, अपितु जिनके बोने पर अकुर उत्पन्न होता है; उन सब (मूल आदि) का ग्रहण किया जाता है। बीज के विषय में निम्नोक्त गाथा प्रस्तुत है—

‘मूलग्यपोरबीजा कंदा, तह खंवीजबीजवहा।

सम्मूर्च्छिमा य भणिया, पत्तंघाऽजंतकाया य ॥

अर्थात्—जिसका मूल (जड़) ही बीज होता है, उसे मूलबीज कहते हैं। जैसे—हल्दी, अदरक आदि। जो वनस्पति अग्रभाग के बोने से उगती है, यानी अग्रभाग ही जिसका बीज है, उसे अग्रबीज कहते हैं। जैसे गुलाब, चमेली आदि। जो वनस्पति पर्व (पौर) बोने से उगती है, उसे पर्वबीज कहते हैं। जैसे ईस, बेत आदि। जो वनस्पति कंद से उत्पन्न होती है, उसे कन्दबीज कहते हैं। जैसे—सूरण, रताणू आदि। जो स्कन्ध काट कर लगाने से उगती है, उसे स्कन्धबीज कहते हैं। जैसे ढाक आदि। जो अपने-अपने बीज से उगती है, उसे बीज-बीज कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना आदि। जो कुछ बोए बिना मिट्टी और जल आदि के संयोग से ही उग जाती है, उन्हें सम्मूर्च्छिम वनस्पति कहते हैं। जैसे—घास, घूब आदि।

अतः सूत्रपाठोक्त 'बीज' शब्द से उपर्युक्त गाथा में बताये गये सभी प्रकार के जीवों का ग्रहण किया गया है। फलतः अहिंसा बीज, हरित आदि सभी जीवों का क्षेम करने वाली है।

अहिंसा के आराधक कौन-कौन ?

पिछले सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा की विशेषता बता दी। अब वे उसकी महत्ता बता रहे हैं कि अहिंसा का आचरण किन-किन विशिष्टपुरुषों ने किया है और किस-किस रूप में किया है ? तथा अहिंसा के शुद्ध आचरण से उन्हें कौन-कौन-सी लब्धियाँ, और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ? तात्पर्य यह है कि शास्त्रकार अब भगवती अहिंसा की विविध रूप में आराधना करने वालों का वर्णन निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा कर रहे हैं—

मूलपाठ

एसा भगवती अहिंसा जा सा अपरिमियनाणदंसणधरेहि
 सोलगुणविणयतवसंजमनायकेहि तित्थंकरेहि सव्वजगजीववच्छ-
 लेहि तिलोगमहिर्एहि जिणचंदेहि सुट्ठु दिट्ठा, ओहिजिणेहि
 विण्णाया, उज्जुमतीहि विदिट्ठा, विपुलमतीहि विदिता, पुब्बधरेहि
 अधीता, वेउव्वीहि पत्तिन्ना, आभिणबोहियनाणीहि सुयनाणीहि,
 ओहिनाणीहि मणपज्जवनाणीहि, केवलनाणीहि, आमोसहिपत्तेहि,
 खेलोसहिपत्तेहि, दिप्पोसहिपत्तेहि, जल्लोसहिपत्तेहि, सव्वोसहिपत्तेहि,
 बीजबुद्धीहि, कृट्टबुद्धीहि, पदाणूसारीहि, संभिनसोत्तेहि, सुयधरेहि,
 मणबलिर्एहि, वयबलिर्एहि, कायबलिर्एहि, नाणबलिर्एहि, दंसणबलिर्एहि,
 चरित्तबलिर्एहि, खीरासवेहि, मधुआसवेहि, सप्पियासवेहि, अक्खीण-
 महाणसिर्एहि, चारणेहि, विज्जाहरेहि, चउत्थभत्तिर्एहि, एवं
 जाव द्दम्मासभत्तिर्एहि, उखित्तचरएहि, निखित्तचरएहि, अंत-
 चरएहि, पंतचरएहि, लूहचरएहि, अन्नइलाएहि, समुदाणचरएहि,
 मोणचरएहि, संसट्टकप्पिर्एहि, तज्जायसंसट्टकप्पिर्एहि, उवनिहिर्एहि,
 सुद्धेसणिर्एहि, संखादत्तिर्एहि, दिट्ठलाभिर्एहि, अदिट्ठलाभिर्एहि,
 पुट्टलाभिर्एहि, आयंबलिर्एहि, पुरिमड्ढिर्एहि, एक्कासणिर्एहि,

निम्बितिएहि, भिन्नपिडवाइएहि, परिमियपिडवाइएहि, अंताहारेहि, पंताहारेहि, अरसाहारेहिं, विरसाहारेहिं, लूहाहारेहिं, तुच्छाहारेहिं, अंतजीविहिं, पंतजीविहिं, लूहजीविहिं, तुच्छ-जीविहिं, उवसंतजीविहिं, पसंतजीविहिं, विवित्तजीविहिं, अखीर-महुसपिएहिं, अमज्जमंसासिएहिं, ठाणाइएहिं, पडिमट्टाइहिं, ठाणुक्कडिएहिं, वीरासणिएहिं, णेसज्जिएहिं, डंडाइएहिं, लगंडसा-ईहिं, एगपासगेहिं, आयावएहिं, अप्पावएहि, अणिट्ठुभएहिं, अकंडुयएहिं, धुतकेसमंसुलोमनखेहिं, सब्बगायपडिकम्मविमुक्केहिं समणुचिन्ना, सुयधरविदित्त्यकायबुद्धीहिं धीरमतिबुद्धीणो य, जे ते आसीविसउग्गतेयकप्पा, निच्छयववसाय (विणीय) पज्जत्त-कयमतीया, णिच्चं सज्जायज्जाणअणुबद्धधम्मज्जाणा, पंचमहव्वय-चरित्तजुत्ता, समिता समितिसु, समितपावा, छव्विहजग-वच्छला, निच्चमप्पमत्ता, एएहिं अन्नेहि य जा सा अणुपालिया भगवती ।

संस्कृतच्छाया

एषा भगवती अहिंसा या सा अपरिमितज्ञानदर्शनधरैः शीलगुण-विनयतपःसंयमनायकैस्तोयंङ्करैः सर्वजगद्वत्सलैस्त्रिलोकमहितैर्जिनचन्द्रैः सुष्ठु दृष्टा, अवधिजिनैविज्ञाता, श्रुजुमतिभिर्विदृष्टा, विपुलमतिभिर्बिंबिता, पूर्वधरैरधीता, विकुर्विभिः प्रतीर्णा, आभिनिबोधिकज्ञानिभिः श्रुतज्ञानिभिः अवधिज्ञानिभिर्मन-पर्ययज्ञानिभिः केवलज्ञानिभिः, आनशो षधिप्राप्तैः श्लेष्मोषधिप्राप्तैर्जल्लोषधिप्राप्तैर्विप्रुडोषधिप्राप्तैः, सवौषधिप्राप्तैः, बीजबुद्धिभिः कोष्ठबुद्धिभिः, पदानुसारिभिः, संभिस्रओतुभिः, श्रुतधरैर्मनोबलिकैर् षचोबलिकैः, कायबलिकैः, ज्ञानबलिकैः, दर्शनबलिकैः, चारित्रबलिकैः क्षीरा-स्रवैर्मध्वाज्रवैः सर्पिरास्रवैरक्षीणमहानसिकैः, चारणैः, विद्याधरैः, अतुर्थमस्तिकैरेवं यावत् षष्मासभस्तिकैः, उरिसप्तधरकैः, निमित्तधरकैः, अन्तधरकैः, प्रान्तधरकैः, कक्षधरकैः, समुदानधरकैः, अन्नगलायकैः, मौनधरकैः,

संघुष्टकल्पिकैः, तज्जातसंघुष्टकल्पिकैः, उपनिधिकैः, शुद्धवर्णिकैः, संख्याद-
त्तिकैः, दृष्टलाभिकैः, अदृष्टलाभिकैः, पृष्टलाभिकैराचाम्लकैः, पुरिमाधिकैः,
एकाशानिकैः, निर्विकृतिकैः, भिन्नापडपातिकैः, परिमितापडपातिकैरन्ताहारैः,
प्रान्ताहारैः, अरसाहारैः, बिरसाहारैः, रुक्षाहारैस्तुच्छाहारैरन्तजीविभिः,
प्रान्तजीविभिः, रुक्षजीविभिस्तुच्छजीविभिरुपशान्तजीविभिः, प्रशान्त-
जीविभिः, विविक्तजीविभिः, अक्षीरमधुसर्पिष्कैः, अमद्यमांसाशिकैः, स्थानादिकैः,
प्रतिमास्थाविभिः, स्थानोत्कटिकैः, धीरासनिकैः, नैषद्यिकैः, दण्डायतिकैः,
लग्ण्डशायिकैः, एकपाशर्वकै रालापकै रपावतैरनिष्ठीवकै रकंड्यकैः, धूतके-
शशमधुलोमनखैः, सर्वांगप्ररिकर्मविमुक्तैः, समनुचीर्णैः, भूतधरविदितार्थकाय-
बुद्धिभिः धीरमतिबुद्धयश्च ये ते आशीर्विषोप्रतेज.कल्पा निश्चयव्यवसाय-
पर्याप्तकृतमतिताः नित्यं स्वाध्यायध्यानानुबद्धधर्मध्यानाः पंचमहाव्रत-
चारित्र्यपुक्ताः समिताः समितिषु, शमितपापाः षड्विधजगद्वत्सला नित्य-
मप्रमत्ता एतैरन्यैश्च या साऽनुपालिता भगवती ।

पर्यायान्वय—(एसा) यह (सा) वह (भगवती अहिंसा) भगवती अहिंसा है,
(जा) जो (अपरिमियनाणवंसणधरैहि) अपरिमित-अनन्तज्ञान और दर्शन को धारण
करने वाले (सौलगुणबिणय-तवसंजमनायकैहि) शीलगुण, विनय, तप और सयम के
नायक, (सव्वजगद्वच्छरैहि) समस्त जगत् के जीवों के प्रति वत्सल, (तिलोयमहिर्एहि)
तीनों लोकों में पूज्य, (तित्यंकरैहि) तीर्थंकर, (जिणचंवेहि) जिनचन्द्रों द्वारा (सुदट्ट
दिट्ठा) बलीभाति देखी गई—अवलोकित है । (ओहिजिणोहि) विशिष्ट अवधि-
ज्ञानियों द्वारा (विण्णाया) विशेषरूप से ज्ञात-जानी गई है । (उज्जुमतीहि) उज्जुमति-
मनःपर्यायज्ञानियों द्वारा विदिट्ठा) विशेषरूप से देख-परख ली गई है । (विपुल-
मतीहि) विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानियों से (विदितता) विशेषरूप से जान ली गई है ।
(पुब्बधरैहि) चतुर्वंशपूर्वधारियों ने (अधीता) इसका अध्ययन कर लिया है ।
(वेत्थवीहि) वैकियलब्धिधारकों ने (पतिन्ना) इसका आजीवन पालन किया है ।
(आभिण्णिवोहियनाणीहि) मतिज्ञानियों ने, (सुयनाणीहि) श्रुतज्ञानियों ने, (ओहि-
नाणीहि) अवधिज्ञानियों ने, (मणपज्जवनाणीहि) मनःपर्यायज्ञान वालों ने, (केवलनाणीहि)
केवल ज्ञानियों ने, (आमोसहिपत्तेहि) हाथ आदि के स्पर्शमात्र से औषधि रूप
बन जाने की रोग-निवारक लब्धि प्राप्त करने वालों ने, (खिलोसहिपत्तेहि)
यूक के औषधिरूप बन जाने की लब्धि पाये हुए पुरुषों ने (अल्लोसहिपत्तेहि) जिनके
शरीर का मेल ही औषधि का काम करता है, ऐसी लब्धि पाये हुए पुरुषों ने, (विण्यो-
सहिपत्तेहि) बिष्टा और मूत्र के औषधिरूप बन जाने की लब्धि पाने वालों ने,

(सम्बोसहिपत्तोहि) ऊपर बताई हुई तथा अन्य समस्त औषधिक्य लब्धि पाये हुए महापुरुषों ने, (बीजबुद्धीहि) बीजरूप मूल अर्थ जान कर समस्त विशेष अर्थ जान लेने की बुद्धि वालों ने, (कुटुठबुद्धीहि) एक बार जान लेने से कभी न भूलने वाली बुद्धि वालों ने अथवा हृदय की सूक्ष्म दृष्टि वाली बुद्धिप्राप्त करने वालों ने, (पद्मानुसारीहि) एक पद से अन्य संकटो पदों को जान लेने की बुद्धिवालों ने, (समिन्नसोतोहि) शरीर के प्रत्येक अवयव से चारों तरफ के शब्दों को सुनने की शक्ति वालों ने अथवा शब्द, रस आदि प्रत्येक विषय को एक साथ ग्रहण करने वाली इन्द्रियों की शक्ति रखने वालों ने अथवा एक साथ उच्चारण किये गए अनेक शब्दों को भिन्न-भिन्न रूप से जानने की शक्ति वालों ने, (सुयधरोहि) श्रुतधरों ने, (मणबलिर्एहि) बुद्धि अर्थ कार्यों में अक्षुब्ध—अश्विचल मन वालों ने, (धयबलिर्एहि) छह महीने तक प्रतिवादी को अक्षुब्ध होकर प्रत्युत्तर देने में समर्थ वचन बलधारियों ने, (कायबलिर्एहि) भयंकर परिश्रम आदि आ पढ़ने पर भी अडोल रह सकने में समर्थ शरीरबलधारियों ने, (नाणबलिर्एहि) मतिज्ञान आदि के बल वाले ने, (दसणबलिर्एहि) निःशंकित सुवृद्ध तत्त्वार्थ श्रद्धा रूप दर्शन के बल वालों ने (चरित्तबलिर्एहि) वृद्धचारित्रबली पुरुषों ने, (क्षीरासर्वोहि) दूध के समान मधुर भाषण की लब्धि वालों ने, (मधुआसर्वोहि) मधु के समान मधुर उच्चारण की लब्धि वालों ने, (सपिप्यासर्वोहि) घृत के समान स्निग्ध—स्नेहसिक्त वाक्य बोलने की लब्धि वालों ने, (अवल्लीणमहाणसिर्एहि) जिस लब्धि के प्रभाव से भोजनसामग्री क्षीण न हो—घटे नहीं, इस प्रकार की लब्धि के धारकों ने, (चारणेहिं) आकाश में गमन करने—उड़ने की लब्धि वालों ने, (विज्जाहरेहिं) अंगुष्ठादि से प्ररनों का उत्तर दे सकने की विद्या प्राप्त करने वाले विद्याधरों ने, (चउत्थभसिर्एहि एव जाव छम्मासभसिर्एहि) एक-एक उपवास से लेकर दो, तीन चार, पांच, आठ, पन्द्रह, मास, दो मास, तीन मास, चार मास, पांच मास और यावत् छह मास तक का तप करने वालों ने, (उक्खित्तचरएहि) भोजन बनाने के बतन से निकाले हुए भोजन को ही लेने के अभिग्रह-धारकों ने, (निक्खित्तचरएहि) भोजन पात्र से निकाल कर दूसरे पात्र में रखे हुए भोजन को ही ग्रहण करने का अभिग्रह धारण करने वालों ने, (अतचरएहि) गृहस्थ के भोजन कर लेने के बाद बचे हुए भोजन को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, (पंतचरएहि) तुण्ड आहार को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, (सूहचरएहि) कृष्ण-सूखा आहार ही ग्रहण करने का अभिग्रह धारण करने वालों ने, (अन्नइलाएहिं) कृष्णसूजा, ठंडा, तुण्ड, बचाबुचा अंसा-तंसा आहार प्राप्त हो जाय, उसे ही बिना क्षीणता (ग्लानि) के ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने अथवा आहार के बिना जिस समय ग्लानि होने लगे—मन उचटने

जने, सभी आहार ग्रहण करने के अभिग्रहधारकों ने, (मोषचरएहिं) मौन धारण करके भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेने वालों ने अथवा किसी से किसी भी चीज की याचना न करते हुए मौन रह कर विचरण करने वालों ने, (समुदा-
 चरएहिं) बिना किसी भेदभाव के उच्च, नीच, मध्यम (छोटे या बड़े) सभी घरों से भिक्षाचरी करने वालों ने, (संसदृकप्यिएहिं) आटे आदि से लिप्त हाथ या बर्तन से आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (तज्जायसंसदृकप्यिएहिं) जिस प्रकार का भोजनादि देय द्रव्य है, उसी प्रकार के द्रव्य से लिप्त हाथ या बर्तन से आहार लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, (उचनिहिं) वाता के पास में जो आहार रखा हुआ है, केवल उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (सुद्धेसणिं) शक्ति आदि भिक्षा के ४२ दोषों से रहित सुद्ध आहारादि को लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, (संखावत्तिं) दत्तियों की संख्या निश्चित करके ही आहारादि वस्तु लेने के अभिग्रह वालों ने (विदृत्ताभिं) सामने दिखाई देने वाले स्थान से लाई हुई या वृष्ट—सामने दिखाई देने वाली वस्तु को ही लेने के अभिग्रह वालों ने, (अविदृत्ताभिं) जो पहले नहीं देखी गई, ऐसी ही जाने वाली अदृष्ट वस्तु को ही लेने के अभिग्रह वालों ने, (पुट्ट-
 ताभिं) आपको क्या चाहिए ? इस प्रकार पूछे जाने पर ही, अथवा 'महात्मन् ! यह वस्तु साधुओं के लिए कल्पनीय है या नहीं ? इस प्रकार के पूछने पर ही उपलब्ध वस्तु ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने (आयंबिलिं) आजोवन आयंबिल तप धारण करने वालों ने, (पुरिमद्विं) उपवासों के सिवाय दिन के दोपहर के बाद ही आहार लेने का यावज्जीव प्रत्याख्यान करने वालों ने, (एक्कासणिं) प्रतिदिन एकाशन—
 एक बार भोजन करने वालों ने, (निम्बितिं) प्रतिदिन घी, दूध, दही, तेल और मिठाई आदि विकृति से रहित आहार यावज्जीवन ग्रहण करने वालों ने, (भिन्न-
 पिंडवाइं) वाता के हाथ से पात्र में डाली गई खंडित या अलग-अलग वस्तु की संख्या निश्चित करके ग्रहण करने वालों ने, (परिमियंपिंडवाइं) परिमित मात्रा में आहार लेने की प्रतिज्ञा वालों ने, (अंताहारेहिं) गृहस्थ के भोजन करने के बाद बचे हुए आहार को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (पताहारेहिं) ठंडे, बासी, तुच्छ, बचेबूचे आहार की प्रतिज्ञा धारण करने वालों ने, (अरसाहारेहिं) हींग आदि से असंस्कृत (बिना छोंक का) आहार करने वालों ने, (विरसाहारेहिं) रस-
 रहित—स्वावरहित पुरानी वस्तु का आहार लेने वालों ने, (सूहाहारेहिं) रूखासूखा आहार करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (तुच्छाहारेहिं) सारहीन—तुच्छ वस्तु का आहार करने की अथवा अस्य आहार करने की प्रतिज्ञा वालों ने, (अंतजीविं) गृहस्थ के

भोजन करने से बचे हुए भोजन से ही सदा निर्वाह करने वालों ने, (पंतजीविहिं) ठंडे बासी भोजन से सदा निर्वाह करने वालों ने, (लूहजीविहिं) जीवनभर रुखों भोजन पर ही जीने वालों ने, (तुच्छजीविहिं) सारहीन या तुच्छ अल्प आहार पर ही जिवनी बसर करने वालों ने, (उवसंतजीविहिं) आहार प्राप्त हो या न हो, तब भी चारों कपायों की उपशान्तिपूर्वक जीवन बिताने वालों ने, (पसंतजीविहिं), अन्तर्मन में भी क्रोधादि न करके हर हाल में शान्त जीवन बिताने वाले ने, (विबिसतजीविहिं) दोषरहित आहार आदि से जीवन यात्रा चलाने वालों ने, (अखीरमधुसम्पिहिं) दूध, मधु और घी का यावज्जीवन त्याग करने वालों ने, (अमज्जमंसासिहिं) किसी भी हलत में मद्य और मांस से रहित आहार करने वालों ने, (ठाणाइहिं) कायोत्सर्ग में एक स्थान पर स्थित रहने के अभिग्रह वालों ने, अथवा एक ही द्वार में एक ही स्थान पर बंठ कर भोजन और पानी ग्रहण करने वालों ने अथवा अमुक स्थान पर ही स्थित रहने या बंठे रहने का अभिग्रह-विशेष धारण करने वालों ने, (पडिमट्ठाइहिं) एक मास आदि की निक्ष-प्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालों ने, (ठाणुक्काइहिं) उत्कटिका (उत्कटुक-उकडू) आसन धारण करने वालों ने, (वीरासणि-एहिं) वीरासन धारण करने वालों ने, (गेसज्जिहिं) निषद्या-आसन लगाने वालों ने, (डंडाइहिं) बड़ की तरह लंबे पड़ कर आसन दण्डासन लगाने वालों ने, (लगंडसाइहिं) सिर तथा पैर की एड़ी जमीन पर टिका कर एवं शेष भाग को ऊपर उठा कर टेढ़े-मेढ़े लकड़ की तरह शयन करने वालों ने, (एणपासणेहिं) एक ही पार्श्व (बगल) से शयन करने वालों ने, (आयावएहिं) धूप में आतापना लेने वालों ने, (अप्यावएहिं) वस्त्र ओढ़े बिना खुले वदन रहने वालों ने, (अणिट्ठुमएहिं) धुक, कफ आदि को भूमि पर नहीं डालने वालों ने, (अकडुएहिं) छाज नहीं खुजलाने वालों ने, (धुतकेसमसुतोमनसोहिं) सिर के बाल, दाढ़ी-मूँछ के बाल और नखों का संस्कार करने का त्याग करने वालों ने, (सव्वगायपडिकम्मिण्णमुक्केहिं) शरीर के तलमर्दन, प्रक्षालन आदि सभी संस्कार का त्याग करने वालों ने, (सुयधरविचित्तत्थकास-बुद्धीहिं) शास्त्रों के ज्ञाताओं द्वारा तत्त्वार्थों को अवगत करने वाली बुद्धि के धारक महात्माओं ने, इस अहिंसा का (समणुत्थिता) सम्बन्ध प्रकार से आचरण किया है । (य) और (जे) जो (धीरमत्तिबुद्धिणो) धीर-स्थिर—शोभरहित अवग्रहादि मति-ज्ञान एवं औत्पातिकी आदि बुद्धि से सम्बन्ध हैं, (ते) उन्होंने, तथा (आसीरवसतङ्गत्तेय-कप्पा) दाढ़ में जहर वाले साँप के समान अपनी तपस्या से उर्ध्वविद्युत्स्य तेज वाले ऋषियों ने, (निच्छय-ववसायपज्जसकयमतीया) बस्तुतरव के निरवय और पुचकार्य

दोनों में जिनकी बुद्धि परिपूर्ण कार्य करती है, उन्होने, (गिच्छं सञ्जाय-ज्ज्ञाण-अणु-बद्ध धम्मज्ज्ञाणा) नित्य स्वाध्याय और चित्तनिरोधरूप—ध्यान करने वालों तथा धर्मध्यान में निरन्तर चित्त को अनुबद्ध—जोड़े रखने वालों ने, (पंचमहृष्वयचरित्त-जुत्ता) पांच-महाप्रतरूप चारित्र्य से युक्त, (समितिसु समिता) पांच समितियों में सम्यक् प्रवृत्ति करने वालों ने, (समितपावा) पापों का शमन करने वालों ने (छाब्बि-हृजगयच्छला) घट्जीवनिकायरूप विषय के प्राणिमात्र के वत्सल, (गिच्छ अप्पमत्ता) सदा अप्रमत्त—प्रमादरहित, इन पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषो (य) तथा (अप्पेहि) दूसरे गुणवान् व्यक्तियों ने (जा सा भगवती) इस पूर्वोक्त भगवती अहिंसा का (अणु-पालिया) सतत पालन किया है।

मूलार्थ—यह वह भगवती अहिंसा है, जिस असीम (अनन्त) ज्ञान और दर्शनके धारक, शील गुण, विनय, तप और संयमके नायक-मार्ग दर्शक, सारे विश्वके प्राणियोंके प्रति वत्सल, तीनों लोकोंमें पूज्य जिनचन्द्र तीर्थकरा ने (अनन्त ज्ञान दर्शन द्वारा) भलीभाँति देखा है। विशिष्ट अवधिज्ञानिया ने इस विशेष रूपसे जाना है; ऋजुमति-मनःपर्यायज्ञानियो ने इस विशेष रूपसे देख-परख लिया है, विपुलमतिमनः पर्यायज्ञानियो ने इसे विशेष रूपसे जान लिया है। चतुर्दशपूर्वधारियों ने इसका अध्ययन कर लिया है, वक्रियलब्धि धारकों ने इसका आजीवन पालन किया है। इसी प्रकार मतिज्ञानियो, श्रुतज्ञानियो, अवधिज्ञानियो, मनःपर्यायज्ञानियो और केवलज्ञानियो ने इसकी आराधना की है। विशिष्ट तपके द्वारा हाथ आदिसे छूलेने मात्रसे औषधि रूप बन जानेकी आम-शौषधिलब्धि पाये हुए श्रौषयो ने, शूकके औषधिरूप बन जानेकी खेलाषधि लब्धि पाये हुए मुनियो ने, जिनके शरीरका पसीना, मेल आदि ही औषधि रूप हो गया है, ऐसी जलौषधि-लब्धिधारियो ने, जिनका मलमूत्र ही औषधि रूप बन गया है, ऐसी विप्रौषधि नामक लब्धिप्राप्त मुनियो ने, शरीरके समस्त अवयव ही जिनके औषधिरूप बने गए हैं, ऐसी सर्वौषधि-लब्धि पाये हुए महापुरुषो ने इसकी साधना की है। मूलार्थको जानकर साराका सारा विशेषार्थ जान लेनेवाली बीजबुद्धिरूप लब्धिके धारकों ने, एकबार जान लेनेपर सदा याद रखनेवाली कोष्ठबुद्धि नामक लब्धिसे युक्त मुनियो ने, एकपदसे सैकड़ों पदोंको जान लेनेवाली पदानुसार्गिणी-लब्धि सम्पन्न पुरुषो ने, शरीरके प्रत्येक अवयवसे चारों तरफके शब्दोंको सुननेकी शक्ति अथवा शब्द, रस आदि विषयोको एकसाथ ग्रहण करनेकी इन्द्रियोकी शक्ति, या एकसाथ उच्चारण किये हुए अनेक प्रकारके शब्दोंको भिन्न-भिन्न रूपसे जाननेकी शक्तिवाली संभिन्न-स्रोत लब्धिसे युक्त पुरुषो

ने इसका पालन किया है। श्रुतज्ञान के धारको ने, मनोबलियों ने, वचन-बलियों ने, कायबल से युक्त पुरुषो ने, ज्ञानबलियों ने, दर्शनबलसम्पन्न पुरुषों ने, दृढ़चारित्रबल से युक्त पुरुषो ने, इसका भलो-भाति आचरण किया है। दूध के समान मधुर वचनवर्षा करने वाली क्षीरस्त्रावी लब्धि के धारको ने, मधु के समान मधुर वचनशक्तिरूप मधुस्त्रावी लब्धि से युक्त पुरुषो ने, घृत के समान स्निग्ध वाक्य बोलने वाली सर्पिस्त्रावी लब्धि पाये हुए मुनियो ने, जिस लब्धि के प्रभाव से भोजन की सामग्री कम न हो, ऐसी 'अक्षीणमहानस' नामक लब्धि के धनी मुनियो ने, इसका सम्यक् अनुष्ठान किया है। आकाश में गमन करने की विद्याचरण लब्धि के धारक चरण मुनियो ने, अथवा जघाचरणलब्धि वाले मुनियो ने हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकने की अंगुष्ठादि विद्या सिद्ध किये हुए विद्याधर मुनियो ने, एक उपवास से लेकर ६ महीने तक की तपस्या करने वाले तपस्वियो ने इसकी साधना की है। भोजन बनाने के बर्तन से निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने के नियम वालों ने, भोजन पकाने के पात्र से दूसरे पात्रमें निकाल कर रखे हुए भोजन को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, गृहस्थ के भोजन कर लेने के बाद शेष रहे भोजन को ही लंने के अभिग्रह वाला ने, बचे हुए तुच्छ आहार को ही लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, रूखा-सूखा आहार ही ग्रहण करने के सकल्प-धारियो ने, रूखा-सूखा, ठंडा, बासी, बचाखुचा जैसा भी आहार मिल जाय उसे अग्लान—दीनतारहित भाव से ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, अथवा जब आहार किये बिना ग्लानि होने लगे, तभी आहार लेने के अभिग्रहधारियो ने, मौन धारण करके भिक्षा लेने के संकल्प कर्ताओ ने, बिना किसी भेद भाव से उच्च, नीच, मध्यम सभी घरों से भिक्षा ग्रहण करने की चर्या वालों ने, आटे आदि से लिप्त हाथ या बर्तन से ही आहार लंने की प्रतिज्ञा वालो ने, जो भोजनादि देय द्रव्य है, उसी से हाथ या पात्र भरे हों तो आहार लेने के नियम वालो ने, दाता के निकटवर्ती आहारादि को ही ग्रहण करने के अभिग्रह वालों ने, शंका आदि भिक्षा के ४२ दोषो से रहित आहार आदि को ही लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, आहारादि वस्तुओं की दत्ति की सख्या निश्चित करके आहार लेने वालो ने, अपने पास के दृश्य-मान स्थान से लाई हुई वस्तु को ही ग्रहण करने के संकल्प वालो ने, पहले न देखी हुई—अदृष्ट वस्तु को ही लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, 'हे स्वामिन् ! अमुक पदार्थ आपके लिए कल्पनीय - ग्राह्य है ?' इस प्रकार पूछ कर आहारादि देने वाले से ही आहारादि लेने के नियम वालो ने, सदा आर्यबिल तप करने वालों ने,

प्रतिदिन सूर्योदय से दोपहर तक आहार लेने का त्याग करने वालो ने, प्रतिदिन एकाशन करने वालो ने, धी दूध वगैरह विकृतिजनक (विग्गइ) पदार्थों के त्याग करने वालो ने, खण्डित हुए मोदक आदि का ही ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वालो ने, परिमित भोजन ही ग्रहण करने की प्रतिज्ञा वाला ने गृहस्थ के खाने के बाद बचे हुए भोजन को ही सेवन करने के नियम वाला ने, तुच्छ, बासी व ठंडा भोजन ही सेवन करने के नियम वालो ने, हींग आदि से छौका हुआ न हो, ऐसे असम्कृत भोजन का ही सेवन करने वालो ने रसहीन बासी आहार को ही लेने के नियम वालो ने, रूखा-सूखा आहार ही कर लेने की प्रतिज्ञा वालो ने, सारहीन या अत्यल्प आहार करने को ही प्रतिज्ञा वालो ने, गृहस्थ के भोजन से बचे हुए भोजन पर ही जीवनभर निवाहकर लेने के अभिग्रह वालो ने, बासी भोजन से ही सदा जीवन बसर कर लेने वालो ने, रूखे आहार पर ही सारा जीवन गुजार देने वालो ने, सारहीन या तुच्छ स्वल्प आहार मे ही आजीवन संतुष्ट रहने के नियम वालो ने, आहार मिले या न मिले हर स्थिति मे क्रोधादि कषायो से दूर रह कर शान्तभाव से जीने वालो ने, हर हाल मे अन्तर से भी शान्त रहकर जीवन बसर करने वालो ने, निर्दोष (४२ दोषरहित) आहार आदि से ही जीवननिर्वाह करने वालो ने, दूध, शहद या मीठा और घृत आदि का आजीवन त्याग करने वाला ने, किसी भी हालत मे मद्य, और मास का सेवन न करने वालो ने, इसका भलीभात आचरण किया है । कायोत्सर्ग मे एक स्थान पर स्थित रहने के अभिग्रह वाला ने, एक मास आदि की भिक्षुप्रतिमा धारण करके स्थिर रहने वालो ने, एक स्थान पर उत्कटिकासन धारण करके रहने वालो ने, बीरासन धारण करने वालो ने, निषद्यासन लगाने वालो ने, दण्डासन लगाने वालो ने, टडमड लक्कड़ की तरह सिर और पैर की ऐड़ी जमीन पर टिका कर शेष भाग ऊपर उठाए रख कर शयन करने वालो ने, धूप मे आतापना लेने वाला ने, वस्त्र न ओढ़ कर शरीर को खुल्ला रखने वालो ने, धूक एव कफ आदि को भूमि पर नही गिराने वालो ने, खाज न खुजलाने वालो ने, सिर तथा दाढ़ी-सू छ के बाल, रोम और नखों के संस्कार के प्रति उपेक्षाभाव रखने वालो ने, शरीर पर तेल की मालिश, प्रक्षालन आदि सभी प्रकार के संस्कारो से विरक्त महापुरुषो ने, शास्त्रज्ञ पुरुषो के द्वारा विस्तृत तत्त्वज्ञान को जानने वाली बुद्धि के धनी पुरुषो ने इसका समीचीनरूप से पालन किया है । इसके अतिरिक्त जो

क्षोभरहित, स्थिर, अवग्रहादि मतिज्ञान तथा औत्पातिकी आदि बुद्धियों से युक्त एवं दाढ में विष वाले सर्प के उग्र विष के समान अपने तप से उग्र तेज वाले ऋषियो ने, वस्तुतत्त्व के निश्चय और पुरुषार्थ दोनों में जिनकी बुद्धि पूरा काम करती है, उन्होंने एवं नित्य स्वाध्याय तथा चित्तनिरोधरूप ध्यान में रत एवं धर्मध्यान में निरन्तर चित्त को अनुबद्ध—संलग्न रखने वालों ने, पांच महाव्रतरूप चारित्र्य से युक्त तथा पांच समितियों में सम्यक् प्रवृत्ति करने वालों ने, पापो को शान्त करने वालो ने, छहकाया रूप सारे जगत् के बत्सल एवं सदा प्रमादरहित इन पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषो ने तथा दूसरे गुणो से भी युक्त महात्माओ ने इस पूर्वोक्त भगवती अहिंसा का सतत पालन किया है ।

ध्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में अहिंसा की सुदृढरूप से आराधना करने वाले पुरुषों का—खामतीर से मुनियो का निरूपण किया गया है । साथ ही यह भी ध्वनित किया है कि अहिंसा के विशिष्ट आचरण करने वाले इन महान् आत्माओ के द्वारा किस-किस रूप में आचरण करने से उन्हें क्या-क्या विशिष्ट लब्धियाँ प्राप्त हुई है ? वैसे तो मूलार्थ और पदार्थान्वय में इन सभी पदों का अर्थ स्पष्ट किया है ; तथापि कुछ स्थलो पर इनका विशेष रहस्य प्रगट करना और विश्लेषण करना आवश्यक समझ कर नीचे उन पर विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं—

एसा भगवती अहिंसा अपरिमियनाणवंसणधरेहि " सुदृढु विदृढा—इस पक्ति का आशय यह है कि अनन्त (केवल) ज्ञान और अनन्त (केवल) दर्शन के धनी; शीलगुण, विनय, तप और सयम पर पूर्ण आधिपत्य रखने वाले, मार्गदर्शक, विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति वात्सल्यमूर्ति, त्रिलोकपूज्य, जिनचन्द्र तीर्थकरों ने इस भगवती अहिंसा के स्वरूप और कार्य—प्रयोग को अपने केवलज्ञान और केवलदर्शन से मलीभांति देखा और जाना है । जितने भी तीर्थकर हुए हैं, उन्होने राग और द्वेष का निवारण किया है, क्रोधादि चारो कषायो एव काम, मोह, ममत्व आदि से रहित हुए हैं, विश्व के सभी प्राणियों के एकान्तहितकर्ता—बत्सल बने हैं, शील, विनय, तप और सयम की आराधना की है । अहिंसा की साधना करने से ही उनकी ये सब साधनाएँ सफल हुई हैं । अहिंसा की पूर्ण साधना के लिए इन सबकी साधना उन्हें अनिवार्य रूप से करनी पड़ी है । क्योंकि राग, द्वेष, कषाय, असयम, काम, मोह, ममत्व आदि को छोड़े बिना अहिंसा की सम्यक् रूप से साधना नहीं हो सकती और अहिंसा की साधना हुए बिना उन्हें अनन्तज्ञान-दर्शन, तीर्थकरत्व

एवं बीतरागत्व प्राप्त नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि तीर्थंकरो ने स्वयं अहिंसा भगवती के प्रत्येक अंगोपांगो का सूक्ष्मतया विश्लेषण करके मन-वचन-काया से उसकी आराधना की है और अन्य अनेक भव्य जीवो को अहिंसा की आराधना करने के लिए प्रेरित किया है, अपने जीवनकाल में भी उन्होंने अहिंसा और उसके पालन करने वालो की अनुमोदना की है। इसी अहिंसा की पूर्ण आराधना करने के फल-स्वरूप उन्होने केवलज्ञान, केवलदर्शन, जिनत्व और तीर्थंकरत्व प्राप्त किया है, तथा त्रिलोकपूज्य, विश्ववत्सल और शीलगुण—विनय—तप एव सयम आदि के नायक—मार्गदर्शक बने हैं। अहिंसा की सम्यक् आराधना के द्वारा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है यह !

ओहिजिणेहिं विष्णाया—इसका तात्पर्य यह है कि अवधिज्ञान भी एक ऐसा ज्ञान है जो इन्द्रियो की सहायता के बिना केवल आत्मा द्वारा ही होता है, और वह होता है—अमुक-अमुक अवधि अर्थात् सीमा तक ही। इसलिए अवधिज्ञान के मुख्यतया तीन भेद बताए हैं—देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। जघन्य देशावधि देवो और नारको को तो जन्म से (भवप्रत्यय) होता है, जबकि उत्कृष्ट देशावधि, सर्वावधि तथा परमावधिज्ञान मनुष्यो को अहिंसा आदि की विशिष्ट साधना में प्राप्त होता है। छद्मस्थ तीर्थंकरो को परमावधिज्ञान होता है। अहिंसा की सम्यक् आराधना भी उक्त ज्ञान का एक कारण है। जब वे अहिंसा के स्वरूप और कार्यों को जपरिज्ञा से जान लेते हैं और प्रत्याख्यान परिज्ञा से हिंसा का सर्वथा त्याग करके अहिंसा का आचरण करते हैं, तभी उन्हें उस अहिंसा की आराधना के फलस्वरूप विशिष्ट अवधिज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्रकाश में वे अहिंसा का प्रयोगसहित ज्ञान करते हैं। इसी दृष्टि से विशिष्ट अवधिज्ञानियो ने इस अहिंसा को विणयरूप से—प्रयोगसहित जान लिया है।

उञ्जुमतीहिं विबिद्धा, विपुलमतीहिं विबिता—ऋजुमति और विपुलमति ये दोनो मन-पर्यायज्ञान के भेद हैं। मन पर्यायज्ञान द्वारा भी इन्द्रियो की सहायता के बिना मन के भावो को जाना और देखा जा सकता है। परन्तु मन पर्यायज्ञान की प्राप्ति उत्कृष्ट सयमी या चतुर्दशपूर्वधारक महामुनियो को ही होती है। और इस सयम की साधना में अहिंसा की साधना सर्वप्रथम आती ही है। क्योंकि एक तरह से देखा जाय तो संयम, तप, विनय, सत्य आदि तो अहिंसा की ही पूर्ति के लिए हैं। फलितार्थ यह हुआ कि ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों प्रकार के मन पर्यायज्ञानियो को अहिंसा की उत्कृष्ट साधना के फलस्वरूप ही ये दोनों ज्ञान उपलब्ध होते हैं। इन दोनों कोटि के ज्ञानियो ने अहिंसा को स्वरूपतः और कार्यतः दोनो प्रकार से देखा-परखा है, इसका जीवन में प्रयोग किया है और इसे भलीभांति जाना है। तभी अहिंसा भगवती की कृपा से उन्हें इन विशिष्ट ज्ञानो की उपलब्धि हुई है।

पुण्यघरेहिं अधीता—उत्पाद नामक प्रथम पूर्व (श्रुतज्ञान) से ले कर चौदहवें पूर्व तक के अध्ययन से श्रुतज्ञान की पूर्ण उपलब्धि होती है। उत्पाद, अग्रायणीय आदि १४ पूर्वों के अध्ययन करने वाले का अधिकार महाव्रती मुनि के सिवाय किसी को नहीं है। अतः फलित हुआ कि अहिंसा महाव्रत की उत्कृष्ट और पूर्ण साधना करने के लिए पूर्वों के अध्येता महामुनि पूर्वश्रुतो मे यत्रतत्र वर्णित अहिंसा के स्वरूप और कार्य का यथातथ्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तभी वे अहिंसा की साधना यथार्थरूप से कर सकते हैं।

बेजब्बीहिं पतिष्ठा आभिषिबोहियनाणीहिं.....चारणेहिं विज्जहरेहिं—
उपर्युक्त सूत्रपाठ में वैक्रियलब्धि से लेकर विद्यालब्धि तक के धारको द्वारा अहिंसा का आजन्म पालन करने का उल्लेख है। इसका आशय यह है कि इन विभिन्न लब्धि-धारियों के द्वारा अहिंसा की यथार्थ साधना तभी फलित होती है, जब वे स्वरूपतः और कार्यतः अहिंसा का मन-वचन-काय से शुद्ध आचरण करते हैं। और तभी वे अहिंसा की उस साधना के फलस्वरूप उक्त लब्धियाँ—शक्तियाँ, ऋद्धियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं।

विभिन्न लब्धियों का संक्षिप्त स्वरूप—प्रसंगवश अहिंसा की उत्कृष्ट साधना से प्राप्त लब्धियों के वर्णन के लिए पूर्वाचार्यप्रणीत गायार्ण प्रस्तुत करते हैं—

सम्मानु - सम्बविरई - मल-बिप्पाऽमोस-खेस-सम्बोसही ।

विजब्बी- आसीविस - ओही - रिउ - विउल- केवलस्यं ॥१॥

संभिन्न-चक्की-जिण-हरि-बल-चारण-पुण्य-गणहर-पुसाए ।

आहारग-महुषयचौरआसवो कुट्टमुद्धी य ॥२॥

बीयमई - पयाणुसारी - अक्कीणग - तेय - सीयलेसाइ ।

इय सयल लद्धिसंसा भवियमणुयाणभिह् सग्वा ॥३॥

अर्थात्—१ सम्यक्त्वलब्धि, २ अणुव्रतलब्धि, ३ सर्वविरतिलब्धि, ४ मललब्धि, ५ विप्रुपलब्धि, ६ आमशल्लब्धि, ७ खेसलब्धि, ८ सर्वोषधिलब्धि, ९ वैक्रियलब्धि, १० आशीविस लब्धि, ११ अवधिलब्धि, १२ ऋजुमतिलब्धि, १३ विपुलमतिलब्धि, १४ केवललब्धि, १५ संभिन्नश्रोतोलब्धि, १६ चक्रवर्तित्वलब्धि, १७ अहंत्वलब्धि, १८ वसुदेवत्वलब्धि १९ बलदेवत्वलब्धि, २० चारणलब्धि, २१ पूर्वलब्धि, २२ गण-धरलब्धि, २३ पुलाकलब्धि, २४ आहारकलब्धि, २५ मधुघृतक्षीरासवा लब्धि, २६ कोष्ठबुद्धिलब्धि, २७ बीजबुद्धिलब्धि, २८ पदानुसारीलब्धि, २९ अक्षीणकलब्धि, ३० तेजोलेख्यालब्धि, ३१ शीतलेख्यालब्धि, इस प्रकार समस्त लब्धियों की संख्या है। ये सब लब्धियाँ इस संसार में भव्य मनुष्यों को प्राप्त होती हैं।

तत्त्वो पर यथार्थ श्रद्धा होना सम्यक्त्व है, जो क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक तीन प्रकार का है। इस प्रकार के सम्यक्त्व की प्राप्ति होना सम्यक्त्वलब्धि

है। जीव जब ग्रन्थिभेद करके सम्यक्त्व पा लेता है, तदनन्तर श्रावक के स्थूल हिंसा विरमण आदि पाच अणुव्रतो की प्राप्ति होना अणुव्रतलब्धि कहलाती है। पंचाश्रवविरमण, पचेन्द्रियनिग्रह, कषायजय और तीन दण्डो से विरति; इस प्रकार १७ प्रकार के सयम की लब्धि सर्वविरतिलब्धि कहलाती है। कान, मुंह, नाक, आख और जीभ आदि शरीर के अवयवो से पैदा होने वाला मल जिसके प्रभाव से सुगन्धित होकर औषधिरूप बन जाता है, उसे मलौषधिलब्धि कहते हैं। मूत्र और विष्ठा जिसके प्रभाव से औषधिरूप बन कर रोगोपशमन करने में समर्थ हो जाते हैं, उसे विप्रुषलब्धि कहते हैं। जिस लब्धि के प्रभाव से साधु के हाथ आदि के द्वारा किसी रोगी को छूने मात्र से ही रोग मिट जाते हैं, उसे आमशौषधिलब्धि कहते हैं। जिस लब्धि को प्राप्त हुए पुरुष द्वारा अपने या दूसरे के रोग को मिटाने की बुद्धि से कफ के लगाने मात्र से रोग मिट जाता है, उसे क्षेलौषधिलब्धि कहते हैं। जिसके शरीर के सभी अवयव या अवयवो के विकार औषधिरूप बन कर व्याधिनिवारण में समर्थ होते हैं, अथवा आमशौषधिरूप आदि सभी औषधिलब्धियां जिस एक ही साधु को प्राप्त हुईं हो, उसे सर्वौषधिलब्धि कहते हैं। ऐसे योगिराज के नख, केश, दात तथा कान, आख आदि का मूल, या शरीर का स्पर्श ही अमृत की तरह सभी रोगो को मिटा देता है। उसके अग से स्पर्श किया हुआ पानी भी सभी रोगो को शान्त कर देता है, उसके अग से स्पृष्ट वायु के स्पर्श से विषमूर्च्छित व्यक्ति निविष हो जाते हैं, विषमिश्रित भोजन भी उसके मुख में प्रविष्ट होते ही निविष हो जाता है, उसके मुह से निकले हुए वचन सुनने मात्र से जीव विकाररहित हो जाते हैं। इतनी शक्ति सर्वौषधिलब्धि में है। वैक्रियलब्धि अनेक प्रकार की होती है— १ महत्त्व-मेधपर्वत से भी बड़ा शरीर बनाने की शक्ति, २ लघुत्व—वायु से भी लघुतर शरीर बनाने की शक्ति, ३ गुरुत्व—वज्र में भी भारी शरीर बनाने की शक्ति, ४ प्राप्ति—जमीन पर बैठे-बैठे अगुली के अग्रभाग से मेरुपर्वत के शिखर एव सूर्य आदि को स्पर्श करने की शक्ति, ५ प्राकाम्य—पानी में प्रवेश करने की तरह जमीन में प्रवेश की तथा पानी में डूबने-तैरने की तरह जमीन पर डूबने-तैरने की शक्ति, ६ इशित्व-त्रिलोक की प्रभुता या विक्रिया से तीर्थकर, इन्द्र आदि की ऋद्धि बना लेने की शक्ति, ७ ब्रह्मिन्त्व-समस्त जीवो को ब्रह्म करने की शक्ति, ८ अप्रतिघातित्व—पहाड़ आदि के बीच में भी निःशक घमन करने की शक्ति, ९ अन्तर्धान—अदृश्य हो जाने की शक्ति, १० कामरूपिता—एक साथ अनेक रूप विक्रिया से बना लेने की शक्ति। इसी प्रकार अणिमा आदि सब सिद्धियां वैक्रियलब्धि के अन्तर्गत ही हैं।

यद्यपि देवों को वैक्रियशरीर जन्म से ही प्राप्त होने से उनमें भी पूर्वोक्त सभी प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन वह भवप्रत्यय है, गुणप्रत्यय नहीं, इसलिए उसे वैक्रियलब्धि नहीं कहा है।

जिस सर्प की दाढ़ों में भयंकर विष होता है, उसे आशीविष सर्प कहते हैं। उसकी तरह जो लब्धितपस्या से या विशिष्ट संयम साधना से प्राप्त हुई हो, और जिसके प्रभाव से ढाई द्वीपपरिमित क्षेत्र में किसी भी प्राणी को शाप आदि दे कर भस्म कर देने तक की शक्ति हो, उसे आशीविषलब्धि कहते हैं।

जिस ज्ञान के प्रभाव से इन्द्रियो की सहायता के बिना रूपी द्रव्यों को द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव की अमुक मर्यादा-सीमा तक जानने की शक्ति हो, उसे अवधिलब्धि कहते हैं।

जिस ज्ञान के प्रभाव से सामान्यरूप से दूसरे के मन में चिंतित विचार को जानने की शक्ति हो, उसे ऋजुमतिलब्धि कहते हैं, तथा जिसके प्रभाव से विशेष रूप से दूसरे के मन के भावों को जानने का सामर्थ्य हो, उसे विपुलमतिलब्धि कहते हैं। जिस के प्रभाव से त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण चराचर लोकालोक को मतिज्ञानादि के बिना अकेले में ही निरावरणरूप से युगपद् जानने-देखने की शक्ति हो, उसे केवललब्धि कहते हैं।

जिसके प्रभाव से साधक अपने शरीर के सभी प्रदेशों से सुन लेता है अथवा एक ही इन्द्रिय के प्रभाव से दूसरी सभी इन्द्रियों के विषयों को जान लेता है, अथवा जिसके प्रभाव से सभी इन्द्रियाँ परस्पर एकरूपता को प्राप्त हो जाय, अथवा १२ योजन तक फैली हुई चक्रवर्ती की सेना के एक साथ होने वाले विविध बाजों के शब्दों को, चतुरगिणी सेना की हलचल या शोरको एक साथ सुन लेता है, उसे सभिन्न-श्रोतोलब्धि कहते हैं।

चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व, वसुदेवत्व, अर्हत्त्व, ये सब लब्धियाँ प्रसिद्ध हैं।

जिसके प्रभाव से अत्यन्त तीव्र गति से दूर तक गमनागमन की शक्ति—चारण-शक्ति प्राप्त हो, उसे चारणलब्धि कहते हैं। चारणलब्धि दो प्रकार की होती है—जघाचारण और विद्याचारण। पवित्र चारित्र वाले जो महामुनि, निदानरहित छट्ठ-अट्ठम आदि विशिष्ट तपस्या के प्रभाव से अतिशयगतिलब्धि से युक्त होते हैं, उन्हें चारणमुनि कहते हैं। उन्हें जो लब्धि प्राप्त होती है, उसे चारणलब्धि कहते हैं। वे पहली उड़ान में तेरहवें रुचकद्वीप तक जाते हैं, वहाँ से लौटते हुए नदीश्वर द्वीप आते हैं, दूसरी उड़ान में जहाँ से रवाना हुए थे, वही वापिस आ जाते हैं। ऊपर एक ही उड़ान में भेरुगिरि के शिखर पर पाण्डुक वन, वापिस लौटते हुए एक ही उड़ान में नदनवन, और दूसरी उड़ान में जहाँ से रवाना हुए थे, वही वापिस आ जाते हैं। ये जघाचारण मुनि होते हैं। दूसरे विद्याचारण मुनि होते हैं, वे विद्या के बल पर अष्टम तप आदि तपो-विशेष के प्रभाव से अतिशयगमनलब्धि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जलचारण, पत्र-चारण, पुष्पचारण, अग्निशिखाचारण, पर्वताश्रय गचारण इत्यादि और भी चारण-लब्धियाँ होती हैं।

उत्पाद आदि १५ पूर्वों के अध्ययन-गुणन की शक्ति पूर्वलब्धि कहलाती है।

तीर्थकर के शासन को चलाने का अधिकार एव गणधर पद जिसके प्रभाव से प्राप्त हो, उसे गणधरलब्धि कहते हैं। इसी प्रकार पुलाकचारित्र से प्राप्त होने वाली लब्धि पुलाकलब्धि कहलाती है। पुलाकलब्धि से युक्त मुनि कुपित होने पर चक्रवर्ती की सेना तक को चूर-चूर कर सकता है।

चतुर्दशपूर्वधारी मुनिराज जिस लब्धि के प्राप्त होने पर नियोद आदि के सम्बन्ध में अपने संशय को दूर करने के लिए तथा जिनभगवान् की ऋद्धि के दर्शन के लिए अपने शरीर से मुँड हाथ का अत्यन्त देदीप्यमान पुतला विक्रिया से बना कर महा-विदेह आदि क्षेत्र में विराजित तीर्थकर के पास भेजते हैं, उस लब्धि को आहारकलब्धि कहते हैं।

जिस लब्धि के प्रभाव से मधु, घृत और दूध के अनिश्चय रस के समान रसपूर्ण मधुर आकर्षक वचन निकलते हो, अथवा साधक के वचन ही शरीरादि दुःख से सतप्त जीवों को मधु-घृत-दुग्ध की तरह तृप्त करने वाले हो, या जिनके पात्र में पडा हुआ तुच्छ अन्न भी मधु-दुग्ध-घृत की तरह बलप्रदायी हो, उसे मधु-सर्पि क्षीरा-न्नलब्धि कहते हैं। जैसे कोठार में भरे हुए अनाज वर्षों तक अलग-अलग रूप में बहुत सुरक्षितरूप से पड़े रहते हैं; वैसे ही जिस लब्धि के प्रभाव से भिन्न-भिन्न पदार्थ जैसे सुने या जिस प्रकार से एक बार जाने गए हैं उसी रूप में वर्षों तक दिमाग में अविस्मृत भाव से स्थिर रखने की बुद्धि कोष्ठबुद्धिलब्धि कहलाती है। जोते हुए खेत में बोया हुआ और जमीन, पानी आदि अनेक पदार्थों के संयोग से नष्ट न हुआ, जैसे अखंड एक बीज अनेक बीजों को पैदा करता है, वैसे ही जिस लब्धि के प्रभाव से ज्ञानावरणीयादि कर्म के क्षयोपशम से बुद्धि इतनी तीव्र हो कि एक अर्थबीज को सुनने पर उमसे सम्बन्धित अन्य अनेक अर्थबीजों का ज्ञान हो जाय, उसे बीजबुद्धि कहते हैं।

जिस लब्धि के प्रभाव से बुद्धि इतनी निर्मल व तीक्ष्ण हो जाय कि आगम का एक पद जान कर उसके पीछे-पीछे सैकड़ों पदों का ज्ञान होता चला जाय, उसे पदानुसारिणी लब्धि कहते हैं। पदानुसारिणी लब्धि तीन प्रकार की होती है—अनुस्रोतः-पदानुसारिणी, प्रतिश्लोत पदानुसारिणी और उभयपदानुसारिणी। जहाँ किसी से सूत्र के प्रारम्भ का एक पद सुन कर अन्तिम पद तक के अर्थ को जानने की बौद्धिक क्षमता हो वहाँ अनुस्रोत पदानुसारिणी लब्धि होती है। जहाँ सूत्र के अन्तिम एक पद को दूसरे से सुन कर सूत्र के आदि पद तक के अर्थ को जानने की क्षमता हो, वह प्रतिश्लोत-पदानुसारिणी लब्धि होती है। जहाँ दोनों प्रकार से जानने की शक्ति हो, वहाँ उभयपदानुसारिणी लब्धि होती है।

जिस लब्धि के प्रभाव से महामुनि के पात्र का जरा-सा आहार भी गणधर शीतमस्वामी आदि की तरह अनेक व्यक्तियों को दे देने पर भी या अनेक व्यक्तियों

के खा लेने पर भी कम नहीं होता है, अथवा साईं हुई भिक्षा जब तक वह स्वयं भोजन न कर ले तब तक लाखों आदमियों को उसमें से खिला देने पर भी क्षीण—कम न हो ; उसे अक्षीणमहानसलब्धि कहते हैं। इसी प्रकार सीमित जगह में भी तीर्थंकरों के समवसरण में असंख्य देव आदि जनों की तरह जहाँ निर्बाधरूप से असंख्य व्यक्ति क्रमशः बैठ जाय—समा जाय उसे अक्षीण महालयलब्धि कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अक्षीणकलब्धि कहलाते हैं।

क्रोधादिवश अनेक योजन क्षेत्र में स्थित वस्तु या व्यक्ति को जलाने में समर्थ तीव्रतेज अपने शरीर से निकालने की शक्ति को तेजोलेभ्यालब्धि कहते हैं। असीम-करुणावश तेजोलेभ्या के शान्त करने में समर्थ शीतलतेजविशेष की शक्ति को शीतलेभ्यालब्धि कहते हैं।

ये सब लब्धियां भगवती अहिंसा की विशिष्ट आराधना से ही प्राप्त हो सकती हैं।

निष्कर्ष यह है कि यह अहिंसा भगवती की ही कृपा है कि जिसकी सम्यक् आराधना से आराधक के गंदे से गंदे पदार्थ भी अमृत की तरह औषधिरूप बन जाते हैं, मदबुद्धि भी तीव्रबुद्धि हो जाता है, पुण्यहीन भी अनन्तपुण्यशाली बन जाता है, मामूली-सा आदमी भी विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, पतित से पतित भी पावनतम और पूजनीय बन जाता है, नीच से नीच भी सर्वोच्च पद पर पहुँच जाता है। सचमुच, यह अहिंसा का ही चमत्कार है !

अद्वयभक्तिर्एहिं...अभिष्टत्तचरएहिं...सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्केहिं समणु-
च्चिन्ना—इस लम्बे सूत्रपाठ में अहिंसा के उन आचरणकर्ताओं का संकेत किया है, जो विविध प्रकार के तप करते हैं, भिन्न-भिन्न रूपों के नियम ग्रहण करते हैं, अलग-अलग तरह के अभिग्रह धारण करके जीवन बिताते हैं, विभिन्न प्रकार के त्याग, समय और प्रत्याख्यान के सकल्प ले कर आजीवन निभाते हैं ; कई अपने शरीर की विभूषा और सुसंस्कारों के प्रति उपेक्षाभाव धारण करके एकमात्र आत्मा की ही उपासना में सग्लन रहते हैं, अपने क्लिष्ट कर्मों को काटने के लिए कई रुखे-सूखे, तुच्छ, बासी और जैसे-तैसे अत्यल्प भोजन पर ही आजन्म निर्वाह करते हैं।

सारांश यह है कि आहारग्रहण के सम्बन्ध में विविध तप, त्याग, प्रत्याख्यान, नियम और अभिग्रह ले कर अपनी आत्मा को तप और समय से भावित बनाते हैं।

१. लब्धियों का विशेष वर्णन जानने के लिए आवश्यकसूत्रवृत्ति, प्रवचनसारोद्धारवृत्ति, लब्धिस्तोत्र आदि ग्रन्थों का अवलोकन करें।

ऐसे महाव्रती महामुनियों के लिए अहिंसा की साधना अनिवार्य होती है। अहिंसा के बिना वे एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। फलतः अहिंसा की दीर्घकालिक साधना के बाद उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वे चाहे जैसी परिस्थिति में अपने आपको सुदृढ़ रख सकते हैं।

उनमें सबसे पहले वे तपस्वी आते हैं, जो तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करके एक उपवास से ले कर एकमास, दोमास, तीनमास यावत् छहमास तक के उपवास करते हैं। ऐसे तपस्वियों के द्वारा सूक्ष्मता से निरन्तर आराधित अहिंसा अत्यन्त तेजस्वी बन जाती है।

उत्क्षिप्तचर, निक्षिप्तचर, अन्तचर, प्रान्तचर, रूक्षचर, अग्लायक, समुदान-भिक्षाचर, मौनचर आदि का अर्थ स्पष्ट है।

संसृष्टकल्पिर्हृि—जिनका आचार ससृष्ट नामक अभिग्रहरूप होता है, वे ससृष्टकल्पिक कहलाते हैं। अर्थात्—दाता का हाथ या पात्र लिप्त हो, या हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, अथवा पात्र लिप्त न हो, हाथ लिप्त हो, तथा देय पदार्थ सावशेष (कुछ बचा हो) या निरवशेष (देने के बाद कुछ न बचा) हो, तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे, इस प्रकार के अभिग्रहधारी^१ ससृष्टकल्पिक कहलाते हैं। इस दृष्टि से ससृष्टकल्पिक के ८ भग्न बनते हैं—(१) हाथ और पात्र दोनों ससृष्ट (देय वस्तु से लिप्त) हो, देय द्रव्य बचा हो, (२) हाथ और पात्र दोनों लिप्त हो, द्रव्य बचा न हो, (३) हाथ लिप्त हो, किन्तु पात्र लिप्त न हो और द्रव्य बचा हो, (४) हाथ लिप्त हो, किन्तु पात्र लिप्त न हो और द्रव्य न बचा हो, (५) हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, किन्तु द्रव्य बचा हो, (६) हाथ लिप्त न हो, पात्र लिप्त हो, किन्तु द्रव्य बचा न हो; (७) हाथ और पात्र लिप्त न हो, किन्तु द्रव्य बचा हो, (८) हाथ और पात्र लिप्त न हो, किन्तु द्रव्य बचा न हो।

उपनिधिक, शुद्धैषणिक, आचाम्लिक, पुरिर्मादिक, एकाशनिक, निर्विकृतिक आदि के अर्थ पदार्थान्वय में स्पष्ट हैं।

संज्ञावर्तिर्हृि—जो भिक्षाजीवी साधु दत्तियों की सख्या निश्चित करके भिक्षा ग्रहण करता है, वह संज्ञावर्तिक कहलाता है। दाता गृहस्थ के हाथ से एक बार में जितना आहार भिक्षापात्र में पड़ जाय, उसे एक दत्ति कहते हैं। इसी प्रकार दो, तीन, चार या पांच दत्ति का अर्थ समझना चाहिए।

विदृष्टलाभिर्हृि अविदृष्टलाभिर्हृि पुदृष्टलाभिर्हृि—दिखाई देने वाले स्थान से साए हुआ भोजन को ही जो ग्रहण करते हैं, वे दृष्टलाभिक होते हैं। अदृष्ट (पहले

१ इन सबका विशेष वर्णन पिडनियुक्ति, यतिदिनचर्या आदि ग्रन्थों में देखें।

न देखी हुई) वस्तु को ही जो ग्रहण करते हैं, वे अदृष्टलाभिक होते हैं। और 'महात्मन् ! यह पदार्थ साधु के लिए कल्पनीय—ग्राह्य है ?', इस प्रकार पूछे जाने पर जो उपलब्ध हों, उसे ही जो ग्रहण करते हैं, वे पृष्टलाभिक होते हैं।

भिन्नपिंडबाह्यएहि परिमितपिंडबाह्यएहि—मोदक आदि भोज्य पदार्थ खंड-खंड करके पात्र में डालने पर ही लेने वाले भिन्नपिंडपातिक कहलाते हैं और परिमित चरों में ही प्रवेश करके और परिमित मात्रा में ही भोज्य वस्तुओं की संख्या निश्चित करके लेने की प्रतिज्ञा वाले परिमित पिंडपातिक कहलाते हैं।

अन्तचर-प्रान्तचर, अन्ताहारी-प्रान्ताहारी और अन्तजीवी-प्रान्तजीवी में अन्तर—उपर्युक्त तीनों शब्दयुगल ऊपर-ऊपर से देखने पर समानार्थक दिखाई देते हैं; लेकिन इन तीनों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। अन्तचर और प्रान्तचर भिक्षाजीवी वे होते हैं, जो भिक्षा की गवेषणा करते समय ही तुच्छ (अत) और भुक्तावशेष (प्रान्त) आहार लेने का अभिग्रह करते हैं, परन्तु अन्ताहारी-प्रान्ताहारी को भिक्षा की गवेषणा करते समय अन्त-प्रान्त आहार लेने का अभिग्रह नहीं होता, किन्तु भोजन करते समय ही अन्त-प्रान्त आहारसेवन करने का अभिग्रह होता है। और अन्तजीवी-प्रान्तजीवी साधुओं के तो जीवनभर वैसा ही आहार करने का नियम होता है, जबकि अन्ताहारी-प्रान्ताहारी साधुओं के परिमित समय तक का नियम होता है। यही अन्तर रूक्षचर, रूक्षाहारी और रूक्षजीवी इन तीनों में तथा तुच्छाहारी और तुच्छजीवी में समझना चाहिए।

उपशान्तजीवी और प्रशान्तजीवी में अन्तर—भिक्षा प्राप्त हो या न हो, जिनकी बाह्यवृत्तियाँ उपशान्त रहती हो, यानी जिनके चेहरे और आँखों में भी क्रोधादि की झलक न दिखाई देती हो, वे उपशान्तजीवी कहलाते हैं, और जो बाह्यवृत्ति से ही नहीं, अन्तर्वृत्ति से भी क्षुब्ध न होते हों, यानी जिनके चेहरे पर क्रोधादि आना तो दूर रहा, मन में भी क्रोधादि का भाव पैदा नहीं होता, वे प्रशान्त-जीवी कहलाते हैं।

अमञ्जमंसासिण्डि जो मद्य, मांस का सेवन कदापि नहीं करते, वे अमद्यमांसाशिक कहलाते हैं। प्रश्न होता है, साधु तो क्या, गृहस्थव्यावक भी, और सप्तकुव्यसनो का त्यागी भार्गानुसारी भी इन दोनों का सेवन नहीं करता, तब पूर्ण अहिंसक साधुओं के लिए तो मद्य-मांस-सेवन का सवाल ही नहीं उठता; फिर इनके लिए इस विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया ? इसका समाधान यह है कि मद्य और मांस दोनों को अचित्त समझकर भी मुनि कभी इनका सेवन नहीं करता है, यह बताने के लिए ही उक्त पाठ दिया है। मद्य अनेक कीटाणुओं के मरने से सड़ा कर बनाया जाता है तथा पीने के बाद नशीला, उत्तंजक और भ्रान्त भुला देने वाला है, इसलिए सर्वथा वर्जनीय

है ; और मास स्वयं सजीव जानवर की हत्या से प्राप्त होता है, उसमें असख्य सम्मूच्छिम जीव पैदा हो जाते हैं तथा क्रूरता का उत्पादक है एव शरीर में मद बढ़ाने वाला है, इसलिए वह वर्जनीय है ।

दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल में कई दवाओं में मद्य पड़ता था, और आजकल तो प्रायः अनेक दवाओं में मद्यसार पड़ता है, तथा बदर की चर्बी, मछली का लीवर एव कई जानवरों का खून भी कई दवाइयों में पड़ता है । इस लिहाज से कोई इसका सेवन न कर ले कि दवा के रूप में मद्य-मासादि-सेवन कर लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसलिए अहिंसा के पालक के लिए मद्य और मास सर्वथा वर्जनीय बताए हैं । और इसी प्रयोजन से यह विशेषण अहिंसामहाव्रती के लिए प्रयुक्त किया गया मालूम होता है । फिर जो मद्य और मास का सेवन करेगा, वह अहिंसा या अन्य किसी भी आध्यात्मिक साधना को करने के सर्वथा अयोग्य होगा । वह किसी भी साधना को सम्यक् रूप से नहीं कर सकेगा ।

पञ्चमट्ठाह्विं—मासिकी आदि भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके कायोत्सर्ग में स्थिर रहने वाले मुनियों ने अहिंसा की उत्कृष्ट आराधना की है । यह 'प्रतिमा' एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिज्ञा है, जो केवल भिक्षुओं के लिए नियत है । वह १२ प्रकार की होती है, उसके स्वरूप के लिए एक गाथा प्रस्तुत है—

'मासाह सत्' वा ७ पद्मा ८ बिय ९ तद्वय १० सत्तराह्विणा ।

अहोराई ११ एगराई १२ भिक्षुपञ्चिमाण बारसगं ॥'

अर्थात्—उत्तरोत्तर एक-एक मास वृद्धि वाली पहली से लेकर सातवी तक ७ प्रतिमाएँ हैं । यानी पहली प्रतिमा एकमासिकी, दूसरी द्विमासिकी, तीसरी त्रिमासिकी, चौथी चतुर्मासिकी, पाचवी पंचमासिकी छठी षण्मासिकी और सातवी सप्तमासिकी होती है । इसके बाद की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया नाम की आठवी, नौवी, दसवी ये तीन प्रतिमाएँ सात-सात रात्रिदिन की होती हैं, ग्यारहवी प्रतिमा एक अहोरात्रि की होती है और बारहवी प्रतिमा सिर्फ एकरात्रि (रातभर) की होती है । ये बारह भिक्षु-प्रतिमाएँ हैं ।

इन भिक्षुप्रतिमाओं को ग्रहण करने की योग्यता किस मुनि में होती है ? इसके लिए बताया गया है—

'सत्तेण सत्तेण सुत्तेण एगत्तेण वयेण य ।

तुलना पंचहा वुत्ता पञ्चिं पञ्चिञ्जओ ॥'

अर्थात्—तपस्या से, सत्त्व से, श्रुत से, एकत्व से और आगमवचन से या वय से इन पांच प्रकार की तुलना के योग्य धृतिमान साधक ही प्रतिमाओं को स्वीकार करने योग्य होता है ।

जो वज्रच्छेदभनाराच, नाराच और अर्धनाराच इन तीनों सहननों में से किसी एक सहनन से युक्त हो, परिषहसहन करने में दृढ सामर्थ्यवान् हो, धृति—चित्तस्वस्थता से युक्त हो, महासत्त्व हो, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गों में हर्षविषाद न करता हो, सद्-भावनाओं से भावित अन्त-करणवाला भावितात्मा हो, गुरु अथवा आचार्य के द्वारा उसे भलीभांति आज्ञा मिल गई हो, गच्छाचार्य द्वारा उसे अनुमति प्राप्त हो गई हो, साधुसमुदाय में रहते हुए आहारादि के सम्बन्ध में प्रतिमा के योग्य परिकर्म में परिनिष्ठित हो गया हो, वही इन्हें ग्रहण करने योग्य होता है। यानी मासिकी आदि सातों भिक्षुप्रतिमाओं का जो परिमाण बताया गया है, तदनुसार ही परिकर्म का परिमाण है। वर्षावाम में इन प्रतिमाओं को स्वीकार नहीं किया जाता और न ही इनका परिकर्म किया जाता है। प्रारम्भ की दो प्रतिमाओं का एकसाथ एक ही वर्ष में, तीसरी-चौथी का भी एक-एक वर्ष में, बाकी की तीन प्रतिमाओं का भी वर्ष में एकदूठा ही परिकर्म होता है।

प्रतिमासाधक को श्रुतज्ञान भी उत्कृष्टतः दश पूर्वों से कुछ कम और जघन्यत-प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व की तीसरी आचारवस्तु तक का होना ही चाहिए। अन्यथा इतने श्रुतज्ञान से रहित मुनि काल आदि को सम्यक् नहीं जान सकेगा, फलतः विराघना कर बैठेगा। वह अपने शरीर का ममत्त्व छोड़ कर देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यचकृत उपद्रव को सहन करने में समर्थ हो, जिनकल्पी की तरह परिषह-सहन करने में सक्षम हो। आहारैषणा, पानैषणा, वस्त्रैषणा, ग्रहणैषणा और परिभोगैषणा इन पाचों प्रकार से शास्त्रविधि के अनुसार एषणा-पिडादि ग्रहण में उसे भी पारगत होना चाहिए। इस प्रकार परिकर्म करने के बाद गच्छ में निकल कर यदि आचार्यादि से अनुज्ञा प्राप्त हुई हो तो कुछ समय के लिए अन्य साधुओं में पदार्पण करके शरदकाल में समस्त साधुओं को आमंत्रण दे और उनसे क्षमा-याचना करके निःशल्य और निष्कषाय हो कर मासिकी प्रतिमा का स्वीकार करे। मासिकी भिक्षुप्रतिमा के दौरान वह कुछ नियमों को स्वीकार करे। जैसे मासिकी प्रतिमा में भिक्षा भी दत्तिपूर्वक ग्रहण करे। यानी एक ही अन्न की, एक बार में ही अखण्ड रूप में, वह भी अज्ञात और उच्छंख्य अन्न की दत्ति हो। उसमें भी कृपणादि द्वारा भी फँक देने योग्य, एक ही स्वामी का; दानदाता का एक पैर देहली के अन्दर हो, दूसरा बाहर हो, उसके द्वारा दिये जाने वाले आहार-पानी का ग्रहण करे। यदि वह किसी जलाशय या किसी स्थल या दुर्ग आदि पर स्थित हो तो जहाँ सूर्य अस्त हो जाय, वहाँ से सूर्योदय तक जल या आग का उपद्रव होने पर भी एक कदम क्षेत्र आगे न बढ़े। प्रतिमास्वीकृत मुनि ग्राम आदि ज्ञात स्थल में

एक अहोरात्रि से अधिक न ठहरे, अज्ञातस्थल में अधिक से अधिक दो रात ठहर सकता है। दुष्ट व्याघ्र, सिंह, हाथी आदि हिल्लपमुओ के डर से या मृत्यु के भय से वह एक कदम भी इधर-उधर आगे-पीछे नहीं खिसकेगा। इत्यादि नियमों का पालक मुनि शरीर पर ममत्व करके छाया से धूप में या धूप से छाया में गमन नहीं करेगा। वह एक महीने तक लगातार ग्रामानुग्राम विचरण करेगा। वह और भी बहुत-से नियमों का पालन करेगा जैसे—पैर में काटा लग जाने पर या आँख में रजकण, तिनका या मँल पड़ जाने पर वह निकालेगा नहीं। शयन और निवास के लिए तृणसस्तारक व उपाश्रय आदि की याचना भी वह दो बार से अधिक नहीं करेगा, प्रतिमा पूर्ण होने की अवधि तक किसी के पूछने पर या शास्त्रीय प्रश्न करने पर भी वह दो बार से अधिक नहीं बोलेगा। वह ऐसे स्थान में ठहरेगा, जो आगन्तुकागार हो, यानी जहाँ कार्पटिक आदि आकर रहते हो, अथवा दीवारों न होने से ऊपर से जो धर छाया हुआ न हो, या अनाच्छादित वृक्ष का मूल हो। निवासस्थान (उपाश्रय) में आग लग जाने पर भी वहाँ से हटेगा नहीं। कदाचित् कोई व्यक्ति बाहे आदि पकड़ कर खींचे तो उस की रक्षा के लिए वहाँ से निकल भी जायेगा। हाथ, पैर, मुँह, शरीर आदि का प्रासुक पानी से भी प्रक्षालन नहीं करेगा। अपवादवश कोई अन्य साधु उसके पैर आदि धो दे तो उसे क्षम्य समझेगा।

ये और इस प्रकार के अनेक अभिग्रहो व क्रियाओ से युक्त साधु का एक महीना पूरा होने पर साधुसमुदाय अभिनन्दन करता है। आचार्य आदि निकटवर्ती गाव में आकर प्रवृत्ति का अन्वेषण करते हैं। फिर वे राजा आदि को सूचित करते हैं कि मासिकभिक्षुप्रतिमा का पालन करके महातपस्वी साधु यहाँ आए हैं। इसके बाद राजा आदि समस्त प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सत्कारित-सम्मानित होकर वह वहाँ प्रवेश करता है। वहाँ उसका बहुत अभिनन्दन किया जाता है। इस प्रकार प्रथम भिक्षुप्रतिमा का स्वरूप है।

इसी क्रम से दूसरी से लेकर सातवीं भिक्षुप्रतिमा तक का पालन किया जाता है। पहली से इनमें अन्तर इतना ही है कि पहली प्रतिमा में एक दत्ति आहार-पानी ग्रहण करना होता है, जबकि दूसरी, तीसरी से लेकर सातवीं तक क्रमशः दो, तीन से लेकर सात दत्ति तक आहार-पानी लिया जाता है।

इसके बाद आठवीं प्रथम सप्तरात्रिदिन की प्रतिमा में चौविहार एकान्तर उपवास करना होता है, पारणे में आयबिल करना होता है, इसलिए इसमें दत्ति का नियम नहीं होता। इस प्रतिमा में उत्तान या एक पार्श्व से शयन करना होता है। बैठना हो तो समआसन से बैठ सकता है। शरीर की चेष्टाओं से निवृत्त होकर पूर्वोक्त स्थान निश्चित करके गाँव के बाहर ठहरना होता है। जहाँ देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यचकृत घोर उपसर्गों को शरीर से अडोल और मन से अकम्पित होकर सहन करता है।

नौवीं द्वितीय सप्तरात्रिदिन की प्रतिमा में भी सभी क्रियाएँ इसी के जैसी होती हैं। विशेष बात यही है कि इस प्रतिमा में उत्क्राटिकासन (ऊफडू आसन) से बैठना, लगुडासन से तथा दण्डायतासन से सोना होता है और दिन-रात देवाधिकृत उपसर्गों को सहना पड़ता है।

दसवीं तृतीय सप्तरात्रि दिन की प्रतिमा में भी पूर्वोक्त बातें समझनी चाहिए। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें गोकुहासन से तथा वीरासन (सिंहासनतुल्य आसन) अथवा आम्नकुब्जासन से रहना पड़ता है। बाकी की क्रियाएँ पूर्ववत् ही हैं।

इसके पश्चात् ग्यारहवीं प्रतिमा भी पूर्ववत् एक अहोरात्रि की होती है। विशेषता केवल इतनी ही है कि इसे शुरू करने से पहले एकाशन, बीच में षष्ठभक्त यानी दो चौविहार उपवास (बेला) और पारण के दिन भी एकाशन करना होता है। गाँव या नगर के बाहर जा कर खड़े हो कर भुजाएँ नीचे लटका कर एक अहोरात्र तक स्थित रहना होता होता है।

इसके अनन्तर बारहवीं प्रतिमा ग्यारहवीं अहोरात्र की प्रतिमा के समान एक रात्रि की होती है। इसमें चौविहार अष्टमभक्त (तेला) करके, एक रात्रि के लिए गाँव के बाहर जा कर कायोत्सर्ग में खड़े होकर, थोड़ा-सा आगे को झुके हुए किसी एक निश्चित पुद्गल पर एकटक दृष्टि लगा कर, शरीर को अबोल करके, इन्द्रियो को निश्चेष्ट कर, दोनों पैरों को समेट कर और जिनमुद्रा की तरह बाहें लटका कर स्थिर रहना पड़ता है। इस प्रकार की बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का सम्यक् रूप से पालन करने पर या तो अवधिज्ञान प्राप्त होता है, या मन-पर्यायिज्ञान अथवा अभूतपूर्व केवलज्ञान उत्पन्न होता है। यदि इसकी विराधना हो जाय तो उन्माद (पागलपन) हो जाता है, या दीर्घकालिक रोगान्तक पैदा हो जाता है और केवलप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है।

आयावर्णहि—धूप में खड़े हो कर आतापना लेने वाले मुनियों ने भी अहिंसा का आचरण किया है। आतापना तीन प्रकार की होती है—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। स्थिरादि आसन के द्वारा की जाने वाली आतापना जघन्य कहलाती है; उत्क्राटसन आदि आसन से की जाने वाली मध्यम और दण्डासन आदि से की जाने वाली आतापना उत्कृष्ट कहलाती है।

सुयधरचिदितत्पकायबुद्धीर्हि—इसका तात्पर्य यह है, जिन मुनियों को सूत्ररूप

१ इन प्रतिमाओं का विशेष वर्णन जानने के लिए दशाशुधस्कन्धचूर्ण-वृत्ति, प्रवचनसारोद्धार, आवश्यकनियुक्ति तथा पंचाशक आदि का अवलोकन करें।

से और अर्थरूप से शास्त्र कण्ठस्थ होते हैं, उन्हें श्रुतधर कहते हैं तथा जिनकी बुद्धि अर्थसमूह को जानने में पारंगत है, उन्हें विदितार्थकायबुद्धि कहते हैं। इन दोनों कोटि के मुनिवरो को भी अपने ज्ञान की निर्मलता इस अहिंसा की आराधना से ही प्राप्त होती है।

धीरमतिबुद्धिणो - 'बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामिगोचरा' इसके अनु-
अनुसार प्रश्न के साथ ही तत्काल जिसमें उत्तर की स्फुरणा होती है, उसे बुद्धि समझना चाहिए और भविष्य की बात को पहले से ताड़ने वाली ज्ञानशक्ति को मति जानना चाहिए। इस दृष्टि से इस पद का अर्थ होता है—जिन साधुओं का मतिज्ञान (अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप) स्थिर होता है, क्षोभरहित होता है, वे स्थितप्रज्ञ मुनि धीरमति है तथा जिनकी बुद्धि औत्पातिकी (तत्काल सूझ वाली) होती है, वे धीरबुद्धि कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के महामुनियों को श्रेष्ठमति और श्रेष्ठबुद्धि की उप-
लब्धि अहिंसा के आचरण से होती है।

आसीविसउग्लेयकप्पा — इसका आशय यह है कि तपस्या के प्रभाव से मुनियों के वचन में विषले साप के समान इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वे क्रुद्ध हो कर जिसको शाप आदि देते हैं, उसके शरीर में विषले सर्प से डसे हुए के समान तत्काल विष फैल जाता है। अथवा भयकर जहरीले साप से डसा हुआ व्यक्ति भी जिनके अनुग्रह से विषमुक्त हो जाता है। इस लब्धि के धारक मुनि भी तप के साथ अहिंसा का आचरण करते हैं, तभी उन्हें ऐसी लब्धि प्राप्त होती है।

निश्चयव्यवसायपञ्जस्तकयमतोया छविहृजगवच्छला निश्चमप्यमत्ता —
ये सब विशेषण महाव्रती मुनिवरो के हैं, जो अहिंसा का पालन अप्रमत्त एवं दत्तचित्त हो कर करते हैं। वे अहिंसा के किसी अंग या रूप को छोड़ कर नहीं चलते। वे निश्चय और व्यवसाय-पुरुषार्थ दोनों में समानरूप से कृतसकल्प होते हैं, सदा स्वाध्याय, ध्यान और साधना में लीन रहते हैं, पाच महाव्रतरूप चारित्र्य से सम्पन्न होते हैं, समितियों में प्रवृत्त रहते हैं, पापों से निवृत्त हो करके ससार के समस्त प्राणियों के एकांत हितैषी विषवत्सल हो कर सदा अप्रमत्त रहते हैं। इन और इस प्रकार के अन्य महामुनियों ने भी अहिंसा का निरन्तर पालन किया है और अपना आत्मकल्याण करने के साथ जगत् का भी कल्याण किया है तथा उच्च पद पर पहुँचे हैं।

निष्कर्ष—अहिंसा के सास-खास आचरणकर्ताओं के जितने भी नाम गिनाये हैं, वे सब अपने-अपने नियमों, तपस्याओं, प्रतिज्ञाओं, अभिग्रहों, व्रतों और शीलगुणों को पालन करते समय अहिंसा को केन्द्र में रख कर चलते हैं। अहिंसापालन में जरा-सी असाधधानी से उनके व्रत, नियम, तपश्चरण, प्रतिज्ञा और अभिग्रह खण्डित हो

जाते हैं और उन्हें जिन शक्तियों, नब्धियों, ऋद्धि-सिद्धियों, विभूतियों और बलों की उपलब्धि होनी चाहिए, वह भी नहीं हो सकती ।

अहिंसा के पूर्ण उपासकों की भिक्षाविधि

पिछले सूत्रपाठ में अहिंसा के विशिष्ट आचरणकर्ताओं की सूची दी गई है । अब आगे के सूत्रपाठ में शास्त्रकार अहिंसा के पूर्ण उपासकों की भिक्षाचर्या कैसी होनी चाहिए ? इसका निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

इमं च पुढवि-अगणि-मारुय-तरुगण-तस-थावर सव्वभूयसंयम-दयट्टयाते सुद्धं उंछ गवसियव्वं अकतमकारियमणाहूयमणुदिट्ठं अकीयकडं, नवहि य कोडिहि सुपरिसुद्धं, दसहि य दोसेहि विप्प-मुक्कं, उग्गमउप्पायणोसणासुद्धं, ववगयचुयचावियचत्तदेह च, फासुयं च, न निसज्जकहापओयणक्खासुओवणोयंति, न तिगिच्छा-मंत-मूल-भेसज्जकज्जहेउं, न लक्खणुप्पायसुमिणजोइसनिमित्तकहकप्पउत्तं । नवि डभणाए, नवि रक्खणाते, नवि सासणाते, नवि दंभण-रक्खण-सासणाते भिक्खं गवेसियव्वं । नवि वंदणाते, नवि माणणाते, नवि पूयणाते, नवि वंदणमाणणपूयणाते भिक्खं गवेसियव्वं । नवि हील-णाते, नवि निंदणाते, नवि गरहणाते, नवि हीलणनिंदणगरहणाते भिक्खं गवेसियव्वं । नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते, नवि भेसणतज्जणतालणाते भिक्खं गवेसियव्वं । नवि गारवेषं, नवि कुहणयाते, नवि वणिमयाते, नवि गारवकुहणवणीमयाए भिक्खं गवेसियव्वं । नवि मित्तयाए, नवि पत्थणाए, नवि सेवणाए, नवि मित्तपत्थणसेवणाते भिक्खं गवेसियव्वं । अन्नाए, अगद्धिए, अकुट्ठे, अदीणे, अविमणे, अकलुणे, अविसाती, अपरितंतजोगी, जयण-घडणकरणचरियविणयगुणजोगसंपउत्ते भिक्खू भिक्खासणाते निरते ।

इमं च एां सव्वजगजीवरक्खणदयट्टाते पावयएणं भग्गवक्ख

सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभावियं आगभेसिभद् सुद्धं नेयाउयं अकु-
डिलं अणुत्तरं सव्वदुक्खपावाण विउसमणं ॥ (सू० २२)

संस्कृतच्छाया

अयं च पृथिव्युदकाग्निमासुततरुगणत्रसस्थावरसर्वभूतसंयमदयार्थं शुद्ध उच्छ्रो गवेषयितव्यः, अकृतोऽकारितोऽनाहृतोऽनुद्दिष्टोऽश्रीतकृतो नवभिरश्च कोटिभिः सुपरिशुद्धो, दशभिर्दोर्वैचिप्रमुक्तः, उव्वगभोत्पादनैषणा शुद्धो, व्यपगत-
च्युतच्छायावितत्यक्तदेहश्च प्रासुकश्च । न निषेधकथाप्रयोजनाख्याभूतोपनीतमिति, न चिकित्साभंत्रमूलभैषज्यकार्यहेतुं, न लक्षणोत्पातस्वप्नज्योतिषनिमित्तक-
कथाकुहकप्रयुक्तं । नापि बन्धनया, नापि रक्षणया, नापि शासनया, नाऽपि
बन्धनरक्षणशासनया भैक्षं गवेषयितव्यम् । नापि बन्धनया, नापि माननया,
नापि पूजनया, नापि बन्धनमाननपूजनया भैक्षं गवेषयितव्यम् । नाऽपि हीलनया,
नाऽपि निन्धनया, नापि गर्हणया, नापि हीलननिन्धनगर्हणया भैक्षं गवेषयि-
तव्यम् । नापि भेषणया, नापि तर्जनया, नापि ताडनया, नापि भेषणतर्जनताडनया
भैक्षं गवेषयितव्यम् । नापि गौरवेण, नापि कुघनतया (श्लोघनतया), नापि
बनीपकतयाः, नापि गौरवकुघनना (श्लोघना)बनीपकतया भैक्षं गवेषयित-
व्यम् । नापि मित्रतया, नापि प्रार्थनया, नापि सेवनया, नापि मित्रत्वप्रार्थन-
सेवनया भैक्षं गवेषयितव्यम् । अज्ञातोऽप्रथितो (अगृह्यो) ऽद्विष्टो (अबुष्टो)
ऽहीनोऽदिमना, अकरुणोऽधिवादी, अपरितान्तयोगी, यतनघटनकरणचरित-
विनयगुणयोगसम्प्रयुक्तो मिश्रभैक्षं षणायां निरतः ।

इदं च सर्वजगज्जीवरक्षणवयार्थं प्रावचनं भगवता सुकथितमात्महितम्
प्रेत्यभाविकम्, आगमिष्यद्भद्रम्, शुद्धम्, नैयायिकम्, अकुटिलम्, अनुत्तरम्, सर्व-
दुःखपापानां व्युपशमनम् ॥ सू० २२ ॥

प्रवाचवयार्थं—(इमं) यह, (अकृतमकारियमनाहृतमनुद्दिष्टं) साधु के लिए
नहीं किया गया, ब्रह्मरों से नहीं बनवाया हुआ, गृहस्थ द्वारा निषंत्रण दे कर या पुनः
बुला कर नहीं किया हुआ, साधु को लक्ष्य करके नहीं बनाया हुआ, (अकीयकर्म) साधु
के निमित्त खरीद करके नहीं किया हुआ, (य) और (नवहिं कोटिहिं सुपरिशुद्धं)
नौ—तीन करण—कृतकारितअपुनोदनरूप और तीन बोध—मनवचनकायात्म से
प्रत्याप्यान के नौ चेतों—कोटियों से अच्छी तरह शुद्ध, (य) और (दसहिं दोसेहिं
विष्णुप्रसक्तं) संकित आदि दस बोधों से सर्वथा रहित, (उव्वगभद्व्यायजेसजाशुद्धं)

१६ उद्गम के, १६ उत्पादना के और वस एवमा के दोनों से रहित शुद्ध (वचनय-भुय-वाविय-वसवेहं) दाता के द्वारा देय (बी जाने वाली) वस्तु स्वयं ही अर्चित हो या दूसरे के द्वारा अर्चित की गई हो, अथवा दाता द्वारा देय द्रव्य से जन्मु पृथक् किए हों या कराये गए हों तथा जिस देय वस्तु से स्वयमेव जीव पृथक् हो गए हों, ऐसे (ब) और (कासुयं) प्रासुक अर्चित, (सुदं) भिक्षा के दोनों से रहित शुद्ध, (उंछ) भिक्षात्र की (गवेसियब्बं) गवेषणा—शोध करनी चाहिए। यानी ऐसा एषणाशुद्ध आहार ग्रहण करने योग्य है। किन्तु (निसज्जकहा—पथोयवक्खा-सुओवणीयंति) गृहस्थ के घर आसन पर बैठ कर धर्मकथा के प्रयोजनरूप आख्याओं -- कहानियों के सुनाने से गृहस्थ द्वारा दिया गया अन्न (न) न हो। (तिविच्छामंत-मूलभेसज्जकज्जहेवं) चिकित्सा, मंत्र, जड़ीबूटी, औषध आदि के कार्य के हेतु (न) न हो, (लक्खणुप्पायसुमिण-जोइस-निमित्त-कहकुहकप्पउत्तं) स्त्रीपुरुष आदि के शुभा-शुभसूचक लक्षण—चिह्न, उत्पात—भूकम्प, अतिवृष्टि, बुष्काल आदि प्रकृतिकार, स्वप्न, ज्योतिष—ग्रहविचार, मुहूर्त, फलित आदि शुभाशुभनिमित्तसूचक शास्त्र, तथा विस्मय उत्पन्न करने वाले चामत्कारिक प्रयोग या जादू के प्रयोग के कारण दिया गया (न) न हो। (उंभणाए वि) दम्भ से लिया हुआ भी (न) न हो, (रक्खणा-ए वि) दाता के पुत्र आदि को रखने या उसकी रक्षा करने के निमित्त से प्राप्त भी (न) न हो। (सासणाए वि) पुत्र आदि को सिखा देने या पढ़ाने के निमित्त से भी (न) न हो, (बंधरक्खणसासणाए) दम्भ, रक्षा और शिक्षा इन तीनों निमित्तों से प्राप्त (भिक्षं) भिक्षा का (न वि गवेसियब्बं) गवेषण—ग्रहण नहीं करना चाहिए। (बंधणाते वि) गृहस्थ का अभिवादन या उसकी स्तुति करने से प्राप्त भी (न) नहीं, (भाणणाते वि) गृहस्थ का सत्कार-सम्मान करके भी (न) नहीं, (पुयणाए वि) पूजा—सेवा करके भी (न) नहीं, (बंधणमाणयपुयणाते वि) स्तुति-अभिवादन, सत्कारसम्मान और पूजा—सेवा करके भी (भिक्षं न गवेसियब्बं) भिक्षा की गवेषणा नहीं करना चाहिये। (हीलणाते वि) जाति आदि की अपकीर्ति—बदनामी करके भी (न) नहीं, (निदणाते वि) दाता के सामने उसकी निन्दा करके भी (न) नहीं, (गरहणाते वि) लोगों के सामने दाता के अधपुण प्रकट करके भी (न) नहीं, (हीलणनिदणगरहणा-तेवि) हीलना, निन्दा और गर्हणा—धर्सेना करके भी, (भिक्षं न गवेसियब्बं) भिक्षा की गवेषणा नहीं करनी चाहिये। (नेसणाते वि) दाता को डरा कर—भय विद्या कर

भी (न) नहीं, (सञ्जघाते वि) डाँटझपट कर या धमकी दे कर भी (न) नहीं (ताड-
घाते वि) थप्पड़, मुक्के, लाठी आदि से पीट कर भी (न) नहीं, (सेष्यतस्त्वज्जघात-
घाते वि) ध्य विद्या कर, तर्जन और ताड़न करके भी (भिक्षं न गवेसियञ्चं) भिक्षा
की गवेषणा न करनी चाहिए। (गारवण वि) श्रद्धा, रस और साता के गौरव-
अभिमान से भी (न) नहीं, (कुहणयाए वि) दरिद्रता प्रकट करके या मायाचार करके
भी अथवा क्रोध प्रगट करके भी (न) नहीं, (वणीमयाते वि) भिक्षारी या याचक की
तरह बीनता प्रकट करके भी (न) नहीं, (गारवकुहणवणीमयाए वि) गौरव-घमंड,
दरिद्रघ या दम्भाचार और बीनता इन तीनों को विद्या कर भी (भिक्षं न गवेसियञ्चं)
भिक्षा की गवेषणा नहीं करनी चाहिये, (मितयाएवि) मित्रता द्वारा भी (न) नहीं,
(पस्थणाएवि) प्रार्थना—अनुनयविनय करके भी (न) नहीं, (सेवणाएवि) सेवा करके
भी (न) नहीं (मितपस्थणसेवणाएवि) मित्रता, प्रार्थना और सेवा इन तीनों द्वारा
भी, (भिक्षं न गवेसियञ्चं) भिक्षा की गवेषणा नहीं करनी चाहिए। (अभ्राए)
स्ववनादि सम्बन्धों का परिचय न दे करके अज्ञात रूप से, (अगडिए) सम्बन्ध ज्ञात हो
जाने पर भी आहारादि में अप्रतिबद्ध या झूछारहित, (अकुट्टे) आहार या दाता
पर द्वेषभाव से या कुट्टभाव से रहित, (अदीणे) दैन्य-शोभ से रहित, (अविमणं)
भोजनादि न पाने पर मन में अविह्वल—या स्लानिरहित, (अकसुणे) अपने में हीन-
भाव ला कर दयनीयता से रहित, (अविसातो) विषादयुक्त वचन से युक्त, (अपरितंत-
जोगी) निरन्तर मन, वचन और काया को शुभ अनुष्ठान में लगाता हुआ, (जयण-
घडण-करण-वरिय-विणयगुणजोगसंपजसे) यत्न—प्राप्त संयमयोग में उद्यम, अप्राप्त
योगों की प्राप्ति के लिए चेष्टा, विनय के आचरण और क्षमादि गुणों के योग से युक्त
(भिक्षू) भिक्षाजीवी साधु (भिक्षेसणाते) भिक्षा की शुद्ध एषणा में (निरते) निरत-
तत्पर हो।

(इमं चणं) और यह शुद्ध भिक्षा आदि गुणों के प्रतिपादनरूपपूर्वक (पावयणं)
प्रवचन—सत्यसिद्धान्त (मगवया) अमण भगवान् महावीर ने (सम्बजगजीवरक्खणवयट्ठाते)
सारे जगत् के जीवों को रक्षाकूप दया के लिए (सुक्कहियं) बलीर्षाति कहा है,
जो (असहियं) आत्मा के लिए हितकर है, (पेक्खाभाविणं) जन्मान्तर—दूसरे
जन्मों में शुद्ध फल के रूप में परिणत होने से भाविक है, (आगमेसिभइं)
आगामीकाल में कल्याणकारी है, (शुद्धं) निर्दोष है, (मेयाउयं) म्याययुक्त है,
(अकुडिलं) भोज के लिए सरल है, (अनुत्तरं) सबसे उत्कृष्ट है, (सम्बदुक्खपायाण
विउसमणं) समस्त दुःखों और पापों का उपशम करने वाला है।

मूलार्थ—जो आहार साधु के लिए नहीं बनाया गया हो, दूसरों से बनवाया हुआ न हो, गृहस्थ द्वारा पहले निमंत्रण दे कर फिर बुला कर दिया हुआ न हो, साधु को लक्ष्य करके बनाया हुआ न हो, साधु के निमित्त खरीद कर लाया हुआ न हो, तथा तीन करण और तीन योग से प्रत्यास्थान की नौ कोटियों से अच्छी तरह शुद्ध हो, शक्ति आदि १० दोषों से रहित हो, उद्गम, उत्पादना और एषणा के दोषों से रहित हो, तथा दाता द्वारा देय वस्तु स्वयं अचित्त हो गई हो, या दूसरे से अचित्त कराई गई हो, या आगामी उत्पन्न होने वाले कृमियों से रहित हो, दाता ने देय वस्तु के जन्तु स्वयं पृथक् किये हो, दाता ने देय वस्तु के जीव दूसरों से पृथक् कराये हों, तथा जिस देय वस्तु के जीव स्वयमेव पृथक् हों, ऐसा प्रामुक—अचित्त भिक्षा के दोषों से रहित सर्वथा शुद्ध भिक्षान्न ही गवेषणा—ग्रहण करने योग्य है। किन्तु गृहस्थ के घर में भिक्षा के समय आसन पर बैठ कर घर्मकथा के प्रयोजनरूप किस्से—कहानियाँ सुनाने से प्राप्त भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार चिकित्सा, मंत्रप्रयोग, जड़ीबूटी, औषधि आदि बता कर उसके निमित्त से प्राप्त भिक्षा भी ग्राह्य नहीं है। स्त्री-पुरुष आदि के शुभाशुभसूचक लक्षण, हस्तरेखा, भ्रुकम्प आदि उत्पात, स्वप्नफल, ज्योतिषविद्या, शुभाशुभसूचक निमित्तशास्त्र तथा कथा पुराणादि से या विस्मय पैदा करने वाले जादू आदि के प्रयोग से प्राप्त भिक्षा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। दम्भ से प्राप्त भिक्षा भी नहीं, दाता के पुत्र या पशु आदि की रखवाली करने से प्राप्त भी नहीं, शिक्षा देने के निमित्त से भी प्राप्त होने वाला भिक्षान्न न हो, तथा दम्भ से, रक्षा से और शिक्षा से इन तीनों से प्राप्त भिक्षा की भी गवेषणा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को बन्दना या स्तुति करके भी भिक्षा न ले, सत्कार-सम्मान करके भी भिक्षा न ले, एवं उसकी पूजा—सेवा करके भी भिक्षा न ले, तथा गृहस्थ की स्तुति, सत्कार और पूजा इन तीनों से उपलब्ध भिक्षा भी ग्रहण नहीं करनी चाहिये। जाति आदि की बदनामी करके भी भिक्षा न ले, दाता की निन्दा करके भी आहार न ले, लोगों के सामने दाता के अवगुण प्रगट करके भी आहार न ले, तथा दाता की ह्येसना, निन्दा और गर्हा इन तीनों को एक साथ करके भी भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दाता को डरा कर भिक्षा लेना ठीक नहीं, न उसे घमका कर या डांट कर भिक्षा लेना उचित है, और न ही उसे मारपीट करके भिक्षा मांगना उचित है। भयभीत, डांटबपट

और मारपीट तीनों एक साथ करके भी भिक्षा नहीं मांगना चाहिये । अपनी ऋद्धि आदि का गौरव—घमंड बता कर भिक्षा लेना ठीक नहीं, न दरिद्रता प्रगट करके या धूर्तता करके भिक्षा मागना उचित है और न ही याचक या भिखारी की तरह दीनता प्रगट करके भिक्षा लेना अच्छा है, तथा घमंड, दरिद्रता या धूर्तता और भिखारी तरह चापलूसी करके भी भिक्षा न मांगना चाहिए । अपनी मैत्री बता कर भी भिक्षा लेना ठीक नहीं, न किसी से प्रार्थना करके भिक्षा ग्रहण करना उचित है, और न ही गृहस्थकी सेवा - पगचंपी आदि करके ही भिक्षा लेना ठीक है तथा मित्रताप्रदर्शन, प्रार्थना और सेवा तीनों एक साथ करके भी भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिये । किन्तु स्वजनादि सम्बन्धो का, अपना परिचय न देते हुए अज्ञातरूप हो कर, सम्बन्ध ज्ञात हो जाने पर भी अप्रतिबद्ध—लाग लपेट से रहित या सूच्छरिहित, आहार या दाता के प्रति द्वेषभाव या दुष्ट भाव से रहित, दैन्यरहित, भोजनादि न मिलने पर मन में भी विकारभाव से रहित, अकरुण, विषादरहित तथा प्राप्त संयम योग में प्रयत्न से और अप्राप्त योगो को प्राप्त के लिए चेष्टा से, विनय के आचरण से एवं क्षमादि गुणो के योग से युक्त होकर भिक्षु भिक्षाचर्या की शुद्ध एषणा में रत रहे ।

यह प्रवचन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने सारे जगत् के जीवो की रक्षारूप दया के लिए भलीभांति कहा है, जो आत्मा के लिए हितकर है, जन्मान्तर में शुद्ध फलदायक है, भविष्य में कल्याणकारी है, निर्दोष है, न्याय-युक्त है, मोक्ष के लिए सरल है, सबसे उत्कृष्ट है और सभी दुःखो और पापो को उपशान्त करने वाला है ।

व्याख्या

अहिंसा के विशिष्ट आचरणकर्ताओ का पिछले सूत्रपाठ में उल्लेख करने के बाद शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में अहिंसा की उच्च साधना करने वाले मुनियो की भिक्षाविधि का स्पष्ट निरूपण किया है । यद्यपि सूत्रपाठ का अर्थ मूलार्थ एव पदान्वयार्थ से बहुत कुछ स्पष्ट है; तथापि कई शब्दो पर विवेचन करना आवश्यक है । इस-लिए नीचे उन पर विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षाचर्या की विधि का निर्देश क्यों ?—इस सूत्रपाठ को देख कर सर्वप्रथम ये प्रश्न उठते हैं कि अहिंसा के वर्णन के साथ भिक्षा-विधि के निर्देश का क्या मेल है ? क्या भिक्षाविधि के बिना अहिंसा का पालन नहीं

हो सकता ? क्या अहिंसा के आचरण के लिए अमुक प्रकार की भिक्षाविधि अनिवार्य है ? इन सब प्रश्नों का समाधान यह है कि अहिंसा की पूर्णता मन-वचन-काया से कृत, कारित और अनुमोदन रूप हिंसा का सर्वथा त्याग करने और इन्हीं नौ कोटियों से शुद्ध अहिंसा का पालन करने में है। इस प्रकार की पूर्ण अहिंसा का पालन घर बार व कुटुम्बकबीलो का ममत्व छोड़ कर, पचन-पाचन, ऋयविक्रय, घर, मकान या सामान का परिग्रह (ममत्व) छोड़ कर, पचमहाव्रतधारी साधु या साध्वी बने बिना नहीं हो सकता। अगर अहिंसा का पूर्ण उपासक घर में ही रहेगा, गृहस्थ बना रह कर ही अपने परिवार, जाति, जमीनजायदाद आदि से लगाव रखेगा तो उसे पचन-पाचन, ऋयविक्रय या आजीविका के लिए आरम्भसमारम्भपूर्ण श्रम, मकानादि बनाने के लिए आरम्भसमारम्भ आदि करना पड़ेगा या इन कार्यों को कराना पड़ेगा। और भोजन बनाने, कृषि करने, या जीविकार्य अन्य आरम्भपूर्ण श्रम करने में हिंसा होना अनिवार्य है। हालांकि वह हिंसा संकल्पजा नहीं होती, आरम्भजा ही होती है, मगर आरम्भजा हिंसा भी तो हिंसा ही है। वह अणुव्रती गृहस्थ श्रावक के लिए तो सर्वथा वर्ज्य नहीं है। उस (श्रावक) अवस्था में भी मर्यादित अहिंसा का तो पालन किया जा सकता है; लेकिन गृहस्थ जीवन में कतिपय अनिवार्य हिंसाओं के रहते पूर्ण अहिंसा पालने का दावा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अहिंसा का सागोपाग पूर्णरूप से पालन करने के लिए महाव्रत-धारण करना आवश्यक है। महाव्रतो में सर्वप्रथम अहिंसामहाव्रत आता है। महाव्रत धारण कर के मुनि बन जाने के बाद भी जीवननिर्वाह की समस्या तो उसके सामने भी रहती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को तो वह भी नहीं टुकरा सकता। जीवननिर्वाह के लिए सर्वप्रथम भोजन आवश्यक है। भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता। और धर्म-पालन करने के लिए शरीर को टिकाना आवश्यक है। भोजन के अलावा भी साधु को अपनी जीवनयात्रा के लिए वस्त्र, पात्र, ग्रन्थ-शास्त्र आदि की आवश्यकता रहती है। इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण अहिंसक बना हुआ महाव्रती अपरिग्रही साधु न तो कोई चीज खरीद सकता है, न खरीदवा सकता है और न ही जमीनजायदाद आदि रख कर या धंधा अथवा नौकरो करके बदले में भोजनादि पाने का आरम्भजन्य श्रम कर सकता है। इसी प्रकार भोजनादि पाने के लिए वह खेती भी कर या करवा नहीं सकता है और न स्वयं भोजन पका सकता है, न अपने लिए पकाने का कह सकता है और न पकाने वाले का समर्थन ही कर सकता है।

ऐसी हालत में अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा के रूप में थोड़ा-थोड़ा भोजनवस्त्रादि ग्रहण करने के सिवाय साधुवर्ग के सामने और कोई रास्ता नहीं रह जाता। भिक्षु बन जाने पर उसे भिक्षा का

अधिकार भी मिल जाता है। इसी उद्देश्य को ले कर महाव्रती पूर्ण अहिंसक साधु के लिए भिक्षाचर्या का अनिवार्य विधान किया गया है। इसी कारण अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने के हेतु भिक्षाजीविता अनिवार्य है। क्योंकि तभी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु होने वाली पूर्वोक्त आरम्भजन्य हिंसा से बच सकता है, अपने शरीर को भी टिकाए सकता है तथा उससे धर्मपालन भी कर सकता है।

जब साधु के लिए भिक्षाचरी अनिवार्य है, तब उसे यह भी देखना आवश्यक होगा कि हिंसा के जिन (पूर्वोक्त) दोषों से बचने के लिए उसने भिक्षावृत्ति स्वीकार की है; वे ही दोष भिक्षाचरी में पुनः न आ सकें। अन्यथा, निकालने गए बिल्ली को, घुस गया ऊंट वाली कहावत चरितार्थ होगी। जिस आरम्भजन्य हिंसा के डर से भिक्षावृत्ति का सहारा लिया; उसमें और अधिक आरम्भजन्य हिंसा होने लगेगी। क्योंकि गृहस्थजीवन में रहते हुए तो एक ही घर से सीमितमात्रा में आरम्भजन्य हिंसा से काम चल जाता, परन्तु साधु तो विश्वकुटुम्बी बन जाता है और उसके प्रति लोकश्रद्धा भी उमड़ने लगती है। साधु अपनी भिक्षाचरी में अगर पूर्वोक्त आरम्भजन्य हिंसा से बचने का ध्यान नहीं रखेगा तो साधु कहे, चाहे न कहे, उसे जरूरत हो, चाहे न हो, अपनी श्रद्धाभक्तिवश कई श्रद्धालु गृहस्थ अपने-अपने घरों में उसके लिए स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन तैयार करने लगेंगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे आरम्भजन्य हिंसा की परवाह नहीं करेंगे। फिर कई श्रद्धालु या भावुक गृहस्थों को चमत्कार बता कर यज्ञ, मन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष आदि के सहारे गृहस्थों का सांसारिक कार्य करके या दुनियादारी के चक्कर में फस कर साधुवर्ग उनसे अपनी मनचाही आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगेगा। ऐसी दशा में गृहस्थजीवन में होने वाले आरम्भ से भी कई गुना अधिक आरम्भ साधु की भिक्षाचरी के साथ बढ़ जायगा।

इसी दूरगामी परिणाम को दृष्टिगत रख कर शास्त्रकार ने अहिंसा के निरूपण के साथ भिक्षाचरी की विधि और भिक्षाचरी में होने वाले दोषों से बचने का निर्देश किया है, जो समुचित जान पड़ता है, जिससे कि पूर्ण अहिंसामहाव्रती साधु भिक्षाचरी में सभावित उक्त हिंसाजनक दोषों से बच सकें और अहिंसा का पूर्णतः पालन करने में सफल हो सकें।

इन सब कारणों से अहिंसा के निरूपण के साथ शास्त्रकार ने भिक्षाविधि के विषय में अंगुलिनिरदेश किया है—'इदं च पुत्रविद्ययाभग्नित्वास्त्यतस्वगतसंघावरसम्भूयसंजमवदृष्टाते सुखं उच्छं नवैसियन्त्वं।' इसका आशय यह है कि साधु पृथ्वीकाय आदि पांच स्यावरों और द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवों—यानी छोटी काय के जीवों की हिंसा का नवकोटि (तीन करण और तीन योग) से त्याग करते हैं। वे विश्व के प्राणिमात्र के रक्षक

साधु मन-वचन-काया से न तो किसी जीव को स्वयं पीड़ा पहुंचाते हैं, न किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने की दूसरो को प्रेरणा करते हैं, और न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने की अनुमोदना करते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि द्रव्य और भाव से अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने की दृष्टि से साधुओं को आहार-पानी या धर्मपालन के लिए शरीर-धारणार्थ अन्य उपयोगी वस्तु शुद्धरूप से भिक्षाविधि के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। उन्हें यह अन्वेषणा-गवेषणा करनी चाहिए कि भिक्षा के रूप में प्राप्त होने वाली इन चीजों के पीछे कहीं हमारे निमित्त से किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं हुई है? क्योंकि गृहस्थ लोगो द्वारा श्रद्धाभक्तिवश साधु को भोजनादि द्रव्य देने के हेतु पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवों की विराधना संभव है, कहीं द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवो को भी पीड़ा पहुंचनी संभव है। इसलिए साधु गवेषणा करके निर्वोष भिक्षा ही ग्रहण करे।

निर्वोष भिक्षा कैसी होती है?, इसके लिए शास्त्रकार स्वयं कहते हैं—
 'अकलमकारियमणाह्वयमणुद्विटं अकीयकडं नवहि य कोडिहिं सुपरिशुद्धं।' इसका आशय यह है कि भिक्षाप्राप्त भोजनादि पदार्थ भिक्षु ने स्वयं न बनाया हो, न साधु के द्वारा दूसरो को प्रेरणा दे कर बनवाया हो, न वह पदार्थ साधु को पहले आमत्रण दे कर तैयार किया गया हो, और न ही किसी साधु को लक्ष्य करके बनाया गया हो। इसी प्रकार वह भोजनादि पदार्थ साधु के लिए ही खरीद कर तैयार किया हुआ भी न हो। सारांश यह है कि जो भोजनादि पदार्थ साधु को भिक्षा के रूप में ग्रहण करना है, वह निम्नोक्त नवकोटि से विशुद्ध होना चाहिए—१ साधु न स्वयं जीव का घात करते हैं, २ न दूसरो से घात करवाते हैं, और ३ न घात करने वाले का अनुमोदन करते हैं; ४ वे न स्वयं पकाते हैं, ५ न दूसरो से पकवाते हैं, और ६ न पकाने वाले की अनुमोदना करते हैं, ७ वे न स्वयं खरीदते हैं, ८ न दूसरो से खरीदवाते हैं, और ९ न ही खरीदने वाले की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि वे मन, वचन और काया से कृत, कारित और अनुमोदन के रूप में हिंसा के त्यागी होते हैं। भिक्षा के रूप में प्राप्त वह पदार्थ उपर्युक्त नौ कोटियों में से किसी भी कोटि द्वारा दूषित न हो, तभी नवकोटिपरिशुद्ध आहार कहलाता है। इस तरह से नवकोटिपरिशुद्ध भिक्षा प्राप्त पदार्थ ग्रहण करने का ध्यान नहीं रखा जायगा तो साधु हिंसा के दोष से बच नहीं सकेगा, न पूर्ण अहिंसापालन का दावा कर सकेगा।

भिक्षा के समय लगने वाले १० एषणा के श्लोक—भिक्षा लेते समय निम्नोक्त दस एषणा के दोषों के लगने की संभावना है। इसके लिए यह शायी प्रस्तुत है—

‘संकियमक्खियमिक्खित्तपिहिय-साहरियववपुम्मीसे ।

अपरिकयत्तित्तच्छिड्ढय-एसवधोत्ता वत्त ह्वत्ति ॥’

अर्थात्—'१ शक्ति, २ अक्षित, ३ निक्षिप्त, ४ पिहित, ५ संहृत, ६ दायकदुष्ट, ७ उन्मिष, ८ अपरिणत, ९ लिप्त और १० छदित (त्यक्त), ये दस एषणा के दोष हैं।'

शक्ति दोष वहाँ होता है, जहाँ दाल, चावल आदि अशन, दूध आदि पान, मोदक आदि खादिम और इलायची, सुपारी आदि स्वादिम, इन चारों प्रकार के आहारों में से दाता द्वारा दिये जाने वाले किसी भी भोज्य पदार्थ में शका हो जाय कि आगमानुसार यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है या नहीं? और ऐसा संदेह हो जाने पर भी उस वस्तु को ग्रहण कर लिया जाय।

जल आदि सचित्त पदार्थों से अक्षित—स्निग्ध हाथ, बर्तन या कड़छी आदि द्वारा आहारादि ले लेना अक्षित दोष है।

सचित्त पृथ्वी, जल, अग्नि, हरितकाय, बीज या द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों पर रखा हुआ आहारादि ग्रहण कर लेना निक्षिप्त दोष है।

सचित्त जल या हरे पत्ते आदि वनस्पति से ढका हुआ आहारादि पदार्थ ग्रहण कर लेना पिहित दोष है।

दाता द्वारा बिना देखे-भाले शीघ्रता से बर्तन आदि उधाड़ कर दिया हुआ आहार आदि ले लेना संहृत दोष है।

दाता यदि अत्यन्त मन्हा बालक हो, अत्यन्त अशक्त या वृद्ध हो, जिसके हाथ-पैर काँप रहे हो, भोजन करते-करते बीच में ही कच्चे पानी से हाथ धो कर देने को उद्यत हो, आसन्न प्रसवा गर्भवती हो, अन्धा या अन्धी हो, ऊँचे विषम स्थान पर बैठी हो, मुह से फूँक मार कर आग सुलगा रही हो, लकड़ियाँ डाल कर आग जला रही हो, लकड़ी जलाने के लिए चूल्हे में सरका रही हो, राख से आग को ढक रही हो, जल आदि से आग बुझा रही हो, या अन्य कोई अग्नि से सम्बन्धित कार्य कर रही हो, स्नान कर रही हो, या सचित्त वस्तु से सम्बन्धित कोई भी कार्य कर रही हो, तो उस दात्री या ऐसे दाता के द्वारा दिया हुआ आहारादि पदार्थ ले लेना दायकदोष कहलाता है। सचित्त जल, पत्ते, फल, फूल आदि हरितकाय, गेहूँ, चने आदि बीज तथा द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव इन पाचों में से किसी भी किस्म के जीवों से मिश्रित आहार दाता से ले लेना उन्मिष दोष है।

तिल, चावल आदि के घोंवन का जल, उष्णजल, चने, तुप आदि का घोया हुआ जल, हरे आदि के चूर्ण से मिश्रित जल या और भी किसी चीज का जल, जो अच्छी तरह बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श से परिणत न हुआ हो, उस अप्रासुक जल को ग्रहण करने से अपरिणत दोष लगता है। गेरू, हड़ताल, खड़िया, मँसिल, बिना छड़े चावल और पत्ते आदि के हरे श्राक से लिप्त हाथ या बर्तन या सचित्त जल से भीगे हुए हाथ या बर्तन द्वारा आहारादि देने पर लेने से लिप्त दोष लगता है।

दाता के हाथ से जमीन पर नीचे टपकती हुई या गिरती हुई भोजनादि वस्तु को लेना छदित दोष है ।

ये दस एषणा के दोष हैं, इनसे भिक्षाजीवी साधु को बचना चाहिए । इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है—'बसहि य बोसेहि विष्यमुषके उग्गम-उप्पायणेसणामुद्ध'—इसका आशय यह है कि साधु के द्वारा भिक्षा के रूप में लिया जाने वाला आहारादि पदार्थ एषणा के दस दोषों से मुक्त होना चाहिए । इस प्रकार उद्गम के सोलह और उत्पादना के सोलह, इन बत्तीस दोषों से भी रहित शुद्ध होना चाहिए ; तभी वह साधु अहिंसा का शुद्ध आचरण कर सकेगा । अब क्रमशः हम इन ३२ दोषों के नाम और संक्षेप में उनका लक्षण बताएँगे ।

उद्गमदोष और उनका स्वरूप—इनका उद्गम नाम इसलिए रखा गया है कि आहार की उत्पत्ति के समय गृहस्थ दाता द्वारा ये दोष सेवन किये जाते हैं, साधु बिना गवेषणा—छान बीन किए ही अगर आहार ले लेता है तो उसे ये दोष लगते हैं और उसकी वह भिक्षा अशुद्ध हो जाती है ।

१६ उद्गमदोषों को बताने के लिए निम्नोक्त गायार्ण प्रस्तुत है—

आहाकम्मुद्देसिय पूइकम्मे य भीसजाए य ।

ठवणा पाहुडियाए पाओयरकीयप्पामिक्खे ॥१॥

परियट्टिए अब्भिह्वेडिब्भिन्ने मालाह्वे इय ।

अच्छिञ्जे अबिसट्ठे अञ्जोयरए सोलस पिड्डगमे बोसा ॥२॥

अर्थात्—१ आघाकर्मिक, २ औद्देशिक, ३ पूतिकर्म, ४ मिश्रजात, ५ स्थापना, ६ प्राभृतिक, ७ प्रादुष्करण, ८ क्रीत, ९ प्रामित्य, १० परिवर्तित, ११ अभिहृत, १२ उद्भिन्न, १३ मालाहृत, १४ आच्छिद्य, १५ अनिसृष्ट और १६ अद्यवपूरक, ये १६ उद्गमदोष हैं ; जो पिंड आहार की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैं और दाता से होते हैं ।

आघाकर्मिक—साधु के निमित्त गृहस्थ द्वारा मन में आधान—धारणा बना लेना कि आज मुझे अमुक साधु के लिए भोजनादि बनाना है, इस प्रकार मन में तय कर लेना और फिर तदनुसार क्रिया करना, आघा कर्म है और आघाकर्मनिष्पन्न उक्त आहार को ग्रहण कर लेना आघाकर्मिक दोष कहलाता है । इसे अधःकर्म भी कहते हैं, उसका अर्थ होता है—संयम से अधःपतन कराने वाला आहारग्रहणदोष ।

औद्देशिक—गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि के साथ पहले या बाद में साधुओं के उद्देश्य से अधिक तैयार किये गए आहारादि ग्रहण करना औद्देशिक दोष है । औद्देशिक दोष दो प्रकार से होता है—ओषरूप से और विभाग-रूप से । बहुत से भिक्षाजीवियों को देख कर 'भिक्षाचर तो बहुत हैं, कितनों को दोगे,—इस प्रकार मन में सोच कर जिस बर्तन में चावल पक रहे हों, उसमें अपने और दूसरे के उचित अंश का विभाग किए बिना ही कुछ अधिक चावल डाल देना और साधु द्वारा

उसमें से कुछ ले लेना, ओषरूप से—सामान्यरूप से औद्देशिक है। किन्तु जहाँ अपने लिए इतना, साधु, बाबा, परिव्राजक या तापस के लिए इतना, इस प्रकार ठीक विभाग करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन विभागरूप से औद्देशिक है। बाबाओं के लिए, भिखारियों या कंगलों के लिए उनके नाम से अलग निकाल कर किया गया भोजन भी औद्देशिक कहलाता है। संक्षेप में औद्देशिक के ४ भेद हैं—उद्देश, समुद्देश, आदेश और समादेश। जितने भी भिक्षाचर हैं, उन सबको उद्देश्य करके गृहस्थ द्वारा बनाया गया भोजन उद्देश है, केवल अन्य वेष धारी बाबाओं को उद्देश्य करके बनाया गया भोजन समुद्देश है, जो भोजन बौद्ध भिक्षुओं, तापसों या परिव्राजकों के लिए सोच कर बनाया गया हो, वह आदेश है और जो केवल उच्च कोटि के निर्ग्रन्थ साधुओं को देने का संकल्प करके बनाया गया हो, वह आहार समादेश है। ये चार औद्देशिक दोष हैं।

पूतिकर्म—उद्गमादि दोषों से रहित अपने आप में शुद्ध आहारादि में अशुद्ध आघातमूर्तिदोषयुक्त आहारादि मिला कर गृहस्थ द्वारा साधु को देने पर वह आहार ले लेना पूतिकर्मदोष है।

मिश्रजात—अपने परिवार और साधु दोनों के लिए एक बर्तन में ही मिला कर बनाना और वह साधु को देना मिश्रजात दोष है। १—जितने भी याचक हैं, उनके लिए, २—पाखंडियों के लिए, ३—साधुओं के लिए, इस प्रकार क्रमशः यावदधिक-मिश्र, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र के रूप में यह दोष भी तीन प्रकार का है।

स्थापना—साधु को देने से पहले दूसरे को नहीं दूँगा, इस अभिप्राय से गृहस्थ द्वारा अपने यहाँ बना हुआ भोजन अलग ही स्थापित करके रख देना स्थापनादोष है। ऐसी स्थापना दो तरह से होती है—१—अपने स्थान पर चूल्हे या पतीली में स्थापित करना और दूसरे के स्थान पर अच्छे बर्तन आदि में स्थापित करना। यह द्विविध स्थापना दोष भी चिरकालिकी और इत्वरकालिकी के भेद से दो प्रकार का है।

प्राभृतकदोष—साधुओं को गाव में आये जान कर मेहुमान को आगे-पीछे करके दिए जाने वाले आहारादि के ग्रहण से प्राभृतकदोष होता है। यह दोष भी उत्कर्षण और अपकर्षण के भेद से दो प्रकार का है। जहाँ लग्न, उत्सव या पाहुने के आगमन का दिन साधु के आने पर आगे बढ़ा दिया जाय, वहाँ उत्कर्षणप्राभृतक है और जहाँ इनका दिन घटा दिया जाय यानी साधु के आने से पहले ही पूर्वोक्त उत्सवादि का दिन पहले की किसी तिथि को निश्चित कर लिया जाय, वहाँ अपकर्षण प्राभृतकदोष है।

प्राहुष्करण—अंधरी जगह में उजाला करके गृहस्थ द्वारा दिये जाने वाले आहार आदि के लेने से प्राहुष्करण दोष लगता है। यह भी दो तरह का है—संक्रमण और प्रकाशन। साधु के घर पर आने पर गृहिणी द्वारा भोजन या बर्तन आदि

अंधेरे से उजाले में लाना संक्रमण दोष है, जबकि साधु के आते ही दीपक संजो कर प्रकाश करना प्रकाशनदोष है ।

श्रीतदोष—गृहस्थ द्वारा साधु के लिए खरीदे गए वस्त्र, पात्र, भोजन आदि लेने से श्रीत दोष लगता है । श्रीत दोष के भी चार भेद हैं— आत्मद्रव्यश्रीत, परद्रव्यश्रीत, आत्मभावश्रीत और परभावश्रीत । भिक्षा के लिए संयमी के प्रवेश करने पर नाश आदि देकर बदले में लिया भोजन साधु को देना स्वद्रव्यश्रीत दोष है, दूसरों को साधु की महिमा बताकर उससे आहारादि कोई वस्तु खरीदवा कर साधु को देना परद्रव्यश्रीतदोष है । इसी तरह प्रकृति आदि बिद्या और शेटकादि मंत्रों के बदले में आहार स्वयं खरीद कर साधु को देना आत्मभावश्रीतदोष है, और उपर्युक्त बिद्या और मंत्रों के बदले में दूसरो से आहारादि खरीदवा कर साधु को देना परभावश्रीतदोष है ।

प्राप्तित्यदोष—साधु के लिए कोई वस्तु उधार ले कर गृहस्थ द्वारा देने से साधु को प्राप्तित्य दोष लगता है । इसके भी दो भेद हैं—सवृद्धिक और अवृद्धिक । कर्ज से अधिक देना सवृद्धिक है और जितना कर्ज लिया, उतना ही देना अवृद्धिक है ।

परिवर्तितदोष—एक गृहस्थ से दूसरे गृहस्थ ने साधु के लिए एक वस्तु के बदले भोजनादि दूसरी वस्तु ली हो ; उस वस्तु के लेने में साधु को परिवर्तितदोष लगता है ।

अभ्याहृतदोष—साधु के लिए गृहस्थ द्वारा सम्मुख लाए हुए आहारादि के लेने से साधु को अभ्याहृत दोष लगता है । इसके दो भेद हैं—आचीर्ण और अनाचीर्ण । कल्पनीय घरों से ला कर दिया हुआ आहार आचीर्ण है और अकल्पनीय घरों से ला कर दिया हुआ अनाचीर्ण है । इन दोनों के भी प्रच्छन्न और प्रकट तथा स्वग्राम और परग्राम के भेद से ५ भेद होते हैं । इनके अर्थ स्पष्ट हैं ।

उद्भिन्नदोष—मिट्टी, लाख आदि से लीपा हुआ या मुहर लगा कर अंकित किया हुआ औषध, धी, तेल, आदि द्रव्यों के बर्तन का लेप या मुखबंध आदि साधु के लिए तोड़ कर दिये जाने वाले पराथों के लेने से साधु को उद्भिन्न दोष लगता है । इसके भी दो भेद हैं—पिहितोद्भिन्न और कपाटोद्भिन्न । पिहितोद्भिन्न तो कुप्पी आदि का मुखबंध खोल कर या टीन आदि की सील तोड़ कर साधु को देने से लगता है, तथा कपाटोद्भिन्न वह दोष है, जहाँ वर्षों से बंद कपाट को खोल कर साधु को कोई पदार्थ देने से लगता है ।

मालापहृत-मालारोहणदोष—दाता यदि टेढ़ीमेढ़ी सीढ़ी या निःशंभी पर चढ़ कर अथवा ऊँचे ऊँड़-खाबड़—विषम स्थान पर चढ़ कर या नीचे तलघर में उतर कर आहारादि देने लगे तो उसके ग्रहण करने से साधु को यह दोष लगता है ; क्योंकि ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने आदि से दाता के गिर पड़ने, चोट लगने या प्राणहानि होने की संभावना है ; इसलिए यह दोष माना गया है ।

आण्डेखदोष—राजा, चोर, गैब का मुछिया या अन्य कोई बलवान् व्यक्ति

किसी निर्बलव्यक्ति या अपने नौकर आदि को उसकी दान देने की अनिच्छा होने पर भी डरा, धमका कर उससे जबर्दस्ती साधु को दिलावे या स्वयं छीन कर साधु को दे दे तो उसके लेने से साधु को आच्छेद्यदोष लगता है ।

अनिसृष्टदोष—भोजनादि किसी पदार्थ के मालिक द्वारा अपने अधीन नौकर, पुत्र, गुमाश्ते आदि को साधु को देने की मनाही होने पर भी यदि कोई भक्तिवश साधु को देने लगे तो वहाँ साधु द्वारा उस वस्तु को लेने पर अनिसृष्ट दोष लगता है । अनिसृष्ट के दो भेद हैं—ईश्वर और अनीश्वर । देयपदार्थ का मालिक देने की इच्छा करे, लेकिन मंत्री, गुमाश्ते आदि अपने मातहत नौकरो को मना करे तो उनसे लिया हुआ भोजन ईश्वर—अनिसृष्ट कहलाता है । स्वामी द्वारा निषिद्ध किया हुआ भोजनादि पदार्थ अन्य जनों द्वारा दिया जाय और उसे साधु ग्रहण कर ले तो अनीश्वर-अनिसृष्ट कहलाता है । इसी प्रकार साक्षी वस्तु उसके सब मालिकों की अनुमति के बिना लेना भी, अनिसृष्ट दोष है ।

अध्यक्षपूरक—संबन्धी साधुओं को गाँव की ओर आते देख कर उनको देने के लिए अपने निमित्त तैयार किये जाने वाले भात आदि में बँसी ही वस्तु और अधिक मिला कर उसकी वृद्धि किये गए अशनादि के लेने से साधु को यह दोष लगता है ।

इस प्रकार उद्गम के पूर्वोक्त १६ दोषों से मुक्त, गवेषणा से परिशुद्ध आहार आदि साधु को लेना चाहिए ।

उत्पादना के सोलह दोष और उनके लक्षण—उत्पादना के १६ दोष दाता-गृहस्थ के निमित्त से नहीं लगते । जिह्वालोलुपना, शरीरशुश्रूषा, मुकुमारता आदि कारणों से साधु के निमित्त से ही ये दोष पैदा होते हैं । उन १६ दोषों के लिए निम्नोक्त गाथाएँ प्रस्तुत हैं—

घाईवूइणिमित्ते आजीववणीमगे तिगिच्छा य ।

कोहे माणे माया-लोभे य ह्वंति वस एए ॥१॥

पुळिंपच्छासंभव विज्जा-मंते य चुन्न-जोगे य ।

उप्यायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य ॥२॥

अर्थात्—घात्री, दूती, निमित्त, आजीव, वनीपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ ; ये दश तथा पूर्व—पश्चात्-सस्तव, विद्या, मत्र, चूर्ण, योग और मूलकर्म ये ६ मिलाकर कुल १६ दोष उत्पादना के होते हैं ।

घात्रीदोष—साधु या साध्वी यदि किसी गृहस्थ के बालक या बालिका की घात्री (घाय) का काम करके आहार पानी, वस्त्र आदि गृहस्थ से ग्रहण करें तो वहाँ घात्रीदोष लगता है । घात्री पाच प्रकार की होती है—खीरघात्री (बालक को दूध पिलाने वाली), मज्जनघात्री (स्नान कराने वाली), मंडनघात्री (बालक को कपड़े, गहने आदि पहनाने वाली), क्रीडनघात्री (बालक को खेलाने वाली) और उत्संगघात्री (गोद में

लिए-लिए फिरने वाली)। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि किसी धनाढ्य भक्त के यहाँ रखी हुई किसी धात्री को, उसकी स्वामिनी से उसके अवगुणवर्णन करके निकलवा देना और उसके बदले दूसरी अपनी परिचित नई धात्री को रखवा कर उस धात्री द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट और स्निग्ध भोजनादि ग्रहण करना, धात्रीपिडदोष है।

दूतीदोष—एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गाँव से दूसरे गाँव, गृहस्थी का सदेश कहते या कहलाते फिरना तथा दूतीपन के काम को करके गृहस्थ भक्त-भक्ताओ की भावना बढ़ा कर आहारादि ग्रहण करना दूतीदोष है।

निमित्तदोष—भूत, भविष्य और वर्तमानकाल के लाभालाभ, सुख-दुःख, जीवित-मरण आदि के सम्बन्ध में निमित्तज्ञान गृहस्थ के पूछे जाने या न पूछे जाने पर बताना। फिर वह निमित्त हस्तरेखादि देख कर बताया जाय या शुभाशुभचेष्टा देख कर बताया जाय या ज्योतिषशास्त्र द्वारा बताया जाय, वह निमित्त है। निमित्त बता कर विशिष्ट भोजन आदि पदार्थ ग्रहण करना निमित्तपिडदोष कहलाता है।

आजीवदोष—आजीव वृत्ति या आजीविका को कहते हैं। गृहस्थ को आजीविका के सम्बन्ध में कुछ बतला कर आहारादि लेने से आजीवदोष लगता है। यह ५ प्रकार का है—जातिविषयक, कलाविषयक, गणविषयक, कर्मविषयक और शिल्पविषयक। ब्राह्मण-पुत्र को देख कर यह कहना कि 'मैं भी ब्राह्मण था, यज्ञ, होम आदि क्रियाएँ इस-इस तरह से करता था, तुम भी करो', यह जातिविषयक आजीवदोष है। इसी प्रकार अपना कुल प्रगट करके उसे कुलाचार बताना कुलविषयक आजीवदोष है। इसी तरह गृहस्थजीवन के खेती आदि कर्मों का अनुभव बता कर अपना पूर्वकर्म प्रगट करना कर्मविषयक आजीवदोष है। तथा चित्रकला आदि शिल्प बता कर अपने को गृहस्थ-जीवन में उक्त शिल्पकलादि से सम्बन्धित बताना शिल्पविषयक आजीव दोष है। और अपने आप को अमुक गण का बता कर उस गण का आचार बताना गणविषयक आजीवदोष है। इनसे हानि यह है कि अगर जाति आदि बताने से कोई प्रसन्न हो गया, तब तो आधाकर्मादि दोष लगा कर आहारादि देगा, और यदि कोई नाराज हो गया तो यह कह कर घर से निकाल देगा कि 'नालायक ! तू हमारी जाति, कुल, गण कर्म या शिल्प से भ्रष्ट हो गया !'

वनीपकदोष—रक, भिखारी, याचक आदि की तरह दीनता दिखा कर, गिड़गिड़ कर, दाता की या दाता जिस गुरु, विप्र आदि का भक्त हो, उसके सामने उस आराध्य गुरु आदि की प्रशंसा करके गृहस्थ से आहार-पानी, वस्त्र, पात्र आदि लेने से वनीपकदोष लगता है। दाता के प्रिय कुत्ता, अश्व, शुक आदि की प्रशंसा से भी यह दोष होता है।

चिकित्सादोष—रोगो का प्रतिकार करना चिकित्सा है। चिकित्साशास्त्र के ८ भेद हैं—बालचिकित्सा, शरीरचिकित्सा, रसायन, विषतंत्र, भूततंत्र, मलाका-

क्रिया और शल्यचिकित्सा । इन आठो तरह की चिकित्सा स्वयं वैद्य बन कर या दूसरों को दवा या इलाज बता कर या वैद्य आदि से करवा कर उस गृहस्थ से आहारादि लेना चिकित्सादोष कहलाता है ।

क्रोध-मान-माया-लोभपिण्डदोष—कोप करके गृहस्थ से आहार आदि लेना क्रोधपिण्ड है । उदाहरणार्थ—किसी साधु के मारण, मोहन, उच्चाटन, शाप आदि के प्रभाव को, तप के प्रभाव या कोपकाण्ड को प्रत्यक्ष देख कर भय से कोई गृहस्थ आहारादि दे तो वह क्रोधपिण्ड कहलाता है । अथवा ब्राह्मण आदि दूसरे याचको को अपने सामने देते देख कर स्वयं को न देने पर दाता गृहस्थ पर कोप करने पर वह इस डर से आहारादि देता है कि साधु को नाराज और क्रोधित करना अच्छा नहीं, इस प्रकार जिसमे क्रोध ही पिण्डोत्पानन का मुख्य कारण हो, उस पिण्ड को ले लेना क्रोधदोष है । किन्हीं साधुओ द्वारा साधु की इस प्रकार से प्रशंसा की जाती है कि 'यदि आज हम सबको बढ़िया भोजन खिला दोगे तो तुम अतिशय लब्धि वाले समझे जाओगे ।' इस पर वह प्रशंसा से गर्व में फूल कर किसी गृहस्थ के यहाँ जा कर उसे दानवीर, धर्मात्मा आदि प्रशंसात्मक बचनो से चढ़ा कर उसके परिवार वालो की इच्छा न होते हुए भी उस अभिमानी गृहस्थ से आहारवस्त्रादि ले लेता है तो वह मानपिण्डदोष है । कोई साधु मंत्रादिबल से रूप बदल कर, गृहस्थ को धोखे में डाल कर बढ़िया आहार आदि ग्रहण करता है तो वह मायापिण्डदोष होता है । लोभवश रसलोलुप बन कर सामान्य घरों में भिक्षा के लिए न जा कर या चना आदि तुच्छ चीजे न ले कर जहाँ लड्डू-पेड़े आदि बढ़िया पदार्थ मिले, वही पहुँचे और बढ़िया वस्तुएँ देख कर पात्र भर ले तो वह लोभपिण्डदोष होता है ।

पूर्वपश्चात्संस्तवदोष—साधु जहाँ भिक्षा लेने से पहले और बाद में दाता की प्रशंसा करके आहारादि ले, वहाँ पूर्वपश्चात्संस्तवदोष होता है । यह भी दो प्रकार का होता है—वचनसंस्तव, सम्बन्धसंस्तव । वचनसंस्तव दोष इस प्रकार से होता है—किसी धनाढ्य के यहाँ भिक्षा के लिए पहुँच कर भिक्षा लेने से पहले ही उसकी झूठी प्रशंसा करना कि 'आप के दानवीरता आदि गुणों की जैसी प्रशंसा सुनी थी, वैसे ही गुण मैं आप में देख रहा हूँ ।' अथवा वह दान करने से आनाकानी करे या झूल जाय तो कहना कि 'पहले तो आप बड़े दानी थे, अब दान देना कैसे झूल गए ?' अथवा किसी युवक को देख कर कहना—'तुम्हारे पिता या बाबा बड़े दानी थे, तुम भी उन्हीं दानवीरों के पुत्र या पीत्र हो, तुम भी दानवीर बनोगे, इस प्रकार की झूठी प्रशंसा भिक्षाग्रहण से पूर्व करना पूर्वसंस्तव है । भिक्षा ग्रहण के बाद दाता का पश्चात्संस्तव इस प्रकार किया जाता है कि "आप बड़े दानी हैं, यशस्वी हैं, आप के दान की कीर्ति तो सर्वत्र विख्यात है, आदि ।" अथवा यों कहना कि "आपके दर्शन से हमारी आँखें ठीकी

हो गई, हमारा मन प्रफुल्लित हुआ।" कोई सम्बन्ध न होने पर भी साधु द्वारा इस प्रकार जोड़ा जाता है—“जैसी तुम्हारी गुणवती माता है, वैसी मेरी भी है, इसे देख-देख कर मेरी आँखों में हर्षाश्रु बरस पड़ते हैं।” अथवा “तुम्हारी सुशील पत्नी के समान मेरी भी सुशील पत्नी है, जिसे मैं छोड़ कर दीक्षित हुआ हूँ।” अथवा “जैसे तुम्हारे पुत्र हैं, वैसे ससार में मेरे भी हैं।” या वह सम्बन्धों की कल्पना प्रगट करता है—“तुम तो मेरी माता हो या मातृतुल्य ही हो, सहोदर बहन के समान हो या पुत्री ही हो।”

विद्यादोष, मंत्रदोष—जिन मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी हो, उन मन्त्रों को जप, होम, यज्ञ-लेखन आदि विविध पद्धति के द्वारा सिद्ध कर लेना विद्यासिद्धि है। इस प्रकार से किसी भी विद्या को सिद्ध करके गृहस्थों के विविध प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग करके अथवा अमुक विद्या गृहस्थों को सिद्ध कर या सिद्धा देने का आश्वासन दे कर उनसे भोजनादि वस्तुएँ ग्रहण करना विद्यापिडदोष है। मन्त्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं। विविध मन्त्रों को जप, पाठ आदि द्वारा सिद्ध करके गृहस्थों के विविध प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोग करके या उन्हें मन्त्र बता कर भोजनादि पदार्थ प्राप्त करना मन्त्रपिडदोष है।

चूर्णदोष, योगदोष—चूर्ण और योग ये दो दोष हैं। आँखों में ऐसा मंत्रित अजन या अन्य चूर्ण डाल ले, या डाल दे, जिससे सब वस्त्र में हो जाय, वह चूर्ण कहलाता है तथा एकदम अदृश्य कर देने वाले सौभाग्यदीर्घायकारक पादलेप आदि योग कहलाते हैं। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से अनेक प्रकार के अदृष्टकारक अंजन आदि बना कर गृहस्थों को दे कर या उनके लिए प्रयोग करके बदले में उनसे आहारादि लेना चूर्णदोष है। तथा पादलेपन आदि योग स्वयं करके या गृहस्थों को बतला कर बदले में उनसे आहारादि लेना योगदोष है।

मूलकर्मदोष गर्भस्तभन गर्भाधान, गर्भपात, वशीकरण, बन्ध्याकरण आदि के लिए मन्त्र, तन्त्र, यज्ञ या औषध—जड़ीबूटी आदि बतला कर गृहस्थों से आहारादि लेना मूलकर्मदोष है।

इन उत्पादना के १६ दोषों से रहित शुद्ध आहार आदि ही साधु को ग्रहण करना चाहिए।

पहले बताए हुए शक्ति आदि १० एषणा के दोष, १६ उद्यमदोष एवं १६ उत्पादनादोष, ये सब मिला कर आहारादि भिक्षा ग्रहण करने के ४२ दोष होते हैं; इनसे बच कर ही साधु अपने संयम एवं अहिंसापालन को शुद्ध रख सकेगा।

१—आहार के ये ४२ दोष सामान्य या जघन्य हैं, इसके मध्यम भेद १०६ हैं, और उत्कृष्ट भेद २०४ हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए पिडनिर्मुक्ति आदि ग्रन्थ पढ़ें।

—संपादक

प्रासुक आहार- प्रासुक आहार का अर्थ है—ऐसा आहार पानी, जो चेतन-रहित हो। यद्यपि साधु को सचित्त वस्तु को अचित्त स्वयं करना नहीं है और न प्रेरणा दे कर कराना है। परन्तु जिस समय वह भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में जाय उस समय जो आहारादि पदार्थ उसे लेना है, वह अचित्त (प्रासुक) होना चाहिए, फिर भले ही उस पदार्थ के जीव स्वतः या किसी कारण से ज्युत—पृथक् हो गए हो, अथवा उसमें से जीव इस प्रकार पृथक् हो गए हो कि भविष्य में पैदा न हो सकें, अथवा दाता ने साधु के उद्देश्य से नहीं, अपितु अपने लिए स्वतः प्रेरणा से उस वस्तु में से जीव पृथक् करवा रखे हो। इमी आशय को निम्नोक्त पक्ति से शास्त्रकार ने व्यक्त किया है— बबगयच्युचावियच्चतवेह च्च फासुयं ।'

साधु की निःस्पृही भिक्षावृत्ति भिक्षुक की दीनवृत्ति नहीं - साधु का जीवन सर्वोच्च है। चक्रवर्ती भी अपनी सर्वस्व विभूति और धनसंपत्ति को छोड़ कर इस मुनिपद को स्वीकार करता है। अतः पंचमहाव्रती साधु की भिक्षा बिलकुल निःस्पृह-भिक्षा है। साथ ही स्वाभिमानपूर्वक एव समभाव से ग्रहण की जाने के कारण वह अमीरी भिक्षा भी है। उसे न तो भिक्षा के समय गृहस्थों में घरों में बैठ कर कथा-कहानियों, चुटकलो आदि से मनोरंजन करके उनसे भेंट दक्षिणा के रूप में आहारादि लेना है, न चिकित्सा, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, जड़ीबूटी, औषध आदि के प्रयोगों से उनके सासारिक प्रयोजनों को सिद्ध करके उनकी दानवृत्ति को उभारना है, न शरीरचिह्नो, उत्पातो, स्वप्नो, ज्योतिषान्तर्गत ग्रहो, एव विविध निमित्तो का फलाफल बता कर या जादूटोने आदि के चमत्कार बता कर गृहस्थों से आहारादि की सेवा लेनी है; न दम्भ, रखवाली एव शासन का काम करके गृहस्थों से भिक्षा लेनी है; न गृहस्थों की स्तुति, सम्मान या पूजा करके आहारादि लेना है। अपनी भिक्षा के लिए साधु किसी गृहस्थ की जातिगत निन्दा करके, व्यक्तिगत निन्दा करके या लोगों के सामने उसके दोष प्रगट करके उसकी दानवृत्ति को उकसाएगा नहीं। वह किसी को डरा-धमका कर, फटकार कर या मारपीट कर भिक्षा लेने की तो बात ही नहीं सोच सकता। और न ही वह अपने गुरु, सम्प्रदाय या जाति आदि का बड़प्पन जता कर या फटेदूटे कपड़े आदि पहन कर अपनी दरिद्रता बता कर या भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा कर या गृहस्थ की चापछूसी या खुशामद करके किसी गृहस्थ को भिक्षा देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार चट्टान की तरह अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ साधु भिक्षा लेने की नीयत से दाता के प्रति कृत्रिम मैत्रीभाव प्रदर्शित करके, या प्रार्थना करके अथवा नौकर की तरह गृहस्थ की सेवा करके कदापि भिक्षाग्रहण नहीं कर सकता।

वह गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए जायगा तब बिलकुल अपरिचित-सा बन

कर, परिचय हो जाने पर भी आहारादि मे अप्रतिबद्ध हो कर किसी पर भी द्वेषभाव न रख कर, मन मे अदैन्य, अहीनभाव, अविषाद, आदि की शुद्ध भावना ही लेकर जाएगा । वह बिना थके शुद्ध भिक्षा की खोज में घुमेगा, किन्तु न मिलने पर अपने भाग्य, व्यक्ति या गाव को नहीं कोसेगा । वह अप्राप्त के लिए उद्यम और प्राप्त पर संयम करेगा और विनय, निःस्पृहता, अनासक्ति, क्षमा, त्याग, वैराग्य आदि अपने सहज गुणों से ही सबको प्रभावित करेगा, अपने मन वचन और काया को सतत स्वाध्याय, ध्यान आदि उत्तम धर्माचरण मे लगाए रखेगा ।

भिक्षा में शुद्धता का उपदेश किसने और क्यों दिया ?—साधु की भिक्षा-विधि मे शुद्धता और निर्दोषता के लिए शास्त्रकार ने जो निरूपण किया है, वह सारा का सारा उपदेशात्मक और अनुशासनात्मक प्रतीत होता है । इसे पढ़ने से ऐसा मानूँ होता है, मानो एक पिता अपने अर्धविदग्ध या मदमति पुत्र को एक ही बात को जोर दे कर बार-बार कह रहा हो । सचमुच, पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य ही पिता से बार-बार उसी बात को कहलाता है, इसमे पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता ।

भिक्षाविधि-सम्बन्धी पूर्वोक्त प्रवचन भी अपने ज्येष्ठ पुत्रों—मुनियों के प्रति विश्ववत्सल, परमपिता भगवान् महावीर ने सम्यक् प्रकार से दिया है, और वह दिया है सम्पूर्ण विश्व के जीवों की रक्षारूप दया से प्रेरित हो कर । अपने ज्येष्ठ पुत्रों के लिए उनका भिक्षाविधि का यह उपदेश आत्महितकर है, भविष्य मे कल्याणकर है, जन्म-जन्मान्तर को सफल बनाने वाला है, यह न्याययुक्त है, लागलपेट वाला नहीं, अपितु शुद्ध है, मोक्षप्राप्ति के लिए भी आसान है, शंभू है, समस्त दुःखों और पापों को शान्त करने वाला है । सचमुच साधुवर्ग के लिए निर्दोष भिक्षावृत्ति का आविष्कार करके तीर्थंकरों ने साधु की जीवनयात्रा सुखद, सरल, भारहीन और तेजस्वी बना दी है ।

अहिंसापालन के लिए पांच भावनाएँ

शास्त्रकार ने पूर्व सूत्रपाठ में पूर्णरूप से अहिंसा के पालन के लिए भिक्षाविधि तथा भिक्षा मे निर्दोषता को सावधानी के लिए उपदेश दिया है, अब अहिंसा के पूर्णत पालन के लिए रुचि, जिज्ञासा, श्रद्धा, उत्साह, धृति, प्रेरणा, हृदय और तीव्रता की जननी के तुल्य जिन-जिन मुख्य पांच भावनाओं की साधक के जीवन मे आवश्यकता है, उनका निर्देश वे निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा करते हैं—

मूलपाठ

तस्स इमा पंच भावणातो पढमस्स वयस्स होंतिं—पाणाति-

वायवेरमणपरिरक्खणट्ठाए(१)पढमं ठाणगमणगुणजोगजुंजणजुगं-
तरनिवातियाए दिट्ठीए ईरियव्वं कीडपयंगतसथावरदयापरेण
निच्चं पुप्फफलतयपवालकंदमूलदगमट्टियबीजहरियपरिवज्जिएण
सम्मं; एवं खलु सव्वपाणा न हीलियव्वा, न निदियव्वा, न गरहि-
यव्वा, न हिंसियव्वा, न छिदियव्वा, न भिदियव्वा, न वहेयव्वा,
न भयं दुक्खं च किंचि लब्भा पावेउं जे, एवं ईरियासमितिजोगेण
भावितो भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्टनिव्वणचरित्तभाव-
णाए अहिंसए संजए सुसाहू । (२) बित्तीयं च मणेण
पावएणं पावकं अहम्मियं दारुणं निस्संसं वहंबंधपरिकिलेसबहुलं
भयमरण-परिकिलेससंकिलिट्टं न कयावि मणेण पावतेणं पावगं
किंचि वि ज्ञायव्वं; एवं मणसमितिजोगेण भावितो भवति अंत-
रप्पा असबलमसंकिलिट्टनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए
संजए सुसाहू । (३) ततियं च वतीते पावियाते पावकं न
किंचि वि भासियव्वं एवं वय(ति)समितिजोगेण भावितो
भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्टनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए
संजए सुसाहू । (४) चउत्थं आहार - एसणाए सुद्धं
उंछं गवेसियव्वं, अन्नाए अकहिए अगढिते अदुट्टे अदीरो अकलुणे
अविसादी अपरितंतजोगी जयणघडणकरणचरियविणयगुणजोगसंप-
ओगजुत्ते(त्तो)भिकखू, भिक्खेसणाते जुत्ते, सामुदाणेऊण भिक्खाचरियं
उंछं घेतूणा आगतो गुरुजणस्स पासं गमणागमणातिचारे पडिक्क-
मण(म्मे) - पडिक्कंते, आलायणदायणं च दाऊण गुरु-
जणस्स (गुरुसंदिट्टस्स वा) जहोवएसं निरइयारं च अप्पमतो,

१ कही कही 'भयमरण' के बदले 'मरणभय' पाठ मिलता है ।

२ 'अहम्मियं दारुणं निस्संसं वहंबंधपरिकिलेसबहुलं जयमरणपरिकिलेससंकिलिट्टं न कयावि तौए पावियाए पावकं ।' इतना अधिक पाठ किसी किसी प्रति में है ।

पुणरवि अणेसणातो पयतो, पडिक्कमित्ता पसंते आसीणसुह्निसन्ने मुहुत्तमेत्तं च ज्ञाणसुहजोगनाणसज्जायगोवियमणे, धम्ममणे, अविमणे, सुहमणे, अविग्गहमणे, समाहियमणे, सद्धासंवेगनिज्जरमणे, पवयणवच्छलभावियमणे उट्ठेऊणय पहट्टुत्तुट्ठे जहारायणियं निमतइत्ता य साह्वे भावओ य विइण्णे य गुहजणेणं उपविट्ठे संपमज्जिऊण ससीसं कायं तथा करतलं अमुच्छित्ते, अगिद्धे, अगडिए, अगरहिते, अणज्जोववण्णे, अलुद्धे, अणुतट्ठित्ते, असुरसुरं अचवचवं अदुतमविलंबियं अपरिसाडिं आलोयभायणे जयं पयत्तेण ववगयसंजोगमणिगालं च विगयधूमं अक्खोवंजणवणाणुलेवणभूयं संजमजायामायानिमित्तं संजमभारवहणट्टयाए भुंजेज्जा पाणधारणट्टयाए संजएणं (ण) समियं एवं आहारसमितिजोगेणं भाविओ भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाहू । (५) पंचमं आदाननिक्खेवणसमिई पीढफलगसिज्जासंथारगवत्थपत्तकंबलदंडगरयहरणचोलपट्टगमुह - पोत्तिगपायपुंछणादी (वा) एयं पि संजमस्स उववूहणट्टयाए, वातातवदंसमसगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगरणं रागदोसरहितं परिहरित्ठवं, संजएण निच्चं पडिलेहणपप्फोडणपमज्जणाए अहो य रामो य अप्पमत्तेण होइ सययं, निक्खियव्वं च गिण्हियव्वं च भायणभंडोवहिउवगरणं, एवं आयाणभंडनिक्खेवणासमितिजोगेण भाविओ भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्ठनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाहू ।

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होति सुप्पणिहियं, इमेहि पंचहि वि कारणेहि मणवयणकायपरिरक्खिएहि, णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो एयेव्वो छित्तमया मतिमया अणासवो अकलुसो अच्छिट्ठो अपरिस्सावी असंकिलिट्ठो सुद्धो सब्बजिणमणु-आतो; एवं पढमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्ठियं

आराहियं आणाते अणुपालियं भवति, एवं(यं) नायमुणिणा
 भगवया पन्नवियं, परूवियं, पसिद्धं, सिद्धं, सिद्धवरसासणमिणां,
 आघवितं, सुदेसितं, पसत्थं पढमं संवरदारं समत्तं ति वेमि ।।१।।
 (सू० २३)

संस्कृतच्छाया

तस्येमाः पंचभावनाः प्रथमस्य व्रतस्य भवन्ति प्राणातिपातविरमण-
 परिरक्षणार्थम् (१) प्रथमं स्थानगमनगुणयोगयोजनयुगांतरनिपातिकया वृष्ट्या
 ईरितव्यम्, कीटपतंगत्रसंस्थावरबयापरेण नित्यं पुष्पफलत्वक्प्रवालकन्दमूल-
 वकमृत्तिकाबीजहरितपरिवर्जकेन सम्यक्; एवं खलु सर्वप्राणा न हीलयितव्या,
 न निन्दितव्या, न गर्हितव्याः, न हिसितव्याः, न छेत्तव्याः, न भेत्तव्या, न
 व्यथितव्याः, न भयं दुःखं च किञ्चिद् लभ्याः, प्रापयितुं ये (इति), एवमीर्या-
 समित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासंक्लिष्टनिर्वर्णचारित्र भाव-
 नया (भावनाकः) अहिंसकः संयतः सुसाधुः । (२) द्वितीयं च मनसा पापकेन
 पापकमधार्मिकं दारुणं नृशंसं वधबन्धपरिक्लेशबहुलं भयमरणपरिक्लेशसंक्लि-
 ष्टम्, न कदाचिन्मनसा पापकेन पापकं किञ्चिदपि ध्यातव्यम् । एवं मनः
 समित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासंक्लिष्टनिर्वर्णचारित्रभाव-
 नया (भावनाकः) अहिंसकः संयतः सुसाधुः । (३) तृतीयं च वाचा (अधार्मिकं
 दारुणं नृशंसं वधबन्धपरिक्लेशबहुलं जरामरणपरिक्लेशसंक्लिष्टं न कदा-
 चिदपि तथा) पापिकया पापकं न किञ्चिदपि भाषितव्यम् । एवं वाक्समिनि-
 योगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा अशबलासंक्लिष्टनिर्वर्णचारित्रभावनाया
 (भावनाकः) अहिंसकः संयतः सुसाधुः । (४) चतुर्थमाहारंषणयाः शुद्ध उच्छो
 ग्वेषयितव्य, अज्ञातः, अकथितः, अप्रथितः, अदुष्टः, अवीनः (अत्रीणः), अक-
 रुणः, अविषावी, अपरितान्तयोगी यत्नघटनकरणचरितविनयगुणयोगसंप्र-
 योगयुक्तो भिक्षु भिक्षुषणयां युक्तः सामुवायिकं अटित्वा भिक्षाचर्यामुच्छं
 गृहीत्वाऽऽगतो गुरुजनस्य पार्श्वं गमनागमनातिचारान् प्रतिक्रमण (भे)-प्रात-
 कान्तः, आलोचनादानं च इत्था गुरुजनस्य (गुरुसंक्लिष्टस्य वा) यथोपदेशं
 निरतिचारं चाप्रमत्तः, पुनरप्यनेषणयाः प्रयतः प्रतिक्रम्य प्रशान्त आसीनसुख-
 निषण्णो मुहुर्त्मात्रं च ध्यानशुभयोगज्ञानस्वाध्यायगोपितमना धर्ममना
 अविमनाः शुभमना अविप्रहमना (अभ्युत्प्रहमना वा) समाहितमनाः । समा-

पङ्कने वाली द्रुष्टि से (कीडपयंगतसथावरवयावरेण) कीड़े, पतंगे तथा त्रस-स्वावर जीवों की वया में तत्पर (निष्कं) सदा (पुष्कफलतयपबालकंबमूलबगमट्टिद्यबीजहरियपरि-वञ्जिष्ण) फूल, फल, छाल, प्रबाल—पत्ते, कांठ, मूल, जल, मिट्टी, बीज और हरितकाय का वर्जन करते हुए, (सम्मं) सम्यक् प्रकार से, (ईरियब्धं) गमन करना चाहिये । (एवं) इस प्रकार ईर्यासमिति से चलते हुए साधु को (ससु) निश्चय ही (सम्बपाया) समस्त जीवों का (न हीलियब्धा) तिरस्कार या उपेक्षा भाव नहीं करना चाहिए, (न निवियब्धा) न निन्धा करनी चाहिए, (न गरहियब्धा) न बूसरों के सामने बुराई—गर्हा करनी चाहिए, (न हिसियब्धा) न उनकी हिंसा करनी चाहिए, (न छिदियब्धा) न उनका छेदन—टुकड़े करना चाहिए, (न भिदियब्धा) न भेदन करना—फोड़ना चाहिए, (न बह्येब्धा) न उन्हें ध्वंसित—हैरान करना चाहिये, (वे भयं बुक्त्वं च न किञ्चि पावेवं लब्धा) इन जीवों को जरा भी भय और दुःख नहीं पहुंचाना चाहिये । (एवं) इस प्रकार (ईरियासमितिजोणेण) ईर्यासमिति में मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से (भावितो) भावित (भवति) होता है । तथा (असबलम-संक्सिदु-निम्बणचरित्तभावणाए) इक्कीस शबल दोषों से रहित, संक्सिष्ट परिणामों से रहित, अक्षत—अक्षय्य चारित्र्य की भावना से युक्त या भावनापरायण (संजए) संयमशील—सुवाचाव आदि से विरत, (अहिंसए) अहिंसक, (सुसाहू) मोक्ष का उत्कृष्ट साधक होता है । (च) और (चित्तीयं) द्वितीय मनःसमिति भावना का रूप यह है—(पावएणं) पापकर्म—द्रुष्ट (मणेण) मन से (पावकं) पापकारी, (अहम्मियं) अघातक धर्मभावना से रहित, (दाएणं) कठोर, (निसंसं) नृसंस—निर्दय, (बह्वंधपरिकिलेसबहुलं) बध, बंधन और संताप से भरा हुआ, (भयमरणपरिकिलेस-संक्सिदुदं) भय, मृत्यु और क्लेश से कसुचित्त—मलिन, (पावकं) पापकर्म का (पावएणं मणेण) पापी—द्रुष्ट मन से (कयावि) कदापि (किञ्चि चि) जरा-सा भी (न ज्ञायब्धं) चिन्तन नहीं करना चाहिये । (एवं) इस प्रकार (मणसमितिजोणेण) चित्त के सत्प्रवृत्तिकरूप व्यापार से (भावितो) भावित-सुवासित (अंतरप्पा) अन्तरात्मा साधक (असबलमसंक्सिदु-निम्बणचरित्तभावणाए) शबलदोषों से रहित, असंक्सिष्ट-शुद्धपरिणामी, अक्षतचारित्र्य की भावना से युक्त, (अहिंसए) अहिंसक, (संजए) संयमी-इन्द्रियनिग्रही (सुसाहू) शान्त अन्तःकरण वाला सुसाधु (भवति) होता है (च) और (सत्तियं) तीसरी वचनसमितिभावना का स्वरूप यह है (पाविवातेकतीते) पापकर्म वाणी द्वारा (पावकं) पापकर्म—सावज्ञवचन, (अहम्मियं) अघर्म से युक्त, (दाएणं) कठोर

(निर्दसं) घातक (बहुबंधपरिकलितसबहुलं, बंध,बंध और क्लेश से भरपूर, (जराभरण-परिकलितसंसंकलितं) बुढ़ापा, मृत्यु आदि के क्लेशों से क्लिष्ट बचन (कयावि) कदापि (किञ्चि) जरा-सा भी (न भासियन्वं) नहीं बोलना चाहिए। (एवं) इस प्रकार, (वयसमित्तिजोगेण) बचन की सम्यक्प्रवृत्तिरूप योग से (भावितो) भावित (अंतरप्पा) अन्तरात्मा, (असबलमसंकलित्ठनिष्पन्नचरित्तभावणाए) शबलबोधरहित, असंकलिष्ट, अखंडचारित्र की भावना से ओतप्रोत (संजओ) संयत (अहिंसओ) अहिंसक (सुसाह) उत्तम स्वपरकल्याणसाधक (भवति) होता है। इसके बाद (चउत्वं) चौथी एषणासंभित्तिभावना का स्वरूप इस प्रकार है—(आहार-एसणाए) अज्ञानादि चतुर्विंध आहार की एषणा से (गुडं) एषणाबोधों से रहित—गुड (उंछं) अमरवृत्ति से अनेक घरों से बोड़ी-थोड़ी भिक्षा (गवेसियन्वं) गवेसणापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षाकर्ता साधु (अभाए) दाताओं से अज्ञात हो—घनाइय घर का प्रव्रजित है, ऐसा मालूम न हो, (अकहिए) स्वयं के द्वारा भी यह न कहा जाय कि मैं पहले श्रीमान् था, (अगडिए) अपने परिचितों या सम्बन्धियों के मोह में प्रस्त न हो, (अहुट्ठे) न देने वालों पर द्वेषी न हो—समन्वित्त हो, (अदीणे) भिक्षा न मिलने पर भी दीन न हो, (अकसुणे) दयनीय न हो, (अविसादी) विषावरहित हो, (अपरितंतजोगी) मन, बचन-काया की सम्यक्प्रवृत्ति से अथक पुत्रवार्थी हो, (अयणघडणकरणचरियजिणय-गुणजोगसंपओगसुत्तं) प्राप्त संयमयोगों की स्थिरता के लिए प्रयत्नशील, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए उद्यमवान्, विनय का आचरण करने वाला व क्षमा आदि गुणों की प्रवृत्ति के प्रयोग में जुटा हुआ (मिक्खू) भिक्षाजीवी साधु (मिक्खेसणाते) गुड भिक्षा की अन्वेषणा करने में (सुत्ते) जुटा हुआ (मिक्खचरियं) भिक्षार्थियों के लिए, (सानुदाणेऊण) धनी-निर्धन, ऊँच-नीच-मध्यम सभी घरों में घूमकर (उंछं) अनेक घरों से बोड़ा-थोड़ा आहार, (येत्तूण) ले कर (गुरुजणस्स) गुरुजन के (पासं) पास (आगतो) आ कर (समणायमणालिचारे पडिक्कमणपडिक्कंते) भिक्षा के लिए जाने-आने में लगे हुए बोधों का प्रतिक्रमण करके (व) और (आलोयणदायणं वाऊण) आलोचना—गुरु के समझ बोधों को प्रकट करके (गुरुजणस्स) गुरुजनों के (गुरुसंविट्ठस्स वा) अथवा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट अग्रगण्य साधुवृत्त के (अहोवएसं) उपदेश के अनुसार (निरइयारं) अलिचारों—बोधों का त्याग करके (अप्पमत्तो) अप्रमत्त—साधधान—प्रभावरहित हो, (पुणरवि) और पुनः (अनेसणाते) अपरिज्ञात या गुरुसमझ अब तक जिनकी आलोचना न की हो, ऐसे अनालोचित बोधरूप अनेकना के बारे में (पयत्तो) प्रयत्नवान् होकर (पडिक्कविरा) प्रतिक्रमण करके (पत्ततो)

प्रशान्त हो (च) और (आसीणसुहृत्सन्ने) सुखपूर्वक बैठ-बैठा (सुहृत्सन्नेत्) एक सुहृत्भार (ज्ञाणसुहृत्संज्ञायासंज्ञायगोविद्यमने) धर्मध्यान, श्रमयोग, ज्ञान और स्वाध्याय में अपने मन को सुरक्षित करने वाला हो, (धम्ममणे) भूत चारित्र्य धर्म में जिसका मन संलग्न है, (अविमणे) चित्तशून्यता से रहित, (सुहृत्तणे) सबलेसों से रहित—शुभ मनवाला, (अविग्गहमणे) जिसके चित्त में कोई कलह की बात नहीं है अथवा कदाग्रह से जिसका मन दूर है, (समाहियमणे) जिसका रागद्वेष से रहित सम मन आत्मा में निहित है, अथवा जिसका मन समाधियुक्त है, अथवा जिसने अपना मन उपसम में स्थापित कर लिया है, और (सद्धा-संबेग-निज्जरमणे) जिसने अपना मन तत्त्वों पर अद्धा, संबेग—भोक्ष मार्ग की अभिलाषा और कर्मों की निर्जरा में लगा दिया है, (पवयणवच्छलभावियमणे) जिसका मन प्रवचनो-आगमों के प्रति वास्तव्य से ओतप्रोत है, वह (उट्ठेऊण) ध्यानावि के बाद अपने आसन से उठ कर (य) तथा (पहट्ठत्तुट्ठे) अत्यन्त दृष्टतुष्ट हो कर, (जहारायणिय) साधुओं की दीक्षा के क्रम से बड़े-छोटे के क्रमानुसार (साहवे) साधुओं को (भावजो) भाव से (निर्मतइत्ता) निर्मजित करके (च) और (गुरुजणेणं) गुरुजनों द्वारा (विइण्णे) लाये हुए आहार का वितरण किये जाने पर (उपविट्ठे) उचित आसन पर बैठ कर, (ससीसं) सिर के सहित (कायं) शरीर को (तहा) तथा (करतलं) हथेली को, (संपमज्ज-ऊण) पूंजनों से अच्छी तरह प्रमार्जन करके (अमुच्छिण्ण अगिदं अगिदण्णं) गुरुजन द्वारा दिये हुए सरस आहार में अनासक्त, अप्राप्त स्वाविष्ट भोजन की लालसा से रहित, रसों में अनुरागरहित होकर (अगरहिए) वाता आदि की निन्दा न करता हुआ, (अण्णसोववण्णे) स्वाविष्ट वस्तुओं में लीन न हो कर, (अणाइले) कलुषित भावों से दूर होकर, (अलुद्धे) लोभुषता से रहित (अणतट्ठित्ते) केवल शरीरपोषक ही नहीं, किन्तु परमार्थकारी साधु (असुरसुरं) सुर सुर आवाज न करता हुआ (अचवचवं) धपधप न करता हुआ (अहुत्तं) न तो जल्दी-जल्दी हो, और (अविलंबियं) न क्यावा देर से ही (अपरिसादि) भोजन जमीन पर न गिराते हुए, (आलोयभाजणे) चौड़े प्रकारायुक्त पात्र में (अयं) मन-वचन-काया की यत्नापूर्वक (पयत्तेण) आचरपूर्वक (ववयणोमं) संयोजनावेध से रहित, (अविगलं) अंगार—रागभाव के बोध से रहित, (विगयधूमं) धूस—द्वेषभाव के बोध से रहित, (अवसोवज्जणवण्णालेवणभूयं) गाढ़ी की घुरी में तेल देने या घाब पर भरहुम लगाने के समान (संजमजायामाया-निमित्तं) केवल संयमयात्रा के निर्वाह के लिए (संजमभारवहणदठयाए) संयम के भार को वहन करने के लिए (पाणवारवदठयाए) प्राणों को धारण करने के लिए (संजए)

साधु (समियं) सम्यक् प्रकार से अथवा यत्नापूर्वक (भुंजेज्जा) भोजन करे। (एवं) उक्त प्रकार से (आहारसमित्तजोगेणं) आहार में सम्यक्प्रवृत्ति के योग से (भावितो) भावित— भावनायुक्त, (अंतरप्या) अन्तरात्मा (असबलमसंकिलिट्ठनिब्बणचरित्तभावणाए) शबलदोषरहित, असंक्लिष्ट परिणामी, अखंडचारित्र की भावना से युक्त (संजए) संयम में प्रयत्नशील (सुसाहू) सुसाधु ही (अहिंसए) अहिंसक (भवति) होता है। (पंचमं) पांचवीं भावना (आदाननिक्षेपणसमिद्धिं) वस्तु के उठाने और रखने में सम्यक्प्रवृत्तिरूप आदाननिक्षेपणसमिति है। उसमें (पीठफलगतिसञ्जासंघारव-वत्थपत्तकंबलवंडगरयहरणघोलपट्टगमुहोत्तिगपायपुं छणावी) पीठ—झौकी, फलक—पट्टा, शय्या—शयन करने का आसन, संस्तारक—घास या इर्ब का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, बंड, रजोहरण, घोलपट्टा, मुक्कचस्त्रिका, पैर पोंछने का कपड़ा आदि (व) अथवा (एवं) ये तथा (अपि) और भी (उक्करणं) उपकरण (संजमस्स उक्कबूहण-ट्ठयाए) संयम की वृद्धि-पुष्टि के लिए (वातातववंसमसगसीयपरिरक्कणट्ठयाए) हवा, भूप, डांस, मच्छर और ठंड आदि से शरीर की भलीभांति रक्षा के लिए (परिहरितब्बं) रखने चाहिए। (संजएण) संयमी साधु को (निच्चं) सदा (पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए) इन उपकरणों के प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—यत्नपूर्वक झटकने, तथा प्रमार्जन करने में (अहो य राजो य) दिन और रात में (सययं अप्पमत्तेण) सतत प्रमाद रहित (होई) होकर (भायणमंडोवहिउवगरणं) भाजन-काण्ड पात्र आदि, मिट्टी के पात्र आदि तथा वस्त्र आदि उपकरण (निक्खयब्बं) नीचे रखने चाहिए (व) और (गिण्हियब्बं) ग्रहण करने या उठाने चाहिए। (एवं) उक्त प्रकार से (आयाणमंडनिक्षेपणासमित्त-जोगेण) आदाननिक्षेपणसमिति के योग से (भावितो) भावित— भावनाओं से युक्त (अंतरप्या) अन्तरात्मा, (असबलमसंकिलिट्ठ-निब्बणचरित्तभावणाए) शबलदोष-रहित, शुद्ध परिणामी, अखंड चारित्र की भावनाओं से युक्त (संजए) संयत (सुसाहू) सुसाधु ही (अहिंसए) अहिंसक (भवति) होता है।

(एवं) इस प्रकार (इच्चं) यह (संवरस्स वारं) अहिंसारूप संवर का द्वार— उपाय है, (मणवयणकायपरिरिक्खएहिं) मन, वचन और काया के द्वारा सब तरह से रक्षित, (इमेहिं पंचहिं वि कारणेहिं) भावनारूप इन पांचों कारणों से (विच्चं) सदा (आमरणं तं) मरणपर्यन्त (सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं) जो सम्यक् रूप से आसे-कित—आचरित होने पर मन में जन्म जाता है, (य) तथा (वित्तियता) वैयर्थान् यानी स्वच्छचित्त वाले, (वित्तियता) बुद्धिमान साधु को (अभासवो) नये कर्मों के

आशय—आयमन से रहित, (अकलुषो) वयनीयता से रहित (अकलुषो) कलुषता से रहित (अच्छिद्रो) छिद्ररहित-अनाशय (अपरिस्तावी) पापक्य जल के परिश्राव—भरने से दूर, (असकलिङ्गो) मानसिक क्लेश से रहित, (शुद्धो) शुद्ध और (स्ववजिष्मन्नुन्नातो) सभी जिनवरों द्वारा अनुज्ञात—अनुमत, (एत) यह (जोगो) योग—पञ्चभाषनाक्य व्यापार (जेयस्वो) धारण करना चाहिए । (एवं) इस प्रकार (कासिद्) विधिपूर्वक समय पर स्वीकृत किया हुआ, (पालियं) पालन किया गया, (सोहियं) अतिचार से रहित होने से शोधित, अथवा शोभनीय सुहावना (तोरियं) श्लीघाति अन्त तक पार लगाया हुआ (किट्टियं) कीर्तित—प्रशंसित या दूसरों को भी कहा गया (आराहियं) आराधित, (पढमं संबरदारं) पहला संबरदार (आगाते अणुपालियं भवति) वीतराग की आज्ञा से—उपदेश से अनुपालित (भवति) होता है । (एवं) इस प्रकार (नायमुणिष्ठा) शासकूल में उत्पन्न हुए मुनि (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (सिद्धवरसासणं) सिद्धों की प्रधान आज्ञारूप (इधं) इस संबरदार को (पन्नविद्यं) सामान्यरूप से बताया है, (परुविद्यं) विविध नयों की अपेक्षा से भेद-प्रभेदों द्वारा इसका वर्णन किया है । यह (पसिद्धं) प्रसिद्ध है (सिद्धं) प्रत्य-क्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, (आघवितं) जनता में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, अथवा जनता के सामने इसे बारबार कहा है, इसके सम्बन्ध में देव, मनुष्य और असुरों के परिषद् में अच्छे ढंग से उपदेश दिया है यह (पसत्थं) मंगलरूप, (पढमं-संबरदारं) पहला संबरदार (समत्) समाप्त हुआ । (ति बेमि) ऐसा मैं—सुधर्म स्वामी कहता हूँ ।

मूलार्थ—प्रथम अहिंसाव्रत की ये निम्नोक्त पांच भावनाएँ हैं, जो हिंसा से विरमणरूप अहिंसा की सब ओर से सुरक्षा के लिए हैं । पहली ईर्यासमिति भावना है, जो इस प्रकार है—स्थान—ठहरने, व गमन करने में प्रवचनाराधनारूप गुण के योग से संलग्न तथा गाड़ी के जूवे के प्रमाण चार हाथ आगे की भूमि पर पड़ने वाली दृष्टि से कीट, पतंग, त्रस और स्थावर प्राणियों की दया में तत्पर हमेशा फूल, फल, छाल, पत्ते, कंद, मूल, पानी, मिट्टी, बीज और हरितकाय का बचाव करते हुए सम्यक् प्रकार से गमन-विचरण करना चाहिए । इस प्रकार ईर्यासमिति से चर्या करने वाले साधु को सचमुच किसी भी प्राणी की अवहेलना—उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न निन्दा करनी चाहिए, न दूसरों के सामने गद्दा बुराई करनी चाहिए, न उनकी हिंसा करनी चाहिए, न उनके टुकड़े करने चाहिए

और न ही अंडे आदि को फोड़ना चाहिए, न जीवों को हैरान—तंग करना चाहिए। ये जीव जरा भी भय और दुःख पहुँचाने लायक नहीं हैं। इस प्रकार ईयांसमिति में मन-वचन-काया की प्रवृत्ति से जो अन्तरात्मा भावित होता है, वह शबलदोषो से रहित, असंक्लिष्ट परिणामी तथा अक्षतचारित्र की भावना से ओतप्रोत, मृदावाद आदि से विरत संयमशील मोक्ष का उत्तम साधक और अहिंसक होता है। दूसरी भावना मनःसमिति है, जो इस प्रकार है—पापरूप दुष्ट मन से पापकारी, अधर्मयुक्त, दारुण, निर्दय, वध, बंधन और संताप से भरपूर एवं भय, मृत्यु और क्लेश से क्लुषित—मलिन पाप में डूबे हुए घृष्ट मन से कदापि जरा-सा भी पापयुक्त चिन्तन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चित्त के सत्प्रवृत्तिरूप व्यापार से भावित अन्तरात्मा ही अशबल, असंक्लिष्ट तथा अखंड चारित्र की भावना से युक्त संयमी स्वपरकल्याणसाधक सुसाधु ही अहिंसक होता है। तृतीय भावना वचनसमिति रूप है, जो इस प्रकार है—पापरूप वाणी के द्वारा सावद्य, अधर्मयुक्त, कठोर, घातक, वध, बंध और क्लेश से परिपूर्ण, बुढ़ापा, मृत्यु आदि के क्लेशों से क्लिष्ट वचन कदापि जरा-सा भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार वचनसमिति के सम्यक् प्रवृत्ति रूप योग से भावित अन्तरात्मा शबलदोषरहित, संक्लेश से दूर तथा अखंडचारित्र की भावना से ओतप्रोत, संयमी, सुसाधु शान्त अन्तःकरणवाला मुनि ही अहिंसक होता है।

चौथी भावना एषणासमिति है, जो इस प्रकार है—अशनादि चतुर्विध आहार की एषणा से शुद्ध अनेक घरों से भ्रमरवृत्ति की तरह थोड़ी-थोड़ी भिक्षा गवेषणापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षाकर्ता अज्ञात हो यानी वह धनाढ्य घर का दीक्षित है, ऐसा दाता को मासूम न हो, स्वयं भी लोगों के सामने ऐसा कुछ प्रकाशित न करे, अपने परिचितों या सम्बन्धियों के मोहजाल में न फंसा हो, भिक्षा न देने वालों पर द्वेष युक्त भी न हो, भिक्षा प्राप्त न होने पर दीन न हो, दयनीय भी न हो, विषाद से रहित हो, मन-वचन-काया की सम्यक् प्रवृत्ति में वह बिना थके लगा हुआ हो, प्राप्त संयमयोगों की स्थिरता के लिए प्रयत्न, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए उद्यम, विनय के आचरण तथा क्षमा आदि गुणों की प्रवृत्ति के प्रयोग में जुटा हुआ साधु भिक्षाचरी के ऊँच-नीच मध्यम स्थिति के घरों में समभावपूर्वक घूम कर अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा आहार ले कर गुरुजन के पास आए। और भिक्षा के लिए जाने-आने में जो

दोष लगे हों, उनका प्रतिक्लमण करके निवृत्ता हो जाय और तब गुरु के समक्ष अपने दोषों की प्रगट आलोचना करके गुरु अथवा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट बड़े साधु के उपदेश के अनुसार अतिचारो से रहित होकर अप्रमत्त रहे । और पुनः अज्ञात या आलोचना से शेष रहे हुए अनेषणादोषों के बारे में प्रयत्नवान् हो कर प्रतिक्लमण करके प्रशान्त हो जाय और तदनन्तर एक मुहूर्तभर सुखपूर्वक बैठा-बैठा धर्मध्यान, शुभयोग, ज्ञान और स्वाध्याय में अपना मन लगाए । श्रुतचारित्र रूप धर्म में उसका मन संलग्न हो, चित्त शून्यता से रहित हो, वह संक्लेशो से रहित, शुभ मन वाला हो, लड़ाई-भगड़ो से दूर रहने वाले शान्त मन का धनी हो अथवा कदाग्रहरहित मन का स्वामी हो, समाहित मन वाला हो, तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सवेग और निर्जरा में मन लगा हो, अन्तःकरण तीर्थकर के प्रवचनों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत हो, ऐसा साधु अपने स्थान से उठ कर अत्यन्त हृष्टतुष्ट होता हुआ दीक्षाक्रम से बड़े-छोटे साधुओं को भाव-पूर्वक निमंत्रित करके तथा गुरुजनो द्वारा आहार का वितरण किये जाने पर उचित आसन पर बैठ कर सिरसहित शरीर और हथेली को भली-भांति प्रमार्जित करके गुरु द्वारा दिये हुए सरस आहार में अनासक्त, अप्राप्त स्वादिष्ट भोजन की लालसा से रहित, दाता आदि की निंदा न करता हुआ, स्वादिष्ट वस्तुओं में लीनता न रखता हुआ, क्लुषित भावों से मुक्त, लोलुपता से रहित और लोभरहित हुं कर, केवल शरीरपोषक ही नहीं, अपितु, परमार्थ-कारी साधु सुरसुर न करते हुए, व चप-चप न करते हुए न तो जल्दी-जल्दी खाए और न ही बहुत देर लगाए तथा जमीन पर न गिराते हुए प्रकाशयुक्त चौड़े पात्र में यतना से आदरपूर्वक भोजन करे तथा भोजन करते समय भी संयोजन, अंगार, धूम आदि ग्रासंषणा के ५ दोषों से दूर रहे और गाड़ी की छुरी में तेल देने या धाव पर मरहम लगाने के समान केवल संयमयात्रा को सुख पूर्वक चलाने मात्र के लिए, संयम का भार वहन करने के लिए और प्राणों को धारण करने के लिए साधु सम्यक् प्रकार से यतनापूर्वक भोजन करे । उक्त प्रकार से आहार में सम्यक् प्रवृत्ति के योग से भावित अन्तरात्मा शबलदोष से रहित, असंक्लिष्ट चित्तावृत्ति वाला, अखंड चारित्र की भावना से युक्त संयमी सुसाधु ही अहिंसक होता है । पांचवी भावना आदाननिक्षेप-समिति है, जो इस प्रकार है । साधु को पीठ—चौकी, पट्टा, शय्या, दर्भ या

घास का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, दड, रजोहरण, चोलपट्टा, मुसलवस्त्रिका और पैर पौछने का कपड़ा आदि अथवा ये तथा और भी दूसरे उपकरण समय की वृद्धि-पुष्टि के लिए रखने चाहिएँ। संयमी साधु को उनका सदा प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—भटकने और प्रमार्जन करने में दिन और रात में सतत अप्रमादी हो करभाजन-काष्ठपात्रआदि, भाण्ड-मिट्टी के घड़े आदि उपधि एवं वस्त्रादि उपकरण रखने और ग्रहण करने चाहिएँ।

इस प्रकार आदानभांडनिक्षेपणसमिति के योग से भावित अन्तःपत्मा शबलदोषा से रहित, असंक्लिष्ट परिणामो और अखंड चारित्र्य का भावनाओ से युक्त संयमी सुसाधु ही अहिंसक होता है।

इस प्रकार यह अहिंसारूप सवरद्वार मन-वचन-काया द्वारा भावना-रूप पाचों कारणो से सदा आमरणान्त सुरक्षित है, वह सम्यक् रूप से आचरित होने पर हृदय में अच्छी तरह जम जाता है। तथा यह पांच भावनारूप व्यापार धृतिमान् और बुद्धिमान् साधु के लिए अनाश्रवरूप—नये कर्मों के आगमन से रहित है, यह दयनीयता से रहित है, या कालुष्य से रहित है, कर्म-जल के प्रवेश से रहित अच्छिद्र है, शुद्ध है तथा सभी जिनवरों द्वारा अनुज्ञात है। अतः पंचभावनारूप इस प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक समय पर स्वीकृत किया हुआ, पालन किया हुआ, सुशोभित या शोधित, अच्छी तरह से अन्त तक पार लगाया हुआ, कीर्तित और आराधित यह प्रथम संवरद्वार वीतराग की आज्ञा से अनुपालित होता है। इस प्रकार ज्ञातकुल में उत्पन्न भगवान् महावीर स्वामी ने सिद्धा का प्रधान आज्ञारूप यह सवरद्वार सामान्यरूप से बताया है, विविध नयों की अपेक्षा से भेद-प्रभेदों द्वारा इसका वर्णन किया है, यह प्रसिद्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, जनता में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा जमी हुई है, अथवा जनता के सामने भगवान् ने इसे बार-बार कहा है, इसके सम्बन्ध में प्रभु ने देवा, मनुष्यों और असुरों की परिषद् में अच्छे ढंग से उपदेश दिया है। यह प्रसस्त मंगलरूप प्रथम संवरद्वार समाप्त हुआ। ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ।

व्याख्या

पूर्वसूत्रपाठ में पूर्णरूप से अहिंसा के आराधक महावती साधु के जीवन की आहार-वस्त्र-पात्रादि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सभावित आरम्भ-समारम्भ-जन्य हिंसा से बच कर अहिंसा का पूर्णतया पालन करने हेतु शास्त्रकार भिक्षाचरी

करने और भिलाचर्या में सम्भावित दोषो से बचने की विधि का विशदरूप से निर्देश कर चुके। लेकिन जहाँ तक शरीर है, वहाँ तक शरीर से सम्बन्धित खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-बैठना, मलमूत्रादि का उत्सर्ग करना, सोना-जागना, बोलना, सोचना-विचारना आदि विभिन्न प्रवृत्तियों का जमघट लगा रहेगा। इन प्रवृत्तियों को सर्वथा ठुकरा कर निश्चेष्ट हो कर एक जगह बैठना भी सम्भव नहीं है। अतः इन और ऐसी ही शरीरसम्बद्ध अन्यान्य प्रवृत्तियों को करते समय हिंसा हो जाना स्वाभाविक है। अतः भोजनादि आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या को हल करने के बाद इस सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने बताया है कि शरीर से सम्बन्धित अन्यान्य प्रवृत्तियों में होने वाली हिंसा से साधु कैसे बचे और अहिंसा का ठीक ढंग से कैसे पालन करे ? इसके लिए शास्त्रकार ने सबरद्वार की प्रस्तावना में प्रतिज्ञा की थी 'तोसे सभावणाए उ किञ्चि बोञ्च गुणुदेसं' अर्थात्—भावनाओं सहित उस अहिंसा के कुछ गुणों का वर्णन करूँगा।' तदनुसार उन्होंने प्रथमसवर अहिंसाव्रत की मुख्य पांच भावनाएँ बताई हैं, ताकि इन भावनाओं के सहारे साधुजीवन अन्त तक टिका रह सके और इनके अनुसार चल कर अहिंसा भगवती की पूर्णरूप से उपासना कर सके, साथ ही अहिंसापालन में उसकी घृति, श्रद्धा, स्फूर्ति, सवेग, उत्साह, धृति, शक्ति, दृढ़ता और तीव्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे।

पांच भावनाओं की उपयोगिता—चूँकि साधु एक ओर से जीवनपर्यंत छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक प्राणी की मन-वचन-काया से सर्वथा हिंसा करने का त्याग करता है, और दूसरी ओर से जीवनपर्यन्त समस्त प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है। यही उसके अहिंसामहाव्रत का स्पष्ट रूप है। मानव-जीवन में विभिन्न प्रवृत्तियों के स्रोत तीन हैं - मन, वचन और काया। इन्हीं से अहिंसा का पालन हो सकता है। पूर्ण अहिंसक मुनि तभी अहिंसा का ठीक ढंग से पालन कर सकता है, जब वह आत्मचिन्तन आदि शुद्धोपयोग में सतत लीन रहने के लिए अपने मन को धर्मध्यान और शुक्लध्यान में लगाए रखे। मगर उत्तम सहनन वाले महामुनि भी अन्तर्मुहूर्त से ज्वाला इन दोनों शुभ ध्यानों में टिके नहीं रह सकते, और मन, वचन और काया के योगों की प्रवृत्ति भी सर्वथा तो तभी रुकती है, जब साधक १४वें सर्वोच्च गुणस्थान की भूमिका पर पहुँच जाता है। इसलिए मध्यम मार्ग यही फलित होता है कि मन, वचन और काया से होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियाँ सर्वथा रोकनी न जाय, साथ ही लक्ष्य से विपरीत जाती हुई मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों से साधक को बचाया भी जाय। अगर इन तीनों प्रवृत्तिस्रोतों की प्रवृत्तियों को खुल कर खेलने दिया जायगा तो इनसे निश्चित ही हिंसा होगी। मन बुरे विचारों में प्रवृत्त हो कर भाव हिंसा करेगा ; वाणी कटु, कठोर, घातक और दुष्ट

बचनो- का उच्चारण करके तथा शरीर असावधानी से गमनागमन आदि विभिन्न चेष्टाएँ करके द्रव्यहिंसा करेगा। अतः इन तीनों प्रवृत्तियों से होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर रोक लगाना अहिंसा के पूर्ण आराधक के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न होता है कि इन तीनों की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कौन-सा उपाय सर्वोत्तम रहेगा? इसके समाधान हेतु शास्त्रकार अहिंसामहाव्रत की पूर्वोक्त पांच भावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। ये पांचो भावनाएँ मिल कर साधक को हिंसा में प्रवृत्त होने का खतरा उपस्थित होते ही तुरत सावधान कर देती हैं, उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जिस प्रकार माता अपने बालक को अच्छे रास्ते पर चलने की हिदायत देती है, स्वयं उसकी उगली पकड़ कर चलना सिखाती है और सकट से बचाती है; साथ ही बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है, पहले से ही वह बुरे रास्ते पर जाने के खतरों से उसे सावधान कर देती है, उसी प्रकार ये पांचो भावनाएँ भी साधक के लिए माताओं की तरह हैं। ये भी साधक को अच्छे रास्ते पर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं, सयम रूप सन्मार्ग पर चलना सिखाती हैं, साधक को सकटो से भी से बचाती है और बुरे रास्ते की ओर प्रवृत्ति करने से रोकती है। तमाम प्रवृत्तियों को बंद करवा कर ये साधक के जीवन का सर्वाङ्गीण विकास भी नहीं रोकती और उसे विकास-घातक दुष्प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त नहीं होने देती।

जीवन के हर मोड़ पर प्रहरी बन कर ये साधक को अपनी प्रवृत्तियों में सावधान रहने का संकेत देती हैं। अगर साधक अपनी प्रवृत्तियों को खुला मैदान दे देता है तो उसकी अहिंसा की साधना खटाई में पड़ जाती है। ये पांचो भावनाएँ अहिंसा के साधक में अहिंसा के संस्कार इतने मजबूत कर देती हैं कि समय आने पर वह हिंसाजन्य प्रवृत्ति की ओर से तुरत मुह मोड़ लेता है। संस्कार बार-बार के अभ्यास से ही सुदृढ होते हैं। अहिंसा का साधक जब अपने मन, बचन, काया को इन भावनाओं का अश्रय ले कर शुभ प्रवृत्तियों की ओर मोड़ लेता है तो उसे अशुभ प्रवृत्तियों की ओर झुकने का मौका ही नहीं मिलता। आखिरकार माता भी तो अपनी सतान में उच्च भावनाएँ भर कर सुसंस्कार जगाती है। कहा भी है—
‘भावनाजोगसुदृढ्या जले नावा व आहिया’ यानी भावना के प्रयोग से शुद्धात्मा उसी प्रकार है, जिस प्रकार जल पर नौका पड़ी रहती है, फिर भी डूबती नहीं है।

अतः यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि ये पांचो भावनाएँ अहिंसा के साधक की रक्षा करने के लिए बाड़ के समान हैं। जैसे बाड़ से अनाज के लहलहाते खेत की रक्षा हो जाती है, वैसे ही भावनारूपी बाड़ से अहिंसामहाव्रती साधक की ओर उसके अहिंसा व्रत की रक्षा हो जाती है। शास्त्रकार स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं—
‘सस्त इमा पंच भावनास्तो पदमस्त वयस्त ह्येति पाशातिपासवेरवजपरिरक्तावृद्धयाए।

अर्थात्—प्रथम व्रत की ये पाँच भावनाएँ प्राणातिपात-हिंसा से विरतिरूप अहिंसा की सब ओर से रक्षा के लिए हैं। यही इन भावनाओं की वास्तविक उपयोगिता है। अगर ये भावनाएँ न होती तो साधक न जाने कहाँ से कहाँ जा कर पतन के गड्ढे में गिरता। अहिंसामहाव्रत की प्रतिज्ञा ले लेने मात्र से ही तो अहिंसा का पालन नहीं हो जाता। जीवन के हर मोड़ पर साधक के सामने अहिंसा रहे, हर प्रवृत्ति में वह अहिंसा को अनुप्राणित देखे, तभी अहिंसा का पालन हो सकता है। और यह सब भावनाओं से जनित सस्कारों की दृढ़ता पर निर्भर है। इससे यह अदाजा लगाया जा सकता है कि अहिंसा के साधक के लिए इन भावनाओं का जीवन में कितना महत्व और स्थान है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब तक इन पाँच भावनाओं के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और तदनुसार विशुद्ध चिन्तन नहीं हो सकेगा, तब तक प्राणातिपातविरमणरूप अहिंसामहाव्रत का पालन यथार्थरूप में नहीं होगा। अब सवाल यह होता है कि मनुष्य के जीवन में तो असंख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं, फिर इन पाँच ही भावनाओं से कैसे काम चलेगा? असंख्य भावनाओं की जरूरत रहेगी? इसके उत्तर में इतना ही निवेदन है कि प्रवृत्तियाँ असंख्य होते हुए भी उनका वर्गीकरण करके मुख्य ५ भागों में उन्हे बाँट दिया गया है, अतः उन सब पर ये पाँच भावनाएँ ही पूरा पूरा नियंत्रण रख सकेगी। संघ में अनेकों साधु होते हुए भी उन पर नियंत्रण साधुओं के नायक आचार्य के हाथ में होता है, वैसे ही प्रवृत्तियाँ अनेकों होते हुए भी उनको पाँच वर्गों में बाँट कर जिस वर्ग की जो प्रवृत्ति होगी, उस पर उस वर्ग की भावना नियंत्रण कर सकेगी। वैसे भी साधुओं के जीवन में सीमित और आवश्यक प्रवृत्तियाँ ही होती हैं। अनावश्यक प्रवृत्तियों को तो वहाँ स्थान ही नहीं है। इसलिए साधुजीवन में सम्भावित हिंसा की प्रवृत्तियों पर इन पाँच भावनाओं का पहरा रहने से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से हिंसा को प्रवेश का मौका नहीं मिलेगा।

साधुजीवन में जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, वह इन्द्रियों की है। इन में से वाणी और हाथ की प्रवृत्तियों को छोड़ कर बाकी इन्द्रियों की प्रवृत्तियों को अशुभ से रोकने और शुभ में प्रवृत्त करने वाली अहिंसामहाव्रत की प्रथम भावना—ईर्ष्यासंनिवृत्ति है। ईर्ष्या का वास्तविक अर्थ चर्चा है और चर्चा में केवल गमनागमन ही नहीं आता, अपितु सोना, बैठना, जागना, हाथ-पंर हिलाना, आँखों से देखना, कानों से सुनना आदि प्रवृत्तियाँ भी आ जाती हैं। इसका सन्नत यह है कि शास्त्रकार ने इसी सूत्रपाठ में प्रथम भावना के वर्णन में आगे चल कर कहा है—सन्ध्याया न ह्रीत्सि-
 यन्ना . . . न छिदियन्ना न निन्दियन्ना न बह्येयन्ना, न मयं दुष्कं च किंचि सन्ना
 पयैर्दं वे ।' इसमें प्राणियों की अबहेलना, निन्दा, गर्हा, हिंसा, छेदन, भेदन, बध,
 भयोत्पादन, दुःखोत्पादन आदि प्रवृत्तियों का निषेध किया है। पैरों से तो गमना-

गमन को या किसी को ठोकर या लात मारने की प्रवृत्ति हो सकती है, बाकी की वध-छेदन-भेदन आदि प्रवृत्तियाँ प्रायः हाथों से होती हैं, कान, आँख, जीभ आदि इन्द्रियों उन प्रवृत्तियों में सहायक बनती हैं। इसलिए फलितार्थ यह हुआ कि चर्या में उन तमाम प्रवृत्तियों का समाविष्ट किया जा सकता है, जिनमें बाह्यचेष्टा या हरकत होती हो। तभी पूर्वोक्त पक्ति के साथ इसकी संगति बैठेगी।

साधुजीवन में दूसरी प्रवृत्ति है—वचन की। मन के अन्तर्गत जितनी भी वैचारिक प्रवृत्तियाँ हैं, उन सबका जन्म मन में ही होता है। इसलिए मनःसमिति अहिंसा की दूसरी भावना है, जो मन से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती है।

साधुजीवन की तीसरी प्रवृत्ति वाणी से सम्बन्धित है। वचन-प्रवृत्ति से सम्बन्धित जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं—जैसे गाली देना, भाषण देना, बकना, निन्दा करना, आक्षेप करना, भय पैदा करना, घमकी देना आदि, उन सबका समावेश वचनप्रवृत्ति में हो जाता है। इसलिए वाणी से सम्बन्धित तमाम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाली अहिंसा की तृतीय भावना वचनसमिति है।

अब दो प्रवृत्तियाँ और हैं, जो साधु-जीवन में खास हैं—(१) भोजन-वस्त्रादि लाने और उनका उपयोग करने की तथा (२) वस्त्र-पात्रादि को उठाने-रखने की एवं मलमूत्र, पसीना, लीट, कफ आदि शरीर के विकारों को डालने की। साधु-जीवन की इन दोनों आवश्यक प्रवृत्तियों के लिए अहिंसामहाव्रत की क्रमशः चौथी—एषणा-समितिभावना एवं पाँचवीं आदाननिक्षेपणसमितिभावना है।

इनके सिवाय साधुजीवन के लिए और कोई खास प्रवृत्ति बची नहीं है। बीमार पडने पर इलाज या औषधादि प्रयोग जैसी कोई साधुजीवन में आवश्यक प्रवृत्ति बचती भी है, तो उसका समावेश ईयांसमिति में हो जाता है।

पाँच भावनाओं का स्वरूप—अब हम क्रमशः इन पाँचों भावनाओं के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे—

(१) ईयांसमितिभावना—साधु की गमनागमन आदि जितनी भी चर्याएँ हैं, उन सब में प्रवृत्त होने से पहले साधु आँखों से खूब अच्छी तरह सावधानी से देख ले। उतावली से कोई भी चर्या न करे। रास्ते में चलते समय या स्थान पर भी उठने-बैठने, सोने आदि की चर्या करते समय छोटा या बड़ा, स्थावर या क्रस कोई भी जीव मरे नहीं, डरे नहीं, कुचला न जाय, तकलीफ न पाए, उसे मारा-पीटा या सताया न जाय, बल्कि यहां तक कि वह रास्ते में पड़ा कराह रहा हो, छटपटा रहा हो या तकलीफ पा रहा हो तो उसकी उपेक्षा न करे, न उसके तुच्छ जीवन की बुराई या निन्दा करे, अपितु उसे निर्भय और दुःखमुक्त करने का यथोचित प्रयत्न किया जाय। समस्त प्राणियों

का रक्षक और माता-पिता होने के नाते साधु को छोटे-बड़े सभी प्राणियों के प्रति दया-परायण हो कर रहना चाहिए ।

(२) मनःसमिति भावना—मन मे जो भी विचार या भाव उठे, उसे पहले जांचि-पारखे कि यह धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त ? पापकारी है या पुण्यकारी ? दूसरों को हानि, बध, बंधन, पीडा, मृत्यु, भय, क्लेश आदि पहुंचाने वाला तो नहीं है ? यदि कोई भी हानिकर, पापवर्द्धक या अशुभ विचार मन मे आने लगे तो तुरत उसे रोक देना चाहिए । जरा-सा भी खराब विचार कभी मन मे न घुसने पाए, और न ही इष्ट-वियोग और अनिष्टसंयोग के समय मन मे आतंघ्यान—चिन्ता-शोक ही आना चाहिए । मन को अच्छे विचारों, शुद्धभावो, शुभध्यानो या शुद्ध आत्मचिन्तन की ओर लगाए रखना, यही मनःसमितिभावना है ।

(३) वचनसमितिभावना—वाणी से कर्कश, कठोर, हिसाकारक, छंदनभेदन-कारक, सावद्य—पापमय प्रवृत्ति मे डालने वाला, असत्य, किसी भी प्राणी के लिए बध, बधन, क्लेश, भय, मृत्यु आदि का जनक, तीखा, कटाक्ष, दिल को चुभने वाला वचन साधु न बोले, वाणी पर सयम रखे । जब भी बोलना हो, तो हित, परिमित, पथ्य, सत्य और मधुर वचन बोले । यही वचनसमितिभावना है ।

(४) एषणासमिति भावना—भोजन, वस्त्र, पात्र आदि जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ हैं । जब तक शरीर रहता है, तब तक उनकी पूति करना जरूरी है, क्योंकि शरीर के टिके बिना धर्मपालन भी कैसे होगा ? स्वाध्याय, ध्यान, सेवा या स्वपरकल्याण के कार्यों मे प्रवृत्ति भी स्वस्थ और सशक्त शरीर के बिना कैसे होगी ? अतः साधुजीवन के लिए शास्त्रविहित उद्गम, उत्पादन और एषणा के दोषो से रहित शुद्ध भिक्षाचर्या बताई है । उसके जरिये ही भोजनवस्त्रादि आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करे । किन्तु भोजन भी गाड़ी की धुरी मे तेल डालने या घाव पर मरहम लगाने के समान केवल सयमी जीवनयात्रा को चलाने के लिए ही करे, मौज मजा के लिए नहीं । भोजन करते समय भी संयोजन, अगार, धूम आदि प्रासैषणा के दोषो से बचे । भोजनादि का ग्रहण भी केवल सयमयात्रा एवं प्राणधारण करने के हेतु से अत्यन्त शान्तभाव से अदीनतापूर्वक करे । यह एषणासमितिभावना है ।

(५) आदाननिकोपणसमितिभावना—साधु की अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कुछ धर्मोपकरणो का शास्त्र मे विधान है । किन्तु उन उपकरणो का इस्तेमाल करने के साथ ही यदि उन्हें ठीकतौर से देखे-भाले नहीं तो उनमे अनेक जीव आ कर बसेरा कर लेते हैं । यदि उन्हें नाद मे हटाया जाय तो उनमे से कई मर जाते हैं । मरें नहीं, तो भी उन्हें उस जगह को छोडने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है । इसलिए उन सब उपकरणो का, जिन्हें माधु इस्तेमाल करता है, रोजाना आंखों से प्रतिनेखन

और कोमल रजोहरण से प्रमार्जन करना आवश्यक है। उन्हें उठते और रखते समय भी कोई जीव न मर जाय, इसकी भी सावधानी रखनी चाहिए। इसी समिति की भावना के अन्तर्गत इस प्रकार की प्रवृत्ति की भावना भी आ जाती है कि साधु के मलयूत्र आदि शरीर के विकारों का विसर्जन भी उपयोगसहित होना चाहिए, ताकि किसी जीव की विराधना न हो जाय, यही पाचवीं आदाननिक्षेपसमितिभावना का स्वरूप है।

ईर्यासमितिभावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसामहाव्रत की सुरक्षा के लिए यह सबसे पहली भावना है। इस भावना के विशिष्ट चिन्तन और प्रयोग के लिए शास्त्रकार ने संकेत किया है—‘पठ्यं ठाण्यमभ्यगुणजोम .. विट्ठीए इरियत्थं दयादरेण पुप्फ परिबद्धिएण सम्मं .. सम्बपाण .. लब्भा पावेत्तं।’ इसका भावार्थ यह है कि साधु सर्वप्रथम यह चिन्तन करे कि ‘मैं पचमहाव्रती अहिंसक साधु हूँ। अतः बैठने, उठने, सोने चलने आदि तमाम चेष्टाओं—चर्याओं को करते समय मेरे निमित्त से कोई भी जीव कुचला न जाय, किसी भी जीव को पीड़ा न हो, कोई भी जीव मुझ से भय न खाए, दुःखी न हो। जैसे मेरा अपना जीवन बहुमूल्य है, वैसे ही उनका भी अपना जीवन बहुमूल्य है। जैसे किसी के द्वारा मारे या सताये जाने पर मुझे दुःख होता है; वैसे ही वे भी मेरे द्वारा मारे या सताए जायेंगे तो उन्हें भी कष्ट होगा।’ इस प्रकार के चिन्तन के प्रकाश में वह अपनी प्रवृत्ति करे। रास्ते में चलते समय, बैठते समय या सोते समय वनस्पतिकाय से सम्बन्धित पत्तों, फल, फूल आदि बिखरे हुए हो तो उन्हें बचाते हुए चले। गमनावसन आदि चर्या करते समय साधु के सामने भगवान् महावीर के द्वारा उपदिष्ट अहिंसा के पालन का ही लक्ष्य हो, उसकी दृष्टि उस स्थल पर ही हो, जिस पर वह चर्या कर रहा है; उसका हृदय सभी प्राणियों के प्रति आत्मोपम्यभाव और वात्सल्य से भरा हो, उसके हाथ, पैर, आँख, कान, जीभ आदि अवयव लक्ष्य के विपरीत गति न करें; उसके समक्ष यह सिद्धान्त स्पष्ट होना चाहिए कि मैं विश्व के प्राणिमात्र की रक्षा और दया के लिए साधु बना हूँ। छोटे से छोटे कीड़े या वनस्पति आदि स्यावरजीव के प्रति भी उसके मन में उपेक्षा, तिरस्कार, निन्दा, वृणा या तुच्छता की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का चिन्तन और प्रयोग इस भावना के साथ होना चाहिए।

इस प्रकार से ईर्यासमितिभावना का चिन्तन एवं प्रयोग करने से साधु अहिंसा का पूर्णतः पालन करके अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। इसी बात को शास्त्रकार अपने ग्रन्थों में कहते हैं—‘एवं इरियासमितिजोषेण भावितो भवति अंतरस्या असन्न-... भावनाए अहिंसयो, संजयो सुसाधू’। इसका आशय यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से ईर्यासमितिभावना के अनुसार चिन्तन और प्रयोग करने से साधु के अन्तःकरण में अहिंसा

के संस्कार बद्धमूल हो जायेगे और २१ शबलदोषो^१ से रहित, शुभपरिणामयुक्त अब्जं चारित्र्य की भावना से बहु पूर्ण अहिंसक और सुसयमी बन कर मोक्षपक्ष का उत्तम साधक बन जायगा ।

मनःसमिति भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा के लिए मन के द्वारा होने वाली तमाम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होना आवश्यक है । यह नियंत्रण करती है—मनःसमिति भावना । प्राणी सबसे अधिक पापबन्ध मन के द्वारा करता है, सर्वप्रथम हिंसा का जन्म मन में ही होता है, बाह्यहिंसा तो बाद में होती है । मन इतना जबर्दस्त है कि अगर उसे साधा न जाय तो वह बेकाबू हो कर बड़े-बड़े साधकों को चारों खाने चित्त कर देता है । इसीलिए शास्त्रकार मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए मनःसमितिभावना के चिन्तन और प्रयोग की ओर इशारा करते हैं—‘भ्रमणं पावणं पावकं अहम्मियं न कयाचि किंचिच्चि ज्ञायिष्यं । इसका तात्पर्य यह है कि मन बड़ा चंचल होता है, वह पापकार्य की ओर झुकते देर नहीं लगाता । इसलिए मन को पापी कह कर यह संकेत किया है कि ‘मन पर कभी भरोसा मत करो । इसकी मलिनता ही सब पापों का उद्गम स्थान है ।’ इसलिए मन पर कड़ा पहरा रखो । ज्यों ही यह अधर्मयुक्त विचारों की ओर झुकने लगे, त्यों ही इसे रोको । क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असयम आदि तथा मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या-आचरण ये अधर्म हैं । इन अधर्मों की ओर मन को जाने दिया तो यह क्रूर और कठोर हो जायगा, बध, बध, क्लेश-मरण भय आदि के विचार करके पापी बन जायगा । इसलिए इसमें कभी भी जरा-सा भी क्रूर, कठोर और भयकर विचार मत आने दो, न दूसरे प्राणियों को पीटने, सताने, बाधने और हैरान करने का विकल्प पैदा होने दो । क्योंकि ऐसे कुविचारों और दुःसकल्पों से भयंकर अशुभ ज्ञानावरणीय, असातावेदनीय आदि कर्मों का तीव्र बन्ध हो जाता है, जिसका फल नरक आदि दुर्गति का भयानक दुःख है । इसलिए मन को स्वाध्याय, उत्तम ध्यान, परोपकार-चिन्तन या क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दस उत्तम धर्मों के चिन्तन में लगाए रखो । उसे कभी बुरे विचारों के करने का मौका ही न दो । यही मनःसमितिभावना का चिन्तन और प्रयोग है ।

ऐसे उत्तम चिन्तन और प्रयोग के फलस्वरूप मन में बुरे विचार जड़ से उखड़ कर शुद्ध शुभ विचारों के संस्कार जड़ जमा लगे और ऐसे साधु की अन्तरात्मा शुद्ध, अब्जचरित्र की भावना से पूर्ण अहिंसक सयमी बन जायगी, वही सुसाधु उत्तम

१ शबलदोषों की विशेष जानकारी के लिए देखो, दशाभुतस्कन्धसूत्र ।

मोक्ष को उपलब्ध कर लेगा। इसी की ओर शास्त्रकार इंगित कर रहे हैं—'वचनसमित्तजोगेण भावितो ' अहिंसओ संजओ सुसाहू ।'

वचनसमित्त भावना का विशिष्ट चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसा महाव्रत को सुरक्षित रखने के लिए वचन के द्वारा होने वाली तमाम प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए तीसरी वचनसमित्तभावना है, जिसके चिन्तन और प्रयोग की ओर शास्त्रकार संकेत करते हैं—'बसीते पाविपाते पावकं ' 'न किंचि चि भासियब्ब'। इसका आशय यह है कि प्रवृत्ति के लिए मन के बाद वचन दूसरा साधन है। साधु को अहिंसा का पूर्णरूप से पालन करने के लिए वचन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। उसे किसी अनिवार्य कारण के बिना तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को उपदेश, प्रेरणा, आदेश—निर्देश देना ही पड़े तो बड़ी सावधानी से हित, मित, पथ्य, सत्य और श्रुत वचन बोले। परन्तु कई साधुको को अभिमानवश अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा अथवा दूसरों को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए उनके दोष प्रगट करने की या कटु आलोचना या साम्प्रदायिक विद्वेषवश दूसरे सम्प्रदाय या सम्प्रदायभक्तों का खण्डन करने की आदत हो जाती है। बोलते समय जबान पर नियंत्रण न होने के कारण वे अपशब्द, गाली, कर्कश शब्द और तानों का भी प्रयोग कर बैठते हैं। कई बार वे अविवेकवश प्राणिघातजनक, पीडाजनक सावध वचन कह डालते हैं, जो सीधे हिंसाजनक होते हैं, स्वपर के लिए अकल्याणकारी होते हैं। अधिक डींगें हाकने वालों, व्यर्थ की उलजलूल बातें कह कर गाल बजाने वालों या वाचालों की वाणी की कोई कद्र नहीं होती, न किसी को उनके कथन पर प्रतीति होती है। इसी प्रकार मुंह से जो वचन कहा जाता है, उस पर अमल न करने पर भी लोगों को उस पर अविश्वास हो जाता है। असत्यवचन भी एक तरह से भावहिंसा-जनक होता है। इसीलिए शास्त्रकार ऐसे अधर्मयुक्त, कर्कश, भयकर तथा बध, बध और सक्लेश पैदा करने वाले पापकारी वचन बोलने से सावधान रहने का निर्देश करते हैं कि जिन वचनों से धर्ममर्यादा नष्ट होती हो, जो परपीडाजनक हों, ऐसे पापमय वचनों का कदापि जरा-सा भी उच्चारण नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार वचनसमित्तभावना के अनुसार चिन्तन और प्रयोग करने के फलस्वरूप साधक को क्या लाभ होता है? इसी बात को शास्त्रकार ध्वनित करते हैं—'वचनसमित्तजोगेण भावितो ' 'वचनं अंतरप्या अहिंसओ संजओ सुसाहू ।' तात्पर्य यह है कि वचनसमित्त भावना के पूर्वोक्त चिन्तन और अभ्यास से साधक की अन्तरात्मा में शुद्ध सुसंस्कार जड़ जमा लेते हैं, जिसके कारण अहिंसा की यथार्थ आराधना करके वह संयमी सुसाधु मोक्ष सिद्धि पा लेता है।

एवमासमित्तभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसामहाव्रत की

सुरक्षा के लिए साधक में स्फूर्ति और उत्साह बढ़ाने वाली चौथी एषणासमितिभावना है। इस पर चिन्तन का संकेत शास्त्रकार ने विशदरूप से किया है— आहारएसचाए शुद्धं जंछं गवेसियब्धं, अस्माए... भिक्षुं भिक्षवेसणाते कुत्ते, साधुवाणेऊण भिक्षवायरियं जंछं घेत्त् ष... संजमजायामायामिमिसं भुंजेज्जा संजमभारवहणट्ठयाए पाण-धारणट्ठयाए सभियं। इस समिति के चिन्तनहेतु शास्त्रकार ने तीन बातों की ओर संकेत किया है—(१) भिक्षु शुद्धभिक्षा किस तरीके से लाए ? (२) भिक्षाप्राप्त आहार का सेवन किस प्रकार करे ? (३) आहार क्यों और किसलिए किया जाय ? इसका तात्पर्य यह है कि पंचमहावती पूर्ण अहिंसक साधु को अपने समय का और साधुधर्म का भलीभांति पालन करना है। और शरीर संयम एवं धर्म के पालन का मुख्य साधन है। शरीर को टिकाए बिना संयम और धर्म का पालन नहीं हो सकता। शरीरधारण के लिए भोजन-पानी लेना आवश्यक है। अगर आहार-पानी लेना सदा के लिए बंद कर दिया जाय तो शरीर चल नहीं सकेगा। उधर अहिंसा का भी उसे पूर्णरूप से पालन करना है। भोजन बनाने-बनवाने में हिंसा होती है; अतः षट्काय के जीवों का रक्षक और पीहर बना हुआ साधु जीवहिंसा के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। इसी उद्देश्य से पिछले सूत्र के उत्तरार्द्ध में भिक्षाविधि का निरूपण शास्त्रकार ने किया है। यहाँ भी एषणासमिति के प्रारम्भ में एक वाक्य में वही बात दुहरा दी है कि आहार का इच्छुक भिक्षु भिक्षाचर्या द्वारा कई घरों से थोड़ा-थोड़ा ले कर शुद्ध आहार ग्रहण करे। शुद्धशब्द यहाँ पिछले सूत्र में बताए हुए ४२ दोषों से रहित आहार को ध्वनित करता है और उच्छशब्द ध्वनित करता है—माधुकरी और गोचरी को। इसका आशय यह है कि जैसे गाय मूल से पौधे को उखाड़े बिना ऊपर-ऊपर से घास आदि को चरती-चरती चली जाती है; इससे गाय की भी तृप्ति हो जाती है और पौधा भी जड़मूल से नहीं उखड़ता; वैसे ही साधु भी अनेक घरों से गृहस्थों के यहाँ उनके अपने लिए बने हुए भोजन में से थोड़ा-थोड़ा ले कर अपनी तृप्ति और तृप्ति कर ले। और गृहस्थों को भी इससे कोई कष्ट नहीं होता। यह गोचरी कहलाती है। इसी प्रकार जैसे भौरा फूलों का रस लेने के लिए अनेक फूलों पर बैठ कर थोड़ा-थोड़ा रस लेता है; जिससे फूलों को भी कोई कष्ट नहीं होता और भौरा भी अपनी तृप्ति कर लेता है; वैसे ही साधु भी आहार लेने के लिए अनेक घरों में जाकर थोड़ा-थोड़ा भोजन ले, जिससे गृहस्थों को भी कोई कष्ट न हो और साधु की भी तृप्ति हो जाय; इसे माधुकरी कहते हैं।

भिक्षाचर्या में शुद्धि के लिए पूर्वसूत्र में शास्त्रकार बहुत कुछ निर्देश कर चुके हैं, यहाँ दूसरे पक्ष से भिक्षा-शुद्धि का निर्देश कर रहे हैं। उनका कहना है कि भिक्षाटन करने वाला साधु दाता के सामने अपना पूर्व परिचय न दे।

साधु का वर्तमान रूप ही उसका परिचय है। इससे अधिक प्रशंसात्मक परिचय तो वह देता है, जिसे बढ़िया पीष्टिक और स्वादिष्ट भोजन या कीमती बस्त्रादि की आकांक्षा हो। साधु को तो शरीर की गाड़ी चलाने के लिए यथालाभ भोजन लेना है। जैसे गाड़ी को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसकी धुरी में तेल दिया जाता है, शरीर के घाव पर जैसे मरहम लगा दिया जाता है, वैसे साधु को भी शरीर चलाने के लिए थोड़ा-सा भोजन लेना है। उसे गृहस्थ से यह कहने की क्या जरूरत है कि 'मैं धनाढ्य घर का दीक्षित हुआ हूँ।' कदाचित् गृहस्थ साधु के गृहस्थाश्रमपक्षीय सम्बन्ध को जान भी जाए तो भी उस साधु को अनासक्तभाव धारण करना चाहिए। दाता यदि देने में प्रतिकूलता दिखाए, अनाकानी करे, अथवा अस्त्राहु आहार साधु को दे तो वह अपने चित्त में उसके प्रति द्वेष या दुर्भाव न आने दे। कदाचित् बहुत जगह घूमने पर भी नियमानुसार आहार न मिले, तो भी साधु मन में दीनता या हीनभावना न आने दे और न ऐसा मुझाया चेहरा बना ले, जिससे लोगों को उसे देख कर रुषणा पैदा हो। एक दिन भोजन न मिला तो क्या हुआ ? साधु उपवास भी तो करता है। कदाचित् भिक्षाटन के समय कोई साधु का अपमान कर बैठे या अपशब्द कह दे तो भी मन में विषाद न आने दे। घूमते-घूमते काफी देर हो जाने पर भी पर्याप्त आहार न मिले या निर्दोष आहार जरा भी नहीं मिले तो साधु उसके कारण झुझला कर हारे-थके निराश व्यक्ति की तरह न बैठ जाय, किन्तु उत्साहपूर्वक मन में यकान महसूस किए बिना पुरुषार्थ करता रहे। इतने पर भी न मिले या पर्याप्त आहार न मिले तो साधु की हानि नहीं। वह यही सोचे कि चलो, आज अनायास ही उपवास करके कर्मनिर्बन्धन करने का मौका मिल गया। अथवा यों सोचे कि आत्मा तो निराहारी है। आहार तो शरीर को चाहिए। और यह शरीर तो आहार करते हुए भी क्षीण हो जाता है। यह तो केवल संयम में सहायक है। इसलिए एक दिन इसे आहार न दिया जायगा तो इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ऐसा समझ कर निर्दोष आहार की ही गवेषणा करे। भिक्षाचरी करते समय साधु के सामने यह लक्ष्य चमकता रहना चाहिए कि "शुद्धे बड़ी कठिनाता से प्राप्त संयम के योगों को स्थिर रखने के लिए पुरुषार्थ करना है, अप्राप्त संयमघन की प्राप्ति के लिए उद्यम करना है, विनय तथा क्षमा आदि आत्मिक गुणों की प्रवृत्ति में जुटे रहना है।" इस प्रकार भिक्षाचरी करते समय साधु ऊँच, नीच, मध्यम सभी स्थिति के लोगों के यहा समभावपूर्वक जाय और कल्पनीय-एषणीय आहार समभाव से भिक्षा के रूप में ले कर अपने उपाश्रय (धर्मस्थान) में आ जाय।

यहाँ तक शास्त्रकार ने शुद्ध भिक्षाचरी का तरीका बतलाया, अब आगे भिक्षा-प्राप्त आहार के सेवन का तरीका बताया गया है। क्योंकि कई बार भिक्षा निर्दोष

होने पर भी मनोन्न या अमनोन्न आहार मिलने पर साधु के मन में गर्व या दैन्य, हर्ष या अफसोस होता है। कई बार तो वह भाव साधु की चेष्टाओं में भी उतर जाता है। उन भावों से जनता में अनादर तो होता ही है, भावहिंसा भी हो जाती है। अतः उस भाव-हिंसा से बचने के लिए भिक्षाप्राप्त आहार के सेवन की विधि शास्त्रकार ने बताई है। वह भिक्षाप्राप्त आहार ले कर साधु अपने गुरु के पास आए और भिक्षाटन के समय जो भी गमनागमनसम्बन्धी दोष लगे हों, उनका प्रतिक्रमण करे। तत्पश्चात् गुरुचरणों में जा कर आलोचना करे और उनके उपदेशानुसार प्रायश्चित्त ले कर मुद्ध हो। फिर सुखपूर्वक आसन पर बैठ कर मुहूर्त्तभर धर्मध्यान, शुभयोग, ज्ञान, स्वाध्याय में अपने अन्तःकरण को लीन करे, अन्य सब अशुभ विकल्पों को मन से निकाल दे। उस समय मन को एकाग्रता से धर्मचिन्तन में लगाए। सूने मन से गुमसुम हो कर न बैठे, अपितु मन को शुभ परिणामों में जोड़ दे, उसे क्लेश या कदाग्रह से दूर रखे, आत्मचिन्तन में एकाग्र हो कर मन को समाधिस्थ कर ले, तथा श्रद्धा, संवेग और निर्जरा की त्रिवेणी में स्नान कराए। फिर प्रबचन आगम या संघ के प्रति वात्सल्यभावना से मन को ओतप्रोत करके वहाँ से हृष्ट-तुष्ट हो कर उठे और बड़े-छोटे के क्रम से भावनापूर्वक सभी उपस्थित साधुओं को बुलाए। गुरुजन आ कर जब सबको आहार वितरित कर दें तो मस्तकसहित अपने सारे शरीर का रजोहरण से प्रमार्जन करे, वस्त्रस्रण्ड से हाथ पोछे और फिर भोजन करना शुरू करे। भोजन करते समय सरस आहार के प्रति आसक्ति न लाए। जो चीज नहीं मिली हो, उसकी आकांक्षा न करे, सरस चीज के मोह में भी न फसे, नीरस भोजन या उसके दाता की निन्दा न करे, न स्वादिष्ट पदार्थों में अपने मन को लीन करे। भोजनभट्ट बनकर लोभवश अधिक न खाए। भोजन को शरीर के लिए नहीं, अपितु परमार्थ साधना के लिए समझे। तरल पदार्थ का सेवन करते समय मुँह से सुर-सुर या चप-चप आवाज न करे, भोजन भी बहुत जल्दी जल्दी उतावला हो कर न करे, और न ही बहुत धीरे-धीरे करे। भोजन करते समय दाल, साग, रोटी आदि जमीन पर न गिरने दे, अन्यथा चीटी आदि जतुओं के इकट्ठे हो जाने से उनकी विराधना होगी। भोजन भी प्रकाशयुक्त स्थान में और चौड़े प्रकाशयुक्त पात्र में यतनापूर्वक करे। भोजन करते समय भी प्रासंघना के पाच दोनों से बचे। वे पाच दोष इस प्रकार हैं—संयोगदोष, प्रमाणदोष, धूमदोष, अंगारदोष, और कारणदोष, भोजन के एक पदार्थ को स्वादिष्ट और सरस बनाने के लिए उसमें दूसरी चीज का रसजोषुपतावश संयोग करना, संयोजनादोष या संयोगदोष है। दूसरा प्रमाण दोष है। पिठनिर्मुक्ति आदि ग्रन्थों में साधुसाध्वी के लिए आहार के कौरो (प्रासो) की संख्या बताई है। स्वादिष्ट लगने पर उस प्रमाण से अधिक भोजन करे या अपने भोजन की निर्धारित मात्रा से अधिक ठूस-ठूस कर भोजन करे तो वह प्रमाणदोष होता है। अमनोन्न आहार मिलने पर दाता या उस वस्तु की द्वेषवश निन्दा करने

लगे तो धूमदोष लगता है। इस प्रकार द्वेषवश निन्दा करने वाले साधु का चरित्र धुँए की तरह कलुषित हो जाता है, इसलिए इसे धूमदोष कहा गया है। सरस और निर्दोष आहार के प्रति आसक्ति हो जाने से उसके दाता की या उस भोज्य पदार्थ की तारीफ करते हुए खाना अंगारदोष है। यह दोष साधु के चारित्रसाधना को अंगारे की तरह जलाने वाला होता है, अतः इसे अंगार कहा है। कारणदोष उमे कहते हैं, जहाँ साधु शास्त्र में बताया गए ६ कारणों के बिना ही आहार करे या ६ कारणों के बिना ही आहार का त्याग कर दे। साधु को आहार करने के लिए उत्तराध्ययनसूत्र में ६ कारण बताए हैं—

‘वेद्यन-वेद्यावच्छे इरियदृठाए य संजमदृठाए ।

तह पाणवत्तियाए छट्ठं पुण धम्मच्चिताए’ ॥^१

अर्थात्—इन ६ कारणों से साधु आहार करे—(१) भूख की वेदना—बेचैनी सहन न हो सके तो, (२) वैयावृत्य (गुरु आदि की सेवा) करने के लिए, (३) ईर्ष्या-समिति के पालन करने के लिए, (४) सयम की क्रियाओं को ठीक तरह से पालन करने के लिए, (५) प्राणधारण करने के लिए, और (६) धर्म चिन्तन के लिए।

भूख से बेचैन साधु न तो सेवा कर सकेगा, न ईर्ष्यासमिति का पालन कर सकेगा। भूख के मारे उसकी आँखों के सामने अधेरा छा जायगा, और वह सयम की क्रियाएँ नहीं कर सकेगा।

साधु को आहार न करने के लिए भी ६ कारण बताए हैं—

आयंके उवसम्ये बंभगुत्ती य पाणरक्खदृठा ।

तवसंसेहणमेवमभोजणं छसु कुबिच्छा ॥

अर्थात्—इन ६ कारणों से साधु आहार का त्याग करे—(१) कोई आतंक उपस्थित होने पर, (२) अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग (देव-मनुष्य-तिर्यचकृत) आ पडने पर, (३) ब्रह्मचर्य यानी-कामोत्तेजना के शमन के लिए, (४) वर्षा, कुहरा आदि पड़ रहे हो, उस समय उन जीवों की रक्षा के लिए, (५) सलेखना - आमरण अनशन कर दिया हो तो, और (६) उपवास आदि तपश्चर्या के समय।

आहार करने के कारण शास्त्रकार स्वयं बताते हैं—‘संजंमजायामायानिमित्तं

१. निम्नलिखित गाथा भी आहार करने के ६ कारणों के सम्बन्ध में मिलती है—

छुहवेद्यन-वेद्यावच्छे संजमसुहण्णपाणरक्खदृठा ।

पाणिबध्या तचहेठं छट्ठं पुण धम्मच्चिताए ॥१॥

—प्रवचनसारोद्धार

—सम्पादक

संयमभारवहृषट्ठयाए पाणधारण्डठयाए भुंजेष्णा ।' इसका भावार्थ यह है कि संयम की प्रवृत्तियों को करने के लिए, संयम के भार को बहन करने के लिए तथा जिदगी टिकाए रखने के लिए साधु भोजन करे ।

इस प्रकार एषणासमिति के पूर्वोक्त तीनों पहलुओं पर साधु चिन्तन करे और तदनुसार उसे क्रियान्वित करे । इस प्रकार आहारैषणासमितिभावना का सम्यक् रूप से चिन्तन और प्रयोग करने पर आत्मा में इस समिति के सस्कार सुदृढ हो जाते हैं, उसका चारित्र्य निर्मल, शुभ परिणाम से युक्त एव अखण्ड हो जाता है । ऐसा पूर्ण अहिंसा का उपासक सुसाधु ही मोक्षसाधना में अग्रसर होता है ।

आदाननिक्षेपसमितिभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अहिंसामहाव्रत की सुरक्षा के लिए साधु को धर्मोपकरणों (सामान) को रखने—उठाने, या मलमूत्रोत्सर्ग आदि प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु आदाननिक्षेपसमिति भावना बताई गई है । जिसके चिन्तन और प्रयोग के लिए शास्त्रकार स्वयं अगुनिनिर्देश करते हैं— 'पंचमं आदाननिक्षेपसमिर्हंउपकरणं रागबोसरहित्यं परिहरित्यं .. निष्क-यत्वं निष्कियत्वं च भाषणर्षडोबहिउवगरणं ।' इसका तात्पर्य यही है कि साधु को संयमयात्रा के लिए आहार की तरह वस्त्र, पात्र, कबल, रजोहरण, पादप्रोछन तथा सोने के लिए पट्टा, चौकी, बिछौना (सस्तारक), दण्ड, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका आदि भिक्षा द्वारा प्राप्त किये हुए होने पर भी यदि उनके रखने-उठाने आदि का विवेक नहीं है तो ये उपकरण भी हिंसा के कारण बन जाते हैं । इसलिए आदाननिक्षेपसमितिभावना में शास्त्रकार ने कुछ उपकरणों के नाम गिनाए हैं । साथ ही उन उपकरणों के रखने का प्रयोजन, उन्हें रखने के पीछे के भाव एव उनकी देखभाल तथा रखने—उठाने में विवेक आदि बातों का निरूपण किया है । अतः साधु सर्वप्रथम यह चिन्तन करे कि महापुरुषों ने ये धर्मोपकरण कितने, क्यों और किसलिए रखने और किस तरीके से उनका उपयोग करने का विधान किया है ? साधु को उक्त बारह तथा आदि शब्द से और भी धर्मोपकरण शरीर को सुकुमार बनाने या मोटा ताजा बनाने के लिए नहीं, अपितु संयम के पोषण—वृद्धि के लिए रखने हैं । और रखने हैं—संयमयात्रा के लिए अनिवार्य साधनभूत शरीर की प्रतिकूल हवा, सर्दी, गर्मी, दंभ, मच्छर आदि से रक्षा—बचाव के लिए । फिर भी इन उपकरणों को राग (मोह, लोभ आदि) तथा द्वेष (घृणा आदि) से रहित हो कर ही रखना है । साथ ही इन उपकरणों का इस्तेमाल करने के दौरान प्रतिदिन प्रातः और सायं दोनों समय प्रमादरहित हो कर प्रमार्जन और प्रतिलेखन करे । उन्हें उठाते और रखते समय बड़ी सावधानी से जीवजन्तुओं को देख कर उठाए और रखे । इस प्रकार यहाँ जो भी उपकरण बताए गए हैं, वे साधु के संयम के लिए उपयोगी, ब्रह्मचर्य को रक्षा

और ममत्वत्याग की दृष्टि से सीधे-सादे हों। वे टीपटाप, फैसन और आडंबर से रहित हों। अहिंसा की रक्षा की दृष्टि से इन सब पहलुओं से धर्मोपकरणों को रखने व इस्तेमाल करने की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के हेतु आदाननिक्षेपसमितिभावना बताई गई है। इस भावना के अनुरूप चिन्तन और सम्यक् परिपालन करने पर साधु के जीवन में इस समिति के सस्कार सुदृढ हो जाते हैं। उसका चरित्र निर्मल, विशुद्ध परिणामों से युक्त तथा अलण्ड रहता है। और तब वह पूर्ण अहिंसा का उपासक संयमी, स्वपरकल्याणसाधक—मोक्ष का साधक बन जाता है।

पंचभावनायोग की महिमा - शास्त्रकार इस सूत्रपाठ के अन्त में अहिंसारूप प्रथम संवरद्वार की रक्षा के लिए निर्देश करते हैं कि इन पूर्वोक्त पाच भावनाओं का सहारा लेकर बुद्धिमान् और धैर्यवान् साधक को मन-वचन-काया की सुरक्षापूर्वक जिदगी के अन्त तक मतत हृदता से इस अहिंसारूप संवरद्वार का सेवन करना चाहिए। यह पंचभावनायोग नये कर्मों को रोकने वाला, पापरहित, कर्मजलप्रवेश का रोधक, पापनिषेधक, असन्विलष्ट, निर्दोष एवं सभी तीर्थंकरों द्वारा अनुमत है।

उपसंहार—इस अध्यायन के अन्त में शास्त्रकार प्रथम संवरद्वार की महिमा अनेक विशेषणों द्वारा व्यक्त करते हैं। इन सबका अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र की सुबोधिनी व्याख्यासहित अहिंसा नामक छठे अध्यायन के रूप में प्रथम संवरद्वार समाप्त हुआ।



सातवां अध्ययन : सत्यसंवर

सत्य की महिमा और उसका स्वरूप

प्रथम सवरद्वार में प्राणातिपातविरमणरूप अहिंसा के सम्बन्ध में शास्त्रकार ने विशद निरूपण किया है। अहिंसा का पूर्ण रूप से सागोपाग पालन सत्यव्रत के धारण करने वालों द्वारा ही हो सकता है। अतः प्रसंगवश शास्त्रकार 'सत्यवचन' के रूप में द्वितीय सवरद्वार प्रारम्भ कर रहे हैं। सर्वप्रथम वे सत्य की महिमा और उसके स्वरूप का निरूपण निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा कर रहे हैं—

मूलपाठ

जंबू ! व्रित्तियं च सच्चवयणं सुद्धं, सुचियं, सिवं, सुजायं,
सुभासियं, सुव्वयं, सुकहियं, सुदिट्ठं, स्पतिट्ठियं, सुपइट्ठियञ्जसं,
सुसंजमियवयणबुद्धयं, सुरवरनरवसभपवरबलवगसुविहियजणबहु-
मयं, परमसाहुधम्मचरणं, त्वनियमपरिग्गहियं, सुगतिपह्वेसगं च
लोगुत्तमं वयमिगं। विज्जाहरगगणगमणं विज्जाणं साहकं सम्मग्ग-
सिद्धिपह्वेसकं अवित्तहं तं सच्चं उज्जुयं अकुड्डिलं भूयत्थं अत्थतो
विसुद्धं उज्जोयकरं पभासकं भवति सव्वभावाणं जीवलोगे अवि-
संवादि। जहत्थमहुरं पच्चक्खं दयिवयं व जं तं अच्चेरकारकं अवत्थंत-
रेसु बहुएसु माणसाणं। सच्चेण महासमुद्दमज्जे(वि)चिट्ठंति, न
निमज्जंति मूढाणिया वि पोया। सच्चेण य उदगसंभमंमि वि न
बुज्झइ, न य मरंति, थाहं ते लभंति। सच्चेण य अगणिसंभमंमि
वि न डज्झंति उज्जुगा मणूसा। सच्चेण य तत्ततेल्लतउलोह-
सोसकाइं छिबंति, धरेंति, न य डज्झंति मणूसा। पव्वयकडकाहिं
मुच्चंते, न य मरंति सच्चेण य परिग्गाहिया। असिपंजरगया

समराओ वि णिइंति अणहा य सच्चवादी । वह्वबंधऽभियोगवेरघोरेहि
 पमुच्चति य अमित्तमज्झाहि निइति अणहा य सच्चवादी ।
 सादेव्वाणि य देवयाओ करेति सच्चवयणो रतारणं । तं सच्चं
 भगवं तित्थकरसुभासियं दसविहं, चोद्दसपुब्बीहिं पाहुडत्थ-
 विदितं, 'महरिसीण य समयप्पदिन्नं, देविंदनरिंदभासियत्थं,
 वेमाणियसाहियं, महत्थं, मंतोसहिविज्जासाहणत्थ, चारणगणसमण-
 सिद्धविज्जं, मणुयगणाणं वंदणिज्जं, अमरगणणारा अच्चणिज्जं,
 असुरगणाणं च पूयणिज्जं, अणेगपासं(खं)डिपरिग्गहित, जं तं
 लोकमि सारभूयं, गंभीरतरं महासमुद्दाओ, थिरतरग मेरुपव्व-
 याओ, सोमतरगं चंदमंडलाओ, दित्तरं सूरमंडलाओ, विमलतरं
 सरयनहयलाओ, सुरभितरं गंधमादणाओ, जे वि य लोगंमि
 अपरिसेसा मंतजोगा जवा य विज्जा य जंभका य अत्थाण य
 सत्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य सब्वाणि वि ताइं सच्चे
 पइट्ठियाइ' । सच्चं पि य संजमस्स उवरोहकारकं किञ्चि न
 वत्तव्वं हिंसासावज्जसंपउत्तं, भेयविकहाकारकं, अणत्थवायकलह-
 कारकं, अणज्जं, अववायविवायसपउत्तं, वेलंबं, ओजधेज्जबहुला,
 निल्लज्जं, लोयगरहणिज्जं, दुदिट्ठं, दुस्सुयं, अमुणियं । अप्पणो
 थवणा परेसु निंदा—न तंसि मेहावी, ण तंसि धन्नो, न तंसि
 पियधम्मो, न तंसि कुलीणो, न तंसि दाणपती, न तंसि सूरुओ,
 न तंसि पडिक्खुओ, न तंसि लट्ठो, न पंडिओ, न बहुस्सुओ, न
 वि य तं (सि) तवस्सो, ण यावि परलोगणिच्छियमतोऽसि,
 सब्बकालं जातिकुलरूववाहिरोगेण वावि जं होइ(वि)वज्जणिज्जं,
 दुहओ उवयारमतिककंतं एवविहं सच्चंपि न वत्तव्वं । अह केरिसकं

१ 'महरित्तिसमयपइत्तव्विण' पाठ भी कही-कहीं मिलता है ।

पुणाइ सच्चं तु भासियव्वं ? जं तं दव्वेहि पज्जवेहि य गुणेहि कम्मैहि बहुविहेहि सिप्पेहि आगमेहि य नामक्खायनिवाउवसग्गतद्धियसमाससंघिपदहेउजोगियउणादिकिरियाविहाणधातुसर-विभत्तिवन्नजुत्त तिकल्लं दसविहं पि सच्चं जह भणियं तह य कम्मुणा होई दुवालसविहा हाइ भासा, वयणं पि य होइ सोलस-विहं, एवं अरहंतमणुन्नायं समिक्खियं संजएण कालंमि य वत्तव्वं । (सू० २४)

संस्कृतच्छाया

जम्बू ! द्वितीयं च सत्यवचनं शुद्धं, शुचिकं, शिवं, सुजातं, सुभाषितं, सुव्रतं, सुकथितं, सुदृष्टं, सुप्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठितमशः, सुसंयमितवचनोक्तं, सुरवर-नरवृषभ-प्रवरबलवत्सुबिहितजनबहुमत, परमसाधुधर्मचरणं, तब-नियमपरिगृहीतं सुगतिपथदेशकं च लोकोत्तमं व्रतमिदम् । विद्याधरगणन-गमनविद्यानां साधकं, स्वर्गमार्गसिद्धिपथदेशकमद्वितय तद् सत्यम्, ऋजुकम्, अकुटिलम्, भूतार्थम्, अर्थतो विशुद्धम्, उद्योतकरम्, प्रभाष(स)कम् भवति सर्वजीवानां जीवलोके अविसेवादि । यथार्थमधुरं प्रत्यक्षं देवतमिव यद् तवाश्चर्यकारकम्, अवस्थान्तरेषु बहुकेषु मनुष्याणाम् । सत्येन महासमुद्रमध्ये(अपि) तिष्ठन्ति, न निमज्जन्ति मूढानीका अपि पोताः, सत्येन चोदकसम्भ्रमेऽपि नोह्यन्ते, न च झियन्ते, स्ताषं च ते लभन्ते । सत्येन चाग्निसम्भ्रमेऽपि न दह्यन्ते ऋजुका मनुष्याः । सत्येन च तप्ततैलत्रपुलोह-सीसकानि छुपन्ति, धारयन्ति, न च बह्यन्ते मनुष्याः । पर्वतकटकाद् मुच्यन्ते, न च झियन्ते सत्येन च परिगृहीताः । असिपंजरगता समरादपि निर्यान्ति अनघाश्च सत्यवादिनः । वषट्कामियोगवैरघोरेभ्यः प्रमुच्यन्ते चामित्र-मध्यान्निर्यान्ति अनघाश्च सत्यवादिनः । साद्वैभ्यानि च देवताः कुर्वन्ति सत्यवचने रतानाम् । तद् सत्यं भगवद्, तीर्थं कर-सुभाषितम् दशविधम्, चतु-र्दशपूर्वाभिः प्राभूतार्थविवितम्, महर्षीणां च समयप्रवसम्, देवेन्द्र-नरेन्द्र-भाषितार्थम्, वैमानिकसाधितम्, महार्थम्, मंत्रीवधिविद्यासाधनार्थम्, चारणगणधमणसिद्धिविद्यम्, मनुजगणानां बन्धनीयम्, अमरगणानामर्ध-नीयम्, असुरगणानां च पूजनोपम्, अनेकपाशं(शं)द्विपरिगृहीतम्, यद् तत्सोके सारतरम्, गम्भीरतरं महासमुद्रात्, स्थिरतरकं मेरुपर्वतात्, सोमतरकं

अन्द्रमंडलात्, दीप्ततरं सूर्यमंडलात्, विमलतरं शरन्नभस्तलात्, सुरभितरं गंधमादनात्, येषु च लोकेऽपरिशेषा मंत्रयोगाः अपाश्च विद्याश्च जन्म-
काश्चास्त्राणि च शस्त्राणि (शास्त्राणि) च शिक्षाश्चागमाश्च सर्वाप्यपि
तानि सत्ये प्रतिष्ठितानि । सत्यमपि च संयमस्योपरोधकारकं किञ्चिन्न
वक्तव्यं हिंसासाधनबहुलम्, भेदविकथाकारकम्, अनर्थवादकलहकारकम्,
अनार्यम् (अन्याय्यं), अपवादविवादसम्प्रयुक्तम्, बेलम्बम्, ओजोघैर्यबहुलम्,
निर्लज्जम्, लोकगर्हणीयम्, दुर्दृष्टं, दुःश्रुतम्, अज्ञातम् । आत्मनः स्तवना
परैषां निन्दा—न त्वमसि मेधावी, न त्वमसि धर्म्यो, न त्वमसि प्रियधर्मा, न
त्वमसि कुलीनो, न त्वमसि वानपतिः, न त्वमसि शूरो, न त्वमसि प्रतिरूपो,
न त्वमसि लष्टो, न पण्डितो, न बहुश्रुतो, न चापि त्वमसि तपस्वी, न
चापि परलोकनिश्चितमतिरसि, सर्वकालं जातिफुलरूपव्याधिरोगेण चापि
(चाऽपि) यद् भवति वर्जनीयम् । द्वेषा उपचारमतिक्रान्तमेवंविधं सत्यमपि
न वक्तव्यम् । अथ कीदृशकं पुनः सत्यं तु भाषितव्यम् ? यद् तद्वच्यैः पर्यायैश्च
गुणैः कर्मनिर्बहुविधैः शिल्पैरागमैर् नामाख्यातनिपातोपसर्गतद्धितसमाससंधि-
पदहेतुयौगिकोणादिक्रियाविधानधातुस्वरविभक्तिवर्णयुक्तं त्रैकाल्यं दशविध-
मपि सत्यं यथा भणितं तथा च कर्मणा भवति द्वादश विधा भवति भाषा,
वचनमपि भवति षोडशविधम्, एवमहंबनुज्ञातं समीक्षितं संयतेन काले
च वक्तव्यम् । (सू० २४)

पदार्थान्वय—श्री गणधर सुधर्मास्वामी अपने प्रधानशिष्य जन्मस्वामी से
कहते हैं (अंबू !) हे जन्म ! (चितियं च) इसरा संवरद्वार (सच्चवयणं) सत्य
वचन—सत्पुरुषों मुनियों, गुणियों या प्राणियों के लिए हितकर वचन है, जो (सुद्धं)
निर्दोष है, (सुचियं) पवित्र है, (सिचं) मोक्ष या सुख का कारण है, (सुजायं) शुभ
विवक्षा से उत्पन्न हुआ है, (सुभासियं) सुन्दर स्पष्टवचनरूप है, अथवा सुभाषित
है, (सुवच्यं) सुन्दर व्रत-नियम - रूप है, (सुकहियं) मध्यस्थ—रागद्वेष से तटस्थ
हो कर सुन्दर कथन करने वाला है, (सुबिद्धं) सर्वज्ञों द्वारा अच्छी तरह देखा गया है,
(सुपतिष्ठम्) समस्त प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ है, (सुपइदृश्यजसं) जिसका यश
अभाषित—बद्धमूल है, (सुसंजमियवयणबुद्धयं) वाक्संयमियों द्वारा सुसंयत वचनों से
बोला गया है, (सुरवर-नरवसभ-पवरबलवचन-सुबिहितजनबहुमयं) इन्द्रों को, नरश्रेष्ठ
वक्त्रवर्तियों को, श्रेष्ठ बलधारी बलवेष-वासुदेवों को, सुबिहित—सुसाधुजनों को
बहुमान्य है, (परमसाहृद्यमन्वरणं) उत्कृष्ट साधुओं का धर्माचरण है, (तवनिवय-
परिप्यहियं) तप और नियम से स्वीकृत किया जाता है, (सुपतिपहृद्येत्क) सद्पति का

पथप्रदर्शक है (य) और (लोमुत्तमं) लोक में श्रेष्ठ (इयं) यह (ययं) जल है। यह (विज्जाहुरगगजगमजविज्जाण साहकं) विद्याधरों की आकाशगामिनी विद्याओं का सिद्ध करने वाला है, (सगमगमसिद्धिपहवेसकं) स्वर्ग के मार्ग—अनुत्तर देवलोक तक तथा सिद्धिपथ का प्रवर्तक है, (तं) वह (सच्चं) सत्य (अवितहं) यथासत्य—मिथ्या-भाव से रहित है, (उज्जुयं) सरल भाव वाला है, (अजुडिसं) क्रुद्धिस्ता से रहित है, (भूयत्वं अत्थतो) सद्भूत—विद्यमान पदार्थ का ही प्रयोजनबश कथन करने वाला है, (विसुद्धं) बिलकुल शुद्ध है—मिलावट से दूर है, अथवा प्रयोजन से निर्दोष है, (उज्जोयकरं) सत्य ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, (जीबलोके) जीवों के आहार-भूत लोक में, (सच्चभावाणं) समस्त पदार्थों का (अविसंवावि) अभ्यभिचारो—यथार्थ (पभासकं) प्रभावक—प्रतिपादन करने वाला (भवति) है। (अहत्थमहुरं) यथार्थ होने के कारण मधुर—कोमल है, (जं) जो सत्य (मानुसाचं) मनुष्यों को (वहुएसु अवत्थतरेसु) बहुत-सी विभिन्न अवस्थाओं में (अच्छेरकारकं) आत्थर्वजनक कार्य करने वाला है, इसलिए (तं) वह (पच्चकलं दयिवयं व) साक्षात् देव की तरह है। (महा-समुद्बमज्जे) महासागर के बीच में (मुडानिया वि पोया) जिस पर बंटी हुई सेना विभ्रान्त हो गई है—विशा भूल गई है, वे जहाज भी (सच्चेण) सत्य के प्रभाव से (चिट्ठंति) ठहर जाते हैं, (न निमज्जंति) डूबते नहीं हैं, (य) और (सच्चेण) सत्य के प्रभाव से (उवगसंभमंमि वि) भंवर वाले जलप्रवाह में भी, (न जुज्झइ) बहते नहीं, (य) और (न मरंति) न मरते हैं, किन्तु (बाहं सचंति) बाह पा लेते हैं (य) और (सच्चेण) सत्य से (अगणिसंभमंमि वि) जलती अग्नि के भगंकर चक्र में भी (न उज्जंति) जलते नहीं (उज्जुया मनुसा) सरलस्वभाव के मनुष्य (सच्चेण य) सत्य के कारण (तसतेत्सतजलोहसीसकाइं) उकलते हुए तेल, रंगे, लोहे और सीसे को (चिञ्चंति) छू लेते हैं, (य) और (छरंति) हाथ में रख लेते हैं, (न उज्जंति) किन्तु जलते नहीं (मनुसा) मनुष्य (पच्चयकडकाहि) पर्वत की चोटी से (मुच्चंति) नीचे गिरा दिये जाते हैं, किन्तु (न य मरंति) मरते नहीं हैं। (य) तथा (सच्चेण परिग्गहिद्या) सत्य को धारण किये हुए—सत्य से युक्त व्यक्ति, (असिपंजरपया) चारों ओर तलवारों के पींजरे में—अर्थात् अङ्गधारियों से घिरे हुए मनुष्य (समरामो वि) संप्राम से (अजहा) अस्त शरीर सहित—घायल हुए बिना (चिइंति) निकल जाते हैं। (य) तथा (सच्चवादी) सत्यवादी मनुष्य (बह-बंध-नियोग-वेरघोरेहिं) बध, बन्धन तथा बल प्रयोगपूर्वक प्रहार और घोर बंधविरोधियों

के बीच भी (पमुञ्चति) छोड़ दिये जाते हैं (य) एवं (अभिसमञ्जाहि) दुग्धनों के बीच से (सञ्चवादी) सत्यवादी (अचहा) निर्बोध—सही सलामत (निद्रति) निकल जाते हैं (य) और (देवधाओ) देवता (सञ्चवयणे रतां) सत्य वचन में तत्पर लोगों का (सावेष्वाधि करंति) साभिध्य करते हैं—पास चले आते हैं । (तं) बहु (सिचं-करसुभासियं) तीर्थकरों द्वारा भलीभांति प्रतिपादित—कथित (सञ्चं भगवं) सत्य भगवान् (वसविहं) वस प्रकार का है । (ओद्दसपुञ्जीहि) शंभुवंश पूर्वों के ज्ञाताओं ने (पाद्गुह्यविदितं) प्राभूतों—पूर्वगत भाग विशेषों से जाना है । (य) और (महरिसीण) महर्षियों के (समयप्यविचं) सिद्धान्तों से प्रबल या प्रकृत—दिया या जाना गया है अथवा (महरिससमयपद्मविचं) महर्षियों ने इसे सिद्धान्तरूप से जाना है और इसका आचरण किया है । (वेविदन्निदभासियत्वं) देवैर्ग्रीं और नरेन्द्रों ने जिन वचनों के रूप में जीवादि अर्थों—तत्त्वों को बताया है । (वेमानियसाहियं) वैमानिक देवों के लिए जिनेन्द्रादिद्वारा इसका उपादेय रूप से निकषण किया गया है अथवा वैमानिक देवों ने इसकी साधना की है या इसे सिद्ध किया है । (महत्प्य) यह महान् गम्भीर अर्थ वाला है अथवा विशाल प्रयोजन वाला है, (मंतोसहिबिञ्जासाहृत्वं) मंत्रों, औषधियों और विद्याओं की साधना करना इन्हें सिद्ध करना ही जिसका प्रयोजन है, (चारणगणसमभसिद्धविञ्जं) जिससे चारणसंविद्यधारकों की आकाशचारिणी विद्या तथा धमणों की विद्या सिद्ध होती है, (मभुयगणां वंदविञ्जं) यह मानवगणों से षण्दनीय-स्तुत्य है, (ष) और (अमरगणां अञ्चविञ्जं) ध्वन्तर-ज्योतिष्क देवगणों द्वारा अर्चनीय है, (असुरगणां पूयविञ्जं) भवनपति आदि असुरगणों द्वारा पूजनीय है, (अभेगपासंविपरिगहितं) अनेक प्रकार के जल या वेध धारण करने वाले साधुओं ने इसे अंगीकार किया है । (जं) ऐसा जो सत्य है, (तं) वही (सोर्गभि सारभूयं) लोक में सारभूत है । यह (महासमुद्राओ) महासमुद्रों से भी (गंभीरतरं) बढ़कर गंभीर है, (मेक्षपञ्चधाओ) मेक्षपर्वत से भी (धिरतरं) अधिक स्थिर—अचल है, (धंभंभलाओ) धन्वंतल से भी (सोमतरं) बढ़कर सौम्य-शांतिवायक है, (सुरभंभलाओ) सुर्यमण्डल से भी (दिलतरं) अधिक दीप्त है—प्रकाशमान—तेजस्वी है, (सरयन-हृयलाओ) सरयुज्यु के गगनतल से भी (विमलतरं) बढ़कर निर्मल है, (गंधमाद-धाओ) गंधमादनपर्वत—गन्धवत्पर्वत विशेष से भी (सुरमितरं) अधिक सुगन्धयुक्त है, (ष) और, (वे वि) जो भी (सोर्गभि) लोक में (अपरिसेसा) समस्त (मंतजोगा) मंत्र और वशीकरणादि प्रयोग हैं, (य) तथा (अवा) जय हैं, (य) और (विञ्जा) विद्याएँ हैं, (अंभका य) तिर्यग्लोकवासी वस प्रकार के जन्मक वेध विशेष हैं, (य) और

(अस्वाधि) बाण आदि फेंके जाने वाले अस्त्र हैं, (य) तथा (सत्वाधि) प्रहार किये जाने वाले तलवार आदि शस्त्र हैं अथवा जितने भी लौकिक शास्त्र हैं, (य) तथा (सिद्धशास्त्रो) कलाओं आदि की शिक्षाएँ हैं, (य) तथा (आयमा) सिद्धान्तशास्त्र हैं, (ताइ) सम्वाधि वि) वे सभी (सत्त्वे) सत्य पर (पद्मिठयाइ) प्रतिष्ठित-स्थित हैं। (सत्त्वं वि) और सत्य भी जो (संज्ञमस्स उबरोहकारकं) संबन्ध का बाधक हो, वंसा (किंचि न वसत्त्वं) जरा-सा भी नहीं बोलना चाहिये। (हिंसासावज्जसंपटलं) जो हिंसा और पाप से युक्त हो, (भेयविकहाकारकं) फूट डालने वाला, झूठी बात उढ़ाने वाला या चारित्रनाशक स्त्री आदि से सम्बन्धित विकथाकारक, (अथत्वावयकलहकारकं) निष्प्रयोजन व्यर्थ का वादविवाद—झकवास और कलह पैदा करने वाला, (अणज्जं) अनार्य—अनाड़ी आदिमियों से बोला जाने वाला वचन या अन्याययुक्त वचन, (अवधायनिवायसंपटलं) दूसरों के दोषकथन एवं विवाद से संयुक्त (वेसधं) दूसरों की बिडम्बना-फजीहत करने वाला; (ओजवेज्जबहुलं) विवेकरहित पुरे जोस और घृष्टता से भरा हुआ, (निल्लज्जं) लज्जारहित, (नोकगरहणिकं) लोक—संसार में या सज्जन लोगों में निम्ननीय (दुबिट्ठं) जो बात भलीभांति न देख ली हो, उसे, (दुस्सुयं) जो बात अच्छी तरह सुनी न हो, उसे तथा (अगुणिय) जो बात अच्छी तरह जान न ली हो, उसे नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार (अप्यजो वचना, परेसु निवा) अपनी स्तुति और दूसरों की निन्दा, जैसे—(न तंसि मेहाभी) तू बुद्धिमान नहीं है, (न तंसि धन्नो) तू धन्य - धनवान् नहीं, है, (न तंसि पिषधम्मो) तू धर्म-प्रेमी नहीं है, (न तंसि कुलीणो) तू कुलीन नहीं है, (न तंसि दाणपती) तू दानेस्वरी नहीं है, (न तंसि सूरो) न तू गूरवीर है, (न तंसि पडिक्खो) तू सुन्दर नहीं है, (न तंसि लट्ठो) न तू भाग्यशाली है, (न पंडिओ, न बहुस्सुओ) न तू पंडित है, न तू बहु-भूत—अनेक शास्त्रों का जानकार है, (य) और (न वि तंसि तवस्सी) तू तपस्वी भी नहीं है, (न यावि परलोगणिच्छियमतीऽसि) तुझमें परलोक का निश्चय करने की बुद्धि भी नहीं है, ऐसा वचन, (वा) अथवा (अं) जो सत्य (सत्त्वकालं) आजीवन—सदा सर्वदा, (जातिकुलकवधाहिरोगेय) जाति—मातृपक्ष, कुल—पितृपक्ष, रूप—सौन्दर्य, व्याधि—कोड़ आदि बीमारी, रोग—ज्वरादि रोग, इनसे सम्बन्धित (वज्जनिज्जं) पीड़ाकारी निम्ननीय या कर्षनीय वचन हो, (वि) पुनः (दुहओ) द्रोहकारी अथवा द्रव्य-भाव से द्विधा में डालने वाला, (उवयारनतिक्कंतं) औपचारिकता—व्यावहारिकता—व्यवहार से सिष्टाचार अथवा उपकार का भी उत्सवण करने वाला हो, (एवंविहं) इस प्रकार का (सत्त्वंवि) यथार्थ—सच्चावृताथ सत्य भी

(न बलवत्) नहीं कहना चाहिए । (अथ) प्रश्न होता है, (तु पुषाद्) तो फिर (केरिसकं) कैसा (सच्चं) सत्य (भासियच्चं) बोलना चाहिये ? (तं) वह सत्य बोलने योग्य है, (जं) जो (वर्षेहि) त्रिकालवर्ती पुद्गलादि द्रव्यों से, (पञ्जवेहि) नये-पुराने आदि वस्तु के क्रमवर्ती पर्यायों से (य) तथा (गुणेहि) वर्षादि सहभावी गुणों से (कर्मेहि) कृषि आदि कर्मों से अथवा उठाने-रखने आदि कर्मों से (बहुविहेहि सिर्पेहि) अनेक प्रकार के चित्रकला, वस्तुकला आदि शिल्पों से (य) तथा (आगमेहि) सिद्धान्त—सम्मत अर्थों से युक्त हो, (नामकषायनिवाउबसगगतद्वियसमाससंधापदहेउजोगिय-उपादिकिरियाविहाणधातुसरविभक्तवन्नजुत्तं) व्युत्पन्न या अभ्युत्पन्न नाम-संज्ञापद, आख्यात—त्रिकालात्मक क्रियापद, निपात—अव्यय, प्र परा आदि उपसर्ग, तद्धितपद-अर्थाभिधायक प्रत्यय, समासपद, सन्धिपद, सुबन्ततिङ्गन्त विभक्त्यन्तपद, हेतु, यौगिकपद, उपादि—प्रत्ययान्तपद, क्रियाविधान—सिद्धक्रियापद, भू आदि धातु, अकारादि स्वर, अथवा षड्ज इत्यादि गीतस्वर, अथवा ह्रस्वदीर्घप्लुतरूप मात्रो-च्चारणकालसूचक स्वर, कहीं 'रस' पाठ है, वहाँ श्रुंगार आदि ६ रस, प्रथमा आदि विभक्ति, स्वरव्यंजनात्मक वर्णमाला, इन सबसे युक्त हो, वह सत्य है । (तिकसं) त्रिकालविषयक (सच्चं) सत्य (वसविहंपि) वस प्रकार का भी होता है । वह सत्य (अह) जैसे (भषियं) पुं ह से कहा जाता है, (तह) वैसे ही (कम्मुणा) कर्म—लेखन, हाथ पें और आँस की चेष्टा, इंगित, आकृति आदि क्रिया से भी अथवा जैसे बोला है, वैसे ही करके बताने से, वचन के अनुसार अमल करने से ही सत्य, (होइ) होता है । (य) तथा (दुवालसविहा) बारह प्रकार की (भासा होइ) भाषा होती है, (य) और (वयणंपि सोलसविहं होइ) वचन भी १६ प्रकार का होता है । (एवं) अरहंतमणुत्राय अर्हन्त भगवान द्वारा अनुज्ञात- आविष्ट (य) तथा (सम्मिक्खयं) भलीभांति सोचा विचारा हुआ सत्यवचन (कालंमि) अवसर आने पर (संजएण) संयमी साधु को (वसच्चं) बोलना चाहिए ।

मूलार्थ—श्री गणधर सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं 'जम्बू' यह सत्य नाम का दूसरा संवरद्वार है, जो सत्पुरुषों, या गुणिजनों मुनिजनों के लिए हितकर है, निर्दोष है, पवित्र है, मोक्ष तथा सुख का कारण है, शुभ बोलने की इच्छा से उत्पन्न होता है, सुन्दर सुस्पष्ट वचनरूप है, सुन्दर व्रतरूप है, इससे पदार्थ का भलीभांति कथन किया जाता है, सर्वज्ञ देवों द्वारा यह भलीभांति देखा परखा हुआ है, यह सब प्रमाणों से सिद्ध है, इसका यश भी निराबाध है, तथा उत्तम देवों,

चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्यों, उत्कृष्ट शक्ति के धारक वासुदेव-बलदेव आदि पुरुषों तथा शास्त्र विहित आचरण करने वाले महापुरुषों के द्वारा यह बहुमान्य है, यह उत्कृष्टसाधुओं का धर्माचरण है तथा तप और नियमसे अंगीकार किया जाता है, अर्थात् सत्यवादी के ही सच्चे माने में तप और नियम होते हैं। यह सद्गति का पथ निर्देशक है तथा लोक में उत्तम व्रत माना गया है। यह सत्य विद्याघरों की आकाशगामिनी विद्याओं का साधक है तथा स्वर्गमार्ग और मोक्षमार्ग का प्रवर्तक है, यह मिथ्याभाव से रहित है। यह सरलभावों से युक्त, कुटिलता से रहित है, यह विद्यमान सद्भूत अर्थ को ही विषय करता है, विशुद्ध अर्थ वाला है, वस्तुतत्त्व का प्रकाशक है, जीवलोक में समस्त पदार्थों का अविस्वादी-पूर्वापरसंगत रूप से प्रतिपादक है। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कहने वाला होने से मधुर है। मनुष्यों की भिन्न-भिन्न अनेक कष्टकर अवस्थाओं में वह साक्षात् देवता के समान आश्चर्यजनक कार्य करने वाला है। सत्य के कारण महासागर के बीच दिग्भ्रान्त बने हुए नाविक सैनिकों की नौकाएँ स्थिर रहती हैं, डूबती नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से चक्करदार जल-प्रवाह में भी मनुष्य बहते नहीं, न मरते हैं, किन्तु वे धाह पा लेते हैं। अर्थात् किनारे लग जाते हैं। सत्य के प्रभाव से चारों ओर आग की लपटों से घिर जाने पर भी जलते नहीं। सरलस्वभावी मनुष्य सत्य के प्रताप से खौलते हुए गर्मागर्म तेल, रांगे, लोहे और सीसे को भी छू लेते हैं, हथेली पर रख लेते हैं, लेकिन जलते नहीं। सत्य को धारण किये हुए मनुष्य पर्वतशिखरों से गिरा दिये जाने पर भी मरते नहीं हैं, और नंगी तलवारों के घेरे में घिरे हुए सत्यवादी मनुष्य समरांगण में से घायल हुए बिना निकल आते हैं, बालबाल बच जाते हैं। सत्यवादी मनुष्य लाठियों का मार, रस्सी आदि के बन्धन, बलात्कार और घोर वैरविरोध से छूट जाते हैं, और शत्रुओं के बीच से वे निर्दोष निकल जाते हैं। देवता भी सत्यवचन में तत्पर मनुष्यों के सान्निध्य में आते हैं अथवा देवता भी सत्यप्रतिज्ञ पुरुषों के दुर्घट कार्यों में सहायक बनते हैं। भगवान् तीर्थकरों द्वारा भलीभाँति वर्णित वह सत्य भगवान् दस प्रकार का है।

चतुर्दशपूर्वधारकों ने इसे पूर्वगत अंशों—प्राभृतों से विशेषरूप से जाना है, तथा यह महर्षियों के सिद्धान्तों द्वारा प्रदत्त है या प्रज्ञप्त है—वर्णित है, अथवा महर्षियों ने इसे सिद्धान्त रूप में जाना है और इसका आचरण

किया है। देवेन्द्रों और नरेन्द्रों ने इसका प्रयोजन समझ लिया है, अथवा इसके द्वारा ही देवेन्द्रों और नरेन्द्रों को जीवादि पदार्थों का सत्य—तत्त्व बताया गया है, अथवा देवेन्द्रों और नरेन्द्रों ने मनुष्यों को इस सत्य का साध्य अर्थ बतलाया है। वैमानिक देवों को भी तीर्थंकर आदि ने उपादेय के रूप में इसे प्रतिपादन किया है, अथवा वैमानिकों ने इसी सत्य की साधना की है—इसका सेवन किया है। यह महाप्रयोजन वाला अथवा गम्भीर अर्थ वाला है। मंत्रों, औषधियों और विद्याओं के सिद्ध करने में इसका प्रयोजन—इसका सार्थकत्व रहता है। चारणगणों और श्रमणों की विद्या इसी से सिद्ध होती है, यह मानव-गणों का वन्दनीय स्तुत्य है, व्यंतर—व्योतिष्क आदि देवगणों का यह अर्चनीय है तथा भवनपति आदि असुरगणों का यह पूजनीय है, नाना प्रकार के व्रत या वेश धारण करने वाले साधुओं ने इसे अङ्गीकार किया है। ऐसा वह सत्य लोक में सारभूत है, यानी संसार के समस्त पदार्थों में प्रधान है, क्षीभरहित होने से यह महासमुद्र से भी गंभीरता में बढ़ाचढ़ा है। प्रण पर अटल होने से यह मेरुपर्वत से भी बढ़कर स्थिर है। सताप को शान्त करने में बेजोड़ होने से यह चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है। वस्तु के कण-कण को यथार्थ रूप से प्रकाशित करने वाला होने से यह सूर्य मण्डल से भी बढ़कर प्रकाशमान है अथवा कोई भी तेजस्वी इसका तिरस्कार नहीं कर सकता, इसलिए धूर-समूह से भी यह अधिक तेजस्वी है। निर्दोष होने से यह शरत्कालीन गगनतल से भी अधिक निर्मल है। सहृदय लोगों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाला होने से यह गन्धमादन (चन्दनवृक्षों के वन वाले गजदन्त) पर्वत से भी अधिक सुगन्धित है। संसार में जितने भी हरिणगमेषी-आवाहन आदि मंत्र हैं, वशीकरण आदि मंत्र हैं, वशीकरण आदि प्रयोजनों के लिए योग हैं, मन्त्र तथा विद्या के जप हैं, प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ हैं, तिर्यग्लोकवासी जूम्भक जाति के देव हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले बाण आदि के अस्त्र हैं, सीधे प्रहार किए जाने वाले शस्त्र हैं अथवा अर्धनीति आदि लौकिक शास्त्र हैं, चित्र आदि कलाओं की शिक्षाएँ हैं, सिद्धान्त-आगम-धर्म-शास्त्र हैं, वे सब के सब सत्य से प्रतिष्ठत हैं—अर्थात् ये सब सत्य से ही उपलब्ध या सिद्ध होते हैं।

वस्तु को यथार्थरूप से प्रगट करने वाला वह सत्य भी यदि संयम का का बाधक हो तो उसे जरा-सा भी नहीं कहना चाहिए, जो हिंसा और पाप

से मिश्रित हो, चारित्र्यनाशक तथा स्त्री आदि विकषामों को प्रगट करने वाला हो अथवा फूट डालने वाला तथा व्यर्थ की डींगे हांकने वाला हो. जो बिना मतलब की बकवास और कलह पैदा करने वाला हो, जो अनायाँ—पापकर्म में प्रवृत्त भलेच्छों द्वारा झोलने योग्य वचन हो, अथवा अन्याय का पोषक हो, दूसरो पर मिथ्या दोषारोपण करने वाला तथा विवाद पैदा करने करने वाला हो, दूसरो की बिडम्बना—भूठी आलोचना करके फजीहत करने वाला हो, अनुचित जोश और घृष्टता से भरा हुआ हो, लज्जारहित—अपशब्द हो, लोकनिन्दनीय हो, तथा जिसे अच्छी तरह न देखा हो, अच्छी तरह न सुना हो व अच्छी तरह न जाना हो अथवा जो हकीकत के विपरीत रूप में देखा हो, सुना हो या जाना हो, उस विषय में किञ्चित् मात्र भी नहीं कहना चाहिए। अपनी प्रशंसा और दूसरो की निन्दा करना भी असत्य है। जैसे किसी से कहना कि 'तू उत्तम स्मरणशक्ति वाला—मेधावी नहीं है, मुलक्कड़ है, तू धनिक नहीं है, दरिद्र है, धर्मप्रेमी नहीं है, अधर्मी है, तू कुलीन नहीं है, अकुलीन है, तू दाता नहीं है, कंजूस है, तू शूरवीर नहीं, डरपोक है, तू सुन्दर नहीं कुरूप है, तू भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन है, तू पंडित नहीं, मूर्ख है, तू बहुभुत नहीं, अल्पज्ञ है, तू तपस्वी नहीं है, भोजन-भट्ट है, परलोक के विषय में तेरी बुद्धि संशयरहित नहीं है, अर्थात् तू संशयग्रस्त-नास्तिक है, अथवा जाति (मातृपक्ष), कुल (पितृपक्ष), रूप, व्याधि (कोढ़ आदि दुःसाध्य रोग) तथा रोग (बुखार आदि रोग) के निमित्त से भी परपीडाकारी निन्दनीय वचन यदि सत्य हो तो भी असत्य होने से सदा के लिए वर्जनीय समझने चाहिए। तथा जो वचन द्रोहयुक्त हैं, अथवा द्विधा से भरे हैं, अथवा द्रव्य और भाव दोनो प्रकार से दूसरे से शिष्टाचार अथवा उपकार का उल्लंघन करने वाले हैं, वे सत्य हों तो भी नहीं बोलने चाहिए। प्रश्न होता है कि तब फिर किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए ? (उत्तर में कहते हैं) 'जो त्रिकालवर्ती पुद्गलादि द्रव्यों से, द्रव्य की नई-पुरानी क्रमवर्ती पर्यायों से, उनके सहभावी वर्ण आदि गुणों से, कृषि आदि कर्मों से या उठाने-रखने आदि चेष्टाओं से, चित्रकला आदि अनेक शिल्पों से तथा आगमों के सैद्धान्तिक अर्थों से युक्त हो, तथा व्युत्पन्न या अब्युत्पन्न नाम, तीनों काल के वाचक क्रियापदों, अब्यय, प्र, परा आदि (जिनके जुड़ जाने पर घात्वर्थ बदल जाता है) उपसर्गों, प्रत्यय लगाने पर नये अर्थ के बोधक सङ्घिताद समासपद,

सुबन्त—तिगन्त विभक्त्यन्त पद, हेतु, यौगिकपद, उणादि प्रत्ययान्त पद, सिद्ध क्रिया बताने वाले पद, भू आदि धातु, अकारादि स्वर या षड्ज आदि संगीत-स्वर अथवा ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतरूप मात्रोच्चारणकालसूचक स्वर अथवा कही स्वर के बदले 'रस' शब्द मिलता है, वहाँ अर्थ होगा—शृंगार आदि नौरस, प्रथमा आदि विभक्ति, स्वरव्यंजनात्मक वर्ण, इन सबसे युक्त हो वह सत्य है। ऐसा त्रिकालविषयक सत्य दस प्रकार का होता है। वह सत्य जैसे मुंह से कहा जाता है, वैसे ही कर्म—लेखन, हाथ-पैर, आँख आदि की चेष्टा, इंगित, आकृति आदि क्रिया से भी होता है अथवा जैसा बोला है, वैसे ही करके बताने से यानी कथन के अनुसार अमल करने से ही सत्य होता है। संस्कृत प्राकृत आदि भेद से बारह प्रकार की भाषा होती है तथा एकवचन द्विवचन आदि भेद से सोलह प्रकार का वचन होता है। इन नाम आदि से सगत वचन ही बोलने योग्य होता है। वही सत्य कहलाता है।

इस प्रकार तीर्थंकर भगवान् द्वारा अनुज्ञात—आदिष्ट तथा भलीभांति सोचा-विचारा हुआ सत्यवचन समय—अवसर आने पर संयमी साधु को बोलना चाहिए।

व्याख्या

प्रथम अहिंसा संवरद्वार का वर्णन कर चुकने के पश्चात् शास्त्रकार द्वितीय संवरद्वार का वर्णन करते हैं। इस विस्तृत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने सत्य की महिमा बताई है उसके पश्चात् सत्यपालन से होने वाले आश्चर्यजनक चमत्कारों का निरूपण किया है। उसके बाद सत्य के दस प्रकार बता कर उस सत्य को जानने वालों, सत्य के द्वारा अपनी विद्या, मंत्र, योग, औषधि आदि सिद्ध करने वालों तथा सत्य की वन्दना अर्था—पूजा करने वालों का उल्लेख किया है, इसके अनन्तर सत्य की गरिमा बताने के लिए कतिपय उपमाएँ दी हैं। उसके बाद यह बताया गया है कि कौन-कौन से वचन सत्य होते हुए भी नहीं बोलने चाहिए? और सत्य वचन कौन-सा होता है और किस प्रकार से बोला जाना चाहिए? इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

यद्यपि इस सूत्रपाठ का अर्थ पदान्बयार्थ एवं मूलार्थ में काफी स्पष्ट है, फिर भी कुछ स्थलों पर व्याख्या करना आवश्यक समझ कर नीचे हम कुछ स्थलों पर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—

सत्य का अर्थ—सत्य के अर्थों पर विचार करते समय हमें उसके प्रचलित,

प्रयोग को ध्यान में रखना होगा। इस दृष्टि से देखने पर 'सत्य' मुख्यतया तीन अर्थों में व्यवहृत होता है—(१) तत्त्व अर्थ में, (२) तथ्य अर्थ में और (३) वृत्ति-प्रवृत्ति-व्यवहार अर्थ में। किसी वस्तु का निष्कर्ष, निचोड़, सारांश या तत्त्व पा लेना भी सत्य कहलाता है। जैसे—अग्नि में सत्य उष्णता है, पानी में सत्य शीतलता है, धी में सत्य स्निग्धता है। इस प्रकार वस्तु के असाधारण धर्म को भी सत्य कहा जाता है। स्वयं शास्त्रकार कहते हैं—'अ तं श्लोमि सारभूयं' जगत् में जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में जो सारभूत वस्तु है, वह सत्य है। इसी प्रकार वर्तमान दार्शनिक भाषा में कहा जाता है—इसने सत्य पा लिया। इससे यही अर्थ सूचित होता है कि अमुक व्यक्ति ने वस्तु तत्त्व का ज्ञान कर लिया, रहस्य पा लिया। जैसे शास्त्रकार ने भी कहा है—'धोवस्सपुष्वीहि पाहुडत्थबिदितं, महुरिससमयपइअचिचं देविदरिदभासियत्थं' आशय यह है कि चतुर्दशपूर्वधारियों ने प्राभूतो के द्वारा सत्य का अर्थ—रहस्य पा लिया है, महाधियों ने सत्य (सिद्धान्त) को जान लिया है और आचरण किया है, देवेन्द्रों को सत्य का प्रयोजन प्रतिभासित हो गया अथवा जीवादि ९ तत्वों का अर्थ सत्य रूप में प्रतिभासित होने लगा है। इससे यह भी फलित होता है कि जीवादि ९ तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी सत्य-सम्यक्त्व पा लेना है। इसीलिए किसी ने लक्षण किया है—'कालत्रये तिष्ठतीति सत् तत्रैव सत्यम्' तीनों कालों में जो रहता है, वह सत् है, वही सत्य है। यही बात शास्त्रकार ने आगे चल कर कही है—'यथासक्तं भवति सम्बन्धात्तत्र जीवलोकः।' अर्थात् सत्य जीवलोक में सभी पदार्थों के वस्तुतत्त्व का कथन कर देता है—प्रतिभासित कर देता है।

सत्य जहाँ तथ्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ यथार्थ बोलने के रूप में होता है।^१ जो वस्तु जैसी देखी है सुनी है, सोची है, समझी है, जैसा उसके बारे में अनुमान किया है, प्राणियों के हित के अनुरूप वैसा ही वचन द्वारा प्रगट करना सत्य है।

इसके लिए शास्त्रकार ने कुछ शब्द दिये हैं—'भूयत्थं अरथतो अबिसंबादि अहत्थमधुरं' अर्थात् वह सत्य है, जो अर्थ से भूतार्थ—सद्भूत अर्थ वाला हो और अबि संवादी हो, यथार्थ हो, अधुर हो। इसके साथ ही उस सत्य-यथातथ्य अर्थ को प्रगट करने पर भी जिसके पीछे दुष्ट आशय हो, जो प्राणिघात का कारण हो या जिसके पीछे अन्य

१. सत्य का यही लक्षण योगदर्शन व्यासभाष्य में किया है—'सत्यं, यथार्थं, बाह्य-जननी यथावृत्तं यथाभूतं तत्रैव परत्र कान्तये भवति।

किसी प्रकार का छल, द्रोह, दम्भ आदि संयमविधातक कारण हो, वह सत्य वचन असत्य ही समझा जायगा। जैसे कि कहा है—“सच्चं वि य सजमस्स उवरोहकारकं न किं चि वस्तव्व ... एवंबिहं सच्चंपि न वस्तव्वं ।

जहाँ वृत्ति-प्रवृत्ति या सद्ब्यह्वार अर्थ में सत्य प्रयुक्त होता है, वहाँ सत्य वचन के साथ-साथ तदनुसार आचरण होना चाहिए। जैसे कोई वचन देता है कि तुम्हारा अमुक कार्य कर दूंगा या अमुक प्रतिज्ञा या नियम लेता हूँ, तो तदनुसार प्रवृत्ति, चेष्टा या आचरण भी होना चाहिए तभी वह सत्य कहलाएगा। सत्यहरिश्चन्द्र का सत्य इसी अर्थ में था कि उन्होंने जो वचन मुँह से कहा था, उसका तदनुसार पालन किया। इसी प्रकार जहाँ वचन के अलावा स्वर, आकृति, कृति, चेष्टा लेखन आदि से भी वह सत्य वैसा ही प्रगट हो, तो वहाँ सत्य वृत्ति-प्रवृत्ति अर्थ में समझना चाहिए। मुँह से यथार्थ बोलने पर भी यदि चेष्टा, कृति, आकृति, लेखन या स्वर और तरह का हो तो वह बोला हुआ सत्य भी असत्य ही समझा जाएगा।

जैसे कि शास्त्रकार ने कहा है—सच्चं जह भणियं तह य कम्मणा होइ बुद्धो उवयारमत्तिक्कंतं एवंबिहं सच्चंपिनवस्त-व’— इसका तात्पर्य यह है कि जैसा कहा है, तदनुसार कर्म-क्रिया बगैरह से भी वह प्रगट हो, वह सत्य तभी सत्य है। जहाँ द्व्यर्थक शब्द का प्रयोग हो या उपकार एव सत्कार आदि का भी द्वय-भाव दोनों में से किसी भी एक से उल्लेख हो, तो वहाँ वह असत्य है।

इन तीनों अर्थों में जो सत्य बताया गया है उसके पीछे मूल आशय प्राणिहित होना चाहिए। जैसा कि महाभारतकार ने कहा है—यद्भूतहितमत्यन्त तद्धि सत्यं मतं मम ।’ अर्थात्—जिस बोलने, लिखने, सोचने, या किसी भी प्रकार की चेष्टा आदि करने में एकान्त प्राणिहित हो, वही सत्य माना गया है। सत्य का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भी यही होता है—‘सबुद्ध्यो हितम्’ जो प्राणिमात्र के लिए हितकर हो, वह सत्य है। इसी का स्पष्टीकरण अर्धगाथा में इस प्रकार प्रगट किया गया है—

‘सच्चं हियं सयामिह संतो मुज्जो गुणा पयत्था वा’ अर्थात्—‘जो प्राणियों लिए हितकारक हो, वह सत्य है। इसी सत्शब्द में नै तीन अर्थ और फलित होते हैं—मुनि—सत, गुण और पदार्थ । जिससे उक्त तीनों का हित प्रगट होता हो, वही सत्य है ।’

तीनों की एकरूपता हो, वहीं सत्य है—सत्य के पूर्वोक्त अर्थों को देखते हुए निष्कर्ष यह निकलता है कि केवल वाणी से उच्चारण किया हुआ सत्य ही सत्य नहीं होता। वचन के साथ मन और काया की एकरूपता होनी चाहिए। मन से भी सत्य सोचे, वचन से भी सत्य बोले और काया से भी सत्य चेष्टा प्रगट करे, तभी सच्चे

माने में सत्य होता है ।^१ यही कारण है कि सत्य महाव्रती साधु मन, वचन, काया तीनों योगो से सत्य का आचरण करने की प्रतिज्ञा लेता है । वह वचन से तो ठीक कहता हो, पर मन में कुछ और बात हो, शरीर से आचरण और ही तरह का हो, वहाँ दम्भ, छल या असत्य है ; सत्य नहीं । साधु के गुणों में इसीलिए तीन विशेषण प्रयुक्त किये जाते हैं—‘भाबसच्चे, करणच्चे, जोगसच्चे’—यानी वह भावों से भी, सत्य का आराधक हो, कृतादि करण से भी और मन-वचन-काय की प्रवृत्तिरूप योग से भी सत्याचरणी हो । अगर ऐसा न होता तो शास्त्रकार इस सूत्र पाठ में केवल वाणी से प्रगट किये हुए तथ्य को ही ‘सत्य’ कह देते, सत्य के स्वरूप पर इतना स्पष्ट व विस्तृत निरूपण नहीं करते । किन्तु उन्होंने पूर्वोक्त तीनों अर्थों में तथा मन-वचन-काय की एकरूपता के रूप में बटित होने वाले सत्य को ही सत्य कहा है और उसी को बोल कर प्रगट करने का निर्देश किया है ।

यद्यपि सत्य का प्रकटीकरण खासतौर से वाणी से ही होता है, बोल कर ही होता है । बोल कर ही मनुष्य अपनी बात या अपने भावों को प्रगट करता है । परन्तु यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वाणी तो भावो को परोसने या प्रगट करने का एक साधन है ; पर वही सब कुछ नहीं है । अगर वचन का सत्य ही एकान्तरूप से सत्य समझा जाय, तब तो अव्यक्त भाषा बोलने वाले द्वीन्द्रिय से ले कर पञ्चेन्द्रिय तक के तिर्यञ्च प्राणी भी महासत्यवादी कहलाएँगे, अथवा एकेन्द्रिय स्थावरजीव ; जिनके रस-नेन्द्रिय नहीं होती, वे भी सत्यवादी ही कहलाएँगे । लेकिन शास्त्रकार ने उन्हें सत्याचरणी या सत्यपालक नहीं बताया है । छोटा बच्चा, जो अभी बोलना भी नहीं सीखा है, वह भी सत्यवादी की कोटि में आजाएगा । अथवा कोई मन्दमति मनुष्य आजीवन मौन धारण कर ले, वह भी सत्यवादी की कोटि में माना जाएगा । मगर ये सत्यवादी की कोटि में नहीं माने जाते, क्योंकि इनके भावों में अभी तक समझबूझ-पूर्वक सत्यता नहीं आई है ।^२ ओषसज्ञा से कोई मिथ्यात्वी या अव्रती सत्य बोलता है तो उसका वह वचन भी सत्यव्रताचरणी की कोटि में नहीं माना जाता । सत्य के उच्चारण—वचन पर जो जोर दिया गया है, उसका भी रहस्य यही है कि

१ स्थानांग सूत्र में बताया है—‘कायुञ्जुयए, भासुञ्जुयए भानुञ्जुयए अविंसंवायणा-जोगे’ काया की सरलता, भाषा की सरलता, भावो की सरलता और मन-वचन कायरूप योग की अविंसंवायिता—एकरूपता ही सत्य है ।

२ तत्पार्यसूत्र में यही बात प्रगट की गई है—‘सवसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धे-रुन्मसत्तत् ।’

स्थूलदृष्टि वाले लोग सत्य को उसकी अभिव्यक्ति से ही पकड़ पाते हैं, भावों और चेष्टाओं (लेखन, इशारा, आकृति, स्वर आदि) से सत्य को पकड़ना हर एक मनुष्य के बश की बात नहीं। मनुष्य के बाह्यव्यवहार से भी सत्य को पकड़ना आसान नहीं होता। इसलिए सत्य की अधिकांश अभिव्यक्ति वचन के द्वारा होने से सत्यभाषण पर ही शास्त्रकारों या आचार्यों ने जोर दिया है। किन्तु यह कथन बहुलता की अपेक्षा से समझना चाहिए। सत्यवचन से उपलक्षणतया सर्वत्र सत्य-आचरण ही समझना चाहिए।

सत्य की इतनी महिमा क्यों ?—प्रश्न यह होता है कि अगर सत्य न बोला जाय तो क्या हो जायगा ? इसका इतना माहात्म्यवर्णन शास्त्रकार क्यों करते हैं ? इसका समाधान यह है कि सारा संसार सत्य के आधार पर चलता है। सूर्य, चन्द्र, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, समुद्र हवा आदि सब सत्य के आधार पर चलते हैं। सूर्य चन्द्र अपने नियमानुसार समय पर उदित होते हैं, ऋतुएँ अपने-अपने ममय पर आती हैं, हवा बहती रहती है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, आकाश सबको अवकाश देता है, अग्नि जलाती है। ये सब पदार्थ अगर अपना-अपना कार्य न करते तो संसार में प्रलय हो जाता। इसी प्रकार जितने भी व्यवहार हैं, वे सब सत्य के आधार पर चलते हैं। अगर दुनिया में सत्य का व्यवहार न हो तो सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच जाय। जहाँ सत्य के व्यवहार में गड़बड़ होती है, वही अशान्ति, अव्यवस्था या विषमता फैलती है। सत्य के आधार पर सभी काम सतुलितरूप से होते जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार क्या, दुनिया के तमाम बुद्धिमान मनुष्य, सत्य को मानवजीवन के लिए ही नहीं, प्राणि मात्र के जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। कहा भी है—

‘सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥’

अर्थात्—सत्य के आधार पर ही पृथ्वी ठहरी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही हवा चलती है। संसार में सभी कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है।

इसी बात की साक्षी शास्त्रकार निम्नोक्त शब्दों से देते हैं—

‘जे वि य लोप मि अपरिसेसा भंतजोगा सव्वणि वि ताइं सच्चे पइट्ठियाइ’
इस पक्ति का अर्थ मूलार्थ में हम स्पष्ट कर चुके हैं।

सारा संसार या संसार के सभी शुभभाव या पदार्थ आदि जिसके आधार पर टिके हो, भला उस सत्य की महिमा का वर्णन कौन नहीं करेगा ?

सत्य क्या है ?—सत्य को ‘शुद्ध’ कहा गया है। जिसका अर्थ है—अविकारी। जिसमें मिलावट, बनावट, दिखावट या सजावट होगी ; वह विकारी होगा। सत्य में मिलावट, बनावट, दिखावट, या सजावट नहीं होती और न उसमें इसकी ज़रूरत ही

होती है। महाभारत में कहा गया है—“निर्विकारितमं सत्यं सर्ववर्णेषु भारत !” “हे अर्जुन ! ब्राह्मण आदि सभी वर्णों में सत्य को अतिशय निर्विकारी माना गया है।” सत्य की पीरवी के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसे ‘सुद्ध’ कहा है। सत्य की अभिव्यक्ति भी शुद्ध-सरल मन, शुद्ध-सरल वचन, और शुद्ध-सरलकर्म से होती है। इसी प्रकार इसे ‘सुचिन्मय’ भी कहा है। शुचि का अर्थ होता है—पवित्र। सत्य में किसी प्रकार की गदगी, मन की मलिनता, कुटिलता आदि दोषों की गुंजाइश नहीं है। वह स्वयं पवित्र होता है। पवित्र आत्मा ही इसका आचरण करता है।

सुभासिय—सत्य का उच्चारण स्पष्ट और सुन्दर होता है, इससे इसे सुभाषित कहा है। वास्तव में सत्य कहने वाले का उच्चारण अस्पष्ट नहीं होता। अस्पष्ट उच्चारण तो उस व्यक्तिका होता है, जो किसी न किसी दोष से युक्त होता है, वह कहने से हिचकचाता है। भगवत् सत्यवादी बेखटके साफ-साफ और प्रिय व सुन्दर-सुहावने शब्दों में अपनी बात को कहता है।

सुध्वयं—सुव्रत का मतलब है—उत्तम व्रत। सत्य अपने आप में एक व्रत है—प्रतिज्ञारूप है। व्रत तप को भी कहते हैं, नियम को भी। कहा भी है—“सत्यं चैतपसा च किम् ?”- यदि किसी के पास सत्य है तो उसे तपस्या से क्या मतलब है ? सत्य अपने आपमें एक महान् तप है। किसी कवि ने कहा है—

‘साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।

जाके हिरवे साच है, ताके हिरवे आप ॥’

मतलब यह कि जहाँ सत्य नहीं, वहाँ तप, नियम, व्रत आदि सब निष्फल हो जाते हैं। नियम या प्रतिज्ञा भी सत्य के ही अंग हैं।

सुकथियं—राग और द्वेष दोनों से रहित जो न्याययुक्त उचित सतुलित कथन होता है, उसे सुकथित कहते हैं। सत्य भी ऐसा होने से सुकथित है।

सुबिद्ध सुपतिट्ठियं—जो बात अच्छी तरह से सोच विचार कर कही हुई अच्छी तरह देखी-सुनी हुई होती है या दिलदिमाग में भलीभांति जमी हुई होती है, वही सुकथित, सुदृष्ट एव सुप्रतिष्ठित होती है, वही सत्य है। बिना विचारे सहसा किसी के लिए कही गई बात झूठ होती है। कई बार आँखों से स्पष्ट देखी हुई बात भी सही नहीं होती, जैसे घु घले प्रकाश में रस्सी भी साप जैसी दिखती है, रेगिस्तान में रेतीली जमीन में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, इसी प्रकार कई बार ऊपर-ऊपर से देखी हुई बात में भी सत्य का अंश कम होता है। इसी प्रकार कानों से सुनी हुई बात भी झूठी निकल जाती है। उस पर सहसा विश्वास या निर्णय करने से धोखा खाना पड़ता है। इसी प्रकार कोई बात दिलदिमाग में जब तक भलीभांति जमी नहीं है, तब तक उसे एकदम सही मान लेने से भी पछताना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकार इन तीन

शब्दों द्वारा ध्वनित करते हैं, जो बात बिना सोचे-विचारे सहसा उतावलेपन में कह दी गई हो, जो भलीभांति देखी-सुनी न हो, और जो बात दिलदिमाग में अच्छी तरह जम न गई हो उसे कहना 'असत्य' है। इसीलिए शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ के अन्त में कहा है—'समिच्छयं संज्ञेय कालंमि य वस्तुम्'—अर्थात्—भलीभांति सोचविचार करके संयमी पुरुष को अवसर पर ही बोलना चाहिए। वृत्तिकार भी कहते हैं —

बुद्धीए निपुत्रं भासेज्जा उभयलोचपरिसुद्धं ।

सपरोभयाणं अं खसु न सम्बहा पीडजनगं तु ॥'

'बुद्धि से भलीभांति विचार कर जो स्व, पर और दोनों के लिए संबंधा पीड़ा-जनक न हो, दोनो लोको में शुद्ध हो, वही वचन बोलना चाहिए ।'

सुपइद्विध्यजसं—इसका अर्थ यही है कि सत्य को जीवन में निष्ठापूर्वक स्थान देने वालो का यश स्वतः ही फैल जाता है। असत्यवादी की तो पद-पद पर अप्रतिष्ठा-अपकीर्ति होती है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि सत्य अपने पालन करने वालो का यश ससार में फैला देता है। सत्यवादी सत्य के प्रभाव से उत्कृष्ट पद पर पहुंचता देखा गया है।

विभिन्न कोटि के सत्य के उपासक—विभिन्न कोटि के महान् सत्योपासक व्यक्ति सत्य को अपने मन, वचन, साधना एवं जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों में स्थान देते हैं, उसको आदर देते हैं, उसका आचरण करते हैं; तपस्या और नियमों में उस सत्य को केन्द्र में रख कर चलते हैं, विद्याओं और कलाओं में पारंगत होने वाले भी उसी सत्य की साधना करते हैं, शास्त्रीय सिद्धान्तों का गहन अध्ययन करके वे सत्य का रहस्य पा लेते हैं, सत्य की महिमा और सत्य सिद्धान्तों को भलीभांति जानकर जनता को उसकी गरिमा से अवगत कराते हैं, सत्य के जिज्ञासु जीवादित्वों का ज्ञान करके सत्य की साधना करते हैं, सत्य की सार्थकता और उपयोगिता को हृदयगम कर लेते हैं, सत्य के द्वारा अपनी विद्या सिद्ध करते हैं और सत्य की स्तुति, अर्चा एवं पूजा करते हैं। शास्त्रकार की दृष्टि में वे ऋषयः, ये हैं—सुसयमी पुरुष, उत्तम देव, उत्तम मनुष्य, बलशाली मनुष्य, शास्त्रोक्त विधि से आचरण करने वाले सुविहित साधुजन, उत्कृष्ट साधुजन, तपस्वी, नियमधारी, विद्याधर, चतुर्दशपूर्वधर, महर्षिगण, देवेन्द्र, नरेन्द्र, वैमानिक देव, चारजमुनि. सत्य की अर्चा और पूजा करने वाले देव और असुरगण ।

सुवर्तियहृदेषकं सत्यमगसिद्धिपहृदेषकं—इन दोनो पदों का आशय यह है कि सत्य मनुष्यगति और देवगति इन दोनो सुवर्तियों का प्रथमप्रदंशक, तथा अनुत्तर-विमानस्वर्ग तक के मार्ग का तथा सिद्धिमार्ग का प्रवर्तक है। क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र के 'अस्यारम्भपरिपहृत्वं च मानुषत्वं' 'स्यारम्भसंज्ञसंज्ञासांयथाकामनिर्भरावालतपांसि

देवस्य, इन दो सूत्रों के अनुसार अल्पारम्भ और अल्प-परिग्रह मनुष्यगति के तथा सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा तथा बालतप, ये देवगति के कारण हैं। इसलिए सत्य का पालन मनुष्यगति एवं देवगति का कारण तो है ही, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का भी प्रवर्तक है।

उज्ज्वलं अकुटिलं—इन दोनों पदों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋजु कहते हैं, सरल को। सरल मन से जो बोला जाता है, वह ऋजु होता है, वही सत्य होता है। जो मायाचारपूर्वक बोला जाता है, वह वचन असत्य होता है। सरलचित्त से उच्चारण किया हुआ वचन कुटिल नहीं होता है, वही सत्य है। सरलमन की सरलता को पहिचानने में अकुटिल वचन हेतु बनता है। जिसके वचन में सरलता नहीं होती, वह सीधी-सादी या सरल-सी लगती बात को भी घुमाफिरा कर कहता है। समझना चाहिए उसके मन में कतुपितता है। इसलिए इन दोनों पदों को साध्य-साधनभाव से परस्पर सम्बन्धित बताने के लिए साथ-साथ रखा है।

भूयत्वं अत्यतो विमुद्ध—जो चीज है ही नहीं, उसके विषय में कल्पना करना सद्भूतार्थ कथन नहीं होता। वास्तविक (विद्यमान या घटित) अर्थ को कहने वाला वचन ही सत्य है।

परन्तु कई दृष्टान्त या कथाएँ काल्पनिक होती हैं, वे वर्तमान में या भूतकाल में भी हबहू घटित नहीं होती, फिर भी वक्ता का आशय लोगों को किसी सत्य (तत्त्व या सिद्धान्त) को समझाना है या हृदय में उतारना है तो उसे असत्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे प्रयोजन (अर्थ) विमुद्ध है।

इसलिए विमुद्ध प्रयोजन से बोला गया वचन अर्थतः विमुद्ध होने के कारण सत्य है। अथवा किसी वक्ता का प्रयोजन लोगों को धोखा देने का नहीं था, किन्तु वाणीस्खलना के कारण एक शब्द के बजाय दूसरा शब्द मुह से निकल गया। चूंकि वह अर्थतः शुद्ध है, इसलिए सत्य माना जाता है। उत्तम प्रयोजन (आशय या अर्थ) को ले कर कही जाने वाली बात अर्थतः विमुद्ध—सत्य है।

महत्त्वमधुरं—कई लोग बातें बड़ी मीठी-मीठी करते हैं, लेकिन वे यथार्थ नहीं होतीं, वे कानों को प्रिय लगती हैं, परन्तु वक्ता के मन में चापलूसी या मायाचार का भाव होने के कारण उनका परिणाम स्वार्थसिद्धि या धोखेबाजी होने के कारण वे यथार्थ—मधुर नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार ने बताया कि केवल मधुरवचन पूर्वोक्त प्रकार के स्वार्थ या माया से लिपटा हुआ हो तो वह असत्य है, किन्तु मधुरता के साथ जिस वचन में यथार्थता हो, वह वचन सत्य है।

सत्य के चमत्कार—शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में सत्य के प्रभाव से होने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष चमत्कारों का वर्णन किया है। सत्य अपने आराधकों को अनेक

विपद्ग्रस्त अवस्थाओं में देवता की तरह प्रत्यक्ष आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाता है। यह बात तो अनुभव सिद्ध है कि सत्य से असभव दिखाई देने वाले काम सभव हो जाते हैं। कई बार तो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, इस प्रकार से सकटापन्न दशा में पड़े हुए सत्यवादी को सहसा कोई न कोई सहायता मिल जाती है। नीतिकार कहते हैं—

‘सत्येनाग्निर्नवेण्छीतोऽगाधाम्नुधिरपि स्थलम् ।

नासिश्छिनत्ति सत्येन, सत्याद्ब्रज्जुयते कृषी ॥’

‘सत्य के प्रभाव से अग्नि ठंडी हो जाती है, अगाध समुद्र जल के बदले स्थल बन जाता है। सत्य के प्रभाव से तलवार काट नहीं सकती, और फणधारी साप सत्य के कारण रस्सी बन जाता है।’ सत्य हरिश्चन्द्र और महासती सीता आदि के उदाहरण तो प्रसिद्ध हैं ही। आधुनिक उदाहरणों की भी कमी नहीं है। सत्यवादी के वचन में सिद्धि होती है। देव उसके वचन को सफल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके मुख से निकले हुए वाक्य मात्र का-सा चमत्कार दिखाते हैं। दैवयोग से प्राप्त आपत्ति सत्य के प्रभाव से दूर हो जाती है। देव उसकी सेवा में तैनात रहते हैं। इसीलिए इस सूत्र पाठ में बताया है कि महासमुद्र में दिशामूढ़ बने हुए सैनिक नाविकों की नौकाएँ सत्य के प्रताप से समुद्र में स्थिर हो जाती हैं, डूबती नहीं। बड़े-बड़े तूफानों के बीच भी समुद्र-यात्री सत्य के प्रभाव से बहते नहीं, मरते भी नहीं, अपितु किनारा पा लेते हैं; आग की लपलपाती भयकर लपटों में भी सत्याराधक जलते नहीं, खौलता हुआ गर्मागर्म तेल, रागा, लोहा और सीसा भी सत्यवादी को सत्य के प्रभाव से कुछ आच नहीं आने देता, वे गर्मागर्म पदार्थ को हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन जलते नहीं। ऊँचे से ऊँचे पर्वत की चोटी से गिरा देने पर भी सत्यधारी व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं होता। बड़े-बड़े भयकर युद्धों में चारों ओर नगी तलवारों से घिरे हुए सत्यवादी का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वे उसमें से सहीसलामत निकल जाते हैं। लाठियों आदि की मारों, रस्सी आदि के बधनों, बलपूर्वक जबर्दस्त प्रहारों और घोर बैरविरोधों के बीच भी सत्यवादी बाल-बाल बच जाते हैं, शत्रुओं के बीच में भी वे निर्दोष निकल जाते हैं, क्योंकि सत्यवादी के आत्मबल के सामने पाशविकबल निस्तेज और परास्त हो जाता है। यही कारण है कि सत्य के प्रभाव से मारने-पीटने और बदला लेने को उद्यत भयकर शत्रुओं के भी परिणाम बदल जाते हैं। जिस सत्यवादी को पहले वे अपना बहिष्कृतकर शत्रु समझते थे, उसे ही देख कर वे स्नेहाद्गर् हो जाते हैं और उसे मित्रवत् समझने लगते हैं। जो सत्यवादी नरपुंज सत्य में ही रमण करते हैं, मरणान्त कष्ट या पड़ने पर भी असत्य का आश्रय नहीं लेते, लेने का विचार तक नहीं करते हैं, ऐसे

मनुष्यों के चरणों में देवता उपस्थित होते हैं। और उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। कहा भी है—

‘प्रियं सत्यं वाक्यं हरति हृदयं कस्य न भुवि ?
गिरं सत्यां लोकः प्रतिपद्यमिमामर्षयति च ।
सुराः सत्याद् वाक्याद् ब्रह्मति भुविताः कामितफलम्,
अतः सत्याद् वाक्याद् व्रतमभिमर्तं नास्ति भुवने ॥’

अर्थात्—‘इस पृथ्वी पर कौन-सा ऐसा मनुष्य है, जिसके हृदय को प्रिय सत्यवचन नहीं हर लेता ? अर्थात् यह सबके चित्त को आकर्षित करने वाला मन्त्र है। ससार का प्रत्येक प्राणी पद-पद पर (प्रतिक्षण) इस सत्यवचन की आकांक्षा करता रहता है। देवता भी सत्यवचन से प्रसन्न हो कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अतः तीनों लोको में सत्य से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं माना गया है।’

इसी का शास्त्रकार ने मूलपाठ में निरूपण किया है—

‘ पञ्चब्रह्मं ब्रह्मिष्यं च करेति सच्चक्षयणे रताणं ।’

सत्य की महिमा आगे चल कर शास्त्रकार ने सत्य की महिमा पर विशद निरूपण किया है—‘वह सत्य भगवान् है।’ वास्तव में सत्य में असीम गुणों का समावेश होने से उसे भगवान् की कोटि में माना जा सकता है, देवगण सत्य को भगवान् की तरह अर्चनीय मानते हैं, असुरगुण उसे भगवान् की तरह पूजते हैं, मानव-गण उसकी स्तुति करते हैं। भगवान् तीर्थंकर आदि तक सत्य के सर्वांगीण आचरण से भगवान् बने हैं। ‘भग’ शब्द ऐश्वर्य के अतिरिक्त धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, आदि अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए सत्य परम धर्म है, वैराग्य का कारण है, मोक्ष का साधन है, परम्परा से यश, ऐश्वर्य और श्री का भी दिलाने वाला है। इसलिए इसे भगवान् कहना अनुचित नहीं। महात्मा गांधीजी ने भी सत्य को भगवान् कहा है। उपनिषदों में बताया है —

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’

अर्थात्—‘सत्य ज्ञानरूप और अनन्त ब्रह्मस्वरूप है।’

इसी प्रकार यह सत्य महासमुद्र से भी बढ़ कर गभीर है। समुद्र में अथाह जल होता है। उसकी थाह पाना दुष्कर होता है। तथापि देव चाहें तो, समुद्र की थाह पा सकते हैं; किन्तु सत्य की असीम शक्ति की थाह पाना उनके भी बश की बात नहीं। केवलज्ञानी के सिवाय और कोई भी व्यक्ति सत्य का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट नहीं जान सकता।

चतुर्दशपूर्वधारियों^१ के पास श्रुतज्ञान की अगाधराशि होती है, मगर वे भी इसका रहस्य सत्यप्रवाद प्राप्त नामक छठे पूर्व से जान पाते हैं। दूसरे महर्षिगण भी दशवैकालिक आदि शास्त्रों से इस सत्य को जान कर आचरण करते हैं। देवेन्द्रों, नरेन्द्रों वैमानिक देवों, मन्त्रविदों आँध्रविशारदों, विद्यासाधकों और चारणमुनियों ने तथा श्रमणों ने सत्य के माध्यम से अपनी-अपनी इष्ट साधनाएँ की हैं। जो मनुष्य अज्ञान या कषाय के बश सासारिक सिद्धि या इन्द्रियविषयों के पोषण में ही सुख और कर्तव्य समझते हैं, वे धार्मिक धर्म से विमुख विविध वेपथारी मत्तावलम्बी भी आखिर सत्य की ही साधना करते हैं। ऐसे अनेक पापद्वियों ने भी सत्य की साधना द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त किया है। सत्य की पूर्ण सीमा प्राप्त करना तो इन सब की शक्ति से परे की बात है। इसलिये सत्य को महासमुद्र से भी बढ़कर गम्भीर बताया गया है।

दूसरे पहलू से देखे तो महासमुद्र प्रलयकाल की वायु से क्षुब्ध हो जाता है, अपनी मर्यादा को लाघ देता है, लेकिन सत्य और दृढ सत्यवादी को क्षुब्ध करने में ससार की कोई भी वस्तु समर्थ नहीं है। इसलिए यह महासागर से भी अत्यधिक गभीर है। मेरुपर्वत की जड़ एक हजार योजन गहरी है, प्रलयकालिक वायु भी उसे कम्पायमान नहीं कर सकता। इतना अडाल मेरुपर्वत है। फिर भी इन्द्र में इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, तो मेरुपर्वत को हिलाना उसके लिए क्या बड़ी बात है? लेकिन वही इन्द्र सत्य और सत्यवादी के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसके स्वैर्यगुण की स्तुति करता है।

देवता या इन्द्र सत्यमहाव्रत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर और बाह्य निमित्त इसके लिए अनुकूल नहीं होते। इसलिए वे उस सत्य गुण और सत्यधारी महापुरुषों की बन्दना, पूजा, अर्चा, हादिक सत्कार, सम्मान और शारीरिक सेवा करके ही भविष्य के लिए अपनी आत्मा को उस गुण के योग्य बनाते हैं।

चन्द्रमण्डल में तीन गुण हैं— शान्ति करना, आह्लाद पैदा करना और अन्ध-कार मिटाना। चन्द्रमण्डल का उदय होने से उसकी चादनी से सारे ससार को शान्ति

१ चौबहू पूर्व ये हैं— १ उत्पाद, २ आश्रायणी, ३ वीर्यप्रवाद, ४ अस्ति-नास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्यान, १० वीर्यानुवाद, ११ कल्याण, १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल और १४ लोकबिन्दुसार। इनके सागोपाग अध्येता चतुर्दश पूर्वधारी कहलाते हैं।

मिलती है, आनन्द की अनुभूति होती है। परन्तु यह शान्ति क्षणिक, परिमित, बाह्य और पौद्गलिक है। सत्य चन्द्रमण्डल से अनेक गुनी अधिक आत्मिक शान्ति जीवों को प्रदान करता है तथा नित्य (अनन्तकाल) आत्मा के साथ रहने वाला है। इस लिए चन्द्रमण्डल की सौम्यता सत्य के सामने तुच्छ है।

सूर्यमण्डल से भी सत्य की दीप्ति अत्यधिक है। इसका आशय यह है कि सूर्य की दीप्ति (प्रकाश) तो बाह्य अन्धकार का ही नाश करती है, साथ में सताप भी देती है। लेकिन सत्य की दीप्ति अन्तरंग के मिथ्यात्वरूप सघन अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देती है और जीवों के सासारिक सताप को शान्त करती है। इसलिए सूर्यमण्डल से सत्य की दीप्ति (प्रकाश या तेजस्विता) कहीं अधिक है।

शरत्काल का आकाशतल स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन सत्य उससे भी बढ़कर निर्मल है। वयोकि शरत्काल में मेघ तथा रज आदि के न होने से गगनतल साफ प्रतीत होता है, लेकिन उसकी वह स्वच्छता कुछ समय के लिए रहती है। कभी-कभी उस पर कोहरा धुंध छा जाता है, बादल भी उमड़ कर आ जाते हैं, जबकि सत्य सम्पूर्ण दोषों तथा मिथ्यात्व, अज्ञान आदि के कोहरे से रहित होने के कारण अत्यन्त स्वच्छ रहता है। और शुद्ध आत्मा का गुण होने से यह अविनाशी भी है। इसलिए इसकी निर्मलता शरत्कालीन गगनतल से कहीं अधिक है।

गन्धमादनपर्वत चन्दन के वृक्षों के कारण सदा सुगन्धित रहता है, मगर सत्य तो उससे भी बढ़ कर सुरभित होता है, क्योंकि यह सहृदय मनुष्यों के हृदय को अपने गुणों के आकर्षण से खींच लेता है, उनके मन को आह्लादित कर देता है।

सत्य में आश्चर्योत्पादक शक्ति निहित है। जितने भी मंत्र, तंत्र, विद्या आदि के चमत्कार हैं, वे सब सत्य से अनुप्राणित होते हैं। सत्य के बिना वे सब पक्षहीन पक्षी की तरह निरर्थक हैं। जगत् में हम जितने भी मन्त्रादिप्रयोगों के चमत्कार देखते हैं, जप से अनिष्टादिनिवारण देखते हैं, अनेक विद्याओं की सिद्धि का अनुभव करते हैं अस्त्र-शास्त्र के चमत्कार सुनते हैं, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि का अद्वितीय वस्तुविवेचन पढ़ते हैं, अत्यन्त मनोरंजक ललित कलाओं, शिल्पों आदि का कौशल देखते हैं; ये सब सत्य पर आश्रित हैं। सत्यवादी मनुष्य इन्हीं अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है, इनकी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है। लेकिन असत्यवादी को मंत्र विद्या आदि सिद्ध नहीं होती। उसे कला आदि का ज्ञान भलीभाँति नहीं हो पाता। कदाचित् गुरुरूपा से हो भी जाय तो वह अंधूरा ही रहता है या बिजली के समान अपनी क्षणिक चमक दिखा कर अस्त हो जाता है। सत्यवादी को पा कर ये सब दिनोदिन बढ़ते जाते हैं, स्वपर-उपकारक भी बनते हैं। मूलहीन वृक्ष की तरह सत्यहीन मन्त्रादि या विद्याकलादि टिक नहीं सकते। अतः ये सब सत्य पर अवलम्बित हैं। सत्य की इसी गरिमा एव महिमा को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—

‘तं सत्त्वं भगवं’ ... ‘अं तं लोकमि सारभूयं, गंभीरतरं महासमुद्रागो’ ... ‘सत्त्वाणि वि ताइ’ सत्त्वे पद्विठ्याइ ।’

सत्य के दस भेद—शास्त्रकार ने मूलपाठ में कहा है—‘तं सत्त्वं दसविहं’ अर्थात् वह सत्य दस प्रकार का है । दशकालिक सूत्र की हारिभद्रीवृत्ति में उल्लिखित गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

“जनपदसत्य-सम्मत-उवणा नाम-रुवे पदुक्चसत्त्वे य ।

व्यवहार-भाष-जोगे दसमे उवम्मसत्त्वे ॥”

अर्थात्—(१) जनपदसत्य, (२) सम्मतसत्य, (३) स्थापनासत्य, (४) नामसत्य, (५) रूपसत्य, (६) प्रतीत्यसत्य, (७) व्यवहारसत्य, (८) भावसत्य, (९) योगसत्य और (१०) उपमासत्य, ये दस सत्य के भेद हैं ।’

जनपदसत्य—जिस देश के लिए जो शब्द जिस अर्थ में रूढ होता है, उस देश में उस अर्थ के लिए उसी शब्द का प्रयोग करना जनपदसत्य कहलाता है । जैसे दक्षिण देश में चावल को भात या कुलु कहते हैं, अतः वहाँ उन शब्दों का प्रयोग जनपद सत्य है । पंजाबप्रान्त में नाई को राजा कहते हैं, जबकि अन्य प्रान्तों में नृप को राजा कहा जाता है । अतः पंजाब में नाई के लिए राजा शब्द का प्रयोग जनपदसत्य है ।

सम्मतसत्य—बहुत-से मनुष्यों की सम्मति से जो शब्द जिस अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, उसे सम्मतसत्य कहते हैं । जैसे ‘देवी’ शब्द का पटरानी अर्थ बहुजनसम्मत है । वैसे देवी देवागना के अर्थ में प्रयुक्त होती है ।

स्थापनासत्य—किसी मूर्ति आदि में किसी व्यक्ति विशेष की, सिक्के, नोट आदि में रूपों की या एक आदि अक के आगे एक बिन्दु होने पर दस की, दो बिन्दु होने पर सौ की कल्पना कर ली जाती है, या शतरज के पासों में हाथी-घोडा आदि की कल्पना कर ली जाती है, इसे स्थापनासत्य कहते हैं ।

नामसत्य—गुण हो चाहे न हो, किसी व्यक्ति या पदार्थ का कोई नाम रख लेना नामसत्य है । जैसे कुल की वृद्धि न करने पर भी लड़के का नाम रख दिया जाता है—कुलवर्द्धन ।

रूपसत्य पुद्गल के रूप आदि अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो वचन कहा जाय, उसे रूपसत्य कहते हैं । जैसे किसी आदमी को गोरु (श्वेत) कहना । उस मनुष्य में रूप के अलावा रस, गन्ध आदि अनेक गुण हैं, तथापि रूप की अपेक्षा से

१ निम्नोक्त गाथा भी सत्य के १० भदों के सम्बन्ध में मिलती है—

“जनपदसम्मतितवणा नामे रुवे पदुक्च-व्यवहारे ।

संभावणे य भावे उवमाए दसविहं सत्त्वं ॥”

उसका नाम गोरा रखा गया। अथवा दम्भ से व्रत ग्रहण करने पर भी केवल साधु का रूप—शेष देख कर उसे 'साधु' कहना।

प्रतीत्य सत्य—किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से किसी दूसरे पदार्थ का स्वरूप बताना प्रतीत्यसत्य है। जैसे किसी व्यक्ति को 'लम्बा' या स्थूल' कहना। वह अपने से ठिगने या पतले की अपेक्षा से तो लम्बा या स्थूल है, परन्तु अपने से लम्बे या मोटे की अपेक्षा से नहीं।

व्यवहारसत्य—नैगमनय या व्यवहार में प्रचलित अर्थ की अपेक्षा से जो वचन बोला जाय, वह व्यवहारसत्य है। जैसे रसोई की तैयारी करते हुए किसी ने कहा—'मैं रसोई बना रहा हूँ, भात बना रहा हूँ।' यद्यपि वह अभी पानी, लकड़ी आदि सामग्री इकट्ठी कर रहा है, रसोई बनानी शुरू भी नहीं की है। अथवा लोकव्यवहार में प्रचलित अर्थ की अपेक्षा से जो वाक्य बोला जाय, वह भी व्यवहारसत्य माना जाता है। जैसे—गाँव के कहीं न जाने-आने पर भी कहा जाता है—गाँव आ गया। घड़े से पानी के चूने पर भी कहना कि घड़ा चूता है इत्यादि।

भावसत्य—किसी में कोई वर्ण आदि उत्कट मात्रा में हो, उस अपेक्षा से जो सत्य माना जाय, उसे भावसत्य कहते हैं। जैसे तोते में अन्य रंग होते हुए भी तोते को हरा कहना, यह भावसत्य है। अथवा आगमोक्त विधि-निषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में माने गए परिणामों को भाव कहते हैं। उस भाव का कथन करने वाला वचन भावसत्य है। जैसे सूखे, पके या अग्नि में तपाए हुए या नमक, मिर्च आदि से मिश्रित किये हुए बीजरहित फल आदि द्रव्य प्रासुक कहलाते हैं। यद्यपि इन फलादि के सूक्ष्म जीवों को चक्षुरिन्द्रिय से नहीं देखा जा सकता, तथापि आगम में पूर्वोक्त प्रकार से परिणत को प्रासुक मानने का उल्लेख होने से प्रासुक मानना, भावसत्य है।

योगसत्य—किसी वस्तु के सयोग सम्बन्ध से उसका नाम रख देना, योग सत्य है। जैसे दण्ड के योग से किसी व्यक्ति को दंडी कहना योग्यसत्य है।

उपमासत्य—जहाँ किसी प्रसिद्ध पदार्थ की सदृशता से किसी पदार्थ के बारे में कथन मिया जाय अथवा किसी पदार्थ की मिथि की जाय वहाँ उपमासत्य होता है। जैसे यह तालाब समुद्र की तरह है, मुख चन्द्रमा के समान है, आदि। पत्योपमकाल में पत्य शब्द गड्ढे का वाचक है काल को गड्ढे की उपमा देकर बताया गया कि एक योजन लंबे-चौड़े यौगलिकों के बालों से ठसाठस भरे हुए गड्ढे के समान काल पत्योपम है।

सम्भावनासत्य—कहीं-कहीं योगसत्य के बदले सम्भावनासत्य मिलता है। सम्भावनासत्य का अर्थ है—जहाँ असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी एक धर्म का निरूपण करने वाला वचन बोला जाय, वहाँ सम्भावनासत्य है। जैसे—इन्द्र में जम्बुद्वीप को उचल देने की शक्ति है।

असत्यभाषा के इस प्रकार—प्रसगवशा असत्यभाषा के भी दश भेदों के लिए दशवैकालिक की हारिभद्रीवृत्ति की एक गाय्या उद्धृत करते हैं—

कोहे भाणे माया लोभे, पेण्जे तहेव दोसे य ।

हास-भय-अवच्छादय-उवग्घादय-णिसिहा वसहा ॥

क्रोध के वश निकली हुई भाषा क्रोधनिःसृता कहलाती है । मान के वश अपनी बड़ाई करने के हेतु से निःसृतभाषा—माननिःसृता, माया के वश दूसरो को धोखा देने के अभिप्राय से निकली हुई भाषा मायानिःसृता, और लोभ के वशीभूत हो कर झूठी कसमे खाकर या झूठा नापतौल करके धोखा देने वाला वचन बोलना, लोभनिःसृता भाषा है । राग के वशीभूत हो कर बोलना प्रमत्तनिःसृता भाषा कहलाती है, जैसे—मैं तो आपका दास हूँ, आप तो मेरे पिता हो । द्वेष से आविष्ट होकर किसी के लिए कोई अवर्णवाद बोलना द्वेषनिःसृता भाषा कहलाती है । जैसे तीर्थकरो मे क्या रखा है ? इस प्रकार का कथन द्वेषनिःसृता भाषा का है । हास्यरस या क्रीडारस के वशीभूत होकर कोई उद्गार निकालना हास्यनिःसृता भाषा है । कथाओ में असंभव कपोल कल्पित नाम आदि रख लेना, आख्यायिकानिःसृता भाषा कहलाती है, जैसे—धर्तृख्यान, आदि । तू चोर है, तू लुच्चा है, इस प्रकार के दिल को चोट पहुंचाने वाले वचन बोलना उपघात-निःसृता भाषा है । उक्त दसो प्रकार की भाषाओ में कुछ भाषाएँ सत्य या तथ्य होने पर भी असत्य ही कहलाती हैं । क्योंकि इनके पीछे आशय गलत—दुष्ट होता है ।

सत्यामृषा भाषा के दस भेद—इसी प्रकार सत्यामृषा भाषा भी दश प्रकार की होती है । निम्नोक्त गाय्या प्रस्तुत है—

‘उत्पन्नमिस्सिया १ विगय २ तनुभय ३ जीवा ४ ऽजीव ५ उभयमिस्सा ६ ।

अचंत ७ परिस्ता ८ अद्धा ९ अद्धामिस्सिया १० इत्तमा ॥’

अर्थात्—१ उत्पन्नमिश्रिता, २ विगतमिश्रिता, ३ उत्पन्नविगतमिश्रिता, ४ जीवमिश्रिता, ५ अजीवमिश्रिता, ६ जीवाजीवमिश्रिता, ७ अनन्तमिश्रिता, ८ प्रत्येक-मिश्रिता, ९ अद्धामिश्रिता, १० अद्धामिश्रिता, इस प्रकार सत्यामृषा भाषा के १० भेद हैं ।

किसी नगर में कम या ज्यादा बालक पैदा हुए, लेकिन अदाजे से कह दिया कि आज इस नगर में १० बालक पैदा हुए हैं, यह उत्पन्नमिश्रिता भाषा है । इसी प्रकार मरे हुए बालकों की संख्या १० बता दी तो वही विगतमिश्रिता भाषा है । जन्मे हुए या मरे हुए दोनों प्रकार के बालको की संख्या अनुमान से बता दी तो वही उत्पन्न-विगतमिश्रिता भाषा है । बहुत से जीवों को इकट्ठे देख कर कह देना—‘अहो ! कितनी बड़ी जीवराशि है !’ यह जीवमिश्रिता भाषा है । मृत जीवों के ढेर को देख कर

भी कह देना—'कितनी बड़ी जीवराशि मर गई, अजीवमिश्रिता है। मृत और जीवित दोनों के ढेर को देख कर अन्दा जिया एक साथ कह देना—इन जीवों के ढेर में इतने मरे हैं, इतने जिंदा हैं, यह जीवाजीवमिश्रिता भाषा है। हरे पत्ते या प्रत्येक वन-स्पति के साथ अनन्तकाय का अधिक पिंड देख कर कहना—'सभी अनन्तकायिक हैं, यह अनन्तमिश्रिता भाषा है। तथा अनन्त काय के साथ प्रत्येक वनस्पतियों को अधिक मिश्रित देख कर कहना—ये सभी प्रत्येक वनस्पतिकायिक हैं, यह प्रत्येक-मिश्रिता भाषा है। इसी प्रकार जहां कोई किसी को जल्दी-जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिन रहते—सूर्य चमकते हुए भी कहता है—उठ जल्दी, रात हो गई है, अथवा रात रहते भी कहे,—उठ, सूरज निकल आया। यह अद्वामिश्रिता भाषा है। दिन का एक भाग अभी बीता नहीं है, फिर भी जल्दी मचाता है—'उठ, चल जल्दी, दोपहर हो गया है, यह अद्विधामिश्रिता भाषा है।

असत्यामृषा के बारह भेद - बारह प्रकार की भाषा ऐसी होती है, जो न तो सत्य कही जा सकती है, न असत्य ही। इसलिए उसे असत्यामृषा भाषा कहते हैं। उसके बारह भेद यो है—(१) आमंत्रणी—हे देवदत्त !' इस प्रकार सम्बोधित करके बुलाने वाली, (२) आज्ञापित्री 'यह करो' इस प्रकार दूसरो को कार्य में प्रवृत्त करने के लिए आज्ञारूप भाषा, (३) याचनी—किसी वस्तु की याचनारूप भाषा जैसे—'दस रुपये दो।' (४) पूछनी—किसी विषय में पूछने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, जैसे—'राम कहा है?' इस प्रकार पूछना, (५) प्रज्ञापनी—विनीत शिष्य को उपदेश देना। जैसे—'प्राणिवध संनिवृत्त जीव आगामी भव में दीर्घायु होते हैं।' (६) प्रत्याख्यानी—याचना करने वाले को इन्कार करने के रूप में या प्रत्याख्यान कराने के रूप में प्रयुक्त भाषा। जैसे—'तुम्हे हम नहीं देते।' अथवा 'शराब पीने का त्याग करो' इस प्रकार की भाषा प्रत्याख्यानी भाषा है। (७) इच्छानुलोमा—कोई किसी कार्य को शुरू करने से पहले किसी से पूछे तब यह कहना कि 'आप इसे करिए, मुझे भी यही पसन्द है' यह इच्छानुलोमा भाषा है। (८) अनभिगृहीता—एक साथ अनेक कार्य उपस्थित होने पर कोई किसी से पूछे कि—'इस समय कौन-सा काम करूँ?' तब वह कहे कि 'जो तुम्हे सुन्दर मालूम हो, उसे करो', यह अनभिगृहीता भाषा है। (९) अभिगृहीता—'इस समय इसे करो इसे मत करो, इस प्रकार की भाषा अभिगृहीता है, (१०) संशयकरणी—अनेक अर्थों को प्रगट करने वाला एक शब्द कह देना संशयकरणी है, जैसे कोई कहे कि संश्व ले आओ। संश्व शब्द नमक, घोड़ा, वस्त्र आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए ऐसी अनिर्धारित वाणी संशय करणी है। (११) अव्याकृता—जिसका अर्थ स्पष्ट हो, ऐसी भाषा, (१२) अव्यक्तता—जिसका अर्थ अतिगम्भीर हो, ऐसी गूढ या अव्यक्त भाषा।

१ भाषा के विषय में विशेष जानकारी के लिए प्रज्ञापनासूत्रके भाषापद का अवलोकन करे।

—संपादक

बारह भाषाएँ—बोलियों की दृष्टि से उस समय भारत में प्रचलित भाषाएँ १२ मानी जाती थी। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं—**बुधालसविहा होइ भासा**—अर्थात्—भाषा १२ प्रकार की हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) प्राकृत, (२) सस्कृत, (३) मागधी, (४) पँशाची, (५) शौरसेनी, और (६) अपभ्रंश, ये ६ भाषाएँ। गद्य और पद्यभेद से कुल मिला कर १२ होती हैं। इनमें छठी जो अपभ्रंश भाषा है, विभिन्न देशों की अपेक्षा से उसके अनेक भेद हो जाते हैं।

सोलह वचन—बोलते समय एकवचन आदि वचनों, स्त्री-पुरुष आदि तीन लिंगों, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि तीनों कालों का तथा अपनीतवचन और अध्यात्मवचन आदि का विवेक सत्यवादी को होना चाहिए। इसी हेतु से १६ प्रकार के वचनों का उल्लेख शास्त्रकार ने किया है—**‘वचन पि य होइ सोलसविहं’** अर्थात्—वचन भी १६ प्रकार का होता है। निम्नोक्त गाथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा रही है—

“वचनतिय लिंगतिय कालतियं तह परोक्ख-पक्खवणं ।

अवणीयाइ वउक्कं अज्जत्थं खेव सोलसमं ॥”

अर्थात्—‘एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन लिंग, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वचन; अपनीतादि वचनचतुष्टय, जैसे—(१) किसी में एकाग्र कोई गुण होने पर भी ज्यादा तादाद में अमुक दुर्गुण होने से कहना—यह दुःशील है, यह दुर्भाषी है, इस प्रकार का कथन अपनीत वचन है, (२) एकाग्र गुण बता कर बाद में दुर्गुणों का उल्लेख करना, जैसे—यह रूपवान तो है, किन्तु दुःशील है, इस प्रकार का कथन अपनीत-अपनीत वचन है, (३) इसके ठीक विपरीत पहले दुर्गुण बता कर बाद में एकाग्र गुण बताना, जैसे—‘यह दुःशील है, परन्तु है रूपवान, ऐसा कथन अपनीत-उपनीत वचन है, (४) केवल गुण ही गुण का कथन करना, दुर्गुण का नहीं, जैसे—यह रूपवान और बुद्धिमान है, इस प्रकार का वचन अपनीतवचन है। तथा अभीष्ट अर्थ को छिपाना चाहने वाले व्यक्ति के मुख से सहसा बही सत्य निकल जाने वाला वचन अध्यात्मवचन है जैसे—‘मैं दृष्टि हूँ, अथवा आत्मा को लेकर अध्यात्मभावना से वचनयोजना करना, अध्यात्मवचन है। ये सब मिलकर १६ प्रकार के वचन हैं।

सत्यादि के स्वरूप को जान कर भाषावचनादि के विचार के साथ इन सब वचनों को बोलने की भगवान की आज्ञा है।

१ भाषा के सम्बन्ध में देखिए यह श्लोक—

प्राकृतसंस्कृतभाषा मागधपँशाचशौरसेनी च ।

पाठोऽत्र भूरिभेदो देसविशेषावपञ्चशः ॥

किस प्रकार का सत्य बोला जाय ?—सत्य के विषय में पूर्वोक्त सब श्रमणों को देख कर साधक सशय में पड़ जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है ? कौनसा सत्य बोलना चाहिए ? पूर्वोक्त सूत्रपाठ के विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि दस प्रकार की असत्याभाषा और दस प्रकार की सत्यामृषा भाषा को छोड़कर १२ प्रकार की असत्यामृषा और १२ ही प्रकार की प्राकृत आदि भाषाओं एवं १६ वचनभेदों का विवेक करके दश प्रकार का सत्य बोला जाय तो वह वचन सत्यवचन कहलाएगा । इतने पर भी और स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—**अं त द्रव्यैर्हि**

विभक्तिं वषन्न्युक्तं इसका आशय यह है कि जो वचन^१ द्रव्यों से संगत हो, ^२गुणों से सम्बन्धित हो, ^३पर्यायों से सम्बद्ध हो, कर्म (असिमसिद्धिषि आदि कर्म या उठाना रखना आदि कर्म) से, तथा विविध कलाओं से जिसका सम्बन्ध हो, जो सिद्धान्तों से संगत हो, वह सब सत्यवचन है । तथा नाम, आख्यात, निपात, तद्धितपद, समासपद, सन्धिपद, हेतु, यौगिक, उणादिपद, क्रियाविधान, धातु, स्वर या रस, विभक्ति और वर्ण, इन सबसे युक्त पूर्वापर संगत वचन भी सत्यवचन है ।

नाम आदि पदों का सक्षेप में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । वह इस प्रकार है—

नामपद—किसी वस्तु को पहिचानने के लिए व्यवहार में कोई नाम दे दिया जाता है, या सज्ञा दे दी जाती है, उसे नाम कहते हैं । नाम दो प्रकार का होता है—व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न । राम, देवदत्त आदि प्रकृति और प्रत्यय से सिद्ध व्युत्पन्न नाम हैं, और डित्थ, डवित्थ आदि प्रकृति प्रत्यय में असिद्ध अव्युत्पन्न नाम हैं ।

१—द्रव्य का लक्षण है—‘उत्पाद-व्यय ध्रौव्य युक्त सत्, सद् द्रव्यस्य लक्षणम्’ (जो उत्पत्ति, नाश और स्थिरता से युक्त हो, वह सत् है । और यह सत् द्रव्य का लक्षण है) अथवा ‘गुणपर्यायवद् द्रव्यम्’ (गुण और पर्याय वाला द्रव्य है) २ गुण का लक्षण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा.’ (जो द्रव्य के आश्रित रहते हो और निर्गुण हो, वे गुण हैं) अथवा ‘सहभावनो गुणा’ (द्रव्य के साथ सदा रहने वाले गुण होते हैं) ३. पर्याय का लक्षण—‘क्रमभाविन. पर्यायाः’ (जो द्रव्य के साथ क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, वे पर्याय कहलाते हैं । जीव, पुद्गल, धर्माधर्मादि ६ द्रव्य हैं, इनके अलग-अलग गुण हैं, जैसे जीव के ज्ञानादि गुण हैं, पुद्गल के रूपादि गुण हैं, तथा रूपादि गुण के काला, पीला, नीला आदि पर्याय हैं । इन सबके विषय में पच्चीस बोल का थोकड़ा, बृहद्द्रव्यसंग्रह, पञ्चाध्यायी आदि ग्रन्थों से जान लेना चाहिए ।

आख्यातपद—आत्मने पद, परस्मैपद, और उभयपदरूप तथा भूत—भविष्य-वर्तमानकालात्मक आदि अर्थविशेष को प्रगट करने के लिए जो साध्य क्रियापद होता है, उसे आख्यातपद कहते हैं। जैसे भवति, भविष्यति, अभवत् इत्यादि क्रियापद।

निपातपद—अमुक-अमुक अर्थों को व्यक्त करने के लिए जो सिद्ध पद स्वीकार कर लिए जाते हैं, जिनके साथ विभक्ति-प्रत्यय नहीं लगते, जिनके रूप नहीं बनते; ऐसे अव्यय निपातपद कहलाते हैं। जैसे च, वा, ह, अह, खलु आदि।

उपसर्गपद—धातुओं के समीप (पहले) जिन्हे जोड़ा जाता है तथा जिनके लगाने से धातु का अर्थ बलात् बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे प्र, परा अप, सम आदि उपसर्ग होते हैं।

तद्धितपद—उन-उन अर्थों के हित—प्रयोजन के लिए सुबन्तपद के आगे प्रत्यय लग कर जिनका निर्माण होता है वे तद्धितपद कहलाते हैं। जैसे नाभि महाराजा के पुत्र, इस अर्थ में नाभि शब्द के आगे 'एय्' प्रत्यय लग कर 'नाभय्' (ऋषभदेव) शब्द बना है।

समासपद—अनेक पद मिल कर जो एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। समासपद तत्पुरुष, कर्मधाग्य, द्वन्द्व, द्विगु, बहुब्रीहि इत्यादि रूप होता है। जैसे — राजा का पुरुष = राजपुरुष, यह तत्पुरुषसमासान्त पद हुआ।

सन्धिपद—वर्णों की अत्यन्त निकटता होना सन्धि है, जैसे दधि + इद यहाँ दोनों 'इ' कारों के स्थान में एक दीर्घ 'ई' कार हो कर दधीदम् शब्द बनता है।

हेतु—जो साध्य के साथ अविनाभाव से रहना हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे किसी ने कहा—“पर्वत अग्नि वाला है, धू आ होने से।” यहाँ साध्यरूप अग्नि की अनुमिति में अविनाभावसम्बन्ध होने से धु आ हेतु है।

योगिक पद—दो या तीन आदि पदों से यांग से जो बनता है, उसे योगिक पद कहते हैं। जैसे उप + करोति, इन दानों पदों से उपकरोति योगिक शब्द बन जाता है।

उणाद्विपद उण् आदि प्रत्यय जिसके अन्त में होते हैं, उसे उणाद्विपद कहते हैं। जैसे आशु, स्वादु आदि शब्द।

क्रियाविधान—कृतप्रत्यय जिसके अन्त में हो, वे कृदन्त क्रिया विधान कहलाते हैं। जैसे—कुम्भ करोति इति कुम्भकार, पचति इति पाक, करोति इति कारकः आदि।

धातु—क्रियावाचक शब्द धातु कहलाते हैं। जैसे भू, अस्, कृ इत्यादि।

स्वर—अ वा इ ई आदि स्वर कहलाते हैं। अथवा पङ्क, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत और निषाद, ये सगीत के स्वर भी स्वर कहलाते हैं। अथवा उच्चारणकालसूचक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी स्वर कहलाते हैं। कही पर 'रस' पाठ

भी मिलता है, वहाँ शू गार, रौद्र, बीभत्स, वीर, करुणा, हास्य, भयानक, अद्भुत और शान्त, ये साहित्यशास्त्रप्रसिद्ध नौ रस समझने चाहिए ।

विभक्ति— प्रथमा, द्वितीया, आदि व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध सात विभक्तियाँ हैं, जो कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदाय, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

वर्ण क, ख आदि तैतीस व्यञ्जन तथा अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा-मूलीय और उपध्मानीय आदि वर्ण कहलाते हैं ।

नाम से ले कर वर्ण पर्यन्त यथाप्रसंग विवेकयुक्त वचन सत्यवचन है ।

सत्यवचन भी संयमघातक हो तो वह असत्य है—शास्त्रकार ने सत्यवादियों को सावधान करते हुए कहा है कि जो सत्यवचन समयघातक हो, पीडाजनक हो, भेद-विकथाकारक हो, निरर्थक विवादयुक्त हो, कलह पैदा करने वाला हो, असम्यो—अनायीं द्वारा बोला जाने वाला अपशब्द हो, अन्यायपोषक हो, अवर्णवाद या विवाद से युक्त हो, दूसरों की विडम्बना करने वाला हो, झूठे जोश और धृष्टता से भरा हो, लज्जाहीन हो, लोकनिन्द्य हो, अथवा जो बात खूब अच्छी तरह देखी, सुनी या जानी हुई न हो, जिस वचन में अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा की झलक हो, ऐसे वचन सच्चे होते हुए भी दुष्ट आशय—खोटे इरादे से कहे जाने के कारण समय घातक होने से असत्य में ही गणना है । ऐसे वचनों का जरा-भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार शास्त्रकार ने सत्य का विविध पहलुओं से माहात्म्य और स्वरूप समझाया है और सत्य के आराधक को सावधानीपूर्वक उसका आचरण करने का निर्देश किया है ।

सत्यव्रत को पाँच भावनाएँ

जब साधक के सामने सत्य सवर का महाव्रत के रूप में पालन करने का सवाल आता है तो उसके मन में सतत दृढता, उत्साह, तीव्रता, स्फूर्ति और श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए प्रेरणा देने वाली भावनाएँ होनी चाहिए । अतः अहिंसामहाव्रत की तरह सत्यमहाव्रत के लिए भी शास्त्रकार पाँच भावनाएँ तथा उनके चिन्तन और प्रयोग का तरीका अब आगे के सूत्रपाठ में बतलाते हैं—

मूलपाठ

इमं च अलिय-पिसुण-फरुस-१. डुय-चवलवयणपरिरक्खण-
ट्टयाए पावयणं भगवया सुकहियं, अत्तहियं, पेच्चाभाविकं,
आगमेसिभद्दं, सुद्धं, नेयाउयं, अकुडिलं. अणुत्तरं, सव्वदुक्ख-
पात्राणं विओसमणं । तस्स इमा पंच भावणाओ वितियस्स वयस्स

अलियवयणस्स वेरमणपरिरक्खणट्टयाए—(१) पढमं सोऊण संवरट्टं परमट्टं सुद्धं जाणिऊण न वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न कडुयं, न फरुसं, न साहसं, न य परस्स पीलाकरं, सावज्जं सच्चं च हियं च मियं च, गाहगं च सुद्धं संगयमकाहलं च समिक्खितं संजतेए कालंमि य वत्तव्वं । एवं अणुवीइ (ति)-समित्तिजोगेण भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरुो सच्चज्जवसपन्नो । (२) बितियं कोहो ण सेवियव्वो, कुद्धो चंडिक्किओ मणूसो अलियं भणेज्ज, पिणुणं भणेज्ज, फरुसं भणेज्ज, अलिय पिणुण फरुसं भणेज्ज; कलहं करेज्जा, वेरं करेज्जा, विकहं करेज्जा, कलहं वेरं विकहं करेज्जा; सच्चं हणेज्ज, सीलं हणेज्ज, विणयं हणेज्ज, सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज; वेसो हवेज्ज, वत्थुं भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थुं गम्मो भवेज्ज, एयं अन्न च एव-मादियं भणेज्ज कोहृगिसंपलित्तो, तम्हा कोहो न सेवियव्वो । एवं खंतीइ भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरुो सच्चज्जवसपन्नो । (३) ततिय लोहो न सेवियव्वो; लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं खेतस्स व वत्थुस्स व कतेण १, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं कित्तीए लोभस्स व कएण २, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं रिद्धीए^१ (य) व सोक्खस्स व कएण ३, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं भत्तस्स व पाणस्स व कएण ४, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं, पीढस्स व फलगस्स व कएण ५, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं, सेज्जाए व संधारकस्स व कएण ६, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं वत्थस्स व पत्तस्स व कएण ७, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं कंबलस्स व पायपुंछणस्स व कएण ८, लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं सीसस्स व सिस्सीणीए व कएण ९, लुद्धो

१. कहीं कहीं 'इद्धीए' पाठ भी मिलता है ।

लोलो भणेज्ज अलियं, अन्नेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसत्तेसु लुद्धो लोलो भणेज्ज अलियं । तम्हा लोभो न सेवियव्वो । एवं मुत्तोए (य) भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो । (४) चउत्थं न भाइयव्वं । भीतां खु भया अइति लहुयं, भीतो अवितीज्जओ मणूसो, भीतो भूतेहि चिप्पइ, भीतो अन्नंपि हु भेसेज्जा, भीनो तवसजमंपि हु मुएज्जा, भीतो य भरं न नित्थरेज्जा, सप्पुरिसनिसेविय च मग्ग भीतो न समत्थो अणुचरिउं, तम्हा न भाइ(ति)यव्वं, भयस्स वा वाहिस्स वा रांगस्स वा जराए वा मच्चुस्स वा अन्नस्स वा एवमादियस्स एवं धेज्जेण भाविओ भवति अतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो । (५) पंचमक हास न सेवियव्वं, अलियाइं असंतकाइं जंपति हासइत्ता, परपरिभवकाणं च हासं परपरिवार्यप्पिय च हास, परपोलाकारग च हासं, भेदविमुत्तिकारकं च हासं. अन्नोन्नजणियं च होज्ज हासं, अन्नान्नगमणं च होज्ज मम्मं, अन्नोन्नगमणं च होज्ज कम्मं, कंदप्पाभियोगगमणं च होज्ज हासं, आसुरियं किंविस्सत्तणं च जणेज्ज हासं । तम्हा हास न सेवियव्वं । एवं मोणेण भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरु सच्चज्जवसपन्नो ।

एवमिण संवरस्स दार सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं इमेहि पंचहिं वि कारणेहि मणवयणकायपरिरिक्खिऐहिं, निच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकलुसो अच्छिदो अपरिस्सावी असंकिलिट्ठो सब्बजिणमणुन्नाओ ।

एवं वितियं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्ठिय अणुपालियं आणाए आराहिय भवति । एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं परूवियं पसिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आध-

वितं मुदेसियं पसत्थं बितियं संवरदारं समत्तं ति बेमि ॥२॥
(सू० २५) ।

संस्कृतच्छाया

इमं च अलोक-पिशुन-परुष-कटुक-चपल-वचनपरिरक्षणार्थतायै प्रव-
चनं भगवता सुकथितमात्महितं प्रेत्यभाविकमागमिष्यद्भद्रं शुद्धं नैयायिक-
मकुटिलमनुत्तरं (सर्वदुःखपापानां ध्युपशमनम् । तस्येमाः पंचभावना द्वितीयस्य
व्रतस्यालीकवचनस्य विरमणपरिरक्षणार्थाय (१) प्रथमं श्रुत्वा संवरार्थं
परमार्थं सुष्ठु ज्ञात्वा न वेगित, न त्वरित, न चपल, न कटुक, न परुषं, न
साहसं, न च परस्य पीडाकर, सावद्य, सत्यं च हितं च मितं च ग्राहकं च
शुद्धं संगतमकाहलं च समीक्षितं संयतेन काले च वक्तव्यमेव अनुवीचि-
(अनुचिन्त्य) समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा संयतकरचरणनयन-
बदनः शूरः सत्यार्जवसम्पन्नः (२) द्वितीयं क्रोधो न सेवितव्यः, क्रुद्ध-
श्चाण्डिक्रियतो मनुष्योऽलीकं भजेत्, पिशुनं भजेत्, परुषं भजेत्, अलीकं
पिशुनं परुषं भजेत्; कलहं कुर्यात्, वैरं कुर्यात्, विकथां कुर्यात्, कलहं वर-
विकथां कुर्यात्, सत्यं हन्यात्, शालं हन्यात्, विनयं हन्यात्, सत्यं शील-
विनयं हन्यात्; द्वेष्यो भवेत्, वस्तु भवेत्, गम्यो भवेत्, द्वेष्यो वस्तु गम्यो
भवेत्, एतद् अन्यं चैवमादिकं भजेत् क्रोधाग्निंसंप्रदीप्तः, तस्मात् क्रोधो न
सेवितव्यः, एव क्षान्त्या भावितो भवत्यन्तरात्मा संयतकरचरणनयनबदनः
शूरः सत्यार्जवसम्पन्नः । (३) तृतीयं लोभो न सेवितव्यः, लुब्धो लोलो भणव-
लीकं क्षेत्रस्य वा वस्तुनो वा कृते १, लुब्धो लोलो भणवलीकं कीर्तं लोभस्य
वा कृते २, लुब्धो लोलो भणवलीकं श्रद्धेर्वा सौख्यस्य वा कृते ३, लुब्धो लोलो
भणवलीकं भक्तस्य वा पानस्य वा कृते ४, लुब्धो लोलो भणवलीकं
पीठस्य वा फलकस्य वा कृते ५, लुब्धो लोलो भणवलीकं शय्याया
वा सस्तारकस्य वा कृते ६, लुब्धो लोलो भणवलीकं वस्त्रस्य वा पात्रस्य वा
कृते ७, लुब्धो लोलो भणवलीकं कम्बलस्य वा पादप्रोच्छनस्य वा कृते ८,
लुब्धो लोलो भणवलीकं शिष्यस्य वा शिष्याया वा कृते ९, लुब्धो लोलो
भणवलीकमन्येषु चैवमादिकेषु बहुषु कारणशतेषु, लुब्धो लोलो भणवलीकं
तस्मात् लोभो न सेवितव्यः । एव मुक्त्या भावितो भवत्यन्तरात्मा संयत-
करचरणनयनबदनः शूरः सत्यार्जवसम्पन्नः । (४) चतुर्थं न भेतव्यम् । भीत-
बलु भयानि आद्यान्ति लघुक, भीतोऽद्वितीयो मनुष्यो, भीतो भूतं गृह्यते,

भीतोऽन्यमपि खलु भवेद्येत्, भीतस्तपःसयममपि खलु मुञ्चेत्, भीतरश्च भवं न निस्तरैत्, सत्पुरुषनिर्बन्धितं च मार्गं भीतो न समर्थोऽनुचरितुम्, तस्माद् न भेत्-व्यम् भयाद्वा ध्याधेर्वा रोगाद् वा जराया वा मृत्योर्वाऽन्यस्माद् वा एवमादि-कात् । एव धैर्येण भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनबदनः शूरः सत्याजंबसम्पन्नः । (५) पञ्चमकं हास्य न सेवितव्यम् । अलोकानि असत्कानि (अशान्तकानि) जल्पन्ति हास्यन्तः । परपरिभवकारणं च हास्यम्, परपरि-वादप्रियं च हास्यम्, परपीडाकारकं च हास्यम्, भेदवमूर्ति (विमुक्ति) कारकं च हास्यम्, अन्योऽन्यजनितं च भवेद् हास्यम्, अन्योऽन्यगमनं च भवेद् मर्म, अन्योऽन्यगमनं च भवेत् कर्म, कन्दर्पाभियोगगमनं च भवेद् हास्यम्, आसुरिक किल्बिषत्वं च जनयेद् हास्यम् । तस्माद् हास्यं न सेवितव्यम् । एव मौनेन भावितो भवत्यन्तरात्मा सयतकरचरणनयनबदनः शूरः सत्याजंबसम्पन्नः । एवमिदं सवरस्य द्वारं सम्यक् सवृतं भवति सुप्रणि-हितं एभिः पञ्चभिः कारणैर्मनोवचनकायपरिरक्षितं नित्यमामरणान्तं च एष योगो नेतव्यो धृतिमता मतिमता अनाश्रवोऽक्लुबोऽचिठ्रोऽपरिस्त्रावी असंक्लिष्टः सर्वजिज्ञानुज्ञातः ।

एवं द्वितीय संवरद्वारं स्पृष्टं पालितं शोधितं (शोभितं) तीरितं कीर्तितमनुपालितमाज्ञयाऽऽराधितं भवति । एवं ज्ञातमुनिना भगवता प्रज्ञा-पितां प्रहृषितं प्रसिद्धं सिद्धवरशासनमिदमाख्यातं सुवेशितं प्रशस्तं द्वितीयं संवरद्वारं समाप्तम्, इति ब्रवीमि ॥२॥ (सू० २५)

पदान्वयार्थ—(भगवत्या) भगवान् ने (इमं) इत् (पाठ्यणं) प्रवचन—सत्य-सिद्धान्त को, (अलिय-पिसुण-फरुस-कडुय-बबल-वयणपरिरखण्ट्ठयाए) मिथ्यावचन, पैशुन्य—झुगली, कठोर वचन, कटुवचन, चंचल वचन—जिना सोचे-समझे चपलतापूर्वक सहसा कहे हुए वचन से आत्मा की रक्षा के लिए (सुकहियं) अच्छी तरह से कहा है, जो कि (अत्तहियं) आत्मा के हित के लिए है, (वेच्चाभावियं) जन्मान्तर में शुभ-भावना से युक्त है, (आगमेत्समहं) भविष्य के लिए भयंकर है, (सुद्धं) शुद्ध—निर्बोध है, (नेयाउयं) न्यायसगत है, (अकुञ्जिल) मोक्ष के लिए सीधा-सरल मार्ग है, (अणुत्तरं) सर्वोत्कृष्ट है, अतएव (सव्वदुक्खपादान) सब दुःखों और पापों का विशेष रूप से उपशमन करने वाला है । (तस्स) उस (चित्तियस्स वयस्स) द्वितीय व्रत—सत्त्वमहा-व्रत की (इमा पच्च भावनाओ) आगे कही जाने वाली ये पांच भावनाएँ, (अलिय-

अथयस्स बेरमण-परिरक्खणट्ठयाए) मिथ्यावचन से बिरति की पूर्ण सुरक्षा के लिए हैं, इन पर चिन्तन करना चाहिए । (१) (पदमं) प्रथम भावना अनुचिन्त्यसमितिरूप है, जिसे (संवरट्ठं) सद्गुरु से मृषावादविरमण—सत्यवचन प्रवृत्तिरूप संवर के प्रयोजन को (सोऊण) सुन कर, उसके (परमट्ठं) उत्कृष्ट परम अर्थ को (सुट्ठु) मलीभाति (सुट्ठं) निर्दोषरूप से (जाणिऊण) जानकर, (न वेगियं वत्तव्वं) वेग—विकल की तरह संशययुक्त या हड़बड़ा कर न बोले, (न तुरियं) जल्दी-जल्दी उतावली में सोचे बिचारे बिना न बोले, (न कडुयं) कड़वा वचन न बोले, (न चवलं) क्षणभर पहले कुछ और एक क्षण बाद कुछ और, इस प्रकार सनक में आ कर चंचलता से न बोले, (न फरसं) कठोर वचन न बोले, (न साहसं) बिना बिचारे सहसा न बोले (य) और (न परस्स पीलाकरं सावज्जं) दूसरों को पोड़ा पहुँचाने वाला, पाप से युक्त वचन न बोले । किन्तु (सच्चं) सत्य (च) और (हितं) हितकर (मिद्य च) तथा परिमित-थोड़ा (गाहगं) विवक्षित अर्थ का प्राहक—प्रतीति कराने वाला, (सुट्ठं) वचन के दोषों से रहित, (संगयं) युक्तिसंगत—पूर्वापर अबाधित (च) और (अकाहल) स्पष्ट (च) तथा (समिक्खितं) पहले बुद्धि से सम्यक् प्रकार से पर्यालोचित—सोचाबिचारा हुआ वचन, (कालमि) अवसर आने पर, (संजतेण) समयी पुरुष को (वत्तव्वं) बोलना चाहिए । (एव, इस प्रकार (अणुवीइसमित्तजोगेण, पूर्वापर सोच कर बोलने की समिति—सम्यक् प्रवृत्ति के योग से (भाबित्तो) सत्कारयुक्त हुआ (अतरप्पा) अन्तरात्मा-जीव, (संजयकरचरणनयणवयणो) हाथ, पैर, नेत्र और मुख पर समय करने वाला हो कर (सुरो) पराक्रमी तथा (सच्चज्जवसपप्पो) सत्य और धार्जव — सरलता से सम्पन्न—परिपूर्ण(भवति) हो जाता है । (२) (वित्तिय) द्वितीया भावना—क्रोधनिग्रह—शान्तिरूप है । वह इस प्रकार है (कोहो ण सेवियव्वो) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए । (कुट्ठो मनुसो) क्रोधी मनुष्य (चंडिक्किओ) रौरूप हो कर या रौरपरिणाम से युक्त होकर (अलियं) मिथ्या, (भणेज्ज) बोलता है, (पिसुणभणेज्ज) चुगली के वचन बोलता है, (फरस) कठोर वचन बोलता है, तथा (अलिय पिसुण फरस भणेज्ज) झूठ, चुगली के वचन व कठोरवचन (तीनों एक साथ) बोलता है, (कलह करेज्जा लड़ाई कर बैठता है, (बेर करेज्जा) बंदविरोध कर लेता है, (विकह करेज्जा) विकथा—अटसट—वकवास करता है, (कलह बेर विकहं करेज्जा) तथा कलह, बंद और विकथा तीनों एक साथ कर बैठता है, (सच्च हणेज्ज) सत्य का गला घोट देता है, (सोल हणेज्ज) शील सवाचार का नाश कर देता है, (विणय हणेज्ज) विनय—नम्रता का सत्यानाश कर देता है, (सच्चसीलविणयं हणेज्ज) सत्य, शील

और विनय का एक साथ घात कर देता है, कोधी मनुष्य (बेसो हवेज्ज) अग्रिय—द्वेष का भाजन बन जाता है, (बत्पुं भवेज्ज) दोषों का घर बन जाता है, (गम्भो हवेज्ज) तिरस्कार का पात्र बन जाता है, तथा, (बेसं बत्पुं गम्भोभवेज्ज) द्वेष का कारण—अग्रिय, दोषों का आधार तथा परिभव का पात्र बन जाता है। (एय) इस मिथ्या भावि को (च) तथा (एवमाविद्यं) इत्यादि प्रकार के (असं) अन्य असत्य को (कोहृगिसंपत्तिसो) क्रोधाग्नि से प्रज्वलित व्यक्ति (भणेज्जा) बोलता है। (तम्हा) इसलिए (कोहो न सेवियब्बो) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। (एयं) इस प्रकार (संतीए) क्रोध-निग्रहरूप अमाभाव से, (भावितो) सुसंस्कृत हुआ (अंतरप्पा) अन्तरात्मा (संजयकर-चरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, आंख और मुंह को सपन्नित—निग्रन्त्रित करने वाला, (सुरो) पराक्रमी तथा (सच्चज्जवसंपन्नो) सत्य और सरलता से सम्पन्न (भवति) हो जाता है। (३) (ततियं) तृतीय भावना लोभ-संयमरूप निर्लोभतायुक्त है, वह इस प्रकार है—(लोभो न सेवियब्बो) लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। (सुडो लोलो) लोभी मनुष्य व्रत से चलायमान—सत्य से डांवाडोल हो कर (सेतस्स वा) या तो खेत के—खुली जमीन के लिए, (बत्थुस्स वा कतेण) अथवा वस्तु-भूकान—बुकान, घर, हवेली आदि—के लिए (अलियं भणेज्ज) झूठ बोलता है, (सुडो लोलो) लुब्ध व्रत से डिग कर (किंसीए) कीर्ति—प्रतिष्ठा के लिए, (लोभस्स वा कएण) या लोभ—धन के लोभ के निमित्त से (अलियं भणेज्ज) मिथ्या बोलता है, (सुडो) लालची आदमी (लोलो) सत्यव्रत से विचलित हो कर (रिडोए व) या तो ऋद्धि—सम्पत्ति के लिए (सोषस्स व कएण) अथवा ऐश-आराम आदि के रूप में इन्द्रिय-सुख के लिए (अलियं भणेज्ज) मूढावचन बोलता है, (सुडो) लोभप्रस्त मनुष्य (लोलो) सत्यव्रत में अस्थिर हो कर (भत्तस्स व पाणस्स व कएण) या तो भोजन के लिए या पेष वस्तु के लिए (अलियं भणेज्ज) असत्य बोलता है; (सुडो) लोभी पुरुष (लोलो) व्रत से उगमगा कर (पीडस्स व फलगस्स व कएण) या तो पीठ-आसन-चौकी के अथवा पट्टे के हेतु (अलियं भणेज्ज) असत्य बोलता है, (सुडो लोलो) लोभ के बशीभूत व्रत से बंचल हुआ मनुष्य (सेज्जाए व) या तो शय्या—बसति के लिए (संभारगस्स वा कएण) अथवा साढ़े तीन हाथ लंबे बिछौने के लिए (अलियं भणेज्ज) झूठ बोलता है, (सुडो लोलो) लोभी मनुष्य व्रत से डिगकर (बत्थस्स व पत्तस्स व कएण) या तो कपड़े के लिए या पात्र-वर्तन के लिए (अलियं भणेज्ज) मिथ्यावचन कहता है, (सुडो लोलो) लोभी व्रत से चलायमान हो कर (कंबलस्स व पाथपुं छभस्स व कएण) या तो कंबल के

लिए या ठेर पोंछने के काम में आने वाले बस्त्रखण्ड के निमित्त से, (अलियं भणेज्ज) मिथ्या बोल देता है, (सुद्धो) लोभप्रस्त (लोलो) व्रत में अस्थिर हुआ साधक, (सीस्सव) या तो सिध्य के लिए, (सिस्सणीए व कएण) अथवा शिष्या के निमित्त (अलियं) झूठ (भणेज्ज) बोल उठता है, (सुद्धो) लोभी (लोलो) सत्यव्रत से विचलित हो कर ये (य) और (एवमाबिसु बहुसु कारणस्तेसु) इस प्रकार के बहुत-से सैकड़ों कारणों को ले कर (अलियं भणेज्ज) मिथ्या बोल देता है, क्योंकि (सुद्धो) लोभ के विकार से घिरा हुआ साधक (लोलो) सत्यव्रत से डगमगा कर (अलियं भणेज्ज) झूठ बोलता ही है। (तम्हा) इस कारण (लोभो न सेवियव्वो) लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। (एव) इस प्रकार के चिन्तन से (सुरीए) निर्लोभता से (भावितो) संस्कारित (अतरप्पा) अन्तरात्मा (संजयकरचरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, आँख और मुख पर अकुश रखने वाला इन्हें वश में करने वाला, (सूर) धर्मवीर साधक (सच्चज्जव-संपन्नो) सत्यता और सरलता से परिपूर्ण (भवति) हो जाता है। (४) (चउत्थं) चतुर्थभावना भयविजय—धैर्यप्रवृत्तिरूप है, वह इस प्रकार है—(न भाइयव्व) भय नहीं करना चाहिए। (भीत) भयभीत मनुष्य पर (खु) अवश्य ही, (भया) अनेकों भय (लहुयं) शीघ्र (अइंति) आ कर हमला कर देते हैं। (भीतो) डरपोक (मणुसो) आदमी सदा (अवित्तिज्जओ) अद्वितीय—अकेला—असहाय होता है। (भीतो) भय-भीत मनुष्य (भूतेहं) भूत-प्रेतों से (घिप्पइ) पकड़ लिया जाता है। (भीतो) डरपोक आदमी (हु) निश्चय ही, (अन्नं पि) दूसरे को भी (भेसेज्जा) डरा देता है, भयभीत करता है, (भीतो) डरने वाला साधक (तवसंजमं पि) तप और संयम को भी (हु) अवश्य (मुएज्जा) छोड़ बँटता है, (य) तथा (भीतो) भय करने वाला साधक (भरं) महत्त्वपूर्ण कार्य का भार—उत्तरदायित्व, अथवा संयम के भार को (न नित्थरेज्जा) नहीं निभा सकता, अन्त तक पार नहीं लगा सकता, (च) और (भीतो) भौक साधक (सप्पुरिसनिसेविमं) सत्पुरुषों के द्वारा सेवन किए हुए—आचरित (मगं) मार्ग का (अणुचरिउं) अनुसरण—अनुगमन करने में (न समत्थो) समर्थ नहीं होता। (तम्हा) इसलिए (भयस्स) बुद्ध मनुष्य, बुद्ध तिर्यञ्च तथा बुद्धदेव के निमित्त से उत्पन्न हुए बाह्यभय से एवं आत्मा में उत्पन्न हुए अन्तरंगभय से (वा) अथवा (वाहिस्स) प्राण-घातक क्रुष्ट, क्षय आदि बीमारी से (वा) या (रोगस्स) ज्वर आदि रोग से, (वा) अथवा (जराए) बुढ़ापे से (वा) या (मज्जुस्स) मृत्यु से (वा) अथवा (अन्नस्स एव-मावियस्स) इसी प्रकार के इष्टवियोग—अनिष्टसंयोग आदि भय के अग्याग्य कारणों से (न भाइयव्वं) डरना नहीं चाहिए। (एवं) इस प्रकार का चिन्तन करके (वेज्जेव)

धैर्य—चित्त में स्थिरता से (भावितो) संस्कारबुद्ध (अंतरप्पा) अन्तरात्मा (संजयकर-
 चरणनयणवयणो) हाथ, पैर, आँख और मुँह पर संयम करने वाला सुसंयमी साधु
 (सूर) सत्यव्रत पालन में बहानुदुर तथा (सच्चञ्जवसंपन्नो) सत्यता और निष्कपटता से
 युक्त (भवति) हो जाता है। (५) (पंचमकं) पाँचवीं हास्यसंयम वचनसंयमक्य
 भावना इस प्रकार है—(हासं न सेवियब्धं) हास्य का सेवन नहीं करना चाहिए,
 क्योंकि (हासइत्ता) हंसी या ठट्ठामश्करी करने वाले लोग (असियाइं) दूसरे में
 विद्यमान सवगुणो को छिपाने के रूप में झूठ तथा (असंतकाइं) अविद्यमान या असत्
 वस्तु को प्रकट करने वाले वचन अथवा अशोभनीय या अशान्ति पैदा करने वाले
 वचन (अंपंति) बोल देते हैं, (च) तथा (हासं) हंसी-मजाक (परपरिभवकारणं) दूसरों
 के तिरस्कार का कारण बन जाती है, (च) और (हासं) हंसी को (परपरिवायप्यिंयं)
 दूसरों की निन्दा ही प्यारी लगती है। (च) तथा (हासं) मजाक (परिपीलाकारणं) दूसरों
 को तकलीफ पहुँचाने वाली होती है, (च, और (हासं) हंसी (भवविमुत्तिकारकं)
 चारित्रनाश या मोक्षमार्ग का उच्छेद तथा शरीर की आकृति विकृत कर देने वाली
 है, अथवा फूट डलवाने वाली तथा विमुक्ति—प्रियजनों से अलगवाव पैदा कराने वाली
 है। (च) तथा (हासं) हंसीमजाक (अन्नोन्नजणिय होञ्ज) परस्पर एक दूसरे से होता है,
 (च) और (मम्म) हंसी में बोला गया मर्मकारी वचन—ताना (अन्नोन्नगमणं होञ्ज)
 परस्पर एक दूसरे को चुभने वाला होता है। (च) और हंसी (अन्नोन्नगमण होञ्ज
 कम्मं) पारस्परिक कुचेष्टा या गुप्त परदारादि के रहस्य को खोलने वाला कर्म हो
 जाता है, (च) तथा (हासं) हास्य (कंदप्पाभियोगगमणं) हंसाने वाले विद्वकों या
 भांडों तथा तमाशे बिलाने वालों के निर्देशकर्ताओं के निकट पहुँचने की बुद्धि पैदा
 करता है, अथवा हास्यकारी काव्यिक देवों तथा अभियोग्य जाति के देवों में गमन
 का कारण है, (च) तथा (हासं) हास्य (आसुरियं) असुरजाति के देवपर्याय को (च)
 और (किब्बिससराणं) क्लिब्वदेवपर्याय को (जणेज्जा) प्राप्त कराता है। (तम्हा)
 इसलिये (हासं) हास्य का (न सेवियब्धं) सेवन नहीं करना चाहिए। (एवं) इस
 प्रकार के चिन्तन से (भोणेण) वचनसंयम—मौन द्वारा (भावित) भावनायुक्त बना
 हुआ (अंतरप्पा) अन्तरात्मा साधक (संजयकरचरणनयणवयणो) अपने हाथ, पैर, नेत्र
 और मुख पर नियंत्रण करने वाला संयमी (सूरो, बुद्ध पराकमी तथा (सच्चञ्जव-
 संपन्नो) सत्य और अमायिकभाव से संपन्न (भवति) हो जाता है।

(एवं) इस प्रकार (इणं) यह (संवरस्स बारं) संवर का सत्यरूप द्वारा—उपाय,
 (मणवयणकायपरिनिष्णएहिं) मन, वचन और काया तीनों की सब प्रकार से रक्षा
 करने वाली (इमेहिं पंचहिं वि कारणेहिं) इन पाँच कारणरूप भावनाओं से (सम्मं)

सन्धक् प्रकार से (संवरियं) संवृत-सुरक्षित अथवा (संवरियं) भलीभांति आवरित (सुष्पनिहित) अच्छी तरह बिलविभाग में स्थापित (होइ) हो जाता है। (चितिमया) बंधं धारण करने वाले (मतिमया) बुद्धिमान् साधक को (अणासवो) कर्मों को आने से रोकने वाला संवररूप, (अकलुसो) दोषरहित, (अच्छिहो) कर्मजल के प्रवाह के प्रवेश को रोकने में निश्छिद्र, (अपरिस्सावी) कर्मबन्ध के प्रवाह से रहित (असकिलिट्ठो) संनिष्पष्टपरिणामों से रहित, (सब्बजिणमणुन्नाओ) समस्त तीर्थंकरों के द्वारा आज्ञापित (एस) यह (जोगो) — प्रशान्त योग अथवा चिन्तन के साथ प्रयोग, (निच्छं) सदा (अम्मरंभंत्तं) मृत्युपर्यन्त (भेयब्बो) अमल में लाना चाहिए।

(एवं) इस प्रकार (वितियं) द्वितीय (संवरदारं) सत्यरूप संवरद्वार (फासियं) उचित समय पर स्वीकार किया हुआ, (पालियं) पालन किया गया, (सोहियं) अति-आवरित आचरण किया गया अथवा जीवन के लिए शोभावाचक, (तोरियं) अन्त तक पार लगाया गया, (किट्टियं) दूसरे लोगों के सामने आवरपूर्वक कहा गया, (अणुपालियं) लगातार पालन किया गया, (आणाए आराहियं) भगवान की आज्ञा-पूर्वक आराधित-सेवित (भवति) है। (एवं) इस प्रकार (नायमुणिणा) ज्ञातवश में उत्पन्न हुए मुनीश्वर (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने (इष्ं) इस (सिद्धवरसासणं) सिद्धों के श्रेष्ठ शासन का (पन्नवियं) सामान्यरूप से कथन किया है, (परुवियं) विशेष रूप से विवेचन किया है, (पसिद्धं) प्रमाणों और नयों से सिद्ध (आघवियं) सर्वत्र प्रतिष्ठित किया गया, (सुवेसियं) भव्यजीवों को अच्छी तरह से उपविष्ट (वसत्थं) श्रेष्ठ—संगसमय यह (वितियं) दूसरा (संवरदारं) संवरद्वार (समत्तं) समाप्त हुआ, (ति वेमि) ऐसा मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—भगवान् महावीर ने इस प्रवचन—सत्य सिद्धान्त को मिथ्या-वचन, जुगलखोरी, कठोर शब्द, कट्टवाणी एवं बिना सोचे-विचारे उतावली में कहे हुए वचन से आत्मा की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह कहा है; जो आत्मा के हित के लिए है, जन्मान्तर में शुभभावना से युक्त है, भविष्य के लिए कल्याणकारी है, निर्दोष है, न्यायसंगत है, मोक्ष के लिए सीधा—सरल मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट है, अतएव समस्त दुःखों और पापों को विशेषरूप से उपशान्त करने वाला है। उस द्वितीय महाव्रत—सत्यसंवर की आगे कही जाने वाली ये पांच भावनाएँ हैं; जो असत्यवचन से विरति की पूर्ण सुरक्षा के लिए है; इनका चिन्तन और प्रयोग करना चाहिए।

पहली अनुचिन्त्यसमिति रूप भावना है। सद्गुरु से मृधावाद विरमण

सत्यवचनप्रवृत्तिरूप उस संवर के प्रयोजन को सुन कर तथा उसके परम अर्थ रहस्य को जान कर विकल्प की तरह संशययुक्त या हड़बड़ा कर न बोले, उतावली में जल्दी-जल्दी न बोले, कड़वा वचन न बोले, एक क्षण पहले कुछ कहना, क्षणभर बाद कुछ और ही कह देना, इस प्रकार सनक में आकर चंचलता से न बोले, तथा दूसरो को पीडा पहुँचाने वाले सावद्यवचन न कहे; किन्तु सत्य तथा हितकर एवं युक्तिसंगत—पूर्वापर-अबाधित और स्पष्ट तथा पहले से भलीभाँति सोचा-विचारा हुआ वचन अवसर आने पर संयमी पुरुष को बोलना चाहिए। इस प्रकार पूर्वापर सोच कर बोलने की समिति—सम्यक् प्रवृत्ति के योग से संस्कारित अन्तरात्मा साधक हाथ, पैर, नेत्र और मुँह पर संयम करने वाला होकर पराक्रमी तथा सत्य और सरलता से सम्पन्न—परिपूर्ण हो जाता है। दूसरी भावना क्रोधनिग्रह क्षान्तिरूप है, वह इस प्रकार है— क्रोध का सेवन न करे; क्योंकि क्रोधी मनुष्य रौद्रपरिणामो के वशीभूत हो कर मिथ्या बोलता है, चुगलखोरी के वचन बोलता है, कठोर वचन कहता है, एक साथ मिथ्यावचन, चुगली और कठोरता से युक्त वचन कह डालता है। वह बात बात में भगडा कर बैठता है, वैरविरोध पैदा कर लेता है, और अटसंट बकवास करने लगता है; एक साथ कलह, वैर और उटपटांग बकवास करता है। वह सत्य का गला घांट देता है, शील-सदाचार का नाश कर देता है, विनय—नम्रता को भी हत्या कर बैठता है, वह सत्य, शील और विनय तीनों का एक साथ घात कर बैठता है। क्रोधी मनुष्य अप्रिय—द्वेषभाजन बन जाता है, दोषों का घर बन जाता है, तिरस्कार का पात्र बन जाता है; वह एक साथ अप्रिय, दोषों का आधार और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। वह इस मिथ्यावचन आदि को एवं इसी प्रकार के अन्य असत्य को क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो कर बोलता है। इसलिए क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह क्रोध-निग्रहरूप क्षमाभाव से सुसंस्कृत हुआ अन्तरात्मा अपने हाथ, पैर, नेत्र और मुख को नियंत्रित करने वाला, धूरवीर और सत्यता तथा सरलता के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है।

तीसरी भावना लोभसंयम—निर्लोभता से युक्त है। वह इस प्रकार है—लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभी मनुष्य ब्रत से चलायमान हो कर या तो खेत के लिए भूठ बोलेगा या मकान के लिए। लोभी ब्रत से डिग कर या तो कीर्ति के लिए असत्य बोलेगा या लोभवश परिवार आदि के पोषण के लिए। लुब्ध मनुष्य सत्यब्रत से विचलित हो कर या तो सम्पत्ति

के लिए मिथ्या बोलेंगा या फिर इन्द्रियसुखों की प्राप्ति के लिए झूठ बोलेंगा । लोभग्रस्त मानव सत्य से डगमगा कर या तो भोजन के लिए असत्य बात कहेगा या पेयपदार्थ के लिए असत्यभाषण करेगा । लोभी साधक सत्यव्रत में अस्थिर हो कर या तो पीठ - चौकी के लिए असत्य बोलेंगा, अथवा पट्टे के लिए झूठी बात कहेगा । लोभ के वशीभूत साधक व्रत से चलित हो कर या तो शय्या (शयनस्थान) के लिए झूठ बोलेंगा या फिर सस्तारक—बिछौने के लिए झूठ बोलेंगा । लुब्ध साधक व्रत से डांवाडोल हो कर या तो वस्त्र के लिए मिथ्या बोलेंगा या पात्र-वर्तन के लिए । लोभग्रस्त साधक सत्य से डिग कर या तो कंबल के लिए झूठ बोलने को उद्यत होगा या पैर पौछने के कपड़े के लिए । लोभी साधक सत्यव्रत से विचलित हो कर या तो शिष्य के लिए झूठी बात कहेगा या शिष्या के लिए । लोभी मानव झूठ बोलता ही है । और भी इस प्रकार के अनेको सँकड़ो कारणों से लोभग्रस्त मानव सत्यव्रत से डांवाडोल हो कर झूठ बोलता है । इसलिए लोभ का हर्गिज सेवन नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार लोभसंयमरूप निर्लोभता की भावना से भावित अन्तरात्मा अपने हाथ, पैर, आँख और मुँह पर संयमशील बन कर धर्मवीर तथा सत्यता और सरलता से सम्पन्न हो जाता है ।

चौथी भयमुक्ति—धैर्यप्रवृत्तिरूप भावना है । वह इस प्रकार है—भय नहीं करना चाहिए । भयभीत मनुष्य पर अनेको भय आ कर झटपट हमला कर देते हैं । डरपोक आदमी सदा अद्वितीय—असहाय (अकेला) होता है । भयभीत मनुष्य ही भूत-प्रेतों ग्रस्त होते हैं । डरने वाला अवश्य ही दूमरे को डराता है, भय में डालता है । भयभीत साधक तप और संयम अथवा तपस्याप्रधान संयम को भी तिलांजलि दे देता है । भयभीत मनुष्य किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के दायित्व को निभा नहीं पाता अथवा संयम का भार नहीं निभा सकता । और न ही डरपोक साधक सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग पर ही चलने में समर्थ होता है । इसलिए दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य या दुष्ट तिर्यञ्च के निमित्त से पैदा हुए बाह्य भय से एवं आत्मा में उत्पन्न हुए आन्तरिक भय से अथवा किसी प्राणघातक कुष्ठ आदि व्याधि से या ज्वर आदि रोग से अथवा बुढ़ापे से या मृत से अथवा इसी प्रकार के इष्टवियोग-अनिष्टसंयोगरूप बगैरह भय के अन्यान्य कारणों से नहीं डरना चाहिए ।

इस प्रकार का चिन्तन करके चित्त में स्थिरता—धीरता से संस्कार-दृढ हुआ अन्तरात्मा हाथ, पैर, आँख एवं मुख पर संयमशील साधु सत्यव्रत पालन मे बहादुर तथा सत्य और आर्जव से सम्पन्न हो जाता है ।

पांचवीं हास्यसंयम—वचनसंयमरूप भावना इस प्रकार है— हास्य का सेवन नहीं करना चाहिए । क्योंकि हंसी करने वाले लोग वास्तविक बात को झिपाने वाले मिथ्यावचन तथा अविद्यमान बातों को प्रगट करने वाले असद्वचन या अशोभनीय वचन बोल देते हैं । तथा हंसी-मजाक दूसरों के तिरस्कार का कारण बन जाती है, हंसी को दूसरों की निन्दा ही प्यारी लगती है । हंसी दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली है । हंसी-मशकरी चारित्र्य का नाश या मोक्षमार्ग का उच्छेद और शरीर की आकृति को विकृत कर देती है । अथवा हंसी परस्पर भेद-फूट डाल देती है और प्रियजनों मे अलगव पँदा कर देती है । हंसी-मजाक हमेशा परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क से होती है । हंसी-मजाक मे बोला गया मर्मकारी वचन एक दूसरे को परस्पर चुभने वाला होता है । हास्य पारस्परिक कुचेष्टा को या परदारादि के गुप्त रहस्य को खोलने वाला कर्म है । हास्य विदूषको, भांडों तथा तमाशो के निर्देश करने वालों के पाम पहुँचाने का कारण है अथवा हास्य हंसी-मजाक करने वाले कान्दर्पिक देवों तथा भार ढोने वाले आभियोग्य देवों मे—निकृष्ट देवयोनियो में ले जाने वाला है । हास्य असुरजाति के भवनवासी देवों को पर्याय मे तथा किल्बिष देवों की पर्याय मे उत्पन्न कराता है । इसलिए हास्य कदापि न करना चाहिए । इस प्रकार हास्यसंयम—वचनसंयमरूप मौनभावना द्वारा संस्कारप्राप्त अन्तरात्मा हाथ, पैर, आँख और मुँह को अपने कान्ठ में रखता है; वह संयम में पराक्रमी वीर अन्त में सत्य और निष्कपटभाव से सम्पन्न हो जाता है ।

इस प्रकार मन, वचन और काया को चारों ओर से सुरक्षित रखने मे कारणभूत इन पाँचों भावनाओं के चिन्तन और प्रयोग से साधु-जीवन में सम्यक् प्रकार से आचरित सत्यमहाव्रतरूप संवर का यह द्वार अच्छी तरह परिनिष्ठित—संस्कारों में बद्ध हो जाता है ।

धैर्यवान् तथा बुद्धिमान साधक को कर्मों के आगमन के विरोधी, कलुषता से रहित, कर्मजलप्रवाह के निरोध के लिए छिद्ररहित, कर्मबन्धन के प्रवाह से रहित, संक्लिष्ट परिणामों से दूर, समस्त देवाधिदेव तीर्थकरों द्वारा

अनुज्ञात—अनुमत इस प्रधान्तयोग—भावनाओं के प्रयोग को जीवन के अन्त तक नित्य आचरण में लाना चाहिए ।

इस प्रकार यह द्वितीय सत्यमहाव्रतरूप उचित समय पर स्वीकृत, सामान्यरूप से पालित, अतिचाररहित शुद्धरूप में आचरित; जीवन के अन्त तक पार लगाया हुआ, महापुरुषों द्वारा कथित और लगातार अनुपालित वीतराग की आज्ञा से आराधित होता है ।

इस प्रकार सिद्धों के प्रधान शासनरूप इस द्वितीय संवरद्वार का ज्ञातवंश में उत्पन्न हुए भगवान् महावीर स्वामी ने सामान्यरूप से निरूपण किया है, विशेषरूप से भेद-प्रमेदसहित विश्लेषण किया है, प्रमाणों और नयों से इसे सिद्ध किया है, प्रतिष्ठित किया है, भव्यजीवों को इसका उपदेश दिया है; यह प्रशस्त—मंगलमय है । ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ ।

व्याख्या

प्रस्तुत सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने अहिंसा-संवर की तरह मत्स्य-संवर की भी सर्वतोमुखी सुरक्षा के लिए चिन्तनात्मक तथा प्रयोगात्मक पांच भावनाएँ बताई हैं । यह निर्विवाद है कि ये भावनाएँ साधक की आत्मा में इतने मजबूत संस्कार जमा सकती हैं, जिन्हें फिर कोई हिला नहीं सकता ।

सत्यमहाव्रती साधक यदि इन्हें अपने साधनाकाल के प्रारम्भ से ही अपना लेता है तो उसके जीवन के अन्तिम क्षणों तक वे संस्कार अमिट हो जाते हैं ।

इन पाँच शत्रुओं से बचने का निर्देश—लोकव्यवहार में हम यह अनुभव करते हैं कि जो जिस संस्था की स्थापना करता है, या व्रत आदि नई चीज का आविष्कार करता है, वह पद-पद पर उसकी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखता है, अपने अनुगामियों को भी सुरक्षा का ध्यान दिलाता है । भ० महावीर ने भी इसी दृष्टि से सत्य की सैदान्तिक पहलू से विवेचना की और यह स्पष्ट निर्देश भी किया कि साधक को किन्-किन विनाशक और विस्फोटक क्रिया कलापों से बचना चाहिए ?

पाठ के प्रारम्भ में शास्त्रकार ने इसी बात को स्पष्ट किया है—'इमं च अलिख-पिसुणकसस' 'बयजपरिरक्खणहुयाए पावययं जगवया सुकहियं ।' शास्त्रकार का इस कथन के पीछे आशय यह है कि भगवान् महावीर ने सत्यसिद्धान्तरूप प्रवचन का भलीभाँति निरूपण किया है; वह इसलिए कि सत्यार्थी साधक अपने सत्यमहाव्रत की अलीकवचन आदि शत्रुओं से रक्षा कर सके । वे शत्रु इस प्रकार हैं—सत्य महाव्रत का प्रथम शत्रु—अलीकवचन है, जो अविद्यमान असद्भूत बात का प्रतिपादन करता है; वह हर चीज को बग़ावत कर कहने का आदी होता है । ऐसा मिथ्यावचन सत्यार्थी

साधक को सत्य से पतित कर देता है और मायाचार से दूषित कर देता है। दूसरा शत्रु है—पिशुन। पिशुन का अर्थ है—चुगलखोरी। चुगली खाने की आदत जिस साधक में हो जाती है, वह इधर की बात उधर भिड़ाता रहता है। वह लोगों के परस्पर सिर फुड़वा देता है। चुगलखोरी भी साधक को सत्यमहाव्रत से नीचे गिरा देती है। चुगलखोरी अविश्वास, अनादर, और अधःपतन का कारण है। इसलिए इस शत्रु से भी बचना जरूरी है। तीसरा शत्रु कठोरवचन है। कठोर वचन बोलने वाले का अन्तःकरण भी कठोर हो जाता है। कठोरभाषी स्वपर के भावप्राणों की हिंसा कर बैठता है। वह अकारण ही लोगों में अप्रिय, अनादरणीय और शत्रु बन जाता है। कठोर वचन बोलने वाले के यहाँ आपत्ति के समय कोई भी पास नहीं फटकता। कठोरभाषण मर्मघातक होने से कई बार इसे सुनने वाले आत्महत्या तक कर बैठते हैं। अतएव सत्य के इस शत्रु से भी बचना आवश्यक है। इसके बाद चौथा शत्रु है—कटुवचन। हितकर वचन भी यदि कड़वे हो तो वे सुनने वाले के दिल में तीखे कांटों की तरह चुभ जाते हैं। तलवार का घाव फिर भी भर जाता है, लेकिन कटुवचनों का भाव जिवन्मी भर नहीं भरता। कटुवचन मनुष्य को अकारण शत्रु बना देता है। कटुवचन यथार्थ हो तो भी परपीडाजनक होने से वह असत्य की कोटि में ही आता है। साधक कई बार इस भ्रूलावे में रहता है कि कटुवचन कहने से मेरा प्रभाव श्रोता पर जल्दी और अच्छा होगा। लेकिन होता इससे उलटा है। कटुवाक्य क्षणिक प्रभाव चाहे डाल दे, मगर वह स्थायी और शुभपरिणामी नहीं होता। सत्य महाव्रत का इससे नाश हो जाता है। इसलिए सत्यार्थी साधक को इस शत्रु से भी बचते रहना चाहिए। पाचवाँ शत्रु है—चपल वचन। मन की व्याकुलता या व्यग्रता के कारण सत्यार्थी साधक भी उतावल में आ कर कुछ का कुछ बोल जाता है। उसे उतावली में अपने कहे हुए वचनों का भान भी नहीं रहता है। चंचलवचन वाला साधक कुछ ही देर पहले एक बात की हाँ भर लेता है और कुछ ही मिनटों के बाद एकदम बदल जाता है, उसके वचनों का कोई मूल्य नहीं होता। कोई उसके वचनों पर विश्वास करके उसे किसी जिम्मेदारी का काम नहीं सौंप सकता। इसलिए चंचलवचन भी सत्य का सर्वथा विरोधी है। इससे भी बचना चाहिए।

सत्यसिद्धान्त का प्रयोजन और स्वरूप—पूर्वोक्त सूत्रपंक्ति में भगवान् महावीर द्वारा भलीभाँति निरूपित सत्यसिद्धान्तरूप प्रवचन का मुख्य प्रयोजन बताया गया है; इसके बाद आगे की पंक्तियों में बताया गए इसके प्रयोजन और स्वरूप पर क्रमशः विस्तार करते हैं—

असाहचर्य—सत्य सिद्धान्तिक दृष्टि से आत्मा का स्वभाव है। इसलिए स्वाभा-

भावना, ४ भयमुक्तिरूप निर्भयताभावना या धैर्यभावना, और ५ हास्यत्यागरूप वचनसंयम-मीनभावना ।

उक्त पांच भावनाओं का उद्देश्य सत्यव्रत की पूर्णरूपेण रक्षा करना है, जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—‘तस्स इमा पंचभावनाओ परिरक्खणदुट्ठयाए’। इसका आशय यह है कि सत्यमहाव्रती साधु सब प्रकार से असत्य का त्यागी होता है, बारह-व्रत या पांच अणुव्रत धारण करने वाला देशी-रतिश्रावक स्थूल-असत्य का आशिक त्यागी होता है तथा व्रतहीन सम्यक्त्वी या मार्गानुसारी भी नैतिकरूप से स्थूल असत्य का त्याग करते हैं । इन सब कोटि के असत्यत्यागियों के असत्यत्यागरूप व्रत और नियम की रक्षा के लिए ये ५ भावनाएँ बताई हैं । लेकिन इन भावनाओं का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है, जब इनका बार-बार मनोयोगपूर्वक चिन्तन और जीवन में प्रयोग किया जाय । क्योंकि भावना का अर्थ ही प्रत्येक अवस्था में निरन्तर पुनः पुनः चिन्तन करना है । मनोयोगपूर्वक जीवनपर्यन्त और निरन्तर इनका चिन्तन-मनन-निदिध्यासन करने पर तथा तदनुसार प्रयोग—अमल करने पर आत्मा में पवित्र और उत्तम सस्कार बढमूल हो जाते हैं । सुदृढ सस्कारी साधक इतना वीर और पराक्रमी हो जाता है कि असत्य के बड़े से बड़े भय और लोभ के झझावात से वह डिगता नहीं, कष्टों के दल के आगे वह झुकता नहीं, उपसर्गों और परिपहों की सेना के खिलाफ जूझता रहता है । देव मानव या तिर्यञ्च कोई भी उसे सत्यव्रत से विचलित नहीं कर सकता । उसके सामने सत्य ध्रुवतारे की तरह चमकता रहता है ; वह कदापि कैंसी भी स्थिति में सत्य को अपने मन-मस्तिष्क से ओझल नहीं होने देता । इसलिए सत्यता और सरलता उस साधक के जीवन के अंग बन जाते हैं । वह सत्य में परिपक्व हो जाता है । उसके हाथ, पैर, आँख और मुख सत्य से इतने सध जाते हैं, कि उससे अमत्य-आचरण की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं हो सकती । हाथ-पैर ही बया, शरीर के सभी अंगोपांग, मन और वाणी, बुद्धि और हृदय उसके आज्ञाधीन सेवक-से बन जाते हैं । वे सत्य के विरुद्ध जरा भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते । इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ में छोटित करते हैं—‘ भावित्थो भवति अंतरप्पा संवयकरधरणनयणवयणो सुरो सच्चञ्जवसपप्पो ; इमेहि पंचहिंवि कारणेहि मण-वयणकायपरिरक्खणाहि निच्चं आमरणंत च एस ज्जोमे केवज्जो ।’

अनुचिन्त्यसमितिभावना का चिन्तन और प्रयोग—सत्यव्रत की इन पांच भावनाओं में से सर्वप्रथम अनुचिन्त्यसमितिभावना है । इसका अर्थ है— सत्य पर बार-बार चिन्तन करके प्रापण में सम्यक् प्रवृत्ति करना । सत्यमहाव्रत ग्रहण कर देने मात्र से जीवन में सत्य नहीं आ जाता । उसके पालन के लिए बार-बार सत्य के पशुओं पर चिन्तन करना चाहिए ; यह विशेषण करना चाहिए कि असत्य कहीं-

कहाँ से किस-किस रूप में आ सकता है ? उससे कैसे बचना चाहिए ? कदाचित् पूर्व-सस्कारवश आने लगे तो उसे कैसे दूर भगाना चाहिए ? सत्यसंवर को रखने का उद्देश्य क्या है ? सत्य का रहस्य क्या है ? मगर इस प्रकार का सूक्ष्मविश्लेषण प्रत्येक साधु कर नहीं सकता । इसलिए शास्त्रकार इस भावना पर चिन्तन से पहले पूर्व तीयारी के रूप में निर्देश करते हैं—'सौम्य संवरदृष्ट परमदृष्टं सुदुर्लभम्...' इसका आशय यह है कि सत्यार्थी साधक को सर्वप्रथम सद्गुरु के मुख से आगम के माध्यम से यह भलीभांति श्रवण करना चाहिए कि सत्यसंवर का पालन भगवान् ने क्यों और किसलिए आवश्यक बताया है ? इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है ? साधक-जीवन के साथ इसका क्या सम्बन्ध है ? आदि । उसके पश्चात् यदि जैन सिद्धान्तों के रहस्य को ग्रहण करने की प्रतिभा हो जो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, तो उसके बल पर उसे स्वयं सत्यसिद्धान्तप्रतिपादक शास्त्रों और ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए और उसके द्वारा विविध पहलुओं से सत्य को जानना चाहिए, विभिन्न तर्कवितर्कों द्वारा उसके रहस्य को हृदयंगम कर लेना चाहिए ।

उसके पश्चात् उसे सत्यमहाव्रत को प्रथम भावना का चिन्तन-मनन और तदनुसार उसी का रटन करना चाहिए, नाकि वह उसके मस्कारों में जम जाय और उसकी समग्र प्रवृत्ति सत्यमय हो जाय । इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं 'न वेमिषं, न तुरियं संजलेष काल्मिष यश्चत्सवं ।' इसका आशय यह है कि सयमी साधक बोलने से पहले अपने हृदय में इस बात को दृढ़ कर ले कि 'मुझे हडबडा कर व्यग्रता से कभी नहीं बोलना है, उतावली में जल्दी-जल्दी भी नहीं बोलना है, न चंचलता से बोलना है न कडवा बोलना है, न कठोर बोलना है, न सहसा किसी पर दोषारोपण करना है, न परपीडाकारी सावद्यवचन बोलना है । मुझे जब भी बोलना है, तब सत्य हित, मित, शुद्ध, ग्रहणीय, सगत, स्पष्ट और सोच-विचार कर बोलना है ।'

सत्यार्थी साधक यदि मन की व्याकुल और व्यग्र अवस्था में बोलेंगा तो, उससे वह अपनी अभीष्ट बात को व्यक्त करने में असफल होगा । चित्त में जब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार लगातार अनेक विकल्प उठते रहते हैं, तब मनुष्य अपने सिद्धान्त को स्थिर नहीं कर पाता । उस समय वह शुकसा कर, हडबडा कर या व्यग्रतापूर्वक जो कुछ भी कहेगा, उससे सुनने वाले को विपरीत अर्थ का भान होना समभव है । इसलिए सत्य के पुजारी को मन की व्याकुल अवस्था में वेग से कोई बचन व्यक्त नहीं करना चाहिए । उसे अपने मन को विकल्पवालों से मुक्त कर, अब्याकुल स्थिति में ही अपनी बात प्रकट करनी चाहिए ।

कई लोगों को यह आदत होती है कि वे बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं । जल्दी में बोलते समय अपने वचनों पर काबू नहीं रहता । वे अपने सिद्धान्त से विपरीत बातें

भी उतावली में आ कर कह देते हैं। जिनका परिणाम कभी-कभी भयंकर होता है, अथवा कई बार सुनने वाले को उसकी बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आती। कई लोग अपनी विद्वता की छाप दूसरों के हृदय पर अंकित करने के हेतु से भी ऐसा करते हैं; लेकिन परिणाम उलटा ही आता है। कई दफा उतावल में बिना विचारे बोलने के बाद उसका परिणाम अहितकर निकलता है और उससे बोलने वाले को बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए सत्यवादी को शीघ्रता से बोलने का परित्याग करना चाहिए।

साथ ही चपलतापूर्वक बोलना भी हितावह नहीं है। चंचलता में कोई भी व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रह सकता। वह कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ, अतः उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं होगा। वाणीचपल मनुष्य किसी को वचन देकर बदलते देर नहीं लगाएगा। इसलिए चपलतापूर्वक बोलने से सत्य को खतरा पहुँचेगा। कड़वी और कठोर वाणी भी साधक के जीवन को कटु और कठोर बना देती है। उसका हृदय कटु व कठोर हो जाने से उसमें सबके प्रति घृणा, द्वेष, निर्दयता और क्रूरता भर जाती है। सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति सबसे दोषदर्शन करेगा, ईर्ष्या, करेगा, वैमनस्य करेगा। इस तरह कड़वी और कठोर वाणी मनुष्य को सत्य से विचलित कर देती है। उसके मुँह से निकले हुए यथार्थवचन भी दूसरों को चुभते हैं, मर्मस्पर्शी होने से पीड़ा पहुँचाते हैं, इसलिए शास्त्रज्ञों की दृष्टि में वे असत्य ही हैं। उनका परित्याग करना चाहिए। कई साधक अपना रोब या प्रभाव दूसरों पर जमाने के लिए कटु या कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कटु या कठोर शब्दों का प्रभाव प्रायः उलटा पड़ता है। यदि कभी अनुकूल भी पड़ता है तो वह स्थायी नहीं रहता। यथार्थ बात भी मृदु एवं प्रिय शब्दों में कहने पर ही अधिक प्रभावशाली बनती है।

साहसपूर्वक बोला गया वचन भी सहसा बिना विचारे बोला जाता है, वह भी स्वपरकल्याण का विरोधी है। दुःसाहसपूर्वक बोले गए वचनों के पीछे धृष्टता, बड़प्पन का गर्व, उद्वतता, अपनी ही हाके जाने का अविवेक, अर्थ गाल बजाने की और अपने मुँह मियाँमिट्टू बनने की आदत होती है। ऐसे वचनों में असत्याश अधिक होता है, इसलिए त्याज्य समझना चाहिए। परपीड़ाकारी वचन तथ्यपूर्ण हाते हुए भी हिंसाजनक होने से असत्य की कोटि में आते हैं। काने को काना, अघ्रे को अघा कहना यद्यपि तथ्ययुक्त है, तथापि उसके पीछे बोलने वाले का भावना उसे पीड़ा पहुँचाने की या चिढ़ाने की होने से ऐसे वचन सत्य भी असत्य हो जाते हैं। किसी को मर्मस्पर्शी वचन कहना, ताने मारना, अथवा इसे मारो, पीटो, इसे कत्ल करो, इत्यादि वचन परपीड़ाकारी होने से त्याज्य समझने चाहिए।

सवद्य—पापयुक्तवचन भी सत्यार्थी के जीवन के लिए हानिकारक है। जिन

वचनों से पापकार्यों का पोषण होता हो, ऐसे वचन सावध कहलाते हैं। जैसे किसी को चोरी, जारी, वेश्यागमन मद्यपान आदि निन्द्यकर्मों की सलाह देना, उनमें प्रोत्साहित करना सावध है।

मावद्यवचन तो हर्गिज भी नहीं बोलना चाहिए। पूर्वोक्त दोषों से रहित शुद्ध-निर्दोष, सत्य, हितकर, परिमित, ग्रहणीय, स्पष्ट पूर्वापरसगत एव बोलने से पहले भलीभांति सोचा-विचारा हुआ वचन अवसर पर बोलना चाहिए।

यह अनुचिन्त्यभाषासमिनिभावना का आशय है। इसे भलीभांति हृदयगम करके चिन्तन-मननपूर्वक वाणीप्रयोग करना ही सत्यार्थी के लिए प्रथम भावना का उद्देश्य है।

क्रोधनिग्रहरूप क्षमाभावना का चिन्तन और प्रयोग—पहली भावना में बार-बार चिन्तन और पर्यालोचन करने के बाद अमुक प्रकार से बोलने और अमुक प्रकार से न बोलने का निर्देश किया, इसी पर से यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य जब बोलता है तो उतावल में झुझला कर, चपलता से, कठोर, कटु, परपीडाकारी सावध वचन सहसा क्यों बोल देता है? वह उस समय अपनी जवान पर लगाम क्यों नहीं रख पाता? इसी के उत्तर में शास्त्रकार दूसरी भावना का चिन्तन और प्रयोग बताते हैं। उनका आशय यह है कि सहसा बिना-विचारे बोलने के पीछे क्रोध भी एक जबर्दस्त कारण है। जब मनुष्य पर क्रोध का भूत सवार होता है तो उसे अपने आपे का भान नहीं रहता। वह क्या बोल रहा है?, क्या चेष्टा कर रहा है? किससे क्या कहना चाहिए, और क्या नहीं? इसका ज्ञान उसे क्रोधावेश में नहीं रहता। क्रोध के वश मनुष्य झुझला कर बोलता है, जल्दी जल्दी भी बोलता है, चंचलतापूर्वक बात कहता है, कड़वा और कठोर वचन भी कह डालता है, बिना विचारे किसी पर सहसा दोषारोपण भी कर डालता है, परपीडाकारी वचन और मारो-पीटो आदि सावध वचन तो कोपकांड के समय प्रगट होते ही हैं। क्रोधी मनुष्य परनिन्दा, गालीगलौज, मारपीट, हाथापाई और मुकद्दमेबाजी पर भी उतर आता है। क्रोधी मनुष्य अपने माता-पिता व गुरुजनों का विनय करना भूल जाता है, अपनी मा-बहनों की इज्जत का भी उसे भान नहीं रहता। क्रोध के बशीभूत हुआ मनुष्य अपनी आत्मा में तो अशान्ति उत्पन्न करता ही है, अपनी समाधि (शील) का भंग तो कर ही बैठता है, अपने परिवार, समाज और देश में भी वह भयकर अशान्ति मचा देता है। कई बार क्रोधी नेता अपने क्रोधावेश में आ कर ऐसे वचन बोल देता है, जिससे सारा समाज या देश विनाश के मुह में चला जाता है, उसके क्रोध का शिकार सारे देश या समाज को होना पड़ता है। इसलिए क्रोधी मनुष्य सब का अकारण शत्रु बन जाता है, झूठ-बोझा, हिंसा, अन्याय, अन्याचार आदि कई-दोषों का घर बन जाता है; पद-पथ पर अंध-

मानित होता है, उसके साथ लोगों का बैरविरोध बढ़ता जाता है। इसलिए क्रोध हृगिज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दूसरी भावना में क्रोधनिग्रह करके क्षमाभाव—क्षान्ति—सहिष्णुता रखने का निर्देश किया है। क्रोध से सर्वतोमुखी हानि और क्षमा-सहिष्णुता से सत्य के पालक उत्तम लाभ का चित्र सत्यार्थी साधक के मनमस्तिष्क में अंकित हो जाना चाहिए। इसी बात को शास्त्रकार स्पष्ट द्योतित करते हैं—‘कोहो न सेवियञ्चो एवं क्षंतीए भाविओ भवति।’ इसी का भावार्थ उपर स्पष्ट किया गया है।

लोभविजयरूप निलोभतासमिति का चिन्तन और प्रयोग—क्रोध के बाद सत्यमहाव्रत के पालन में बाधक लोभ है। लोभवृत्ति से मनुष्य का चित्त चंचल हो उठता है। किसी भी पदार्थ का लोभ दिमाग में सवार होते ही वह येन-केन-प्रकारेण उसकी पूर्ति के लिए उतारू हो जाता है। उस समय वह सत्य को भी ताक में रख देता है, अपने श्रावकत्व और साधुत्व की मर्यादाओं को भी भूल जाता है, परिग्रह की सीमा और अपरिग्रहवृत्ति को भी ओझल कर देता है। उसका चित्त लोभवृत्ति के कारण सत्यव्रत से विचलित हो जाता है, उसकी वाणी लुब्धता के कारण मत्यवचन से हट जाती है, उसकी शारीरिक चेष्टाएँ भी लोभ सवार होने पर सत्यप्रवृत्ति से उगमगा जाती हैं। और वह चाहे सीमितपरिग्रही गृहस्थ श्रावक हो या अपरिग्रहवृत्ति महाव्रती साधु हो, लोभग्रस्त होने पर खेत, जमीन, मकान, सुख के साधन, खानपान, चौकी, पट्टा, हथिया-निवास योग्य बस्ती, बिछौना, कपड़े, पात्र, कबल या पैर पोछने के कपड़े, शिष्य या शिष्या, ये और इस प्रकार की हजारी चीजों के निमित्त मन, वचन और काया से असत्य का सहारा लेता है, दूसरों से असत्य आचरण कराता है और असत्याचरण करके इन सब साधनों को जुटाने वाले लोगों का अनुमोदन भी करता है। जब सत्यव्रती साधक इस प्रकार करता है तो उसकी सत्य की साधना धूल में मिल जाती है। इसलिए असत्य में बलात् प्रवृत्त करने और अन्तर् वृत्ति को लुभायमान करके असत्य वचन की ओर मोड़ने वाले लोभ से सत्यमहाव्रत या सत्य-अणुव्रत की रक्षा के लिए शास्त्रकार ने हम भावना के चिन्तन-मनन और तदनुसार मनोयोगपूर्वक प्रवृत्त होने का निर्देश निम्नोक्त सूत्रपक्तियों द्वारा किया है—‘लोभो न सेवियञ्चो, लुडो लोसो ऋषेण्य अस्वियं... .. व कएण न सेवियञ्चो।’ इसका आशय यह है कि पूर्णसत्य की प्रतिज्ञा वाले महाव्रती और स्थूलसत्यव्रत धारण करने वाले अणुव्रती श्रावक लोभ के बशीभूत हो कर अपनी सत्यप्रतिज्ञा से गिर जाते हैं। गृहस्थ श्रावक पर जब लोभ सवार होता है तो वह खेत, बाग, जमीन, मकान, सोना, चाँदी, धन, धान्य, दासी-दास, लोहा, ताँबा आदि अन्य (कुप्य) धातु, लौह बर्तन आदि घर का सामान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर अमावा हो जाता है। वह क्षत्रादि वस्त्र प्रकार के परिग्रह की भी हुई

अपनी मर्यादा की प्रतिज्ञा को ताक में रख देता है और लोभ पिशाच की प्रेरणा के अनुसार झटपट अमत्य के सगी-साथी छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, अन्याय, अत्याचार आदि का सहारा ले कर उन क्षत्रादि को प्राप्त करने या प्राप्त क्षत्रादि की वृद्धि करने में जुट जाता है। कई बार वह अपने नाम से उनकी प्राप्ति और वृद्धि में न लग कर अपने लडके, दामाद, भानजे और भतीजे आदि के नाम से उक्त परिग्रह जुटाता है। इस प्रकार वह स्व-पर-वचना करता है, जो असत्य की ही बहिन है। क्षत्र और वास्तु इन दो पदों के द्वारा शास्त्रकार ने शेष आठ प्रकार के परिग्रहों (जो गृहस्थ के परिग्रहपरिमाण के अन्तर्गत हैं) को भी उपलक्षण से सूचित कर दिया है।

कीर्ति का लोभ तथा परिवार के पोषण का लोभ गृहस्थों को तो क्या, बड़े-बड़े साधुओं को भी डेरान कर डालता है। गृहस्थ का अपना परिवार होता है, वैसे ही साधु का भी अपना शिष्य-शिष्याओं का परिवार होता है, और वह भी अपने शिष्य-शिष्या-परिवार के पोषण के लिए नानाविध वस्तुओं को जुटाने के लोभ में असत्य का सेवन कर लेता है। अपनी कीर्ति के लोभ में आकर भरतचक्रवर्ती ने जैसे अपने प्रियभ्राता बाहुवर्णि को मारने के लिए चक्र चलाया था, वैसे ही गृहस्थ अपनी कीर्ति बढ़ाने के लोभ में झूठफरेब का सहारा ले कर मंत्री आदि पद, सत्ता या अन्य कोई ओहदा प्राप्त करता है। कीर्ति का चस्का लगने पर वे साधु भी सत्ताधारियों और धनाढ्यों से मिलने और अपने नाम का प्रचार करने के लिए तिकड़मबाजी करते हैं। इसी प्रकार ऋद्धि-वैभव या सत्ता की प्राप्ति के या सुख-साधनों के लोभ के वशीभूत हो कर भी साधक सत्य से डिग जाता है। इसलिए सत्यार्थी साधक के लिए शास्त्रकार का दिशानिर्देश है कि जब भी क्षत्र, मकान, कीर्ति, परिवारपोषण, ऋद्धि, सत्ता, इन्द्रिय सुख या वस्त्र पात्र, शिष्य-शिष्या आदि का लोभ सताने लगे, तब वह इस भावना के प्रकाश में चिन्तन करे कि जिन पर मैं लुब्ध हो रहा हूँ, या जिनके लोभ का उबार मेरे में उमड़ रहा है, वे सब वस्तुएँ क्षणिक हैं, नाशवान हैं, सत्य से डिगाने वाली हैं, मनुष्य को अपने समय के रास्ते से भटकाने वाली हैं, चिंता के चक्कर में डाल कर तग करने वाली हैं। आत्मसम्पत्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है, आत्मा में रमण करने में ही वास्तविक सुख है, सत्य का आचरण करने में ही जीवन की सफलता है। जब आत्मा में सत्य का सागर उमड़ने लगेगा, सत्य पालन की तीव्रता जागेगी, तब पदार्थों के प्रति स्वयमेव विरक्ति हो जायगी, लोभ कपूर के समान उड़ जायगा। वस्त्र, पात्र, औषधि, शिष्य, शिष्या, दंड, कबल, उपाध्यय, शय्या, संस्कारक आदि अन्त तक उपकारक नहीं हैं, ये तो सिर्फ औषधि के समान हैं।

मनुष्य और्षाध का सहारा तभी तक लेता है, जब तक उसके शरीर में रोग रहता है। ये सब उपकरण वास्तव में अशक्त आत्मा को समय-पालन करने में सहायता देने वाले हैं। जब आत्मा जिनकल्पी के समान सबल हो जाती है, तब इन उपकरणों का भी त्याग करके पूर्ण शान्ति का अनुभव करती है। इसलिए इनका लोभ न करना ही सत्यव्रती के लिए श्रेयस्कर है।

इसी प्रकार की निर्लोभता-भावना का पुनः पुनः चिन्तन-मनन करने से और तदनुसार लोभवृत्ति को कम करते रहने से आत्मा में निर्लोभवृत्ति के सस्कार सुदृढ़ हो जायेंगे और तब ऐसे समयों अन्तरात्मा के हाथ लुभायमान करने वाली वस्तुओं को लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, पर उन मनोज्ञ पदार्थों को ग्रहण करने के लिए चंचल व गतिशील नहीं बनेंगे, आँखें उन पदार्थों को देखने के लिए उत्सुकतापूर्वक ऊपर नहीं उठेंगी, और न मुह ही उन पदार्थों की माग के लिए खुलेगा। वह सत्यवीर सुसाधु सत्य का पूर्ण उपासक हो कर मोक्षनिधि को प्राप्त कर लेता है।

भयमुक्तिरूप धैर्ययुक्तनिर्भयताभावना का चिन्तन और प्रयोग— सत्य की पूर्ण उपलब्धि या साधना के लिए लोभ के बाद भय बहुत बड़ा बाधक तत्त्व है। लोभ साधक के जीवन में मीठा ठग बन कर आता है, और चुपके-चुपके साधक के जीवन में घुस जाता है; जबकि भय कड़वा बन कर साधक को आतंकित करता हुआ, तथा उसके प्राण, प्रतिष्ठा और परिगृहीत वस्तुओं के अस्तित्व को चुनौती देता हुआ आता है। इसलिए लोभ मधुर शत्रु है और भय कठोर शत्रु है। परन्तु साधक के लिए क्या कोमल, क्या कठोर दोनों प्रकार के शत्रुओं से जूझना है। जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं और साधक के सामने ऐसा इहलौकिक भय उपस्थित हो जाता है कि इस ससार में मेरा कौन है? अथवा मेरा क्या होगा? मेरे पास कौन होगा? मेरे पास साधन नहीं होंगे तो क्या करूँगा? कभी अपनी साधना पर अविश्वास के कारण या शास्त्रों की आध्यात्मिक बातों पर शका के कारण यह पारलौकिक भय उसके सामने आकर खड़ा होता है कि इतनी कष्टकर साधना के बाद भी परलोक में कुछ भी सुख न मिला तो? ये स्वर्ग-मोक्ष की बातें कोरी गप्पें निकली तो मेरा वहाँ क्या होगा? मरने के बाद पता नहीं मुझे सुख मिलेगा या दुःख? इसी प्रकार कभी-कभी उसके मन में अपनी या अपनी माने जाने वाली वस्तु की सुरक्षा का भय सवार हो जाता है। उसी भय के मारे व्याकुल हो कर वह समय छोड़ने को तैयार हो जाता है। कभी-कभी उसके मन में काल्पनिक भीति पैदा हो जाती है कि मुझ पर अकस्मात् यह बृक्ष टूट पड़ा तो? यह मकान ढह पड़ा तो? मेरी टांग टूट गई तो? अचानक कोई दुर्घटना हो गई और अगभंग हो गया तो? ये आकस्मिक भय भी साधक को बहुत सताते हैं। किसी समय अपनी जीविका—भोजन,

वस्त्रादि जीवन चलाने योग्य चीजों की प्राप्ति का भय साधक के मन को क्रुरेदता है। साधक इस भय की कल्पना के कारण सिहर उठता है। जरा-सी शारीरिक पीड़ा या बीमारी होते ही इस भय के मारे अधीर हो जाता है। अपकीर्ति का भय तो साधक की नस-नस में घुस जाता है। कोई क्रिया-काण्ड चाहे निष्प्राण ही हो गया हो, सयम का पोषक न रहा हो, विकासघातक एव युगबाह्य हो गया हो, केवल दम्भवर्द्धक रह गया हो, लेकिन समाज में अपकीर्ति हो जाने के डर से उसे बदलने या उसमें सशोधन करने से वह हिचकिचाता है। अपयश के डर के मारे साधु सत्य को ठुकराते सकोच नहीं करता। मृत्यु का भय तो क्या धावक, क्या साधु सबके पीछे लगा हुआ है। वह मृत्यु की कल्पना से ही कांप उठता है। मृत्यु की छाया पड़ते ही भयभीत हो उठता है। और मौत का खतरा उपस्थित होने पर सत्य को छोड़ कर असत्य को भी सलाम कर लेता है। इसीलिए शास्त्रकार सत्य की सुरक्षा के लिए साधको से स्पष्ट निर्देश करते हैं—‘न भाइयम्भं भीतो ... भयस्त वा ... एषं भेषजेण भाविभो भवति अंतरव्या सूरौ सख्यज्जबसंपन्नो।’ इसका आशय यह है कि सत्यार्थी साधक को किसी भी प्रकार के भय से विचलित नहीं होना चाहिए। भय तो उमको लगता है, जिसके जीवन में कुछ दुर्बलताएँ हों, किसी वस्तु का ममत्व और मोह घेरा डाले बैठे हो, किसी का कर्ज चुकाना हो, या किसी से किसी वस्तु को पाने की आशा या लालसा हो। जब साधक इन सब बातों से परे है तो उसे भय किस बात का ? साथ ही भय आत्मा को तभी तक ज्यादा सताता है, जब तक उसे स्वपर का भेदविज्ञान नहीं हो जाता, स्वपर के स्वरूप को हृदयगम नहीं कर लेता। जब साधक के दिल में यह बात जम जाती है कि मैं अपने आप में आत्मा हूँ, शरीर नहीं ; शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। वह प्रतिक्षण विनाशशील और अनित्य है, जब कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है। अग्नि शरीर को ही जला सकती है, आत्मा को नहीं ; पानी शरीर को ही गला सकता है, आत्मा को नहीं ; शस्त्र शरीर को ही काट सकते हैं, आत्मा को नहीं, हवा शरीर को ही सूखा सकती है, आत्मा को नहीं ; भूत-प्रेतादि की बाधा इस शरीर को ही हो सकती है, आत्मा तक उनकी पहुँच नहीं है ; रोग-व्याधियाँ शरीर को ही हानि पहुँचा सकती हैं, आत्मा को नहीं ; बुढ़ापा शरीर को ही जीर्ण-शीर्ण कर सकता है, आत्मा को नहीं ; आहार-पानी आदि पुद्गलों की अप्राप्ति शरीर को ही कमजोर कर सकती है, आत्मा को नहीं। मौत शरीर का वियोग कर सकती है, आत्मा का नहीं। मेरी आत्मा तो स्वयं मेरे पास ही है। फिर मुझे डर किस बात

का ? कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा जरा भी नुकसान नहीं कर सकते, तब मैं किस से भय करूँ ? यदि मैं अकारण ही मन मे काल्पनिक भय पैदा करके डरता रहू तो मिथ्यादृष्टि मे और मुझ में क्या अन्तर रहा ? मैंने जैनशास्त्रो का अध्ययन-मनन किया, वह सब व्यर्थ हुआ ! भय के कारण मैं अपनी मानसिक—भावहिंसा क्यों करूँ ? यदि मैं भय करूंगा तो मुझे असत्य का सहारा लेना पड़ेगा, आत्मिक दुर्बलता के कारण पदार्थों के मालिको की गुलामी करनी पड़ेगी या उनसे आशा या अपेक्षा रखनी पड़ेगी। अतः हिंसा, असत्य आदि पापों के परिणामो से बचना हो तो मुझे निर्भयता धारण करनी चाहिए। जो भयभीत होता है, उस पर अनेको भय आ कर सवार हो जाते है। यदि मैं किसी से भय करूंगा तो चारो ओर से दबाया, सताया जाऊंगा। ज्ञानादि मित्र मेरी कोई सहायता नही करेगे, मेरा संयमरत्न लुट जायगा। क्योंकि जो भयभीत या डरपोक होता है, वह तप और संयम को भी भय से घबरा कर छोड देता है। भीरु साधक सयम के या महान् कार्य के भार को बहन नही कर सकता। वह सत्पुरुषो द्वारा आचरित मार्ग का अन्त तक अनुसरण नही करता। अतः मुझे पापकर्म के सिवा और किसी का भी भय नही करना चाहिए। इस प्रकार भयमुक्तिरूप निर्भयताभावना का धैर्यपूर्वक चिन्तन-मनन एव ध्यान करने से और तदनुसार दृढतापूर्वक आचरण से अन्तरात्मा निर्भयता के सस्कारो से ओतप्रोत हो जाती है। फिर तो उस सुसाधु का सयम इतना बढ जाता है कि स्वप्न मे उसके हाथपैर भय से नही कापते, उसकी आँखे भय के मारे चौधियाती नही, न बढ होती हैं, और न उसका मुह भय के मारे असत्य बोलने के लिए खुलता है। और तब यह सत्यवीर सत्यता और सरलता की पराकाष्ठा पर पहुच जाता है।

हास्यमुक्ति वचनसंयमरूप भावना का चिन्तन और प्रयोग—सत्यमहाव्रत और सत्य-अणुव्रत दोनो के लिए हास्य बाधक है। हास्य के वशीभूत हो कर साधक कई बार मजाक में, बात-बात मे झूठ बोल देता है, अतिशयोक्ति कर बैठता है। हंसी-मजाक में कई बार वह यह भूल जाता है कि इससे दूसरो को—जिनकी हसी उड़ा रहा हूँ, उनको—कितनी पीड़ा होगी ? कई बार वह विदूषक की तरह भाङ-कुचेष्टा भी कर बैठता है उस समय वह यही सोचता है कि 'इससे लोग मेरी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, लोग मुझे चाहेंगे और मैं उनसे कुछ मनोञ्ज पदार्थों को भी प्राप्त कर लूँगा।' पर इसकी यह धारणा भ्रान्तिजनक सिद्ध होती है, वह हास्य के आवेश में अपनी मर्यादाओं को भी ताक में रख देता है, कामचेष्टादि भी कर बैठता है, जो कि संयम के विपरीत है। मन-वचन-काया से असंयम का आचरण करना भी भगवदाज्ञा के विपरीत होने से असत्याचरण के समान है। इसलिए परस्पर हास्य

होता है, तब वह इस प्रकार के सत्याचरण को भी ताक में रख देता है। इसलिए शास्त्रकार कहते— 'अलियाह्' असंतकाह्' अंपति हासइत्ता "तम्हा हासं न सेधि-यम्भं ।' इसका आशय यह है कि वह हास्य, जिससे रागद्वेष पैदा होता है, वह परपीडा-जनक होता है, दूसरो की मजाक करते रहने से लोग उस साधक से धीज जाते हैं और उसका भो अपमान कर बैठते हैं। कभी-कभी तो हसी-मजाक से भयकर लडाई हो जाती है, अणभर मे पुरानी गाढ मंत्री खत्म हो जाती है। एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते है। कभी-कभी साधक मजाक-मजाक मे ही आपस में फूट डाल देता है, उसके साधु-समुदाय के स्वजन भी उसके मजाकिये स्वभाव के कारण असंतुष्ट हो कर उससे किनाराकसी करने लगते हैं। कभी-कभी हास्य मर्मोद्घाटन करने वाला होने के कारण परस्पर वैरविरोध पैदा कर देता है। ऐसे हास्य के कारण असत्या-चरण को बढ़ावा मिलता है। तथा इस प्रकार के हास्य का कटुफल भी उसे भोगना पडता है। यद्यपि सयम साधना के कारण वह देवगति का अधिकारी हो जाता है, लेकिन सयमी साधना मे हास्यविकार के कारण उसे नीच देवयोनि मिलती है। यानी निरतर हसी-मजाक करने वाले भाडसरीखे साधु उस अनर्थ के कारण कावर्षिकदेवो एव आभियोग्य देवो मे उत्पन्न होते हैं, अथवा ये असुरजाति के व किल्बिषिक देवों में पैदा होते है, वहाँ उन्हें नीच काम करना पडता है। वे वहाँ तिरस्कार के पात्र बनते है। कहा भी है—

'जो सज्जो बि एयासु अप्पसत्त्वासु बट्टइ कीहहि ।

सो तव्विहेसु गच्छइ नियमा भइजो चरणविहीणो ।'

भावार्थ—“जो साधु हो कर अनर्भकारक, लोकनिन्द्य एव चारित्र मे बाधक हसी-मजाक आदि क्रियाओ मे जरा-सी भी प्रवृत्ति करता है, वह चारित्र से भ्रष्ट हो कर आभियोग्य, कान्दपिक या आसुर-किल्बिष आदि नीच देवो मे निश्चय ही जन्म लेता है। यदि उस समय आयुबन्ध करता है तो भांड आदि अधम मनुष्यों में भी उत्पन्न होता है ।”

इन मय दुष्परिणामों एव अनिष्ट कारणों को देखते हुए सत्यमहाव्रती या सत्याणुव्रती साधक को हास्य का सर्वथा परित्याग करना चाहिए ।

साधु को इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए कि “हास्य संसारबद्धं और चारित्रनाशक चेष्टा है। इससे मेरी आत्मा को कोई लाभ नहीं है; बल्कि इतने शुद्ध संयमपालन के साथ-साथ हास्यक्रिया करना दूध के लोटे में एक दूध जहर डालने के समान है। मैं हास्य के बन्ध हो कर क्यों अपने सत्य और संयम को दूषित करूँ ! यह तो घाटे का सौदा होगा कि मैं इतना कठोर चारित्रपालन करके भी हास्यक्रिया करके उसे सस्ती प्रतिष्ठा या प्रशंसा के भ्रम से खो दूँ ।” इस प्रकार

हास्यमुक्ति और वचनसंयमरूप चिन्तन के संस्कार जब अन्तरात्मा में बद्धमूल हो जायेंगे तो उस समयी आत्मा के हाथ-पैर हास्य के लिए कोई बेष्टा नहीं करेंगे, उसके नेत्र हास्यवर्द्धक क्रिया नहीं करेंगे, उसका मुह हास्यकारक वचन के लिए नहीं खुलेगा। वह सत्यवीर साधक सत्यता और सरलता से सम्पन्न हो कर अपने साधु जीवन को सार्थक कर लेगा।

पंचभावनाओं से आत्मा को सुसंस्कृत करने का निर्वेस—शास्त्रकार सत्य के पूर्ण परिपालन के लिए पूर्वोक्त पांचो भावनाओ के प्रकाश में अपने मन, वचन और काया को चारों ओर से सुरक्षित रखने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इन पांचो भावनाओं के प्रकाश मे मन-वचन-काया को सुरक्षित रखने से यह सत्यसवरद्वार सम्यक् रूप से सस्कारों में परिनिष्ठित और आचरित हो जाता है। सत्यार्थी धृतिमान् व बुद्धिमान् साधक को इन पांचभावनाओ का चिन्तनपूर्वक प्रयोग, जो कि कर्म के आगमन को रोकने वाला, कर्मप्रवाह के प्रवेश के लिए निश्छिद्र, पवित्र, असक्लिष्ट, और समस्त जिनवरो द्वारा अनुज्ञात है; जीवन के अन्त तक सतत करना चाहिए। ऐसा करने से ही सत्यसवर का भलीभांति आचरण, पालन, शोधन, पारण, कीर्तन, अनुपालन और आज्ञाराधन होता है।

उपसंहार—यह सारा वक्तव्य शास्त्रकार ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके नहीं दिया है, चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् महावीर ने इसका सामान्य-विशेषरूप मे निरूपण किया है, इसे सर्वप्रमाणो से सिद्ध किया है, सिद्ध भगवन्तो के शासनरूप इस प्रवचन का उन्होंने भलीभांति उपदेश दिया है, इसे मगलमय बताया है। इसका सम्यक् पालन करने से मोक्षपद प्राप्त होता है।

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्यासहित श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र के सप्तम अध्ययन के रूप में द्वितीय सवरद्वार समाप्त हुआ।



आठवां अध्ययन : अचौर्यसंवर

अचौर्यसंवर का स्वरूप

सत्यसंवरद्वार के विविध पहलुओं पर निरूपण करने के बाद अब शास्त्रकार अचौर्यसंवरद्वार पर निरूपण करते हैं, क्योंकि असत्य का त्याग चोरी (अदत्तादान) का त्याग करने पर ही सम्यक् प्रकार से हो सकता है। शास्त्रकार सर्वप्रथम सूत्रपाठ द्वारा अचौर्य का स्वरूप बताते हैं—

मूलपाठ

जंबू ! दत्तमणुण्णायसंवरो नाम होति ततियं सुव्वता !
महव्वतं गुणव्वतं परदव्वहरणपडिविरइकरणजुत्तं अपरिमियमगांत-
तण्हाणुगयमहिच्छमणवयणकलुसआयाणसुनिग्गहियं, सुसंजमियमण-
हत्थपायनिभि(ह्)यं, निग्गंथं, णेट्ठिकं, निरुत्तं, निरासवं, निब्भयं,
विमुत्तं, उत्तमनरवसभ-पवरबलवग-सुविहितजणसंमतं, परमसाहु-
धम्मचरणं, जत्थ य गामागर-नगर-निग्गम-खेड-कव्वड-मडंब-
दोणमुह-संवाह-पट्टणासमगयं च किञ्चि दव्वं मणिमुत्तसिलप्पवाल-
कंसदूसरययवरकणगरयणमादि पडियं पम्हुट्ठं विप्पणट्ठं न
कप्पति कस्सइ (ति)कहेउं वा गेण्हिउं वा अहिरन्नसुवन्निकेण
समलेट्ठुकंचणेणं अपरिग्गहसंबुडेणं लोग्गिं विरहियव्वं, जंपि य
होज्जाहि दव्वजातं खलगतं खेत्तगतं रन्नमंतरगतं वा किञ्चि
पुप्फ-फल-तयप्पवाल-कंद-मूल-तण-कट्ट-सक्करादि अप्पं च बहूं च
अणुं च थूलगं वा न कप्पति उग्गहंमि अदिण्णंमि गिण्हिउं जे,
हण्हिण्हि उग्गहं अणुन्नविय गेण्हियव्वं, वज्जेयव्वो सब्बकालं

अचियत्तघरपवेसो, अचियत्तभत्तपाणं, अचियत्त - पीढ - फलग-
सेज्जा- संधारग- वत्थ- पत्त - कंबल- दंडग- रयहरण- निसेज्ज -
चोलपट्टग - मुहपोत्तिय-पायपुंछणाइभायणभंडोवहि - उवकरणं,
परपरिवाओ, परस्स दोसो परववएसेणं जं च गेण्हइ, परस्स
नासेइ जं च सुकयं, दाणस्स य अंतराइ(ति)यं दाणविप्प-
णासो, पेसुन्नं चेव मच्छरित्तं च, जेवि य पीढ-फलग-सेज्जा-
संधारग- वत्थ- पाय-कंबल- मुहपोत्तिय-पायपुंछणादि(इ)-भायण-
भंडोवहिउवकरणं असंविभागी असंगहरई(ती) तवतेणे य वइ-
तेणे य रूवतेणे य आयारे चेव भावतेणे य, सट्ठकरे, झंझकरे,
कलहकरे, वेरकरे, विकहकरे, असमाहिकरे सया अप्पमाणभोई (ती)
सततां अणुबद्धवेरे य निच्चरोसी से तारिसए नाराहए वयमिणं ।

अह केरिसए पुणाइं आराहए वयमिणं ? जे से उवहिभत्त-
पाणसंगहणदाणकुसले, अच्चंतबालदुब्बलगिलाणवुड्ढखमके,
(खवग)-पवत्ति-आयरिय-उवज्जाए, सेहे, साहम्मिके, तवस्सी-
कुलगणसंघचेइयट्ठे निज्जरट्ठी वेयावच्चं अणिसिसयं बहुविहं
दसविहं करेति, न य अचियत्तस्स गिहं पविसइ, न य अचिय-
त्तस्स गेण्हइ भत्तपाणं, न य अचियत्तस्स सेवइ पीढफलगसेज्जा-
संधारगवत्थपायकंबलदंडगरयहरण- निस्सेज्जचोलपट्टयमुहपोत्तिय-
पायपुंछणाइ-भायणभंडोवहि-उवकरणं, न य परिवाय परस्स
जंपत्ति, ण यावि दोसे परस्स गेण्हति, परववएसेण वि न किं चि
गेण्हति, न य विपरिणामेति किंचि जणं न यावि णासेति, दिन्न-
सुकयं दाऊण य न होइ पच्छाताविए संविभागसीले संगहोव-
गहकुसले से तारिसए(ते) आराहेति वयमिणं ।

संस्कृतच्छाया

अम्बू ! इत्थानुज्ञातसंखरो नाम भवति तृतीयं सुव्रत ! महाव्रतं,
गुणव्रतं, परब्रह्महरणप्रतिविरतिकरणयुक्तं, अपरिमितानन्ततृष्णानुगत-

महेच्छमनोवचनकलुषादानसुनिगृहीतं, सुसंयमितमनोहस्तपावनिभृतं, निर्ध्रंषं,
 नैष्ठिकं, निवक्तं, निराश्रयं, निर्धमं, विमुक्तं, उत्तमनरवृषभ-प्रवरबलवत्-
 सुविहितजनसम्मतं, प्रवरसाधुधर्मचरणं ; यत्र च ग्रामाकरनगर-निगम-क्षेत्र
 कर्षट-मडम्ब-द्रोणमुख-संवाह-पत्तनाधमगतं च किञ्चिद् ब्रह्मं मणिमुक्ताशिला-
 प्रवालकांस्यवृष्यरजतवरकनकरत्नावि पतितं विस्मृतं विप्रणष्टं न कल्पते
 कस्यचित् कथयितुं वा गृहीतुं वाऽहिरण्यसुवर्जकेन समलेष्टुकाञ्जनेन
 अपरिग्रहसंबन्धेन लोके विहर्तव्यम् । यद्यपि च भवेद् ब्रह्मजातं ललगतं
 क्षेत्रगतं अरभ्यान्तरगतं वा किञ्चित् पुष्प-फल-त्वक्-प्रवाल-कन्द-मूल-तृण-
 काष्ठ-शर्करादि, अल्प च बहु चाणु च स्थूलकं वा न कल्पतेऽवग्रहेऽस्ते
 गृहीतुं यत्किञ्चिद् ; अहन्यहनि अद्यग्रहमनुभाष्य गृहीतव्यम् । वर्जयितव्यः
 सर्वकालमप्रीतगृहप्रवेशोऽप्रीतभक्तपानमप्रीतपीठ - फलक - शय्या - संस्तारक-
 वस्त्र-पात्र-कंबल-बंडक-रजोहरण-निषद्या - खोलपट्ट - मुखपोतिका-पादप्रोच्छ-
 नादि भाजनभाण्डोपध्युपकरणं, परपरिवादो, परस्य दोषः, परव्यपदेशेन यच्च
 गृह्णाति परस्य नाशयति, यच्च सुकृतं दानस्य चान्तरायिकं दानविप्रणाशः,
 पशुन्यं चैव मात्सरिकं च, योऽपि च पीठ-फलक-शय्या-संस्तारक-वस्त्र-
 पात्र - कम्बल - मुखपोतिका - पादप्रोच्छनादि भाजनभाण्डोपध्युपकरणं
 असंविभागी, असग्रहद्विस्तपस्तेनश्च वाक्स्तेनश्च रूपस्तेनश्चाचारे चैव
 भावस्तेनश्च शम्बकरः शंशाकरः कलहकरो वरकरो विकथाकरोऽसमाधिकरः
 सवाऽप्रमाणभोजी सततमनुबद्धवैरश्च नित्यरोषी स ताहशो नाराधयति
 व्रतमिदम् । अथ कीदृशः पुनराधयति व्रतमिदम् ? यः स उपधिभक्तपानसंग्र-
 हणवानकुशलः, अत्यन्तबालबुर्बलग्लानबृद्धक्षपके प्रवर्त्याचार्योपाध्याये शौके
 सार्धमिके तपस्विकुलगणसंधचेत्यार्थे च निजरायी वैयावृत्तमभिहितं बहुविधं
 दशविधं करोति, न चाप्रीतस्य गृहं प्रविशति, न चाप्रीतस्य गृह्णाति भक्तपान,
 न चाप्रीतस्य सेवते पीठफलकशय्यासंस्तारकवस्त्रपात्रकम्बलबंडक-रजोहरण-
 निषद्याखोलपट्ट - मुखपोतिकापादप्रोच्छनादि - भाजनभाण्डोपध्युपकरणम्,
 न च परिवावं परस्य जल्पति, न चापि दोषान् परस्य गृह्णाति. परव्यप-
 देशेनापि न किञ्चिद् गृह्णाति, न च विपरिणमयति कञ्चिज्जनम्, न चापि
 नाशयति दत्तसुकृतम्, दत्त्वा च न भवति परश्चास्तापिकः, संविभागीशैलः
 संग्रहोपग्रहकुशलः स ताहश आराधयति व्रतमिदम् ।

पदान्वयार्थ—(सुखता !) सुन्दर व्रत वाले ! (बंभू) हे जम्बू ! (ततियं) तीसरा (वत्समणुष्णायसंबरो नाम) वत्स-विषे हुए अन्नादि तथा अनुज्ञात-आज्ञा विषे हुए पीठ-कलकादि इस प्रकार 'वत्सानुज्ञात' नामक संबरद्वार (होति) है, यह, (महव्यवंतं) महान् व्रत है, (गुणव्यवंतं) गुणों-इहलौकिक-पारलौकिक उपकारों-का कारणभूत व्रत है, (परद्व्यव्यहरणपडिविरइकरणजुत्तं) जो पराये द्व्य-पदार्थ के हरण से निवृत्तिरूप किया से युक्त है, (अपरिमियमणंततव्हाणुगयमहिच्छमणव्यणकलुस-आयाणसुनिग्गहियं) जिसमें असीम, अनन्त तृष्णा से युक्त तथा बड़ी-बड़ी इच्छाओं वाले मन और वचन से पापजनक परद्व्य के ग्रहण का भलीभांति निग्रह किया गया है। (सुसंजमियमण-हत्थ-पायनिभियं) जिसमें सयमित मन द्वारा परद्व्य ग्रहण करने में प्रवृत्त हुए हाथ-पैर को रोक लिया गया है। (निग्गंथं) जो बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से रहित है, (णेट्ठकं) समस्त धर्मों की चरमसीमा तक पहुंचा दिया है, (निरत्तं) तीर्थकरों से बर्जित, (निरासवं) कर्मागमनरहित, (निग्गमयं) निर्भय (विमुत्तं) लोभरहित, (उत्तमनरवसमपवरबलवगसुविहितजणसम्मत्तं) जो सर्वोत्तम मनुष्य, अत्यन्त बलवान् तथा शास्त्रोक्त विधि से आचरण करने वाले साधुजनों द्वारा सम्मत है, (परम साधु-धम्मचरणं) जो उत्कृष्ट साधुओं का धर्माचरण है, (य) और (जत्थ) जिसमें (गामागर-नगरनिगमवेडकव्वडमडंबवोणमुहसंवाहपट्टणासमगयं च) गांव, स्नान, नगर, बणिज्जनों का व्यवसायिक स्थान—मड़ी, धूल के कोट वाले नगर, कंबट-कस्बे, चारों तरफ डार्ड-डार्ड कोस तक कोई बस्ती न हो, ऐसे गांव या नगर, समुद्र के किनारे का शहर-बंदरगाह, बुगं, (महानगर) पट्टन और आश्रम में पड़ी हुई (मणिमुत्तमित्तप्यवालकस-सूसरययवरकणगरयणमादि) मणि, मोती, शिला, मूंगा, कांसा, द्रव्य-वस्त्र, चांदी, सुन्दर सोना, रत्न आदि, (किच्चि दव्व) कोई भी वस्तु (पडियं) गिरी हुई, (पण्डुट्ठ) भूली हुई, (क्वियणट्ठ) खोई हुई हो, उसे (कत्सइ) किसी को (कहेउ) कहना अथवा (भेण्हउ) स्वयं उठा लेना (न कप्पइ) उचित नहीं है। संयमी (आहिरम्मसुवन्निकेण) चांदी और सोने का त्यागी, (समलेट्टुकांजणेण) पत्थर और सोने को समान समझने वाला, (अपरिग्गहसंबुडेण) धनादि परिग्रह से रहित तथा इन्द्रियों के संयमसहित, (सोपंमि) इस लोक में (विहरियण्ठं) विचरण करे। (य) तथा (जंपि) जो भी (खलगतं) खलिहान में पड़ा हुआ हो, (खेत्तगतं) खेत में पड़ा हुआ हो, (दव्वजातं) कोई द्रव्य हो, (वा) अथवा (रत्तमंतरगतं) जंगल के बीच में पड़ी हुई, (पुप्फकलत्तय-प्पवालकंबमूसत्तयकट्टसक्करादि) फूल, फल, छाल, कोंपल, कंबूमूल, तिनका, लकड़ी या कंकड़-पत्थर आदि (किच्चि) कुछ भी वस्तु (अप्यं च) पौड़ी और अथवा (बहुं)

बहुत, (ब) अथवा, (अणु) छोटी, (बा) अथवा, (बलन) मोटी हो, (उग्राह्मि) अधिष्ठांमि) यथोचित आशा के लिए बिना, (गिहृज) ग्रहण करना, (जे) थोड़ा-सा भी (न कल्पेइ) योग्य नहीं है। (हृणिहृणि) प्रतिदिन साधु को (उग्राह्मि) उपाश्रय में रहने वाली वस्तु (अणुन्नविद्यं) आज्ञा प्राप्त करके, (गिहृयध्वं) ग्रहण करना चाहिए। सध्वकालं) सदा, (अधियतघरप्यवेतो) अप्रीति रखने वाले के घर में प्रवेश, (अधियतं भत्तापाणं) अप्रीति रखने वाले का अन्नपानी (अधियतपीठफलन-सेज्जासंघारकवत्थपत्तकंबल-बंधग-रयहरण-नितेज्ज-धीलपट्टममुहपोत्तियपायपुंछणाइ - भायणभंडोवहृजवकरणं) अप्रीति रखने वाले के वस्त्र, चौकी, पट्टा, शय्या, संस्तारक-बिछौना, वस्त्र, पात्र, कबल, बंड, रजोहरण, आसन, धोलपट्टा, मुखवस्त्रिका, पंर पोंछने का वस्त्रखण्ड आदि धर्मोपकरणरूप सामग्री (परपरिवाजो) दूसरे की निम्वा (परस्स दोसो) दूसरों के दोषों का प्रकट करना, (परबवएत्थेण) आचार्य, रोगी आदि के बहाने से, (जं) जो वस्तु (गिहृइ) ग्रहण की जाती है, (च) तथा (परस्स) दूसरे की (ज) जो वस्तु का (सुकयं) सुकृत्य या उपकार का काम, (नासेइ) नाश करता है, (य) तथा (वाणस्स) दान में, (अंतराइयं) विघ्न डालना, (वाणविप्यणासो) दान का अपलाप करना (ब) तथा (पेसुभ्रं वेव) चुगली करना और (मच्छरित्तं) भास्सयं-डाह-ईर्ष्या इन सबका (बज्जेयध्वो) त्याग करना—छोड़ना चाहिए। (जे वि य) जो भी (पीठफलनसेज्जा - संघारगवत्थपायकबलमुहपोत्तिय - पायपोंछणादि भायण-भंडोवहृजवकरणं) चौकी, पट्टा, शय्या, बिछौना, वस्त्र, पात्र, मुखवस्त्रिका और पंर पोछने का टुकड़ा आदि पात्र, बर्तन, कंबल तथा वस्त्रादि सामग्री और आहार में (असविभागी) ठीक वितरण न करने वाला (असंगह्वई) गच्छ की उपकारक प्राप्त वस्तुओं का संग्रह नहीं करने वाला, (तवतेणे) तप का चोर, (य) तथा, (बइतेणे) बाणी का चोर, (रुवतेणे) रुप का चोर (वेव) और (आयारे) आचार और (भावतेणे य) भावों का चोर है। (सहकरे) रात्रि को उच्छ्वस्वर से स्वाध्याय, आदि करने वाला, (झझकरे) फूट डालने वाला, (कलहकरे) झगड़ा करने वाला, (वेरकरे) बंदभाव बढ़ाने वाला, (बिकहकरे) बिकबा करने वाला, (असमाहिकरे) अमान्ति पैदा करने वाला, (सया अप्यमाणभोई) हुनेसा प्रमाण से अधिक भोजन करने वाला, (सततं अणुबइधेरे) लगातार निरन्तर बंर बांधे रखने वाला, (य) और (तिग्बरोसी) तीव्र क्रोध करने वाला, (तारिसए) इस प्रकार का, (से) वह मनुष्य (इधं) इस, (बयं) बत की (नाराहए) आराधना नहीं कर सकता।

(अह पुणाइं) तो फिर, (केरिसए) कौन-सा मनुष्य, (इधं) इस, (बयं) बत की, (आराहए ?) आराधना-साधना कर सकता है ? (से) वह मनुष्य, (जे) जो, (उबहि-

भस्त्रपात्रसंगहणदाणकुसले) वस्त्रपात्र आदि धर्मोपकरण, भोजन व पेय पदार्थ आदि का संग्रह करने और परस्पर बाँटने में कुशल है ; और (अच्यंतबाल-बुद्धल-गिलाण-बुद्ध-खमके) अत्यन्त बालक, दुर्बल, चिरकाल के रोगी, वृद्ध तथा मासलपण-मासिक उपवास-आदि विकट तप करने वाले तपस्वी साधु की तथा (पवसि-आयरिय-उबज्जाए) प्रवर्त्तक, आचार्य और उपाध्याय की (सेहे) नवरीभित साधु की, (य) तथा (साहम्मिके) साधर्मो साधु की, (तवस्ती-कुल-गण-संघ-वेइयट्ठे) तपस्वी, आचार्यकुल—आचार्य के शिष्य-प्रशिष्य का समुदाय, गण-गच्छ एवं संघ—चतुर्विध संघ का चंत्यार्थी—चित्त की प्रसन्नता के प्रयोजन से सेवा करने वाला, (निजरट्टी) कर्मलय करने का अभिलाषी, (अणि-स्सियं) दस कीर्ति, सत्ता, धन आदि किसी वस्तु की कामना किये बिना किसी पर निर्भर रहे बिना (वसाविहं) इस प्रकार की, (वेयावच्चं) सेवा-व्यावृत्त्य, बहुविह) अनेक प्रकार से, (करेइ) करता है, (व) तथा (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले के, (गिहं) घर में, (न पविसइ) प्रवेश नहीं करता (य) और (न) नहीं, (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले का, (भत्तपाण) आहार-पानी, (गेष्हइ) ग्रहण करता है, (य) तथा, (अचियत्तस्स) अप्रीति रखने वाले गृहस्थ के, (पीड-फलग-सेक्जा-संधारग-वत्थ-पाय-कंबल-डंडग-रयहरण-निसेज्ज-खोलपट्टय-मुहपोत्तिय-यावपु'छणाइ-भायण-भंडोवहि-उवगरणं) चौकी, पट्टा, शय्या-मकान, तुषादि का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, डंड, रजोहरण, आसन, खोलपट्टा, मुसबस्त्रिका, और पंर पोंछने के कपड़े आदि सामग्री, मिट्टी आदि के भाजन, पात्रादि भांड, वस्त्र मकान आदि उपधिरूप धर्मोपकरणों का (न सेवइ) सेवन नहीं करता । (य, इसी प्रकार (परस्स) दूसरे की (परिवायं) निन्दा रूप-अवगुणरूप वचन या चापलूसी के वचन (न जपति) नहीं बोलता । (य) और (परस्स बोसे वि) दूसरों के दोषों को भी (न गेष्हइ) ग्रहण नहीं करता—बेखता-दु'इता नहीं फिरता । (परववएत्तेण वि) वृद्ध, रोगी, चिररोगी, आचार्य आदि के कहाने से—दूसरों का नाम लेकर या दूसरों की ओट में, (न किचि गेष्हइ) कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करता—नहीं लेता । (न य) और न ही (किचि-ज्जं) किसी व्यक्ति का चित्त (विपरिज्जातेति) दानादि धर्म से विमुक्त करता है—यानी धर्माचरण के परिणामों से डिगाता है, (य' तथा (न वि) न ही (विज्जमुक्यं) किसी के द्वारा दिये गए दान या किये गए मुक्त-पुण्यकार्य का (जालेति) अपलाप-छन्दन करके नाश नहीं करता । (य) एवं (वाळ्ण) वैयावृत्यादि द्वारा योगदान करके भी (पण्ठाताविए) परचास्ताप करने वाला (न होइ) नहीं होता । और (संविभागसीले) उपधि आदि १२ प्रकार की सामग्री का साधर्मियों को द्योचित्त सम्यक् विभाजन करने के स्वभाव वाला, (संगहोवग्गहकुसले) गच्छ के लिए वस्तुओं या शिष्यादि का

संग्रह करने में तथा भोजन-अध्ययन आदि अवसम्बन्धों से उनका उपकार करने में कुशल (तारिसए) इसी प्रकार का (से) वह योग्य साधक (इमं बवं) इस व्रत का (आराहते) आराधन-सेवन कर सकता है।

भूलार्थ—श्री गणधर सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य श्री जम्बू स्वामो को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—'हे उत्तमव्रत के धारक जम्बू ! तीसरा दत्तानुज्ञात नामक संवरद्वार है। यह महाव्रतरूप है, अनेक गुणों का कारणभूत व्रत है, दूसरों के द्रव्य-पदार्थ का हरण - बिना दिये ग्रहण करने - उडा लेने के त्यागरूप क्रिया से युक्त है, असोम तथा अनन्त तृष्णा के पीछे-पीछे चलने वाली मन की बड़ी-बड़ी इच्छाओं से कलुषित-दूषित मन और वचन से दूसरो की चीज को बुरे इरादे से ग्रहण करने का इससे भलीभाँति निग्रह-नियंत्रण हो जाता है। इस संवर द्वारा मन को भलीभाँति काबू में—अंकुश में किए जाने से हाथ-पैर परधनहरण करने, हड़पने आदि अकार्यों से रुक कर निश्चल हो जाते हैं। यह संवर धनादि बाह्य परिग्रह एवं ममत्त्व कषाय आदि अन्तरंग परिग्रह की गांठ से रहित है। यह समस्त धर्मों की पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ है अथवा अहिंसादि सब धर्मों में निष्ठा जमाने वाला है, सर्वज्ञदेव ने उपादेयरूप से इसका निरूपण किया है। यह आते हुए कर्मों को रोकने वाला है, राजादि का भय इसमें नहीं होता, यह लोभ-दोष से मुक्त है। सर्वोत्तम मनुष्यों, अत्यन्त बलशाली पुरुषों एवं शास्त्रोक्त विधिपूर्वक आचरण करने वाले साधुओं द्वारा यह सम्मत है, या सम्मानित है, उत्कृष्ट मुनिजनो का यह धर्माचरण है।

इस (अचौर्य संवरव्रत) में गांव, खान, शहर, व्यापारी मंडी, धूल के कोटवाली बस्ती, कस्बे, चारों ओर ढाई-ढाई कोस तक बस्ती से शून्य नगर या गांव, बंदरगाह, दुर्ग, महानगर (पट्टन) और आश्रम में पड़ी हुई मणि, मोती, शिला, मूंगा, कांसा, वस्त्र, चाँदी, सोना और रत्न आदि कोई वस्तु गिरी हुई, भूली हुई या खोई गई हो, उसे किसी असंयमी को बताना या बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है, इस लिहाज से उसे स्वयं उठा लेना साधु के तृतीय महाव्रत की दृष्टि से उचित नहीं है। संयमी साधु के पास सोना-चाँदी नहीं होता है, इसलिए वह पत्थर और सोने को समान समझते हुए तथा अपरिग्रही होने से अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रखते हुए लोक में विचरण करे। संयमी के लिए खलिहान में पड़े हुए, खेत में

पड़े हुए किसी द्रव्य का तथा जंगल में रहे हुए फूल, फल, छाल, कोमल पत्ते, कद, मूल, तिनका, लकड़ी तथा कंकर-पत्थर आदि किसी भी वस्तु का चाहे वह थोड़ी हो या ज्यादा, छोटी हो या बड़ी, किसी भी स्थान पर हो बिना दिये या उसके स्वामी की आज्ञा लिये बिना ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है।

अचौर्य महाव्रती साधु को उपाश्रय—धर्मस्थान में रही हुई वस्तु का ग्रहण या उपयोग भी वहाँ के स्वामी या अधिकारी की प्रतिदिन आज्ञा लिए बिना नहीं करना चाहिए। साधुओं के प्रति अप्रीति रखने वाले घर में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। अप्रीति रखने वाले के यहाँ से आहार-पानी या अप्रीतिकारी की चौकी, पट्टा, शय्या-उपाश्रय या धर्मस्थान, तृणादि का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, दंड, रजोहरण, आसन, चोलपट्टा, मुख-वस्त्रिका, पैर पोछने का कपड़ा आदि भाजन-भांड-उपधिरूप धर्मोपकरण-सामग्री लेना भी योग्य नहीं है। जो साधु दूसरो की निन्दा करता है या दूसरो के सामने मिथ्या डींगें हांकता है, दूसरे के दोष देखता है या दोषों की चर्चा करता रहता है, आचार्य, चिररोगी, वृद्ध आदि दूसरे माधुओं के बहाने से या दूसरे साधुओं को ओट में जो साधु मनोज्ञ वस्तु खुद ले लेता है, या परस्पर सम्बन्ध का नाश करा देता है, कोई सुकृत दूसरे ने किया है, उसका अपलाप करके जो साधु उसे नष्ट करा देता है, दान देने में अन्तराय डालता है तथा दान का अपलाप करके या उसका निषेध करके उसका लोप करता है, दूसरे को चुगली खाता है, डाह से जलता रहता है और जो चौकी, पट्टा, शय्या, बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, मुखवस्त्रिका, पादप्रोक्षण आदि धर्मोपकरण सामग्री का साधुओं को यथोचित विभाजन नहीं करता है, जो गच्छ के लिए उपकारक के रूप में प्राप्त वस्तुओं का संग्रह करने में कुशल नहीं है, जो तपस्या का चोर है, वचन का चोर है, रूप का चोर है तथा आचार का चोर है और भाव का चोर है, जो रात को जोर-जोर से चिल्लाता है अथवा गृहस्थों की-सी भाषा बोलता है, सध या व्यक्तियों में आपस में फूट डाल देता है, कलह करता है, वैर-विरोध करता है या वैर पैदा करने वाला उपदेश देता है, जो स्त्री आदि की चटपटी कामोत्तेजक विकथाएं करता है, चित्त में असमाधि-उद्वेग पैदा करता है या

स्वयं कर लेता है, जो मदा प्रमाण से अधिक भोजन करता है, जो परम्परागत वैरभाव निरन्तर बनाये रखता है, तीव्र क्रोधो है, ऐसा जो साधु है, वह इस अचौर्यव्रत का आराधक नहीं है। यानी ऐसा साधक इस अचौर्यव्रत का आराधन-पालन नहीं कर सकता।

तब फिर कौन-सा साधक इस व्रत की आराधना कर सकता है? वही साधु, इस व्रत की आराधना कर सकता है, जो वस्त्र-पात्र आदि उपकरण और भोजन-पान आदि का संग्रह करने और उन्हें यथोचितरूप से साधुओं को बांटने में कुशल है। अत्यन्त बालक, दुर्बल, चिररोगी, वृद्ध एवं मासक्षयण आदि घोर तपश्चरण करने वाले तपस्वी की, प्रवर्तक, आचार्य और उपाध्याय की, नवदीक्षित साधु की, साधुओं की तथा तपस्वी, आचार्यकुल, वृद्ध साधु का शिष्य परम्परा के माधु-साध्वीगण, संघ (साधु-साध्वी ध्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघ) की चित्त की प्रसन्नता के लिए कर्मों की निर्जरा का अभिलाषी जो साधु यश आदि की कामना से रहित होकर दस प्रकार की सेवा-वैयावृत्य अनेक प्रकार से करता है, तथा अप्रीति रखने वाले घर में प्रवेश नहीं करता, तथा अप्रीति रखने वाले की चौकी, पट्टा, मकान, तृणादि का बिछौना, वस्त्र, पात्र, कंबल, डंड, रजो-हरण, आमन, चोलपट्टा, मुखवस्त्रिका, पैर पोछने का कपड़ा आदि विविध उपकरण सामग्री का सेवन-उपभोग नहीं करता, जो दूसरे की निन्दा के वचन या अपनी मिथ्या प्रशंसा के वचन नहीं बोलता, जो दूसरे के दोष नहीं देखता या नहीं प्रगट करता, जो आचार्य, रोगी, वृद्ध आदि दूसरे साधुओं के बहाने से (नाम ले कर) कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, किसी को धर्मभावना से विमुक्त नहीं करता, किसी के द्वारा दिये गये दान या किये गए सुकृत का अपलाप करके जो उसका नाश नहीं करता, बल्कि दूसरे के गुणों को तथा दान-धर्म आदि सुकृत्य के गुणों को प्रगट करता है, अपने द्वारा किये गए उपकार-सेवा आदि के रूप में दिये गए योगदान का पश्चात्ताप नहीं करता, तथा जो साधुओं को आहारादि वस्तुओं का यथोचित सविभाग करने के स्वभाव का है, जो गच्छ के लिए उपकारी वस्तुओं का या शिष्यों का संग्रह करने तथा उन्हें भोजन-वस्त्र या अध्ययन आदि उपकार से संतुष्ट करने में दक्ष है, ऐसा साधु ही इस अचौर्य महाव्रत का आराधक हो सकता है।

व्याख्या

सातवें अध्ययन में सत्यसवरद्वार का वर्णन कर चुकने के पश्चात् अब आठवें अध्ययन के प्रारम्भ में अचौर्यसवरद्वार का स्वरूप, अचौर्य के पालनकर्ताओं एवं पूर्ण आराध्यकों को मन, वचन और काया से भी चौर्यवृत्ति से कैसे निवृत्त होना चाहिए ? अचौर्यसवर के पूर्ण साधक को मौका आने पर किसी भी वस्तु के लेने की इच्छा होने पर हाथ और पैरों का कैसे सयम में रखना चाहिए ? इन और ऐसे ही विभिन्न पहलुओं से अचौर्यसवर पर विशद वर्णन शास्त्रकार ने किया है। यद्यपि मूलार्थ और पदान्वयार्थ से इस सूत्रपाठ का अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कतिपय स्थलों पर शास्त्रकार का आशय स्पष्ट करना आवश्यक समझ कर नीचे उन स्थलों पर हम विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

अचौर्य के विभिन्न पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ—अचौर्य शब्द के इसके अलावा तीन और पर्यायवाचक नाम मिलते हैं— (१) अदत्तादानविरमण, (२) अस्तेय या अस्तेनक, (३) दत्तानुज्ञात ।

अचौर्य—का अर्थ सामान्यतया चोरी न करना ही होता है, परन्तु यह तो इसका स्थूलरूप से अर्थ है। क्योंकि ऐसी चोरी, जिसमें पकड़े जाने पर चोरी करने वाला सरकार द्वारा दण्डित होता है, जनता में निन्दित होता है, उसका त्याग तो गृहस्थ ध्रावक क्या, मार्गानुसारी भी करता है। सात कुर्व्यसनों के त्याग में चोरी करने का त्याग तो आ ही जाता है। इसलिए पंचमहाश्रुती माधु के लिए जब अचौर्य-महाव्रत का विधान है तो ब्रह्म प्रसंगवशात् उमका अर्थ इस प्रकार हो जाता है—मन, वचन, काया से चोरी करना नहीं, चोरी कराना नहीं और चोरी करने वाले का अनुमोदन न करना। मन से चोरी तब होती है, जब साधक अपने मन के भावों को छिपाता है, अथवा दूसरे के विचारों पर अपनी छाप लगा देता है कि ये विचार सर्वप्रथम मेरे मन में स्फुरित हुए थे। अथवा मन में भी वीतराग देवाधिदेव शासन-पति तीर्थंकर महावीर या गुरुदेव की सर्वहितकारी आज्ञा के विपरीत चलने की भावना प्रस्फुटित हुई हो या मन में किसी वस्तु को अपनी बनाने का भावना पैदा हुई हो। मन से कृत की तरह कारित और अनुमोदित चोरी का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। वचन से चोरी तब होती है—जब वचन से किसी भाव को प्रगट न करके छिपाया जाता है, या दूसरे के गुणों या अच्छाइयों को छिपाया जाता है, केवल दूसरे के दोष ही प्रगट किये जाते हैं, अथवा किसी से पूछने पर वचन से धुमा-फिरा कर इस प्रकार बोलना, जिससे असत्य भी न प्रगट हो और असली बात को भी छिपा लिया जाय। जैसे किसी के यह पूछने पर कि 'क्या आप ही भासक्षपणक तपस्वी

हैं ?' चट से उत्तर में इस प्रकार कहे कि 'साधु तो क्षणिक तपस्वी ही होते हैं।' इसी प्रकार वचन से उच्च आचारी या क्रियासिद्धि होने के बारे में किसी से पूछे जाने पर गोलमोल जवाब दे, जिससे असत्य भी साबित न हो और असली बात भी छिपा ली जाय, तो वहाँ भी वचनचौर्य है। इसी प्रकार वचन से दान, शील, तप आदि बर्णों या सुकृत्यों के बारे में निषेध करे, खण्डन करे, या 'इनमें क्या रखा है ?' इस प्रकार से उपेक्षापूर्वक बोलें, या सिद्धान्त के विपरीत जानबूझ कर किसी बात की प्ररूपणा करे। यह सब शासनाधीन भगवान महावीर के सिद्धान्तों का अपसाप होने से वाक्-चोरी माना जाता है। कृत और कारित वाक्चोरी तो स्पष्ट ही है। कायिक चोरी तो ससार में प्रसिद्ध है। किसी की गिरी हुई, विस्मृत या छोड़ी हुई या कही रखी हुई वस्तु को अपने कब्जे में करना अपने अधिकार की बताना, या अपने उपयोग में ले लेना, दूसरों के लिखे हुए लेख-कविता या ग्रन्थ आदि तथा दूसरों के किये हुए कार्य या उपकार पर अपने नाम की छाप लगाना, किसी के द्वारा किये गए उपकार को भूल जाना, उसका नाम छिपाना भी कायिक चोरी ही है।

इस प्रकार मन, वचन और काया से चोरी का संबंधा त्याग करना अचौर्य है।

अदत्तादान विरमण का अर्थ भी यही है कि किसी के अधिकार या स्वामित्व की चीज को उसके द्वारा स्वयं दिये बिना, स्वीकृति या अनुमति दिये बिना ग्रहण कर लेना या अपने उपयोग में ले लेना, अथवा अपने अधिकार या कब्जे में कर लेना, अदत्तादान है और ऐसे अदत्तादान से मन, वचन, काया से विरत होना अदत्तादान विरमण है। शास्त्र में ऐसे अदत्त मुख्यतया ५ (पाँच) बताए हैं—देव-अदत्त, गुरु-अदत्त, राज-अदत्त, गृहपति-अदत्त, और सहधर्मी-अदत्त। देव से यहाँ देवाधिदेव अर्थ विवक्षित है। देवाधिदेव तीर्थकरों की ओर से साधु के लिए ऐसा विधान है कि मिट्टी, ककर, पत्थर, तिनका आदि चीजें जंगल में पड़ी हों; शौच या पेसाब-परिष्ठापन के लिए किसी की मालिकी से अज्ञात भूमि हो; उक्त चीजों की साधुसाध्वी को जरूरत हो तो वहाँ शक्रेन्द्र देव की आज्ञा लेकर उसका ग्रहण या उपयोग करना चाहिए। किसी के मकान में साधु को निवास करना हो या कहीं बैठ कर उस जगह का, या उस जगह में पड़े हुए पट्टे, चौकी आदि साधु के योग्य चीजों का उसे उपयोग करना हो तो उसके मालिक की या मालिक ने जिसे बहु जगह संभालने या देख रख करने के लिए सौंप रखी हो, उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण देवअदत्त है।

गुरु-अदत्त से मतलब है, गुरु के दिये बिना या गुरु ने जिस चीज की मनाही

कर रखी हो, उसके बारे में उनकी अनुमति लिए बिना उस चीज का ग्रहण या सेवन करना ।

जिस राष्ट्र में साधु विचरण कर रहा है, या वहाँ से नये किसी राष्ट्र में विचरण करना चाहता है, तो वहाँ की सरकार या शासक की सहमति के बगैर विचरण करना राजा-अदत्त है । गृहपति-अदत्त का अर्थ तो स्पष्ट ही है । सहधर्मी अदत्त भी स्पष्ट है कि जो अपने समानधर्मी साधु हो, उनकी भी किसी चीज को अपने उपयोग या सेवन के लिए अनुमति के बगैर ले लेना या सेवन करना । किसी साधु के शिष्य को बहका कर उसकी अनुमति या सहमति के बगैर अपना शिष्य बना लेना भी सहधर्मी अदत्त है ।

मतलब यह है कि इन सब प्रकार के अदत्तो से मन-वचन-काया मे कृत, कारित अनुमोदनरूप से सर्वथा विरत होना अदत्ता-दान विरमण है ।

यद्यपि दत्तानुज्ञात मे, अदत्तादान विरमण के सभी अर्थ समाविष्ट हो जाते है । तथापि यहाँ मूलपाठ मे 'दत्तानुज्ञात' शब्द ही प्रयुक्त किया है, इसलिए इसमे कुछ विशेष अर्थ शास्त्रकार ने ध्वनित किया है । इसमे दो शब्द है—दत्त और अनुज्ञात । दत्त शब्द मे गृहस्थ के द्वारा भक्तिभावपूर्वक दिये गए उन पदार्थों का समावेश हो जाता है, जिनका सेवन या उपभोग एक ही बार किया जा सके, जैसे—रोटी, साग, मिठाई, दूध-दही, घी आदि । और अनुज्ञात शब्द उन पदार्थों के लिए ग्रहण किया गया है, जिनका उपयोग बार-बार किया जा सकता है, ऐसी चीजों के उपयोग करने की गृहस्थ द्वारा भक्तिपूर्वक अनुज्ञा या अनुमति दी गई हो, जैसे—पट्टा, चौकी, मकान आदि । मतलब यह है कि दाता के द्वारा दत्त और अनुज्ञात साधु जीवन के योग्य पदार्थों का ग्रहण या सेवन करना दत्तानुज्ञात सवर कहा जाता है । इसी अर्थ को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है—'अथ य गामागरनगर 'पद्भियं पद्भुदठं विष्पणदठं न कप्पति कस्सइ कहेव' वा ... जंपि य दध्वजारां न कप्पति उग्गहंमि अविष्णंमि सिण्हिद' जे ... अणुप्रविद्य गेण्हियं' ।' इन सब पक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है ।

अस्तेय और अस्तेनक के अर्थ भी अचौर्य के समान ही हैं ।

अप्रीति रखने वाले से ग्रहण का निषेध क्यों ?—पहले यह बताया गया है कि साधु दत्त और अनुज्ञात वस्तुओं का ही ग्रहण या सेवन करे ; लेकिन आगे शास्त्रकार कहते हैं कि अप्रीति रखने वाले से तो दत्त और अनुज्ञात पदार्थ भी न ले और न उपभोग करे । प्रश्न होता है, ऐसा विधान क्यों ? इसका समाधान यह है कि साधु प्रीति और अट्टा से दिये हुए स्त्रे-सूत्रे आहारादि को ही सर्वोत्तम मानते हैं । अवज्ञा और अप्रीति-पूर्वक दिये गए मिष्टान्न, दुग्धादि को तुच्छातितुच्छ समझते हैं ।

इसलिए अप्रीतिपूर्वक देना वास्तव में देना नहीं है, फँकना है। अगर अप्रीतिवाला दाता क्षमाशर्मा या किसी के दबाव से दे भी दे, पर बाद में निन्दा करने या कभी कोई झूठा इलजाम किसी साधु पर लगा देने अथवा साम्प्रदायिक द्वेषवश अमर्थों को जहर मिलाकर भोजन देने आदि की भी सभावना है। इससे धर्म की अपभ्रान्तता होने या साधु के पथभ्रष्ट होने की भी सभावना है। चौकी, पट्टे, भकान आदि किसी गाँव में प्रेमपूर्वक किसी के द्वारा न मिलने पर साधु को कुछ शारीरिक कष्ट जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन अप्रीति रखने वाले गृहस्थ के पास जाकर याचना करने से तो साधु की खुद की आत्मा में ग्लानि पैदा होगी; दीनभाषना पैदा होगी। आत्मा का भी पतन होने की सभावना है। इसी उद्देश्य को लेकर शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं—
 'ब्रह्मेयम्बो सम्बकालं अचियत्तघरपथेसो अचियत्तमत्तपाचं ... न य अचियत्तस्स गिहं पथिसइ, न य अचियत्तस्स गेण्हई ... न य अचियत्तस्स सेवई ... उबगरचं।' इसका अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

अचौर्यव्रत का माहात्म्य—अचौर्यव्रत इतना महान् है कि इसे जीवनव्यवहार में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इसका प्रभाव साधक जीवन के सभी व्यवहारों, आदतों, वृत्तियों और संस्कारों पर पड़े बिना नहीं रहता। साथ ही मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों पर भी इस व्रत का प्रभाव पड़ता है। सर्वक्षेत्र-स्पर्शी होने के अतिरिक्त यह सर्वप्राणिव्यापी और सार्वभौम होने से बहुत ही व्यापक है। इसी कारण इसे 'माहात्म्य' कहा है। साथ ही इहलौकिक और पारलौकिक गुणों में कारणभूत होने से इसे गुणव्रत भी बताया गया है। साथ ही यह व्रत सभी धर्मों के साथ सम्बद्ध होने से उनकी पराकाष्ठा तक को यह स्पर्श करता है। क्योंकि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी तभी भलीभाँति पालन होगा, जब साधु के जीवन में मन-वचन-काया से अचौर्यवृत्ति आ जाएगी, इसलिए इसे 'नेष्टकव्रत' भी कहा है। निराश्रय तो इसलिए है, कि जब अचौर्य का पालन होगा तो कर्मों के आगमन के मूल कारण अवरुद्ध हो जायेंगे। निर्वन्धता का यह साकाररूप है। क्योंकि साधक के मन में उठने वाली असीम इच्छाएँ और अनन्त तृष्णाएँ मन और वचन दोनों को क्लृप्त बना देती हैं, और हाथ-पैरों को भी मनोबाधित पदार्थों को लेने के लिए बिभ्रु बना देती हैं। परन्तु जब साधु के जीवन में अचौर्य महाव्रत आ जाता है, तो उसकी असीम तृष्णाओं के पीछे-पीछे चलने वाली इच्छाओं का निग्रह हो जाता है, हाथ-पैर भी नियंत्रित और शान्त हो जाते हैं, मन और वचन भी शान्त होकर एकमात्र आत्मशान्ति और संतोष के साम्राज्य में अस्लीन हो जाता है। मनुष्य की इच्छाएँ जब बढ़ जाती हैं और वे तृष्णा का रूप ले लेती हैं तो उसका चित्त चंचल हो जाता है और हाथ-पैर उस चीज को पाने के लिए सचेष्ट हो

उठते हैं। जब म्याय-नीतियुक्त तरीके से मनोज्ञ पदार्थ नहीं मिलता तो वह अर्नतिक उपाय अपनाता है उसी का नाम चोरी है। इसलिए इस महाव्रत को धारण करने पर तृष्णाओं और इच्छाओं पर रोक लग जाती है, मन, वचन, हाथ, पैर आदि सब नियंत्रित हो जाते हैं। तब स्वाभाविक है कि साधक बाह्य और आभ्यन्तर रूप से निर्ग्रन्थ बन जाता है। आत्मा जब परिग्रह के बंध से हलका हो जाता है, तब वह अपने चारित्र्य धर्म की चरमसीमा में स्थित हो जाता है। तब वह साधक परद्रव्यग्रहण से विमुक्त हो जाने से लोभमुक्त और राजा आदि के भय से भी मुक्त बन जाता है। इसी बात की सामी शास्त्रकार देते हैं—“महृष्यां गुणव्यासं परब्रह्म विमुक्तः।”

कुछ शंकाएँ और उनका समाधान—यह ठीक है कि बिना दिया हुआ या दूसरे के स्वामित्व का पदार्थ उसकी इच्छा, अनुमति या आज्ञा के बिना लेने या उसका उपभोग करने से चोरी का दोष लगता है, किन्तु दूसरों की निन्दा करने से, दूसरों के दोष प्रगट करने से, चुगली खाने से, ईर्ष्या करने से या दान में अन्तराय डालने या दान या सुकृत का अपलाप करने से कैसे चोरी का दोष लग जाता है ?

इन सबका समाधान वृत्तिकार निम्नोक्त गाथा द्वारा करते हैं—

‘सामी जीवावसां तिस्थयरेषं तद्देव य गुर्वहितः’

अर्थात्—‘जो वस्तु उसके स्वामी से प्राप्त नहीं हुई है तथा जिसकी आज्ञा तीर्थंकरों ने और गुरुओं ने नहीं दी है, उनका उपयोग करना चोरी है।’

किसी की निन्दा करना, किसी के दोष देखना या प्रगट करना, चुगली खाना, ईर्ष्या-झाह करना या दान में अन्तराय डालना या भगवत्प्ररूपित सिद्धान्तों का अपलाप करना तथा तीर्थंकर भगवाद्-गुरु आदि की आज्ञा या अनुमति के विपरीत आचरण करना, इन सबको चोरी कहा है। यह द्रव्यचोरी नहीं, भावचोरी है।

एक और पहलू से इस पर सोचा जाय तो यह प्रतीत हो जायगा कि वास्तव में ये बातें चोरी के अन्तर्गत हैं। चोरी का एक अर्थ दूसरे के अधिकारों का अपहरण करना भी होता है। यद्यपि दान में अन्तराय डालने वाले ने वर्तमान में किसी प्रकार का अपहरण नहीं किया, लेकिन भविष्य में जिसे वह वस्तु मिलने वाली थी, उसके अधिकार का अपहरण तो करता ही है। चूँकि साधु चोरी करने, कराने तथा अनुमोदन करने का सर्वथा त्याग करता है। इस दृष्टि से दान देते हुए को बहकाकर रोकने वाला साधु, भविष्य में जिसे दान मिलने वाला था, उसके अधिकार का अपहरण करने वाला होने से चोरी का भागी माना जाता है। अथवा दान सुपात्र को दान देकर स्वर्गादि के कारणभूत, जिस अपूर्व पुण्य को प्राप्त करने वाला था, उसके

अपहरण का कारण होने से चोरी का भागी होता है। इसी प्रकार धान का अपहारा करने वाला भी इस दान से दाता को प्राप्त होने वाले यश का अपहरण करता है।

निःस्वार्थ सेवा से अनायास अचौर्य की आराधना अचौर्यव्रत की आराधना करने वाले को अपनी उद्दाम इच्छाओं, आशाओं, स्पृहाओं या बचने में कुछ चाहने की वृत्ति को तिलाञ्जलि देनी पड़ती है। इस प्रकार की अचौर्य की आराधना सद्ब्रह्म, सरल और आनन्दपूर्वक हो जाती है। शास्त्रकार ने अचौर्य-आराधना को सरलतम बनाने के लिए वैयावृत्य—सेवा करने का उल्लेख किया है—“अच्छंत बाल-बुद्धल-गिलाब-बुद्ध ... निज्जरट्टी वेयावच्च अणिसियं बहुविहं वसविहं करेति।” इसका अर्थ स्पष्ट है। केवल कुछ पदों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।

प्रवृत्ति या प्रवर्ती—प्रवर्तक^१ उसे कहते हैं—जो संघ का हितैषी अनुभवी साधु हो। प्रवर्तक साधु साधुओं की योग्यता देखकर उन्हें तप, सयम और योग में प्रवृत्त करता है, और अयोग्य जान कर कुछ को तप आदि से निवृत्त करता है।

जो स्वयं व्रताचरण करते हैं, दूसरों से व्रत का आचरण करवाते हैं, संघ का संचालन, रक्षण आदि करने में जो समर्थ हैं तथा आगम के रहस्यज्ञ होते हैं, वे साधु-श्रेष्ठ आचार्य कहलाते हैं।

आगम के अर्थ का जो गुरुमुख से अध्ययन करते हैं, उसके असली रहस्य को समझते हैं, दूसरों को अध्ययन करवाते हैं, वे समाहितचित्त साधुरत्न उपाध्याय कहलाते हैं।

नवदीक्षित को शैक्ष, समान वेष और समान धर्मानुयायी को साधुर्मा, बेला-तेला आदि तथा आतापन योग आदि तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं। गच्छ के समुदाय को या एक आचार्य की शिष्य परम्परा को कुल कहते हैं। कुलसमूह को या वृद्ध साधुओं की शिष्य परम्परा को गण कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि निजरा—कर्मक्षय का कारण एव अपना कर्तव्य समझकर बदले में कीर्ति, पद या किसी वस्तु की आकांक्षा न रखकर आहार-पानी, वस्त्र-पात्र आदि तथा अन्य अनेक तरह से इन अलग-अलग कोटि के साधुओं की अम्लान भाव से सेवा करने वाला साधु अनायास ही अचौर्यव्रत की आराधना कर लेता है। क्योंकि अहनिष्ठ सेवा में रत रहने वाले साधु की अपनी स्वाहिमें या इच्छाएँ स्वतः ही कम हो जाती हैं।

१, 'तव सज्जमजोगेसु जो जोगो सत्थ तं पवसेइ।

असह च निवसेइ गणतत्तिलोपविस्सी उ ॥१॥'

प्रवर्ती या प्रवर्तक का लक्षण इस भाषा से स्पष्ट है।

अर्चोर्ष संघर का अनाराधक कौन व आराधक कौन ?—शास्त्रकार ने एक बात का स्पष्ट निर्देश किया है कि किस प्रकार का साधु अर्चोर्ष का सम्यक् आराधक हो सकता है ? और कौन इसका विराधक बनता है । वास्तव में आराधना-विराधना का दारोमदार वस्तु के ग्रहण करने या न करने पर निर्भर नहीं है । जहाँ साधक की दृष्टि और वृत्ति निर्लोभी और परोपकारी, पर-हितैषिणी, निःस्वार्थ सेवा एवं दूसरों को दान देने की बन जाती है, वहाँ व्यक्ति को अपने लिए नहीं, अपितु साधु-समूह के लिए संग्रह करना और साधुओं को यथोचित व भन्नी-भक्ति वितरित करना, दोष नहीं, गुण बन जाता है । वहीं अर्चोर्ष की आराधकता है । अर्चोर्ष वृत्ति वाला साधु अपने आपको सच और गुरु के चरणों में जब समर्पण कर देता है तो उसे अपने लिए खाने, पीने तथा वस्त्र-पात्र आदि चीजों की कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । वह आत्म-संतुष्ट, आत्मतृप्त और अलमस्त बन जाता है । और किसी प्रशंसा आदि के बदले की भावना के बिना निःस्वार्थ भाव से रोगी, वृद्ध, आचार्य आदि की विविध प्रकार से सेवा करता है । कोई वस्तु न मिले तो उसे प्राप्त करने की चिन्ता नहीं होती और मिल जाय तो उसे अधिकाधिक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती । उसका जीवन सहज-भाव में चलता रहता है । वह किसी चीज के न मिलने पर किसी दाता या अन्य साधक की निन्दा नहीं करता और मनोज्ञ वस्तु के मिल जाने पर अपने भाग्य का बखान नहीं करता । साथ ही उसकी निर्लोभता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने लिए किसी अप्रीतिकर घर से या व्यक्ति से आहार, पानी या वस्त्रपात्रादि उपकरणों की याचना करने नहीं जाता, न कभी आचार्य, उपाध्याय, ग्लान, चिररोगी आदि के नाम से या इनके बहाने से कोई भी वस्तु ग्रहण ही करता है, न किसी को दानादि धर्म के आचरणसे विमुख करता है, दान और सुकृत का अपलाप भी नहीं करता । न ही अपने सार्धमियों की सेवा आदि करने के बाद उसे कोई पश्चात्ताप होता है । उसे कभी अकेले अपने लिए किसी चीज को अलग रखने का कोई मोह नहीं होता । वह किसी भी चीज पर आसक्ति रख कर अपने लिए संग्रह नहीं करता । वह तो साधुओं में से जिग साधु को भी साधु-योग्य किसी चीज की जरूरत हो, उस साधु को उदारता पूर्वक दे देता है । उसके स्वभाव में ही अपने लिए संग्रह करना नहीं होता । वह यथोचित वस्तुओं का संग्रह करने एवं उपकार करने में कुशल होता है । यही अर्चोर्ष व्रत के आराधक की निशानी है । अर्चोर्ष व्रत की मस्ती उसके मन, चेहरे और शरीर पर झलकती रहती है ।

परन्तु अर्चोर्ष के अनाराधक में ठीक इससे उलटी वृत्ति और चेष्टा मिलती है । वह किसी साधु की सेवा किये बिना ही, आचार का सम्यक् पालन किये बिना ही, दीर्घ तपस्या किये बिना ही नाम सूटना चाहता है । उसके मन में यही भावना बनी रहती है कि आज कहाँ से, कौन-सी चीज लाऊँ ? वह तपस्या, आचार, वचन, रूप

और भाव का चौर बन जाता है। वेग बदल कर या अच्छे कपड़े पहिन कर, बन टन कर तथा वचन से लोगों को चकमे में डाल देता है। लोगों को क्रियाकाण्ड बता कर घूर्तता करता रहता है। जो लोग क्रिया-पूजक या वेधपूजक होते हैं, वे प्रभावित होकर उसे अच्छी-अच्छी खाने-पीने की चीजें दे देते हैं। वह अपने लिए तो अच्छी-अच्छी चीजें खूब बटोर कर ले आता है, लेकिन संघ के साधुओं के लिए जरूरत के अनुसार सग्रह करने और उन्हें बाँटने की उसकी रुचि नहीं होती। सबिभाग भी वह ठीक से नहीं करता। वह अपना बड़प्पन जमाने के लिए दूसरे साधुओं की अथवा दाताओं की निन्दा करता है। दूसरे साधुओं के दोष गृहस्थों के सामने प्रगट करके वह अपनी उत्कृष्टता का सिक्का जमा कर लोगों से अच्छी-अच्छी वस्तुएँ प्राप्त करना चाहता है। और जब इस प्रकार से अच्छी वस्तुएँ ज्यादा तादाद में नहीं मिलती तो वह रोगी, वृद्ध आचार्य, गुह या उपाध्याय आदि के नाम से अच्छी-अच्छी चीजें लाकर स्वयं उनका उपभोग या सेवन करता है। बल्कि कभी-कभी लोगों को वह दूसरों को दान देते देखता है, या किसी सत्कार्य या धर्म कार्य को करते देखता है तो ईर्ष्या या द्वेष के मारे दान की निन्दा करने लगता है, न देने को कहता है, दूसरों को दान देने में विघ्न डालता है। साथ ही वह ईर्ष्या से जल-भुन कर साधुओं की चुगली खाता है, डाह करता है, परनिन्दा का प्रकरण छेड़ देता है, अथवा दूसरों के गुणों को, उपकारों को ढक कर चुन-चुन कर उनके दोषों को ही प्रगट करता है। वह भी इसलिए कि मुझे ही गृहस्थों से बढ़िया चीजें मिला करें। इस प्रकार वह चिल्लाता बहुत है, अपनी ईर्ष्या हाँक कर शोर बहुत मचाता है, आपस में लड़ाने और फूट डालने का प्रयत्न करता है, ताकि दोनों में से किसी से तो कुछ मिल ही जाय ! न देने पर झगडा कर बैठता है, गृहस्थों से बैर बाँध लेता है, उन्हें स्त्री आदि की चटपटी बातें सुना कर विकषा किया करता है। ऐसे साधक का चित्त सदा असमाधि में रहता है। सग्रह वृत्ति या लोभ वृत्ति होने के कारण वह सदा प्रमाण से रहित भोजन करता है, लगातार दूसरों के साथ बैर बाँधे रहता है। तीव्र रोष में आग बबूला बन जाता है। ऐसे साधक में कोई संतोष, शान्ति, मस्ती या अलोभवृत्ति नहीं होती। इसी बात को शास्त्रकार मूलपाठ द्वारा सूचित करते हैं—“परिपरिबाओ ... तिब्बरोसी, से तारिसए नाराहए बयमिणं ... जे से उबहिमत्तसे तारिसते आराहते बयमिण ।” इनका अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं।

अचौर्य संवर को पाँच भावनाएँ

पूर्व सूत्रपाठ में शास्त्रकार अचौर्य व्रत का माहात्म्य, उसका स्वरूप एवं अचौर्य के विराधक-आराधक के सम्बन्ध में स्पष्ट निरूपण कर चुके हैं। अब अचौर्य संवर की चारों ओर से सुरक्षा के लिए साधक के मन-वचन-काया में बसे संस्कारों को बढभूल करने हेतु पाँच भावनाओं का निरूपण निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा करते हैं—

मूसपाठ

इमं च परदब्बहरणवेरमणपरिरक्खणट्टयाए पावयणं भगवया सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभावियं आगमेसिभद्दं सुद्धं नेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सत्तदुक्खपावाण विओवसमणं ।

तस्स इमा पंच भावणाओ ततियस्स होंति, परदब्बहरण-वेरमणपरिरक्खणट्टयाए । (१) पढमं देवकुल-सभप्पवा-SSवसह-रुक्खमूल-आराम- कंदरागर-गिरिगुहा - कम्मउज्जाण-जाणसाला-कुवितसाला-मंडव-मुन्धर-सुसाण-लेण-आवणे अन्नंमि य एव-मादियंमि दग-मट्टिय-बीज-हरित-तस- पाण- असंसत्ते अहाकडे फासुए विवित्ते पसत्थे उवस्सए होइ विहरियव्वं आहाकम्मबहुले य जे से आसित्त-संमज्जिओवलित्त - सोहिय-छायण-दूमण-लिपण-अणुलिपण-जलण-मंडचालणं अंतो बहि च असंजमो जत्थ वट्टई (वड्ढती) संजयाण अट्टा वज्जेयव्वो हु उवस्सओ से तारिसए सुत्तपडि(रि) कुट्टे । एवं विवित्तवासवसहिसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निच्चं अहिकरणकरण-कारावण (कारणा)-पाव-कम्मविरतो दत्तमणुन्नायओग्गहरूई । (२) बित्तीयं आरामुज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे जं किच्चि इक्कडं व कठिणगं च अंतुगं (जवगं) च परामेरकुच्चकुसडब्बपलालमूयगवल्लय-पुप्फल्लतय-प्पवालकंदमूलतणकट्टसक्करादी गेण्हइ सेज्जोवहिस्स अट्टा न कप्पए उग्गहे अदिन्नंमि गिण्हेठं जे हणि हणि उग्गहं अणुन्नविय गेण्हियव्वं । एवं उग्गहसमितिजोगेण भावितो भवति अनरप्पा निच्चं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमणुन्नायओग्गहरूई । (३) तत्तीयं पोढफलमसेज्जासंधारगट्टयाए रुक्खा न छिदियव्वा, न छेदरोण भेदरोण सेज्जा कारेयव्वा, जस्सेव उवस्सए वसेज्ज सेज्जं तत्थेव गवेसेज्जा, न य विसमं समं करेज्जा, न निवाय-

पवाय उस्सुगतं, न डंसमसगेसु खुभियव्वं, अग्गी धूमो य न कायव्वो, एवं संजमबहुले संवरबहुले संबुडबहुले समाहिबहुले धीरे काएण फासयंतो सययं अज्जप्पज्जाणजुत्ते समिए एगे चरेज्ज घम्मं, एवं सेज्जासमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निच्चं अहिकरणकरणकारावण - पावकम्मविरते दत्तमणुन्नायउग्गहरूई ।

(४) चउत्थं साहारणपिडपातलाभे भोत्तव्वं संजएणसमियं न साय-सूपाहिकं, न खड्ढं, ण वेगियं, न तुरियं, न चवलं, न साहसं, न य परस्स पीलाकरसावज्जं तह भोत्तव्वं जह से ततियवयं न सीदति साहारणपिडपायलाभे सुहुमं अदिन्नादाणवयनियमवेरमणं । एवं साहारणपिडवायलाभे समितिजोगेण भावितो भवति अतरप्पा निच्चं अहिकरणकरणकारावण (कारणा) पावकम्मविरते दत्तमणु-न्नायउग्गहरूई । (५) पंचमगं साहम्मिएसु विणओ पउंजियव्वो, उवगरणपारणासु विणओ पउंजियव्वो, वायणपरियट्टणासु विणओ पउंजियव्वो, दाणगहणपुच्छणासु विणओ पउंजियव्वो, निक्खमणपवेसणासु विणओ पउंजियव्वो, अन्नेसु य एवमादिसु बहुसु कारणसएसु विणओ पउंजियव्वो, विणओवि तवो, तवोवि घम्मो, तम्हा विणओ पउंजियव्वो, गुरुसु साहूसु तवस्सोसु य विणओ पउं-जियव्वो । एवं विणएण भाविओ भवइ अंतरप्पा निच्चं अहिकरण-करणकारावण (कारणा) पावकम्मविरते दत्तमणुन्नायउग्गहरूई ।

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संब (व) ियं हाइ सुपणि-हियं एवं जाव आघवियं सुदेसितं पसत्थं ॥ (सू० २६) ततियं संवरदारं समत्तं तिबेमि ॥३॥

संस्कृतच्छाया

इदं च परब्रह्महरणविरमणपरिरक्षणार्थं ताव्यं प्रावचनं अथवता-सुकथितम्, आत्महितम्, प्रत्याभारिकम्, आपनिष्यवन्नम्, शुद्धम्, वैचारिकम्, अकुटिलम्, अनुत्तरम्, सर्वदुःखपापानां श्युपशमनम् ।

तस्येमाः पञ्चभावनास्तृतीयस्त भवन्ति परब्रह्महरणविरमणपरिरक्ष-
 णार्थतायै, (१) प्रथमं देवकुलसभाप्रपाऽवसथ-वृक्षमूलाऽऽरामकन्दराकरगिरि-
 गुहाकर्मोद्यानयानशालाकुपितशालामंडपशून्यगृहशमशानलयनापणे अन्यस्मि-
 श्चैवभाविके उदकमृत्तिकाबीजहरितत्रसप्राणासंसक्ते यथाकृते प्रासुके
 विविक्ते प्रशस्ते उपाश्रये भवति विहृतंभ्यम्, आघाकर्मबहुलश्च यः स
 आसिक्तसम्माजितोत्सिक्तशोभितछावनधवलनलेपनाऽनुलेपनञ्चननमाण्डचाल-
 नम्, अन्तर्बहिश्चाऽसंयमो यत्र वसंतं संयतानामर्थाय वर्ज्जिब्रह्मव्यः खलु
 उपाश्रयः स तादृशः सूत्रप्रतिक्रष्टः, एवं विविक्तवासवसतिसमितियोगेन
 भावितो भवति अन्तरात्मा नित्यमधिकरणकरणकारापणपापकर्मविरतो
 दत्तानुज्ञाताऽवग्रहृश्चिः । (२) द्वितीयं आरामोद्यानकाननवनप्रवेशभागे यत्कि-
 चिद् इषकडं (इष्कुडं) वा फठि (धि)-नकं च जन्तुकं च परामेराकूचं कुश-
 दर्भपलालमूयकवल्बजजुष्यफलत्वक्प्रवालकन्दमूलतृणकाष्ठशर्करादि गृह्णाति,
 शय्योपघेरर्थाय न कल्पतेऽवग्रहेऽवत्ते गृह्णातुं । अहन्ग्रह्नि अवग्रहमनुज्ञाप्य
 गृहीतध्यमेवभवग्रहसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरण-
 करणकारापणपापकर्मविरतो दत्तानुज्ञातावग्रहृश्चिः । (३) तृतीयं पीठ-फलक-
 शय्या-संस्तारकार्थाय वृक्षा न छेत्तव्या, न छेदनेन भेदनेन शय्या कारयितव्या,
 यस्यैवोपाश्रये वसेद् शय्यां तत्रैव गवेषयेद्, न च विषमां समां कुर्यात्, न
 निवातप्रवातोत्सुकत्वं, न वंशमशकेषु क्षुभितव्यम्, अग्निधूं मरुच न कर्त्तव्यः ।
 एवं संयमबहुलः, संवरबहुलः, संवत्तबहुल, समाधिबहुलो धीर कथेन
 दृशन् सततमध्यात्मध्यानयुक्त समित एकश्चरेद् धर्मम् । एव शय्यासमिति-
 योगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरण-करण-कारापणपापकर्मविरतो
 दत्तानुज्ञातावग्रहृश्चिः । (४) चतुर्थं साधारणपिडपात(त्र, लामे भोक्तव्यं सयतेन
 सम्यक्, न शाकसूपधिकं, न प्रचुरं, न वेगितं, न त्वरितं, न चपलं, न साहसं,
 न च परस्य पीडाकरसावद्यं तथा भोक्तव्यम् यथा तृतीयव्रतं न सीदति,
 साधारणपिडपात (त्र)लामे सूक्ष्ममवसादानन्ननियमविरमणएवं साधारणपिड-
 पात(त्र)लामे समितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरण-करण-
 कारापणपापकर्म विरतो दत्तानुज्ञातावग्रहृश्चिः । (५) पञ्चमकं साधर्मिकेव
 विनयः प्रयोक्तव्य, उपकरणपारणयोर्विनयः प्रयोक्तव्यः, वाचनापरिवर्तन-
 योर्विनयः प्रयोक्तव्यो, दानग्रहणपृच्छनासु विनयः प्रयोक्तव्यो, निष्कमणप्रवेशन-

द्योविनयः प्रयोक्तव्यः, अन्येषु खेवमादिषु बहुषु कारणशतेषु विनयः प्रयोक्तव्यः । विनयोऽपि तपस्तपोऽपि धर्मस्तस्माद् विनयः प्रयोक्तव्यो गुरुषु साधुषु तपस्विषु च । एष विनयेन भाषितो भवत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरणकरणकारापण (कारणा) पापकर्मविरतो वस्तानुज्ञातावग्रहसचिः ।

एषमिदं संवरस्य द्वारं सम्यक् संवृतं भवति सुप्रणिहितमेवं यावद् आख्यातं सुदेशितं प्रशस्तम् ॥ (सू० २-) तृतीय संवरद्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि ।

पदान्वयाय—(च) और (इमं) यह (पापयज्ञं) अचौर्यव्रत के सिद्धान्तरूप प्रवचन (भगवया) भगवान् ने (परदम्बहरणवेरमणपरिरक्षणद्वयाए) पराये द्रव्य की चोरी के त्याग रूप व्रत की रक्षा के लिए (सुकहियं) अच्छी तरह कहा है, जोकि (असहियं) आत्मा के लिए हितकर है, (पेच्छामावियं) जन्मान्तर में सहायक है, (आगमेसिभद्) आगामीकाल में कल्याणकारी है, (सुद) शुद्ध है - निर्बोध है, (नेआउयं) ग्यायसंगत है, (अकुडिलं) कुटिलता से रहित है और (अणुतर) सर्वोत्कृष्ट है, (सव्व-दुखपायाणविओवसमणं) समस्त दुःखों और पापों का नाश करने वाला है, (तस्स ततीयस्स) उस तीसरे वस्तानुज्ञातव्रत की (इमा) ये निम्नोक्त (पंच भावनाओ) पांच भावनाएँ (परदम्बहरणवेरमणपरिरक्षणद्वयाए) परद्रव्यहरण से विरति की सुरक्षा के लिए (होति) हैं । (पडमं) पहली विविक्तवासवसतिसमिति भावना का स्वरूप इस प्रकार है—(वेवकुल-सम-प्पवा-वसह-उखमूल-आराम-कंढरा-गर-गिरिगुहा-कम्मउब्बाण-जाणसाला-कुवितसाला-मडव, सुभघर सुसाण-लेण-आवणं) देवालय, समा, प्याऊ, संन्यासियों का मठ, वृक्ष का मूल, बाटिकाएँ, कन्दराएँ, लोहे आदि की छानें, पर्वत की गुफाएँ, खूने आदि के पीसने के घर, बागवगीचे, रथ आदि रखने की बाहनशालाएँ, घर की सामग्री रखने के मंडार, यज्ञादि के मंडप, सूने घर, स्मशान, पर्वतीय गृह और दूकानें (य) तथा (एवमावियंमि) इसी प्रकार के (अन्नंमि) अन्य (वण-मट्टिय-बीज हरित-तस-पाण-अंससत्ते) पानी, मिट्टी, बीज, हरी बनस्पति और त्रसजीवों से असंयुक्त-रहित, (अहाकडे) गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए (फासुए) जीवजन्तु-रहित, (विवित्ते) स्त्री आदि के रात्रिनिवास से रहित, अतएव (पसत्ते) प्रशस्त - योग्य, (उवस्सए) उपाध्यय—स्थान में (विहरियव्वं होइ) निवास करना योग्य है, (य) और (जे) जो (आहाकम्मबहुले) आधाकर्म दोष से परिपूर्ण है, (से) वह तथा (आसित्त-समण्जि-ओवलित्त-सोहिय-छायण-बुमण - लिपण-अणुलिपण-असण-मंडघासण) जलका छिड़काव किया हुआ, कुड़ाकंकट निकालकर साड़बुहार कर सफ किया हुआ,

जल से लींचा हुआ, बंदनवार लगा, चौक पूंकर इत्यादि प्रकार से सजाया हुआ, बर्न-घास आदि से छाया हुआ, खड़िया मिट्टी आदि से संकव पोता हुआ, गोबर आदि से लीया हुआ, बार-बार लीया हुआ, ठंड मिटाने के लिए प्रज्वलित अग्नि से युक्त, प्रकाश आदि के लिए बर्न-भांड आदि साधु के निमित्त इधर-उधर लाये-लेजाये जाते हों (ब) तथा (जल्थ) जहाँ, (अंतोर्बाहि च) अन्दर और बाहर (असंजओ) जीवविराघना (संजयाण अट्ठा) संयमी साधुओं के प्रयोजन-निमित्त से होती हो, (से तारिसए) ऐसा वह (सुत्पवडिकुट्टे) शास्त्र में निषिद्ध (उवत्ताओ, उपाभ्य - स्थान (हु) अवभ्य (बज्जेयव्यो) छोड़ देना चाहिए अथवा ऐसा उपाभ्य स्वाभ्य समझना चाहिए । (एवं) इस प्रकार (विबिस्तवासवसतिहिसमितिजोगेण) एकान्त निर्दोष स्थान में निवास रूप विबिस्तवासवसति समिति भावना के योग से (भाबितो) भावनायुक्त-संस्कारित (अंतरप्या) अन्तरात्मा, (निष्वं) नित्य (अहिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरतो) द्योयुक्त आचरण करने और करवाने रूप पापकर्म से विरक्त हुआ साधु (वत्तमणुप्राय ओग्गहृवई) वस्तु के स्वामी आदि द्वारा वत्त—बिया हुआ तथा अनुज्ञात—आज्ञाप्राप्त पदार्थ ग्रहण करने की रुचि बाला (भवति) होता है ।

(बितीयं) दूसरी अवग्रह समिति भावना इस प्रकार है—(आरामुज्जाण-काणवणप्यवेसभागे) बाटिका, बाग, बगीचे, नगर के निकटवर्ती जंगल, वन के एक प्रवेश भाग में (ज) जो कुछ (इक्कडं) तृणविशेष, (ब) अथवा (कठिणकं) हरी खड़-घास (बंतुगं) तालाब आदि में पैदा होने वाली घास, (परा-मेर-कुच्च-कुस-इभ-पलास-सूयण-बल्लय-पुष्क-फल-तय-प्यबाल-कंद-मूल-तण-कट्ठ-सक्करावी) परा नामक तृण, मंज का तृण, ऐसा घास जिससे बुलाहे कूँचियाँ बनाते हैं, कुरा, बर्न, भूसा, मेवाड़ देश में होने वाला तृण विशेष, पर्वतीय तृण विशेष, पुष्प, फल, छाल, नये पत्ते, कंद, मूल, घास, लकड़ी और कंकड़ आदि (सेज्जोबहिस्स अट्ठा) शय्यासंस्तारक-बिछौनेरूप उपधि—सामग्री के लिए (गेण्हइ) ग्रहण करना तथा (उग्गहे) उपाभ्य में रही हुई वस्तु भी (अविन्नंमि गिण्हउं) बिना दिये—या आज्ञा दिये बिना लेना (न कप्पए) योग्य नहीं है । उपाभ्य की आज्ञा उसके मालिक द्वारा दे दिये जाने पर भी (हणि हणि) प्रतिदिन (उग्गहं) उपाभ्य में स्थित ग्रहण करने योग्य वस्तु के लेने व लेवन करने की (अणुप्रविय) आज्ञा मिलने पर ही (वेण्हिवध्वं) ग्रहण करना चाहिए । (एवं) इस प्रकार (उग्गहसमितिजोगेण) अबग्रहसमिति के योग से (भाबितो) संस्कार-युक्त (अंतरप्या) साधु की अन्तरात्मा (निष्वं) सदा (अहिकरण-करण-कारावण-पाव-

कम्म-बिरते) बोधयुक्त आचरण के करने तथा कराने की पाप क्रियाओं से बिरक्त (वस्तमणुत्तायओग्गहृएई) वस्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करना ही पसंद करती है।

(ततीयं) तीसरी शय्यापरिकर्मबर्बनासमितिभावना इस प्रकार है— (पीठ फलण्'सेज्जासंधारगट्टयाए) चौकी, पट्टे, शय्या-मकान और तुणादि के बिछौने—संस्तारक के निमित्त से (एक्का) वृक्ष (न छिदियज्जा) नहीं काटने चाहिए, (छेवणेण भेदणेण सेज्जा न कारेयज्जा) धुओं का छेदन भेदन करके शय्या नहीं बनवानी चाहिए। (जस्सेव उवस्सेए वसेज्ज) जिस गृहस्थ के उपाध्यय—धर्मस्थान में ठहरे निवास करे, (तत्थेव सेज्जं गवेसेज्जा) वही शय्या की गवेषणा करे—विधिपूर्वक याचना करे (च) और (विसमं) विषम—ऊबड़लाबड़ शयनीय स्थान या तलत बगंरह को (समं न करेज्जा) सम-एक सरीखा न करे (न निवायपवायउत्सुगत्तं) हवा के न आने के लिए बंद द्वार की या बाधु को आने के लिए छिड़की या बारी की उत्सुकता न करे (इंसमसगेतु) डांस और मच्छरों के होने पर (न सुभियज्जं) झुंझ न हो, झुंझलाए नहीं, (अग्गी धूमो न कायज्जो) मच्छर आदि भगाने के लिए आग या धुंआ नहीं करना चाहिए।

(एवं) इस प्रकार (संजमबहुले) पृथ्वीकायिक आदि जीवों की यतनाक्य समय में प्रबीण, (संवरबहुले) प्राणातिपात आदि आश्रयों के निरोधक्य संवर मे प्रवर (सवुडबहुले) कथाय एव इन्द्रियों को संवृत करने वाला (समाहिवहुले) चित्त की शान्ति-समाधि से युक्त, (वीरे) परिवर्तों से विचलित न होने वाला धैर्यशाली साधक (काएण फासयंतो) केवल मन में विचार करके ही नहीं, अपितु काया से भी तृतीय संवर का आचरण करता हुआ (सययं) निरन्तर (अज्जप्पज्जाणजुत्तो) आत्माबलम्बी - अध्यात्म ध्यान में तल्लीन हुआ (समिए) सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त साधु (एवं धम्मं चरेज्ज) अकेला ही सूत्रचारित्रधर्म का आचरण करे। (एवं) इस प्रकार (सेज्जा समितिजोगेण) शय्या के विषय में निर्दोष सम्यक् प्रवृत्तिक्य योग - चिन्तनयुक्त प्रयोग से (भाबितो) संस्कारित (अतरप्पा) साधु की अन्तरात्मा (निच्चं) निव्य (अहिकरण-करण-कारावण-पावकम्म बिरतो) बोधयुक्त प्रबंध करने-कराने के पापकर्म से बिरक्त होकर (वस्तमणुत्ताय उग्गहृएई अबड) वस्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करना ही पसंद करती है। (चउत्थं) चौकी अनुज्ञातप्रस्तादि भोजन लक्षणा साधारण पिंडपात्रलभसमिति भावना इस प्रकार है (साहारण पिंडपात्र-लभं सति) संघ के सर्वसाधारण साधुओं के लिए—साधुहिकरूप से—पिण्डपात्र भोजन प्राप्त होने पर या भोजन-पात्रादि वस्तु मिलने पर, (संजएण) साधु को (समियं)

सम्यक् प्रकार—या समिति से युक्त (भोतव्भं) उसका उपभोग करना चाहिए, (न सायसूपाहिकं) साय, बाल अधिक न खाए, (न खड्गं) अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों को पहले न खाए, (न बेमिय) कौर को जल्दी-जल्दी न निगले, (न तुरिय) प्रास को झटपट मुँह में न डाले, (न खपल) हाथ, गर्दन आदि बहुत हिला-डुलाकर भोजन न करे, (न साहसं) बिना बिचारे सहसा-एकदम भोजन पर टूट न पड़े, (परस्त य) और दूसरे को (पीसाकर सावज्जं) पीड़ा करने वाला तथा सावध-पापयुक्त (न) भोज-नादि न करे। (तह भोतव्भं जह से ततियवय) उस प्रकार से भोजनादि करे, जिससे उस साधु का तृतीयव्रत (साधारणपिंडपायलाभे) साधारण—सर्वसामान्यरूप मे साघा-टिक—सबका इकट्ठा आहार पानी उपधिवस्त्रादि का लाभ—प्राप्त होने पर जो साधु का (सुहृत्तं) सुख (अभिभावाणवेरमणं) अवसादानविरमण रूप महाव्रत है वह (न सोदति) जरा भी भंग न हो। (एवं) इस प्रकार (साहारण पिंडवायलाभे समिति-जोमेण) सर्व साधारण रूप से साघाटिक भोजनपात्रादि का लाभ होने पर इस सम्यक् प्रवृत्ति—समिति के योग-प्रयोग से (भाबितो) संस्कारयुक्त (अंतरप्पा) साधु का अन्तरात्मा (निच्वं) सदा (अहिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरते!) दूषित आच-रण करने-करवाने की पापकिया से विरक्त सयमी (वत्तमणुन्नायउग्गहर्हं) बलानुज्ञात वस्तु के ग्रहण करने की रचिबाला (भवइ) होता है।

(पंचमगं) पांचवीं साधर्मिक विनयकरण भावना का स्वरूप इस प्रकार है— (साहम्मिएसु विणओ पउंजियब्भो) साधर्मों साधुओं के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए। (उवकरण पारणासु) रुग्ण, अशक्त, वृद्ध आदि अवस्थाओं में दूसरे साधर्मिक-साधुओं का उपकार-संयायुत्यव्यवहार में तथा तपस्या के पारणा में (विणओ) इच्छा-कारादिरूप में विनय का (पउंजियब्भो) व्यवहार करना चाहिए। (वायणा-परियट्ट-णासु) सूत्र आदि का पाठ पढ़ने में तथा पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करने के सम्बन्ध में (विणओ) बन्दनादि के रूप में विनय का (पउंजियब्भो) प्रयोग करना चाहिये। (वाण-गहण-मुच्छणसु) भिक्षा में प्राप्त आहारादि का प्लान आदि साधुओं को चित-रण करने, दूसरे साधुओं द्वारा दिये हुए पदार्थ का ग्रहण करने तथा भूले हुए सूत्रार्थ के विषय में पूछने के समय (विणओ पउंजियब्भो) विनय-प्रयोग करना चाहिए। (य) और (एवमाविसु) ये और इत्यादि प्रकार के (अब्भेसु कारणसत्तेसु) दूसरे संकड़ों कारणों को लेकर (विणओ पउंजियब्भो) विनय का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि (विणओवि) विनय भी (तवो) तप है, और (तवोवि धम्मो) तप भी धर्म है, धर्म का

एक अंग है। (तन्हा) इसलिए (गुरुसु) गुरुओं का, (साहुसु) साधुओं का (य) एवं (तबस्तीसु) तपस्वियों का (विणओ पउंजियणो) विनय-व्यवहार करना चाहिए। (एवं) इस प्रकार (विणएण) विनय भावना से (भाविओ) भावित—संस्कारित (अंतरप्या) अन्तरात्मा (निव्वं) हमेशा (अहिकरण-करण-कारावणपावकम्मविरते) दोषयुक्त आचरण करने-कराने के पापकर्म से विरत साधु (वत्तमणुत्ताय उग्गाहवइ) वस्तानुज्ञात पदार्थ को ग्रहण करने में रुचिवाला (भवइ) हो जाता है।

(एवमिण) इस प्रकार यह (संवरस्स वारं) वस्तानुज्ञातरूप तीसरे संवरं का द्वार (सम्म) सम्यक् प्रकार से (संवरियं) आचरित (होइ) हो जाता है, (सुपणिहियं) भलीभाँति विल-विभाग में स्थिर हो जाता है। (एवं) इस प्रकार पूर्वोक्त पांच भावनाओं से मनवचन काया की सुरक्षा कर लेने पर इस तीसरे संवरद्वार—अचौर्य महाव्रत का भलीभाँति पालन हो जाता है। (जाव) यावत् (आघवियं) भगवान् महावीर द्वारा कथित है, (यहां तक पूर्वसूत्रोक्त पाठ की तरह समझ लेना चाहिए) तथा यह तृतीय संवरद्वार (सुवेसियं) भगवान् द्वारा समुपदिष्ट है, (पसत्थं) प्रशस्त - उत्तम है (ततियं) तीसरा (संवरवारं) संवर द्वार (समसं) समाप्त हुआ। (तिबेमि) इस प्रकार मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ।

मूलार्थ—इस अचौर्यव्रत पर पिद्धान्त-प्रवचन भगवान् महावीर ने परद्रव्यहरण से विरतिरूप व्रत की रक्षा के हेतु भलीभाँति फरमाया है, जो कि आत्मा के लिए हितकारी है, जन्मान्तर में सहायक है, भविष्य में आत्मा के लिए कल्याणकर है, निर्दोष और न्यायसंगत है। यह कुटिलता से रहित है, सर्वश्रेष्ठ है और सम्पूर्ण दुःखों और पापों को विशेष रूप से शान्त करने वाला है।

इस तीसरे दत्तानुज्ञात नामक संवरद्वार की पांच भावनाएँ परद्रव्यहरण से विरतिरूप अचौर्यव्रत की चारों ओर से रक्षा के लिए हैं।

पहली विविक्तवासवसतिसमिति भावना है, जो इस प्रकार है—साधु को देवालय, सभा, प्याऊ, संन्यासियों के मठ, वृक्ष के मूलप्रदेश, वाटिका, कन्दराएँ, लोह आदि की खानें, पर्वत की गुफाएँ, लुहार, बड़ई आदि के काम करने के स्थान या झूना आदि पीसने के घर, बाग-बगीचे, रथ आदि सवारियाँ रखने की यानशालाएँ, घर का सामान रखने के भंडार आदि गृह, यज्ञादि के मंडप, सूने घर, श्मशान, पर्वतीय गृह, दूकानों या इसी प्रकार के अन्य स्थान, जो पृथ्वी, जल बीज, हरी दूब, घास आदि वनस्पति एवं

त्रसजीवों से रहित हों, जिन्हें गृहस्थ ने अपने लिए बनवाया हो, ऐसे प्रासुक (जोबजन्तुरहित). स्त्री आदि के निवास से रहित, एकान्त शान्त प्रशस्त उपाश्रय—स्थान में निवास करना ही योग्य है। जो स्थान आघातकर्मदोष से परिपूर्ण हो, जहाँ पानी छीटा गया हो. हरी घास आदि उखाड़ कर झाड़-बुहार कर साफ किया गया हो, बंदनवार, चौक-पूरण आदि से सजाया गया हो, दर्भ आदि से ऊपर छाया गया हो, खड़िया से पोता गया हो, गोबर आदि से लीपा गया हो, एक बार लोपी हुई भूमि को बार-बार लीपा गया हो, ठंड मिटाने के लिए आग जलाई गई हो. रोशनी के लिए बर्तन भाँडे व घर का सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जमाये गए हो, तथा जहाँ पर अंदर और बाहर जीवों की असंयमरूप विराधना साधुओं के निमित्त हो, ऐसे शास्त्रनिषिद्ध उपाश्रय को साधु वर्जनीय समझे। यानों ऐसे आरम्भदोष से निर्मित स्थान में साधु न ठहरे। इस प्रकार विविक्तवासवमति (निर्दोष-स्थान में निवास) रूप समिति (सम्यक् प्रवृत्ति) के योग—चिन्तनयुक्त प्रयोग से संस्कारित साधु का अन्तरात्मा सदा दोषयुक्त आचरण स्वयं करने-कराने के पापजनक कर्मों से विरक्त हो जाता है। और वह दत्तानुज्ञात वस्तु का ग्रहण करना ही पसंद करता है।

दूसरी अनुज्ञातसंस्कारकग्रहरूप अवग्रहसमिति भावना है। वह इस प्रकार है—साधु को फूलवाड़ी, बागबगीचे, नगर के निकटवर्ती जंगल या वनप्रदेश में इक्कड़ (तृणविशेष), कठिनक (विशेष प्रकार का तृण), जन्तुक (जलाशय में पैदा होने वाला घास), परा (तृण विशेष), मूज का तृण, जिसकी कूचियाँ बनाई जाती हैं—ऐसा तृण विशेष, कुश, दूब, चावलो का पलाल, मेवाड़प्रदेश में पैदा होने वाला तृण विशेष, पर्वज तृणविशेष, फूल, फल, छाल, कोमल पत्ते, कंद, भूल, घास, लकड़ी और कंकड़ आदि वस्तुएँ शय्या या अन्य उपधि बनाने के लिए ग्रहण करना योग्य नहीं है, उपाश्रय में भी साधु के ग्रहण करने योग्य कोई चीजें पहले से भी पड़ी हो, तो भी मालिक के बिना दिये या आज्ञा लिये बिना ग्रहण करना उचित नहीं। उपाश्रय—स्थान की आज्ञा उसके मालिक द्वारा दे देने पर भी वहाँ मौजूद अन्य वस्तुओं में से ग्रहण करने योग्य वस्तु प्रतिदिन उसके मालिक की आज्ञा लेकर ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार अवग्रह समिति के योग से यानी ग्रहण करने योग्य वस्तु के सम्बन्ध में शास्त्रविहितप्रवृत्ति करने से संस्कारित हुई साधु की आत्मा

सर्बदा पापानुष्ठान स्वयं करने और दूसरों से करवाने की पापक्रियाओं से निवृत्त होकर दत्तानुज्ञान वस्तु को ग्रहण करना ही पसंद करती है ।

तीसरी शय्यापरिकर्मवर्जनरूप शय्यासमितिभावना है, जो इस प्रकार है—साधु को चौकी, पट्टे, शय्या-मकान और तृणादि के बिछौने के निमित्त स्वयं वृक्ष नहीं काटने चाहिए और न वृक्षों का छेदन-भेदन करवा कर शय्या मकान तैयार करवाना चाहिए । साधु जिस ग्रहस्थ के उपाश्रय—स्थान में निवास करे, वही पर शय्या की गवेषणा करे । शय्या के लिए ऊबड़खाबड़ विषम जगह को समतल न करे । हवा को बंद करने और उसके आने के लिए उत्सुकता न बताए, न डांस और मच्छरो के उपद्रव से घबराए, डांस, मच्छर आदि को भगाने के लिए आग न जलाए, न धुंवा करे । इस प्रकार पृथ्वीकायादि जीवो की यतना करने में प्रवीण, प्राणतिपात आदि आश्रवद्वारो के निरोधरूप संवर में प्रवर, कषायो पर विजय और इन्द्रियों के दमन से सम्पन्न, चित्त में स्वस्थता—समाधि से युक्त एवं परिषह, उपसर्ग आदि के सहन करने में धीर साधु केवल मन में मनोरथ करके ही नहीं, अपितु काया से भी इस समिति का स्पर्श -आचरण करता हुआ सतत आत्मावलम्बी-अध्यात्म-ध्यान में तल्लीन व समितियुक्त होकर अकेला चारित्रधर्म का आचरण करे । इस प्रकार शय्यासमिति के योग से अर्थात् शय्या के बारे में निर्दोष प्रवृत्ति करने से संस्कारसम्पन्न हुई साधु को अन्तरात्मा नित्य दोषदुष्ट आचरण के स्वयं करने-कराने से जनित पापकर्म से मुक्त होकर दत्तानुज्ञात वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति वाली होती है ।

चौथी भावना अनुज्ञातभक्तादि भोजन लक्षणा साधारणपिठपात(त्र)लाभ-समिति भावना है । उसका स्वरूप इस प्रकार है—संघ के सर्वसाधारण साधुओं के लिए सांघाटिक—सामूहिक भोजन-वस्त्र-पात्र आदि वस्तुएँ विधिपूर्वक प्राप्त होने पर साधु को उनका उपभोग सम्यक्विधिपूर्वक करना चाहिए । प्राप्त सामूहिक भोजन में से साग और दाल ही अधिक न खाए, बढ़िया स्वादिष्ट चीज भी पहले न खाए, कौर आदि को जल्दी-जल्दी न निगले और न कौर को जल्दी-जल्दी मुँह में डाले, चंचलतापूर्वक शरीर के अवयवों को हिलाते-डुलाते हुए भोजन न करे, एकदम भोजन पर टूट न पड़े, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले एवं सावद्य-यापयुक्त भोजनादि का सेवन न करे । साधारण अर्थात् सामूहिक

भोजन-पान आदि के प्राप्त हो जाने पर साधु को उनका इस प्रकार उपभोग करना चाहिए, जिससे सूक्ष्मरूप से जरा-सा भी अदत्तादानत्यागव्रत के नियम का भंग न हो। इस प्रकार साधारण पिंडपात या पिंड पात्र के लाभ के विषय में पूर्वोक्त समिति-योग से—सम्यक्प्रवृत्ति के योग से संस्कारित बनी हुई साधु की अन्तरात्मा सदा दोषयुक्त अनुष्ठान के स्वयं करने व दूसरों से कराने से उत्पन्न पापजनक कर्म से विरक्त होकर दत्तानुज्ञातवस्तु का ग्रहण ही पसंद करती है।

पांचवीं साधर्मिकविनयकारण भावना है, जो इस प्रकार है—साधर्मिक साधुओं के प्रति विनय का प्रयोग करना चाहिए। रोगादि अवस्था में सेवा द्वारा साधु का उपकार करने में तथा तपस्या के पारणे में इच्छाकारादिरूप विनय करना चाहिए। सूत्रादि का पाठ पढ़ने में तथा पढ़े हुए पाठ की आवृत्ति करने में वन्दनादिरूप विनय का आचरण करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजनादि का अन्य साधुओं को वितरण करने में, दूसरे साधुओं द्वारा दिये गए पदार्थ को ग्रहण करने में तथा विस्मृत सूत्रार्थ के बारे में पूछने के समय वन्दनादि रूप विनय का प्रयोग करना चाहिए। अपने उपाश्रय से निकलते और प्रवेश करते समय भी आवश्यकीय एवं नैषधिकी क्रिया द्वारा विनय करना चाहिए। ये और इसी तरह के बहुत से सैकड़ों दूसरे कारणों को लेकर यथायोग्य विनय व्यवहार साधर्मिक साधुओं के साथ करना चाहिए। क्योंकि विनय भी तप है और तप भी धर्म है। इसलिए गुरुओं, साधुओं व तपस्वियों के प्रति विनय का प्रयोग करना हर्गिजनही भूलना चाहिए। इस प्रकार विनय के आचरण से संस्कारयुक्त बनी हुई साधु की अन्तरात्मा नित्य सावद्य आचरण स्वयं करने और दूसरों से करवाने की पापक्रियाओं से निवृत्त हो कर दत्तानुज्ञात वस्तु को ही ग्रहण करना पसन्द करती है।

इस प्रकार यह दत्तानुज्ञात नामक तृतीय सवरद्वार मनवचनकाया द्वारा पांच भावना के चिन्तन प्रयोग से सुरक्षित होकर साधु के दिल-दिमाग में संस्काररूप से अच्छी तरह जम जाता है। तभी यह महाव्रत पूर्णतया आचरण में आता है। इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र पाठ में बताया अनुसार इन पांचों भावनाओं का चिन्तनप्रयोग जीवन के अन्त तक सदा करना चाहिए। यह भावना-योग समस्त जिनेन्द्रों द्वारा अनुज्ञात है, शुद्ध है, अनाश्वररूप है, कालुष्यरहित अच्छिद्र, अपरिस्नावी एवं असंक्लिष्ट है।

इस प्रकार इस तीसरे संवरद्वार का कथन श्री भगवान् महावीर ने किया है, इस प्रकार निरूपण किया है, उपदेश दिया है, यावत् (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) यह संवरद्वार प्रशस्त है ।

यह तीसरा संवरद्वार समाप्त हुआ, ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ ।

व्याख्या

साधु के लिए तीसरा महाव्रत अदत्तादान विरमण संवर है । साधु जो भी महाव्रत ग्रहण करना है, वह मन, वचन और काया से, कृत, कारित और अनुमोदित रूप से निषेधात्मक तथा विधेयात्मक दोनों रूपों से करता है । इस दृष्टि से अदत्तादान विरमण का निषेधात्मक रूप होता है—मन-वचन-काया से परद्रव्य हरण न करना, न करवाना और न करने वाले का अनुमोदन करना । इसी प्रकार विधेयात्मक रूप होता है—अपने हिस्से की वस्तु का अपने साधमिको में वितरण करना, स्वेच्छा से स्वनिश्चित वस्तु का त्याग करना, निःस्वार्थ भाव से सेवा करना, सर्वस्व समर्पण करके जो भी बचीखुची चीज मिल जाय उसी में सतुष्ट रहना; अपने शरीर की भी कम से कम आवश्यकताएँ रखना, यहाँ तक कि अपने मालिकी की वस्तु भी न रखना । विधेयात्मक रूप में अचौर्य का भी मन, वचन, काया से और कृत, कारित, अनुमोदन रूप से पालन करना होता है ।

अचौर्य महाव्रत पर जब हम इन दोनों रूपों की दृष्टि से विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह महाव्रत भी अहिंसा और सत्य से कम गहन नहीं है । अतः उतनी ही कठिन है—इस व्रत की सुरक्षा भी । इसीलिए अचौर्य महाव्रत की सुरक्षा करने और सैद्धान्तिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता समझाकर साधक के दिल दिमाग में इसका महत्त्व जमा देने के हेतु शास्त्रकार नपे-तुले शब्दों में इसकी गुण गाथा और सैद्धान्तिक महिमा प्रगट करते हैं—“इमं च परद्रव्यहरणं वेरमणं परिरक्खणं द्ढमाए पावयणं”…… सव्वदुक्क पावाणं विओवसमणं ।” इसका अर्थ पहले स्पष्ट कर चुके हैं ।

अचौर्यव्रत की पांच भावनाओं की उपयोगिता—यों देखा जाय तो अचौर्य महाव्रत ही अपने आप में पूर्ण व्यावहारिक है । अचौर्य का लक्षण हम पहले बता आए हैं । उसमें यह बता दिया गया है कि अर्बहरण के समान ही किसी के अधिकारों का, उपकारों का एवं वस्तु तथा शरीरादि के उपयोग का हरण कर लेना भी चोरी है । जब ये सब चोरी में शुमार हैं तो साधु को यह सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी छोटे या बड़े साधु के अधिकार पर तो छापा नहीं मार रहा हूँ ? वृद्ध, रोगी या अशक्त साधु को स्वस्थ एवं युवक साधु से सेवा लेने का अधिकार है । अगर वह नहीं करता है तो एक प्रकार से चोरी करता है । इसी प्रकार किसी के उपकारों को भूल जाना या कृतघ्न होकर उसकी निन्दा करना उपकार की चोरी है ।

उपकारी का नाम छिपाना भी इसी के अन्तर्गत है। इसी प्रकार किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उपयोग, ग्रहण या उपभोग करना; या जहाँ जरूरत हो, वहाँ उस वस्तु का उपयोग न करना, इसी प्रकार सशक्त, स्वस्थ शरीर होते हुए भी उससे शास्त्रीय अध्ययन, सेवा या उपकार आदि के कार्य न करना, अपनी शक्ति को छिपाना, समाज को अपनी उर्वरा बुद्धि से स्वस्थ चिन्तन न देना, यह भी एक प्रकार से उपकार की चोरी है।

इसी प्रकार आहार आदि वस्तुओं का साधमिको में ठीक ढग से वितरण न करना, अपने हिस्से में ज्यादा ले लेना या अच्छी चीज ले लेना, वितरण में पक्षपात करना, किसी को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार न देकर अन्याय करना, उसके अधिकारों का हुरण करना, ये सब विभाग चोरी के प्रकार अधिकारहुरणरूप चोरी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इन सब प्रकार की चोरियों से सर्वथा मुक्त होने पर ही अचौर्य महाव्रत की पूर्णतया आराधना या साधना हो सकती है। सवाल यह होता है, पूर्वोक्त चौर्य-प्रकारों से बचने के लिए तथा इस महाव्रत की पूर्णतया सुरक्षा के लिए तथा साधक में इस महाव्रत को प्राणप्रण से पालन करने की श्रद्धा, रूचि, उत्साह, तीव्रता और दृढ़ता की लौ जीवन के अन्त तक सतत जलाए रखने के लिए कौन-सा उपाय है? इसके उत्तर में शास्त्रकार इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए पांच भावनाएँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं—'तस्स इमा पंच भावनाभ्यो ततियस्स होंति परवक्खहरण-वेरमणपरिरक्खणहुयाए'..... पंचहिं कारणेहिं मन-वचन-कायपरिरक्खिणहिं निच्छे आमरणांतं च एस जोगो जेवब्बो।' इन पक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है। तात्पर्य यही है कि ये पांच भावनाएँ साधु में ऐसी स्फूर्ति, प्रेरणा, उत्साह, रूचि, और तीव्रता के संस्कार भर देती हैं कि वह जीवन की अन्तिम घड़ी तक इस महाव्रत की रक्षा में मन-वचन-काय से प्राणप्रण से जुटा रहता है। साधुजीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का विशुद्ध और स्वावलम्बी उपाय भिक्षाचर्या बताया है, उसके बारे में शास्त्रकार ने छोटे अध्ययन में उस भिक्षा-विधि के निर्दोष आचरण की विशद चर्चा की है। परन्तु इस पूर्ति के उपरान्त भी साधुजीवन में कुछ और शरीर एवं मन से सम्बन्धित आवश्यकताएँ हैं, जिनसे सर्वथा इन्कार नहीं किया जा सकता। नीचे हम उसका संक्षिप्त विवरण करा रहे हैं—आहार वस्त्रादि के बाद साधु की आवश्यकता निवास-स्थान की है। प्राचीनकाल में लोग साधुओं को गुप्तचर समझते थे या अपने सम्प्रदाय से भिन्न सम्प्रदाय का देखकर उससे घृणा, द्वेष, बैर-विरोध आदि करते थे। कई बार ठहरने के लिए स्थान नहीं देते थे। और दूसरी समस्या साधु के सामने यह भी रहती है कि उसे अपने रहने के लिए उसी स्थान को खोजना होता है, जिसमें किसी प्रकार का आरम्भसमारम्भ अंदर बाहर न होता हो, या

साधु के निमित्त से ही वह न बनाया गया हो, साधु के निमित्त किसी स्थान को बनाने में षड्जीव-निकायों में से किसी जीव की विराधना अनिवार्य है। स्थान के अतिरिक्त साधु को कई बार गृहस्थ ठहरने के लिए ऊबड़सावड़, अनेक जगह खड़े पड़े हुए, टूटे फूटे या गंदे मकान बता देता है, उस समय साधु अपना आत्मध्यान छोड़ कर उसे दुरस्त कराने, उसका परिकर्म-सस्कार कराने की चिन्ता करता है। साधु सोचने लगता है कि यहाँ किसी से मांगेंगे या मरम्मत कराने को कहेंगे तो उसे साधुओं के प्रति अश्रद्धा पैदा होगी, क्यों न जगल या बगीचे से घास फूस आदि ले जाएँ या ममा ले। जगल तो किसी का नहीं है, वहाँ कौन मना करेगा या कौन-सा दोष लगेगा? क्यों नहीं इन सार्वजनिक पेड़ों को काट लें या कटवा लें। गृहस्थ ने भी तो इसी तरह यह मकान बनाया है। शरीर से सम्बन्धित इन तीनों आवश्यकताओं के हेतु उठने वाले इन और ऐसे ही अन्य विकल्पजालों को रोककर साधुजीवन को सही दिशा में मोड़ने वाली और अचौर्य महाव्रत के अनुरूप सही चिन्तन तथा तदनुसार प्रयोग करने की प्रेरणा देने वाली अचौर्यव्रत की क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी भावना है।

इसके बाद साधुजीवन में मुख्यतया न्याय और सम्मान की इच्छाएँ होती हैं। ये दोनों मन से सम्बन्धित हैं। जब साधु यह देखता है कि मैं साधुजीवन में चारित्र्य एव मौलिक नियम मर्यादाओं का अच्छी तरह पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे गुरु, बड़े साधु, या अन्य कोई साधु आहारादि आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने में उसके साथ पक्षपात करते हैं, स्वयं सरस और बढ़िया चीजें लेकर उसे रद्दीसही या तुच्छ चीजें दे देते हैं अथवा अपना बड़प्पन जताकर उससे जबरन सेवा लेने, या काम कराने का प्रयत्न करते हैं। रुग्ण, या वृद्ध साधुओं का सशक्त युवक साधुओं से सेवा लेने का अधिकार है, मगर जब सशक्त युवक साधु उनकी सेवा नहीं करते तो वह अपने को अन्यायपीडित समझकर मन में व्यथित होता रहता है, अदर ही अदर घुटता रहता है। ऐसी अवस्था में वह या तो छलकपट करता है या अपने प्रति अप्रीति उत्पन्न हो जाने पर साधु जीवन का त्याग कर देता है। सार्धमिक के साथ प्रीति का तथा पक्षपातबन्ध अधिकार का हरण तथा समान वितरण न करने से वह साधु तृतीय महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है। इन सब विकल्पों को शान्त करके साधक को धैर्य बँधाकर तृतीयमहाव्रत की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली चौथी साधारण-पिंडपात्रलाभ समिति भावना है।

मन से सम्बन्धित दूसरी आवश्यकता है—आदर सम्मान की। साधु भी प्रीति और सत्कार चाहता है, वृद्ध और बुजुर्ग साधु अपने से छोटे साधु का सिर झुका हुआ और हाथ जुड़े हुए देखना चाहते हैं, उनका बिनय पाने का अधिकार भी है। मगर छोटे से छोटा नवदीक्षित साधु भी परस्पर नम्र व्यवहार की अपेक्षा तो अपने से बड़े से भी करता

है, और चाहता है अपने विकास और चारित्रपालन में बड़ों का प्रेमपूर्वक सहयोग। मन की इस आवश्यकता—विनयव्यवहार की पारस्परिक पूर्ति जब नहीं होती तो साधु पराधिकारहरण करने के कारण अपने तृतीय महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है। अतः इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं तृतीय महाव्रत की रक्षा करने हेतु पांचवीं साध्मिक विनयकरणभावना नियत की गई है।

निष्कर्ष यह है कि साधु जीवन की शरीर और मन से सम्बन्धित इन पूर्वोक्त पांचों प्रकार की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके अचौर्य महाव्रत की सुरक्षा को प्रेरणा देने वाली एवं संस्कारित करने वाली पांचों भावनाएँ हैं। यही इन भावनाओं की उपयोगिता और उपादेयता है। वे पांच भावनाएँ इस प्रकार हैं—(१) विविक्त-वासवसतिसमितिभावना (२) अनुज्ञातसस्तारकग्रहणरूप अवग्रह समिति भावना (३) शय्यापरिकर्मवर्जनारूप शय्यासमिति भावना (४) अनुज्ञात भक्तादिभोजनलक्षण साधारणपिडपात्रलाभ समिति भावना, और (५) साध्मिक विनयकरण भावना।

यद्यपि इनके सम्बन्ध में जितना मूलपाठ है, उसका अर्थ हम पहले स्पष्ट कर आए हैं। फिर भी कुछ स्थलों पर विरलेषण करना और शास्त्रकार का आशय खोलना बहुत जरूरी है, यह समझ कर सक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं—

विविक्तवासवसतिसमितिभावना का चिन्तन और प्रयोग—साधु के लिए अहिंसा की दृष्टि से वह स्थान निवासयोग्य नहीं है, जो उसके निमित्त या उसकी प्रेरणा से बना हो, जो उसके लिए खरीदा गया हो, जिसमें अन्दर-बाहर मकान को ठीक कराने के लिए किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ होता हो, या जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक रात्रि को उसी कक्ष में निवास करते हों, जहाँ साधु रहता हो। इसके विपरीत जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो, त्रसस्यावरजीवो से अससक्त हो, प्रासुक—जीवजन्तु रहित हो, विविक्त, एकान्त हो, वही स्थान साधु के योग्य है। शास्त्र द्वारा निषिद्ध उपाय्य वही है, जिसके लिए शास्त्रकार ने मूलपाठ में सकेत किया है—‘आहाकम्मबहुले...संजयाण अट्ठा बन्नेयण्णो सुत्तापिड्ढुहे’। इसका अर्थ पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इस भावना को रखने का तात्पर्य यह है कि अपने ठहरने के लिए स्थान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधु को ऐसा चिन्तन करना चाहिए—“जब इतने सारे बने-बनाए मकान पड़े हैं तो नये मकान बनवाने या स्वयं बनाने और उसकी चिन्ता में पड़कर क्यों मैं अपना समय खोऊँ। और मकान बनाने में छद्दी काया के जीवों की हिंसा होने की संभावना है। तब अहिंसा महाव्रत की विराघना होगी। साथ ही अपनी प्रेरणा से कोई स्थान बन जाने पर उस स्थान में उस साधु की ममता चिपक जाने की भी और दूसरे साधुओं को उसमें ठहराने के लिए आनाकानी की भी संभावना है। यह पराधिकारहरण-रूप चोरी होगी तथा ये दोनों बातें भगवदाज्ञा के विरुद्ध होने से चोरी में शुमार हैं। इसलिए निवास के लिए स्थान की आवश्यकता की पूर्ति साधु को अपना तृतीय

महाव्रत उज्ज्वल रखते हुए ही करनी है। साधु को ठहरने के लिए देवमंदिर आदि कई स्थान शास्त्रकार ने गिनाए हैं। अगर साधु अपने निमित्त से ठहरने के लिए स्थान बनवाएया तो उसके टूटने-फूटने पर मरम्मत की चिन्ता करनी पड़ेगी, जो उस मकान में रहेंगे, उनके साथ किसी बात पर झगड़ा भी होने की संभावना है। इस कारण शास्त्रकार ने अपरिव्रही साधु के लिए गृहस्थ के द्वारा बनाए गए मकान में ठहरने का विधान है। तथा उस मकान से सम्बन्धित अन्य चिन्ताएँ साधु को नहीं करनी पड़ेंगी। वह ठीक तरह अपनी महाव्रत साधना कर सकेगा। साधु का अपना मकान न होने पर साधु को किसी जगह ठहरने के स्थान की दिक्कत पड़ सकती है, लोग मकान देने से कदाचित् आनाकानी कर सकते हैं, परन्तु गर्मियों में साधु पेड़ के नीचे भी या बाग-बगीचे या जंगल में कहीं भी आसानी से ठहर सकता है, सर्दियों में थोड़ा कष्ट पड़ सकता है, परन्तु अपने निमित्त से या अपना मकान बन जाने पर उसे जो रातदिन चिन्ता होगी, खटपट करनी पड़ेगी या मकान के खराब हो जाने पर मरम्मत बर्गरह का प्रपंच करना पड़ेगा, ये सब कष्ट तो सर्दीगर्मी के कष्टों से भी भयंकर होंगे। अतः सब ओर से नापतोल करने के बाद साधु को मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि जैसे साप खुद बिल नहीं बनाता, वह चूहों आदि के द्वारा बनाए हुए बिल में ही घुस जाता है, वैसे ही साधु अपने लिए खुद मकान नहीं बनवाकर गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए किसी प्रासुक स्थान में ही ठहरेगा। इस प्रकार के चिन्तन, मनन और दृढ़ निश्चय से मन को दृढ़ सस्कारी बनाकर साधु अर्चोर्ध्वत का पूर्ण पालन कर सकेगा।

अनुज्ञात संस्तारक धारणा का चिन्तन और प्रयोग—साधु अपने बिछौने में रुई तो भरता नहीं, वह घास-फूस आदि भरता है। परन्तु घासफूस का आज तो कुछ मूल्य है, लेकिन उस जमाने में क्या मूल्य था? कोई भी गृहस्थ कहीं से भी घास, फूस उठाकर इकट्ठा कर सकता था। अतः साधु कहीं अपने तीसरे महाव्रत को मन से ओझल करके यह सोचने लगे कि घास फूस तो जंगल आदि में यों ही खड़ा रहता है, उसे कोई पूछता नहीं है। अतः मैं इस सूखे घास को जंगल आदि में से बिछौने के लिए ले आऊँ तो क्या हर्ज है? किन्तु वह यहाँ भूल जाता है कि साधु के लिए 'सर्व्वं से आह्वयं होइ' सभी चीजें याचना करके ही प्राप्त होती हैं, इस दृष्टि से घास आदि भी किसी नागरिक की मालिकी का नहीं है, तो भी वह उस राजा या सरकार का है, जिसकी यह वनभूमि है। इसलिए जरूरत पड़ने पर अपने ग्रहण करने योग्य सूखी घास, सूखी दूब आदि उसके स्वामी से या सरकार या शासक से मांगकर या उसकी अनुमति लेकर उस चीज का ग्रहण करे। जिस उपाध्यय (स्थान) में साधु अभी रह रहा है वहाँ साधु को अपने योग्य बड़ी हुई किसी चीज की आवश्यकता हो तो प्रतिदिन या उसदिन उसके स्वामी से अनुमति लेकर उसे ले। इसी बात को

शास्त्रकार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं—‘आरामुञ्जायअं किञ्चि इषकठं वा.....
सषकारादी वैष्णव सेवजोवहिस्त अठ्ठा न कप्यए उग्गाहेधं षिहयध्वं ।’

यहाँ एक सवाल यह उठ सकता है कि जैन साधु कंदमूल, फल, पत्ते, फूल आदि पदार्थ अचित्त होने के कारण कभी ग्रहण नहीं करते, फिर उन्हें आज्ञा बिना लेने का निषेध क्यों किया गया ? इससे यह ध्वनित हो जाता है कि यदि उसका स्वामी आज्ञा दे दे, तो ये लिए जा सकते हैं ? इसका समाधान यह है कि वैसे तो जैन साधु तिनका, मिट्टी का डेला आदि कोई भी चीज बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करता । दूसरे धर्म-सम्प्रदाय के गृहस्थ या साधु लोग जंगल आदि में पड़े हुए कन्दमूल आदि लेने में दोष नहीं समझते । मगर जैन साधु के लिए तो बिना अनुमति या बिना पूछे तिनका भी लेने का विधान नहीं है । इसलिए साधु को सावधान करने के लिए कहा है, किसी के स्वामित्व की चीज न होने पर भी कोई वस्तु साधु के लिए तब तक ग्राह्य नहीं होती, जब तक उसके स्वामी की अनुमति न मिले । सूखे अचित्त पदार्थों के लिए यही बात समझ लेनी चाहिए । यहाँ प्रसंग शय्या सस्तारक का है । इसलिए कन्दमूल फल की क्या जरूरत थी ? इसका समाधान यो है कि साधु जिस स्थान में ठहरा हो, वह ऊबड़खाबड़ हो तो उसे समतल बनाने के लिए अगर साधु को अचित्त कदमूल आदि की जरूरत उन खड्डों या छिद्रों को बन्द करने के हेतु पड़ जाय तो अचित्त कंदमूल आदि अनुमति प्राप्त करके लिए जा सकते हैं ।

निष्कर्ष यह है कि साधु को मामूली से मामूली अल्पातिअल्प मूल्य की या बिना मूल्य की चीज भी उसके स्वामी के द्वारा दिये जाने पर या उसके द्वारा अनुमति दिये जाने पर ग्रहण करनी है । अन्यथा अदत्तादान—चोरी का दोष लगेगा और व्रतभंग होगा । इस प्रकार की भावना के चिन्तन के प्रकाश में चल कर साधु अपने अचौर्य महाव्रत की रक्षा कर सकता है ।

शय्यासंस्तारकादि परिकर्ष वर्जना भावना का चिन्तन—साधु कई दफा ऐसा सोच लेता है कि “दूसरों के स्थान में ठहरने पर हमेशा उनकी इजाजत लेनी पड़ती है, अगर अपना खुद का स्थान बन जाय तो फिर किसी से किसी बात की इजाजत की क्षण्ट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी और न ही किसी वस्तु का अभाव खटकेगा । साधु होने पर भी दूसरों से इजाजत की यह परतंत्रता क्यों ? अतः स्वतंत्रता इसी में है कि अपना निजी स्थान बनवा लिया जाय । इसके लिए पेड़ अमुक भक्त दे ही रहा है तो मैं क्यों न काट लूँ या दूसरों से कटवा-छिलवा लूँ ।”

परन्तु यह निरी भ्रान्ति है कि इजाजत लेने में परतंत्रता है । वास्तव में देखा जाय तो इजाजत ले कर किसी स्थान पर ठहर जाने से अपनी स्वतन्त्रतापूर्वक चाहे जब तक ठहर सकता है, चाहे जब चला जा सकता है, मगर अपने निजी मकान में तो रोज ही रहना पड़ेगा । रहे चाहे न रहे, सफाई का प्रबन्ध तो करना ही होगा ।

और वृक्षों के स्वयं काटने—कटवाने पर आरम्भादि पापकर्म के अलावा वृक्षादि को काटने के लिए वृक्ष का जीव साधु को आज्ञा नहीं देता, अपने शरीर को काटने की। तब वृक्ष के जीव की आज्ञा न होने से बिना आज्ञा के वृक्ष को काटना चोरी है। कहीं मकान या ठहरने का स्थान प्रतिकूल मिलने पर भले ही थोड़ा कष्ट सहन कर लेना पड़े परन्तु उबड़-साबड़ स्थान को स्वयं समतल न करे और न हवा वगैरह के बन्द करने या आने के लिए बारी या कपाट की उत्सुकता प्रगट करे। मच्छर आदि को भगाने के लिए न अग्नि जलाए और न धूप आदि से घुंजा करे। साधु अपने संवर, समय, कपायविजय, इन्द्रियनिग्रह आदि उत्तम बातों में समाधिस्थ हो जाय, अपने मन को आत्मध्यान में एकाग्र कर ले, चाहे अकेला ही हो, धर्माचरण करे, किन्तु इन बाह्य प्रपञ्चों में न पड़े। इस प्रकार की शय्यासमिति के चिन्तन के प्रकाश में अपना जीवन सुवासित करे।

साधारण पिंडपात्र स्वाभ समिति भावना का चिन्तन—साधु यह चिन्तन करे कि मैं तो अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर चुका, तब मेरा अपना तो कुछ भी नहीं रहा। यह शरीर भी गुरु, सध आदि की सेवा के लिए है। सभी साधमिकों के साथ प्रीति तभी उत्पन्न हो सकती है जब साघाटिक भोजन की मर्यादाओं का पालन करूँगा। अतः मुझे जो भी आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि भिक्षा विधि से प्राप्त हुए हैं उनका उपभोक्ता मैं अकेला ही नहीं हूँ, न मुझे अपने-पराये का भेदभाव करके वितरण में पक्षपात करना है और न ही अच्छा-अच्छा माल झटपट-गले उतारना है, न कोई चीज अपने हिस्से में अधिक ले कर अधिक खानी है, न भोजन आते ही बिना भिक्षा विधि का चिन्तन किए एकदम भोजन पर टूट पड़ना है, न चंचलतापूर्वक खड़े-खड़े या चलते-फिरते ही खाना है, दूसरों को पीड़ा देने वाला सावध भोजनादि वस्तु का भी उपभोग नहीं करना है। मुझे इस सामूहिक प्राप्त आहारादि में से इस प्रकार ग्रहण करना या सेवन करना है, जिससे मेरा अचौर्य महाश्रत भंग न हो। मैं अकेला ज्यादा खाऊँगा, पक्षपात करूँगा या अन्य दोष सेवन करूँगा तो पराधिकारहरण होने से चोरी का भागी बनूँगा। इस प्रकार का चिन्तनसर्वस्व ही इस भावना का प्राण है, जिसके प्रकाश में चल कर साधक धन्य हो उठता है।

सार्धमिक विनयकरण भावना का चिन्तन—सार्धमिक उसे कहते हैं, जो समान आचार या धर्म वाला साधु हो। सार्धमिक साधुओं में परस्पर नैतिक व्यवहार विनय से ही हो सकता है। छोटा साधु बड़े साधु के प्रति विनय करे और बड़ा साधु छोटों के प्रति नम्र और स्नेहिल रहे। अन्यथा विनय-व्यवहार न होने से कोई भी अपने से बड़े साधु की आज्ञा के बिना ही किसी समय कोई अच्छी चीज गृहस्थ के यहाँ से लेकर अकेला ही खा जाएगा या अकेला ही वस्त्रादि का उपभोग कर लेगा।

यह चौर्यवृत्ति है। जो काम बड़ों से पूछे बिना चुपके से होता है, वह प्रच्छन्नवृत्ति चोरी की बहिन है। इसके अलावा सेवा करने या पारणा ला देने का विनय भी साधर्मिको में परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना पैदा करता है। बड़ों को अपने लिए छोटी से विनय प्राप्त करने तथा सेवा लेने का अधिकार है। विनय न होने पर यह अधिकार का हरण हो जायगा, जिसे चोरी की कोटि में ही गिना जाएगा। अतः आश्रयपाठ लेना हो, पाठ दोहराना हो, कुछ देना हो, लेना हो, पूछना हो, उपाश्रय से बाहर जाना हो, अन्दर प्रवेश करना हो या और कोई भी कार्य हो, सर्वत्र परस्पर विनय-व्यवहार से इस महाव्रत में चमक आएगी, स्वार्थ त्याग की मात्रा बढ़ेगी। साधुओं में परस्पर स्नेह-सौहार्द, वात्सल्यभाव, नम्रता, सहयोग आदि गुण बढ़ेंगे। इस प्रकार के चिन्तन की चादनी में साधक अपनी साधना करेगा तो वह इस महाव्रत की भी सुरक्षा कर सकेगा, और अपना जीवन भी आनन्दित बना लेगा।

पाँचों भावनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला सुफल ये पाँचों भावनाएँ साधक के अचौर्य महाव्रत की रक्षा तभी कर सकेगी, जब वह साधक प्रतिदिन मन-बचन-काया से इन पाँचों भावनाओं का आजीवन चिन्तन और प्रयोग करेगा। इससे प्राप्त होने वाले सुफल के बारे में पाँचों भावनाओं के अन्त में शास्त्रकार स्वयं कहते हैं 'समित्तिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निच्चं अहिकरणं' 'ओग्गह्वरई।' तात्पर्य यह कि ये पाँचों भावनाएँ चिन्तनमनन करने वाले की अन्तरात्मा को इतना सस्कारी बना देती हैं कि वह समस्त बुरे आचरणों के करने-कराने से होने वाले पाप-कर्मों से विरक्त होकर हमेशा दिया हुआ या अनुज्ञाप्राप्त पदार्थ ही ग्रहण करना पसंद करता है।

उपसंहार—शास्त्रकार इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि तीसरा दत्तानुज्ञात नामक संवरद्वार भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित, प्रतिपादित एवं उपदिष्ट है। कहाँ तक कहें। यह सर्वश्रेष्ठ और प्रशस्त-मंगलमय है।

इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्या-सहित श्री प्रश्नव्याकरणसूत्र के अवत्तादान-विरमण नामक तीसरे संवरद्वार के रूप में आठवाँ अध्ययन समाप्त हुआ।

नौवाँ अध्ययन : ब्रह्मचर्यसंवर

ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप

आठवें अध्ययन में तृतीय संवरद्वार—अचौर्यमहाव्रत का निरूपण करने के बाद अब शास्त्रकार नौवें अध्ययन चतुर्थ-संवरद्वार के रूप में ब्रह्मचर्य का निरूपण करते हैं, वह इसलिए कि अचौर्य का परिपूर्ण रूप से पालन तभी हो सकता है, जब ब्रह्मचर्य का भली-भाँति पालन हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का निरूपण करना आवश्यक समझकर सर्वप्रथम निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप बताते हैं।

मूलपाठ

जंबू ! एत्तो य बंभचेरं उत्तमतवनियमणाणदंसण चरित्त-
सम्मत्तविणयमूलं, यमनियमगुणप्पहाणजुत्तं, हिमवंतमहंततेयमंतं,
पसत्थगंभीरधिमितमज्झं अज्जवसाहुजणाचरितं, मोक्खमग्गं,
विसुद्धसिद्धिगतिनिलयं, सासयमव्वाबाहमपुणब्भवं, पसत्थं, सोमं,
सुभं, (खं), सिवमचलमक्खयकरं, जतिवरसारक्खितं, सुचरियं,
सुसाहियं, नवरि मुणिवरेहि महापुरिसधीरसूरधम्मियधितिमताण
य सया विसुद्धं, भव्वं, सव्वभव्वज्जणाणुचिन्नं, निस्संकियं, निब्भयं,
नित्तुसं, निरायासं, निरुवलेवं, निव्वुतिघरं, नियमनिप्पकंपं, तव-
संजममूलदलियरोम्मं. पंचमहव्वयसुरक्खियं, समितिगुत्तिगुत्तं,
ज्ञाणवरकवाडसुकयं(रक्खणं), अज्झप्पदिन्नफलिहं, संनद्धोच्छइ-
यदुग्गइपहं, सुगतिपहदेसगं च लोगुत्तमं च वयमिणं पउमसरं-
तलागपालिभूयं, महासगडअरगतुंबभूयं, महाविडिमरुक्खक्खंघभूयं,
महानगरपागारकवाडफलिहभूयं, रज्जुपिणिद्धो व इंदकेतू विसुद्ध-
णेनगुणसंपिणद्धं, जंमि य भग्गंमि होइ सहसा सव्वं संभग्गमदिय-

मत्थिय-चुन्निय-कुसल्लिय-पव्वयपडिय-खंडिय-परिसडिय-विणासि-
यं, विणयसीलतवनियमगुणसमूहं तं बंभं भगवंतं गहगणनक्खत्त-
तारगाणं वा जहा उडुपत्ती, मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरयणागराणं
च जहा समुद्दो, वेरुलिओ चैव जहा मणीणं, जहा मउडो चैव
भूसणाणं, वत्थाणं चैव खोमजुयलं, अरविदं चैव पुप्फजेट्ठं,
गोसीसं चैव चंदणाणं, हिमवंतो चैव ओसहीणं, सीतोदा चैव
निन्नगाणं, उदहीसु जहा सयंभुरमणो, रुयगवरे चैव मंडलिक-
पव्वयाणं, पवरो एरावण इव कुंजराणं, सीहोव्व जहा मिगाणं,
पवरे पवकाणं चैव वेणुदेवे, धरणो जह पण्णगइंदराया, कप्पाणं
चैव वंभलोए, सभापु य जहा भवे सोहम्मा, ठितिसु लवसत्तमव्व
पवरा, दाणाणं चैव अभयदाणं, किमिराओ(उ) चैव कंबलाणं,
संघयणे चैव वज्जरिसभे, संठाणे चैव समचउरंसे, झारोसु य
परमसुककज्झाणं, णारो सु य परमकेवलं तु सिद्धं, लेसासु य
परमसुकलेस्सा, तित्थंकरे जहा चैव मुणीणं, वासेसु जहा महा-
विदेहे, गिरिराया चैव मंदरवरे, वरोसु जह नदणवणं पवरं,
दुमेसु जहा जंबू सुदंसणा वि(वी)-सुयजसा जीए नामेण य अयं
दीवो । तुरगवती, गयवती, रहवती, नरवती जह वीसुए चैव
राया, रहिए चैव जहा महारहगते । एवमणेगा गुणा अहीणा भवन्ति
एकंमि बंभचेरे जंमि य आराहियंमि आराहियं वयमिणं सव्वं,
सीलं तवो य, विणओ य, संजमो य, खंती, गुत्ती, मुत्ती, तहेव इह-
लोइयपारलोइयजसे य, कित्ती य, पच्चओ य । तम्हा निहुएण बंभचेरं
चरियव्वं, सव्वओ विसुद्धं जावज्जीवाए जाव सेयट्ठिसंजउत्ति,
एवं भणियं वयं भगवया । तं च इमं—

पंचमहव्वयसुव्वयमूलं, समणमणाइलसाहुसुचिन्नं ।
वेरविरामणपज्जवसाणं, सव्वसमुद्दमहोदधितित्थं ॥१॥

तित्थकरेहि सुदेसियमग्गं, नरयतिरिच्छविवज्जियमग्गं ।
 सव्वपवित्तसुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाणअवंगुदादरं ॥२॥
 देधनरिदनमंसियपूयं, सव्वजगुत्तममंगलमग्गं ।
 दुद्धरिसं गुणनायकमेवकं, मोक्खपहस्सवडिसकभूयं ॥३॥

जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंभणो सुसमणो सुसाहू सुइसी
 सुमुणी स संजए स एव भिक्खू जो सुद्धं चरति बंभचेरं ।

इमं च रतिरागदोसमोहपवड्ढणकरं किमज्झ-पमाय-दोस
 पासत्थ-सीलकरणं अब्भगणाणि य तेल्लमज्जणाणि य अभिक्खणं
 कक्ख-सीस-कर-चरण-वदण - धोवण-संबाहण-गायकम्म-परिमद्द-
 णाणुलेवण- च्चुन्नवास- धूवण- सरीरपरिमंडण-वाउसिकं, हसिय-
 भणिय-नट्ट-गोय-वाइय-नड-नट्टक-जल्ल-मल्ल-पेच्छण-वेलंबका जाणि
 य सिंगारागाराणि य अन्नाणि य एवमादियाणि तवसंजमबंभचेर-
 घातोवघातियाइ अणुचरमाणेणं बंभचेरं वज्जेयव्वाइं सव्वकालं ।
 भावेयव्वो भवइ य अंतरप्पा इमेहि तवनियमसीलजोगेहि निच्च-
 कालं ! किं ते ? अण्हाणक-अदंतधावण-सेयमलजल्लधारणं मूणवय-
 केसलोए य खम-दम-अचेलग-खुण्णिवास-लाघव-सितोसिण-कट्ट-
 सेज्जा-भूमिनिसेज्जा-परधरपवेस-लद्धावलद्ध-माणावमाण- निदण-
 दंसमसग-फास-नियम-तव-गुण-विणयमादिएहि जहा से थिरतरकं
 होइ बंभचेरं ।

इमं च अबंभचेरविरमणपरिरक्खणट्टयाए पावयणं
 भगवया सुकहियं, पेच्चाभाविकं, आगमेसिभद्दं, सुद्धं, नेयाउयं,
 अकुडिलं, अणुत्तरं, सव्वदुक्खपावाण विउसवणं ।

संस्कृतच्छाया

अन्व ! इतरथ ब्रह्मचर्यम् उत्तमतपोनियमज्ञानदर्शनधारित्र-सम्यक्त्व-
 विनयमूलम्, यमनियमगुणप्रधानमुक्तम्, हितवन्महत्तेजस्वि, प्रसस्तमन्मोर-

स्तिमितमध्यम्, आर्जवसाधुजनाचरितम्, मोक्षमार्गम्, विशुद्धसिद्धिगतिलयम्, सास्वतम्, अद्यावाधम्, अपुनर्भवम्, प्रशस्तम्, सौम्यम्, शुभम् (सुखम्), शिवम्, अचलम्, अक्षयकरम्, यतिवरसरक्षितम्, सुचरितम्, सुसाधितम्, केवल मुनिवरैर् महापुरुषघोरसुरधामिकघृतिमतां च सदा विशुद्धम्, भध्यम्, सर्वभग्यजनानुचरितम्, निःशकितम्, निर्भयम्, निस्तुषम्, निरायासम्, निरुपलेपम्, निर्वातिगृहम्, नियमनिष्प्रकम्पम्, तत्र सयममूलदलिकनिभम्, पञ्चमहावतसुरभितम्, समितिगुप्तिगुप्तम्, ध्यानवरकपाटसुकृतम्, अध्यात्मदत्तपरिघम्, सन्नद्धाच्छावित दुर्गतिपथम्, सुगतिपथदेशकम् च लोकोत्तमं च व्रतमिदम्, पद्मसरस्तङ्गागपालिभूतम्, महाशकटारकतुम्बभूतम्, महाविटपवृक्षस्कन्धभूतम्, महानरप्रकारकपाटपरिघभूतम्, रज्जुपिनद्ध इवेन्द्रकेतुविशुद्धानेकगुणतस्मिन्द्धम् यस्मिंश्च भग्ने भवति सभग्न-मदित-मथित-चूर्णित-कुशलित-पर्वतपतित (पर्यस्तपतित)-खडित-परिशटित-विनाशितम्, विनय-शोल-तपो-नियमगुणसमूहः तद्ब्रह्म भगवद् ग्रहगणनक्षत्रतारकाणां वा यथोद्गुपतिः, मणि-मुक्ता-शिला-प्रवाल-रत्नरत्नाकराणां यथा समुद्र, वैदूर्यं चैव यथा मणोनाम, यथा मुकुटं चैव भूषणानाम्, वस्त्राणामिव क्षीम-युगलम्, अरविन्दमिव पुष्पज्येष्ठम्, गोशीर्षमिव चन्दनानाम्, हिमवान् इवोषधोनाम्, सीतोदा इव निम्नगानाम्, उवधिषु यथा स्वप्नमूरमणः, रत्नकर इव मांडलिकपर्वतानाम्, प्रवर ऐरावण इव कुजराणाम्, सिंह इव यथा मृगाणाम्, प्रवरः पवकानां चैव वेणुदेवः, धरणी यथा पद्मनेन्द्र-राजा, कल्पानामिव ब्रह्मलोकः, सभासु च यथा भवेत् सुधर्मा, स्थितिषु स्वसप्तमेव प्रवरा, दानानामिव अभयदानम्, क्रमिराग इव कम्बलानाम्, सहननमिव वज्रधर्मम्, सस्थानमिव समचतुरस्रम्, ध्यानेषु च परमशुक्ल-ध्यानम्, ज्ञानेषु च परमकेवल तु सिद्धम्, लेश्यासु च परमशुक्ललेश्या, तीर्थङ्करो यथैव मुनीनाम्, वर्धेषु यथा महाविदेहः, गिरिराज इव मन्दरवरः, वनेषु यथा नन्दनवन प्रवरम्, द्रुमेषु यथा जम्बूः, सुदर्शना विभ्रुतयशा यस्या नाम्ना चायं द्वीपः, तुरगपतिः, गजपतिः, रथपतिः, नरपतिः विभ्रुतइव राजा, रथिक इव यथा महारथगतः, एवमनेके गुणा अहीना भवन्त्येकस्मिन् ब्रह्मवर्गे यस्मिंश्चाराधिते आराधितं व्रतमिदं सर्वम्, शीलम्, तपश्च, विनयश्च, संयमश्च, क्षान्तिगुप्तिः मुक्तिस्तथैव ऐहलौकिकपारलौकिकव्यशांति च

कीर्तयश्च, प्रत्ययश्च, तस्माद् निभूतेन ब्रह्मचर्यं चरितव्यं सर्वतोविभुद्धं
यावज्जीवतया (यावज्जीवम्) यावत् श्वेतासिः (श्वेयोःशौ) सयतः इत्येवं
भगितं व्रतं भगवता । तच्चेदम्—

पञ्चमहाव्रतसुव्रतमूलम्, सभावमनाविलसाधुसुचरितम् ।
वैरविरमणपर्यवसानम्, सर्वसमुद्रमहोदधितोषम् ॥१॥
तीर्थकरः सुदेशितमार्गम्, नरकतिर्यग्बिर्वाजितमार्गम् ।
सर्वपवित्रसुनिर्मितसारम्, सिद्धिबिमानाःपावृतद्वारम् ॥२॥
देवनरेन्द्रनमस्थितपूतम्, सर्वजगदुत्तममगलमार्गम् ।
दुग्धं गुणनायकमेकम्, मोक्षपथस्यावतंसकभूतम् ॥३॥

येन शुद्धचरितेन भवति सुब्राह्मणः सुधर्मण सुसाधुः सुश्रद्धः
सुमुनिः स सयतं स एव भिक्षुर्यः शुद्ध चरति ब्रह्मचर्यम् ।

इदं च रतिरागद्वेषमोहप्रवर्द्धनकरम्, किमप्यप्रमाददोषपाश्वंस्व-
शोलकरणम् अभ्यगनानि च तैलमज्जनानि च अभीक्ष्णं कक्ष-शीर्ष-कर-
चरण-वदन-धावन-सवाहन - गात्रकर्म - परिमर्शनऽनुलेप । - चूर्णवास-धूपन-
शरीरपरिमर्दनवाकुशिकम्, हसित-भगित-नाट्य-गीत-बावित-नट-नतंक-
जल्लमत्सप्रेक्षणविडम्बकाः, यानि च भृंगारागाराणि चान्यानि चैवमादि-
कानि ततःसंयमब्रह्मचर्यघातोपघातिकानि अनुचरता ब्रह्मचर्यं वर्जयितव्यानि
सर्वकालम् । भावयितव्यो भवति चान्तरात्मा एभिस्तपोनियमशौलयोग-
नित्यकालम् । किं तत् ? अस्नानकाऽवन्तधावनस्वेदमलजल्लधारण मौन-
व्रतकेशलोचौ च क्षमादमाऽचेलक्ष्यक्षुद्रविपासालाघवशीतोष्णकाष्ठशय्या-
भूमिनिषेद्यापरगृहप्रवेशालम्बापलम्बमानाऽपमाननिन्दनदशमशकस्पृशंनियम -
तपोगुणबिनयादिकेर् यथा तस्य स्थिरतरकं भवति ब्रह्मचर्यम् ।

इदं चाब्रह्मचर्यविरमणपरिरक्षणार्थतायै प्रबन्धनं भगवता सुकथितम्,
प्रेत्यभाविकम्, आगमिव्यवसन्नम्, शुद्धम्, नैयायिकम्, अकुटिलम्, सर्वदुःख-
पापानां व्युपशमनम् ।

पवान्चयार्थ—श्री मुक्षमस्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—

(जम्बू !) हे जम्बू ! (एतो य) इस अवसादानविरमणसंवर के बाद, (वज्रचरं) ब्रह्म-
चर्यसंवर के सम्बन्ध में कहता हूँ, जो (उत्तमतत्त्व-नियम-भाग-वसतश्च-चरित-सम्मत-
विषयमूलं) उत्तम तप, नियम, ज्ञान, व्रतं, चरित्र, सम्बन्ध, और विनय का मूल
है (यस-नियम-गुणव्यवहारानुरां) अहिंसा सत्यभावित्त,अभिग्रह आदि नियम, जो प्रधान

गुण हैं, उनसे युक्त है, (हिमवन्तमहन्तयेमयं) हिमवान् पर्वत से भी महान्तेजस्वी है, (वसन्तपर्वतभोरचित्तमज्जं) जिसके पालन करने से साधकों का मध्य-अन्तःकरण प्रसस्त-उदार, गम्भीर और स्थिर होता है, (अञ्जवसाहृज्जापरियं) सरलता से सम्पन्न साधुजनों द्वारा आचरित है, (भोक्त्वमगं) भोज का मार्ग है, (विमुद्धसिद्धिगतिनित्य) रागद्वेषकालुष्य से रहित-विमुद्ध सिद्धिरूपगति का स्थान है, (सासयं) शाश्वत - नित्य है, (अम्बाबाहं) भुधा आदि बाधा - पीड़ाओं से रहित है, (अपुण्यमव) इसके पालने से से पुनः लौटना, जन्म लेना— नहीं होता; (पसत्वं) बह प्रसस्त—मगलमय है, (सोम) सौम्यरूप है, (सुमं) सुम है अथवा (सुलं) सुखरूप है, (सिवं) उपद्रवरहित या कल्याण रूप है, (अचलं) स्थिर है, (अवख्यकरं) पूर्णमा के चन्द्र की तरह अक्षत है, अतएव आह्लादकर है अथवा अजय-भोक्षपद का कारण है, (जतिवरसारविद्धतं) उत्तम साधुओं द्वारा इसकी सुरक्षा की गई है, (सुचरिऽ) यह श्रेष्ठ आचरण है, (नबरि) केवल (मुनिवरेहिं) प्रधान मुनियों द्वारा (सुसाहियं) इसकी अच्छी तरह साधना की गई है, (महापुरिसवीर-सूरधम्मियधितमताण) उत्तम गुणों से युक्त महापुरुषों, धर्मधारियों में अत्यन्त महासत्त्वशाली पुरुषों, धार्मिकों एवं वृत्तिमान पुरुषों का (य) ही यह व्रत (सयाविपुद्धं) सदा विमुद्ध—दोषों से रहित होता है, यह (मग्गं) कल्याण-रूप है, (सवधमवज्जाणुचिन्नं) समस्त मध्यजनों द्वारा आचरित है। (निस्तंकियं) यह शंकारहित है, इसमें शंका को कोई स्थान नहीं, (निग्गय) इसमें भय को भी अवकाश नहीं, (नित्तुसं) पुण्यरहित चाबल के समान सारयुक्त है, (निरायत्तं) इसके पालन में कोई भ्रम या श्रेय नहीं होता, (निक्खलेणं) यह आसक्ति या मलिनता के लेश से रहित है, (निम्भुतिघरं) बहु चिरा की शान्ति का घर है, (नियमनिप्यकापं) यह निश्चय से निष्कम्प्य अपवाद—अतिचाररहित है अथवा इसका नियम अटल होता है, अतः अविचल है, (तपसंजममूलदलियणेम्मं) यह तप और संयम के मूलसद्व्य के समान है, (पंचमह्वयसुरविद्धं) पांच महाव्रतों में इसका अच्छी तरह रक्षण-जतन अत्यन्त आवश्यक है, (समित्तिसुरिणूरां) यह पांच समित्तियों तथा तीन गुप्तियों से सुरक्षित है, (शाणवरकवाडसुकयं) उत्तम ध्यानरूपी कपाट से इसका भलीभांति जतन किया जाता है, (अञ्जन्पविन्नकमिहं) ध्यानरूपी कपाट को सुदृढ़ करने के लिए बूसरी अन्ध्यात्म की अनुभूतिरूपी अर्चला है। (संनद्धोच्छइज्जुग्गइयहं) जिसके द्वारा दुर्गति का पथ बाधा और रोका जाता है। (सुपत्तिपह्वेसगं) यह सुपत्ति का पथ-प्रवेशक है, (च) और (लोगुत्तमं) शोक में उत्तम, (इणं वयं) यह व्रत (पडमसरतत्ताम-पानिभूयं) चित्ते हुए कमलों वाले पद्मसररोवर और तन्नामरूपी धर्म की रक्षा के लिए

यह पाल के समान है (महासगडभरगुंबभूम्यं) बड़े गाड़े के आरों के लिए आधारभूत धुरी की तरह यह भी जमा आवि गुणों के लिए धुरी रूप है, (महाविडिमस्त्वसंधभूम्यं) आभितों के लिए परम उपकारी विशाल वृक्ष के स्कन्ध की तरह यह भी परमोपकारी धर्म रूप वृक्ष के स्कन्ध के समान है; (महानगरपागारकवाडकालिहूम्यं) विविध सुख के कारणभूत धर्मरूपी महानगर के परकोटे के कपाट की अंगला के समान यह भी रसाक है, (रञ्जुपिनड इव इंबकेतू) रस्ती से बंधी हुई इन्द्रकेतु-महोत्सव की ध्वजा के समान यह ब्रह्मचर्य है। (विमुटभोगगुणसंपिण्डं) धर्म्यं आवि अनेक विमुक्त गुणों से यह अनुत्पृत है, (जंमि य भग्गमि) जिस (ब्रह्मचर्यं) के भंग होने पर (सहसा) अचानक (सम्भं) समस्त (विणयसीलतव-नियम गुण-समूहं) विनय, शील, तप, नियम आवि गुणसमूह, (संभम्भ-मद्विय - मत्थिय-वृत्तिय-कुसल्लिय-पध्वयपडिय-संठिय-परिसठिय-विणासियं) धर्म के समान फूट जाते हैं, वही की तरह मथ जाते हैं, धने की तरह पिस जाते हैं, वायु से बींधे हुए शरीर की तरह बींधे जाते हैं, पर्वत से गिरे हुए पाषाण की तरह चूर-चूर हो जाते हैं, महल के शिखर से गिरे हुए कलश आवि की तरह नीचे गिर जाते हैं, लकड़ी के डंडे के समान टूट जाते हैं, कोड़ आवि से सड़े हुए शरीर के समान सड़ जाते हैं, अग्नि से भस्म हुई लकड़ी की राख के समान वे अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, (तं) इस प्रकार का वह (भगवत्तं) भगवान् (वभं) ब्रह्मचर्य (गहगणनस्सत्त-तारगण) ग्रहगणों, नक्षत्रों और तारों के बीच में (जहा उडुपती वा) जैसे चन्द्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही दूसरे जतों, नियमों आवि में ब्रह्मचर्य शोभायमान होता है। (मणिमुत्तसिलम्पबालरत्तरयभागारणं च जहा समुहो) मणि, मोती, शिला, मूंगा, पद्मराज आवि साल रत्नों की उत्पत्ति का स्थानभूत जैसे समुद्र है, वैसे ही ब्रह्मचर्य अनेक गुणरत्नों का समुद्र है। तथा (वेधसियो वेध जहा मणीण) मणियों में जैसे बंडूबंमणि अष्ट होती है वैसे ही ब्रह्मचर्य षट है; (भूसणार्णं) आभूषणों में (मउडो वेध) मुकुट की तरह वह है (वस्थाणं वेध सेमकुयलं) इसी प्रकार वस्त्रों में भारीक धिकने रई के बने वस्त्र उत्तम होते हैं वैसे ही ब्रह्मचर्य भी है, (अरविं वेध पुण्डकेहुं) फूलों में ज्येष्ठ जैसे अरविन्द फूल है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी सब में ज्येष्ठजत है; (योसीत्तं वेध बंधणार्णं) बन्धनों में गोरीबं बन्धन की तरह प्रधान वह ब्रह्मचर्य है; (हिम्-वंतो वेध ओसहीणं) औषधियों के लिए हिमवान् पर्वत की तरह यह ब्रह्मचर्य है,

(सीतोवा जेव निष्पगानं) नदियों में सीतोवा नदी की तरह प्रवर है ब्रह्मर्ष्यं, (उवहीसु जहा सवभूरमणो) समुद्रों में जैसे स्वयंभूरमण समुद्र श्रेष्ठ है वैसे ही ब्रह्मर्ष्यं सबमें श्रेष्ठ है। (रुयगवरे जेव मंडलिकपव्वयाणं मांडलीक पर्वतोंमें जैसे रुचकावर पर्वत श्रेष्ठ है वैसे ही ब्रह्मर्ष्यं श्रेष्ठ है; (पवरो एरावण इव कुंजरानं) हाथियों में इन्द्र के श्रेष्ठ ऐरावत हाथी की तरह महान् ब्रह्मव्रत है। (सीहोव्व जहा मियाणं) सब पशुओं में सिंह की तरह ब्रह्मर्ष्यं सब में प्रधान है; (पवरे पवकाणां जेव वेणुवेवे) श्रेष्ठ सुपर्णकुमार देवों में वेणुदेव के समान (धरणो जह पव्वगईवराया) नागकुमार देवों में श्रेष्ठ धरणेन्द्र के समान है, (कप्पाणं बंभलोए जेव) कल्प देवलोकों में उत्तम पांचवें ब्रह्मलोक के समान यह श्रेष्ठ है। (य) तथा (सभासु जहा सुहम्मा) सभाओं में श्रेष्ठ जैसे सुधर्मा सभा है, वैसे ही ब्रह्मर्ष्यं सर्वश्रेष्ठ है (ठितिसु लवसत्तमव्व) आयुष्य में अनुत्तर-विमान वासी देवों की ७ लव आयु (पवरा) श्रेष्ठ है, (वाणाणं) आहारारि - दान में (अभयदानं जेव) अभय दान के समान है, (किमिराओ जेव कंबलाणं) कंबलों में कुमिराग नामक रत्न कंबल श्रेष्ठ होता है, उसी तरह ब्रह्मर्ष्यं श्रेष्ठ है, (संघयणे जेव वज्जरिसंभं) यथा सहननों में वज्रश्चक्र नाराय संहनन उत्तम होता है, तथैव ब्रह्मर्ष्यं भी उत्तम है, (संठाणे जेव समच्चउरसे) संस्थानों में समच्चतुरल संस्थान श्रेष्ठ है, वैसे ही ब्रह्मर्ष्यं है, (ज्ञानेसु य परमसुक्क ज्ञानं) ध्यानों में सर्वोत्तम परमशुक्लध्यान होता है, तथैव सभी व्रतों में ब्रह्मर्ष्यं प्रवर है (ज्ञानेसु परमकेवलं सुसिद्धं) ज्ञानों में परम केवल ज्ञान के समान श्रेष्ठरूप में प्रसिद्ध ब्रह्मर्ष्यं है। (लेस्सासु परमसुक्कलेस्सा) बट् लेश्याओं में सर्वोत्तम परमशुक्ल्लेश्या के समान ब्रह्मर्ष्यं है, (मुणीण जेव तित्थयरे जहा) मुनियों में तीर्थंकर के समान ब्रह्मर्ष्यं उत्तम है। (वासेसु महाचिवेहे जहा) सात क्षेत्रों में महाचिवेह क्षेत्र के समान (गिरिराया मंवरवरं जेव) पर्वतों में मन्बराजस-सुमेरु पर्वत के समान, (वणेसु मंवरवणं जहा) वनों में नन्दन वन के समान, (पवरं) श्रेष्ठ है, (सुमेसु जंजु जहा) वृक्षों में जैसे जंजू वृक्ष श्रेष्ठ है, तथैव व्रतों में ब्रह्मर्ष्यं श्रेष्ठ है, (सुबंसण बीसुयजसा) जंजू वृक्ष का प्रख्यातयमावाला वृक्ष का नाम सुवर्शन है (य) और (जिए) जिसके, (नामेण) नाम से (अयंवीवो) यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। जहा जैसे (सुरगवती) अश्वपति, (पयवती) गजपति, (रहवती) रथपति (नरवती) नरपति (राया) राजा (वीसुए जेव) प्रख्यात होता है, वैसे ही व्रतों में यह विख्यात है। (जहा र्हिए राया महारहगते जेव) महान् रथ पर

सवार होकर राजा जैसे अपने शत्रुओं को पराजित कर देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी कर्मशत्रु की सेना को हरा देता है। (एवं) इस प्रकार (एकमि) एक (बंधधरे) ब्रह्मचर्य के होने पर (अणोना गुणा अहीना) अनेक गुण आत्मा के अर्धीन हो जाते हैं (य) तथा (अंमि आराहियंमि) जिसकी आराधना कर लेने पर (सव्यमिणं वयं आराहियं) इस सम्पूर्ण मुनिव्रत की आराधना हो जाती है (सीलं तयो विणओ य) तथा शील, तप, धिनय (य) और (सजमो) संयम, (संती गुती मुती) क्षान्ति, गुप्ति, और मुक्ति-निर्लोभता, (तहेव, इसी प्रकार (इहलोइय-पारलोइयजसे कित्ती य) इहलौकिक और पारलौकिक यश और कीर्ति, (य) और (पच्चाओ) प्रत्यय-यह सज्जनो मे अग्रणी है, ऐसी प्रतीति, इन सब गुणों की उपलब्धि ब्रह्मचर्य की आराधना से हो जाती है। (तम्हा इसलिए (सव्वाओ) मन-वचन-काया से (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (जाव सेवट्टि संजउत्ति) जब तक संयमी साधक के सकेव हृद्दियां रहें तब तक निरुपेक्ष सुद्धं बंधधरं चरियेव्वं) साधक को निरचल होकर शुद्ध ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करना चाहिए। (एवं) आगे कहे अनुसार (भगवया) भगवान् महावीर ने (वयं भणियं) ब्रह्मचर्यव्रत का स्वरूप बताया है (त च इमं) यह ब्रह्मचर्यव्रत इस प्रकार है—(पंचमहव्ययसुव्ययमूल) यह पांच महाव्रतों और पांच अणुव्रतों का मूल है, अथवा पंच महाव्रत रूप उत्तम व्रतों की जड़ है, या पंच महाव्रतधारी भ्रमणों के उत्तम नियमों का मूल है। (समभमणाइलसाहुसुचिन्नं) निर्दोष भ्रमणों ने इसका अच्छी तरह निष्ठापूर्वक आचरण किया है। (वेरिवारिअणपञ्जवसाणं) बंध की निवृत्ति करना ही इसका अन्तिम फल है। (सव्यसमुद्दमहोवधितित्थं) सब समुद्रों में महान् समुद्र-स्वयंभूरभण सागर के समान कुस्तर है, अतएव पवित्रता के कारण यह तीर्थ के तुल्य है। (तित्थकरेहि सुवेसियमग्गं) तीर्थकारों ने इसके पालन का गुप्ति आदि मार्ग-उपाय बताया है। (नरयतिरिच्छ विचज्जियमग्गं) यह नरक और तिर्यंचगति के मार्ग का निवारण करता है। (सव्यपवित्त सुनिम्मियसारं) समस्त पवित्र कार्यों को यह सारवान् बनाने वाला है (सिद्धि विमाण अंबगुयदारं) जिसने सिद्धि-भोग और स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया है, (वेव नरिदनमंसिय पुयं) यह देवैश्यों और नरेश्यों से नमस्कृत तथा वनधरादि से पूज्य है। (सव्यजगुत्तममंगलमग्गं) सारे संसार के उत्तम मंगलकार्यों का यहमार्ग रूप है। (इद्धरिसं) दूसरों से इसका परामर्श नहीं हो सकता, (एक्कं) यह अद्वितीय गुण है, (गुणनायकं) गुणों का नेता है अथवा गुणों को प्राप्त कराने वाला है, (भोक्खपहस्त वडिक्कपुयं) सम्भवत्संन

आदि मोक्ष मार्गके शेरार के समान है । (जेण सुद्धचरिएण) जिसके शुद्ध रूप में आचरण करने से मनुष्य (सुबंभणो) उत्तम ब्राह्मण, (सुसमणो) उत्तम श्रमण, (सुसाहू) अच्छा साधु (सुइसी) अष्ट ऋषि, (सुसुणी) उत्कृष्ट मुनि (भवति, हो जाता है । (स संजए) वही संयमी है, (स एव भिक्खू) वही भिक्षु है, (जो बंभचरं सुद्धं चरति) जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है ।

(इमंभ) तथा आगे कहे जाने वाले (रति राग दोस मोह-पवइडणकरं) विषयराग, स्नेहराग, द्वेष और मोह की वृद्धि करने वाले (किमज्झ - पमाय-दोस पासत्थसीसकरणं) निःसार-कुत्सित मध्यमप्रमाद या प्रमाद ही मध्य है, उस प्रमाद दोष के कारण बने हुए पार्श्वस्थ-साठवाभासों के शील-आचार का सर्वथा त्याग करे (य अक्खंणाणि) और घी, तेल आदि से मर्दन, (तेल्ल मज्जणाणि य) तथा तेल लगाकर स्नान करना, (अभिवच्छणं) बारबार (कवच्छ-सीस कर चरण वदण-धोवण-संवाहण-गायकम्म-परिमहणाणुलेवण-चुल्लास-धूषण-सरोरपरिमंढण - बाउसिकं) कांछ, सिर, हाथ, पैर, मूंह धोना, इनको बबवाना-बबाना, शरीर की पगचंपी कराने के रूप में ग्राह्यपरिकर्म, सम्पूर्ण शरीर मलना, चंदनादि का लेप करना, सुगन्धित चूर्ण-पाउडर लगाना, अगरबत्ती आदि से धूप देना, शरीर को सजाना, शृंगार करना, नख, केश वस्त्रादि का संवारना आदि बाहुशिक कर्म, तथा (हुंसिय भणियं नट्टगीय-वाइय-नडनट्टकजल्लमल्लपेच्छणवेल्लंबक) हंसना, बिकारयुक्त बोलना, नृत्य देखना, गीत गाना, बाजे बजाना, नट, नर्तक-नाचने वाले, रस्ती पर खेल दिखाने वाले, तथा पहलवानों और भाइयों के खेल तमाशो या कुश्ती आदि देखना (य) और (जाणि) जो (सिगारा-गाराणि) शृंगार रस के एक तरह से घर हैं (अस्साणि य एवमादियाणि) दूसरी भी इसी प्रकार की जो बातें हैं, (तवसंजमबंभचेरघातोवघातियाइं) जो तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य का थोड़ा घात या बारबार अधिक उपघात करने वाली हैं, (बंभचेरं अनुचर-माभेभं सव्वकार्णं वज्जेयव्वाइं) ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को ये सब बातें सदासंबंधा छोड़ देनी चाहिए, इन्हें वर्जनीय समझना चाहिए । (य) तथा (इमेहिं) आगे कहे जाने वाले (तव नियमसील जोगेहिं) तप, नियम, और शील के व्यापारों-प्रवृत्तियों द्वारा (निज्जकार्णं) नित्य निरंतर (अंतरप्पा भावेयव्वो) अन्तरात्मा भावित-संस्कारित करना चाहिए । (किं ते ?) वे व्यापार या प्रवृत्तियाँ कौन-कौन-सी हैं ? (अच्छाणक-वंतघावण-सेयमल-जल्लधारणं) मूषकय केसलोए य खमदमअवेसव-कुप्पिवास-नाघव-सीतोसिणकटठसेज्जा कुमिनिसेज्जा-परधरपवेस-अट्ठावसट्ठ-माणावमाण - निदण-वंसमसगकास-नियम-तव-गुण-विषय-मादिएहिं) स्नान न करना, दांत साफ न करना, पसीना, मेल या शरीर

के मूल विशेष को धारण करना, मीनव्रत रखना, केसलोच करना, क्षमा, दम, अचेलकतता-वस्त्ररहिता या अल्पजीर्ण वस्त्र धारण करना, क्षुधा और पिपासा सहन करना, लघुता धारण करना, सर्बो-गर्भो सहना, काष्ठ की शय्या पर सोना, भूमि पर बैठना, भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर जाना, भिक्षा आदि के मिलने पर अभिमान तथा न मिलने पर या कम मिलने पर अपमान-द्वन्द्व न दिखाना, निम्ना सहन करना, डांस व मच्छर के स्पर्श सहना, नियम-उत्तर गुण, तपस्या, मूलगुणादि और विनय इत्यादि में अन्तरात्मा को सम्यक् प्रकार से स्थापनायुक्त-संस्कारसम्पन्न बनाना चाहिए। (जहा) जिससे इन सब के योग से (यं) उस ब्रह्मचारी का (बंभचेरं) ब्रह्मचर्य (धिरतरकं होइ) अत्यन्त स्थिर हो जाता है।

(च) तथा (इमं) यह (पावयणं) ब्रह्मचर्यरूप सिद्धान्त प्रवचन (भगवया) भगवान् महावीर स्वामी ने, (अबंभचेर विरमण परिरक्खणट्ठयाए) अब्रह्मचर्य से विरति एव ब्रह्मचर्य संवर की परिरक्षा के लिए (सुकहियं) सुन्दर ढंग से कहा है; जो (पेखाभाविय) जन्मान्तर में सहायक (आगमेसिभहं) भविष्य में कल्याणकर (सुद्धं) निर्दोष, (नेआउय) न्यायसगत, (अकुडिलं) कुटिलता से रहित (अणुत्तरं) श्रेष्ठ और (सव्ववुक्खपावाणं) सभी बुद्धों और पापों को (विउसवणं) शान्त करने वाला है।

मूलार्थ - श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रधान शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! अदनादान त्याग व्रत के अनन्तर ब्रह्मचर्यव्रत का वर्णन करता हूँ। यह ब्रह्मचर्यव्रत उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है, अहिंसा एवं सत्यादि पंचमहाव्रतरूप यम तथा अभिप्रहादिरूप नियम के प्रधान गुणो से युक्त है। यह हिमवान पर्वत से भी महा तेजस्वी है। इसका पालन करने वाले साधकों का अन्तःकरण विशाल, उदार, गम्भीर और स्थिर हो जाता है। सरलस्वभावी साधुमहात्माओं ने इसका आचरण किया है, यह मोक्ष का मार्ग है, रागद्वेषादि से रहित विशुद्ध सिद्धिगति का आश्रय है। यह शाश्वत-नित्य, बाधरहित, पुनः उत्पत्ति न होने का कारण है, यह श्रेष्ठ है, सौम्य है, शुभ या सुख का कारण है, कल्याणकर्ता है, स्थिरता का कारण है, अक्षय—मोक्ष का कारण है, उत्तम साधुजनों ने इसकी सुरक्षा की है, यह श्रेष्ठ आचरण है, केवली मुनिवरों ने इसका सरहस्य निरूपण किया है। जाति, कुल आदि गुणों से उत्तम महापुरुषों एवं धैर्यधारियों में महासत्व पराक्रमी पुरुषो, धर्मप्राण एवं धैर्यवान् पुरुषों का ही यह व्रत सब अवस्थाओ में विशुद्ध निर्मल रहता है। यह भव्य व्रत है, समस्त भव्यजन

इसका आचरण करते हैं, यह शंका से रहित है, इसमें भय को कोई स्थान नहीं है, यह तुषरहित चावल के समान सारयुक्त वस्तु है, इसमें किसी प्रकार के श्लेद को अवकाश नहीं है, मालिन्य के लेप की गुंजाइश नहीं है, यह वित्त की परमशान्ति—निवृत्ति का घर है, इसका नियम अचल है, यानी अतिचार—अपवाद को इसमें स्थान नहीं है, तप और सयम का यही (ब्रह्मचर्य ही) मूल है, पांचों महाव्रत इससे सुरक्षित रहते हैं अथवा पंचमहाव्रतों में इसका रक्षण-जतन अत्यन्त आवश्यक है। यह पाँच समितियों और तीन गुणितियों से सुरक्षित है, उत्तम ध्यान रूपी कपाट से इसकी भलीभाँति रक्षा की जाती है और ध्यानरूपी कपाट को मुट्ठ करने के लिए अध्यात्म-अनुभव ज्ञानरूप उपयोग की अर्गला लगाई जाती है। इसके जरिये दुर्गति का मार्ग बाँधा और रोका जाता है, यह उत्तमगति का पथप्रदर्शक है, पद्मसरोवर एव तालाब के समान शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए यह लोकोत्तम व्रत पाल है, बड़ी गाड़ी (महाशकट) के पहिये में लगे हुए आरो का आधार जैसे उसकी छुरी (नाभि) होती है वैसे ही जीवन रूपी गाड़ी के गुण रूपी आरो के आधारभूत छुरी के समान ब्रह्मचर्य है। बड़ी शास्त्राओं वाले धर्म रूपी महावृक्ष का यह स्कन्ध (तना) है। धर्मरूपी महानगर के कोट के कपाटों के लिए यह लोहदंड - आगल के समान विपत्ति से रक्षा करने वाला है, रस्सी से परिवेष्टित महोत्सवध्वज-इन्द्र ध्वज के समान सुशोभित है, यह धैर्य आदि अनेक निर्मल गुणों से परिवेष्टित है। इस व्रत का भंग होने पर विनय, शील, तप आदि सब गुणममूह मिट्टी के घड़े के समान एक दम नष्ट हो जाते हैं, दही के समान मथ जाते हैं - मर्दित हो जाते हैं, चने के समान पिस जाते हैं, बाण से बीँधे हुए शरीर के समान विध जाते हैं, महल के शिखर से गिरे हुए कलश के समान नीचे गिर जाते हैं लकड़ी के दण्ड के समान टूट जाते हैं, कोढ़ आदि संसड़े हुए शरीर के समान सड़ जाते हैं और अग्नि में जलकर भस्म हुई लकड़ी की राख के समान अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार प्रशस्त लक्षणों से युक्त वह भगवान् ब्रह्मचर्य ग्रहणों, नक्षत्रों और तारों के बीच में चन्द्रमा के समान सब व्रतों के बीच में सुशोभित है। जैसे समुद्र चन्द्रकान्त आदि मणि, मोती, शिला, मृगा और पद्मरागादि रक्त रत्नों की खान है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी अनेक गुणरूप रत्नों की खान है। मणियों में वैदूर्य मणि जैसे श्रेष्ठ है,

वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। आभूषणों में जैसे मुकुट प्रधान आभूषण है, वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है। सब वस्त्रों में बारीक चिकने रुई के बने हुए वस्त्र उत्तम होते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य सबमें उत्तम है। सब पुरुषों में प्रधान कमल के समान व्रतों में प्रधान ब्रह्मचर्य है, समस्त चन्द्रों में गोशीर्षचन्द्र के समान श्लाघनीय है। सब औषधियों के जनक हिमवान् पर्वत की तरह यह भी सब व्रतों का जनक है, समस्त नदियों में सीतोदा नदी के समान विशाल है। सब समुद्रों में स्वयम्भूरमण समुद्र के समान महान् है, बलयाकार—गोल चक्राकार पर्वतों के बीच में तेरहवें द्वीप में स्थित रुक्मवर् पर्वत के समान यह सबसे श्रेष्ठ है। समस्त हाथियों में ऐरावत हाथी के समान प्रशस्त है। सब पशुओं पर सिंह के आधिपत्य के समान यह समग्र व्रतों पर आधिपत्य रखने वाला है। सुपर्ण कुमार देवों में वेणुदेव इन्द्र के समान ब्रह्मचर्य प्रधान है। असुरजाति के नागकुमार देवों में धरणेन्द्र के समान प्रभुताशाली है, कल्पवासी देवलोको में ब्रह्मलोक के समान प्रशस्त है, समस्त सभाओं में सुधर्मा सभा के समान आदरणीय है। सब स्थितियों में अनुत्तर वैमानिक देवों की सात लक्षरूप उत्कृष्ट स्थिति के समान यह सब व्रतों में उत्कृष्ट है, आहारादि सब दानों में अभय दान की तरह उत्तम व्रत है, समस्त कबलों में किरमिची रंग के विशेष कंबल के समान यह सब व्रतों में विशिष्ट है। छह संहननों में वज्रशृषभनाराच संहनन के समान यह परमोत्कृष्ट है। छह संस्थानों में समचतुरस्र संस्थान के समान यह व्रतों में प्रधान है। मति, श्रुत आदि पांच ज्ञानों में क्षायिक केवलज्ञान के समान यह श्रेष्ठ और सिद्ध-सम्पूर्ण है अथवा परमपूज्य व प्रसिद्ध है। छह लेश्याओं में परमशुक्ल लेश्या के समान यह पवित्र व्रत है। इसी प्रकार मुनियों में जैसे तीर्थंकर जगद्वंछ हैं वैसे ही यह जगद्वंछ व्रत है। भरतादि क्षेत्रों में महाविदेह के समान यह प्रशस्त है, सब पर्वतों में गिरिराज मन्दराचल के समान यह सर्वोच्च है, सब धनों में नन्दनवन के समान यह मनोहर है। सभी वृक्षों में जम्बूवृक्ष के समान श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप में इस जम्बूवृक्ष का दूसरा नाम और यश सुदर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसी वृक्ष के नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। जैसे अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति राजा विख्यात होता है, वैसे ही यह ब्रह्मचर्य भी विख्यात है। रथ पर सवार होकर युद्ध करने वाला जैसे राजा महान् रथ पर सवार होकर शत्रुओं

को पराजित कर देता है वैसे ही इस व्रत का धारण करने वाला साधु कर्मशत्रुओं की सेना को पराजित कर देता है, अथवा उपद्रवों को परास्त कर देता है। इस प्रकार सिर्फ एक ब्रह्मचर्य व्रत के होने पर अनेक गुण आत्मा के अधीन हो जाते हैं। इस ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर सम्पूर्ण मुनिव्रतों का आराधन हो जाता है, तथा शील, तप, विनय, संयम, क्षमा, गुप्ति मन-वचन-काया का नियंत्रण), मुक्ति निर्लोभता, तथा इहलोक और परलोक सम्बन्धी यश (एक देश व्यापी), कीर्ति (सर्व देशव्यापिनी) और प्रतीति का पालन इस एक व्रत से हो जाता है। इस लिए जीवन पर्यन्त जब तक सयमी साधु के शरीर में सफेद हड्डियाँ शेष रहें तब तक स्थिरचित्त होकर मन, वचन, काया से सर्वतो विशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। भगवान् महावीर प्रभु ने ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप इस (आगे कहे जाने वाले) प्रकार से बताया है—

यह ब्रह्मचर्य महाव्रत पंचमहाव्रत रूप जो उत्तमव्रत हैं, उनका मूल है, अथवा पांच महाव्रतों और पांच अणुव्रतों का मूल है। निर्दोष साधुओं ने भावपूर्वक सम्यक् प्रकार से इसका आचरण किया है, वैर को शांत-निवृत्त करना ही इसका अन्तिमफल है। समस्त समुद्रों में महान् स्वयम्भूरमण समुद्र के समान दुस्तर है, पवित्रता के कारणभूत तीर्थ के समान परमपवित्र है। अथवा स्वयम्भूरमण समुद्र के समान विस्तीर्ण ससार सागर से पार करने वाला तीर्थ है ॥१॥

तीर्थकरों ने समिति, गुप्ति आदि से इसके पालन करने का उपाय बताया है। यह नरक और तिर्यग्गति के मार्ग का निवारण करने वाला है। यह संपूर्ण पवित्र कार्यों को सारवान् बनाने वाला है। इसने सिद्धि-मुक्ति तथा स्वर्ग विमानों का मार्ग खोल दिया है ॥२॥

यह देवेन्द्रो और नरेन्द्रो द्वारा नमस्कृत एव गणधरादि द्वारा पूजित है। यह सारे जगत् के मंगलमय कार्यों का मार्ग है। इसका कोई पराभव नहीं कर सकता, यह दुर्घर्ष है। यह समस्त गुणों का एकमात्र नायक है, यह सम्यग्दर्शन आदि मोक्ष मार्ग का शेखर (शिरोभूषण) है, प्रधान है ॥३॥

इसका शुद्ध रूप में आचरण करने से ही मनुष्य उत्तम ब्राह्मण होता है, सुश्रमण होता है, स्वपर कल्याण को साधने वाला साधु होता है, श्रेष्ठ श्रृषि—परमार्थद्रष्टा होता है, जगत् के तत्त्वों पर मनन करने वाला सुमुनि होता है। वही संयमी है, वही भिक्षु है, जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है।

यह तो इन्द्रिय विषयों के प्रति रति-प्रीति, पिता आदि के प्रति आसक्ति (राग), द्वेष, मोह-मूढ़ता को बढ़ाने वाले तथा कुत्सित हृदय बना देने वाले प्रमाद दोष अथवा साधु के लिए आचरणीय हर प्रवृत्ति के लिए इस प्रकार कहना कि 'इसमें क्या रखा है ?' इस प्रकार के प्रमाददोषयुक्त ज्ञानाचारादि से बहिर्बर्ती पाश्वर्यों—साध्वाभासों के आचरण जैसा आचरण बना लेना, घी, तैल आदि की मालिश करना, तेल लगा कर स्नान करना, निरन्तर कांख, सिर, हाथ, पैर और मुह धोना, हाथ पैर आदि को दबवाना, शरीर के अवयवों को संवारना, शरीर का अच्छी तरह मर्दन करना, चदन आदि का लेप करना, मुगन्धित चूर्ण (पाउडर) से शरीर तथा वस्त्रादि को सुगन्धित करना, अगरबत्ती आदि से धूप देना, शरीर को सजाना तथा नख केश एवं वस्त्रादि का संवारना—ये सब बाकुशिक (बकुश-चितकबरे चारित्र वाले) कर्म करना तथा ठहाका मार कर हंसना, विकारसहित बोलना, नाच देखना, अश्लील गीत गाना या सुनना, वाद्य बजाना या सुनना, नटों के खेल तमाशे, नर्तकों के नाच, कलाबाजों की विविध कलाबाजियां और पहलवानों की कुश्तियां देखना तथा विदूषकों के तमाशे देखकर तदनुकूल हास्य चेष्टाएँ करना, तथा जो वस्तुएँ शृंगार रस की घर हैं, इस प्रकार की दूसरी बातें भी जो सयमी साधु के तप, संयम और ब्रह्मचर्य की घातक और उपघातक हैं, वे ब्रह्मचर्य का निरन्तर आचरण करने वाले के लिए सदा-सर्वदा वर्जनीय हैं, यानी ब्रह्मचर्य का साधक इन सब अब्रह्मचर्यवर्द्धक—कामोत्तेजक बातों से दूर रहे। इन आगे कहे जाने वाले तप, नियम और शील के प्रवृत्ति योगों से ब्रह्मचर्यसाधक अन्तरात्मा को नित्य-निरन्तर भावित करे, यानी इन सस्कारों से जीवन को सुदृढ़ करे वे कौन-कौन से प्रवृत्तियोग हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—स्नान न करना, दंत-धावन न करना, पसीने का मैल और शरीर के अन्य मैल विशेषों का धारण करना, मीनव्रत रखना, केशलोच करना, क्षमा, (कष्ट सहिष्णुता या तितिक्षा), इन्द्रियदमन, आचे-लक्य-वस्त्राभाव या कमवस्त्र रखना, क्षुधा-पिपासा सहन करना, लघुता-द्रव्य से अल्प उपकरण रखना और भाव से नम्रता रखना, सर्दी-भर्मी सहना, श्रेष्ठ शय्या या भूमि पर बैठना, तमाम आवश्यक वस्तुओं की याचना के लिए दूसरे के घर में प्रवेश करना, अभीष्ट आहार आदि के मिलने पर माल और न मिलने पर द्वेष न करना, निन्दा सहन करना, डांस-मच्छर आदि का

स्पर्श सहना अथवा इन सबके उपस्थित होने पर अभिग्रह आदि नियम, अनशन आदि तप, मूलगुण-उत्तर गुणरूप गुण और विनय आदि योगों—मनवचन-काया के प्रवृत्तिप्रयोगों से अन्तरात्मा को ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से युक्त करले; जिससे ब्रह्मचर्य अत्यन्त स्थिर हो जाय।

ब्रह्मचर्य पर यह सैद्धांतिक प्रवचन भगवान् महावीर ने अब्रह्मचर्य से विरति रूप ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अच्छी तरह से कहा है, जो जन्मान्तर मे सहायक होता है, भविष्य में कल्याण करने वाला है, निर्दोष है, न्यायसंगत है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्कृष्ट है और समस्त दुःखों एवं पापों का उपशमन करने वाला है।

व्याख्या

शास्त्रकार ने इस ब्रह्मचर्य महाव्रत की मम्यक् आराधना करने वालों को सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का माहात्म्य और स्वरूप समझाया है। ब्रह्मचर्यविघातक बातें, जो ब्रह्मचारी के लिए वर्जनीय हैं, उनका प्रतिपादन करके तत्पश्चात् ब्रह्मचर्य-साधक बातों का निर्देश किया है। अन्त में, ब्रह्मचर्यप्रवचन का महत्त्व बताया है। ब्रह्मचर्य की महिमा पर शास्त्रकार ने सारगर्भित शब्दों में निरूपण किया है। यह निरूपण काफी गंभीर अर्थ ध्वनित करता है। इसलिए यहाँ खास-खास स्थलों पर व्याख्या करना आवश्यक है।

ब्रह्मचर्य की महिमा—ब्रह्मचर्य भारतीय महापुरुषों के मस्तिष्क की सर्वोत्तम उपज और ससार को सर्वोत्कृष्ट देन है। भारत का कोई भी धर्म ब्रह्मचर्य को छोड़ कर नहीं चलता। क्या वैदिक, क्या बौद्ध और क्या जैन, तीनों धर्मों की धाराओं में ब्रह्मचर्य अस्खलितरूप से प्रवाहित हो रहा है। साधु और गृहस्थ दोनों के जीवन में ब्रह्मचर्य आवश्यक है। भले ही गृहस्थ मर्यादितरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। ब्रह्मचर्य को केन्द्र में रख कर ही तप, जप या नियम आदि को सभी साधनाएँ चलती हैं। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य की गुणगाथाएँ गाई हैं।

सवाल होता है, ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत क्यों गाएँ? इससे साधक के जीवन को क्या लाभ है? तथा ब्रह्मचर्य की गुणगाथा शास्त्रकार न गाते तो क्या हानि थी? इसका समाधान यह है कि किसी भी वस्तु का महत्त्व और माहात्म्य जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझेगा, जब तक वह उसमें रहे हुए गुणों को हृदयगम नहीं कर लेगा या उससे होने वाले उत्तम लाभ को नहीं समझ लेगा, तब तक वह उसमें या उसके आचरण में प्रवृत्त नहीं होगा। और यदि कदाचित् श्रद्धावश या अबोधतावश

उसमें प्रवृत्त हो भी जायगा तो आगे चल कर वह उस पर अन्त तक टिका नहीं रह सकेगा ; संकट आते ही वह तुरत उसकी साधना से आँखें फिरा लेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी समझदार आदमी तभी किसी साधना या कार्य में प्रवृत्त होता है, जब उसके सामने उस वस्तु के लाभ और उस की महत्ता के पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने पहले ब्रह्मचर्य की महत्ता बता कर बाद में ही उसके स्वरूप तथा उसकी रक्षा के लिए अन्यान्य बातें छेड़ी हैं। यद्यपि माहात्म्य का वर्णन मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ से स्पष्ट है, तथापि कुछ पर विप्लेषण करना जरूरी है।

उत्तमतत्वनियमनाषदसणचरित्सम्मत्तविणयमूलं इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा शक्ति का स्रोत है, जो तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय सभी को शक्ति प्रदान करता है। क्या तप, क्या नियम और क्या आचार-विचार आदि सबके पीछे ब्रह्मचर्य का बल आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के ये सब भलीभाँति सम्पन्न नहीं हो सकते।

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि तप, नियम आदि सबके साथ 'उत्तम' विशेषण का प्रयोग किया है, वह इसलिए कि कई लोग सांसारिक कामनाओं के वशीभूत हो कर या यश, प्रतिष्ठा, पद, सत्तान आदि इहलौकिक लाभों की दृष्टि से तप, नियम आदि को अपनाते हैं, परन्तु यहाँ जैसे तप आदि विवक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे निकृष्ट प्रयोजन के लिए किये गए हैं, इसलिए वे उत्तम नहीं कहे जा सकते। उत्तम तप आदि वे ही माने जाएँगे ; जो किसी सांसारिक प्रयोजन से नहीं किये जाते।

इस दृष्टि से उत्तम कोटि के तप, नियम आदि का मूल ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना किये बिना न तो शारीरिक शक्ति ही प्राप्त होती है और न मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति ही। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति के अभाव में तप कैसे हो सकता है ? नियम कैसे पाला जा सकेगा ? और ज्ञानादि का उपार्जन भी कैसे होगा ? विनय का आचरण भी कैसे हो सकेगा ? उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति^१ बाह्य या आभ्यन्तर किसी भी तपस्या के लिए शारीरिक शक्ति

१ 'अनशनाबमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य' तप :- अर्थात्—अनशन-(उपवासादि), ऊनोदरी, खाद्य आदि द्रव्यों की संख्या नियत करना, स्वादपरित्याग, एकान्तशय्यासन और कायक्लेश, ये ६ भेद बाह्य तप के हैं। 'प्रायश्चित्त विनयवैयावृत्य स्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्' अर्थात्—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये ६ आभ्यन्तर तप हैं।—तत्त्वार्थसूत्र

और मनोबल सर्वप्रथम आवश्यक है। बिना मनोबल के वह क्या खाक तप करेगा और बिना शरीरबल के वह उसे कहीं तक पार लगाएगा ? और जितनी भी शक्तियाँ हैं, वे सब ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को तप का मूल बताया है। सूत्रकृतागसूत्र में वीरस्तुति करते हुए कहा है—

‘तपेसु वा उत्तमं ब्रह्मचरं’ ।

अर्थात्—‘तपस्याओं में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है ।’

आम्यन्तर तप के लिए भी मनोबल और आत्मबल दोनों की आवश्यकता है।

अब लीजिए नियम को। अमुक काल की मर्यादापूर्वक जो प्रतिज्ञा ली जाती है; उसे नियम कहते हैं। अभिग्रह, पिंड-विशुद्धि, पौरुषी आदि के प्रत्याख्यान या किसी भी वस्तु का त्याग करना, नियम कहलाता है। किसी भी नियम के पालन करने के लिए मनोबल और शरीरबल सबसे पहले आवश्यक है। अन्यथा, वह नियम टूट जायगा या नियम में से छिटकने के लिए व्यक्ति कोई रास्ता ढूँढेगा।

इसी प्रकार ज्ञान (वस्तु का साकार प्रतिभास विशेष बोध) और दर्शन (निराकार प्रतिभास—सामान्य बोध) के उपाजंन के लिए भी स्मरणशक्ति की आवश्यकता है, बौद्धिक प्रतिभा की जरूरत है। ये दोनों उपलब्ध होती हैं—ब्रह्मचर्य से ही। इसलिए इन दोनों के मूल में भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है।

चारित्र्य पालन के लिए मन-वचन-काया की विशुद्धि आवश्यक है। मन, वचन या काया में जरा भी विकार भाव आ जाता है, तो चारित्र्य खत्म हो जाता है। अतः चारित्र्य को टिकाए रखने में मूल कारण ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन तथा काया की पवित्रता या शुद्धि रह सकती है।

सम्यग्दर्शन भी वास्तव में आत्मिकबल पर निर्भर है, निरीक्षण-परीक्षणशक्ति पर ही टिका हुआ है। हेय और उपादेय का, सत्यासत्य का, कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय सम्यग्दर्शन हुए बिना नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शन के अभाव में व्यक्ति सासारिक पदार्थों तथा स्त्रीपुत्रादि सम्बन्धों के प्रति ज्यादा से ज्यादा गाढ़ आसक्ति रखता है; जिससे मिथ्यादर्शन हो जाता है, जिसके कारण आत्मा नरकतिर्यग्गति में गमन करता है। ब्रह्मचर्य से ही आत्मिक, बौद्धिक, हादिक, विवेकीय एवं परीक्षण-निरीक्षणीय शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। इसलिए सम्यक्त्व का भी मूल ब्रह्मचर्य है।

अब रहा विनय। विनय का आचरण करने के लिए भी शरीरादि का बल अपेक्षित है, जो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए विनय का मूल भी ब्रह्मचर्य ही है।

निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मचर्य के होने पर ही उत्तम तप, नियम आदि का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं।

यमनियमगुणव्यहाराङ्कुशं—अहिंसा सत्य आदि पांच महाव्रत या पांच अंगुव्रत यम कहलाते हैं। जिनकी प्रतिज्ञा जीवन भर के लिए ली जाय, उन्हें यम कहते हैं और जिनके लिए काल की अमुक अवधि नियत की जाय, उन्हें नियम कहते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य गुणो में प्रधान यमनियमरूप गुणो से युक्त रहता है। मतलब यह है कि यम और नियम जहाँ होंगे, वहाँ ब्रह्मचर्य अवश्य ही रहेगा। अब्रह्मचारी यमनियम का पालन करने में सर्वथा असमर्थ होगा, क्योंकि अब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले प्रायः हिंसा झूठ चोरी आदि पापों का आश्रय लेते हैं। वे हिंसादि पापों से बच नहीं सकते और नियमादि का पालन करने में सर्वथा उदासीन रहते हैं।

हिमवतमहंततेयमंत्रं—यह ब्रह्मचर्य हिमवान् पर्वत से भी अधिक तेजस्वी है। हिमवान् पर्वत लबाई, चौड़ाई, ऊँचाई आदि में तमाम पहाड़ों से बड़ा है। परन्तु ब्रह्मचर्य उससे भी बढकर है। ब्रह्मचारी की तेजस्विता और कान्तिके सामने हिमवान् की कान्ति और तेजस्विता फीकी लगती है। ब्रह्मचर्य की गरिमा बताते हुए एक आचार्य कहते हैं—

व्रतानां ब्रह्मचर्यं हि, विशिष्टं पुरुषं व्रतम् ।

तज्जगन्पुष्यसम्भारसंयोगाद् पुरुषस्यते ॥

अर्थात्—'ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में विशिष्ट और बड़ा माना गया है।

गुरु अर्थात् बड़ा या महान् तो इसे इसलिए माना जाता है कि इसके पालन से होने वाले पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो जाता है।'

अन्य मतावलम्बी भी ब्रह्मचर्य की महत्ता स्वीकार करते हैं—

एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्यं च एकतः ।

एकतः सर्वपापानि मद्यं मांसं च एकतः ॥

तराजू के एक पलड़ में चारो वेद रखे जाय और दूसरे में ब्रह्मचर्य रखा जाय, इसी तरह एक ओर सभी पाप रखे जाय और दूसरे में मद्य-मांस जन्म पाप को चढ़ाया जाय, तो भी इनमें समानता नहीं प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि चारों वेदों से ब्रह्मचर्य का पलड़ा ही सबसे भारी रहता है। क्योंकि पुष्य की राशि ब्रह्मचर्य के पास ही होती है, और पुष्यराशि वाला ही सदा महान् होता है।

पक्ष्मधर्मीरधिभित्तमच्छं—इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही अन्तःकरण उदार, गम्भीर और स्थिर हो सकता है। जो कामी-भोगी व्यक्ति है, उसके हृदय में एकाग्रता नहीं होगी? उसका चित्त खंचल रहेगा। ऐसे हृदय में कहीं गम्भीरता और स्थिरता होगी? कामी पुरुषों का हृदय छिछला होने के कारण स्वार्थी ही होता है, उदार नहीं। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति में गम्भीरता, उदारता और स्थिरता आती है, यह बात निश्चित है।

अञ्जवसाहृजपाचरितं—जो वक्र या कुटिल साधक होते हैं, वे प्रायः तर्क-वितर्क किया करते हैं, कि ब्रह्मचर्य के पालन में क्या आनन्द आता है ? इसे भंग कर दिया जाय तो क्या हानि है ? इसलिए ऐसे वक्र या कुटिल साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते भी हैं, तो शर्माशर्मा से ही, मन से नहीं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो सरलता से सम्पन्न साधुजन हैं, वे ही दृढता से इसका आचरण करते हैं।

मोक्षमार्गं विसुद्धसिद्धिगतिनित्यं—इन दोनों पदों में अन्तरग ब्रह्मचर्य को ही सूचित किया गया है। ब्रह्म यानी आत्मा में विचरण करना ही अन्तरग ब्रह्मचर्य है, जो प्रत्यक्ष मोक्षमार्ग है। वीर्यरक्षा या मैथुनत्याग तो बाह्य ब्रह्मचर्य है, जो परम्परा से मोक्ष का मार्ग है। चू कि धर्मध्यान और शुक्लध्यान से ही शुद्ध आत्मा में रमण होता है। और ध्यान मोक्ष का साक्षात् कारण है। इसलिए मोक्ष का साक्षात्मार्ग अन्तरग ब्रह्मचर्य है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने से ही विशुद्ध सिद्धिगति मिल सकती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने का ही दूसरा नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिए ब्रह्मचर्य को 'विशुद्ध सिद्धिगति का घर' कहा है।

सासयमग्वाबाहमपुण्यमर्षं पसत्यं सोमं मक्खयकरं—इन सबका अर्थ स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए यह शाश्वत है। इसके पालन में कोई रोकटोक या अडचन नहीं होती, इसलिए यह अब्याबाध, प्रशस्त-मगलमय सौम्य, शुभ, शिव, अचल और अक्षय है। इसके पालन करने से किसी तरह का भी खटका नहीं और न कोई क्षति ही होती है।

ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालनकर्ता—ब्रह्मचर्य का पालन दुष्कर होते हुए भी ससार में उसका निष्ठापूर्वक शुद्ध पालन करने वाले अतीत में हुए हैं, भविष्य में होंगे और वर्तमान में हैं। परन्तु मुख्यतया इसके शुद्ध पालनकर्ता कौन-कौन होते हैं ? इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं—'अतिचर सारस्वितं सुचरितं सुसाह्रिय नचरि मुणिवरोहि महापुरित' स्या विसुद्ध' इन पदों का शब्दार्थ तो स्पष्ट किया जा चुका है। इसका आशय बड़ा ही गभीर है। वह यह कि ब्रह्मचर्य-पालन करना बहुत ही कठिन है। बड़े-बड़े योगी तक ब्रह्मचर्य से डिग जाते हैं, महान् से महान् तपस्वी भी ब्रह्मचर्य से विचलित होते देखे-सुने गये हैं, औरों का तो कहना ही क्या ? इसी दृष्टि से शास्त्रकार कहते हैं कि सद्यमियों में जो श्रेष्ठ होते हैं, वे ही ब्रह्मचर्य की सम्यक् प्रकार से सुरक्षा करते हैं। कैसा भी प्रसंग क्यों न हो, वे ब्रह्मचर्य से जरा भी डिगते नहीं। साथ ही आत्मा और जड़ शरीर, कामसुख और भोक्षसुख, ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य का भलीभाँति मनन करने वाले महा-मुनिचर ही ब्रह्मचर्य का सुचारुरूप से आचरण करते हैं, इसकी सम्यक् साधना करते हैं। वे काम विकार के कारण उपस्थित होने पर भी चट्टान की तरह अबोल रहते हैं।

सुन्दर से सुन्दर नवयौवना भी आकर उन्हें प्रार्थना करे, तो भी वह चलायमान नहीं होते । साथ ही ब्रह्मचर्य उन्हीं का दागरहित विशुद्ध रहता है, या वे ही ब्रह्मचर्य का शुद्ध रूप से पालन करते हैं, जो जाति कुल आदि गुणों से सम्पन्न महापुरुष होते हैं । कुलीन और उत्तम जाति के साधक मरना पसन्द कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट कदापि नहीं होंगे । वे मन से भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने को सदा उद्यत रहेंगे । नीच जाति और नीच कुल के व्यक्तियों में प्रायः उत्तम सस्कार न होने से वे ब्रह्मचर्य भग को हेय एव घृणित नहीं समझते । उनकी सतान भी परम्परा से ब्रह्मचर्य के सुसस्कारों से शून्य होती है । उत्तम कुलीन महापुरुष शुद्ध ब्रह्मचर्य से सम्पन्न होते हैं, जो धीरो में भी महासत्वशाली हैं । बड़े-बड़े अवसरो पर भी उनकी धीरता अटल रहती है, उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा को स्वर्ग की नृत्य करती हुई या कटाक्ष के द्वारा कामवाण फेंकती हुई सुन्दर अप्सराएँ भी डिगाने में असमर्थ हैं । तीसरे वे पुरुष ब्रह्मचर्य में अविचल रहते हैं, जिनके रोम-रोम में धर्म रमा रहता है । जो धर्म के रहस्य को समझकर तदनुकूल आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म जिनके रगरग में भरा है, उनके धर्म सस्कार इतने परिपक्व होंगे कि वह प्राण जाने पर भी अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करेंगे । और चौथे धृतिमान् व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य के आग्नेय पथ पर अविचल रहते हैं । उन्हें कोई भी शक्ति ब्रह्मचर्य के पथ से हटा नहीं सकती । समाज की कुलपरम्पराएँ या रूढ़ियाँ भी उन्हें ब्रह्मचर्य से डिगाने में असमर्थ रहती हैं । परन्तु जो व्यक्ति धृतिमान नहीं होता, वह समाज की परम्पराओं एव कुल की रीति रिवाजों के सामने झुक जाता है । प्राचीन काल में एक रिवाज था कि पुत्रोत्पत्ति के बिना वंश परम्परा का उच्छेद हो जायगा, फलतः स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए वंश परम्परा की सुरक्षा और स्वर्ग के लिए विवाह करना चाहिए और सतानोत्पत्ति करनी चाहिए । जैसा कि वे कहते थे —

“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च, नैव च ।
तस्मात्पुत्रमुत्तं वृष्ट्वा, पश्चाद् धर्मभाचरेत् ॥”

अर्थात् ‘पुत्रहीन की गति नहीं होती । फलतः उसे स्वर्ग नहीं मिलता, कदापि नहीं मिलता । इसलिए पुत्र का मुख देखकर ही बाद में चारित्र्य धर्म (मुनिधर्म) अनीकार करना चाहिए ।’

परन्तु धृतिमान और धर्मज्ञ पुरुष इस रीति को नहीं मानते । वे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

“अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम् ।
दिवगतानि विप्रायामकुरुवा कुलसंततिम् ॥”

अर्थात्—‘हजारों बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण सतान उत्पन्न किये बिना ही स्वर्ग में चले गये, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं।’

इमलिए शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन प्रायः कुलीन, सत्कारी, धीर, धर्मवीर और धृतिमान व्यक्ति ही करते हैं।

सम्बन्धव्यञ्जनाणुच्छिन्न ब्रह्मचर्य का आचरण सामान्य रूप से सभी भव्यजन करते हैं। भव्य विचारों से सम्पन्न व्यक्ति ही भव्य भावनाओं से ओत-प्रोत होगा, और बही कल्याण योग्य होने से ब्रह्मचर्य को कल्याणकारी समझेगा, एव उसका आचरण करेगा। अभव्य व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मचर्य पालन के प्रति श्रद्धा, रुचि और प्रतीति ही नहीं होगी।

निस्संकिर्णं निष्कर्मं निस्तृप्तं निरायासं निश्चलेत्वं निम्बुतिघरं—इन पदों का आशय यह है कि ब्रह्मचर्यपालन का फल इस लोक में प्रत्यक्ष मिलता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले का शरीर भी सुडोल, सुरूप, सशक्त और सुदृढ़ बनता है, मन भी बलवान बनता है, उसकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है, इसलिए ब्रह्मचर्यपालन के विषय में किसी को कोई भी शकानही होती, न होनी चाहिए। अथवा ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है कि ब्रह्मचारी किसी भी शक का विषय नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालक सदा निर्भय होता है, उसमें साहसिकता और निर्भयता तो कूट-कूट कर भरी होती है। ब्रह्मचारी किसी भी अच्छे कार्य को करने में हिचकिचाता नहीं और न ही उसे किसी से भय होता है। तुल्यरहित शुद्ध चावल के समान ब्रह्मचारी विकार रहित शुद्ध ब्रह्मचर्य से सम्पन्न होता है, अतएव वह सारवान्-बलवान् होता है। ब्रह्मचर्यसम्पन्न साधक को ब्रह्मचर्य पालन में कोई परिश्रम नहीं पड़ता, अनायास ही पालन हो जाता है। अब्रह्मचर्य सेवन आयासयुक्त है, उसमें कई खटपटें करनी पड़ती हैं। दूसरा अर्थ यों भी हो सकता है कि “ब्रह्मचर्य पालन का ऐसा कोई खेद-परचात्ताप ब्रह्मचारी को नहीं होता कि हाय ! मैं व्यर्थ ही ब्रह्मचर्यपालन करके निःसंतान रहा या स्त्री प्रसंग से दूर रहा !” ब्रह्मचारी सासारिक आसक्ति से बहुत दूर रहता है। जो अब्रह्मचारी होता है, वह सासारिक मोह माया में फंसा रहता है। उसी में अपने को सुखी मानता है, लेकिन बाद में उसका नतीजा भयकर दुःखद होता है। ब्रह्मचर्य से चित्त में स्वस्थता, शान्ति और समाधि रहती है, इसलिए इसे निर्वृत्ति का घर कहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्यविहीन व्यक्ति अधिकाधिक राग और मोह में फंसा रहता है, जिससे उसका चित्त सदा व्याकुल रहता है। रागी पुरुष के अशान्तियुक्त मन के ये उद्गार हैं—

‘वच धामः कुत्र तिष्ठामः, किं भूयः किं च कुर्महे ।’

रागिणश्चिन्तयन्त्वेवं, नीरायाः सुखमासते ॥’

अर्थात्—'कहाँ जाएँ?', 'कहाँ रहूँ?', 'क्या कहूँ?', 'क्या करें', इस प्रकार की उधेड़बुन में विषयो के रात्री रात दिन चिन्तित रहते हैं, लेकिन रागरहित ब्रह्मचारी सुखपूर्वक रहते हैं।' उन्हें दुनियाँ का राग नहीं सताता।

इसलिए ब्रह्मचर्य शंका, भय, आयास, लिप्तता एवं अज्ञान्ति से दूर है।

नियम निष्पक्ष— ब्रह्मचारी नियम में हमेशा विश्वास रहता है। प्रतिकूल वातावरण में भी ब्रह्मचारी निरतिचार रहता है। बाह्य कारण उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसका एक अर्थ यह भी है कि ब्रह्मचर्यव्रत निरपवाद होता है। बाकी के अहिंसा आदि व्रतों में कदाचित् अपवादवशा छूट भी दी जाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य में जरा-सी भी छूट नहीं मिलती। किसी भी हानत में इसका खण्डन विहित नहीं है। जैसा कि भाष्यकार ने कहा है —

'न वि किञ्चि अणुश्रायं, परिस्निद्ध वा जिनवर्तिरेहि।

योत्तु मेहुणमावं, न तं बिना रागदोसेहि॥'

अर्थात्— जिनेन्द्रदेवो ने मैथुनभाव-अब्रह्मचर्य को छोड़ कर अन्य व्रतों का निरपवाद रूप से न तो एकात निषेध ही किया है और न आज्ञा दी है। सिर्फ मैथुनभाव का ही निरपवाद रूप से त्याग बताया है; क्योंकि मैथुनभाव रागद्वेष के बिना होता ही नहीं।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय— ब्रह्मचर्य जितना महात् और मूल्यवान है, उतनी ही कठिन और साहसपूर्ण उसकी सुरक्षा है। ससार में रत्न जैसी कीमती चीजों की रक्षा और जतन के लिए लोग बहुत ही सावधानी रखते हैं और साहसपूर्ण कदम उठाते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य की सुरक्षा एक अर्थ में आत्मा की ही सुरक्षा है। इसी दृष्टि से शास्त्रकार ब्रह्मचर्य की महिमा के अन्तर्गत ही उसकी सुरक्षा का निर्देश करते हैं—'तत्त्वसंज्ञम मूलसदसियचेम्भं पञ्चमहण्ययसुरविक्षयं ... ज्ञानधर ... भवन्-प्यद्विषकलिहं'। इन पंक्तियों का अर्थ तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इनका रहस्यार्थ यह है कि तप और संयम दोनों मिलकर ब्रह्मचर्य की मूल पूँजी के समान हैं। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए तप-संयम की मूल पूँजी को सर्वप्रथम सुरक्षित रखना जरूरी है। बाह्य और आन्तरिक तप, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह बात सुनिश्चित है कि जिसके जीवन में ये दोनों प्रकार के तप होंगे, वह ब्रह्मचर्य धन की लुभावने इन्द्रिय-विषयों, कठोर

१. ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के विस्तृत उपायों के बारे में उत्तराध्येयन सूत्र का १६ वाँ अध्यायन पढ़ें। —संपादक

कषाय आदि चोरो-लुटेरो से रक्षा कर सकेगा। जब भी स्वादिष्ट तथा गरिष्ठ पदार्थों के स्वाद के चक्कर में मन या इन्द्रियाँ भटकने लगेगी, वह तुरन्त उपवास आदि तप से उन्हें रोकेंगा। या प्रतिसलीनता तप से इन्द्रियों का मनोवन करेगा। बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण अब्रह्म (आत्मबाह्य भान) में भटकती हुई आत्मा को वैषावृत्य, कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग तथा ध्यान आदि के द्वारा रोकेंगा। इस प्रकार तप के द्वारा ब्रह्मचर्यरूपी धन की सुरक्षा हो सकेगी। फिर तप का दूसरा साथी सयम है, जो इन्द्रियों और मन को विषयो के बीहड़ में भटकने से रोकेंगा। साधक को ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त महाव्रतो से पहिले ब्रह्मचर्य का सुरक्षा पर ध्यान देना है। जहाँ एक ओर ब्रह्मचर्य ध्वस्त हो रहा हो, परन्तु दूसरी ओर अहिंसा, अस्तेय आदि की रक्षा हो रही हो, वहाँ सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक होगी। इसका मतलब यह नहीं कि शेष महाव्रतो के प्रति उपेक्षा की जाय, परन्तु शास्त्रकार का आशय यह है कि ब्रह्मचर्य निरपवाद होने के कारण उसकी रक्षा अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का पालन अत्यावश्यक है। ईर्ष्यासमिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदानभाङ्गमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चारणस्रवणश्लेससिघाणपरिष्ठानिकासमिति—ये पाँच समितियाँ हैं। ये साधक को अपने जीवन में शुद्ध सम्यक् प्रवृत्ति करने के लिए सहायक हैं तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, ये तीन गुप्तियाँ हैं, जो मन, वचन, काया को समय से विपरीत प्रवृत्ति करने से रोकने में सहायक हैं। अथवा पाँच समितियाँ और विविक्त शय्यासन आदि ६ ब्रह्मचर्य गुप्तियाँ ब्रह्मचर्य की सुरक्षक होती हैं। ये ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा उत्तम ध्यानरूपी कषाट भी ब्रह्मचर्य रत्न की रक्षा के लिए उत्तम उपाय है। इसका आशय यह है कि घर में रखे गए द्रव्य की रक्षा के लिए जैसे उस पर कषाट लगाना आवश्यक होता है, वैसे ही आत्मा के गृह में रहे हुए ब्रह्मचर्य धन की रक्षा के लिए श्रेष्ठ ध्यान-धर्मध्यान और शुनल ध्यान की आवश्यकता है। जिस जगह चोरो का भय होता है, वहाँ सुरङ्ग किला बनाकर लोग उसमें रखे हुए रत्नादि की सुरक्षा करते हैं। किन्तु उस किले के दरवाजे पर किवाड़ न लगे हो तो चोर किसी भी समय अन्दर घुस कर चिरमचित्त धन का हरण कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा में ब्रह्मचर्यरूपी रत्न का बहुत प्रयत्न से सचय किया है, उसके लिए मानव-जीवन रूपी दुर्ग बनाया है, परन्तु केवल दुर्ग बनाने से ही ब्रह्मचर्य रत्न की रक्षा नहीं हो जायगी। अन्दर में रहे हुए ब्रह्मचर्य रत्न की सुरक्षा के लिए मनरूपी दरवाजे पर किवाड़ का होना अत्यावश्यक है, इसीलिए शास्त्रकार ने जीवनदुर्ग में रखे हुए ब्रह्मचर्य रत्न की भली भाँति रक्षा के हेतु मनरूप द्वारा पर उत्तम ध्यानरूपी कषाट लगाने का निर्देश किया है। चूँकि कामरूपी चोर मनोद्वार से ही होकर आता है।

अतः मनोद्वार पर सुध्यानरूपी मुहुर कपाट लगा दिया जाय तो वह अन्दर नहीं घुस सकेगा । किन्तु इसके साथ ही एक बात और जरूरी है । वह यह है कि उस सुध्यान-रूपी कपाट के मजबूत अर्गला (आगल) लगानी चाहिए । अतः उस कपाट पर अध्यात्म-आत्मानुभव के उपयोग की अर्गला लगाये जाने का सकेत शास्त्रकार ने किया है । इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्मचर्य धन की सुरक्षा के लिए सभी उपाय बताए गए हैं । अगर साधक सुरक्षा के इन उपायों को जीवन में आजमाए तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में कोई मदेह नहीं रह जाता ।

ब्रह्मचर्य का महत्त्व ब्रह्मचर्य का मानव जीवन में क्या स्थान है ? इस बात को जान लेने पर भी साधु जीवन में ब्रह्मचर्य कितना महत्त्वपूर्ण है ? उसके बिना साधु जीवन की कितनी हानि है ? इस बात को आगे शास्त्रकार निम्नोक्त पक्तियों द्वारा व्यक्त करते हैं — 'सन्नद्धबद्धो ... विणयसोस्तव नियम गुणसमूहं । ... एवमर्षेणा गुणा अहीणा पञ्चश्री य ।' इन पक्तियों का अर्थ भी हम पहले स्पष्ट कर आए हैं । इनका रहस्यार्थ खोलना आवश्यक है । ब्रह्मचर्य का एक महत्त्व यह है कि यह दुर्गति के मार्ग को अवरुद्ध अर्थात् रोक देने वाला है और प्रगति का मार्ग-दर्शक है । इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी की आत्म-परिणति प्रायः शुभ या शुद्ध रहती है । इन परिणामों से दुर्गति (नरक या तिर्यचगति) का बन्ध कदापि नहीं होता, प्रत्युत सुगति (मनुष्यगति या देवगति) का बन्ध होता है, अथवा सिद्ध-गति की प्राप्ति होती है । इसलिए इसे दुर्गतिपथ का अवरोधक और सुगति पथ का प्रदशक बताया है । दूसरा महत्त्व यह है कि यह ब्रह्मचर्यव्रत 'लोकोत्तम' है । समार में सबसे उत्तम वस्तु होने के कारण ब्रह्मचर्य की सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है । क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त दुष्कर है । कहा भी है—

देवदानवगंधर्वा जक्सरक्ससकिनरा ।

अभयारि नमसंति दुष्करं जे करंति त ॥

अर्थात्—देव दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी उस ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं, जो उस दुष्करव्रत का आचरण करता है ।

तीसरा महत्त्व यह है कि ब्रह्मचर्य धर्मरूपी पद्मसरोवर या धर्मरूपी तालाब की सुरक्षा के लिए पाल के समान है । जैसे पाल के टूट जाने पर सुमोहित तालाब या पद्म सरोवर नष्टभ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्यरूपी पाल के टूटते ही सत्यादि चारित्र्य-धर्म के अंग भी नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं । साथ ही यह ब्रह्मचर्य बड़ी गाड़ी के पहिए के आरों को टिकाए रखने वाली नाभि के समान है । नाभि पहिये के बीच में लकड़ी की एक गोल चीज होती है, जिस पर पहिये के आरे टिके होते हैं । जिस प्रकार नाभि की रक्षा से आरों की रक्षा और नाभि के नाश से आरों का नाश

अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यरूपी नाभि की रक्षा से चारित्र्य धर्मरूपी आरों की रक्षा और ब्रह्मचर्य के नाश से चारित्र्य धर्म का नाश अवश्यम्भावी है। इसी तरह ब्रह्मचर्य धर्मरूपी वृक्ष को धारण करने में स्कन्धरूप है। जैसे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष का आधार स्कन्ध होता है, स्कन्ध के नष्ट होते ही वृक्ष नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार ब्रह्मचर्यरूपी स्कन्ध के नष्ट होते ही अनेक अंगों (शाखाओं) वाले धर्मरूपी वृक्ष का टिकना भी असंभव है। तथा ब्रह्मचर्य महानगररूपी धर्म की रक्षा के लिए उसके कोट और आगल के समान है। इन्द्रध्वज जैसे चारों ओर रस्सी से बंधा होने पर ही मजबूत रहता है, वैसे ही धर्मरूपी इन्द्रध्वज भी अनेक विभुद्ध गुणों से युक्त ब्रह्मचर्यरूपी रस्सी से बंधा हुआ होने से ही मजबूत है। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर विनय, शील, तप, नियम आदि समस्त गुणसमूह उसी तरह चूर-चूर हो जाते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा ऊपर से गिरने पर चूर-चूर हो जाता है, उसी तरह मसल जाते हैं, जैसे मचने से दही मसला जाता है, उसी तरह पिस जाते हैं, जैसे चना पिस जाता है, उसी तरह विघ्न जाते हैं, जैसे अन्दर घुसे हुए बाण से शरीर विघ्न जाता है; पर्वत से गिरी हुई चट्टान की तरह वे चकनाचूर हो जाते हैं, महल से गिरे कलश के समान वे एक दम नीचे आ गिरते हैं, लकड़ी के डंडे के समान तडाकट टूट जाते हैं, कोठ आदि व्याधि से मड़े हुए शरीर के समान वे गुण समूह सड़ जाते हैं, आग में स्वाहा हुए लकड़ के समान वे गुण-गण अस्तित्वहीन हो जाते हैं।

अधिक क्या कहें ! एक ब्रह्मचर्यव्रत के होने पर सभी गुण उसके अधीन हो जाते हैं। इस ब्रह्मचर्यव्रत की आराधना करने पर निर्वन्ध प्रव्रज्यारूप मुनिधर्म के सभी व्रतों की आराधना हो जाती है, क्या शील, क्या तप, क्या विनय, क्या सयम, यहाँ तक कि क्षमा, मुक्ति-निर्लोभता, गुप्ति, इहलौकिक तथा पारलौकिक यश, कीर्ति और जनविश्वास तक आराधित-अर्जित हो जाते हैं। इतना महत्त्व है, इस ब्रह्मचर्य महाव्रत का !

विविध उपमाओं से ब्रह्मचर्य की गरिमा— ब्रह्मचर्य की गरिमा बताने के लिए शास्त्रकार विविध उपमाएँ देते हैं 'तं ब्रह्मं भगवन्तं महत्तमं...महारहस्यम्।' इन सबका आशय यह है कि—'वह ब्रह्मचर्य विभूतिशाली भगवान है। वह ग्रहों, नक्षत्रों और ताराओं के बीच में चन्द्रमा के समान देदीप्यमान है। जैसे चन्द्रकान्तादि भणियों, मोतियों, मूँयों और पद्म-रागादि लाल रत्नों की खान समुद्र है, वैसे ही समस्त गुण रत्नों की खान ब्रह्मचर्य है। जैसे सब भणियों में वैदूर्यमणि उत्कृष्ट है, वैसे ही व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है। जैसे सब आसूषणों में मुकुट प्रधान माना गया है, सब प्रकार के वस्त्रों में शारीक और मुलायम कपास का वस्त्र उत्तम

माना जाता है, वैसे ही सब व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्तम माना गया है। कमलपुष्प जैसे सब पुष्पों में श्रेष्ठ होता है, वैसे ही यह सब में श्रेष्ठ है। समस्त चन्दनों में गौरीचन्दन की तरह सब व्रतादि में यह श्लाघ्य है। हिमवान् पर्वत जैसे समस्त औषधियों का उत्पत्तिस्थान है, वैसे ही यह समस्त गुणों का उत्पत्तिस्थान है। जैसे सब नदियों में सीतोदा नदी बड़ी है, वैसे ही सब व्रतादि में यह बड़ा है। जैसे स्वयम्भूरमण्डल समुद्र सब समुद्रों में विशाल है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सब में विशाल है। जैसे बलयाकार (गोल) माण्डलिक पर्वतों में रुचकवर पर्वत महान् है, वैसे ही सब व्रतादि में यह महान् है। यह हाथियों में ऐरावत हाथी के समान प्रसन्न, अन्यपशुओं में सिंह के समान तेजस्वी, सुपर्णकुमारों में वेणुदेव इन्द्र के समान सर्वोपरि, नागकुमार देवों में धरणिन्द्र देव के समान प्रभावशाली, देवलोक में ब्रह्मलोक के समान महत्त्वपूर्ण, भवनपति और वैमानिक देवों की सभाओं में सुधर्मा सभा की तरह उत्कृष्ट, स्थितियों में लवसप्तम नामक अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थिति की तरह प्रबल; आहार, औषध, ज्ञान, धर्मोपकरण एवं अभयदान, इन पाँचों प्रकार के दानों में अभयदान के समान प्रधान वह ब्रह्मचर्य महान्त है। कबलों में किरमची रंग के कम्बल की तरह व्रतों में ब्रह्मचर्य उत्तम है। वज्र-ऋषभनाराच आदि सहननों में वज्र-ऋषभनाराच सहनन की तरह, सब व्रतों में ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट माना गया है। इसी प्रकार समचतुरस्र आदि संस्थानों में जैसे समचतुरस्र संस्थान उत्तम

१—शरीर के अस्थि आदि के बन्धनविशेष को सहनन कहते हैं। वह ६ प्रकार का है—(१) वज्रऋषभनाराच, (२) ऋषभनाराच, (३) नाराच, (४) अर्धनाराच, (५) कीलिक और (६) असंप्राप्त सृपाटिका सहनन। जिसमें हड्डी और उसका वेष्टन वज्रमय होता है, वह वज्रऋषभनाराच है। जिसमें अस्थि ही वज्रमय हो, वेष्टन साधारण हो, वह ऋषभनाराच है। जिसमें शरीर की सन्धियों में हड्डी की कील हो; वह नाराच है। जिसमें आधी हड्डी की कील हो, वह अर्धनाराच है। जिसमें संधि की हड्डियाँ नसों से ढँकी हुई हों, वह कीलिक है। और जिसमें सब हड्डियाँ अलग-अलग हों, नसों से बंधी हुई न हों, उसे असंप्राप्त सृपाटिका सहनन कहते हैं।

२—शरीर की आकृति को संस्थान कहते हैं। वे ६ हैं—(१) समचतुरस्र, (२) स्वाति, (३) न्यग्रोधपरिमंडल, (४) कुञ्जक, (५) वामन और (६) हुंजक संस्थान। यथायोग्य सुन्दर समचतुरस्र आकार को समचतुरस्र, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे शरीराकार को स्वाति, बड़े के पैर के समान शरीर के ऊपर के अवयव मोटे, नीचे के पतले हों उसे न्यग्रोधपरिमंडल, कुछे शरीर के आकार को कुञ्जक, बौने कदके शरीर को वामन और शरीर के हाथ पैर आदि सब अवयव बेडिल बंदसूरत हो उस संस्थान को हुंजक संस्थान कहते हैं।

होता है, वैसे ही सब व्रतादि में ब्रह्मचर्य उत्तम है। आर्त, रौद्र आदि^१ ध्यानों में परमशुक्ल ध्यान सर्वोत्कृष्ट ध्यान है, वैसे ही व्रतादि में ब्रह्मचर्य सर्वोत्कृष्ट है। मतिश्रुत आदि पांच ज्ञानों^२ में परम केवल ज्ञान की तरह सिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत है। छह लेश्याओं में परमशुक्ल लेश्या के समान ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर माने जाते हैं, वैसे ही व्रतों में सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है। क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र की तरह उत्तम, पर्वतों में गिरिराज मेरुपर्वत की तरह सर्वोच्च, वनों में नन्दनवन की तरह रमणीयतर, वृक्षों में जम्बू वृक्ष की तरह श्रेष्ठ यह ब्रह्मचर्य व्रत है। सुदर्शन नाम से भी इसका यश प्रसिद्ध है, इसी जम्बू के नाम पर से ही इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। जैसे अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति, इस प्रकार चतुरगिणी सेना से युक्त राजा प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत चारों कोनों में प्रसिद्ध है। जैसे कोई रथिक साधारण रथ को छोड़कर वड़े रथ में बैठकर युद्ध करे तो कोई उसे पराजित नहीं र मकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य महाव्रत रूपी महारथ में आरूढ़ होकर साधक कर्म शत्रुओं से जूझे तो वे उमें पराजित नहीं कर सकते।

ब्रह्मचर्य की महनीयता—शास्त्रकार आगे चलकर ब्रह्मचर्य की महनीयता तीन शाखाओं द्वारा प्रगट करते हैं—'पंचमहव्यय वदिसकभूय' इनका आशय यह है कि पंचमहाव्रत नामक उत्तम व्रतों का ब्रह्मचर्य मूल है, अथवा पाचमहाव्रतों और पांच अणुव्रतों का यह मूल है, या पचमहाव्रती साधुओं के उत्तम नियमों का

१—ध्यान चार हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्लध्यान। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के सयोग से जहां आत्मा में शोकादि रूप परिणामधारा होती है, उसे आर्तध्यान कहते हैं। इसके चार भेद हैं—इष्टवियोग जन्य, अनिष्ट सयोगजन्य, पीड़ाचिन्तन और निदान। हिंसाआदि क्रूर और निन्दनीय कार्यों का चिन्तन करना रौद्रध्यान है। इसके भी ४ भेद हैं—हिंसानन्द, मृषानन्द, चौयानन्द और गरिग्रहानन्द रौद्रध्यान। जीवों के कल्याण आदि के उपाय का या ऐसे दूसरे शुभ कार्यों का चिन्तन करना धर्मध्यान है। इसके चार भेद हैं—आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और सस्यान विचय। केवल आत्मा और आत्मगुणों का ही चिन्तन करना शुक्लध्यान है। इसके भी चार भेद हैं—(१) पृथक्त्ववितर्क विचार (२) एकत्ववितर्क विचार (३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और (४) व्युत्पत्त क्रियानिवर्ती।

२—ज्ञान ५ हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान^३

३—ये तीनों शाखाएँ श्रोत्रकण्ठ में हैं।

—सम्पाद्यक

यह मूल है। निष्कर्ष यह है कि व्रतों के मूल में ब्रह्मचर्य न हो तो सारे व्रत बेकार हैं, मूल्यहीन हैं। इस ब्रह्मचर्य का पालन दोषरहित साधुओं ने भावसहित किया है, या करते हैं। इसके पीछे भी आशय प्रही है, कि मुनिदीक्षा लेने पर भी जब तक ब्रह्मचर्यपालन भावसहित नहीं करता, तब तक वह मुनि पद के योग्य नहीं होता। इसलिए साधुगण अपनी साधुता की रक्षा और सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का भावसहित निर्वोष पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य समस्त वैर विरोधों को शान्त करने वाला है। क्योंकि 'मेहुणप्पभवं वैरं वैरप्पभवा बुग्गई'—मैथुन-सेवन से वैर की उत्पत्ति होती है, वैर की उत्पत्ति से दुर्गति होती है। इस उक्ति के अनुसार ब्रह्मचारी जब मैथुन-सेवन या बाह्य विषयों से विरत हो जाता है, तब वैर होने का कोई कारण ही नहीं रहना। जब वह स्वतः ही वैर से विरक्त हो जाता है, तब उसके हृदय में वैर की समाप्ति अवश्यम्भावी है। जैसे लवणसमुद्र आदि समग्र समुद्रों से बड़ा एक महादुस्तर स्वयम्भूरमणसमुद्र है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सब व्रतों में महादुस्तर है तथा समार ममुद्र से पार करने वाला तीर्थ भी है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्र को अनायास ही पार कर लेता है। तीर्थंकरों ने नौ गुप्ति आदि के द्वारा इसके पालन करने का उपाय बताया है। मतलब यह है कि ब्रह्मचर्य रक्षा के साधन गुप्ति, भावना आदि हैं। तीर्थंकरनिदिष्ट उन उपायों का आलम्बन नहीं लिए जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त दुष्कर है। ब्रह्मचर्य नरक और तिर्यचगति के बन्ध के मार्ग को रोकने वाला है, क्योंकि ब्रह्मचारी के सदा पवित्र लेश्याएँ रहनी हैं, इसलिए मनुष्यगति या देवगति (उत्तमगति) का ही वह बन्ध करता है, नरकगति और तिर्यचगति (दुर्गति) का नहीं। ब्रह्मचर्य समस्त सारभूत पवित्र कार्यों का निर्माण करने वाला है। ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा में अपूर्व शक्ति प्रगट होती है, जिसके जरिए आत्मा आश्चर्यजनक सारभूत कार्यों को कर लेता है। अनेक प्रकार की श्रद्धिया, विद्याएँ या मन्त्र आदि ब्रह्मचारी के सिद्ध होते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य ही प्रधानकार्यों का साधक होता है। ब्रह्मचर्य सिद्धि (मोक्ष) तथा स्वर्ग-विमानों के द्वार खोलने वाला है। इसका आशय यह है कि जैन सिद्धान्त की दृष्टि से अन्तरम ब्रह्मचर्य (आत्मध्यान) साक्षात् सिद्धि (मोक्ष) का कारण है और बाह्य ब्रह्मचर्य साक्षात् स्वर्ग का कारण और परम्परा से मोक्ष का कारण होता है। यदि मिथ्या दृष्टि भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वह स्वर्गलोक में जन्म लेता है, और वहाँ उसे अनुपम इन्द्रियसुख प्राप्त होते हैं। फिर सम्यग्दर्शनपूर्वक पालन किए गए ब्रह्मचर्य का तो कहना ही क्या? वह तो स्वर्ग में अवश्य ही उच्चदेवत्व का कारण होता है और परम्परा से मोक्ष का जनक। इसीलिए कहा है— 'सीलबन्धधरो न बुग्गइग्गमज्जसीलो'। ब्रह्मचर्य देवेन्द्रों और नरेन्द्रों के द्वारा नमस्करणीय गणधरो से भी पूजनीय है। साधारण लोग इन्द्र आदि की सेवा-पूजा करते हैं,

देवेन्द्र आदि लोकपूज्य व्यक्ति तीर्थकर एवं गणधर आदि पूजा करते हैं, और गणधर आदि महापुरुष ब्रह्मचर्य की अर्चना करते हैं, भक्तिपूर्वक वे आराधना-साधना करते हैं। अतः ब्रह्मचर्य पूज्यों का भी पूज्य है। ब्रह्मचर्य ससार के समस्त उत्तम मंगलों का मार्ग-उपाय है। इसका आशय यह है कि मंगल का अर्थ होता है—मं-पाप को, शूलं—हालने वाला, अथवा मयं-सुख को लं—देने वाला। संसार में अर्हद्भक्ति आदि जितने भी मंगलमय कार्य हैं, उन सबका मार्ग ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने से आत्मा विषयराम आदि से निवृत्त होकर अर्हद्भक्ति एवं व्रतधारण आदि माय-लिक कार्यों में प्रवृत्त होती है। अतः ससार के समस्त उत्तम मंगलभूत कार्यों का उपाय ब्रह्मचर्य को माना गया है। फिर यह ब्रह्मचर्य दुर्घयं, अजेय अपराभवनीय है। अतः यह अकेला ही ऐसा गुण है, जो सब गुणों का नेतृत्व करता है। मतलब यह है कि ब्रह्मचारी का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। कदाचित् कर भी दे तो वह शीघ्र ही उससे प्रभावित होकर उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सर्प हार वे समान, विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है। क्षमा आदि सभी लोकोत्तरगुण इसकी ओर स्वतः खिंचे चले आते हैं। इस एक गुण के प्राप्त होने पर अन्य सब गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, धीरता, क्षमा, गभीरता, तितिक्षा, सरलता, आदि गुण ब्रह्मचर्य के अनुचर बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य मोक्षमार्ग का अलंकार है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा आत्मा से पृथक् होना मोक्ष है। उसका मार्ग (उपाय) सम्प्यदर्शन, सम्प्यज्ञान और सम्प्यक्चारित्र्य है। इनको भूयिन करने वाला ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ये सम्प्यदर्शनादि अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य की सहायता से ही ये कृतकार्य होते हैं। इसलिए इसे मोक्षमार्ग को अलंकृत करने वाला माना गया है। ब्रह्मचर्य उत्तम रसायन है, जिसका शुद्ध रूप से सेवन करने पर जीवन में नई चमक दमक आ जाती है। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका शुद्ध आचरण करने पर मामूली ब्राह्मण भी उत्तम ब्राह्मण बन जाता है, माधारण श्रमण भी सुश्रमण या सामान्य तपस्वी भी सुतपस्वी बन जाता है, सामान्य साधु भी स्वपरकल्याण-साधक उत्तम साधु बन जाता है, असिद्ध ऋषि भी पटकारक्षक सुद्धि बन जाता है, मुनि भी सुमुनि बन जाता है। वही वास्तव में सयमी है, वही वास्तव में भिक्षु है, जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध आचरण करता है। सचमुच, ब्रह्मचर्य के शुद्ध पालन से रहित ब्राह्मण, श्रमण आदि केवल नामधारी ही ब्राह्मण, श्रमण आदि हैं। अब्रह्मचर्य-सेवी श्रमण, साधु आदि केवल बेघघारी हैं। कहा भी है—

“सकलकलाकलापकलितोऽपि कविरपि पण्डितोऽपि हि ।

प्रकटितसर्वशास्त्रतत्त्वज्ञोऽपि हि वेदविशारदोऽपि हि ॥

मुनिरपि विद्यति विसतनामाद्भूतबिभ्रमवशांकोऽपि हि ।

स्फुटमिह जगति तत्रपि न स कोऽपि हि यदि नास्ति रजति ॥”

अर्थात्—कोई सकल विश्व की कलाओं में पारंगत कवि भी क्यों न हो, पण्डित भी क्यों न हो ? चाहे वह ममस्त शास्त्रों के गहन तत्त्वों का ज्ञाता विद्वान् हो, चाहे वेदविचारक हो; अथवा आकाश में विद्यामन्त्र आदि के चमत्कारी को दिखाने वाला हो, परन्तु यदि वह इन्द्रियो का विजेता (ब्रह्मचारी) नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है । अर्थात् न तो वह कवि है, न पण्डित है और न मुनि ही है । इसलिए प्रत्येक साधक को साधना के साथ-साथ और बाद में भी ब्रह्मचर्य का शुद्ध आचरण करना जरूरी है । यही ब्रह्मचर्य की महनीयता है ।

ब्रह्मचर्य का लक्षण—ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है—ब्रह्म और चर्य । इसका स्पष्ट अर्थ होता है—‘ब्रह्म में दिचरण करना ।’ ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी है, परमात्मा भी है, विद्याध्ययन भी है, सेवा और योग साधना आदि भी है । केवल वीर्यरक्षा या सिर्फ जननेन्द्रियसंयम ब्रह्मचर्य का अधूरा अर्थ है । इन्द्रिय-विषयो एव कामवामनाको उत्तेजित करने वाले जितने भी कारण हैं, उन सबसे दूर रहना, ब्रह्मचर्य का निषेधात्मक रूप है । यानी किसी भी स्त्री या अन्य में आसक्त होकर वीर्यपात न करना, मैथुन सेवन न करना, अब्रह्मचर्य से विरत रहना, यह भी ब्रह्मचर्य का निषेधात्मक रूप है । ब्रह्मचर्य का विधेयात्मक रूप तो अपनी आत्मा या परमात्मा की उपासना में लगना है । वीर्य रक्षा करना, योगसाधना करना, विद्याध्ययन करना, किमी विशाल ध्येय (राष्ट्रसेवा, समाज सेवा, विश्व सेवा, बालक सेवा आदि) को मामने रखकर या निश्चित करके तदनुसार आचरण करना और संचित वीर्य शक्ति को विश्व के प्राणियों के प्रति मातृवत् वात्सल्य भाव रख कर उनके जीवन निर्माण में लगाना—ये सब आत्मोपासना के लिए सहायक ब्रह्मचर्य के विधेयात्मक रूप हैं । इन दोनों विधेयात्मक-निषेधात्मक रूपों से ब्रह्मचर्य के बाह्य और आभ्यन्तर ये दो-दो भेद हैं । जब आत्मा अपने स्वरूप में रमण करता है, तब विधेयात्मक अभ्यन्तर ब्रह्मचर्य होता है । परमात्मा (शुद्ध आत्मा, की उपासना, जगत् के समस्त प्राणियों के प्रति सर्वभूतात्मभूत बनकर वात्सल्य भाव से जोतप्रोत होकर विश्वात्मभावमें रमण करना, ये सब आत्मरमणता के ही आभ्यन्तर ब्रह्मचर्य के विधेयात्मक अंग हैं । इसी प्रकार रागद्वेष से रहित होना, आत्मसेवा या आत्मरमणता से विमुक्त करने वाले मन या इन्द्रियों के विषयों की आसक्ति या द्वेष से दूर रहना, कषाय, मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व, कामवासना आदि अस्मगुणों के विरोधी तत्त्वों से दूर रहना, निषेधात्मक आभ्यन्तर ब्रह्मचर्य है । वीर्य रक्षा करना, जननेन्द्रिय का संयम करना, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा या विश्व के जीवन निर्माण, या कल्याण आदि के

स्वनिश्चित बृहत्ष्येय मे जुट जाना, बाह्य ब्रह्मचर्य का विधेयात्मक रूप है। विद्या-ध्ययन, शास्त्राध्ययन या योगसाधना आदि भी उसी के सहायक अंग है। इसी प्रकार मैथुन सेवन न करना, किसी स्त्री या अन्य में कामासक्ति न रखना, मैथुन के 'आठ अंगों से दूर रहना, कामोत्तेजक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि तथा अश्लील दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, खाद्य, पाठ्य, लेख्य आदि तमाम बातों से दूर रहना, निषेधात्मक रूप से बाह्य ब्रह्मचर्य है। फिर साधु जीवन में इन दोनों रूपों का मन, वचन, काया से तथा कृत कारित और अनुभोदित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण शुद्ध रूप है।

ब्रह्मचर्य विधातक बातों से सावधानी—शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य के निषेधात्मक रूप को लेकर कुछ ऐसी बातों से बचने रहने का सकेत किया है, जो ब्रह्मचर्य-नाशक हैं—“इमं च रतिरागबोसमोहपबहुङ्गकरं ... तव - सजम - बंभचेरघातोवघातियाइ अणुचरमाणेणं बंभचेरं वञ्जेयव्वाइ सव्वकाल ।” सूत्रपाठ की इन सब पक्तियों का अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ से काफी स्पष्ट हो जाता है। इसका आशय यही है कि ब्रह्मचर्य का लक्षण आत्मसेवा, आत्मरमणता, वीर्यरक्षा आदि है, तो आत्मा से भिन्न जो शरीर, इन्द्रिय या विषय-कपायादि पर पदार्थ है, उनमें रमण करना, उमी में आसक्ति रखकर शरीर या इन्द्रियो को ही पालना-पोसना, मन को विविध कामोत्तेजक बातों में भटकाना, शरीर या इन्द्रियो की ही सेवा शुश्रूषा में लग जाना तथा आसक्ति, राग, द्वेष और मोह को बढ़ाने वाली, आत्मा के प्रति लापरवाही या प्रमाद के कारण कामोत्तेजक दोषों की ओर झुकने वाली प्रवृत्तियों में लग जाना अब्रह्मचर्य है। और ऐसे अब्रह्मचर्य से शरीर, मन, इन्द्रिय आदि को बचाना ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। अतः ब्रह्मचर्यघातक एवं शरीरेन्द्रियपोषक तमाम प्रवृत्तियों से पूर्ण ब्रह्मचारी साधक को सदा दूर रहना चाहिए।

ब्रह्मचर्य पोषक बातों का निर्देश ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए या ब्रह्मचर्य में स्थिर होने के लिए माधु के सामने अपना ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। जब साधक आत्मा में या आत्मगुणसाधक प्रवृत्तियों में सतत रमण करेगा, तब स्वतः ही शरीर-शुश्रूषा को, इन्द्रियपोषण की एवं आसक्ति, मोह तथा काम को बढ़ाने की बातों से वह दूर रहेगा। अपने सामने बृहत्ष्येय को रख कर जब वह प्रवृत्ति करेगा तो शरीर या इन्द्रियो पर आसक्ति या मोह रम कर नहीं चलेगा। सहज भाव से वह शरीर

१ मैथुन के ८ अंग—स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

सकल्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनवष्टायं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

को आहार पानी देगा, शरीर शुद्ध भी करेगा, इन्द्रियों से अलग-अलग काम भी लेगा; लेकिन इन सब प्रवृत्तियों को अनासक्त भाव से करने के कारण ये सब प्रवृत्तियाँ ब्रह्मचर्यपोषक ही होगी, ब्रह्मचर्य विघातक नहीं। जब उसका जीवन सहजभाव से आत्मरमणता या आत्मोपासना की ओर झुक जायगा, तब उसे कहीं फुरसत मिलेगी, शरीर-शुश्रूषा के बारे में इतस्ततः सोचने की ? तब उसे कहीं समय मिलेगा शरीर के परिमडन करने का या अन्य कामोत्तोजक याते सोचने का ? जब वह षट्काय (प्राणिमात्र) का माता-पिता बनकर विश्व की समस्त आत्माओं की सेवा में, उनका जीवन निर्माण करने-कराने में अपनी आत्मसाधना करते हुए अहर्निश लगा रहेगा; तब कहीं उसके मन को विषयवासनाओं की ओर दौड़ने का अवकाश मिलेगा ? ब्रह्मचर्य पालन में स्थिर होने के लिए इसी दृष्टि से शास्त्रकार ब्रह्मचर्य का निर्देश करते हैं 'माधेयवो भवद् य अंतर-पा इमेहि तथनियमसीलजोगेहि निष्क-कालं . अण्हाणक ... जहा से धिरतरकं होइ बंधचरं।' सूत्रपाठ की इन सब पाक्तियों का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ ब्रह्मचर्यपोषक जिन बातों की ओर शास्त्रकार ने निर्देश किया है, उनमें की कुछ बातें मानसिक ब्रह्मचर्य से सम्बन्धित हैं कुछ में आत्मा की उपासना को छोड़ कर शरीरशुश्रूषा के निषेध का संकेत है। जैसे—मान-अपमान या लाभालाभ, सुखदुःख आदि मन से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को मान-अपमान, लाभ-अनाभ आदि कुछ भी नहीं होता। यह तो शरीर का धर्म है। परन्तु यह गलत है। राग या आसक्ति के बशीभूत होकर ही किसी दूसरे के शरीर या अवयव पर कामकुर्हाट्ट या कामचिन्तना होती है। जब साधक आत्मा के निजी गुणों, परमात्मा (सिद्ध और अहन्त, के गुणों का चिन्तन करेगा, शरीर के प्रति आसक्ति, मोह, वासना आदि की दृष्टि छोड़ कर शरीर को सिर्फ समय पालन में सहायक कारण समझेगा, तब इन सब बातों की ओर न तो उसका मन जायेगा, न इन्द्रिया और शरीर जायेंगे और न ही वचनादि अन्य साधन ही जाएंगे ! किन्तु साधक के संस्कार में यह सब तभी रहेगा, जब वह तपस्या, नियम, शील और मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों के औचिन्य पर ब्रह्मचर्य को केन्द्र में रख कर चिन्तन-मनन करेगा, इन पवित्रभावों में ओतप्रोत हो जायगा। तभी उसका ब्रह्मचर्य अत्यन्त स्थिर होगा, उसके संस्कार सुदृढ हो जाएंगे।

—ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए ५ भावनाएँ

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य के माहात्म्य, गौरव, स्वरूप, तथा ब्रह्मचर्य पालन के बारे में सावधानी एवं सुरक्षा के बारे में विशद निरूपण किया है। अब इस सूत्रपाठ में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए दूसरे पहलू से पाँच भावनाओं का निरूपण शास्त्रकार करते हैं।

मूलपाठ

तस्स इमा पंच भावणाओ चउत्थयस्स होति अबंभचेर-
 बेरमणपरिरक्खणट्टयाए, (१) पढमं सयणासण-घर-दुवार-अंगण-
 आगास-गवक्ख-साल-अभिलोयण-पच्छवत्थुक-पसाहणक - ष्हाणि-
 कावकासा, अवकासा जे य वेसियाणं अच्छंति य जत्थ इत्थिकाओ
 अभिक्खणं मोहदोसरतिरागवड्ढणीओ कंहिति य कहाओ
 बहुविहाओ, तेऽवि हु वज्जणिज्जा, इत्थि-संसत्तसंकिलिट्ठा
 अन्नेऽवि एवमादी अवकासा ते हु वज्जणिज्जा जत्थ मणोवि-
 ब्भमो वा, भंगो वा, भंसणा वा, अट्टं रुट्टं च हुज्ज झाणं,
 तं तं वज्जेज्जऽवज्जभीरू अणायतणं अंतपंतवासी । एवमसंसत्त-
 वासवसहोसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा, आरतमण-
 खिरयगामधम्मे जित्तेदिए बंभचेरगुत्ते (२) बितियं नारीजणस्स
 मज्जे न कहेयव्वा कहा विचित्ता विव्वोयत्रिलाससंपउत्ता हास-
 सिगारलोइयकहव्व मोहजणणी न आवाह-विवाह-वर-कहा
 विव इत्थीणं वा सुभग-दुभगकहा चउसट्ठी च महिलागुणा
 न वन्न-देस-जाति-कुल-रूव-नाम-नेवत्थ-परिजणकहा वि इत्थि-
 याणं अन्नावि य एवमादियाओ कहाओ सिगारकलुणाओ
 तवसंजमबंभचेरघातोवघातियाओ अणुचरमाणेणं बंभचेरं
 न कहेयव्वा, न सुणेयव्वा, न चित्तेयव्वा । एवं इत्थीकहविरति-
 समितिजोगेणं भावितो भवति अंतरप्पा आरतमणविरय-
 गामधम्मे जित्तेदिए बंभचेरगुत्ते । (६) ततीयं नारीणं हसित-
 भणितं चेट्ठिय-विपेक्खित-गइ-विलास-कीलियं विव्वोइ(ति)
 य-नट्ट - गोत-वादिय-सरीरसंठाण-वन्न-कर-चरण-नयण-लावन्न -
 रूव-जोव्वण्ण पयोहराधर-वत्थालंकारभूसणाणि य गुज्झो-
 वकासियाइं अन्नाणि य एवमाबियाइं तवसंजमबंभचेर-
 घातोवघातियाइं अणुचरमाणेणं बंभचेरं न चक्खुसा, न

मजसा, न वयसा पत्येयव्वाइं पावकम्माइं । एवं इत्थीरूव-
विरतिसमितिजोगेणं भावितो भवति अन्तरप्या आरतमण-
विरयगामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते । (४) पुव्वरय-पुव्व
कीलिय-पुव्वसंगंथगंथसंथुया जे ते आवाह - विवाह - चोल्लकेसु
य तिथिसु जन्नेसु उस्सवेसु य सिगारागारचारुवेसाहि
हाव-भाव-पल्ललिय-विक्खेव-विलाससालिणीहि अणुकूल-
पेम्मिकाहि सद्धि अणुभूया सयणसंपओगा उदुसुहवरकुसुम-
सुरभिचदणसुगन्धिवरवास - धूव-सुहफरिसवत्थ - भूसणगुणो -
ववेया रमणिज्जाउज्जगेयपउरनडनट्टकजल्लमल्लमुट्टिक-वेलंबग-
कहग - पवग-लासग - आइक्खग-लंख-मख-तूणइल्ल-तुंबवीणिय-
तालायर-पकरणाणि य बहूणि महुरसर-गीतसुस्सराइं अन्नाणि
य एवमादियाणि तवसंजमबंभचेरघातोवघातियाइं अणुचर-
मारोणं बंभचेरं न ताइं समणेण लब्भा दट्ठं, न कहेउ, न वि
सुमरिउं जे । एव पुव्वरय-पुव्वकीलियविरतिसमितिजोगेण
भावितो भवति अतरप्या आरयमणविरतगामधम्मे जिइंदिए
बंभचेरगुत्ते । (५) पंचमं आहार - पणीय-निद्धभोयणविवज्जए
संजए सुसाहू ववगयखीर-दहि-सप्पि-नवनीय-तेल्ल-गुल-खंड-
मच्छडिक-महु-मज्ज-मंस-खज्जक-विगतिपरिचत्तकयाहारे ण
दप्पणं, न बहुसो, न नितिक, न सायसूपाहिकं, न खड्डं, तहा
भोतव्वं जह से जायामाताए (य) भवति, न य भवति विग्गमो,
न भंसणा य धम्मस्स, एवं पणीयाहारविरतिसमितिजोगेण
भावितो भवति अतरप्या आरयमणविरतगामधम्मे जिइंदिए
बंभचेरगुत्ते ।

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहित
इमेहि पंचहिव कारणेहि मणवयणकायपरिरक्खिएहि णिच्चं

आमरणंत च एतो जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो
अकलुसां अच्छिट्ठो अपरिस्सावो असंकिलिट्ठो सुद्धो
सव्वजिणमणुन्नातो । एव चउत्थ संवरदारं फासियं पालितं सोहितं
तीरितं किट्टितं आणाए अणुपालितं भवति । एवं नायमुणिणा
भगवया पन्नावियं परूवियं पसिद्धं सिद्धवरसासणमिण आघविय
सुदेसित पसत्थं । (सू० २७) चउत्थं संवरदारं समत्त
तिवेमि ॥ ४ ॥

संस्कृतच्छाया

तस्येमाः पञ्च भावनाश्चतुर्यकस्य भवन्ति अब्रह्मचर्यविरमणपरिरक्षणार्थाय
(रक्षणायतायं),(१) प्रथम शयनासनगृहद्वारांगणाकाशगवाभशालाभिलोकन-
पश्चाद्वास्तुकप्रसाधनकस्नातिकावकाशाः, अवकाशा ये च वेश्यानामासते
च यत्र स्त्रियोऽभीक्षणं मोहदोषरतिरागवर्द्धनाः कथयन्ति च कथा
बहुविधास्तेऽपि खलु वर्जनीयाः, स्त्रीसत्कसंक्लिष्टा अन्येऽपि चैवमादयोव-
काशास्ते खलु वर्जनीया यत्र मनोविभ्रमो वा भ्रमो वा भ्रंशना वाऽऽत्तं रौद्र
च भवेद् ध्यानं तत्तद् वर्जयेदवद्य (वर्ज्य-वज्र) भीरुनायतनमन्तप्रान्तवासी ।
एवमसंस्तकवासवसतिसमित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनोऽविरत-
ग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः ।

(२) द्वितीयं नारीजनस्य मध्ये न कथनीया कथा विचित्रा विम्बोक-
विलाससम्प्रयुक्ता हासभृंगारलौकिककथा वा मोहजननी न आवाहविवाह-
वरकथा इव स्त्रीणां वा सुभगदुर्भगकथा चतुःषष्टिश्च महिलागुणा न
वर्ज-वेश-जाति - कुल - रूप - नाम - नेपथ्यपरिजनकथा स्त्रीणामन्याऽपि
चैवमादिकाः कथाः भृंगारकथनाः तपःसंयम - ब्रह्मचर्यंघातोपघातिका
अनुचरता ब्रह्मचर्यं न कथयितव्या, न श्रोतव्या, न चिन्तयितव्याः । एवं
स्त्रीकथाविरतिसमित्तियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्माऽऽरतमनोविरतग्रामधर्मो
जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः । (३) तृतीयं नारीणां हसितभणित षेष्टितविप्रेक्षित-
यतिविलासक्रीडित विम्बोकितनाद्यपीतवाहित शरीरसंस्थानवर्ण करचरण-
नयनलावण्यरूपयौवनपयोधराचरवस्त्रालंकार भूषणानि च गुह्यावकाशिकानि
अन्यानि चैवमादिकानि तपःसंयमब्रह्मचर्यंघातोपघातिकानि अनुचरताब्रह्मचर्यं

न चक्षुषा, न मनसा, न चक्षसा प्रार्थयितव्यानि पापकर्माणि । एवं स्त्रीरूपविरतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनो। बरतग्राम-धर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः । (१) चतुर्थं पूर्व्वरत-पूर्व्वक्रीडितपूर्व्वसंभ्रं चक्ष-संस्तुता ये ते आवाहृविबाह्वोलकेषु च तिथिषु यज्ञेषु उत्सवेषु च शृ गारागारचारुवेधाभिर्हावभावप्रललितविको पविलासशालिनोभिरनुकूल - प्रेमिकाभिः साङ्गं मनुभूताः शयनसम्प्रयोगा ऋतुसुख (शुभ) वरकुसुमसुरभि-चन्दनसुगन्धिवरवासधूपसुख - (शुभ) - स्पर्शवस्त्रभूषणगुष्पापपेता रमणीया ऽऽतोद्योगेयप्रचुरनटनर्जाकजस्त - मस्तमौष्टिकविडम्बककथकप्लवकलास-कास्यायकलखमखतूणवस्तुम्बवीणिकतालाचरप्रकरणानि च बहूनि मधुरस्वर-गीतमुस्वराणि अन्यानि चैवमाविकानि तपःसंघमब्रह्मचर्यघातोपघातिकाणि अनुचरता ब्रह्मचर्यं न तानि भ्रमणेन लभ्यानि द्रष्टुं, न कथयितुं, नाऽपि च स्मर्तुं च । एव पूर्व्वरतपूर्व्वक्रीडितविरतिसमितियोगेन भावितो भवत्यन्तरात्मा आरतमनो। बरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः । (५) पंचमकं आहारप्रणीतस्निग्धभोजनविवर्जकं सद्यतः सुसाधुर्व्यपगतकीरवधिर्षपिर्नव-नीततैलगुडखडमस्त्यडिकामधुमद्यमांससलाद्यकविकृतिपरित्यक्तकृताहारो न वपंज, न बहुशो, न नैतियकं, न शाकसूपाधिकं, न प्रभूतं तथा भोक्तव्यं यथा तस्य यात्रामात्राय भवति, न च भवति विभ्रमो, न भ्रंशना च धर्मस्य, एवं प्रणीताहारविरतिसमितियोगेन भावितो भवति अन्तरात्मा आरतमनो-विरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो ब्रह्मचर्यगुप्तः ।

एवमिव सवरस्य द्वारं सम्यक् सवृतं भवति सुप्रजिहित एभिः पंचभिः कारणैर्मनोवचनकायपरिरक्षितैर्नित्यमामरणान्तं चैव योगो नैतव्यो धृतिमत्ता मतिमत्ताऽनास्त्रधोऽकलुषोऽच्छिद्रोऽपरिस्त्रावी असंक्लिष्टः शुद्धः सर्वजिनामु-ज्ञातः । एव चतुर्थं संवरद्वारं स्पृष्टं पालितं शोधितं (शोभितं) तीरितं कीर्तित-माज्ञायानुपालितं भवति । एव ज्ञातमुनिना भगवता प्रजप्त प्रकृषितं प्रसिद्धं सिद्धवरशासननिबन्धाख्यातं सुवेशितं प्रशस्तम् । (सू० २७) चतुर्थं संवरद्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि ॥४॥

पद्यान्वयार्थ—(तस्त चक्षुष्यस्त) उस चतुर्थसंवर द्वार ब्रह्मचर्यगत की (इमा पंच भावनाओ) ये आगे कही जाने वाली पांच भावनाएँ, (अबंजवेरवेरमणपरिरक्ष-णदुयाए) अबब्रह्मचर्य से विरतिकर्य ब्रह्मचर्य की चारों ओर से सुरक्षा के लिए (होति) हैं । (पञ्चमं) पहली असंस्क्रमासवसतिसमिति भावना इस प्रकार है—(सयथासच-

घर - दुबार-अंगण-आगस-गवकस-सास-अभिलोयण-पच्छय-सुक-पसाहणक-भृशिकाव-
कसा) शय्या, आसन, घर, द्वार, अंगण, खुला स्थान-अनाच्छादित स्थान, खिड़की-
झरोखा, सामग्री रखने का स्थान, बहुत ऊँचा स्थान, जहाँ से सब दिखाई देता है,
घर का पिछला भाग, स्नान और भुंगार करने का स्थान (य) तथा (वेसियाचं)
वेरयाओं के (अवकासा) स्थान (य) और (जत्थ) जहाँ पर (इत्थिकाओ) स्त्रियाँ
(अभिवसन्) बारबार (अच्छति) आकर बंठती हैं (य) एवं (मोहदोसरतिराम-
बद्धनीओ बहुविहाओ कहाओ) मोह, डूब, कामराग एवं स्नेहराग आसक्ति को
बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की कथाएँ (कहिंति) कहा करती हैं; (तेवि इत्थिसंस-
संकिलिट्टा) वे स्त्रियों के संसर्ग से चित्त में कामविकार पैदा करने वाले स्थान
भी (हु) निश्चय ही (बज्जणिका) त्यागने योग्य हैं। (य) तथा (अन्नेवि) और
भी (एवमादी) इसी प्रकार के कामविकारबद्धक स्थान हो तो (ते) उन्हें भी (हु)
अक्षय (बज्जणिका) वर्जनीय समझें, अधिक क्या कहें (जत्थ) जहाँ जहाँ (मणो-
विबभमो वा) चित्तवृत्ति में व्यग्रता या कामबिह्वलता या 'ब्रह्मचर्य का पालन कर्ह
या नहीं?' इस प्रकार की चित्त में छान्ति, (मंगो वा) या ब्रह्मचर्य का सर्वथा भंग
(अंसणा वा) अथवा ब्रह्मचर्य का आंशिक भंग (अट्टं) आतंभ्यान (य, तथा (यहं
झाचं) रौद्रध्यान (हुज्ज) पैदा हो, (अवज्जणीक) पाप से डरने वाला (अंतपंतवासी)
इन्द्रियों के प्रतिकूल, किन्तु साधुओं के अनुरूप विविक्त स्थान में निवास करने वाला
साधु (तं तं) उस उस (अणायतणं) साधुओं के निवास के अयोग्य स्थान का
(बज्जेज्ज) त्याग करे। (एवं) इस प्रकार (अंसंसवासवसही-समित्तजोगेण) स्त्री-
सम्पर्क से रहित वसति - स्थान में निवास के विषय में सम्यक् प्रवृत्ति-समिति-
प्रयोग से (अंतरप्पा) साधु को अन्तरात्मा (भावितो) ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से संस्कृत
(भवति) हो जाती है; (आस्तमणाविरयगामधम्मो) उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन
हो जाता है, और इन्द्रियाँ आसक्तिपूर्वक विषय-ग्रहण करने के स्वभाव से निवृत्त हो
जाती हैं (चित्तेविद) इन्द्रिय-विषेता यह साधु (अंभचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य को सुरक्षा कर
लेता है। (चित्तिर्यं) दूसरी स्त्रीकथाविरतिकल्पसमिति भावना इस प्रकार है—
(नारीअणत्स) केवल स्त्रियों की ही सत्ता के (मज्जे) बीच में (विचिता) ज्ञान,
चारित्र्यादि की वृद्धि को रोकने वाली कोरी बाणीविज्ञासक्य विचित्र (विज्जोय-
विज्ञास संपउत्ता) स्त्रियों की अभिमानजन्य अनावरणपूर्ण चेष्टाओं तथा भीह, नेत्र
आदि के विकारक्य विज्ञास से संयुक्त (कहा) कथा (य) नहीं (कहेयन्ना) कहनी

चाहिए (ब) अथवा (हाससिगारभोदयकहा) हास्वरस और भुंभाररस प्रधान लौकिक कथा (ब) तथा (मोहजनणी) मोह पैदा करने वाली (आबाह-विबाहकहा) नव-विवाहित वर-वधू को बुलाने की या विवाह की कथा (अवि) भी (न) नहीं कहनी चाहिए (बा) अथवा (इत्थीचं) स्त्रियों की (सुभग - दुभगकहा) सुन्दरता और कुम्पता से सम्बन्धित कथा अथवा सुहागिन होगी या विधवा ? इस प्रकार की या भाग्य-शालिनी होगी या अभागिनी ? इससे सम्बन्धित बात भी (ब) और (चउसट्ठी महि-सागुणा न) महिलाओं के आसिगन आदि = कर्मों के प्रत्येक के =-= भेद होने से कुल ६४ गुणों का, अथवा गीत, नृत्य औचित्य आदि महिलाओं के ६४ गुणों का, या वास्त्यायनकामशास्त्र आदि में प्रसिद्ध आसनावि ६४ भेदों का वर्णन भी नहीं करना चाहिए । (ब) अथवा (इत्थियाणं) स्त्रियों से सम्बन्धित (वन्न-वेस-जाति-कुल-कव-नाम-नेवत्परिजनकहा वि) वर्ण, देश, जाति, कुल, रूप, नाम, नेपथ्य-पौशाक और परिवार की कथा भी (न) नहीं करनी चाहिए । (घ) तथा (एवमादिया-भो) इसी प्रकार की (अभावि) और भी (सिगारकलुजाभो) भुंभाररस द्वारा कथना पैदा करने वाली (तवसंभम-बंधेरेघातोघातियाभो) तप, संयम, और ब्रह्मचर्य का आसिक रूप से तथा पूर्णरूप से घात करने वाली (कहाभो) कथाएँ (बंधेरे) ब्रह्मचर्य का (अनुचरमानेचं) आचरण करने वाले साधु को (न कहेयन्वा) नहीं कहनी चाहिए तथा (न सुनेयन्वा) न दूसरे से सुननी चाहिए और (न चितेयन्वा) न ही मन में उनका चिन्तन करना चाहिए । (एचं) इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से (इत्थीकहविरति-समित्तियोगेणं) स्त्री कथा से विरक्तिकथ समिति का प्रयोग-आचरण करने से (अंतर-रप्या) साधु का अन्तरात्मा (भावितो) ब्रह्मचर्य के संस्कार से सुवासित (भवति) हो जाता है; (आरतनवविरयमानधम्मे) उसका हृदय ब्रह्मचर्य में मग्न हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से पराङ्मुख हो जाती हैं; (जित्तिये) ऐसा इन्द्रियविधेता साधु ही (बंधेरेगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्ण रत्नक बन जाता है । (ततीयं) तीसरी स्त्रीकथविरतिसमिति भावना है, यह इस प्रकार है—(नारीचं) स्त्रियों के (हसित-भजितं) मधुर हास्य तथा विकारयुक्त कथन, (वेदिठय-विपेविकत-नइ-बिलास-कीसियं) हास्य आदि की चेष्टाएँ-लठके, कटास आदि या भीहों की चेष्टा करके निरीक्षण, गति-बालकाल, हास्यभावादि रूप बिलास और कामोत्तेजक क्रीड़ा, (घ) तथा (चिज्जो-इय-नट्ट-नीस-वाविय-सरीरसंठाण-वन्न-कर-वरत्थ-नयत्थ-सावत्थ-कव-ओवत्थ-यवोहराहर-कत्थालंकारभूत्थवावि) कामोत्पादक संभाषण, नाट्य, नृत्य, गीत, वीणाविबादन तथा मोटी,

हुकमी, ठिगनी आदि के रूप में शरीर का डाँचा डीलडौल, रंगरूप, हाथ, पैर और आँसों की रमणीयता, लाभ्य आकृति, जीवन, स्तन, नीचे का ओठ, कपड़े, हार आदि अलंकार, वेद्यविद्यास एा साज सज्जा या शृंगारप्रसाधन (य) तथा (गुणशोभकासियाई) गुप्तांगों के स्थान (य) और (एवमावियाई अश्राणि) इसी प्रकार के अन्य (तबसंजमबंधभेरातोवयातियाई) तप, सयम और ब्रह्मचर्य का अल्प या पूर्ण रूप से घात करने वाले (पावकम्माई) पाप-कर्मों को (बंधभेरे) ब्रह्मचर्य का (अनुचरमाणेषं) पालन करने वाला साधु (न चक्खुसा) न आँसों से देखने की, (न मणसा) न मन से चिन्तन करने की (न वयसा) और न वचन से कहने की (पत्थेयव्वा) इच्छा करे। (एवं) इस प्रकार (इत्थोरुवविरतिसमित्तोजोण) स्त्रीरूप निरोक्षण से निवृत्तिरूप समिति के मन वचन काया के योग-प्रयोग से (भावितो) संस्कृत (भवति) हो जाता है। (आरतमणविरतगामधम्मे) ऐसे साधु का मन ब्रह्मचर्य में संलग्न हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो जाती हैं। वही (जिइंविए) जितेन्द्रिय साधु (बंधभेरेगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्ण सुरक्षक होता है। (चउत्थं) चौथी पूर्ववत् पूर्वकीदितविरतिसमिति भावना है, जो इस प्रकार है—(गुव्वरय-पुव्वकीलिय-गुव्वसंगंधगंधसंपुया) पूर्व-गृहस्थाधम में अनुभव की हुई कामरति तथा गृहस्थावस्था में की हुई छूताविक्रीडा तथा पूर्वकालिक स्वसुरकुल के साने, साली, साले की पत्नी, पुत्री आदि सम्बन्ध के कारण परिचित, (जे ते) जो जो हों, उन्हें कामोदय दृष्टि से देखना, कहना और स्मरण करना योग्य नहीं है। (य) तथा (आवाह विवाह चोत्सकेसु) धर्म के साथ घर को घर में लाने के समय, विवाह के समय तथा बालक के बूढाकर्म-खोटी रखने के—संस्कार के अवसर पर (तिथिसु) वसंतपंचमी आदि तिथियों पर, (वज्जेसु) यज्ञों-पूजाओं में (य) तथा (उत्सवेसु) उत्सवों में (सिगारागार वापवेसाहि) शृंगार रस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा वाली स्त्रियों के, (हाव-भाव-पसलिय-विक्खेव-विलास-सासिणीहि) हाव-मुक्कविकार, भाव-मानसिक विकार, हाथ-पैर आदि अंगों का कोमल न्यास-संचालन, चित्त की व्यग्रता के कारण सापरवाही से किया हुआ शृंगार विपर्यास तथा विलासयुक्त बाल से शोभायमान (अनुकूल पेम्मिकाहि) अनुकूल प्रेम रखने वाली प्रेमिकाओं के (सद्धिं) साथ (उदुसुह-वरकुमुम-सुरनिचवच-सुगंधिवर-वातसूच-सुहपरित-वत्तभूतप-गुणोववेया) श्दु के अनुकूल सुख देने वाले सुन्दर कूल, श्रेष्ठ सुगन्धित चन्दन, सुगन्धित उत्तम पूर्ण दास-पाउडर, धूप, शुभस्पर्श, वस्त्र, आभूषण आदि भोगों को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के गुणों से युक्त (सयमसंपओगा) शयन-सहवास का (अनुभूया) अनुभव पूर्वकाल

में किया है, उन्हें (य) तथा (रमणिकजाउज्ज गेयपजर-नड-मट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्टिड कबेलंबग-कहग-पवगलासग - आइक्खग - लंख-मंख - तूणइल्ल - तुं बवीणिय - तालायर-पकरभाणि) रमणीय बाजों और गायनों से संपन्न नट, नाचने वाले, रस्सी पर चढ़कर खेल दिखानेवाले, पहलवान, मुष्टियुद्ध करनेवाले मुक्केबाज, बिभूचक या भांड, कपकड़, ऊपर से नदी आदि में कूदने वाले या ऊँचे उछलने वाले, रासलीला करने वाले, सुभाशुभ फल बताने वाले, लंबे बांसों पर खेल करने वाले, चित्रपट हाथ में लेकर भोज मांगने वाले डाकौत, तूण नाम का बाजा बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, और बाजीगर या ताल बजाने वाले, इन सबकी क्रियाएँ (य) एवं (बहूणि) बहुत से (मट्टरत्तर गीत सुस्तराई) मधुरस्वर में गाने वालों के गीतों की सुरीली आवाजें (य) तथा (एवमादियाणि) इसी प्रकार के, (अज्जाणि) अन्यान्य जो (बंमचेर घातोव-घातियाइ) ब्रह्मचर्य का आंशिक रूप से या पूर्णरूप से घात करने वाले हैं, (ताइ) वे (बंमचेर) ब्रह्मचर्य (अणुचरमाणेण) पालन करने वाले साधु के द्वारा (न वट्टुं) न देखने, (न कहेउं) न कहने (न वि सुमरिउं) और न स्मरण करने (लब्भा जे) योग्य हैं। (एवं) इस प्रकार (पुज्वरय-पुख्खकीलिय-विरतिसमित्तजोणेण) पूर्वगहस्वावस्था की कामरति, छूटादि क्रीड़ा के कामोदय वृष्टि से प्रेक्षण-कथन-स्मरण के त्यागक्य समिति के चिन्तन एवं प्रयोग से (अतरप्पा) साधु का अन्तरात्मा, (भाविता) ब्रह्मचर्य के संस्कार से युक्त (भवति) हो जाता है, (आरयमण-विरतयामधम्मै) उसका मन ब्रह्मचर्य में ओतप्रोत हो जाता है, और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त हो जाती हैं। और तब वह (विइ विए) इन्द्रियविजेता साधु (बंमचेरपुत्तं) ब्रह्मचर्य की पूर्णरूपेण सुरक्षा कर लेता है। (पंचमगं) पांचवीं प्रणीताहारविरति-समिति भावना है, जो इस प्रकार है—(आहारपणीयनिद्धभोयण-विषज्जते) स्वादिष्ट और गरिष्ठ एव स्निग्ध भोजन का त्याग करने वाला, (ववगयधीरवहिसप्पि-मवनीय-तेल्लपुलमज्जंडिय-महुमज्जमंस-कज्जक विगतिपरिचल कयाहारे) दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, शक्कर, मिथी, मधु-शाहव, मद्य, मांस आदि विकृतिजनक-विकृतिक खाद्य पदार्थों का, आहार के रूप में त्याग किया हुआ (संजते सुत्ताह) संयमी सुसाधु (य वप्पणं) इन्द्रिय खर्पकारक पदार्थ का सेवन न करे, (न वट्टतो) न बिन में कई बार जाए, (न मित्ठं) न प्रतिविम जाए, (न सावसुपाहिकं) साग-बाल अधिक न जाए, (न खड्डं) न ज्यादा खाए। (तहा) बैसा हिल, मित और पथ्यकर (भोसज्जं) भोजन करे, (जह) जिससे (से) उस जह-चारी का वह भोजन (जायानात्ताए) संयम-यात्रा के निर्वाह-भर के लिए (जयति) हो (य) और जिससे (न विज्जतो) धर्म के प्रति मन की अस्थिरता न हो, (य) और

(न धम्मस्स भंसणा) न ब्रह्मचर्यं धर्म से पतन ही हो, (एवं) पूर्वोक्त प्रकार से (पत्नीयाहारविरति समितिजोगेव) स्वादिष्ट एव गरिष्ठ आहार से विरक्तिजन समिति की क्षिप्तनपूर्वक प्रवृत्ति से (अन्तरण्या भावितो भवति) ब्रह्मचारी की आत्मा ब्रह्मचर्य के बृद्ध संस्कारों से युक्त हो जाती है, (आरय-मण-विरतगामधम्मे) उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन हो जाता है और उसकी इन्द्रियां विषयों से विरक्त हो जाती हैं। फिर वह (जिद्वंघिए) जितेन्द्रिय होकर (बंभचेरगुत्ते) ब्रह्मचर्य का पूर्णतया सुरक्षक बन जाता है।

(एवं) इस प्रकार (इधं) इस (संवरस्स वारं) चतुर्थ संवर ब्रह्मचर्य संवर का द्वार (मणवयणकायपरिरिक्खएहि) मन, वचन और काया से सुरक्षित (इमेहि पवहि वि कारणेहि) इन-पूर्वोक्त पांचकारणों-पंचभावनायोगों के द्वारा (सम्मं) सम्यक् रूप से (संवरियं) सुरक्षित (होई) हो जाता है और (सुप्पणिहियं) अच्छी तरह विसविभाग और संस्कारों में जम जाता है। (धितिमया मतिमया) धृतिमान् और बुद्धिमान् साधक को (एसो ओगो) यह पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य सुरक्षा के लिए पांच भावनाओं का क्षिप्तनसहित प्रयोग (निष्णं आमरन्तं) जीवन के अंत तक प्रतिबिन्, (जेयस्सो) करना चाहिए, जो कि (अणाससो) आश्रयरहित है, (अकलुसो, निर्मल है, (अच्छिहो) कर्म प्रवेश के लिए छिद्र से रहित (अपरिस्सावी) कर्मबन्धन रहित और (अंसकिसिट्ठो) संक्लिष्ट परिणामों से रहित है। (सुद्धो) यह पवित्र है, और (सव्वजिणमणुस्रातो) समस्त जिनवरों से अनुज्ञात है। (एव) इस प्रकार (चउत्थं) चौथा (संवरवारं) ब्रह्मचर्य नामक संवरद्वार (फासियं) उचित काल में अंगीकार किया हुआ, (पालियं) पालन किया गया, (सोहितं) अतिचाररहित आचरण किया हुआ, (सीरितं) पूर्णरूप से अन्त तक पालन किया गया, (किट्ठितं) दूसरों के लिए कथन किया गया (आणाए अणुपालिय) भगवान् की आज्ञापूर्वक निरन्तर पालन किया गया (भवति) होता है।

(एवं) उक्त प्रकार से (नायमुजिणा) ज्ञातवस में उत्पन्न मुनि अर्थात् भगवान् महावीर स्वामीद्वारा (इधं, यह (सिद्धवरसासन्नं) सिद्धों का श्रेष्ठ शासन (पल्लियं) सामान्य रूप से निरूपित है, (पकवियं) विशेष रूप से विवेचन किया गया है, (पसिद्धं) प्रमाणों और नयों द्वारा सिद्ध किया गया है, (आघवियं) जलीभाति हृदय में जमा दिया गया है, (सुवेसियं) मध्यजीवों के लिए समुपदिष्ट और (वसत्थं) अंगसम्बन्ध (चउत्थं संवरवारं) चौथा ब्रह्मचर्य संवरद्वार (समसं) समाप्त हुआ। (इति) इस प्रकार (वेणि) में (सुधर्मा स्वामी) कहता हूँ।

मूलार्थ—अब्रह्मचर्य से विरतिरूप ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए ये आगे कही जाने वाली पांच भावनाएँ हैं। पहली असंसक्तवास-वसति समिति भावना इस प्रकार है—शय्या, आसन, गृह, द्वार, घर का आंगन, खुला स्थान, खिड़की-झरोखा, घर का सामान रखने का स्थान, जहाँ से बाहर का दृश्य दिखाई देता है—ऐसा बहुत ऊँचा स्थान, घर का पिछला भाग, शृङ्गार और स्नान करने का स्थान, वेश्याओं के स्थान, जहाँ बार-बार औरतें बैठती या ठहरती है और मोह, कामराग व स्नेहराग-आसक्ति बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की कथाएँ करती हैं, ऐसे स्त्री सम्पर्कसे चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले सभी स्थान निश्चय ही ब्रह्मचारी साधु के लिए त्याज्य है। इसी प्रकार के अन्य स्थान भी वर्जनीय समझने चाहिए, जहाँ चित्तवृत्ति में कामविकलता होती हो, ब्रह्मचर्य का सर्वथा भंग होता हो या आर्त्तध्यान व रोद्रध्यान पैदा होता हो। पापभीरू तथा इन्द्रियों के प्रतिकूल विविक्त स्थान में निवास करने वाले साधु के लिए उचित है कि वह साधु के निवास करने के लिए अयोग्य उन-उन स्थानों का परित्याग करे। इस प्रकार असंसक्तवास वसतिसमिति के चिन्तनयुक्त प्रयोग से साधु की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सस्कारों से पुष्ट हो जाती है, उसका मन ब्रह्मचर्य में लीन हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। वह इन्द्रियविजेता साधु ब्रह्मचर्य की पूर्णतया सुरक्षा कर लेता है।

दूमरी स्त्रीकथाविरति समिति भावना इस प्रकार है—एकांत स्त्रियों की ही परिषद् में बैठ कर ज्ञानचारित्र भाव वढक बातों से रहित वाणी की प्रपञ्च-रचना से युक्त विचित्र एव स्त्रियों की अभिमानजन्य अनादरपूर्ण चेष्टा तथा नेत्रादि विलास से युक्त कथा न करे। अथवा हास्यरस एवं शृंगाररस-प्रधान लौकिक कथा न करे। मोह उत्पन्न करने वाली नवविवाहित वर-वधू को बुलाने की तथा विवाहशायी की कथाएँ भी न करे। इसी प्रकार स्त्रियों के सौभाग्यदुर्भाग्य के सम्बन्ध में भविष्यवाणी न करे अथवा महिलाओं की मूर्खता-कुरूपता के सम्बन्ध में भी चर्चा न करे, तथा महिलाओं के आलिंगन आदि ६४ गुणों अथवा नृत्य, गीत, औचित्यादि ६४ महिला गुणों, या वात्स्यायन सूत्र आदि में प्रसिद्ध ६४ महिलागुणों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और न ही स्त्रियों से सम्बन्धित देश, जाति, कुल रूप, नाम, पोशाक और परिवार की कथाएँ करनी चाहिए। इसी प्रकार की और भी शृंगार-

रस द्वारा कृष्णा पैदा करने वाली तप, संयम और ब्रह्मचर्य का आंशिक या पूर्णरूप से घात करने वाली कथाएँ ब्रह्मचारी न करे, न सुने और न ही चिन्तन करे। इस प्रकार स्त्री कथा से विरक्तिरूप सम्यक् प्रवृत्ति-समिति का प्रयोग करने से ब्रह्मचारी की आत्मा ब्रह्मचर्य से सुसंस्कृत हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में एकाग्र हो जाता है और इन्द्रियाँ विषयसेवन की ओर नहीं दौड़ती। अतः वह इन्द्रियविजेता साधु ब्रह्मचर्य की पूर्ण सुरक्षा कर लेता है।

स्त्रीरूप दर्शन विरतिसमिति नामक तीसरी भावना इस प्रकार है— स्त्रियो का मधुर हास्य, विकारयुक्त कथन, हाथ पैर आदि अंगों की चेष्टाएँ, कटाक्षआदि से या भ्रू-चेष्टापूर्वक गिरीक्षण, गति-चालढाल, विलास—नेत्रादि विकार, अभीष्टवस्तु की प्राप्ति से अभिमानजन्य अनादरपूर्ण चेष्टा, नृत्य, गीत, वीणावादन शरीर की लम्बाई-चौड़ाई आदि के रूप में डीलडौल या ढांचा, रंगरूप, हाथ पैर और नेत्र का लावण्य-सौन्दर्य, इन सबके प्रसाधन-प्रकार तथा शरीर के गुप्त (ढकने योग्य लज्जाजनक) अंग तथा ये और दूसरे भी इसी प्रकार के तप, संयम और ब्रह्मचर्य का पूर्ण या आंशिक रूप से घात करने वाले इन पापकर्मों को ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाला साधु न आँखों से देखने की, न मन से चिन्तन करने की और न वाणी से कहने की इच्छा करे। इस प्रकार स्त्रीरूपविरतिसमिति के प्रयोग से ब्रह्मचारी की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के संस्कारों से युक्त हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में तल्लीन हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयो से विमुक्त हो जाती है। वही जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य की भलीभाँति रक्षा कर लेता है। चौथी पूर्ववर्त-पूर्वकीर्णित विरतिसमिति भावना है। वह इस प्रकार है—पहले गृहस्थ अवस्था में अनुभव की गई कामक्रीड़ा या पूर्वअनुभूत छूतादि क्रीड़ा, स्वसुर-कुल के साले-साली या साले के स्त्रीपुत्रादि परिवार के पूर्वपरिचित व्यक्तियों को देखने, उनके सम्बन्ध में कहने और स्मरण करने का त्याग करे। नवविवाहित वर वधू के घर में प्रवेश के समय, विवाह के समय, चूड़ाकर्म-संस्कार के अवसर पर तथा बसंत पंचमी आदि तिथियों पर, यज्ञा-पूजाओं तथा उत्सवों के मौके पर शृङ्गाररस के गृहरूप सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित स्त्रियों के हाव (मुखविकार), भाव (मनोविकार), हाथ-पैर आदि का कोमल विन्यास-संचालन, चित्त की व्यग्रता से यानी लापरवाही से ढीलाढाला वस्त्र-

परिधान, त्रिलासपूर्वक मस्तानी चाल से सुशोभित, अनुकूल प्रेमवाली प्रेमिकाओं के साथ श्रुतु के अनुकूल सुखद सुन्दर फूल, महकते उत्तम चन्दन, महकते हुए उत्तम चूर्ण (पाउडर), इत्र आदि की मस्त सुगन्ध, धूप, सुखस्पर्श, मुलायम कपड़े, इन सब कामभोग-वर्द्धक गुणों से युक्त जिन शयनसम्पत्तियों का सुखानुभव गृहस्थावस्था में किया था, उन्हें न देखे, न उनका वर्णन करे, और न ही मन में उनका चिन्तन करे। तथा रमणीय बाजों और गायनों के सहित नट का तमाशा करने वालों, नृत्य करने वालों, रस्ती पर चढ़ कर खेल करने वालों, कुशती करने वाले पहलवानों, मुष्टि-युद्ध करने वाले मत्तो, कथा करने वाले कथको, ऊपर से पानी में कूदने वालों, रासलीला करने वालों, शुभाशुभ फल बताने वालों, लंबे बांस पर चढ़ कर तमाशा दिखाने वालों, चित्रपट हाथ में लेकर भिक्षा मांगने वालों (डाकौत आदि), तूण नामक बाजा बजाने वालों तथा बाजीगरों की विशेष क्रिया तथा मधुर स्वर से गाने वालों के सुरीले स्वर तथा इसी प्रकार की अन्य विविध क्रियाएँ, जिनसे तप, संयम और ब्रह्मचर्य का सर्वथा या आंशिक रूप से नाश होता है, इन सबको ब्रह्मचारी साधु न आँखों से देखे, न वचन से उनके बारे में चर्चा करे, और न ही मन से उन पर चिन्तन करे। इस प्रकार पहले आश्रम (गृहस्थ अवस्था) की कामक्रीड़ा या छूतादि-क्रीड़ा का दर्शन, उच्चारण व स्मरण के त्याग में सम्यक् प्रवृत्ति करने से ब्रह्मचारी की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के संस्कारों से ओतप्रोत हो जाती है। उसका मन ब्रह्मचर्य में ही निमग्न हो जाता है, उस की इन्द्रियाँ विषयों से विमुक्त हो जाती है। वह जितेन्द्रिय साधु ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण सुरक्षक बनता है।

पाचवी प्रणीत-आहारत्याग समिति भावना इस प्रकार है गरिष्ठ, स्वादिष्ट और स्निग्ध आहार को छोड़ने वाला तथा दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, शक्कर, मिश्री, मधु-शहद, मद्य, मांस आदि स्नाद्य-विकृतियों से रहित आहार करने वाला संयमी सुसाधू इन्द्रियवर्ष-कारक पदार्थ न खाए, न दिन में कई बार खाए, न प्रतिदिन भोजन करे, न ही दाल-साग अधिक खाए, न बहुत ठूँस-ठूँसकर ही खाए। उतना ही और बैसा ही हितकर और परिमित भोजन करे, जिससे वह भोजन उस ब्रह्मचारी साधु की संयम यात्रा के लिए पर्याप्त निर्वाहक हो। उस आहार से मन में उद्विग्नता न पैदा हो, न ब्रह्मचर्य का सर्वथा भंग हो और न ही धर्म से भ्रष्ट हो। इस प्रकार

गरिष्ठ स्वादिष्ट रसीले आहार का त्याग करने में सम्यक् प्रवृत्ति (समिति) करने से ब्रह्मचारी का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सुसंस्कारों से वासित हो जाता है। उसका अन्तःकरण ब्रह्मचर्य में रम जाता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयों में आसक्तिपूर्वक प्रवृत्त नहीं होती। वह जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य को पूर्णतया सुरक्षित कर लेता है।

इस प्रकार इन पाँचों ही कारणों—ब्रह्मचर्य रक्षण के उपायो से मन, वचन और काया चारों ओर से सुरक्षित हो जाने से ब्रह्मचर्य संवर का यह द्वार भलीभाँति रक्षित हो जाता है, दिल-दिमाग में अच्छी तरह स्थापित हो जाता है। धृतिमान और बुद्धिमान साधु को यह चिन्तनयुक्त प्रयोग जीवन के अन्त तक प्रतिदिन करना चाहिए जो आश्र्वरहित है, दोषरहित है, कर्म बन्ध के स्रोत से रहित है, संक्लिष्ट परिणामो से रहित है, शुद्ध है, सर्वतीर्थ-करों ने इसकी अनुज्ञा दी है। इस प्रकार चौथा संवर द्वार उचितकाल पर स्वीकार किया हुआ, पालन किया गया, अतिचाररहित आचरण किया गया, पूर्ण रूप से पालन किया गया, अन्य भव्यजीवों के लिए उपदिष्ट है, और भगवान् की आज्ञानुसार आराधित है।

इस प्रकार ज्ञातवश में उत्पन्न मुनि अर्थात् भगवान् महावीर ने इस चतुर्थ संवरद्वार का सामान्य रूप से प्रतिपादन किया है, विशेष रूप से इस का निरूपण किया है, प्रमाणो से सिद्ध किया है, प्रतिष्ठापित किया है, भव्य जीवो को इसका उपदेश दिया है, ऐसा मगलरूप एवं सिद्धो का उत्तम-शासन रूप यह चतुर्थ ब्रह्मचर्य संवर द्वार समाप्त हुआ। ऐसा मैं (सुधर्मस्वामी) कहता हूँ।

व्याख्या।

पूर्व सूत्रपाठ में जिस ब्रह्मचर्य की इतनी गौरव गाथाएँ शास्त्रकार ने गाई थी, उस महापूज्यवान्, अनेक तपस्याओ से प्राप्त ब्रह्मचर्यरत्न की सुरक्षा के लिए साधारणरूप से उपाय भी बताए थे, किन्तु ये उपाय तब तक ही कृतकार्य होते हैं, जब तक साधक के सामने प्रतिकूल वातावरण न हो। वातावरण भी तभी बनता है, जब ब्रह्मचर्य के सुसंस्कार इतने मजबूत हों कि रोम-रोम में वे रम जायं, रग-रग में प्रविष्ट हो जायं, साधक के जीवन का कण-कण ब्रह्मचर्य के संस्कारों से ओतप्रोत हो जायं। इसी उद्देश्य से शास्त्रकार ने अब ब्रह्मचर्य के विविध स्थानों से साधक की आत्मा को बचाने तथा ब्रह्मचर्यपालन के संस्कारों को बढमूल करने हेतु

निम्नोक्त पांच भावनाएँ बताई हैं—(१) स्त्रीसंस्क्त निवासस्थान - स्थाय समिति भावना, (२) स्त्रीकथाविरतिसमिति भावना, (३) स्त्रीरूपविरतिसमिति भावना, (४) पूर्व्वरतपूर्व्वक्रीडित दर्शन-उच्चारण-स्मरण-त्यागसमिति भावना और (५) कामोत्पादक-आहारत्याग समिति भावना। यद्यपि इन पाचों भावनाओं के सम्बन्ध में बताए मूलपाठ का अर्थ हम काफी स्पष्ट कर चुके हैं, तथापि इन पर विशेष विवेचन करना आवश्यक है। अतः हम क्रमशः इन पर विवेचन करेंगे।

पांच भावनाओं की उपयोगिता—पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा साधु के लिए अनिवार्य है। और व्रतो में अपवाद और रियायत हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में कोई अपवाद और रियायत नहीं। बल्कि शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि प्राणत्याग स्वीकार कर ले, यानी आत्महत्या करते, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत खडित न करे। इसलिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा जब प्राणप्रण में करना अनिवार्य है तो साधक को यह देखना पड़ेगा कि अब्रह्मचर्य के अड्डे कहा-कहा हैं? अथवा विघातक तत्त्वों के मोर्चे कहा-कहा हैं? काम का चक्रव्यूह कहा-कहा और किस-किस प्रकार से साधक को फँसा लेता है और परास्त कर देता है? उनसे कैसे बचना चाहिए?

८. ही प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए विहित ये पांच भावनाएँ साधक के सामने प्रस्तुत हैं। ये पांच भावनाएँ साधक को अब्रह्मचर्य के अड्डों या ब्रह्मचर्य विघातक मोर्चों की जानकारी देकर उनमें बचने का द्वार-द्वार अभ्यास करने का संकेत देती हैं।

स्त्री-असंस्क्तस्थान समितिभावना का प्रयोग—सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य के विघातक तत्त्वों का मोर्चा लगता है—स्त्रीसंसर्ग युक्त स्थानों पर। साधुजीवन में धर्मपालन करने के लिए जैसे भोजन पानी आवश्यक है, वैसे ही धर्मपालन करने तथा सर्दी-गर्मी, वर्षा आदि से तथा उपद्रवी लोगों से बचने के लिए कोई न कोई स्थान जरूरी है, जहाँ पर टिक कर साधु ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की सम्यक् आराधना कर सके और अपने शरीर को धर्मपालनार्थ टिका सके। स्थानप्राप्ति के लिए तो भिक्षाविधि में बताया ही गया था कि साधु उस स्थान के मालिक से या उसका कोई एक मालिक न हो तो शासक आदि से या कोई भी प्रत्यक्ष मालिक न हो तो शकं न्द्र देव से अनुज्ञा ले कर ही उस स्थान का उपयोग करे। इस प्रकार साधु के लिए स्थान की समस्या हल हो जाने पर भी उसे वहाँ बहू चिन्ते करना पड़ेगा कि वह जहाँ निवास करना चाहता है, वहाँ उसका संयम-पालन ठीक तरह से हो जायगा? वहाँ उसके ज्ञान-दर्शन चारित्र्य में बाधक वातावरण तो नहीं है? वहाँ आसपास संयम-विघातक तत्त्व तो अपना मोर्चा नहीं लगाए हुए हैं? अन्यथा, जिस साधु धर्म अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सुरक्षा के लिए वह किसी स्थान को पा कर भी अपना

साधुजीवन खो बैठेगा। साधुजीवन का सर्वस्व-ब्रह्मचर्य गँवा देगा। अन्नह्यचर्य के चंगुल में फँसकर अपनी की-कराई साधना की कमाई को मिट्टी में मिला देगा। एक बार अनमोल ब्रह्मचर्यरत्न को खो देने पर फिर वह हाथ आना अत्यन्त दुष्कर है। इस लिए ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए स्थानत्यागसमिति भावना बताई गई है। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को ऐसे स्थानों में नहीं रहना चाहिए, जहाँ स्त्रियाँ सोनी हों, बैठती हो, घर के द्वार से बार-बार उनका आवागमन होता हो, घर के आंगन में जहाँ उनका पड़ाव हो, ऐसा झरोखा-जहा से स्त्रियों पर बार-बार दृष्टि पड़ती हो, या ऐसा ऊँचा स्थान, जहा से बहुत दूर तक गृहस्थ के घर की चीजें तथा सासारिक प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हो घर का पिछला हिस्सा, जहा पर स्त्रियों पर दृष्टि पड़ती हो, या स्नानघर, शृङ्गारघर आदि स्त्रियों के आवागमन के स्थान, तथा वेश्याओं का स्थान हो अथवा आसपास वेश्याओं का मोहला हो, या जहा स्त्रियाँ बार-बार बैठ कर मोह, द्वेष एव रतिराम बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की गप्पें लडाती हों, ऐसे स्थान साधु के निवास के लिए वर्जनीय हैं। इसके अलावा स्त्रीससर्ग से युक्त ऐसे अन्य स्थान, जहा रहने से स्त्रियों का स्वच्छन्द विलास आदि देखकर चित्त में भ्रान्ति पैदा हो जाय कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ या न करूँ? अथवा जहाँ ब्रह्मचर्य का संबंधा भग मन-बचन-काया से होना संभव हो, अथवा जहाँ ब्रह्मचर्य से मानसिक या वाचिकरूप से प्रकृता का होना संभव हो या जहा का वातावरण शृङ्गार-रमपूर्ण देखकर साधक को ब्रह्मचर्य के बारे में पश्चात्ताप हो, मैथुन-प्रवृत्ति के लिए तीव्रचिन्तन रूप आतंघ्यान या रौद्रघ्यान हो, ऐसे स्थानों पर भी साधु का निवास करना योग्य नहीं है। चाहे साधु को थोडा कष्ट भी होता हो, रद्दी और जीर्णशीर्ष प्रतिकूल स्थान ही मिलता हो, लेकिन ब्रह्मचर्य रत्न की सुरक्षा के लिए वहा रहना अभीष्ट हो तो पाप भीरु एव जैसे-तैसे स्थान में रहने के अम्यासी साधु को वैसे स्थान में रहने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए, मगर स्त्रीससर्गयुक्त अयोग्य, किन्तु बढ़िया स्थान में साधु को हगिज नहीं ठहरना चाहिए। यही इस भावना का प्रयोग है।

इस प्रकार के चिन्तन के प्रकाश में जो साधु अपनी अन्तरात्मा को स्त्री-संसक्त स्थान-याग समिति की भावना से सुसंस्कृत कर लेता है, उसका मन अम्यास से ब्रह्मचर्य में लीन हो जाता है, फिर उसकी इन्द्रिया विषयों के बीहड़वन में नहीं भटकती। वह जितेन्द्रिय और गुप्तब्रह्मचारी हो जाता है।

श्री कषाविरसिसमिति साधना का प्रथम—ब्रह्मचर्य विधातक तत्त्वों का दूसरा शोर्चा लयता है—स्त्रियों के सम्बन्ध में विविध प्रकार की कामोत्तेजक कषा क'। साधु के पास शास्त्रीय ज्ञान और अनुभवज्ञान होता है, वही उसके दर्शन और

चारित्र्य की वृद्धि में या इनके ह्रास को रोकने में सहायक बनता है। किन्तु अथर उस ज्ञान का प्रयोग दूसरों के कल्याण का कारण न होकर अपने चारित्र्य का ही विनाश करने वाला हो जाय तो वहाँ साधु को जरा रुक कर आत्मचिन्तन और निरीक्षण-परीक्षण करना चाहिए। साधु का उपदेश सबके लिए है, किन्तु साधु काम या मोह से प्रेरित होकर अपना उपदेश एकान्त में—केवल स्त्रियों के बीच बैठ कर न करने लगे और वैराग्य के उपदेश के बदले कामवर्द्धक विचित्र बातें न सुनाने लगे या स्त्रियों के हाव, भाव, विम्बोक^१ या 'विलास से युक्त कहानियाँ ही न छेड़ बैठे अथवा स्त्रियों के मधुर हास्यरस या शृङ्गाररस के लौकिक किस्से न कहने लगे या मोहजनक गतों न बताने लगे अथवा नवविवाहित वर वधू के चरित्र एवं विवाह की चर्चा न छेड़ बैठे, या स्त्रियों के सौभाग्य-दुर्भाग्य की भविष्यवाणी न करे अथवा स्त्रियों के आलिंगन चुंबन आदि ६४ गुणों या उनके नृत्यगीत आदि ६४ गुणों का वर्णन न करने लगे, या फिर विभिन्न देश^२ की, 'जाति की व कुल^३ की स्त्रियों की चर्चा न छेड़े, या फिर स्त्रियों के रूप और वेशभूषा का वर्णन न करे या उनके 'नाम ले लेकर भी वर्णन न करे या स्त्रियों के परिवार वालों की राम कहानी न छेड़ बैठे। कहा तक कहे ? ये और इस प्रकार की दूसरी जो भी स्त्रियों के शृङ्गारादि से सम्बन्धित कामवर्द्धक एव तप-संयम-ब्रह्मचर्य विघातक कथाएँ हों, उन्हें ब्रह्मचर्य के आराधक साधु को न नो कहनी चाहिए, न ऐसी बातें सुननी चाहिए। अन्यथा ज्ञान के बदले अज्ञान, मोह और कुशील बढेगा। ब्रह्मचर्य भ्रष्ट साधु का मन फिर अस्त व्यस्त ही रहेगा, वह धर्म से सर्वथा पतित हो जायगा। यही इस भावना का प्रयोग है, जो माधक को ब्रह्मचर्यनिष्ठ एव इन्द्रियविजेता बना देता है। निष्कर्ष यह है कि मोह

१. इष्टानामर्चानां प्राप्तावभिमानगर्बसम्भूतः ।

स्त्रीषामनादरकृतो विम्बोको नाम विज्ञेयः ॥

अर्थ—इच्छानुकूल पदार्थों के मिल जाने पर अत्यन्त गर्व से उत्पन्न हुआ स्त्रियों का अनादरपूर्ण व्यवहार विम्बोक कहलाता है।

२. स्थाभासनवसनानां हस्तधूम्रेत्रकर्मणां चैव ।

उपपद्यते विशेषो यः श्लिष्टः स तु विलासः स्यात् ॥

अर्थ—स्त्रियों के ठहरने, बैठने, चलने के तथा हाव, भाँह और नेत्र के स्नेहयुक्त क्रियाविशेष को विलास कहते हैं।

३. देशकथा—लाटी कोमल बचनना व रतिनिपुणा होती है इत्यादि ।

४. जातिकथा—ब्राह्मणियों विधवा होने पर मृतक^४ हैं। ५. कुलकथा—पति मरने के बाद शौचयुक्तियाँ आग में फूँद पड़ती हैं। ६. नामकथा—कुन्दरी वास्तव में अत्यन्त सुन्दरी ही है।

एवं कामराग बढ़ाने वाली जितनी भी बातें हैं, उनका भी न उच्चारण करे, न दूसरे से सुने और न मन में चिन्तन करे। तभी ब्रह्मचर्य के बारे में साधु अडोल रह सकता है।

स्त्रीरूपनिरीक्षणस्यागसमिति भावना का प्रयोग—इसके बाद ब्रह्मचर्य-घातक तत्त्वों का मोर्चा है—नारी के रूप से सम्बन्धित दर्शन, चिन्तन और कथन। ब्रह्मचारी साधक अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, विद्वत्ता या स्त्रीससक्त स्थानत्याग की मर्यादापालन के भ्रम में रहता है कि मैं मर्यादा में चल रहा हूँ, विद्वान् ? और मर्यादा का पालन करता हूँ, फिर ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट कैसे हो सकूँगा ? पर कामवासना का उद्भव तो मन से होता है और मन की प्रेरणा से साधक नारी के रूप-सौन्दर्य, लावण्य-वेशभूषा, यौवन, चालढाल, डीलडौल, श्रृंगार, आकृति, अगप्रत्यगो, अलकारो, गुप्तांगों तथा अगचेष्टाओं को कामविकार की दृष्टि देखने में लग जाता है, फिर विकृत मन से उन पर चिन्तन करता है और विकारी वाणी से उनका वर्णन करता है। अतः ब्रह्मचर्य घातक तत्त्व साधक को ऐसा पछाड़ देते हैं कि फिर ब्रह्मचर्य की भूमिका पर उसका उठना कठिन हो जाता है, वह एकदम निम्न भूमिका पर गिर जाता है। अतः अब्रह्मचर्य के इस प्रहार से बचने के लिए स्त्रियों की मधुर मुस्कराहट, विकारयुक्त वचन, हाथ-पैर आदि की चेष्टाएँ, भ्रूचेष्टा—कटाक्षादि पूर्वक निरीक्षण, मस्तानी चाल, आँखों का विलास^१ और क्रीडा तथा नारियों के कामोत्तेजक सभाषण, नृत्य, गीत, वीणादि वाद्यवादन, शरीर की लबाई, मोटाई आदि सस्थान, रग, हाथ-पैर व नेत्र का लावण्य, रूप, यौवन, स्तन, अघर, वस्त्र, अलकार, श्रृंगार प्रसाधन और गुप्तांग आदि ये और इसी प्रकार के अन्य स्त्री सम्बन्धी कामोत्तेजक एवं पाप-कर्मवर्द्धक बातें; जो कि तप, सयम और ब्रह्मचर्य का नाश और पतन करने वाली हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण आराधक साधु आँखों से न तो देखने की इच्छा करे, न मन से उनका चिन्तन करने की अभिलाषा करे और न ही वाणी से उनका वर्णन करने की कामना करे। मतलब यह है कि कामविकार पैदा करने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनके दर्शन, चिन्तन और वर्णन से ब्रह्मचारी साधक सर्वथा बचे। इस प्रकार की भावना के चिन्तन और प्रयोग से साधक की अन्तरात्मा में ब्रह्मचर्य के सुदृढ़ संस्कार जम जायेंगे और उसका मन ब्रह्मचर्य में संलग्न हो जायगा और तब वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण सुरक्षक बनेगा।

१— 'हाथो मुखविकारः स्यात्, भावस् चित्तसमुद्भवः ।

विलासो नेत्रजो ब्रजो, विभ्रमो भ्रूयुवान्तयोः ॥

अर्थ—'हाथ मुखविकार होता है भाव चित्त से उत्पन्न होता है, विलास नेत्र-जन्य विकार है और विभ्रम दोनों भीहों से होता है।'

—संचारक

पूर्वरतपूर्वकीकृतविरति समिति भावना का प्रयोग—कई बार साधक के सामने न तो स्त्री होती है और न ही कोई कामोत्तेजक पदार्थ। वह मन में यों सोचता रहता है कि मैं ब्रह्मचर्य की बाह्य मर्यादाएँ पाल रहा हूँ; कायिक रूप से ब्रह्मचर्य का खण्डन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु उस अवस्था में भ्रान्तिवश या मोहवश वह स्त्री या कामोत्तेजक पदार्थों के विद्यमान न होते हुए भी अपनी पूर्व (गृहस्थ) अवस्था की कामक्रीडाओं एवं कामसेवन की बातों का स्मरण करके मन को विकारी बना लेता है; कभी-कभी खेल तमाशे या नटों, भाइयों, तमाशे बीनो, गानेबजाने वालों, चित्रकारों, खेल तमाशे दिखाने वालों आदि के अश्लील दृश्य देखकर, अश्लील श्रव्य वस्तुओं का श्रवण करके तथा पूर्व दृष्ट या अनुभूत वस्तुओं का स्मरण करके मन को बहलाता है। परन्तु वह अश्लील मनोरजन साधु के लिए बहुत महत्ता पड़ता है। उसकी वर्षों की की-कराई ब्रह्मचर्य साधना को वह गदा मनोरजन कुछ ही क्षणों में मटियामेट कर देता है, उसकी ब्रह्मचर्यनिष्ठा को उखाड़ फेंकता है, उसकी ब्रह्मचर्य-साधना के सुफल को भी चौपट कर देता है। इसी उद्देश्य से शास्त्रकार इस भावना के चिन्तनयुक्त प्रयोग की ओर दिशानिर्देश करते हैं—“पहले गृहस्थावस्था में अनुभूत कामक्रीडा, छूत आदि क्रीडा तथा श्वसुरकुल के साले-साली आदि से हुए परिचय तथा हास-परिहास आदि साधु को देखना, कहना या स्मरण करना हर्षित उचित नहीं। इसी प्रकार पूर्वजीवन में नवविवाहित मिलन के समय, विवाह के समय, वसंतपंचमी आदि तिथियों, यज्ञों और उत्सवों के अवसर पर शृंगाररस की गृहस्वरूप सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित, हाव, भाव, अंगों के ललित न्यास और बिलासपूर्ण गति से सुशोभित, अनुकूल प्रेमवाली प्रेमिकाओं के साथ जो शयन-सहवास अनुभव किया था, तथा ऋतु के अनुकूल सुख देने वाले सुगन्धित श्रेष्ठ फूल, सुगन्धित उत्तमचन्दन, सुगन्धदार श्रेष्ठ चूर्ण, वास, धूप, सुखस्पर्श, कोमल वस्त्र, आभूषण आदि पूर्वानुभूत एवं भोग में वृद्धि करने वाले गुणों से युक्त स्त्रियों का तथा रमणीय बाजों और श्रुति-मधुर गानों से भरपूर नट, नर्तक, पहलवान, विदूषक, तैराक, रास लीला करने वाले, खेलतमाशा दिखाने वाले, मुभाशुभ बताने वाले, सबे बांस पर खेल दिखाने वाले, सुरीले राग से गाने वाले शबैया, वादक, क्यक्कड़ बाजीगर, मधुर स्वर के गीतों की आवाज—ये और ऐसी ही अश्लील मनोरजक सामग्री प्रस्तुत करने वाले लोगों की क्रियाएँ, जो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का आंशिक एवं पूर्णरूप से भंग करने वाली हों, उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य-साधक श्रमण को देखना, कहना और याद करना कथमपि उचित नहीं है।

इस प्रकार की चिन्तन प्रक्रिया से युक्त भावना के प्रकाश में साधक का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के संस्कारों से सुसंस्कृत बनेगी और तब उसका मन ब्रह्मचर्यनिष्ठा में जोत-

प्रोत हो आया, उसकी इन्द्रियाँ विषयविमुख हो जाएँगी और वह जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य का सुरक्षक बन जाएगा ।

प्रतीताहारचिरतिसमिति भाषणा का प्रयोग—ब्रह्मचर्य पर जैसे अश्लील वातावरण और बाह्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, वैसे भोजन का भी प्रभाव पड़ता है । अन्य इन्द्रियों को जीतना फिर भी आसान है, मगर जिह्वेन्द्रिय को जीतना बड़ा कठिन है । इसीलिए भागवत पुराण में कहा है—‘जित सर्वं रसे जिते ।’ अर्थात्-स्वाद को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है । बड़े-बड़े साधक स्वाद के चक्कर में पड़ कर इस रसेन्द्रिय के गुलाम बने हुए हैं । उत्तेजक, तामसी, चटपटा और स्वादिष्ट गरिष्ठ भोजन रोजाना ठूस-ठूस कर खाए और ब्रह्मचर्य का मन-वचन काया से पूर्णतः पालन करना चाहे, यह दुष्कर बात है । केवल जिह्वेन्द्रिय का भोजन ही नयो, अन्य इन्द्रियों के आहार में भी सावधान न रहने पर साधक ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो सकता है । पाचो इन्द्रियों के विषयो पर राग-द्वेष करना वजित है, वैसे ही राग-द्वेषरहित वीतराग भावना के नाम पर विषयो का अत्यधिक उपभोग भी बुरा है । महर्षियों का अनुभवयुक्त कथन है—

‘अहा दक्ष्णी पठरिघणो बणे समावभो नोषसमं उवेइ ।

एवंदियगो वि प्पामभोइणो, न बंभयारिस्स हियाय कस्स वि ॥

अर्थात्—‘प्रचुर इन्धन से युक्त वन में आग लगी हो और साथ में हवा चल रही है, तो जैसे वह आग बुझती नहीं है, वैसे ही अतिभोजी या अत्यन्त विषय भोग की ओर झुके हुए, ब्रह्मचारी साधक की इन्द्रियाग्नि प्रज्वलित होने पर विषय-रूपी इन्धन मिलते रहने से बुझती नहीं है; सचमुच विषयाग्नि किसी के लिए भी हितकर नहीं होती ।’

कभी-कभी साधु यह सोचता है कि ‘जीभ का क्या है ? मैं जब चाहूँ, तब उसे बल में कर लूँगा ।’ परन्तु उसकी यह धारणा आगे चलकर गलत साबित होती है । एक बार जीभ को किसी वस्तु की चाट लग गई तो वह बार-बार उसे लेने के लिए दौड़ेगी । जिस दिन वह मनोज्ञ एवं स्वादिष्ट वस्तु नहीं मिलेगी, साधक का चित्त बेचैन हो उठेगा । जीभ का गुलाम बना हुआ वह साधक किसी भी प्रकार से उस जीभ को पाने का प्रयत्न करेगा । परन्तु स्वादिष्ट वस्तु के बार-बार, प्रतिदिन और अत्यधिक मात्रा में खा लेने पर एक तो स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है; दूसरे ब्रह्मचर्य पर उसका अचूक असर होता है । स्वादिष्ट और गरिष्ठ मसालेदार पदार्थ खाने से इन्द्रियाँ पुष्ट होकर मन को कामवासना के बीहड़ वन में भटकवा देती हैं । ब्रह्मचर्य से पतित होने के अलावा साधक का चित्त कई बार विक्षिप्त और व्याकुल भी हो जाता है, जब कि कामोद्रेक के समय उसे मनचाहा भोजन नहीं मिलता । इसलिए

शास्त्रकार अपने अनुभव के आधार पर कुछ विकृतिकारक चीजों के नाम गिनाकर उनके प्रतिदिन अतिमात्रा में तथा अपथ्य रूप में सेवन करने से बचने का निर्देश किया है। दूध, दही, घी, नवनीत, तेल, गुड़ शक्कर, मिश्री, शहद, मास, मद्य, या गरिष्ठ खाद्य पदार्थों को विकृति जनक समझकर जो दपंकारक या मदकारक तामसिक खानपान है, उन्हें सेवन न करे, न प्रतिदिन ही सेवन करे, न दिन में अनेक बार सेवन करे, न अतिमात्रा में सेवन करे, न साय-दाल स्वादिष्ट हो तो अधिक मात्रा में सेवन करे। साधु का आहार समयमात्रा के निर्वाह के लिए होना चाहिए, केवल भोजन-भट्ट बनकर अटसट खाने के लिए नहीं। सयमी जीवन जीने के लिए ही साधु को आहार करना है, न कि खाने के लिए ही जीना है। वह ऐसा तामसी या राजसी खानपान न करे, जिस से ब्रह्मचर्य पालन में भ्रान्ति हों जाए कि मैं अब ब्रह्मचर्य पालन करू या नहीं? अथवा ब्रह्मचर्य के प्रति उपेक्षा हो जाए कि क्या रखा है ब्रह्मचर्य में? रुखे-सूखे, नीरस, एकाकी जीवन में क्या आनन्द है? स्त्री-बच्चों-सहित जीवन रसमय और आनन्दमय होता है, उसी में चहल-पहल होती है! इस प्रकार कामोन्मादवश साधक उलटे चिन्तन के चक्कर में पड़कर अपने ब्रह्मचर्य धन को लुटा देता है। कई बार वह तामसिक एव मादक भोजन के कारण कामोद्रेकवश किसी सुन्दरी के पीछे पागल बना फिरता है अथवा ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के साथ-साथ वह साधु धर्म के प्रति भी अभ्रडालु बन कर धर्मभ्रष्ट हो जाता है। अतः साधु को ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि साधु को आहार तो केवल सयम के भार का निर्वाह करने के लिए करना है? गाड़ी की धुरी में तेल देने के समान या धाव पर मरहम लगाने के समान परिमित मात्रा में ही करना है।

इस प्रकार के चिन्तन से युक्त भावना के प्रकाश में सम्यक् प्रवृत्त करने पर साधक का अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सस्कारों से जगमगा उठता है। उसका अन्तःकरण ब्रह्मचर्य रूप चन्द्र के प्रकाश में चकोर की तरह लीन हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ ब्रह्मचर्य-विधातक विषयों की ओर नहीं दौड़ती। इस प्रकार पांचों इन्द्रियों को तदनुकूल विषय-भोजन न मिलने पर जितेन्द्रिय बना हुआ साधु ब्रह्मचर्य में समाधिस्थ हो जाता है।

कुछ शंका-कुछ समाधान—यहाँ सका होती है कि मूलपाठ में 'ब्रह्मचर्य' मन्त्रमंस 'इन दो पदों को भी लिया है, जिनका सेवन साधुओं के लिए सर्वथा वर्जित

१ इसी विषय की पाया यह है, जिसका अर्थ ऊपर आ चुका है—

'एवमगमनचलेनो सगच्छसत्त्वात् अस्तिवो होइ ।

इयं संजननरवहृष्युड्याए सगृह्यमाहारो ॥ —संपादक

है। अतः मान्य होता है “दूध-दही आदि की तरह मद्य-मांस का सेवन साधुओं के लिए सर्वथा त्याज्य नहीं है।” इसका समाधान यह है कि मद्य-मांस बंसे तो साधुओं के लिए सर्वथा वर्जनीय हैं। साधुओं के लिए शास्त्र में ‘अमञ्जमंसासिषो’ (मद्यमांस का सेवन न करने वाले) विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अतः साधु के लिए मद्य-मांस-सेवन का तो सबाल ही नहीं उठता। किन्तु कदाचित् साधु को पता न हो और किसी दवा में मांस, रक्त या मद्यसार मिला हो, उसे साधु सेवन कर ले, अथवा कोई व्यक्ति गाढ़ रागवश साधु को मद्यमांसादि-मिश्रित आहार देने लगे और वह भूल से ग्रहण करले या सेवन कर ले। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर मद्य-मांस का निषेध किया है।

दूसरा समाधान वृत्तिकार देते हैं कि विग्मद्य (विकृतिक-विकृति-जनक) पदार्थों का नाम गिनाया है। इसलिए शास्त्रकार ने प्रसववश विकृतिको के साथ-साथ मद्य-मांस को भी विकृतिक रूप से बताने के लिए, इन दोनों पदों का ग्रहण किया है।

अथवा इसका समाधान यों भी किया जा सकता है, कोई साधु अपनी गृहस्थावस्था में कदाचित् मद्य-मांस का सेवन करता रहा हो, फलतः दोनों को या दोनों में से एक को देखकर उसे पूर्वकालसेवित मद्य-मांस की याद आ जाय और वह किसी गाढ़-भक्त के यहाँ से ले आवे। इसी के निषेध के लिए शास्त्रकार मद्यमांस दोनों का किसी भी हालत में सेवन करने का सर्वथा निषेध करते हैं। मदिरा निषेध के लिए निम्नोक्त शास्त्रीय प्रमाण देखिए—

‘सुरं वा भैरवं वाचि, अन्नं वा मञ्जमं रसं।

ससक्त्वं न पिबे भिक्षुः, असं सारक्त्वंमप्यपो ॥’

अर्थात्—‘भिक्षु जो के आटे आदि से बनी हुई सुरा (शराब), अगूर आदि से बनी हुई प्रसन्ना नाम की मदिरा और महुड़ा आदि से बने हुए मद्य-विशेष का कदापि पान न करे। भगवाद् केवली द्वारा मद्य का सदा सर्वथा निषेध है, अथवा मीने सदा के लिए मद्य का सर्वथा त्याग केवली की साक्षी से किया है, यह विचारकर मद्य-पान कदापि न करे। आत्मा की रक्षा करने में ही साधु की यशकीर्ति-प्रतिष्ठा की सुरक्षा है।’

इसलिए भिक्षा के ४२ दोषों से रहित शुद्ध आहार के रूप में प्राप्त होने पर भी भिक्षु मद्य-मांस का सेवन कतई न करे। क्योंकि ये दोनों त्रसजीवों को अत्यन्त पीड़ित एवं वध करके निष्पन्न होते हैं, और बाद में भी इसमें कई सम्पूर्णतः रसज जीव पैदा होते हैं। इस दृष्टि से इन दोनों को बिलकुल त्याज्य समझना चाहिए।

उषसंहार—इन पाचों भावनाओं से मन-वचन-काया को परिरक्षित-करने पर यह चतुर्थ संवरद्वार-ऋह्यर्च्य सम्यक् प्रकार से सुरक्षित हो जाता है और साधक के दिल दिमाग मे ऋह्यर्च्यनिष्ठा जम जाती है । परन्तु इस पंचभावना प्रयोग को सिर्फ एक ही दिन करके न रह जाना चाहिए, अपितु धैर्य सम्पन्न बुद्धिवाली साधु इसे जिन्दगी भर प्रतिदिन करे । शेष सारे पाठ की व्याख्या पूर्ववत् समझ लेनी चाहिए ।

इस प्रकार सुबोधनी व्याख्या सहित नीचे अध्पयन के रूप में चतुर्थ ऋह्यर्च्य संवरद्वार सम्पूर्ण हुआ ।





दसवाँ अध्ययन : पंचम अपरिग्रह संवरद्वार

अन्तरंगपरिग्रह से विरति

शास्त्रकार ने चतुर्थ संवरद्वार अन्नह्यचर्यविरमण रूप बताया था, किन्तु सर्वथा अन्नह्यचर्य विरमणरूप ब्रह्मचर्य का पालन परिग्रह-विरमण के होने पर ही हो सकता है। अतः अब क्रमप्राप्त परिग्रह-विरतिरूप अपरिग्रह नामक पंचमसंवर का निरूपण शास्त्रकार करते हैं। इस सम्बन्ध में अन्तरंग परिग्रह से निवृत्ति के लिए एक बोल से लेकर ३३ बोल तक प्रतिपादित विषय को अन्तरंगपरिग्रह मानकर उसी को मूलपाठ द्वारा सूचित करते हैं—

मूलपाठ

जंबू ! अपरिग्रहसंबुद्धे य समणे आरंभ-परिग्रहातो विरते, विरते कोह-माण-माया-लोभा—१-एगे असंजमे, २-दो चैव रागदोसा, (३) तिन्नि य दंड-गारवा य गुत्तीओ तिन्नि, तिन्नि य विराहणाओ, (४) चत्तारि कसाया ज्ञाण-सन्ना-विकहा तथा य हुंति चउरो, (५) पंच य किरियाओ समिति-इंदिय-महव्वयाइं च, (६) छज्जीवनिकाया छच्च लेसाओ, (७) सत्त भया, (८) अट्ट य मया, (९) नव चैव य बंभचेरवयगुत्ती, (१०) दसप्पकारे य मग्गधम्मे, (११) एक्कारस य उवासकाणं, (१२) बारस य भिक्खुपडिमा, (१३) किरियाठाणा य, (१४) भूयगामा, (१५) परमाधम्मिया, (१६) गाहासोलसया, (१७) असंजम - (१८) अबंभ - (१९) णाय - (२०) असमाहिठाणा, (२१) सबला, (२२) परिसहा, (२३) सुयगडज्जयण- (२४) देव- (२५) भावण- (२६) उद्देस- (२७) गुण - (२८) पक्कप्प - (२९) पावसुत - (३०) मोहणिज्जे, (३१) सिद्धातिगुणा य, (३२) जोगसंगहे, (३३) तिसीसा आसा-

तणा सुरिदा आदि एक्कादियं करेत्ता एककुत्तरियाए वडिडए तीसातो जाव उ भवे, तिहाहिका विरतिपणिहीसु, अविरतीसु य एवमादिसु बहुसु ठाणेषु जिणपसाहिएसु अवितहेसु सासय-भावेसु अवट्ठिएसु संकं कंखं निराकरेत्ता सद्दहते सासणं भगवतो अणियाणे, अगारवे, अलुद्धे, अमूढमणवयणकायगुत्ते । (सू. २८)

संस्कृतच्छाया

अम्भू ! अपरिग्रहसंबूतश्च भ्रमण आरम्भपरिग्रहाद् विरतो, विरतः क्रोध-मान-माया-लोभात्—(१) एक असंयमः, (२) द्वौ चैव रागद्वेषौ, (२) त्रीणि च वषड-गौरवाणि च गुप्तयस्तिस्त्रस्तिस्त्रश्च विराधनाः, (४) चत्वारः कथाया ध्यान-संज्ञा-कथास्तथा च भवन्ति चतस्रः, (५) पंच च क्रियाः, समितीन्द्रियमहाव्रतानि च, (६) षड्जीवनिकायाः षट् लेश्याः, () सप्त भयानि, (८) अष्टच मदाः, (९) नव चैव ब्रह्मचर्यव्रतगुप्तयः, (१०) दश-प्रकाराश्च भ्रमणधर्माः, (११) एकादश चोपासकानाम्, (१२) द्वादश च भिक्षु-प्रतिमाः, (१३) क्रियास्थानानि च, (१४) भूतप्रामाः, (१५) परमाधार्मिकाः, (१६) गाथाषोडशकानि, (१७) असंयम—(१८) अब्रह्म—(१९) ज्ञाता- (२०) ज्ञसमाधिस्थानानि, (२१) शबलाः, (२२) परिग्रहाः, (२३) सूत्र-कृताध्ययन,—(२४) वेव—(२५) भावना—(२६) उद्देश—(२७) गुण—(२८) प्रकल्प—(२९) पापभूत—(३०) मोहनीयानि, (३१) सिद्धाति (वि) गुणाश्च, (३२) योगसंग्रहाः (३३) त्रयस्त्रिंशदाशातनाः सुरेन्द्रा आविमे-कादिकं कृत्वा एकोत्तरिकया बृद्ध्या त्रिंशद् यावत् तु भवेद् त्रिकाधिका विरतिप्रणिधिषु अविरतिषु चैवभावेषु बहुषु स्थानेषु जिनप्रसाधितेषु अवि-तयेषु शाश्वतभावेषु अवस्थितेषु शंकां कांक्षां निराकृत्य श्रद्धते शासनं भगवतोऽ निदानोऽ गौरवोऽ सुबोधोऽ मूढमनवचनकायगुप्तः । (सू० २८)

पदान्धवार्यं—(अम्भू) हे जन्तु ! (आरंभपरिग्रहातो) जो आरम्भ और परिग्रह से (विरते) निवृत्त है (य) और (कोहुमाणमायालोभा) क्रोध, मान, माया और लोभ से (विरते) निवृत्त तथा (अपरिग्रहसंबुडे) परिग्रह से रहित और इन्द्रिय तथा कथाव के संबन्धित है, यह (समजो) भ्रमण-साधु होता है । (एते) परिग्रह का एक भेद (असंयमे) असंयम है, (शोषधेव) दो प्रकार (रागदोसा) रागद्वेष नामक हैं, (य)

और (तिग्नि) तीन (बंधगारवा) बन्ध और गौरव, (य) तथा (तिग्नि गुप्तीओ) तीन गुप्तियां (य) और (तिग्नि) तीन (विराहणाओ) विराधनाएँ हैं, (बत्तारि) चार (कसाया) कषाय, (तहाय) तथा (बउरो ज्ञान-सन्ना-बिगहा) चार ध्यान, चार संज्ञाएँ और क्रमशः चार विकथाएँ (द्रुति) होती हैं । (य) तथा (पंच) पांच (समिति इ'द्विय महूढव्याइ') समितिया, पांच इन्द्रियां और पांच महाव्रत होते हैं, (य) तथा (छञ्जीवनिकाया) षट् जीवनिकाय और (छञ्च सेसाओ) छह सेखाएँ होती हैं । (सप्तभया) सात प्रकार के भय, (अट्ट भया) आठ प्रकार के भय (य) और (नव चेव बंधचर-बयगुप्तीओ) ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा के लिए नौ गुप्तियां हैं, (य) (बसप्यकारे) इस प्रकार का (समणघम्मे) भ्रमणधर्म (य) और (एकादस व उवास-काणं) श्रावकों की ११ प्रतिमाएँ हैं, (भारस य भिक्खुपडिमा) बारह प्रकार की भिक्षुप्रतिमाएँ हैं, (य) तथा तेरह (किरियाठाणा) क्रिया के सास स्थान हैं, (भुय-गामा) चौदह जीवसमूह हैं, (परमाधम्मिया) पन्ध्र परमाध्यात्मिक असुरकुमार देवों के भेद हैं, (गाहासोलसया) जिसमें गाथा नाम का १६ वां अध्यायन है, सूत्र कृतांग का प्रथम श्रुतस्कन्ध (असंजय-अबंध-गाय-असमाहिठाणा) सत्रह प्रकार का असंयम, अठारह प्रकार का अब्रह्मचर्य, ज्ञातासूत्र के १९ अध्यायन और बीस असमाधिस्थान हैं, (सबला) इषकोस शबल, चारित्र को मलिन करने वाले कर्म, (परिसहा) बाईस परिचह (सुयगइज्जयण-देव-भावय-उद्देश-गुण-पकप्य-पावसुत-मोहभिज्जे) सूत्रकृतांगसूत्र के २३ अध्यायन, चौबीस प्रकार के देव, पांच-महाव्रत की २५ भावनाएँ, २६ प्रकार के उद्देशानकाल, २७ प्रकार के अनगारगुण, २८ प्रकार का आचारप्रकल्प हैं, २९ प्रकार के पापधुत, ३० प्रकार के मोहनीयकर्म के स्थान हैं, (य) तथा (सिद्धातिगुणा) सिद्धों के ३१ अतिगुण अर्थात् प्रधान गुण हैं, अथवा आदि से होने वाले गुण हैं (जोगसंगह) ३२ योगसग्रह (सुरिवा आदि) ३२ देवेन्द्र हैं, तथा (तिसीसा आसातणा) ३३ प्रकार की आशातना है, (आदि) इनमें से प्रारम्भ की (एकादियं) एक आदि संख्या कही है, उस पर (एकुत्तरियाए) एक-एक आगे (बदिडयाए) बढ़ाने पर (तिकाहिका तीसातो) तीन अधिक तीस यानी तैंतीस संख्या (जाव उ म्बे) तक हो जाती है । उन स्थानों में (विरतिपणिहीसु) हिंसा आदि से निवृत्ति तथा विशिष्ट एकाग्रता में (य) तथा (अबिरतीसु) अबिरतियों में (एवमादिसु बहसु) इन को आदि करके बहुत से (जिणपसाहिएसु) जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित (सासव-घावेसु) नित्यरूप, अतएव (अबदिठएसु) अबस्थित (अवितहेसु) सत्यभूतपदाओं में (संकं) शंका-संदेह, और (कंकां) आकांक्षा का (निराकरेसा) निराकरण करके

(अध्याये) जो देवेषु आदि के सुख एवं ऐश्वर्य आदि का निदान न करने वाला, (अपारये) श्रद्धि आदि के गौरव से रहित है, (असुद्धे) लम्पटतारहित है, (असूड-मनवचनकायगुत्ते) सूडतारहित मन-वचन-काया से अपनी आत्मा को सुरक्षित रखता हुआ (मनवतो सात्तर्ण) मगवान के शासन—आज्ञा पर (सहृते) श्रद्धा करता है, वह साधु होता है ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य श्री जम्बूस्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—हे जम्बू ! जो आरम्भ और परिग्रह से निवृत्त होता है तथा क्रोध, मान, माया और लोभ से विरत होता है, तथा परिग्रह से रहित और इन्द्रियों तथा कषायों का संवर-संयम करने वाला है, वही साधु कहलाता है । अन्तरंग परिग्रह का एक भेद असंयम है । दो भेद राग और द्वेष हैं, पापजनक मन-वचन-काया के भेद से तीन दण्ड हैं, तथा श्रद्धि, रस और साता गौरव के भेद से तीन गौरव हैं । तीन गुप्तियाँ हैं—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायागुप्ति । तीन विराधनाएँ हैं ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र्य की । क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय हैं । आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्ल-ये चार ध्यान हैं । आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार संज्ञाएँ हैं । स्त्री, भक्त, राज तथा देश के भेद से ४ विकथाएँ हैं । ईर्यासमिति, भाषा-समिति, एषणासमिति, आदानभाडमात्रनिक्षेपणासमिति और उच्चार-प्रस्रबण-खेलजलसिधाण-परिष्ठापनिका समिति, ये ५ समितियाँ हैं । स्पर्शनादि ५ इन्द्रियाँ हैं । अहिंसा आदि ५ महाव्रत हैं । पृथ्वीकायादि ५ स्थावरकाय और एक त्रसकाय मिलकर ६ जीविकाय हैं । कृष्णादि ६ लेश्याएँ हैं । इहलोक भय आदि ७ भय हैं । जातिमद आदि ८ मद हैं । ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ हैं । उत्तम क्षमा आदि दस श्रमण धर्म हैं । श्रावक की ११ प्रतिमाएँ हैं । भिक्षु की १२ प्रतिमाएँ हैं । क्रियास्थान तेरह हैं । चौदह जीवसमूह (जीवसमास) हैं । १५ प्रकार के परमाधार्मिक असुरजाति के देव हैं । जिसमें गाथा नाम का १६ वां अध्ययन है, ऐसे सूत्रकृतांग के प्रथम ध्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन हैं । सत्तरह प्रकार के असंयमस्थान हैं । १८ प्रकार का अब्रह्मचर्य है । ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययन हैं । बीस प्रकार के असमाधि स्थान हैं । चारित्र्य को मलिन करने वाले २१ शब्द दोष हैं । २२ प्रकार के परिग्रह हैं । सूत्रकृतांगसूत्र के २३ अध्ययन हैं । २४ प्रकार के

देव हैं। पांच महाव्रतों की २५ भावनाएँ हैं। २६ उद्देशनकाल हैं। अनगारों के २७ गुण हैं। २८ प्रकार का आचार प्रकल्प है। २९ प्रकार के पापश्रुत हैं। महामोहनीय कर्म के ३० स्थान-कारण हैं। सिद्धों के प्रधान अथवा आदि से ही ३१ गुण हैं। ३२ योग संग्रह हैं। और बत्तीस देवेन्द्र हैं। तेतीस प्रकार की आशातनाएँ हैं। इनमें से प्रारम्भ की जो एक आदि संख्या बढ़ाते जाने से तीन अधिक तीस यानी ३३ संख्या पर्यंत के स्थानों में, हिंसा आदि महा पापों से निवृत्ति तथा विशिष्ट एकाग्रता में, अविगतियों में तथा ऐसे ही और भी बहुत-से जिनेन्द्रदेवों द्वारा उपदिष्ट नित्यस्वरूप, अतएव अवस्थित और सत्यभूत पदार्थों में शंका और कांक्षा न करके जो देवेन्द्रों आदि के भोगों या ऐश्वर्य सुखों का निदान—वांछा नहीं करता, श्रद्धा आदि के गौरव (गर्व) से रहित है, लम्पटता से मुक्त है, मूढता से रहित है तथा मन-वचन-काया को वश में रखता हुआ भगवान् महावीर के शासन (आज्ञा या आगम) पर श्रद्धा करता है, वही साधु परिग्रहत्यागी होता है।

व्याख्या

नौवें अध्यायन में ब्रह्मचर्य का सांगोपाग निरूपण करने के बाद अब दसवें अध्यायन में परिग्रह विरमणरूप अपरिग्रह संवर के सम्बन्ध में शास्त्रकार निरूपण करते हैं।

अन्तरंग परिग्रह का ही सर्वप्रथम वर्णन क्यों ?

पहले बताया जा चुका है, कि परिग्रह केवल सोना-चादी, मकान, वस्त्र, पात्र आदि बाह्यरूप ही नहीं है, अपितु परिग्रह का एक अंतरंग रूप भी है, जो बाह्य परिग्रह से कई गुना भयंकर है। वस्तुतः परिग्रह का जन्म ही अन्तर्मन से होता है। इसलिए बाह्य परिग्रह तो अन्तरंग परिग्रह का निमित्त कारण होने से ही परिग्रह कहा गया है। साधु जब मुनिदीक्षा लेते समय अपरिग्रह महाव्रत धारण करता है तब घरबार, कुटुम्ब-कबीला और जमीनजायदाद को तो छोड़ ही देता है। बाह्यपरिग्रह तो उसके पास नाम मात्र का भी नहीं रहता, संयमयात्रा के लिए जो धर्मोपकरण, शास्त्र आदि होते हैं, वह भी केवल उसके निश्चय की वस्तुएँ हैं, जिनका वह मूर्च्छारहित होकर उपयोग करता है। शास्त्रविहित धर्मोपकरण यदि अममत्वभाव से रखे जाएँ, तो वे परिग्रह की दृष्टि में नहीं आते। अतः बाह्यरूप से अपरिग्रही बना हुआ साधु यह सोचता है कि मेरे पास परिग्रह तो कुछ भी है नहीं, मैं तो हलका फुलका हूँ और त्यागी हूँ, लेकिन ज्ञानी महापुरुषों की आंखों में वह अन्दर ही अन्दर अन्तरंगपरिग्रह के कारण बोधित बना रहता है। उसके जीवन में क्रोध की ज्वाला बसती रहती है, अहंकार का साप उसके अंतर्मन में

बैठा फुफकारता रहता है, माया रूपी राजसी उसके अन्तःकरण के रंगमच पर तांडव नृत्य करती रहती है, लोभरूपी पिशाच उसके चित्तरूपी मैदान में झुलकर खेलता रहता है, मोहरूपी अजगर उसके सम्यक्त्व और चारित्ररूपी दो फेफड़ों को निगलता रहता है, राग और द्वेषरूपी असुर उसके आत्मगुणरूपी रक्त को पीते रहते हैं, आसक्ति और मूर्छारूपी व्याघ्री जीभ लपलपाती उसकी अपरिग्रह-वृत्ति रूपी देह को खाने के लिए तैयार बैठी रहती है, मिथ्यात्वरूपी शत्रु उसके सम्यक्त्व पर हमला करने को उद्यत रहता है और हेय, ज्ञेय एवं उपादेय का भान भुला देता है, हास्यरूपी कुत्ता उसके वचनसयमरूपी अंग पर झपटने को तैयार रहता है, भयरूपी बाज उसकी निर्भयतारूपी बुद्धि पर झपट्टा मारता रहता है, रति-अरतिरूपी दो चुहिया उसकी मेधाशक्ति को काटने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, शोकरूपी बिडाल उसके अन्तर में हाहाकार मचाता रहता है, त्रिवेदरूपी तीन काम-दानव साधक के मनवचनकायारूप त्रियोगो पर धावा बोलते रहते हैं। विषयरूपी धीमा विष उसकी जीवनीशक्ति का ह्लास करता रहता है। मतलब यह है कि साधु बाहर से अपरिग्रही दिखता हुआ भी अगर असावधान रहता है तो वह अन्दर में १४ प्रकार के अतरंग परिग्रहों से घिरा रहता है। कई बार उसे पता भी नहीं होता कि ये अंतरंगपरिग्रह किस प्रकार उसके समयधन का हरण करते रहते हैं। इसलिए साधक को इस बात से भली भांति सावधान करने के लिए शास्त्रकार विस्तार से एक बोल से लेकर तेतीस बोल तक के अंदर निहित तत्त्वों को स्पष्ट करते हैं, जिसे वे अन्तरंगपरिग्रह का ही विस्तृतरूप मानते हैं। और इन तेतीस बोलों में से हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक करके साधक को ज्ञपरिज्ञा से आभ्यन्तरपरिग्रह को जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका त्याग करना चाहिए और अपने अपरिग्रहीरूप को बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से परिपूर्ण बनाना चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम शास्त्रकार अपरिग्रही साधु का लक्षण संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—'अपरिग्रहसंबुद्धे य समणे आरंभपरिग्रहातो विस्ते, विरते कोहमाजमायालोभा।' इसका आशय यह है कि आरंभ और बाह्यपरिग्रह से संबंधा मुक्त होने पर भी जब भिक्षु क्रोध, मान, माया और लोभरूपी आन्तरिक परिग्रह को मन से त्याग देता है, इन्द्रियविषयों और कथायों को रोक देता है, तभी वह पूर्णरूप से अपरिग्रहनिष्ठ साधु कहलाता है।

बैसे देखा जाय तो साधुओं के लिए बाह्यपरिग्रह के साथ-साथ आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना भी अनिवार्य बताया है। परिवार-गृह-धनत्यागी साधु ज्ञान-दर्शनचारित्ररूप धर्म के पालन के लिए ज्ञास्त्र में बताया हुए धर्मोपकरणों के सिवाय शेष दस प्रकार के बाह्यपरिग्रह का तो संबंधा त्याग करते हैं, मगर पूर्वोक्त १४ अंतरंग-परिग्रहों में से मिथ्यात्व आदि कुछ का तो संबंधा ही त्याग करते हैं, किन्तु मोहोदय-

वश कुछ का सर्वाशतः त्याग न होने पर भी वे उसके मुनिपद में बाधक नहीं बनते । शास्त्रीय दृष्टि से अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरणीय तथा प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधादि कषाय का मुनिजीवन में सर्वथा अभाव होने पर भी संज्वलनक्रोधादि का उदय रहता है । यानी सज्वलन क्रोध, मान और माया अनिवृत्तिकरण नामक नीचें गुणस्थान तक रहते हैं तथा सज्वलनलोभ बसवें गुणस्थान तक रहता है ।

दूसरी दृष्टि से विचार करें तो अन्तरंग परिग्रह के ५ भेद भी हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) असुभ्रयोग—मनवचन-काया की दुष्प्रवृत्ति । इन्हें आम्यन्तर परिग्रह इसलिए माना गया कि ये पांचो कर्मबन्ध के कारण हैं, और कर्म भी एक प्रकार से परिग्रह है । इसलिए ये पांचो अन्तरंग-परिग्रहरूप है । तत्त्वार्थ सूत्र में कर्मग्रहण करने को परिग्रह और बध बताया है—

‘सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान् पुद्गलानावसे, स बन्धः ।’

अर्थात् - ‘कषायसहित होने से जीव परिणामो के अनुसार तद्योग्य कर्म-पुद्गलो को ग्रहण करता है और वही बन्ध है ।’

दोनों प्रकार के परिग्रहो का विश्लेषण करने वाली निम्नोक्त गायो भी प्रमाणरूप में प्रस्तुत है—

‘पुढवाइसु आरंभो परिग्रहो धम्मसाहणं भोत्तु ।’

मुच्छा य तत्थ बन्तो इयरो मिच्छतमाइयो ॥’

अर्थात्—पृथ्वीकायादि जीवो का आरम्भ (हिंसा) करना परिग्रह है । धर्म के साधनभूत (ज्ञानोपकरण और समयोपकरण) पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को भ्रूच्छा-ममतावश रखना बाह्यपरिग्रह है, जबकि मिथ्यात्व आदि अन्तरंग परिग्रह हैं ।

चू कि साधु बाह्यपरिग्रह तो त्याग चुका है, इसलिए उसके सामने अन्तरंग परिग्रह का त्याग करने की ही बात मुख्यतया रहती है । इसी दृष्टि से शास्त्रकार ने सर्वप्रथम आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग की चर्चा छोड़ी है । और आम्यन्तर परिग्रह के लिए असयम नामक प्रथम बोल से लेकर ३३ तक के बोलो का विवेक करना साधु के लिए अतीव आवश्यक बताया है । उसी आम्यन्तर परिग्रह को शास्त्रकार विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं—‘एणे असज्जेमे तिसीसा आसातणा सुरिवा आदि ।’ नीचे हम इन सब बोलो का क्रमशः विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे ।

एणे असज्जेमे—इसका आशय यह है कि संयम आत्मा का स्वभाव है । वह पांचो इन्द्रियों एवं मन को वश में करने पर तथा पट्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करने पर होता है । इन्द्रिय संयम और प्राणिसंयम इन दोनों प्रकार के संयम के अभाव रूप असयम से आत्मा प्रतिसमय कर्मपरिग्रह का ग्रहण करता रहता है ।

इसलिए शास्त्रकार ने असंयम को अन्तरंग परिग्रह कहा है। अथवा दूसरी दृष्टि से देखें तो आत्मा का अपने शुद्धस्वरूप में लीन रहना असंयम है और अपने शुद्धस्वरूप से पृथक् होकर बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति करना असंयम है। इस प्रकार असंयम का लक्षण करने से समस्त अन्तरंग परिग्रहों का समावेश असंयम में हो जाता है। अतः असंयम की अपेक्षा से परिग्रह एक प्रकार का सिद्ध होता है।

दो चैव रागद्वेषा—इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्वादि जितने भी अन्तरंग परिग्रह के भेद बताये गये हैं, वे सब राग और द्वेष के ही परिवार हैं। रागद्वेष के क्षय हो जाने पर उन सबका क्षय हो जाता है। और रागद्वेष के होने पर उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रागद्वेष कारण हैं और मिथ्यात्व आदि सब अन्तरंग परिग्रह उसके कार्य हैं। इसी बात को ध्वनिन करने के लिए राग और द्वेष के रूप में परिग्रह के दो भेद बताये हैं।

तिस्त्रि य बन्धगारवा य गुत्तीओ तिस्त्रि तिस्त्रि य विराहणाओ—तीन दण्ड हैं—मनदण्ड, वचनदण्ड और काय दण्ड। जिन (मन वचनकाया) की दुष्प्रवृत्ति के कारण आत्मा दण्डित होती हो, उसे दण्ड कहते हैं। तीनों दण्ड भी परिग्रहरूप इसलिए हैं कि मन-वचन-काया की दुष्प्रवृत्ति का ग्रहण परिग्रह के कारण होता है, इसलिए दण्ड भी अन्तरंग परिग्रह का कार्य है। इसी प्रकार गौरव अर्थात् गर्व भी तीन है—ऋद्धिगर्व, रसगर्व और सातागर्व। इन्द्रियो के अनुकूल भोजनपान तथा अन्य सुख वैभव-सामग्री मिलने पर आत्मा में बड़प्पन का भान होना गौरव या गर्व कहलाता है। इस प्रकार का गर्व भी अन्तरंग परिग्रह के कारण होता है, इसलिए गर्व भी अन्तरंग परिग्रह है। मनवचनकाया को पापजनक क्रियाओं से बचाना-रोककर रखना गुप्ति है; जो तीन प्रकार की है। अगुप्ति अन्तरंग परिग्रह है और गुप्ति उससे बचने का साधन है। इसी प्रकार तीन विराधनाएँ हैं ज्ञानविराधना, दर्शन विराधना और चारित्र्य विराधना। ये तीनों विराधनाएँ भी मिथ्यात्व आदि अन्तरंग-परिग्रह के कारण होती हैं, इसलिए ये भी अन्तरंग परिग्रह के रूप हैं।

चत्वारि कसाया ज्ञान-सञ्ज्ञा-विकल्पा तद्वा य हुंति चउरो—चार कषाय हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कषाय तो अन्तरंग परिग्रह में हैं ही, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। चार प्रकार के ध्यान हैं—आर्त्सध्यान, रौद्रध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चार ध्यानों में से आर्त्सध्यान और रौद्रध्यान, ये दो ध्यान अन्तरंग परिग्रह रूप और हेय (त्याज्य) हैं; तथा धर्म ध्यान और शुक्लध्यान ये दोनों आत्मा को अन्तरंग परिग्रह के चिन्तन से हटाकर निजस्वरूप या आत्मगुणचिन्तन रूप अपरिग्रह वृत्ति में स्थिर करने वाले हैं। इसलिए उपादेय हैं। आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा; ये चार संज्ञाएँ—वासनाएँ हैं; जो प्रमाद, कषाय, नोक-

पाच और अशुभभोग से पैदा होती हैं। इसलिए ये चारों अन्तरंग परिग्रह के कारण होने से एक प्रकार से अन्तरंग परिग्रह रूप ही हैं। इसी प्रकार स्त्रीविक्रया, भक्त-विक्रया, राजविक्रया और देशविक्रया; ये चारों विक्रयाएँ वेदादिरूप नोकषाय के उदय से होती हैं, इसलिए अन्तरंग परिग्रह के ही अन्तर्गत हैं।

पंच य किरियाओ समितिइदियमहृष्यबाइं च - पांच क्रियाएँ हैं—कायिकी, आधिकरणिकी, प्राइणिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी। जीव की प्रवृत्ति-विशेष को क्रिया कहते हैं। क्रिया से कर्मों का ग्रहण होता है और कर्मों का ग्रहण अन्तरंग परिग्रह है। इसलिए क्रियाएँ भी अन्तरंग परिग्रह की कार्यरूप हैं। सम्यक् प्रकार से निरवद्य प्रवृत्ति करना समिति है। वह भी पाच प्रकार की है ईर्ष्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति आदान निक्षेपसमिति और पारिष्ठापनिका समिति। ये पांचो समितियाँ अविरति या प्रमादरूप अन्तरंग परिग्रह को मिटाने तथा अपरिग्रहत्व भाव में प्रवृत्त करने की कारण होने से उपादेय हैं। पाच इन्द्रियाँ हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। इन पांचों का निग्रह न करना अन्तरंग परिग्रह है। इसी प्रकार पाच महाव्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पांचों व्रतरूप अन्तरंग परिग्रह को रोकने में मूलभूत कारण हैं, इसलिए ये अपरिग्रहत्व के लिए उपादेय हैं। महाव्रतो का अभाव या दोष परिग्रह है।

छज्जीवनिकाया छञ्च लेसाओ छह जीवनिकाय हैं—पृथ्वी काय आदि। ये अपने आप में ज्ये हैं। इनका असंयम करना अन्तरंग परिग्रह है तथा इन पर संयम करना आन्तरिक परिग्रह का निरोध-अपरिग्रह है। इसी प्रकार ६ लेश्याएँ हैं—कृष्ण-लेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। कषा-योदयसहित जो मन-वचन-काया की प्रवृत्ति होती है, उसे लेश्या कहते हैं। इनमें से प्रथम की तीन लेश्याएँ अप्रशस्त हैं और बाद की तीन लेश्या प्रशस्त हैं। लेश्याएँ कषाय रूप अन्तरंग परिग्रह के कारण होने से अन्तरंग परिग्रह में ही शुमार हैं।

सप्त भया सातभय हैं—इहलोकभय, परलोकभय, आदानभय, अकस्माद्भय, आजीविकाभय, मरणभय और अपयशभय। इनका वर्जन पहले किया जा चुका है। भय नोकषाय मोहनीय के उदय से होता है, जो कि अन्तरंग परिग्रह का ही एक अंग है।

अहृ य मथा—'मद आठ हैं—आति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद, ऐश्वर्य (प्रभुता) का मद, ज्ञान का मद और लाभ का मद। मानकषाय के अन्तर्गत होने से अन्तरंग परिग्रह के ही अंग हैं।

१—मद के विषय में यह भाषा प्रस्तुत है—

'जाईकुन बलरुके, तचईतरिए तुए लाभे ।'

—सत्परायक

नवचेष य बंधचेरबन्धगुलो—खेत की बाड़ के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली ये नौ गुप्तियाँ हैं। एक गाथा के द्वारा इन्हें प्रस्तुत करते हैं—

‘वसहि-कह-निसिञ्जिविय कुड्दंतर पुव्वकीलिए ।

पणोए अइमायाहार विभूसणा य णव बंधगुलोओ ॥’

अर्थात्—१—स्त्री-पशु-नपुंसक के संसर्ग से रहित एकान्त स्थान में निवास करना, २—स्त्री आदि की कथावार्ता न करना, ३—एकान्त में स्त्री के साथ न उठना-बैठना, ४—इन्द्रिय निग्रह करना, ५—दीवार की ओट में रहकर ब्रह्मचर्य घातक कामक्रीडा आदि क्रियाओं का न देखना, न सुनना ६—गृहस्थ (पूर्व) अवस्था में अनुभूत कामक्रीडा आदि का स्मरण न करना ७—इन्द्रिय दर्पकारक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करना, ८—अतिमात्रा में आहार न करना, ९—शरीर को विभूषित न करना। ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली गुप्तियाँ (बाड़े) हैं। वेदोदय से समुद्भूत अब्रह्मचर्य रूप अन्तरंग परिग्रह को रोकने में ये नौ गुप्तियाँ सहायक हैं, इसलिए अपरिग्रहवृत्ति के लिए उपादेय हैं।

वस्यकारे य समणधम्मै—दम प्रकार का श्रमणधर्म है। निम्नोक्त गाथा इसके लिए प्रस्तुत है—

‘संती मह्व अज्जव मत्ति तव-सज्जे य बोधच्चे ।

सच्चं सोयं अकिञ्चण च बंध च अइधम्मो ॥’

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम मुक्ति (त्याग-निर्लोभता) उत्तम तप, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम शीघ्र, उत्तम आकिञ्चन्य (लापव) और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन दस धर्मों के साथ लयाया गया उत्तम शब्द यह सूचित करता है कि जो क्षमा आदि सम्यग्दर्शनसहित हैं और उत्कृष्ट हैं, वे ही श्रमणधर्मस्वरूप हैं और वे ही परम्परा से मोक्ष के साधक होते हैं।

एक्कारस य उवासकाच्च—श्रमणोपासकों की ११ प्रतिमाएँ हैं। निम्नोक्त शान्नीय पाठ इसके लिए प्रस्तुत है—

‘एक्कारस उवासणपडिमाओ पन्नसाओ, तंबहा १ बंसण सावए, २ कयव्वय-कम्मै, (३) सामाहयकडे, (४) पोसहोववासनिरए, (५) वियाबंधयारी रत्तिपरिमाणकडे, (६) विया वि राजो वि बन्धयारी अत्तिणाइ, (अनिसाइ) वियउमोई भोलिकडे (७) सच्चित्तपरिष्णाए, (८) आरंभपरिष्णाए, (९) वेत्तपरिष्णाए, (१०) उड्ढिट्ठमत्त-परिष्णाए, (११) समणभूए यावि णवइ ।’

ब्रह्मं प्रतिमा—सम्यग्दर्शन का निरतिचार पालन करना। यह प्रतिमा एक मास की होती है। व्रतप्रतिमा—सम्यक्त्वसहित अणुवर्तों का ग्रहण करके तदनुसार

आचरण करना। इस प्रतिमा की अवधि दो मास की है। सामाधिकप्रतिमा-एक देश से यावद्योग का त्याग करके दोनों सन्ध्याकाल में समत्वसाधना करना सामाधिक प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवधि तीन मास की है। पौषघोषवासनिरतप्रतिमा-अष्टमी, चतुदर्शी आदि तिथियों या पर्वों पर पौषघसहित उपवास करना। इस प्रतिमा की अवधि चार मास की है। दिन में ब्रह्मचर्य तथा रात्रि में अब्रह्मचर्य के परिमाण की प्रतिमा—दिन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना तथा रात्रि में भी मीथुन-सेवन का परिमाण करना। इस प्रतिमा की अवधि ५ मास की है। दिन में और रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन, अस्नान या रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा—दिन और रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्नान का त्याग करना अथवा रात्रिभोजन का सर्वथा त्याग करना। इस प्रतिमा का धारक ब्रह्मचारी की तरह खुल्ली लाग की घोती पहनता है, दिन में भी प्रवाशयुक्त स्थान में आहार करता है। इस प्रतिमा की अवधि ६ मास की है। सच्चिताहारपरिज्ञात-त्याग प्रतिमा-सचित्त (अप्रासुक) आहार का त्याग करना। इस प्रतिमा की अवधि ७ मास की है। आरम्भस्थानप्रतिमा-सब प्रकार के आरम्भों का त्याग करना चाहिए। इस प्रतिमा की अवधि ८ मास की है। प्रेम्पत्याग-प्रतिमा-आरम्भजनक कार्यों को दूसरों (नौकरो आदि) से भी करवाने का त्याग करना। इस प्रतिमा के पालन की अवधि नौ मास है। उद्विष्टत्याग प्रतिमा-अपने उद्देश्य से बने हुए आहारादि का भी त्याग करना। इस प्रतिमा का धारक श्रमणोपासक अपने निमित्त से बने हुए आहारादि को भी ग्रहण नहीं करता। उस्तरे से सिरमुण्डन करता है या चोटी रखता है। इस प्रतिमा का कालमान १० मास है। श्रमणभूतः प्रतिमा-इस प्रतिमा का साधक श्रावक श्रमण की तरह रहता है, साधु की तरह सभी क्रियाएँ करता है, चोलपट्टा बाधता है, चादर रखता है, सिरमुण्डन करता है या लोच करता है। इस प्रतिमा का कालपरिमाण जघन्य एक, दो या तीन दिन का है, तथा उत्कृष्ट ११ मास है।

इन ग्यारह श्रावकप्रतिमाओं को उत्तरोत्तर धारण करने वाले श्रमणोपासक को पूर्व-पूर्व प्रतिमाओं में गृहीत नियमों एवं क्रियाओं का सर्वथा पालन करना अनिवार्य है।

बारस व शिष्यपुत्रिमा—शिष्यों की बारह प्रतिमाएँ हैं, जिनका वर्णन हम अहिंसा संवरद्वार में कर आए हैं। ११ उपासक प्रतिमाएँ और १२ शिष्य प्रतिमाएँ अन्तरंगपरिग्रह के त्याग में सहायक होने से उपायेय हैं।

किरिवाडाया य—तेरह क्रिया स्थान हैं। कर्मबन्धन को कारणभूत चेष्टा क्रिया कहलाती है। क्रियाओं के स्थान यानी भेदों को क्रियास्थान कहते हैं। निम्नलिखित पाचा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है—

‘अद्ढाड षट्ठा हिंसा कम्हा बिद्धी य मोत्स विखेय ।

अज्ञाप्यमाण्डमित्ते मायालोभेरियाबहि्या ॥’

अर्थात्—‘१ अर्थक्रिया, २ अनर्थक्रिया, ३ हिंसाक्रिया, ४ अकस्मात्क्रिया, ५ दृष्टि विपर्यासा क्रिया, ६ मृषावादक्रिया, ७ अदत्तादानक्रिया, ८ अध्यात्मक्रिया, ९ मानक्रिया, १० अमित्रक्रिया, ११ मायाक्रिया, १२ लोभक्रिया और १३ ईर्ष्यापयिकी क्रिया ।’

अब हम क्रमशः इनका लक्षण स्पष्ट करते हैं—

अर्थ दण्ड क्रिया—अपने शरीर, स्वजन, स्वजाति या राज्याभियोग आदि के लिए तस-स्वावर प्राणियों में से किसी को प्रयोजनवश हिंसारूप दण्ड देना अर्थदण्ड क्रिया है। अनर्थ दण्ड क्रिया—बिना ही प्रयोजन के अज्ञान, मोह या द्वेषवश बिच्छू, चूहे, आदि किसी भी तस या स्वावर प्राणी को हिंसारूप दण्ड देना अनर्थ दण्ड क्रिया है। हिंसा दण्ड क्रिया—यह साप आदि दुष्ट है या यह व्यक्ति दुष्ट या बैरी है, इसने मुझे या मेरे अमुक सम्बन्धी को मारा था, मारता है या भविष्य में मारेगा-इस इरादे से हिंसा रूप में दण्ड देना हिंसादण्ड है। अकस्माद् दण्ड क्रिया—मृग, पक्षी या साप आदि किसी दूसरे प्राणी को मारने के इरादे से लाठी, डंका, बाण या पत्थर फेका, लेकिन वह बीच में ही किसी दूसरे के लग गया और उसकी मृत्यु हो गई या उसे चोट पहुंची; तो वहां अकस्माद् दण्ड क्रिया होती है। दृष्टि विपर्यासा क्रिया—किसी मित्र, स्नेही या निर्दोष को शत्रु, द्वेषी या दोषी समझ कर मार डालना दृष्टिविपर्यासा क्रिया है। मृषा दण्ड क्रिया—अपने लिए, दूसरों के लिए या दोनों के लिए जहां असत्य बोलने से हिंसा होती है, वहां मृषा दण्ड क्रिया होती है। अबसादान दण्ड क्रिया स्व, पर या उभय के लिए की गई चोरी के निमित्त से हिंसा होती है, वहां अदत्तादान दण्ड क्रिया होती है। अध्यात्म क्रिया—किसी भी बाह्य निमित्त के बिना अकारण ही मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष, घृणा, अहंकार, माया या शोक आदि भाव उत्पन्न होने से जो भावहिंसा होती है, उसे अध्यात्म दण्ड क्रिया कहते हैं। मान प्रत्यय क्रिया—जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, ऐश्वर्य और लाभ आदि के सब-अहंकार से मत्त होकर दूसरों की निन्दा करना, सिद्धकना, लोगों के सामने नीचा दिखाना, ऐसी क्रिया मान प्रत्यय क्रिया कहलाती है। मित्र द्वेष प्रत्यय क्रिया—अपने माता-पिता, भाई, मित्र आदि स्वजनों के बरा से अपराध पर बहुत बड़ा तीव्र दण्ड

देना मित्र द्वेष प्रत्यय क्रिया है। आत्माप्रत्यय क्रिया—मन में कुछ और रहे, बचन से कुछ और बोले और शरीर से च्छेष्टा या आचरण कुछ और करे या दूसरों से छिपाकर क्रिया करे, वहाँ मायाप्रत्यय क्रिया होती है। लोभ प्रत्यय क्रिया—लोभ के बन्धीभूत होकर अनापसनाप सावध आरम्भ करे, परिग्रह में गाढ़ आसक्ति रहे, स्त्रियों व काम भोगों में अत्यन्त आसक्त रहे तथा अपने शरीर को बहुत जतन से रखते हुए दूसरे प्राणियों को काम लेने के लिए मारे, पीटे, ब्रूखा रहे, वहाँ लोभ प्रत्यय क्रिया होती है। ईर्ष्यापिचकी क्रिया—ग्यारवें उपहान्त मोह शुच स्थान से लेकर तेरहवें सयोधी केवली गुण स्थान तक के साधुओं को समिति-मुष्टियुक्त गमनागमन करते समय केवल त्रियोग के निमित्त से जो मात्र एक सामयिकी साताबन्धलक्षण क्रिया लगती है, उसे ईर्ष्यापिचकी क्रिया कहते हैं।

ये १३ क्रियाएँ अन्तरंग परिग्रह से सम्बन्धित हैं।

अथमात्मा—जीवों के चौदह समास-समूह हैं—(१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, (३-४) बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक (५-६) द्वीन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (७-८) त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक; (९-१०) चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (११-१२) पचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तक, अपर्याप्तक, (१३-१४) पचेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक, अपर्याप्तक। इस प्रकार कुल १४ जीवसमूह होते हैं। ये ज्ञेय हैं। इनके प्रति हिसादि के भाव से अन्तरंग परिग्रह होता है, उससे बचना चाहिए।

परमाध्यात्मिया—नारकी जीवों को नरक की तीसरी पृथ्वी तक जाकर दुःख देने वाले असुर कुमारविशेष परमाध्यात्मिक कहलाते हैं। ये १५ प्रकार के हैं—(१) अम्ब, (२) अम्बरीष, (३) श्याम, (४) शबल, (५) रौद्र (६) उपरौद्र, (७) काल, (८) महाकाल, (९) असिपत्र, (१०) प्रनु (११) कुम्भ, (१२) बालुक, (१३) वैतरणिक, (१४) धरस्वर और (१५) महाबोध। इनके लक्षण क्रमशः इस प्रकार हैं—अम्ब—जो परमाध्यात्मिक नारकीयों को आकाश में ऊपर ले जाकर मारता है, उछालता है, गिराता है, या निःशंक छोड़ देता है, उसे अम्ब कहते हैं। अम्बरीष—जो नारकों को मारकर कैंची से भाड़ में झूतने योग्य छोटे-छोटे टुकड़े करता है, उसे अम्बरीष कहते हैं। श्याम—जो काला कसूटा परमाध्यात्मिक रस्सी, हाथ आदि के प्रहार से नारकों को मारता है, उसे श्याम कहते हैं। शबल—जो नारकों की जाँतें, चर्बी, कलेजा आदि को मोचता और निकालता है, उस चितकबरे रंग वाले असुर को शबल कहते हैं। रौद्र—जो उद्वपरिणामी असुर भासे, त्रिभूल (शक्ति) आदि में नारकों को पिरोकर काटता है, उसे रौद्र कहते हैं। उपरौद्र—जो अत्यन्त रौद्रपरिणामी असुर

नारकों के अगोपानं मुद्गर से मम करता है, उसे उपरोद्ध कहते हैं। काल—जो मृत्यु के समान भयकर एवं काला असुर नारको को कडाही, चूल्हे आदि में पकाता है, उसे काल कहते हैं। महाकाल—जो नारकों के तीक्ष्ण मास के टुकड़े-टुकड़े करके स्वयं खाता है या उन्हें जबरन खिलाता है, उसे महाकाल कहते हैं। असिपत्र—जो असुर असि यानी तलवार के आकार के पत्तों वाला वन वैक्रियशक्ति से बनाकर वहाँ छाया के हेतु उन वृक्षों के नीचे आये नारको पर वे खज्ज के समान तेज धार वाले पत्ते गिरा कर उनके तिल-तिल टुकड़े कर डालते हैं, वे असिपत्र कहलाते हैं। धनुष्—जो देव धनुष् से छोड़े गए अर्धचन्द्र आदि बाणों से नारकीयो के नाक, कान आदि छिन्नभिन्न करता है, उसे धनुष् कहते हैं। कुम्भ—जो असुर नारको को घड़े आदि में पकाता है, वह कुम्भ है। बालुक—जो असुर कदम्बपुष्पाकार वाली वज्र की तरह कठोर तप-तपाती बालू (रेत) की विक्रिया करके उस पर चने की तरह नारकीय जीवों को भूनता है, उसे बालुक कहते हैं। बंतरणिक—जो परमाधामिक तपाने से पिचले हुए सीसा, तांबा आदि धातुओं के खीलते हुए गर्मागर्म रस से भरी हुई बंतरणी नदी विक्रिया से बनाता है और उसमें नारकीयो को जबरन डालता है, उसे वंतरणिक कहते हैं। खरस्वर—जो असुर वज्र के समान तीर के काटे वाले सेमर के पेड़ पर नारकी को चढ़ाकर कर्कश आवाज करता हुआ उसे उलटा खींचता है, उसे खरस्वर कहते हैं। महाघोष—जो असुर डर के मारे कापते हुए लाचार नारको को पशुओं की तरह जबरन बाड़ों में भर कर जोर-जोर से चिल्लाता हुआ बद कर देता है, वह महाघोष है। ये १५ परमाधामिक असुर यहाँ ज्ञेय हैं और इस पाठ का यहाँ देने का उद्देश्य भी पूर्वोक्त अन्तरंग परिग्रह से बचने के लिए दिया गया है।

शाह्वा सोलसया - जिसमें याथा नामक १६ वां अध्ययन है, ऐसे सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं, जिन्हें जानना तथा उनमें से हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक करना साधु के लिए जरूरी है। इन सोलह अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं—१ समय, २ बैतालीय, ३ उपसर्गं परिज्ञा, ४ स्त्रीपरिज्ञा, ५ निरय विभक्ति, ६ महावीरस्तुति, ७ कुशील परिभाषित, ८ शीयं ९ धर्म, १० समाधि, ११ मार्ग, १२ समवसरण, १३ यथासथिक, १४ ग्रन्थ, १५ यमकीय और १६ याथा।

असंख्य—असंख्य के १७ श्रेय हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) पृथ्वीकाय-असंख्य, (२) अप्काय-असंख्य, (३) तेजस्काय-असंख्य, (४) वायुकाय-असंख्य, (५) वनस्पति काय-असंख्य, (६) द्वीन्द्रिय-असंख्य (७) त्रीन्द्रिय-असंख्य, (८) चतुरिन्द्रिय-असंख्य, (९) पंचेन्द्रिय-असंख्य, (१०) अजीव-असंख्य, (११) प्रेक्षा-असंख्य, (१२) उपेक्षा-असंख्य, (१३) अपहृत्थ (प्रतिष्ठापन) असंख्य, (१४) अप्रमार्जन-असंख्य, (१५) मन-असंख्य, (१६) वचन-असंख्य और (१७) काय-असंख्य।

(१ से ६) पृथ्वीकायादि पाच स्थावर जीवों तथा द्वीन्द्रियादि चार त्रस-जीवों की हिंसा या आरम्भ करना पृथ्वीकायादि-असंयम है। अजीवकाय-असंयम यह है, जहाँ बहुमूल्य वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि का ग्रहण किया जाता है। प्रेक्षा-असंयम—धर्मस्थान, उपकरण आदि की प्रतिलेखन न करना या अविधिपूर्वक प्रतिलेखन करना प्रेक्षा-असंयम है। उपेक्षा-असंयम - समययुक्त कार्यों में प्रवृत्ति न करना, असंयम-युक्त कार्यों में प्रवृत्ति करना उपेक्षा असंयम है। अपहृत्य-असंयम (प्रतिष्ठापन असंयम)—विधिपूर्वक मलमूत्रादि त्याग न करने से यह असंयम होता है। अप्रमार्जन असंयम—वस्त्रपात्रादि का प्रमार्जन न करने से या अविधिपूर्वक प्रमार्जन से यह असंयम होता है। मन, वचन और काया को पापजनक कार्यों में प्रवृत्त करना क्रमशः मन असंयम, वचन-असंयम और काय-असंयम है। दूसरी तरह से भी असंयम के १७ भेद होते हैं—पांच आश्रयो से विरत न होना, पाच इन्द्रियों का निग्रह न करना, तथा चार कथायो का त्याग न करना, तीन दण्ड से अबिरति—इस प्रकार १७ प्रकार के असंयम हैं, जिन्हें अन्तरंग परिग्रह जानकर उनसे बचना जरूरी है।

अंबंभ—१८ प्रकार का अब्रह्मचर्य होता है। निम्नोक्त गाथा प्रस्तुत है इसके लिए—

'ओरासियं च दिव्यं मणवयकायान् करचजोगोहं।

अणुभोयण—काराबण—करभेजऽठारसाऽंबंभं ति ॥'

औदारिक कामभोगो को मन, वचन, काया से भोगना, भुगवाना और भोगते हुए का अनुमोदन करना; ये ६ औदारिक काम भोग हैं। इसी प्रकार दिव्य काम-भोगों को मन, वचन, काया से भोगना, भुगवाना और भोगते हुए का अनुमोदन करना, ये ६ दिव्य कामभोग हैं। औदारिक और दिव्य दोनों मिलाकर १८ भेद अब्रह्मचर्य के हुए। इन्हें अतरंग परिग्रह समझ कर साधु को इनसे बचना चाहिए।

गाथ—ज्ञातासूत्र के १६ अध्यायन हैं। वे इस प्रकार हैं—

१—उत्तिष्ठन्त—मेघकुमारवर्णन, २—संघाट-धन्यसार्धबाह और विजय चोर का हृष्टान्त, ३ अंबंभ—भोर के अंबों का हृष्टान्त, ४ कूर्म—कछुए का हृष्टान्त, ५ शैलक—राजपिरीलक का हृष्टान्त, ६ तुम्ब—तुम्बे का हृष्टान्त, ७ रोहिणी—रोहिणी आदि का वर्णन, ८ मल्ली—भवती मल्लिनाथ तीर्थकारी का हृष्टान्त, ९ माकंदी—जिनरक्षित और जिनपाल का हृष्टान्त, १० चन्द्रिका—बांदनी का हृष्टान्त, ११ दावदव—दावदव वृक्ष का हृष्टान्त, १२ उदक १३ मंडूक - नन्दन मणिहार का हृष्टान्त, १४ तैतली—तैतलीपुत्र कुमार का हृष्टान्त, १५ नंदिफल, ४६

१६ अपरकंका—द्रौपदी के हरण का वर्णन, १७ आकीर्ण—आकीर्णक अश्व का दृष्टान्त, १८ सुपमा—चिलातीपुत्र चोर का दृष्टान्त, १९ पुण्डरीक—पुण्डरीक कुण्डरीक का दृष्टान्त । इन अध्ययनों से हेय, ज्ञेय, उपादेय का विवेक प्राप्त करके यथायोग्य करना चाहिए ।

असमाहिताणा— २० असमाधि स्थान हैं—(१) द्रुतचारित्त्व—सयम की परवाह न करके जल्दी-जल्दी चलना । (२) अप्रमार्जित-चारित्त्व—भूमि आदि का प्रमार्जन किये बिना चलना, उठना, बैठना आदि । (३) बुध्नमार्जितचारित्त्व—विधि पूर्वक भूमि आदि का प्रमार्जन न करने से होने वाली असमाधि । (४) अतिरिक्त शय्यासन्निकत्त्व—मर्यादा से अधिक आसन तथा शय्या—स्थान रखना । (५) रात्निक (आचार्यादि) परिभाषित्त्व—अपने से बड़े या आचार्य आदि के सामने बोलना, उनका अविनय करना । (६) स्थबिरोपघातित्त्व—आचार्यादि वृद्ध पुरुषों का आचारदोष, शीलदोष या अवज्ञा आदि से पीड़ा पहुँचाना । (७) भ्रूतोपघातित्त्व—एकेन्द्रिय आदि जीवों का घात करना; (८) संज्वलनत्त्व—प्रतिक्षण रोप करने या मन में डाह आदि से जलते रहना । (९) क्रोधनत्त्व—अत्यन्त क्रोध करते रहना । (१०) वृष्टिमांसकत्त्व—अपने विरोधी या किसी की भी पीठ पीछे निन्दा करना । (११) अभीक्ष्णमवधारकत्त्व या अपहारकत्त्व—सदेह युक्त बात को भी निःसदेह बताना । अथवा दूसरे के गुणों का अपलाप करना भी अभीक्ष्ण अपहारक-वहै । (१२) नये-नये (अनुत्पन्न) अधिकरणोंका उत्पादन—पहले उत्पन्न न हुये नये-नये कलह खड़े करना अथवा यत्रादि नये-नये उत्पन्न करना । (१३) पुरातनाधिकरण की उबीरणा—पुराने ज्ञान्त हुए शगडों को हवा दे कर ताजे करना या बढ़ाना । (१४) सरसकषाणिपादत्त्व—सजित रज से भरे हुए हाथ-पैर वाले दाता से आहार ग्रहण करना । (१५) अकाल स्वाध्यायकरत्त्व—निषिद्ध काल में स्वाध्याय करना । (१६) कलहकरत्त्व—कलह के कारणभूत कार्यों का करना या उनमें भाग लेना । (१७) शब्दकरत्त्व—रात्रि में जोर-जोर से स्वाध्याय आदि करना । (१८) शंसाकरत्त्व—गण या संघ में फूट पैदा करने या संघ के मन में पीड़ा पैदा करने वाले वचन बोलना, (१९) सूरप्रमाणभोजित्त्व—सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजन करते ही रहना । (२०) एषणा में असमित्त्व—एषणासमिति पूर्वक आहार की गवेषणा न करना, दोष बताने पर क्षमता करना आदि ।

ये सब दोष अन्तरंग परिग्रह से सम्बन्धित होने के कारण इन्हें त्याग्य ही समझना चाहिए ।

सबला—चारित्र्य की मलिनता के कारणों को शबल कहते हैं, वे २१ हैं—
(१) हस्तकर्म करना, (२) अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार से शैथन सेवन करना,

(३) अतिक्रमादि पूर्वक रात्रि भोजन करना, (४) आधाकर्म (५) सागारिक-अव्यातर का आहार ग्रहण करना, (६) औद्देशिक एव श्रितादि भोजन करना, (७) बार-बार प्रत्याख्यात (त्यागे हुए) अशनादि का ग्रहण करना। (८) ६-६ महीने के अन्दर एक गण को छोड़कर दूसरे गण में जाना। (९) महीने में ३ बार नाभि तक गहरे पानी में उतरना, (१०) महीने में ३ बार मायाचार करना (११) राजपिंड ग्रहण करना, (१२) आकुटिट—इरादे से पृथ्वी कायादि प्राणियों की हिंसा करना (१३) आकुटिट-इरादे से मृषावाद बोलना, (१४) आकुटिट से अदत्तादान ग्रहण करना (१५) शात रूप से सचित्त भूमि पर कायोःसर्ग आदि करना। (१६) इरादापूर्वक गीली, रजसहित भूमि पर, सचित्त शिना या पत्थर या घुन लगे हुए काष्ठ पर सोना-उठना। (१७) अन्य किसी बीजादि प्राणी पर बैठना, उठना, सोना आदि। (१८) जानबूझ कर कन्दमूल आदि खाना। (१९) वर्ष में १० बार नाभिप्रमाण जल में उतरना (२०) एक साल में १० बार मायाचार करना (२१) पुन पुनः सचित्त जल से भीगे हुए हाथ आदि से आहार आदि ग्रहण करना। ये सब दोष अन्तरंग परिग्रह के कारण होने से इन्हें अन्तरंग परिग्रह कहने में कोई आपत्ति नहीं।

परिसहा—धर्म और मोक्ष के पथ से भ्रष्ट न होते हुए कर्मों की निर्जरा (क्षय) के लिए जिन्हे समभाव पूर्वक सहा जाय, उन्हें परिग्रह कहते हैं। वे २२ हैं—(१) क्षुधापरिग्रह, (२) पिपासा परिग्रह, (३) शीत परिग्रह, (४) उष्ण परिग्रह, (५) दशमशक परिग्रह, (६) अचेल परिग्रह, (७) अरति परिग्रह, (८) स्त्री परिग्रह, (९) चर्या परिग्रह, (१०) निषेधा परिग्रह, (११) शय्या परिग्रह, (१२) आक्रोश परिग्रह, (१३) वध परिग्रह, (१४) याचना परिग्रह, (१५) असाध परिग्रह, (१६) रोग परिग्रह, (१७) तृणस्पर्श परिग्रह, (१८) जल्ल (मल) परिग्रह, (१९) सत्कार-पुरस्कार परिग्रह, (२०) प्रज्ञा परिग्रह (२१) अज्ञान परिग्रह और (२२) अदर्शन परिग्रह। इनका अर्थ इनके नाम से ही स्पष्ट है। ये बाईस परिग्रह कर्मरूप अन्तरंग परिग्रह की निर्जरा के लिए होने से उपादेय हैं।

सूयगद्व्ययथ सूत्रकृतांग सूत्र में कुल २३ अध्ययन हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं, जिनके नामों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में ७ अध्ययन हैं; जिनके नाम इस प्रकार हैं—१—पुण्डरीक, २—क्रियास्थान ३—आहार परिज्ञा, ४—प्रत्याख्यान क्रिया, ५—अनगारश्रुत ६—आर्द्रककुमार और ७—नालद।

देवा—देवों के मुख्यतया २४ भेद होते हैं—१० धवनवासी, ८ वायव्यन्तर, ५ ज्योतिष्क और १ वैमानिक। परिग्रह त्याग रूप साधना की प्रेरणा देने वाले होने

से वे ज्ञेय हैं। कई आचार्य इसके बदले २४ देवाधि देव तीर्थंकर मानते हैं। कहा भी है—**षड्विंश देवा केन्द्रं पुणं चितिं अरिहता। अपरिग्रहं साधना के लिए अत्यन्त प्रेरणा दायक होने से अरिहन्त देव ज्ञेय और उपादेय हैं।**

भावना—पाच महाव्रतों की पच्चीस भावनाएं होती हैं। वे इस प्रकार हैं—
५ अहिंसा महाव्रत की, ५ सत्य महाव्रत की, ५ अचौर्य महाव्रत की, ५ ब्रह्मचर्य महाव्रत की और ५ अपरिग्रह महाव्रत की। इन पच्चीस भावनाओं का उल्लेख इसी शास्त्र में प्रसंग वक्ष किया गया है, इसलिए विशिष्ट स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। ये पच्चीसों भावनाएं अन्तरम और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रहों से साधक की रक्षा करने में उपयोगी होने से उपादेय हैं।

उद्देश—दशा कल्प और व्यवहार के कुल मिलाकर २६ उद्देश या उद्देशन काल हैं। अर्थात् १० उद्देश दशाश्रुत स्कन्ध के हैं, ६ उद्देश बृहत्कल्प के हैं और १० उद्देश व्यवहार सूत्र के हैं। इन तीनों के उद्देश कुल मिलाकर २६ होते हैं। ये अन्तरम परिग्रह की निवृत्ति में सहायक हैं। इसके प्रमाण के लिए निम्नोक्त गद्या प्रस्तुत है—

‘इस उद्देशकाला वसाण, उच्छेधं ह्येति क्वप्सस।

इस चेध य व्यवहारस्स, ह्येति सध्वेवि उच्छ्वीसं ॥

गुणा—अनगर (साधु) के २७ गुण होते हैं—५ महाव्रत, ५ इन्द्रियो का नियंत्रण, ४ कर्पायों का त्याग, भावसत्य, करण सत्य, योग सत्य (मन-वचन-वाया की एकरूपता सत्यता), क्षमा, वैराग्य (आसक्ति का अभाव), मनवचन काया का निरोध, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की सम्पन्नता, वेदनादि का सहन करना और मारणान्तिक कष्ट (उपसर्ग) समभाव से सहना। ये २७ गुण अन्तरम परिग्रह से साधुजीवन की रक्षा के लिए उपयोगी होने से उपादेय हैं।

वक्ष्या—आचार प्रकल्प २८ प्रकार का होता है। यहाँ आचार और प्रकल्प दो शब्द हैं। आचार से आचारांग सूत्र के दोनों श्रुत स्कन्धों के २५ अध्ययन तथा प्रकल्प से निशीथकल्प के ३ अध्ययन ग्रहण किये गए हैं। आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुत-स्कन्ध के ९ अध्ययन इस प्रकार हैं—(१) शस्त्रपरिज्ञा, (२) लोक विजय, (३) शीतोष्णीय, (४) सम्यक्त्व, (५) आर्षति (६) ध्रुव, (७) विमोह, (८) उपघान श्रुत और (९) महापरिज्ञा। द्वितीय श्रुत स्कन्ध के १६ अध्ययन इस प्रकार हैं—(१) पिडैषणा, (२) शय्या, (३) ईर्ष्या, (४) भाषा, (५) बस्त्रधना (६) पार्श्व-धना, (७) अबग्रह प्रतिमा (८ से १४) सात सप्तिकाएँ, (१५) भावना और (१६) विमुक्ति। निशीथकल्प के तीन अध्ययन हैं—(१) उद्घातिक, (२) अनुद्घातिक और

आरोपणा । जिसमें लघुभासादि प्रायश्चित्त का वर्णन है, वह उद्घातिक निशीथ है जिसमें गुरु भासादि का वर्णन है, वह अनुद्घातिक निशीथ, और जहाँ किसी एक प्रायश्चित्त में अन्य प्रायश्चित्त का आरोपण करने का वर्णन है, वह आरोपणानिशीथ है । इस प्रकार कुल मिलाकर २८ भेद आचार प्रकल्प के होते हैं । ये आचार प्रकल्प साधु के जीवन में अन्तरंग-बाह्य-परिग्रह का दोष लक्ष जाने पर उसकी शुद्धि तथा अपरिग्रह वृत्ति की प्रेरणा के लिए उपयोगी होने से उपादेय हैं ।

पापश्रुत—२६ प्रकार के पापश्रुत हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) भीम (२) उत्पात, (३) स्वप्न, (४) अन्तरिक्ष, (५) अंग, (६) स्वर, (७) लक्षण और (८) व्यञ्जन । इन आठ निमित्त शास्त्रों के सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से २४ भेद हो जाते हैं । विक्रयानुयोग, विद्यानुयोग, मंत्रानुयोग, योगानुयोग और अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग—ये ५ पूर्वोक्त २४ भेदों के साथ मिलाने से २६ भेद पापश्रुत के होते हैं । सप्तों में इनके लक्षण इस प्रकार हैं (१) भीमशास्त्र—जिसमें भ्रमण एव मूर्खकार-भ्रुकम्प आदि का वर्णन है । (२) उत्पात शास्त्र—सधिरवृष्टि आदि उत्पात के फलों का निरूपण करने वाला शास्त्र । (३) स्वप्न शास्त्र—जिसमें स्वप्नफलों का वर्णन है । (४) अन्तरिक्ष शास्त्र—आकाश में होने वाले ग्रहण आदि के फल का वर्णन करने वाला शास्त्र । (५) अंग शास्त्र—शरीर के अवयवप्रमाण तथा अवस्फुरण (फड़कना) आदि के फल का जिसमें विवेचन है । (६) स्वरशास्त्र जीव-अजीव के द्वारा होने वाली आवाज पर से फल का निरूपण करने वाला शास्त्र । (७) लक्षण शास्त्र—शरीर के लाक्षणो-लक्षणो (चिह्नों) को देखकर फल का निरूपण करने वाला शास्त्र । (८) व्यञ्जन शास्त्र—तिल, मस आदि व्यञ्जनों के फल का कथन करने वाला शास्त्र । इन ८ निमित्त शास्त्रों के सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के भेद से २४ भेद हो जाते हैं । (२५) विक्रयानुयोग—अर्थ और काम-पुरुषार्थ के प्रतिपादक कामन्दक और वात्स्यायन आदि शास्त्रों को विक्रयानुयोग कहते हैं । (२६) विद्यानुयोग—रोहिणी आदि विद्याओं के साधने का विधान करने वाला शास्त्र विद्यानुयोग है । (२७) मंत्रानुयोग—वेदक,

१— कही-कहीं २६ पापश्रुतों के सम्बन्ध में निम्नोक्त वाक्या मिलती है—

“अदृष्टंयनिमित्ताई दिव्यु१ प्यायं२ तल्लिच्छ३ जीमं४ च ।

सुनिभ५ सर६ लक्षण७ लक्षणे, ८ एकिकर्कं पुष तिभिर्दृ२४ ॥

गंधश्च२५ नट्ट२६ शल्पं२७ तिमिच्छ२८ क्षणुवेयसंश्रुतं२९ ।”

पूर्वोक्त २४ के अतिरिक्त गान्धर्व, नाट्य, वास्तु, चिकित्सा और अनुभव, ये ५ और हैं ।

सर्पमंत्र आदि के साधने के उपाय बताने वाला शास्त्र मंत्रानुयोग है। (२८) योगानु-
योग वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि योगों का प्रतिपादन करने वाला
शास्त्र योगानुयोग है। (२९) अन्व्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग—कपिलादि अन्व्यतीर्थिकों
द्वारा प्रवृत्त किया हुआ स्वसिद्धान्तानुरूप आचार-विचार का प्रकट करने वाला
शास्त्र अन्व्यतीर्थिक-प्रवृत्तानुयोग है।

मोहनिवृत्ते—महामोहनीय कर्मबन्धन के ३० स्थान (कारण) हैं। वे इस
प्रकार हैं—(१) जल में डुबोकर त्रसजीवो को मारना। (२) हाथ आदि के द्वारा
प्राणियों के मुँह आदि को ढक कर (श्वास रोक कर) मारना। (३) चमड़े की
शीली रस्ती कस कर सिर पर बाध कर प्राणी को मारना। (४) मस्तक पर मुद्गर
आदि से प्रहार करके प्राणी को मारना। (५) ससार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के
उद्धार के लिए द्वीप के समान श्रेष्ठ मनुष्य को मारना। (६) शक्ति होते हुए भी
दुष्ट परिणामवश रोगी की सेवा शुश्रूषा न करना। (७) तपस्वी को बलान् धर्म-भ्रष्ट
करना। (८) दूमरो के सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग के शुद्ध परिणामो को विपरीत
परिणत करके अपकार करना। (९) जिनेन्द्र देवो की निन्दा करना। (१०) आचार्य
उपाध्याय आदि का अवर्णबाध (निन्दा) करना। (११) ज्ञानदान आदि से उपकारी
आचार्य आदि के उपकार को न मानना तथा उनका सम्मान आदि न करना।
(१२) राजा के प्रयाण करने के दिन आदि का पुन-पुन कथन करना। (१३) वशीकरण
आदि का प्रयोग करना। (१४) त्याग किये हुए भोग आदि की अभिलाषा करना
(१५) बहुश्रुत न होने पर भी अपने को बहुश्रुत कहना। (१६) तपस्वी न होने पर भी
खुद को तपस्वी नाम से प्रसिद्ध करना, (१७) बहुत से प्राणियों को बाड़े आदि में
बंद करके आग जलाकर धुँए से दम घोटकर मार डालना। (१८) अपने द्वारा किये
गए दुष्कृत्य को दूसरे के सिर पर मढ़ना, (१९) विविध प्रकार से मायाजाल रचकर
लोगो को ठगना। (२०) अशुभ परिणामवश सत्य बात को भी सभा में झूठी बताना।
(२१) बार-बार लड़ाई छेड़ते रहना। (२२) विश्वास में लेकर दूसरे का धन हड़प
जाना। (२३) विश्वास पैदा करके दूसरे की स्त्री को बहुकाना। (२४) कुआरा
(अविवाहित) न होने पर भी खुद को कुआरा कहना। (२५) ब्रह्मचारी न होने पर
भी रवयं को ब्रह्मचारी कहना। (२६) जिस व्यक्ति के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया है,
उसी के माल पर हाथ माफ करने का मनोरथ करना। (२७) जिस व्यक्ति के
द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी के काम में रोड़े बटकाना। (२८) राजा, सेनापति
तथा राष्ट्राह्वेयी आदि बहुजनमान्य नेता की हत्या करना। (२९) देव आदि को
प्रत्यक्ष न देखने पर भी मायापूर्णक कहना कि 'भुझे तो अमुक देव दिखाई देते हैं'।
(३०) देवों के प्रति अवज्ञा करते हुए कहना कि 'मैं ही देव हूँ'। ये तीस मोहनीय

कर्म-बन्धन के कारण हैं। ये सब अन्तरंग परिग्रह के ही रूप हैं, इसलिए हेय समझ कर इनका त्याग करना चाहिए।

सिद्धातिगुणा—सिद्धों के प्रथम समय में ही उत्पन्न होने वाले या आत्यन्तिक ३१ गुण होते हैं—(१) मतिज्ञानावरणीय का क्षय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय का क्षय, (३) अवधिज्ञानावरणीय का क्षय, (४) मन पर्यायज्ञानावरणीय का क्षय, (५) केवलज्ञानावरणीय का क्षय, (६) चक्षुदर्शनावरण का क्षय, (७) अचक्षु दर्शनावरण का क्षय (८) अवधिदर्शनावरण का क्षय (९) केवलदर्शनावरण का क्षय (१० से १४) निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला और स्त्यानगृद्धि—इन पाचों निद्राओं का क्षय, (१५) सातावेदनीय का क्षय, (१६) असातावेदनीय का क्षय, (१७) दर्शन मोहनीय का क्षय, (१८) चारित्रमोहनीय का क्षय, (१९ से :२) नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु का क्षय, (२३-२४) उच्चगोत्र और नीचगोत्र का क्षय, (२५-२६) शुभनाम और अशुभनाम का क्षय, (२७-से ३१) दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय का क्षय। इस प्रकार ८ कर्मों की मुख्य ३१ प्रकृतियों के क्षय रूप गुण सिद्धों को प्रथम समय में ही उपलब्ध हो जाते हैं। अथवा सिद्धों के ३१ गुण इस प्रकार भी होते हैं—५ संस्थान (परिमडल, वृत्त, श्र्यस, चतुरस्र और आयत, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध, ८ स्पर्श, ३ वेद, इन २८ बातों से रहित तथा अकाय, असग और अरूप ये तीन मिलाकर कुल ३१ गुण हुए। ये गुण भी अशरीरी होते ही सिद्धों में प्रगट हो जाते हैं। परिग्रहमुक्ति के लिए ये गुण प्रेरणादायक होने से उपादेय हैं।

योगसंग्रहे योग का अर्थ है—मन, वचन और काया के व्यापारों का संग्रह, यानी प्रशस्त मन वचन और काया की प्रवृत्तियों का संग्रह योगसंग्रह कहलाता है। मोक्ष साधक साधुओं के लिए ३२ प्रकार की शुभ प्रवृत्तियों की शिक्षाओं का यहाँ संग्रह है। वह इस प्रकार है—१ आलोचना मोक्ष साधक योग के लिए शिष्य को आचार्य के सामने अपने दोषों को भलीभांति यथातथ्य रूप में प्रगट करना चाहिए, २ निरपलाप—आचार्य को भी मोक्ष-साधनायोग के लिए शिष्य द्वारा कृत आलोचना दूसरा सुने नहीं, इस प्रकार से सुननी चाहिए और दूसरों को कहनी नहीं चाहिए। ३—आपत्ति आने पर स्वयं धर्म पर हड़ रहना और दूसरों को धर्म में हड़ करना, ४—दूसरों का सहारा लिये बिना ही उपधान आदि तप करना। (५) आचार्य आदि द्वारा दी गई सूत्रार्थ ग्रहण रूप तथा प्रत्युपेक्षाघासेवना रूप शिक्षा ग्रहण करना। (६) शरीर का शृंगारादि की दृष्टि से संस्कार न करना। (७) अपनी तपस्या या क्रिया का डिबोरा नहीं पीटना, प्रगट न करना। (८) निर्लोभी रहना।

(६) तितिक्षा-कष्ट सहिष्णुता ज्ञा होना, परिपह जीतना (१०) धर्म पालन मे सरलता रखना, (११) शुचिता-सत्यता या पवित्रता का आचरण करना, (१२) सम्मर्दशन शुद्ध रखना, (१३) चित्त को स्वस्थ समाधि से युक्त रखना, (१४) ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीर्याचार, इन पाच आचारों का किसी के सामने अपनी प्रसिद्धि किये बिना मौनपूर्वक पालन करना । (१५) विनय का आचरण करना, किसी भी प्रकार का अभिमान न करना, (१६) धैर्यवान् बनना, धर्म के पालने मे दैन्य न दिखाना । (१७) संवेगयुक्त बनना, अर्थात् मुमुक्षु बनकर सासारिक बातों से डरना—दूर रहना । (१८) प्रणिधि—माया न करना । (१९) अपना आचरण उत्तम और शुद्ध रखना, (२०) सवर का प्रयोग करना, आते हुए कर्मों—आश्रयों को रोकना । (२१) अपने अन्दर आते हुए दोषों को रोकना । (२२) समस्त कर्मों—विषयो से विरक्त रहना । (२३) मूल गुणों से सम्बन्धित प्रत्याख्यान (त्याग) ग्रहण करना । (२४) उत्तर गुण सम्बन्धी प्रत्याख्यान—त्याग, नियम लेना । (२५) शरीर, उपधि साधन तथा कपाय आदि का द्रव्यभाव रूप से व्युत्सर्ग करना । (२६) प्रमाद का त्याग करना । (२७) प्रतिक्षण समाचारी के अनुसार कार्य करना—निकम्मा न रहना । (२८) ध्यान रूप संवर की साधना करना । (२९) मारणान्तिक वेदना होने पर भी क्षोभ न करना । (३०) विषयो की आसक्ति का स्वरूप जपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसे छोड़ना, (३१) गृहीत प्रायश्चित्त का पालन करना अथवा प्रायश्चित्त लेना, (३२) जीवन की अन्तिम घडियों के समय सलेखना करके आराधक बनना ।

तितिक्षा आसातना—आय यानी ज्ञानादि का लाभ, उसकी शातना अर्थात् खडना आशातना कहलाती है । इसके तैतीस भेद हैं— (१) गुरु या बड़ों के पास-पास शिष्य का सट कर चलना । (२) गुरु या बड़ों के आगे-आगे अविनयपूर्वक चलना । (३) गुरु या बड़ों के पीछे शिष्य का अविनयपूर्वक चलना । (४-५-६) शिष्य का गुरु या बड़े साधुओं के आगे, पीछे या बराबर मे सटकर खड़े रहना । (७-८-९) गुरु या बड़ों साधुओं के आगे, पीछे या बराबर मे सटकर शिष्य का बैठना । (१०) बड़े साधुओं के साथ स्थंडिल भूमि (शौचक्रियार्थ) जाने पर शुचि करके उनसे पहले आ जाना । (११) बड़े साधुओं के साथ स्थंडिलभूमि (शौचक्रिया) जाने पर उनसे पहले बहों से लौट कर ईर्यापथिक प्रतिक्रमण कर लेना । (१२) मिसने या दर्शन के लिए आए हुये किसी व्यक्ति को बड़े साधुओं द्वारा बुलाने से पहले ही शिष्य द्वारा बुला लेना । (१३) रात को बड़े साधुजन आवाज दें कि कौन जागता है, कौन सो रहा है ?; तब जागते हुए भी उनके बचनों को सुने-अनसुने करके चुप रहना । (१४) भिक्षा में लाया हुआ आहार पहले दूसरे शिष्यादि को बता कर

फिर गुह आदि को बताना । (१५) भिक्षा में लाया हुआ आहार का कथन पहले दूसरे शिष्यादि के आगे करके बाद में गुरुजनों के आगे करना । (१६) लाये हुये आहार के लिए पहले शिष्यादि को आमंत्रित करना, उत्पन्नात् बड़े साधुओं या गुह को आमंत्रित करना । (१७) भिक्षा में प्राप्त आहार लाकर पहले बड़े या बृद्ध साधुओं को पूछे बिना अपने प्रियपात्र साधुओं को दे देना । (१८) बड़ों के साथ में भोजन करते हुए खुद जल्दी-जल्दी बढ़िया चीजों पर हाथ साफ कर देना । (१९) किसी प्रयोजनवश बड़ों के बुलाने पर उसका जवाब न देना । (२०) बड़ों के बुलाने पर आसन पर बैठे-बैठे ही उत्तर देना—हा, बोलिए क्या कहते हैं ? अथवा कार्य करने के आलस्य से बड़ों के पास ही न फटकना । (२१) बड़ों के द्वारा कोई बात पूछने पर उनके सामने अविनयपूर्वक बोलना या उटपटांग बड़बड़ाना । (२२) गुरुजन या बड़े साधु शिष्य या छोटे साधु से कहें—वत्स ! यह काम करो, तुम्हें लाभ होगा । तब अविनय-पूर्वक जवाब देना—आप ही इसे कर लीजिए, आपको लाभ हो जायगा । अथवा बड़े साधु कहे कि आर्य ! रुग्ण साधु की सेवा नहीं करते ? तब उत्तर देना कि रुग्ण की सेवा आप ही क्यों नहीं कर लेते ? (२३) बड़ों के प्रति कठोर भाषा का प्रयोग करना । (२४) बड़े जिन-जिन शब्दों का प्रयोग करें, उनके सामने उन्हीं शब्दों को दोहरा कर प्रत्युत्तर देना, अथवा गुरु द्वारा धर्मशिक्षा देने पर अन्यमनस्क होकर बैठ जाना, उनकी बातों का समर्थन न करना । (२५) गुरुजनों के व्याख्यान में अविनयपूर्वक प्रश्न करना और गुरु द्वारा उसका जवाब देने पर कहना कि—“आपको याद ही नहीं है ।” (२६) बड़ों के व्याख्यान में उनकी भूल प्रवृत्त करके सभा-मंथ करना या धर्मकथा की प्रवचनधारा को तोड़ देना । (२७) बड़े व्याख्यान दे रहे हो उस समय अपने लिए हितकर बात को अहितकर समझ कर अर्थात् दिखाना । (२८) बड़ों के द्वारा व्याख्यान करते समय बीच में ही सभा में विक्षेप डाल देना कि अब तो भिक्षा का समय हो गया है ! कब तक कहे जाओगे ? इस प्रकार बोलकर सभा को क्षुब्ध कर देना । (२९) गुरुजनों का व्याख्यान पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही अपनी दक्षता बताने के लिए स्वयं व्याख्यान शुरू कर देना । (३०) गुरु की शय्या पर बैठ जाना । (३१) उनकी शय्या पर पैर लगाना या ठोकर मारना, (३२) बड़ों के आसन से ऊँचे आसन पर बैठना, लड़ा रहना या सोना । (३३) गुरुदेव के आसन के बराबर आसन पर खड़े होना, बैठना या सोना । इस प्रकार कुल ३३ आज्ञासनाएँ हैं, जो अभिमानरूप अन्तरंग परिग्रह से जनित होती हैं, इसलिए इन्हें हेय समझ कर छोड़ना चाहिए ।

सुरिवा—देवों में ३३ इन्द्र हैं । वे इस प्रकार हैं—अवनपति देवों के २० इन्द्र । ज्योतिष्क देवों के २ इन्द्र, वैमानिक देवों के १० इन्द्र, राजा नृपदेव (भगुण्डों

में देवतुल्य) दृष्टाता है, उन राजाओं का चक्रवर्ती इन्द्र कहलाता है। इस दृष्टि से एक 'नृदेवेन्द्र'—चक्रवर्ती मिलकर कुल ३३ देवेन्द्र हुए।

भवनपतियों के २० देवेन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं—(१) चमरेन्द्र, (२) बलेन्द्र, (३) धरणेन्द्र, (४) भूतानन्द, (५) वेणुदेव, (६) वेणुताल, (७) हरिकान्त, (८) हरिसह, (९) अग्निसिंह, (१०) अग्निमाणव, (११) पूर्ण, (१२) वशिष्ठ, (१३) जलकान्त, (१४) जलप्रभ, (१५) अमितगति, (१६) अमितबाहुन (१७) बेलम्ब, (१८) प्रभजन, (१९) घोष और (२०) महाघोष। ज्योतिष्क देवेन्द्र दो हैं—सूर्य और चन्द्र। वैमानिक देवेन्द्रों के १० नाम इस प्रकार हैं—१—शक्रेन्द्र, २—ईशानेन्द्र, ३—सानत्कुमार, ४—माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६—लान्तक, ७—शुक, ८ सहस्रार, ९ प्राणत और १०—अच्युत।

इस प्रकार एक बोल से लेकर तेतीस बोल तक का वर्णन समाप्त हुआ।

तेतीस बोलों की आराधना करने वाले भ्रमण की उपलब्धि—ये तेतीस बोल साधु जीवन के प्राण हैं। इनकी आराधना-साधना जो श्रमण कर लेता है, वह अपने जीवन में किन-किन विशिष्ट गुणों की उपलब्धि कर लेता है—इसी बात का सकेत शास्त्रकार इन पक्तियों द्वारा करते हैं—'विरतीपणिहीसु.....सकं कल निराकरेसा सहहते सासर्ण भगवतो अग्निदाने अमृतभणवयणकाययुते।' इन पक्तियों का आशय यह है कि जो साधक अन्तरंग और बाह्यरूप में परिग्रह से सर्वथा निर्लिप्त, मुक्त और निरपेक्ष होना चाहता है, उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वह एक बोल से लेकर ३३ बोलों तक के बताई हुई बातों में जंय का जाने, हेय को त्याग और उपादेय की जीवन में उतारे। इन तेतीस बोलों में से प्राणातिपात आदि जिन-जिन पदार्थों से विरत होना है; उन्हें हेय समझ कर उनकी विरति में विशिष्ट एकाग्रता प्राप्त करे, तथा दूसरी जिन-जिन बातों से विरत नहीं होना है उन्हें जंय या उपादेय समझ कर उनमें प्रवृत्त हो जाय, तथा इन और इस प्रकार के बहुत-से मोक्षसाधक स्थानों—बातों में, जो कि जिन भगवान् द्वारा प्रणीत समवायांगदि शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं त्रिकालसिद्ध सिद्धान्त रूप हैं, तथा द्रव्य भाव रूप से अवस्थित हैं, उनमें शका और काक्षा (इहलीकिक पारलौकिक आदि से सम्बन्धित

१—इन ३३ बोलों का निरूपण समवायांग सूत्र, स्थानांगसूत्र (स्थान ६ सूत्र ३६३), उत्तराध्ययन सूत्र (अध्ययन ३१) तथा श्रमणसूत्र में भी है। समवायांग सूत्र में इन पर विस्तृत विवेचन भी मिलता है। जिज्ञासुजन वहाँ से विस्तृत विवेचन अवगत कर लें।

कामनाओं) को दूर करके उन पर तहदिल से श्रद्धा करता है, भगवान् के इन प्रवचन पर 'तमेव सच्चं निस्तकं चं जिनेहि पबेद्वयं' इस वाक्य के अनुसार पूरी श्रद्धा करता है, इनका आचरण देवेन्द्र आदि के ऐश्वर्य की अभिलाषारूप निदान से रहित, गर्व (गौरव) से रहित, लोभ से रहित और मोह से विरक्त होकर करता है, वह श्रमण अपने मन, वचन और काया को परिग्रह वृत्ति से बचाकर पूर्णतया सुरक्षित कर लेता है। और अपरिग्रह वृत्ति में स्थिर हो जाता है।

तेतीस बोलों के निरूपण के पीछे उद्देश्य—परिग्रह त्याग के प्रकरण में इन तेतीस बोलों के कथन करने का आशय यह है कि अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से परिग्रह का त्याग करने पर ही अपरिग्रह महाव्रत की परिपूर्ण रूप से आराधना हो सकती है। चूक परिग्रह में ग्रहण होता है और अपरिग्रह में त्याग। इसलिए साधक को कई बार पता ही नहीं होता कि मुझे किन-किन चीजों का साधना के लिए ग्रहण करना है, और किनका त्याग करना है? वह एक के बदले दूसरे पदार्थ को पकड़ लेता है। इसलिए साधक के सामने अपने जीवन में साधक, बाधक तथा न बाधक न साधक-इन तीनों प्रकार की जो जो खास वस्तुएँ आती हैं, उनकी एक सूची (३३ बोल तक की) यहाँ दे दी है। साधु को परिग्रह त्याग के लिए इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान होने पर ही वह साधक बातों को उपादेय, बाधक बातों को हेय और न बाधक न माधक बातों को जय समझ सकता है। उसके बाद धर्मध्यान शुक्ल ध्यान आदि जो बातें उपादेय हैं, उन्हें वह ग्रहण करता है, असंयम, राग-द्वेष आदि जो वस्तुएँ हेय हैं, उनका वह त्याग करता है और देवेन्द्र, परमाध्यात्मिक आदि जो बातें जय हैं उनकी वह जानकारी कर लेता है। इन हेय-जय-उपादेय रूप बातों का यथायोग्य आचरण ही परिग्रह त्याग और अपरिग्रह वृत्ति के स्वीकार का कारण है। यही इन तेतीस बोलों के निरूपण का उद्देश्य है।

अपरिग्रहसंवर का माहात्म्य और स्वरूप

पूर्व सूत्रपाठ में मिथ्यात्व आदि अन्तरंगपरिग्रह के रूप में साधु जीवन में सहसा घुस जाने वाले महापाप से साधु को सावधान करने हेतु एक बोल से लेकर ३३ बोलों का शास्त्रकार ने विस्तृत निरूपण किया है। अब शास्त्रकार अपरिग्रह संवरद्वार का माहात्म्य, तथा स्वरूप निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा बताते हैं—

मूलपाठ

जो सो वोरवरवयण-विरतिवित्यर-बहुविहृष्पकारो,
सम्मतविसुद्धमूलो, धितिकंदो, विणयवेति (इ) ओ (नो),

निग्गततिलोक्क-विपुलजसनिविडपीणपवरसुजातखंधो, पंच-
मह्व्ययविसालसालो, भावणतयंतज्ज्ञानसुभजोगनाणपल्लववर-
कुरघरो, बहुगुणकुसुमसमिद्धो, सीलसुगंधो, अण्हवफलो, पुणो
य मोक्खवरबीजसारो, मंदरगिरिसिहरचूलिका इव इमस्स
मोक्खवरमुत्तिमग्गस्स सिहरभूओ, संवरवरपादपां चरिमं
संवरदारं ।

जत्थ न कप्पइ गामागर-नगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-
पट्टणा-ऽऽसमगयं च किंचि अप्पं व बहं व अणुं व थूलं व तस-
थावरकायदव्वजायं मणसावि परिवेत्तुं, ण हिरन्नसुवन्नखेत्तवत्थु,
न दासीदासभयकपेसहयगयगवेलगं च, न जाणजुगपयणाइ,
ण छत्तकं न कुंडिया, न उवाणहा, न पेहुणवीयणतालियंटका,
ण यावि अय-तउय-तंब-सीसक-कंस-रयत-जातरूव-मणि-
मुत्ताधार-पुडक-संख-दंत-मणि-सिग-सेल-काय-वरचेल-चम्म-रत्ताइं
महरिहाइं परस्स अज्झोववायलोभजणणाइं परियड्ढेउं गुणवओ,
न यावि पुप्फफलकंदमूलादियाइं, सणसत्तरसाइं सब्वघ्ननाइं
तिहि वि जोगेहिं परिघेत्तुं ओसहभेसज्जभोयणट्टयाए संजएणं ।
किं कारणं ? अपरिमितणाणदंसणघरेहिं सोलगुणविणयतवसजम-
नायकेहिं, तित्थयरेहिं, सब्वजगज्जीववच्छलेहिं, तिलोय-
महिएहिं जिणवरिदेहिं एस जोणी जंगमाणं दिट्ठा, न कप्पइ
जोणिसमुच्छेदो त्ति तेण वज्जंति समणसीहा, जंपि य ओदण-
कुम्मास-गंज-तप्पण-मंधु - भुज्जिय-पलल - सूप - सक्कुलि-वेढिम-
वरसरक - चुन्न-कोसग-पिड - सिहरिणि - वट्ट - मोयग - खोर-
दहि-सण्णि-नवनीत-तेल्ल-गुल - खंड-मच्छंडिय-मधु - मज्ज-मंस-
खज्जक-वंजण-विघ्निमादिकं पणीयं उवस्सए परघरे व रन्ने न
कप्पती, तंपि सन्निहिं काउं सुविहियाणं, जं पि य उद्विट्ठविय-
रवियगपज्जवजातं पक्किण्ण-पाउ करण-पामिच्चं, मीसकजायं,

कीयकडपाहुडं च दासाट्ट-पुन्नपगडं, समणवणीमगट्टयाए वा कयं, पच्छाकम्मं, पुरेकम्मं, नितिकम्मं, मन्निखयं, अतिरित्तं, मोहरं चैव सयग्गहमाहडं, मट्टिउवलित्तं, अच्छेज्जं चैव अणिसट्टं जं तं तिहोसु जन्नेसु ऊसवेसु य अंतो व व्हि व होज्ज समणट्टयाए ठवियं, हिंसासावज्जसंपउत्तं न कप्पती तं पि य परिचेत्तुं ।

अह केरिसयं पुणाइ कप्पइ ? ज तं एकारसपिडवायसुडं, किणण-हणण-पयण-कयकारियाणुमोयण-णवकोडोहिं सुपरिसुडं, दसहिं य दोसेहिं विप्पमुक्कं, उग्गम-उप्पायणेसणाए सुडं, ववगय-चुय-चविय-चत्तदेहं च फासुयं ववगयसंजोगमणिगालं विगयधूमं छट्टाणनिमित्तं छक्कायपरिरक्खणट्टा हणि हणि फासुकेण भिक्खेण वट्टियव्वं । जं पि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहप्पकारंमि समुप्पन्ने वाताहिकपित्तसिंभअइरित्तकुविय तह सन्निवातजाते व उदयपत्ते उज्जलबलविउलकक्खड-पगाढदुक्खे असुह-कडुयफरुसे, चंडफलविवागे महब्भए जोवियत-करणे, सव्वसरोरपरितावणकरे न कप्पइ तारिसे वि तह अप्पणो परस्स वा ओसहभेसज्जं भत्तपाणं च तपि सन्निहिकयं, जंपि य समणस्स सुविहियस्स तु पडिग्गहधारिस्स भवति भायण-भंडोवहि-उवगरणं पडिग्गहो पादबंधण पादकेसरिया पादठवणं च पडलाइं तिन्नेव रयत्ताणं च गोच्छओ तिन्नेव य पच्छादा रयोहरण-चोलपट्टक-मुहणंतकमादीयं एयं पि य संजमस्स उवबूहणट्टयाए वायायवदंसमसगसोयपरिरक्खणट्टयाए उवग-णं रागदोसरहियं परिहरियव्वं संजएण णिच्च पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सततं निक्खिवियव्वं च णिहियव्वं च भायणभंडोवहिउवगरणं ।

संस्कृतच्छाया

यः स वीरवरवचनविरतिप्रविस्तरबहुविधप्रकार, सम्यक्स्वविशुद्ध-
मूलो, धृतिकंदो, विनयबेदिकस्त्रं लोक्य-निर्गतविपुलयशोनिबिडपीनप्रवर-
सुजातस्कन्धः, पञ्चमहाव्रतविशालशालो, भावनात्वगन्तर्-ध्यानशुभयोगज्ञान-
यत्नवचरंकुरधरो, बहुगुण सुमसमृद्धः, शीलसुगन्धोऽनाश्रवफल. पुनश्च
मोक्षवरबीजसारो, मन्वरगिरिशिखरचूलिकेवाऽस्य मोक्षवरमुक्तिमागंस्य
शिखरभूतः संवरवरपादपञ्चरमं सवरद्वारम् ।

यत्र न कल्पते प्राभाकर-नगर-छेट-कञ्चंड-मडम्ब-द्रोणमुख-पतनाश्रम-
गतं च किञ्चिदल्पं वा बहु वा अणु वा स्थूलं वा त्रसत्स्वावरकायद्रव्यजात
मनसाऽपि परिगृहीतुं, न हिरण्यसुवर्णक्षेत्रवास्तु, न दासोदासभूतकप्रेष्यहय-
गजगवेलकं च, न यानपुग्यशयनानि, न छत्रकं, न कुण्डिका, न उपानहौ, न
पेठुण (मयूर पिच्छ) व्यजन (वोजन) तालवृन्तकानि, न चापि अयस्त्रपुक-
ताम्र-सीसक-कांस्य-रजत-जातरूप-मणि-मुक्ताधार पुटक शंखदन्तमणि शृंग-
शीलकाञ्चवरखेलचर्मपात्राणि महाहाणि परस्याऽभ्युपपातलोभजनानि परि-
कथयितुं (परिवर्द्धयितुं) गुणवतो, न चापि पुष्पफलकन्दमूलादिकानि सम-
सप्तदशकानि सर्वधान्यानि त्रिभिरपि योगैः परिगृहीतुं औषधभेषज्य-
भोजनार्थाय संयतेन । किं कारणम् ? अपरिमितज्ञानवर्शनधरः शीलगुणविनय-
तपःसंयमनायकस्तीर्थङ्करैः सर्वजगज्जीवदत्तसंलंस्त्रलोकमहितैर्जनवरे-
भ्यं रेवा योनिः जङ्गमानां हृष्टा, न कल्पते योनिःसमुच्छेद इति तेन बर्जयन्ति
धर्मणसिहाः, यदपि च ओदन-कुल्माष गंज-तर्पण-मधु-भ्रष्ट (धान)-यसल-
सूप - शङ्कुलीवेष्टिमवरसरकक्षूर्णकोशकपिडशिखरिणीवर्तक - (घनसोमन)
मोक्षकरीरदधिसर्पिनंबनीतैसगुडसण्डमस्त्र्यंडिकामधुमद्यमांससाद्यव्यंजन-
विध्यादिकं प्रणीत उपाभये परगृहे वाऽरभ्ये न कल्पते तदपि सन्निधीकतुं
सुबिहितानाम्, यदपि ओद्दिष्टस्थापितरक्षितपर्यवजातं प्रकीर्णप्रावृष्णकरणाप-
चित्यकं मिश्रकजातं क्लेशकृतप्राप्तं दानार्थपुण्यप्रकृतं, धमणवनीपकार्यतया
वा कृतं पशुवात्कर्म पुरःकर्म नैत्यिकं अक्षितमस्तिरिक्तं मौखरं चैव स्वयंप्राहं
आहृतं मृत्तिकोपलिप्तमाच्छेद्यं चैवानिसृष्टं यत्तद् तिबिधु यज्ञेषु उरसवेषु
धान्तर्बहिर्वा भवेद् धमणार्थं स्थापितं द्विजासाब्रह्मसम्प्रयुक्तं न कल्पते तदपि
च परिगृहीतुम् ।

अथ कीदृशं पुन कल्पते ? यत्तद् एकावशापिडपातशुद्धं कल्प-
हृत्तन-पञ्चन कृत-कारिताऽनुमोदन-नवकोटिभिः सुपरिशुद्धं, दशाभिस्त्व
बोर्षविप्रमुक्तं, उद्गमोत्पादनेषणया शुद्धं व्यपगत-च्युत-व्यावित-स्थस्त्वहेहं च
प्रासुकं, व्यपगतसंयोगमनंगारं विगतधूमं षट्स्थाननिमित्तं षट्कायपरि-
रक्षणार्थं अहन्यहनि प्रासुकेन भक्ष्येण वर्तितव्यम्, यदपि च भ्रमणस्य
सुविहितस्य तु रोगातके बहुप्रकारे समुत्पन्ने वाताधिकपित्तसिंभाति-
रिक्तकृपते तथा सन्निपातजाते चोदयप्राप्ते उष्णत्वलक्षणाविपुलकर्कशप्रगाड-
दुःखेऽनुभक्तकृपकषये चण्डफलविपाके महाभये जीवितान्तकरणं सर्वशरीर-
परितापनकरे न कल्पते तादृशेऽपि तथाऽऽग्ने परस्मै वा औषधभेषजं मत्स्वपानं
च तदपि सन्निधोक्तम् । यदपि च भ्रमणस्य सुविहितस्य तु पतद्ग्रहधारिणो
भवति भाज भांडोपध्युपकरणं पतद्ग्रहः पात्रबन्धनं पात्रकेसरिका पात्रस्थापनं
पटलानि त्रीण्येव रजस्त्राणं च गोष्ठकस्त्रय एव च प्रच्छन्ना रजोहरण-
बोलपट्टकमुखान्तकादिकं एतदपि च संयमस्योरबुहभार्यं वातातप-
दंसमशकशीतपरिरक्षणार्थतया उपकरणं रागद्वेषरहितं परिधत्तं व्य संयतेन
नित्यम्, प्रतिलेखन (प्रत्युपेक्षण, प्रस्फोटन-प्रमार्जनायां अहोरात्रं अप्रमत्तन
भवति सततं निक्षेपव्यं च गृहीतव्यं च भाजनभांडोपध्युपकरणम् ।

पदान्वयार्थ—(ओ सो यह आगे कहा जाने वाला जो (चरितं संवरद्वारं)
अन्तिम—परिग्रहविरति अपरिग्रहवृत्तिरूप-संवरद्वार है, वह (संवरद्वारपादयो)
संवर के रूप में श्रेष्ठ वृत्त है। वह (वीरवरवयवविरतिपविस्वरंबहुविहृष्यकारो)
श्री भगवान् महावीर स्वामी के श्रेष्ठ वचनों से कही गई परिग्रहनिवृत्ति ही उसका
विस्तार (फलाव) है तथा अनेक प्रकार के भेषों से युक्त है। (सम्पत्तविशुद्धमूलो)
सम्यग्दर्शन ही उस अपरिग्रह वृत्त की विशुद्ध जड़ है। (चितिकंदो) धर्म—चित्त-
स्वास्थ्य ही उसका कन्ध है, स्कन्ध से नीचे का भाग है। (विषयवेदजो) विनय-नम्रता
ही उसकी पार्श्ववेदिका बला है। (निम्नततिलोचक विपुल-जसनिविड-श्रीष-पदर-
सुजातजंघो) अपरिग्रह का तीनों लोकों में व्याप्त विस्तीर्ण पद ही उसका धना,
स्मूल, महान् और सुनिष्पन्न स्कन्ध-तना है। (पंचमहृष्यविसालसातो) उसकी
पंचम महावृत्त-रूप विशाल शाखायें हैं। (भावयतयंतज्ज्ञाव सुभजोगनाचालकवर-
कुरधरो) अनित्यत्वादि भावना ही उस अपरिग्रह वृत्त की अन्तिम स्वभा—छात्र है,
तथा वह धर्मादि ध्यान, सुखयोग और ज्ञानरूप पत्तों और श्रेष्ठ अंगुरों को धारण

करने वाला है। (बहुबुध-सुबुध समिद्धो) निलोभता आदि सुभक्तप्रद अनेक पुष्पों कपी फूलों से यह अपरिग्रहबुध समृद्ध है। (सीलसुगन्धो) सील—इहलीकिक फल-निरपेक्ष सदाचार या तत्प्रवृत्ति ही उसको सुगन्ध है। (अचण्डबकलो) अनाश्रय - नये कर्मों का ग्रहण न करना—या आते हुए नये कर्मों का निरोधक संवर ही उसका फल है अथवा भगवद्बचन में स्थिति होना—आज्ञा पालन करना ही उसका फल है। (पुत्रो य) और फिर (मोक्षखरबीजसारो) उस अपरिग्रह बुध का बीज मोक्ष के बीज—बोधबीज रूप है, वही उसका मिजाकरूप सार है, (मंदरगिरिसिहर-चूलिका इव इमस्स मोक्षखरपुत्तिमगगस्स सिहरभूजो) मेघपर्वत के सिखर की चोटी के समान उत्तम संपूर्णकर्मसाधक्य प्राबन्ध पर जाने के लिए जो यह निलोभता (शुक्ति) रूप अष्ट मार्ग है, उसका शेषर भूत है।

(अथ) परिग्रह त्वागक्य अन्तिम संवरद्वार में (गामागर-नगर-खेड-कम्बड-मडंब-दोमसुह-पट्टभासमयं) गाँव, खान, नगर, धूल के कोट वाली बस्ती, कस्बा, मडम्ब—जिनके चारों ओर डार्ड-डार्ड योजन तक बस्ती न हो, बंदरगाह, महानगर या ग्राम्य में रखा हुआ (किंचि) कोई भी पदार्थ (अप्यं च) अल्पमूल्य अथवा (बहुं च) बहुमूल्य (अचं च भूलं च) छोड़ा हो या उखाड़ा, अथवा छोटा हो या बड़ा (तस्यधार-काय रब्धजायं) संज्ञादि प्रसक्तयक्य तथा रत्नादि स्थावरक्य सचेतन या अचेतन द्रव्यसमूह (अथसावि परिधेत्) शरीर से तो दूर रहा, मन से भी ग्रहण करना (न कप्यं) उचित नहीं है। (हिरप्रसुवप्रखेतवत्) चाँदी-सोना, क्षेत्र-कुली जमीन और मकान (च) ग्रहण करना योग्य नहीं; (च) तथा (वासीवास भयकपेसहय-गय-गबेलयं) वासी-वास, नौकर-भाकर, छोड़ा, हाथी, लेना-रखना भी (न) योग्य नहीं (च) और (जाचकुम्भसयनाइ) नाड़ी, रथ आदि सवारियाँ, अथवा गोस्तद्वेष प्रसिद्ध जंपान विशेष तथा शयनीय पदार्थ लेना (न) योग्य नहीं है, (छत्तकं) छाता भी (न) लेना ठीक नहीं, (न कुंठिया) कर्मठसु भी लेना उचित नहीं; (न वेतुणवीयण-तालियंतका) न मोरचिच्छ एवं बाँस आदि का बना पंखा या ताड़ का पंखा लेना ठीक है। (च यावि अय-तडव-तंब-सीत्तक-कंस-रयत-जातकव-मणि-मुत्ताधार-पुडक-तंस-वंत-मणि-सिय-सेल-कायवरकेलकम्मपसाइ) और न ही लोहा, गंग, ताँबा, सीसा, काँसा, चाँदी, सोना, चन्द्रकास्तादि मणि, मोतियों का आभार पुटक—सीप, मंज, हाथीदाँत, या हाथीदाँत की कनी हुई मणि, सीप, पाषाण, उत्तम काँच-जीरा, कपड़ा और धनड़ा तथा इनके बने हुए पाव—वर्तन ग्रहण करना ठीक है। तथा (महार्हिहाइ) बहुमूल्य वस्तुएँ; जो (वरस्स) दूसरे के (अच्छोक्कायतोमज्जयाइ)

चित्त में ग्रहण करने की आसुरता तथा लोभ पैदा करने वाली हों, उन्हें (परियब्देवं) जीवना अपनी और झपटना, बढ़ाना या जलन से रक्षना (गुणवञ्चो) भूलगुणादि से युक्त मिष्ट के लिए (न) उचित नहीं है। (न यावि) और न ही (संज्ञण) संयमी साधु को (ओसहमेसकजभोयणदठाए) औषध, अनेक वस्तुओं से बनी हुई दवा-भोजन तथा भोजन के लिए (पुष्पफलकंदमूलादियाइ) फूल, फल, कंद और मूल, आदि को तथा (सणत्तरसाइ' सब्जन्नाइ') जिनमें १७ वां धान्य सन है, ऐसे १७ प्रकार के सभी धान्यों -अनाजों का (तिहिचि जोगेहि) तीन ढोंगों—मन बचन काया से (परिवेत्तु) ग्रहण करना। (न) ठीक नहीं है। (किं कारणं ?) इसमें क्या कारण है ? (अपरिमियणाणदसणघरेहि) अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन के धारण करने वाले, (सौलगुण-विषय तवसंजमनायकेहि) शील -समाधि, भूलगुण आदि, विनय, तप और सयम के नायक—मार्गदर्शक (सकजजगज्जीव वच्छलेहि) सारे जगत् के जीवों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत, (तिलोयमहिएहि) तीनों लोकों के पूजनीय (जिणवरिन्देहि) बीतरागों में धेष्ट केवल ज्ञानियों के इन्द्र यानी तीर्थंकरों ने (एस) फूल, फल, धान्य आदि को (जगमाण) प्रसन्न जीवों की (जोभी) योनि—उत्पत्ति स्थान के रूप में (विदुठा) जाना—देखा है; (न कप्पइ जोषिसगुच्छेरोसि) अतः योनि का नाश करना उचित नहीं है, (तेण) इसी कारण से (समणसीहा) मुनिपुंगव (बज्जति) पूर्वोक्त पुष्प आदि का ग्रहण करने का त्याग करते हैं। (य) और (ओदणकुम्मास-गंज-त्पण-संवु-भुञ्जय-पलल-सुप - सक्कुलिवेदिम-वरसरक-पिड-सिहुरिण-वट्ट-मोयग-सीर-बहि-सप्पि-नवनीत-तेत्त-पुल-संड-मवठंडिअ-मधु-मज्ज-मंस-उज्जक-वञ्जण-विधिमादिक) भात—पके हुये चावल, उड़द अथवा लोभिया-बंदला, गज नामक भोज्य पदार्थ, ससु, बेर आदि की कुट्टी, भुने हुये या सेके हुये बने आदि अनाज, तिल की पिट्टी अथवा तिलपपड़ो, भूंग आदि की दालें, पड़ी अथवा तिल सांकली, बेडमी—एक प्रकार की मोटी चोकोर बनाई हुई रोटी, शक्कर के रस से भरे हुये मूलाबजामुन रसगुल्ला आदि; कबीरी, समोसा आदि जिनमें दाल की पिट्टो आदि भरती जाती है, गूड़ आदि का पिड या शक्करमिला हुआ बहो -बीबांड, दाल के बड़े, लड्डू, दूध, बही, घी, मक्खन, तेल, गूड़, सांड, मिथी, मधु, मक्ख, मांस, स्नाजा, अनेक प्रकार के साग, खटमी, अचार, रायता आदि अंजन तथा पाकविधि से बने हुये सब भोज्य पदार्थ तथा (पणीयं, रसीले पीठिक भोज्य (बांवि) यद्यपि कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, (तंवि) तथापि (उवस्सए) उपाध्य—स्थानिक में (परचरे व) या दूसरे घर में, (रन्नेव) अथवा अन्न में (सुबिहिवाथं) परिवसहस्यवी ५०

उत्तम साधुओं को (सक्तिहि काउं) संघह करना या अपने पास संचित करके रक्षना (न कल्पति) उचित नहीं है। (अं पि य) तथा जो (उद्दिष्ट-ठबिय-रचियग-पञ्जवजातं) साधु के उद्देश्य-निमित्त से गृहस्थ द्वारा बनाया गया, साधु के लिए मन में संकल्प करके अलग से रखा हुआ, लड्डू आदि के चूरे को आग में गर्म करके फिर से लड्डू आदि के रूप में बनाया गया, उद्दिष्ट वस्तु में दूसरी वस्तुएँ मिलाकर बनाया गया और भी कोई पदार्थ तथा (पकिष्ण-पाउकरण-पामिष्णं) धूमि पर बिखरते हुए साया गया, दीपक जलाकर दिया गया, या उधार लेकर तयार किया गया भोज्य पदार्थ, (भीसकजातं) साधु और गृहस्थ दोनों के मिलेबुले उद्देश्य से तयार किया हुआ, (कीयकठपाहुडं) साधु के लिए खरीदा गया, साधु को भेंट रूप में दिया गया (ब) अथवा (बाकट्ट-पुन्न-पगडं) दान के लिए या पुण्य के लिए बनाया हुआ (समणवणीमगट्टयाए वा कयं) निर्घन्थ, बौद्ध, तापस, गैरिक और आजीविक इन पाँचों में से किन्हीं भ्रमणों के लिए तथा याचकों-भिक्षारियों के लिए बनाया गया भोज्य पदार्थ तथा (पच्छाकम्म) भिक्षा देने के बाद संचित पानी से जगह, हाथ या बर्तन बर्बरह धोना, (पुरेकम्मं) आहार देने से पहले जगह, हाथ या बर्तन आदि संचित पानी से धोना (नित्तिक्कम्मं) सदा एक ही घर से लिया जाने वाला आहार, (मक्खियं) संचित पानी के संसर्ग से युक्त दिया गया आहार, (अतिरित्तं) परिमाण से अधिक आहार (मोहरं चेष) भिक्षा लेने के पहले या पीछे बाता की प्रसंसा करने से या बहुत कहा सुनी करने पर प्राप्त आहार, (सयमहं) बाता के अभाव में इधर-उधर की बात करके या धर्मासीव डेकर स्वयं लिया हुआ आहार (आहडं) साधु के सम्मुख साया हुआ आहार, (मट्टिउच्चलित्तं) मिट्टी, गोबर आदि से लिप्त हाथ से दिया गया आहार, (अच्छेज्जं) नौकर आदि से जबरन छीनकर दिया गया आहार, (अभीसट्ठं) बाता का अपने अधिकार का न हो, ऐसा अनेक व्यक्तियों के अधिकार का दिया हुआ आहार और (अं तं) यदि यह आहारादि पदार्थ (तिहीसु) मदन-त्रयोदशी आदि तिथियों के मौके पर (अग्नेसु) यज्ञों के अवसर पर, (असवेसु) उत्सवों के समय पर बनाया गया, (अंतो वा बहिं ब) उपाध्य के अंदर या बाहर (समणदुट्टयाए) साधु के लिए (ठबियं) रखा गया, (हिंसासावज्जसंपजत्तं) हिंसा तथा सावज्जकर्म से युक्त (होक्क) हो, तो (संपिय) वह सब आहारादि पदार्थ भी (परिमेत्तु) साधु के ग्रहण करने (न कल्पति) योग्य नहीं है।

(अह पुचाइ) तो फिर (केरिसयं) कैसा आहारादि (कल्पति) साधु के ग्रहण करने योग्य है? (अं तं) जो आहारादि (एक्कारत्त पिडवावसुडं) आचारांग सूत्र के

द्वितीय अत स्कन्ध के पिंडवना नामक प्रथम अध्ययन के प्यारह उद्देशों में बर्णित दोषों से रहित-शुद्ध हो, (किण्व-हृण-ययन-क्य-कारियाणुमोयवनबकोडीहि सुपरिसुद्ध) मूल्याधि से खरीदना, सस्त्राधि से छेदन द्वारा प्राणिहिंसा से उत्पन्न करना, अग्नि से पकाना, इन तीनों कार्यों का करना, कराना और अनुमोदन करना, इस प्रकार ६ कोटियों से रहित-बिभुद्ध हो, (य) तथा (बसहि बोसेहि विष्ययुक्तं) संकित आधि दस दोषों से रहित हो, (उगमउप्यात्यभेसणाए सुद्ध) आघातकर्म आधि १६ उद्गम के, घात्री आधि १६ उत्पादना के दोषों से, आहाराधि की गवेषणा से शुद्ध हो (ब) तथा (बवगयचयघाविय-चस्तवेहे) चेतनपर्याय से अचेतनत्व को प्राप्त आयुक्षय होने के कारण जीवनाधि क्रिया से रहित क्रिया गया, स्वयं जीवों के द्वारा छोड़ दिया गया, (फसुयं) प्रासुक आहार तथा (बवगयसंजोगं, बिगयधूमं) संयोजना के दोष से रहित, धूम दोष से रहित आहार (छट्ठाणनिमित्त) क्षुधावेदनानिवृत्ति ब बंयावृत्त आधि के छह निमित्त से (छक्कायपरिरक्खणट्ठा) छह काय के जीवों की रक्षा के लिए साधु को (हृणिहृणि) प्रतिदिन (कासुकेष भिक्खेण वट्टिटवब्भं) प्रासुक भिक्षान्न पर निर्वाह करना चाहिए। (अं पिय) और जो (सुबिहियस्स समणस्स) शास्त्रबिहित आचरण करने वाले साधु के, (बहुप्यकारम्मि रोगायंके) बहुत प्रकार के अत्यन्त कष्टप्रद रोग के उत्पन्न होने पर (वाताहिकपित्तिसमअतिरित्तकुबिय,तहसन्निपातवाले) वायु की अधिकता से, पित्त तथा कफ के अत्यन्त कुपित हो जाने से तथा वात-पित्त-कफ तीनों के संयोग से उत्पन्न सन्निपातजन्य रोग के (समुपपन्ने) उत्पन्न हो जाने पर (ब) अबवा (असुमकडुयफवसे चंडफलधिवाले) अशुभ, कटुक और कठोर प्रचंड-मयंकर फलभोगरूप विपाक वाले (उज्जल-बल-विजल-कण्ठ-पगाड-बुण्णे) सुख के लेश से रहित, प्रबल, चिरकाल तक वेदन किये जाने वाले, अतएव कर्काश द्रव्य की तरह चुम्बने वाले प्रगाड बु.स के (उदय पत्तं) उदय में आने पर (जीविद्यंतकरणे) जीवन का अन्त करने वाले (सम्बसरीर-परितावणकरे) सारे शरीर में सन्ताप उत्पन्न करने वाले (तारित्ते मह्ठभए अधि) ऐसे महान् भय के उपस्थित होने पर भी (तह) तथा (अप्यणो परस्स वा) अपने या दूसरे के लिए (ओसहभेसज्जं) ओषध और मंत्र (ब) और (वसपाणं) भोजनपान (तंवि) वह भी साधु को (सन्निहि-कयं) अपने पास संग्रह करके रखना (न कम्पह) योग्य नहीं है। (अपिय) और जो कि (सुबिहियस्स पडिग्गाह्वारित्त समणस्स) शास्त्रबिहित आचरण करने वाले पात्रधारी भ्रमण के (भायणभंडोवहिउवकरणं) काठ के पात्र, मिट्टी के पात्र-बर्तन, रजोहरण आधि उपकरण जैसे कि—(पडिग्गहो) पात्र, (पादबंधनं) पात्र बांधने की झोली, (पादकेसरिया) पात्रकेसरी - पात्र प्रभाजंजी

पोतिका, (पावठवर्ण) जिस कबल के टुकड़े में पात्र रखे जाते हैं, वह पात्रस्थापन, (ष) और (पठवाह) मिला के समय पात्रों को ढकने के वस्त्रखण्ड—पत्थे, (तिन्नेव) कम-से-कम तीन तो होते ही हैं, (ष) और (रयत्ताण) पात्रों की धूल से रक्षा करने के लिए पात्रों पर लपेटने का रजस्त्राण नामक वस्त्रखण्ड, (गोच्छओ) पात्र और वस्त्र प्रमार्जन करने का गोच्छक नाम का कंबलखण्ड (ष) तथा (तिन्नेव) तीन ही (पच्छावा) शरीर पर ओढ़ने के वस्त्र-बाबरें, दो सूती एक ऊनी; (रयोहरण-खोल-पट्टक-मुहर्गतकमावीयं) रजोहरण, खोलपट्टा एव मुखवस्त्रिका इत्यादि (उवगरणं) उपकरण हैं। (एयपि) ये सभी (संजमस्त उवबूहणद्वयाए सयम की वृद्धि-रक्षा के लिए (भायायववेस-मसग-सीय-वरिरक्खणदठयाए) हवा, धूप, डांस, मच्छर और ठंड से शरीर की रक्षा करने के लिए (संजएणं) साधु को (गिच्च) प्रतिदिन (रागदोस-रहितं) राग-द्वेष से रहित होकर (परिहरियव्वं) धारण करने चाहिए। (च) तथा उनके (पडिसेहण-पफोडण-पमज्जयाए) प्रतिरोध करने, झटकने एव प्रमार्जन करने में (अहो ष राओ ष) दिन और रात (अप्पमत्तेण) प्रभाव से रहित होकर साधु को (भायण-संढोवहि - उवगरण) काष्ठ पात्र, मिट्टी आदि के बर्तन तथा अन्य उपकरण (सत्तं) निरन्तर (निक्खियव्वं) रखना, (ष) और (गिभ्हियव्व) ग्रहण करना (भवति) होता है।

मूलार्थ—जो यह आगे कहा जाएगा, वह अन्तिम-परिग्रहनिवृत्ति-अपरि-ग्रहवृत्तिरूप संवरद्वार—संवर श्रेष्ठ वृक्ष है। श्री भगवान् महावीर के श्रेष्ठ वचनों से कही हुई अनेक प्रकार से परिग्रहनिवृत्ति ही उस अपरिग्रह वृक्ष का विस्तार-फैलाव है। सम्यक्त्व ही उस वृक्ष का मूल है, धृति ही उसका कन्द यानी स्कन्ध से नीचे का भाग है, विनय ही उसकी वेदिका है। तीनों लोकों में व्याप्त विस्तीर्ण यश ही उसका घना, स्थूल महान् और सुनिष्पन्न स्कन्ध-तना है। पांच महाव्रत ही उसकी विशाल शाखाएँ हैं, अनित्यत्व आदि भावनाएँ ही उस अपरिग्रह वृक्ष की त्वचा-छाल है। वह अपरिग्रह वृक्ष धर्मादि शुभध्यान, प्रशस्त योगत्रय और ज्ञानरूप पत्तों एवं अंकुरों को धारण करने वाला है। शील ही उसकी क्षोभा है। आश्रव का अभाव अर्थात् संवरण ही उसका फल है, मोक्ष का बीज बोधि ही उस वृक्ष का बीजसार है—बीज के अन्दर की मीमी है। मेरुपर्वत के शिखर की चोटी के समान यह मोक्ष के निर्लोभतारूपी श्रेष्ठ मार्ग का शिखर है।

जिस परिग्रहस्वाग्रूप अन्तिम संवर द्वार में शंख, खान, नगर, खेत (धूल के कोट) वाली बस्ती, कस्बा, मठम्ब, बन्दरगाह, विशाल नगर या आश्रम में प्राप्त हुए किसी भी अल्पमूल्य या बहुमूल्य, छोटे या बड़े, सचेतन या अचेतन, शंख आदि त्रस काय के तथा रत्नादि स्थावर काय के सामान्य द्रव्यसमूह तथा सोना, चांदी, खेत और मकान ग्रहण करना योग्य नहीं है। दासी, दास, नौकर चाकर, घोड़ा, हाथी, बकरा तथा रथादि वाहन अथवा गोल्लदेश प्रसिद्ध जम्पान (पालकीविशेष) तथा घय्या का ग्रहण करना भी ठीक नहीं है। न छाता ग्रहण करना चाहिए, न कर्मडलु। न जूते खडाऊं आदि ग्रहण करने चाहिए और न ही मोरपिच्छ, बांस आदि का पंखा तथा ताड़ का पंखा ही ग्रहण करना उचित है। तथा न ही लोहा, बंग, तांबा, सीमा, कांसा, चांदी, सोना, मणि, मोती या मोती का आधार-पुटक-सीप, शंख, हाथीदांत, हाथीदांत का बना हुआ मणि, सींग, पाषाण, उत्तम कांच, कपडा, चमड़ा अथवा इन सबके बने हुए पात्र तथा दूसरों के चित्त में लेने की उत्कण्ठा और लोभ पैदा करने वाली इसी तरह की अन्य बहुमूल्य वस्तुआ का ग्रहण करना, झपट लेना अथवा उसकी वृद्धि या रक्षा करना मूल गुण आदि से विभूषित अपरिग्रही साधु के लिए उचित नहीं है। संयमी साधु को औषध, भेषज्य (अनेक वस्तुओं के संयोग से बनी हुई दवा) तथा भोजन के लिए फूल, फल, कंद, मूल आदि तथा जिनमें सन नामक धान्य सतरहवां है, ऐसे सभी प्रकार के अनाजों का मन-वचन-कायरूप तीनों योगों से ग्रहण करना ठीक नहीं है।

प्रश्न होता है कि ऐसा न करने का क्या कारण है? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—अनन्तज्ञान और अनन्त-दर्शन के धारक, शील (सदा-चार या समाधि), मूल गुणादि, विनय, तप और संयम के नायक—मार्गदर्शक, सारे जगत् के प्रति वात्सल्य रखने वाले, त्रिलोकपूज्य, केवल ज्ञानियों के इन्द्र तीर्थंकरों ने उक्त फूल, फल, धान्य आदि को त्रसजीवों की योनि के रूप में देखा है; योनि का नाश करना उचित नहीं है, इसी कारण श्रमणसिंह उन फल-फूल आदि का त्याग करते हैं। और जो भात, उड़द या लोभिया (चंवला), अथवा खिले हुए मूंग आदि, गंज नामक भोज्यविशेष, सत्तू, बेर आदि की कुटटी-चूर्ण, भुने हुए या सेके हुए चने आदि अनाज, तिल की कुटटी-

पिट्ठी, मूंग आदि की दाल, पूड़ी या तिल पपड़ी, बेड़मी नामक चोकोर रोटी या मिस्सी रोटी, शक्कर के रस से भरे हुए गुलाब-जामुन, रसगुल्ला आदि, जिनके अन्दर बेसन आदि भरा जाता है, ऐसे कचौरी, समोसे आदि पदार्थ, गुड़ आदि का पिंड, शक्कर मिला हुआ दही—श्रीखंड, दाल के बड़े, लड्डू, खीर, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड़, खांड, मिश्री, शहद, मद्य, मांस, खाजे, अनेक प्रकार के साग, चटनी, रायता, अचार आदि व्यंजन तथा स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ; विधिपूर्वक बढ़िया तरीके से बनाए हुए कुछ भोज्य पदार्थ उचित होने से ग्राह्य हैं; तथापि उपाश्रय-स्थानक में या दूसरे मकान में अथवा जंगल में शास्त्रविहित आचरण करने वाले साधुओं को इन्हें अपने पास संग्रह करके रखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आहार साधु को उद्देश्य करके बनाया गया है, साधु के लिए ही अलग से रखा गया है, मोदक के चूरे से लड्डू बांधकर साधु के लिए तैयार किया गया है, उद्दिष्ट भोजन या भात आदि एक चीज को दही आदि दूसरी चीज के साथ मिलाकर रूपान्तर किया हुआ, भूमि पर बिखरता हुआ, दीपक जलाकर दिया जाने वाला, उधार लेकर तैयार किया गया, साधु और गृहस्थ दोनों के लिए संयुक्त रूप में तैयार किया गया, साधु के निमित्त खरीदा गया, साधु को भेंट के रूप में दिया जाने वाला अथवा दान के लिए, पुण्य के लिए बनाया गया, अथवा बौद्ध आदि धर्मणों तथा याचकों के लिए बनाया गया भोजन तथा जिस आहार के देने के बाद सचित्त पानी से हाथ या बर्तन धोने पड़ें, या दान देने के पूर्व हाथ आदि सचित्त पानी से धोने पड़ें, जो आहार नित्य एक ही घर से लिया जाता हो, सचित्त पानी आदि के ससर्ग से युक्त भोजन, मात्रा से अधिक भोजन, आहार लेने के पूर्व या पश्चात् दाता की प्रसंसा करके या बहुत कहासुनी करके प्राप्त किया गया आहार, मिट्टी तथा गोबर आदि से लिप्त हाथों से दिया गया आहार, तथा नौकर आदि दुर्बल से छीनकर दिया गया आहार, एक व्यक्ति द्वारा अनेक व्यक्तियों के अधिकार का दिया जाने वाला आहार, तथा मदनत्रयोदशी आदि तिथियों में, यज्ञों में, उत्सवों में—खुशियों के मौकों पर या यात्राओं में—मेलों ठेलों में उपाश्रय के अंदर या कहीं बाहर साधु के लिए रखा गया हिंसा तथा सावध कर्मों से युक्त आहारादि हो, उसे भी ग्रहण करना साधु के लिए वर्जनीय है।

प्रश्न होता है, तो फिर कौन-सा आहारादि पदार्थ साधु को लेना

उचित है? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं—जो आहारादि पदार्थ आचारांग सूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पिण्डेषणा नामक प्रथम अध्यायन के ग्यारह उद्देशों में वर्णित दोषों से रहित होने से शुद्ध हो, वह साधु के लिए ग्राह्य है; तथा खरीद कर लाना, प्राणि हिंसा से तैयार करना, अग्नि में पकाना; इन तीनों कार्यों को स्वयं करना, दूसरों से करवाना और करते हुए की अनुमोदना करना; इस प्रकार नौ कोटि के दोषों से रहित जो शुद्ध आहार हो, तथा शक्ति आदि दस दोषों से मुक्त एवं आषा कर्म आदि सोलह उद्गम के तथा घात्री आदि सोलह उत्पादन के दोषों से रहित आहार की गवेषणा से प्राप्त विद्युद्ध भोजन ही साधु के लिए ग्राह्य है। तथा जो आहार सचित से अचित्त हो चुका है, जीवन के संसर्ग से रहित है, आयुक्षय होने से जीवों के द्वारा च्युत है या छुड़ाया हुआ है, या जीवों ने जिसे स्वयं छोड़ दिया है, ऐसा प्रामुक्त आहार साधु के ग्रहण करने योग्य है। जो आहार संयोजनादोष से रहित हो, अंगार दोष से निर्मुक्त हो, धूमदोष से रहित हो, वह भी साधु के लिए ग्राह्य होता है। क्षुधावेदना की निवृत्ति तथा वैयावृत्य आदि छह कारणों के योग से छह काय के जीवों की रक्षा के लिए साधु को प्रति-दिन प्रामुक्त भिक्षान्न पर ही निर्वाह करना चाहिए।

शास्त्रोक्तविधिपूर्वक आचरण करने वाले श्रमण के शरीर में अनेक प्रकार का ज्वर आदि भयानक कष्टप्रद रोग उत्पन्न हो जाने पर, वात की अधिकता से, पित्त और कफ के अत्यन्त कुपित हो जाने पर तथा वात-पित्त-कफ तीनों के संयोग से सन्निपातजन्य व्याधि के उत्पन्न होने पर, तथा सुख के लेश से शून्य, प्रबल-कष्ट से भोगने योग्य, चिरकाल तक अनुभव किये जाने वाले, अत एव कर्कश द्रव्य के समान अनिष्ट गाढ़ दुःख के उदय होने पर अशुभ, कट्ट और कठोर भवकर दारुण फल को भुगाने वाले, जीवन का अन्त करने वाले तथा सारे शरीर में असह्य संताप पैदा करने वाले महान् भय के उपस्थित होने पर भी अचित्त बना हुआ औषध, भैषज्य, आहार-पानी हो, तो भी अपने या दूसरे के लिए संचित करके पास में रखना शास्त्रीय विधि से मुक्त नहीं है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलने वाले पात्रधारी साधु के लिए जो काष्ठ पात्र, मिट्टी के बर्तन या रजोहरण, बस्त्र आदि उपकरण विहित हैं, जैसे कि—

पात्र, पात्र बांधने की झोली, पात्र केसरिका—पात्रप्रमार्जनी पोतिका, पात्र रखने का कम्बल का टुकड़ा, भिक्षा के अवसर पर पात्रों के ढकने के तीन वस्त्र खण्ड—पत्ते, पात्रों को धूल से बचाने के लिए उनके चारो ओर लपेटा जाने वाला वस्त्र, पात्र प्रमार्जन करने का कम्बलखण्ड, दो सूती और एक ऊनी—यों तीन चादरें शरीर पर ओढ़ने के लिए, रजोहरण, चोल पट्टा और मुखवस्त्र इत्यादि उपकरण है। ये सब उपकरण भी संयम की वृद्धि या पुष्टि के लिए तथा हवा, धूप, डांस, मच्छर और ठंड से अपनी रक्षा के लिए हैं। समयी साधु को इन्हे रागद्वेष से रहित होकर धारण करना चाहिए। साधु को प्रतिदिन इनका प्रतिलेखन, प्रस्फोटन—(भटकना) तथा प्रमार्जन करते हुए इन पात्र, भाण्ड तथा उपकरणों को रातदिन सतत अप्रमत्त (सावधान) होकर रखना और लेना—उठाना चाहिए।

व्याख्या

पूर्वोक्त सूत्रपाठ में खासतौर से अन्तरंग परिग्रह से निवृत्ति के लिए एक बोन से लेकर तेतीस बोन तक के शिक्षावचनों का प्रतिपादन शास्त्रकार ने किया था। अब इस सूत्रपाठ में अपरिग्रहवृत्ति का माहात्म्य एवं उसकी साधना के लिए सहायक गुणों का निरूपण करते हुए अपरिग्रह वृत्ति की साधना के लिए किन-किन कल्पनीय वस्तुओं को ग्रहण करना योग्य है तथा किन-किन कल्पनीय वस्तुओं को भी किस हालत में ग्रहण करना उचित नहीं है और किम हालत में उचित है? इस प्रकार बाह्यपरिग्रह भाव से मुक्त या निलिप्त रहने का स्पष्ट विवेक बताया है।

जब तक साधक के दिल-दिमाग में यह बात भली भाँति जम न जाय कि अपरिग्रह वृत्ति से साधुजीवन कितना शान्त, निश्चिन्त, भाररहित, स्वपरकल्याण-साधना में उपयोगी, आत्मिकसुख सम्पन्न, निरपेक्ष, निःस्पृह आकांक्षारहित एवं निर्द्वन्द्व बन जाता है, तब तक वह सहसा अपरिग्रहसंवर के उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। यदि श्रद्धावश प्रवृत्त हो भी गया तो आगे चल कर संसार के विविध सुभावने प्रलोभनों, आकर्षणों या इन्द्रियविषयों के मायाजाल में फस कर बाहर में अपरिग्रही वेप रखकर भी अन्दर ही अन्दर परिग्रही बना रहेगा, दम्भ करके स्वरपरवंचना करता रहेगा। इसी हेतु से शास्त्रकार ने सर्वप्रथम अपरिग्रहसंवरद्वार के पाँचों प्रकार के संवरों में श्रेष्ठ वृक्ष की सांगोपांग उपमा दी है।

अपरिग्रहसंवर : श्रेष्ठ संवरवृक्ष—संसार में वृक्ष ही एक ऐसा पदार्थ है, जो जीवों की जीवनशक्ति का पोषण करता हुआ, समस्त इन्द्रियविषयों की पूर्ति

करता है। साथ ही स्वयं सर्दी, गर्मी, वर्षा और आफतों सहकर पक्षियों को छाया देने वाला, पक्षियों को बसेरा देने वाला, अपने फल, फूल, पत्तों आदि से तथा अपने जीवनरस से अनेको प्राणियों को जीवनदान देने वाला उपकारी वृक्ष ही होता है। वह मान-अपमान में भी सहिष्णु बना रहता है। इसी कारण शास्त्रकार ने अपरिग्रह-संवर को भी संवर के महावृक्ष की उपमा दी है।

अपरिग्रहसंवर रूपी श्रेष्ठ वृक्ष के अगोपांग तथा उसका क्रियाकलाप इस प्रकार है—

जिस वृक्ष का जितना अधिक विस्तार—फैलाव होता है, वह उतना ही अधिक छायादार एवं शान्तिदायक बनता है—इस दृष्टि से अपरिग्रहसंवरवृक्ष के फैलाव का कथन किया है। भगवान् महावीर के प्रवचनों से उत्पन्न होने वाले विविध क्षयोपशम आदि अनेक भावों से मन में परिग्रह से विरक्ति हो जाती है तो साधक के मन में अनेक प्रकार के त्याग, नियम, प्रत्याख्यान और तप के शुभ विचार उठते हैं। यही अपरिग्रहवृक्ष का फैलाव है। अपरिग्रहवृक्ष की जड़ है—सम्यग्दर्शन। क्योंकि बीतराम अपरिग्रही देव, मार्गदर्शक गुरु और धर्म इन तीनों के प्रति दृढ़ श्रद्धा हुए बिना अपरिग्रहवृक्ष टिक नहीं सकता। अतः सम्यक्त्व पर ही अपरिग्रहवृक्ष अपनी जड़ जमाए हुए है। धैर्य—चित्त की स्वस्थता ही इसका कन्द है, स्कन्ध का अधोभाग है। चित्त की स्वस्थता के बिना अपरिग्रहवृत्ति स्थायी रूप से पनप नहीं सकती। वृक्ष के चारों ओर वेदिका—बला बना देने से उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। यहाँ अपरिग्रहवृक्ष की वेदिका विनय है। विनय के बिना अर्थात् अपरिग्रहवृत्ति रूप आचार के प्रति घृणा और अनादर-बुद्धि या उपेक्षा पैदा होगी, तो उस वृक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिए अपरिग्रहवृक्ष की सुरक्षा के लिए विनयवेदिका अनिवार्य है। अपरिग्रहसंवर विलोचन से अपनी साधना करने वाले साधक को सर्वत्र प्रसिद्ध कर देता है, उसके नाम और कार्यों का डंका भूमंडल में बज जाता है। इसलिए तीनों लोकों में व्याप्त विस्तीर्ण यश ही अपरिग्रहवृक्ष का विशाल, घना, स्थूल और सुन्दर स्कन्ध है। पाँचों महाव्रत इसकी विशाल शाखाएँ हैं। वास्तव में अपरिग्रहवृत्ति या जाने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य सहजरूप से जीवन में आ जाते हैं। इसलिए ये शाखाएँ बन कर अपरिग्रहवृक्ष को मजबूत बनाते हैं। अनित्यत्व आदि १२ भावनाएँ इस अपरिग्रहवृक्ष की छाल हैं। जैसे छाल वृक्ष के शरीर की रक्षा करती है, सर्दी गर्मी आदि से बचाव करती है, वैसे ही अनित्यता भावनाएँ साधक के अपरिग्रही-जीवन में उत्साह, स्फूर्ति, श्रद्धा, रुचि और तीव्रता भरकर कठिन कष्टकर प्रसंगों के

समय में भी अपरिग्रहवृत्ति में स्थिर रखती हैं और लोभ, अभिमान, मोह, काम आदि बाधाओं से साधक के अपरिग्रही जीवन को बचाती हैं। ये बार-बार साधक को प्रेरणा देती हैं कि "जिन वस्तुओं को ग्रहण करने या पाने के लिए तुम आतुर हो रहे हो, वे सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, तुम्हें शरण देने वाली नहीं हैं। तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हैं, तुम्हारी आत्मा से भिन्न हैं, शरीर में जाकर वे गदगी बढ़ाती हैं अथवा लड़ाई-झगड़े आदि की गदगी बढ़ाती हैं, कर्मबन्धन की कारण हैं, तुम पर आधिपत्य जमा कर तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी स्वतन्त्रता का हरण करने वाली हैं, धर्म-विमुख करने वाली हैं।" इसके अलावा धर्म आदि शुभ ध्यान, शुभयोग और ज्ञान-विशेष इस वृक्ष के अकुर और श्रेष्ठ पत्ते हैं। मूलगुण, उत्तरगुण आदि या धैर्य, समता, सहिष्णुता, अनासक्ति आदि बहुत-से गुण ही इस अपरिग्रहवृक्ष के फूल हैं, जो इसके वैभव को बढ़ाते हैं। इहलौकिक फल की निरपेक्षतारूप समाधि या निस्पृह प्रवृत्तिरूप सदाचार ही इस महावृक्ष की सुगन्ध है। अनाश्रव - कर्मों के आगमन का निरोध ही इसके फल हैं। वास्तव में अपरिग्रहवृत्ति परिपक्व हो जाने पर कर्मों का आगमन प्रायः कम हो जाता है। मोक्ष के लिए जो बोधिवीज है, वही इसका बीजसार है—बीज का सारभूत तत्त्व मिजा है। मेरुपर्वत के शिखर के समान समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष का मार्गभूत निर्लोभत्व इमका शिखर है। अपरिग्रहवृत्ति में निर्लोभता ही परले सिरे पर रहनी है। वही जीवन की हर प्रवृत्ति में ऊपर-ऊपर धिरकती रहती है। साधनापव में निर्लोभतारूप सर्वोच्च शिखर के नजर पड़ते हो, साधक परिग्रहवृत्ति से सावधान हो जाता है। इम प्रकार अन्तिम मवरद्वार एक श्रेष्ठ संवरवृक्ष है, जो अपरिग्रही के जीवन के लिए आधार है।

अपरिग्रही के लिए क्या घ्राह्य है, क्या अघ्राह्य ?—चूँकि अपरिग्रहशब्द में कुछ भी ग्रहण न करने का भाव आ जाता है; इसलिए सामान्य साधक चक्कर में पड़ जाता है कि जब सभी चीजें सर्वथा ग्रहण करने का निषेध अपरिग्रह-सवर में आ जाता है तो फिर साधक का जीवन कैसे चलेगा ? शरीर के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, कुछ चीजें समय पालन के लिए भी आवश्यक होती हैं। उन्हें ग्रहण किये बिना साधक का शरीर नहीं टिक सकता और शरीर नहीं टिक सकता तो उसकी धर्म-साधना कैसे होगी ? इस गुल्मी को सुलझाने के लिए शास्त्रकार मध्यममार्ग बताते हैं, जिससे साधक के जीवन में संयम का भी पालन हो जाय और शरीर भी टिका रह सके, परिग्रह से होने वाले दोष भी न लगे और अपरिग्रहवृत्ति का भी पालन हो जाय।

अपरिग्रही साधक के लिए संग्रह करके रखना परिग्रहवृत्ति है—यद्यपि परिग्रह के लक्षणों के बवसर पर हम पूर्णतया स्पष्ट कर चुके हैं कि वस्तुओं के केवल

ग्रहण करने भर से परिग्रह नहीं हो जाता और बाहर से वस्तुओं को बिना सोचे-झमझे अज्ञानवश छोड़ देने से या न रखने से कोई अपरिग्रही भी नहीं बन जाता ।

इसीलिए शास्त्रकार ने अपरिग्रही साधु के लिए साफ-साफ कहा है 'न कल्प्यं ... अण्वं च बह्वं च अणुं च धूलं च मणसाधि परिचेत्' ... परस्म अन्तोववायलोभ-ज्वन्वाद् परियद्देवं ... तिहिचि जोगेहि परिचेत्' ।

साधु कई दफा यह सोच लेता है कि कोई चीज जंगल में पड़ी है, वह किसी की मालकी की नहीं है, और न वह किसी के अधीन है, प्रकृति का भंडार खुला है, पानी, फल, वनस्पति, अनाज आदि यों ही पड़े हैं, साधु उसमें से जरूरत के अनुसार ले ले और उपयोग करले तो क्या हर्ज है? मगर अपरिग्रही साधु के लिए शास्त्रकार उपर्युक्त पक्तियों में साफ-साफ निषेध कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज चाहे वह फालतू ही पड़ी हो, या कम कीमती की हो, परन्तु साधु के लिए लेना उचित नहीं है । इसके पीछे दो कारण हैं । एक तो यह है कि सोना, चादी, खेत, मकान, दासी-दास, नौकरचाकर, हाथी-घोड़ा, रथ, पालकी, सवारी, छाता, जूता, पखा, ताबा, लोहा, रागा, जस्ता, कासा, मणि, मोती, सीप, शंख, हाथीदांत, कांच, सीस, पत्थर, चमड़ा या कीमती रेशमी कपड़ा या अन्यान्य कीमती रंग बिरंगी व फैशनेबल वस्तुएं, जिनको देखकर दूसरो का जो लेने के लिए ललचाए या जिनके लिए हत्या आदि करे, ऐसी बेशकीमती चीज साधु के सयमपालन के लिए कतई उपयोगी नहीं है । इन्हें ममत्वपूर्वक रखने से अन्य अनेक दोषों के बढ़ने की सम्भावना है । क्योंकि जमीनजायदाद, धन दौलत और मकान आदि के लिए दुनिया में सगे भाइयो, पिता-पुत्र एव ससुरदामाद आदि में भी परस्पर भयंकर झगड़े, युद्ध मुकद्दमे-बाजी हत्या, मारपीट, दगाफिसाद आदि हुए हैं । साधु इन चीजों में से किसी भी चीज को लेकर व्यर्थ ही एक नई आफत मोल ले लेगा । फिर इन चीजों को लेकर साधु भी साधुओं में भी परस्पर कलह और मनोमालिन्य बढ़ेंगे, आत्मशान्ति स्वाहा हो जायगी, जीवन की उत्तम साधना खटाई में पड़ जायगी ।

इनके निषेध करने का दूसरा कारण यह है कि साधु यदि इन चीजों को रखने लगेगा तो उसे मन ही मन इन चीजों को अपने भक्तों से लेने की चाह बढ़ेगी, उसके लिए वह यंत्र, मंत्र, चमत्कार, ज्योतिष आदि के प्रयोग लोगों को बताएगा । आखिर उसे धनाढ्यों या सत्ताधीशों की गुलामी, खुशामद या जीहजूरी करनी पड़ेगी । उसकी स्वाधीनता लुट जायगी, वह धनवानों के हाथों में बिक जायगा और उन्हीं की हां में हां मिलाएगा । उनके गलत कारनामों का भी समर्थन करता रहेगा । उनके गलत कामों को भी आक्षेप देने लगेगा । कदाचित् कोई साधु गुलामी न करे तो भी उसकी आत्मा तो इस अनावश्यक परिग्रह के बोझ से दब ही जायगी,

उसकी तेजस्विता और सत्यवादिता खत्म हो जायगी। इन चीजों के ग्रहण करने के पीछे निषेध का तीसरा कारण यह है कि एक बार साधु को इन चीजों के रखने की बात पड़ जायगी तो फिर उसे उन चीजों को बढ़ाने की धुन सवार होगी। इस प्रकार करने पर उसकी साधना मिट्टी में मिल जाएगी।

इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे चौथा कारण यह है कि साधु की अपरिग्रहवृत्ति फिर खत्म हो जाएगी। उसमें वह टूटता नहीं रहेगी, वह त्याग नहीं रहेगा, जिसे देखकर नरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी उसके चरणों में झुकते हैं। स्वपर-कल्याण की साधना भला इस झंझट में पड़ जाने पर कैसे हो सकेगी ?

इसलिए शास्त्रकार ने उपर्युक्त सूत्रपाठ में स्पष्ट कर दिया है कि चीज चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, कम कीमती हो, या बेशकीमती हो, प्रत्यक्ष में किसी की मालिकी की हो या न हो, जंगल में पड़ी हो, खेत में पड़ी हो, घर में रखी हो या किसी गाव, नगर, खान आदि में रखी हो, अथवा उस वस्तु का मालिक खुशी से साधु को भेंट दे रहा हो, अथवा प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करने की अनुमति दे रहा हो, किन्तु साधु को उसे हाथ से छूना तो दूर रहा, मन से भी ग्रहण करने का विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु ने मोह का त्याग किया है। अतः मोह की वृद्धि करने वाले इन पदार्थों से उसे मन, वचन और काया से सदा दूर रहना चाहिए। अन्यथा उनके उपाजन में अनेक हिसाबि पापकर्म करने पड़ेंगे, उनकी रक्षा के लिए 'बाबाजी की लगेटी' वाली कड़ावत की तरह सतत चिन्तित रहना पड़ेगा और उनके वियोग हो जाने पर हृदय में अत्यन्त दुःख होगा। मोही जीव ही इन पदार्थों के अर्जन, रक्षण और और बर्द्धन में सदा दत्तचित्त रहता है। साधु को ऐसे प्रपच में पड़ने की क्या जरूरत है ?

फिर साधु तो स्वावलम्बन पर आरुढ़ हुआ है। अपनी तमाम क्रियाएँ प्रायः वह स्वयं अपने हाथ से ही कर लेता है। इसी कारण वह साधु जीवन अमीकार करने से पूर्व ही दासी, नौकर-चाकर आदि सेवक, हाथी-खोड़े, रथ, पालकी आदि सवारियों का त्याग कर चुका है। तब से ही वह आत्मावलम्बी हो कर विचरण कर रहा है। उसे अब इन परावलम्बी बनाने वाले साधनों की क्या जरूरत है ? क्योंकि परावलम्बी व्यक्ति सदा संक्लेश पाता है। निर्बल आत्मा ही सदा बुराई का सहारा ढूँढ करता है। फिर परावलम्बी हो जाने पर राग द्वेषादि बन्धन बार-बार आते हैं। इसी कारण मोक्षार्थ का अभिलाषी साधु इन सब पराश्रयों का त्याग कर अपने सब काम प्रायः अपने हाथ से ही करके सुखी रहता है। शास्त्रकार ने इसीलिए दास दासी, नौकर चाकर तथा समस्त प्रकार के बाहनों के निषेध के उपरान्त छाता,

जूता, पंखा, आदि पराश्रित बनाने वाले साधनों को ग्रहण करने का भी निषेध किया है। निषंध्य श्रमण न तो छाता रखता है, न पन्ना ही रखता है, और न जूते पहनता है। जबकि अन्य धर्मसम्प्रदायों के साधु उक्त सब चीजें रखते हैं और इनका यथासमय उपयोग भी करते हैं। जैनश्रमण मोहादि कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए उद्यत रहता है। वह मोहजनक या राजसी ठाठबाठ के दिखावे की चीजों से दूर रहता है। इसी प्रकार वह अन्तरंग में मोहोत्पादक एवं बाह्यरूप में हिंसादि पापों के जनक लोहा, ताबा, सीसा, रांगा, कासा, चादी, सोना, मणि, सीप, मोती, शक, हाथीदांत, सीप, उत्तम काच, रेशमी वस्त्र और चमड़ा तथा इनमें से किसी चीजके बने हुए बहुमूल्य बर्तन आदि का ग्रहण और संग्रह करना तो दूर रहा, मन से भी उन्हें अपने निश्चाय (अधीन) में रखने का नहीं सोच सकता। इसीलिए ये सब उसके लिए निषिद्ध बताए हैं।

अब ही ऐसी चीजें जो जगल, बगीचे या खेत में पैदा होती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका जगल में कोई मालिक भी नहीं होता, प्रकृति के मंडार में यो ही पडी रहती हैं, जैसे कि—फूल, फल, कद, मूल, (जड़ी-बूटी, औषधि) तथा १७ प्रकार के अनाजों में से कोई अनाज आदि। पूर्वोक्त निषेधवचन से तथा वैसे भी सचित्त वस्तु ग्रहण करने का साधु के लिए निषेध होने से साधु को इन चीजों के ग्रहण करने की कतई मनाही है। किन्तु उसके सामने एक विकल्प तो यह बना ही रहता है कि मानलो, कभी रोग, बीमारी या भोजन न मिलने का संकट उपस्थित हो गया तो वह क्या करे? क्या वह इन प्रकृतिदत्त चीजों को ले ले या संग्रह करके अपने पास रखले? न रखे तो ऐसे समय में शारीरिक संकट को दूर करने का क्या उपाय है? इन सब विकल्पों का योग्य समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि ये फल, फूल, अनाज आदि सचित्त है, तथापि यदि ये सूख कर अचित्त हो जाय, इनमें से बीज आदि निकल कर अलग हो जाय अथवा बीज में उगने की शक्ति नष्ट हो जाय, तब भी इन्हें ग्रहण करना उचित नहीं है। इसका समाधान वे यों करते हैं कि विषवत्सल, विषवन्ध, अनन्तज्ञानदर्शन के धारक, शील गुण विनय तपः संयमादि के मार्ग दर्शक तीर्थंकरों ने अपने ज्ञान से जान-देखकर इन्हें (कन्द आदि तथा श्रीहि आदि धान्यों को) त्रसबीबो की बोन (उत्पत्ति स्थान) बताया है। यानी कंदमूलादि तथा श्रीहि आदि धान्य हरित अवस्था में स्थावर एकेन्द्रिय वनस्पति कायिक जीवों के आश्रयभूत हैं, लेकिन सूख जाने के बाद उनके केवल शरीर मात्र रह जाते हैं। वनस्पतिकाय के जीव उनमें से च्युत हो जाते हैं। किन्तु बायुविशेष तथा अन्य निमित्तों के मिलने पर उन सूखे कन्द्यादि या धान्य आदि में त्रसबीब उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण पद्बीब निकाय के रक्षक साधुओं के लिए हिंसा वीप के भय से उनको ग्रहण करना वर्जित बताया है।

रोग, बीमारी, आतंक या आकस्मिक भोजन का अभाव आदि के संकट की समस्या के समाधान के लिए सीधा मार्ग भिक्षावृत्ति का महापुरुषो ने बताया ही है। ऐसे समय में तो कोई न कोई श्रद्धालु श्रावक औषध या पथ्ययुक्त आहार के दान से साधु की सेवा करके अपने को धन्य मानता है। फिर भी कोई आकस्मिक संकट आजाए तो साधु को धीरता पूर्वक उसका सामना तपोबल से करना चाहिए। परिश्रम सहन करने में ही उसकी बीरता है। विधि पूर्वक भिक्षा के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त हो जाय, उसी में सतुष्ट रहने में ही साधु जीवन की शोभा है।

अब रही ऐसी चीजें, जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाई हैं, अचित्त है, साधु के लिए आहार के रूप में ग्राह्य हैं और उन्हें कोई श्रद्धालु गृहस्थ साधु के उपाश्रय (धर्म स्थान) में या धर्मस्थान के सिवाय किसी दूसरे मकान में या कहीं जगल में साधु के लिए रखना चाहता है या रखने के लिए देना चाहता है, जैसे कि भात, दाल, सत्तू, तिलपिट्ठी, बेंर आदि का अटा, सेके या मुने हुए चने आदि अनाज, पूड़ी, दहीबड़, श्रीखंड, खीर, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, छाड़, मिश्री, महद आदि चीजें। क्या साधु इन चीजों को ले ले या अपने पास संग्रह करके रख ले ? इसका स्पष्ट निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—‘न कल्पति तंषि सन्निति काउं सुविहितानं’ यानी ये अचित्त और कल्पनीय चीजें भी सुविहित साधुओं को संग्रह करके अपने पास रखनी या रखानी कल्पनीय—उचित नहीं हैं। इस निषेध के पीछे एक कारण तो यह है कि साधु रात्रि को खाने-पीने की कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकता है और न कहीं अपने लिए रखवा सकता है। इसलिए संग्रह करके रखने पर उसे परिग्रह दोष लगेगा। दूसरा कारण यह है कि साधु परिव्राजक है, उसे कहीं एक जगह जम कर रहना भी नहीं है, इसलिए वहाँ से अन्यत्र विहार करने पर उन संगृहीत चीजों की चिन्ता उसे करनी पड़ेगी। या मान लो, कोई अत्यन्त वृद्ध या अशक्त होने से एक जगह स्थिरवास हो जाय तो भी उसे उन संगृहीत चीजों की बार-बार चिन्ता और देखभाल करनी होगी तथा उनमें कोई जीवजन्तु पड़ जाये तो उनकी विराधना भी होगी। फिर संग्रह करने की वृत्ति होने पर साधु उसी जगह मोहवश कोई न कोई बहाना बना कर रहने लगेगा। उसकी समयशील वृत्ति में मोह ध्यंकर बाधा पहुंचाएगा। तीसरा कारण यह भी है कि फिर वह आलस्यवश भिक्षा के लिए नहीं जाएगा और रात्रिभोजन का त्याग होते हुए भी मोहवश उन चीजों में से कदाचित् कुछ सेवन भी करलेगा। यह भी उसके लिए व्रतभंग का दोष होगा। चौथा कारण यह भी है कि फिर साधु अपने किसी श्रद्धालु भक्त को उसमें से देने भी लगजाय या विक्रय करने की वृत्ति आजाय। यह भी बहुत बड़ा क्षतरा है, उसके साधु जीवन के लिए। एक कारण यह भी है कि साधु के जीवन में फिर अपरिग्रह वृत्ति या

आकाशवृत्ति—निसर्ग निर्भरता नहीं रहेगी । वह बात-बात में संग्रह करने को साक्षायित हो जायगा । उसे यह विश्वास नहीं रहेगा कि कल मुझे आहार मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार अपरिग्रहवृत्ति पर उसका विश्वास डगमगा जाएगा ।

इन सब कारणों को लेकर साधु को कल्पनीय अचित्त वस्तुओं का भी दूसरे दिन के लिए संग्रह करने का निषेध किया है । इसीलिए दशबैकालिक सूत्र में अपरिग्रही साधु के लिए ऐसा स्पष्ट विधान है—

बिहमुक्तेभ्यं लोणं तित्स्वं सप्यि च फाणियं ।
 ण ते सन्निह्मिच्छति नायपुत्तवओरया ॥'

अर्थात्—जो ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के वचनों के श्रद्धालु अपरिग्रही साधु हैं, वे दोनो प्रकार के नमक, तिल, घी, तिलपपड़ी आदि अचित्त वस्तुएं भी संग्रह करना नहीं चाहते ।

उद्दिष्ट, स्थापित आदि बोधयुक्त आहार भी भ्रमण के लिए अचित्त—अब सवाल यह होता है कि जब साधु को आपत्काल के लिए भी अचित्त भोज्य पदार्थों के संग्रह करने से इन्कार कर दिया है, तब वह ऐसे मौके पर जबकि आहार सुलभ न हो, तब श्रद्धालु भक्त द्वारा साधु के लिए बनाया हुआ, उसी के निमित्त रखा हुआ, खरीदा हुआ या पहले या पीछे दाता की प्रशंसा करने से प्राप्त होने वाला या अपनी विशेषताओं की अधिक डींगे हाकने से प्राप्त होने वाला अथवा किसी से जबर्दस्ती छीनकर दिया गया, या दूसरे के अधिकार का उसकी अनुमति के बिना किसी दूसरे से दिया गया, या सामने लाकर दिया गया, अथवा उधार लेकर दिया जाने वाला, दीपक जलाकर दिया गया, भेंट के रूप में दिया गया, बौद्धभिक्षुओं या याचकों के लिए बनाए गए आहार में से दिया जाने वाला, या दान-पुण्य की दृष्टि से बनाया गया आहार, अथवा एक ही श्रद्धालु दाता के घर से रोजाना लिया जाने वाला आहार या गृहस्थ के यहाँ रखे हुए आहार में से स्वयमेव ग्रहण किया हुआ आहार अथवा तिथियों, यज्ञों, उत्सवों, पर्वों पर उपाध्यय के अन्दर या बाहर साधु के लिए खास तौर से रखा गया आहार से या नहीं ? इसके उत्तर में शास्त्रकार स्पष्ट इन्कार करते हैं—'अपि उद्दिष्ट-उच्चि-रच्चि . . . उच्चिं हिंसासाधकवत्संपत्तं न कल्पति तं पि य परिचंस्तु ।' संक्षेप में आशय यह है कि पूर्वोक्त दोषों से मुक्त दिया गया आहार भी हिंसा और साधकत्वों से लिप्त होने के कारण अपरिग्रही भ्रमण को सेना उचित नहीं है । इसके आगे संग्रह करने का पुनः स्पष्ट निषेध शास्त्रकार करते हैं—'अपि य सप्यस्त सुबिह्विस्त उ रोवाचंके . . . सप्यस्तीरपरितावकंरं

न कल्पति सारित्से वि तह् अप्वणो परस्स वा..... संपि संनिहिकयं ।' इसका आशय भी यह है कि कौसी भी रोगातंक की या मरणासन्नता की स्थिति हो, वातपित्त कफादि प्रकोप से अनेक रोग, यहाँ तक कि सन्निपात भी हो जाय या सारे शरीर में असह्य पीडा पैदा हो जाय, कर्मों के तीव्र उदय से मरणान्त कष्ट पैदा हो जाय, तो भी साधु को अपने या दूसरे के लिए औषध, भ्रूषज्य या भोजनपान का संचय करके रखना उचित नहीं है ।

अपरिग्रही के लिए कंसा आहार ग्राह्य है ? अन्त में, शास्त्रकार स्वयं इस सुत्थी को सुलझाने के लिए निम्नोक्त पक्तियाँ देते हैं—'अं तं एषकारसंपिडवायसुद्धं नवकोडीहि सुपरिसुद्धं .. फामुकेण भिक्खेण चट्टियज्जं ।' इन सूत्र पक्तियों का अर्थ पदान्वयार्थ तथा मूलार्थ में हम स्पष्ट कर चुके हैं । तात्पर्य यह है कि भिक्षा-विधि के या आहार-ग्रहण सेवन के जो दोष पहले अहिंसासवर के प्रकरण में बता चुके हैं, उन तमाम दोषों से रहित, नवकोटिशुद्ध तथा अगार-धूम-सयोजनादि दोषों से मुक्त, प्रासुक, एषणीय तथा छह काय के जीवों की रक्षा के लिए शास्त्रोक्त ६ कारणों से निया गया शुद्ध आहार ही साधु के लिए ग्राह्य है । प्रासुक भिक्षा पर ही साधु को जीवन निर्वाह करना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि साधु का जीवन सर्वसपत्करी भिक्षा पर निर्भर है । भिक्षा की जो विधि शास्त्र में बताई गई है, उसी के अनुसार निर्दोष आहारादि ग्रहण करने पर अहिंसा की भी रक्षा हो जाती है, अपरिग्रह व्रत की भी रक्षा हो जाती है और समय का भी शुद्ध रूप से पालन हो जाता है, शरीर भी टिकया जा सकता है । शास्त्र में साधु के लिए ६ कारणों से आहार-सेवन करना विहित है—'क्षुधावेदना को मिटाने के लिए, सेवा (वैयावृत्य) कर सके, इसके लिए, ईर्या-शोधन कर सकने के लिए, संयम पालन करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और धर्मादाधना या धर्म चिन्तन के लिए ।' अतः धर्मवीर साधु को सदा यह चिन्तन करना चाहिए कि मुझे केवल अपने शरीर को पुरुष्ट करने के लिए ही आहार नहीं लेना है, न इन्द्रिय विषयों के आसक्ति पूर्वक सेवन के लिए लेना है और न ही जिह्वालाससा को शान्त करने के लिए आहारादि लेना है । अपरिग्रह की दृष्टि से न तो मुनि को सचित्त वस्तुएँ ग्रहण करना है और न अचित्त वस्तुओं को भी संग्रह करके अपने पास रखना है ।

१ देखिये वह भाषा—

'वेद्यज-वेद्यावज्जे ईरियदुत्ताए व संजमदुत्ताए ।

तह् पाणवत्तियाए छट्ठं पुण धम्मचित्ताए ॥'

हैं, यदि बीमारी आदि में किसी दवा आदि की जरूरत पड़ जाय तो वह दिन में गृहस्थ के घर से ला कर दिन-दिन रख सकता है, रात्रि को नहीं।

कुछ संका-समाधान—यहाँ 'अपिच ओदण ... विधिमाहिक पचीयं'—इस सूत्रपाठ में 'मच्छ-मंस' शब्द आया है; साधु तो मद्य-मांस-सेवन के पूर्ण त्यागी होते हैं; वे सेवन करना तो दूर रहा, इन्हें ग्रहण भी नहीं करते। फिर यहाँ इस निषेधात्मक सूत्रपाठ में मद्य-मांस के संग्रह का निषेध करने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि यद्यपि साधु मद्यमांस का त्यागी होता है, लेकिन भिक्षाटन करते-करते कदाचित् ऐसे गृहस्थ के यहाँ अचाने पहुँच जाय, जो मांसादि अभक्ष्य पदार्थ सेवन करता हो; वह गृहस्थ भक्तिवश अन्य भक्ष्य पदार्थ की भांति उक्त पदार्थ को भी साधु के पात्र में डाल दे; तब साधु अन्य पदार्थ की भांति उनका उपाश्रय आदि में संग्रह न करे अपि तु तत्काल दाता गृहस्थ को लौटा दे, यदि वह न ले तो परिष्ठापन कर दे। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ मद्यमांस का उल्लेख किया है।

वैसे साधु के लिए तो ग्वा, प्रत्येक मनुष्य के लिए, खासतौर से आर्य पुरुषों के लिए जैनशास्त्र में मद्य और मांस के सेवन का सर्वथा निषेध है। नीचे हम कुछ शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

ज्ञातासूत्र के १६ वें अध्याय में समस्त प्राणियों का आहार ७ प्रकार का बताया है—'विजसं असणं पार्थं साइमं साह्वं सुरं च मज्जं च मस च।' उनमें से मनुष्यों का आहार सिर्फ चार प्रकार का बताया है—

'मनुस्सानं चउज्जिहे आहारे पण्णसे, तं असणे जाव खातिमे।

(—ठाणांग सूत्र ठा-४ उ-४)

अर्थात्—'मनुष्यों का आहार चार प्रकार का बताया है—अन्न, पान, स्वादिम और खादिम।'

इससे स्पष्ट है कि आगम में मद्यमांस को मनुष्यों का आहार नहीं बताया है। मनुष्य मात्र के लिए उनके सेवन का निषेध है। फिर मांसभक्षण करने से नर-कामु का बंध होना स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में बताया है—

'अज्जिहे ठाणेहि जीवा भेरसियस्ताए कम्मं पकरेसि, तं ज्जहा—'महारंभत्तात्ते, महापरिग्गहत्ताए, पच्चियि-वहेथं, कुमिमाहारेणं।'

अर्थात्—चार कारणों से मनुष्य नारक बनने के लिए आनुष्यकर्म का बन्ध करता

है—महारम्भ करने से, महापरिग्रह रखने से, पचेन्द्रिय जीवों का वध करने से और मांसाहार से ।

व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र शतक ८ उ० ६ में तथा औपपातिक सूत्र वीरदेशना में भी 'कुण्ठिम' शब्द का मांस अर्थ ही किया गया है । जैसे—'कुण्ठिमाहारं इति—मांस-भोजनेनेति' 'कुण्ठिमं मांसमिति ।'

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में मनुष्यों द्वारा सम्यमर्यादा की प्रतिज्ञा के समय सर्वप्रथम मांसाहार आदि अशुभ पदार्थ का सेवन करने वाले की छाया भी शरीर पर नहीं पड़ने देने का यानी एक पक्षि में बैठ कर मांसाहारी के साथ भोजन न करने का स्पष्ट उल्लेख है । देखिये वह पाठ—

'अहं केद्व अन्नपनिई असुभं कुण्ठिमं आहार आहारिस्सइ, से ण अणेगाहि छायाहि वण्णणिज्जेति कट्टु संठिइं ठवेस्संति ।'

उपासकदशानसूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रमणोपासक के सातवें उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत के ग्रहण करने के समय उपयोग्य और परिभोग्य वस्तुओं में मद्य और मांस का जरा भी उल्लेख नहीं है । अगर श्रमणोपासक के लिए ये दोनों चीजें सेवनीय होती तो यहाँ आहार बगैरह की मर्यादा के समय इन दोनों का भी नामोल्लेख जरूर होता । परन्तु यहाँ नामोल्लेख न होने से स्पष्ट है कि गृहस्थ श्रावक की मर्यादा में भी ये दोनों चीजें वर्जित हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ७ वें अध्ययन में मद्य-मांस-सेवनकर्ता को नरकायु का बन्ध बताया है । वह पाठ यह है—

“इत्थी - विसवगिद्धे व महारंभ - परिग्रहे ।
सुंअभाणे सुरं मंसं परिकूडे परबने ॥६॥
अवकक्करभोई व सुंठिल्ले चियलोहिए ।
मात्तयं नरए कंसे अहाएत्तं व एएए ॥७॥

इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त समवायागसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र अ० ३१, स्थानागसूत्र स्थान ६, श्रमणसूत्र आदि अनेक सूत्रों में मांस-मद्यसेवन के निषेधक अनेक प्रमाण मिलते हैं । इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि साधु के लिए ही क्यों, श्रमणोपासक एवं आर्य, सम्य गृहस्थ तक के लिए मांसमद्य संबंधी निषिद्ध हैं ।

साधु के लिए ब्राह्मण धर्मोपकरण अब सवाल यह होता है कि जब साधु अपरिग्रही होने के नाते अपने पास संग्रह करके भोजन, औषध, धैर्य आदि नहीं रख सकता; तब क्या अपने संयमी जीवन के लिए उपयोगी एवं अनिवार्य वस्त्र-पात्र भी नहीं रख सकता ? इसके उत्तर में शास्त्रकार स्वयं समाधान करते हैं—'अपि सर्व-

वस्तु बुभ्रियस्व तु पश्चिन्मह्वारिस्व भवति भाषण - भंबोवह्निउत्वरम्.....
परिहरियस्व— इन सब सूत्र पणितयो का अर्थ तो मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट
किया जा चुका है; सिर्फ इनके पीछे शास्त्रकार का आशय स्पष्ट करना शेष है।

यद्यपि यहाँ जो भी उपकरण विहित बताये गए हैं, वे स्थूलदृष्टि से देखने
वाले को परिग्रह ही लगेंगे, किन्तु शास्त्रकार की दृष्टि परिग्रह के वास्तविक अर्थ की
ओर है। इसलिए वे इन सब उपकरणों के साथ परिग्रहदोष एव हिंसादोष को
टालने एव इन्हे अपरिग्रही के लिए ग्राह्य और रखने योग्य मानने पर ही जोर देते
हैं। इसके लिए दशवैकालिकसूत्र का प्रमाण हम परिग्रह-आश्रव के प्रकरण में प्रस्तुत
कर चुके हैं। वहाँ 'संजमलकजट्टा धारति परिहरति य' (सयमपालन और लज्जा-
निवारण के लिए धारण करते हैं, और पहनते हैं) कह कर उन सब वस्त्रपात्रादि
धर्मोपकरणों को 'न सो परिग्रहो बुत्तो' कह कर परिग्रह मानने से सर्वथा इन्कार
किया है। यहाँ भी इनको परिग्रहत्वदोष से रहित बताने के लिए वे कहते हैं—
'एयं पिय संजमस्स उवबुहणट्ठयाए वायायव-वंसमसगसीयपरिक्खणट्ठयाए उवम-
रण रागबोसरहियं परिहरियस्व'।

अर्थात्—ये सब परिगणित उपकरण भी समय की वृद्धि या सहायता के लिए,
हवा, धूप, डाम, मच्छर और सर्दी से रक्षा के लिए हैं, इन्हें राग-द्वेषरहित हो कर
रखना चाहिए। और साथ ही इनके पास में रखने से, उनके उठाने-रखने में या
देखभाल न होने की स्थिति में जीवों की हिंसा होने की संभावना है; अतः उक्त
हिंसादोष से बचने के लिए शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ के साथ ही स्पष्ट कर दिया
है—'संजएण गिच्छं पडिलेह्वणपक्खोडण - पमज्जयाए ... अण्णमत्तेण ... सत्तं
निक्खियस्व च गिण्हियस्व च ...' इसका आशय यह है कि समयी साधु को इन
उपकरणों के रखने के साथ-साथ सदा अप्रमत्त हो कर इनकी देखभाल (प्रतिलेखनादि
द्वारा) रखना जरूरी है इन्हें उठाते-रखते समय भी यतना रखना आवश्यक है। कहा
भी है—

'अण्णस्सत्थिसोहिए उववरण बाहिरं परिहरंतो ।

अपरिग्रहो ति भविमो विवेहो तिलुक्कवंतोहि ॥'

अर्थात्—'अध्यात्म-वैशुद्धिपूर्वक बाह्य उपकरण रखने वाले साधु को त्रैलोक्य-
वर्ती तीर्थकरों ने अपरिग्रही ही कहा है।' वास्तव में शास्त्रकार ने इस पाठ के द्वारा
समयी साधु के समय एवं जीवन दोनों की रक्षा की समस्या सुन्दर ढंग से हल कर
दी है।

अपरिग्रही की पहिचान

पूर्व सूत्रपाठ मे बाह्य परिग्रह की दृष्टि से कहीं परिग्रह है, कहीं अपरिग्रह है ? कौन सी वस्तु किस रूप मे ग्राह्य है, कौन-सी वस्तु सर्वथा अग्राह्य है या अमुक रूप में अग्राह्य है ? इसका सुन्दर विश्लेषण किया है । अब उस अपरिग्रही साधु को किन-किन लक्षणों से पहिचाना जा सकता है, इस पर शास्त्रकार सूत्रपाठ द्वारा निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

एवं से संजते, विमुत्ते, निस्संगे, निप्परिग्गहृद्द, निम्ममे, निन्नेह्वंघणो, सव्वपावविरते, वासीचदणसमाणकप्पे, समतिण-मणिमुत्तालेट्ठुकंचणो, समे य माणावमाणणाए, समियरते, समित-रागदोसे, समिए समितोसु, सम्मदिट्ठी, समे य जे सव्वपाणभूतेसु, से ह्ठु समणे, सुयधारए, उज्जुते, संजते, सुसाहू, सरण सव्व-भूयाणं, सव्वजगवच्छले सच्चभासके य संसारंतट्ठित्ते, य संसार-समुच्छिन्ने, सततं मरणाण पारए (ते), पारगे य सव्वेसि संसयाणं, पवयणमायाहि अट्ठहि अट्ठकम्म-गंठोविमोयके, अट्ठ-मयमहणे, ससमयकुसले य भवति सुहदुक्खनिव्विसेसे, अट्ठिभर-बाहिरंमि सया तवोवहाणंमि य सुट्ठुज्जुत्ते, खंते, दंते य, द्विय-निरते, ईरियासमिते भासासमिते, एसणासमिते, आयाणभंडमत्त-निव्वेवणासमिते, उच्चारपासवण-खेलसिघाणजल्लपरिट्ठावणिया-समिते, मणगुत्ते, वयगुत्ते, कायगुत्ते, गुत्तिदिए, गुत्तबंभयारी, चाई, लज्जू, धन्ने, तवस्सी, खंतिखमे, जित्तिए, सोहिए, अणियाणे, अबहिल्लेसे, अममे, अकिचणे, छिन्नगंधे, निरुवलेवे, सुविमलवरकंसभायणं व मुक्कतोए, संखेविव निरंजणे, विगय-रागदोसमोहे, कुम्मो इव इंदिएसु गुत्ते, जच्चकंचणगं व जायरूवे, पोक्खरपत्तं व निरुवलेवे, चदो इव सोमभावयाए, सूरुव्व दित्ततेए, अचले ः ह् मंदरे गिरिवरे, अक्खोभे सागरुव्व थिमिए,

पुढवी व सव्वफास-विसहे, तवसा वि य भासरासिच्छन्निव्व जाततेए,
जलिय-हुयासणो विव तेयसा जलंते, गोसीसचंदणं पि व सोयले,
सुगंधे य, हरयो विव सभियभावे, उग्घोसियसुनिम्मलं व,
आयंसमंडलतलं व पागडभावेण सुद्धभावे, सोंडीरे कुंजरो व्व,
वसभेव्व जायथामे, सीहे वा जहा मिगाहिवे होति दुप्पघरिसे,
सारयसलिलं व सुद्धहियए, भारंडे चेव अप्पमत्ते, खग्गिविसाणं
व एगजाते, खाणुं चेव उड्डकाए, सुन्नागारेव्व अप्पडिकम्मे,
सुन्नागारावणस्संतो निवाय-सरणप्पदीपज्झाणमिव निप्पकंप्पे,
जहा खुरो चेव एगघारे, जहा अही चेव एगदिट्ठो, आगासं चेव
निरालवे, विहगे विव सव्वओ विप्पमुक्के. कयपरनिलए जहा
चेव उरए, अप्पडिबद्धे अनिलोव्व, जीवोव्व अप्पडिह्यगती,
गामे गामे एकरायं, नगरे नगरे य पंचरायं दुइज्जते य जिंतिदिए
जितपरीसहे निब्भओ विऊ (विसुद्धो) सच्चित्ताच्चित्तमीसकेहि
दव्वेहि विरायं गते, संचयातो विरए, मुत्ते, लहूके, निरवकंखे,
जीविधमरणासविप्पमुक्के, निस्संधं निव्वणं चरित्ते घीरे काएण
फासयंते, अज्झप्पज्झाणजुत्ते, निहूए, एगे चरेज्ज धम्मं ।

इमं च परिग्रहवेरमणपरिरक्खणट्ठयाए पावयणं भग-
वया सुकहियं, अत्तहियं, पेच्चाभाविकं, आगमेसिभद्दं, सुद्धं,
नेयाउयं अकुडिलं, अणुत्तरं, सव्वदुक्खपावाण विओसमणं ।

संस्कृतच्छाया

एवं स संयतो, विमुक्तो, नि संगो, निष्परिग्रहश्चिद्, निर्भ्रमो, निःस्नेह-
बन्धनः, सर्वपापविरतो, वासीचन्दनसमानकल्पः, समतृणमज्जिमुक्तालेपु-
काचनः, समश्च मानापमानतायां, शमितरश्चः (रतः अथवा रयः), समित्त-
रागद्वेषः, समित्तः समितिषु, सम्यग्दृष्टिः, समश्च यः सर्वपापभूतेषु, स
खलु धमणः भूतधारकः, श्रुशुकः, (उच्छुक्तः उच्छतोवा) संयतः, सुसाधुः, सरथं
सर्वभूतानां, सर्वजगद्बत्सलः सत्यभावकश्च, संसारान्तस्थितरश्च, समुच्छिन्न-

संसारः, सततं मर्यादां पारणः, पारणश्च सर्वेषां संशयानां, प्रवचनमात्मनि-
 रष्टामिरष्टकर्मप्रन्थिविमोचकः, अष्टमवमयनः, स्वसमयकुशलश्च भवति-
 सुखदुःखनिश्चिन्नेवः, आम्बन्तरबाह्ये सदा तपउपधाने च सुष्ठुः क्तः, भान्तो,
 बान्तश्च, हितनिरतः, ईयसमितो, भाषासमित, एषणासमितः, आदानभाण्डा-
 मत्रनिक्षेपणासमित, उच्चारप्रसवणखेलसिधानजत्सपरिष्ठापनिकासमितो,
 मनोमुप्तो, वचोगुप्त, कायगुप्तो, गुप्तेन्द्रियो, गुप्तबह्याचारी, त्यागी, लक्ष्णुः
 (लक्ष्जालुः रञ्जुर्वा), धन्यः, तपस्वी, भान्तिक्षमो, जितेन्द्रियः शोभितः
 (शोघितः शोघिदो वा) अनिदानः, अबहिलेश्यः, अममः, अकिचनः, छिन्न-
 ग्रन्थो, निरुपलेपः, सुखिमलवरकांस्यभाजनमिव मुक्ततोयः, शब्द इव
 निरजनो, विगतरागद्वेषमोहः, कुम्भं इवेन्द्रियेषु गुप्तो, ज्ञानकाञ्चनकमिव
 जातरूपः, पुष्करपत्रमिव निरुपलेपः, चन्द्र इव सौम्यभावतया, सूर इव
 दीप्ततेजा, अचलो यथा मन्दरो गिरिवरोऽशोभः सागर इव स्तिमितः,
 पृथ्वीव सर्वस्पर्शसहः, तपसाऽपि च भस्मराशिच्छन्न इव जाततेजाः,
 उबलितहुताशन इव तेजसा ज्वलन्, गाशीर्वचःक्षनमिव शीतलः सुगन्धश्चा-
 ह्वयं (ब्रह्म) इव समिकभाव, उव्वष्ट- (उव्वर्षित) सुनिर्मल वा आदसंभङ्ग-
 लतल वा प्रकटभावेन शुद्धभावः, शौण्डीरः कुंजर इव, वृषभ इव
 जातस्थामा, सिंहो वा यथा मृगाधिपो भवति दुष्प्रथर्ष्यः, शारदः तिलमिव
 शुद्धहृदयः, भारंड इवाप्रमत्तः, खड्गिविषाणमिव एकजतः, स्थाणुरिवो-
 ष्ठकामयः, शून्यागारमिवाप्रतिकर्मा, शून्यागारापणस्यान्तर- निर्वातशरण-
 प्रदीपध्यातमिव निष्प्रकम्पः, यथा क्षुरश्चेव एकषारो, यथाऽहिश्चेव एक
 दृष्टिः, आकाशं चेव निरालम्बः विहग इव सर्वतो विप्रमुक्तः, कृतपरनित्ययो-
 यथा चक्षोरगः, अप्रतिबद्ध अनिल इव, जीव इवाप्रतिहतगतिः, प्राप्ते प्राप्ते
 एकरात्र, नगरे नगरे च पंचरात्रं ब्रह्मन् (विचरन्) च जितेन्द्रियो
 जितपरिवहो निमंयो विद्वान् (विद्युदो अथवा अद्विकः) सचित्ताचित्तमिथकेषु
 ब्रह्मेषु वैराग्यं गतः, संचयाद् विरतो मुक्तो लघुको निरवकांशो जीवित-
 मरणासाविप्रमुक्तो निःगन्ध निर्बन्ध चारित्र्यं धीरः कायेन स्पृशन् सततम-
 ध्यात्मध्यानयुक्तो निमृत् एकद्वरेद् धर्मम् .

... इव च परिग्रहविरमणपरिरक्षणार्थं प्रवचनं भगवता सुकथितमात्महितं
 प्रेत्यभाविकम् आगमिष्यद्भ्रं शुद्धं, नैयायिकम्, अकुटिलमनुसर, सर्वदुःख-
 पापानां शमुपशमनम् ।

३५. संज्ञा-व्याख्यान—(एवं) इस प्रकार (से) पूर्वोक्त अपरिग्रहवृत्ती (संज्ञते) संज्ञयी लोभं (विमुक्त) धनादि से मुक्त (निस्तप्ते), आसक्तिरहित, (निष्परिग्रहवृत्तौ) जिसकी परिग्रह में कोई वधि नहीं रही है, (निष्कले) धर्मोपकरणों पर भी जो अन्यायरहित हैं, (निष्कलंबधने) स्नेह-व्यथन से भी जो मुक्त है, (सम्बन्धविरले) ऐसा सर्वपापों से विरल साधु (वासीचंद्रवत्समाचक्ये) वसुधै से काटकर अन्धकार करने वाले तथा चर्म के समान उपकार करने वाले दोनों पर समान कल्पना-मुक्ति कला, (समतिष्-मार्थमुत्तालेट्टुकंधने) जिसकी दृष्टि में तिमका और धनि-शोती तथा डेला और सोना दोनों समान हैं, (समे व भाषावभाषाए) जो सम्मान और अपमान दोनों अवस्थाओं में सम है, (समिचरते) जिसने पापकर्मक्य रज या विक्रयों में रज-उत्सुकता को शान्त कर दिया है, (समितरागदोसे) जो राग-द्वेष का समन करने संसा है; (समितोसु समिए) पांचों समितियों—सम्यक् प्रवृत्तियों में समित-मुक्त है; (सम्मविद्वो) जो सम्यग्दृष्टि है (व) तथा (वे) जो (सम्बन्धवृत्तौसु समे) समस्त भास और स्वावर जीवों पर समभावी है, (से इ समने) बड़ी जन्य तपस्वी है, सम मन वाला है अथवा शमन-शान्तकवाय है, (सुयधारए) बड़ी मृत-शास्त्र का धारक-आनकार है, (उच्चुते) वह समय में उच्च या उच्चमतील है अथवा मृ-सुरण है। (स साहू) जैसे सच्चा साधु है (सम्बन्धुयानं सरणं) वह समस्त प्राणियों को शरण देने वाला—रक्षक है; (सम्ब-जगवच्छले) समस्त विश्व के प्रति वात्सल्यभाव से जोतप्रोत विश्ववत्सल है; निःस्वार्थ हितैषी है; (सम्बन्धवत्से) सत्यवादी है; (व) तथा (संसारंतद्विते) वह संसार के अन्त-किनारे पर स्थित है; (य) तथा (संसारसमुच्छिन्ने) उसने संसार-परिह्रमण को छिन्न-नष्ट कर दिया है, (सत्तं) निरन्तर होने वाले (अरणाण) बाल-अज्ञानी जीवों के भावभरणों से (पारए) पार पहुंच गया है; (संबन्धेसि संसयाणं व पारणे) और वह समस्त संसर्गों से अतीत बानी परे हो गया है; (अट्टहि पयवणमायाहि) पांच समिति और तीन मुष्पिक्य व प्रवचनमात्ताओं के द्वारा (अट्टकम्मगंठीविमोयके) जाठ कर्मों कपी मंड को तोलने वाला हो गया है, (अट्टमयमहणे) जाति, कुल आदि के जाठ कर्मों-अहंकारों का मन्धन-नाश करने वाला है, (व) और (ससमयकुसले) स्वकीय सिद्धान्त या जाचार अथवा प्रतिज्ञा में कुसल (अवति) है। (सुहृदुक्कनिष्कलेसे) वह कुल और कुल में एक-सा रहता है; (व) और (सया) सदा (अन्तितराहिरंमि तबोवहायंमि) आन्तर और बाह्य तपक्य कुल के उपधान—निकट पहुंचने में (सुदृक्कमुले) अत्यन्त उच्चमतील-मुष्पिकाएँ हैं; (अंति) शमनवान या कष्टसहितुम्पु है, (वैते) इन्द्रियों का दहन करने वाला है (व) तथा

(हृदिनिर्दले) स्वपरहित में निरत-संलग्न रहता है; (ईरिवात्समिते) द्रव्य और भाव रूप से ईर्ष्या-यत्ति करने में सम्यक्प्रवृत्तिकल्पसमिति से युक्त है, (भासासमिते) भाषा में यत्नमावान् है, (एतणासमिते) आहार - पानी आदि की एवंचा करने में—गोचरी में यत्नमाशील है, (आयाचभ्रंजमस्तनिष्केचनासमिते) भाजन, पात्र आदि उपकरणों को सम्यक् प्रकार से लेने-उठाने और रखने की समिति-सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त है, (उष्णार-यातवच-क्षेल-सिधाच-अल्लपारिदृढावधिवात्समिते) मल, मूत्र, कफ, शीत-माक का मूल, पत्तीना आदि शरीर का मूल आदि मलों को जीव-जन्तु की बाधा से रहित सुस्थल में परिष्ठापन करने-डालने की समिति का आचरण करने वाला है; (मनगुत्ते) मनोगुप्ति सहित है, (वयगुत्ते) वचनगुप्ति से युक्त है, (कायगुत्ते) कर्म-गुप्ति का पालक है, (गुत्सिदिए) इन्द्रियों को विषयों में भटकने से गुप्ति-रक्षा करने वाला है (गुत्सन्नयारी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने वाला है; (बाई) समस्त परिग्रह का त्याग करने वाला है, (लज्जू) अतिसय लज्जावान है—पापों से शर्मने वाला है, अथवा रज्जू-रस्ती के समान सरल है। (घग्ने) घम्य है, (तवस्ती) तपस्या करने वाला है, (सतिल्लमे) कष्ट सहिष्णुता-सतिल्लता में क्षम-समर्थ है, (जित्तिए) जितेन्द्रिय है, (सोहिए) गुणों से सुशोभित है, अथवा आत्मशोधक है, या सर्वप्राणियों का सुहृद् मित्र है, (अणियाणे) निदान-आगामी भोगों की बाँछा से रहित है; (अबाहिल्लेते) जिसकी लेभयाएँ, अन्तःकरण की विचार-तरंगें संयम से बाहर नहीं जाती, (अममे) जो 'मे' और 'मेरा' के अभिमानसूचक शब्दों से रहित है; (अकिचणे) जिसके अपने स्वामित्व का कुछ भी नहीं है, (छिन्नगंघे) बाह्य और आभ्यन्तर गठों जिसने तोड़ दी हैं, (निरुवलेवे) जो कर्म के या आसक्ति के लेप से रहित है, (सुविमलवरकंसभायव व युवकतोए) अतिनिर्मल उत्तम कांसे का बर्तन जैसे पानी के सम्पर्क से युक्त रहता है, वैसे ही आसक्तिपूर्ण सम्बन्ध से युक्त है (संकेविव निरंजणे) शंख के समान रागादि के अजन-कालिमा से रहित है, (विमवरागवोसमोहे) जो राग, द्वेष और मोह से रहित है, (कुम्भो इव दंभिएसु गुत्ते) कछुए की तरह जो इन्द्रियों को संगोपन करके रखता है; (बच्चकचणम व जायक्वे) उत्तम सुद्ध सोना जैसे छविमान होता है, वैसे ही साधु भी आत्मा के शूद्र स्वरूप की छवि प्राप्त कर लेता है, (पोषारपत्तं व निसवलेवे) कमल के पत्तों की तरह निर्लेप है, (सोमभाचयाए) अपने सौम्य स्वभाव के कारण (बंदो इव) चन्द्रमा की तरह है (सूरोव्व विसतेए) सूर्य की तरह संयम के तेज से वेदीप्यमान है (अचले जह् मंदे गिरिवरे) पर्वतों में प्रधान भेषवर्धन की तरह सिद्धान्त पर जो अ-दल्लै, (अक्कोमे सायरोव्व चिमिए) समुद्र के समान क्षोभरहित एवं विचर है, (पुडवी व

सम्बन्धसहै) पुष्पी की तरह सब प्रकार के शुभ-अशुभ स्वर्णों को सहने वाला है, (तपसा वि व चासरासि-ऊन्निष्क जाततेए) तपस्या से अन्तरंग में ऐसा बेबीप्यमान लगता है, बानो भस्मरासि से ढकी हुई आग हो; (असिद्यदुयासतो विव तेपसा अलंते) अलती हुई आग के समान तेज से आनन्दस्वमान है, (नोलीसचंरुचमिव सीयते) गीर्वाण चन्दन के तुल्य शीतल (घ) और (सुमंघ घ) अपने शील से सुपन्धित है, (हरयोचिव समियभाबो) हृद्य-बड़े तालाब के समान शान्त स्वभावी है, (उग्योसियसुगिम्भसं व भायंसमंडलतसं) अच्छी तरह चित्त कर बमकाए हुए निर्मल बपंचमंडल के तल के समान (पागडभावेण) सहज स्वभाव से मायारहित होने के कारण अत्यन्त प्रमादित व निर्मल जीवन वाला है, (सुडभावे) शुद्ध परिणाम वाला है, (कुं बरोव्व लोंडीरे) कर्म-शास्त्रों की सेना को पराजित करने में हाथी की तरह शूरवीर है, (बसपोव्व जाययामे) वृषभ की तरह अंगीकृत व्रतों का भार धारण करने में समर्थ है, (सीहे वा जहा मियाहिबे होति बुप्यधरिसे) जैसे मृगाधिपति सिंह अकेला ही अजेय होता है, बंसा ही अजय; (सारयसलिसं व सुडहिद्यए) शरद्वृत्तु के पानी की तरह स्वच्छ हृदय वाला, (भारंडे वेव अप्पमत्ते) भारंड पक्षी की तरह अग्रमल, (सग्गिविसाणं व एगजते) गेंडे के सोंग की तरह अकेला, अन्य सहायक से रहित (छाणुं वेव उड्डकाए) ठूठ की तरह ऊर्ध्वकाय—कायोत्सर्गस्थित रहने वाला, (सुभागारेव्व अप्पडिकम्भे) सूने घर के समान शरीरसंस्कारों से रहित (सुभागारावणसंतो) सूने घर तथा सूनी बूकान के अंदर (निबायसरणप्यवोपज्जाणमिव निप्पकंपे) बायुरहित स्थान में रहे हुए बीपक के समान तथा शुभध्यान के समान विषयादि उपसर्ग के समय भी कम्पनरहित, (जहा कुरो वेव एगघारे) छुरे या उस्तरे की जैसे एक सरीसृपी धार होती है, बंसे ही बुनि भी उत्सर्गमार्ग में एक धारा-अखंड प्रवृत्ति वाला (जहा अही वेव एगविट्ठी) जैसे साँप की वृष्टि एक लक्ष्य की ओर होती है, बंसे ही मोक्षमार्ग भी साधना पर एकमात्र बुष्टिवाला साधु, (आगासं वेव निरालंबे) आकाश की तरह आत्मन्वनरहित, (विहगेविव सम्बओ विप्यमुक्के) पक्षी की तरह सब तरह से परिग्रहमुक्त (कवपरमिसुए जहा वेव उरने) सर्प के सभान दूसरे के बनाए स्थान में निवास करने वाला; (अनिलोव्व अप्पडिबड्डे) वायु की तरह इष्य-जेत्र-काल-भाव के प्रतिबन्ध से रहित, (जीवोव्व अप्पडिहृयगती) बेहरहित जीव की तरह स्वतंत्र अप्रतिहत-बैरोकटोक गतिवाला—निरंतर बिहार करने वाला बुनि (गामे गामे एगरायं) प्रत्येक माँघ में एक रात (घ, तथा (नगरं नगरं पच्चरायं) प्रत्येक नगर में पाँच रात (सुडम्भंतो) बिचरण करता हुआ (घ) और (जित्तंविए) इन्द्रियबिचयी, (जितपरिसहै) परिग्रह-

विज्ञेता (निम्नजो) निर्भय, (विद्व) विद्वान्-गीतार्थ (सच्चिदाचित्तमीसर्गेहि) सच्चित्त
 ह्ये, अचित्त हो या मिथ्य हो, (ब्रह्मेहि) सभी ब्रह्मों में (विरायं गते) बेराग्ययुक्त,
 (संक्षयातो विरते) वस्तु का सचय करने से विरत, (मुत्ते) लोभरहित (सद्भुक्ते)
 लोभों प्रकार के गर्व के भार से रहित अथवा परिग्रह के बोझ से हलका, (निरवकांक्षे)
 अंशकोशरहित, (जीवियमरणासविष्यमक्ये) जीने और मरने की आशा से विमुक्त,
 (मिस्ससंधं) चारित्र-परिणाम के विच्छेद से रहित, (निस्वयं) निरतिचार (चरित्त)
 चरित्र का (धीरे) लोभरहित धीर या स्थितप्रज्ञ साधु (कायेण कासयंते) शारीरिक
 क्रिया द्वारा पालन करता हुआ (सतत) निरन्तर (अज्ज्ञाप्यज्ञानकुत्से)
 अज्ञातमध्यान में संलग्न (निद्रुए) उपसान्त साधु (एमे) रागादि की सहायता से
 अथवा सहायक से रहित एकाकी (धम्मं चरेज्ज) चारित्र धम्म का आचरण करे।

मूलार्थ—इस प्रकार वह अपरिग्रही संयमी साधु धनादि के लोभ से
 मुक्त होता है, जमीनजायदाद, धनसम्पत्ति का त्यागी होता है। आसक्ति-
 रहित होता है। परिग्रह में उसकी जरा भी रुचि नहीं होती। धर्मोपकरणों
 पर भी ममत्व से रहित होता है। वह स्नेहबन्धन से रहित, सर्वपापो से
 विरक्त है। बसूले से काट कर अपकार करने वाले और चन्दन के समान उपकार
 करने वाले दोनों पर समबुद्धि रखता है। उसकी दृष्टि में तिनका
 और मणि या मोनी तथा डेला और मोना दोनों समान हैं। वह सम्मान
 और अपमान दोनों अवस्थाओं में सम रहता है। उसने पापकर्मरूपी रज
 या विषयों में रय-उत्सुकता को शान्त कर दिया है। वह रागद्वेष का
 शमन करने वाला है। जो पांचसमितियों से समित-युक्त, सम्यग्दृष्टि तथा
 समस्त त्रस-स्थावर जीवो पर समभाषी होता है, वह श्रमण-तपस्वी है या
 सम मन वाला है अथवा शमन-शान्तकषाय है, वही श्रुतधर-शास्त्रज्ञ है, समय
 में उद्यत या उद्यमी है, वही स्वपर-कल्याण का साधक है, समस्त प्राणियों
 का आश्रयरूप है, वह समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति वात्सल्य से ओतप्रोत
 है, सत्यभाषी है, तथा ससार के अन्त-किनारे पर स्थित है। उसने ससार
 परिभ्रमण को नष्ट कर दिया है। वह अज्ञानी जीवों को सतत होने वाले
 भावमरणों से पार पहुँच गया है, समस्त संशयों से परे हो गया है। वह पांच
 समिति-तीन गृप्ति रूपी आठ प्रवचनमाताओं के द्वारा आठ कर्मों की
 गाँठें खोलता है, आठ मर्दों-अहंकारों का उसने मर्दन कर दिया है, वह अपने
 सिद्धांत, आचार या प्रतिज्ञा के पालन में कुशल होता है। सुख और दुःख उसके

सिंहःसमान है, और वह सदा अभ्यन्तरः और बाह्य तपस्या के उपधान-में अस्मिन्तः-पुष्पार्थ करता रहता है। वह क्षमाशील या कष्टसहिष्णु, इन्द्रियों का इन्द्रान्तःकरने वाला तथा स्वपरहित में रत रहता है। वह ईयसमिति-से युक्त, भाषासमिति से युक्त, एषणासमिति का पालक, आदानभांडामत्रल-निकोद्वंशासमिति से युक्त, उच्चारप्रस्त्रवणनेलसिधाणजत्सपरिष्ठापनिका-समिति से सम्पन्न, मनोगुप्तिसहित, वचनगुप्तियुक्त तथा कायगुप्ति का पालक है। वह इन्द्रियों को विषयों में भटकने से बचाता है, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करता है, समस्त परिग्रह का त्यागी, पापाचरण में लज्जाशील या रस्सी के समान सरल धन्य, तपस्वी, कष्ट-सहिष्णुता में समर्थ और जितेन्द्रिय होता है। वह गुणो से सुशोभित या आत्मशोधक अथवा समस्त प्राणियों का मित्र, आगामी सुखभोगों को निदान—कामना से रहित है। उसकी लेश्याएँ यानी चित्त की तरंगें समय से बाहर नहीं जाती, वह 'मै' और 'मेरा' के अभिमानसूचक शब्दों से रहित है। जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, जिसने बाह्य और आभ्यन्तर गाँठें तोड़ दी हैं, वह कर्मों या आसक्ति के लेश से रहित है, अति निर्मल उत्तम कासे का बर्तन जैसे पानी के संपर्क से मुक्त रहता है, वैसे ही आसक्तिपूर्ण सम्बन्ध से मुक्त, शंख की तरह रामादि के अंजन कालिमा से रहित, तथा राग, द्वेष और मोह से विरक्त है। कच्छुए के समान इन्द्रियों का गोपन करने वाला, शुद्ध सोने के समान शुद्ध आत्म-स्वरूप का द्रष्टा, कमल के पत्रों की तरह निर्लेप है। अपने सौम्य स्वभाव के कारण चन्द्रमा की तरह सौम्य, सूर्य के समान संयम के तेज से देदीप्यमान, पर्वतों में प्रधान मेरुपर्वत की तरह सिद्धान्त पर अबिचल, समुद्र के समान क्षोभरहित एवं स्थिर, पृथ्वी की तरह शुभाशुभ सभी प्रकार के स्पर्शों को सहने वाला है, तपस्या से वह अन्तरंग में ऐसा देदीप्यमान लगता है, मानो भूमराशि से ढकी हुई आग हो। तेज से जलती हुई आग के समान, ज्ञानवत्यमान है। गोशीर्षचन्दन के तुल्य शीतल और शील से सुगन्धित तथा बड़े हृद के समान क्षान्तस्वभावी है। अच्छी तरह घिस कर चमकाये गए निर्मल दर्पणमंडल के तल के समान सहजस्वभाव से मायारहित होने के कारण अत्यन्त प्रमार्जित व निर्मल जीवन वाला है, शुद्ध परिष्कार वाला है; कर्मशत्रुओं की सेना को पराजित करने में हाथी की तरह धूर्त और है; शुषभ की तरह उठए हुए भार को धारण करने में समर्थ है;

मृगाधिपति सिंह की तरह अकेला ही अपराजेय, शरदन्तु के पानी के समान स्वच्छ हृदय वाला, भारंडपक्षी की तरह अप्रमत्त, गेंडे क सींग की तरह अकेला अन्य सहायक से रहित, ठूँठ की तरह ऊर्ध्वकाय—कायोत्सर्ग में स्थिर रहने वाला, सूने घर के समान शरीर संस्कारों से दूर है। वह सूने घर व सूनी दुकान के अन्दर निर्वातस्थान में रखे हुए दीपक के समान तथा श्रमध्यान के समान दिव्यादि उपसर्ग के समय भी निष्कम्प है। छुरे या उस्तरे की एक सरीखी धार के समान उत्सर्गमार्ग में एक धारा-अखंड प्रवृत्ति वाला, सांप की तरह एकमात्र मोक्षमार्ग-रूप लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने वाला, आकाश की तरह आलम्बनरहित, पक्षी की तरह सब प्रकार से परिग्रह-मुक्त, सर्प के समान दूसरे के बनाए हुए स्थान में निवास करने वाला, बाघ की तरह द्रव्यक्षेत्रकालभाव के प्रतिबन्ध से रहित, देहमुक्त चेतन की तरह स्वतंत्र अप्रतिहत—बेरोकटोक गति अर्थात् विहार करने वाला मुनि हर एक गांव में एक रात्रि तथा हर एक नगर में पांच रात्रि विचरण करता हुआ इन्द्रिय-विजेता, परिषहजयो, निर्भय, विद्वान्—गोतार्थ, सचित्त, अचित्त और मि प्र सभी द्रव्यों में बैराग्ययुक्त, सग्रहवृत्ति से दूर, निर्लोभी, तीनो प्रकार के गर्व के भार से रहित अथवा परिग्रह के बोझ से हलका, आकांक्षारहित, जीवन और मरण की आशा से विमुक्त, चारित्रपरिणामों को खंडित करने से विरक्त होता है। ऐसा धीर स्थितप्रज्ञ साधु निर्निवार चारित्र का शारीरिक क्रिया अर्थात् जीवन से स्पर्श करता हुआ निरन्तर अध्यात्मध्यान में सलग्न उपशान्त साधु रागादि को सहायता से अथवा किसी सहायक से रहित एकाकी चारित्र-धर्म का आचरण करे।

व्याख्या

इस लम्बे सूत्रपाठ मे शास्त्रकार ने अपरिग्रही साधु की ही विस्तृत रूप से परिभाषा दी है, ताकि आम आदमी अपरिग्रही साधक को पहिचान सकें। कई व्यक्ति घरबार, जमीन जायदाद, कुटुम्ब-कबीला आदि सब छोड़ कर एकात जंगल में जा बैठते हैं; परन्तु वहाँ भी उनके मन में विविध सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने और उनका उपभोग करने की प्रबल लालसा उठती रहती है। वे मन ही मन उन मनोज्ञ वस्तुओं को पाने के लिए अनेक प्रकार की उद्येड़बुन करते रहते हैं। मन में विविध कामनायें सजोते रहते हैं, अनेक देवी-देवों की स्तुति, आप, मनीषी आदि करते रहते हैं। स्थूलदृष्टि से देखने वाले को वे बिलकुल अपरिग्रहभूतिले लगेंगे; एक सगोटी भी

मुश्किल से उनके पास होगी; मगर उनके अन्तर में परिग्रह की जो धमाचौकड़ी मचती रहती है, उसे देखते हुए वे कदापि अपरिग्रही नहीं माने जा सकते। इसी कारण दशवैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्यायन में इस विषय में स्पष्ट निर्देश किया गया है—

‘वत्सगंधमलंकारं, इत्थीओ सयन्ताणि य ।

अच्छंदा ओ न भु अंतित न से वाहसि मुक्खाइ ॥’

अर्थात्—वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, स्त्रियाँ, शयनीय पदार्थ आदि जिसके अधीन नहीं हैं, न वह किसी तरह उन्हें उपभोग के लिए अधिकार में कर ही पाता है, किन्तु मन ही मन उनके पाने के लिए लालायित रहता है तो उसे परिग्रह-त्पायी नहीं कहा जा सकता ।

यह तो एक प्रकार का दम्भाचार-सा है कि बाहर से लोगों को दिखाने के लिए पास में कुछ नहीं है, लेकिन अन्दर ही अन्दर प्रकारान्तर से उन त्वक्त पदार्थों को पुनः प्राप्त करने की, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पाने की साधक में धुन सवार है। भगवद्गीता में ऐसे साधको को मिथ्याचारी कहा है। देखिये वह श्लोक—

‘कर्मन्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियाणान् विबुद्धात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥’

जो बाहर से इन्द्रियों को रोक कर निश्चेष्ट बैठ जाता है, लेकिन वह मुक्तात्मा मन ही मन इन्द्रियों के विविध विषयों का या विषयसाधनों का चिन्तन करता रहता है तो वास्तव में वह मिथ्याचारी—डोंगी कहलाता है ।

दूसरी ओर कई प्रसिद्ध साधक अपने को बहुत पहुंचे हुए समझ कर जनक-विदेही या सद्भाट् भरत की दुहाई दे कर खुद को उनके समान अनासक्त बतलाते हैं और ‘मूर्च्छा परिग्रहः’ मूर्च्छा-आसक्ति ही परिग्रह है, इस परिग्रह की परिभाषा की जाद में बढ़िया से बढ़िया पदार्थों का संग्रह करते जाते हैं या अपने भक्तों के पास संग्रह करवाते जाते हैं। पूछने पर यों ही कहते हैं—‘अजी ! यह हमारा थोड़े ही है; हमारी इन पर आसक्ति या भमता थोड़े ही है ।’ अथवा वह गृहस्थ, जिसके पास किसी मन्दिर या भगवान के नाम से धन या विविध पदार्थ इकट्ठे किए गये हैं, पूछने पर तपाक से कहेगा—‘अजी ! ये तो मन्दिरजी के हैं, यह तो भगवान् का मुकुट है, छत्र है या अमुक पदार्थ है; हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है ।’ इस प्रकार जो अपने-आप को भरतचन्द्रवर्ती या जनक विदेही के समान नित्य और अनासक्त बतला कर या अनासक्ति की भ्रान्ति में पड़ कर प्रकारान्तर से बहुत संग्रह

करते जाते हैं, वे योग प्रायः उस परिग्रह के कारण चरित्रभ्रष्ट और पतित होते देखे-सुने गये हैं। इसलिए साधारण साधक परिग्रह-अपरिग्रह की इस उलझन में भ्रम कर यह स्पष्ट नहीं समझ पाता कि अपरिग्रही किसे कहा जाय ? उसकी क्या पहिचान है ? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है ? क्या और कैसे खाता-पीता है ? कैसे और कहाँ रहता है ? कहाँ और किस प्रकार विचरण करता है ? क्या और किस ढंग से सोचता है ? जगत के विषयो व पदार्थों को किस दृष्टि से देखता है ? उसकी किस विषय में रुचि या अरुचि होती है ? सकटो, कष्टो और परिग्रहो-उपसर्गों के समय वह क्या रख अपनाता है ? रागादिवर्धक कृद्घोषादिवर्धक बाह्य पदार्थों का उसके मन पर क्या असर होता है ? अन्तरंग परिग्रहों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा और क्या रहता है ? अनिर्वाय उपकरणों को भ्रमनाने के बारे में उसकी भावना क्या रहती है ? इन सब बातों से ही अपरिग्रही का पूरा परिचय हो सकता है। आभ्यन्तर-परिग्रह-त्याग की प्रतिज्ञा ले लेने और बाह्यपरिग्रह का त्याग कर देने मात्र से किसी भी साधक के अन्तर की गहराई का पता नहीं लग सकता। अन्तर की वृत्तियाँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनमें काम, क्रोध, अहंकार (मद) मोह, लोभ आदि चीजें बहुत ही सूक्ष्म-रूप में पड़ी रहती हैं। इसलिए व्यवहारों से ही प्रायः उसके जीवन का पता लग सकता है। बहुधा अन्तर की वृत्तियाँ या सूक्ष्म वासनाएँ ही बाह्य के व्यवहार में, बोल-चाल में, चेष्टाओं में, प्रवृत्तियों में उभर कर आती हैं। यही कारण है कि शास्त्रकार ने अपरिग्रही के व्यक्तित्व के पूर्ण परिचय के बारे में उठाए गए उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर इस विस्तृत सूत्रपाठ में दे दिया है। इसमें अपरिग्रही का सांगोपाग परिचय आ जाता है। अब हम क्रमशः प्रत्येक पद का संक्षेप में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे—

सज्जते—अपरिग्रही साधु मनवचनकाया की अपनी प्रवृत्तियों पर समय रखता है। वह कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं करता, जो संयम से विपरीत हो, उच्छुब्ध हो।

विमुक्तं—वह जमीन-जायदाद, धन-सम्पत्ति आदि से मुक्त होता है। जिन वस्तुओं को उसने छोड़ दिया है, उन्हें अब वह अपनाता व मन किये हुए को चाटने के समान समझता है।

निस्तम्बे—वह परिग्रह में बिलकुल आसक्ति नहीं रखता। वह यही समझता है कि किसी वस्तु के पीछे मोहवश चिपटना ही दुःख-त्रुटि का कारण है।

निर्भरिणाहर्षी—उस की रुचि परिग्रह के बारे में बिलकुल नहीं होती। उसे सदा परिग्रह से अरुचि रहती है। वह धर्मोपकरण के सिवाय किसी भी चीज को लेना या संग्रह करके रखना पसन्द नहीं करता।

निष्कामे—धर्मोपकरण के रूप में रखी हुई चीजों पर भी उसकी ममता नहीं होती। वह उन्हें भी आवश्यकतावश ही रखता है।

निर्गोहबंधने—अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों या साधु जीवन में परिचय में आने वाले भक्त-भक्ताओं या शिष्य-शिष्याओं के साथ भी उसका स्नेहबन्धन—मोहबन्धन नहीं होता। सिर्फ धर्मस्नेह का प्रशस्त बन्धन होता है या कर्तव्यबन्धन होता है।

सम्बन्धविरते—हिंसा आदि समस्त पापों से वह विरक्त रहता है। वह किसी भी पापकर्म में प्रवृत्त होने से हिचकिचाता है।

बासीचंदणसमाणकष्ये कुल्हाड़ी चलाने वाले अपकारी और चंदन समाने वाले उपकारी दोनों के प्रति मन, वचन, काया से उसका समान विकल्प रहता है। यह स्थिति बड़ी कठिन है। परन्तु अपरिग्रही के जीवन में यह बखूबी देखी जा सकती है। शत्रु और मित्र दोनों के प्रति वह समदर्शी रहता है।

समतिष्णमणिमुत्तालेट्टुकंचने—तिनका हो, चाहे मणि हो या मोती, डेसा हो या सोना हो, दोनों के प्रति अपरिग्रही सम रहता है। उसे प्रिय वस्तु में हर्ष और अप्रिय वस्तु में विषाद नहीं होता।

समे य माचावमाणाए—सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, स्तुति-प्रशंसा हो, चाहे निन्दा—आलोचना, दोनों अवस्थाओं में उसके मन में प्रीति-अप्रीति नहीं पैदा होती। और न ही वह सम्मान प्रतिष्ठा-पाने के लिए दौड़घूप करता है और न अपमान या निन्दा के निवारण के लिए वह खास प्रयत्न करता है।

समियरते—पापकर्मरूपी रज को या विषयों में रय-उत्सुकता को उसने समाप्त कर दिया है। पांचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन में उसका उत्साह नहीं होना; बल्कि वह उनसे कम से कम परिचय करना चाहता है।

समिए समितीसु पांचों समितियों को वह अपरिग्रहवृत्ति में सहायक मानता है और इसी कारण वह पांचों समितियों के पालन में वत्तचित्त रहता है।

सम्बद्धि—अपरिग्रही साधक के लिए सम्यग्दृष्टि होना तो मुख्य और मूल बात है। ज्ञानादि किसी भी साधना में वह सम्यग्दर्शन को मुख्य केन्द्र मान कर चलता है। इसी कारण वह अपरिग्रह-परिग्रहत्याग को भी केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अपनाता है।

समे व सम्बन्धविरतेसु—अपरिग्रही किसी भी प्राणी के जीवन का मुख्य काम नहीं चांकता। प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, वह ऊपर के चोले को न देख कर उसके अन्दर विराजमान हुए आत्मा की दृष्टि से उसे देखता है। बाह्य आवरणों की और

कर उसकी पारदर्शी दृष्टि विमुक्त आत्मनस्य को देख पाती है। इसलिए वह तस और स्थावर सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है।

ते ह्य समने—अपरिग्रही ही वास्तव में श्रमण होता है। श्रमण का अर्थ तपस्वी भी होता है, आत्मगुणों की या आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए श्रम करने वाला भी होता है, सममन (समचित्त) भी होता है और समन अर्थात् शान्तकषाय भी होता है। अपरिग्रही में ये गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं।

सुयधारण—वह वास्तव में श्रुतधारक या शास्त्रज्ञ भी होता है। शास्त्र या सिद्धान्त को अपरिग्रही ही पचा सकता है। जो परिग्रह के प्रपञ्च में पड़ा रहता है, वह भला शास्त्र की बातों को जीवन में कैसे उतार पाएगा? अतः अपरिग्रही का अन्तःकरण आगम के तत्त्वज्ञान से ओतप्रोत रहता है।

उज्जुते—वह हमेशा अपरिग्रह की साधना में उद्यत रहता है। अथवा माया-कष्ट से रहित हो कर जैसी बात होगी, वैसी बात सरलता से कहेगा। झूठफरेब या प्रपञ्च से वह दूर रहता है।

स साहू—वही स्वपरकल्याण का साधक होता है। क्योंकि निष्परिग्रही बनने पर ही साधक अपना कल्याण कर सकता है और वही दूसरों को कल्याण का रास्ता बता सकता है।

सखं सख्यभूयाञ्—वह सभी प्राणियों के लिए आश्रय-स्थल होता है। क्योंकि उसके हृदय में सभी प्राणियों के एकान्तहित की भावना होती है। उसका दिल प्राणियों को अपने कर्मों के कारण कष्ट पाते देखकर द्रवित हो उठता है। इस कारण सभी को वह प्रिय और अपना लगता है और सभी प्राणी उसकी शरण में आकर मन का सही समाधान पाते हैं, शान्ति पाते हैं।

सख्यजगत्सङ्गले—वह सारे विश्व के प्राणियों के प्रति वात्सल्य भाव से ओत-प्रोत रहता है। सब प्राणियों को वह अपना आत्मीय मानता है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना उसके हृदय में लबालब भरी रहती है।

सख्यभासके—जब सारे ही जगत् को वह अपना मानेगा तो किसी के साथ असत्य बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वह सत्यवादी होगा। कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा।

संसारंतद्विद्धौ, संसारसमुच्छिन्नौ, सततं नरनाञ् पारण—ये तीनों विशेषण अपरिग्रही को व्रतपालन से होने वाली उपलब्धि के बारे में हैं। अपरिग्रहव्रती संसार के अन्तिम तट पर स्थित हो जाता है, जन्ममरण का चक्र काट देता है और

वज्रानियों की तरह क्षण-क्षण में जो आत्मा की भावमृत्यु होती रहती है, उसको भी पार कर लेता है ।

पारने व सञ्जेति संसयाण—अपरिग्रही जब निष्ठापूर्वक साधना करता है तो उसे किसी अतीन्द्रिय ज्ञान—(अवधि, मन, पर्याय या केवलज्ञान) की उपलब्धि हो जाती है, जिससे वह समस्त संशयों का पारगामी बन जाता है । यानी उसके सब संशय छिन्नभिन्न हो जाते हैं । आत्मा में हृदय निश्चय का भाव पैदा हो जाता है ।

पचयणमायाहि अट्टुहि अट्ठकम्मयंठीविभोयके—वह आठ प्रवचन माताओं (५ समिति, तीन युक्ति) के हठतापूर्वक पालन से आठ कर्म की गांठों को खोल देता है । यानी कर्मग्रन्थि का भेदन कर लेता है । यह भी उसके जीवन की महती उपलब्धि है ।

अट्ठमयमहण—अहंकार-मद, फिर वह चाहे जाति का हो या कुल का, बल का हो या रूप का, तप का हो या लाभ का, ज्ञान का हो या ऐश्वर्य का; अपरिग्रही के जीवन में स्थान नहीं पाता । अपरिग्रही अहंकार को महापरिग्रह मानता है ।

ससमयकुसले—अपरिग्रही अपने सिद्धान्त, आचार या प्रतिज्ञा के पालन में निपुण होता है । वह सिद्धान्त, आचार या प्रतिज्ञा के बिफट्ट किसी भी बात को जीवन में स्थान नहीं दे सकता । सिद्धान्त के मामले में वह किसी से समझौता नहीं करता ।

सुहृदुक्खानिब्बसेसे—उसके लिए सुख हो या दुःख सब एक समान है । सुख में वह फूलता नहीं, दुःख में घबराता नहीं । दोनों ही अवस्थाओं में वह समानभाव से रहता है । यही अपरिग्रही के जीवन की विशेषता है ।

अभन्तरबाहिरंमि सदा ततोवहावंमि व सुद्धुक्खुते - वह सदा आन्तरिक या बाह्य किसी न किसी तपस्या में भसीभाति पुरुषार्थ करता रहता है । तप ही अपरिग्रही के जीवन का संबल है ।

संते वंते हिमनिरते—अपरिग्रही का बहिरंग परिचय यह है कि वह सदा क्षमाशील एवं कष्टसहिष्णु, इन्द्रियों का दमन करने वाला एव स्वपरहित में उत्पन्न रहता है । वह अकर्मण्य बन कर बैठा नहीं रहता, अपितु स्वपरहित के कार्य में संलग्न रहता है, ताकि मन परिग्रह की किसी भी भूलभुलैया में न फसे ।

इरियासमिते...समिते मज्जुत्ते...कावणुत्ते—वह पांच समितियों और तीन युक्तियों के पालन में सदा उद्यत रहता है ।

मुत्तविए गृत्तवंनघारी—वह अपनी इन्द्रियों को अनुभूत विषयों के बीहड़ में जाने से सदा बचाता है, ब्रह्मचर्य की भी पूर्ण सुरक्षा करता है । क्योंकि विषय और काम (वेद) इन दोनों को अपरिग्रही अन्तरंग परिग्रह मानता है ।

घाई, लज्जु, घब्रं, तबस्वी - वह परिग्रह का सर्वथा त्यागी होता है। पाप कर्म करते हुए शर्माता है, वह अपने जीवन में समय का घनी या घन्य है, तपस्वी भी है।

संतिष्ठन्ने, जिह्विण्, सोहिण्, अणियाणं, अबहिल्लेसे, अममे, अकिचन्ने, छिन्न-वन्ने, निवन्ने—ये अपरिग्रही की बाह्य पहिचान के चिह्न हैं। वह क्षमा करने या कष्ट सहने में समर्थ होगा, इन्द्रियजंता होगा, गुणों से शोभित, निदान से रहित, समय से बाहर विचरण करने वाली लेख्याओं से रहित, मैं और मेरा के भेदमूलक व्यवहारों से पृथक्, अकिचन, आसक्ति की गांठें तोड़ने वाला और निर्लेप होता है।

सुखिसलवरकांसभायणं च मुक्कतोए .. जीबोव्य अप्पिडिहयगती—इन सब पंक्तियों में अपरिग्रही साधु को विभिन्न उपमाएँ दे कर उसकी विशेषता बताई है। वह कासी के बर्तन के समान जलससर्ग से रहित, शख की तरह निरजन, रागद्वेष व मोह से विरक्त, कछुए के समान इन्द्रियगोप्ता, शुद्ध सोने के समान शुद्ध आत्मस्वरूपपरायण, कमलपत्र की तरह निर्लेप, चन्द्रमा की तरह सौम्यस्वभावी, सूर्य की तरह तेजस्वी, सुमेरु की तरह अटल, समुद्र की तरह अक्षोभ्य एव स्थिर, पृथ्वी की तरह सर्वस्पर्श-सहिष्णु, राख से ढकी अग्नि के समान तपस्वरूप अन्तस्तेज से देदीप्यमान, तेज से जलती हुई आग के समान, मोशीर्ष चन्दन के समान शीतल, शील की सुगन्ध से पूर्ण, सरोवर की तरह शान्त, दर्पणतल की तरह निर्मल, सहज स्वभाव से शुद्ध-स्वभावी, हाथी के समान शूरवीर, वृषभ के समान लिये हुए समय भार को उठाने में समर्थ, सिंह की तरह अपराजेय, शरद्वृत्तु के जल के समान स्वच्छहृदय, भारद-पक्षीवत् अप्रमादी, गेंडे के सींग के तुल्य एकाकी, ठूँठ की तरह कायोत्सर्ग में स्थिर, शून्यगृह के समान शरीर की विभूषा से दूर, सूने घर में या निर्वात स्थान में रहे हुए दीपक की तरह ध्यान में निष्कम्प, छुरे की तरह एक धारा रूप प्रवृत्ति वाला, साप की तरह एकमात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने वाला, आकाश की तरह निरालम्ब, पक्षी की तरह से निरपेक्ष, साप की तरह दूसरे के द्वारा बनाए हुए घर में निवास करने वाला, हवा की तरह अप्रतिबद्धबिहारी, देह छोड़ें हुए चेतन प्राणी की तरह निराबाध स्वतन्त्रगतिशील होता है। ये सारे विशेषण अपरिग्रही के जीवन की विशेषताओं को प्रकट करते हैं।

घामे घामे एगरायं, नमरे नमरे च पंचरायं बुद्धञ्जंते—अपरिग्रही किसी गाँव या नगर में भी बंध कर, जम कर या आसक्त बन कर नहीं रहता। जहाँ अच्छी-बच्छी स्वादिष्ट वस्तुएँ खाने-पीने को मिलती हों, लोगों की भावभक्ति हो, प्रतिष्ठा भी मिलती हो; वहाँ कच्चे साधक का मन अधिक दिन रहने को ललचाता है और अग्रिम, अनिष्ट प्राप्त-नगर मिलने पर वहाँ से जल्दी भागने का भी करता है; पर अपरिग्रह

की दीक्षा में पारंगत साधु उपर्युक्त^१ नियम के अनुसार हर रात में एक रात और हर नगर में पांच रात रहेगा। जिससे जनता का ममत्त्व न बढ़े, आहारारवि में भी आसक्ति न बढ़े।

चित्तिविए जितपरिसहे निष्कामो चिद्ध—ये चारो विशेषण अपरिग्रही के जीवन की पराकाष्ठा के हैं। वह जितेन्द्रिय होगा, परिषर्हविषेता भी होगा, निर्भय होगा, वह सब बात कहने में घबराएगा नहीं, निर्भयतापूर्वक अपनी बात जनता के सामने रखेगा। गीतार्य—विद्वाच् होगा।

सच्चित्ताचित्तनीसकेहि इच्छेहि विराय गते, संखयाओ विरते, मुत्से, स्वहृके, निरवकंठे—ये सब विशेषण अपरिग्रही के जीवन में बाह्य परिग्रहों से विरक्ति के मापदंड हैं। इन गुणों के द्वारा बाह्यरूप से अपरिग्रही का जीवन नापा जा सकता है। उसके जीवन के मस्कारों में बैराग्य तो जन्मघुट्टी की तरह रहता है। इव्य चाहे सचित्त हो, अचित्त हो या मिश्र, कम हो या ज्यादा, छोटा हो या बड़ा, कीमती हो अथवा अल्पमूल्य, वह इतना विरक्त होगा कि उसकी तरफ झाकेगा भी नहीं, उठाना तो दूर रहा, छुएगा भी नहीं। किसी भी चीज के संखय से तो वह दूर ही रहेगा। वह निलोभी, अल्पोपकरण के कारण हलका अथवा गर्वभार से हीन एवं निष्कांक्ष होगा।

ओबिद्यमरणासविष्यमुचके—जीने और मरने की आभा से वह मुक्त होता है। प्रमंसा मिलने पर वह अधिक दिन जीने की इच्छा नहीं करता और कष्ट या रोग से घबरा कर जल्दी मर जाने की भी कामना नहीं करता। मृत्यु किसी भी समय आ जाए वह हंसते-हसते उसका स्वागत करेगा, असंयमी जीवन में वह एक दिन भी जीना नहीं चाहेगा।

निस्संखं निरुबध चरित्तं धीरे काएष फासधंते—चारित्र्य के परिणाम से युक्त वह धीर निरतिचार चारित्र्य को काया से स्पर्श करता हुआ चलेगा। मतलब यह है कि उसका चारित्र्य पालन केवल मन के लब्ध नहीं, परन्तु मुंह में डाली हुई मिथी के समान प्रत्यक्ष अनुभूतिरूप होगा। वह भी निर्दोष होगा, अखंड परिधामों की धारा से युक्त होगा।

अव्यस्यव्यस्यानुत्तं गिहृए—इन दोनों विशेषणों द्वारा अपरिग्रही की अन्तरंग विशेष्यात्मक प्रकृति सूचित की है। वह निरन्तर अध्ययन वरीरह से आत्मध्यान में

१—यह नियम भिक्षुप्रतिमा स्वीकृत साधु की दृष्टि से लिखा गया है।

लीन रहेगा, उपशान्त या निश्चल रहेगा। उसके जीवन में किसी भीतिक वस्तु की तमन्ना नहीं होगी।

एये चरेञ्ज धम्मं—ऐसा अपरिग्रही साधु अपरिग्रह की दृष्टि से अगर दूसरे किसी की सहायता न लेकर एकाकी रहता है तो उसमें दोष नहीं, गुण ही है। कई बार निपुण, गुणी या समविचार का सहायक नहीं मिलता, तब व्यर्थ ही कर्म-बन्धन, मानसिक क्लेश, वैमनस्य और आलोचना-प्रत्यालोचना के भाव पैदा होते हैं। उत्तराध्ययनसूत्र में तो स्पष्ट ही कहा है—

‘न वा लभेज्जा निठमं सहाय, गुणाहियं वा गुणओ समं वा।

एकोवि वाबाइ’ विवञ्जयंतो, विहरेञ्ज कामेसु असञ्जमाणो ॥’

अर्थात्—“गुण में अधिक या गुणों में सम निपुण सहायक न मिले तो कामधर्मों में अनासक्त रहते हुये पापों का निवारण करता हुआ अकेला ही विचरण करे।” चूँकि दो होने से ममत्व का भी परिग्रह बढ़ सकता है और कपाय का परिग्रह भी। इसलिए अन्तरंग परिग्रह की कमी के लिए योग्य, सशक्त और गुणवान साधक अकेला ही चारित्र्यधर्म का पालन करे, यही आशय यहाँ प्रतीत होता है।

अपरिग्रहसिद्धान्त पर प्रवचन किसने और क्यों किया?—यह अपरिग्रहसिद्धान्त केवल काल्पनिक चीज नहीं है या किसी अव्योम्य गुरु द्वारा चले के कान में फूँकने वाला मंत्र नहीं है। अपरिग्रह का यह प्रवचनमत्र भगवान् महावीर द्वारा अपरिग्रह-व्रत की रक्षा के लिए बहुत स्पष्टरूप से स्वयं अनुभव करने के पश्चात् कहा गया है। यह आत्महितकर तो है ही, परलोक में भी परमभाव से युक्त है, भविष्य के लिए कल्याणकारी है, बुद्ध है, न्यायसगत है, सरल है, श्रेष्ठ है और समस्त दुःखों और पापों को शान्त करने वाला है।

अपरिग्रहव्रत की पांच भावनाएँ

अपरिग्रही की पहिचान के लिए पूर्व सूत्रपाठ में विशद रूप से कह कर शास्त्रकार अब परिग्रह से विरतिरूप अपरिग्रहमहाव्रत की सुरक्षा के लिए पांच भावनाओं का निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा निरूपण करते हैं—

मूलपाठ

तस्स इमा पंच भावणाओ चरिमस्स वयस्स होति परिग्गह-वेरमणरक्खणट्ठयाए—पढमं सोइदिणं सोच्चा सद्दाइं मणुम्मभद्दगाइं, कित्ते ? वरमुरय-मुइंग-पणव-दद्दुर-कच्छमि-

वीणा-विपंची-वल्लयि-वद्धीसक-सुषोस-नंदि-सूसर - परिवादिशि-
 बंस-तूणक-पव्वक-तंती-तल-ताल-तुडिय - निग्घोस-गीयवाइयाइं,
 नडनट्टक-जल्ल-मल्ल-मुट्टिक-वेलंबक-कहक-पवक-लासग-आइक्खग-
 लंख-मंख-तूणइल्ल-तुंबवीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि
 महुरसरगीतसुस्तराइं, कंची-मेहला-कलाव-पत्तरक-पहेरक-
 पायजालग - घंटिय - खिम्बिणी - रयणोरत्रालिय-छुद्धिद(डिड)य-
 नेउर-चलणमालिय-कणगनियल-जालभूसणसद्दाणि, लोलाचंक्कम्म-
 माणाणूदोरियाइं तरुणीजणहंसिय-भणिय-कलरिभित्त-मंजुलाइं
 गुणवयणाणि य बहूणि महुर-जणभासियाइं अन्नेसु य एवमादिएसु
 सद्देसु मणुन्नभददएसु ण तेसु समणेण सज्जियव्वं, न रज्जियव्वं, न
 गिज्जियव्वं, न हसियव्वं, न मुज्जियव्वं, न विनिग्घायं आवज्जि-
 यव्वं, न लुभियव्वं, न तुसियव्वं, न सइं च मइं च तत्थ
 कुज्जा । पुणरवि सोइंदिएण सोच्चा सद्दाइं अमणुन्नपावकाइं,
 किं ते ? अक्कोस-फरुस-खिसण-अवमाणण-तज्जण-निब्भंछण-
 दित्तवयण-तासण-उक्कूजिय-रुन्न-रडिय-कंदिय - निग्घुट्ट - रसिय-
 कलुणविलवियाइं, अन्नेसु य एवमादिएसु सद्देसु अमणुण-
 पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्वं, न हीसियव्वं, न निदियव्वं,
 न खिसियव्वं, न छिदियव्वं, न भिदियव्वं, न वहेयव्वं, न
 दुगुंछावत्तियाए लब्भा उप्पाएउं, एवं सोत्तिवियभावणा-
 भावितो भवति अंतरप्पा मणुन्नामणुन्नसुन्निदुब्भिरागदोस-
 प्पणिहियप्पा साहू मणवयणकायगुत्ते संबुडे पणिर्हिदिए
 चरेज्ज घम्मं ॥ १ ॥

ब्रितियं चबिख्खदिएण पासिय रूवाणि मणुन्नाइं भद्दाइं
 सचित्ताचित्तमोसकाइं कट्टे, पोत्ते य, चित्तकम्मे, लेप्पकम्मे,
 सेले य, दंतकम्मे य, पंचहिं वण्णोहिं अस्सेगसंठाणसंठियाइं

गंठिमवेडिमपूरिमसंघातिमाणि य मल्लाहं बहुविहाणि य अहियं
 नयणमणसुहकराहं, वणसंढे एव्वते य गामागर-नगराणि य
 खुद्धिय-पुक्खरिणि-वावी-वीहिय-गुंजालिय-सरसरपंतिय - सागर-
 विल्लपंतिय-खादिय-नदी-सर-तलाग - वप्पिणोफुल्लुप्पलपउमपरिमं-
 ङ्गियाभिरामे, अणोसउणगण-मिहुणविचरिए, वरमंडव-विविह-
 भवण-तोरण-चेतिय-देवकुल-सभ-प्पवा-वसह-सुकयसयणासण-सीय-
 रह-सयह-जाण-जुग्ग-संदण-नरनारिगणे य, सोमपडिहूवदरिस-
 णिज्जे, अलंकितविभूसिते, पुव्वकयतवप्पभावसोहृग-संपउत्ते,
 नड-नत्तग-जल्ल-मल्ल-मुट्टिय-बेलंबग-कहग-पवग-लासग-आइक्खग-
 लंख-मंख-तूणइल्ल-तुंबवीणिय-तालायरपकरणाणि य बहूणि
 सुकरणाणि, अन्नेसु य एवमादिएसु रूव्वेसु मणुन्नभद्दएमु
 न तेसु समणेण सज्जियव्वं, न रजियव्वं जाव न सइं च मइं च
 तत्थ कुज्जा । पुणरवि चक्खिदिएण पासिय रूवाइं अमणुन्नपाव-
 काइं, किं ते ? गंढि-कोढिक-कुणि-उदरि - कच्छुल्ल-पइल्ल-कुज्ज-
 पंगुल-वामण-अंधिल्लग-एगचक्खु-विणिहय-सप्पि-सल्लग-वाहिरोग-
 पीलियं, विगयाणि य मयककलेवराणि, सकिमिणकुहियं च दव्व-
 रासि, अन्नेसु य एवमादिएसु अमणुन्नपावकेसु न तेसु समणेण
 रूसियव्वं जाव न दुगुंछावत्तियावि लब्भा उप्पातेउं, एवं चक्खि-
 दियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा जाव चरेज्ज घम्मं ॥ २ ॥

ततियं घाणिदिएण अग्घाइय गंधाति मणुन्नभद्दगाइं, कि
 ते ? जलय-थलय-सरस-पुप्फ-फल-पाण-भोयण-कुट्ट-तगर-पत्त-चोय-
 दमणक-भरुय-एलारस-पक्कमंसि - गोसीस-सरसचंदण-कप्पूर-लवग-
 अगर-कुंकुम-कककोल-उसीर-सेयचंदण-सुगन्ध-सारंग-जुत्तिवर- धूव-
 वासे उउर्यापडिम-णिहारिमगंधिएसु अन्नेसु य एवमादिएसु गंधेसु
 मणुन्नभद्दएसु न तेसु समणेण सज्जियव्वं जाव न सति च मइं

च तत्थ कुञ्जा , पुणरवि घाणिदिएण अग्घातिय गंधाणि अमणु-
न्नपावकाइं, किं ते ? अहिमड-अस्समड-हत्थिमड-गोमड-विग-
सुष्णग-सियाल-मणुय-मज्जार-सीह-दीविय-मयकुहिय- विणट्टकिविण-
बहुदुरभिगंधेसु अन्नेसु य एवमादिएसु गंधेसु अमणुन्नपावएसु न
तेसु समणेण रूसियव्वं, न हीलियव्वं जाव 'पणिहियपंचेदिए
चरेज्ज धम्मं ॥ ३ ॥

च उत्थं जिन्धिदिएण साइय रसाणि उ मणुन्नभद्दकाइं, किं
ते ? उग्गाहिम - विविहपाण-भोयण-गुलकय-खंडकय-तेल्ल-धयकय-
भक्खेसु बहुविहेसु लवणरससंजुत्तेसु महमंसबहुप्पगारमज्जिय-
निट्टाणग-दालियंब-सेहंब-दुद्ध-दहि-सरय-मज्ज-वरवारुणो-सीहु-कावि-
सायण-सायट्टारसबहुप्पगारेसु भोयणेसु य मणुन्न-वन्नगंधरसफास-
बहुदव्वसंभितेसु अन्नेसु य एवमादिएसु रसेसु मणुन्नभद्दएसु
न तेसु समणेण सज्जियव्वं जाव न सइं च मतिं च तत्थ कुञ्जा ।
पुणरवि जिन्धिदिएण सायिय रसातिं अमणुन्नपावगाइं, किं ते ?
अरस-विरस-ीय-लुक्ख-णिज्जप्पपाणभोयणाइं दोसीणवावन्न-कुहिय-
पूइय-अमणुन्न-विणट्ट-पसूय-बहुदुब्धिगंधियाइ तित्तकडुयकसाय-
अंबिलरस लिडवीरसाइं, अन्नेसु य एवमादिएसु रसेसु अमणु-
न्नपावएसु न तेसु समणेण रूसियव्वं जाव चरेज्ज धम्मं ॥ ४ ॥

पंचमगं पुण फासिदिएण फासिय फासाइं मणुन्न-भद्दकाइं
किं ते ? दग-मंडव-हीर-सेयचंदण सीयलविमलजल विविहकुसुम-
सत्थर-ओसीर-मुत्तिय - मुणाल - दोसिणा - पेहुण - उक्खेवग-
तालियंठ-बीयणगजणिय-सुहसीयत्ते य पवणे गिम्हकाले सुहफा-
साणि य बहूणि सयणाणि आसणाणि य पाउरणगुणे य सिसिर-

१. इसके बदले कहीं कहीं 'पिहियघाणिदिय' पा० मिलता है ।

काले अंगार-पतावणा य आयवनिद्धमउय-सीय-उसिणलहुया य
 जे उउसुहफासा अंगसुहनिव्वुइकरा ते, अन्नेसु य एवमादिएसु
 फासेसु मणुन्नभददएसु न तेसु समरणेण सज्जियव्वं, न रज्जि-
 यव्वं, न गिज्जियव्वं, न मुज्जियव्वं, न विणिग्घायं आवज्जियव्वं, न
 लुभियव्वं, न अज्जोववज्जियव्वं, न तूसियव्वं, न हसियव्वं, न सतिं च
 मतिं च तत्थ कुज्जा । पुणरवि फासिदिएण फासिय फासातिं अमणुन्न-
 पावकाइं, किं ते ? अणेगवघ-बंध-तालणंरुण-अतिभारारोवण-
 अंगभंजण-सूतीनखप्पवेस - गायपच्छणण-लक्खारस-न्वारतेल्लकल-
 कलंत-तउअ-सीसक-काललोहसिचण-हडि-बंधण-रज्जुनिगल-संकल-
 हत्थंडुय-कुंभिपाकदहण-सीहपुच्छण-उव्वंधण-सूलभेय-गय-चलण मल-
 ण-करचरणकन्ननासोट्टसीसछेयण-जिब्भच्छेयण-वसणनयणहिंयदंत-
 भंजण-त्रोत्तलयकसप्पहार-पादपणिह-जाणुपत्थरनिवायपीलण-कवि-
 कच्छु-अगणि-विच्छुयडक्क-वायातवदंसमसकनिवाते दुट्टुणिसज्ज-
 दुग्घिसीहिया-दुग्घि-कक्खड गुरुसीयउसिणलुक्खेसु बहुविहेसु अग्नेसु
 य एवमाइएसु फासेसु अमणुन्नपावकेसु न तेसु समरणेण
 रुसियव्वं, न हीलियव्वं, न निदियव्वं, न गरहियव्वं, न
 खिसियव्वं, न छिदियव्वं, न भिदियव्वं, न वहेयव्वं, न दुगुंछा-
 वत्तिया य लब्धा उप्पाएउं, एवं फासिदियभावणाभावितो
 भवति अंतरप्पा मणुन्नामणुन्नसुग्घिदुग्घिराग-दोसपणिहियप्पा
 साहू मणवयणकायगुत्ते संबुडेणं पणिहित्तिदिए चरेज्ज
 घम्मं ॥ ५ ॥

एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुप्पणिहियं
 इमेहि पंचहिं वि कारसोहिं, मणवयकायपरिरक्खिएहिं निच्चं
 आमरणंतं च एस जोगो नेयव्वो घित्तमया भित्तमया अणासवो,
 अकलुसो, अच्छिद्दो, अपरिस्सावी, असंकिलिट्ठो, सुद्धो, सब्ब-

जिणमणुन्नातो । एवं पंचमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवति । एवं नायमुणिणा भगवया पन्नवियं, परूवियं पसिद्धं सिद्धं सिद्धवर-सासणमिणं आघवियं, सुदेसियं पसत्थं पंचमं संवरदारं समत्तं ति वेमि ।

‘एयाइं वयाइं पंचवि सुव्वयमहव्वयाइं हेउसयविचित्त-पुक्खलाइं कहियाइं अरहंतसासणे पंच समासेण संवरा वित्थरेण उ पणवीसति समियसहियसंबुडे सया जयण-अडण-सुविसुद्धदंसणे एए अणुचरिय संजते चरमसरीरधरे भविस्सतीति ॥ (सू० २९)

संस्कृतच्छाया

तस्येमाः पंचभावनाश्चरमस्य व्रतस्य भवन्ति परिग्रहविरमणपरि-
रक्षणार्थं, प्रथमं श्रोत्रेन्द्रियेण श्रुत्वा शब्दान् मनोज्ञपद्मकान्, के ते ? वरमुरज-
मृदंग-पणव-बहुं रक-कच्छभी-बीजा-विपंची-वस्लकी-बद्धीसक - सुघोषा-मन्वी
सूसर (सुस्वर) परिवाहिनी-वंश-तूणक-पवंक-तंत्री-सल-तालतूर्यनिर्घोष-
गीत-बाधितानि नट-नर्तक-जल्ल-मल्ल-मौष्टिक-बिडम्बक-कणक-प्लवक-
लासकास्थायक-संज्ञ-मंस तूणइल्ल-तुम्बवीजक-तालावरप्रकरणानि च
बहूनि मधुरस्वर-गीतसुस्वराणि वा कांची-मेखला-कलाप-प्रतरक-प्रहेरक-
पादजालक-घंटिका-किकिणी-रत्नोरजालिका-अङ्घ्रिका-नूपुर-बालनमालिका-
कनकनिगलजालभूषणशब्दान्, स्त्रीलाचक्रम्यमाणोवीरितान् तरुणीजनहृत्सित-
भणित-कलरिभित्तमंजुलानि गुणवचनानि च बहूनि मधुर-जनभाषितानि

१. दूसरी बाधना में इस प्रकार का पाठ मिलता है—

‘एषाणि पंचावि सुव्वयमहव्वयाणि, लोकघिइकराणि, सुयसापर-वेसियाणि,
संजमसीलव्वयसञ्चउज्जवमयाणि नरयतिरियवेवमणुय-मइविक्खिययाणि सम्बजिण-
सासयाणि, कम्मरवधियारकाणि, भवसयधिमोयगाणि, दुमससयविभासकाणि, सुपस-
सवपवसयाणि, कापुरिसतुल्लराणि सप्पुरिसव्वजतीरियाणि निव्वाणवमणजायाणि
कहियाणि सम्पपवायकाणि पंचावि महव्वयाणि कहियाणि ।, —सम्पादक

अन्येषु चैवमादिकेषु शब्देषु मनोज्ञ-भद्रकेषु न तेषु भ्रमणेन सस्कथ्यं, न रस्कथ्यं, न गर्हितकथ्यं, न हसितकथ्यं, न मोहितकथ्यं, न विनिघातमापलक्यं, न लोब्धकथ्यं, न तोषकथ्यं, न स्मृतिं च मतिं च तत्र कुर्याद् । पुनरपि श्रोत्रेन्द्रियेण श्रुत्वा शब्दान् भ्रमनोज्ञपापकान्, के ते ? आक्रोश-पक्षव-खिसनाऽवमानन-तर्जन-निर्मत्सर्न-दीप्तवचन-त्रासनोत्कूञ्जित - रुषित - रदित-कञ्जित - निघृष्ट-रसित - कदण-बिसपितानि अन्येषु चैवमादिकेषु शब्देषु भ्रमनोज्ञपापकेषु न तेषु भ्रमणेन रोषितकथ्यं, न हीलितकथ्यं, न निन्दितकथ्यं, न खिसितकथ्यं, न छेत्तकथ्यं, न भेत्तकथ्यं, न हन्तकथ्यं, न जुगुप्सावृत्तिका लम्बोत्पादयितुम् । एवं श्रोत्रेन्द्रिय-भावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा मनोज्ञामनोज्ञ-शुभाशुभ-रागद्वेष - प्रणिहितात्मा साधुर्मनो-वचनकायगुप्तः संवृतः प्रणिहितेन्द्रियश्चरेद् धर्मम् ॥ १ ॥

द्वितीयं चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि मनोज्ञानि, भद्रकाणि सचिस्ता-चित्तमिभ्रकाणि काष्ठे च पुस्ते च चित्रकर्मणि लेप्य-कर्मणि शंले च दन्त-कर्मणि च पंचभिर्बर्णैरेकसंस्थान-संस्थितानि प्रन्थिभवेष्टिमपूरिमसघाति-मानि च मात्स्यानि बहुविधानि चाधिकं नयनमनःसुखकराणि वनघण्डान् पर्वतां-श्च ग्रामाकरनगराणि च क्षत्रिका-पुष्करिणी-वापी-दीर्घिका-गुञ्जालिका-सरः-सरपंक्तिका-सागरविलपंक्तिका-खातिका-नदी-सरस्तडागवप्रान् फुल्लोत्पल-पद्मपरिमंडिताभिरामान् अनेकसकुनिगणमिथुनबिरचितान् वरमंडप-विविधभवन-तोरण-चैत्य-बैबकुल-सभा-प्रपाऽवसथ-सुकृतशयनासन-शिबिका - रथ-शकट-यान-गुह्य-स्यन्धन - नरनारीगणान् च सौम्यप्रतिरूपदर्शनीयान् अलंकृत-विभूषितान् पूर्वकृततपःप्रभावसौभाग्यसप्रयुक्तान् नट-नर्तक-जल्ल-मल्ल-मौष्टिक - विडम्बक-कथक - प्लवक - तासकास्यायकलंसंक्षतूजइल्ल-तुम्बवीणिकतालाचरप्रकरणानि च बहूनि सुकरणानि अन्येषु चैवमादिकेषु रूपेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु भ्रमणेन सस्कथ्यं, न रस्कथ्यं यावद् न स्मृतिं च मतिं च तत्र कुर्याद् । पुनरपि चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि भ्रमनोज्ञपापकानि, कानि तानि ? गण्डि-कुण्डिक-कुञ्जि-उवरि-कम्बूतिमद्-पद्मवद्-कुञ्ज-पंगुल-वामना-ध्वंशकञ्ज-विनिहतसपिशाचक (सर्विशल्यक) व्याधिरोगपीडितं, विकृतानि च मृतककलेवराणि सङ्गमिफुषितं च द्रव्यराशिषु, अन्येषु चैवमादिकेषु न तेषु भ्रमणेन रोषितकथ्यं यावत् जुगुप्सावृत्तिकाऽपि लम्बोत्पादयितुम्; एवं चक्षुरिन्द्रिय भावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा यावच्छरेद् धर्मम् ॥ २ ॥

तृतीयं ध्यानेन्द्रियेणाऽऽध्याय गन्धान् मनोज्ञ-भद्रकान्, के ते ? जलज-
स्खलज - सरस-गुण्य-फल- पानभोजन-कुष्ठ-तगर-पत्र-स्वच्छमनक-मखैलारस-
पक्वमांसी - गौशोषं सरसचन्दनकपर्णं रसबंगामुसुक्तुं कुम्भककौलोशीरश्चेत-
चन्दन-सुगन्धसारंगयुक्तिवरधूपवासान् ऋतुर्जापिडिम-निर्हारिमगन्धेषु अन्येषु
शैबमादिकेषु गन्धेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु धमणेन सक्तव्यं यावत् न
स्मृति च मति च तत्र कुर्यात् । पुनरपि ध्यानेन्द्रियेणाऽऽध्याय गन्धान् अमनोज्ञ-
पापकान्, के ते ? मृताहि-मृताश्व-मृतहस्ति-मृतगोवृकशुनकभृगालमनुजमार्जार-
सिंह-द्वीपिक-मृत-कुपित-चिनष्टकृमिबद् बहुवुरभिगन्धेषु अन्येषु शैबमादिकेषु
गन्धेषु अमनोज्ञपापकेषु न तेषु धमणेन रोषितव्यं, न हीलितव्यं यावत्
प्रणिहितपचेन्द्रियश्चरेद् धर्मम् ॥ ३ ॥

चतुर्थं जिह्वेन्द्रियेणास्वाद्य रसांस्तु मनोज्ञभद्रकान्, के ते ? अक्वा-
हिमबिबिधपान-भोजनगुडकृत-खंडकृत-तैलघृतकृतभक्ष्येषु बहुविधेषु लवण-
रससंयुक्तेषु मधुमांसबहुप्रकारमण्डिका - निष्ठानक-वालिकाम्ल - संघाम्ल-
दुग्धदधिसरकमद्यवरवारुणीसीधुं कापिशायनशाकाष्टदशप्रबहुकारेषु भोजनेषु
च मनोज्ञवर्णगन्धरसस्पर्शबहुद्रव्यसंभृतेषु रसेषु अन्येषु शैबमादिकेषु
रसेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेषु धमणेन सक्तव्यं यावत् न स्मृति च मति च
तत्र कुर्यात् । पुनरपि जिह्वेन्द्रियेणास्वाद्य रसान् अमनोज्ञपापकान्, के ते ?
अरसविरस-शीतशनिनिर्वापपानभोजनानि दोषान्न-व्यापन्न-कुचित-पूतिकाऽ-
मनोज्ञचिनष्टप्रसूतबहुवुरभिगन्धिकानि तित्तकटुककषायाम्बरसलिन्र-
नीरसानि, अन्येषु शैबमादिकेषु रसेष्वमनोज्ञपापकेषु न तेषु धमणेन
रोषितव्यं यावत् चरेद् धर्मम् ॥ ४ ॥

पंचमं स्पर्शेन्द्रियेण स्पृष्ट्वा मनोज्ञभद्रकान्, के ते ? दक-मंडप-हीर-
श्वेतचन्दन - शीतलबिलजलविधिकुसुमम्लस्तरोशीर - मौक्तिक - मुणाल-
चन्द्रिका-पेठुष (मयूरांग) उत्क्षेपकतालवृन्तबीजनकजनितमुसशोतलांश्च
पवनान् प्रीष्मकाले सुखस्पृशानि च बहूनि शयनाभ्यासमानि च प्रावरण-
गुणार्श्व, शिशिरकाले अंगारप्रतापनाश्चातपस्निग्धमुदुशीतोष्णलघुकारश्च
ऋतुसुखस्पर्शा अंगसुखनिर्बृत्तिकरारस्तेऽन्येषु शैबमादिकेषु स्पर्शेषु मनोज्ञ-
भद्रकेषु न तेषु धमणेन सक्तव्यं, न रक्तव्य, न रजितव्यं, न मोहितव्यं, न
चिनिर्घातं आपसव्यं, न लोढव्यं - नाध्यात्मोपपसव्यं, न लोष्टव्यं, न

हसितव्यं, न स्मृति च मति च तत्र क्रियात् । पुनरपि स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृष्ट्वा स्पर्शान् अमनोज्ञपापकान्, के ते ? अनेकबधबन्धताङ्गनाऽकनाऽतिभारारोपनाऽङ्गभंजननखसूचीप्रवेश - गात्रप्रक्षरण - लाक्षारस- क्षार-तैल-कलकल-अपुष्यतोसक-काललोह - सेखन - हृद्योबंधन - रज्जुनिगडभृङ्गला(संकलना) - हस्ताङ्क - कुम्भीपाकबहन - सिंहपुच्छनोदबन्धन - मूलभेद- गजचरणमलन- करचरणकर्षनास्तोष्ठशीर्षण्ण्येवन-जिह्वाकर्षण-बुधजनयन-हृदयान्त्रबन्तभजन - यौक्त्रलताकचप्रहारपादवाङ्मिजानुप्रस्तरनिपातपीडनकपिकच्छबग्नि - बृश्चिकदंशबातातप-बंधनशकनिपातान् दुष्टनिषेधा-भुनिषीधिका - कर्कश-गुणशीतोष्णस्त्रेषु बह्विधेष्वेक्येषु चंदमाधिकेषु स्पर्शेषु अमनोज्ञपापकेषु न तेषु अमनेन रोषितव्यं, न हीलितव्यं, न निम्बितव्यं, न गर्हितव्यं, न खिसितव्यं, न छेत्तव्यं, न भेत्तव्यं, न हन्तव्यं, न जुगुप्सावृत्तिका च सम्योत्पादयितुम् ।

एवं स्पर्शनेन्द्रियभावनाभावितो भवत्यन्तरात्मा मनोज्ञामनोज्ञ-शुभाशुभ-रागद्वेषप्रणिहितात्मा साधुर्मनोवचनकायगुप्तः सवृत्तः प्रणिहितेन्द्रियश्चरेद् धर्मम् ॥ ५ ॥

एवमिदं संबन्धस्य द्वारं सम्यक् संवृतं भवति सुप्रणिहितमेभिः पंच-भिरपि कारणैर्मनोवचः कायपरिरक्षितैरित्यभामरनान्तं चैव योगो नैतव्यो धृतिमता मतिमताऽनाश्वबोऽङ्गलुबोऽच्छिद्रोऽपरिष्ठावो असंस्मितः शुद्धः सर्वजिनामुज्जातः ।

एवं पंचमं संबन्धद्वारं स्पृष्ट पालितं शोधितं तीरितं कौतिलमनुपालितमाजयाऽऽराधितं भवति । एवं ज्ञातमुनिना भगवता प्रज्ञापितं, प्रकथितं, प्रसिद्धं सिद्धं सिद्धचरशासनमिदमाख्यातं सुदेशितं प्रशस्तं पंचमं संबन्धद्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि ।

एतानि व्रतानि पंचापि सुव्रत - महाव्रतानि हेतुशत - विविक्त-पुष्कलानि कथितानि अर्हच्छासने पंच समासैर्न संबन्ध विस्तरेण तु पंचवि-शतिः समितसहितसंवृतः सदा यत्नवटनसुविशुद्धवर्धनः एताननुष्य संयत-श्चरमशरीरधरो भविष्यतीति ॥ (सू० २६)

पदान्ध्यायार्थ—(तस्त) उक्त पूर्वोक्त (परिमत्त वयस्त) अस्मिन् परिग्रहत्याग-क्य व्रत-अपरिग्रहसंबन्धद्वार की (पंच भावभावो) पंच भाववार्त् (परिग्रहवेरमण-परिरक्षणद्वयाए) परिग्रहत्यागक्य अपरिग्रहमहाव्रत की सुरक्षा के लिये (होति) हैं । (पदमं) प्रथम भावनाकस्तु इत प्रकार है—(तोइविष्णु) कर्षोन्धिय से (यन्मुक्तवृत्ताई)

मनोमत्त और अन्धे कर्णप्रिय (सहाई) शब्द (सोचना) सुन कर उनमें रागादि नहीं करना चाहिये । (किं ते ?) वे शब्द कौन-से हैं ? (बरपुरए-मुहंग-पचम बबुर-कच्छिन्नी-वीणा-विपंची-बल्लसि-बद्धीसक-सुघोस-मंदि-सूतर-परबादिभि-बंस-सूणक-पञ्चक-तंती-तल-ताल-मुच्चि-निघोस-गीयवाइयाइ) बड़ा सुबंग, छोटा सुबंग-पञ्चायन, छोटा डोलक, चमड़े से मड़े हुए मुक्त बाला कलश, बद्धीसक नामक बाजा, वीणा, विपंची और बल्लकी नाम की वीणा, सुघोषा नामक छटा, बारह बाजों का निगाव, वीणा-विशेष, करताल, कासे का ताल, इन सब बाजों की ध्वनि तथा गीत और सामान्य वाद्ये सुनकर (य) तथा (मठ-मठक-जल्ल-मल्ल-मुदितक-बेलंबक-कहक-पवक-नासक-आइवसग-मंछ-मंछ-तूणइल्ल-तालायरपरकरणाणि य बहूणि महुरसरगीतसुस्तराई) नट, नर्तक-नाचने वाले, बाजा बजाने वाले, पहलवान, मुक्केबाज-मुष्टि मुष्ट करने वाले, मांड-विदूषक, कथाकार, तंराक, रासलीला करने वाले, सुभासुम फल बतानेवाले, बांस पर चढ़ कर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूष (सुनतुनी) बजाने वाले, तुंबी की वीणा बजाने वाले, ताल-मंजोरे बजानेवाले, व्यक्तियों की विविध क्रियाओं तथा अनेक मधुर स्वर में गायन गाने बालों के गीतों के मनोमत्त स्वर तथा (कंबो-मेहला-कस्ताव-पसरक-पहेरक-वायजालन-घटिय-खिखिनि-रयभोरजासिय - छुहिय-नेउर-बल्लन-मासिय-कणगनियल-बालभूलनलहाणि) कांची-करघनी और मेसला-कटिआभूषण, गले का आभूषण-प्रंघेयक या हुंसली, प्रतरक तथा पहेरक नामक गहने, झांझर-पैरों का आभूषण, घुंघक, छोटी घुंघरिया, जांघों में पहनने का रत्नों का आभूषण, लघु किकणी, नेउर, वरनमालिका, सोने के लंगर, जाल नामक आभूषणविशेष, इन सभी आभूषणों के शब्द, (लीलाचंक्रममाणाण) लीलापूर्वक मस्त बाल से चलती हुई कामिनियों के (उबीरियाइ) मुंह से निकली हुई ध्वनि(तच्छीजन-हृसिय-मणिय-कल-रीधित-मंजुलाइ) युवतियों की परस्पर हंसीमजाक, आपस में वार्तालाप की मधुर सुकित ध्वनि, तथा रतिकीड़ा की आवाज (य) और (गुणवयणाणि) स्तुतिभरे वचन (ब) अथवा (बहूणि महुरजनभासियाइ) बहुत-से मधुर लोगों द्वारा निकाले गए इष्ट उद्गार (य) और (अन्धेसु एचवादिएसु मणुणमहएसु तेसु सहेंसु) और भी इसी प्रकार के अन्य मनोमत्त एवं प्रिय उन-उन शब्दों में (संजएच न लज्जियव्चं) संवधी को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, (न रज्जियव्चं) राग नहीं करना चाहिए, (न विज्जियव्चं) वृद्धि नहीं करनी चाहिए, (न मुज्जियव्चं) मोह नहीं करना चाहिए, (न विनिग्घायं आबन्धियव्चं) और न ही उन पर क्रिया होकर उनके लिए अपने को या दूसरे को व्योछावर करना चाहिए (न कुन्धियव्चं) न उनके जाने के लिए ललचाना चाहिए, (न तुसियव्चं) न उनके प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, न खुसी के बारे उछलना चाहिए; (न हृसियव्चं) न विस्मयपूर्वक हंसावा ही चाहिए (ब) तथा (न सहं च मईं च

सत्य कुम्भा) न उन मनोज्ञ शब्दों का स्मरण करना चाहिए और न उनमें बुद्धि ही लगानी चाहिए। (पुनरवि) प्रकारान्तर से और भी कहते हैं—(सोइ विएण) ओत्रेन्द्रिय से (अमनुष्णपावकाइं सहाइं लोण्णा) अमनोज्ञ एव पापजनक-अशुभ शब्दों को सुन कर भी रोषादि नहीं करना चाहिये। (किं ते ?), वे शब्द कौन-कौन-से हैं ? (अक्कोत्त-कफ्त-खिसण-अचमानण-सज्जण-निम्भंछण-वित्तवयण - तासण-उक्कज्जिय-एण्ण-रडिय-कंदिण - निग्घट्ट - रसिय - कलुण - विलवियाइं) आकोसवचन, कठोरवचन, निन्दाकारी वचन, अपमानभरे शब्द, डाँट-फटकार, धिक्कार, कोपवचन, प्राप्तजनक बोल, अव्यक्त चित्तियों की कर्कश आवाज, रोने, चिल्लाने, बढ़बढ़ाने या सियार आदि के बोलने की आवाज, कश्चस्वर, आर्त्तस्वर और विलाप करने का शब्द, (य) तथा (अन्नेसु एवमाविएसु अमनुष्णपावएसु तेषु सहेसु) ये और इस प्रकार के अमनोज्ञ एवं अशुभ उन-उन शब्दों पर (समयेण) साधु को (न कसियब्धं) रोष नहीं करना चाहिए, (न हीलियब्धं) कहने वाले की अबज्ञा नहीं करनी चाहिए, (न निदियब्धं) न लोगों में उसकी निन्दा ही करनी चाहिए, (न छिसियब्धं) न उस पर लीजना चाहिए, न जनता के सामने उसे 'नालायक' आदि अपशब्द कहने चाहिए, (न छिदियब्धं) न उस वस्तु या व्यक्ति को तोड़ना-कोड़ना चाहिए, न वृत्ति-ध्वेद ही कराना चाहिए (न भिदियब्धं) न तो ऐसे भयावने या धमकी भरे वचनों से डरना चाहिए और न उसको डराना चाहिए, न हड़की या मुँह तोड़ना चाहिए, (न बहेयब्धं) न उसे मारना-पीटना चाहिए, (न दुणुंछावसिया उप्पाएउं मग्गा) ऐसे वचन बोलने वाले के प्रति लोगों में इसारे आदि करके झगप्ता-घुमावृत्ति-मफरत पैदा करना भी ठीक नहीं है। (एवं) उक्त प्रकार से (सोत्तियिणवचणमावित्तो अतरप्पा) ओत्रेन्द्रियभावना से साधु का अन्तरात्मा संस्कारित-वसित्त (भवत्ति) हो जाता है और तब (मनुष्णामनुष्णसुखिज्जुगिरामहोत्पप्पि-हियप्पा) मनोज्ञ और अमनोज्ञ, शुभ और अशुभ शब्दों में कमलः राग और द्वेष के संवरण को प्राप्त (साधु) साधु (अणवयणकायवुत्तं) मन, अचन और काया का गोपन करने वाला (संबुद्धे) संवरयुक्त और (पणिहित्तंविए) संघम के विषय में इन्द्रियों को निरवस रक्षता हुआ अथवा (विहित्तंविए) इन्द्रियों को विषयों में बौद्धि से रोक कर रक्षता हुआ (वण्णं चरेण्ण) संवरण्य का आचरण करता है।

(वित्तियं) द्वितीय भावभावस्तु इस प्रकार है—(अविच्छविएण) नेत्रेन्द्रिय द्वारा (कट्ठे) कण्ठ सम्बन्धी पुतली आदि (य) (पोत्ते) पुस्तकसम्बन्धी या बत्तसम्बन्धी,

(बिलसकम्बे) चित्रकर्मसम्बन्धी (लेप्यकम्बे) मिट्टी आदि से दीवार आदि पर लेपनकर्मसम्बन्धी, (ब) तथा (सेले) पत्थरसम्बन्धी, (घ) (दंतकम्बे) हाथीदांत आदि के कर्मसम्बन्धी (पर्वाहि) पाँचों (बष्मैहि) रंगों से युक्त (मनुभ्रमद्वकाइ) मनोज्ञ तथा आँखों को प्रिय (सच्चिताचिलमोसकाइ) सच्चित्त, अचिल और मिथ (कबाणि) कर्णों को (पासिय) देख कर (अणेगसंठाणसंठियाइ) अनेक संस्थान—आकार के रचे हुए, (गंठिम-वेडिम-पूरिम-संघातिमाणि) ध्रुंषे हुए, बड़े कर कसीदा निकाले हुए, पिरोए हुए, माला की तरह इकट्ठे जोड़े हुए (अहियं) अधिक (नयण-मजसुहकराइ) आँखों और मन को सुख देने वाले (बहुविहाणि) अनेक प्रकार के (मस्ताइ) मालाओं में लगाये हुए फूलों को तथा (वणसंठे) वनसम्पद, (पञ्चते) पंचत, (शामागरनगराणि) गांध, खान एव नगर, (घ) तथा (कुल्लुप्पलपउम-परिमंडियाभिरामे) झिले हुए नील कमलों और श्वेत कमलों से सुशोभित और नयनाभिराम, (अणेग-सउणिगणमिहुणबिच्चरिए) जिनमें अनेक हंस, सारस आदि पक्षियों के जोड़े बिचरण कर रहे हैं, ऐसे (कुट्टिय-पुक्कारिणे-बावी-वीहिय-गु) जालिय-सरसरपतिय-सागर-बिलपतिय-खादिय-नदी-सर-तलाब-बप्पिणी) छोटा जलाशय, कमलयुक्त गोस बावड़ी, लम्बी बावड़ी, टेढ़ीमेढ़ी नहर, खोदे हुए या बिना खोदे सरोवरों की पंक्ति, समुद्र, सोना चांदी आदि धातु की खान का मार्ग, खाई, नदी, स्वामाबिक सरोवर, कृत्रिम तालाब, क्यारियों से शोभायमान बगीचों को, (घ) तथा (सोमपडिक्खवरिसणिज्जे) सौम्य, सुन्दर और दशनीय (अलकितविमूसिते) मुकुट आदि से अलंकृत तथा बस्त्रादि से सुसज्जित, (पु-वकयतवप्पभाव-सोहम्मसंपउत्ते) पूर्वकृत-तपस्या के प्रभाव से प्राप्त सौभाग्य से युक्त (वरमंडवविबिहमवणतोरणवेतियवेवकुलसमप्पवावसह-सुकमसयथा-सथ-सोव-रह-सधड-आण-जुग्ग-सदण-नरनारिणने) उत्तम मंडप, अनेक प्रकार के भवन, तोरण, शंख-यथादि की प्रतिमा, देवीदेवों के मन्दिर, सभा, प्याऊ, संध्यासियों के मठ, सुरचित शयन एवं आसन, पालकी, रथ, गाड़ी, यान, टमटम बाहनविशेष, रथविशेष तथा नर-नारिणों के मुष्ट को, (घ) तथा (मड-नट्टक-अल्ल-मल्ल-मुट्ठिय-वेलेंबक-कहम-यवण-लासण-आइक्खण-संस-संस-सुणइल्ल-सुं) बबीभिय-सासायर-पकरणाणि) मट, मृष्य करने वाले, बाबा बजाने वाले, पहलवान, मुट्टिमल्ल-मुक्केवाज, पांड-बिदुवक, कबाकार, तैराक, रास करने वाले, शूनासुभ फल बताने वाले, बांस पर चढ़ कर खेल करने वाले, चित्रबट बिलाने वाले, शूच (सुनसुनी) नामक बाबा बजाने वाले, सुन्धी की बोधा बजाने वाले, तालमजीरे बजाने वाले व्यक्तियों के कार्यों—आश्रयजनक करतलों को तथा (बहुणि सुकरणाणि) बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर कियार्यों

को देख कर (ब) और (एवमादिषु अग्नेसु मधुमन्महृषु तेषु क्वेषु) ये तथा इसी प्रकार के अन्य चक्षुःश्राव्य, मनपत्न्य एव सुहावने सत्त्वैरे उन-उन प्रसिद्ध कर्षों में— बुधमान वस्तुओं में, (समनेष) संयत्नी साधु को (न सञ्जयन्) आसक्त नहीं होना चाहिए, (न रञ्जयन्) राग नहीं करना चाहिए (जाब) यावत् पहले की तरह बुद्धि, मोह, लोभ, हास्य, न्योछावर या प्रसन्नता आदि नहीं करना चाहिए; (सत्य य) और उनको (न सद्ं च महं च कुञ्जा) न तो याद ही करना चाहिए और न उनमें बुद्धि लगानी चाहिए। (पुत्ररवि) और दूसरी तरह से (बन्धिविद्युषु) चक्षु-इन्द्रिय से (अमधुन्नपावकाइ क्वाइ) अमनोस्य एवं पापमन्य अशुभ—असुन्दर कर्षों को (पासिय) देख कर द्वेषादि नहीं करना चाहिए। (कि ते ?) ये कृप कौन-कौन से हैं ? (गंडि-कोटिक-कुचि-उदरि-कण्ठुस्ल-पइस्ल-कुञ्ज-पंगुल-वामच-अंघ्रिस्ल-एगचवकु-विणिह्य-सन्पिस्लस्य-बाहिरोगपीणियं) गडमाला के रोगी, कोढ़ी, मूले या टोंटे, जलोवर के रोगी, कुजली के रोगी, हाथीपना या कठिन पंर वाले, कुबड़े, लंगड़े या अपाहिज, बीने, अन्धे, काने, जन्मान्ध, भूत या पिशाच से ग्रस्त, अथवा पीछे के बल चलने वाले अथवा कमर झुका कर साठी लिये चलने वाले, बिसेव पीड़ा या चिर-स्वायी बीमारी से अथवा तत्काल मिट जाने वाले रोग से पीड़ित (य) तथा (विगद्यानि मयककलेवराणि) भोंडे भई विकृत—जिगड़े हुये मुर्दों की लाशों को (ब) तथा (सकिमिचक्रुहियं) कीड़ों से भरे हुए, सड़े हुये (इम्बरासि) पथारों के डेर को देख कर (य) तथा (एवमादिषु अग्नेसु तेषु अमधुन्नपावकेसु) इसी प्रकार के अन्य उन-उन प्रसिद्ध अमनोस्य, पापकर्मबन्धित असौमनीय बुरे कर्षों में (समनेष) अपरिग्रही धमन को (न रञ्जयन्) रोच नहीं करना चाहिये। (जाब) यावत् अवहेलना, तिरस्कार, मिन्दा, कटकार, झिप्कार, मारपीट, उस वस्तु को तोड़ना फोड़ना आदि नहीं करना चाहिये। (द्रुगुंछावसिया वि) उनके प्रति घृणा या कुमुप्सा का बर्ताव भी (उप्यातेरं) उत्पन्न करना (न सञ्जा) उचित नहीं है। (एवं) इस प्रकार (बन्धिविद्युषु-विगद्या-मावितो) चक्षुरिन्द्रियबाधना से संस्कारित (अंतरप्या) अन्तरात्मा साधु (भवति) होता है, (जाब) यावत् वह स्ववरकस्यान्साधक साधु मनोस्य-अमनोस्य, सुमानुष वस्तुओं या वृक्षों को देख कर राग और द्वेष को जाने से रोक लेता है और अपने मन, बचन एवं शरीर को उन-उन वृक्षों से होने वाले रागद्वेषादि से बचा कर रखता है, वही सुन्धितेन्द्रिय अपरिग्रही साधक (वरिज्ज सन्धं) धर्म का यथार्थक्य से आचरण करता है।

(तसित्यं) तीसरी भावभावस्तु इस प्रकार है—(घाण्डिष्ण) घ्राणैन्ध्रिय-नाक से (मनुष्णमहृणाइं) सूँघने योग्य मनोज्ञ और घ्राणप्रिय (गंधाहं) गन्धों को (अग्याइय) सूँघ कर रागादि न करे । (किं ते) वे गन्ध कौन-कौन-से हैं ? (जलय-जलय-सरस-पुष्प-फल-पाण-भोजन-कुट्ट-तगर-पत्त-श्लोय-इममक-मरुय-एलारस-पक्क मंसि-गोशीस-सरसचन्दन-कपूर-सर्वग - अयर-कुं कुम-कककोल - उसीर-श्लेयचन्दन-सुगन्ध-सारंग-जुति वरधूचबासे, जलअग्य, स्वलअग्य सरस फूल, फल, वान-वेयद्रव्य, भोजन, सुगन्धित कमलकुष्ठ नामक पदार्थ, तगर, तमालपत्र या अग्य कोई सर्वसुगन्धित द्रव्यविशेष, सुगन्धित छाल, इममक नामक फूल, मरुए का फूल, इलायची का रस, जटामांसी. गोशीर्ष नामक सरस चन्दन, कपूर, लौंग, अयर, केसर, कनकोल नामक कृशाबुवार फल, लसकल, सफेद चन्दन, सुगन्धित कमल आदि पदार्थों के संयोग से बनी हुई श्रेष्ठ धूप की सुवास को सूँघ कर (तेसु) उनमें (य) तथा (उज्य-पिद्धिम-जिहारिमगधिएसु) विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले कासोचित, बहुत-सी इकट्ठी सुगन्ध वाले एवं बहुत दूर तक फैलने वाली धनी सुगन्ध से युक्त द्रव्यों (य) तथा (अन्नेसु एवमादिएसु मनुष्णमहृएसु तेसु गंधेसु) इसी प्रकार की मनोहर नासिकाप्रिय उन-उन सुगन्धों के विषय में (समनेण) अपरिग्रही भ्रमण को (न सञ्जियधर्मा) भासवित नहीं करनी चाहिए, (जाय) यावत् उनके बारे में राग, मोह, लोभ, वृद्धि, हास्य, प्रसन्नता, श्लोछावर आदि करना योग्य नहीं है । (न सइं थ मइ थ तत्थ कुञ्जा) न उनके सम्बन्ध में बार-बार स्मरण करना चाहिए और न ही उनमें वृद्धि लगानी चाहिए । (पुणरथि) और तरह से भी (घाण्डिष्ण) घ्राणैन्ध्रिय-नासिका से (अमनुष्णपावकाहं) अमनोज्ञ-भन के प्रतिकूल एवं पापजनित असुप्त-पुरे (गंधाणि) गन्धों को (अग्यासिय) सूँघ कर रोष आदि न करे । (किंते) ? वे कुसन्ध कौन-कौन-से हैं ? (अहिमड-अस्समड-हृत्थिमड-गोमड-विग - सुगग - मनुय-मज्जार-सीयाल - सीविय-मयकुहियविचट्ठकिचिचकहुतुरनिगंघेसु) मरे हुए सांप, मृत घोड़े, मृत हाथी, मृत गाय, तथा भेड़िया, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, सिंघार, सिंह एवं चीता आदि के मरे हुए सड़े-गले शबों की, कीड़ों से कुलकुलाते हुए बहुत दूर-दूर तक बढव फैलाने वाले सुगन्धों में (य) तथा (एवमादिएसु अस्सेसु अमनुष्णपावएसु तेसु गंधेसु) इस प्रकार के और भी अमनोज्ञ एवं पापजनित असुप्त उन-उन सुगन्धों के विषय में (समनेण) अपरिग्रही, साधु को (न कसियधर्मा) रोष नहीं करना चाहिए (न हीसियण्ण) न नाक-भौं लिकोड़ना या बन्ध करना चाहिए; (जाय) यावत् उपेक्षा, निम्नता, तिरस्कार, तोड़-फोड़, मारपीट, धृषा-

नकरत भादि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की घ्राणेन्द्रियभावना से भावित अन्तरात्मा साधु मन के अनुकूल या प्रतिकूल शुभ या अशुभ गन्ध के मिलने पर राग और द्वेष को तुरन्त रोक लेता है, अपने मन, बचन और शरीर को उनके जाल में फँसने बचाता है। इस प्रकार संबन्धुक्त साधु (पनिहित्तिविए) अपनी इन्द्रियों को सुस्थित करके (धम्मं चरेज्ज) धर्म का शुद्ध आचरण करता है।

(चउत्थ) चौथी भावनावस्तु इस प्रकार है—(जिम्भिविएण) रसनेन्द्रिय के द्वारा (मणुन्नमहकाइ) मनोहर एवं जिह्वा को प्रिय (रसाणि उ) रसों को (साइय) स्वाद ले कर—बच कर उनमें आसक्ति भादि नहीं करना चाहिये। (किं ते ?) वे रस कौन-कौन से हैं ? (उग्गाहिम-विचिहपाण-भोजण-गुलकय-सङ्कय-तेल्लघयकय-मक्केसु) रसपूर्ण पक्वान्न, विविध पेय पदार्थ, भोजन तथा गुड़, शक्कर, तेल और घी से बनाए हुए भोज्य पदार्थ (य) तथा (बहुविहेसु) अनेक प्रकार के (लवणरस-संजुतेसु) लवण-रसों—मिर्चमसालों से संस्कारित (महुमंस-बहुप्यगार-मञ्जय-निट्टाणम-वालियंब-सेहंब-बुद्ध-वहि-सरय-मञ्ज-वरवारुणी-सीहु-काविसायण-सायट्टारस-बहुप्यगारेसु) मधु, मांस, अनेक प्रकार की मञ्जिका, बहुत मूल्य से बनाया हुआ भोजन इव्य, खटाई, मिर्च, जीरे आदि से छोंकी हुई स्वादिष्ट दाल, सेंधानमक, खटाई आदि डाल कर बनाया अचार-अथापा, दूध, बही, गुड़ तथा घातकीपुष्प आदि से बना हुआ सरक नामक पेयपदार्थ, जी आदि के आटे से बना हुआ मद्य, गुड़ तथा महुए आदि से बनी हुई चादनी मबिरा, सीधु और कापिशायन नामक मद्यवितोष, तथा १८ प्रकार के साग तथा अनेक प्रकार के (मणुन्नमगंधरस-कास बणुवण्णसंभितेसु तेसु भोज्येसु) मनोज्ञ बर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से निष्पन्न एवं बहुत से इव्यों से उपस्कृत उन-उन भोज्य पदार्थों में (य) और (एवमादिएसु अण्णेषु मणुन्नमहएसु रसेसु) इस प्रकार के मनोज्ञ और रसनेन्द्रिय प्रिय रसों—स्वादिष्ट पदार्थों में (समणेण) अपरिग्रही धमण को (न सज्जियव्व) आसक्त नहीं होना चाहिए, (जाव) यावत् उनमें राग, मोह, लोभ, गुड़ि, मोसुपता एव उनपर फिदा होकर अपने को न्योछाकर न करना चाहिए; न प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिए। (न सइं च मइं च तत्थ कुज्जा) और न उनकी याद करनी चाहिए, न उनमें बुद्धि लगानी चाहिए। (पुणरवि) फिर दूसरी तरह से भी (जिम्भिविएण) जिह्वेन्द्रिय के द्वारा (अमणुन्नपावगाइ) अमनोज्ञ एवं वायवन्तित अशुभ (रसाइं) रसों को (सायिय) बच कर रोच भादि नहीं करना चाहिए। (किं ते ?) वे विपरीत रस कौन-कौन से हैं ?

(अरस-विरस-सीय-सुवर्णविष्णुप्यपाणधोयथाइ) रसहीन, चक्षित रस वाले या विकृत, ठंडे, रुखे, बाली, सत्वहीन (अपोषक) पेष पदार्थ और भोजन (दोसीणवावन्नकुहिय-पुइय अमणुन्नविणट्ठ-पसुयवहुतुग्धिगंधाइ) रातबासी, रंग बबला हुआ, सड़ो हुई बबलू बासा, दुर्गन्धयुक्त, अमनोज्ञ, विनष्ट, कोई तथा कूलन से युक्त, अतएव अत्यन्त बबलूदार (तिसकट्टयकसायअबिलरसल्लिबनीरसाइ) तीक्ष्ण, कड़वे, कसले, छट्टे, संचाल अर्थात्—काई के सहित गर्मे जल के समान सड़े हुए जो दुर्गन्धमय एवं नीरस पदार्थ हैं, (तेसु) उनमें तथा (एबमाविणु अन्नेसु अमणुन्नपावकेसु रसेसु) इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रसों के सम्बन्ध में (समणेण) अपरिग्रही भक्षण को (न रसियव्व) रोप नहीं करना चाहिए, (जाव) यावत् उनमें डूब, विन्धा, धुआ, उपेक्षा, भारपीट, डांट-फटकार, तोड़फोड़ या नफरत नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जिह्वेन्द्रियभावना से संस्कारित साधु की अन्तरात्मा मनोज्ञ-अमनोज्ञ तथा शुभाशुभ रसों में राग और डूब को रोक लेती है तथा वह अपरिग्रहयुक्त साधु मनबचनकाया का संगोपन करके सवृत और सुस्थितेन्द्रिय बन कर (धम्म चरेज्ज) चारित्र्यधर्म का आचरण करता है।

(पंचमगं पुण) इसके बाद पांचवीं भावनाबस्तु इस प्रकार है—(फासि-दिण) स्पर्शनेन्द्रिय से (मणभ्रमइकाइ) मनोज्ञ और स्पर्शनेन्द्रियप्रिय, सुहावने (फासाइ) स्पर्शों को (फासिय) स्पर्श करके रागादि नहीं करना चाहिए। (किं ते ?) वे स्पर्श कौन-कौन से हैं ? (इगमंडबहीरसेयचंदमसीयसबिमसजलविहिह - कुसुमसत्थर-ओसोर-मुत्तिय - मुजाल-दोसिणा - पेहुज-उक्केवग - तालियंटवीयणगजणियसुहसीयले) जिनमें जल के फव्वारे चलते रहते हैं, ऐसे मरुप, शरने, हीरकहार, श्वेतचवन, ठंडा स्वच्छ जल, विविध प्रकार के फूलों की शय्याएँ, कसकस, मोती, कमल की डंडी, रात को छिटकने वाली चांदनी तथा मोर की पांखों के चन्द्रक के पंखों एव ताड़ के बनावे हुए पंखों से उपलब्ध सुखद शीतल (पवणे) हवा (य) तथा (गिप्पहासे सुहफासाधि बहूणि सयणाणि) ग्रीष्मकाल में सुखस्पर्श वाली बहुत-सी शय्याएँ (य) तथा (सित्तिरफासे) शीतकाल में (पाउरणपुणे) ठंड मिटाने वाले गुणकारी ओड़ने के कपड़े (य) तथा (अंगार-यसावणा) अंगारों से तापना—हाथ बगैरह सेकना; (य) तथा (आयवनिउ-पउय-सीयउत्तियलहुवा) सूरज की धूप, चिकने कोमल शीतल, गर्म और हलके (अंगसुह-निम्बुइकरा) अंगों को सुख और मन को शान्ति-स्वस्थता देने वाले (व) तथा (जे उउसुहफासा) जो हेमन्त आदि ऋतु काल के अनुसार सुखद स्पर्श हैं (य)

भीर (एवमादिएसु अन्नेसु मणुज्जवहृएसु तेसु फासेसु) ये तथा इसी प्रकार के दूसरे मनोहर एवं स्पर्शनेन्द्रियप्रिय स्पर्शों में (समनेष) परिग्रहत्यागी भ्रमण को (न सञ्जियम्बं) आसक्ति नहीं करनी चाहिए, (न रञ्जियम्बं) अनुरक्त नहीं होना चाहिए, (न मिञ्जियम्बं) गूढ़ि—मनोज्ञ के पाने की सतत लालसा भी नहीं करनी चाहिए, (न मुञ्जियम्बं) न मोह करना चाहिए, (न विणिःवायं आवञ्जियम्बं) उन पर किंवा ही कर अपने आप को न्योछावर नहीं करना चाहिए या पतंगे की तरह उस पर दृढ़ नहीं पड़ना चाहिए, (न लुभियम्बं) न ही लोभ करना चाहिए, (न अञ्जोववञ्जियम्बं) बार-बार आकांक्षा करके आत्मा में उसी बात को घोसते नहीं रहना चाहिए, (न वृत्तियम्बं) न मनोज्ञवस्तु प्राप्त होने पर मन में प्रसन्न होना चाहिए, (न हृत्तियम्बं) न ही हंतना चाहिए । न तत्त्व सति च मति च कुञ्जा) न उनका बार-बार स्मरण तथा मनन करना चाहिए । (पुनरचि) पुनरच (फासिदिएण) स्पर्शनेन्द्रिय से (अमणुन पावकाइ) अमनोज्ञ—अस्विकर एवं पापजनित अशुभ (फासाइं) स्पर्शों को (फासिय) स्पर्श करके क्रोधादि नहीं करना चाहिए । (किं ते ?) वे अमनोज्ञ स्पर्श कौन-कौनसे हैं ? (अनेगवधबंधतालनंकण-अतिभारारोयण-अंगभंजन-मुईनलप्यवेस-गाय-पच्छन-मन्धारस-खारतेत्स - कसकलंत—तउसीसककाललोहसिचन-हृदिबंधण-रञ्ज-निगल-संकल-हृत्बंधय-कुं शोपाक-बहण-सीहपुच्छन-उब्धघन-सूलभेय-गयचलणमलय-कर-अरणकअनासोदृठसीसछेयण-जिअनछेयण-असण-नयण-हियथ-वंतभंजन-ओत्तलयकसप्पहार-पाइपण्हि-आणु-पत्थरनिवाय-पीलण-कविकच्छु-अगणि-विच्छुयवक-वायातववसमसकनि-वाते) अनेक प्रकार के रस्ती आदि के बन्धन, बंध-लाठी आदि से मारपीट, धप्यड़, या मुक्के आदि मारना, तपी हुई नमनियं लोहे की सलाई से शरीर पर बांध देना—अंकित कर देना, अत्यन्त बोल लाव देना, अवभंग करना, या अंगों को मोड़ना, नकों में सूइयां घुसेड़ना, शरीर में छेद करना, गर्म लाक का रस, खार, तेल, तपे हुए सीसे व काले लोहे का सिचन-सेक करना, खोड़े में डाल देना, रस्ती की बेड़ी से बांध देना, लोहे की जंजीर तथा हथकड़ियां डालना, कड़ाही में डाल कर पकाना, आग में जलाना, सिंह की पूछ से बांध कर घसीटना, पेड़ आदि से उलटा बांध देना, शूली में पिरो देना, हाथी के पैर के नीचे फुलवा देना; हाथ, पैर, कान, नाक, ओठ और सिर का छेदन करना, शीघ्र शीघ्र लेना, अंडकोस, नेत्र, हृदय और दांतों को तोड़फोड़ कर निकलवाना, बेंत और चाबुक से पीटना, पैरों के पिछले भाग और घुटनों पर पत्थर पिराना, कीलू में पीलना, कीच की कसी, अग्नि, बिच्छू का डंक, हवा, नमी, डंस

और मच्छरों के उपद्रव; इन सब दुःख स्वर्ण एवं (बुद्धिनिस्तम्ब-भुक्तिशीलिया-भुक्तिव्यवहृत-गुरुसीयउत्सिन्धुकेसु) बंधने की खराब जगह, कष्टकर स्वाप्यावभूमि-निबीषिका का स्वर्ण तथा अत्यन्त कठोर, अत्यन्त वजनदार, अत्यन्त ठंडा, बहुत ही गर्म, एकदम फसा, (घ) तथा (एवमादिदुषु भजेसु अमणुप्रपावकेसु बहुविहेसु) इसी प्रकार के अनेक किस्म के अन्याय्य अमनोज्ञ तथा पापकर्मजन्य अशुभ उन-उन स्वर्णों के प्राप्त होने पर (समभोज) संयमी अमण को, (न कसियव्व) उन पर या उनके किसी निमित्त पर क्रोध नहीं करना चाहिए, (न हीलियव्वं) न तिरस्कार करना चाहिए, (न विदियव्वं) न वस्तु या उसके निमित्त रूप बने व्यक्ति की निन्दा ही करना चाहिए, (न गरहियव्वं) न लोगों के सामने उसके दोषों का भंडा फोड़ना चाहिए, (न खिसियव्वं) न खीजना-खिड़ना चाहिए, (न छिदियव्वं) उस वस्तु या तन्निमित्त व्यक्ति को तोड़ना-फोड़ना न चाहिए, (न भिदियव्वं) न उस वस्तु या व्यक्ति का भेदन करना चाहिए, (न बहेव्वं) न बध-मारपीट करना चाहिए, (ख) और (न बुभुंछावत्तिमा उप्पाएदं सव्भा) उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत या कुगुप्सा की भावना पैदा करना भी उचित नहीं है। (एवं) इस प्रकार (फासिदियभावणाभावितो) स्वर्णग्रिय भावना से (अंतरप्या) साधक की अन्तरात्मा सुसंस्कृत (भवति) होती है। (मणुत्तामणुत्तुम्भितुम्भिरागदोसपवि-हियप्या) मनोज्ञ या अमनोज्ञ, शुभ या अशुभ स्वर्णों के प्राप्त होने पर राग और द्वेष को रोक कर आत्मा में सुस्थित हो कर (साहू) स्वपरकल्याणसाधक साधु (मणवयकायगुत्ते) मन, बचन और काया को संगोपन करता हुआ, (संबुडे) संवरभावना से युक्त होकर (पणिहितेदिए) इन्द्रियों को समाधिस्थ करके धानो विषयों से हटा कर निश्चल करके (घम्मं चरेज्ज) शूद्धधर्म का आचरण करता है।

(एव) इस प्रकार (इण संवरस्स द्वारं) यह अपरिग्रह नामक संवर का द्वार (इमेहि पंचहि वि कारणेहि) इन पांचों भावनारूप कारणों से (मणवदकाम-परिरक्खिएहि) मन, बचन और काया को विविध परिग्रहों से बचा कर सुरक्षित रखने से (सम्मं सुप्पणिहियं) साधक के संस्कारों में अच्छी तरह बन्ध जाता, निश्चित हो जाता: (होइ) है, (संवरियं) संवर से ओतप्रोत हो जाता है। (घित्तियया) धैर्यवान् एवं (भित्तियया) बुद्धिमान साधक को (आवरणंतं) जीवन के अन्त तक (निच्च) प्रतिदिन (एत्त ओगो नेपव्वो) पांच भावनाओं के चिन्तनरूप यह प्रयोग करना चाहिए; जो (अथात् १) आव्यवरहित है, (अकणुत्तो) निर्मल है, (अण्णित्तो) किसी दोष को मुक्तने के अवकाश से रहित, (अपरिस्तावी) पापजोतों से रहित, सकल गुणकारी होने से

(असंसिद्धो) संक्षेपकर परिभाषों से रहित, (सुद्धो) शुद्ध, (सम्बन्धिनमनुज्ञातो) समस्त तीर्थकरों द्वारा अनुज्ञात है मान्य है ।

(एवं) पूर्वोक्त प्रकार से (पंचमं) पांचवां (संवरवारं) परिग्रहविरमण-अपरिग्रह-रूप संवरद्वार (कासियं) शरीर से कियाम्वित किया हुआ—अमल में लाया हुआ, (पासियं) पालन किया हुआ, (सोहियं) अतिचार दूर करके शोधन किया गया, (सीरियं) अन्त तक पार लगाया हुआ, (किट्टियं) दूसरों को आबरपूर्वक बताया हुआ हो (आभाए आराहियं) भगवदाज्ञा या शास्त्रज्ञानुसार आराधित (भवति) होता है । एवं) इस तरह से (नायमुभिषा भगवया) ज्ञातमंश में उत्पन्न भी भगवान् महावीर द्वारा (पन्नियं) हितोपदेशरूप में बताया गया, (परुवियं) भव्यजनों के सामने अर्पित. प्रकथन किया गया (पसिद्धं) जगत में प्रसिद्ध किया हुआ, (सिद्धं) नयो और प्रभाषों से सिद्ध (सिद्धवरसात्तं) सिद्धों की श्रेष्ठ आज्ञारूप है, (आपविय) मर्यादाओं की रक्षा के लिए कहा गया है, (सुवेसिय) भलीभांति उपदिष्ट है, (पसत्थं) प्रशस्त-मगलमय, (इवं पंचमं संवरवारं समस्त) यह पांचवां संवरद्वार समाप्त हुआ । (ति श्वेति) इस प्रकार में (सुधर्मास्वामी) कहता है ।

'(सुब्धय !) हे सुव्रत ! (एयाइ) ये (पचवि) पांचों ही (महव्वयाइ) महाव्रत (हेउसयविमित्तपुक्खलाइ) संकड़ों निर्बोध हेतुओं से विस्तोर्ण, (अरिहत्तसासणे) अरिहंतप्रभु के शासन में (समासेण) संक्षेप में (कहियाइ) कहे गये हैं । (वित्थरेण उ) विस्तार से तो (पणवीसई) पच्चीस (संवर) संवर बताए गए हैं । (समिय-

१—पाठान्तर का पदाम्बयार्थ—(सुब्धय) हे सुव्रत ! (एयाणि पचावि महव्वयाणि) ये पांचों ही महाव्रत (नोकाघइकराणि) लोक को धारण करने वाले या जगत् को धर्म बढ़ाने वाले, (सुयसागरदेमियाणि आगमसागर मे उपदिष्ट हैं, (मज्जममीलववमच्चज्जवमयाणि) सयम, शील, व्रत, सत्य और सग्नता आदि गुणमय हैं, (नरयतिरियदेवमणुयगट्ठविज्जियणि) शुद्धरूप से पालन करने पर नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्यगति में छुटाने वाले हैं, (सम्बन्धिनसासणाणि) समस्त तीर्थकरों की आज्ञारूप हैं, (कम्मरयवियारकाणि) कर्मरज को मिटाने वाले है, (भवसयविमोयकाणि) संकड़ों भवों से छुटकारा दिलाते हैं, (दुक्खविणामकाणि) संकड़ों दुखों का नाश करने वाले हैं, (सुखसयवत्तयाणि) संकड़ों सुखों के प्रवर्तक हैं, (कापुरिसदुह-नराणि) कायरो के लिए दुस्तर है, (सप्पुरिसज्जणतीरियाणि) संपुरुषों द्वारा पार लगाए हुए हैं । (निब्बाणमगणजाणाणि) निर्वाणमग्न के लिए यानरूप हैं, (सग्गपवायकाणि) स्वर्ग में पहुंचाने वाले (कहियाणि) कहे हैं ।

सम्पादक

सह्यसंबुद्धे) ईर्ष्या आदि सन्धितियों से युक्त, ज्ञानदर्शनसहित और संवर से सम्पन्न (सया जयजयजयसुबिसुद्धसंज्ञे) प्राप्त संयमयोग की रक्षा तथा अप्राप्त संयमयोग की प्राप्ति के लिए सदा यतना-पूर्वक चेष्टा-प्रवृत्ति करने से निर्मल दर्शन-सम्प्राप्ति वाला (संजते) संयमी साधु (एए) उक्त संवरों का (अणुचरिय) पालन करके (धरमसरीरधरे) धरमसरीरी-इसी अन्तिम शरीर को धारण करने वाला, (अविस्स-तीति) होगा। वाचनान्तर के अनुसार 'कार्माभसरीर का ग्रहण फिर नहीं करेगा' ऐसा अर्थ होता है।

मूलार्थ—इस पूर्वोक्त परिग्रहत्यागरूप अन्तिम अपरिग्रह व्रत की पांच भावनाएँ होती हैं, जो परिग्रह से विरति अथवा अपरिग्रहनिष्ठा की सर्वथा मुग्धा के लिए होती हैं। प्रथम भावनावस्तु इस प्रकार है—श्रोत्रेन्द्रिय से मनोज्ञ और कर्णप्रिय शब्दों को सुन कर उनमें रागादि नहीं करना चाहिए। वे मनोज्ञ शब्द कौन-कौन-से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं बड़ा मृदंग, छोटा मृदंग-पखावज, छोटी ढोलक, चमड़े से मढ़े हुए मुँह वाला कलश नामक बाजा, कच्छभी नामक बाजा, वीणा, विपंची और वल्लकी (वीणा विशेष), वट्टीसक वाद्य, सुधोषा घटा, भेरी आदि १२ बाजों की ध्वनि, वीणाविशेष, बांसुरी, तुनतुनी, पर्वक वाद्य, तंत्री, करताल, कांस्यताल, इन सब बाजों के शब्द, गीत तथा सामान्य बाजों को सुन कर तथा नट, नर्तक, बाजा बजाने वाले, पहलवान, मुक्केबाज, भांड, कथाकार, तैराक, रास करने वाले, शुभाशुभ फल बताने वाले, वांस पर चढ़ कर खेल दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण—(तुनतुनी) नामक बाजा बजाने वाले, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, करताल, कांस्यताल, मजीरे बजाने वाले व्यक्तियों के विविध करतबों, अनेक सुरीले स्वर में गायकों के गीतों के मधुर स्वर, कांची और मेखला दोनों स्त्रियों के कमर के आभूषण, गले का आभूषण, प्रतरक व पहरेक नाम के गहने, भांभर या पायल, घुंघरू, घुंघरियाँ, जांघों पर पहनने का जालीदार रत्नजटित आभूषण, मुद्रिका, नेउर, चरणमालिका, सोने के लंगर, इन सब आभूषणों की सामूहिक आवाज। लीलापूर्वक मस्तानी चाल से चलती हुई सलनाओ के उद्गार, तरुणियों में परस्पर होने वाला हंसी मजाक, मधुर स्वर में बातचीत, मधुर कंठ में रतिस्वर घोस देने वाली गंजुल बोली तथा बहुत से प्रशंसात्मक गृण-वचन, मधुर लीगो द्वारा किया गया कथन; इन तथा

दूसरे इसी प्रकार के मनोज्ञ और भद्रशब्दों को सुन कर उनमें ध्रमण को आसक्त नहीं होना चाहिए, न उनमें अनुरक्त-गगयुक्त होना चाहिए, न युद्धि करनी चाहिए, न मोह ही करना चाहिए, न हंसना चाहिए, न उसके लिए अपनी आत्मा को न्योछावर करना चाहिए, न लोभ करना चाहिए, न मन में प्रसन्न होना चाहिए और न ही उनका स्मरण तथा मनन करना उचित है। फिर दूसरी तरह से भी श्रोत्रेन्द्रिय से अमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ शब्दों को सुन कर रोष-द्वेषादि नहीं करना चाहिए। वे कौन-कौन से अशुभ शब्द हैं? इसके उत्तर में कहते हैं आक्रोशवचन, कठोरवचन, निन्दात्मकवचन, अपमानवचन, डांटफटकार के वचन, धिक्कार के वचन, रुठने के वचन, भयजनक त्रासोत्पादक वचन, अस्पष्टरूप से बहुत बड़ा शोर, रोने-चिल्लाने की आवाज, इष्ट के वियोगादि से जन्य शोकवचन, गंभीर नाद तथा करुणाजनक बिलाप सुन कर तथा इसी प्रकार के अमनोज्ञ व पापजनित अशुभ शब्द कान में पड़ने पर अपरिग्रही ध्रमण को उन पर या उनके कहने वालों पर रोष नहीं करना चाहिए, न अवज्ञा ही करनी चाहिए, न निन्दा करनी चाहिए, न दूसरे लोगों के सामने उनकी बुराई करनी चाहिए, न बुरी आवाज करने वाले उन पदार्थों या व्यक्तियों के तोड़फोड़ या छेदन-भेदन में प्रवृत्त होना चाहिए, न मारपीट ही करनी चाहिए और न किसी के प्रति घृणा, नफरत या जुगुप्सा पंदा करना ही उचित है। इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रियभावना से भावित साधु का अन्तरात्मा मनोज्ञ-अमनोज्ञ या शुभाशुभ शब्दों पर राग और द्वेष को सर्वथा रोक लेता है, वह मनवचन-काया का गोप्ता साधु ही संवर भाव से युक्त होकर इन्द्रियो पर नियंत्रण करता हुआ चारित्रधर्म का पालन करता है।

दूसरी भावनावस्तु इस प्रकार है—नेत्रेन्द्रिय से काष्ठसम्बन्धी, पुस्तकसम्बन्धी या वस्त्रसम्बन्धी, चित्रसम्बन्धी, मिट्टीआदि के लेंप कर्म से सम्बन्धित पुतली आदि, पत्थर से बनी हुई मूर्तिआदि सम्बन्धी, हाथीदांत आदि से बनी हुई वस्तुसम्बन्धी, पांच रंगों से युक्त रंग-बिरंगे, मनपसंद एवं आँखों को प्रिय सच्चित्त, अचित्त या मिश्र दृश्यमान वस्तु के रूप को देखकर तथा विभिन्न आकार वाले गुंथ कर बनाए हुए, बेठ कर कसीदा निकाले हुए, पिरो कर तैयार किए हुए, जोड़ कर इकट्ठे किए हुए, नेत्र और मन को अत्यन्त सुख देने वाले बहुत-से माल्य-मालाओं तथा बनसंडों, पर्वतों, गाँवों, खानों नगरों, विकसित नीलकमलों तथा श्वेतकमलों से परिमंडित, मनोहर तथा

जिसमें हंस, सारस आदि अनेक प्रकार के पक्षियों के जोड़े विचरण कर रहे हैं, ऐसे छोटे जलाशयों, कमल से सुशोभित गोल बावड़ियों, चोकोर बावड़ियों, लंबी बावड़ियों, टेढ़ीमेढ़ी नहरों; एक सरोवर के बाद दूसरी सरोवर पंक्ति, समुद्र, सोना, चांदी आदि धातु की खानों के मार्गों, खाइयों, नदियों, प्राकृतिक झीलों. कृत्रिम तालाबों तथा न्यारियों से सुशोभित बाग-बगीचों तथा सौम्य, सुन्दर एवं दर्शनीय मुकुट आदि अलंकारों तथा वस्त्रादि से विभूषित, पूर्व-जन्मकृत तपस्या के प्रभाव से प्राप्त एवं सौभाग्य से युक्त उत्तम मंडप, विविध भवन, तोरण, चैत्य, देवालय, सभा, प्याऊ, मठ, सुरचित शय्या और आसन, रथ, गाड़ी, यान - टमटम, वाहनविशेष, स्यंदन-रथविशेष तथा नरनारियों के झुंड को देख कर तथा नट, नर्तक, वादक, पहलवान, मुक्केबाज, भांड-विदूषक, कथक, तैराक, रास करने वाले, शुभाशुभ फल बताने वाले, बांस पर चढ़ कर तमाशा दिखाने वाले, चित्रपट दिखाने वाले, तूण नामक बाजा (तुनतुनिया) बजाने वाले, तुंबी की वीणा बजाने वाले, करताल-कांस्यताल-मजीरे बजाने वाले व्यक्तियों के करतबों और उनकी कलाबाजियों को देखकर तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ एवं सुहावने प्रसिद्ध रूप या सुन्दर वस्तुओं में अपरिग्रही श्रमण को न राग करना चाहिए और न आसक्ति, लोभ, मोह या शृद्धि आदि करना चाहिए, यावत् उनका स्मरण और मनन भी नहीं करना चाहिए। प्रकारान्तर से फिर चक्षुर्निद्रिय के अमनोज्ञ एवं पापजनित अशुभ रूपों को देख कर रोषद्वेषादि न करना चाहिए। वे अशुभरूप कौन-कौन-से हैं? इसके उत्तर में कहते हैं—गंडमाला के रोगी, कोढ़ी, सूले, जलोदर रोग वाले, खुजली के रोग से पीड़ित, कठोर पैर या हाथीपग के रोग वाले, कुबड़े, लंगड़े-अपाहिज, पैरो से हीन, बीने, अंधे, काने, जन्मान्ध, भूतपिशाच-ग्रस्त, अथवा पीठ झुका कर हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाले, अनेक शिरस्थायी व्याधियों तथा अल्पसमयसाध्य रोगों से पीड़ितों तथा मनुष्यों के बिगड़े हुए भाँडे भड़े चेहरों को तथा मुर्दों के विकृत कलेवरों व कीड़ों से भरे सड़े हुए पदार्थों के ढेर को देख कर तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रसिद्ध अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रूपों के दृष्टिगोचर होने पर साधु को न तो रोष करना चाहिए और न द्वेष, घृणा, निन्दा, अवज्ञा, तिरस्कार, छेदन-भेदन, मारपीट या जुगुप्सा करना ही योग्य है। इस प्रकार चक्षुर्निद्रिय-भावनाओं से युक्त साधु पहले बताए हुए को तरह इन्द्रियों एवं मनबन्धन

काया पर पूर्ण संयम रखने वाला सुस्थितेन्द्रिय हो कर चारित्र्य-धर्म का भली-भांति आचरण करता है ।

तीसरी घ्राणेन्द्रियभावना इस प्रकार है—घ्राणेन्द्रिय से मनोज्ञ और घ्राणप्रिय गन्धों को संघ कर साधक रागादि न करे । वे मनोज्ञ गन्ध कौन-कौन-से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—जल में उत्पन्न हुए तथा स्थल में उत्पन्न हुए सरस पुष्प, फल, पेयपदार्थ तथा भोजन, कमलकुण्ड, तगर, सुगन्धित तमालपत्र, सुगन्धित छाल-दालचीनी आदि, दमनक नामक फूल, मरुए का फूल, इलायची का रस, जटामांसी, गोशोर्ष नामक मरस चन्दन, कपूर, लौंग, अगर, केसर, कक्कोल नामक सुगन्धित फल, खसखस सफेद चन्दन खुशबूदार पत्तों व अन्य सुगन्धित द्रव्यों के संयोग से बनी हुई घूप की सौरभ में तथा अपनी-अपनी ऋतु में पैदा हुए कालोचित अत्यन्त घनीभूत सुगन्ध से युक्त द्रव्यो तथा दूर-दूर तक खुशबू फैलाने वाले सुगन्धित पदार्थ से युक्त द्रव्यो में तथा इसी प्रकार की मनोज्ञ एवं घ्राणप्रिय अन्यान्य सुगन्धों के विषय में अपरिग्रही साधु को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, न उनके बारे में राग, मोह, लोभ, गूढ़ि, तथा अपने आपको ग्योछावर ही करना उचित है । यावत् उनके बारे में स्मरण और मनन भी न करे । पुनरपि इस प्रकार की भावना करे— घ्राणेन्द्रिय से अमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ गन्धों को सूघ कर रोष-द्वेषादि नहीं करना चाहिए । वे अशुभ गन्ध कौन कौन-से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं— मरे हुए सांप, मृत घोड़े, मरे हुए हाथी, मरे हुए गाय-बैल, भेड़िये, कुत्ते, सियार, मनुष्य, बिलाव, सिंह और चीते के सड़ेगले कृमि से भरे बहुत ही बदबूदार कलेवरों में, पूर्वोक्त दुर्गन्धमय पदार्थों में तथा इसी प्रकार के अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ अन्यान्य दुर्गन्धों के विषय में निष्परिग्रही श्रमण को क्रोध-द्वेषादि नहीं करना चाहिए । उन वस्तुओं के या दुर्गन्ध फैलाने वालों के प्रति अवज्ञा, घृणा, तिरस्कार, धिक्कार, डांटफटकार तथा जुगुप्सामानस्य करना उचित नहीं है । इस प्रकार घ्राणेन्द्रियभावना से भावित साधु की अन्तरात्मा चिन्तनयुक्त प्रयोग से मनोज्ञ और अमनोज्ञ में तथा शुभ और अशुभ में राग-द्वेष को रोक लेती है, मन, वचन, काया को समेट कर संवरित कर लेती है और यावत् अपनी इन्द्रियों को अन्त में सुस्थित करके वह चारित्र्यधर्म का आचरण करता है ।

चौथी भावनावस्तु इस प्रकार है—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से मनोज्ञ तथा जिह्वा को प्रिय रसों को चख कर उनमें आसक्ति आदि नहीं करना चाहिए । वे शुभ्ररस कौन-कौन-से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं कि घी और चासनी में डूबो कर बनाए हुए विविध पक्वान्न, विविध पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ तथा गुड़, खाड़, तेल और घी से बनाए हुए भोज्य पदार्थ एवं अनेकप्रकार के मिर्च-मसालो-लवणरसों से युक्त, तथा मधु, मांस, कई तरह की मज्जिका, बहुत कीमत् से बना हुआ भोज्य पदार्थ, खटाई, मिर्च, जीरा आदि का छौंक दे कर बनाई हुई स्वादिष्ट दाल तथा खटाई, संधानमक आदि डाल कर बनाया हुआ अचार.—अथाणा, दूध, दही, गुड़ व घातकी पुष्प आदि से बना हुआ सरक नामक पेय पदार्थ, जो आदि के आटे से बना हुआ श्रेष्ठ मद्य, वारुणी, सीधु एवं कापिशायन नामक मदिराविशेष, अठारह प्रकार का शाक, अनेक प्रकार के मनोज्ञ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले बहुत-से द्रव्यों के मिश्रण से उपस्कृत-छौंक आदि दे कर संस्कारित करके बनाए हुए भोजनों में तथा ऐसे ही अन्य मनोज्ञ स्वादिष्ट रसों में माधु आसक्ति न करे । उनमें राग, मोह, गृद्धि, लोभ, खुशी तथा अपनी आत्मा को उन पर न्योछावर करना साधु के लिए उचित नहीं है । यावत् उनके बारे में स्मरण तथा मनन भी न करना चाहिए । फिर दूसरे पहलू को देखें—जिह्वेन्द्रिय (जीभ) से अमनोज्ञ और पापजन्य अशुभ रसों को चख कर रोष-द्वेषादि न करे । अशुभ रस कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—रसहीन, चलितरस या बिगड़े रस से युक्त ठंडा, रुखा, निःसत्त्व पेय पदार्थ एवं भोज्यपदार्थ तथा रातबासी, विनष्ट वर्ण वाले, सड़े बंदबूदार, मनके प्रतिक्ल, कीड़ों की उत्पत्ति से युक्त, नीलन (काई) तथा फूलन से युक्त, विकृत-अवस्था-प्राप्त, अतएव बहुत ही दुर्गन्ध से भरे हुए, अत्यन्त तोखे, कड़वे, कसैले, खट्टे रस वाले एव कई दिनों तक पड़े हुए शीवालयुक्त जल के समान दुर्गन्धमय तथा नीरस पदार्थों में तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ रसों के विषय में निष्परिग्रही साधु को कोप, द्वेष आदि नहीं करना चाहिए । यावत् उन अमनोज्ञ रस वाले पदार्थों या पदार्थ लाने वालों पर अवज्ञा, द्वेष, निन्दा, तिरस्कार, धिक्कार, डांटफटकार, जुगुप्सा—घृणा या नफरत नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार जिह्वेन्द्रियभावना से ओतप्रोत साधु की

अन्तरात्मा वस्तुस्वभाव में स्थिर रहे । इस प्रकार मनोज्ञ-अमनोज्ञ या शुभाशुभ रस वाले पदार्थों पर राग और द्वेष से रहित साधु अपने मन-वचन काया को इन अनिष्टभावों से बचा कर पंचेन्द्रियों का संवर करके चारित्र्यधर्म का आचरण करे ।

पांचवी भावनावस्तु इस प्रकार है स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ और स्पर्शनेन्द्रियप्रिय सुखद स्पर्शों को छू कर आसक्ति-रागादि नहीं करना चाहिए । वे शुभ स्पर्श कौन-कौन-से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—जिनमें पानी के फव्वारे चलते रहते हैं, ऐसे जलमंडप, झरने, श्वेतचन्दन, टंडा स्वच्छ पानी, अनेक प्रकार के फूलों की शय्याएँ, खस-खस, मोती, कमल की डंडी, रात्रि को छिटकने वाली चन्द्रमा की चांदनी, मयूरपिच्छ के चन्द्रको से बने हुए पंखों तथा ताड़ के पंखों से उत्पन्न सुखकर शीतल हवा तथा शीतकाल में सुखद शीतस्पर्श वाली बहुत-सी शय्याएँ, आसन तथा शीतकाल में ठंड मिटाने वाले गुणकारी ओढ़ने के वस्त्र, अंगारों से तापना-हाथ आदि सेकना एवं सूर्य की किरणों की झूप, इसी प्रकार स्निग्ध-बिकने, कोमल, ठंडे-गर्म और हलके हेमन्त आदि ऋतुओं के सुखकर स्पर्श तथा अंगों को सुख और मन को शान्ति-स्वस्थता देने वाले जो स्पर्श हैं, उनमें तथा स्पर्शनेन्द्रिय को अच्छे लगने वाले सुखद स्पर्शों में निष्परिग्रही श्रमण को न तो आसक्ति करनी चाहिए न राग करना चाहिए, न गृद्धि करनी चाहिए, न मोह करना चाहिए, न उनके लिए अपनी आत्मा का पतन करना चाहिए, यानी अपने आपको न्योछावर या कुर्बान न करना चाहिए, न ही लोभ करना चाहिए, न आत्मा में उसी बात की बार बार रट लगाना चाहिए, न प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, न हँसना चाहिए और न ही उनके बारे में स्मरण और मनन करना चाहिए । फिर इसका दूसरा पहलू यह है स्पृशनेन्द्रिय द्वारा अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ दुःखद स्पर्शों को पा कर रोष-द्वेष आदि नहीं करना चाहिए । अमनोज्ञ स्पर्श कौन-कौन से हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं—अनेक प्रकार के रस्ती आदि के बन्धन, लाठी आदि से बध, थप्पड़ आदि से मारपीट, तपी हुई लोहे की सलाहियों से दाग देना, दूते से बाहर बौझ लाद देना, शरीर के अंगों को मरोड़ देना, नखों में सूइयाँ चुसेड़ देना, शरीर में सूइयाँ चुभो कर छेद डालना, लाख का गर्मगर्म रस चमड़ी पर डाल कर चमड़ी उधेड़

डालना, खार, कलकल करता हुआ अत्यन्त तपा हुआ तेल डालना, खोलते हुए सीसे व काले लोहे का सेक करना, खोड़े में पैर डालना, रस्सी या बेंड़ियाँ से पैर बांधना, हाथों में हथकड़ियाँ डाल देना, कड़ाही में पकाना, आग से जलाना, सिंह की पूँछ के साथ बांध कर घसीटवाना अथवा पीठ तोड़ देना, वृक्ष आदि के साथ उलटे बांध कर लटका देना, झूली में पिरो देना, हाथी के पैरो तले रौंदवा डालना, हाथ-पैर, कान, नाक, ओठ और सिर कटवा देना, जीभ खींच लेना, अंडकोश, आंख, हृदय और दांत तोड़ना, बँलों की तरह खूँटे से बांध देना, बँत और चाबुक से प्रहार करना, पैरों के पिछले भाग और घुटनो पर पत्थर पटकना, कोल्हू में पीलना, अत्यन्त खाज चलाने वाली कौंच की फली अग्नि, बिच्छू का डंक, सनसनाती तेज हुआ, तवे की तरह तपतपाती धूप, या लू, डाल और मच्छरो के उपद्रव, दुःखद और खराब आसन या बँठने की जगह एवं दुःखप्रद स्वाध्यायभूमि की प्राप्ति—इन सभी पदार्थों के कारण जो भी कठोर, भारी, ठंडे, गर्म और रूखे दुःखद स्पर्श होते हैं, उनमें तथा इसी प्रकार के अन्यान्य अमनोज्ञ एवं पापजन्य अशुभ स्पर्शों के मिलने पर या वँसी वस्तुओं या वस्तुओं के देने वालों पर अनासक्त श्रमण को न रोष करना चाहिए, न उनकी अवज्ञा करना उन्हें ठुकरा चाहिए, न निंदा और गर्हा करनी चाहिए, न खीजना या चिड़ना ही चाहिए, न उन वस्तुओं को फेंक कर तोड़ना-फोड़ना चाहिए, या उन वस्तुओं के लाने वाले का अंगभंग न करना चाहिए, न मारपीट करनी चाहिए और न ही उन पर जुगुप्सा, घृणा या नफरत करनी चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रियभावना से जब साधु की अन्तरात्मा ओतप्रोत हो जाती है, तब वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ, शुभ या अशुभ स्पर्श पर न तो राग करता है, न द्वेष ही । वह अपनी आत्मा में आते हुए राग-द्वेष आदि अशुभ विचारों को रोक लेता है, वह स्वपरहितसाधक मन-वचन-काया को भी उनसे बचा कर सुरक्षित कर लेता है, और अपनी आत्मा को संवर से संबुत और इन्द्रियों को बश में करता हुआ चारित्र्यधर्म का आचरण करता है ।

इस प्रकार साधक के मन, वचन और काया को पूर्ण सुरक्षित रखने वाले, इन (पूर्वोक्त भावनारूप) पांच कारणों से यह पांचवें अपरिग्रहसंवर का द्वार सम्यक् रूप से संबुत हो जाता है और साधक के दिलदिमाप में

भलीभांति यह संवर परिनिष्ठित हो जाता है—जम जाता है। धैर्यशाली बुद्धिमान् अपरिग्रही साधक को जीवन के अन्त तक नित्य इस भावना-योग का चिन्तन और प्रयोग करना चाहिए, जो आश्र्वरहित है, निर्दोष है, पाप-छिद्र को जिसमें प्रवेश का अवकाश नहीं है, पापों के स्रोत से विहीन है, सब्बिष्ट परिणामो से शून्य है, शुद्ध है, समस्त तीर्थंकरो द्वारा अनुमत है।

इस तरह यह पांचवां परिग्रहविरमणरूप संवरद्वार उचित समय पर काया से स्पर्श किया हुआ—अमल में लाया हुआ, पालन किया हुआ, अतिचारो को दूर करके शोधन किया हुआ, अन्त तक पार लगाया हुआ, दूसरो को आदरपूर्वक बताया हुआ या गुणानुवादपूर्वक उपदिष्ट, लगातार पालन किया हुआ ही भगवान् की या शास्त्र की आज्ञानुसार आराधित होता है।

इस प्रकार ज्ञातकुलोत्पन्न श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर प्रभु के द्वारा हितोपदेशक के रूप में बताया गया, भव्यो के सामने अर्थरूप से प्ररूपित, लोक में प्रसिद्ध किया गया, समस्त नयो और प्रमाणो से सिद्ध, उत्तम मिद्धो की आज्ञारूप, मर्यादाओ की सुरक्षा के लिए बतलाया हुआ, भलीभांति उपदिष्ट, मंगलमय यह पांचवा संवरद्वार समाप्त हुआ; ऐसा मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ।

हे सुभ्रत ! ये पांचो संवरद्वार (महाव्रत) सैकड़ो निर्दोष-शुद्ध हेतुओं के कारण विन्तीर्ण होते हुए भी अरिहंत भगवान् के शासन में संक्षेप में पांच ही बताए हैं, विस्तार से तो ये पञ्चीस होते हैं, पांच समितियों से युक्त, पांच महाव्रतों की पूर्वोक्त २५ भावनाओं के सहित तथा ज्ञान और दर्शन के द्वारा मन-वचन-काया से सुसंवृत तथा सदा प्रयत्न से प्राप्त संयमयोग की रक्षा एवं अप्राप्त संयमयोग की प्राप्ति के लिए पुस्वार्थ करने से सुविशुद्धदृष्टिवाला संयमी, स्वपरकल्याणसाधक साधु इन पांचो संवरद्वारों की लगातार आराधना करके भविष्य में चरमशरीरी होता है, अथवा पाठान्तर को दृष्टि से अर्ब होता है—भविष्य में वह कार्माणशरीर का ग्रहण नहीं करता।

व्याख्या

पूर्वसूत्रपाठ में अपरिग्रही के लक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत निरूपण करने के बाद उस अपरिग्रही की आवश्यकतानुसार पाचो इन्द्रियों के विविध विषयों को ग्रहण करते समय क्या दृष्टि, क्या भावना और कौसी साधना होनी चाहिए; जिससे वह अपरिग्रहव्रत का भलीभाँति निर्वाह एवं संरक्षण कर सके ? इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने इस सूत्रपाठ में अपरिग्रहव्रत की सर्वथा सुरक्षा के लिए पाच भावनाओं का विशद निरूपण किया है।

पांच भावनाओं की उपयोगिता—पूर्व सूत्रपाठ में साधुजीवन में अन्तरंग परिग्रह के त्याग के लिए एक बोल से लेकर तेनीस बोल तक की शिक्षात्मक सूची दी गई थी। वास्तव में साधुजीवन में अन्तरंग परिग्रह पर विचार करने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए एवं उनमें से हेय, ज्ञेय और उपादेय का विचार करके परिग्रह-मुक्ति के यथायोग्य मार्ग पर चलने के लिए साधक को प्रेरणा मिलती है; परन्तु उस प्रेरणा के बावजूद भी साधक कई बार ग्रहण और अग्रहण के चक्कर में पड़ कर एक के बदले दूसरे को उचित पथ मान बैठता है। बाह्यपरिग्रह का त्याग करके परिग्रहत्याग के लिए साधुजीवन के जो नियम हैं, त्यागप्रत्याख्यान हैं, मर्यादाएँ हैं या समाचारी हैं, अथवा बाह्यक्रियाएँ हैं, उनके शाब्दिक भवरजाल में फँस कर अपने को बहुत बड़ा परिग्रहत्यागी मान बैठता है। परन्तु अन्तरंग जीवननद में अहंकार, क्रोध, विषयों के प्रति आसक्ति, वासना-कामना, प्रतिष्ठा की भूख, अथवा प्रतिकूल विषय मिलने पर अशान्ति, असन्तोष, द्वेष, घृणा, विरोध एवं सवर्ष की भावना आदि हिलोने लेने रहते हैं। और उक्त अहंकारादि सब एक या दूसरे रूप में अन्तरंग परिग्रह के ही रूप हैं। इसलिए जिस चीज का मुख्यरूप से त्याग-अग्रहण करना था, उसे ग्रहण करता रहता है और शान्ति, समता, वसलता, क्षमा, निर्लोभता, सरलता मृदुता, सत्यता आदि जिन चीजों का ग्रहण करना था, उन्हें छोड़ता जाता है। ऐसी आपाधापी में अपरिग्रह की रक्षा के लिए ये पाच भावनाएँ सत्सारसमुद्र में अन्तरंग परिग्रहरूपी तूफान के कारण डगमगाती हुई उसकी जीवननैया के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम करती हैं। साधक फिर सही रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए इन पाचो भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान है, अपरिग्रही साधक के जीवन में।

विषयों का ग्रहण कब परिग्रह है, कब अपरिग्रह ?—परिग्रह का अर्थ मोटेतौर पर ग्रहण करना ही होता है। परन्तु जब तक शरीर है तब तक पाँचों इन्द्रियों और मन के विषयों को ग्रहण बिना साधक का काम नहीं चल सकता। इन्द्रियों को कदाचित् वह निश्चेष्ट करके बैठ जाएगा, लेकिन मन को गंठरी बाँध कर कहाँ डालेगा ? वह तो एक क्षण भी मनन-चिन्तन किए बिना रह नहीं सकता। मन अपने

कार्यकाल में किसी न किसी इन्द्रिय के विषय का ही चिन्तन-मनन करेगा। तब सबाल यह उठता है कि इक्षर इन्द्रियों या मन के जरिये साधक के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले विविध विषय परिग्रह कहलाएंगे और उधर अपरिग्रह के प्रति कृतप्रतिज्ञ साधु को परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है। तब यह गुत्थी कैसे सुलझे ? इसके लिए भगवान महावीर ने एक सुलभ और सीधा रास्ता बताया है कि साधक को अपने जीवन में अनिवार्य विषयों का ग्रहण तो करना ही होगा, लेकिन उस समय दो तरह का विवेक उसे करना होगा—

पहला यह कि जो विषय या विषय के अनुरूप साधन साधुजीवन के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं हैं, उन्हें घसा कर ग्रहण न करना। दूसरा विवेक यह करना होगा कि न चाहते हुए भी साधु के सामने जब मनोज्ञ विषय या विषय के अनुकूल मनोज्ञ पदार्थ अनायास ही सामने आ जाय या प्राप्त हो जाय तो वह उनके प्रति राग, मोह लालसा, गृद्धि, कामना, स्मरण, मनन, या आकांक्षा न करे। और जब अमनोज्ञ विषय या विषयानुरूप अमनोज्ञ बुरे पदार्थ अनायास ही सामने आ जाय या प्राप्त हो जाय तो उस समय रोष, द्वेष, विरोध, डांट-फटकार, निरस्कार, अबज्ञा, घृणा, जुगुप्सा आदि दुर्भाव मन में न लाए। बस, यही विषयों को ग्रहण करते हुए भी अपरिग्रही रहने की कुंजी है। उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वें अध्ययन में इस विषय में बहुत ही सुन्दररूप से मार्गदर्शन मिलता है। देखिये, एक गाथा में उसका निचोड़—

‘जे सह-कन्व-रस-मंघवानए, फासे व संवप्य मचुज्जवावए ।

येही पओसं न करेक्य पंडिए, स होति बंते विरए अकिचये ॥’

अर्थात्—जो साधु अनायासप्राप्त मनोज्ञ शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श को पा कर गृद्धि (आसक्ति) नहीं करता; और अमनोज्ञ पापजन्य क्षुभ शब्दादि को पा कर प्रद्वेष नहीं करता; वही वास्तव में विरत है, पण्डित है, दान्त है और अकिचय (अपरिग्रही) है। यह है, अपरिग्रह और परिग्रह के विवेक की कुंजी। यदि साधक परिग्रहरूप विषयों को मन से ग्रहण करता है तो वह अन्तरंग परिग्रही बन जाता है, और यदि वह ग्रहण नहीं करता है तो उसका जीवन बस नहीं सकता। ऐसी दशा में मास्त्रकार कहते हैं कि विषय अपने-आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं। साधक की दृष्टि में ही जब राग और द्वेष का जहर होता है तो वे विषय अनुकूल हों या प्रति-कूल, साधक के लिए आवश्यक हों या अनावश्यक, उसके लिए अन्तरंग परिग्रह बन जाते हैं। इसलिए विषयों को छोड़ना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जितना विषयों के साथ लगे हुए राग और द्वेष को छोड़ना जरूरी है, महत्त्वपूर्ण है। भगवद्गीता में भी इसी बात की पुष्टि की है—

'इन्द्रियस्येन्द्रियस्वार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थिता ।
साद्योर्मं वशामागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।'

अर्थात् 'प्रत्येक इन्द्रिय के अर्थ के साथ राग और द्वेष जुड़े हुए हैं। साधक उन राग और द्वेष के बशीभूत न हो। ये दोनों ही साधक के अनासक्त-अपरिग्रही जीवन के शत्रु हैं।'

साथ ही यह भी समझ लेना जरूरी है कि साधु अनायासप्राप्त इन्द्रियविषय को टाल नहीं सकता। जैसे, एक साधु भिक्षा के लिए जा रहा है, बाजार में अत्तार की दूकान में सजी हुई इन की शीशियों से भीनी-भीनी मधुर महक आ रही है, किसी दूकान पर रखे हुए रेडियो से कर्णप्रिय सुरीले गायन की ध्वनि आ रही है, सामने से एक सुन्दर युवती सोलह शृंगार से सजी-धजी आ रही है, हलवाई की दूकान पर स्वादिष्ट सुगन्धित मिष्ठान्न सजे हुए हैं, इसी प्रकार किसी गृहस्थ ने अपनी कोमल करोंगुली से उसके चरणों को छू लिया, अब क्या वह इन पांचों इन्द्रियों के विषयों को टालने के लिए क्रमशः नाक, कान, आँख, जीभ या स्पर्शन-इन्द्रिय बंद कर लेगा या निश्चेष्ट कर लेगा? नहीं, ऐसा करना कयापि सम्भव नहीं है। अतः विषयों का पांचों इन्द्रियों से ग्रहण तो होता है, लेकिन विवेकी धीर साधक उन अनायासप्राप्त विषयों से न घबड़ा कर अथवा उक्त पाचों से विपरीत अमनोस विषयों के अनायास प्राप्त होने पर न झुंझला या झुल्ला कर अपने मन पर राग और द्वेष के भाव अंकित नहीं होने देगा। अर्थात् वह मन से पांचों इन्द्रियों के अनुकूल प्राप्त विषयों या विषयानुरूप साधनों पर राग नहीं करेगा और पांचों इन्द्रियों के प्रतिकूल प्राप्त विषयों या विषयानुरूप साधनों पर द्वेष नहीं करेगा।

राग और द्वेष न करने का कोई साधक इतना ही अर्थ न लगा ले कि राग तो करना नहीं है, मोह, लालसा, लोभ, गूढ़ि, आसक्ति, कामना, वासना, स्मरण, मनन करने में हर्ष ही क्या है? इसी प्रकार द्वेष न करने का इतना ही अर्थ न लगा बैठे कि द्वेष तो करना नहीं है; रोष, घृणा, विद्रोह, भारपीट, ताडनतर्जन, डाँट-फटकार, धिक्कार, अपमान, नफरत आदि करने में क्या हर्ष है? ऐसा करना बल्ल ठीका। उससे अन्तरंग परिग्रह सर्वथा रूकेगा नहीं। एक जहर के बदले दूसरा जहर से सिवा काय तो उससे जहर का असर कम नहीं होता। राग और द्वेष में दोनों प्रधान विष हैं, ये दोनों अन्तरंग परिग्रह के नायक हैं, सेनापति हैं। इनकी फौज बहुत बड़ी है, इनका परिवार बहुत ही लम्बा-चौड़ा है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने 'य इन्द्रियवर्ध' के साथ-साथ 'न इन्द्रियवर्ध' आदि राग के अन्य साधनों या परिष्कार

बालों के भी नाम गिना कर उनका निवेद्य किया है, इसी प्रकार 'म कसिबन्ध' के साथ-साथ 'म हील्लिबन्ध' आदि द्वेष के साथियो या परिवार वालो को अपनाने से भी इन्कार किया है। हाँ, तो निष्कर्ष यह हुआ कि पावों इन्द्रियो के विषयों के आगमन के समय साधक को परिवारसहित रागद्वेषरूपी इन शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए; इन्हीं का ग्रहण करना अन्तरंग परिग्रह है और इन्हीं को छोडना अपरिग्रह है। केवल विषयो का ग्रहण करना अपने आप मे परिग्रह नहीं है। इसके लिए अपरिग्रही साधक को प्रतिक्षण अप्रमत्त हो कर रहना है, अन्यथा साधक पर कब ये हमला कर बैठेंगे, कोई पता नहीं है। साधक की जरा-सी असावधानी से राग और द्वेष अपने आक्रमण को सफल कर बैठेंगे। उसकी जग-सो गफलत से साधक बाह्य परिग्रह का त्याग होने के बावजूद भी अपरिग्रही के बदले अन्तरंग परिग्रही बन बैठेगा। इन दोनों शत्रुओं मे से एक सुभावना है, दूसरा डरावना है। हैं दोनों ही खतरनाक ! अगर साधक इनके बहकावे में आ जाता है तो ये बहुत शीघ्र ही प्रसन्नचन्द्र राजपि सरीखे उच्चभूमिकारूढ़ बड़े-से-बड़े साधक को भी पछाडते देर नहीं लगाते। यही कारण है कि अपरिग्रहसंवर के प्रसंग मे उक्त अन्तरंग परिग्रह से साधक की रक्षा के हेतु शास्त्रकार पाच भावनाओं को चिन्तनात्मक प्रयोग के रूप मे बताते है, जिनका मनन-चिन्तन करके साधु अपनी अन्तरात्मा को पवित्र और निर्दोष बना लेता है। इन भावनाओं का जिन्दगी-भर तक सतत अप्रमत्त हो कर प्रयोग करने पर ही ये फलदायिनी एवं इड सस्कारामृत-पायिनी होती है। और तभी वह अन्तरंग परिग्रह का सर्वथा त्यागी और जितेन्द्रिय बन सकेगा। इसी बात को शास्त्रकार प्रत्येक भावना के अन्त में कहते है "..... भावनाभावितो भवति अंतरंग्या मगुन्नाममुन्न-सुखिबुखि-रागबोस-पबिहियप्या साह मभवयनकायगुते संबुडे पणिहिंतिबिए चरेव्व धम्मं।' इसका अर्थ मूलार्थ एव पदान्वयार्थ में स्पष्ट किया जा चुका है। अब हम क्रमशः प्रत्येक भावनावस्तु का संक्षेप मे विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

ओजेन्द्रियसंवररूप शब्दनिःस्पृहभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—परिग्रह का अन्तरंग और बहिरंगरूप से परमत्यागी साधु जब अपनी कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उसके कार्गों में कई प्रकार के शब्द आ कर टकराते हैं। उनमें से कई कर्णप्रिय होते हैं, कई कर्णकटु भी। कई शब्द ऐसे सुहावने लगते हैं कि साधक का मन वहाँ ठिठक कर सुनने को हो जाता है, वह मन ही मन चाहता है कि ये मधुर गीत होते ही रहें। इसके उपरान्त जब वह उस संगीतस्थल से जाने चल देता है, तब भी कान में बार-बार उस सुने हुए मनोमोहक संगीत की स्मृति ताजा हो उठती है, उमी को पुनः पुनः सुनने के लिए मन सामायित हो उठता है। ये सारे ही राग के प्रकार हैं, जो साधक के जीवन को अन्तरंग परिग्रह के वर्त में डाल देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार

ने कुछ खास-खास मनोज्ञ शब्दों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं प्रकार के शब्दों के कर्णबोचर होने पर उनके प्रति राग, आसक्ति, गृद्धि, लोभ, मोह, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण, और मनन से इस श्रोत्रेन्द्रियसंवरभावना के प्रकाश में शीघ्र बचने का निर्देश किया है—'पठमं सोइ बिएण सोळ्ळा सहाइ' मन्नुअभहाइ' ... बरपुरय ... सहाइ ... गुणवयणाणि ... महुरज्जमासिवाइ' ... न तेसु ... क्खियण्ण न सइ' च मइ' च तत्थ कुळ्ळा ।' इन सब सूत्रपक्तियों का अर्थ हम मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट कर चुके हैं। इसी-प्रकार इस तरह के मनोज्ञ और कर्णप्रिय शब्दों से ठीक विपरीत शब्द अमनोज्ञ, कर्कश, कर्णकटु, कठोर, असह्य और मर्मच्छेदी लगते हैं कि यदि साधक उन्हें सुन कर झल्ला उठता है, झु झला कर उन शब्दों को या सुनाने वाले को वाली देने लगता है, भला-बुरा कहने लगता है, उसे डाँटता-फटकारता है या वहाँ से उसे हटाने के लिए पत्थर या डेले मारता है, अथवा उसके बप्पड़ या भुक्का जमा देता है, या उन अप्रिय शब्दों की या कहने वाले की निन्दा या भर्त्सना करने लगता है, अथवा प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरह मन ही मन घमासान युद्ध छेड़ बैठता है, अथवा मु ह से, शाप, आक्रोश, या अपशब्द निकालता है, द्वेषवश ही कर लोगों में उसे नीचा दिखाने का उपक्रम करता है, लोगों में उन शब्दों या उन शब्दों के कहने वाले के प्रति नफरत पैदा करता है तो वही साधक की हार हो जाती है। वहीं साधक अन्तरंग परिग्रह की पकड़ में आ जाता है और द्वेषनामक शत्रु से पराजित हो जाता है। ये सारे ही द्वेष के प्रकार हैं, जो साधक के जीवन को अन्तरंग परिग्रह की छाई में धकेल देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास अमनोज्ञ शब्दों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं की तरह के कर्णकटु शब्दों के कर्णबोचर होने पर उनके प्रति रोष, अवज्ञा, निन्दा, शीघ्र या चिड़, छेदन, भेदन, ताड़न-तर्जन, वध, द्वेष, घृणा आदि से श्रोत्रेन्द्रियसंवरभावना के प्रकाश में झटपट बचने का निर्देश किया है। शास्त्रकार ने अमनोज्ञ कर्णकटु शब्दों के कान में पड़ते ही इस भावना को प्रयोग करने का इन सूत्रपक्तियों द्वारा संकेत किया है—'सोइ' बिएण सोळ्ळा सहाइ अमणुअयाव-काइ' ... अक्कोल-कल्ल ... सववेण न क्खियण्ण' ... न बह्वेयण्णं, न बुणु' छावत्तियाए लण्णा उप्पाए' ।' इन सूत्रपक्तियों का अर्थ मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में हम स्पष्ट कर चुके हैं।

निष्कर्ष यह है कि साधु को अपने मन को इस भावना की ऐसी तालीम देनी चाहिए; ताकि कर्णप्रिय शब्द कान में पड़ते ही वह बहुत न जाय और कर्णकटु शब्द कान में पड़ते ही वह बीखला न उठे। यानी उसे मनोज्ञ या अमनोज्ञ, कर्णप्रिय या कर्णकटु, शुभ या अशुभ शब्दों की भाषावर्णना के पुष्पल मान कर उनके श्रवण का अपने मन पर बरा भी असर नहीं होने देना है। अगर साधक कर्णकटु अमनोज्ञ शब्दों

को सुन कर बरा-सा भी द्वेषभाव के बचकर में आ गया तो उसकी अन्तरंग परिग्रह के स्वयं की साधना चौपट हो जायगी। इसलिए उस समय इस भावना के प्रकाश में यही विचार करना है कि ये अमनसकर शब्द तेरा क्या बिगाड़ेंगे ? अगर इन भावावर्णना के पुद्गलों का प्रभाव तू अपनी आत्मा पर पड़ने देगा, तो इससे तेरी आत्मा की हार ही होगी; जीत नहीं। अतः जीत इसी में है कि इन शुभ या अशुभ शब्दों को कानो से सुन कर भी मन पर असर न होने दे; बचन से भी उन शब्दों की प्रतिक्रिया प्रगट न करे तथा शरीर की चेष्टा से भी उन शब्दों का प्रभाव व्यक्त न होने पाए। अर्थात्—किसी भी प्रिय और अप्रिय शब्द को सुन कर मन को निष्पेष्ट बना दे, बाणी को उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करने से मूक बना दे, और काया की चेष्टाओं को उसके प्रभाव से शून्य बना दे। तभी अपरिग्रही साधु समभाव में स्थिर हो कर जितेन्द्रिय और संयतेन्द्रिय बनेगा। और अन्तरंग परिग्रह से सर्वथा दूर रह कर अपनी आत्मा में स्थित हो सकेगा।

बीतरागतापोषक शब्दभक्षण में आंशुचि परिग्रह नहीं—पूर्वोक्त सूत्रपाठ से यह ध्वनित हो जाता है कि जो शब्द राग, आसक्ति या मोहादि बढ़ाने वाले हैं, अथवा इसके विपरीत जो शब्द द्वेष आदि के पोषक हैं, उन दोनों को राग और द्वेष से अभिभूत हुए मन से ग्रहण करना ही अन्तर्ग परिग्रह है। परन्तु जो शब्द बीतरागता की पुष्टि करने वाले हैं, किसी के सुरीले स्वर में बीतरागतापोषक भजनादि के श्रुति-मधुर शब्द कानो में पड़ रहे हैं तो वहाँ सुनने, अभिरुचि दिखाने और उनके बारे में बार-बार स्मरण-मनन करने का निषेध नहीं किया गया है। जो शब्द राग-मोह-कामादिवर्द्धक हैं, उन्हीं से सावधान रहने का निर्देश है। बीतरागतावर्द्धक शब्दों से तो परिग्रह में अभिरुचि के बदले परिग्रह से विरक्ति ही पैदा होती है।

‘अपकोसकस्तस्मितवज्रवमानस्तस्मिन्मन्त्रवित्तवधर्मा’—इत्यादि शब्दों शब्दों का स्पष्टीकरण—‘धुल्लूगर पानी में डूब मर’ इस प्रकार के असुहायने वचन आकोशवचन हैं; ‘अरे मुँड !’ इस प्रकार के वचन चक्षुष्यवचन हैं; ‘तू कुलील है, दुराचारी है’ इत्यादि वचन छिस्तन—(मिथ्या) वचन हैं; ‘रे तू’ आदि अनादरसूचक शब्द अपमानवचन हैं; ‘तुझे देख लूँगा’ इत्यादि फटकार के वचन तर्जनावचन कहलाते हैं; ‘तुझे अपना मुँह मत दिखा’, ‘हट जा मेरे सामने से’ इत्यादि निर्भत्सनवचन हैं; रोष में झल्ला कर बोलना बीप्सवचन है, दूसरे को डराने, धमकाने, उद्बिग्न करने के वचन आसनवचन हैं; गाड़ी, मोटर, जहाज, विमान, डब फटने, पोली फूटने तथा मशीनों आदि के चलने की अव्यक्त कर्माक्ष ध्वनि ‘अकूर्जित कहलाती है; बाँसू गिरते हुए बोलना वसित है, लगातार एक ही शब्द की रट लगाना रवित है,

दृष्टवियोगादि होने पर रोना-पीटना आकस्मिक है, सूजर आदि के समान चीं चीं, चिल्लनों आदि आवाज को 'रसित' कहते हैं; दयनीय वचनों को कष्टवचन कहते हैं, आसंस्वर को बिलपित कहते हैं। ये सब अमनोज्ञ शब्द हैं, इन्हें सुन कर मन में हँपादि नहीं करना चाहिए।

चक्षुरिन्द्रियसंवररूप रूपनि स्मृतभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपरिग्रहव्रती साधु जब अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रवृत्त होता है तो कई रूप आँखों के सामने आते हैं, उनमें कुछ सचेतन प्राणी के भी होते हैं, कुछ अचेतन पदार्थों के भी। जैसे मनोज्ञ और नेत्रप्रिय सुहावने रूपों में सुन्दरी युवती, सुन्दर बच्चे, कुत्ते आदि के सलीने बच्चे, मृगशिशु, मोर, इसी प्रकार रगविरगे चित्र, सुन्दर सफेद या अन्यरंग की खाने-पीने की चीजें, बढिया वस्त्र या पात्र अथवा और कोई भी चेतन या जड़ सुन्दर एव आँखों को रचिकर तथा मनोमोहक पदार्थ सामने आए, तो उस समय यदि साधु उस सुन्दररूप या चेटुरे आदि को देख कर मन में रागभाव या मोह लाता है, उस सुन्दर रूप को टकटकी लगा कर देखने के लिए ललचाता है, बार-बार उसे देखने का लोभ करता है, उस रूप को आसक्तिपूर्वक देखने के लिए ठिठक जाता है, अथवा वहाँ से आगे चलने पर भी मन में बार-बार उसी रूप का स्मरण और मनन करता है, या पुन पुन. उस रूप को देखने के लिए लालायित होता है; तो यहीं साधक की हार है। ये सारे ही रागभाव के प्रकार हैं, जो साधक को अन्तरंग परिग्रह के जाल में फंसा देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास मनोज्ञ रूपों के नाम गिना कर अन्त में उसी प्रकार के अन्यान्य रूपों के दृष्टिगोचर होने पर उन पर आसक्ति अनुराग, मूर्च्छि, लोभ, मोह, न्योच्छावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से शीघ्र बचने का चक्षुरिन्द्रिय-संवरभावना के प्रकाश में निर्देश किया है—'चित्तिथं चक्षुरिन्द्रियं पाप्मिण्यं क्वापि मनुष्याद् भद्रकाद् ... क्वेषु मनुष्यभद्रेषु न तेषु समन्वेन लज्जितयव्यं ... न सह्यं सह्यं सत्यं क्रुञ्जा ।' इन सूत्रपंक्तियों का अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है।

इसी प्रकार इनके ठीक विपरीत अमनोज्ञ, आँखों को खटकने वाले, अप्रिय, पापकर्म के उदय से अशुभ कालेकल्लटे, भौंटे, भद्दे, चिनीने, बीमार आदि के दयनीय रूपों को देख कर यदि साधक एकदम दृष्ट हो जाता है, क्रोध से झल्ला उठता है, उन कद्रूप व्यक्तियों या जड़ पदार्थों पर दूट पड़ता है, उन्हें तोड़फोड़ देता है, डाँटता-फटकारता है, उनकी निन्दा करता है, लोगों के सामने उन्हें धिक्कारता है, उनका अपमान करता है, उन्हें बुरबुराता है, ठुकराता है, उनके प्रति नफरत फैलाता है, उन्हें हिकारतभरी दृष्टि से देखता है या धक्का दे कर, मारपीट कर उन्हें निकाल देता है या वहाँ से भगा देता है तो यहीं साधक की पराजय है। यहीं वह अन्तरंग परिग्रह

की अपेक्ष में आकर द्वेषरूपी शत्रु से दब जाता है। उसके मन पर द्वेषरूपी रिपु अधिकार जमा लेता है। ये सारे द्वेषभाव के ही परिवार हैं, जो साधक में बीटलाहट पैदा करके उसे अन्तरंग परिग्रह के गड्ढे में गिरा देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास अमनोज्ञ रूपों के नाम गिना कर अन्त में, उसी प्रकार के अन्यान्य अमनोज्ञ रूपों के दृष्टिगोचर होने पर उनके या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति रोष, अवज्ञा द्वेष, घृणा, निन्दा, धीज या चिड़, छेदन-भेदन (तोड़फोड़), ताड़न तर्जन, बध आदि से झटपट बचने का चक्षुरिन्द्रियसवरभावना के प्रकाश में निर्देश किया है—**‘वकिञ्चिद्विद्येण पासिय क्वाहं अमनुष्यपावकाहं’** ... **‘एवमाविदसु अमनुष्यपावकेसु न तेषु समन्वेष कसियज्जं ... लब्भा उप्पातेडं’** इन सूत्राक्तियों का अर्थ भी मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ से स्पष्ट है। कुछ खास स्थलों पर प्रकाश डालना उचित समझ कर नीचे कुछ स्थलों पर प्रकाश डालते हैं—

गंध-कोष्ठिक-कुम्भ-उदरि-कण्डुस्त ... **‘सत्पिसत्सग-वाहि-रोगपीलियं’**—जिसके घले में गड़माला हो, उसे गंधी कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है—बातज, पित्तज, कफज और सत्रिपातज। जिसके शरीर में १८ प्रकार के कुष्ठ रोगों में से कोई-सा भी कुष्ठरोग हो, उसे कोष्ठी कहते हैं। वे १८ प्रकार ये हैं—(१) अरुण, (२) दुंबर, (३) स्वर्णजिह्व, (४) करकपाल, (५) काकन, (६) पींडरीक, (७) दद्रु, (८) स्थूल माचक, (९) महाकुष्ठ, (१०) एककुष्ठ, (११) चर्मदल, (१२) विसर्प, (१३) परिसर्प, (१४) विचंचिका, (१५) सिष्म, (१६) किट्टिभि, (१७) पामा, (१८) अतारक। यथाधान के दोष में अथवा अन्य-किसी कारण से एक पैर छोटा हो, अथवा एक हाथ छोटा हो, उसे कुष्ठी—टोंटा या नूला कहते हैं। जिसके भयंकर उदर-व्याधि हो, उसे जलोदर कहते हैं। जलोदर रोग ८ प्रकार का होता है—(१) पृषक्, (२) समस्त, (३) अनिलोघ, (४) प्लीहोदर, (५) बद्धयुध, (६) आयन्तुक, (७) वेसर, (८) जलोदर। **श्लीषबी**—जिसके पैर कठोर हो गए हों, जकड़ गए हों, उसे श्लीषबी कहते हैं। इस रोगी के पैर धीरे-धीरे हाथों के पैर की तरह सूख जाते हैं। इसे हाथी-पया भी कहते हैं।

इन सब व्याधियों या रोगों से विकृत अंग वाले लोगों को देख कर मन में उनके प्रति घृणा, द्वेष, अरुचि, अप्रीति या द्वेष न लाना चाहिए। ऐसे विकृतांग या विकलांग व्यक्तियों को देख कर साधु को सोचना चाहिए—**‘अहो ! कर्मों की किन्ती विचित्रता है ! ये बेचारे अपने अशुभकर्मों के उदय से फल भोग रहे हैं। मुझे इन्हें चिड़ा कर, व्यथित करके या घृणा रोष करके व्यर्थ ही और नये कर्म क्यों बाधने चाहिए ? यही साधक की समभाव की परीक्षा होती है। वह मनोज्ञ या अमनोज्ञ**

दीनों में मध्दस्थ—सम रहे । न तो मन को मनोज्ञ रूपों में लसचाए और न अमनोज्ञ रूपों में बिगाड़े ।

निष्कर्ष यह है कि अपरिग्रहव्रती साधु को अपने मन को इस भावना की ऐसी तालीम देनी होगी, जिससे वह मनोमोहक एवं नेत्रप्रिय रूप आँखों के सामने आते ही उनके प्रवाह में न बह जाय, और अभद्र, असुहावने, अमनोज्ञ अशुभ रूप आँखों के सामने आते ही बौखला न उठे । शुभ या अशुभ रूपों को पुद्गल के खेल समझे । आखिर तो ये रंग या रूप बगैरह सभी नश्वर हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं । फिर इन सुरूपों पर मोह या आसक्ति करके और कुरूपों पर घृणा या द्वेष करके अपने मयम को क्यों धूल में मिलाया जाय ! अशुभ रूप साधक की आत्मा का क्या विगाड़ेगे ? रूप अपने आप में न अच्छा है, न बुरा। उमका निर्णय तो अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति के विचार ही करते हैं न ! अतः सुरूप या कुरूप का प्रभाव मन पर न पड़ने देना ही साधक की जीत है । अन्यथा, साधक की आत्मा की हार है । अतः विजय इसी में है कि इन शुभ या अशुभ रूपों को आँखों से देख कर भी मन पर असर न होने दे; वचन से भी उस रूपदर्शन की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया प्रगट न करे तथा शरीरचेष्टा से भी उन रूपों का प्रभाव व्यक्त न करे । अर्थात्—किसी भी प्रिय या अप्रिय रूप को देख कर मन को बिलकुल निश्चेष्ट बना दे, वचन को उसकी प्रतिक्रिया प्रगट करने से मूक बना ले तथा काया की चेष्टाओं को भी उसके प्रभाव से शून्य बना दे । यही अपरिग्रही साधु के द्वारा अन्तरंग-परिग्रह से सर्वथा मुक्त रहने की साधना है । इस प्रकार की भावना के चिन्तन व प्रयोग से साधक समभावी, जितेन्द्रिय एव स्थितप्रज्ञ बन सकता है ।

प्राग्भेन्द्रियसंवरभावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपरिग्रही साधक जब अपने नित्यकृत्य में प्रवृत्त होता है तो कई मनोज्ञ भोग्य पदार्थों या कई अन्य सुगन्ध-पूर्ण पदार्थों की सुगन्ध उसके नाक से आ कर टकराती है, उस समय उन भीनी-भीनी मधुर मनोमोहक सुगन्धों को पा कर यदि वह असाबधान हो कर उन पर रागभाव लाता है, उन्हें सूंघने के लिए ललचाता है, उस सुगन्ध में आसक्त बनता है, उन्हें सूंघने के लिए ठिठक जाता है या वहाँ से दूर चले जाने पर भी मन में उनका पुनःपुनः स्मरण या चिन्तन करता है तो यही साधक फिसलता है । ये सारे ही रागभाव के बिकार उसे घेर लेते हैं और अन्तरंग परिग्रह के जाल में फंसा देते हैं । इसीलिए आस्वकार ने कुछ आस-लास मनोज्ञ गंधों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं की किस्म के विभिन्न सुगन्धों के द्रावणोत्तर होने पर उन पर आसक्ति, राग, मोह, लोभ मूढि, न्योछावर, सुष्टि, स्मरण और मनन से उसे प्राग्भेन्द्रियसंवरभावना के प्रकाश में श्रीप्रातिशीघ्र

बचने का निर्देश सूत्रपक्तियों द्वारा किया है—“धाणिबिद्यन् अन्वाहय गंधाद् अन्वुन्नमह्वाद्”…… अन्वयचलसतरत्…… गंधेषु मन्वुन्नमह्वाद्सु…… समन्वेन न रन्धि-
 मन्व्यं…… न सर्वं महं च तत्त्वं कुञ्जा” इन सूत्रपक्तियों का अर्थ पहले ही स्पष्ट किया जा
 चुका है। वैसे ही यदि इन सुगन्धों से ठीक विपरीत मन को बुरे लगने वाले
 अमनोज्ञ दुर्गन्धों का नाक से स्पर्श होने पर क्रोध से तिलमिला उठता है, ठुकरा देता है,
 सीढ़ता-फोड़ता है और उन्हें डांट-फटकार बताता है, उनकी निन्दा करता है, भर्त्सना
 करता है, भा घृणा फैलाता है, दुरदुराता है, लोभों के सामने उन्हें धिक्कारता है या
 उन दुर्गन्धभरे व्यक्तियों को मारता-पीटता है, धमकाता है, या लड़ाई ठान बैठता है
 तो यही साधक की हार हो जाती है। यही वह अन्तरंग परिग्रह की चपेट में आकर
 द्वेषरूपी दुष्मन से दब जाता है। उसके मन पर द्वेषरूपी शत्रु कब्जा कर लेता
 है। ये सारे द्वेषभाव के ही परिवार हैं, जो साधक के मन में बीबलाहट पैदा करके
 उसे मनचाहा नचाते हैं और अन्तरंग परिग्रह के गर्त में धकेल देते हैं। इसीलिए
 शास्त्रकार अमनोज्ञ गन्धों के कुछ नामनिर्देश करके अन्न में, उसी प्रकार के विभिन्न
 अमनोज्ञ गन्धों के या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या साधनों के घ्राणोचर होने पर
 उनके प्रति रोष, अवज्ञा, द्वेष, घृणा, निन्दा, खीज या चिड़, छेदन-भेदन, ताड़नतर्जन
 या बध आदि के प्रयोग से बचने का घ्राणेन्द्रियसंवरभावना के चिन्तन के प्रकाश में
 निर्देश करते हैं—“धाणिबिद्यन् गंधाद् अन्वुन्नमह्वाद्” एवभाविद्यन् अन्वुन्न-
 वाक्केसु न तेषु समन्वेन इत्थिष्यन् सन्धा उप्पातेऽं । इन सूत्र पक्तियों का अर्थ हम
 पहले स्पष्ट कर चुके हैं। तात्पर्य यह है कि उन अमनोज्ञ दुर्गन्धों से सम्पर्क होने पर
 साधक यह सोचे कि ससार में विभिन्न वस्तुओं का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें हमें
 क्यों द्वेषभाव लाना चाहिए? ये सुगन्ध या दुर्गन्ध सभी एक दिन नष्ट होने वाले
 हैं। साधक को अपना मन इतना प्रमत्तित कर लेना चाहिए कि घ्राणप्रिय मनो-
 मोहक सुगन्ध के स्पर्श से वह बहक न उठे और अमनोज्ञ दुर्गन्ध के सम्पर्क से वह
 तिलमिलाए नहीं। इन्हें पुद्गलो का खेल समझे। इन नश्वर सुगन्धों या दुर्गन्धों के
 विषय में मन को राम-द्वेष के बीहड़ में भटक कर क्यों आत्मा को बिगाड़ा जाय ?
 अतः साधक की जीत इसी में है कि वह इन शुभ या अशुभ गन्धों से नाक का संस्पर्श
 होने पर भी मन पर उनका असर न होने दे, बचन से भी कोई प्रति-
 क्रिया व्यक्त न करे और न शरीर की चेष्टा को ही उनसे प्रभावित होने दे। अर्थात्
 किसी भी सुगन्धित या दुर्गन्धित पदार्थ या उसकी शुभाशुभ गन्ध को पा कर मन को
 बिलकुल स्थिर रखे, बचन को उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से दूक बना दे और
 क्रिया की चेष्टा को उसके प्रभाव से दूक बना दे। यही अपरिग्रही साधु की अन्तरंग
 परिग्रह से सर्वथा मुक्त होने की कुंजी है। इस प्रकार की भावना के चिन्तन और

प्रयोग से साधक स्वयं स्वस्थ, शान्त, समभावी, जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन जाएगा।

रसनेन्द्रियसंवरभावना का चिन्तन, प्रयोग और कल-परिग्रह से सर्वथा मुक्त होने वाला साधक जब अपनी दिनचर्या में, खासकर भिक्षाचर्या में प्रवृत्त होता है तो उसकी जीभ के सामने कई स्वादिष्ट मनोज्ञ रसीली चीजें या रस आते हैं अथवा उसे भिक्षा में भी कई मनोज्ञ चीजें प्राप्त होती हैं, वह उनका आस्वादन करने में प्रवृत्त होता है; यदि उस समय वह मनोज्ञ स्वादिष्ट रसयुक्त पदार्थों को देख कर मन में आसक्ति लाता है, रागभाव से खाता है, उन्हें पाने के लिए लालायित होता है, उन पर मुग्ध हो कर टूट पड़ता है, रातदिन उन्हीं का स्मरण और चिन्तन-मनन करता है तो यही वह अपने संयम को खो देता है। वह विविध मनोज्ञ रसों के मोहक जाल में फँसकर अपनी आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरा देता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खास मनोज्ञ रसों या रसयुक्त पदार्थों के नाम गिना कर अन्त में उन्हीं की किस्म के विभिन्न रसों या पदार्थों के रसनेन्द्रियगोचर होने पर उन पर आसक्ति, राग, मोह, बृद्धि, लोभ, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से दूर रहने का तथा रसनेन्द्रिय-संवरभावना के चिन्तन के प्रकाश में अपने अपरिग्रहव्रत को सुरक्षित रखने का संकेत करते हैं—'जिह्विमहिष्य साद्य रसाजि उ मनुजमहकाई उग्माहिमबिबिह पाक्-भोयक्...भोयणेसु .. रसेसु ...न समवेच सज्जियण्वं ' न सई च मई च तत्थ कुब्जा ।' इन सूत्रपरिक्रमों का अर्थ मूलार्थ एव पदान्वयार्थ से स्पष्ट है।

इन शुभ मनोज्ञ रसों के ठीक विपरीत, जो अमनोज्ञ अशुभ रस हैं; उनका जीभ से स्पर्श होने पर यदि साधक रोष से तिलमिला उठता है, उन्हें ठुकरा देता है, तोड़-फोड़ देता है, फेंक देता है, ठंडे, बासी, कड़े, सूखे, नीरस, सत्त्वहीन सड़े, घले पदार्थों को देख कर हाथ-पैर पछाड़ता है, देने के लिए उद्यत वाता से जड़ पड़ता है, उसकी निन्दा, अपमान, अवज्ञा या मारपीट करता है, उसके प्रति लोगों में घृणा फैलाता है, लोगों के सामने उस पदार्थ की या पदार्थ के देने वाले की निन्दा करता है, धिक्कारता है या डांटता-फटकारता है, तो समझ लो, वह साधक अन्तरंग परिग्रह की चपेट में आ कर द्वेषभाव से पराजित हो गया। साधक के निर्बल मन पर द्वेषभावरूपी शत्रु ने अधिकार जमा लिया। इसी लिए शास्त्रकार साधक को सूचित करते हैं कि वह अमनोज्ञ रसों या रसयुक्त पदार्थों से जिह्वेन्द्रिय का स्पर्श होने पर क्रोध से तमतमाए नहीं, आवेज में आ कर पाप को न तोड़-फोड़ दे, हाथ-पैर न पछाड़े, मुंह न मक्कोड़े, लड़ाई-झगड़ा न कर बैठे, वाता के यहाँ जा कर उसे श्लानुरा न कहे, न उस पर जीवे, न उसे डाँटे-फटकारे, और न ही उसे मारे-पीटे, न उसके प्रति खोशों में घृणा

फैलाए। बानी ज्ञातृकार अशुभ पदार्थों के प्रति रोष करने, द्वेष करने, चिढ़ने या धुंका करने, ठुकराने या छेदन-भेदन करने आदि से आत्मा को बचाने का निर्देश करते हैं—
 'चित्तमविष्टं सायि रसाई अमनुजपावकाई बहुदुष्प्रियंघाई तित्तकडुयकसाय-
 अंबितरससल्लिङ्गनीरसाई.....अमनुजपावकेलु न तेनु समणेण कसियध्वं.....।'
 इन सूत्रपंक्तियों का अर्थ पहले मूलार्थ एवं पदार्थान्वय में हम स्पष्ट कर आए हैं। यहाँ तो केवल उनका सन्निप्त विम्लेषण ही पर्याप्त है, सो ऊपर किया जा चुका है।

निष्कर्ष यह है कि अपरिग्रही साधक जिह्वेन्द्रिय के साथ नीरस, रस, अमनोज पदार्थों का सम्पर्क होने पर यही सोचे कि ये सब वस्तुएँ या रस नाशवान हैं, पुद्गल के खेल हैं, इनके मिलने पर असंतोष या रोष व्यक्त करना ठीक नहीं। ये स्वादिष्ट पदार्थ भी पेट में जा कर तो विकृत बन जाते हैं। फिर इन विकृत पदार्थों से मुझे क्या पबराना चाहिए!

मतलब यह है कि साधु को अपना मन इतना माध लेना होगा कि मनोज-सरस, स्वादिष्ट रस जीभ पर पड़ते ही वह चहक न जाय और अमनोज एवं नीरस पदार्थ के मिलते ही वह बीखला न उठे। विविध वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप जान कर उनकी सरसता या नीरसता का अपने मन पर अधिकार न होने दे; अपने मन को जरा भी उनसे प्रभावित न होने दे। इसी में उसकी जीत है। अन्यथा, साधक सरस स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थ पा कर अपने मन पर रागभाव का असर होने देगा तो उसकी संयम-साधना चौपट हो जायगी। इसी प्रकार अमनोज नीरस भोज्य या पेय पदार्थ पा कर यदि वह मन को द्वेषभाव से लिप्त कर देगा तो भी उसका अन्तरंगपरिग्रहमुक्ति का अब तक का प्रयत्न नष्ट हो जाएगा। उसकी आत्मा की पुद्गलों से जबर्दस्त हार होगी। अतः जीत इसी में है कि शुभ या अशुभ रसों को जिह्वेन्द्रियगोचर होते ही या होने से पहले ही मन पर उनका असर न होने दे, वचन से उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त न होने दे तथा शरीरकेष्टा से भी उन रसों का प्रभाव व्यक्त न होने दे। अर्थात् किसी भी प्रिय-या अप्रिय रस को पा कर मन को निश्चेष्ट बना दे, कापी को उसकी प्रतिक्रिया प्रयत्न करने में थूक बना दे और काया को भी उसके प्रभाव से शून्य बना दे। तभी अपरिग्रही साधक की विजय होगी। वह शुभ या अशुभ रसों के मिलने पर समभाव में स्थित होकर जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन जायगा। और अपनी आत्मा को अन्तरंगपरिग्रह से मुक्त रख कर आत्मा में स्थित हो जायगा।

स्पर्शेन्द्रियसंस्पर्शावना का चिन्तन, प्रयोग और फल—अपनी दिनचर्या में प्रवृत्त होते समय प्रतिदिन साधक की त्वचा से ठंडे, गर्म, हलके, भारी, खुदरे, कीमन

रुझ और स्निग्ध अनेक पदार्थों का स्पर्श होता है। उसे सदियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, तथा चिकना, मुलायम, हलका, स्निग्ध पदार्थ रूचिकर लगता है। किन्तु उन रूचिकर मनोज्ञ पदार्थों का स्पर्श पा कर यदि साधु आसक्ति करता है, मोह करता है, उस स्पर्श को पाने के लिए लालायित हो उठता है, उसे पाने की ही धुन में रहता है, उसे पाने के लिए बेचैन हो उठता है, अपने आपको गुलाम बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसी शुभ स्पर्श का स्मरण, मनन और रटन करता है, तो समझना चाहिए कि साधक अभी साधना में कच्चा है। वह अभी पुद्गलासक्त बन कर अपनी संयमसाधना को मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो रहा है। वह उन विविध अनुकूल स्पर्शों के मोहक जाल में फस कर अपने आपको पतन की खाई में धकेल देता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कुछ खास-खाम स्पर्शों का उल्लेख करके अन्त में उन्हीं के जैसे विभिन्न मनोमोहक स्पर्शों या स्पर्शयोग्य पदार्थों के स्पर्शनेन्द्रियगोचर होने पर उनके सम्बन्ध में आमक्ति, राग, मोह, गूढ़ि, लोभ, न्योछावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से दूर रहने तथा स्पर्शनेन्द्रिय-संवरभावना के द्वारा अपने अपरिग्रहव्रत को सुरक्षित रखने का संकेत करते हैं "फासिबिएण फासिय फासाइ मनुजमइकाइ" "इममंडव" उउसुहफासा अंगसुहनिव्युइकरा " फासेसु मनुजमइएसु न..... सम्मणेव सञ्जियव्वं" तत्त्व कुञ्जा।" इन सूत्रपंक्तियों का अर्थ हम पहले मूलार्थ एवं पदान्वयार्थ में स्पष्ट कर आए हैं। साथ ही, इन शुभ स्पर्शों के ठीक विरोधी अशुभ अमनोज्ञ स्पर्शों के शरीर से स्पर्श होने पर जो साधक रोष से झल्ला उठता है, आवेश में आ कर अबज्ञा कर बैठता है, या उक्त स्पर्शजन्य पदार्थों को तोड़ फेंकता है, उसके लिए लडता-झगड़ता है, दाता को भी भला-बुरा कहता है, उस वस्तु या व्यक्ति की निन्दा, अपमान, तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा करता है; लोगों के सामने उसे धिक्कारता, डांटता-फटकारता और कोसता है; उसके प्रति नफरत की भावना फैलाता है; तो समझ लो, वह साधक अभी तक अन्तरंगपरिग्रह से मुक्ति की साधना का क-ख-ग भी सीख नहीं पाया है। उसके निर्बल मन पर द्वेषरूपी शत्रु ने घेरा डाल दिया है। द्वेषभाव के सामने उसके मन ने घुटने टेक दिये हैं। इसीलिए शास्त्रकार साधक को हिदायत देते हैं—अमनोज्ञ स्पर्शों या स्पर्शयुक्त पदार्थों का संयोग भिलने पर फोड़ से आगबबूला न हो, आवेश में आ कर उन पदार्थों को फेंके या तोड़ें-फोड़ें नहीं, अनिष्ट स्पर्शों का संयोग होने पर वह हाथपैर न पछाड़े, छटपटाए नहीं, किसी को भला-बुरा न कहे, न कोसे, न किसी को डांटे-फटकारे, न मारे-पीटे और न ही किसी के प्रति लोगों में घृणा फैलाए। यानी वह उन अशुभ स्पर्शों या स्पर्श-शुभत पदार्थों के प्रति मन में रोष, द्वेष, अबज्ञा, जीव, जेवन-जेवन, वध और घृणा आदि कतई न लाए। इसी बात को शास्त्रकार निम्नोक्त सूत्रपंक्तियों के द्वारा स्पष्ट

करते हैं—“कासिदिष्ण कासिय कासाइं अमचुलपावकाइं अनेगवधवंधनसात्मन्-
कथं दुग्भिककव्वाइ - पुष-शीयउसिणसुवकेसु कासेसु अमचुलपावकेसु न .. समवेण
कसियवधं लब्भा उव्वाएउ” ।’ इन सूत्रपक्तियों का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा
चुका है ।

सारांश यह है कि अपरिग्रही साधक टंडा, गर्म, हलका, भारी, रूखा, खुदरा
आदि अमनोज्ञ अनिष्ट स्पर्शों का संयोग मिलने पर यह सोचें कि ये सब स्पर्श भी
तो पुद्गलो को ही से कर हैं । पुद्गलों का तो यह स्वभाव है । इनमें कोई नया कर
सकता है ? मुझे इन बुरे स्पर्शों के मिलने पर असंतोष प्रगट करना ठीक नहीं । मैं
तो विराट आत्मा हूँ, मुझे इन स्पर्शों का गुलाम बन कर या इनसे आत्मा को
प्रभावित करके जीना ठीक नहीं । इन बुरे स्पर्शों से अनन्त शक्तिमान आत्मा को
घबराना ही क्यों चाहिए ?

मतलब यह है कि साधु अपने मन को इतनी शिक्षा दे दे कि जब मनोज्ञ
स्पर्श या स्पर्शयुक्त पदार्थों का संयोग मिले, तब वह वृहत्के नहीं और अमनोज्ञ स्पर्शों या
पदार्थों का संयोग मिले तब बौललाए नहीं । जीवन को समभाव की पगडंडी पर
चलाए । दोनों ही अवस्थाओं में समभाव न छोए । विविध वस्तुओं के स्वभाव का
यथार्थ चिन्तन करके मन को उनके प्रति होने वाले रागद्वेष से बचाए । अपने मन
को इनसे बिलकुल प्रभावित न होने दे । अपनी आत्मा को सिर्फ ज्ञाता-द्रष्टा बना कर
रखे । इसी में उसकी विजय है । अन्यथा, यदि साधक सुखद मनोज्ञ स्पर्शों या स्पर्श-
युक्त पदार्थों को पा कर अपने मन पर रागद्वेष का असर होने देना तो उसकी जबदस्त
हार होगी । इसी प्रकार अमनोज्ञ दुःखद स्पर्शों या तत्सम्बद्ध पदार्थों को पा कर वह
अपने मन को उनसे प्रभावित होने देना, तो भी वह अपनी साधना को चीपट करके
इन स्पर्शों से हार जाएगा । आखिरकार वे स्पर्श यों तो पिंड छोड़ेंगे नहीं । शक्तियों में
शक्तियों का, शक्तियों में शक्तियों का, शक्तियों में दोनों प्रकार का, इसी प्रकार खुदरा, हलका,
भारी आदि बुरा स्पर्श तो रहेगा ही, उसे टाला नहीं जा सकेगा । तब फिर केवल
बौललाने से या ज्ञान दुःस्पर्शों से घबरा कर भागने से काम कैसे चलेगा ? बीर बन
कर संयमी-साधना के लिए कटिबद्ध होकर इन रागद्वेषरूप शत्रुओं से जुझना होगा ।
साधक की जीत निश्चित ही है । परन्तु वह तभी होगी, जब साधक मुग्धासुम स्पर्शों
का संयोग होते ही मन पर उनका कोई असर नहीं होने देना; बचन पर तो उसकी
प्रतिक्रिया बिलकुल नहीं होने देना और काया की श्रेष्ठा से भी वह उच स्पर्शों का
प्रभाव व्यक्त नहीं होने देना । अर्थात्—प्रिय-अप्रिय स्पर्श का संयोग होते ही मन पर
वह संयम का तात्ता लगा देना, बचन को वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने में मूक बना
देना और शरीरश्रेष्ठा को भी उनके प्रभाव से मुक्त रखना । तभी अपरिग्रही

साधक की अन्तरात्मा इन रामद्वैपरूपी अन्तरंग परिग्रहों पर विजयी बनेगी; शुभा-
शुभ स्वर्णों के संयोग में वह समभाव में स्थिर हो कर जितेन्द्रिय और स्थितप्रज्ञ बन
जाएगी और वह साधक भी आत्मस्थ बन जाएगा ।

पंचम संवरद्वार का महत्त्व— एक दृष्टि से देखा जाय तो अन्य सबरों की
अपेक्षा अपरिग्रहसंवर का दायरा बहुत विस्तृत है । क्योंकि परिग्रह में एक ओर सारा
विश्व आ जाता है तो दूसरी ओर व्यक्ति का तमाम मनोलोक आ जाता है । विश्व की
जड़ या चेतन, छोटी या बड़ी तमाम वस्तुएँ परिग्रह में आती हैं, तथा रामद्वैवजनक
तमाम भाव भी परिग्रह में ही आते हैं । इसीलिए शास्त्रकार पहले की तरह इस
परिग्रहविरमयरूप अपरिग्रह-संवरद्वार का माहात्म्य निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा उपसंहार
में व्यक्त करते हैं—‘एवं पंचमं संवरद्वारं कासियं…… आराहियं भवति … एवं
मायमुचिषा भगवत्या महावीरेण पञ्चवियं……पंचमं संवरद्वारं समस्तं ।’ इन सब
पंक्तियों का अर्थ पहले अनेकस्थलों पर स्पष्ट किया जा चुका है ।

पाँचों संवरों का माहात्म्य और फल—अब शास्त्रकार पाँचों ही संवरों का
माहात्म्य और उनकी आराधना करने का सुफल निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा बताते हैं—
‘एवाद्दं वयाद् पंचवि … अणुचरिय संजते चरमसरीरधरे भविस्सतीति ।’ इसका
अर्थ तो हम मूलार्थ तथा पदान्वयार्थ में स्पष्ट कर आए हैं; किन्तु कुछ भाग्य स्पष्ट
करना जरूरी है । ये पाँचो महाव्रतरूप पांच संवर आस्तिक जगत् में प्रसिद्ध हैं ।
पातञ्जल योगदर्शन में इनके लिए कहा है—

‘अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा विककालाद्यनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महा-
व्रतम् ।’

अर्थात्—‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये ५ व्रत हैं । ये
किसी खास देश, काल आदि से सम्बन्धित नहीं हो कर जब सार्वदेशिक और सार्वकालिक
हैं तो सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं ।’ संसार में जो नियम या व्रत किसी एक देश
या अमुक काल तक ही सीमित रहता है, वह उसके बाद अपना अस्तित्व खो बैठता
है; निःसर्व बन जाता है । परन्तु ये पंच महाव्रत तो प्रायः सभी धर्मों और दर्शनों ने
यम या व्रत के रूप में माने हैं । और सभी देश और सभी काल में ये पालनीय हैं ।
इनकी आराधना नहीं भी किसी भी स्थान या काल में की जा सकती है, ये सब
जगह सुख देने वाले हैं । किसी भी धर्म, जाति, देश, वैष या काल का कोई भी पुरुष,
स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, इनकी भसीभांति आराधना-साधना करके सिद्धि-मुक्ति
प्राप्त कर सकता है । इसीलिए शास्त्रकार ने स्वयं कहा है कि इन पांच महाव्रतों रूप
संवरों का १ सच्चित्तियों से युक्त, २५ धारकानों सहित, ज्ञानदर्शन से यम बचन कामा

से सुसवृत तथा प्राप्त संयमयोम की वृद्धि और अप्राप्त समययोम की प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयत्नशील होने से सुबिभुद्ध दृष्टि वाला समयी इन पांचों महावर्तों का लघातार पालन करके भविष्य में चरमशरीरी हो जायगा ।

यही इन पांचों सवरो की आराधना का उत्तम फल है ।

बैसे तो संकडों निर्दोष युक्तियों से इसका विस्तृत वर्णन मिलता है और शास्त्रों में विस्तार से भावनास्वरूप २५ सवरो का उल्लेख मिलता है, लेकिन आबाल-वृद्ध ससार में सर्वत्र यम, व्रत, महाव्रत आदि के नाम से प्रसिद्ध ये ५ ही सवर हैं । इसलिए इस शास्त्र में पाच ही सवरद्वारों का ग्रहण किया गया है ।

श्री सुबोधिनीव्याख्यासहित प्रश्नव्याकरणसूत्र का इसका अध्ययन अपरि-ग्रहक्य पंचमसवरद्वार समाप्त हुआ ।



उपसंहार

अब शास्त्रकार शास्त्र की पूर्णाहुति पर इस शास्त्र का निम्नोक्त परिचयात्मक सूत्रपाठ द्वारा उपसंहार करते हैं—

मूलपाठ

पण्हावागरणे णं एगो सुयक्खंघा, वस अज्जयणा, एक्कसरगा,
दससु चेव दिवसेसु उद्दिसिज्जन्ति । एगन्तरेसु आयविलेसु निरुद्धेसु
आउत्तभत्तपाणएणं अंगं जहा आयारस्स ॥ (सू० ३०)

संस्कृतच्छाया

प्रश्नव्याकरणे एकः ध्रुतस्कन्धो दशाध्ययनानि एकस्वरकानि, दससु
चेव दिवसेसु उद्दिश्यन्ते एकान्तरेषु आचाम्नेषु आपुक्तभक्तपानकेन अंगं
यथाऽऽचारस्य ॥ (सू० ३०)

पदान्वयार्थ—(पण्हावागरणे) इस प्रश्नव्याकरणसूत्र में (एगो) एक (सुयक्खंघो) ध्रुतस्कन्ध है। (वस अज्जयणा) दस अध्ययन हैं, जो (एक्कसरगा) समान गौली के हैं। (आउत्त भत्तपाणएणं) उपयोग युक्त आहार पानी वाले साधु द्वारा (जहा आयारस्स अंगं) जैसे आचारांग का वाचन किया जाता है, वैसे ही (एगन्तरेसु) एकान्तर (निरुद्धेसु आयविलेसु) लगातार बीच में रुकावट वाले बिना, आयविल तप से युक्त (दससु चेव दिवसेसु) दस ही दिनों में ये (उद्दिसिज्जन्ति) वाचन किये जाते हैं।

मूलार्थ— इस प्रश्नव्याकरणसूत्र में एक ध्रुतस्कन्ध है, दस अध्ययन हैं, एक जैसे हैं, आचारांग सूत्र के व्याख्यान के समान उपयोगपूर्वक आहार पानी वाले साधु द्वारा लगातार (बीच में रोके बिना) एकान्तर आयविल (आचाम्ने) तप का आचरण करके दस ही दिनों में इनका वाचन किया जाता है।

व्याख्या

जैसी कि शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार से उन्होंने प्रश्नव्याकरण सूत्र का दस अध्ययनों में निरूपण पूर्ण किया है। वास्तव में प्रश्नव्याकरण सूत्र का

जैसा नाम है, वैसे ही जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या इसमें की गई है। सभी युगों में दुःख और सुख से सम्बन्धित प्रश्न ही जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं ने इन्हीं मूलभूत प्रश्नों को ले कर अपने-अपने धर्म का निरूपण किया है। परन्तु प्रश्नव्याकरणसूत्र में कुछ ऐसी निराली सूची है कि इसमें दुःख और सुख इन दोनों से सम्बन्धित प्रश्नों की ही व्याख्या की गई है। यद्यपि शास्त्रकार के कथनानुसार इनमें एक ही श्रुतस्कन्ध माना गया है। तथापि आश्रवद्वार और संवरद्वार नामक दो खंड अवश्य हैं। आश्रवद्वार के बदले अधर्मद्वार नाम भी प्रयुक्त हुआ है। यानी प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य (मैथुन) और परिग्रह इन पाच आश्रवों के ऋषभ. पाच अध्ययन प्रथम खंड—आश्रवद्वार में हैं। इसके पश्चात् द्वितीय खंड—संवरद्वार में भी अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाच अध्ययन छठे अध्ययन से ले कर दसवें अध्ययन तक हैं। ये पाँचों संवरद्वार पचमहाव्रतों के रूप में वर्णित हैं।

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट—ये दसो अध्ययन एक ही सीली में हैं, फिर भी एक से एक बढ़कर हैं। वैसे तो शास्त्र रत्नाकर है। इसमें बहुत रत्न भरे पड़े हैं। कोई तुलना नहीं की जा सकती कि कौन-सा अध्ययन किस अध्ययन से बढ़कर है। परन्तु इन की वर्धनीय वस्तु को देखते हुए सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि इनका वर्णन बहुत ही विषम है।

व्याख्यानरीति—प्रश्नव्याकरणसूत्र या किसी भी भाषण की वाचना या व्याख्यान बिना तप के निखर नहीं सकता। तपस्या के साथ वाचना हो तो वाचना में निखार भी आ जाता है; और ज्ञान के साथ दर्शन, चारित्र्य और तप की भी आराधना हो जाती है। धर्म तो आचारप्रधान ही होता है। शास्त्रज्ञान भी श्रुतधर्म है। उसका आचरण भी ज्ञान के अतिरिक्त दर्शन (देवगुरुधर्म पर अट्टा) चारित्र्य (अट्टा-पूर्वक धर्मचरण) और तप (चारित्र्यशुद्धि के हेतुतप) से ही परिपूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ शास्त्रकार ने प्रश्नव्याकरण सूत्र की वाचना की अद्यपि १० दिन की बताई है, और उसके साथ लगातार एकान्तर (एक दिन बीच में पारणा करते हुए) आर्यवित्त के साथ करने का भी निर्देश किया है।

इस प्रकार श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र सुबोधनीयव्याख्यासहित सम्पूर्ण हुआ।

सुर्म मूवात्

ॐ अर्हम्

प रि शि ष्ट



परिशिष्ट

सुभाषित

- १ पाणवहो नाम एस निच्चं जिणेहिं भणिओ—पावो वंडो रुदो—
खुदो साहसिओ अणारिओ णिग्घिणो णिस्संसो महम्मओ .. अ. १ पृ० २२
- २ मंदबुद्धी सवसा हणंति, अवसा हणंति ...
अत्या धम्मा कामा हणंति.... ,, १ ,, ४५
- ३ पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वड्ढंति महम्मयं—
अविस्सामवेयणं, दीहकालबहुदुक्खसंकडं नरपतिरिक्खजोणिं ,, १ ,, ६८
- ४ एसो सो पाणवहस्स फलविवायो—
इहलोइयो पारलोइयो अप्पसुहो बहुदुक्खो महम्मयो ... ,, १ ,, १०७
- ५ अलियवयणं लहुसण-लहुचवल भणियं अयंकरं दुहकरं
अयसकरं वेरकारणं .. अपच्चयकारकं ... ,, २ ,, १३१
- ६ बहुवे धम्मकरणालसा परूवेति धम्मविमंसएण मोसं.... ,, २ ,, १५८
- ७ अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेड्ढंति—
अक्खतियवीएण अप्पाणं कम्मबंधणेण ... ,, २ ,, १५६
- ८ मुहुरी असमिक्खयप्पलावी.... ,, २ ,, १५६
- ९ असक्खा अत्थालियं च कत्थालियं च भोमालियं च
तह गवालियं च गरुयं भणंति अहरयतियमणं.... ,, २ ,, १५६
- १० अलियसंपत्तता वयणं सावज्जमकुसलं साहुगरहणिज्जं—
अधम्मजणणं भणंति अणभिययपुम्मपावा.... ,, २ ,, १५६
- ११ न थ अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्खो.... ,, २ ,, २१६

- १२ अदिष्णादाणं...सया साहुगरहृणिञ्ज पियजण—
मित्तज्जण-भेदविप्पीतिकारकं... ,, ३ ,, २३१
- १३ बह्वे रायाणो परघणम्मि गिद्धा सए य दव्वे असंतुट्ठा,
परविसए अहिहणंति ते लुद्धा परघणस्स कज्जे... ,, ३ ,, २४४
- १४ परदव्वहरा नरा वसणसयसमावण्णा । ,, ३ ,, २४८
- १५ बहुमोहमोहिया परघणंमि लुद्धा .. ,, ३ ,, २७३
- १६ वरागा अकामिकाए विणंति दुक्खं,
णेव सुहं णेव निव्वुत्तिं उवलभंति... ,, ३ ,, २६८
- १७ उवणमंति मरणधम्म अवितत्ता कामाणं ... ,, ४ ,, ३४१
- १८ मेहुणसन्नासंपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहि हणति एकमेक्क ,, ४ ,, ४०७
- १९ विसुणिया घणनासं सयणविप्पणासं च पाउणंति ... ,, ४ ,, ४०७
- २० समये धम्मे गणे य भिदंति पारदारी .. ,, ४ ,, ४०७
- २१ मेहुणसन्नासंपगिद्धा धम्मगुणरया य बंभचारी खणेण उल्लोठए—
चरित्ताओ ... ,, ४ ,, ४०७
- २२ दुवे य लोया दुआराहया भवंति—
इहलोए चव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया .. ,, ४ ,, ४०७
- २३ अबंभसेविणो इहलोए ताव नट्ठा, परलोए वि य णट्ठा .. ,, ४ ,, ४०७
- २४ इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ चरिमं अहम्मदारं ,, ५ ,, ४४५
- २५ परिग्गहं ममायंति लोभघत्था... ,, ५ ,, ४६८
- २६ लोभघत्था संसारं अतिवयंति सब्बदुक्खसंनिलयण... ,, ५ ,, ४६६
- २७ तण्हणेहि-लोभघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया
करंति कोहमाणमायालोभे... ,, ५ ,, ४६६
- २८ देवा वि सइंदाए न तिस्सि न तुदिठ उवलभंति... ,, ५ ,, ४ ६
- २९ नत्थि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सब्बजीवाणं सब्बलोए... ,, ५ ,, ४००
- ३० बद्धनिकाइयकम्मा सुणंति धम्मं, न य करंति... ,, ५ ,, ४६८
- ३१ किं सक्का काउं जे अं णेच्छह ओसहं सुहा पाउं... ,, ५ ,, ४६८

- ३२ अहिंसा जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भवति—
दीवो ताणं सरणं गतो पइदठा”
- ३३ एसा सा भगवती अहिंसा सव्वभूयवेमकरी
- ३४ सव्वभूयसंजमदयदट्ठयाए सुद्धं उंछं गवेसियव्वं”
- ३५ नवि वंदण-माणण-पूयणाते भिक्खं गवेसियव्वं”
नवि हीलण-निदण-गरहणाते भिक्खं गवेसियव्वं”
नवि भेसण-त्तज्जण-तालणाते भिक्खं गवेसियव्वं”
- ३६ सव्वजगजीवरक्खणदयदट्ठाते पावयणं भगवया सुकहियं
- ३७ न कयावि मणेण पावएणं पावगं किचि वि भायव्वं
वईए पावियाए पावगं न किचिवि भासियव्वं
- ३८ संजमजायामाया निमित्त संजमभारवहणदट्ठयाए भुंजेज्जा
पाणवारणदट्ठयाए सजएणं
- ३९ संजमस्स उवबूहणदट्ठयाए वातातवदसमसग
मीयपरिरक्खणदट्ठयाए उवगरणं रागदोसरहितं परिहरितव्व
- ४० तं सच्च उज्जुयं अकुडिलं भूयत्थं अत्थनो विसुद्धं—
उज्जोयकरं पभामकं भवति सव्वभावाण जीवलोगे अविस्वादि
- ४१ तं सच्च भगव
- ४२ जं (सच्च) लोगंमि सारभूयं
- ४३ अत्थाणि य सत्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य—
सव्वाणि वि ताइं सच्चे पइदिठ्याइं
- ४४ सच्चं पि य संजमस्स उवरोहकारक किचि न वत्त व
- ४५ अरहंतमणुभायं समिक्खियं संजएण कालंमि य वत्तव्व ।
- ४६ सच्चं च हियं च मियं च गाहगं च सुद्धं—
संगयमकाहलं च समिक्खित्तं संजतेण कालंमि य वत्तव्वं
- ४७ कुद्धो चंडिकिकओ मणूसो जलियं भणेज्ज,
सच्चं सोलं विणयं हणेज्ज
- ४८ खुद्धो लोलो भणेज्ज असियं

- ४९ न भाइयब्बं, भीतं च्चु भया अइ ति बहुयं,
 भीतो अबित्तिज्जओ मणूसो,
 भीतो भूतेहि च्चिप्पइ,
 भीतो अर्त्तं पि ह्ठु मेसेब्बा,
 भीतो तवसंजममपि ह्ठु सुएब्बा,
 भीतो य भरं न नित्थरेब्बा,
 सप्पुरिसनिसेवियं च मग्गं भीतो न समत्थो अणुचरिउं .. ७ ,, ६३७
- ५० न भाइयब्बं...भयस्स वा, बाहिस्स वा, रोगस्स वा जराए वा
 मच्चुस्स वा .. ७ ,, ६३७
- ५१ हासं न सेवियब्बं .. ७ ,, ६३७
- ५२ अलियाइ अंसंतकाइ जंपति हासइत्ता .. ७ ,, ६३७
- ५३ परपरिभवकारणं... परपरिवायप्पियं...परपीलाकारणं
 भेदविमुत्तिकारकं .. अघोभ्रजणियं च होब्ज हासं .. ७ ,, ६३७
- ५४ मोणेण भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकरचरणवदणो
 सूरुो सच्चब्जवसंपभो । .. ७ ,, ६३७
- ५५ ततियं महब्बयं गुणव्वतं परदब्बहरणपडिविरइकरणजुत्तं
 सुसंजमियमण-हूत्थ-पायनिहुयं...णेदिठकं...परमसाहुधम्मचरणं
 .. ८ ,, ६६३
- ५६ उग्गहं अणुभवि य गेण्हियब्बं .. ८ ,, ६६३
- ५७ बज्जेयब्बो सव्वकालं अब्बियत्त घरपवेसो
 अब्बियत्तभत्तपार्षं... अब्बियत्त... उव्वगरणं .. ८ ,, ६६४
- ५८ परपरिवाओ, परस्स दोसो, परववएसेण जं च गेण्हइ,
 परस्स नासेइ जं च सुकयं .. ८ ,, ६६४
- ५९ असंविभागी, असंगहुरुई...अप्पमाणभोई
 से तारिसए आराहए वयमिणं । .. ८ ,, ६६४
- ६० संविभागसीसे, संगहोवग्गहकुसले
 से तारिसए आराहेति वयमिणं । .. ८ ,, ६६४

- ६१ संजमबहुले संवरबहुले संकुडबहुले समाहिबहुले
धीरे काएण फासयंतो सततं अक्षप्यक्षान्जुत्ते
समिए एगे चरेज्ज घम्मं । " ८ " ६८१
- ६२ विणओ वि तवो, तवो वि घम्मो,
तम्हा विणओ पउंजियव्वो...गुरुसु साहसु तवस्सीसु य " ८ " ६८१
- ६३ बंभचेरं उत्तम तवनियमणाणदंसणचरित्तसम्मत्तविणयसूलं
यमनियमगुणप्पहाणजुत्तं... पंचमहब्बयसुरक्खियं " ९ " ६९९
- ६४ जमि य भग्गंमि होइ सहसा सव्वं संभग्गं
जमि य आराहियंमि आराहियं वयमिणं सव्वं " ९ " ७००
- ६५ अणेगा गुणा अहीणा भवंति एक्कंमि बंभचेरे " ९ " ७००
- ६६ जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंभणो सुसमणो सुसाहू सुइसी
मुमुणी स सजए स एव भिक्खू जो सुद्धं चरति बंभचेरं " ९ " ७०१
- ६७ तवसजम-बंभचेर-घातोवघातियाइ अणुचरमाणेणं बंभचेरं
वज्जेयव्वाइ सव्वकालं " ९ " ७०१
- ६८ विणयमीलतवनियमगुणसमूहं तं बंभं भगवंतं " ९ " ७००
- ६९ दाणाणं चैव अभयदानं " ९ " ७००
- ७० तहा भोतव्वं जहू से जायामायाए भवति,
न य भवति विग्भमो, न भंसणा य घम्मस्स " ७ " ७३३
- ७१ इमस्स मोक्खवरमुत्तिमग्गस्स सिहरभूओ
संवरवरपादपो चरिमं संवरदारं " १० " ७८०
- ७२ संजमस्स उववूहणदठ्याए वायायववंसमसगसीय—
परिरक्खणदठ्याए उववरणं रागदोसरहियं परिहरियव्वं
संजएण... " १० " ७८१
- ७३ णिच्च ...अहो य राओ य अपमत्ते ण होइ
सततं निक्खियव्वं च गिहियव्वं च भायणभंडोवहिउवगरणं " १० " ७८१
- ७४ समे य जे सव्वपाणभूतेसु से हू समणे,
सुयघारए .. सव्वजगवच्छस सव्वभासकै व
संसारंतट्ठित्ते " १० " ८०४

- ७५ योक्स्वरपत्तं व निस्वलेवे
आगासं चैव निरालंबे
,, १० ,, ८०४
- ७६ जीवियंमरणासविष्यमुक्ते निस्संधं निव्वणं
चरित्ते धीरे काएण फासयंते अब्भप्पव्क्काणजुत्ते
निह्वए एगे चरेज्ज धम्म ।
,, १० ,, ८०५
- ७७ मणुन्नमहएसु ण तेसु समणेण सज्जियव्वं,
न रज्जियव्वं, न गिक्कियव्वं, न हसियव्वं, न
मुक्कियव्वं, न विनिग्घायं आवज्जियव्वं, न
सुभियंठेवं, न तुसियव्वं
,, १० ,, ८०६
- ७८ अमणुन्नपावएसु ण तेसु समणेण रूसियव्व,
न होलियव्व, न निदियव्वं, न खिसियव्व, न
छिदियव्वं, न भिदियव्वं, न वहेयव्वं ।
,, १० ,, ८०७



२

परिशिष्ट

विशेष शब्द सूची

विशिष्ट पुरुष पृष्ठ	समुद्बिजय	
	सब	३५६
अरिहंत	सारण	३५६
अणिरुद्र	सुमुह	३५६
उम्मुय		
कंस		
गव		
		२
		राज्याधिकारी
चक्रकवट्टी	अमरुच	४६६
जिष	इस्सर	४६६
जम्बू	इम्भ	४६६
जरासिंघ	कुमार	४६६
कुम्मुह	कोट्टुबिय	४६६
गायकुलनबंधन	मणभायण	४६६
निसह	तलवर	४६६
पञ्जुन्न	दंडभायण	४६६
पतिव	पुरोहित	४६६
बलदेव	मंडलिय	३७६, ४६६
रिसि	मांडबिय	४६६
रायनेसाव	रट्टिय	४६६
बसुदेव	सेट्टी	६४६
वासुदेव	सेणावती	४६६
वीरवर	सत्यवाह	४६६

३		गुरुल	३४०	४६८
	नगररत्नक	विष्णु	"	"
खंडरत्नक	१५७	जलण	"	"
भारिव	१५७	दीव	"	"
भारवट	१५७	उचहि	"	"
भाट्टुयार	१५७	दिसि	"	"
परियारग	१५७	पवण	"	"
नगरगोतिय	१५७	वणिय	"	"
४			६	
विसिष्ट भारिवां			अन्तर देव	
अहिन्नया	४०७	अणवनि	३४०,	४६८
कंचया	४०७	पणवनि	"	"
किन्नरी	४०७	इसिवादिय	"	"
तारा	४०७	भूववादिय	"	"
देवकी	३५६	कदिय	"	"
दोवई	४०७	महाकदिय	"	"
पउमावई	४०७	कूहट	"	"
पूतना	३६०	पयंगदेव	"	"
महासउणी	३६०	पिमाय	"	"
रोहिणी	३५६	भूय	"	"
रोहणी	४०७	अकख	"	"
रत्ता	४०७	रकखस	"	"
हप्पिणी	४०७	किमर	"	"
विष्णुवती	४०७	किपुरिस	"	"
सुवण्णमुत्तिया	४०७	महोरव	"	"
सुमहा	४०७	गंघण्व	"	"
सीया	४०७			
५			७	
अननपत्तिदेव			उपोसिष्णुदेव	
		चंद		४६८
अकुर	३४०, ४६८	सूर		"
मुवव	" "	सुवण		"

सभिच्छर	"	तन्वीयतच्छरीरवादी	११८
राहू	"	दानादिफलनिषेधवादी	"
भूम	"	धर्माचरमनिषेधवादी	"
केत	"	धर्मादिफलनिषेधवादी	"
शुभ	"	इन्द्रियानुकूलविषयप्रवृत्तिवादी	"
अवारक	"	असद्भाववादी	"
	८	स्वयंभूनिर्मितलोकवादी	"
	वैमानिकवेध	ईश्वरकर्तृत्ववादी	"
सोहम्म	४६८	विष्णुमयसृष्टिवादी	"
ईसाय	"	आत्मनिष्क्रियवादी साम्यदर्शन	"
सणकुमार	"	यदृच्छीवादी	"
मार्हिय	"	स्वभाववादी	"
बभलोय	"	दैववादी	"
लतक	"	नियतिवादी	"
महासुक्क	"	धर्मविषयपरायण	"
महस्सार	"	काल-मृत्युनिषेधक	"
आणय	"	ऋषिनिषेधक	"
पाणय	"		
आरण	"		
अच्छुय	"		
	९		
	विचित्र दार्शनिक		
नास्तिकवादी	११७		
वामलोकवादी	"		
आत्मनिषेधवादी	"		
लोकपरलोकनिषेधवादी	"		
पुण्यपापनिषेधवादी	"		
पञ्चमहाभूतवादी	"		
अनीबीयवादी	"		
पंचस्कन्धवादी बौद्ध	"		
यादुबीयवादी	"		
		१०	
		सिल्विक	
		कलाय	११७
		कारुण्य	"
		पठकारय	"
		११	
		वामिष्णुपरायण	
		कूडतुल-कूडमाणी	११७
		कूडकहावचोवजीविय	"
		वामिषय	"
		१२	
		हिंसक	
		एषोवा	६७

कूटछेलिय	”
पोतणीवार	”
पत्तीवग	६८
पोतपाय	६७
मच्छर्बध	”
महुवाय	”
मुदध	”
वाह	”
वगचरय	”
वायुरिय	”
वीदंसम-पासहृत्थ	”
वीसमत्स दायग	६८
सलिलासयसोसग	६८
साउजिय	६७
सोमरिय	”
हरिएम	”

१३

विकल्पाय मनुष्य

अंघिल्लय	८२२
अंघय	”
एवचनू	”
काण	”
कुंटे	”
कुज्ज	”
कुज्ज	”
पंगुल	”
वहिर	”
मग्मण	”
मूक	”
वटभ	”
वामण	”

विकल	”
विभिह्यद्यंथिल्लय	”
विकय-वियसक्य	”

१४

व्याधिसत्त मनुष्य

उदरी	८२२
कच्छुत्त	”
कुनि	”
कोठिक	”
गंठि	”
पइत्त	”
बाहिरोम पीसिय	”
सपिसलय	”

१५

विभिन्न वेत्त

अरोस	६८
आरय	”
अनकख	”
आभासिय	”
कणय	”
कूहन	”
केकय	”
कौकणय	”
कोचंअ	”
कुलवख	”
खस	”
खासिय	”
वाय	”
गोड	”
मंअहारक	”

चिलाब	"	ल्हासिब	"
शीग	"	सक	"
बुलिय	"	सबर	"
बुंबुब	"	सीहल	"
बल्ल	"	छेयमेत	"
बडन	"	हूण	"
डोबिसब	"		
डोंब	"		
तितिय	"		
दबिल	"		
नेहुर	"		
पक्कगिय	"		
पारस	"		
पुलिय	"		
पोक्कज	"		
पम्हव	"		
बहुलीय	"		
बिल्मल	"		
बम्बर	"		
बउस	"		
भडग	"		
मद्व	"		
महुअर	६८		
मरखुह	"		
मसब	"		
मास	"		
मासब	"		
मुट्टिय	"		
मुदंडोब	"		
दब	"		
रोमब	"		
रोब	"		
		१६	
		नगर, बग, गृह आदि	
		बडवीदेस	१६०
		आवण	६८०
		आराम	४६८, ३५९, ६८०
		आगर	४४५, १६०, ८२२, ३५९, ६६३
		आसम	४४५, ३५९, ६६३, ६८०
		उज्जाय	४६८, ३५९, ६८०
		कम्बड	४४५, ७८०, १६०, ३५९, ६६३
		काणज	४६८, ३५९
		कम्मसाला	६८०
		कुवितसाला	६८०
		कंधरा	६८०
		खेड	४४५, १६०, ६६३, ७८०
		गाम	१६०, ३५९, ४६८, ६६३, ७८०, ८२२
		गिरि	६८०
		गुहा	"
		जायसाला	"
		बचवब	४४५
		बग	"
		बगर	४४५, १६०, ३५९, ६६३, ७८०
		बियब	४४५, ६६३
		दोचमुह	४४५, ३५९, ६६३, ७८०
		पट्टब	४४५, ३५९, ६६३, ७८०
		पम्बड	" ४६८

पुरवर	४४५	कवाक	६६६
धवव	४४	खासिय	४४
मंडव	४४५, ३५६, ७८०	खाविय	८२२
मंडव	६८०	गववव	७३२
कवकमूल	"	गोडर	७३२
मेव	"	घर	४४, ७३२
ववसंड	४६८, ८२२	वरिया	७३२
संवाह	४४५, ३५६, ६६३	चंवसालिय	४४
सुसाण	६८०	वेइय	"
सेल	३५६	वेतिय	८२२
सुन्नघर	६८०	चितसभा	४४
	१७	भिति	"
नवर के मार्व		जंतसुलिय	"
		बालयद्वचंव	७३२
चउकक	२७३	व्हाणिका	"
चउवर	"	तोरण	४४, ८२२
चउमुह	"	बुभ	४४
तिय	"	बार	"
महापह	"	दुमार	७३२
सिपाठव	"	वेककुल	४४, ४६८, ६८०, ८२२
	१८	निउबूहव	४४
नवन भाधि		वसाणक	७३२
		पच्छवत्पुक	"
नवार	४४	पावार	४४, ६६६
भायतव	"	पवा	४४, ४६६, ६८०, ८२२
भायसह	४४, ६८०, ८२२	पासाव	७३२
भावन	४४	फलिह	४४, ६६६
भाराम	४४, ३५६	भवन	४४, ४६८, ८२२
भामास	७३२	बूमिघर	४४
भंवन	"	मंडव	"
भभिलोयव	"	नवन	"
भट्टासव	"	वत्पु	६६६, ७८०

विकल्प	७३२	पाण	४४४
वेदिय	४४	पत्त	७८०
वेतिय	"	फलक	४४
वरमंडव	८२२	भायण	४४४
वसहि	४६६	भोयण	"
विहग	४४	मत्स	"
विहार	"	मंडक	४४
सभा	४६८, ८२२	मूसल	"
संकम	४४	वाहण	४४४
सेउ	"	सयण	७८०
सरण	"		
साल	"		

२०

वायु के उपकरण

१६	उक्खेवम	८३०
गृह-उपकरण	तालवंट	४४, ७८०, ८२३
आसन	परियुनक	४४
आच्छायण	पेहुण	७८०, ८२३
उबल	वियण	४४, ७८०
उवाणह	बीयणक	८२३
काय	सुप्प	४४
कुविय	हुणमुह	"
कु'डिया		
कंसभायण		

२१

वस्त्र

कील	४४	अंबर	४४
संघ	४४४	दूस	६६३
चंगेरी	४४	वरवेस	७८०
चम्म	७८०	खोमफुयल	७००
छत्तक	"		
जुय	४४		
जण	४४४		
जस	"		
मिस्सेणी	४४	अपर	४३२

२२

सुगन्धित पदार्थ

अधुसेवण	४४, १६१	सुवंध	८२३
उसीर	८२२, ८२३	सुरभिचंदण	७३३, ८२२
एसारस	८२२	सुवंधिवरवास	७२३
कफकोल	"	सेवचंदण	८२३
कप्पूर	"		
कालामुह	३६०		२३
कुंडरकक	"	मन्व एवं पेय यथायं	
कुसुम	७३३	जन्न	१६१
कुसुमसत्पर	८३०	ओसही	"
कुंकुम	८२२	ओदण	७८०
कुठ	"	कोसण	"
गंध	४४, १६१	कुम्मास	"
गोसीस	७००	कंद	"
चंदण	"	काबिसायण	८२३
बुण्णवास	"	खंडकय	"
चोय	८२२	लीर	७३३, ७८०
जलयपुष्फ	"	खड	" "
जुत्तिवर	८२३	खज्जक	" "
तवर	८२२	गुल	" "
तुल्लक	३६०	गज	"
बलयपुष्फ	८२२	गुलकयभवख	"
दमणक	"	धयकय	८२३
ध्रुव	७००	धुन्न	७८०
ध्रुव	१६१, ३६०, ७३३, ८२२	तप्पण	"
पत्त	८२२	तेल्लकय	८२३
पक्कमंसि	"	तेल्ल	७३३, ७८०
पुष्फ	१६१	दाभियव	८२३
मत्स	४४	दुव्व	"
महरिय परिमल	४४२	दहि	७३३, ८२३
मन्व	८२३	नवणीय	" ७८०
सर्वण	८२२	निट्टाणव	८२३
सारंग	८२३	पाण	६३६, १६१, ८२२

पिठ	७८०	कलाव	"
पलल	"	कनकनियस	"
फल	७८०, ८२२	बिबिणी	"
भक्क	४४	भंटिय	"
भोयण	४४, १६०, ८२२	बलनमानिस	"
भत	६३६	छुहिय	"
मुज्जिय	७८०	जाल	"
मज्जिय	८२३	नेउर	"
मच्छंडिक	७३३, ८२३	पुडग	७८०
मच्छंडिय	७८०	पत्तरक	८२१
महु	" " ७३३	पहेरक	"
मज्ज	१६० " " "	पायजाल	"
मंस	" ७३३, ७८०, ८२३	मणि	७८०
मंयु	७८०	मुत्ताधार	"
भोयण	"	मेहला	८२१
वारणी	८२३	मुत्तिय	८२३
वेडिम	७८०	मुणाल	"
बट्ट	"	रयभोरबानिस	८२१
बंजण	"		
सरय	८२३	२३	
सेहुं	"	बान	
सीहु	"	जान	४४, ४४४, ४६८, ७८०, ८२२
सायद्वारस	"	जोन्	" " " " "
सप्पि	७३३, ७८०	बोणी	४४
सुप	७८०	रहु	४४, ४४४, ८२२
सक्कुलि	"	बहण	४४
सरक	"	बाहण	४४, ४६८
सिहरिणी	"	बिमाण	४६८
		संबण	४४, ४४४, ८२२
	२४	सीया	" " "
	आभूषण	सपठ	" " "
कंभी	८२१		

संज्ञित के उपकरण

केल-तन्मात्रे से सम्बन्धित

आतोञ्च	४४	आहनखण	७३३, ८२१, ८२२
आतञ्च	७३३	कलरीभित	८२२
कञ्चभी	८२१	कीलिय	७३२
वेय	७३३	कह्व	७३३, ८२२
तल	४४, ८२१	वीय	७०१, ७३२
ताल	"	वेद्विय	७३२
सुखिय	"	खल्ल	७०१, ७३३, ८२१, ८२२
तूर	२४५	सुषइल्ल	७३३, ८२१, ८२२
संती	८२१	सुंवीभिय	" " "
तूचय	"	तालावर	" " "
कुंकुमि	२४५	नड	" " "
दवपुर	८२१	नट्टक	७०१, " " "
नंठी	"	नट्ट	७०१, ७३२
पञ्चक	"	पणय	७३३, ८२१, ८२२
पडह	२४५	पेञ्चय	७०१
पणय	८२१	भणिय	७०१, ७३२, ८२१
त्रेरी	२४५	संख	७३३, ८२१, ८२२
मुरय	८२१	यल्ल	७०१, ७३३, ८२१, ८२२
सुदंय	"	सुद्विय	७३३, ८२१, ८२२
वितत	४४	वाह्व	७०१, ७३२
वस	८२१	विदेविच्छत	७३२
वीणा	"	विमास	"
विपंवी	"	विम्बोदय	"
वल्लवी	"	वेसंयक	७०१, ७३३, ८२१, ८२२
वडीसक	"	सासय	" " "
संख	२४५	संख	" " "
सुवास	८२१	संख	८०४
सुसर	"	हसिय	७०१, ७३२, ८२१

रथ	वस्तु
शरीर के संशोधन	शरीर
अद्विभ्रम	४३
अन्त	"
अथरीदु	३२५
अंगुलि	"
उबर	"
उत्तमंभ	३२५
ऊरु	३२५
करतल	३७५
कर	६३६
कबोल	३२५
कण्ठ	३२६
कुच्छी	३२५
खंघ	"
खल	"
गीवा	३७७, ३२५
गोंफ	३७६, "
गुण्णवेस	" "
गलन	३२५, ६३६
गम्भ	४३
गरगतल	३७६
गम	४३
गंधा	३७६, ३२५
गहन	३२५, ६३६
गीहा	३७७
गानू	३७६, ३२५
गिवाक	३२६
ग्लासधि	"
गालु	३७७
गन	३२६
गान्धि	४३
वस्तु	४३
वस्तुसेठी	३७७, ३२५
वसण	३२६
वमनि	४३
वमक	"
वह	४३, ३७६, ३२५
वमन	" " ३२६ :
नाभि	३७६, ३२५
नासा	३७७, ३२६
पाणी	३७६, ३२५
पास	" "
पिच्छ	४३
पापिलेहा	३७७, ३२५
पित्त	४३
पिच्छिल	"
बाहू	३७७, ३२५
मत्पुलुंभ	४३
मंस	"
मंसू	३७७, ३२५
मेय	४३
रोमराई	३७६, ३२५
विद्य	४३
विद्याध	"
वाल	"
वच्छ	३७६
वमन	६३६
वसा	४३
खोपी	३२५
खोपिय	४३
खिन्धि	३७६, ३२५
खिन्धि	४३
खमन	३७७, ३२६

अथ २

हृत्प	३९५
हृत्पुय	३९५
हृत्पय	४३

२९

चित्रकर्म से सम्बन्धित

कट्टे	८२१
पोले	"
चित्रकर्ममे	"
लेप्पकर्ममे	"
सेले	"
संतकर्ममे	"

३०

शिल्प, कला

बसि	४६९
फिली	"
चउसट्टी महिलापुणे	"
बावतरी कलाओ	"
वाभिर्ज	"
मकहारं	"

३१

कृषि के उपकरण

कुलिय	४४
खिल	१६०
खेत	१६०, ६३६, ७८०
मंगल	४४
भूमि	१६०
मइय	४४
बल्लार	१६०

श्री प्रसन्नभावा कृत

३२

वास भाषि

कम्मकर	१६०
दासी	१६०, ४४५, ७८०
दास	" " "
पेस	१६०, ७८०
पेसकजण	१६०
भयक	१६०, ४४५, ७८०
भाइल्लक	१६०

३३

आयु

अय	७८०
कस	६९३, "
कणम	३५९, ३६०, ४४५, ४६९, ६६३
जण्यकचण	८०४
जातक्य	७८०, ८०४
तरय	७८०
तंब	"
आयु	१६०
पवाम	"
मणिसिल	"
रयत	७८०, ८०४
सुवस	७८०
सोसक	"
हिरल्ल	६६३, ७८०

३४

कोष

अथ	३५९, ३७६, ३६९
----	---------------

कसप्यहार	२७३
कुलिय	१०६
कुम्भीपाकसङ्घ	८२४
कुट्टुप्यहार	२७३
कौप्यर	२७३
कौहाल	१०६
कुम्भण	१०६
कारतेस्व	८२४
कवचसम-मसम	८२४
काद-यच्छमम	८२४
गोमियप्यहार	२७२
कदवेला	२७३
छविच्छेयम	१०३
विष्म-क्षेयम	८२४
जानुपत्तरनिवास	८२४
जानुप्यहार	८२४
छाडण	१०३, ८२४
वासण	१०६
दंड	२७३
दूयम	१०३, २७२
निष्मच्छवा	२७२
नेताप्यहार	२७३
निवायम	१०३
नासामेय	१०३
कचर	२७३
पथारि	"
पथोत्ति	"
पादपण्डि	२७३, ८२४
परोप्यराभिहणम	१०६
पीसम	८२४
संघण	१०३, ८२४
मुट्टिप्यहार	२७३

मसण	१०६
मारण	१०६
सेट्टुप्यहार	२७३
तयाप्यहार	"
मताप्यहार	"
सक्कारस	८२४
सउठप्यहार	२७३
वरसप्यहार	"
वह	१०३, ८२४
वसणनयणहियमवंतमंजण	८२४
वज्जमट्ट	२२३
वायातमवंसमसमनिवात	८२४
वेसप्यहार	२२३
विबिहसत्त्वमट्टण	१०६
विष्कूयडक	८२४
दंमण	१०६
सलिसमट्टम	१०६
सूतीमसप्यवेस	८२४
सोहपुच्छम	८२४
सुलमेय	८२४

३७

विधिसं सन्धान

उट्टचलणवंसम	२७२
कीलम	"
कूय	"
कुयंडव	"
संधासम	"
चारम	"
वक्कविसतवंसम	"
कूय	"
निवड	"

निककोष्ठ	"	३६	
दामक	"	सेना	
बज्रपट्ट	"	गव	२४५
भूमिचरनिरोह	"	वयवती	३४१
रज्जुनिघल	८२४	ओह	२४५
लोहपञ्जर	२७२	सुरगवती	३४१
लोहसकल	"	नरवती	"
वरस	"	रह	२४५
बालरज्जुय	"	रहवती	३४१
बिहम्मण	"	हय	२४५
सपुटकबाद	"		
सकल	८२४	४०	
हृदि	२७२, ८२४	ध्वजा	
हृत्पदुय	२७२, ८२४	शय	२४५

३८

आफोस, स्वयं भादि शब्द

अफकोस	८२१		४१
अवमाण	"		नाला
अकूषिय	"	यठिम	८२१
कविय	"	पूरिम	"
कलुषविलविय	"	वेठिम	"
किसण	"	संघातिम	"
तासण	"		
तज्जण	"		४२
वित्तवण	"		कलासय
निग्गुट्टवण	"	कूल	४४४ ४६५
निग्गंछण	"	गु जालिय	८२१
फवस	"	उलाय	६७, ८२२, ४६५
रठिय	"	घह	४४, ६७
रभ	"	दीहिम	४६५, ८२२
रसिय	"	दणनउव	८२१

नदी	८२२	माणुसोत्तर	"
पोषकारिणी	४४	मंडलिय पण्य	७००
पल्लव	४६८, ८२२	मंदरगिरि	७८०, ८०४
विसर्पति	८२२	रतिकरपण्य	४६६
वपिणी	४४, ८२२	रुयववर	७००, ४६६
वावी	४४, ४६८	रयतगिरि	३६०
सर	६७, ४६८, ८२२	वरसिहरकुड	४६६
सरपंति	८२२	वट्टपण्य	"
सरिय	३५६	वेयडुगिरि	३५६
सागर	८२२	हिमवंत	७००
सीतोदा	७००		

४५

पशु-पत्नी

	४३		
	समुद्र	मच्छ	४२
कालोवधि	४६६	जयगर	४२, १५६
सीरोदण	३६०	जय	४४५
बहुपति	४५६	अहि	८०५
मन्मथसलिल	४६६	मत्स	१६०
मन्मथसलहि	३५६	जावत	२६६
समभूरमथ	७००	आसालिय	४२,
		माहा	४३
	४४	उन्वर	४२
	पर्वत	उत्कोस	४३
अंजनकलेस	४६६	उट्ट	१६०, ४४५
अवपात	"	उरुण्य	४२
इक्षुशार	"	कच्छव	४२, १५६
उप्याय	"	करम	४२
कंचनक	"	कुरंग	४२
कमलगिरि	३६०	कुंवर	८०५
कुंडलपण्य	४६६	कोहल	१५६
चित्तविहितममक	"	कोकलिय	२६६
यहिसुह	"	कोम	"

करक	४३	चक्रवाक	४३
कुम्भुडय	४३, १६०	चङ्ग	४३
कवोतक	४३, १५६	चउरव	४३
कपिबलक	४३, १५६	धीरल्ल	४३
कादबक	४३	चमट्टिल	४३
कीर	"	चास	४३
कुलीकोस	"	छगल	४२
कीच	,	छारल	४३
कविल	,	बाहुग	४२
काम	४३ ८७	जीवजीवक	४३
वाग्द्वय	४३	भस	४२, १५६
काओदर	४२	डिक	४३
कोणालग	४३	डेभियालय	४३
कोग्ग	४३	गउल	४२
कुल न	४३	गकक	४२
खामी	४२ ८०५	तिभि	४२
ग्राडहिल्ल	४२	तिभिगल	४२
दु, वा	१५६	तित्तिर	४३, १५६
रु, र	४२	तरच्छ	४२
गाह	४२	दीविय	४३, ४२, ८७
गोण	४२, १६०	दगदु ड	४३
गय	४२, १५६	दम्भपुष्क	४२
गो	४४५	दिलिबेडय	४२
गवेलग	४४५, १५६, १६०, ७८०	दम्भीकर	८०५
गवय	१६०, ४२	घत्तरिट्टु	४३
गोकल्ल	२६६	गन्दीमुह	४३
गोघा	४२, १५६	गन्धनाथय	४३
गोणस	४२, १५६	पाठीण	४२
गदल	४३	पयक	४२
धिरोमिया	४२	पुलक	४२
धमर	४२	पसय	४२, १५६
धिरमल	४२	पिमुल	४३

संख्या

श्री प्रणव्याकरण सूत्र

पिपल	४३	वानर	४२, १३६
पुष्पाक्ष	"	विद्युत्	४२, ८७
पारिप्लव	"	विष	४२, ८७, २६६
पारेषवम	"	वसथ	८०५
वक	४३	वायस	४३
वलाका	४३	विह्व	४३
वरहिष	४३, १३६	सरम	८७
विचारम	४३	साथ	४२
विधासि	"	सद्गुल	८७
मल्ल	४२	सीह	४२, ८०५
भारंठ	८०५	सरंठ	४३
मभर	४२, १३६	सेह	४३, १३६
मंडुक्क	४२	सल्लम	४३, १३६
मुत्तंठ	४२	सरठ	४३, १३६
मंडुव	४२	सारस	४३, १३६
मंडली	१३६	सेतीय	४३
मण्णार	४२, ८७, २६६	सतथ	४३
मठली	४२, १३६	सुपीमुह	४३
मंडुल	४२	सुय	४३, १३६
मयूरव	४३	सेम	४३
मभर	४३	संसप्ततुंठ	२६६
मयमसाल	१३६	सीमावार	४२
मिव	४२	संभुमार	४२
महित	४२, १३६, ४४४	सुकर	१३६
वद	४२	संकांक	१३६
रोहित	४२	सरह	४२
साथम	४३, १३६	संवर	४२
सम्भुति	४३	ससम	४२, १३६
वराह	४२	शिवान	४२, ८७, २६६
संपु म	४३	शिरिभंजसंलय	४२
सट्टम	४३, १३६	हृत्पौंडरिय	४३
वर (चंठ)	२६६	हंस	४३, १३६

हल्दी	१६०	विगमय	"
हय	"	४२, ४४५, ७८०	सुगमय
"	"	"	सियासमय
"	४६	"	सीहमय
पशुओं आदि की आवाज	"	"	हृत्पमय
अफोडिय	२४५		
घूयकयघोषद	२४७		४६
क्षेत्तिपविघ्न	२४५	साधुवर्ग के सर्वोपकारक	
जंबूखिनिख्यंत	२४७	कवल	६३६, ६६४
पाइककहरहराइय	२४५	गोचर्य	७८१
रक्षघणघणाइय	२४५	चोलपट्टक	७८१, ६६४
वेयानुट्टिम निसुठकहकहित	२४७	दवग	६६४
सीहनाद	२४५	नितेज्ज	६६४
हयहेसिय	२४५	पडिग्गह	७८१
हन्धिगुलगुलाइय	२४५	पडल	"
		पादबंधण	"
	४७	पादकेसरी	"
	रस	पादठवण	"
अंडिल	८२३	पच्छाद	"
कदुय	"	पीठ	६३६, ६६४
कसाय	"	पत्त	" "
तिल	"	पायपुंछ	" "
लिङ्गनीरस	"	फलव	" "
		मुहपोत्तिय	६६४
	४८	मुहगंतक	७८१
मृतकों के सब		रसताण	"
अहिमय	८२३	रवोहरण	७८१, ६६४
अस्समय	"	वरव	६३६, ६६४
दीविमय	"	सेज्जा	" "
गोमय	"	संधारक	" "
मफुजमय	"	सीस	६३६
मज्जारवय	"	सिस्सिणी	६३६

	५०	उत्त	५५०
	मिस्त्राचर्चा	बब	"
उंछ	५७८	जुग	"
मिस्त्रायरिया	"	भय	"
	५१	गंगल	"
श्री षष्ठपुराणों के लक्षण		मय	"
अभिसेय	६४०	मगर	"
अट्ठावय	"	तोरण	"
अंकुस	"	तुरय	"
आगर	"	तानियंट	"
इ दकेउ	"	धुभ	"
कुम्म	"	दाम	"
कर्मबलु	"	दामिणी	"
कमल	"	दीब	"
कप्पदकळ	"	दप्पण	"
कुमुदागर	"	नक्खत	"
किन्नर	"	नेउर	"
कसस	"	नदियावत	"
कुंजर	"	पडाय	"
कुंइल	"	पब्बीसम	"
खन्न	"	पोत	"
खेइव	"	वाण	"
मरुल	"	भय	"
मोपुर	"	भिवार	"
मागर	"	भवय	"
भंटा	"	भट्टासण	"
भकोर	"	भण्ड	"
भक्कवाव	"	भण	"
भामर	"	मुल्लं	"
भक्क	"	मिक्कणी	"
बाव	"	मधुर	"
		मगर	"

अंबर	३४०	एवणासमितिभावना
निहृण	"	आदाननिक्षेपसमितिभावना—पृ० ५७८
शेखरी-	"	२ सत्यमहाव्रत की ५ भावनाएँ—
मेह	"	अनुचिन्त्यसमिति भावना
मेहसा	"	क्रोधनिग्रह रूप क्षमा भावना
मउड	"	लोभविजय रूप निर्लोभता भावना
रयण	"	भयमुक्ति रूप निर्भयता भावना
रवि	"	ह्यास्यत्यागरूप वचनसंयम मौन भावना
रह	"	—पृ० ६३६
रायहस	"	३ अशौचमहाव्रत की ५ भावनाएँ—
वहर	"	विविक्तवासवसति समिति भावना
वट्टमाणस	"	अनुशातसस्तारकग्रहण रूप अशुद्ध
वीणा	"	समिति भावना
विपंची	"	अध्यापरिकर्मवर्जन रूप अध्यासमिति-
वर	"	भावना
विमाण	"	अनुशातभक्तादि भोजन लक्षण-साधारण
वसभ	"	पिडपात्रलाभसमितिभावना
ससि	"	साधनिक विनयकरवाभावना—पृ० ६८०
सस	"	४ ब्रह्मचर्यमहाव्रत की ५ भावनाएँ—
सोत्थिव	"	स्त्रीससक्तनिवास स्थानत्याग समिति
सूष	"	भावना
सागर	"	स्त्री कथा विरति समितिभावना
सरिव	"	स्त्री रूप विरति समिति भावना
सारस	"	पूर्वरत स्मरणत्याग समिति भावना
सिरी	"	कानोत्पादक आहारत्याग समिति
सुकवि	"	भावना—पृ० ७३२
हार	"	५ अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाएँ—
		शोभन्निग्रयसंवर भावना
		वस्तुनिग्रय संवर भावना
		ध्यानेन्द्रियसंवर भावना
		रसेन्द्रियसंवर भावना
		स्पर्शेन्द्रियसंवर भावना—पृ० ८२०
पाचमहाव्रतों की २५ भावनाएँ		
१ अहिंसामहाव्रत की भावनाएँ—		
ईर्ष्यासमिति भावना		
मम-समिति भावना		
वचनसमिति भावना		



